26924



श्री अर्जुनसिंह अभिनन्दन ग्रन्थ

प्रथम सेवक

श्री अर्जुनसिंह अभिनन्दन ग्रन्थ का यह चौथा खण्ड है। यह खण्ड प्रथम सेवक नाम से अभिहित है। यह खण्ड 1980 से 1982 तक के उनके मुख्यमंत्री काल पर विधायी दृष्टि से प्रकाश डालता है। श्री अर्जुनसिंह की छवि एक तेजस्वी मुख्यमंत्री की है। विरले ही होते हैं जो वैभवशाली परिवार में जन्म लेकर भी गरीबों और असहायों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हैं। श्री अर्जुनसिंह ने ऐसा ही जीवन जिया है। उन्होंने अपने राजनैतिक विवेक का इस्तेमाल संवेदनशील प्रशासन और संस्कृतिधर्मी राजनीति को विकसित करने के लिए किया और देखते ही देखते भोपाल एक समर्थ राजनैतिक केन्द्र के साथ-साथ सांस्कृतिक केन्द्र भी बन गया। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि देश के सर्वाधिक कला समवाय भारत भवन के निर्माता श्री अर्जुनसिंह ही हैं; जिन्हें देश के लेखकों, कलाकारों, और संगीतज्ञों का अपरिमित स्नेह प्राप्त हुआ। श्री अर्जुनसिंह निस्संदेह भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गाँधी की संस्कृतिधर्मी राजनीति के उत्तराधिकारी हैं।

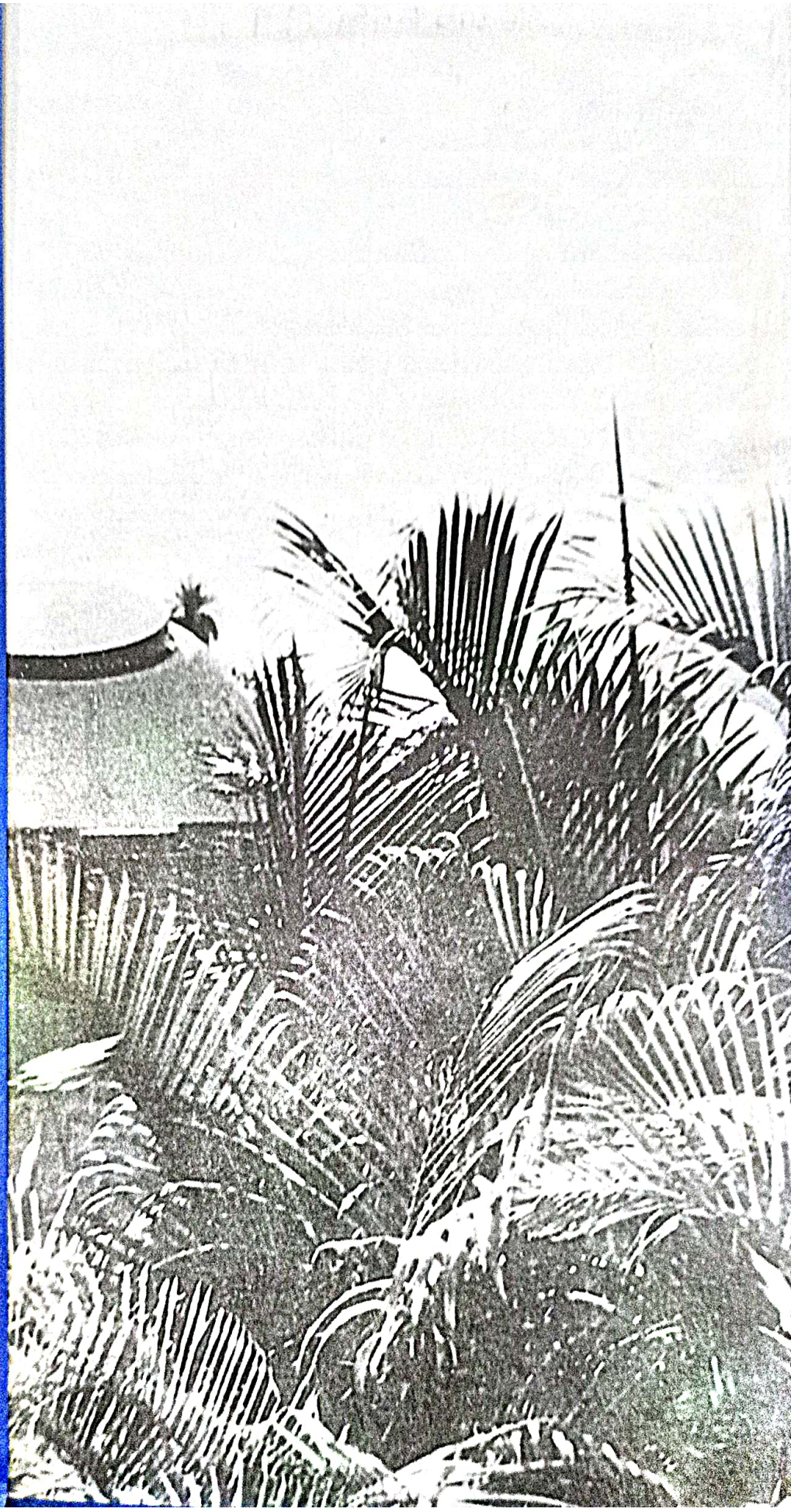

Data Entry Complete
26924
REFERENCE BOOKS

General Knowledge

CAREER COLLEGE
ACC.No.....
Book No.....
Date.....
B.H.E.L., BHOPAL



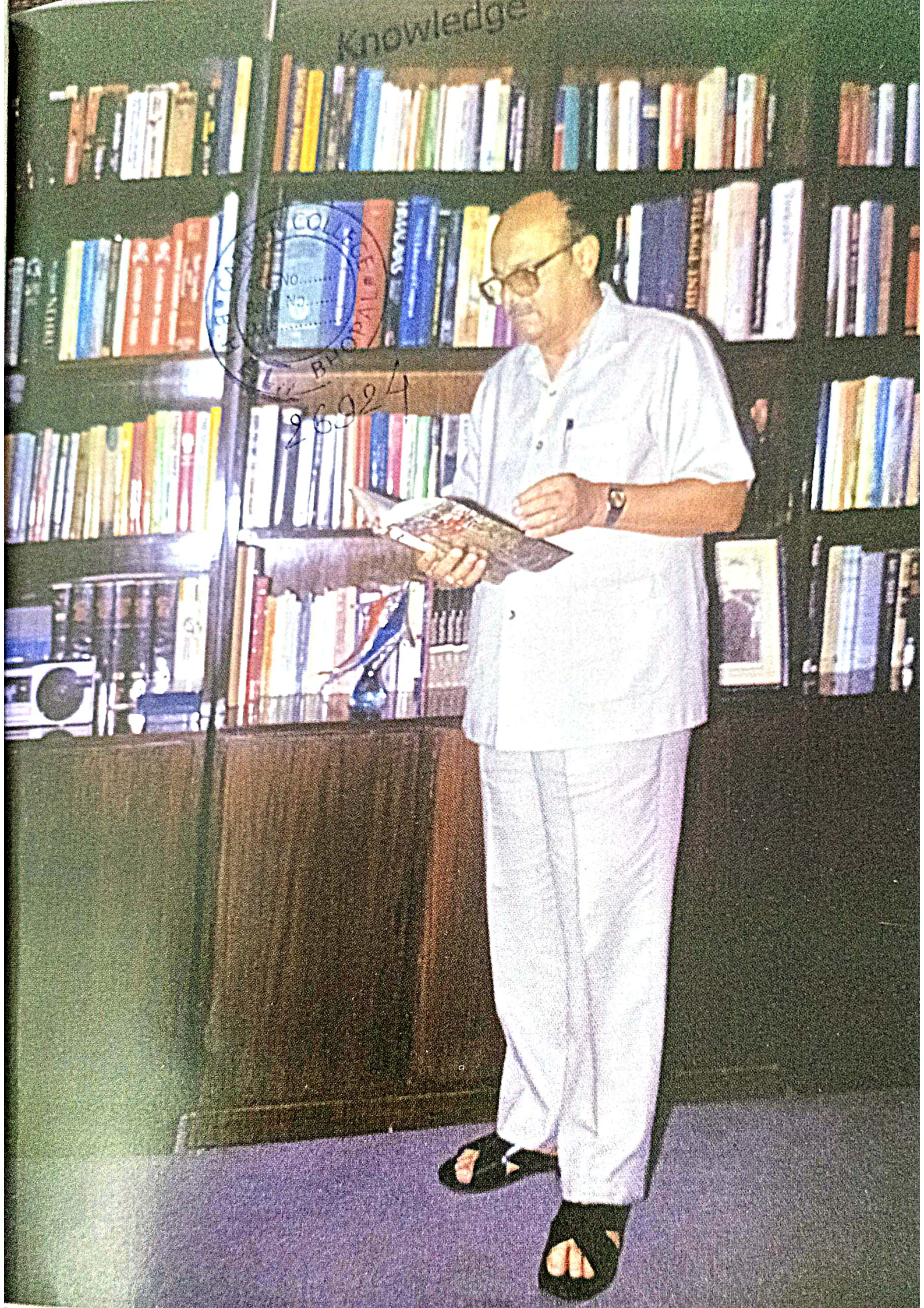
Knowledge

GeneralKnowledge

श्री अर्जुनसिंह अभिनन्दन ग्रन्थ

प्रथम सेवक

(चतुर्थ खण्ड)

B.H.E.L., BHOPAL. CAREER COLLEGE
ACC.No.....
Book No.....
Date.....
26924

संयोजक
मुरारीलाल अग्रवाल

सम्पादक
विष्णु राजोरिया

संयोजन
इण्डियन रायटर्स एसोसिएशन, कोलकाता
प्रकाशन
श्री अर्जुनसिंह अभिनन्दन ग्रन्थ समिति, भोपाल

26924

श्री अर्जुनसिंह अभिनन्दन ग्रन्थ

चतुर्थ खण्ड : प्रथम सेवक

CAREER COLLEGE BHOPAL M.P. ACC.NO..... Book NO..... Date.....

आयोजन : इण्डियन रायटर्स एसोसिएशन, कोलकाता

प्रकाशन : श्री अर्जुनसिंह अभिनन्दन ग्रन्थ समिति,
4 इन्दिरा प्रेस परिसर, महाराणा प्रताप नगर,
भोपाल-462011

- प्रथम आवृत्ति
- कार्तिक कृष्ण अष्टमी, विक्रम संवत् 2061, 5 नवम्बर, 2004
- © लेखकों के सौजन्य से संपादक
- प्रस्तुति दिग्दर्शक : आशीष
- मुद्रण निदेशक : मनीष

कम्पोजिंग : आकृति फोटोटाइपसेटर्स एण्ड प्रोसेसर्स
मुद्रण : आदर्श प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स
4/1, इन्दिरा प्रेस परिसर, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462 011
☎ : 2555442, 2550291

CAREER COLLEGE
ACC No.....
Book No.....
Date.....
C.E.L., BHOPAL
26924

श्री अर्जुनसिंह अभिनन्दन ग्रन्थ समिति

खुशवन्त सिंह
सैय्यद हैदर रज़ा
प्रो. के. अयप्पा पणिकर
प्रो. कल्याणमल लोढ़ा
जिया फरीदुद्दीन डागर
प्रोफेसर डॉ. धनंजय वर्मा
दिग्विजय सिंह
डॉ. बिन्देश्वर पाठक
विष्णु खरे
कमलाकर सोनटके
मदन मोहन जोशी
प्रो प्रेमशंकर रघुवंशी
अजीत जोगी
प्रभात गांगुली
राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल
सुभाष यादव
झुमकलाल भेड़िया
बी.आर.यादव

राजेन्द्र सिंह
महेन्द्र सिंह चौहान
बंशीलाल धृतलहरे
प्रताप सिंह बघेल
श्रीमती उर्मिला सिंह
मोहम्मद अकबर
कांतिलाल भूरिया
चरणदास महन्त
डॉ. आर.के. बिसार्य
सत्यनारायण शर्मा
दीपचंद यादव
मोहम्मद युनुस
बी.एल. सिंह
भूपेन्द्र गुप्ता
मुरारीलाल अग्रवाल
पी.सी. पाठक
आशिस सान्याल
छतरसिंह
विष्णु राजोरिया

इंडियन रायटर्स एसोसिएशन

संरक्षक

महाश्वेता देवी
डॉ. प्रतापचन्द्र चन्द्र
नीरेन्द्र नाथ चतुर्वेदी
अमिताभ चौधरी
सेवाव्रत गुप्ता
तरुण सान्याल
डॉ. प्रभा खेतान
डॉ. सुरभि बन्दोपाध्याय
नीतिश बिस्वास
डॉ. एस. घोष
एस. कृष्णमूर्ति
गौतम प्रसाद बरुआ
डॉ. नलिन पटेल
एस.ए.मलिहाबादी
विश्वम्भर नेवार
डॉ. उज्जल कुमार मजुमदार
होसेनुर रहमान
देवूलाल बनर्जी
गणेश प्याने
सुचित्रा मित्रा
देवाजंन चक्रवर्ती
सुधांशु शेखर डे
के.सी. धर
संकर मण्डलोई
समित सरकार

कार्यसमिति

प्रेसिडेंट

प्रो. कल्याणमल लोढ़ा
कुलपति, जोधपुर विश्व विद्यालय

उपाध्यक्ष

डॉ. के.सी. भुनया
उड़िया लेखक
गीतेश शर्मा
हिन्दी आलोचक

जनरल सेक्रेटरी

प्रो. आशीष सान्याल
बांग्ला लेखक

मुख्य सलाहकार

मुरारी लाल अग्रवाल

कोषाध्यक्ष

प्रो. श्री शंकर झा
हिन्दी-अंग्रेजी लेखक

सदस्य

सचिन दास
बांग्ला लेखक
कल्याण गंगोपाध्याय
बांग्ला लेखक
डॉ. ज़रीना ज़रीन
उर्दू शायर - आलोचक
प्रणब बरुआ
असमी कवि
ज्योर्तिमय दास
बांग्ला लेखक
सोमेन्दु गंगोपाध्याय
बांग्ला लेखक
डॉ. इन्दु जोशी
हिन्दी लेखिका

संपादन सलाहकार
पद्मभूषण डॉ. बिन्देश्वर पाठक
प्रोफेसर डॉ. धनंजय वर्मा
डॉ. उज्जल कुमार मजुमदार
डॉ. अवधेश प्रसाद पाण्डेय
माधव शुक्ल मनोज
प्रो. प्रेम शंकर रघुवंशी
मदन मोहन जोशी
आशिस सान्याल
संपादन सहयोगी
पंकज शर्मा
संजय द्विवेदी
डॉ. हरिकृष्ण दत्त
अहद प्रकाश
मोहम्मद युनुस
उत्पल बैनर्जी
ज्योतिष जोशी
सहायक संपादक
मनोहर चौरे
संपादक
विष्णु राजोरिया



पुरोवाक्

1980 के विधानसभा चुनावों में मध्यप्रदेश में काँग्रेस ने पुनः ऐतिहासिक जीत हासिल की। जनता पार्टी सरकार के समय काँग्रेस की ओर से प्रतिपक्ष के नेता के रूप में अपने राजनैतिक तेजत्व का अपूर्व प्रदर्शन करने वाले श्री अर्जुनसिंह को ही काँग्रेस ने मुख्यमंत्री पद का दायित्व सौंपा। इसके बाद 1980 के बाद के 5 वर्ष म.प्र. के ''अर्जुन सिंह वर्ष'' रहे।

इन 5 वर्षों में श्री अर्जुनसिंह ने अपने प्रशासनिक-प्रजातांत्रिक, सार्वजनीन, चिन्तन तथा राजनैतिक और सामाजिक प्रतिबद्धता को प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित किया, जो ऐतिहासिक है। एक सामंतवादी परिवार में जन्म लेकर सर्वहारा वर्ग की भलाई के लिए समर्पित जीवन जीना बिरलों को ही नसीब होता है, अर्जुनसिंहजी ने अपने मुख्यमंत्रित्व-काल के 5 वर्षों में ऐसा ही जीवन जिया। वे झुग्गी-झोपड़ी-वासियों, रिक्शा चालकों, वनवासियों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और समाज के सबसे ज्यादा उपेक्षित, सबसे अधिक पिछड़े और कमजोर रहने वाले वर्गों के उत्थान के लिए प्राणपण से समर्पित रहे। इन वर्गों को समाज की मुख्यधारा में लाने का उनका सोच तमाम अवरोधों, आशंकाओं, कुशंकाओं और मतवैभिन्यताओं के बावज़ूद डिगा नहीं। उनका लक्ष्य एक था और अस्त्र भी एक था। लक्ष्य था उपर्युक्त सभी वर्गों की चहुँमुखी उन्नति के साथ प्रदेश को प्रगति और विकास के लम्बे रास्ते पर आगे बढ़ाना। उनका अस्त्र था, कथनी और करनी में भेद नहीं होने देना। जो कहा, वह किया। जो सोचा, उसे कार्यरूप दिया। नई सोच, नई दिशाएँ, नए कदम उनके मुख्यमंत्रित्व में रच बस गए थे और उसका परिणाम था प्रदेश की नित नई उपलब्धियाँ और मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह में प्रदेश के जन साधारण का अटूट विश्वास।

श्री अर्जुनसिंह की अपनी प्रतिबद्धताएँ पार्टी के प्रति उनके अतुलनीय समर्पण और प्रदेश के विकास और लोगों की भलाई के कार्यों में कभी आड़े नहीं आईं। जनता पार्टी के ढाई वर्षों के शासनकाल के बाद श्री अर्जुनसिंह सरकार ने प्रदेश को जो नेतृत्व प्रदान किया वह उन परिस्थितियों में सरासर तलवार की धार पर चलने जैसी कसौटी थी, जिस पर वह न केवल खरे उतरे वरन् उसी दौरान उन्होंने अपने राजनैतिक जीवन के चरम को प्राप्त किया।

जनादेश के प्रति उदात्त समर्पण श्री अर्जुनसिंह की वह विशिष्ट प्रवृत्ति और अवधारणा है जिसके चलते वे एक लोकतांत्रिक राजनेता के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसी लोकतांत्रिक

शैली के चलते वे प्रदेश की जनता की आशाओं, आकांक्षाओं को उसके मनचाहे रूप में साकार कर पाने में सफल हुए। जनादेश के प्रति उनका यह समर्पण आज के माहौल में राजनीति और प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं की दुरभि संधि पर खड़े हमारे अनेक राजनेताओं के लिये अनुकरणीय है। विधायक दल का बहुमत पाकर मुख्यमंत्री बनना और सक्षमता से एक बृहत् प्रदेश को विकास और कल्याण के रास्ते पर ले जाना, दोनों अलग अलग कार्य है। पहले के मुकाबले दूसरे को अमल में लाना, पग-पग पर चुनौतियों से जूझने का कार्य है। शासन और शासक, समस्या और समाधान के प्रति श्री अर्जुनसिंह के विचार इस दिशा में स्पष्ट प्रकाश डालते है।

9 जुलाई 1980 को म.प्र. विधानसभा में उन्होंने कहा था, **"समस्या का समाधान दबाव में आकर जो शासन करता है, वह शासन अपनी प्राथमिक ज़िम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाता है। किसी भी समस्या का आकलन करने की ज़िम्मेदारी शासन की है और उपलब्ध साधनों के समुचित कार्य करने का तरीका शासन का होना चाहिए।"** मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 1980 से 1985 के 5 वर्षों में श्री अर्जुनसिंह ने अपने कहे हुए उपर्युक्त कथन को जिस तरह से आचरण में उतारा उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है।

साम्प्रदायिकता से सक्षमता से निपटना किसी भी जनकल्याणकारी सरकार की सबसे बड़ी कसौटी होती है। 19 अगस्त 1980 को महू में 15 अगस्त 1980 को हुए साम्प्रदायिक तनाव की घटना पर विधानसभा में अपने वक्तव्य में अर्जुनसिंहजी ने कहा था, **"यह प्राथमिक ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है कि इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को चाहे वह किसी धर्म, जाति का हो, किसी सम्प्रदाय का हो, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ, निर्भीकता के साथ इस प्रदेश में निर्वाह करने का अधिकार है और उसके संरक्षण के लिए शासन के लोग ज़िम्मेदार हैं। किसी भी दल का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी का भाई या रिश्तेदार हो, यदि वह गड़बड़ी पैदा करता है तो शासन बिना किसी संकोच के निर्भीकता के साथ ऐसे तत्त्वों को दबायेगा और उनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करेगा।"**

साम्प्रदायिकता के विरुद्ध श्री सिंह की यह लड़ाई, पंथ निरपेक्षता के प्रति उनकी यह प्रतिबद्धता आज भी जारी है। यह कहने में कोई संकोच या अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए कि किसी भी दूसरे राजनेता के मुकाबले वे इस पर कहीं अधिक और प्रामाणिक तौर पर खरे उतरे हैं।

सार्वजनिक जीवन में अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए जितने आरोप-प्रत्यारोप श्री अर्जुनसिंह ने झेले उतने शायद ही किसी राजनेता ने। उनका कथन है कि **"आरोप प्रत्यारोप और चुनौतियाँ बहुत ही सोच-समझकर अंतिम अस्त्र के रूप में इस्तेमाल होना चाहिये।"**

श्री अर्जुनसिंह का मानना है कि स्वेच्छाचारिता अव्यवस्था और अशांति को निमंत्रण

देती है। प्रदेश में शांति और व्यवस्था संबंधी चर्चा में भाग लेते हुए म.प्र. विधानसभा में कहे गये उनके ये शब्द— **''मैं यह कह सकता हूँ कि शांति और व्यवस्था इस प्रदेश में ही नहीं, इस देश के अंदर इसलिए ज्यादा भंग होने लगी है क्योंकि आपने 1977 से लेकर और अभी तक उन सभी मान्यताओं को, उन सभी प्रकार की जो अनुशासनहीनता हुई थी, उस सबको बलाएताक रखकर स्वेच्छाचारिता के आधार पर शासन को चलाने की कोशिश की थी।''** उनकी उपर्युक्त मान्यता को ही पुष्ट करते है। वे यह भी मानते हैं कि शांति और व्यवस्था को बनाए रखना किसी एक पक्ष की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, सबको एक सामान्य वातावरण का निर्माण करना पड़ता है।

कला और संस्कृति के उत्थान के प्रति श्री अर्जुनसिंह के प्रयासों को सरकार के सुखिया के प्रयास कह देना, या कहकर विस्मृत कर देना उनके और उनकी भावना के प्रति अन्याय होगा। म.प्र. में भारत भवन जैसे अपने ढंग के अनूठे बहुउद्देशीय कलाकेन्द्र की स्थापना, अनेक नवीन अकादमियों का गठन और कलाकारों, साहित्यकारों तथा अन्य सर्जनधर्मियों को सम्मानित करने की उनकी इच्छाओं और प्रयासों के पीछे कुछ था, तो प्रदेश की कला और संस्कृति के प्रति उनका अप्रतिम अनुराग। संस्कृति को प्रदेश के प्रशासनिक कामकाज में एक अलग विभाग का दर्जा उन्होंने ही दिया।

1980 से 1985 की अवधि इस सत्य की साक्षी है कि पहली बार प्रदेश का दलित आदिवासी समुदाय उसकी अपनी सरकार का अनुभव कर सका। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए उसे संशोधित कर लागू करना, इन वर्गों के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ और छात्रावासों की व्यापक सुविधाएँ मुहैया कराने के साथ ही आपने आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल आवास, सड़क, पेयजल, बिजली और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जैसी मूलभूत सुविधाओं का जाल-सा बिछा दिया। यह सही है कि इस सबके बावजूद यह वर्ग अन्य वर्गों की बराबरी पर न आ पाया। यहाँ सवाल नीयत का है, तुलना का नहीं। और नीयत की दृष्टि से श्री अर्जुनसिंह और उनकी सरकार ने दलितों तथा आदिवासियों के उत्थान को समुचित गति और दिशा देने में कोई कसर नहीं रखी।

एक राजनेता के रूप में श्री अर्जुनसिंह की प्रगति के बारे में अलग-अलग लोग अलग-अलग ढंग से सोचते हैं, विचार करते हैं और कहते हैं। कुछ का मानना है कि परिस्थितियों ने उन्हें अवसर दिए और उन्होंने उन्हें भुनाया। कुछ का मानना है कि यह सब भाग्य की देन है। इस संबंध में स्वयं उन्हीं का कथन ध्यान देने योग्य है। 17 सितम्बर 1981 को म.प्र. विधानसभा में कहे गये उनके ये शब्द— **''अधिकार और दायित्व किसी किताब से नहीं निकलते। जो दायित्व और अधिकार किताबों के पन्नों से निकलते हैं, वे किताबों के पन्नों में फँसकर रह जाते हैं। और जो दायित्व और अधिकार जनता के विश्वास, आस्था और आशीर्वाद से बनते हैं वे आस्था और दायित्व प्रजातंत्र में स्थाई हो सकते हैं। और उनको आधार बनाकर कोई भी**

आगे बढ़ सकता है।'' जनता का यही विश्वास और आस्था उन्होंने भरपूर प्राप्त किया, और आगे बढ़े। शासन और प्रशासन में कमज़ोरी या कायरता पराजय की निशानी होती है। सफल वही होता है जो प्रत्युत्पन्नमति से काम लेता है, सही और ग़लत का सामयिक निर्णय करने की जिसमें सूझबूझ होती है और जो अपने कहे हुए पर कारगर अमल करवा सकता हो। अर्जुनसिंहजी में यह सब है। उनका स्वयं का भी कहना है कि **''जिस समय बल का उपयोग करना चाहिए, उस समय उससे समझौता करना कोई अच्छी पद्धति नहीं है।''**

प्रजातांत्रिक व्यवस्था के प्रति पनपते खतरों को आँकने में भी श्री अर्जुनसिंह की दृष्टि सूक्ष्म और मानवीय है। वे मानते है कि **''हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि प्रजातांत्रिक पद्धति में, प्रजातांत्रिक मूल्यों में, प्रजातांत्रिक पद्धति के उन तंत्रों में आम आदमी की विश्वसनीयता केवल इस आधार पर समाप्त कर दी जाय, कि हम और आप एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहें तो किसी दिन उसके मन में यह भावना पैदा हो सकती है कि ये दोनों ही अविश्वसनीय हैं। और, उस दिन ऐसी ताकत आ जाये जो सही मायने में प्रजातंत्र के लिए ख़तरा हो। उसकी जिम्मेदारी हमारी और आपकी है।''**

राजनैतिक जीवन चतुर्दिक आरोप प्रत्यारोपों में घिरा रहता है, आज की राजनीति में तो जैसे इसी का बोलबाला हो गया है। परन्तु जो सच्चे राजनेता हैं, जो राजनीति में इसलिए हैं कि ग़रीबों की ज़रूरतमंदों की सेवा कर सकें, उनके व्यवहार में अनर्गल आरोपों का महत्त्व नहीं होता। श्री अर्जुनसिंह के अनुसार— **''कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, हम उसकी निंदा, हम उसको कंडेम तभी करें, जब यथार्थ में किसी प्रकार का प्रमाण हो।''** यह शब्द ऐसे राजनेता के हैं जिसके विरुद्ध अनर्गल आरोपों की कोई सीमा नहीं रही। जनसेवा के अपने व्रत के पालन में उन्होंने क्या-क्या नहीं सहा। चाहते तो श्री अर्जुनसिंह भी अपने विरोधियों के प्रति यही व्यवहार अपना सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, यह उनकी महानता है और ऐसा करने वालों को उनकी सार्थक सीख भी है।

श्री अर्जुनसिंह के दृष्टिकोण में प्रशासन संचालन सिर्फ़ प्रजातांत्रिक पद्धति से ही हो सकता है। वे मानते हैं कि प्रजातांत्रिक पद्धति में जिन सामान्य आधारों पर कोई भी प्रशासन चलता है, लोगों की आम सहमति को अपने अस्तित्व का मुख्य आधार मानता है। और इस सहमति के माध्यम से प्रदेश की विभिन्न परिस्थितियों का किन्हीं निश्चित माध्यमों से मुकाबला करने का प्रयास करता है। श्री सिंह के मत में यही एकमात्र प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण हो सकता है।

सेवा की सार्थकता के बारे में भी कई प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं। प्रदेश की जनता के प्रथम सेवक के रूप में श्री अर्जुनसिंह का यह कथन कि— **''प्रशासनिक काम में जनहित के प्रति न केवल अनुभूति बल्कि जनहित के प्रति समर्पित होकर काम करने की क्षमता ही एकमात्र मापदंड है, जिसके द्वारा किसी भी शासन की**

सेवा की सार्थकता आँकी जा सकती है।'' कथन की अनुकरणीयता पर बहस मुबाहसा हो सकता है, परन्तु उसकी तार्किकता से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। श्री सिंह का यही सूक्ष्म तार्किक दृष्टिकोण उन्हें दूसरे समकालीन राजनीतिज्ञों, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से अलग करता है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य के कर्मचारियों की तर्कसंगत माँगों के प्रति उनका उदार दृष्टिकोण उन्हें कर्मचारियों का सर्वप्रिय मुख्यमंत्री साबित करता है। पुलिस कर्मियों की सेवाशर्तों में सुधार, नये वेतनमान, शिक्षकों और लिपिकों के वेतनमान में अन्तर करके शिक्षक के सम्मान को पुनर्स्थापित करने हेतु नये वेतनमान, ग्रामीण और शहरी शिक्षकों के अलग-अलग संवर्ग बनाने, शासकीय नियुक्तियों में चयन को विकेन्द्रीकृत करने और उसे तार्किक स्वरूप देने के उद्देश्य से कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड का गठन, उनके कुछ ऐसे कदम हैं, जो उनकी व्यापक प्रशासनिक सोच को रेखांकित करते हैं। राजकर्मियों के लिये नए वेतनमान लागू करने का श्रेय भी उन्हें ही है।

भ्रष्टाचार और राजनीति के घालमेल को कौन नहीं जानता। राजनीति रूपी काजल की कोठरी से बिना कालिखपुते बिरले राजनीतिज्ञ ही निकल पाते हैं। 28 अगस्त 1981 को म.प्र. विधानसभा में श्री सुन्दरलाल पटवा द्वारा राज्य मंत्रीमण्डल के कथित भ्रष्टाचार के विरुद्ध राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने पर मुख्यमंत्री के रूप में दिए गए अपने वक्तव्य में कहे गए श्री अर्जुनसिंह के यह शब्द सार्वजनिक जीवन में आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति और उससे बचने के लिये ईमान और सम्मान की एक मात्र पंक्ति पर चलने के उनके मज़बूत इरादे को उजागर करने के साथ ही अन्य लोकसेवकों को भी प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा था, **''सार्वजनिक जीवन में नि:संदेह यह मुश्किल है कि कोई संघर्ष और झूठे आरोपों की खरोंचों से बचा रहे, लेकिन हर एक को यह अवसर भी मिलता है कि वह सही मार्ग अपनाने की दिशा में ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक प्रयत्न करे।''**

सम्मान पर धब्बा उनके लिए जीवन का अन्त जैसा है। वे मानते हैं कि हमें इस संसार में जो मिला है उसमें सबसे मूल्यवान जीवन है, पर उस जीवन का भी उनके लिये कोई मूल्य नहीं है, अगर उनके सम्मान पर धब्बा लगता है। भ्रष्टाचार भी उनकी चिन्ता से अछूता नहीं रहा। उन्होंने ही पहली बार सार्वजनिक जीवन की शुचिता को बनाए रखने के लिए भ्रष्टाचार विनिवारण अधिनियम लागू किया। परन्तु उन्होंने अनजाने में कोई प्रशासनिक भूल, त्रुटि को भ्रष्टाचार की संज्ञा देकर प्रजातंत्र के पौधे को असमय मुरझा देने की प्रवृत्ति से लोगों को आगाह भी किया। उन्हीं के शासनकाल में मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम भी बना।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उनकी गहरी समझ उन्हें किसानों का सच्चा हित चिन्तक बनने की प्रेरणा देती है। वे जानते हैं और कहते भी हैं कि **''किसान अब बैल नहीं**

रह गया, जिसे चाहे जहाँ हाँक कर ले जाओ, चाहे जिस घाट में पानी पिलाकर ले आओ। अब किसान अपने हित और अहित को सोचने में सक्षम हो गया है।''

किसानों को खाद बीज के लिए भरपूर आर्थिक सहायता देने, सहकारी ऋणों में कृषि कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए अच्छे समर्थन मूल्यों की घोषणा और सरकारी खरीद के व्यापक इंतज़ाम, सिंचाई और विद्युत उत्पादन की कारगर व्यवस्था उनके 5 वर्षीय शासन की गौरवशाली उपलब्धियाँ हैं।

म.प्र. को देश के औद्योगिक मानचित्र पर उभारने का श्रेय भी उन्हीं को है। पीथमपुर और मंडीदीप जैसी बृहत् औद्योगिक नगरियाँ उन्हीं के कार्यकाल में आकार ले पाईं। लघु उद्योगों के विकास और ग्रामीण कुटीर उद्योगों के संरक्षण की दिशा में की गई उनकी कोशिशें अब रंग ला रही हैं। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर विकसित किये गए 15 औद्योगिक विकास केन्द्रों की भी अपनी महती भूमिका है।

महिलाओं और बच्चों के विकास के प्रति भी उनका नज़रिया सामान्य से अलग था। पहली बार इस वर्ग के लिए प्रदेश में अलग विभाग बनाया गया और दायित्व एक स्वतंत्र मंत्री को सौपा। पिछड़े और कमज़ोर वर्गों को समाज की मुख्यधारा में लाने और उन्हें व्यापक सरकारी सुविधाएँ शिक्षा और नौकरियों के क्षेत्र में दिलाने के लिए **''रामजी महाजन आयोग''** का गठन उन्होंने ही किया था। पुलिस जनता समिति का गठन उसकी रिपोर्ट का क्रियान्वयन उनके कार्यकाल की एक विशेष उपलब्धि है। सार्वजनिक उपक्रमों के गठन और उन्हें मज़बूती देने के प्रयास भी उनके कार्यकाल की गौरवमयी उपलब्धि है।

सरकारी कामकाज में मितव्ययिता की ओर भी मुख्यमंत्री के नाते उनका ध्यान रहा। 5 मई 1982 को अपने मंत्रीमंडलीय सहयोगियों को उन्होंने एक पत्र में इस ओर ध्यान देने के लिये लिखा कि **''प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण प्रजातंत्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए बुनियादी महत्त्व का है। भले ही विभिन्न स्तरों पर ऐसी प्रवृत्तियाँ आ गई हैं, जो विधायिका के विशेषत: सार्वजनिक खर्च पर नियंत्रण करने के प्रयत्नों को टालना या कमतर करना चाहती हैं। हमारी यह बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि प्रतिनिधियों के रूप में हम देखें कि इस तरह के सभी प्रयास निष्फल हों।''**

और अन्त में श्री अर्जुनसिंह का अपने स्वयं के बारे में कहा गया यह कथन— **''मैं क्या कहूँ। मैं, अपनी आदत से मज़बूर हूँ। मैं दूसरों के उकसाने पर कभी उकसा नहीं हूँ। मुझे जो सही मालूम पड़ता है, वही करता हूँ।''** उनका यही कथन उनके व्यक्तित्व की सम्पूर्णता और समग्रता को प्रतिबिम्बित करता है।

श्री अर्जुनसिंह अभिनन्दन ग्रंथ का यह **चतुर्थ खंड** 1980 से 1982 तक के उनके मुख्यमंत्री काल पर विधायी दृष्टि से प्रकाश डालता है। राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री के कार्यकाल से परिचय कराता यह खण्ड **''प्रथम सेवक''** को प्रतिबिम्बित करता है।

..... हमारे जैसे साधारण व्यक्ति की तुलना उन्होंने महाभारत के अर्जुन से कर डाली। मैं तो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाला साधारण व्यक्ति हूँ। अपने दल के साथियों के साथ इस प्रदेश के जनादेश के मुताबिक अपने दल की नेता श्रीमती इंदिरा गाँधी की नीतियों को मूर्तरूप देने के लिए इस प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए यहाँ निश्चित कर्त्तव्यों को निभाने के लिए आया हूँ.....

— मध्यप्रदेश विधानसभा में अर्जुनसिंह
5 सितम्बर 1980

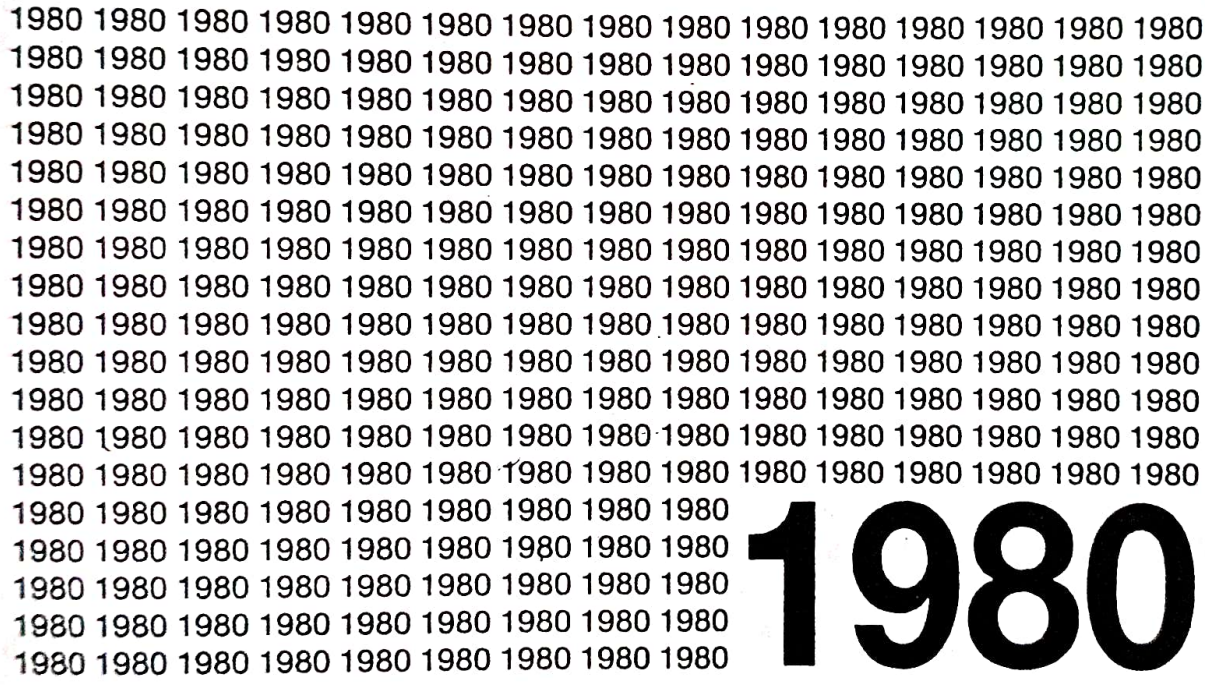

1980

जनता सरकार का अन्त हुआ। जनता शासन के अंतिम मुख्यमंत्री श्री सुन्दरलाल पटवा 20 जनवरी से 17 फरवरी 1980 तक सिर्फ़ 29 दिन ही मुख्यमंत्री रह सके। मुख्यमंत्री के रूप में वे किसी विधानसभा सत्र में भी शामिल न हो सके।

1980 में काँग्रेस (इ) भारी बहुमत से विजयी हुई। श्री अर्जुनसिंह सर्वसम्मति से दल के नेता चुने गये और 9 जून 1980 को उन्होंने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। उन दिनों मध्यप्रदेश के राज्यपाल श्री भगवत दयाल शर्मा थे।

श्री अर्जुनसिंह के मंत्रिमंडल में श्री शिवभानुसिंह सोलंकी (उप-मुख्यमंत्री) श्री श्याम सुन्दर नारायण मुशरान, श्री कृष्णपाल सिंह, कुमारी विमला वर्मा, श्री वेदराम, श्री झुमुकलाल भेड़िया, डॉ. टुमनलाल, श्री माधवलाल दुबे, श्री श्रीनिवास तिवारी और श्री सुरेश सेठ (मंत्री) श्री मुनिप्रसाद शुक्ल, श्री चन्द्र प्रभाष शेखर, श्री दिग्विजय सिंह, श्री नन्दराम दास, बालकवि बैरागी, डॉ. भंवरसिंह पोर्ते, श्री मनकूराम सोड़ी, श्री रेवनाथ चौरे, श्री हाजी इनायत मुहम्मद, डॉ. कन्हैयालाल शर्मा, श्री तारासिंह वियोगी, श्री नाथूराम अहिरवार, श्री हजारीलाल रघुवंशी, श्री भवानीलाल वर्मा और श्री ब्लासियुस एक्का (राज्यमंत्री) के रूप में शामिल हुए।

2 जुलाई 1980 को सातवीं विधानसभा सामयिक अध्यक्ष श्री मथुराप्रसाद दुबे की अध्यक्षता में समवेत हुई। अध्यक्ष ने सभी निर्वाचित सदस्यों का स्वागत किया फिर शपथ ग्रहण की कार्रवाई प्रारम्भ हुई। सबसे पहले चुरहट से चुनकर आये श्री अर्जुनसिंह ने शपथ ली फिर प्रतिपक्ष के नेता श्री सुन्दरलाल पटवा (सीहोर) ने शपथ ग्रहण की। इस दिन 304 सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। पहले दिन शपथ लेने वालों में श्री मोतीलाल वोरा, श्री कृष्णपाल सिंह, श्री शिवभानुसिंह सोलंकी, श्री श्याम सुन्दर नारायण मुशरान, श्री कैलाश जोशी, श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा, श्री सुरेश सेठ और श्री विष्णु राजोरिया आदि प्रमुख थे।

3 जुलाई को मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने सदस्य श्री यज्ञदत्त शर्मा का नाम विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया। प्रतिपक्ष के नेता श्री सुन्दरलाल पटवा ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव का समर्थन किया। श्री यज्ञदत्त शर्मा सर्वानुमति से अध्यक्ष चुने गये और इसी दिन पीठासीन हुए। नये अध्यक्ष को सबने बधाई दी और सदन में इस बात की प्रशंसा की गयी कि अध्यक्ष चुने जाने के बारे में प्रतिपक्ष के साथ सलाह-मशविरा करके अच्छी परंपरा की शुरूआत की गयी है। सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने बधाई दी—

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि "श्री यज्ञदत्त शर्मा जो इस विधानसभा के सदस्य हैं, को विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाये।"

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं माननीय मुख्यमंत्री के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "श्री यज्ञदत्त शर्मा, जो इस विधानसभा के सदस्य हैं, को विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाये।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि "यज्ञदत्त शर्मा, जो इस विधानसभा के सदस्य हैं, को विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाये।"

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य, श्री यज्ञदत्त शर्मा को विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित घोषित कर इन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। अब मैं श्री यज्ञदत्त शर्मा को अध्यक्ष पद पर आसीन होने के लिये आमंत्रित करता हूँ।

{10 बजकर 41 मिनट पर अध्यक्ष महोदय **(श्री यज्ञदत्त शर्मा)** पीठासीन हुए}

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज विधानसभा में सत्तापक्ष और विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से आपको मनोनीत करके एक अत्यन्त सुखद और प्रजातंत्र के हित में एक नेक परम्परा डाली है। आपके व्यक्तिगत गुणों के संबंध में यहाँ पर कुछ कहने की इसलिये आवश्यकता नहीं है कि काफी लम्बे समय से आप विधानसभा सदस्य के रूप में इस सदन में रहे हैं और आपकी प्रतिभा से हम सभी भलीभाँति परिचित है। मैं इस अवसर पर आपको इस बात के लिये आश्वस्त करता हूँ कि हमारे पक्ष की ओर से और साथ ही साथ पूरे सदन की ओर से इस विधानसभा की कार्यवाही को संचालित करने के लिये हर समय सहयोग मिलता रहेगा। मैं आपको इसमें अपनी ओर से भी हर प्रकार का सहयोग देने का वचन देता हूँ। हमें यह पूरी आशा है कि आपका कार्यकाल इस विधानसभा के उन माननीय सभी अध्यक्षों की गौरवमय परम्पराओं में एक नया अध्याय जोड़ेगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा (सीहोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने के उपलक्ष्य में, मैं अपने सभी साथियों की ओर से और सम्पूर्ण प्रतिपक्ष की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस सदन का अध्यक्ष चुने जाने के बारे में प्रतिपक्ष के साथ सलाह मशविरा करने की एक अच्छी परम्परा की शुरूआत की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हम सभी लोग एक परिपक्व स्थिति में पहुँचे हैं, यह माना जाना चाहिए। सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के क्या अनुभव होते हैं, इन अनुभवों से हम सभी सम्पन्न हैं। मध्यप्रदेश में हम ऐसी स्थिति में हैं कि यदि चाहें तो सभी मिलकर देश के सांस्कृतिक इतिहास में नई परम्पराओं का सूत्रपात करने की दिशा में हम सबका मार्गदर्शन कर सकते हैं। मैं चाहूँगा यह परम्परा केवल प्रारम्भ ही नहीं हो बल्कि आगे बढ़े, विकसित हो। अध्यक्ष महोदय, आपके अध्यक्ष चुने जाने पर हम इस बात से और भी आश्वस्त हैं कि प्रतिपक्ष की क्या कठिनाइयाँ होती हैं, प्रतिपक्ष का क्या दर्द होता है, प्रतिपक्ष को काम करने के लिये क्या कठिनाइयाँ आती हैं, उसका अनुभव आपको है। प्रतिपक्ष का एक फर्ज होता है, एक तरीका होता है काम करने का। उनको किस स्थिति में, किन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिये, इस बात से आप पूर्ण अनुभवी होकर गुजरे हैं। मैं अपने दल और अपने सभी साथियों की ओर से आपको इस मौके पर इस सदन के गरिमामय संचालन में पूर्ण सहयोग का वचन देता हूँ। आप जो सत्तापक्ष में बैठे हैं, वे जब विपक्ष में थे, हमारी जगह में थे और प्रतिपक्ष में जैसा उनका कार्य-व्यवहार रहा, मैं चाहूँगा और पूरा प्रयास इस बात का करूँगा कि उनके पद चिन्हों पर चलने का अवसर हमें प्राप्त न हो और हम अपने ही मार्ग पर चलें और उसके लिये मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से, सत्तापक्ष के सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि उसकी जिम्मेदारी सत्तापक्ष पर अधिक है, आप हमें ऐसा अवसर न दें। आप प्रतिपक्ष के कथन को किस प्रकार लेते हैं, यह सब आप पर निर्भर करेगा। कल ही मैंने यहाँ पर एक घटना ऐसी देखी है जिससे मेरे विश्वास को थोड़ी ठेस लगी— शपथ ग्रहण के समय माननीय सदस्य श्री रमाशंकर सिंह जी ने कुछ कहने का प्रयास किया— मैं ऐसा समझता हूँ कि वह कहने के लिये उपयुक्त अवसर नहीं था, क्योंकि शपथ लेने का जो अवसर होता है उसकी अपनी गरिमा है। हम अपने हृदय के अन्तर्तम विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ शपथ लेते हैं। उस अवसर की गरिमा को बराबर कायम रखना चाहिये। परन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय, उम्र का कुछ तकाजा होता है, परिस्थितियों का कुछ तकाजा होता है, आप इस बात को देखें .....।

श्री रामजी महाजन : आप इस उम्र में क्या तकाजा करते हैं?

श्री सुन्दरलाल पटवा : बता रहा हूँ।

श्री चित्रकान्त जायसवाल : यह बता दीजिये कि ज्यादा है या कम है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : इसलिये निवेदन करूँगा कि कुछ उम्र का तकाजा होता है, कुछ परिस्थितियों का तकाजा होता है। अगर एक बार कोई छोटी-मोटी बात हो जाये तो सत्तापक्ष को सदन की शालीनता और गरिमा बनाये रखना चाहिये और उस बात को शालीनता के साथ सहन करना चाहिये, यह संसदीय परम्परा में सत्तापक्ष से अपेक्षित है। अगर कोई नये सदस्य कुछ करें तो एक बार मान भी लें। लेकिन सोलंकी जी खड़े हो गये और माननीय दिनेश मिश्रजी भी खड़े हो गये .....।

श्री दिनेश मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लिया गया है, इसलिये मुझे भी बोलने का अवसर मिलना चाहिये।

अध्यक्ष : मैं आपको समय दूँगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मुझे आपसे अपेक्षा है कि प्रतिपक्ष को आपका पूरा संरक्षण मिलेगा और आप हमें अपनी बात कहने का पूरा अवसर प्रदान करेंगे। आपका अनुभव एवं आपका अध्ययन बहुत व्यापक है, मुझे विश्वास है कि ये सब बातें इस सदन में अच्छी परम्पराएँ डालने में सहायक होंगी। हमने एक सक्षम अध्यक्ष चुना है, इसलिये मुझे विश्वास है कि श्रीमान् इस सदन की कार्यवाही को सक्षमता से चलाने में हमारा भी सहयोग एवं सद्भाव अर्जित करेंगे। इसके साथ मैं आपकी सफलता की कामना करते हुए हृदय से बधाई देता हूँ एवं आपका स्वागत करता हूँ।

श्री कृष्णपाल सिंह (वित्तमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के सचेतक के रूप में मेरा यह दायित्व है कि मैं अपनी ओर से आपके इस पद पर चुने जाने पर शुभकामनाएँ पेश करूँ। अध्यक्ष महोदय, आपके इस पद पर निर्वाचन पर मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यह पद एक अच्छे वक्ता के हाथ में गया है। इस सदन में अच्छी परम्पराएँ डालने में यह सदन आपको पूरा सहयोग प्रदान करेगा। जैसा कि पटवाजी ने अभी कहा कि इस प्रदेश को अब दोनों पक्षों के अनुभव का लाभ मिलेगा। जिस समय पटवाजी सत्तापक्ष में थे, उस समय हम लोग विरोध पक्ष में थे, इसलिये मैं महसूस करता हूँ कि विरोध पक्ष की क्या दिक्कतें एवं समस्याएँ हैं। जब सखलेचा जी, जोशी जी, शीतला सहायजी मंत्रिमंडल में थे स्वयं वे महसूस करत रहे होंगे कि सत्तापक्ष की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, क्या सीमाएँ हैं एवं किन नियमों से होकर उनको गुजरना पड़ता है। पटवाजी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि विपक्ष के रूप में हम लोगों ने वह भूमिका नहीं निभाई जो वे अब निभाने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि शासकीय पक्ष में रहकर आप लोगों ने जो भूमिका नहीं निभाई उसको अब हम निभायें। (मेजों की थपथपाहट) संसदीय प्रणाली में जो काला दिन श्रीमती इंदिरा गांधी को निष्कासित करना एवं सुरेश जी का निष्कासन ..... (व्यवधान)

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि अगर श्रीमती इंदिरा गांधी और सुरेश सेठजी का निष्कासन काला दिन कहा जा सकता है तो इस विधानसभा में जो लोग निष्कासित किये गये थे, वह दिन भी काला दिन .....।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : यह कोई प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री कृष्णपालसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हम अच्छी परम्पराएँ डालना चाहते हैं, इस हेतु सत्तापक्ष एवं विरोध पक्ष की जो जिम्मेदारियाँ हैं, उनको हम निभायेंगे। अध्यक्ष महोदय, आप चाहे विरोध पक्ष में रहें, चाहे शासकीय पक्ष में, आप अच्छे वक्ताओं में रहे हैं। हममें से एक अच्छा वक्ता अब वहाँ चला गया है। मैं समझता हूँ कि हमारे नये आए हुए मित्र वक्ता इस कमी को पूरा करेंगे। माननीय पटवाजी ने भाई रमाशंकर सिंह के विषय में कहा, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। एक बात निश्चित है कि हम सभी विधानसभाओं में आते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिये, लेकिन क्या हमें यह शोभा देता है कि हम शपथ लेने आयें और एक नया भाषण देना शुरू कर दें? मैं समझता हूँ कि संसदीय प्रणाली में यह एक अच्छी परम्परा नहीं बनी।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैंने इससे असहमति व्यक्त की है, मैं सहमत नहीं हूँ।

श्री कृष्णपालसिंह : मैं यही कह रहा था। आप शपथ लीजिए। जब भाषण देने का मौका आए तो जो चाहे कीजिए। लेकिन जो प्रक्रियाएँ हैं, उनका पालन करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपके नेतृत्व में, आपके संरक्षण में और आपके निर्देशन में इस सदन की कार्यवाही अच्छी तरह से चल सकेगी। और उसमें आपको सबका सहयोग प्राप्त होता रहेगा। इसके साथ ही मैं आपको बधाई देता हूँ और आपकी सफलता की कामना करता हूँ।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा (जावद) : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, आपके इस महत्वपूर्ण पद पर निर्वाचन के लिये मैं हृदय से बधाई देते हुए यही निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी विद्वता, अनुभव और इस सदन के अन्दर वर्षों से आपने जो कार्य किया है, उसके आधार पर यह गुरुतर भार आप अध्यक्ष के नाते अच्छी तरह से निभा पायेंगे, यही आशा है। मान्यवर, इस अवसर पर मुझे यह कहना है कि चाहे सत्तारूढ़ पक्ष हो, चाहे विरोधी पक्ष हो, हम सभी इस प्रदेश की 4 करोड़ जनता की भावनाओं को व्यक्त करने और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए इस सदन में आते हैं। हम उनके जीवन को किस प्रकार से उन्नत करें, उनकी समस्याओं को किस प्रकार से हल करें, इस ध्येय को सामने रखकर हम सब इस सदन के अन्दर कार्य करते हैं और अध्यक्ष के नाते से इस आसंदी के ऊपर बैठकर आपका भी दृष्टिकोण वही होगा, यद्यपि इस सदन के अन्दर नियमों के अन्तर्गत, कार्य का निर्वाह करना होता है, लेकिन जो आखिरी लक्ष्य है कि जनता की समस्याओं को हल करने के लिये सभी प्रेरित हों, वही मुख्य ध्येय सामने रखकर कार्य करना पड़ता है। सदन के कार्य संचालन में समय-समय पर नियमों के इंटरप्रिटिशन के अन्तर्गत, परम्पराओं के इंटरप्रिटिशन के अंतर्गत अपने विवेक के प्रयोग का जब अवसर आता है उस समय हम अधिक से अधिक जनता की कठिनाइयों को ठीक प्रकार से अभिव्यक्त कर सकें, इस दृष्टिकोण को सामने रखकर आप अपने डिस्क्रयशन का प्रयोग करेंगे, ऐसी आशा है। क्योंकि हमारा सभी का लक्ष्य एकमात्र वही है कि हम सभी जनता की कठिनाइयों को दूर करने के मार्ग पर अग्रसर हो सकें। जैसा कि विरोधी पक्ष के नेता ने कहा, आप विरोधी पक्ष में भी रहे हैं, आपको विरोधी पक्ष की कठिनाइयाँ मालूम हैं, सत्तारूढ़ पक्ष की भी जानकारी आपको है, लेकिन इस सदन के अन्दर आखिर दृष्टिकोण वही है, जिसके अन्दर आपको निर्णय देना है, जिससे ठीक प्रकार की परम्पराएँ पड़ें और हम उन्हीं को आगे ले जाते रहें, इसका निर्णय होना चाहिये। होना वही चाहिये कि जनता की समस्याओं, जनता की कठिनाइयों को ठीक प्रकार से अभिव्यक्ति मिल सके उनके बारे में ठीक प्रकार का दृष्टिकोण शासन भी अडाप्ट करे और विरोध पक्ष भी अडाप्ट करे। उसी दृष्टि से आपकी जिम्मेदारी होगी तथा कार्यवाही का संचालन होगा। मुझे पूरी आशा है कि इस पद के ऊपर बैठकर इस क्रम को और आगे बढ़ाने में आप निरंतर सफल होंगे। मैं एक बार पुनः हृदय से बधाई देता हूँ।

श्री रामसिंह भदौरिया (मेहगाँव) : अध्यक्ष महोदय, आज हम प्रसन्न हैं, इसलिये कि आप इस सदन में एक निर्दलीय के रूप में निर्वाचित होकर आये थे। इसलिये आप हमारी मनः स्थिति और भावनाओं से भलीभाँति परिचित हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको विदित ही है कि हम सामंतवादी, प्रतिक्रियावादी और प्रतिगामी शक्तियों से संघर्ष कर रहे हैं। आशा है आप हमें संरक्षण प्रदान करेंगे। हम अपनी ओर से आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे।

श्री कपूरचन्द जैन (मलेहरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूँ इसके साथ ही आपके चुने जाने पर एक बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि आप हमेशा से वामपंथी शक्तियों के साथ जुड़े रहे हैं और आपको विरोध पक्ष की पीड़ा का अनुभव है कि विरोध पक्ष क्या होता है। हम कम्युनिस्ट लोगों को आपके इस सदन को देखकर कबीर की यह पंक्ति याद आती है —

चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोय।
दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय।।

आशा है हम जो अल्पसंख्यक, अल्पमत के वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, उनके द्वारा तानाशाही, सामंतवादी और एकाधिकार-वादी जो प्रवृत्तियाँ हैं उनके खिलाफ जो संघर्ष अन्दर और बाहर किया जाना है उसमें आपका सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। इसके साथ ही आपसे एक निवेदन और करना है कि कुछ लोग कह सकते हैं कि आप अपनी तराजू

का पलड़ा बराबर रखेंगे, लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कि हम विरोध पक्ष के लोगों के साथ आप अधिक सहृदयता बरतेंगे और अधिक मौका देंगे। कल जो अवसर देखने को मिला उससे ऐसा लगता है कि गलत बात को रोका गया तो ठीक ही है लेकिन सही बात में भी बाधाएँ उत्पन्न की जायेंगी। इसलिये आपसे अनुरोध है कि आप बराबर विरोध पक्ष की सहायता करेंगे और जनता की आवाज को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने में हमारी मदद करेंगे। इन शब्दों के साथ ही मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री मोतीलाल वोरा (दुर्ग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के इस सर्वोच्च पद पर आपके पदासीन होने पर सदन के माननीय नेता और प्रतिपक्ष के नेता ने जो भावनाएँ व्यक्त की हैं वे इस बात का सबूत हैं कि पूरे सदन का विश्वास आपको प्राप्त है। एक अच्छी परम्परा की शुरूआत इस बार हमारे सदन में हुई है और यह भावनाओं की अभिव्यक्ति है कि एक विधायक के रूप में, प्रतिपक्ष में बैठकर जिस भूमिका को आपने अदा किया है वह निश्चित रूप से इस सदन में गौरवमयी परम्पराओं में अपनी कड़ी भी जोड़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष दो ऐसी धुरियाँ हैं जिनका एक साथ चलना तो मुश्किल कहा जाता है लेकिन ऐसे मामलों में जिससे इस प्रदेश का विकास हो, इस प्रदेश की भलाई हो, इस प्रदेश की जनकल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना हो इसमें प्रतिपक्ष का अगर सही ढंग से साथ मिले तो मैं समझता हूँ कि इस पिछड़े प्रदेश को एक अच्छी गति, एक अच्छी शुरूआत का मौका मिलेगा। निश्चित रूप से माननीय पटवाजी, माननीय सखलेचा जी उन सारी कठिनाइयों से गुजर चुके हैं, सत्तापक्ष में बैठने का उनको पहला अवसर था ईश्वर ने चाहा इसलिये इस बार प्रतिपक्ष में आकर बैठे हैं, इसलिये प्रतिपक्ष की गरिमा को वे सदैव कायम रखेंगे। प्रतिपक्ष की बहुत जिम्मेदारियाँ हुआ करती हैं वे उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। पटवाजी, सखलेचाजी, लेकिन मैं सहायजी की बात नहीं करूँगा (हँसी) वे भी काफी परिपक्व हैं, महत्वपूर्ण साथी के नाते मैं अपेक्षा करता हूँ कि वे जो इस सदन की गरिमा है, परम्पराएँ हैं उन्हें बनाये रखेंगे और मुझे विश्वास है, कि उनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको ठीक से निभाया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देता हूँ और आपके निर्वाचन का स्वागत करता हूँ।

श्री किशोरीलाल शुक्ल (राजनांदगांव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जो थोड़े से निर्दलीय सदस्य चुनकर आये हैं, उनकी ओर से आपके अध्यक्ष के निर्वाचन के अवसर पर मैं आपको बधाई देता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी ओर से आपको सदैव सहयोग मिलता रहेगा। मैं उम्मीद रखता हूँ और मुझे विश्वास है कि आप जो हम थोड़े से निर्दलीय हैं, उनको सदन की कार्यवाही में भाग लेने के अवसर पर उत्साहित करते रहेंगे। हम कभी व्यवधान पैदा नहीं करेंगे और न हम उपद्रव करने में विश्वास करते हैं हमारा पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा।

श्री चंद्रशेखर व्यास (इन्दौर-1) : अध्यक्ष महोदय, आपके निर्वाचन के लिये मैं बधाई देता हूँ। इस विधानसभा के अन्दर तमाम नवयुवक लोग जीत कर आये हैं। हम आपसे आशा करते हैं कि हम लोग पहली मर्तबा विधानसभा में चुनकर आये हैं। हम नवयुवकों से त्रुटियाँ हो सकती हैं। आपके अध्यक्ष निर्वाचित होने से हमें आशा है कि आप हमारी त्रुटियों को ठीक करते हुए आप हमें बोलने का मौका देते रहेंगे। मैं अपनी ओर से और नवयुवकों की ओर से आपसे आशा करता हूँ कि अध्यक्ष पद की गरिमा को और बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।

श्री नगीन कोचर (गाडरवारा) : अध्यक्ष महोदय, प्रथम मैं आपके निर्विवाद रूप से इस पद पर निर्वाचित होने के लिये हार्दिक बधाई देता हूँ। ढाई वर्ष प्रतिपक्ष की भूमिका आप निभाने में सफल हुए हैं और जिस प्रकार से आपने प्रतिपक्ष में रहते हुए सत्तापक्ष की त्रुटियों को बताते हुए जनहित के कार्य करने के लिये प्रेरित किया वैसे ही मैं समझता हूँ कि जो हमारे माननीय सदस्य जनहित के लिये कुछ मुद्दे उठाना चाहेंगे उनको आप बराबर मौका देंगे। हम आपसे यह भी आशा रखते हैं कि प्रतिपक्ष बल में, संख्या में, सब में कम है और सत्ता वैसे भी मजबूत होती है और सत्ता के साथ इतना बड़ा बहुमत इस विधानसभा में आप हैं यह सत्ता के मद में, पागल होकर स्वार्थमय कार्य नहीं करने लगे। (मेजों की थपथपाहट)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप सब शांत हो जावें।

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है। सत्ता के मद में पागल होने वालों की

क्या स्थिति होती है यह आप देख रहे हैं।

अध्यक्ष : वे संभावना की बात कर रहे हैं। किसी सत्य की बात नहीं है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री मोतीलाल वोरा : मेरा निवेदन यह है कि सत्ता के मद में जो मदहोश हो चुके थे उनकी हालत कैसी है वह आपको दिख रही है (मेजों की थपथपाहट)

श्री नगीन कोचर : आपकी हालत कैसी थी?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य को पहले से ही जो लग रहा था उसकी ओर उन्होंने इशारा किया।

अध्यक्ष : मुझे ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को खूब पहचानते हैं।

श्री नगीन कोचर : अध्यक्ष महोदय, हम ढाई साल से अधिक समय तक आपके परफारमेन्स से खूब प्रभावित रहे हैं और शायद उसी प्रकार हम विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सत्तापक्ष में बहुत से विधायक चुनकर आये हैं और हम थोड़ी संख्या में आये हैं इसीलिये जो हल्ला-गुल्ला हो रहा है मैं यह चाहता हूँ कि वह हल्ला-गुल्ला न हो जैसी परिपाटी इस विधानसभा के अन्दर है, वह चले और मैं यह आशा रखता हूँ कि युवा साथी जो चुनकर आये हैं वह सदन की परम्परा जो चली आयी है, उसको बढ़ाने में आपको सहयोग देंगे और ऐसी ही आपसे आशा रखते हैं।

(व्यवधान)

श्री सरदार सिंह (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और मैं कहना चाहूँगा कि श्री पटवाजी ने जो कहा कि सत्तापक्ष का यह दायित्व होता है वह विरोधी पक्ष को साथ लेकर चले और सुरक्षा प्रदान करे। उसके सम्बन्ध में, मैं यह याद दिलाना चाहता हूँ कि सत्तापक्ष और विरोधी पक्ष दोनों की बाप-बेटे से तुलना कर सकते हैं। यदि बेटा सही काम करता है तो पिता जो घर को चलाता है, मार्गदर्शन देता है, उसके अनुसार वास्तविक काम करता है तो पिता का आशीर्वाद मिलता है। और अगर सही काम नहीं करता है तो पिता को क्या करना चाहिये उसका पुत्र खुद समझता है। मैंने कबीर की वाणी का अध्ययन किया है —

साधू ऐसा चाहिये, जैसे सूप सुभाय।
सार-सार को गहि रहे, थोथा देई उड़ाय।।

अतः आपको सार-सार ग्रहण करना चाहिये। आपको वास्तविकता लेनी चाहिये। अभी मेरे साथी ने कहा विपक्ष की भूमिका मैं देख चुका हूँ। निशान आज भी पीठ पर मौजूद है। मैं एक आंदोलन में भाग लेने आया था। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल गौर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सरदार जी ने कहा बाप-बेटे का सम्बन्ध होना चाहिये। शायद इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, सदन के दो पहिये हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष बाप-बेटे का रिश्ता नहीं है।

श्री विट्ठलभाई पटेल (सुरखी) : अध्यक्ष महोदय, आपके इस निर्विरोध निर्वाचन पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ—

मुबारकवाद देने को हवा बागों से आई है,
बहारें सारी दुनिया की वह अपने साथ लाई है।

हमारे कुछ विपक्षी भाइयों ने हमारी उस भूमिका का जिक्र किया जब हम विपक्ष में थे। हम उनसे कहना चाहते हैं कि हमने संकल्प के साथ, निष्ठा के साथ विपक्ष में रहकर हरिजनों के लिए, गरीबों के लिये, पीड़ितों और शोषितों के लिये संघर्ष किया है। हमने उनके दुःख देखे हैं।

हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारी जो भूमिका थी वह इस तरह थी :—

सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
मेरी कोशिश है कि ये शर्त बदलनी चाहिए।
मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही,
हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए।

श्री के.डी. देशमुख (वारासिवनी) : अध्यक्ष महोदय, आपके निर्विरोध निर्वाचन पर मैं अपने दल की ओर से तथा अपने साथियों की ओर से सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चले ऐसा आश्वासन देना चाहता हूँ। आपसे

निवेदन करूँगा कि आप प्रतिपक्ष को बोलने का समुचित अवसर प्रदान करेंगे। हम वैसा नहीं करेंगे जैसा पिछले वर्ष काँग्रेस के लोग जो अब सत्ता में हैं हंगामा खड़ा करते थे, हम वैसा नहीं करेंगे जैसा इन्होंने किया है।

अध्यक्ष : कम हंगामा करेंगे ऐसा कहना है?

श्री के.डी. देशमुख : मैं आपके निर्विरोध निर्वाचन पर बधाई देना चाहता हूँ।

श्री विनय दुबे (बोहानी) : अध्यक्ष महोदय, एक साथी के द्वारा शासन पक्ष के युवकों पर जोश में सत्ता के मद में आने की ओर इशारा किया गया। सत्तापक्ष के युवकों की ओर से मेरा निवेदन है कि हम सत्तापक्ष युवकों के जोश के साथ हमारे सीनियर्स का होश भी है। हममें पूरे होश के साथ जोश है। विनम्र निवेदन है कि हम शालीनता का जवाब शालीनता से देंगे लेकिन एक भी ईंट वहाँ से आई तो जवाब पत्थर में होगा।

श्री नगीन कोचर : अध्यक्ष महोदय, यहाँ पत्थर वाली बात कहाँ से आ गई?

(व्यवधान)

श्रीमती जयाबेन (धमतरी) : अध्यक्ष महोदय, आपके निर्विरोध निर्वाचन पर हम बहनें बहुत अधिक उत्साहित हैं। इस विधानसभा के कार्यकाल में हम सब बहनों को अधिक से अधिक अवसर दिया जाये ये हम बहनों की आकाँक्षा है। हम बहनों में कई नव-निर्वाचित हैं कई छोटी-मोटी त्रुटि होंगी तो माफ करेंगे लेकिन बहनों को अधिक से अधिक उत्साहित करेंगे ऐसी बहनों की कामना है।

श्री हिम्मत कोठारी (रतलाम नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने के लिये बधाई देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की परम्परा रही है कि जो भी व्यक्ति अध्यक्ष के पद पर आरूढ़ होता है वह स्वयं अपने दल से त्याग-पत्र की घोषणा करता है और पूर्व में भी श्री नेवालकर जब इस पद पर अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे तो उन्होंने भी अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के पूर्व अपने त्याग-पत्र की घोषणा की थी। मैं आशा करूँगा कि आप भी अपने दल से त्याग-पत्र देकर इस सदन के दोनों पक्षों का समान सहयोग लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अभी एक सदस्य ने कहा कि अगर इस सदन में विरोध पक्ष की ओर से कोई ईंट फेंकेगा तो हम उसका जवाब पत्थर से देंगे। उसके जवाब में, मैं निवेदन करूँगा कि हम जनता की लड़ाई को लड़ते हुए (व्यवधान) सत्तारूढ़ पक्ष पर ईंट के समान तीखे प्रहार करेंगे और अगर सत्तारूढ़ दल ने विरोध पक्ष को 1975 की तरह एमरजेंसी लगाकर कुचलने का प्रयास किया तो हम पुनः विरोध करेंगे और तब हमें विश्वास है कि इस प्रदेश की जनता हमारे साथ होगी। इसी आशा के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा किया जाये शायद हम विषय से हट रहे हैं आज केवल आपके इस पद पर पदासीन होने के विषय पर चर्चा होनी चाहिये। अन्य चर्चा के लिए हमें बहुत अवसर मिलेंगे अपने पक्ष के बारे में बोलने के, अपने दृष्टिकोण को यहाँ पर रखने के। कोई सहूलियत से रखेगा, कोई कटु भाषा में रखेगा, यह माननीय सदस्यों के स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है। यहाँ न ईंटें चलने वाली हैं न पत्थर चलने वाले हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि हम इस बात को ध्यान में रखकर ही इस विधानसभा की कार्यवाही को प्रारंभ करें। यहाँ पर चुन कर आया हुआ प्रत्येक माननीय सदस्य अपने स्वयं के दायित्व और मर्यादा की सीमा में रहे। सत्ता एवं विपक्ष में रहकर भी अपने काम करने की अंतिम सीमा के बारे में हम किसी क्षण भी न भूलें तो ही हम प्रजातांत्रिक परम्परा से न केवल इस विधानसभा में कार्यवाही कर सकेंगे बल्कि विधानसभा के प्रति भी अपने दायित्व को पूरा कर सकेंगे।

श्रीमती मंजूदेवी (सिहोरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस सर्वोच्च पद पर निर्विरोध चुने जाने पर बधाई देती हूँ। हम लोग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर यहाँ आये हैं उसका निर्वाह आपके निर्देशन में अच्छी तरह से करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है।

राजमणि पटेल (सिरमौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस निर्वाचन पर हृदय से बधाई देता हूँ और दावा करता हूँ कि इस प्रदेश के लाखों लोगों ने, गरीबों ने, मजदूरों ने और किसानों ने बड़ी आशा और अपेक्षा के साथ में माननीय सदस्यों को इस विधानसभा के सदस्य के रूप में यहाँ भेजा है। इस सदन से उन गरीबों को बहुत बड़ी आशाएँ हैं। हमारे प्रदेश के उन गरीबों का स्तर निरंतर गिरता नजर आ रहा है। मैं आपसे अपेक्षा करूँगा

कि आपके इस पद पर आसीन होने पर इस सदन की कार्यवाही इस तरह से चले कि बाहर की जनता को ऐसा अहसास हो कि इस सदन में भेजे गये सदस्य हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। उनकी कठिनाइयों के प्रति इस सदन में कोई ऐसा निर्णय लिया है और उस काम को उठाया है जिससे हमारी अपेक्षाएँ पूरी हो रही हैं। इस तरह का अहसास हमारे प्रदेश के गरीब को होना चाहिये तब ही हमारा यह सदन सही रूप से चल रहा है यह कहा जा सकेगा। सही रूप से जो प्रक्रिया होना चाहिये वह हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको अध्यक्ष पद पर चुने जाने पर धन्यवाद देता हूँ।

श्री अच्युतानन्द मिश्र (मऊगंज) माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आप जैसे सुयोग्य, विद्वान व्यक्ति को पाकर यह विधानसभा गौरवान्वित हुई है। आपके अध्यक्ष पद पर चुने जाने पर माननीय विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने अपने बधाई संदेश में कुछ बातों का उल्लेख किया था उसके सम्बन्ध में, मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और माननीय विरोधी पक्ष के नेता को अपने दल की ओर से और नेता की ओर से आश्वस्त करना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी काला दिन नहीं आयेगा जबकि विधायकों पर लाठी चार्ज होगा और विधायकों की कमर तोड़ी जायेगी। आपके कार्यकाल में जो काले कारनामे हुए हैं वे नहीं किये जायेंगे। मैं आपको बताता हूँ मेरी कमर में आज भी पट्टा बंधा हुआ है। ऐसा कोई भी काला दिन नहीं आयेगा। इस विधानसभा के माननीय सदस्यों को घसीटा गया उनको लाठियों से पीटा गया, उनको अस्पताल में भर्ती किया गया और अस्पताल में बिना दवा दिये हुए ही उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। उनको निकाल दिया गया। इस प्रकार के जो अत्याचार किये गये मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि ऐसा कोई दिन नहीं आयेगा। हमारे माननीय नेता इस बात का कोई ध्यान नहीं करेंगे कि आपके ढाई साल के कार्यकाल में हमारे साथ क्या व्यवहार हुआ, क्या-क्या अत्याचार किये गये हैं उनका ध्यान नहीं रखते हुए उनको भूलते हुए बिल्कुल समान व्यवहार किया जायेगा तथा नई व्यवस्था स्थापित की जायेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में आपको पुनः बधाई देता हूँ आपका स्वागत करता हूँ।

श्री शीतला सहाय : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपनी पीठ कहाँ तुड़वा आये हैं यह तो बतायें?

श्री रमाशंकर सिंह (रोन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको इस विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने पर हमें बहुत खुशी हो रही है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ हमारी ओर से और हमारी पार्टी की ओर से, क्योंकि आप विरोधी पक्ष में रहे हैं और आपने विरोधी पक्ष में रहकर बहुत सुन्दर भूमिका निभाई है। इसलिये आपको यह ज्ञान है कि विरोधी पक्ष की क्या भूमिका होती है। आप सत्तापक्ष में भी रहे हैं। आपको मालूम है कि सत्तापक्ष की क्या भूमिका होती है। आपको दोनों ही पक्षों में रहने के कारण उनका अच्छा अनुभव है। इस संबंध में, मैं श्रीमान के समक्ष सब विधानसभाओं के माननीय अध्यक्षों का सम्मेलन जो श्रीनगर में सन् 1954 में हुआ था उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने जो शब्द कहे थे उनका कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। "अध्यक्ष को अपने आपको न्यायाधीश की स्थिति में रखना चाहिये। उसे किसी का पक्ष लेना नहीं चाहिये, जिससे अनजाने में भी वह किसी विचार के पक्ष में या विरोध में धारणा न बना लें।" इस प्रकार के शब्द पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने कहे थे। श्रीमान मैं आपको शिक्षा देने की स्थिति में तो नहीं हूँ .....।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप शान्ति से सुनिए जो कुछ शब्द कहे जा रहे हैं वह मेरे लिये कहे जा रहे हैं आपके लिए नहीं कहे जा रहे हैं उनको मुझे सुनने तो दीजिए।

श्री रमाशंकर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो शब्द कहे हैं वे केवल आपके लिये ही नहीं कहे हैं उनके द्वारा मैं सत्तापक्ष का भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि सत्ता पक्ष को किस प्रकार का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिये। भारत की लोकसभा का जब भी इतिहास लिखा जायेगा उस समय माननीय मावलंकर जी का भी नाम लिखा जायेगा क्योंकि उनके समय में जब वे लोकसभा अध्यक्ष थे बहुत सी अच्छी परम्पराओं का निर्माण हुआ है। मुझे आपसे भी इस प्रकार की आशा है। हमारी इस विधानसभा में भी अच्छी-अच्छी परम्पराओं का निर्माण होगा। माननीय मावलंकर साहब के समय में नई-नई परम्पराओं का निर्माण हुआ था और बहुत सी प्रणालियाँ बदली गई थीं .....।

श्रीमान् हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप न सिर्फ हमको संरक्षण देंगे बल्कि आप विधानसभा के इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान बनायेंगे और इस संस्था को, इस विधानसभा को जो कि समूचे प्रदेश के मतदाताओं ने अपने हित के लिये बनाया है उसको आप एक बेजान संस्था नहीं बनने देंगे। उनके सुख-दुःख का दर्पण बनकर, एक शीशा बनायेंगे जिससे समाज का सही चेहरा दिख सके। जो गिरिजन हैं, हरिजन-आदिवासी लोग हैं, उनकी आवाज को बराबर मुखरित होने दिया जायेगा। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि यहाँ ऐसा नहीं होने दिया जायेगा। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि आज का यह मौका ऐसा मौका नहीं है कि विरोधी पक्ष शासन की गलतियों को याद दिलाता रहे और शासन पक्ष विरोधी पक्ष की गलतियों को याद दिलाता रहे। इसकी पटवाजी ने शुरूआत की। वे बहुत ही सुविज्ञ और जानकार व्यक्ति हैं। संसदीय प्रणाली के आज के मौके पर हम सब लोग आपको सम्मान देते हुए अपने विचार प्रकट कर रहे हैं और हमको यहीं तक सीमित रहना चाहिये। हमको न मेघावाले जी की कहानी कहनी है और न सुरेश सेठ की बात कहनी है। यहीं तक यदि हम सीमित रहें तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्री वासुदेव चंद्राकर (खेरथी) : अध्यक्ष महोदय, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसा व्यक्ति इस विधानसभा को प्राप्त हुआ है अध्यक्ष के रूप में। यह विधानसभा के लिये बहुत ही गौरव की बात है। आप दीर्घकाल तक सत्तापक्ष में भी रहे और विरोधी पक्ष में भी रहे हैं, इस दृष्टि से आपको दोनों तरफ के पक्ष का काफी अनुभव है। भले ही आपको सत्तापक्ष में कोई पद प्राप्त न रहा हो। लेकिन विधानसभा के अंदर एक लम्बे कार्यकाल का आपका अनुभव रहा है। आप जैसे व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में पाकर हम सचमुच में अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं इस अवसर परं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और स्वागत करता हूँ और यह अपेक्षा करूँगा कि जो हमारे प्रदेश से बहुत से विधायक ग्रामीण अंचलों से पिछड़ी जाति के और हरिजन तथा आदिवासी लोगों का प्रतिनिधित्व करने आये हैं उनका बराबर ख्याल रखा जायेगा। अक्सर विधानसभा में देखा जाता है कि जो ज्यादा मुखर लोग हैं वे ही विधानसभा में हावी रहते हैं और उनको ही ज्यादा बोलने का अवसर बार-बार प्राप्त होता रहता है। लेकिन दूर-दराज से, ग्रामीण अंचलों से जो साथी चुनकर आते हैं वे अपनी आवाज और समस्याओं को विधानसभा में भी नहीं रख पाते हैं। इसलिये मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों को अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करेंगे। आपकी छत्रछाया में, आपकी अध्यक्षता में गरीब, पिछड़े इलाकों से चुनकर आये सदस्यों को अपनी समस्या रखने का अवसर प्राप्त होगा। उन्हें अपने क्षेत्र की समस्या रखने का अवसर प्राप्त होना ही चाहिये। मैं पुनः आपको बहुत-बहुत बधाई देते हुए आपका स्वागत करता हूँ।

श्री नर्मदा प्रसाद किंकर (खातेगांव) : आज आपके निर्विरोध अध्यक्ष पद पर चुनाव के लिये मैं आपको बधाई देता हूँ। मेरा इस समय केवल एक ही निवेदन है कि जिस तरह से राम राज्य था कि —

दैहिक, दैविक भौतिक तापा,
राम राज काहुहि नहीं व्यापा।

उसी तरह का अमन चैन इस समय भी रहना चाहिये, यही अपेक्षा हम करते हैं। उस समय जो अधिष्ठाता थे उन्होंने यह बात कही थी कि —

जो अनीति कुछ भाखौ भाई,
तो मोहि वरजेऊ भय बिसराई।

तो हम भी सत्ता पक्ष से यही अपेक्षा रखते हैं। यहाँ पर पार्टी की राजनीति से अलग रहकर प्रदेश की भलाई की बात की जायेगी ऐसी हम आशा करते हैं। अपनी गलतियों को छिपाने का प्रयास न किया जाये। यह देखने में आता है कि हमेशा अपनी गलतियों को छिपाने का प्रयास किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हम शासन पक्ष की गलतियों को बतायेंगे और शासन ठीक प्रकार से उनको सुधारने का प्रयत्न करेगा, यही हमारा निवेदन है। हम चाहते हैं कि आपसे हमें संरक्षण मिलता रहे। अंत में, मैं फिर से आपके निर्विरोध अध्यक्ष पद पर चुने जाने के लिये हृदय से कोटि-कोटि बधाई देता हूँ।

अध्यक्ष : माननीय सदन के नेता श्री अर्जुनसिंह जी, माननीय विरोधी पक्ष के नेता श्री पटवाजी एवं सदस्यगण।

यह मेरे लिये निश्चय ही एक नया अनुभव है कि मैं इस आसंदी पर आकर बैठा हूँ। मेरे मस्तिष्क में कई बार यह भावना उठी कि क्या वास्तव में, मैं यह सारी जिम्मेदारी निभाने में सक्षम हो सकूँगा जो कि आज आपने मुझे सौंपी है। लेकिन जब मैं आपके इस सहयोग की तरफ देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि जब आपका पूरा-पूरा सहयोग मुझे मिलेगा और मैं निश्चय ही अपनी जिम्मेदारी निभाने में सफल हो सकूँगा। मैं पहले एक सदस्य रहा और आपके बीच में ही से यहाँ आकर बैठा हूँ तो इससे आप इस भ्रम में न रहें कि मैं संविधान की सभी बारीकियों को समझ गया हूँ, इसलिये जब भी संविधान की इस तरह की कठिनाइयाँ उपस्थित हों आप उनका अच्छी तरह से अध्ययन करके मेरा मार्गदर्शन करें तो मैं निश्चय ही संविधान के तहत आपके अधिकारों को जो संरक्षण दिया जाना है दे सकूँगा। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी सदस्य को बोलने के लिये समय नहीं मिल पाता तो उन्हें ऐसा नहीं समझना चाहिये कि उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। क्योंकि आपने जो जिम्मेदारी मुझे दी है यह बहुत ही कठिन जिम्मेदारी है जिसको मुझे निभानी पड़ेगी। इसलिये आप मेरी कठिनाई को भी समझें। हो सकता है कि आप मुझसे कभी नाराज हों और समझें कि जिद्दी हैं या आपकी कठिनाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो न आप मुझे जिद्दी समझें और न ऐसा समझें कि मैं आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं आपके अधिकारों की रक्षा के लिये तत्पर हूँ और संविधान के प्रावधानों को ध्यान में रखकर उनको बढ़ाना चाहता हूँ। यह अपेक्षा की जाती है कि अध्यक्ष निष्पक्ष रहे और अध्यक्ष के कार्यकलापों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष रूप से सदन की कार्यवाही चलाये। इसके लिये मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं निष्पक्ष रहूँ। मेरे समक्ष दोनों पक्ष बराबर हैं। न मैं पक्ष की ओर देखता हूँ न मैं विपक्ष की ओर देखता हूँ, मैं तो सभी माननीय सदस्यों की ओर देखता हूँ। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जब किसी निर्णय पर पहुँचने में कुछ कठिनाई आती है तो मैं दोनों ओर दृष्टि उठाता हूँ, पक्ष के नेता की ओर, और विपक्ष के नेता की ओर भी, और आप सब से भी यह अपेक्षा करूँगा कि उस समय आप निष्पक्ष रूप से मेरा मार्गदर्शन करें। यह हमारे इस सदन की परम्परा रही है। सबसे पहले पं. कुंजीलाल जी दुबे इस विधानसभा के अध्यक्ष हुए, फिर काशी प्रसाद पांडे हुए, टेंभरे साहब हुए, गुलशेर अहमद हुए और नेवालकर जी अध्यक्ष हुए हैं, उन्होंने इस सदन में जो परम्पराएँ कायम की हैं वह बहुत अच्छी परम्पराएँ कायम की हैं। उन परम्पराओं के अनुसार हमें काम करना है और उसके साथ-साथ मैं यह चाहूँगा कि उन परम्पराओं के साथ-साथ और भी ऐसी परम्पराएँ कायम करें। जिन्हें देखकर लोग कहें कि इस बार सदन में जो साथी गये हैं उन्होंने बड़ी अच्छी परम्पराएँ कायम कीं और अच्छे ढंग से काम किया है। मैं आप सबसे यही आशा करूँगा और आभार भी मानूँगा, इसलिये आभार मानूँगा कि आपने अध्यक्ष पद के लिये मुझे निर्वाचित किया है। मैं तो इस काबिल अपने को नहीं मानता था लेकिन इस विश्वास के साथ कि आगे आने वाले समय में हम सब एकत्र होकर हर मसले को एक साथ जनहित में देखेंगे और जनहित में उसका निर्णय करेंगे, यह मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूँ।

अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों ने शपथ नहीं ली है, अब वे शपथ लेंगे।

श्री शीतला सहाय : श्री मथुराप्रसाद जी दुबे ने जो शपथ ग्रहण का कार्य सम्पन्न किया उनके प्रति आपने कुछ नहीं कहा। उनको ज्योतिषियों ने बताया था कि वे ऊँची कुर्सी पर बैठने वाले हैं।

अध्यक्ष : मुझे खुशी है कि आपको उनकी चिन्ता है।

मैं आभारी हूँ कि शीतला सहाय जी ने पहले दिन ही मेरी गलती बताई है। चूँकि मैं नया व्यक्ति हूँ मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप सिखाते जायें और मैं उसके अनुसार कार्य करता रहूँ और फिर भी यदि गलती हुई तो इसका दोष भी आपको ही रहेगा कि आपने क्यों नहीं सिखाया। श्री दुबे जी ने जितनी लगन के साथ सभा का संचालन किया, उसके लिए हम उनका आभार मानते हैं। वे इस सदन के वयोवृद्ध नेता हैं। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से काम किया है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/3 जुलाई 1980, पृष्ठ/ 15-23)

3 जुलाई 1980 को राज्यपाल श्री भगवत दयाल शर्मा के अभिभाषण पर सदस्य डॉ. राजेन्द्र जैन (उज्जैन-उत्तर) ने कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सदस्य श्री विष्णु राजोरिया (हरदा) ने इसका समर्थन किया। प्रस्ताव पर संशोधन और चर्चा आदि के लिए समय निर्धारित हुआ। इसके पश्चात् अध्यक्ष श्री यज्ञदत्त शर्मा ने विशिष्ट व्यक्तियों के निधन का उल्लेख किया— "मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि पिछले सत्र की समाप्ति से अब तक की अवधि में विधानसभा के एक भूतपूर्व सदस्य श्री जागेश्वरनाथ बिसेन, भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वी.वी. गिरि और संसद सदस्य श्री संजय गांधी का देहावसान हो गया है।"

यहाँ मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह और प्रतिपक्ष के नेता श्री सुन्दरलाल पटवा के विचार प्रकाशित हैं जो उन्होंने श्रद्धांजलि स्वरूप प्रकट किये—

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वराह गिरि वेंकट गिरि आज हमारे बीच नहीं रहे। सदन के भीतर और सदन के बाहर उन्होंने अत्यंत अच्छे ढंग से मर्यादाओं का पालन किया है। कुछ लोग चाहे उनसे व्यक्तिगत रूप से परिचित न रहे हों परंतु उन्होंने सबके लिए अपने कर्त्तव्यों का पालन किया।

हमें उनके चुनाव के दिन याद हैं जब राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र भरकर भोपाल पधारे थे। बहुत से माननीय सदस्य उस दृश्य को याद करते हैं, उस समय वे अकेले थे और उनके साथ कोई भी नहीं था, लेकिन अपने स्वयं की प्रतिभा और राजनैतिक सूझ-बूझ के कारण वह देश की सभी प्रगतिशील ताकतों के एकमात्र प्रत्याशी के रूप में उभर कर आये और वह राष्ट्रपति चुनाव के महान् संघर्ष, मैं कह सकता हूँ आधुनिक भारत के निर्माण का निर्णायक संघर्ष था, उसमें राष्ट्रपति चुने जाने के बाद इस देश में एक क्रांतिकारी और सर्वहारा वर्ग के भले के लिए कदम उठाने में इंदिरा गांधी आगे बढ़ीं। राष्ट्रपति महोदय न केवल राष्ट्रपति थे बल्कि उनसे हर व्यक्ति के लिए चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, पद पर हो या बाहर हो, सबके लिए एक संवेदनशील व्यक्ति जैसा मार्गदर्शन और सदैव स्नेह प्राप्त होता रहा है। ऐसे महान् व्यक्ति का अपने बीच से चले जाना एक राजनैतिक शून्यता को जन्म देता है लेकिन हमें भरोसा है उनका जीवन इस देश के लाखों-करोड़ों लोगों के लिए एक आदर्श रहेगा और उस आदर्श का पालन करते हुए एक सही श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने संसद सदस्य संजय गांधी के आकस्मिक दुखद निधन का जिन शब्दों में उल्लेख किया है वह बिल्कुल ही हम सबकी भावनाओं को और इस प्रदेश के लाखों-करोड़ों इन्सानों की भावनाओं को जिन्होंने शायद उनके दर्शन भी कभी नहीं किये थे, सही रूप में व्यक्त करता है। उस सुबह को इस देश का युवा सूर्य अस्त हुआ। कोई भी व्यक्ति अपने जीवनकाल में अनेकों सपने देखता है, उन सपनों को संजोने का प्रयास करता है लेकिन वही व्यक्ति स्मरणयोग्य बनता है जो अपने जीवनकाल में उन सपनों को साकार बनाने की हिम्मत करता है। संजय गांधी ने अनेकों संघर्षों, विडम्बनाओं, अनेकों आरोपों-प्रत्यारोपों के बीच भी, अपने मुख्य उद्देश्य को आँखों से ओझल नहीं होने दिया। जिन्हें उनको निकट से काम करते देखने का सौभाग्य मिला वे कह सकते हैं इस देश में युवकों के प्रेरणास्त्रोत्र के रूप में संजय गांधी थे और यदि काल के क्रूर हाथों ने उनको न लिया होता तो यह देश भी आज उन अन्य सदस्यों की तरह जो युवा प्रतिभाओं का आदर कर चुके हैं, संजय गांधी की विलक्षण प्रतिभा के कारण एक क्रांतिकारी युग से गुजरता। मध्यप्रदेश में उनका निधन दुख का विषय इसलिये है कि वे मध्यप्रदेश की प्रगति के सम्बन्ध में, मध्यप्रदेश में बसे लाखों हरिजन-आदिवासियों के प्रति तथा अन्य समस्याओं के प्रति उनकी विशेष रुचि थी। उन्होंने समय-समय पर प्रदेश के विकास के सम्बन्ध में लोगों से चर्चा की। पूर्व शासन में उनके माध्यम से कुछ योजनाएँ चलाई गईं और अभी मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि जिस सुबह उनका आकस्मिक निधन हुआ उसकी पूर्व संध्या में मध्यप्रदेश के विकास की क्या सम्भावनाएँ हैं, औद्योगिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, किस तरह से जंगलों को अच्छा बनाया जा सकता है, इन सब पर आधे घण्टे विस्तार से चर्चा की और अपने विचार व्यक्त किये। मुझे उस समय यह नहीं मालूम था कि यह मेरी अन्तिम भेंट

है और कल सुबह उनसे फिर भेंट नहीं होने वाली है। इस प्रदेश के सर्वतोमुखी विकास के लिये उनके जो कुछ सपने थे उनको मूर्त रूप देने के लिए शासन की ओर से पूरा प्रयास करूँगा और उसी दिशा में जो अध्यादेश 29 तारीख को प्रभावित किया गया है— पहला कदम है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने पक्ष की ओर से ही नहीं सदन की ओर से और इस प्रदेश की करोड़ों जनता की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वे न केवल इस देश के युवा प्रहरी थे अपितु वे इस देश की तरक्की के लिये सदैव आवाज उठाते रहे। हम सब उनकी स्मृति में नतमस्तक हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस देश का युवा वर्ग उनकी प्रेरणा को ग्रहण करके उसी प्रकार के सामाजिक और क्रांतिकारी उत्तरदायित्व को ग्रहण करेगा।

अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 1 बजकर 30 मिनट तक के लिये बढ़ाई जाती है।

श्री सुन्दरलाल पटवा (सीहोर) : श्रीमान् विगत सत्र की समाप्ति और इस सत्र के प्रारंभ के बीच के काल खण्ड में कुछ हमारे साथी इस संसार को छोड़कर कूच कर गये हैं— महाप्रयाण को प्राप्त हो गये। उनकी स्मृति में आपने कुछ विचारों की अभिव्यक्ति यहाँ पर की। मैं आपके उन विचारों के साथ अपनी पूर्ण सहमति प्रकट करता हूँ। इसी सदन के एक माननीय सदस्य के रूप में ही नहीं अपितु एक समाजसेवी कार्यकर्त्ता के रूप में श्री जागेश्वर नाथ बिसैन् ने अपनी सेवाएँ प्रस्तुत कर, अपने जीवन के एक बड़े भाग को एक बड़े महत्वपूर्ण कार्य के लिये लगाया। उनका निधन उस क्षेत्र के लिए एक क्षति है ही, परन्तु प्रदेश के लिये भी उनकी क्षति हमारे सामने रहेगी। मैं उनके निधन के प्रति दुख व्यक्त करते हुए— अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए, उनके परिवार के प्रति परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह उनको दुख सहन करने की शक्ति एवं धैर्य प्रदान करे और उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे।

श्रीमान् इस महान देश के, दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश के सर्वोच्च पद को धारण करने वाले भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री वराह गिरि वेंकट गिरि हृदयाघात से स्वर्ग सिधार गये। श्रीमान् एक-के-बाद एक पुराने दिग्गज हमारे सार्वजनिक जीवन को रिक्त करके चले जा रहे हैं, दुख इस बात का है कि उनका स्थान लेने वाले आज हमें उतनी बड़ी संख्या में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। श्री गिरि का निधन हमारे देश की एक ऐसी क्षति है जिसकी आने वाले समय में काफी लम्बे समय तक शायद पूर्ति न की जा सकेगी। उन्होंने अपना सारा जीवन समाज के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए अपना योगदान देकर बिताया। राजनैतिक क्षेत्र के साथ-साथ देश के श्रमिक क्षेत्र में भी आपने अपनी सेवाएँ प्रदान कीं। आपने श्रमिक आन्दोलन को आगे बढ़ाया। श्रमिकों के साधन और उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिये आपने कार्य किया। श्रमिक क्षेत्र में आपके कार्य सदैव अविस्मरणीय रहेंगे। मैं अपने हृदय की सारी श्रद्धा के साथ उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनके परिवार जनों को धैर्य प्रदान करे, शांति प्रदान करे और इस महान दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ।

श्रीमान् हम सब जानते हैं कि हम सबको एक दिन संसार से जाना है, यह नियति का कालचक्र है और इसके अन्तर्गत हम सबको समाना है। लेकिन यह सब जानते हुए भी मानवीय स्वभाव है कि संवेदना और आवेग में उसको जाने वाले का दुःख होता है और होना स्वाभाविक भी है। जवानी की उम्र में एक बहुचर्चित व्यक्तित्व हमारे बीच से उठ गया। आकस्मिक और अनपेक्षित यह घटना सचमुच में पीड़ादायक है, मन में करुणा और दुःख पैदा करने वाली है। श्री संजय गांधी सिर्फ 33 वर्ष की उम्र में एक दुर्घटना का शिकार होकर इस संसार को छोड़कर चले गये। वे अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश से संसद सदस्य चुने गये थे। श्रीमान् हमारे सदन की यह परम्परा है कि इस सदन के जो सदस्य होते हैं, इस प्रदेश के जो संसद सदस्य होते हैं, भूतपूर्व या वर्तमान, देश के जो और विशेष व्यक्तित्व हैं उनके निधन पर शोक प्रस्ताव पास कर हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उस परम्परा से हटकर हम श्री संजय गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, मैं अपने मित्रों के दुख और आवेग में उस परम्परा से हटकर उनके साथ हूँ। मानवीय संवेदनाओं के इस क्षण में, मैं अपने सभी साथियों के हृदयों पर आये हुए आघात को समझता हूँ और बिना किसी रिजर्वेशन के सभी के साथ में उस नौजवान को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्रीमान् जैसा कि आप जानते हैं कि जो उनके अनुयायी या सहयोगी रहे, जिन्होंने उनको बैसाखी मानकर या बनाकर जिन्दगी की कुछ ऊँचाइयों को छूने के अरमान संजोये थे, अकस्मात किसी दुर्घटना में वह बैसाखी टूट

जाये तो उन सबके ऊपर वज्रपात तो है ही परन्तु उसके आगे बढ़कर जैसा कि संसद में माननीय श्री अटलबिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि "वे अपने अनुयायियों और सहयोगियों के लिये एक प्रेरणा थे परन्तु राजनैतिक क्षेत्रों में अपने विरोधियों के लिये भी वे एक जबरदस्त चुनौती थे। आदमी कभी प्रेरणा से आगे बढ़ता है परन्तु जब चुनौतियाँ सामने हों तो पुरुषार्थ और दृढ़ निश्चय जागृत होता है, इस तरह से वे अपने विरोधियों के लिये भी प्रेरणा के स्रोत थे।" हम चाहते थे कि लम्बे समय तक वे हमारे बीच रहते, उनकी चुनौतियों से हम भी प्रेरणा पाते और इस प्रकार हम देश, प्रदेश और समाज की अधिकतम सेवा कर पाते लेकिन काल की गति को यह मन्जूर नहीं था। हम सब मजबूर हैं इस चक्र के आगे, चाहे वह कितना भी दुखद क्यों न हो, स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। श्रीमान् एक माँ के ऊपर क्या बीती है, उसके बारे में क्या वर्णन किया जाये। बुजुर्ग अवस्था हो, पति का साया पहले से ही उठ चुका हो, जवान बेटा जिसके ऊपर भविष्य की सारी आशाएँ, आकाँक्षाएँ टिकी हों, अकस्मात् अनपेक्षित रूप से साथ छोड़कर चल दिया। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर, एक माँ के ऊपर, एक प्रकार का वज्रपात। हम केवल संवेदना प्रकट कर सकते हैं। हम सभी मनुष्य पहले हैं, राजनीतिज्ञ बाद में हैं। हमारे मतभेद, हमारे विचारों के अन्तर, ये सारी बातें गौण हैं, छोटी हैं और इसलिये उस माँ के ऊपर जो वज्रपात हुआ है, काश! हम उस दुख को बाँट सकते, तो प्रयास करते। परन्तु यह किसी भी तरह से संभव नहीं है। मैं इस बात के लिये प्रशंसा करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस वज्रपात को भी जिस साहस से, जिस धैर्य से, जिस सूझबूझ के साथ, जिस सचेतन मस्तिष्क के साथ झेला है, वह सचमुच में प्रशंसा के काबिल है। प्रधानमंत्री के पद पर रहकर अपना धैर्य न खोकर, छोटी से छोटी बात को भी उन्होंने अपनी आँख से ओझल नहीं होने दिया। अपने दिवंगत पुत्र के साथ में अगर कोई चाबी और घड़ी और छोटी-मोटी कोई चीजें भी थीं तो उनको भी चिंता के साथ स्वयं ध्यान देकर अपने मस्तिष्क की चैन को जागृत रखते हुए दिलासा दी। उन्होंने जिस साहस के साथ इस दुख को झेला है, वह सचमुच प्रशंसा की पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा करुणाजनक प्रसंग है एवं अच्छा होता, केन्द्रीय सरकार ने जो न्यायिक जाँच की घोषणा की है, वह अगर होती तो इस करुणा के प्रसंग में किसी प्रकार के संदेह या कर्कश स्वर प्रकट होने की नौबत नहीं आती। परन्तु वह उनका विषय है, वे जानें। मैं अपने सभी मित्रों के साथ श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके परिवार के साथ उनके दुःख में अपने आपको सहभागी बनाते हुए उनके प्रति हृदय की संवेदनाएँ प्रकट करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको धीरज प्रदान करे और उस नौजवान की आत्मा को शांति प्रदान करे, जो अधूरे सपने लेकर चल दिया। मैं आपके उद्‌गार में अपने को सहभागी बनाते हुए अपने कथन को विराम देता हूँ।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/3 जुलाई 1980, पृष्ठ/ 30-32)

4 जुलाई 1980 को मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह के समक्ष पहला स्थगन प्रस्ताव— दुर्ग जिले के नंदिनी स्थित झोपड़ी में रहने वाले कोसरू परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में।

इसी दिन विधि और विधायी कार्यमंत्री श्री कृष्णपालसिंह ने सात अध्यादेश सभा के पटल पर रखे। इसी दिन बिलासपुर के जरहा गाँव के पास रेहान नाले पर हुई भीषण बस दुर्घटना के सम्बन्ध में एक ध्यानाकर्षण सूचना आयी। चर्चा के दौरान एक औचित्य का प्रश्न भी उठा।

इसी दिन भारतीय जनता पार्टी को मुख्य विरोधी दल और उसका नेता श्री सुन्दरलाल पटवा को घोषित किया गया। प्रतिपक्ष के नेता ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया—

अध्यक्ष : मेरे पास दुर्ग जिले के नंदिनी स्थित झोपड़ियों में रहने वाले कोसरू परिवार के सदस्यों के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में तीन स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं—

पहली सूचना : सर्वश्री रामजीलाल उइके, जोगा हड़मा, मधुकर राव हरणे सदस्यों की है। दूसरी सूचना : श्री मोहनलाल सेठिया सदस्य की है चूँकि श्री रामजीलाल उइके एवं अन्य दो सदस्यों की सूचनाएँ पहले प्राप्त हुई हैं, अतः उसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ—

"दिनाँक 21 जून 1980 को शाम को दुर्ग जिले के नंदिनी स्थित झोपड़ियों में रहने वाले कोसरू परिवार को एक अधिकारी के घर हुई चोरी के सम्बन्ध में पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया गया, जहाँ थानेदार एवं उसके सहयोगी द्वारा उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया। पुलिस ने सर्वप्रथम कोसरू की पत्नी एवं लड़के को नंगा किया। लड़के को माँ के साथ अनुचित कार्य करने को बाध्य किया। लड़के द्वारा इंकार करने पर उसकी बेरहमी से पिटाई की तथा कोसरू की पत्नी को इस तरह पीटा गया कि उसका तीन माह का गर्भ गिर गया। इसके बाद कोसरू को भी इतना मारा कि उसकी नाक से खून गिरने लगा तथा आँखों के पास भी खून जम गया। चोरी गए जेवर अधिकारी की नौकरानी के घर बरामद किये गये। बेकसूर कोसरू परिवार की पुलिस द्वारा निर्मम पिटाई से क्षेत्र की जनता में भयंकर असंतोष है। अतः सार्वजनिक महत्व के इस प्रश्न पर आज सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा की जावे।"

इसके सम्बन्ध में शासन का क्या कहना है?

श्री मुनिप्रसाद शुक्ला (राज्य मंत्री गृह) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 19 जून 1980 को थाना नंदिनी में प्रार्थी मोतीलाल, जनरल फोरमैन नंदिनी माइन्स की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 72/80 धारा 381 भा.दं.वि. कायम किया गया। प्रार्थी ने 6,000 रुपये के सोने के जेवरात चुराये जाने के शक अपनी नौकरानी पुष्पा उड़िया पुत्री नीलमणी पर जाहिर किया था। प्रकरण की तफ्तीश थाना नंदिनी के थानेदार एस.पी. विस द्वारा की जा रही है। उसने पूछताछ हेतु महिला उ.नि. श्रीमती एडना मान्टिस एवं महिला आरक्षक नसीम बेगम क्रमांक 305 को लगाया गया था। पूछताछ पर सन्देही पुष्पा ने कुबूल किया कि उसने मशरूका जेवर अपनी भावी मुसम्मात रुक्मणी जौजे खुसरू को दिये हैं। महिला पुलिस ने खुसरू के झोंपड़े की तलाशी ली। पूछताछ के लिए उसकी पत्नी रुक्मणी, उम्र 35 वर्ष व त्रिनाथ उम्र, 14 वर्ष को थाना लाये। अभी तक प्रकरण का माल बरामद नहीं हुआ। तफ्तीश जारी है।

दिनांक 2-7-80 को कुछ समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित होने पर नगर पुलिस अधीक्षक को जाँच के लिए तत्काल मौके पर रवाना किया गया। उनकी जाँच पर पाया गया कि महिला उ.नि. एडना मान्टिस एवं महिला आरक्षक नसीब बेगम द्वारा पूछताछ के दौरान रुक्मणी एवं उसके पुत्र त्रिनाथ के साथ मारपीट की गई। रुक्मणी का कथन है कि उसे महिला पुलिस द्वारा मौखिक धमकी दी गई थी कि उसके पुत्र से उसका बलात्कार कराया जायेगा, किन्तु रुक्मणी को या उसके पुत्र को नंगा करने के एवं पुत्र की माँ के साथ बलात्कार करने पर बाध्य करने का आरोप प्रमाणित नहीं हुआ। वास्तव में पुत्र इस योग्य है भी नहीं।

श्री रामजीलाल उइके : अध्यक्ष महोदय, यह घटना निन्दनीय है। अतः इस पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर बहस की जाना चाहिये।

श्री नगीन कोचर : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि मंत्री जी ने जो, वक्तव्य पढ़ा उसमें जो बालक को अयोग्य आदि बताया गया है, वह हिस्सा सही रूप से सुनाई नहीं दिया।

अध्यक्ष : सदस्यों को प्रश्न पूछ लेने दीजिये इसके बाद मैं उन्हें कह दूँगा, वे पुनः पढ़कर सुना देंगे।

श्री भूरेलाल फिरोजिया : अध्यक्ष महोदय, यह घटना अत्यंत गंभीर है, शासन जानबूझकर इसमें जानकारी छुपाना चाहता है।

श्री मोहनलाल सेठिया (गरोठ) : अध्यक्ष महोदय, सदन में मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है, वह बिल्कुल निराधार है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन से निवेदन करना चाहूँगा कि यह बहुत ही गम्भीर घटना है और इसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है वह सत्य से परे है, घटना को इधर-उधर करने के बाद भी मंत्री महोदय उसकी सत्यता को स्वीकार कर रहे हैं और इसीलिये महिला आरक्षक को निलंबित करने की कार्यवाही की गई है। कोसरू को काफी गम्भीर चोटें मारपीट के दौरान आई हैं। कोसरू के सामने उसके लड़के तथा पत्नी को नंगा कर लड़के

को माँ के साथ अनुचित व्यवहार करने को बाध्य किया गया। लड़के के ऐसा करने से मना करने पर उसे निर्ममता से पीटा गया तथा उसकी माँ का गर्भ ही गिर गया। जो घटना है उसको छिपाने के लिये शासन लीपापोती कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह घटना इस प्रदेश के ऐसे गरीब तबके के साथ हुई है, जो अपनी बात कह भी नहीं पाता, अपनी रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पाता। उसकी डॉक्टरी चिकित्सा के लिये डॉ. ने मना कर दिया। डॉक्टरी रिपोर्ट देने से भी मनाही कर दी। इस प्रकार से अधिकारियों के मिले-जुले षड्यंत्र से गरीबों के साथ अत्याचार हुआ। अतः अध्यक्ष महोदय, घटना की गम्भीरता को देखते हुए मैं निवेदन करूँगा कि आज सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा की जाये।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकरण की ओर माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है, यह प्रकरण निश्चित ही गंभीर प्रकरण है और पुलिस के द्वारा इस प्रकार के व्यवहार को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस प्रकरण में जानकारी मिलने के बाद जो कार्यवाही की जा सकती थी, वह की गई है। जिनके खिलाफ आरोप है, उन्हें बन्दी बनाया जा चुका है और न्यायालय में उनके विरुद्ध प्रकरण चलाया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से इस विषय पर कुछ और बात भी सदन के सामने कहना चाहता हूँ। पुलिस की जिम्मेदारी उस दिशा में कार्यवाही करने की है। उस कार्यवाही को नियम और कानून-कायदे के अंतर्गत पूरा करना, यह पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है। लेकिन यदि यह कार्यवाही बर्बरता की सीमा पर ले जाने के लिए हो तो इस बात को यह शासन कभी बर्दास्त नहीं करेगा और इसलिए मैंने यह उचित समझा कि पुलिस और साधारण नागरिकों के बीच में अच्छे संबंध और व्यवहार, न्यायिक प्रक्रिया को पूरी तरह से प्रभावित करने के लिए, नागरिकों के हितों का संरक्षण करने के लिए होना चाहिए। जिस पर अलग से गंभीरता से विचार होना चाहिए। इसीलिये हमने यह निर्णय लिया है कि एक 3 सदस्यीय समिति किसी अशासकीय व्यक्ति की अध्यक्षता मे गठित करेंगे। (मेजों की थपथपाहट) उन नामों की घोषणा मैं सोमवार को करूँगा, जो इस प्रश्न पर गहराई से विचार करेगी और शासन को अपने सुझाव देगी और शासन द्वारा उन सुझावों को क्रियान्वित करने का प्रयास किया जायेगा। जहाँ तक इस प्रकरण का प्रश्न है, इसमें मेरे दृष्टिकोण से केवल एक ही बात मेरी नजर में आई और वह यह है कि घटना 21 जून की है और 2 जुलाई को इसकी सूचना शासन को मिली। अपने आप में यह उचित नहीं है और इसलिए प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को ये आदेश दिये जायेंगे कि इस प्रकार की घटनाएँ जो पुलिस की ज्यादती की हों, हरिजन-आदिवासी और कमजोर वर्ग पर अत्याचार की हों, उसकी तुरन्त जानकारी दें और उचित कार्यवाही करें। यदि इस प्रकार की कार्यवाही को रोककर या इस प्रकार की अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया गया, तो नियमों के अनुसार पुलिस अधीक्षकों को जिम्मेदार ठहराकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।

अध्यक्ष : (माननीय सदस्य श्री नगीन कोचर के खड़े होने पर) आप बैठिए, कोचर जी। मुख्यमंत्री जी ने इसका स्पष्टीकरण दे दिया है, वह पर्याप्त है।

श्री नगीन कोचर : अध्यक्ष महोदय, चूँकि आज सत्र का पहला दिन है और स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बीच परंपरा से हटकर इसको रखा गया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके वक्तव्य के लिये बधाई देना चाहता हूँ और आगे भी इसी प्रकार शासकीय अधिकारियों द्वारा अत्याचार और इस प्रकार की घटना होगी, तो मुख्यमंत्री जी इसी प्रकार का रुख अपनायेंगे, ऐसी आशा है।

अध्यक्ष : सदस्यों के विचार और मुख्यमंत्री महोदय का वक्तव्य सुनने के बाद, मैं इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

डॉ. परशुराम साहू : अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि मैंने कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व के प्रश्न उठाये हैं, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से; परन्तु आपका संरक्षण नहीं मिल रहा है। मेरे जिले बालाघाट में एण्टीफिलाइटिस से 33 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 55 बीमार हैं। और इसके बावजूद भी इस सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर यदि शासन विचार नहीं करेगा या सदन विचार नहीं करेगा तो मौतें होती रहेंगी और इस प्रकार की घटनाएँ चलती रहेंगी। यह एक सार्वजनिक महत्व का प्रश्न है। बालाघाट की घटना जनहित से जुड़ी हुई है और जनजीवन खतरे में है।

श्री मोतीलाल वोरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि माननीय

विधायक, श्री परशुराम जी साहू किस नियम के अन्तर्गत यह भाषण दे रहे हैं। वे मंत्री रह चुके हैं जनता शासनकाल में। क्या माननीय साहू जी सदन का समय जबरदस्ती बर्बाद करना चाहेंगे, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर उन्हें नियमों का ज्ञान नहीं है तो कृपया नियम पढ़कर आयें। (व्यवधान)।

अध्यक्ष : स्पष्ट बात यह है कि अभी उन्हें इधर-से-उधर आने में कुछ समय लगेगा। (व्यवधान)

श्री परशुराम साहू : अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर सामंतवादी लोग आतंक कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष : आप इस बारे में मेरे कक्ष में आकर चर्चा कर लीजिए।

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, यही सामंतवादी यहाँ बैठे हैं। यह इनका ही कुचक्र हो सकता है।

अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

श्री कृष्णपालसिंह (विधि और विधायी कार्यमंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 213 के अपेक्षानुसार मैं कार्यसूची के पद क्रमांक 1 में अंकित सात अध्यादेशों को सभा के पटल पर रखता हूँ।

(1) मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (क्रमांक 5, सन् 1980)।

(2) मध्यप्रदेश नगर सुधार न्यास (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (क्रमांक 6, सन् 1980)।

(3) मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन तथा विधि-मान्यकरण) अध्यादेश, 1980 (क्रमांक 7, सन् 1980)।

(4) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (क्रमांक 8, सन् 1980)।

(5) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (क्रमांक 9, सन् 1980)।

(6) मध्यप्रदेश वास-स्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) अध्यादेश, 1980 (क्रमांक 10, सन् 1980)।

(7) मध्यप्रदेश ग्रामों में की दखलरहित भूमि (विशेष उपबन्ध) संशोधन अध्यादेश, 1980 (क्रमांक 11, सन् 1980)।

श्री मोतीलाल वोरा (दुर्ग) : (डॉ. राजेन्द्र जैन, श्यामसुन्दर पाटीदार, अच्युतानन्द मिश्र, बंशीलाल धृतलहरे, मथुराप्रसाद दुबे, चित्रकांत जायसवाल, फूलचंद बाफना, बी.आर. यादव, बैजनाथ पहाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 138 (1) के अधीन मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान निम्न अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वे इस पर अपना वक्तव्य देने का कष्ट करें।

विषय इस प्रकार है :— दिनांक 25 जून को बिलासपुर जिले के जरहा गाँव के पास रेहान नाला में मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की यात्री बस सी.पी.एच. 8642 नाले में पूर होने के कारण नाला पार करते समय पुल से नीचे गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यात्री बस में सवार 135 यात्रियों में से लगभग 75 यात्रियों के मरने की खबर ने सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में, विशेषकर बिलासपुर जिले में राज्य सड़क परिवहन निगम की लापरवाहीपूर्ण कार्यवाही के प्रति गहरा रोष व्यक्त किया है। दुर्घटनाग्रस्त बस में सवार नाले में गिरी बस के यात्रियों में से 55 व्यक्तियों के शव निकाले जा चुके हैं। नाले में पूर होने के बाद भी यात्री बस का नाले को पार करना तथा बस का दुर्घटनाग्रस्त होना, निगम के अधिकारियों की बस संचालन व्यवस्था को चुनौती है। नदी और नालों में पूर होने पर यात्री बसें नहीं निकाली जावें, ऐसे आदेश सख्ती के साथ दिये जाने चाहिये।

श्री मुनिप्रसाद शुक्ला (राज्य मंत्री गृह) : 1. अध्यक्ष महोदय, दिनांक 25-6-80 को बिलासपुर डिपो के वाहन क्रमांक सी.पी.एच. 8642, बिलासपुर से मुंगेली जाते समय लगभग 37 किलोमीटर दूर जरहा गाँव में रेहान नदी के पुल को पार करते समय दिन को लगभग 3 बजे गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन 1979 मॉडल का था और उसे फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त था।

2. अब तक कुल 57 व्यक्तियों के शव मिले हैं और 45 यात्री बचा लिये गये हैं। इस प्रकार बस में चालक तथा परिचालक को मिलाकर 102 व्यक्ति थे। जरहा गाँव में किसी भी यात्री का बुकिंग नहीं किया गया था।

3. पुल या पुलिया पर पानी होने पर ड्रायवर बसों को उस पर से न निकालें, ऐसे निर्देश राज्य परिवहन निगम के परिपत्र क्रमांक 1206, दिनांक 21-6-1969 द्वारा निकाले गये थे। आदेश क्रमांक 1034, दिनांक 1-1-71, ट्राफिक सरक्यूलर क्रमांक 97, दिनांक 24-7-71, सरक्यूलर क्रमांक 352, दिनांक 27-5-74, सरक्यूलर क्रमांक 11,

दिनांक 9-5-76, सरक्यूलर क्रमांक बिल दिनांक 4-6-78 द्वारा इन निर्देशों को पुनः दुहराया गया। कुछ समय पूर्व आदेश क्रमांक 20516, दिनांक 20-5-80 द्वारा निगम के अधिकारियों और समस्त चालकों का इस ओर पुनः ध्यान आकर्षित किया गया और यह हिदायत दी गई कि पुल या पुलिया पर थोड़ा-सा भी पानी होने पर वाहन पार करने की कोशिश न की जावे।

4. कलेक्टर, बिलासपुर ने दुर्घटना की मजिस्ट्रीरियल जाँच आदेशित कर दी है और एस.डी.एम. मुंगेली द्वारा जाँच की जा रही है। मुंगेली पुलिस थाने में जुर्म क्रमांक 144/1980, धारा 304-ए भा.द.स. कायम किया गया है और चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। चालक को निगम की सेवा से पृथक करने के आदेश दे दिये हैं; क्योंकि उसने पुल या पुलिया पर तथा रपट पर थोड़ा-सा भी पानी होने की दशा में वाहन पार नहीं करने के आदेशों का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप यह घटना हुई है। दुर्घटना का समाचार मिलते ही निगम के अधिकारी तथा अन्य स्थानीय व्यक्ति तत्काल दुर्घटना स्थल पर पहुँचे तथा उन्होंने समस्त घायलों को सहायता पहुँचाने और शवों को निकालने की आवश्यक व्यवस्था एवं कार्यवाही की। दिनांक 26-6-80 को माननीय भंवरसिंह पोर्ते, राज्य मंत्री, विधायकगण तथा अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचे। राज्य शासन द्वारा मृतक यात्री के परिवार को रुपये 2,000 तथा आहतों को रुपये 500 देने के निर्देश दिये गये हैं। बचाव कार्य में सहयोग देने वालों को प्रशस्ति-पत्र देने के निर्देश दिये गये हैं। परिवहन निगम द्वारा प्रत्येक मृतक के परिवार को रु. 1,000 तथा आहत को 500 रुपये एक्सग्रेसिया पेमेण्ट स्वीकृत किये गये हैं, जिसका भुगतान भी दिनांक 26-6-80 को ही प्रारम्भ कर दिया गया था। अब तक 42,500 रुपया वितरित किया जा चुका है। मोटर एक्सीडेण्ट क्लेम्स ट्रिब्यूनल के निर्णयों के पश्चात् पूरा कम्पेनसेशन परिवहन निगम द्वारा तत्काल कर दिया जावेगा।

5. प्रारम्भ में तखतपुर अस्पताल में 9 तथा जिला अस्पताल, बिलासपुर में 6, कुल 15 यात्रियों को प्रारम्भिक उपचार के लिये भर्ती किया गया था। दिनांक 27-6-80 तक जिला चिकित्सालय, बिलासपुर में केवल 4 व्यक्ति ही भरती थे, जिनकी हालत गंभीर नहीं है। परिवहन निगम को यह आदेश पुनः दिये गये हैं कि वह सुनिश्चित करे कि कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा नियमों का पालन कड़ाई से किया जावे।

अध्यक्ष : श्री मोतीलाल वोरा कोई पूछने का सवाल है क्या?

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्षों में मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम की हालत वैसी हुई है, जैसी हालत इस प्रदेश की जनता पार्टी की सरकार ने साढ़े चार करोड़ लोगों की कर दी थी ..... (व्यवधान)

डॉ. परसुराम साहू : प्वाइंट-ऑफ ऑर्डर श्री मोतीलाल वोरा मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष बनना चाहते हैं।

अध्यक्ष : मैं जैसा समझ पा रहा हूँ कि प्वाइंट ऑफ ऑर्डर इस बात के लिये है कि मुख्यमंत्री इनको मंत्री पद दे दें, यह कहना है आपका?

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना कह सकता हूँ कि मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम का जब तक मैं उपाध्यक्ष रहा, इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, जितनी बड़ी जनता पार्टी के शासन काल में हुई, यह मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ।

श्री बाबूलाल गौर : आज भी क्या जनता पार्टी का शासन है?

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल वोरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जो हालत तीन साल में पूरे प्रदेश की हुई, वही हालत मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम की हुई है। यह जो 55-57 व्यक्तियों की मृत्यु 25 जून को हुई है, उसे टाला जा सकता था। मगर सुरक्षा नियमों के पालन में किसी प्रकार की कड़ाई नहीं आई ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि नदी नालों में पूर होने पर यात्री बस नहीं निकाली जायेंगी, यह हमारा आदेश था। उन आदेशों का पालन नहीं किया गया। अगर आदेशों का पालन हुआ होता तो निश्चित रूप से यह दुर्घटना न होती। मैं माननीय राज्यमंत्री को धन्यवाद दूँगा कि वे त्वरित गति से कार्यवाही कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष : धन्यवाद आदि के लिये प्रस्ताव आ रहा है। सवाल हो तो पूछ लीजिए।

श्री भूरेलाल फिरोजिया : माननीय वोराजी बहुत पुराने सदस्य हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और श्रीमान् से पूछना चाहता हूँ कि नलखेड़ा में जो दुर्घटना हुई है, उसकी लिखित में ड्राइवर की रिपोर्ट है कि गाड़ी चलने लायक नहीं है, उस समय जनता पार्टी का शासन था या श्रीमान् का? यही मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

अध्यक्ष : आपका सवाल अच्छा है, पर यह व्यवस्था का सवाल नहीं है।

डॉ. परसुराम साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घटना जो घटी है यह वर्तमान शासन के कार्यकाल में घटी है, इसलिये यह शासन इससे बच नहीं सकता। यह असफलता इस शासन की है। यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष : इसमें कोई व्यवस्था की बात नहीं आती।

श्री अच्युतानन्द मिश्र : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि दरअसल इस यात्री बस में 125 आदमी इसलिये बैठे थे कि पिछली सरकार में ओवरलोड की सवारियाँ बैठने के लिये इजाजत देकर अनियमितताएँ करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था .....। (व्यवधान) आप बैठ जाइए (श्री बाबूलाल गौर की ओर देखते हुए) (व्यवधान)

श्री बाबूलाल गौर : अध्यक्ष महोदय, इनको इस तरह बोलने का अधिकार नहीं है कि आप बैठ जाइए। (व्यवधान)

अध्यक्ष : मेरी कठिनाई यह है कि जो मेरा काम है बैठाने का उसका निपटारा आप आपस में ही कर लेते हैं। मेरा काम मेरे जिम्मे रहने दीजिए। मंत्रीजी का जवाब आप आने दें, फिर बोलिए।

श्री अच्युतानन्द मिश्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण 125 सवारियाँ इसमें बैठी थीं और यही दुर्घटना का मुख्य कारण है?

श्री मुनिप्रसाद शुक्ला (गृह राज्य मंत्री) : जी हाँ।

(व्यवधान)

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, क्या 130 सवारियाँ ड्राइविंग कर रही थीं या गाड़ी को ड्राइवर चला रहा था?

अध्यक्ष : आप यह कह सकते हैं कि सवाल मिली भगती का है।

श्री शीतला सहाय : माननीय अध्यक्ष महोदय, 28 फरवरी 1980 और 18 फरवरी 1980 तक जनता पार्टी की सरकार को भंग कर दिया गया था और 18 फरवरी से लेकर क्या आज तक यह सरकार इतनी असमर्थ रही कि अपनी नीतियाँ नहीं बना पाई?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व मंत्री से मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी बहुत-सी नीतियाँ थीं, जिनके बारे में हमें समय इसलिये लग रहा है कि हम जहाँ हाथ लगा रहे हैं, वहीं कुछ चीज नजर आ रही है। इसलिये आप विश्वास रखिए कि जो अच्छे काम आपने किये होंगे, उन अच्छे कामों को तो हम चालू रखेंगे और उनको सुधारने की दिशा में प्रयास जरूर होंगे।

श्री शीतला सहाय : माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात सुनकर उत्तर देने की कृपा की, इसलिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मैं उनकी सामर्थ्य को चुनौती दे रहा हूँ कि जितनी गड़बड़ियाँ उन्होंने पाई हैं, वह 3 महीने में ही आपने पाईं, क्या वे उन्हें 5 साल में सुधार देंगे?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अच्युतानन्द मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी को चुने जाने को सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं, आप 3 महीने कहाँ से लगा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूँ परन्तु उससे पूर्व चूँकि आपको प्रश्न नहीं करना चाहिए इसलिये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, उसके संबंध में और भी माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था तो ऐसी स्थिति में उचित होता है कि सभी सदस्यों के नाम उसमें समावेश कर लिये जायें।

अध्यक्ष : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जितने सदस्यों का होगा, सबके नाम मैंने वहाँ पढ़कर सुना दिये। देखिए एक बार मैं फिर, सुना देता हूँ। जो ध्यानाकर्षण इस समय हमारे कार्यालय से प्राप्त हुए हैं, उनके नाम पढ़कर सुनाता हूँ। श्री मोतीलाल वोरा, डॉ. राजेन्द्र जैन, श्री श्यामसुन्दर पाटीदार, श्री अच्युतानन्द मिश्र, श्री बंशीलाल धृतलहरे,

श्री मथुरा प्रसाद दुबे। अब यदि किन्हीं सदस्यों के नाम रह गये हों तो मैं जोड़ देता हूँ।

श्री कैलाश जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब कोई सदस्य सदन में व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत करे तो कृपा करके उसे सुनें और उसको सुनने का मौका दें।

औचित्य प्रश्न

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्त्ता के अतिरिक्त अन्य सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं दिये जाने के संबंध में

श्री शिवकुमार श्रीवास्तव (सागर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव आपके समक्ष आया है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह प्रावधान है कि धारा 138 में जो सदस्य ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, उन सब सदस्यों को यह अधिकार होता है कि वे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रश्न कर सकें। परन्तु उन्हें प्रश्न करने का अधिकार नहीं है, जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। मेरे मत में विरोध पक्ष में बैठे हुए उन सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं दिया जा सकता जिन सदस्यों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में हस्ताक्षर नहीं थे।

अध्यक्ष : इस संबंध में, मैं कहना चाहता हूँ कि नियम जो आपने पढ़ा है, यह बिल्कुल उचित है। जिन सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है, उन सबके नाम एक-एक कर पुकार रहा हूँ।

ऐसी स्थिति में यह बात जरूर है कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जब कभी यह आवश्यक समझा जाये उस समय अध्यक्ष उस नियम को शिथिल करके विशिष्ट स्थितियों में विशिष्ट व्यक्तियों को बोलने का मौका दें। मैंने जैसा मौका अभी अर्जुनसिंह को दिया, वैसा ही इनको दिया। अब इस प्रश्न पर मैं किसी को बोलने नहीं दूँगा। अब आप बोलिए।

श्री कैलाश जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी नम्रता से मुख्यमंत्री महोदय से प्रश्न करना चाहूँगा कि यह घटना बड़ी गम्भीर है, इसमें कई लोगों की मृत्यु हुई है, उसको विभाग के मंत्रीजी ने बड़े ही हल्के ढंग से कह दिया है। अगर इस तरह की घटनाएँ होती रहेंगी तो यह मध्यप्रदेश की जनता के जीवन से खिलवाड़ होगा और उस पर मंत्रीजी इतनी हल्की तरह से उत्तर दें तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इस घटना पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

श्री शिवकुमार श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब यह घटना घटी थी तो विरोधी पक्ष के लोगों को भी मालूम हो गया था और हमारे विधानसभा के नियम भी इस सम्बन्ध में बने हुए हैं, यह उनको पढ़ सकते थे और उस पर अपनी ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दे सकते थे, वह इन्होंने रखा नहीं है.....

अध्यक्ष : निश्चित ही यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इस ध्यानाकर्षण में जितने नाम आये हैं, उनको मैंने पढ़कर सुना दिया है। इसमें आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं है।

श्री कैलाश जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री महोदय से बड़े ही नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ और यह पूछना चाहता हूँ जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि राज्य परिवहन निगम की बसों में जनता पार्टी के शासनकाल में ओवर-लोडिंग को चैक नहीं किया गया था ओवर-लोडिंग के कारण ही यह दुर्घटना हुई है। क्या इसके और दूसरे कारण नहीं थे तथा यदि ओवर-लोडिंग ही था, तो उसको रोका क्यों नहीं गया। दूसरा प्रश्न यह है कि पिछले 3 साल में राज्य परिवहन निगम की बसों की जितनी दुर्घटनाएँ नहीं हुई हैं उतनी इन ढाई महीनों में हुई हैं। केवल यह कहना कि जनता पार्टी के शासनकाल में यह गड़बड़ी थी, वह गड़बड़ी थी, इसलिए यह हो गया, अत्यन्त अनुचित है। मैं तो आपसे कहता हूँ कि हमारे शासनकाल में कोई गड़बड़ी थी तो उसकी आप जाँच करवाइये और अगर किसी मंत्री ने कुछ किया है तो उसको आप फाँसी की सजा दीजिए। लेकिन यह कब तक चलेगा? हमारे काल के कारनामों को कोसते रहेंगे कि कुछ करेंगे भी। प्रदेश का हर समझदार व्यक्ति यह जानता है और एक-न-एक अखबार में राज्य परिवहन निगम की बसों के बारे में इन दिनों रोज आता ही रहता है। हर रोज समाचार-पत्रों में राज्य परिवहन निगम की प्रशस्ति आती रहती है लेकिन किस अधिकारी को आपने दण्ड दिया। मंत्रीजी तो नये हैं इसलिये इन्होंने इतनी आसानी से उत्तर दे दियाहै लेकिन आप पर विश्वास है कि आप घटना की गंभीरता को ध्यान में रखेंगे और उसकी पूरी-पूरी जाँच करायेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे जिससे भविष्य

में इस प्रकार की घटनाएँ न हों।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, बागली से आये माननीय सदस्य को इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है, प्रदेश की जनता के जीवन का प्रश्न है। इसके लिये जितने भी आवश्यक प्रयास किये जा सकते थे, वे किये गये हैं। घटना के सम्बन्ध में जितनी कार्यवाही आवश्यक थी, वह सब की गई है। इस प्रकार की गड़बड़ी कभी भी नहीं होना चाहिए और दूसरों का नुकसान नहीं होना चाहिए। यह सत्य है कि जो भी कायदे-कानून इस सम्बन्ध में बने हुए हैं, उन पर जो कार्यवाही होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई है। वह कार्यवाही किन कारणों से नहीं हुई है, इसका मैं यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ। चाहे जो कारण रहे हों, हम इतने सक्षम हैं कि उसको ठीक कर सकते हैं और यह हमारा दायित्व भी है। इस शासन की यह मंशा नहीं है कि वह आपके शासन को कोसता रहे और अपनी जिम्मेदारी से बचता रहे। हम अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझते हैं और उसको पूरा करेंगे।

श्री चित्रकान्त जायसवाल (बिलहा) : अध्यक्ष महोदय, जरहा गाँव के पास नाले में दुर्घटना हुई, उससे बिलासपुर जिले के लोग ही नहीं पूरे प्रदेश के लोग स्तब्ध हैं, बड़े दुखी हैं। हमारे विपक्ष के साथी माननीय सदस्य बहुत नाराज हो रहे हैं। जब अभी माननीय सदस्य श्री मोतीलाल जी वोरा ने कहा कि पिछले 3 साल की नीतियों के कारण ऐसा हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ कि .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : वर्माजी और दूसरे सभी माननीय सदस्य बैठ जायें और बात को शांति से सुनें।

श्री चित्रकान्त जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात कही, वह किसी बैक ग्राउण्ड में कही है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है कि पिछले शासन के समय ऐसे आदेश दिये गये थे, जिसके अन्तर्गत हर गाड़ी के लिये, हर रूट के लिये कम से कम 10 प्रतिशत टारगेट बढ़ाया जाता रहा है, जितनी भी सवारी हों। मान लीजिये 80 सवारी हैं, तो 10 प्रतिशत का टारगेट हर बस का हर वर्ष बढ़ाया जाये, क्या यह बात सही है?

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल (राज्य मंत्री गृह) : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में जितनी गाड़ी में सामर्थ्य थी, उससे ज्यादा टारगेट फिक्स नहीं किया गया और यह प्रश्न जनता शासन के समय से चला आ रहा था और वही अब तक चला आ रहा है। टारगेट फिक्स करने में ओवर-लोडिंग कभी नहीं किया जाता।

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, ऐसे कभी भी आदेश नहीं दिये गये कि 115-125 सवारियाँ भेड़-बकरियों के समान भरी जायें। हमारे जमाने में हमने कभी ऐसे आदेश नहीं दिये थे। इसमें प्रश्न बोनस योजना का कतई नहीं था।

श्री बाबूलाल गौर : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने अभी जो उत्तर दिया कि जनता शासन की नीति के कारण यह स्थिति निर्माण हुई है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह बोनस योजना कबसे प्रारंभ की गई थी? इस बात को स्पष्ट किया जाये कि यह योजना जनता शासन के समय से लागू की गई या काँग्रेस शासन के समय से?

अध्यक्ष : अब यह बोनस योजना यहीं समाप्त होती है।

श्री चित्रकान्त जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि ऐसे आदेश हैं। यदि मंत्रीजी के पास जानकारी नहीं है, तो वे राज्य परिवहन निगम से प्राप्त कर लें कि ऐसे आदेश हैं कि नहीं कि हर साल 10 प्रतिशत का टारगेट बढ़ाया जाये, हर बस के लिये। यदि ऐसे आदेश हैं तो उसको वापस लें, अन्यथा आये दिन इस प्रदेश में इस तरह की घटना होती रहेंगी। पिछले 3 साल का पाप हमको भुगतना पड़ रहा है।

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : एक बस में जितनी सवारी की क्षमता होती है, उससे ज्यादा भरने की इजाजत नहीं है।

अध्यक्ष : शब्दों का चयन ठीक कर लें, क्योंकि गलत शब्द भी असंसदीय है।

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने पहले जी हाँ कहा, बिना सोचे-समझे और अब वे उसमें संशोधन कर रहे हैं, तो दोनों में कौन-सी बात सही है?

अध्यक्ष : सही बात तो घटना से ही सम्बन्धित है।

डॉ. राजेन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, नलखेड़ा के पास जिस बस दुर्घटना का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है और जिसके सम्बन्ध में मैंने भी कहा है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नलखेड़ा के पास हुई बस दुर्घटना में, जिसमें कि 40 व्यक्ति मारे गये क्या वह दुर्घटना जनता पार्टी के एक भू.पू. मंत्री का उक्त बस में पेट्रोल ले जाने के कारण हुई थी?

अध्यक्ष : यह इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में नहीं है। इसके लिये आप दूसरा प्रस्ताव लाइए।

श्री मथुराप्रसाद दुबे (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो जरहा गाँव की घटना है, वह बड़ी दुखद है। निगम का जो सुपरवाइजरी स्टाफ है, वह कुछ देखता नहीं है। मुझे भी वहाँ बस में बैठने का मौका मिला है। मैं जितनी देर बस में बैठा रहा उतनी देर ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि हे ईश्वर, मुझे अगले बस स्टाफ पर सकुशल उतार दो। नहीं तो अध्यक्ष महोदय, वहाँ आदमी की जान का कोई ठिकाना नहीं है। उसके लिये माननीय सदस्य कहते हैं कि जब लोग बस में बैठें तो अपने जीवन का बीमा करा कर बैठें। क्योंकि बस में न तो कोई स्टैपनी लेकर चलते हैं, न कोई देखने वाला है, न कोई इस बात का इन्श्योरेन्स ही होता है। यह जो घटना हुई है इसमें कम से कम 50-60 आदमी मर गये हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इस घटना की पूरी तरह से छानबीन करके कार्यवाही करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न हो। इस घटना में सुपरवाइजरी स्टाफ की भी लापरवाही थी, क्या यह भी जाँच में देखने की कृपा करेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय दुबे जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अभी जितने भी प्रकरण सामने आये हैं, उनके सारे तथ्य इन्क्वायरी के माध्यम से सामने आयेंगे। यातायात में सुविधा की दृष्टि से बसों में टारगेट बढ़ाने का आदेश है या नहीं है, इसकी भी जानकारी मिल जायेगी और जैसा कि कहा गया कि सुपरवाइजरी स्टाफ की लापरवाही थी, तो उसके तथ्य भी सामने आ जायेंगे।

श्रीमती चन्द्रकान्ता खोड़े : अध्यक्ष महोदय, बम्बई-आगरा रोड पर भैरो घाट पर जो बस दुर्घटना हुई है, उसका कारण यह है कि भैरों घाट पर जो दीवारें बनी हैं, वे छोटी-छोटी दीवारें बनी हैं, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इस खामी की ओर भी ध्यान देंगे?

अध्यक्ष : सारी बातों पर विचार होने वाला है।

विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को मुख्य विरोधी दल की मान्यता संबंधी घोषणा

अध्यक्ष : जैसा कि सदन को ज्ञात है, वर्तमान विधानसभा के अन्दर विरोधी दलों में सबसे अधिक सदस्य संख्या भारतीय जनता पार्टी की है तथा उनकी संख्या गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्य संख्या से अधिक है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को सदन का मुख्य विरोधी दल तथा उसके नेता श्री सुन्दरलाल पटवा को विरोधी दल का नेता घोषित करता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इस घोषणा ने इस सदन में विरोधी दल को न केवल एक औपचारिक मान्यता दी है, बल्कि हम सबको इस बात के लिये आश्वस्त किया है कि इस प्रदेश के अन्दर प्रजातंत्र के माध्यम से, जनप्रतिनिधि की हैसियत से हम सब इस सदन में अपने कार्य को सही ढंग से सम्पादित करेंगे ताकि हम सबका जो सामूहिक लक्ष्य है, इस प्रदेश के सर्वहारा वर्ग का संरक्षण, प्रदेश का चहुँमुखी विकास और प्रदेश में प्रजातंत्र की मान्यताओं को सुदृढ़ बनाने का संकल्प, इन सब में विरोधी दल के नेता के रूप में श्री पटवा का पूरा योगदान हम सबको लाभान्वित करेगा, ऐसी मेरी आशा है और ऐसा मेरा विश्वास है। शासन की ओर से मैं यह कहना चाहूँगा कि विरोधी दल और उनके नेता को सदन के अन्दर और सदन के बाहर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हर सम्भव सुविधाएँ और अवसर प्रदान करना, मैं अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझता हूँ। यह कहना मुझे आवश्यक तो नहीं है, फिर भी पिछले वर्षों के सन्दर्भ में उसको यहाँ पर कहना मैं आवश्यक समझता हूँ कि आप केवल विरोधी दल के नेता नहीं हैं, सही माने में इस प्रदेश के शासन तंत्र को संचालित करने में, जो प्रजातंत्र का ढाँचा है, उसके एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य अंग हैं। मेरा प्रयास होगा कि आपके और आपके

दल के सभी साथियों के सहयोग और परामर्श से शासन पक्ष अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से इस प्रदेश की जनता की सेवा करे।

श्री सुन्दरलाल पटवा (सीहोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह जी का आभारी हूँ और हृदय से आपके, उनके तथा सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के प्रति अपनी विनम्र कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। सदन के माननीय नेता ने अपने विचार प्रकट करते समय जिन भावनाओं की अभिव्यक्ति की है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। श्रीमान् आपको ज्ञात है और सदन के माननीय नेता भी जानते हैं कि पिछले दिनों मैंने सार्वजनिक रूप से इस बात को बार-बार दुहराया है, कई बार कहा है और मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि परिवर्तन के अनेक दौर से निकलकर, कटुता और कर्कशता के दौर से निकलकर हम और आप सब एक ऐसी परिपक्व स्थिति में पहुँचे हैं कि केवल हमारे कथन में ही नहीं हमारे व्यवहार में भी परिलक्षित होगा कि हम एक परिपक्व राजनीतिक दल और परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, और सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष एक दूसरे के शत्रु अथवा विरोधी नहीं अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम इसी भावना से कार्य करेंगे तो अपनी इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से पूरा कर सकेंगे। जो प्रदेश की साढ़े चार करोड़ जनता ने हमारे ऊपर डाली है। मैं इस अवसर पर सदन के नेता और सत्तापक्ष के नेता से एक विनम्र निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि जब आप यहाँ बैठे थे, तो आपने कई भूलें की होंगी, जब हम बैठे तो हमने कई भूलें की होंगी। किसी को भी यह अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए, यह नहीं मानना चाहिए कि हम परम परमेश्वर हैं या देवता हैं या हमसे कोई गलती नहीं होगी। बुद्धिमान उसको कहते हैं, जो गलतियाँ हैं उसको कुबूल करले, दुहराएँ नहीं। गलतियाँ करते जायें और उनको दोहराते जायें तो वह बुद्धिमानी नहीं है। हम इस बात को कुबूल करते हैं कि सत्तापक्ष में बैठकर हम से भी गलतियाँ हुई हैं और उससे सीख लेना चाहते हैं। मैं सदन के नेता से अपेक्षा करूँगा कि जब आप यहाँ बैठे थे तब भी मैंने कहा था और बार-बार कहा था कि प्रतिपक्ष के समाने कभी-कभी मजबूरियाँ होती हैं, कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं, जिसे आप भी जानते हैं। थोड़ी-बहुत एक सीमा तक उच्छृंखलता या उद्दण्डता भी करते हैं, अगर विरोधी पक्ष कभी ऐसा करे, तो उसे आपको बर्दाश्त कर लेना चाहिए। जिम्मेदारी प्रतिपक्ष की कैसे विकसित हो, वह कैसे काम करे, यह जिम्मेदारी भी सत्तापक्ष के कंधों पर है।

श्री कृष्णपालसिंह (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पटवाजी के बहुत अच्छे विचारों की मैं प्रशंसा करता हूँ। क्या मैं अपेक्षा करूँ कि वे स्वीकार करेंगे कि जिस समय वे शासकीय पक्ष में थे, उस समय उन्होंने वह गम्भीरता नहीं दिखाई, जिसकी अपेक्षा उनसे की जाती थी।

अध्यक्ष : उन्होंने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि कुछ गलतियाँ हमने की होंगी। आप उसको रिपीट क्यों करना चाहते हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैंने खुले दिल से स्वीकार किया है और सत्तापक्ष में बैठने के बाद मैं श्री कृष्णपालसिंह जी से अपेक्षा करता हूँ कि परिपक्वता और अनुभव आने के बाद वे स्वीकार करेंगे कि विपक्ष में बैठकर सदन में लोटने, हाथी-घोड़े घुसाने की आजादी अगर आपको रही तो थोड़ी-बहुत आजादी तो आप हमें देंगे? आप लोग तो अध्यक्ष महोदय, की आसन्दी तक पहुँच गए, लेकिन हमें यहाँ खड़े होकर बोलने की आजादी तो देंगे कि नहीं?

श्री कृष्णपालसिंह : आप तो वहाँ नहीं पहुँचे लेकिन आपने जो जूता फेंका था वह वहाँ पहुँचा था।

श्री सुन्दरलाल पटवा : उस काण्ड को भी हमने कभी अच्छा नहीं माना, हमने उसकी प्रशंसा नहीं की, हमें उसका पश्चाताप है। मैं गलती स्वीकार करता हूँ, आप भी छोटा दिल मत करिए, आप भी अपनी गलती को स्वीकार करने की दरियादिली दिखाइए।

हाजी इनायत मोहम्मद (वक्फ पुनर्वास मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ "ऐ समन्दर देख ली हमने तेरी दरियादिली, तिश्न लब रखा, सदफ को बूँद पानी की न दी"।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आपके पहली बार बोलने की मैं तारीफ करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यही है कि अगर हम एक अच्छा वातावरण बनाकर इस सदन की कार्यवाही के संचालन में सहयोग करेंगे, तो हम

इस प्रदेश की साढे-चार करोड़ जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति करने के साथ ही साथ मध्यप्रदेश का यह सदन देश के अन्य सदनों का मार्गदर्शन कर सकेगा, इस अपेक्षा के साथ मैं आपको एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह जी को धन्यवाद देता हूँ।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/4 जुलाई 1980, पृष्ठ/ 38-47)

4 जुलाई 1980 को राज्यपाल के अभिभाषण पर सदस्य श्री राजेन्द्र जैन ने चर्चा प्रारम्भ की। प्रस्ताव पर संशोधन आये। 7 जुलाई को पुनः चर्चा प्रारम्भ हुई। विरोधी दल के सदस्य श्री कैलाश जोशी ने चर्चा शुरू की। चर्चा जारी रही। 8 जुलाई को श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। 9 जुलाई को भी चर्चा के दौरान अन्य माननीय सदस्यों ने कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट किये। इसी दिन मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने चर्चा का उत्तर देते हुए एक विस्तृत भाषण दिया। उन्होंने यह बात जोर देकर कही कि किसी प्रकार की वैमनस्यता, ईर्ष्या, कटुता और झगड़े का वातावरण अब इस प्रदेश में समाप्त होना चाहिए। इस प्रदेश में ऐसा अवसर आया है कि हम दलगत बातों को अलग रखकर एक रथ के दो पहियों की भाँति विकास के रथ को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास करें—

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों ने पिछले तीन दिनों से माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए जो विचार व्यक्त किये मैं उन सब माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने इस चर्चा के दौरान कुछ ऐसे सुझाव शासन तंत्र को गतिशील एवं संवेदनशील और इस प्रदेश के नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिये इस सदन में दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को यहाँ स्पष्ट करना उपयुक्त समझता हूँ कि जिस शासन की ओर से महामहिम राज्यपाल महोदय ने यहाँ पर कृपापूर्वक आकर अभिभाषण दिया है, यह शासन उस जनादेश के माध्यम से गठित हुआ, जो जनादेश इस प्रदेश के करोड़ों मतदाताओं ने उस पृष्ठभूमि में दिया, जहाँ पर कुछ लोगों के हाथ में विश्वास और आस्था के विरुद्ध सत्ता का खुलकर दुरुपयोग हुआ (तालियाँ) जहाँ इस प्रदेश को विनाश के कगार पर ले जाकर खड़ा कर दिया गया, यह जनादेश उस कगार को पीछे लाने का जनादेश था और उसके माध्यम से गठित यह शासन अपनी पूर्ण जिम्मेदारियों के साथ उस जनादेश का पालन करेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं वास्तव में पिछले शासन के कार्यकलापों का लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं करना चाहता, क्योंकि न केवल वह शायद सदन के समय का व्यर्थ में अपव्यय होगा, बल्कि उसके कहने का कोई औचित्य भी नहीं है, लेकिन कुछ बातों की ओर संकेत इसलिए करना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी वजह से आज भी इस प्रदेश के प्रशासन तंत्र को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, किसी भी शासन की, उसके क्रियाकलापों की, उसकी काम करने की शैली की जानकारी उसके प्राथमिक कार्यों से होती है। मैं इस सदन को इस बात की याद दिलाना चाहता हूँ कि जनता पार्टी के शासन ने पदारूढ़ होने के बाद जो कुछ अपने दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कदम उठाये, वह कौन-से थे? इस प्रदेश में उन हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व बलिदान करके देश को आजाद कराया, उसकी सुविधाएँ समाप्त कर दीं (शेम-शेम) इस प्रदेश में हमारे राष्ट्र की विभूतियों को शासकीय सदनों से निकालकर, जिनके आशीर्वाद और जिनके गरिमामयी जीवन से यह पूरा राष्ट्र पुलकित हुआ और आगे भी पुलकित होता रहेगा, उनमें से कुछ लोगों के खिलाफ, विशेषकर राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वियों के खिलाफ उनको परेशान करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए कुछ सही, कुछ असत्य मुकदमे बनाकर हजारों की संख्या में उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। अध्यक्ष महोदय, जिस लायकी और उत्तरदायित्व के साथ उन्होंने इस प्रदेश के शासन का भार संभाला था, उसकी लायकी और उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए अपने दल को भी उतना ऊपर

रखा होता, तो शायद वे आज वहाँ बैठे नहीं होते (तालियाँ) लेकिन इन्होंने इस शासकीय तंत्र का उपयोग दलगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया, जिसका शायद दूसरा उदाहरण इस मध्यप्रदेश के राजनीतिक इतिहास में नहीं है। मैं उन बातों का विशेष उल्लेख नहीं करना चाहता, क्योंकि वे व्यक्तिगत आक्षेप की परिधि में आयेंगी। स्वच्छ प्रशासन की बात कहकर जो कुप्रशासन इस प्रदेश में स्थापित किया गया, वह उनको ही मुबारक हो। इस प्रदेश के गरीब, हरिजन और पिछड़े वर्ग के लोगों की सेवा में रत रहने का संकल्प इस सदन में प्रस्तुत करके अपने शासनकाल में जो उनके प्रति संवेदना दिखाई, उनके प्रति जो जिम्मेदारी दिखाई वह इस प्रदेश के इतिहास का अंग है। न मैं उसमें कुछ जोड़ सकता हूँ और न मैं उसमें से कुछ घटा सकता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रशासनिक तंत्र में सभी मान्यताओं को चाहे वे प्रशासन को चलाने वाली रही हों या अन्य, उन मान्यताओं को जिनके आधार पर प्रशासन तंत्र हरदम संचालित होता है, एक-एक करके तोड़ा है। उच्छृंखलता, अनुशासनहीनता और दलगत स्वार्थ की नीति के आधार पर उनका उपयोग पूर्व के शासन ने किया है जिसके कारण प्रशासनिक तंत्र को जर्जर हो जाना पड़ा। उनके दायित्वों के प्रति जो आदर होना चाहिए, निर्वहन के प्रति जो आदर होना चाहिए वह समाप्त हो गया और समूचे प्रदेश के अन्दर प्रशासनिक अराजकता फैल गई। ऐसी खतरनाक स्थिति को हम सुधार तो सकते हैं। जो कुछ वे कर गए हैं उसका दोष मैं उन पर नहीं मढ़ सकता लेकिन जिन लोगों ने ऐसी हालत बनाई है, उसको 10 दिन में तो सुधारा नहीं जा सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि इस विशाल प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर फिर से उसे अपनी सही धुरी पर लाकर खड़ा करने में समय लगेगा और यह हमारा प्राथमिक कर्त्तव्य है, लेकिन वह जिम्मेदारी कुछ हद तक आपको भी बाँटनी पड़ेगी। मैं इस बात से आशान्वित हूँ कि इस जिम्मेदारी को बँटाने के बाद, जिसका उल्लेख विरोधी दल के नेता ने किया है, उनको आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि प्रशासन को चलाने में और उसमें सुधार करने में हर संभव स्तर पर उस सहयोग से इस प्रदेश में सुधार लाने की हम निरन्तर कोशिश करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जो इनके काम थे, उनके संबंध में मैं यहाँ पर कुछ कहूँगा। सर्वप्रथम उन 23 सौ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जिनकी नवम्बर 1977 से राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली सहायता महज इस वजह से समाप्त कर दी थी कि केन्द्र शासन से भी उनको सहायता मिल रही थी। शासन उन सभी को सम्मानपूर्वक प्रदेश से फिर से सहायता देना प्रारम्भ करेगा (मेजों की थपथपाहट) इसके पश्चात् शासकीय सेवाओं में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सेवा वृद्धि का प्रावधान था उसे 22-12-78 को समाप्त किया गया। उस प्रावधान को हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति फिर से स्थापित करते हैं और इन सेनानियों के आश्रितों को जितनी भी रियायतें शासकीय महाविद्यालयों में और अन्य जगहों पर भर्ती के संबंध में मिलती थीं, पुनः लागू करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राहत कार्य के संबंध में बहुत कुछ यहाँ पर कहा गया। फिर सवाल वही आयेगा कि शायद हम केवल आरोप लगाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सदन के अंदर इस बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है। इसलिए संक्षेप में, मैं सदन को स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि राहत कार्य बहुत ही व्यापक स्तर पर शासन को शुरू करना पड़ेगा, इसका आभास पिछले वर्ष अगस्त के प्रारंभ में ही शासन को हो गया था। उस समय फसल को देखते हुए, वर्षा को देखते हुए यह स्पष्ट दिखने लगा था कि बहुत व्यापक स्तर पर अकाल की स्थिति निर्मित होगी। यह मैं कोई अपना मत व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, यह मैं प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ कि उस समय तात्कालिक शासन को इस भयंकर परिस्थिति का सामना करने के लिये जो प्रारंभिक कार्यवाहियाँ करनी चाहिये थीं, जो कदम उठाना चाहिए थे, जो साधन जुटाना चाहिए थे, जो स्पष्ट निर्देश देना चाहिए थे, प्रशासनिक तंत्र को, उनका सर्वथा अभाव रहा और यही कारण है कि ज्यों-ज्यों स्थिति गहराती गई, स्थिति और भीषण होती गई, त्यों-त्यों दबाव बढ़ता गया और दबाव बढ़ने के आधार पर जो बातें थोड़े समय में जितने लोगों को खुश और संतुष्ट करने के लिए कीं, वे उचित नहीं थीं। समस्या का समाधान दबाव में आकर जो शासन करता है वह शासन अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाता है। किसी भी समस्या का आकलन करने की शासन की जिम्मेदारी है और उपलब्ध साधनों के अनुसार समुचित कार्य करने का तरीका शासन का होना चाहिए।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : क्या जनता शासन द्वारा राहत कार्य शुरू करने के लिए नोट तैयार नहीं किया गया, जिसमें माहवार मजदूरों को कार्य देने के बारे में बताया गया था? मई-जून के आखिर में 35 लाख लोगों को काम देने की आवश्यकता बताई गई थी। इसके पूर्व 25 लाख मजदूरों को जनवरी-फरवरी में काम की आवश्यकता होगी यह भी उसमें बताया गया था। पूरा का पूरा नोट आपके पास है। आपने तो उतना भी नहीं किया। कहीं पर भी जनता शासन ने ढिलाई नहीं दिखाई। मैं केवल आपसे निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : क्या यह सत्य नहीं है कि पूरे प्रदेश को अकालग्रस्त घोषित करने का निर्णय रात को 12-1 बजे के बीच लिया गया। क्या यह सत्य नहीं है कि उसकी घोषणा सदन में की गई और क्या यह भी सत्य नहीं है कि सबसे पहला आवंटन मुख्यमंत्री ने मंदसौर जिले को दिया?

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : पूरे प्रदेश के लिए किया गया था, एक जिले के लिए नहीं किया गया था।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, उनके पास इस बारे में कोई भी जानकारी हो तो इस सदन की कार्यवाही चलते समय दें। जो घोषणा की है वह सदन के रिकार्ड में है। पूरे प्रदेश के लिए आवंटन किया गया। पूरे प्रदेश को अकालग्रस्त घोषित किया गया। सदन ने माँग की थी कि पूरे प्रदेश की ऐसी स्थिति है। उसे यहाँ तोड़-मरोड़ कर नहीं रखना चाहिए।

श्री अर्जुनसिंह : पूरे प्रदेश को अकालग्रस्त घोषित करने के बारे में आपके शासन का जो मैनुअल है उसके अंतर्गत कौन-कौन से आदेश प्रसारित किये गये हैं। आप चाहेंगे तो समूची जानकारी की यह टीप माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए प्रस्तुत कर दूँगा। आपने अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी को नहीं निभाया। राजनैतिक आधार पर चुनाव से समय राहत कार्यों का उपयोग किया। राहत कार्यों का उपयोग करने के बाद भी जब लोकसभा चुनावों में पिट गये तो आपने राहत कार्यों को बन्द कर दिया। जब आपका शासन चला गया तब राज्यपाल महोदय ने प्रदेश में राहत कार्य चालू किये। शर्मा जी ने नोट लिखकर अपनी अलमारी में बंद कर लिया हो तो अलग बात है पर काम कुछ नहीं हुआ।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : राहत कार्य बंद करने के बारे में आदेश हों तो वे आदेश सदन में रखें।

श्री अर्जुनसिंह : सब चीजें आदेश से नहीं हुई थीं। सीधी जिले में जब चुनाव प्रचार करने गये थे तो वहाँ 50 हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने की घोषणा की थी।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : आपके पास कोई प्रमाण हो तो वह यहाँ पर रखें।

श्री बालकवि बैरागी : मंदसौर जिले को अकालग्रस्त घोषित करने की घोषणा की थी। वहाँ राजनैतिक अकाल था इसलिए उन्होंने घोषणा की थी (मेजों की थपथपाहट) वहाँ दुकानें खुली थीं।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : वहाँ वर्षों तक बंद थे, उनकी चिन्ता न करें।

श्री रामजी महाजन : ढाई साल में उन्होंने दूकान से काफी कमा लिया है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर अलग-अलग विभागों के संबंध में माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं समझता हूँ कि उन विभागों के संबंध में जो माननीय सदस्यों के विचार हैं उनका विभागों के मंत्रिगण अवश्य लाभ लेने की कृपा करेंगे। मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर अपने उत्तर को केवल भाषण की प्रक्रिया तक सीमित नहीं रखना चाहूँगा। हमारा यह प्रयास होगा कि जिन नीतियों पर महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है, जिन नीतियों में बंधकर हमारा दल इस प्रदेश में अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता है, केवल एक वर्ष में उन नीतियों के माध्यम से जो हमारे कार्यक्रम होंगे वे हमारे सही रूप को, दायित्व को सदन के प्रति और इस प्रदेश की जनता के प्रति प्रमाणित करेंगे। (थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, कानून और व्यवस्था के बारे में जो मोटी-मोटी बातें हैं उनका कुछ उल्लेख करना चाहूँगा। शांति और व्यवस्था का प्रश्न निश्चित रूप से किसी भी शासन के लिये न केवल महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है और इस बात को मैं इसलिये कहना चाहता हूँ कि शायद बार-बार घटनाओं का

उल्लेख करके यह फ़िजा पैदा करने की कोशिश की जाये कि शांति और व्यवस्था के संबंध में शासन उदासीन है या कुछ करना नहीं चाहता या कर नहीं पा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति के बचाव करने का प्रयास यहाँ नहीं करना चाहिये, लेकिन आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों को इस बात पर विचार करने के लिये आमंत्रित करता हूँ कि शांति और व्यवस्था को कायम रखने के लिये जिन लोगों का मूल रूप से उत्तरदायित्व है उनको हम किस प्रकार से काम करने की सुविधा देते हैं, किस प्रकार की उन पर जिम्मेदारी डालते हैं और वे उन जिम्मेदारियों को किस हद तक निभाते हैं और उसके परिणामस्वरूप हम क्या कर पाते हैं। मैं समझता हूँ कि इन तीन-चार बातों पर शांति और व्यवस्था का प्रश्न बहुत कुछ निर्भर करता है। मुझे दुख के साथ इस बात का उल्लेख करना पड़ रहा है कि अन्य प्रशासनिक क्षेत्रों की भाँति पुलिस विभाग में भी बहुत ही अनुत्तरदायीपूर्ण तरीके से कुछ पूर्व के माननीय मंत्रीगणों ने काम किया है। मैं यह नहीं कहता कि उसकी वजह से ही स्थिति बिगड़ी लेकिन एक वातावरण ऐसा पैदा हुआ कि शायद जिम्मेदारी डालना किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत आवश्यक नहीं। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि चूँकि यह शासन इस बारे में चिन्तित है और चूँकि यह शासन अपनी जिम्मेदारी के बारे में सजग है इसलिये शांति और व्यवस्था की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है उन जिम्मेदारियों को वहन करने का पूरा-पूरा उत्तरदायित्व शासन उन पर रखेगा। दायित्व पूरा करने के लिये वातावरण और उपयुक्त साधन देगा। उस जिम्मेदारी को बजाय पूरा करने के जो उससे बचने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही करने में शासन पीछे नहीं रहेगा। मैं सदन से इस बात का आग्रह करना चाहूँगा कि शांति और व्यवस्था के प्रश्न पर कृपया ..... (व्यवधान)

(एक माननीय सदस्य के खड़े होने पर)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। आपके नेता मौजूद हैं। यदि मुख्यमंत्री चाहेंगे उनको अनुमति देंगे।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, दूसरा महत्वपूर्ण विषय इस प्रदेश के लिये कृषि का है। इस प्रदेश में 80 प्रतिशत से ज्यादा लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। इसलिये कृषि के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहते हैं, इस प्रदेश के विकास के लिये, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, कृषि के क्षेत्र में, इस सूखे की स्थिति की वजह से उत्पादन में कमी आना स्वाभाविक है। प्रदेश में जब कोई भी इस तरह की दैवी आपत्ति आती है तब शासन को इस दुखद परिस्थितियों से निकलना पड़ता है, और जो जरूरी है कृषि उत्पादन के क्षेत्र में उसका उपयोग करना पड़ता है। जहाँ सूखे की स्थिति होती है उन स्थानों पर बीज का प्रबन्ध करना पड़ता है। मैं इस बात को स्वीकार कर सकता हूँ। किन्हीं स्थानों पर बीज प्रदाय न हुआ हो लेकिन इस प्रदेश के अन्दर जितना बीज इस साल उपलब्ध है, वह बाँटा गया है और दो लाख पिचहत्तर हजार क्विन्टल बीज बाँटा जा चुका है, आज तक इस प्रदेश के अन्दर किसी एक वर्ष में इतना बीज नहीं बाँटा गया। तकाबी के रूप में 10 1/2 करोड़ रुपया दिया गया और लोन के रूप में 13 करोड़। इस तरह 23 1/2 करोड़ रुपये इसके लिये दिये गये हैं और इतना ही नहीं, जो बीज हमने बाहर से मँगाया है उस बीज पर प्रशासन को जो अतिरिक्त व्यय करना पड़ा है वह दो करोड़ रुपये का है। यह अतिरिक्त व्यय शासन स्वयं वहन करेगा, उसका भार, इस प्रदेश के किसानों पर नहीं डाला जायेगा। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक फर्टिलाइजर का सवाल है, 1980-81 में रबी व खरीफ को मिलाकर 2.65 लाख टन बाँटना है, जबकि पिछले वर्ष कुल मिलाकर 1.60 लाख टन ही फर्टिलाइजर बाँटा गया था। अध्यक्ष महोदय, फर्टिलाइजर की कीमतों के बारे में भी चर्चा की गई है, मैं सदन को बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय स्तर पर लिये गये निर्णय के सन्दर्भ में इस प्रदेश में बढ़ती हुई कीमतों को देखकर रासायनिक खादों व उसके उत्पादन व्यय को ध्यान में रखकर एक निर्णय केन्द्रीय शासन ने लिया और उस निर्णय के तहत इस प्रदेश में भी फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ीं, लेकिन उनके ही सहयोग से इस प्रदेश के अन्दर सूखा प्रभावित क्षेत्रों में छोटे किसानों के लिए सबसिडी देने की योजना चालू रखी गई है ताकि छोटे किसानों को बढ़ी हुई कीमत से राहत दिलाई जा सके। अध्यक्ष महोदय, जब मैं कृषि की बात करता हूँ तो तत्काल मुझे उसके दूसरे संदर्भ के बारे में कहना पड़ेगा। कृषि के क्षेत्र में इस प्रदेश में लगे लाखों किसान उस सीमा में आते हैं जिन्हें हम छोटे किसान की संज्ञा दे सकते हैं, साथ ही साथ

इस कृषि के क्षेत्र में लाखों इन्सान भी हैं, जो इस प्रदेश के कृषि उत्पादन में सहयोग तो करते हैं, लेकिन स्वयं का उनका कोई स्वामित्व, स्वयं का उनका कोई अधिकार उस मात्रा में स्वीकार नहीं किया जाता जितने का उनको हक है। सदन को विदित है कि एक अध्यादेश के माध्यम से हमने उनके रहने के स्थान, उनके घर के संबंध में कुछ प्रबन्ध करने की कोशिश की है। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बात का उल्लेख भी किया है कि जिन किसानों को अपनी भूमि के संबंध में, कब्जे के संबंध में दिक्कत पड़ती है। बड़े लोग उन कब्जों को ले लेते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। उस संबंध में शासन विधेयक लाएगा इसके अतिरिक्त इस प्रदेश में लाखों ऐसे लोग हैं, जो भूमि पर बिना किसी स्वामित्व के कृषि करते हैं, जिन्हें गैर हकदार टेनेन्ट कह सकते हैं, ये भी कृषि में सहायक हैं, लेकिन अभी तक जो राजस्व संहिता में प्रावधान है उसके अन्तर्गत उनको अपने अधिकारों को प्राप्त करने में कठिनाई होती है। कुछ प्रावधान होते हुए भी वे अपने अधिकार को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि न्यायालय के समक्ष व अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से बहुत-सी कठिनाइयाँ उनके सामने उपस्थित हो जाती हैं। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि इस समस्या के निराकरण के लिए मौरूसी कृषकों को कानून प्रदत्त अधिकार मिल जावें। भू-राजस्व संहिता में संशोधन किया जायेगा ताकि कृषक सरलता से अपना हक ले सकें। या यह सिद्ध करने का भार भू-स्वामी पर डाला जायेगा कि उसकी भूमि पर कब्जेदार उप कृषक नहीं है। पट्टेदार का सही इंद्राज प्रतिवर्ष भू-अभिलेखों में किया जावे, पुनः स्पष्ट हिदायतें दोहराई जाएँगी व त्रुटि करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास करता हूँ कि सदन इस बात पर मेरे साथ है कि उन किसानों को जो बिना स्वामित्व के खेती का काम करते हैं, उन्हें उस जमीन का हकदार बनाना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए।

जहाँ तक उद्योगों का सवाल है मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस प्रदेश के औद्योगीकरण में अभी जो कुछ भी हुआ है वह अपर्याप्त है। मैं यह भी नहीं कहता कि वह अनुचित है, जितना हो सका अच्छा है, लेकिन इस शासन के दृष्टिकोण में इस प्रदेश का औद्योगिक विकास सही दिशा में तभी होगा जब हम अपने प्राकृतिक साधनों का सही आंकलन करेंगे। इस प्रदेश के अंदर ऐसे स्थानों का चयन करें, जिनमें औद्योगिक दिशा में बढ़ने की क्षमता अपने आप में ही बढ़ जाये। औद्योगिक विकास के लिए साधन उपलब्ध कराये जायें। इस दिशा में पहली पहल उद्योग विभाग ने प्रारंभ की है और 15 जुलाई को इस प्रदेश के और बाहर के उद्योगपतियों की, काम करने वाले मजदूरों की व अन्य उद्योग के क्षेत्र से संबंधित रखने वाले लोगों की एक सामूहिक मीटिंग की जा रही है। उसमें इस प्रदेश के औद्योगिक विकास के संबंध में संभावनाओं का तथा साधनों का समन्वित दृष्टिकोण अपनाकर यह देखने का प्रयास करेंगे कि इस प्रदेश का औद्योगिक विकास तुरंत किस प्रकार किया जा सकता है।

सिंचाई के संबंध में काफी चर्चा माननीय सदस्यों ने की, विरोधी दल के नेता ने, शायद वे तो बोले नहीं, मुझे क्षमा करें, सखलेचाजी ने सिंचाई के बारे में काफी चर्चा की। नर्मदा का भी जिक्र आया। हमने इस संबंध में पहले भी यह कहा था कि समय पर जो सही दिशा में कदम उठाया जाता है, उसका लाभ व्यक्ति को भी मिलता है, समाज को भी मिलता है और प्रदेश को भी मिलता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सही समय पर जो सही कदम उठाया जाना चाहिए था वह नहीं उठाया गया। उस समय कारण चाहे जो भी रहे हों, उनकी इस सदन में काफी चर्चा हो चुकी है। लेकिन सही दिशा में कदम नहीं उठाया गया। आज नर्मदा के संबंध में हम इस स्थिति में हैं कि हमें अब कार्यवाही करने की दिशा में ही आगे बढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पर मैं सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो प्रभावी क्षेत्र हैं उनके ऊपर इस योजना के क्रियान्वयन का प्रभाव कम से कम पड़े। सबसे पहले हमें इस दिशा में काम करना चाहिए। आज हमें इस दायित्व को स्वीकार करना पड़ेगा। इस योजना को क्रियान्वित करने की दिशा में आज हमारे पास साधन नहीं हैं। संभावनाएँ बहुत हैं किंतु साधन की कमी है। दोनों का जोड़-तोड़ करके हम अपने प्रदेश के सिंचाई के रकबे को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इस संबंध में कोई दलगत आधार पर काम नहीं किया जाएगा। इस सदन के माननीय सदस्यों से विचार-विमर्श करके हम एक ऐसी योजना बनाने का प्रयत्न करेंगे जिससे लाखों-करोड़ों एकड़ भूमि जो 20-25 साल में सिंचाई योग्य नहीं बनी। उसे कम से कम समय में सिंचाई योग्य बनाया जाये।

श्री सुन्दरलाल पटवा : क्या गोदावरी अवार्ड के बारे में भी आप शासन की मनोवृत्ति को प्रकट करने की कृपा करेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : मैं समझता हूँ कि माननीय विरोधी दल के नेता को यह जानकारी होगी कि इस अवार्ड का फैसला आ गया है और म.प्र. द्वारा जो दावा किया गया था वह पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया है और इसीलिए हम इस अवार्ड के निर्णय का स्वागत करते हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, आज शुरू से ही मुख्यमंत्री जी की आवाज बहुत तेज और बुलन्द है, मुझे मालूम है कि वह प्रेरणा आपको किधर से मिल रही है। आपकी प्रेरणा मेरे इस तरफ है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, श्रमिक क्षेत्र का उल्लेख किया गया है और उसके अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ते की बात कही गई है। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते की बात करने से इस प्रदेश की बेरोजगारी दूर नहीं होगी। बेरोजगारी समाप्त करने में मेरी मान्यता यह है कि जब तक इस प्रदेश के बेरोजगारों के लिये 'मेन पॉवर' का प्लानिंग अपटूडेट नहीं करते हैं उस समय तक बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है। आज आप 100 लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कह सकते हैं तो कल और 200 हो जायेंगे। बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारों लोगों को सांत्वना दे सकता है, लेकिन रोजगार नहीं दे सकता है। उसके लिये तो 'मेन पॉवर' प्लानिंग अपटूडेट करना पड़ेगा। चाहे वह ग्रामीण अंचल की बेरोजगारी हो, चाहे शहरी क्षेत्र की बेरोजगारी हो। इसके लिये अभी जब केन्द्रीय शासन का बजट प्रस्तुत किया गया उसमें कई करोड़ रुपया इस समस्या को हल करने के लिये रखा गया है। हमारी पार्टी की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस समस्या के बारे में बहुत स्पष्ट निर्देश दिया है, हम उसका पूरा-पूरा उपयोग करेंगे। इस समस्या को हल करने का पूरा-पूरा प्रयास किया जायेगा चाहे वह ग्रामीण अंचल की बेरोजगारी हो, चाहे शहरी क्षेत्र की हो। हमें पूरी आशा है कि हम उस पर सफलता पा सकेंगे। .....

श्री सुन्दरलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के आम नागरिक का काम पाने का मूलभूत अधिकार है और हम कल्याणकारी राज्य के नाते स्वीकार करते हैं इससे आप असहमत हैं क्या? और अगर आप इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं तो उनको निर्वाह भत्ता दिया जाना भी स्वीकार किया जाना चाहिये। जब आप पर यह जिम्मेदारी आ जायेगी तो आप बेरोजगारी की समस्या का हल जल्दी से जल्दी समाधान निकाल सकने में बाध्य और सफल हो सकेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, हम किसी भी जिम्मेदारी से इन्कार नहीं करते हैं। लेकिन उससे समस्या समाप्त नहीं होगी चाहे वह शहर की हो, चाहे ग्रामीण अंचल की हो। अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी उधर से माननीय सदस्य ने हमारे उप-मुख्यमंत्री श्री सोलंकी जी पर कटाक्ष करने की कोशिश की। वे यह बात कहकर संतुष्ट हो सकते हैं कि हमने यह बात कह दी.....

श्री सुन्दरलाल पटवा : उनके विपक्ष में कुछ नहीं बोला, हमने तो उनके विकास और उन्नति के लिये बोला है।

श्री अर्जुनसिंह : पटवाजी, उनका विकास और उनकी भलाई करते-करते आपने सखलेचाजी का निकास कर दिया है, यह सब यहाँ पर नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, आदिवासी और हरिजनों की समस्या की बात माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण में बहुत ही स्पष्ट रूप से की गई है। हरिजन-आदिवासियों की समस्याओं को यह शासन न केवल प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहता है बल्कि अपनी निश्चित मान्यता के आधार पर कुछ करना भी चाहता है। आदिवासियों की जो समस्याएँ हैं उसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि वहाँ का जो प्रशासनिक ढाँचा है, उसको ठीक करना होगा। जो भी आदिवासियों के विकास की योजनाएँ हैं उनमें गति उस समय तक नहीं आ सकती जब तक कि वे उस दृष्टि से नहीं चलाई जाती हैं। उन पर भी जब सामान्य रूप से दृष्टि डाली जाती है इसलिये विकास की गति धीमी हो जाती है और यही कारण है कि आपके शासनकाल के समय जो आवंटन ट्रॉयबल सब-प्लान में केन्द्रीय शासन की ओर से मिला था केवल वह रुटिन में था। फिर भी यह व्यय किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है इसको देखने वाला कोई था ही नहीं और यही कारण है कि केवल पिछले दो वर्षों में 50 करोड़ रुपये के लगभग राशि लेप्स हुई।

(शेम, शेम की आवाज)

.....और इस प्रशासनिक अव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिये राज्यपाल महोदय ने संकेत किया है कि सभी आदिवासी क्षेत्रों को जहाँ ट्रॉयबल सब-प्लान लागू होता है उनके अन्दर प्रशासनिक व्यवस्था इस प्रकार से कायम की जायेगी कि वहाँ उच्च अधिकारी स्वयं बैठकर सभी विभागों का समन्वय का काम करेंगे। उनको समुचित अधिकार डेलीगेट किये जायेंगे ताकि वे वहीं निर्णय लेकर योजनाओं को कार्यान्वित कर सकें। उन्हें भोपाल आने की जरूरत नहीं है और न ही यहाँ लिखने की भी जरूरत होगी और इस तरीके से उच्च अधिकारियों को वहाँ पर पदस्थ किया जायेगा और इस प्रकार आदिवासी क्षेत्रों के लिए हम विकास के लिये प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हरिजन भाइयों के लिये जो कुछ प्रयास अभी तक हुए हैं उसमें भी और अधिक गति लाई जायेगी। राज्यपाल महोदय ने उनके विकास के सभी कार्यक्रमों को केन्द्रित रूप से चलाने के लिये सही दिशा में निर्णय लिये जाने के लिये एक संचालनालय खोलने का अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है। मैं आशा करता हूँ इन दोनों कदमों से इस प्रदेश के हरिजन और आदिवासियों के विकास में एक नया अध्याय जुड़ेगा और उसमें विरोधी दल के माननीय सदस्यों के सहयोग की भी हम अपेक्षा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं 5 मिनट का समय और लूँगा।

अध्यक्ष : ठीक है 5 बजकर 5 मिनट तक बोलिए।

श्री अर्जुनसिंह : 5 मिनट के अलावा आपको इस पर वोटिंग भी तो कराना है, इसलिये 10 मिनट तक समय बढ़ा दिया जाये।

(सदन की अनुमति से 10 मिनट का समय बढ़ाया गया)

अंध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का विशेषकर भाई राजेन्द्र जैन का जिन्होंने अपने कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव के माध्यम से बहुत-सी बातों का उल्लेख यहाँ पर किया है, उनका और हमारे काँग्रेस के और विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने जो यहाँ पर सुझाव दिये हैं उनके बारे में विशेषकर बिजली के क्षेत्र में उत्पादन और उसके वितरण के क्षेत्र में जो कमियाँ हैं और जो वास्तविकता है वह सदन के सामने है, उस पर ध्यान दिया जायेगा। कुछ कटौतियाँ प्रदेश में पहले से लागू थीं उनके सम्बन्ध में, मैं सदन में कुछ कहना चाहूँगा जो इस प्रकार है—

विद्युत की कटौती पर कतिपय छूट

"वर्तमान में कुछ व्यवसायिक संस्थान यथा प्रिंटिंग प्रेस, रेल्वे स्टेशन, पेट्रोल पम्प, अनुज्ञप्तधारी दवाई की दुकानें, अस्पताल, दवाखाने, डाक्टरों की दुकान व होटल तथा रेस्टोरेन्ट, सिनेमा तथा अन्य सार्वजनिक मनोरंजन गृह, सेवा संस्थान, होस्टल, सायंकालीन महाविद्यालय, टायपिंग इंस्टीट्यूट आदि को छोड़कर प्रकाश एवं पंखे के उपयोग पर संध्या 7 बजे से रात्रि 10 बजे की अवधि में पूरी मनाही थी। जनसाधारण एवं व्यवसायियों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया गया है कि शेष व्यवसायिक उपभोक्ताओं को भी (जिनमें दुकानें भी शामिल हैं), उक्त अवधि में एक लाइट पाइंट के उपयोग की अनुमति प्रदान की जाती है।"

2. इसके साथ ही नियमनों में निम्नलिखित छूट करने का निश्चय किया है—

(1) ग्रामीण तथा शहरी फीडरों को भी सभी प्रकार के नियमनों से मुक्त करके 24 घण्टे बिजली उपलब्ध कराई जायेगी।

(2) सीमेन्ट कारखाने वर्तमान में शेड्यूल 3 में हैं तदनुसार उनकी माँग तथा मासिक खपत पर 25 प्रतिशत विद्युत कटौती लागू है सीमेन्ट कारखानों को शेड्यूल 2 में स्थानांतरित कर इस कटौती को अब कम कर दिया गया है तथा अब उनकी माँग पर 20 प्रतिशत व मासिक खपत पर 15 प्रतिशत कटौती रहेगी।

(3) दिनांक 19 नवम्बर 79 से स्टील व रि-रोलिंग मिलों की कार्यावधि 8 घण्टे तक सीमित की गई थी जिसे दिनांक 21 अप्रैल 80 से बढ़ाकर 10 घण्टे कर दिया गया था। अब यह निश्चय किया गया है कि स्टील रोलिंग व रि-रोलिंग मिलों को रात्रि 10 बजे से दूसरे दिन दोपहर 2 बजे तक 16 घण्टे कार्य करने दिया जावे तथापि अब उनकी माँग पर 15 प्रतिशत व मासिक खपत पर 25 प्रतिशत कटौती लागू होगी।

अध्यक्ष महोदय, शासन को स्वच्छ और भ्रष्टाचार से रहित रखने के लिये सभी माननीय सदस्यों का चिन्तित होना और ऐसी अपेक्षा करना स्वाभाविक है। माननीय राज्यपाल महोदय ने इस सदन में लोक आयुक्त बिल लाने

का उल्लेख किया है। हमारा यह प्रयास होगा कि यह विधेयक सदन में प्रस्तुत हो और पारित हो और यह अपने प्रतिबन्धों के साथ भ्रष्टाचार निवारण में साथ समान रूप से कदम उठा सकें। अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने बिना नाम लिये हमारे मन्त्रिमंडल के एक सदस्य की ओर संकेत किया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि शासन के अधिकारों का उपयोग शासन के अपने स्वयं के विवेक पर ही किया जाता है। तो इस प्रकरण में जो विवेक का उपयोग किया गया तो मेरे दृष्टिकोण में भले ही हमने न किया हो, उसका औचित्य है। और उस प्रकरण में जो कार्यवाही की गई है वह इस बात को मद्देनजर रखकर की गई है कि इस जाँच की शुरूआत स्वयं उन्हीं माननीय सदस्यों के संकेत पर हुई थी और बीच में अन्य किन्हीं कारण से उनका नाम भी उसमें समेट लिया गया था और 10 वर्षों बाद मुकदमा चालू किया गया था। उस समय यहाँ राष्ट्रपति शासन में यह किया गया था। इसके लिये मेरा यह शासन पूर्णतया अनुमोदन करता है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, आप उस निर्णय का अनुमोदन करें यह आपका अधिकार है लेकिन उस समय राज्यपाल महोदय का जो शासन था, वह काम चलाऊ सरकार थी, उस समय तो उन्होंने नीति सम्बन्धी निर्णय लिया था, उस निर्णय को लेने का उनको अधिकार था क्या? और उनके इस कार्य को आप उचित समझते हैं क्या? इसलिये आप उसका अनुमोदन करते हैं।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यदि यह भी मान लिया जावे कि 1977 में राज्य सतर्कता आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी तो मुख्यमंत्री जी जिस मन्त्री का नाम नहीं लेना चाहते हैं उनका नाम मैं भी नहीं लूँगा राज्य सतर्कता आयोग की जाँच में यह सत्य पाया गया और उस समय सरकार ने प्रिवेंटिव डिटेन्शन एक्ट के तहत मुकदमा चलाया था उसको इस तरह से वापिस लेना क्या यह आपके दल और आपकी इमेज के लिये यह आवश्यक नहीं है कि जब तक यह मुकदमा निपट न जाता तब तक इसको वापिस नहीं किया जाता बल्कि इसकी पूरी छानबीन होकर ही उसको निपटाया जाता तो उचित होता।

श्री श्रीनिवास तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं भाई रमाशंकर सिंह जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जब जनता पार्टी का शासन आया था उस समय चूँकि एक व्यक्ति के मन्त्री बनने की बात थी उनका मुकदमा किस तरह से वापिस किया गया था, उस समय आपके मुँह में जवान नहीं थी क्या?

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, वह राजनीतिक मामला था। जार्ज फर्नान्डिस ने किसी से पैसा नहीं लिया था। यह तो भ्रष्टाचार का मामला है।

श्री श्रीनिवास तिवारी : इस सरकार ने कोई गलती नहीं की। मुख्यमंत्री जी ने इसके औचित्य को प्रतिपादित किया है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आपका मन्त्री पद बरकरार है आप क्यों चिन्ता करते हैं।

श्री श्रीनिवास तिवारी : मगर आप तो केवल 28 दिन ही रहे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप मन्त्री रहे, इसकी मुझे खुशी है। आपने जो उल्लेख किया है, उसमें जनता पार्टी ने जाँच आयोग नहीं बैठाया था। लेकिन आपने जाँच आयोग बैठाया और सतर्कता आयोग ने दोषी पाया। मैंने तो मुख्यमन्त्री जी से इतना ही प्रश्न किया था कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केवल काम चलाऊ शासन की जिम्मेदारी उनकी थी लेकिन क्या आप उनके इस प्रकार के निर्णय लेने के औचित्य को प्रतिपादित करते हैं यदि हाँ तो कहिए हाँ और नहीं तो कहिए ना। मेरा अपना मत है। आपका अपना मत है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि चाहे राष्ट्रपति शासन हो चाहे चुना हुआ शासन हो, किसी प्रकार की कमीबेशी अधिकारों की नहीं रहती है। उन्होंने सारे निर्णय अपने विवेक से लिये हैं। इसमें कोई गलती मैं नहीं समझता। यह प्रश्न हो सकता था कि जब यदि हम उनके निर्णय को अनौचित्यपूर्ण करार देते या उनके निर्णय को बदलने की बात करते लेकिन हम तो औचित्य स्वीकार करते हैं। जहाँ तक रमाशंकर जी के प्रश्न उठाने की बात है उसमें मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि उस समय केवल एक ही मुकदमा नहीं था उस समय तो न जाने कितने मुकदमे वापिस लिये गये थे। इसमें कौन-सा इतना जघन्य अपराध था? चुनौती तब ही दें जब ठीक से प्रमाण हों।

मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि जैसा कि विरोधी दल के माननीय नेताजी ने भी कहा है कि किसी प्रकार की वैमनस्यता का, ईर्ष्या का, या कटुता का या झगड़े का वातावरण अब इस प्रदेश में समाप्त होना चाहिये। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश के सर्वतोमुखी विकास के लिये, सर्वहारा वर्ग के विकास के लिये उनको संरक्षण उपलब्ध कराने के लिये सबको अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिये। अब प्रदेश के अन्दर ऐसा समुचित वातावरण निर्मित होना चाहिये कि हम सब मिलकर ही इस प्रदेश को समुन्नत दिशा की ओर अग्रसर कर सकें जो कटुता का वातावरण पैदा किया गया था, उसको समाप्त करने की दिशा में यह आवश्यक होगा। अगस्त से लेकर फ़रवरी तक जो काँग्रेसजनों पर मुकदम चलाये गये थे उन सब मुकदमों को वापिस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं इस पक्ष के और विरोधी दल के माननीय सदस्यों को इस बात के लिये आव्हान करना चाहता हूँ कि ऐसा अवसर इतिहास में कभी-कभी आया करता है कि जब हम अपने स्तर से ऊपर उठकर एक नये इतिहास का निर्माण करते हैं। मेरे दृष्टिकोण में इस प्रदेश में आज ऐसा अवसर आया है कि जब हम दलगत बातों को अलग रखकर एक रथ के दो पहियों की भाँति इस रथ को तेजी से बढ़ाने का प्रयास करें। इसमें आप सबके सहयोग और प्रेरणा का हम आदर करते हैं।

अध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि राज्यपाल के अभिभाषण के उत्तर में कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव में जितने संशोधन प्रस्तुत हुए हैं, उन सब पर एक साथ ही मत ले लिया जावे।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव में प्रस्तावित संशोधन स्वीकार किये जावें?

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश विधानसभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/9 जुलाई 1980, पृष्ठ/ 175-181)

11 जुलाई 1980 को सदस्य श्री शालिगराम श्रीवास्तव (भोजपुर) ने फकीरचन्द समिति की रिपोर्ट के अनुसार वेतनमान देने के सम्बन्ध में अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया। जिसके पक्ष में 45 और विपक्ष में 146 मत पड़े। प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। इस संकल्प से संबंधित मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह का वक्तव्य और चर्चा यहाँ दी जा रही है—

(इसी दिन सत्रावसान हुआ)

श्री शालिगराम श्रीवास्तव (भोजपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि— "इस सदन का यह मत है कि पूर्व शासन (जनता पार्टी शासन) द्वारा फकीरचंद समिति की रिपोर्ट पर लिये गये निर्णय के अनुसार संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों को वेतनमान देने पर शीघ्र अमली कार्यवाही की जाये।"

सभापति : संकल्प प्रस्तुत हुआ कि— "इस सदन का यह मत है कि पूर्व शासन (जनता पार्टी शासन) द्वारा फकीरचंद समिति की रिपोर्ट पर लिये गये निर्णय के अनुसार संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों को वेतनमान देने पर शीघ्र अमली कार्यवाही की जाये।"

श्री शालिगराम श्रीवास्तव : माननीय सभापति जी, मध्यप्रदेश शासन की सेवा में जो इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनके अंदर अनेक वर्षों से उनके वेतनमान और सेवा-शर्तों को लेकर एक घोर असंतोष चला आ रहा है। उनकी लड़ाई बहुत पुरानी है और छोटे-मोटे रूप में सन् 1964 से वे लोग बराबर अपना प्रतिनिधिमंडल लेकर अपनी माँगें शासन के समक्ष रखते चले आ रहे हैं। जब सन् 1972 में हमारे यहाँ वेतन आयोग बना था,

उसने भी इन लोगों को छोड़ दिया और शायद इसलिये छोड़ दिया था कि उस समय एक "ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफ इन्जीनियर्स" के बनाने पर विचार चल रहा था, जिसके बारे में संसद में भी अधिनियम पारित हो चुका था और उसके बारे में कई प्रांतों को समय मिल गया था। उस वेतन आयोग ने हमारे प्रदेश के इंजीनियर्स और टेक्नालॉजिस्ट को कुछ भी नहीं दिया। इसका नतीजा यह हुआ सभापति जी, कि सन् 1972 के बाद से लेकर अभी तक सन् 1980 तक, इन लोगों को कुछ भी नहीं मिला। भारत के सभी प्रदेशों को इस बीच में कई बार इंजीनियर्स और टेक्नालॉजिस्ट के वेतनमान में पुनरीक्षण हुआ है परन्तु मध्यप्रदेश में इन लोगों के वेतनमान का कोई पुनरीक्षण नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ है कि दूसरे प्रदेशों में हमारे प्रदेश से कहीं-कहीं दुगुनी तनख्वाहें हो गई हैं। हमारे यहाँ जो एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की तनख्वाह है वह दूसरे प्रदेश में एक असिस्टेंट इंजीनियर की है। इसी तरह का फर्क दूसरे प्रदेशों से भी। दूसरे प्रदेशों की बात तो दूर रही, हमारे प्रदेश में स्वयं विद्युत बोर्ड में जो इंजीनियर कार्य पर लगे हुए हैं, उनके वेतनमानों का पुनरीक्षण हो गया है। इसी तरह लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग तथा दूसरे विभागों में जो इंजीनियर्स हैं, उनके वेतनमानों का भी पुनरीक्षण नहीं हुआ। इसके लिये सभापति महोदय, इंजीनियर्स ने संघर्ष भी किया और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष सन् 1978 में एक सात-सूत्रीय माँग-पत्र भी पेश किया उसकी रोशनी में एक 6 सदस्यीय कमेटी बनी थी और जब पटवाजी मुख्यमंत्री थे उस समय फकीरचन्द समिति की रिपोर्ट को कर्मचारियों ने मंजूर करवा लिया था। लेकिन जैसे ही काँग्रेस का शासन आया उन्होंने फिर से उस रिपोर्ट को पीछे डाल दिया। सभापति महोदय, इंजीनियर्स का वेतनमानों का निर्धारण न होने के कारण उनको कम वेतन मिलने के कारण जो अच्छे लड़के इंजीनियर्स बनकर महाविद्यालयों से निकलते हैं वे मध्यप्रदेश में नौकरी नहीं करते हैं, बल्कि बाहर चले जाते हैं। जो प्रथम श्रेणी के छात्र महाविद्यालयों से निकलते हैं वे यहाँ नौकरी ही नहीं करते और यदि करते भी हैं तो थोड़े समय बाद ही यहाँ से छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इस खराब वेतन का असर हमारे "टेक्नालॉजिस्टों" पर पड़ता है। उसके लिए मैंने यह संकल्प रक्खा है। मैं आशा करता हूँ कि शासन इस संकल्प की भावना से सहमत होगा।

श्री पुरुषोत्तम विपट (खाचरोद) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य शालिगराम श्रीवास्तव ने जो संकल्प इस सदन में प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। सभापति महोदय, मैं जब 1977 में पहली बार विधानसभा के लिए निर्वाचित होकर भोपाल आया तो उस समय यह स्थिति थी कि हमें शकर, गेहूँ, तेल, सभी राशन कार्ड के आधार पर लेना पड़ता था। 1978 में कुछ स्थिति सुधरी। राशन की दुकानें समाप्त हुई। 1979-80 में महँगाई बढ़ती चली गई और उसका परिणाम हमें जिस तरह से भुगतना पड़ रहा है वह आप सभी जानते हैं। उसी प्रकार से हमारे शासन के जो कर्मचारी हैं, डाक्टर्स हैं, इन्जीनियर्स हैं, उन्हें भी इस महँगाई का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। इस संकल्प के द्वारा इंजीनियर्स और डाक्टर्स का वेतनमान जो खराब है। उनका पुनरीक्षित वेतनमान अभी तक लागू नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में, मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो संकल्प आया है इसको वे मानवीय दृष्टिकोण से देखें और राजनीति से परे होकर इस संकल्प को देखा जावे। यदि आपके 100 कर्मचारी हैं और उसमें से आप 90 को लाभान्वित करते हैं तो निश्चय ही उसका 10 लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। इससे इन लोगों में हीन भावना पैदा हो जाती है। मैं समझता हूँ कि शासन इसको मानवीय दृष्टिकोण से देखते हुए जो फकीरचन्द कमेटी की सिफारिशें हैं उनको स्वीकार करेगा।

श्री प्रभुदयाल गहलोत (सैलाना, संरक्षित स्थान) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री शालिगराम श्रीवास्तव ने जो संकल्प सदन में प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। फकीरचन्द कमेटी ने जो इंनीनियर्स और डाक्टर्स के वेतनमानों के पुनरीक्षण की सिफारिशें शासन को की थीं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आज महँगाई अपनी चरम सीमा पर है। इसलिए हमारे प्रदेश में आवश्यकता इस बात की है कि डाक्टर्स और इंजीनियर्स के वेतनमानों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये। और फकीरचन्द समिति द्वारा जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, उसके अनुरूप कार्यवाही की जाना चाहिए। एक लम्बे अर्से से उनका वेतनमान नहीं बढ़ाया गया है इसके कारण उनको आर्थिक परेशानी होती है और वे अपने विकास के कार्यों में पूर्णरूपेण नहीं लग पाते हैं। इसके कारण उनका ध्यान

घर की झंझटों में ही उलझा रहता है। उनका ध्यान इसी में लगा रहता है कि किस प्रकार से बच्चों की फीस आदि जुटाई जाये और उन्हें पढ़ाया जाये। अगर उनका वेतनमान नहीं बढ़ाया गया तो विकास के कार्यों को बढ़ावा देने की बजाय उनका ध्यान बच्चों के लालन-पालन में ही लगा रहेगा। अतः मेरा शासन से निवेदन है कि फकीरचन्द समिति की रिपोर्ट को तुरन्त लागू किया जाये और उसी के अनुरूप प्रदेश के डाक्टर्स, वैद्य और इन्जीनियर्स की तनख्वाहें बढ़ाई जायें।

श्री बाबूलाल गौर (गोविन्दपुरा) : सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में लगभग पाँच हजार से अधिक इंजीनियर्स काम करते हैं। आज से कई वर्ष पूर्व हमारे प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री श्यामाचरण शुक्ल थे। उन्होंने इनके संबंध में बड़ी गहराई से विचार किया और यह विचार स्थिर किया था कि इनका वेतनमान बढ़ाया जाये। आज की स्थिति यह है कि 1972 में जो जूनियर इंजीनियर का वेतन 350 रु. मासिक था वही आज भी है और बी.एच.ई.एल.के एक साधारण से साधारण कर्मचारी का वेतन पाँच सौ से अधिक होता है, जो कि स्नातक भी नहीं होता है। इसीलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री श्यामाचरण जी शुक्ल ने उनके वेतनमान बढ़ाने की बात को स्वीकार कर लिया था। इसके तुरंत बाद ही उनका शासन बदल गया और एक टेक्नीकल कमी रह गई। जनता शासन ने उस पर पुनर्विचार किया। फकीरचन्द कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार किया। फकीरचन्द कमेटी की रिपोर्ट जब पेश हुई तब माननीय सुन्दरलाल जी पटवा मुख्यमंत्री बने और उन्होंने दिनांक 12 फरवरी 1980 को कमेटी की सारी की सारी सिफारिशों को स्वीकार किया। इंजीनियर्स का वेतनमान बढ़ाकर 350 से 440 किया गया। इसी प्रकार से जूनियर इंजीनियर्स, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स सबका वेतनमान बढ़ाया गया। केवल वेतन निर्धारण का आदेश पृथक से जारी करना बाकी रह गया था केवल इतनी-सी कमी के कारण वह बात आज तक लागू नहीं की गई है। राष्ट्रपति शासन में अनेकों प्रकार के कामों को कार्यान्वित किया गया, लेकिन एक तो बेरोजगारों को भत्ता देने तथा दूसरे इंजीनियर्स के वेतनमान बढ़ाये जाने को छोड़ दिया गया। मेरा निवेदन है कि इस संकल्प में जो यह बात रखी गई है कि फकीरचन्द समिति की रिपोर्ट पर लिये गये निर्णय के अनुसार सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों को वेतनमान देने पर शीघ्र अमली कार्यवाही की जाये मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : माननीय सभापति महोदय, इस संकल्प के माध्यम से जो भावना व्यक्त की गई है, उसको मैं समुचित मानता हूँ लेकिन जैसा कि पिछले ढाई-तीन साल का इस प्रदेश का प्रशासनिक इतिहास रहा है जिस चीज को भी जनता पार्टी शासन ने छुआ उसमें कहीं न कहीं कोई विकृति पैदा हो गई और ऐसा ही एक प्रकरण यह भी है। मैं अन्य किसी विवाद में न जाकर, वैसे बहुत कुछ कहने के लिए है और कह सकता हूँ लेकिन, जब उसका अवसर आयेगा तो उस बात को भी कहूँगा। लेकिन चूँकि प्रशासनिक सेवाओं के वेतनमान से सम्बन्धित चर्चा है इसलिए वह सन्दर्भ उचित नहीं होगा, उल्लेख में लाना। आपने अपने शासनकाल में यह निर्णय लिया। उस निर्णय के सम्बन्ध में हम विचार कर रहे हैं और उसके हर पहलू पर विचार करने के बाद शासन शीघ्र ही इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेगा। जहाँ तक प्रशासनिक सेवाओं का प्रश्न है, उनको ईमानदारी से काम करने के लिए उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनके हाथों में वे साधन पहुँचाने में जिससे ईमानदारी के साथ इस प्रदेश की जनता की सेवा कर सकें, हमारा यह सदैव प्रयास रहेगा और इसी दृष्टिकोण से प्रत्येक प्रकरण का निकाल करने की कोशिश करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि जिन माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव यहाँ रखा है, इस बात को स्वीकार करते हुए कि उन्होंने इस प्रश्न को सदन के सामने रख दिया है और शासन उस पर शीघ्र ही विचार करके निर्णय लेगा, उसको अब सदन में प्रेस करने की कृपा नहीं करेंगे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा उससे स्थिति ठीक से स्पष्ट नहीं हो पाती। क्योंकि जब राष्ट्रपति शासन था उस समय जहाँ तक मेरी जानकारी है इस प्रश्न को फिर से वेतन आयोग को सौंपा जा चुका है। अन्तरिम राहत और फकीरचन्द कमेटी के बारे में कुछ निर्णय लिया जाये या वेतनमानों के पुनर्रीक्षण को स्वीकार किया जाये, यह प्रश्न वेतन आयोग के विचार के लिये सौंपा जा चुका है। क्या मुख्यमंत्री जी के कहने का यह आशय माना जाये कि वेतन आयोग उस पर निर्णय लेगा या शासन स्वयं कुछ करने की सोच रहा है, कुछ निर्धारित समय में करने की सोच रहा है? इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण कर दें तो बात साफ हो जाये।

श्री अर्जुनसिंह : राष्ट्रपति शासन के समय यह प्रश्न उनके समक्ष निर्णय के लिए आया था, जिसमें यह सुझाव दिया गया था, जिसका उल्लेख विरोधी दल के नेता ने किया, लेकिन समूचे प्रकरण में उस समय कोई निर्णय नहीं लिया गया था। और यह प्रश्न अभी शासन के सामने है कि उसे वेतन आयोग को सौंपा जाये या नहीं? या जो तथ्य शासन के सामने हैं उस पर निर्भर होकर शासन निर्णय ले। इसलिए हर पहलू पर विचार करने के बाद निर्णय लेंगे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : वेतन आयोग को सौंपने जा रहे हैं या खुद निर्णय ले रहे हैं?

श्री अर्जुनसिंह : वह प्रश्न भी शासन के सामने है। इन सब बातों पर विचार करके निर्णय लेंगे।

श्री शालिगराम श्रीवास्तव (भोजपुर) : माननीय सभापति जी, मुख्यमंत्री जी की तरफ से इस कमेटी की सिफारिशों के बारे में कोई निश्चित आश्वासन नहीं आया है और इन इंजीनियरों की माँगों को शासन कई वर्षों से लटकाता आया है। जिस समय इस प्रदेश में सेठी जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक कमेटी बनाई थी— नरोन्हा कमेटी— जो प्रदेश के बहुत ही योग्य और बहुत सुलझे हुए अधिकारी थे। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी हालाँकि उसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई थी। लेकिन वह शासन की एक आन्तरिक कमेटी थी। उस कमेटी ने सभी बातों पर गौर किया था और आपकी जो फकीरचन्द समिति ने सिफारिशें की थीं उस सीमा से भी आगे जाकर नरोन्हा समिति ने सिफारिशें की थीं। उन्होंने आई.ए.एस. के समकक्ष इन इंजीनियरों को वेतनमान देने की सिफारिश की थी। किन्तु यह बहुत पुराना झगड़ा है। यह आई.ए.एस. और इंजीनियरों के बीच में लड़ाई चली आ रही है इसलिये अभी तक तय नहीं हो पाया है। मैं समझता हूँ, यह वर्तमान शासन आई.ए.एस. के चंगुल में है। मुख्यमंत्री जी के कथन से कोई स्पष्ट बात नहीं झलकती है, इसलिये मैं अपना संकल्प वापस लेने से असमर्थ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सदन इस संकल्प को स्वीकार करे।

सभापति : प्रश्न यह है कि "इस सदन का यह मत है कि पूर्व शासन (जनता पार्टी शासन) द्वारा फकीरचन्द समिति की रिपोर्ट पर लिए गये निर्णय के अनुसार संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों को वेतनमान देने पर शीघ्र अमली कार्यवाही की जाये।"

विभाजन द्वारा मतदान हुआ

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/11 जुलाई, 1980, पृष्ठ/ 245-247)

सातवीं विधानसभा का दूसरा सत्र 18 अगस्त 1980 को प्रारम्भ हुआ। अध्यक्ष श्री यज्ञदत्त शर्मा पीठासीन हुए। अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश शासन के योजना मंत्री श्री श्याम सुन्दर नारायण मुशरान, युवा विधायक श्री चन्द्रशेखर व्यास और भूतपूर्व विधायक श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह के निधन का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह और प्रतिपक्ष के नेता श्री सुन्दरलाल पटवा ने उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की—

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज विधानसभा के सत्र के प्रथम दिन इस विधानसभा से एक ऐसे व्यक्तित्व का अभाव हमें खटक रहा है, जिसका समूचा जीवन ही इस विधानसभा और पूर्व में मध्यप्रदेश की विधानसभा से जुड़ा रहा। केवल विधानसभा के अन्दर ही नहीं, बाहर भी श्री मुशरान साहब ने स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भाग लेकर जहाँ एक ओर इस देश की भावी पीढ़ी के लिये आजादी का मार्ग प्रशस्त किया वहीं पर अपने सम्पूर्ण जीवनकाल में किसी काम को छोटा न समझते हुए हर स्तर पर जनसेवा की भावना से उन्होंने अनेकानेक सार्वजनिक क्षेत्र में लोगों की सेवाएँ की हैं। शायद यदि हम उन प्रत्येक का बखान करने लगें तो बहुत समय लगेगा लेकिन जो भी उनके सम्पर्क में आये कभी भी मुशरान साहब के नजदीक जाने में किसी को दिक्कत नहीं हुई; क्योंकि समस्त पूर्वाग्रहों से रहित यदि कोई व्यक्तित्व मैंने राजनीति में देखा तो वे स्वर्गीय मुशरान

साहब थे। हममें से बहुत से लोगों को जब हम पहली विधानसभा में चुनकर आये थे उनके सान्निध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस विधानसभा के अन्दर कार्य करने के लिये व बाहर जनसेवा के क्षेत्र में मुशरान साहब का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मध्यप्रदेश के उन महापुरुषों में जिन्होंने इस प्रदेश को बनाया व सँवारा, मुशरान साहब का नाम अग्रिम पंक्ति में लिखा जायेगा। आज हम उनके निधन से जहाँ एक रिक्तता विधानसभा में महसूस कर रहे हैं वहाँ उस दिन से बड़ी रिक्तता आज प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में भी है। हम उनके कृतित्व व व्यक्तित्व से आगे मार्गदर्शन बनाकर चल सकें यही उनके लिये सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

इन्दौर के माननीय विधायक श्री व्यास एक खिलते हुए फूल थे और उस फूल को क्रूर काल ने तोड़कर रख दिया। हम सबके बीच में पहली बार वे चुनकर आये थे। विधानसभा के अन्दर शायद उनका एक ही भाषण हो सका था लेकिन विधानसभा के बाहर एक सक्रिय समाजसेवी के रूप में हममें से कई लोग उनसे परिचित हैं। इन्दौर मे कई संस्थाओं का संचालन, युवकों में शारीरिक प्रशिक्षण व नैतिकता के आदर्शों की स्थापना, नेता सुभाषचन्द्र बोस के व्यक्तित्व व उनके कृतित्तव को सदैव जनता के सामने रखने का प्रयास करते रहना आदि श्री व्यास की बहुत-सी उपलब्धियाँ थीं। जिन परिस्थितियों में उनका निधन हुआ वे और भी दुखद हैं क्योंकि आकस्मिक निधन और वह भी एक ऐसे उगते हुए व्यक्तित्व का निश्चित ही आघात पहुँचाता है। लम्बे समय तक उन्होंने काल से भी संघर्ष किया और दो हफ्तों से अधिक अचेतावस्था में पड़े रहने पर हर-सम्भव उपचार की कोशिश करने के बावजूद श्री व्यास हमारे बीच नहीं रहे। उनके परिवार, माता-पिता व भाई के प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं।

स्वर्गीय राजेन्द्र सिंह जी जिन्हें आपने उनके प्रचलित नाम लालजी साहेब कहकर यहाँ सम्बोधित किया, विंध्य क्षेत्र के राजनैतिक, सामाजिक जीवन के एक आधार स्तम्भ थे। शायद बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है कि उस क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम के प्रणेताओं को सबसे ज्यादा यदि किसी का संरक्षण, प्रेरणा और सहायता मिली है तो वह स्वर्गीय लालजी साहेब से और ये केवल संयोग ही है कि उनके द्वारा अपने संरक्षण में लाये हुए एक हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के नेता काँग्रेस के हमारे नेता स्वर्गीय पण्डित शम्भुनाथ शुक्ल जो उत्तरप्रदेश से आकर लाल साहेब के पास रहकर वहीं से उन्होंने आजादी की लड़ाई की शुरूआत की। विंध्यप्रदेश के पहले लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में वे निर्वाचित हुए। आज ऐसा व्यक्ति जिन्होंने स्वयं पीछे रहकर कभी अपने लिये किसी बात की माँग न करके स्थानीय नौजवानों को, हर प्रकार से प्रोत्साहित करके सार्वजनिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में सेवा करने के लिये प्रोत्साहित किया, सहायता की ओर स्वयं एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में विद्यमान रहे, जिन्हें पास के क्षेत्र का गरीब-से-गरीब व्यक्ति, बड़े-से-बड़ा व्यक्ति, एक तरीके से जाकर मिलता था और उनका स्नेह प्राप्त करता था। उस महान व्यक्तित्व के लिये हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा उनके परिवार के लोगों, उनके सुपुत्र तथा अन्य लोगों के प्रति अपनी संवेदना आपके शब्दों में जोड़कर व्यक्त करता हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा (सीहोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा के इस सत्र के प्रथम दिन आज हमें एक और दुखद प्रसंग पर अपना मनोभाव व्यक्त करना पड़ रहा है। पुरानी पीढ़ी एवं इस पीढ़ी के बीच उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महान योगदान दिया। देवयोग से आज वह हमारे बीच से उठ गये। मुशरान साहब का सार्वजनिक जीवन निर्विवाद रूप में रहा है। काफी लम्बे समय से मैं स्वयं उनसे परिचित रहा हूँ। नयी पीढ़ी के सामने यह चुनौती है कि वह जाने वाले बुजुर्ग के कार्यों को कैसे पूरा करते हैं। इसके पूर्व भी काल ने मुशरान साहब पर आघात करने का प्रयास किया था परन्तु उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से उसका सामना करते हुए इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में वे अपना सहयोग प्रदान करते रहे। अन्ततोगत्वा एक दिन क्रूर नियति उन्हें हमारे बीच से उठाकर ले गई। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी तथा अपने साथियों की संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से उनकी सद्गति एवं शांति के लिये प्रार्थना करते हुए आपके उद्गारों में अपनी सहमति प्रकट करता हूँ।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/18 अगस्त 1980, पृष्ठ/ 13)

15 अगस्त 1980 को महू नगर में हुए दंगे को लेकर क्रमशः सदस्य श्री रमाशंकर सिंह, श्री महेन्द्र कर्मा, श्री राधारमण भार्गव, श्री निर्भय सिंह पटेल, डॉ. परसुराम साहू और श्री लोचनलाल ठाकरे, श्री विक्रम वर्मा, श्री गौरीशंकर, श्री नगीन कोचर और कपूरचंद धुवारा की कुल सात सूचनाएँ अध्यक्ष महोदय को प्राप्त हुईं। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी गयी। मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने अध्यक्ष से स्वयं निवेदन किया कि इसे चर्चा के लिए ग्राह्य करें। इसी के साथ इसी विषय पर सदस्य श्री मोतीलाल वोरा, श्री अच्युतानन्द मिश्र, डॉ. परसुराम साहू और श्री लोचनलाल ठाकरे की ध्यानाकर्षण सूचनाएँ भी प्राप्त हुईं। यहाँ मूल स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और चर्चा के कुछ अंश दिये जा रहे हैं। चर्चा के दौरान जब श्री के.एन. प्रधान ने श्री सुन्दरलाल पटवा पर आरोप लगाये उसी समय मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने अत्यन्त सार्थक हस्तक्षेप किया—

अध्यक्ष : दिनांक 25 अगस्त 1980 को महू नगर में दंगा होने के सम्बन्ध में मेरे पास निम्नलिखित सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं—

पहली : श्री रमाशंकर सिंह, दूसरी : श्री महेन्द्र कर्मा, तीसरी : श्री राधारमण भार्गव, चौथी : श्री निर्भयसिंह पटेल, पाँचवीं : डॉ. परसुराम साहू और लोचनलाल ठाकरे, छठवीं : श्री विक्रम वर्मा, श्री गौरीशंकर, श्री नगीन कोचर और सातवीं : श्री कपूरचन्द धुवारा। चूँकि रमाशंकर सिंह सदस्य की स्थगन प्रस्ताव की सूचना पहले आयी है अतः मैं उसे पढ़कर सुनाता हूँ—

"15 अगस्त 1980 के दिन महू के अल्प सम्प्रदाय को मुरादाबाद में हुए दंगों के विरोध में जुलूस न निकलने देने के प्रयासों के कारण सांप्रदायिक दंगा भड़का, जिसमें पुलिस की भूमिका अत्यन्त ही गैर-जिम्मेदाराना रही। दो व्यक्ति मारे गये तथा करीब चालीस घायल हुए हैं। इस कारण पूरे प्रदेश के अल्पसंख्यक सम्प्रदाय में तनाव और क्षोभ व्याप्त है। भोपाल में सीहोर तथा इन्दौर तथा रतलाम में तुरन्त शांति प्रयासों की आवश्यकता है। अतः इस गम्भीर विषय पर चर्चा हेतु सदन की कार्यवाही स्थगित की जाये।"

इसके संबंध में शासन का क्या कहना है?

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना यहाँ पर पढ़ी है, निश्चित रूप से यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इस सम्बन्ध में माननीय सदन के सदस्यों की चिंता भी स्वाभाविक है। शासन इस सदन के प्रति अपनी जिम्मेदारी को सर्वोपरि मानता है। काँग्रेस पार्टी के प्रजातंत्र के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने के कारण से मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस स्थगन प्रस्ताव को चर्चा के लिए ग्राह्य करें और इस पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करें। (मेजों की थपथपाहट)

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, महू की घटना से संबंधित एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना मैंने भी आपको दी है। मैं अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को पढ़ना चाहता हूँ। मुझे उसके पढ़ने की अनुमति दी जावे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : वोराजी का नाम भी इस स्थगन प्रस्ताव में जोड़ दिया जाये।

श्री मोतीलाल वोरा : मैं श्री पटवाजी की इस लाचारी से खुद लाचार हूँ कि वे मेरा नाम जुड़वाने की सिफारिश न करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने भी सर्वप्रथम इस सम्बन्ध में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है और अब चूँकि आपने इसी विषय से संबंधित स्थगन प्रस्ताव पढ़ दिया है, इसलिये मुझे भी अपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को पढ़ने की अनुमति दी जाये।

डॉ. परसुराम साहू : इस संबंध में अनेक सदस्यों ने प्रस्ताव दिये हैं, इसलिये सभी सदस्यों के प्रस्तावों को भी पढ़ दिया जाये।

श्री कृष्णपालसिंह : अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपनी ओर से इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिये स्वीकार कर लिया है, तो सचमुच इससे सदन का गौरव अत्यधिक बढ़ गया है। काँग्रेस पक्ष की तरफ से इस तरह के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करना स्वीकार किया गया है। माननीय सखलेचा जी से मैं कहूँगा कि वे अपने

पुराने भाषणों को देखें कि उन्होंने कभी भी एक भी स्थगन प्रस्ताव को चर्चा के लिये स्वीकार नहीं किया और न अपनी राय तक दी। यह तो काँग्रेस पक्ष का बड़प्पन देखिए कि उसकी जनता के प्रति कितनी सहानुभूति है। हमारे नेताजी ने स्वयं इस पर चर्चा कराने के लिये पहल की है। इससे साबित होता है कि जनता पार्टी के शासन और काँग्रेस पार्टी के शासन, दोनों के कार्य करने के तरीके में कितना फर्क है?

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : जैसा अभी श्री कृष्णपालसिंह जी ने कहा कि मैंने कभी इस तरह की चर्चा के लिये पहल नहीं की। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस तरह की चर्चा कराने का मतलब होता है गवर्नमेंट पर सेंसर मोशन का रखा जाना। जिस ढंग से मुख्यमंत्री जी ने इस पर चर्चा के लिये स्वीकृति दी है उससे साबित होता है कि इस शासन में दंगे हों, लोगों की सुरक्षा न हो, तो यह एक तरह से गवर्नमेंट पर सेंसर करना होता है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वास्तव में तो हमने ही स्थगन प्रस्ताव रखा है।

श्री कृष्णपालसिंह : काँग्रेस पक्ष को देखिए कि कहीं कोई गड़बड़ी है तो उस पर तुरन्त चर्चा के लिये हमारा शासन तैयार है। आप इसे सेंसर मानते हैं, लेकिन हम तो इसे सद्भावना से चर्चा के लिये परम्परा डाल रहे हैं।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : क्या आप इसे उचित मानते हैं कि इस तरह से चर्चा का होना सेंसर मोशन नहीं है? क्या इस बात को आप नहीं जानते?

श्री अर्जुनसिंह : मैं माननीय सखलेचा जी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मोशन कुछ भी हो, निर्णय सदन क्या करता है उस पर निर्भर करता है और शासन के बारे में सदन क्या सोचता है इसको देखना है। जहाँ तक सवाल इस सदन को अवसर देने का है, मैं समझता हूँ सदन को अवसर देने की पहल हमने की है। अगर आपने अपने समय में अवसर नहीं दिया तो आप किसी मानसिकता से ग्रसित रहे होंगे। अब उसकी सफाई देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : आपका यह जो कहना है कि हमने पहल की है, तो यह सही नहीं है, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव तो हमने रखा है।

श्री कृष्णपालसिंह : अविश्वास प्रस्ताव पर जो सेंसर मोशन होता है उसे हम सेंसर मोशन मानते हैं। आप तो हर बात में भागते रहते हैं।

अध्यक्ष : सेंसर का प्रश्न उपस्थित हुआ नहीं। शासन का उत्तर सुनने के पश्चात् मैं अपनी सहमति देता हूँ। अब प्रस्ताव प्रस्तुत होगा।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, 15 अगस्त .....

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, उसको भी लिया जाये।

अध्यक्ष : मैं ले रहा हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : एक स्थगन प्रस्ताव एक विषय पर आपने प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। मेरा कहना है कि मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार और भी विषयों पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा का अवसर दिये जाने के लिये माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। आज तो केवल एक ही प्रस्ताव पर चर्चा होगी। मेरा निवेदन है कि जो बाकी स्थगन प्रस्ताव हैं उनको कल के लिये रखने की कृपा करें।

श्री कृष्णपालसिंह : एक बार में एक ही स्थगन प्रस्ताव स्वीकार होता है और जो बच जाते हैं उनका क्या हश्र होता है, यह तो आप जानते ही हैं। यह कहना कि कल-परसों उनको ले लिया जाये, यह कभी नहीं होता।

श्री सुन्दरलाल पटवा : इतना ही नहीं पार्लियामेंटरी प्रोसीजर वित्तमंत्री जी आपको भी मालूम है, मुझे आपसे यह अपेक्षा नहीं थी। मैं यह निवेदन कर रहा था कि चूँकि वह भी उतना ही महत्वपूर्ण विषय है और यदि श्रीमान् कृपा करके उस पर अपना निर्णय देने की कृपा करेंगे तो सदस्यों का अधिकार सुरक्षित रह सकेगा।

अध्यक्ष : देखिए, सदन में जितने भी स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्य प्रस्तुत करते हैं, माननीय सदस्य उसको महत्वपूर्ण समझकर ही प्रस्तुत करते हैं, चूँकि एक चर्चा में आ जाता है, तो दूसरा अपने-आप लुप्त हो जाता है। आज की कार्यवाही में स्थगित किया गया है और उसका उल्लेख भी आज की कार्यवाही में है। कल की कार्यवाही

में स्थगित करने के लिये मैं कैसे कह सकता हूँ। उसे आप कल दुबारा रख सकते हैं।

चूँकि श्री रमाशंकर सिंह के स्थगन प्रस्ताव को अनुमति दी गई है, अतः वे अब प्रस्तुत करने की सदन से अनुमति माँगें।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने 15 अगस्त को महू में हुई घटना के संबंध में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसे आपने अनुमति दी है। मैं इस पर चर्चा हेतु सदन की अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी जाये?

अनुमति प्रदान की गई।

अब इस पर चर्चा हेतु आज 3 बजे से 5 बजे तक के लिए समय निर्धारित करता हूँ।

ध्यानाकर्षण सूचना

आज ध्यानाकर्षण सूचनाएँ निम्न सदस्यों द्वारा प्राप्त हुई हैं—

श्री मोतीलाल वोरा, अच्युतानंद मिश्र, डॉ. परसुराम साहू, लोचनलाल ठाकरे। चूँकि इस प्रस्ताव को ग्राह्य कर उस पर चर्चा होना है और श्री वोरा की ध्यानाकर्षण की सूचना पहले प्राप्त हुई है, इसलिए श्री वोरा अपनी सूचना देंगे।

श्री मोतीलाल वोरा (दुर्ग) :(श्री अच्युतानंद मिश्र, डॉ. परसुराम साहू, श्री लोचनलाल ठाकरे) अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 138 (1) के अधीन मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान निम्न अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करता हूँ कि वे इस पर अपना वक्तव्य देने का कष्ट करें।

विषय इस प्रकार है:— दिनांक 15 अगस्त 1980 को महू में दो संप्रदायों के बीच सांप्रदायिकता की आड़ में असामाजिक तत्वों ने शांति भंग करने के उद्देश्य से जिन हरकतों का प्रदर्शन किया एवं बाद में प्रभात फेरी में शामिल युवकों एवं नागरिकों में उत्तेजना फैलाने के लिए खुलकर बंदूकों का प्रयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप नीमा समाज की एक महिला, जो अपने मकान के ऊपरी हिस्से में खड़ी थी, गोली की शिकार हुई एवं उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिये अश्रुगैस का उपयोग किया एवं लाठी चार्ज किया, जिसके कारण कुछ लोग घायल हुए। असामाजिक तत्वों ने भी खुलकर हथियारों का प्रयोग किया, परिणामस्वरूप कुछ पुलिस के सिपाही एवं अन्य लोग घायल हुए हैं। मृतकों की संख्या दो तक पहुँच गई एवं आठ लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। सुनियोजित तरीके से सांप्रदायिकता को उभारने वालों के पीछे एक संगठन विशेष का हाथ बताया जा रहा है। महू में स्थिति तनावपूर्ण है। इन तत्वों ने महू में कई दुकानों में आग लगा दी एवं लूटपाट करने का उपक्रम किया। महू में घटित इस घटना के पीछे जिन तत्वों का हाथ है, उन्हें अब तक नहीं पकड़ा है। शांतिप्रिय लोगों में भय एवं असुरक्षा की भावना व्याप्त है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर तो आया ही नहीं।

अध्यक्ष : इसका जवाब स्थगन प्रस्ताव के समय में ही आयेगा। अलग से जवाब नहीं है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : ये तो अलग से ईशूज हैं, इसे वोराजी ने अलग से प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष : सदन का समय दुबारा जाया न हो अतः मैंने आदेश दिये हैं कि दोनों एक साथ आ जायेंगे। जो पहले आता है उसे पहले सुना जाता है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आपने भले ही वोराजी को अनुग्रह करने के लिये प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी है, पर शासन का जवाब तो आ जावे।

अध्यक्ष : दोनों जवाब एक साथ दे देंगे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : जब शासन का जवाब आता है तो आप एक-दो प्रश्न पूछने की अनुमति देते हैं।

अध्यक्ष : उनको प्रश्न पूछने का मौका मिल जायेगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : फिर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का औचित्य क्या है? जब आपने अलग से प्रस्तुत करने का मौका दिया है, तो उन्हें बोलने का मौका दिया जा सकता है। अलग से प्रस्तुत करने का महत्व है, यह सोचकर आपने अनुमति दी है।

अध्यक्ष : दोनों प्रक्रियाएँ हैं। ध्यानाकर्षण व स्थगन की प्रक्रिया हैं। दोनों का सब्जेक्ट मैटर एक है।

श्री के.एन. प्रधान (बुधनी) : अध्यक्ष महोदय, मुरादाबाद में जो साम्प्रदायिक झगड़े हुए उसके बाद हमारे देश में कई जगह इस प्रकार के झगड़े शुरू हो गये। महू हमारे प्रदेश में शामिल है, वहाँ भी इस प्रकार का झगड़ा हुआ। अध्यक्ष महोदय, हर व्यक्ति जो मानवीय सिद्धांतों में विश्वास रखता है, इस प्रकार की बातों से दुःखी होगा। मुझसे पहले जो माननीय सदस्य बोले, उन्होंने इस बात को बार-बार दोहराया कि जनता पार्टी के शासनकाल में दंगे हुए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जनता पार्टी के शासनकाल में भी दंगे हुए हैं। मेरठ और अलीगढ़ में इस प्रकार के दंगे जनता पार्टी के शासनकाल में हुए और हमारे प्रदेश में भी बरेली में दंगे हुए। फर्क इतना ही है कि उन दंगों में काँग्रेस का हाथ नहीं था। पर मैं जनता पार्टी के लोगों को दाद देता हूँ कि यह चोरी भी करते हैं और ऊपर से सीना जोरी भी। बड़े खेद की बात है कि ये सब कुकर्म भी करते हैं और उसके बाद हिम्मत यह करते हैं कि इल्जाम काँग्रेस के सिर उढ़ाना चाहते हैं और अपने कुकर्मों को ढँकने की कोशिश करना चाहते हैं। फर्क बस इतना ही है कि जब इस प्रकार के झगड़े होते थे और हम विरोधी पक्ष में थे, हम राष्ट्रीय विचारधाराओं के थे और सिक्यूलरिज्म में विश्वास करते थे और करते हैं, हम इन दंगों को समाप्त करने में शासन का साथ देते थे, अपना सहयोग प्रदान करते थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब अलीगढ़ और मेरठ में इस प्रकार के दंगे हुए, तब अपने देश के अन्दर इस प्रकार के जुलूस निकालने का प्रोग्राम क्यों नहीं बनाया? पर अबकी बार जब मुरादाबाद में दंगा हुआ तो इन लोगों ने साजिश की कि किस प्रकार से कांग्रेस सरकार को, इन्दिरा शासन को बदनाम किया जाये और उस दिशा में इन्होंने कदम उठाये। मैंने सुना अध्यक्ष महोदय, श्री पटवाजी ने कहा था कि शासन जो भी अच्छा कार्य करेगा वह उसकी ताईद करेंगे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम उनसे यह एसपैक्ट नहीं करते थे जिस प्रकार से षड्यंत्र करके उन्होंने सीहोर में जुलूस निकालने की कोशिश की पर शासन वहाँ सतर्क रहा और कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। महू में केवल दंगा हुआ। पटेल साहब ने स्वयं स्वीकार किया है कि अल्पसंख्यकों ने विश्वास दिलाया था कि वह काला दिवस नहीं मनायेंगे। पर इन लोगों के कार्यों से साफ साम्प्रदायिकता झलकती है कि इन्होंने प्रभात फेरी के नाम से जुलूस निकाला। अध्यक्ष महोदय, यह सभी जानते हैं कि प्रभात फेरी हमेशा प्रातःकाल ही निकाली जाती है, पर इन्होंने साढ़े दस बजे प्रभात फेरी का नाम लेकर जुलूस निकाला। इसमें स्पष्ट रूप से जनता पार्टी की साजिश रही और उन्होंने जमाते इस्लामी से इस कुकृत्य के लिये गठबंधन किया, जो इस देश को और काँग्रेस सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता था कि जैसा हमारे माननीय सदस्य भाई रमाशंकर जी ने कहा कि हम इस व्यू के हैं कि किसी चीज को उसकी फेस वैल्यू से देखें। मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाएँ जब होती हैं, उसका बैकग्राउण्ड देखा जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वह स्थिति उत्पन्न हो गई है, अब हमें कड़े निर्णय लेना पड़ेंगे। राजनीति में शेर की खाल पहनकर भेड़िये को नंगा करना पड़ेगा। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में पुलिस की समस्या है। ये लम्बी-चौड़ी बातें करना चाहेंगे, एक उदाहरण देना चाहता हूँ। पुलिस के अन्दर एक साम्प्रदायिक गुट को भरने की कोशिश की है, जबकि आरक्षक और प्रधान आरक्षक के इम्तहान लिये गये थे, जो उत्तीर्ण न थे उनकी लिस्ट सरकार तक पहुँच गई।

अध्यक्ष महोदय : यह महू से संबंधित नहीं है।

श्री सुन्दरलाल पटवा (सीहोर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई भाषण करने के लिए श्रीमान् से अनुमति नहीं चाही है, केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूँ माननीय प्रधान जी से और मुख्यमंत्री जी से। प्रधान जी पुराने और अनुभवी सदस्य हैं। मैं नहीं समझता कि आवेश में आकर इस प्रकार की बातें बोल जायेंगे, जिसके सिर-पैर नहीं हैं, तथ्य नहीं हैं, अनर्गल हैं कि पटवाजी ने भी सीहोर में जुलूस निकालने की कोशिश की है। मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री किसी न्यायाधीश को नियुक्त करें। प्रधान जी अपने प्रमाण दें और मैं अपने दूँ। यदि इस प्रकार का साबित हुआ जो प्रधान जी ने कहा है तो मैं इस सदन के समक्ष निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दूँगा अन्यथा प्रधान जी क्षमा माँगें। यह साबित नहीं हुआ तो प्रधान जी अपने को सुधारने की कृपा

26924

करें, उनके लिये निर्णय उन्हीं पर छोड़ता हूँ। मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन करूँगा कि इस प्रसंग में पारस्परिक दोषारोपण पर ही इस समस्या का निदान न किया जाये। इस विषय में वे कृपा करेंगे कि महू के दंगे की घटना और अन्य स्थानों की न्यायिक जाँच हो, वरिष्ठ न्यायाधीश से करवाने की घोषणा करें। मैं मुख्यमंत्री जी को विश्वासपूर्वक आश्वासन देता हूँ कि मेरा सहयोग, दल का सहयोग एवं हमारे दल का कोई भी व्यक्ति पाया गया तो यह तय करना मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर है कि इस बीमारी का समूलोच्छेदन करते हैं या केवल लीपा-पोती करते हैं, मैं मुख्यमंत्री के विवेक पर छोड़ता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि उन्होंने इस बहस में भाग लेकर कम से कम यह प्रयास किया कि सम्पूर्ण विषय को सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाये और महू की विशिष्ट घटना के बारे में अपनी जानकारी के मुद्दे सदन में दिये और उसको समझने का प्रयास किया। मुझे दुःख केवल इस बात का है कि कई माननीय सदस्यों ने, जो हमारे दल की ओर से इस प्रस्ताव में यह चर्चा स्वीकार करने के पीछे जो उद्देश्य था, जो मंशा थी, उसे न समझकर इस अवसर का लाभ राजनैतिक दृष्टिकोण व्यक्त करने में लिया और इस परिस्थिति में मजबूर होकर हमारे दल के कुछ माननीय सदस्यों को उनकी दलीलों का उत्तर देने में लगाना पड़ा। प्रश्न यहाँ किस पार्टी ने क्या किया या नहीं किया, किसने दंगों की शुरूआत की, कब से की, मैं समझता हूँ कि यह इस प्रस्ताव का विषय नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो उसके लिये कभी दूसरे समय पर बहस कर सकते हैं और उस समय मुगलकाल से लेकर आज तक और गोड़से काल से लेकर आज तक अच्छी समीक्षा सदन में की जा सकती है। और सबको इस बात का भान हो जायेगा कि इस प्रदेश के अन्दर राष्ट्रीय भावना बढ़ाने में काँग्रेस पार्टी बाधक रही है या दूसरे तत्व रहे हैं। अल्पसंख्यकों को आगे लाने में अध्यक्ष महोदय, मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता क्योंकि हमारा विषय सीमित है इसलिये नहीं कि मेरे पास कुछ कहने को नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी ही नहीं काँग्रेस पार्टी के निष्ठावान् कार्यकर्त्ता जो पार्टी के सिद्धांतों के प्रति समर्पित भावना से काम करते हैं, उसके जीवन का अंग हैं, वे धर्म-निरपेक्षता के आधार पर कार्य कर रहे हैं। उसमें कोई असंगति होती है तो हमारा भी यह कर्त्तव्य हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को हम अपने दल का सदस्य कहने का साहस न करें। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक इस घटना का प्रश्न है, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूँगा कि तीन बातें मुख्य रूप से सामने आई हैं। पहली बात तो यह है कि जिस दिनांक को यह घटना घटी, उसके पूर्व इस घटना की सूचना केन्द्रीय मंत्री श्री प्रकाशचन्द सेठी जी ने हमें दी और उस घटना की जानकारी होते हुए भी हमने उस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह सूचित करना चाहता हूँ कि माननीय सेठीजी ने जो समाचार-पत्रों में कहा है, वह उन्होंने आकर हमें भी बताया और हमारे जितने भी साथी रहे हैं, 14 तारीख की रात को फोन पर उन्होंने सूचित किया। उन्होंने ही नहीं और स्रोतों से इस बात की सूचना दी गई कि कुछ तत्व भारतवर्ष में ऐसे हैं, जो अस्थिरता का वातावरण पैदा करने की कोशिश में हैं। जो हमारी आर्थिक लड़ाई को दूसरी ओर मोड़ना चाहते हैं, वे भारत की अखंडता को भी क्षति पहुँचाना चाहते हैं। ऐसी शक्तियाँ भारत में सक्रिय हैं, उनसे सचेत रहने की आवश्यकता है। कहीं भी घटना हो जाती है, तो कड़ाई से कदम इस देश में होना चाहिये। सेठीजी ने इस बात की सूचना दी, उसके लिये अनुगृहीत हूँ। उसके पीछे और बात फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो माननीय सदस्य इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिये मुझे खेद है। जब से मुरादाबाद में घटना हुई तब से, जो कुछ हमें काम करना था, सिर्फ महू के लिये नहीं समूचे प्रदेश के लिये काम हुआ है, उसके बारे में शासन ने सतर्कता बरती है और उसी का परिणाम है कि आज महू की घटना को छोड़कर इस प्रदेश में और कहीं इतनी ज्यादा उत्तेजनापूर्ण घटना नहीं घटी। इसका श्रेय मैं नहीं लेता। इसका श्रेय सर्वप्रथम मध्यप्रदेश के शांतिपूर्वक रहने वाले नागरिकों को है, जिन्होंने गौरवमयी परम्पराओं को यहाँ स्थापित कर रखा है। उन्होंने ऐसे तत्वों को अपनी ओर से कोई भी प्रश्रय नहीं दिया, जो शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं। दूसरा श्रेय हमारी जो शांति व्यवस्था को कायम रखने वाली मशीनरी है, उसकी कर्त्तव्यपरायणता को है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि यहाँ पर माननीय सदस्यों ने कहा महू में मुरादाबाद की घटना के प्रतिक्रियास्वरूप

और अन्य कई स्थानों पर हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी भावना व्यक्त करना चाहते थे। प्रजातांत्रिक समाज में किसी भी व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को ऐसी भावना को व्यक्त करने का अधिकार है और इसलिये 15 तारीख के पहले इन्दौर में और भी 2-1 स्थानों पर शांतिपूर्वक जुलूस निकला और लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। शासन ने उन पर किसी प्रकार की रोक नहीं की थी। 15 तारीख को जो जुलूस नहीं निकलने वाला था वहाँ पर उन लोगों से अवश्य कहा गया कि यह जुलूस 15 तारीख को न निकाला जाये और इस बात का आभास भी दिया गया कि यह जुलूस नहीं निकाला जायेगा, लेकिन कुछ लोग जो सदैव परिस्थितियों का फायदा लेते हैं, दूसरे दिन जुलूस और प्रभात फेरी को परस्पर आमने-सामने खड़ा होने की भूमिका बना डाली। जिस समय यह घटना महू में घटी उस समय जो भी फोर्स वहाँ पर था, सामान्य रूप से वह महू के अन्दर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिये पूरी तरह से पर्याप्त था। घटना घटने के बाद स्थिति के बिगड़ने के बाद जल्दी से जल्दी फोर्स बाहर से वहाँ भेजा गया। इसलिये यह कहना कि घटना के समय फोर्स पर्याप्त नहीं था, उचित नहीं होगा। तुरन्त ही फोर्स पहुँचा और सेना को भी बुलाया गया। हम ज्यादा फोर्स नहीं चाहते परन्तु ऐसे तत्वों को दबाना समाज के हित में अनिवार्य है, इसलिये वहाँ पर पूरी चौकसी करके सेना ने दखल किया, पुलिस ने दखल किया और जो विवेकशील नागरिक हैं, जिनकी संख्या 99 प्रतिशत है, केवल 1 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जो शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं, उन नागरिकों ने कमेटी बनाई और हमारे मंत्रीगण भी वहाँ पहुँचे, उन्होंने भी स्थिति को सुधारा, हमारे किसी मंत्री ने लोगों को भड़काने की कोशिश की, इस तरह का आरोप बिल्कुल निराधार है और राजनीति से प्रेरित है।

इस प्रकार अध्यक्ष महोदय, पूरी स्थिति को काबू में लाने के लिये हमारी ओर से प्रयास किया गया है और यह कहना कि महू कि घटना ऐसी है, जिसकी वजह से समूचे प्रशासन को अकर्मण्य मान लिया जाये या अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लायक नहीं है, यह मान लिया जाये, तो मैं समझता हूँ कि इस बात का इससे कोई तारतम्य नहीं है, सिवाय इसके कि कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो जाये, लेकिन किसी के चाहने से अगर कुछ हो जाता है तो अभी तक बहुत कुछ हो गया होता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक साम्प्रदायिकता का प्रश्न है, मैं माननीय विरोधी दल के नेता से, माननीय सदस्यों से और सदन के माध्यम से इस प्रदेश के नागरिकों से कहना चाहता हूँ कि यह शासन, कॉंग्रेस पार्टी का हर शासन हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के स्पष्ट निर्देश और आदर्शों पर संचालित किया जा रहा है और उनकी यह प्राथमिक जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी धर्म, जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ, निर्भीकता के साथ इस प्रदेश में निर्वाह करने का अधिकार है और उसके संरक्षण के लिये शासन के लोग जिम्मेदार हैं। किसी भी दल का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी का भाई या रिश्तेदार हो, यदि वह गड़बड़ी पैदा करता है तो शासन बिना किसी संकोच के निर्भीकता के साथ ऐसे तत्वों को दबायेगा और उनके खिलाफ कार्यवाही करेगा। (मेजों की थपथपाहट)।

अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूँ हमारे विरोधी दल के नेता ने एक चुनौती वाली बात कही, मैं चुनौतियों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि चुनौती तो अन्तिम समय में देनी चाहिये, जब सभी चीजें समाप्त हो जायें और चुनौती के अलावा और कोई बात नहीं रहे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : माननीय सदस्य श्री प्रधान ने मुझे कटघरे में खड़ा किया। मैं हिसाब माँग रहा हूँ, आप इसे चुनौती कह रहे हैं, यह तो थोड़े हटकर बात हुई।

श्री के.एन. प्रधान : अध्यक्ष महोदय, जब पटवाजी सीहोर पहुँचे उनके कार्यकर्त्ताओं की मीटिंग के बाद ही यह अफवाह हुई है।

(व्यवधान)

श्री विक्रम वर्मा : थोड़ी देर पहले इनके अलफाज़ अलग थे।

श्री अर्जुनसिंह : मैं वर्मा जी से कहूँगा कि वे तो अफवाहों पर विश्वास न करें। यथार्थ की बातें इतनी हैं, अफवाहों में क्यों जाते हैं। मैं विरोधी दल के नेता से कहूँगा कि वे सहसा अपने को कटघरे में खड़ा हुआ न मानें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मानने का सवाल नहीं है, मुझ पर आरोप लगाकर कटघरे में खड़ा किया गया।

श्री अर्जुनसिंह : मैं आपसे तो अपेक्षा नहीं करता हूँ कि .....

अध्यक्ष : मैं बीच का रास्ता बताता हूँ, इस आरोप को सदन की कार्यवाही से निकाल दें।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थितियों में आरोप-प्रत्यारोप और चुनौतियाँ बहुत ही सोच-समझ कर अन्तिम अस्त्र के रूप में इस्तेमाल होना चाहिये। यहाँ तक कि छोटी-छोटी बातें, छोटे-छोटे कदम, एक भी छोटी बात और एक भी छोटा कदम कभी महत्वपूर्ण बन सकता है, दूरगामी परिणामदायक बन सकता है। आज प्रदेश के अन्दर कुछ स्थानों में, मैं सदन को विश्वास में लेकर कहना चाहता हूँ कि कुछ असामाजिक तत्व लोगों में अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, दंगे करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है, अपने प्रशासन के कर्मचारियों पर, पुलिस के जवानों पर और अधिकारियों पर और इस प्रदेश के शांतिप्रिय नागरिकों पर कि वह ऐसे सभी असामाजिक तत्वों के मन्सूबों को पूरा नहीं होने देंगे। लेकिन इस विषय में, मैं माननीय विरोधी दल के नेता से प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो हो, जब तक इस तरह का वातावरण इस प्रदेश में विद्यमान है, प्रयास जारी है, आप शांति और व्यवस्था को कायम रखने में सहयोग दें। जहाँ पर ऐसे तत्वों के विरोध में धारा 144 लगी है, जैसे रतलाम आदि, वहाँ पर आपके जो प्रदर्शन होने वाले हैं, उनकी तिथियाँ आगे बढ़ा दें, बाद में कर दें ताकि असामाजिक तत्वों को इसका गलत अवसर न मिले, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है, इसे आप स्वीकार करें या न करें, इसे मैं आप पर छोड़ता हूँ।

अध्यक्ष : विधानसभा कल 10.30 बजे तक के लिए स्थगित।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/19 अगस्त 1980, पृष्ट/ 96-98,119-121)

रतलाम और उज्जैन की जावरा और महिदपुर शक्कर मिलें बन्द होने के बारे में सदस्य श्री मोहनलाल सेठिया ने एक तारांकित प्रश्न राज्य मन्त्री कृषि श्री दिग्विजय सिंह से पूछा। प्रश्न चर्चा के बीच व्यवधान भी उपस्थित हुआ। इसी चर्चा में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने कहा कि हम मजदूरों और किसानों के हित को सर्वोपरि मानते हैं आप तो चीनी की बात कर रहे हैं और मैं फैक्टरी के पूरे मजदूरों की रक्षा करने की बात सोच रहा हूँ। चर्चा इस प्रकार हुई—

श्री मोहनलाल सेठिया : क्या राज्य मंत्री (कृषि) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जावरा, जिला रतलाम तथा महिदपुर, जिला उज्जैन के शुगर मिल कब से बन्द पड़े हैं? (ख) क्या उक्त मिल मालिक द्वारा मजदूरों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है? (ग) उक्त दोनों मिल में कितने-कितने कर्मचारी काम करते हैं तथा उनको कितनी-कितनी तनख्वाह देना शेष है? (घ) क्या उक्त मिल मालिक द्वारा किसानों के गन्ने का दाम भी देना शेष है? (ङ) यदि हाँ, तो कब-कब से, कितना-कितना?

श्री दिग्विजय सिंह (राज्य मंत्री कृषि) : (क) जावरा शक्कर कारखाना, दिनांक 26 फरवरी 1980 से तथा महिदपुर शक्कर कारखाना, दिनांक 28 जनवरी 1980 से बन्द है, (ख) जी हाँ। (ग) महिदपुर कारखाने में 485 कर्मचारी हैं। 12 मई 1980 तक उनका लगभग रु. 10 लाख देना शेष है। जावरा कारखाने में 1087 कर्मचारी हैं। अगस्त 1979 से फरवरी 1980 तक की अवधि के लिये लगभग रु. 10 लाख 20 हजार वेतन देना शेष है। (घ) जी हाँ। (ङ) वर्ष 1974-75 से 1979-80 तक की अवधि की बकाया राशि निम्नानुसार है—

कारखाना	राशि रुपया
जावरा	82,31,431
महिदपुर	36,94,973

श्री मोहनलाल सेठिया : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूँ कि जावरा और महिदपुर शुगर मिल फरवरी माह से बन्द पड़ी है, वहाँ के 1600 कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है, उनके 21 लाख रुपये वेतन के बकाया है,

हजारों किसानों की गन्ने की रकम बकाया है, करीब डेढ़ करोड़ की है। माननीय कृषि राज्य मंत्री ने जो उत्तर दिया है, वे यह बताने की कृपा करेंगे कि किसानों को गन्ने का मूल्य तथा कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह कब तक दी जायेगी।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण के बारे में यह शासन पूरी तरह से चिन्तित है। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो किसानों का बकाया है, उसका तत्काल पेमेन्ट होना चाहिये। जो मजदूरों का बकाया है, वह भी पेमेन्ट होना चाहिये। शासन के सामने दो-तीन योजनायें विचाराधीन हैं और मैं समझता हूँ कि शीघ्र ही उनका निराकरण किया जायेगा।

अध्यक्ष : आपने जैसा कहा कि कुछ योजनाएँ विचाराधीन हैं, क्या शासन उनको हस्तगत करना चाहता है?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो दोनों शुगर मिल के एक ही मालिक हैं, उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की थी। वह यह कि कुछ राशि बैंक द्वारा उनको ऋण, शासन की गारन्टी पर दिलवाया जाये, कुछ वे स्वयं लगाने को तैयार हैं, इस तरह की योजना हमारे सामने आई थी। उसका हमने परीक्षण कराया था। एक कमेटी बनाई थी सर्वेक्षण के लिए, उस कमेटी की रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त हो गई। एक योजना यह है कि जो योजना मिल मालिक ने दी है, इसको कार्यरूप दिया जाये। दूसरे योजना टेक ओवर की है। टेक ओवर दो तरह से हो सकता है, एक जो गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया का एक्ट है, जिसमें भारत शासन द्वारा चीनी संस्थान प्रतिष्ठान द्वारा टेक ओवर किया जा सकता है। जिसका पूरा भार भारत शासन पर पड़ेगा, उसके बारे में मैंने स्वयं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने केन्द्रीय कृषि मंत्री जी से भेंट की थी और सारी स्थिति से उन्हें अवगत कराया था। उन्होंने कुछ तथ्यों का स्पष्टीकरण माँगा था, वह भी हमारे विभाग द्वारा दिया जा चुका है। इस तरह से केन्द्रीय शासन से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये दोनों मिलें इस एक्ट के तहत वे ले लें। उस बारे में निर्णय अभी अपेक्षित है। यदि केन्द्रीय शासन लेने से इन्कार करता है तो मध्यप्रदेश शासन भी इस बारे में विचार कर सकता है और अधिग्रहण कर सकता है, इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट की धारा 18-ए के अन्तर्गत, लेकिन प्रश्न आर्थिक भार का आता है। यदि टेक ओवर करते हैं, तो करीब ढाई करोड़ रुपये का भार शासन पर पड़ेगा। यदि हम लोगों के सामने यही रास्ता रह जाता है कि टेक ओवर करना पड़े, तो मैं समझता हूँ कि उस इलाके के गन्ना उत्पादकों के हित के लिये, किसानों और मजदूरों के हितों के लिए हम अधिग्रहण करने में भी हिचकेंगे नहीं।

श्री मोहनलाल सेठिया : अध्यक्ष महोदय, दोनों मिलों के एक ही मालिक हैं और वे काँग्रेस के भूतपूर्व विधायक हैं, उनको बचाने की दृष्टि से जो किसानों और मजदूरों का करोड़ों रुपया दिलाने में आप विलम्ब करना चाहते हैं, क्या यह सच है?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, काँग्रेस शासन 1980 के बाद आया है, जो बकाया है, वह जनता पार्टी के राज्य का ही बकाया है। अगर आपको कार्यवाही करना था तो कर सकते थे।

श्री पुरुषोत्तम विपट : यह 1974-75 से बकाया है यानी काँग्रेस शासन से बकाया है। आपने इसी प्रश्न के उत्तर में बताया है।

अध्यक्ष : मुझे लगता है, काँग्रेस शासन और जनता शासन दोनों का बकाया है।

श्री विक्रम वर्मा : प्वाइंट ऑफ आर्डर। एक तरफ सन् 74-75 से बकाया बताया जा रहा है, दूसरी तरफ मंत्री जी कहते हैं, जनता राज्य का बकाया है। मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि सन् 75 तक वह व्यक्ति काँग्रेस का एम.एल.ए. रहा है, इसलिये उस समय से संरक्षण होता रहा। इस तरह से विरोधाभास वाला वक्तव्य देकर मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने जैसा कहा कि काँग्रेस शासन से बकाया है, उन्होंने बताया है, जनता पार्टी शासन का बकाया है। हालात से क्या आ रहा है कि दोनों शासन से बकाया चल रहा है।

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : मेरा गुमराह करने का इरादा नहीं है। मैं आपके सामने स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। 74-75 का जो बकाया है वह केवल ब्याज का भुगतान शेष है। इसके बारे में आर.आर.सी. जारी किया गया था उसके

बाद सुप्रीम कोर्ट में यह केस गया, जहाँ पेंडिंग यह रकम 3 लाख 41 हजार की है। सन् 75-76 के अंदर 9 लाख 87 हजार है। उसके अन्दर कारण यह बता रहे हैं कि ग्रेड गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से तय होकर आता है .....

श्री शीतला सहाय : प्वाइंट ऑफ ऑर्डर। किस वर्ष का, कितना बकाया है यह बता दिया जाये? ये तो अपने समय को जस्टीफाई कर गुमराह कर रहे हैं।

अध्यक्ष : आप बकाया बता दीजिए।

श्री शीतला सहाय : जब भी यह सवाल आता है, तो आठ रुपया किलो की शक्कर तुरन्त बोलने लगती है।.....

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, 75-76 में 9 लाख 87 हजार और 77-78 में 25 लाख 16 हजार है। (शेम-शेम) 78-79 में 34 लाख 29 हजार यह जावरा का है। अब मैं आपको महिदपुर का बतलाता हूँ। 75-76 में 4 लाख 32 हजार। 77-78 में (अस्पष्ट) लाख 71 हजार और 78-79 में 16 लाख 40 हजार है।

श्री भारतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य श्री शीतला सहाय जी जो कह रहे हैं वे यह बतलाएँ कि जब इतना (कितना) बकाया है, तो जब इनकी सरकार थी, जो कि अफीम निकालने में मशहूर है तो उस समय ये क्या अफीम निकाल रहे थे?

श्री चित्रकान्त जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि विगत तीन वर्षों में मजदूरों को पैसे दिलाने में और काम दिलाने में और किसानों को पैसे दिलाने में क्या-क्या कार्यवाही की गई थी।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसका भी ब्रेकअप कर लिया है। 74-75, 76-77 से 80 में जो बकाया है, वह जावरा शुगर मिल की है, 67 लाख रुपये 3 सालों की बकाया है जबकि कुल 82 लाख है।

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सदन को गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं।.....

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि क्या कार्यवाही की गई, या नहीं की गई यह तो रिकार्ड का अंग है यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो यह पटल पर भी रखी जा सकती है। प्रश्न यह है कि यह निर्विवाद है कि तथ्यों के आधार पर पिछले दो सालों से जो मजदूरों का रुपया देय था और जो किसानों का रुपया देय था वह दिया नहीं गया है तो यदि वह देयक बढ़ता चला गया तो प्रश्न यह है कि इस स्थिति को हम बद से बदतर होने दें या कुछ करें? यदि आपने हिम्मत से कुछ काम किया होता तो शायद स्थिति नहीं बिगड़ती। (मेजों की थपथपाहट)। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि शासन उस क्षेत्र में मजदूरों को जो फैक्टरी में काम करते हैं, किसान जिन्होंने गन्ना दिया है उनके हितों को सर्वोपरि मानता है और उसको मानते हुए निकट भविष्य में इस समस्या के निदान के लिये अन्तिम फैसला करेगा, उनके हितों के लिये।

श्री शीतला सहाय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने आज यहाँ मगर के आँसू भी बहा लिए लेकिन जब हम कुछ काम करते हैं, तो उसे राजनैतिक विद्वेष की कार्यवाही कही जाती है। यह एक बड़े दुख की बात है।

(शेम-शेम)

अध्यक्ष : यह बात कहना अनुचित है कि (व्यवधान) मुझे बड़ा दुःख है कि मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के वरिष्ठ नेता है, इस प्रकार राजनैतिक प्रश्न बीच में खड़ा करते हैं, तो यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप सभी शांत हो जायें और बैठ जायें। आप पहले बात को तो सुन लें क्योंकि बिना सुने काम चलेगा नहीं। रहा सबका बीच में बोलने का तो उससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि होहल्ले में किसी की बात लिखी नहीं जा सकेगी। इसलिये आप शांति से सुनें।

श्री शीतला सहाय : मैं अपने प्रश्न को आधे मिनट में रखे देता हूँ।

अध्यक्ष : आप जरा सुन लें। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पूछने तथा उसका मंत्रीजी द्वारा उत्तर दिये जाने के बीच में मुख्यमंत्री जी क्यों बोल रहे है, इससे श्री शीतला सहाय जी को कष्ट हुआ।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, मैं जरा अपनी बात कह लूँ।

श्री अर्जुनसिंह : आप जो कुछ कहना चाहते हैं, वह आप निश्चिंत होकर कहें और मैं उसका उत्तर भी दूँगा।

श्री शीतला सहाय : माननीय अध्यक्ष महोदय, शक्कर के मामले में कुछ सवाल उठाये गये। लेकिन आज आपके राज्य में मिल की शक्कर बढ़ रही है और उसकी कीमत काफी बढ़ रही है। मैं यह पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि शक्कर मिल के पास जो आज स्टॉक है, किसानों और मजदूरों के जो देयक रुके पड़े हैं, उसका भुगतान करने के लिये उसको सीज करवाकर और उसको बेचकर क्या उन लोगों को पैसा दिलायेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : आपने यह कहा कि राजनैतिक प्रश्न इसमें लाया गया और शायद वे यह भूल गये कि यह प्रश्न तो आपके द्वारा ही उठाया गया है। यह कहा गया है कि मैं जानबूझकर (राजनीति) यह प्रश्न लाया हूँ, क्योंकि मेरी राजनीतिक पार्टी को जनता ने सत्ता में भेजा है। इन मामलों में हमारे दल का एक राजनीतिक चिन्तन और एक कार्यक्रम है। क्या हम इससे अलग होकर काम करेंगे, ऐसा आपका शासन कर सकता है। हमारे शासन के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम निश्चित रूप से हर प्रश्न को अपने राजनीतिक कार्यक्रम के अनुसार देखेंगे। प्रदेश की जनता के हित और अहित को ध्यान में रखकर ही कार्य करेंगे। किसानों की, मजदूरों की जो स्थिति है उनके हितों को सर्वोपरि मानकर ही निकट भविष्य में ही शासन निर्णय लेने वाला है। आप तो चीनी की बात कर रहे हैं, मैं तो फैक्टरी के पूरे मजदूरों की रक्षा करने की बात सोच रहा हूँ, आप चिन्ता न करें। उस समूचे प्रकरण पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही निर्णय लें ताकि वहाँ के किसानों की जो फसल आ रही है, उसे वह फैक्ट्री में ला सकें। और उन मजदूरों पर जिनके ऊपर लाखों रुपया बकाया है, इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेंगे।

श्री शीतला सहाय : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब राजनीतिक चिन्तन आपका है तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि फिर जावरा सुगर मिल के खिलाफ जब हमने कार्यवाही की तो कहा जाता था कि हम राजनीतिक विद्वेष से कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मैंने तो यह कभी नहीं कहा और अगर राजनीतिक संरक्षण देने की बात है तो आप स्वयं सोचिये कि अगर किसी व्यक्ति को राजनीतिक संरक्षण देने की बात हो, तो मैं जो कह रहा था वह कभी नहीं कहता।

श्री शीतला सहाय : इतनी चर्चा हो गई, इसके बाद भी मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि (व्यवधान) क्या मिल के पास शक्कर का जो स्टॉक है उसको वे सीज करेंगे? मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि निकट भविष्य में कार्यवाही की जायेगी, जब तक कार्यवाही की जायेगी तब तक वे अपने स्टॉक को बेच लेंगे। क्या वह स्टॉक सीज किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : स्टॉक तो आलरेडी सीज्ड है। अगर इसकी जानकारी इनको नहीं है, तो मैं क्या करूँ।

(व्यवधान)

श्री अच्युतानंद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि प्रश्नों के लिए सिर्फ एक घंटे का समय निश्चित है और अभी केवल 5वें प्रश्न पर ही चर्चा हो रही है। क्या हमें समय नहीं मिलेगा? क्या हमारे अधिकारों को कुचला जायेगा? क्या प्रश्न करने का अधिकार सिर्फ शीतला सहाय जी को ही दे दिया गया है? क्या हमें मौका नहीं मिलेगा?

अध्यक्ष : आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उस पर मेरी व्यवस्था यह है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, उसको जितना समय दिया जाना चाहिये, उतना मैं सोच-समझकर ही दे रहा हूँ।

(व्यवधान)

श्री विक्रम वर्मा : मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है कि माननीय शीतला सहाय जी ने जब माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा कि सीज करके सेल करेंगे क्या तो उन्होंने आधा जवाब दिया कि वे सीज्ड हैं, सवाल इस बात का है कि सीज शक्कर है, सेल करके मिलने वाले भुगतान को मजदूरों को पेमेन्ट किया जायेगा क्या? यह मुख्यमंत्री जी स्पष्ट बता दें?

अध्यक्ष : सीज की जाती है तो उसका उद्देश्य होता है। सीज करके खराब करना उद्देश्य नहीं रहता है।

सीज करके जो आवश्यक कार्यवाही होगी की जायेगी। आप अलग से प्रश्न पूछ लीजिये कि क्या कार्यवाही की जायेगी, वे उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

श्री दिनेश मिश्रा : शीतला सहाय जी ने राजनैतिक इश्यू उठाया है, इनके शासन में कॉंग्रेस कमेटी ने आन्दोलन किया है और जेल गये हैं उसी समय सखलेचा जी के भाई के साथ मिल मालिक भोपाल, इन्दौर के चक्कर काटते रहे।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : ये सूचना गलत है हमने बार-बार सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लिखा था कि मिल को टेक-ओवर कर लें। माननीय मुख्यमंत्री से मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि वे स्पष्ट करें इस बात को कृषि मंत्री कह रहे है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के कृषि मंत्री से जाकर बहुत आग्रह करके आये हैं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट टेक-ओवर कर ले। उनके आर्डिनेन्स में प्रावधान है कि 10 प्रतिशत से अधिक बकाया होने पर टेक-ओवर करना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने निर्णय लिया है कि इसे स्टेट गवर्नमेंट टेक-ओवर करेगी या सेन्ट्रल गवर्नमेंट को करेंगे टेक-ओवर करने के लिए बार-बार हमारी गवर्नमेंट द्वारा समय-समय पर लिखा जाता रहा है क्या आप भी टेक-ओवर करने का निर्णय लेंगे।

(व्यवधान)

श्री दिनेश मिश्रा : मैं माननीय मंत्रीजी को कहना चाहूँगा कि बार-बार सीज करने का कहा जा रहा है ट्रेजरी बेन्चेज से आग्रह करना चाहता हूँ कि ये जानकारी कि कौन-सा शासन मिल को हस्तगत करने वाला है ये सूचना जाएगी तो अफरा-तफरी कर सकते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : श्री सखलेचा जी ने जो प्रश्न उठाया है मैं उसका बहुत ही स्पष्ट उत्तर देना चाहता हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस प्रकरण में शासन किसानों और मजदूरों के हितों को सर्वोपरि मानकर ही निर्णय लेगा इससे कौन प्रभावित होता है कौन नहीं; हमें कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक मिल के अधिग्रहण करने का प्रश्न है केन्द्रीय शासन भी कर सकता है और किन्हीं परिस्थितियों में प्रदेश शासन भी कर सकता है दोनों विकल्प हमारे सामने हैं और जैसा मैंने कहा है कि निकट भविष्य में ही हम इस पर अन्तिम फैसला करेंगे। फैसला जो होगा सदन के सामने आएगा।

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर नहीं आया। क्या 10 प्रतिशत से अधिक बकाया है तो क्या लाजिमी तौर पर सेन्ट्रल गवर्नमेंट को टेक-ओवर करना चाहिए? तो क्या सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों का ध्यान आपने आकर्षित किया है कि 10 प्रतिशत से अधिक बकाया हो चुका है तथा आर्डिनेन्स के अन्तर्गत टेक-ओवर करना चाहिए। आपने कहा कि निर्णय नहीं किया है। टेक-ओवर करेंगे आप कहते हैं कि किसानों के हितों को सर्वोपरि रखकर करेंगे तो क्या निर्णय किया है?

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/20 अगस्त 1980, पृष्ठ/ 127-130)

प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों के कारण विभिन्न विभागों का काम ठप्प हो जाने संबंधी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा—

श्री रमाशंकर सिंह (रोन), (श्री मुंशीलाल, श्री मोहनलाल सेठिया, श्री नगीन कोचर, श्री राधारमण भार्गव, श्री बृजमोहन महेश्वरी, श्री हिम्मत कोठारी, श्री तेज सिंह सेंधव, श्री नागेन्द्र सिंह, श्री निर्भय सिंह पटेल) : अध्यक्ष महोदय .....

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से यह जानना चाहूँगा कि उन्होंने जो यह ध्यान आकर्षण सूचना दी है, इस पर मैं जानकारी सदन को देना चाहता हूँ और इसके लिये.....

श्री रमाशंकर सिंह : पहले मैं अपना प्रस्ताव पढ़ तो दूँ।

श्री अर्जुनसिंह : आप जरूर पढ़ें। मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो केवल यही कह रहा हूँ कि इस प्रस्ताव पर मैं सदन को पूरी विस्तृत रूप से जानकारी देना चाहता हूँ किन्तु इतने कम समय में इतनी विस्तृत जानकारी इकट्ठा करना संभव नहीं हो सका है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको 29 तारीख के लिये रख दिया जाये।

श्री रमाशंकर सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जब आपने एक बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को ग्राह्य कर लिया और मुख्यमंत्री जी ने जवाब देने के लिये तैयारी बताई है।

अध्यक्ष : आप प्रस्ताव पढ़ने को तैयार हैं या नहीं?

श्री रमाशंकर सिंह : पढ़ता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 138 (1) के अधीन मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान निम्न अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वे इस पर अपना बक्तव्य देने का कष्ट करें। विषय इस प्रकार है—

"पूरे प्रदेश के जिलों में प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तक के भारी तबादलों से सामान्य प्रशासन तथा विभिन्न विभागों का काम पूरी तरह ठप्प हो गया है। अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं। विद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं। ग्रामीण विकास तथा कृषि विभाग के कर्मचारी भी अपने कामों व पदों से अनुपस्थित पाये जा रहे हैं। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अपने गृह जिलों से बहुत दूर पदस्थ किये हैं। कुछ विभागों में ट्रांसफर के प्रकरणों में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। सरकार की कोई तर्कसंगत स्थापना नीति ही नहीं बन पाई है।" मैं इस पर दो मिनट का समय चाहता हूँ और स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : बात यह है कि यह प्रदेश के जिलों का मामला है इसलिये मुख्यमंत्री जी को पूरा डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा इसलिये वे चाहते हैं कि इस विषय को 29 तारीख को लिया जाये। आप आज ही इस विषय को क्यों लेना चाहते हैं यह बता दीजिये।

श्री रमाशंकर सिंह : एक तो मुझे यह डर है कि .....

अध्यक्ष : इस पर शासन अपना जवाब देना चाहेगा और वह भी पूरी जानकारी के साथ।

श्री रमाशंकर सिंह : मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो स्थानान्तर किये गये हैं उनमें काफी भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है, अनियमितताएँ हुई हैं। विभागों के प्रस्तावों को रद्द कर दिया गया है और राजनैतिक दृष्टि से सोचकर तबादले किये गये हैं। कुछ तबादलों में तो भारी भ्रष्टाचार हुआ है। मुझे शंका है कि अगर आज बहस नहीं होगी तो कल से ये तमाम मंत्री और खासकर कुछ मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वे गड़बड़ी पैदा करेंगे और सही स्थिति सामने नहीं आने पायेगी?

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यदि आज जवाब नहीं दिया गया तो फाइलों में गड़बड़ी हो सकती है ऐसा आपका कहना है। जो स्थानान्तर हो गये हैं क्या वे वापस लिये जायें? मैं समझता हूँ यही आपका मूल प्रश्न है कि आज ही जवाब आ जाये। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखना है कि शासन को इसकी जानकारी एकत्रित करने में समय चाहिए।

श्री रमाशंकर सिंह : श्रीमान्? मुख्यमंत्री जी की सहमति से ही तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया है या आपने निर्देश दिया है?

अध्यक्ष : मैंने निर्देश नहीं दिया है, मैं निर्देश बाद में दूँगा। आप तो केवल इस पर बोलें कि इसको आज ही क्यों लिया जावे?

(व्यवधान)

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर ही बोल रहा हूँ कि आज ही क्यों रखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी व्यापक और (विस्तृत) जानकारी देना चाहते हैं।

अध्यक्ष : आपने ही माँगी है?

(व्यवधान)

श्री रमाशंकर सिंह : जी हाँ माँगी भी है और वे देना भी चाहते हैं। मेरा कहना यह है कि मैं दो-तीन

ठोस प्रकरण उदाहरण के लिये देना चाहता हूँ जिससे उनको उत्तर देने में मदद हो जायेगी और वे उनका भी जवाब दे सकेंगे। अगर आपका निर्देश होगा तो आगे जब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का जवाब आयेगा तो इन केसेज से उनको उत्तर देने में मदद मिल जायेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप जितने भी प्रकरण देना चाहते हैं उनका निश्चित रूप से स्वागत किया जायेगा किन्तु यदि यहाँ पर आप सब प्रमाण रखेंगे तो पूरा दिन उसी में निकल जायेगा। आप और लेखीं में प्रमाण दे दीजिएगा।

(व्यवधान)

श्री रमाशंकरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी यह कहें कि फाइलें नहीं गड़बड़ की जायेंगी? पिछली बार इसी प्रकार से सखलेचा जी ने गड़बड़ी कर ली थी।

(व्यवधान)

यदि आपकी आज्ञा हो तो ठोस प्रमाण दे दूँ?

अध्यक्ष : आप बाद में मुख्यमंत्री जी को दे दीजिए।

श्री रमाशंकर सिंह : आपकी आज्ञा हो तो पटल पर रख दूँ?

अध्यक्ष : आप मुख्यमंत्री जी को दे दीजिए?

(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा (सीहोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदस्य श्री रमाशंकर सिंह जी के इस कथन— पर घोर आपत्ति है। उन्होंने बिना सोचे समझे नादानी से यह गलत बयानी की है "जैसे कि सखलेचा जी ने फाइलों में गड़बड़ी की थी" मैं इस पर घोर आपत्ति करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इस आरोप को निकाला जाना चाहिये। इन शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाना चाहिये। माननीय सदस्य को माफी माँगना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अनपार्लियामेन्ट्री जो शब्द बोले गये हैं क्या उनको निकालेंगे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अनपालिर्यमेन्ट्री शब्द नहीं हैं बहुत गैर-जिम्मेदाराना पूर्ण हैं। एक विधानसभा सदस्य के दायित्व और उत्तरदायित्व के खिलाफ हैं। आपको इन शब्दों को निकाल देना चाहिये?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य के खिलाफ आरोप लगाने के पहले उनको सूचना देना चाहिये।

श्री रमाशंकर सिंह : आपके विचार बेईमानी को बचाने के लिये हैं आप बेईमानी को बचाने के लिये बोल रहे हैं। ऐसा कोई भी कदम जो बेईमानी को बचाने के लिये उठाया जायेगा वह सहन नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : आपको आरोप लगाने के पहले सूचना देना चाहिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को 29 तारीख के लिये रखता हूँ।

(व्यवधान)

श्री चित्रकांत जायसवाल (विलहा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि माननीय रमाशंकर सिंह जी माननीय सखलेचा जी के निकट के सहयोगी रहे हैं। क्या उनको सदन में उस समय की सही जानकारी अगर वे देना चाहते हैं तो क्या रोका जा सकता है।

अध्यक्ष : मैं इस पर उसी रोज निर्णय दूँगा।

श्री शीतला सहाय (लश्कर पश्चिम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री रमाशंकर सिंह जी का निकट का सहयोगी रहा हूँ मेरे पास भी श्री रमाशंकर सिंह जी के स्टील काण्ड के केसेज हैं।

(व्यवधान)

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ जितने आरोप है उन सब पर एक साथ बहस करवा लें।

श्री शीतला सहाय : मुझे यह चुनौती स्वीकार है।

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल वोरा (दुर्ग) : अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय रमाशंकर जी ने श्री सखलेचा के बारे में फाइलों की गड़बड़ी करने की जानकारी दी और श्री शीतला सहाय ने कहा कि रमाशंकर जी ने भी इस प्रकार की गड़बड़ियाँ की हैं। अब यह मामला सदन का हो जाता है। न सखलेचा जी का व्यक्तिगत है और न रमाशंकर जी का है और न शीतला सहाय का है।

(व्यवधान)

श्री कृष्णपालसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आपने कृपा पूर्वक मुख्यमंत्री जी को 29 तारीख को इस विषय पर चर्चा के लिए समय दिया है। इस समय चूँकि यह मसला बहुत तेजी से आ चुका है। सखलेचाजी, के शीतला सहाय जी के और रमाशंकर सिंह जी के विषय में कहा गया है। अब कृपा करके यह निर्देश दें कि उस समय जितने भी तबादले हुए हैं उन सबको भी सदन के सामने प्रस्तुत किया जाये?

श्री नगीन कोचर (गाडरवारा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपने मंजूर किया है। मैंने आपसे निवेदन किया है कि मैं उसको 'क्लोस' करने नहीं जा रहा हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस मामले को अर्जुनसिंह जी और रमाशंकर सिंह जी की मिलीभगत के कारण, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है सोलंकी जी के ऊपर कि (व्यवधान)

श्री सुरेश सेठ (स्थानीय शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि हम इस सदन में एक बहुत ही जिम्मेदारी से बैठे हैं और यहाँ हमने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि चुनाव के अन्दर कितना खर्च किया और कितने का हिसाब दिया। इस सदन में इस तरह की चर्चा बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। हम इस तरह से आरोप लगाने के लिये यहाँ नहीं आये हैं। हम बड़ी जिम्मेदारी लेकर आये हैं और लोगों का काम करने आये हैं।

श्री रमाशंकर सिंह : मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि जाँच आयोग बैठाया जाये?

अध्यक्ष : अब आप मेरी व्यवस्था सुन लीजिये, यहाँ पर आरोप-प्रत्यारोप की भी प्रक्रिया है। आप जो कुछ भी आरोप लगाना चाहते हैं तो आप आरोप लगाने के लिये आजाद हैं, लेकिन उसकी पूर्व सूचना आप लिखित में दें। उसके बाद उन्हें नोटिस दिया जायेगा। ताकि वे उत्तर दे सकें। इसलिये मैं आपसे अपेक्षा करूँगा कि जो भी आप आरोप-प्रत्यारोप लगायें, आप लिखित में पूर्व सूचना देकर लगायें अन्यथा नहीं। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर 29 तारीख को बहस होगी। तब तक मेरे पास जो बातें लिखित में आ जायेंगी उनको सुनने के लिये मैं तैयार रहूँगा बाकी को नहीं।

श्री रमाशंकर सिंह : क्या आप जाँच आयोग बिठाने के लिये तैयार हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है जैसा कि श्रीमान् ने आदेश दिया है कि इस सदन में हमको बोलने की पूरी स्वतंत्रता है।

भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सदस्य इस सदन में हैं और जो यहाँ नहीं हैं उनके लिए भी मैं दल के नेता की हैसियत से पूरी जिम्मेदारी लेकर सदन को भी, सदस्यों को भी व सत्तापक्ष के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सदस्य के खिलाफ किसी भी प्रकार की जानकारी हो और प्रक्रिया के अन्तर्गत श्रीमान् के पास कोई भी आरोप आयें तो उसमें उनके साथ मुझे भी सम्मिलित करते हुए किसी भी तरह की कठोर से कठोर कार्यवाही करने की इजाजत देता हूँ। मैं उन आरोपों और उनके परिणामों को सिर पर रखकर झेलने के लिए तैयार हूँ लेकिन इस प्रकार के चलते चलाते 'रेफरेन्स' करना किसी के लिये शोभाजनक नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी श्री सुरेश सेठ से पूरी तरह से सहमत हूँ और उनके सुझावों को भी मानने को तैयार हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी यदि तैयार हों तो सारे तबादलों की चाहे वह जनता पार्टी के समय के हों

या अभी के, जाँच आयोग नियुक्त कर दीजिए हम उस जाँच आयोग का सामना करने के लिये तैयार हैं (व्यवधान)

श्री रमाशंकर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा उद्देश्य तो यही था कि गलतियाँ और अनियमितताएँ चाहे जिस पार्टी या शासन की हों, जाँच होनी चाहिए।

श्री सुन्दरलाल पटवा : लिखकर दीजिए उसकी प्रक्रिया है।

श्री रमाशंकर सिंह : मैंने प्रक्रियाओं के तहत लिखित सूचना दे दी है। सखलेचा जी के खिलाफ भी जानकारी दी है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : सूचना दीजिए (बकवास ××××) से, काम नहीं चलेगा।

श्री रमाशंकर सिंह : माननीय सदस्य श्री कोचर ने आरोप लगाया है कि ये सब आरोप मुख्यमंत्री व मेरी मिलीभगत से हो रहे हैं जो मेरा आरोप सच है उसमें मुख्यमंत्री पर भी मैंने आरोप लगाए हैं वे प्रक्रिया के तहत दिए हैं उसमें स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री का भी हाथ है इसलिये ये सदन की कार्यवाही को एक्सपंज करने का निर्देश दें और मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय स्थानीय मंत्री श्री सुरेश सेठ ने कहा कि मंत्री सरकार की तरफ से यहाँ बोलता है इसलिए सब प्रकार के तबादलों के लिए जाँच आयोग बैठा दिया जावे तो उसे मुख्यमंत्री स्वीकार क्यों नहीं करते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शासन की तरफ से कोई भी लिखित वक्तव्य नहीं आया है। श्री सुरेश सेठ ने जो कुछ कहा है वह उनका व्यक्तिगत मत है मैं उसे शासन का मत मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। (व्यवधान) मैंनें उन्हें बोलने के लिये अधिकृत नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री नगीन कोचर : माननीय मंत्रीजी ने जो बयान दिया कि आरोप-प्रत्यारोप से विधानसभा का समय जाया न हो। जो ध्यानाकर्षण दिया गया है वह श्री रमाशंकर जी द्वारा दिया गया है। मेरे द्वारा भी दिया गया है चूँकि समय बढ़ रहा है इसलिए जैसी कि मुझे आशंका है सोलंकी जी के विपरीत रमाशंकर सिंह जी ने ..... (व्यवधान)

इस प्रकार इसमें 4-5 दिन का समय मिल जायेगा। तथ्यों से श्री रमाशंकर सिंह जी व एक प्रकार से मुख्यमंत्री जी सोलंकी जी को अलग करना चाहते हैं क्योंकि विरोध चल रहा है।

(व्यवधान)

श्री विक्रम वर्मा (धार) : जैसा आपने कहा है कि कोई तर्क हो तो दें तो मैं इसके पक्ष में कहना चाहता हूँ कि जो जरूरी हो उसे लिया जाना चाहिए। यह इसलिये जरूरी है कि प्रदेश की व्यवस्था के बारे में, स्थानान्तरों के बारे में क्या स्थिति है यह हम जानना चाहते हैं। 4-5 दिन—

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे चुका हूँ।

श्री विक्रम वर्मा : विधानसभा के आसपास तबादले कराने व रुकवाने वाले दलालों की भीड़ है। अध्यक्ष महोदय, मुझे स्वयं को एक आदमी ने बाहर इमली के पेड़ के नीचे रोककर पूछा "क्या मेरा ट्रांसफर हो गया है" और आगे कहने लगा कि अगर हो गया है तो रुक जावेगा, दो हजार रुपये लगेंगे ..... (व्यवधान)

(शेम-शेम की आवाज)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस समूची उत्तेजना का अर्थ नहीं लगा पाया। सदन इस सम्बन्ध में जानकारी चाहता है तो मैं यही समझता हूँ कि पूर्ण जानकारी सदन के समक्ष रखी जावे अन्यथा मैं भी 5 लाइन का वक्तव्य देकर बैठ सकता हूँ। उसके बाद कुछ न कहा जावे। पर इसका क्या अर्थ होगा?

मैंने सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निश्चित किया है कि पूरी जानकारी एकत्रित की जावे। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का अनर्गल प्रचार किया जा रहा है उसका यथार्थ में कोई अर्थ नहीं है। सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इस प्रकार के प्रचार का कोई अर्थ नहीं है।

असली और सही जानकारी सदन के समक्ष, माननीय सदस्यों के समक्ष आये यह मंत्रिमण्डल के हित में है और इसीलिये मैंने इसके लिये समय चाहा है। श्री कोचर और श्री वर्मा ने जिस स्तर की बात कही है उसका मैं

नोटिस नहीं लेता, न मैं इस प्रकार का कार्य करता हूँ और न इस प्रकार के आरोपों को सुनने का आदी हूँ।

(व्यवधान)

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

अध्यक्ष : देखिए आप सब बैठ जाइए? जब सदन के नेता अथवा विरोधी दल के नेता बोल रहे होंगे मैं किसी को बीच में नहीं बोलने दूँगा। मेरा निवेदन है आप सब बैठ जाइए?

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति वर्मा जी को इमली के पेड़ के नीचे मिला था वह उनकी पुरानी जान-पहचान की वजह से मिल गया होगा (हँसी) इसके लिए मैं क्या करूँ?

मैं तो इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि मेरे मन्त्रिमण्डल के जितने भी माननीय सदस्य हैं उन्होंने जो कार्यवाही की है जब तक उसके विपरीत कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जाते, तब तक यह कहना कि उन्होंने दुराचरण किया है या इस प्रकार का आरोप लगाना कोई मायने नहीं रखता, ऐसा मैं मानता हूँ। इस प्रकार तो कोई भी मंत्री इस तरह के आरोपों से नहीं बचेगा। बच नहीं सकेगा। जितने भी आदेश दिये गये हैं कहाँ-कहाँ दिए गए हैं, इसके प्रमाण फायलों में मौजूद हैं। इसके लिये आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे विश्वास है और भरोसा है कि किसी भी मन्त्रिमण्डल के सदस्य ने किसी भी फाइल पर जो आदेश स्थानान्तर के दिये हैं वह अपने पूरे विवेक से दिये हैं, और इसीलिए मैंने जैसा निवेदन किया है कि यदि आप पूरी-पूरी जानकारी चाहते हैं तो इसके लिये समय दीजिए। सामान्य रूप से जो स्थानान्तर किये गए हैं वह किसी न किसी परिस्थितिवश किए गए हैं। और यह कहना कि इनके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि पूरा प्रशासन ठप्प हो गया या प्रशासन का कार्य रुक गया है सही नहीं है और न ही इनमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है। यदि आपके पास इसके प्रमाण हैं तो मुझे दीजिए ताकि उस पर कार्यवाही की जा सके।

(व्यवधान)

श्री चित्रकांत जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, औचित्य प्रश्न। संविधान और परम्पराओं के अन्तर्गत कुछ प्रक्रिया निर्धारित होती है और उस परम्परा के अन्तर्गत मन्त्रिमन्डल के सभी सदस्यों की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। आपने एक बात कही है भाई सुरेश सेठ जी ने कोई बात व्यक्तिगत हैसियत से कही है। अध्यक्ष महोदय, सदन में बैठने वाला शासकीय पक्ष मंत्री की हैसियत से ही कोई बात कहेगा व्यक्तिगत हैसियत से नहीं कही जा सकती है?

अध्यक्ष : सुन लीजिए। मैंने जो कुछ कहा है उस पर औचित्य प्रश्न नहीं आयेगा।

श्री महेश जोशी : भाई विक्रम वर्मा की एक बात मैंने बड़ी गंभीरता से ली है। अध्यक्ष महोदय, मैं उन्हें कालेज के जमाने से जानता हूँ, वे चिलम गप्प और (× × ×· ×) बोलने के आदी हैं।

अध्यक्ष : (× × ×) शब्द कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री विक्रम वर्मा : भाई जोशी जी की हकीकत के बारे में मैं एक भी बात नहीं बोलूँगा। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने रेफरेन्स दिया कि वर्मा जी के सामने गए होंगे। मेरी हालत देखकर दीन-हीन कर्मचारी .....

(व्यवधान)

श्री दिनेश मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जो सज्जन विक्रम वर्मा जी को मिले थे और दो हजार रुपए की बात कही थी, वह मुझसे बोले क्या समय आ गया है, पिछली बार इन्होंने दो हजार रुपए में काम कर दिया था और इस बार काम करने से मुकर गए हैं। मैंने कहा किस बात की बात है। तखत के नीचे से जनता पार्टी की रेलगाड़ी निकल गई है इसलिए काम करने से इन्कार कर दिया।

श्री शीतला सहाय : माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरी बार मुझे मिल गए और कहने लगे कि जाना तो मुझे दिनेश मिश्र के पास था गलती से विक्रम वर्मा के पास पहुँच गया।

श्री दिनेश मिश्र : पिछली बार सखलेचा जी के लड़के के साथ आपके पास गए थे।

श्री नगीन कोचर : अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था का सवाल यह है कि आपने कह दिया कि 29 तारीख

को ध्यानाकर्षण रखा जाएगा और मुख्यमंत्री ने कहा इस ध्यानाकर्षण में कोई व्यवस्था नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि बस्तर के पूरे के पूरे डॉक्टर्स भोपाल में पड़े हुए हैं, मरीजों को देखने वाला वहाँ कोई नहीं, शिक्षक भी नहीं है

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 29 तारीख को लिया जायेगा और यह निर्देश आपने मुख्यमंत्री के आग्रह के पहले दिया। श्रीमान्, मेरा कहना यह है कि उसके बाद निर्देश देते। मान लीजिए, मुख्यमंत्री ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की मूल बातों के संबंध में जो कहा क्या वह इस बात का परिचायक नहीं है कि वह इसी समय बहस कराना चाहते हैं। तो क्यों न करवा ली जाये?

अध्यक्ष : अब तो यह हो सकता है कि आप कहें भी करवाने के लिए और मुख्यमंत्री भी जवाब देना चाहें तब भी मैं नहीं चाहूँगा। 29 तारीख फिक्स कर दी गई है।

इसी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर 29 अगस्त 1980 को मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह का वक्तव्य और उस पर चर्चा—

अध्यक्ष महोदय : नियम 138 (1) के अधीन मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह स्थानांतरणों के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रशासन में स्थानान्तरण एक सामान्य प्रक्रिया है जो जनहित और कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह चिंता का विषय उस समय हो जाता है, जब इन स्थानान्तरणों के पीछे जनहित या प्रशासनिक आवश्यकता के अतिरिक्त अन्य कोई उद्देश्य हो। जब मैं जनहित का उल्लेख करता हूँ तो पक्षपात विहीन प्रशासन जन सामान्य की समस्याओं के त्वरित निराकरण तथा समाज के कमजोर वर्गों के हितों के संरक्षण के साथ-साथ अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों की निजी सुविधा भी समाहित है।

इस संदर्भ में मैं यह भी उल्लेख करना समीचीन समझता हूँ कि प्रशासनिक कर्मचारियों को केवल अपने सही दायित्वों के अनुरूप कार्य करने के लिए यह आवश्यक था कि पूर्व में तबादलों में विद्यमान विकृतियों को सुधारा जाए। इस सबके बावजूद इस वर्ष किए गए तबादलों की संख्या न्यूनतम रखने की कोशिश की गई है। और कुल 5 लाख 75 हजार कर्मचारियों में से केवल लगभग 8.5 प्रतिशत यानी— 49,588 हर स्तर के कर्मचारियों को मिलाकर स्थानान्तर किए गए हैं.....

(मेजों की थपथपाहट)

(व्यवधान)

श्री विक्रम वर्मा : 49 हजार स्थानान्तर किए गए हैं और आप लोग मेजें थपथपा रहे हैं आप लोगों को शर्म आनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : इसमें से लगभग 13 हजार कर्मचारियों के स्वतः के निवेदन पर किए गए हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

सदन इस बात से सहमत होगा कि किसी भी मापदण्ड से ये स्थानान्तर अत्यधिक नहीं कहे जा सकते हैं और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इन स्थानान्तरों से शासन के किसी कार्य में गतिरोध उत्पन्न नहीं होगा और हमें विश्वास है कि निष्पक्ष प्रशासन देने के हमारे दल की घोषित नीति को कार्यरूप में परिणित करने के लिए प्रशासन तंत्र सजग और गतिशील होगा।

श्री रमाशंकर सिंह (रोन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं उस सवाल के खण्ड कर देता हूँ ताकि मुझे भी आसानी हो और शासन को उत्तर देने में भी आसानी हो। पहला सवाल यह कि सुपरटाइप स्केल से चतुर्थ श्रेणी तक के 9 अगस्त के बाद निरस्त किए गए स्थानांतर, विभाग और श्रेणीवार जानकारी दें।

अध्यक्ष : आपने अपने ध्यानाकर्षण में इतनी डिटेल्ड जानकारी नहीं माँगी थी?

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने समय ही इसलिए चाहा था कि वे इस पर

डिटेल्ड जानकारी देंगे। आप मुझे प्रश्न पूछ लेने दीजिए इस पर या तो मुख्यमंत्री महोदय उत्तर दे देंगे या फिर कह देंगे कि जानकारी अब तक उपलब्ध नहीं है और उस पर आपकी आज्ञा होगी तो इस प्रश्न को और बढ़ा लूँगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का 'ख' खण्ड यह है कि उपर्युक्त स्थानांतरों में से ऐसे कितने हैं जिन्हें एक वर्ष में ही अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया? एवं ऐसे कितने हैं जिन्हें एक वर्ष में दो या दो से अधिक बार स्थानांतरित किया गया?

अध्यक्ष : इतने प्रश्नों के उत्तर एक साथ नहीं आ सकते?

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही प्रश्न के खण्ड कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो उत्तर के लिए दो दिन और दे दीजिए वैसे इसको पहले ही करीब एक सप्ताह हो चुका है।

अध्यक्ष : अच्छा आप पहले अपने पूरे प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसे कितने स्थानान्तर थे जो कि जन-प्रतिनिधियों की अनुशंसा पर किए गए हैं और ऐसे कितने हैं जो उन्हीं की अनुशंसा पर निरस्त हुए हैं और उस पर कुल कितना शासकीय खर्च हुआ? स्थानांतरित कर्मचारियों में से ऐसे कितने हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है? कितने आई.ए.एस. अधिकारियों के हैड क्वार्टर्स उनकी सुविधानुसार निश्चित कर दिए गए हैं जैसे पहले भोपाल था और अब इन्दौर? सिंचाई विभाग में कितने ट्रांसफर हुए हैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सीधे आदेश से सेक्रेट्री के द्वारा करवाए हैं?

अध्यक्ष (माननीय मुख्यमंत्री महोदय से) : क्या आप सभी सवालों के जवाब देने की स्थिति में हैं?

श्री अर्जुनसिंहः अध्यक्ष महोदय, जितने सवाल किये जायें और सबके उत्तर देते रहें, यह तो अन्याय होगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें जानकारी दी है, सारे प्रदेश में स्थानान्तरों की संख्या जानने के लिए ही मैंने समय चाहा था और आपने वह समय दिया था और यदि प्रत्येक स्थानान्तर के पीछे किसने और क्या-क्या नोटिंग की है इस प्रकार की जानकारी माँगी जायेगी तो प्रशासन कभी नहीं दे सकेगा।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

अध्यक्ष : आप बैठिए, आपने अपने ध्यानाकर्षण में इतनी डिटेल्ड जानकारी नहीं माँगी थी। आपने जो चाहा था उसका जवाब आ गया है।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में स्पष्ट लिखा था "पूरे प्रदेश के जिलों में प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तक के भारी तबादलों से सामान्य प्रशासन तथा विभिन्न विभागों का काम पूरी तरह से ठप्प हो गया है।" उसी सम्बन्ध में सवाल कर रहा हूँ।

अध्यक्ष : आपका कहना है कि ठप्प हो गया है, जवाब आ गया कि ठप्प नहीं हुआ है।

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस दिन ध्यानाकर्षण दिया था, वह ध्यानाकर्षण प्रदेश में व्यापक रूप से किये गये तबादलों के सम्बन्ध में है।

अध्यक्ष महोदय, आप उस दिन की कार्यवाही देख लें और मुख्यमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया था, वह भी देख लें। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक दिन मुकर्रर किया जाये, उस दिन प्रदेश के तबादलों के सम्बन्ध में हम व्यापक रूप से उत्तर देंगे। उसकी विस्तृत जानकारी सदन के अन्दर आनी चाहिए।

अध्यक्ष : मैं आपके प्रश्न पर व्यवस्था दे रहा हूँ। आप ध्यानाकर्षण संबंधी जो प्रावधान है, उसे देख लें। आपके नेता भी मौजूद हैं, मैं उन्हें भी सुनना चाहता हूँ। ध्यानाकर्षण का मतलब डिटेल जानकारी नहीं होता, जब तक कि उसका आम लोगों पर असर न हो। जो आपका मुद्दा था कि उससे शासन का काम ठप्प हो गया है, उसका जवाब आ गया कि ठप्प नहीं हुआ है। उसमें कितने तबादले किस विभाग में हुए हैं यह उसमें नहीं आता है उसके लिये आप अलग से सवाल पूछें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप लोग बैठें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन यह है, सदस्यों का उत्तेजित होना (व्यवधान) सदस्यों का किसी प्रश्न पर अपना विरोध प्रकट करना, सदन से बहिर्गमन करना, यह सदन की एक प्रक्रिया है।

परन्तु उस बहिर्गमन पर (× × ×) और इस तरह का रिमार्क करें, अगर इस तरह की प्रक्रिया है .....

(व्यवधान)

आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए।

श्री अर्जुनसिंह : मैं विपक्ष के नेता श्री पटवा जी से इतना निवेदन करूँगा कि शायद वे आवेश में आ गये, यहाँ कोई चवन्नी का टिकट लेकर नहीं आया, न सिनेमा हाल है। हम लोग उसी जनता के माध्यम से चुन आये है। कृपा कर आवेश में आकर ऐसी बात न कहें। आप कह सकते हैं कि आपको ऐसी छींटाकसी नहीं करनी चाहिए।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं कतई आवेश में नहीं हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : पहले विरोधी दल के नेता की बात सुन लें, उसके बाद दूसरों को भी सुनूँगा।

(व्यवधान)

श्री शिवकुमार श्रीवास्तव : पटवाजी ने जो कहा है उससे माननीय सदस्यों का विशेषाधिकार भंग होता है।

अध्यक्ष : आप उसकी सूचना दीजिए, देखूँगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं सदन के माननीय नेता और आपको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूँ, कोई आवेश में नहीं हूँ और आवेश में आकर ऐसी बात नहीं कहना चाहता लेकिन जो हमारा अधिकार है उ जिस अधिकार को लेकर हम यहाँ बैठे हैं .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिए मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये मैं बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूँ और वह घोषणा यह है कि स हो चुका है और अब विधानसभा 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित।

(अन्तराल)

(1 से 2.30 बजे तक अंतराल)

{अध्यक्ष महोदय (श्री यज्ञदत्त शर्मा) पीठासीन हुए}

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा था और कहा था कि अब आप दूसरा सवा करेंगे। तो अब मैं स्पेसिफिक दूसरा सवाल कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रशासनिक आवश्यकताओ को देखते हुए 49 हजार ट्रांसफर प्रशासकीय आधार पर हुए हैं। .....

अध्यक्ष : आप जो सवाल कर रहे हैं वह मुझसे पूछ कर करेंगे या ऐसे करेंगे।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अब आप बैठ गए हैं। मैं स्पेसिफिक दूसरा सवाल करता हूँ अ मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जो यह ट्रांसफर हुए हैं उनमें से कितने विभागाध्यक्षों की सलाह पर हुए हैं?

श्री अच्युतानंद मिश्र : मेरा औचित्य का प्रश्न है।

श्री रमाशंकर सिंह : सिंचाई विभाग के स्पेशल सेक्रेट्री ने एक नोट लिखा है। .....

अध्यक्ष : आप जरा सुन लीजिए। पहले मैं व्यवस्था का प्रश्न तो सुन लूँ, उसके बाद आपकी बात को सुनूँगा।

श्री अच्युतानंद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 138 की ओर आकर्षित करने की कोशि करूँगा। यह जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चल रहा है, इसकी क्या प्रक्रिया है यह बताना चाहता हूँ। इसी के साथ-सा मैं आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों से और आप से यह जानना चाहूँगा कि क्या आपने नियम 13 को शिथिल कर दिया है?

क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि "138 (1) कोई सदस्य, अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा से, अविलम्बनीय लो महत्व के किसी विषय पर मंत्री का ध्यान आकर्षित कर सकेगा और मंत्री संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा या बाद किसी समय या तिथि को वक्तव्य देने के लिए समय माँग सकेगा।"

परन्तु कोई सदस्य एक बैठक के लिए ऐसी दो से अधिक सूचनाएँ नहीं दे सकेगा।

(2) "ऐसे वक्तव्य पर, जब वह दिया जाए कोई वाद-विवाद नहीं होगा। किन्तु प्रत्येक सदस्य जिसके नाम से कार्यसूची में वह मद दिखाई गई हो अध्यक्ष की अनुमति से एक प्रश्न पूछ सकेगा।"

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जब तक इस नियम को माननीय सदन शिथिल नहीं करता या आप शिथिल नहीं करते तब तक इसके विपरीत आचरण नहीं हो सकता।

माननीय सदस्य हमारे प्रतिपक्ष के जो लोग हैं और जिन्होंने यह सवाल उठाया है वे बार-बार नियम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जब तक आप इस नियम को शिथिल नहीं कर देते तब तक इसी के अनुरूप सदन में आचरण हो, ऐसी व्यवस्था करें।

अध्यक्ष : ठीक है मैं आपके औचित्य प्रश्न पर व्यवस्था दे रहा हूँ।

श्री नगीन कोचर : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी औचित्य का प्रश्न है।

अध्यक्ष : पहले आप मुझे तो सुन लें।

श्री नगीन कोचर : व्यवस्था का प्रश्न तो मैं उठा रहा हूँ। मेरा अधिकार है यह नियम 138 (2) में साफ दिया है कि— "किन्तु प्रत्येक सदस्य, जिसके नाम से कार्यसूची में वह मद दिखाई गई हो अध्यक्ष की अनुमति से एक प्रश्न पूछ सकेगा।"

अध्यक्ष : ठीक है, वह भी अनुमति से पूछ सकेगा।

श्री नगीन कोचर : हाँ। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पूछूँगा। अगर आप अनुमति नहीं देंगे तो नहीं पूछूँगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : जब इतनी विनम्रता से वे कह रहे हैं तो आपकी कृपापूर्वक मुस्कराहट होनी चाहिए।

(हँसी)

श्री नगीन कोचर : मेरा भी नाम है। मैंने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था ट्रांसफरों के मामले में। मैंने यह नहीं कहा कि पूरा ठप्प हो गया है। मैंने तो स्पष्टतः स्कूल का नाम बताया है, नरसिंहपुर के बलोहा ग्राम का स्कूल बन्द पड़ा है।

अध्यक्ष : आप अब मेरी भी बात सुन लीजिये। जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है विचारार्थ वह आपका नहीं था, उनका था। आप बैठ जायें।

श्री रमाशंकर सिंह : एक ही विषय का था। इसलिए श्री कोचर का भी स्वीकार किया जाये।

अध्यक्ष : मैं जरा स्पष्ट कर देता हूँ। जो भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आते हैं उनमें से जो पहले आता है वह लिया जाता है और बचे हुए जो हैं उसी विषय से संबंधित सदस्यों के उनके नाम उसमें जोड़ दिये जाते हैं। इसलिए आपका ध्यान आकर्षण मैंने लिया था, उसमें ये सब बातें नहीं थीं। इसलिए आप अधिकारपूर्वक नहीं कह सकते।

श्री नगीन कोचर : मैं अधिकारपूर्वक नहीं कह रहा हूँ। मैं आपका सम्मान करता हूँ और आशा करता हूँ मुझे आपसे अधिकार मिलेगा। मैंने पूर्व सूचना दी थी कि सेक्रेट्री मकसूद अहमद से संबंधित व्यक्ति जो था उसका स्थानान्तर किया गया। आदेश की अवहेलना की गई है।

अध्यक्ष : अब आप मेरी बात सुन लीजिए। या तो मैं आपको समझा नहीं पाया या आप ही समझ नहीं पाये।.....

मेरा यह कहना है कि जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव उन्होंने दिया था, उनका तो जवाब आयेगा। आपका जवाब नहीं आयेगा क्योंकि मैंने उसको परमिट नहीं किया था। अगर आप जिद करके कोई बात कहना चाहते हैं तो कहिए यह उचित नहीं है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : श्रीमान् को जैसा विदित है कि यह स्थानान्तरण का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है सत्र प्रारम्भ के दिन ही इस सम्बन्ध में कई कार्य स्थगन प्रस्ताव कई माननीय सदस्यों ने दिए थे लेकिन उस दिन सदन स्थगित हो गया था इसलिये वे कार्य स्थगन प्रस्ताव आ नहीं सके। उसके बाद यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आये हैं इसके बारे में माननीय सदस्यों में काफी चिंता है। इसके लिए श्रीमान् विचार करने के लिए आधा घंटे की चर्चा की अनुमति दे दें जिससे माननीय सदस्यों को उनके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा।

अध्यक्ष : जैसा कि पटवाजी ने कहा है कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। उसको उठाने की प्रक्रिया

ध्यानाकर्षण नहीं है। और दूसरी प्रक्रिया हो सकती है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : श्रीमान् को ध्यान होगा कि सत्र के प्रारम्भ में ही इस सम्बन्ध में कई कार्य स्थगन आये थे। .....

अध्यक्ष : मैं मानता हूँ कि आये थे लेकिन उसकी चर्चा के लिए क्या तरीका हो सकता है अभी बजट पर चर्चा चल रही है उसमें आप बोल लीजिए जितना बोलना चाहें आपको पूरा मौका मिलेगा। उसमें आप जो बता रहे थे मकसूद का उसका नाम शो कर लीजिए। उस पर से ही चर्चा शुरू कीजिए जो आपका ध्यान आकर्षण आया है उस पर मैं आपको परमीशन नहीं दूँगा। अभी श्री अच्युतानन्द जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया जो भी प्रस्ताव आयेंगे उनमें जो नम्बर एक पर होगा उसको पहले लिया जायेगा और उसमें ही सब के नाम जोड़ दिए जायेंगे। और मैं जिसको कहूँगा वह एक प्रश्न पूछ सकते हैं। शासन से जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब उन्होंने दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास जितनी जानकारी थी वह हमने दे दी है। .....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मेरा प्वाइन्ट आफ ऑर्डर है।

अध्यक्ष : अभी आप बैठ जाइये मैं (कुछ) कह रहा हूँ उसको सुन लीजिए। जहाँ तक मेरा परमीशन देने का सवाल है मुझे सारी स्थिति देखना पड़ती है। उसके बाद ही परमीशन देना होती है। अभी दो और महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और हैं उस पर केवल 15 मिनिट का समय बाकी है 15 मिनिट निकल जाने के बाद अशासकीय प्रस्ताव आ जायेंगे तो उस पर चर्चा नहीं हो सकेगी। अगर आप उन पर चर्चा नहीं चाहते हैं तो इसी पर समय लगाते रहिए।

(व्यवधान)

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि श्रीमान् ने कहा कि एक ही ध्यान आकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया इसको भी मान लेता हूँ।

अध्यक्ष : मान नहीं लेता हूँ मानिए क्योंकि नियम भी वही है।

श्री रमाशंकर सिंह : श्रीमान् मानता हूँ। एक प्रस्ताव पर जो मन्त्री जी ने अपना वक्तव्य दिया है उसमें भी बहुत से प्वाइन्ट्स का जवाब उन्होंने नहीं दिया है उनका जवाब तो आना चाहिए।.....

अध्यक्ष : मैं पहले भी बता चुका हूँ कि केवल 15 मिनिट का समय और रह गया है और दो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव बाकी हैं उनकी चर्चा का लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो फिर नहीं मिलेगा। .....

श्री रमाशंकर सिंह : श्रीमान् आप बात तो सुन लीजिए जो ट्रान्सफर किए गए हैं।

श्री नगीन कोचर : ट्रान्सफर में भ्रष्टाचार किया गया है उसकी लिस्ट यह है। .....

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि आपने जो व्यवस्था दी है, व्यवस्था यह दी है, कि डिटेल इस सदन में मुख्यमंत्री जी नहीं दे सकते क्योंकि वे ध्यानाकर्षण में डिटेल की इनफर्मेशन दे चुके हैं। श्री रमाशंकर ने जो प्रश्न रखा था उसमें स्वयं मुख्यमंत्री के बारे में कहा था कि सोलंकी ने जो ट्रांसफर किए उनको मुख्यमन्त्री ने केंसिल किया जो मुख्यमंत्री के पर्सनल नालेज की बात है। ऐसे कई ट्रांसफर जिन्हें एक मंत्री ने किए थे उनको दूसरे मंत्री केंसिल कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : क्या उन्होंने सूचना दी थी कि मुख्यमंत्री ने कितने ट्रांसफर केंसिल किये थे, आपके ध्यानाकर्षण में यह है क्या?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यहाँ पर यह क्वेश्चन हाउस में चल रहा है और मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया था तो मुख्यमंत्री जी को यहाँ उपस्थित रहना चाहिए था ताकि वे अपना क्लेरिफिकेशन दे सकते क्योंकि यह उनके पर्सनल नॉलेज की बात है।

अध्यक्ष : मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ यदि स्पेसिफिक सवाल है तो उसका जवाब नहीं आता। आप अपने ध्यानाकर्षण को देख लीजिए। आपने यह नहीं पूछा है कि सोलंकी जी ने जो ट्रांसफर किए उन्हें मुख्यमंत्री ने

केंसिल कर दिया और मुख्यमंत्री को आप सूचना दिए बगैर कैसे इसका प्रश्न पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

इसका मतलब तो यह होगा कि विस्तृत जानकारी दी जाए याने एक-एक नाम बताया जाए चपरासी तक का नाम बताएँ।

(व्यवधान)

इसके बाद आपको जितने सवाल पूछना चाहिए था, लिखित में पहले पूछते या आपके ध्यानाकर्षण में होना चाहिए था।

(व्यवधान)

मैं जानना चाहता हूँ और अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता हूँ कि ध्यानाकर्षण में वे सब प्रश्न नहीं पूछे गए हैं क्या, उनको पूछकर उनका तत्काल जवाब पाने के लिये आप क्या मजबूर कर सकते हैं मैं विरोधी दल के नेता श्री पटवा जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सारे आँकड़े देने के लिए आप मजबूर कर सकते हैं जबकि आपने प्रश्न पूछा ही नहीं है।

(व्यवधान)

आँकड़ों के लिए मजबूर नहीं कर सकते। कितने ट्रांसफर हैं जो सोलंकी जी ने किए हैं और रद्द किए हैं .....

(व्यवधान)

ऐसे काम नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

(शेम-शेम की आवाजें) (विरोधी बेंचों से)

श्री सुन्दरलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनके नाम हैं.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : जो समय निकल चुका है मैं उसे आगे बढ़ानें की परमीशन नहीं दूँगा।

(व्यवधान)

(श्री रमाशंकर सिंह जी अध्यक्ष महोदय की आसन्दी के सामने खड़े होकर कुछ निवेदन करते हुए इसके पश्चात श्री नगीन कोचर तथा श्री निर्भय सिंह जी पटेल भी पहुँच गए तथा श्री कपूरचन्द धुवारा भी पहुँच गए जिन्हें फिर श्री शीतला सहाय जी द्वारा वापिस लाया गया।)

अध्यक्ष : आप अपने स्थान पर बैठिए यहाँ न आयें। मैं यहाँ पर आपकी कोई बात नहीं सुनूँगा आप जाइए। यदि आप चाहते हैं कि सभा की कार्यवाही न चले ..... (व्यवधान)

सभा की कार्यवाही दो तरह से चल सकती है..... (व्यवधान)

(सदन की कार्यवाही 5 मिनिट के लिए स्थगित करता हूँ यानी 3 बजे तक के लिए)

अध्यक्ष महोदय द्वारा 2.55 बजे तक (5 मिनिट के लिए) सदन स्थगित किया गया।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/21 अगस्त 1980, पृष्ठ/ 312-317 और 29 अगस्त 1980, पृष्ठ/ 660-666)

4 सितंबर 1980 को सदस्य श्री बाबूलाल गौर ने मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह से भोपाल नगर में राज्य परिवहन की बसों से संबंधित एक तारांकित प्रश्न पूछा। उत्तर दिया गया। फिर पूरक प्रश्नोत्तर के दौरान कुछ उत्तेजना बढ़ी और सदस्यों को अध्यक्ष महोदय की नाराजगी का सामना करना पड़ा। इस प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री ने रचनात्मक हस्तक्षेप किया। यह चर्चा यहाँ प्रस्तुत है—

श्री बाबूलाल गौर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्तमान समय (माह जुलाई 1980) में राज्य परिवहन निगम तथा निजी मालिकों की भोपाल नगर में किस-किस मार्ग पर कितनी बसें चलाई जा रही हैं। (ख) राज्य परिवहन निगम की भोपाल से बैरागढ़ तथा भोपाल से बी.एच.ई.एल. में अलग-अलग

कितनी बसें चलाई जा रही हैं? (ग) क्या जनता की अत्यधिक भीड़ होने के कारण राज्य परिवहन निगम की बसें भोपाल नगर मे बढ़ाई जायेंगी?

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : (क) विवरण परिशिष्ट के रूप में संलग्न है। (ख) राज्य परिवहन निगम की भोपाल से बैरागढ़ निम्नलिखित वाहनें चलाई जा रही हैं—

1.	पिपलानी से बैरागढ़ —	16
2.	मॉडल ग्राउन्ड से बैरागढ़ —	1
3.	पिपलानी-जवाहर चौक-बैरागढ़ —	4
4.	पिपलानी-लिली टॉकीज-बैरागढ़ —	2
5.	जवाहर चौक से बैरागढ़ —	3
		26

राज्य परिवहन निगम की भोपाल से पिपलानी निम्नलिखित वाहनें चलाई जा रही हैं—

1.	बैरागढ़ से पिपलानी —	16
2.	मॉडल ग्राउन्ड से आनन्द नगर —	1
3.	बैरागढ़-जवाहर चौक-पिपलानी —	4
4.	बैरागढ़-लिली टॉकीज-पिपलानी —	2
5.	जवाहर चौक से पिपलानी —	3
		26

(ग) परीक्षण किया जायेगा।

श्री बाबूलाल गौर : माननीय अध्यक्ष महोदय, भोपाल नगर के अन्दर जो रोडवेज की बसें चलती हैं तो "क" व "ख" के अन्दर बताया गया है कि 26 बसें भोपाल नगर में चलती हैं पिपलानी से लेकर बैरागढ़ और उसमें 53 बताई हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इतनी भीड़भाड़ हो रही है उसको देखते हुए क्या परीक्षण किया जायेगा तो आपके दिमाग में यह बात आएगी?

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : ये भीड़भाड़ अवश्य है इस पर शासन विचार कर रहा है कि कुछ बसें चलाई जावें। बसों के चेसिस मिलते नहीं ज्यों ही बसों के चेचिस मिलेंगे तो राज्य परिवहन निगम बसें चलाएगा। कोई निजी आवेदन-पत्र देंगे तो लाइसेन्स व परमिट दिया जाएगा।

श्री बाबूलाल गौर : अभी परीक्षण कराया जायेगा के उत्तर में पृष्ठ क्र. 7 पर 19वें प्रश्न में जो कि श्री रसूल अहमद सिद्दीकी ने पूछा है तो मन्त्री जी ने जवाब दिया है कि प्रस्ताव भेज दिया है पूना के इन्सटीट्यूट में कार्यवाही चल रही है और उत्तर में कहा कि परीक्षण किया जायेगा तो क्या ये दोनों बातें सही हैं?

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : परीक्षण कराया जा रहा है पूरी सिटी के संबंध में किस-किस रूट पर कितनी बसों की आवश्यकता पड़ेगी शासन परीक्षण कर रहा है कि फिलहाल कितनी राहत दे सकते हैं दोनों प्रश्न सही हैं।

श्री बाबूलाल गौर : ये नहीं हो सकता। आप वकील भी रहे हैं क्या दोनों प्रश्न अध्यक्ष महोदय सही हो सकते हैं हाँ भी और नहीं भी। मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ या तो मंत्री जी उत्तर ठीक करें या जानकारी दुरुस्त नहीं दी है ऐसा कहें।

श्री अर्जुनसिंह : इसमें एक और जोड़ दिया जावे या तो उन्होंने जो कहा ठीक है या अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए।

श्री बाबूलाल गौर : माननीय अध्यक्ष महोदय 19वाँ प्रश्न नहीं आ सकता जो कि सप्लीमेन्ट्री पूछी जा सके।

अध्यक्ष : मैं क्या करूँ? बचे प्रश्नों पर कोई प्रश्न न करें तो आ सकता है।

श्री स्वरूपचंद जैन : मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूँगा कि भोपाल में निजी बस मालिकों के द्वारा 50 सिटी बसें चलाई जा रही हैं तो क्या ये शासकीय नीति मध्यप्रदेश के अन्य शहरों में लागू है और क्या निजी

बस मालिकों को बसें चलाने की परमीशन देंगे?

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : आवेदन-पत्र आएँगे तो दूसरे शहरों में भी इजाजत दे दी जाएगी।

श्री चन्द्रकुमार भानोट : नगर के अन्दर ओवर लोडिंग चल रही है चालान किये जाते हैं पर बाकायदा ओवर लोडिंग चल रही है तो क्या इसे बंद करने के लिए कोई व्यवस्था करेंगे?

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : रिपोर्ट मिलेगी तो कार्यवाही की जाएगी।

श्री लम्बोदर बलियार : मेरा क्षेत्र बस्तर पिछड़ा हुआ है जबकि हमारे जिले में केवल 4-5 बसें हैं। माननीय मंत्री जी बताएँ कि पिछड़े क्षेत्र के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

अध्यक्ष : आप अलग से पूछ लीजिए वे बता देंगे।

श्री लम्बोदर बलियार : उनको बताना ही पड़ेगा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, और किसी सदस्य के इस प्रकार के निर्देश होते तो मानने में हिचक हो सकती थी बस्तर के साथियों के निर्देश मैं मानता हूँ। अभी हाल में बस्तर गया था। बलियार जी मेरे साथ में थे। यह विषय वहाँ मेरे सामने लाया गया था। बस्तर जिले में आवागमन के साधन कम व पर्याप्त नहीं हैं उनमें कमी है अतः मैंने वहाँ से आते ही म.प्र. राज्य परिवहन निगम को निर्देश दिये हैं कि उनकी चेसिसों का पहला लाट आते ही उसमें से तीन चेसिस बस्तर जिले में भेज दी जायेगी।

श्री लम्बोदर बलियार : अध्यक्ष महोदय, वहाँ की स्थिति बहुत खराब है। बार-बार गाड़ियाँ पन्चर होती हैं। वहाँ के लिये तो शासन को तत्काल इन्तजाम करना चाहिये।

अध्यक्ष : ठीक है अभी जो व्यवस्था मुख्यमंत्री जी तीन बसों की करा रहे हैं यह हो जाने दीजिए बाद में और इन्तजाम हो जावेगा।

श्री विनोद दुबे : अभी जो ऊपर कहा गया है उसके सन्दर्भ में मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ओवर लोडिंग बन्द किया गया है उसमें नतीजा यह निकला है कि जो यात्री यात्रा करना चाहते हैं उससे वंचित रह जाते हैं। प्राइवेट बसें इसलिये नहीं चलाई जा सकतीं कि उस मार्ग का राष्ट्रीयकरण हो चुका है.....

अध्यक्ष : आप इस प्रकार से भाषण मत दीजिए आपका जो प्रश्न हो वह पूछिए।

श्री विनोद दुबे : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जहाँ पर राष्ट्रीयकरण हो चुका है वहाँ इस कारण प्राईवेट बसें नहीं चलाई जा सकतीं, वहाँ जनता में असन्तोष है वहाँ के यात्रियों की तकलीफें दूर करने के लिये आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल (राज्य मंत्री गृह) : जहाँ तक सिटी का सवाल है वहाँ प्राइवेट बसेज चलाई जा सकती हैं। जहाँ तक राष्ट्रीयकृत मार्गों का सवाल है वहाँ पर परिवहन निगम की ही बसें चल सकती हैं। जहाँ पर परिवहन निगम की बसें पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं तथा जनता को परेशानी है वहाँ पर विचार किया जावेगा और नई बसें चलाई जावेंगी।

श्री रसूल अहमद सिद्दीकी : अध्यक्ष महोदय, पूरे भोपाल की जनता परेशान है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं सिटी बसों में ओवर लोडिंग हो रहा है।

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया है कि जो गैर-कानूनी कार्यवाही बस मालिकों द्वारा की जावेगी उस पर सख्ती से कार्यवाही की जावेगी और सुधार के लिए प्रयास किया जावेगा।

श्री रसूल अहमद सिद्दीकी : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण सवाल है। भोपाल प्रदेश की राजधानी है। यहाँ प्राइवेट बस ओनर अत्यधिक ओवर लोडिंग करते हैं। बसें समय पर नहीं चलतीं। मनमाने ढंग से उनके द्वारा बसें चलाई जा रही हैं। क्या माननीय मंत्रीजी इन सब कामों को गैर-कानूनी कार्य नहीं मानते? क्या आपको इसकी जानकारी नहीं है?

(व्यवधान)

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : इसकी जानकारी हमको नहीं है।

श्री रसूल अहमद सिद्दीकी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी सदन में उत्तर दे रहे हैं। बड़े अफ़सोस की बात है कि उनको इसकी जानकारी नहीं है। यह गैर-जिम्मेदाराना बयान है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल गौर : मंत्री महोदय ने कहा जानकारी नहीं है। इसका उत्तर देना पड़ेगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष : आप सब लोग बैठ जाइए।

श्री बाबूलाल गौर : जानकारी क्यों नहीं है?

अध्यक्ष : मैं आपको पूछने नहीं दूँगा।

श्री बाबूलाल गौर : मुझे अधिकार है।

अध्यक्ष : आपका अधिकार नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं पूछने दूँगा।

श्री बाबूलाल गौर : मेरा प्रश्न है।

अध्यक्ष : आपका प्रश्न नहीं आयेगा।

श्री बाबूलाल गौर : मैं बोलूँगा।

अध्यक्ष : आपका कोई जवाब नहीं आयेगा। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल गौर : माननीय मन्त्रीजी अगर कहते हैं जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष : मैं नहीं सुनूँगा।

श्री बाबूलाल गौर : मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता।

अध्यक्ष : काम नहीं चलने वाला है। आप बाहर चले जाइए। (व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिये। सवाल यह है कि हर माननीय सदस्य को अधिकार है बोलने का पर कब बोलेगा वह भी अधिकार है। इस अधिकार के बगैर इस सभा में कोई भी कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेगा। आपको बार-बार कह रहा हूँ, इजाजत दूँगा। मेरी बात से भी संतुष्ट नहीं रहना चाहते। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी माननीय सदस्य हैं इस बात को बोलने का अधिकार हो सकता है लेकिन हर समय बोलने का अधिकार नहीं हो सकता।

श्री कैलाश जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह दायित्व आपका है। हम सबने आपको यह दायित्व सौंपा है। हम सबको आपको सहयोग करना चाहिये आप जो निर्देश दें उसका पालन करना चाहिये। परन्तु अध्यक्ष महोदय, दुविधा हमारे सामने जब बढ़ जाती है तब वहाँ विराजमान होकर आप स्वयं (× × ×) देते हैं ऐसे दो-तीन अवसर इस सदन में आये हैं जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है।

श्री मोतीलाल वोरा : प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मैं बार-बार कहूँ कि आप न बोलें तो उसके बाद न बोलिये। दो तरीके हैं या तो मैं संतुष्ट हो जाऊँ या मार्शल को कहकर बाहर बुला लूँ। आप क्या चाहते हैं। मेरे पास क्या रास्ता है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। बोलने तक आप नहीं दे रहे हैं। सुनने को तैयार नहीं हैं। आप पक्ष में आ जाइये। हो सकता है रोष हो सकता है, नाराज हो सकता हूँ इसके अलावा चुप रहूँगा तो क्या होगा। बताइये।

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर। माननीय कैलाश जोशी ने जिनको आपने बोलने की अनुमति दी थी यह कहा कि अध्यक्ष महोदय को दायित्व हमने सदन में आपको सौंपा है लेकिन अध्यक्ष की आसन्दी से (× × ×) देते हैं तब मामला बहुत गड़बड़ हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, यह सीधे तौर पर अध्यक्ष की अवमानना होती है अध्यक्ष अगर (× × ×) देगा तो इस सदन का कार्य भार किस प्रकार चल पायेगा तो मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूँगा कि वह एक वरिष्ट सदस्य हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी थे या तो अपने शब्द वापस लेंगे या इसको एक्सपंज किया जावे।

अध्यक्ष : (× × ×) देंगे तो निश्चित रूप से सदन का काम नहीं चल सकता है इसलिए मैं माननीय जोशी जी से निवेदन करूँगा कि वे अपने शब्द वापिस ले लेवें। अध्यक्ष महोदय से ऐसी बात कहा जाना उचित नहीं है। अध्यक्ष की व्यवस्था के बाद कोई व्यवस्था नहीं रहती है। ऐसा आक्षेप अध्यक्ष महोदय पर लगाने का मतलब यह है कि हम अध्यक्ष महोदय की बात मानने को तैयार नहीं है इसलिए इन शब्दों को कार्यवाही से निकाल देने की कृपा करें।

अध्यक्ष : मैं आपसे (जोशी जी) यह अपेक्षा करता था कि आप कहेंगे कि माननीय सदस्य ने अध्यक्ष की बात न मानकर अध्यक्ष की बात की अवहेलना की।

श्री कैलाश जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था।

अध्यक्ष : आप बात ऐसी ही शुरू करते हैं। आप नेता के स्थान पर बैठे हैं आपसे गम्भीरता की अपेक्षा करता हूँ।

श्री कैलाश जोशी : मेरा आशय।

श्री अच्युतानन्द मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूँगा कि माननीय वोराजी ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न सदन के सामने उपस्थित किया है वह अध्यक्ष महोदय की अवमानना का प्रश्न है। वे कहते हैं कि अध्यक्ष ने (× × ×) दिया ऐसी स्थिति में जब तक उस प्रश्न पर निर्णय न हो जावे तब तक जोशी जी को बोलने का अवसर न दें।

अध्यक्ष : आपने कहा कि मैं (× × ×) देता हूँ तो स्थिति नाजुक हो जाती है। मैं शांत बैठ गया था तो क्या वे शांत हो गये थे? आप सोचिये आप इस तरह से आक्षेप लगाने की बात करते हैं।

श्री कैलाश जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा कतई आशय यह नहीं है कि आपकी गरिमा, आपके सम्मान के खिलाफ कुछ बोलूँ, मैंने एक तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया है। आपको 320 सदस्यों से निपटना पड़ता है।

अध्यक्ष : 319, मुझे छोड़कर 319।

श्री कैलाश जोशी : 319। यह सहज बात है, सभी सदस्य हमारे साथी हैं फिर भी वे संतुलन कभी-कभी किसी-किसी बात पर खो बैठते हैं, अधीर हो उठते हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपको निश्चित रूप से उस स्थिति को संभालने जैसी कार्यवाही करनी चाहिए। हमने दो-तीन बार देखा है कि आप उत्तेजित हो गए तो सदस्यों का स्वभाव अलग-अलग है और ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है।

(व्यवधान)

और इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में आपसे कहा था। जहाँ तक सदस्य का प्रश्न है (व्यवधान)

अध्यक्ष : जब कभी मुझे ऐसा लगता है, मैं आपकी राय चाहता हूँ, आपकी राय से ज्ञानवर्धन करना चाहता हूँ इसलिए आपकी राय लेता हूँ। अभी-अभी जोशी जी की राय लेना चाही उससे मेरा ज्ञानवर्धन कम हो रहा है वे तथ्य पूरे नहीं रख पा रहे हैं। उन्होंने अभी तक यह नहीं कहा कि निश्चित रूप से आपकी बात की अवहेलना करके अनुचित कार्य किया।

मैं रेश हुआ, फिर शांत बैठ गया फिर भी आप कहना चाहते हैं कि रेश होकर स्थिति बिगड़ी है। यह मानवीय स्वभाव है कि आदमी रेश होता है। सदन को ऑर्डर में लाना है तो मैं दूसरे अन्य रास्तों को नहीं अपनाना चाहता। आप चाहे जितनी शिक्षा दे दें मैं लेने को तैयार हूँ। मेहरबानी करके आप अपना सुधार करें तो सदन की कार्यवाही अच्छी तरह चलेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यद्यपि सदन की कार्यवाही के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना नहीं चाहता था, क्योंकि सदन के संचालन करने का पूरा-पूरा अधिकार सदन ने आपके हाथों में सौंपा है। फिर भी जब कभी-कभी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय विरोधी पक्ष और अपने पक्ष के सदस्यों से कि यह सम्भव है कि किसी विषय पर हममें से कोई एहसास करता हो, अपने क्षेत्र की बात या जानकारी के आधार पर हमारी भावनायें प्रखर हो जावें लेकिन इस बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा कि सदन की प्रक्रिया का संचालन आप करते हैं।

किस समय कौन सदस्य किस विषय पर बोलेगा, वह आपकी अनुमति लेकर ही बोल सकता है। यह एक मौलिक प्रश्न है जिसके बारे में कोई विवाद किसी भी विधानसभा में नहीं हो सकता। यदि किसी माननीय सदस्य को उस हद तक आपके विचारों से असहमति हो तो उसकी प्रक्रिया है।

लेकिन सदन के अन्दर तो मैं जोशी जी से निवेदन करूँगा कि सदन के अन्दर हमारा आपका सभी का सम्मिलित कर्तव्य है कि ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो, तो उसको सुलझाने का प्रयास हो, वह सदन और माननीय अध्यक्ष पद की गरिमा को ध्यान में रखकर किया जाए। केवल अपने पक्ष का प्रतिपादन न करें।

जहाँ तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है मैं कहना चाहता हूँ गौर जी और श्री सिद्दीकी जी से कि उन्होंने इस प्रश्न को सदन में रखा और इस प्रश्न के बारे में शासन की ओर से जानकारी दी गई। शासन परिस्थिति से अवगत है और सुधारने के लिए कृतसंकल्प है। यदि इस प्रश्न की कोई विशेष जानकारी मन्त्री महोदय के पास नहीं है और उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि विद्यमान समूचे आवागमन की परिस्थिति से शासन अनभिज्ञ है।

शेष जानकारी शासन के पास है। शासन पूरी तरह से राजधानी में और प्रदेश के अन्य नगरों से आवागमन में जो सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं, उनके प्रति पूरी तरह सजग है और उनके सुधार की दिशा में कदम उठा रहा है।

अध्यक्ष : जो इन्होंने कहा कि (× × ×)देने से स्थिति बिगड़ जाती है, यह कार्यवाही से निकाल दिया जाए। शीतला सहाय जी आप अन्तिम बार बोलेंगे।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, मैं तो पाँच साल के लिए यहाँ आया हूँ और लगातार बोलने का अधिकार भी है।

अध्यक्ष : इस विषय पर अंतिम बार बोलेंगे।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पद के हिसाब से गरिमा होती है और क्षेत्र के हिसाब से ज्ञानवर्धन होता है। श्रीमान् इस समय हमसे ऊँचे स्थान पर बैठे हैं, इस समय तो हम श्रीमान् से ज्ञान लेना चाहते हैं। माननीय अर्जुनसिंह जी जो आज मुख्यमंत्री के पद पर हैं, आज गरिमा कैसे रखी जावे वह बतला रहे हैं लेकिन जब वह विरोधी दल में थे उस समय क्या करते थे। हमको बता दी कि पद की कैसी गरिमा होनी चाहिए।

लेकिन मुख्यमंत्री जी जब इधर की बेंच पर बैठते थे, तो उस समय सदन में हंगामा करा देने में संकोच नहीं होता था उनको कोई नियम याद नहीं रहता था। जैसे-जैसे पद प्राप्त होता वैसे-वैसे गंभीरता बढ़ती है अधिकारों पर सजग रहने की बात भी उठती है .....जाती है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया है मुझे सुना जाये।

श्री अच्युतानन्द मिश्र : (व्यवधान) इसलिए मुझे भी इस मामले में सुना जाये।

अध्यक्ष : आप यह कहना चाहते हैं कि विरोधी होने के बाद हंगामा करने का आपका अधिकार हो गया है।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, मेरी पूरी बात सुन लीजिए तो हो सकता है कि आप ..... (व्यवधान)

श्री अच्युतानन्द मिश्र : (व्यवधान) यह सदन को गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं।

(प्रश्नकाल समाप्त)

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/4 सितंबर 1980, पृष्ठ/ 933-937)

पी.एम.टी. परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परीक्षार्थियों को विशेष छूट देने संबंधी मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह का सदन में वक्तव्य—

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पी.एम.टी. परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परीक्षार्थियों को शासन द्वारा एक विशेष छूट दी जा रही है। हमारे प्रदेश के सभी छः मेडिकल कॉलेज में 720 सीट उपलब्ध हैं, इनमें से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 108 व 108 सीटें सुरक्षित रखी गई हैं किन्तु पूर्व वर्षों में इनकी पूर्ति नहीं हो पाती थी।

इस हेतु न्यूनतम अंक रखे जाते थे इस कारण अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों को पूरी सुविधाएँ नहीं मिल पाती थीं और उनका चयन निर्धारित सुरक्षित स्थानों से कहीं कम रहता था।

जब शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष सभी 216 सीटें जो कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सुरक्षित हैं, उन्हें पूर्णरूप से भरा जावे, इस हेतु न्यूनतम अंक का अवरोध हटा दिया गया है। इस प्रकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के प्रशिक्षणार्थियों को पूरी निर्धारित संख्या उनके द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल जावेंगे।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/4 सितंबर 1980, पृष्ठ/ 1036)

4 सितंबर 1980 को मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने अपने अनेक विभागों से संबंधित माँगों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। माँगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। सदस्य श्री कैलाश जोशी ने चर्चा की शुरूआत करते हुए यह कहा कि— "ठीक क्या हो रहा है, हमको तो कुछ दिखायी नहीं देता। तीन महीने में किस विभाग में क्या परिवर्तन किया। कौन-सी अर्थ-व्यवस्था थी जिसको आपने ठीक किया। इसका लेखा-जोखा किया जाये तो यह पता चलेगा कि इस प्रदेश की जनता को केवल कहते रहे और पुरानी जनता सरकार पर दोष मढ़ते रहे किन्तु कुछ करके नहीं दिखा सके।" उन्होंने अपने लम्बे भाषण में नयी सरकार पर प्रहार किये चर्चा जारी रही। अन्त में 5 सितंबर को इस पूरी चर्चा का समुचित बिन्दुवार उत्तर मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने दिया। बीच-बीच में श्री जोशी से दो-दो बातें भी हुईं। यह चर्चा यहाँ प्रस्तुत है—

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता की अनुपस्थिति में भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री कैलाश जोशी जी ने इन माँगों की शुरूआत की और चर्चा की शुरूआत में कुछ पुरानी बातें अपने जमाने की और प्रागैतिहासिक बातें बहुत पुराने जमाने की यहाँ पर कीं।

सभापति महोदय, यह तो कैलाश जोशी जी का मेरे प्रति स्नेह है जिसकी वजह से हमारे जैसे साधारण व्यक्ति की तुलना उन्होंने महाभारत के अर्जुन से कर डाली मैं तो एक सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाला साधारण व्यक्ति हूँ। अपने दल के साथियों के साथ इस प्रदेश के जनादेश के मुताबिक अपने दल की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की नीतियों को मूर्तरूप देने के लिए इस प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए यहाँ एक निश्चित कर्त्तव्यों को निभाने के लिए आया हूँ। जोशी तो मेरी तुलना चाहे जिससे करें यह तो उनकी महिमा है। यथार्थ में जो हूँ वो आपके और सदन के समक्ष निवेदन कर रहा हूँ लेकिन यदि सांकेतिक रूप से बात कही भी जाये तो मैं आदरणीय जोशी जी को सूचित करना चाहूँगा कि अर्जुन का एक मोह तो महाभारत में भंग हुआ था। उसका परिणाम महाभारत की कथा में लिखा है दूसरी बार भी मध्यप्रदेश में वह मोह भंग श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ और अनाचारी कौरवों की हार हुई है। (मेजों की थपथपाहट) पाँडवों की विजय हुई है, कौरव कहाँ बैठे हैं और पाँडव कहाँ बैठे हैं यह सदन में देखा जा सकता है।

सभापति महोदय, श्री जोशी जी ने कुछ साथियों की ओर इंगित करके मुनिप्रसाद जी के लिए कहा कि मुनि को गृह विभाग दे दिया है जी हाँ, सोच-समझ कर दे दिया है क्योंकि मुनि जो होता है वह स्थितप्रज्ञ होता है, वह हर परिस्थिति में अपनी भावना को संभाल कर रखता है और जो न्यायोचित होता है, वही करता है। मुनि के हाथ में गृह विभाग पूर्णरूपेण सुरक्षित है।

मैंने जानबूझ कर बैरागी जी को खाद्य विभाग दिया है क्योंकि जो स्वभाव से ही बैरागी है, वह आपके खाद्यमंत्री की तरह भ्रष्टाचार तो नहीं करेगा। यह भी सही है कि भेड़िया जी को मैंने उद्योग विभाग दिया है, भेड़िया जी, जितने अनाचारी और भ्रष्टाचारी हैं उनके साथ भेड़िया जैसा व्यवहार करेंगे और उद्योग में संलग्न व्यवसाय के लिये सजग प्रहरी के रूप में कार्य करेंगे और प्रदेश को औद्योगिक उन्नति के अवसर प्रदान करेंगे।

कोई भी मंत्रिमंडल निश्चित रूप से और अच्छे स्तर और अच्छी स्थिति, बनाने की बात कह सकता है लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हमारा मंत्रिमंडल, हमारा विधायक दल पूरी तरह सामंजस्य के साथ, जो हमारी प्राथमिकताएँ, हमारे नेता ने निर्धारित की हैं, इस प्रदेश के लिये जो नीतियाँ निर्धारित की हैं, उनके अनुसार

ही इस प्रदेश के सर्वतोमुखी विकास के लिए कृतसंकल्प है और हर कदम पर, हर बात पर पूरे सामंजस्य के साथ निर्णय होता है और हम उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। फिर जोशी जी ने वादे की बात कही अब अकेले जोशी जी वादे की बात करें तो हमें.....

श्री रमाशंकर सिंह : आदिमजाति कल्याण में भंवर कैसे फँस गये?

श्री अर्जुनसिंह : आदिम जाति में भंवर न रहे तो जाने कौन उसको लूट ले। इसलिये भंवर का रहना भी जरूरी है जो लूटने वालों पर, भ्रष्टाचारियों पर, आतताइयों पर भंवर बनकर हमला कर सके और उसकी रक्षा कर सके।

कृपा करके आप अपने साथियों को आगाह कर दीजिए कि वे सावधान रहें। सभापति महोदय, कुछ वादों का जिक्र भी यहाँ पर किया गया है। अगर यह जिक्र सखलेचा जी करते, प्रतिपक्ष के नेता पटवा करते तो मैं उनको उत्तर देता। मुझे थोड़ी-सी लाचारी कहिए या थोड़ी सी कठिनाई कहिए जोशी जी को उत्तर देने में है क्योंकि इस प्रदेश में हमने देखा है कि क्या वादे किये गये न उनका भान जोशी जी को था, उनकी पूर्ति की गई या नहीं की गई, न उनका भान होने का अवसर ही आया इसलिये वादों के सम्बन्ध में उनको उत्तर देना आवश्यक नहीं था लेकिन जनता पार्टी शासन ने जो वादे इस प्रदेश की जनता से किये थे, उनका उल्लेख करना समीचीन होगा। इसलिये मैं प्रामाणिक रूप से यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि दूसरी आजादी के नाम पर जो लम्बे-चौड़े वादे किये गये और जिनके द्वारा जनता पार्टी इस प्रदेश के शासन पर पदासीन हुई थी, उनको पूरा करना तो दूर, उनको पूरा करने की मंशा भी उनकी नहीं थी। यही कारण है कि इस प्रदेश के जागरूक मतदाताओं ने ढाई साल के अन्दर ही उनका बोरिया-बिस्तर बाँध कर उन्हें अलग कर दिया।

सभापति महोदय, किसी भी शासन की नीतियाँ और उस शासन की मंशा कि वह क्या करना चाहता है प्रामाणिक रूप से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ही प्रतिबिम्बित होती हैं। व्यक्तिगत मंत्री क्या करना चाहता है, यह अलग बात है लेकिन विधानसभा के समक्ष उसकी जानकारी राज्यपाल के अभिभाषण से ही दी जाती है।

अब मैं आपका ध्यान 1977 के राज्यपाल के अभिभाषण की ओर दिलाना चाहता हूँ जबकि श्री कैलाश जोशी मुख्यमंत्री थे और 15-7-77 को इसी विधानसभा में उनके शासन की मंशा को स्पष्ट किया गया था। मैं उसके दो एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ।

मैं यह नहीं कह सकता कि उनका स्मरण आज भी जोशी जी को है या नहीं लेकिन चूँकि संयोग से उस किताब में छप गये हैं जो इसी आसंदी से महामहिम राज्यपाल महोदय ने भाषण दिया था, इसलिए इतिहास के लिए वे विद्यमान हैं, जोशी जी को स्मरण हो या न हो।

पहला वादा यह किया गया था निष्पक्ष चयन करने के लिए एक स्वतंत्र चुनाव बोर्ड का गठन किया जायेगा जो लोक सेवा आयोग की परम्पराओं के अनुसार कार्य करेगा।

क्या मैं जोशी जी से, उनके बाद आने वाले सखलेचा जी से और उनके भी बाद आने वाले पटवा जी से, जो दोनों जोशी जी को यहाँ अकेला छोड़कर चले गए, पूछ सकता हूँ नीति विषयक जो घोषणा की थी कि शासकीय सेवा में लोगों को निष्पक्ष रूप से भरने के लिये आयोग गठित किया जावेगा, क्या उसे पूरा किया? इतना ही नहीं सन् 78 और 79 के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भूलकर भी इनका उल्लेख नहीं किया गया कि शासन को इसमें क्या कठिनाई हुई, क्यों नहीं गठित किया गया? इस प्रदेश की जनता और शासकीय कर्मचारी इस बात को जानते हैं यह घोषणा तो हो गई लेकिन काम तो इनको दूसरा करना था, निष्पक्षता से चुनाव करने का प्रश्न नहीं था, मुहर लगा कर जहाँ सिफारिश की जाये, उनको भरना था तो, आयोग की क्या आवश्यकता थी? इसलिए इस घोषणा को घोषणा मात्र रहने दिया गया था। दूसरी घोषणा की गई स्थानीय संस्थाओं के चुनाव स्वतंत्र निष्पक्षता के साथ समय पर हो सकें इसका सुनिश्चय करने के लिए मेरा शासन एक प्रादेशिक चुनाव आयोग का गठन कर रहा है। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये आपके वादे पूरे हुए? आपने चुनाव आयोग का गठन किया? क्यों करते?

श्री कैलाश जोशी (बागली) : जिन दो प्रश्नों का मुख्यमंत्री जी यहाँ जिक्र कर रहे हैं उन दोनों प्रश्नों पर कार्यवाही शुरू की गई थी और ये वादे बराबर पूरे करते अगर आप बीच में हल्ला-गुल्ला करके विधानसभा को भंग

न कराते, हम लोगों की भरी जवानी में हत्या की गई जिसका पाप आपके सिर पर है। हम निश्चित रूप से एक एक वादे को पूरा करते। जो काम आपने तीस साल में नहीं किया, लेवी, जिलाबन्दी, उनको ढाई साल के कार्यकाल में हमने पूरा किया, यह सारा प्रदेश जानता है। मैंने उन वादों का जिक्र किया है जो आपने स्वयं अपने श्रीमुख से किये हैं और बाद में मुकर गये हैं। ऐसी बात मेरे बारे में कहेंगे तो उसका दण्ड भुगतने के लिये तैयार हूँ, राजनीति में इस प्रकार का विश्वासघात जनता के साथ कभी नहीं किया जो आपने करके बताया है। हमको जो दण्ड देना था, जनता ने दे दिया। जनता ने हमको हटा दिया। आपकी क्या गति होनी चाहिए जो एक वर्ष पहले कहकर आते हैं कांकेर को जिला बनाना चाहिए और एक वर्ष के बाद कहते हैं नहीं बनाना चाहिए।

श्री अर्जुनसिंह : मैंने जो अपनी कठिनाई और लाचारी का जिक्र सदन में किया था वह इसीलिए किया था। मैं जानता था जोशी जी किसी चीज के दोषी नहीं हैं और जिन लोगों ने इनकी भरी जवानी में हत्या की वह सदन में मुँह दिखाने लायक नहीं है और इसीलिए सदन में उपस्थित नहीं हैं।

श्री कैलाश जोशी : उसकी जिम्मेदारी तो आप पर है। आपने ही बहुत वक्तव्य दिये हैं कि विधानसभा तत्काल भंग होनी चाहिए।

श्री अर्जुनसिंह : उस समय भी हम लोग कितनी प्रार्थना करते थे, मनौती मानते थे कि जोशी जी जल्दी ठीक हों, स्वस्थ हों, समाचार-पत्रों में छपाते थे, आपसे मिलते थे। लेकिन आपने ऐसे लोगों को पाल रखा था जिन्होंने आपके गले पर छुरी चलाई तो इसमें हम क्या कर सकते हैं।

श्री कैलाश जोशी : कांकेर को जिला बनाने में आपका अब क्या मत है?

श्री अर्जुनसिंह : मैं उसके बारे में निश्चित रूप से उल्लेख करूँगा। शासन के वादों के बारे में जो आपने बात की है उसको करने के पहले स्मरण कर लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री की हैसियत से जो वादे आपने किये थे। सभापति महोदय जो वायदे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से इस सदन में किये गये, उनका यह हाल हुआ है। सभापति महोदय, मैं ट्रांसफरों के बारे में बताना चाहता हूँ कि 1978 के अभिभाषण में पहले ही पृष्ठ पर 25 फरवरी 1978 को यह भाषण दिया गया। श्री शीतला जी नाराज न हों।

"मेरा शासन चाहता है कि निर्णय लेने के अधिकारों का विकेन्द्रीकरण हो ताकि विभिन्न स्तरों पर जो मसले निपटाये जा सकते हैं उनका निपटारा हो सके। इसी भावना के अनुरूप शासकीय सेवकों के स्थानान्तर की नीति को भी सुनिश्चित किया जा रहा है।"

सभापति महोदय, अब सदन का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूँ कि स्थानान्तरणों के बारे में फरवरी में साफ तौर से कह लेने के बाद क्या यह सही नहीं है कि फरवरी 78 से मार्च 81 के बीच में जब तक जनता पार्टी का शासन यहाँ विद्यमान था इस प्रदेश में प्राप्त जानकारी के अनुसार बासठ हजार सत्रह स्थानान्तरण किये गये?

श्री शीतला सहाय : सभापति महोदय, यह सही जानकारी नहीं है और बचने के लिए आपने इसीलिए इन शब्दों का प्रयोग किया कि प्राप्त जानकारी के अनुसार।

श्री अर्जुनसिंह : मेरे पास इससे कहीं ज्यादा और भी जानकारी है मैं माननीय जोशी जी की अबोधता को ध्यान में रखते हुए जैसा कि उन्होंने कहा था कि वे संख्या के आधार पर इस्तीफा नहीं देंगे मैं यह बता दूँ कि कभी भी इतनी अवधि में इतने बासठ हजार सत्रह ट्रांसफर नहीं किये गये। और इस पर भी आप यहाँ बार-बार स्थानान्तरण की बात कह कर कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, यह संख्या तो अप्रेल 78 से मार्च 79 की है लेकिन तीन सालों में इन्होंने एक लाख 39 हजार ट्रांसफर किये हैं। इनकी पार्टी के जो बड़े भारी प्रवक्ता हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि एक लाख 25 हजार की संख्या है। मुझे लगता है उन प्रवक्ता महोदय को, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता वे यहाँ उपस्थित नहीं हैं शायद उनको पुरानी बात याद नहीं होगी इसलिए उन्होंने पाँच-दस हजार की संख्या घटा कर बता दी। मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्थानान्तरण किये गये हैं वे निश्चित रूप से माननीय मंत्री महोदय ने अपने विवेक से किये हैं और जैसा मैंने वक्तव्य दिया था कि जिनकी मानवीय और न्यायिक दृष्टिकोण से आवश्यकता उपयुक्त समझी गई उसी को ध्यान में रखकर स्थानान्तरण किये गये हैं। यदि किसी माननीय सदस्य को

किसी के स्थानान्तरण के बारे में कोई ठोस प्रमाण मालूम हो तो निश्चित रूप से यदि भ्रष्टाचार किया गया तो दीजिए लेकिन केवल विरोध मात्र प्रदर्शित करने हेतु स्मरण पत्र दे देने से यह साबित नहीं हो सकता।

मोहनलाल सेठिया : सभापति महोदय, क्या यह सही नहीं है कि मन्दसौर जिले में एक एक अधिकारी का ट्रांसफर चार-चार बार नहीं किया गया और पैसा लेकर कई अधिकारियों के ट्रांसफर नहीं किये गये हैं?

श्री अर्जुनसिंह : सभापति महोदय, मैंने एक दफा अपनी बात कह दी है कि यदि ऐसे कोई आपके पास प्रमाण हों तो दीजिए मैं जाँच करा लूँगा। (व्यवधान)

श्री शीतला सहाय : सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक मिनिट चाहता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत उदारमना हैं वे यदि प्रकरण उपस्थित किया जाये तो जाँच कर लेंगे मैं कहना चाहता हूँ दोनों तरफ से तर्क आये हैं क्या मुख्यमंत्री जी इस सदन के सदस्यों की एक कमेटी बना दें जो कि जनता पार्टी के समय मे जो स्थानांतर हुए हैं और जो आपके समय में हुए हैं वह उन सारे स्थानांतरों की जाँच करे और फिर सीधे इस सदन में अपनी रिपोर्ट पेश कर दे।

श्री अर्जुनसिंह : अगर आपने कोई गड़बड़ी की होगी तो मैं उसकी जाँच करवाऊँगा आपके इस ऑफर को मैं स्वीकार करता हूँ।

श्री शीतला सहाय : सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा अधिकार है किसी भी गड़बड़ी की जाँच करवाने का। लेकिन क्या वे इस सदन की एक समिति बनाने के लिये तैयार हैं जो कि जनता पार्टी और कॉंग्रेस शासन दोनों के समय में जो ट्रांसफर हुए हैं उसकी जाँच कर ले और फिर सीधे अपनी रिपोर्ट सदन में पेश कर दे?

श्री अर्जुनसिंह : सभापति महोदय, स्थानांतरों की संख्या का प्रश्न है इसमें भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं इसके लिए मैं खुला ऑफर दे रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जो स्थानान्तर हुए हैं उनमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। यदि आपके पास कोई प्रमाण हों तो उसको प्रस्तुत करें हम देखने के लिये तैयार हैं।

श्री रमाशंकर सिंह : सभापति महोदय, क्या यह सच नहीं है कि मंत्रियों ने विभाग के सेक्रेटरीज को वाई पास करके स्थानांतरण किये हैं? (व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : सभापति महोदय, अभी तक जब विरोधी दल के माननीय सदस्य बोल रहे थे तो मैं सबको चुपचाप सुनता रहा। तो अब मैं बोल रहा हूँ तो विपक्ष के माननीय सदस्यों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल सेठिया : सभापति महोदय, 50-50 हजार रुपये लेकर आबकारी के अधिकारियों के ट्रांसफर किये हैं क्या यह मलत है?

श्री अर्जुनसिंह : सभापति महोदय, यह बात गलत है।

(व्यवधान)

सभापति : सावधान, सावधान। सभी सदस्य बैठ जायें। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण शांति से सुनें। अगर कोई भाषण के बाद स्पष्टीकरण चाहें तो सवाल पूछा जा सकता है। यह मैं किसी सदस्य विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ, यह सभी से अनुरोध कर रहा हूँ।

श्री कैलाशचन्द्र जोशी : यह प्रश्न एक व्यापक प्रश्न है। जैसा अभी भाई शीतला सहाय जी ने एक सुझाव रखा है कि सदन के सदस्यों की एक कमेटी बना दी जाये जो जनता शासन काल के समय में जो स्थानांतरण हुए हैं उनके और अभी जो स्थानांतरण हुए हैं उस सभी की वह जाँच कर ले। साथ ही समिति इस बात को भी देखे कि इस स्थानांतरण में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। अगर आप इसकी घोषणा करते हैं तो किन-किन मामलों में भ्रष्टाचार हुआ है इसके हलफनामे हजारों की तादाद में आ जायेंगे। (व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : माननीय सभापति महोदय, शांति और व्यवस्था के सम्बन्ध में काफी विस्तार से यहाँ पर माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी राय जाहिर की है। माननीय विरोधी पक्ष के नेताओं ने भी और कॉंग्रेस दल के भी कई सदस्यों ने इस प्रदेश में शांति और व्यवस्था के सम्बन्ध में चिंता व्यक्त की है, वहीं पर कुछ प्रभावी सुझाव भी दिये हैं।

मैं इस बारे में माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि शांति और व्यवस्था को बनाये रखना यह किसी एक पक्ष की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। इसके लिए जहाँ हमें सामान्य रूप से एक वातावरण निर्मित करने का प्रयास करना पड़ता है, वहीं पर अगर दुर्भाग्य से कोई घटना घट जाती है तो त्वरित उसकी जाँच करके दोषी को दंड देने की प्रक्रिया का भी प्रावधान करना पड़ता है। इसके साथ-साथ पुलिस तंत्र में भी समुचित अनुशासन और उनकी सेवा सुविधाओं का भी ख्याल रखना पड़ता है। तभी हम समन्वित तरीके से शांति और व्यवस्था के संबंध में समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं।

मैं यह कह सकता हूँ कि शांति और व्यवस्था इस प्रदेश में ही नहीं, इस देश के अन्दर इसलिए ज्यादा भंग होने लगी है क्योंकि आपने सन् 1977 से लेकर और अभी तक उन सभी मान्यताओं को, उन सभी प्रकार की जो अनुशासनहीनता हुई थीं उन सब को बालाये ताक रखकर स्वेच्छाचारिता के आधार पर शासन को चलाने की जो कोशिश की। क्योंकि सभी लुटेरों, बदमाशों को आपने भय से मुक्त किया और जो भयाक्रान्त थे उनमें भय पैदा किया। अनुशासन की कमी ऊपर से लेकर नीचे तक आई और उसी का यह कारण है कि आज समूचा वातावरण इस प्रदेश का भी और इस देश का भी अशांतिमय हुआ। समाज में वातावरण को फिर से सही रास्ते पर लाने के लिए हम आपसे सहयोग की आकांक्षा करते हैं।

मैं यह कह सकता हूँ कि इस प्रदेश की जनता निश्चित रूप से शांति और व्यवस्था कायम रखना चाहती है। सभी प्रकार के असामाजिक, सांप्रदायिक व अन्य प्रकार की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही चाहती है। मैं आपको इस बात के लिये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यह शासन इस संबंध में अपनी जिम्मेदारी को समझता है। आवश्यकता पड़ने पर हम कानूनों में भी परिवर्तन करके कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने में नहीं हिचकेंगे। आज प्रदेश के अन्दर हमारी माँ-बहिनों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उनके खिलाफ भी हम कडी कार्यवाही करेंगे। इसी तरह हरिजन-आदिवासी को परेशान करने वालों के खिलाफ भी करेंगे।

आज जो असामाजिक तत्व समाज के शोषण के माध्यम से अपने घर भरना चाहते हैं उनके खिलाफ भी हम कार्यवाही करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इसमें आपका सहयोग प्राप्त होगा। जहाँ तक प्रशासनिक तंत्र का सवाल है मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि प्रशासनिक तन्त्र में सुधार करने की आवश्यकता है। चाहे कोई भी प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सामान्य प्रशासन हो। कुछ मान्य सिद्धान्त हैं उनके आधार पर ही प्रशासन में सुधार होना चाहिए। पहली बात यह है कि जो भी चयन हो वह निष्पक्ष हो और जो मान्य सिद्धान्त हैं उन पर आधारित होना चाहिए। जो जिम्मेदारी दी जाये वह स्पष्ट जिम्मेदारी दी जाना चाहिये और उसको पूरा करने के लिए उसको अधिकार भी दिया जाना चाहिए। अगर इसके बाद भी वह सही ढंग से कार्य नहीं करता है तो उसके लिए उसको जिम्मेदार भी ठहराया जा सके। उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं की इसके लिए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है। इस आधार पर ही प्रदेश के या किसी भी देश के प्रशासनिक ढाँचे को ठीक किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है।

जहाँ तक शांति व्यवस्था बनाये जाने का प्रश्न है, पुलिस प्रशासन का सवाल है हमारा यह प्रयास है कि उसमें सुधार लाया जाये और ऐसे लोगों को वहाँ रखा जाये जो निष्पक्ष और सही रूप से काम कर सकें। ईमानदारी से काम कर सकें।

इतना ही नहीं मैंने हर संभाग के कमिश्नर को व्यक्तिगत पत्र भी लिखे। अपनी ओर से उसमें यह कहा है कि जो मान्य सिद्धान्तों के आधार पर कार्य कर रहे हैं उनके कार्य में किसी भी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए सही रूप से कार्य करते हुए अगर कोई ऐसी बात आती है तो उसकी जिम्मेदारी शासन अपने ऊपर लेने को तैयार है। इस प्रकार के स्पष्ट आदेश दिये गये हैं इसके बाद भी अगर कोई कर्मचारी कार्य ठीक ढंग से नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और नियमानुसार जो भी सजा होगी वह दी जायेगी। मेरा ऐसा विश्वास है कि इन आदेशों के बाद से हमारे प्रदेश की कानून-व्यवस्था में काफी परिवर्तन हुआ है। इस प्रदेश की शान्तिप्रिय जनता ने अपना पूरा-पूरा सहयोग दिया है सिर्फ एक महू की घटना को छोड़कर इस प्रदेश के शान्तिप्रिय नागरिकों ने अपना पूरा-पूरा सहयोग दिया है। हमारे प्रदेश में किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। मुझे आशा है कि इसमें आपका भी पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा।

जहाँ तक पुलिस कर्मियों के वेतन का सवाल है और सुविधाएँ बढ़ाये जाने का सवाल है वेतन का सवाल तो वेतन आयोग के सामने है उस पर जो भी कार्यवाही होगी वह समय आने पर की जायेगी। जहाँ तक आवास सुविधा का सवाल है। उसके सम्बन्ध में शासन ने यह निर्णय लिया है कि पुलिस की आवास व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन की स्थापना की जाये। इसके साथ ही साथ पुलिस कांस्टेबिल को आधुनिक प्रशिक्षण देने के लिये भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है क्योंकि आज के आधुनिक युग में वह किस प्रकार से कार्य कर सके इसके लिए पुलिस कांस्टेबिल के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

{3.25 बजे अध्यक्ष महोदय (श्री यज्ञदत्त शर्मा) पीठासीन हुए}

क्योंकि सबसे नीचे की इकाई वही है जिसका सीधा संपर्क जनता से रहता है। इस प्रकार के कदम उठाये जा रहे हैं जिनकी आवश्यकता है। बड़े-बड़े नगरों में क्राइम्स पर कन्ट्रोल करने के लिए सुधार किया जा रहा है वाहनों का ज्यादा से ज्यादा प्रावधान किया गया है जिससे कि अगर कहीं पर कोई घटना होती है तो तत्काल पहुँच कर पुलिस वहाँ पर कार्यवाही कर सके। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा अमला होमगार्ड का है, जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस प्रदेश में शांति व्यवस्था के क्षेत्र में निभाता है। अभी अन्य चीजों के अलावा जो कुछ भी सुविधाएँ उनको हैं, साढ़े सात रु. प्रति दिन के हिसाब से उनको पारिश्रमिक दिया जाता है। हमने यह निर्णय लिया है कि यह पारिश्रमिक बढ़ाकर साढ़े आठ रु. प्रतिदिन किया जाये (ताली) और इस प्रकार उस होमगार्ड के सिपाही को कुछ राहत मिलेगी और शासन को लगभग 36 लाख रु. प्रति वर्ष का व्यय उठाना पड़ेगा। इसी तरह से कुछ बड़े नगर में पदाधिकारी हैं होमगार्ड के नीचे के स्तर पर उनके कोट अलाउन्स और हाउस अलाउन्स को भी बढ़ाने की दिशा में हम विचार कर रहे हैं।

शान्ति व्यवस्था के दृष्टिकोण से इस प्रदेश के इतिहास का एक अध्याय उत्तरी भाग का रहा है, डकैतियों का और कई दफा माननीय सदस्यों ने यहाँ पर चिन्ता व्यक्त की जो स्वाभाविक है। मुझे इस बात को सदन को स्मरण दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि इस दिशा में कुछ पहले ही काँग्रेस पार्टी की ओर से एक पहल की गई थी जिसमें पूरा-पूरा सहयोग स्वर्गीय जय प्रकाश नारायण का भी रहा और अन्य समाज सेवी संस्थाओं का रहा, डकैतों के समर्पण के सम्बन्ध में।

वह एक अध्याय जिसकी वजह से काफी शान्ति उत्तरी क्षेत्रों में प्रदेश की रही लेकिन धीरे-धीरे स्थिति बिगड़ती गई और पिछले एक-डेढ़ साल में डकैतों की संख्या बढ़ी। आवश्यक है कि जितने भी डकैत इस समय सामने आए हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जाये और उस कार्यवाही का विवरण यहाँ देने में तो मैं असमर्थ हूँ लेकिन सदन को इस बात के लिये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस समस्या के समाधान के प्रति जो भी संभव हो सकता है उत्तरप्रदेश और राजस्थान शासन के सहयोग के साथ-साथ डकैतों के संबंध में हम प्रयास करेंगे।

श्री रमाशंकर सिंह : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय कुछ सड़कें स्वीकृत की गई थीं। उन्हें काँग्रेस सरकार ने ही इसलिए स्वीकृत किया था एन्टी डेकायटी ऑपरेशन एरिया हेतु इस ओर भी ध्यान रखें। इस प्रकार की जो स्कूल, सड़क और पुलिस थानों के उन क्षेत्रों का भी पूरा प्रबन्ध हो जाये।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में अन्य बातों का उत्तर तो मैं पहले ही दे चुका हूँ केवल एक विषय है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा और वह है समाचार-पत्रों के विज्ञापन की नीति का। अध्यक्ष महोदय, समाचार-पत्र, उनकी भूमिका, प्रजातन्त्र में उनके दायित्व सभी इतने स्पष्ट हैं कि मेरे कहने की आवश्यकता नहीं लेकिन मैं कुछ दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि बिना किसी कारण के कुछ विज्ञापनों के मामलों को लेकर एक अनायास अविश्वास और शंका की बात समाचार-पत्रों और शासन के बीच में उठती आई है मैं यहाँ पर उन प्रकरणों का उल्लेख नहीं करना चाहता जिनके बारे में मेरे पास प्रमाणिक तथ्य हैं। जो इस बात को उजागर करते हैं कि समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता की दुहाई देने वाली जनता पार्टी ने किस प्रकार से समाचार पत्रों के साथ व्यवहार किया लेकिन शायद उसका उल्लेख बहुत मतलब नहीं रखता पर यह शासन इस प्रदेश के अन्दर समाचार-पत्रों को पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने कार्य को सम्पादित करने में हरसम्भव सहयोग और सहायता करना

चाहता है। इसी दिशा में शासन का जो उनसे संबंध आता है वह निश्चयात्मक रूप से रहे किसी प्रकार की गुंजाइश राग-द्वेष की कम से कम रहे। हमने निर्णय लिया है कि विज्ञापन के मामले में इस प्रदेश के वे सभी समाचार-पत्र जिन्हें डी.ए.वी.पी. से मान्यता प्राप्त है, उनको भारत शासन की डी.ए.वी.पी. द्वारा निर्धारित एडवरटाइजिंग रेट्स हैं वही इस प्रदेश के उन समाचार-पत्रों को दिया जावे। मैं आशा करता हूँ कि अब समाचार-पत्रों के सम्पादकों को इस बारे में किसी प्रकार से कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। जिन्हें डी.ए.वी.पी. के रेट्स की पात्रता नहीं है उनके संबंध में भी अलग से विचार करके उनकी असुविधा देखते हुए एडवरटाइजिंग रेट्स निर्धारित करने का विचार किया जायेगा।

श्री चौधरी दिलीप सिंह : नेशनल हेराल्ड द्वारा 50,000/- का इन्वेस्टमेन्ट करके विशेष तौर पर निकाला गया.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपका प्रश्न सुनने के लिए मुख्यमंत्री जी बैठते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री अर्जुनसिंह : मैं दिलीप सिंह जी से इतनी ही प्रार्थना करूँगा कि आपका सम्पर्क न हुआ हो समझ में आता है और किसी का सम्पर्क नहीं आप कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं?

(व्यवधान)

अच्युतानन्द मिश्र : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष : सब काम व्यवस्था से चल रहा है।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर माननीय सदस्यों ने ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट के बारे में भी उल्लेख किया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि किसी विवाद को जन्म देकर मैं माननीय सदस्यों को उलझाना नहीं चाहता। लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि सखाराम नीलकण्ठ जी ने कनाड़िया का उल्लेख करके शायद यह कोशिश की थी कि कुछ ऐसी बातें उठा दी जावें जिनके बारे में इनके पास कहने को कुछ न रहे। अध्यक्ष महोदय, आपको भी अच्छी तरह मालूम है वह दुखद घटना क्यों हुई और उसका यहाँ उल्लेख करना मैं आवश्यक नहीं समझता लेकिन उस घटना और उस गाँव के प्रति उस समय का शासन अपनी जिम्मेदारी भी समझता था या नहीं मैं नहीं कह सकता। मैं जरूर समझता हूँ, मेरे दल के लोग जरूर समझते हैं, यदि मैं वहाँ गया था तो केवल इस बात को वहाँ के नागरिकों के पास पहुँचाने के लिए कि हमारा, हमारे शासन का, हमारे साथियों का यह प्रयास होगा कि ऐसी घटना फिर से घटित न हो और जो उस गाँव के अन्दर वहाँ के नागरिक, सवर्ण व हरिजनों व अन्य लोगों के बीच जो दरार पड़ गई थी, कटुता का वातावरण निर्मित हो गया था उसे कम किया जा सके, दूर किया जा सके। ताकि गाँव के विकास और उन्नति की ओर उनका ध्यान आकर्षित हो। यह उद्देश्य था मेरी यात्रा का। इस ग्राम को एक आदर्श ग्राम बनाने में सहायता करेंगे ताकि यह लोग विकास की ओर उन्मुख हो जायें। मैं दिनांक 14-6-80 को इस ग्राम में गया था। इस ग्राम के लिए जो मुख्य सड़क 15 किलोमीटर की है जिसको बनाने से यह ग्राम सड़क से जुड़ जावेगा हमने इस बजट में 15 लाख रुपये रखे हैं और इस बजट में एक लाख रुपए का प्रावधान अभी किया गया है और आगे प्रावधान किया जावेगा। साथ ही अध्यक्ष महोदय, वहाँ बिजली लगाने के लिए एस्टीमेट बन चुका है जिस पर 1 लाख 16 हजार रुपये व्यय होंगे। यह पूरा खर्चा शासन ही व्यय करेगा। वहाँ कम्युनिटी हाल बनाने के लिए एस्टीमेट बनाया जा रहा है तथा ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि वह लोग भाईचारे के साथ वहाँ काम कर सकें। इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर सिंचाई साधनों को बढ़ाने के लिए, उनकी उन्नति करने के लिए लिफ्ट इरीगेशन द्वारा दो किलोमीटर से वहाँ क्षिप्रा नदी का पानी लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके द्वारा उस ग्राम की 286 किलोमीटर जमीन का सिंचन हो सकेगा। इस योजना पर 22 लाख रुपया के आसपास खर्चा आवेगा जिसमें से 13 लाख रुपया शासन को देना है बाकी उन्हें अपनी ओर से देना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता था कि हम कोई चीज औपचारिकता मात्र के लिए नहीं करना चाहते। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, हमारा शासन अपनी जिम्मेदारी समझता है और हमारा दल भी अपनी जिम्मेदारी को समझता है।

अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक आदिवासियों के उत्थान का विषय है, उसमें हम जो कार्य करना चाहते हैं उसका उल्लेख हमने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पूर्व के शासन ने जो

वायदे राज्यपाल के अभिभाषण में किए थे उनको वह भूल गए लेकिन हमने जितने वायदे किए हैं शासन की ओर से जिनका जिक्र राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में है उन प्रत्येक वायदों पर हमारे शासन द्वारा कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। उनमें से एक तो पिछले सत्र में विधेयक लाकर पारित कर दिया गया है। अन्य बातों का उल्लेख जो मैं करना चाहूँगा वह है राज्यपाल महोदय का अभिभाषण का पृष्ठ 3 पैरा 4, पृष्ठ 4 पैरा 7 तथा पृष्ठ 9 पैरा 15 पर दिया है। इनके सम्बन्ध में विधि विभाग से बिल तैयार होकर प्राप्त हो गया है तथा उस विधेयक को विधानसभा के इसी सत्र में पारित किया जावेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष आदिम जाति कल्याण विभाग के सम्बन्ध में भी जानकारी देना चाहता हूँ। वहाँ के लिये 8 सर्वे टीमें बनाई जा चुकी हैं। इसका उल्लेख राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पृष्ठ 9 पैरा 15 में दिया हुआ है। एक सर्वे टीम में 7 व्यक्ति हैं। यह सर्वे टीम एक सप्ताह में फील्ड में चली जायेगी।

इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, पृष्ठ 3 के पैरा 6 में जो उल्लेख हैं उसके सम्बन्ध में विधेयक पिछले सत्र में ही पारित कर दिया गया था। जहाँ तक पृष्ठ 4, पैरा 10 में कहा गया था उसके मुताबिक हरिजन-आदिवासी छात्रों की छात्रवृत्ति में 50 प्रतिशत वृद्धि की गई है। इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये गये हैं। जैसा पृष्ठ 9 के पैरा 16 में उल्लेख किया गया है उसके अनुसार आदिवासी बहुल क्षेत्रों में वरिष्ठ सेवाओं के आय.ए.एस. 8 अधिकारियों को प्रोजेक्ट आफीसर पदस्थ किया गया है। पृष्ठ 18 के पैरा 39 के अनुसार हमने संस्कृति विभाग का गठन कर दिया है।

मैं अपने विरोधी पक्ष के साथी श्री जोशी जी से कहना चाहूँगा कि हम जो वादे करते हैं उन्हें पूरा भी करते हैं उन सरीखा नहीं कि वादे भी करते हों जो कभी पूरे नहीं होते और अध्यक्ष महोदय, हम वादे भी उतने ही करते हैं जिनको हम पूरा कर सकें और उसी मुताबिक हम अपने कदम उठाते हैं।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, आज जो घटना घटी है उससे और अब ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी अपने वादे पूरे कर सकेंगे। वह अन्दर ही अन्दर बहुत खुश हैं। आपके चान्सेस इस प्रदेश में कुछ करने के और बढ़ गये हैं।

अध्यक्ष : मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ उसका महत्व नहीं है। हम चर्चा में महत्व रखते हैं।

श्री कैलाश जोशी : हमारे लिये भले ही महत्व न हो लेकिन मुख्यमंत्री के लिए तो है।

अध्यक्ष : दोनों में से किसी के लिए नहीं।

श्री अर्जुनसिंह : मैं माननीय जोशी जी से कहना चाहूँगा इतने ओछेपन की हमारे दल में भावना नहीं है।

श्री शीतला सहाय : मन में खुशी होगी। बातों को कैसे छुपाया जाये यह कोई अर्जुनसिंह से सीखे।

श्री अर्जुनसिंह : मैंने बहुत बातें सीख लीं यह बात नहीं सीखूँगा। हरिजनों के उत्थान के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ। सबसे पहली बार इस प्रदेश के अन्दर एक विभागीय योजना हरिजनों के उत्थान के लिये हाथ में ली गई है जिसके माध्यम से जो हमारा बजट है, प्लान है, उसमें अभी तक जैसे आदिवासियों के लिए एक अलग से सबप्लान रहता था उसी तरह से हरिजनों के लिए भी प्लान रहेगा। इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि इस वर्ष साढ़े ग्यारह लाख ऐसे हरिजन बन्धुओं को सहायता करना है जिससे वे गरीबी की रेखा के ऊपर उठने का प्रयास करें। इसी को कार्यरूप में प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिये पहली बार इस प्रदेश में हरिजन वेलफेयर का डायरेक्टोरेट अलग से स्थापित किया गया है। इसमें जो भर्ती होना चाहिए टेक्नीकल एज्युकेशन के क्षेत्र में, क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे कि हरिजन-आदिवासी की प्रगति का बहुत बड़ा भाग इस बात पर निर्भर करता है कि स्वयं उनके परिवार के बच्चे पढ़ें-लिखें अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अपने समाज की और परिवार की उन्नति कर सकें, और इस दिशा में हमने यह प्रयास किया है।

टेक्नीकल एज्युकेशन के क्षेत्र में चाहे वह इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो कोई अन्य क्षेत्र हो ज्यादा से ज्यादा हरिजन-आदिवासी के बालकों को उपलब्ध की जाये। मैंने कल ही इस बारे में घोषणा की है। वहाँ पर अध्यक्ष महोदय, दो शब्द इस बात के लिये कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के अन्दर जो आर्थिक रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग है उसकी भी समस्या इस प्रदेश में बढ़ी है और उन समस्याओं की भी पूरी तरह से समीक्षा की जाये अत्यन्त आवश्यक है। जब तक उन समस्याओं की समीक्षा प्रशासकीय स्तर पर नहीं की जायेगी तब तक उन समस्याओं

के समाधान की ओर बढ़ना थोड़ा कठिन होगा, यही कारण है कि इस प्रदेश में जिनका बहुमत है। पिछड़े वर्ग के साथियों को इस बात का मलाल है और इसलिये शासन ने यह निर्णय लिया है कि इसकी पूरी समीक्षा करने के लिये एक वर्ष की अवधि के लिये समिति का निर्माण किया जायेगा। उस समिति के अध्यक्ष इस माननीय सदन के सदस्य श्री महाजन जी होंगे और उनकी दृष्टि से इस प्रदेश के पिछड़े भाइयों की समस्या और उसके समाधान के बारे में अपनी रिपोर्ट एक वर्ष में प्रस्तुत करेंगे।

श्री रमाशंकर सिंह : आयोग बना दिया जाये समिति से काम नहीं चलेगा।

श्री अर्जुनसिंह : मुझे जो आवश्यकता होगी जरूर करूँगा उसके लिये पूछने नहीं आऊँगा।

श्री रमाशंकर सिंह : एक तरफ तो आप पूछते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं पूछने नहीं आऊँगा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर पावर के संबंध में चर्चा की गई है, जेनेरेशन के बारे में और उसके वितरण के बारे में। मैं यह कहना चाहूँगा कि चूँकि वह बात आँकड़ों पर आधारित है इसलिये कोई विवाद का विषय नहीं है। कल जोशी जी ने एक बात कही, 67 से लेकर और 76 तक पावर जेनेरेशन बिल्कुल शून्य रहा। मैं समझता हूँ शायद भूल से ऐसा कहा गया होगा। इस प्रदेश के अन्दर 360 मेगावाट के नये जेनेरेशन की व्यवस्था की गई और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर वह शून्य भी होती तो आप कठिन परिस्थिति में पड़ गए होते जब आप मुख्यमंत्री बनकर आये थे। मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के विकास के लिए बिजली का उत्पादन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसको आगे बढ़ाने की दिशा में पूरे प्रयास शासन की ओर से हैं। मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष होता है कि केन्द्रीय शासन ने इस प्रदेश की विद्युत की आवश्यकताओं और उससे जुड़ी हुई औद्योगिक मंशा की अनिवार्यता को देखते हुए विरसिंहपुर पाली में 425 मेगावाट के नये संस्थान को स्थापित करने की अनुमति दी है और इस विरसिंहपुर पाली में संस्थान का शिलान्यास हमारे देश की प्रधानमंत्री स्वयं आकर करेंगी। (तालियों की आवाज)

श्री कैलाश जोशी : यदि हम सरकार में रहते, तो हमारे हाथ से होता, उसे स्वीकृत तो हमने कराया है।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय जोशी जी इस दुःख को मन से निकाल दीजिए।

श्री कैलाश जोशी : बिना कारण निर्दोष लोगों को हटाया है, तो दुःख तो होगा ही।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर सदन के रिकार्ड में आना चाहता हूँ। माननीय कैलाश जोशी निर्दोष व्यक्ति थे, बिना किसी कारण के जो व्यवहार उनकी पार्टी ने उनके साथ किया है, हम विशेष रूप से सदन के सभी सदस्यों के रूप से संवेदना व्यक्त करते हैं— (हँसी की आवाज)

श्री कैलाश जोशी : अध्यक्ष महोदय, अगर मुख्यमन्त्री जी इतने ही संवेदित हैं तो क्या मुझे अवसर देंगे, फिर से। यह तो आपके हाथ की बात है। (हँसी)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है, सखलेचा जी और पटवा जी यहाँ मौजूद नहीं हैं, नहीं तो यहाँ जाने क्या गुजर गई होती। आप क्या कहना चाहते हैं, आपको यहाँ पर बैठने देना न हमारे हाथ में है, और न आपके हाथ में है। जिसके हाथ में है, उसने मूल्यांकन करके जिसको जहाँ बैठना चाहिए वहाँ बैठा दिया है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। (हँसी)

श्री कैलाश जोशी : अध्यक्ष महोदय, जिनको बैठाने का अधिकार प्राप्त था, उन्होंने तो हमें 77 में 5 साल के लिये बिठाया, लेकिन आपने दुर्भावना से हमें ढाई साल में हटवा दिया।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, कुछ ऐसी कसकें होती हैं, जो जीवन भर कसकती रहती हैं।

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, अगर सुहागन ठीक समय पर खुद चौका का व्रत कर लेती है तो राँड नहीं होती।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, लगता है कि बैरागी जी ने स्वयं समय-समय पर कई बार इस प्रकार की घटनाओं में भाग लिया होगा।

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, मेरी तो जिन्दगी हो गई राँडों के लिये रोते-रोते।

श्री शीतला सहाय : कितनी कीं और कितनी छोड़ीं, यह भी बता दीजिए।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, समय कम है। जैसा पूर्व में बताया गया, इस विशाल प्रदेश की प्रगति के लिए कई वर्षों और कई स्थानों पर प्रयास करना होगा। उसमें प्राकृतिक साधनों का महान योगदान है। माननीय सदस्यों ने प्राकृतिक साधनों के दोहन और उसके द्वारा जो आय सरकार को होती है, उसमें वृद्धि के लिये जो सुझाव दिए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि म.प्र. के भावी औद्योगिक विकास में प्राकृतिक साधनों का महत्वपूर्ण योगदान हो, ऐसी ही नीति म.प्र. शासन बनायेगा। और उस संबंध में जैसे भी आप लोगों के सुझाव होंगे हम लेकर इस दिशा में जो संभव हो सकेगा, करने का प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, संस्कृति के सम्बन्ध में, क्योंकि प्रदेश में ऐसी प्रतिभाएँ हैं जो न केवल अपनी सृजनात्मक शक्ति से अपने स्वयं के कार्यक्षेत्र को आलोकित करती हैं बल्कि साथ ही साथ समूचे प्रदेश और देश के कोने-कोने में उनकी ख्याति रही है चाहे वे हमारे प्रदेश के कवि रहे हों, कलाकार रहे हों संगीतज्ञ रहे हों या अन्य क्षेत्र के काम करने वाले। सांस्कृतिक विभाग की स्थापना के बाद अब हमारा यह प्रयास होगा कि अपने-अपने क्षेत्र में काम करने वाले उन सब व्यक्तियों को और जो अन्य लोग उभरकर आ रहे हैं, इस प्रदेश में एक ऐसा उनका मान या सम्मान या यों कहिए कि सृजनात्मक शक्ति को बढ़ाने या प्रस्फुटित करने की दिशा में सहयोग देने के लिए शासन ने यह निर्णय लिया है कि हर वर्ष अलग-अलग कलाओं में श्रेष्ठात्मक कार्य के लिये प्रतिवर्ष शासन एक लाख रुपयों का पुरस्कार रखेगा।

(मेज़ों की थपथपाहट)

जो इस प्रदेश के उन भावी कलाकारों के सम्मान में प्रतिष्ठित किया जायेगा। साथ ही साथ प्रदेश में कलाओं की स्वतंत्रता और सम्मान के साथ विकास के अवसर और साधन बढ़ाने का प्रयास होगा। प्रदेश की जो सांस्कृतिक परम्पराएँ हैं उनका संरक्षण किया जायेगा।

आम नागरिकों में कलाओं के रसास्वादन के अवसरों का विस्तार किया जायेगा। प्रदेश की आदिवासी और लोक संस्कृति के प्रमाणिक संरक्षण के लिये विशेष प्रयत्न करने के लिए शासन कार्य करेगा। कला सम्बन्धी संस्थाओं का पुनर्गठन और विस्तार का भी प्रयास किया जायेगा। कलात्मक गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण और दुर्लभ होती जा रही शैलियों, रूपांकारों के लिये विशेष समर्थन की योजना भी चालू की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह प्रदेश.....

श्री कैलाश जोशी :अध्यक्ष महोदय, अपने भाषण में मैंने दो-तीन बहुत महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया था एक तो कांकेर को जिला बनाने की और दूसरी देवास जिले में गन्ने का जो गुड़ बनाना बन्द कर दिया गया है उसकी ओर, इसके बारे में उत्तर दें .....

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना भाषण समाप्त नहीं किया था लेकिन माननीय जोशी जी को शंका हो रही थी, अतः उस शंका का निवारण करना मेरा कर्त्तव्य है। अध्यक्ष महोदय, कांकेर के सम्बन्ध में स्थिति बहुत स्पष्ट है, मैं वहाँ जब गया था, पूर्व में भी और अभी भी, मैंने किसी भी भाषण में नहीं कहा कि कोई जिला बनना चाहिए, या नहीं बनना चाहिए मैंने यही कहा था कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर निश्चित रूप से विचार होना चाहिये। अभी जब मैं गया मुख्यमंत्री की हैसियत से और इस प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए जिले बस्तर में आदिवासियों के विकास के सम्बन्ध में वहाँ के साथियों से विचार-विमर्श करने के लिए, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए वहाँ जाना मेरा उद्देश्य था। उस सभा में आदिवासियों के उत्थान के लिए चर्चा होती, कोई बात कही जाती, एक तरफ से वहाँ जिले और जिले की बात कहना शुरू कर दी मैंने कहा कि जिले के बारे में बात करने का समय दूसरा होगा, इस समय मैं जो कहने आया हूँ, सुनने आया हूँ, उस पर चर्चा हो। अगर वहाँ के कुछ राजनैतिक लोगों को जिनके बारे में यहाँ कहना मैं उचित नहीं समझता, अगर बुरा लगा हो तो उसका मुझे दुख है लेकिन जो वहाँ मुझे यथार्थ दिखा उसी के आधार पर मैंने बात कही। खांडसारी एवं शक्कर का जहाँ तक सवाल है मैं समझता हूँ कि आपके दल के नेता श्री पटवा जी हमारे मन्त्रिमंडल के कृषि मंत्री के निकट सम्पर्क में हैं, इस विषय पर जो हल निकलेगा निश्चित रूप से उसका हमें स्वागत करना ही पड़ेगा। मैं इस सम्बन्ध में

अपनी ओर से कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यह बात सही है कि यह प्रदेश असीम सम्भावनाओं से भरा पड़ा है, यह भी सही है कि शोषण के अनेक मापदण्ड इस प्रदेश में स्थापित रहे हैं और आज भी विद्यमान हैं। यह भी सही है कि जो जिम्मेदारी काँग्रेस पार्टी को, हमारे मंत्रिमंडल के साथियों को, हमारे दल को दी गई है उसको निभाने के लिए हरसंभव प्रयास करने के लिये हम तत्पर रहेंगे। और मैं इस बात के लिए सदन के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, कि एक निष्पक्ष, संवेदनशील और सभी पूर्वाग्रहों से दूर रहकर इस प्रदेश को शासन देने का प्रयास यह मंत्रिमंडल करेगा। और मुझे विश्वास है कि जिस समर्थन और सहयोग की भावना से हम सब मिलकर कार्य कर रहे हैं उससे प्रदेश का नया कीर्तिमान स्थापित होगा और हमारे देश की नेता इंदिरा गांधी के स्वप्न पूरे और साकार होकर यह प्रदेश उन्नतिशील प्रदेशों की श्रेणी में स्थान प्राप्त कर सकेगा।

अध्यक्ष : अब मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूँगा।

प्रश्न यह है कि माँग संख्या 1, 2, 3, 4, 12, 25, 26, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 41 तथा 43 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें?

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए

अब मैं माँगों पर मत लूँगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त—

अनुदान संख्या 1— सामान्य प्रशासन के लिए दो करोड़ बत्तीस लाख, बावन हजार रुपये।

अनुदान संख्या 2— सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए तिरपन लाख इक्हत्तर हजार रुपये,

अनुदान संख्या 3— पुलिस के लिए बत्तीस करोड़, नौ लाख, बानवे हजार रुपये,

अनुदान संख्या 4— गृह विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय के लिए चार करोड़, चौआलीस लाख, पच्चासी हजार रुपये,

अनुदान संख्या 12— विद्युत के लिए इक्यानवे करोड़, इक्यानवे लाख, इंक्यावन हजार रुपये,

अनुदान संख्या 25— खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय के लिए तिरपन लाख, पांच हजार रुपये,

अनुदान संख्या 26— भाषा के लिए आठ लाख, सरसठ हजार रुपये,

अनुदान संख्या 31— योजना आर्थिकी तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय के लिए एक करोड़ एक लाख, एक हजार रुपये

अनुदान संख्या 32— सूचना तथा प्रकाशन के लिए सतहत्तर लाख, बीस हजार रुपये,

अनुदान संख्या 33— आदिम जाति तथा हरिजन कल्याण के लिए चौबीस करोड़, पैंतीस लाख दस हजार रुपये,

अनुदान संख्या 35— पुनर्वास के लिए तिरासी लाख, बयालिस हजार रुपये,

अनुदान संख्या 37— पर्यटन के लिए चालीस लाख, चौरान्नवे हजार रुपये,

अनुदान संख्या 38— पुरातत्व के लिए छब्बीस लाख, चौंतीस हजार रुपये,

अनुदान संख्या 41— आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए तिरसठ करोड़, पंचानवे लाख, बत्तीस हजार रुपये,

अनुदान संख्या 43— सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अतिरिक्त व्यय के लिए चौवन लाख, उन्यासी हजार रुपये तक की राशि दी जायेगी।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

माँगें स्वीकृत हुईं।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/5 सितंबर 1980, पृष्ठ/ 1224-1237)

अध्यक्ष श्री यज्ञदत्त शर्मा को श्री अर्जुनसिंह मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की दो सूचनाएँ मिलीं। पहली सूचना सदस्य श्री रमाशंकर सिंह तथा श्री कपूरचन्द धुवारा की और दूसरी

सूचना प्रतिपक्ष के नेता श्री सुन्दरलाल पटवा और सदस्य श्री कैलाश जोशी की थीं। अध्यक्ष ने चर्चा की अनुमति दी। चर्चा की शुरूआत श्री सुन्दरलाल पटवा ने की। उन्होंने आरोप-पत्र भी पढ़ा। अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। इन आरोपों का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने इस अविश्वास प्रस्ताव को आधारहीन निरूपित किया। मत लिये गये और अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। इस बहस के अंश यहाँ प्रकाशित हैं—

श्री सुन्दरलाल पटवा (सीहोर) : उपाध्यक्ष महोदय, आप आसन्दी पर नहीं थे अध्यक्ष महोदय थे, उन्होंने कहा और मैं बैठ गया। परन्तु आज तक सदन की यही परम्परा रही है कि यदि एक, दो, तीन, चार चाहे कितने भी अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हों यदि सदन के प्रतिपक्ष के नेता का अविश्वास प्रस्ताव भी इसमें है तो प्रापर्टी उसे ही मिलेगी। उसे ही अध्यक्ष अनुमति देते हैं। लेकिन जब अध्यक्ष महोदय, आसंदी पर थे मुझे दुःख है उन्होंने इस परम्परा का पालन नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो अविश्वास प्रस्ताव है उसके साथ जो आरोप-पत्र दिया है उसमें जो कारण गिनाए हैं उनको ही सबसे पहले मैं सदन में प्रस्तुत करना चाहूँगा। .....

अविश्वास प्रस्ताव पर आरोप-पत्र

इसमें मैंने 12 कारण बताए हैं।

नंबर 1 : कानून और व्यवस्था की स्थापना में यह सरकार पूरी तरह असफल सिद्ध रही है और प्रदेश की जनता तथा कमजोर वर्ग की जानमाल एवं महिलाओं की अस्मत सुरक्षित नहीं है।

नम्बर 2 : इस सरकार की स्थापना के बाद से प्रदेश के हरिजन-आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग पर सामन्तवादी और अवांछित तत्वों द्वारा अत्याचार, दमन तथा आतंक की लगातार कार्यवाही के कारण गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है। उनकी महिलाओं की इज्जत और अस्मत की सुरक्षा नहीं है।

नम्बर 3 : मंत्रिपरिषद के सदस्यों एवं सत्तापक्ष के विधायकों द्वारा अवांछित-असामाजिक एवं अपराधी तत्वों को अनुचित रूप से संरक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा ऐसे तत्व मंत्रियों के साथ गाड़ी में बैठकर समारोहों में सम्मिलित होकर प्रतिष्ठा पाने के कारण पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकने की असहाय स्थिति निर्मित हो गई है।

नम्बर 4 : निरंतर बढ़ती हुई महँगाई तथा जीवनोपयोगी वस्तुओं के अभाव के कारणा जन-जीवन दूभर हो गया है। केन्द्र की सरकार द्वारा राज्य शासन पर शक्कर की समुचित वितरण व्यवस्था न कर पाने का स्पष्ट आरोप लगाया है। शक्कर, गेहूँ, चावल, तेल, कपड़ा आदि सस्ते अनाज की दुकानों पर जानबूझकर उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। इससे मुनाफाखोर, कालाबाजारी, संग्रहखोर अपने चहेते व्यापारियों को लाभ पहुँचाया जा रहा है।

नम्बर 5 : वितरण व्यवस्था में जानबूझकर ऐसे अवांछित लोगों को प्रवेश कर दिया गया है जो सारी सामग्री की कालाबाजारी और तस्करी कर रहे हैं उसमें सतपक्ष के प्रभावशाली लोगों का संरक्षण एवं संबंध है।

नम्बर 6 : जुलाई अगस्त की भारी बरसात में प्रदेश के एक लाख से अधिक कर्मचारी अधिकारियों का स्थानांतर किया गया। सारा प्रशासन अस्त-व्यस्त है। स्थानांतर तथा पुनः निरस्त करने की कार्यवाही में सत्तापक्ष के लोगों तथा उनके दलालों के द्वारा लाखों रुपयों का लेन देन किया गया है। प्रशासन में हर स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है।

नम्बर 7 : विरोधी दलों के कार्यकर्त्ताओं को व्यापक पैमाने पर बदले की भावना से आतंकित एवं पीड़ित किया जा रहा है तथा उनके खिलाफ पुलिस में झूठे मुकदमे चलाये जा रहे हैं। राजनैतिक विद्वेष की भावना से कार्यवाही की जा रही है। अपने हिमायतियों को अनुचित संरक्षण दिया जा रहा है।

नम्बर 8 : प्रदेश में वनों की अवैध कटाई एवं लकड़ी की चोरी व्यापक रूप से हो रही है। मंत्रियों सहित सत्तापक्ष के लोगों तथा वरिष्ट नेताओं का उससे हित संबंध है। वनों का अवैध नाश करने वाले तत्वों को सत्तापक्ष का संरक्षण है।

नम्बर 9 : कॉंग्रेस (आई) की आपसी गुटबन्दी तथा हिंसक झगड़ों में व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस एवं सुरक्षा विभाग का सारा समय एवं शक्ति बर्बाद हो रही है। उनके हस्तक्षेप के कारण पुलिस का मनोबल गिर रहा है।

नम्बर 10 : प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखने में सरकार पूरी तरह असफल रही है।

नम्बर 11 : शासकीय नियमों तथा मण्डलों में ऐसे व्यक्तियों की नियुक्तियाँ की गई हैं जिनके चरित्र संदेहास्पद हैं तथा जिनके विरुद्ध कदाचरण के गंभीर तथा सिद्धोष आरोप हैं।

नम्बर 12 : प्रदेश की हजारों ग्रामीण एवं कस्बों की शालाएँ अध्यापकों के अभाव में बन्द पड़ी हैं। विद्यार्थियों को कापियाँ, कागज, किताबें उपलब्ध नहीं हैं।

नम्बर 13 : प्रदेश में अनेक अस्पताल रिक्त पड़े हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन आरोपों के बारे में विस्तार से घटनाएँ और तथ्य मेरे अन्य सहयोगी और साथी अपनी बात कहेंगे उस समय सदन के सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं अभी कुछ मुद्दों पर, इश्यूज पर अपने आपको सीमित रखना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए। आज एक सत्तारूढ़ पक्ष की पार्टी को जनता ने बहुमत देकर बैठाया है। कौन-से वादे थे—

उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 6 बज चुके हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, ने 3 से 5 बजे तक यानी दो घंटों का समय इसके लिए रखा था।

श्री सुन्दरलाल पटवा : उपाध्यक्ष महोदय, इस आसन्दी पर बैठकर माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि इस चर्चा के लिए जितना समय लेना चाहें हम देने के लिए तैयार हैं उन्होंने तीन या पाँच घण्टे का बन्धन नहीं लगाया था।

श्री कृष्णपालसिंह (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने जो समय निर्धारित किया था उसमें उन्होंने तीन से पाँच बजे तक का समय निर्धारित किया था यानी दो घण्टे जितना समय लगे ले लीजिए इसका मतलब यह नहीं है कि कल तक चलता रहे। छै बजे के बजाय आप आठ बजे तक बैठ लीजिए।

श्री सुन्दरलाल पटवा : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने कहा था मैंने उसी समय सवाल उठाया था तब उन्होंने कहा था कि माननीय सदस्य जितना समय लेना चाहें उतना समय मिलेगा। उन्होंने तीन-चार-पाँच घंटे का कोई बन्धन नहीं लगाया था। हमने बहुत से महत्वपूर्ण मामले जो जनता के हित से सम्बन्धित हैं उठाये हैं उन पर बहस होना आवश्यक है अगर आप उन पर भी समय का बन्धन लगाकर रोकना चाहते हैं तो आप रोक सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुमत है।

उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अभी तो आधे घण्टे की चर्चा भी बाकी है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अभी आधे घण्टे की चर्चा ले लीजिए अगर आज इसको पर्याप्त समय नहीं दे सकते हों तो कल के लिए रख लीजिये।

उपाध्यक्ष : फिर भी समय तो निश्चित होना चाहिये।

श्री सुन्दरलाल पटवा : यह महत्वपूर्ण मामला है इसके लिए पूरे एक दिन का समय दिया जाना चाहिए और मैंने एक दिन का समय माँगा भी था। पाँच घण्टे से कम का समय तो किसी भी हालत में नहीं मिलना चाहिये इतने महत्वपूर्ण इशूज हैं उनके लिए एक दिन के समय से कम नहीं दिया जाना चाहिए अगर आप इसको बहुमत के आधार पर बाधा डालकर नहीं रखने देना चाहते हैं तो दूसरी बात है।

श्री श्रीनिवास तिवारी (लोक स्वास्थ्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, पटवा जी जरा याद कर लें कि जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने कितना समय दिया था अविश्वास प्रस्ताव के लिए?

श्री सुन्दरलाल पटवा : पूरा एक दिन का समय दिया था प्रोसीडिंग उठा कर देख लीजिए। अभी माननीय सदस्य आधा घण्टे की चर्चा कर लें यह प्रस्तुत तो हो गया है इसके लिए कल रख लीजिये और अगर तीन घण्टे और पाँच घण्टे का बन्धन लगाकर चर्चा को नियंत्रित करना चाहें तो चर्चा का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा। हम अविश्वास प्रस्ताव लाये हैं और हमें यह भी मालूम है कि आपके पास बहुमत है आप इसको वैसे ही विफल कर सकते हैं। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव को लाने का जो महत्व है वह अलग है।

उपाध्यक्ष : पूरे दिन का समय भी निश्चित किया गया तो और भी दूसरे काम होते हैं प्रश्न काल है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है आधा दिन तो इन्हीं में निकल जाता है ढाई तीन घण्टे का समय ही तो बचता है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : उपाध्यक्ष महोदय, 5 घण्टे का समय निश्चित नहीं किया जाना चाहिये हम तो यही

चाहते हैं। सदन के नेता की राय ले लीजिये।

श्री अर्जुनसिंह : मैं सब सुनना चाहता हूँ आपकी बहस का उत्तर देना चाहता हूँ, आप बहस में क्या कहेंगे उसका अंदाज तो पहले ही लग गया है उसकी हमें कोई चिंता नहीं है मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं अभी तक चुपचाप बैठा था मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस विषय पर आप 5 नहीं 10 घंटे बहस करना चाहें जब आप संतुष्ट हो जायें। आप चाहे जो कुछ कहना चाहें जब तक आप कहें हम उतनी देर बैठेंगे।

उपाध्यक्ष : लेकिन मेरे सामने दिक्कत है।

श्री कृष्णपालसिंह : आपकी दिक्कत मैं दूर किये देता हूँ। मैंने अभी पटवाजी से चर्चा की मेरी प्रार्थना है कि आप चाय की व्यवस्था कर दें। आपकी तरफ से चाय की व्यवस्था हो तो जिन सदस्यों को चाय पीनी हो वे चाय पीकर आ जायें।

उपाध्यक्ष : माननीय अध्यक्ष महोदय ने पहले 2 घण्टे का समय दिया था आप अधिक से अधिक 3 घण्टे का समय ले लीजिए।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष ने फिर कहा था कि जितने समय माननीय सदस्य इस पर बहस के लिए लेना चाहें आपने यह नहीं सुना। अनिश्चित काल के लिए तो बैठक नहीं हो सकती कोई न कोई समय तो निर्धारित होना चाहिए। मुख्यमंत्री तो 10 घण्टे का प्रस्ताव कर रहे हैं और आप 3 घण्टे की बात कर रहे हैं यह कहाँ का न्याय है।

श्री कृष्णपालसिंह : नेताजी ने तो कहा कि जरूर चर्चा चले और पटवाजी नाराज हो गये, ज्यादा भावुक हैं वैसे अध्यक्ष महोदय द्वारा 2 घण्टे का समय ही दिया गया है व्यक्तिगत सदस्यों को जितनी देर तक बोलना हो उतना समय देने की बात उन्होंने कही। मेरा निवेदन है कि 2 घण्टे से ढाई घण्टे, तीन घण्टे तक चर्चा करें मैं तो तैयार हूँ। मैं तो चाहूँगा कि आप 5 घण्टे बैठ करके चर्चा करके जायें काँग्रेस पक्ष तैयार है। 5 घण्टे, 6 घण्टे जब तक आप बैठना चाहें लेकिन एक बात है स्वयं सोचिए पटवाजी स्पीकर साहब ने 2 घण्टे का समय निर्धारित किया है वह आप भूल गये वह आपको याद नहीं है?

श्री सुन्दरलाल पटवा : उसके बाद जो बोला वह आपको याद नहीं है वह आप भूल गये।

श्री कृष्णपालसिंह : आप इधर-उधर समय में शो करना चाहते हैं आप बहुत उत्सुक हैं चर्चा करने को इसे हम स्वीकार करते हैं। मेरा निवेदन है उपाध्यक्ष महोदय, आप यह घोषणा करें कि सदन का समय बढ़ाया जाता है फिर आप चर्चा करें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : एक तरफ तो कह रहे हैं कि 10 घंटे और दूसरी तरफ कह रहे हैं 2 घंटे। मैंने जब अध्यक्ष महोदय से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि माननीय सदस्यों को चर्चा के लिए जितना समय लगेगा वह उनको मिलेगा। इस बात को पता नहीं आप कहाँ पी जाते हैं?

श्री कृष्णपालसिंह : पटवाजी स्वयं सब कुछ जानते हैं। आप जब तक समय निर्धारित नहीं करेंगे तब तक दोनों पक्षों को भाषण देने का समय कैसे मिलेगा। ठीक है 2 घण्टे का समय यदि निर्धारित किया है तो आप उसे बढ़ा दीजिए हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : जब शासन पक्ष बैठने के लिए तैयार है, चर्चा के लिए तैयार है अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन-सी हिचक हो रही है?

उपाध्यक्ष : जनरल टर्म्स में था आपको समय मिलेगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : जितने समय की आवश्यकता सदस्यों को होगी समय दिया जायेगा जब आपने रात को दो-दो बजे तक बैठाया है तो 10 बजे तक बैठने के लिए क्यों तैयार नहीं? आपको बैठने में आपत्ति हो और आप चाहें तो कल ले लीजिए मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री शिवभानु सोलंकी (उप मुख्यमंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो आप तीन घन्टे निश्चित कीजिए रिपीटेशन हो तो बन्द कर दीजिए जैसी आवश्यकता पड़े आगे समय 5 घण्टे कर दें। 12 या 14 बातें हैं फिर दूसरे सदस्य रिपीटेशन करेंगे रिपीटेशन न हो पुनरावृत्ति न हो, सीमा निर्धारित कीजिए यहाँ के सदस्य भी जवाब में बोल सकें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : इतने छोटे मामले में मुझे समझ में नहीं आता कि इतना विवाद पैदा क्यों करें सदन

के नेता कह रहे हैं 5-10 घण्टे जितना चाहें देने को तैयार हैं बहस में अगर रिपीटेशन हो तो सदस्य को आप रोक सकते हैं। आपको इसका अधिकार है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : व्यवस्था का सवाल है। विरोधी दल के नेता से निवेदन करना चाहता हूँ जब यह प्रश्न उठा था कितना समय दिया जाएगा तो जो रूलिंग अध्यक्ष महोदय, ने दी थी उसके सन्दर्भ का ख्याल रखें उपाध्यक्ष के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव का मसला चल रहा था समय नहीं बचेगा तो सरकार के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चलाई जावे अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि बाद में पर्याप्त समय दिया जाएगा जितना निर्धारित रूप से हुआ था चाहे जब तक निर्धारित हो जावे ऐसा नहीं है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : कल आप कह रहे थे कि बहस कीजिए.....

उपाध्यक्ष : 10 बजे तक के लिए समय बढ़ाया जाता है।

डॉ. राजेन्द्र जैन : श्रीमान् ने 10 बजे तक का समय निर्धारित किया है पक्ष व विपक्ष का समय निर्धारित करके समय अलाट करें। नियमानुसार विभिन्न दलों का समय अलाट करने की कृपा करें?

उपाध्यक्ष : हाँ ठीक है मैं करूँगा।

श्रीमती जया बेन : मेरा निवेदन है कि समय निर्धारित कर दीजिए फिर बोलने दीजिए। समय हमें और प्रतिपक्ष दोनों दलों को मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष : ठीक है हम देख लेंगे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : जब बहस के लिए समय निर्धारित होता है तो क्या इस प्रकार घोषणा की जाती है (व्यवधान)

श्री गंगाचरण मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि कल 3 बजे से रात्रि के 8 बजे तक रखा जाये। और भी हमें काम है।

उपाध्यक्ष : अब निर्णय हो चुका है 10 बजे तक बैठने का। अब इस पर कोई पाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं उठता।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, हमने आरोप-पत्र सदन में प्रस्तुत किए और उन कारणों को प्रस्तुत किया जिनके कारण यह अविश्वास प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करना पड़ा। आखिर अभी तो थोड़ा-सा ही समय इस मन्त्रिमण्डल को काम करते हुए हुआ है। मुझे इस बात का आश्चर्य है, दुख है और तरस भी आता है कि इतनी मेसिब मैजोरिटी के साथ इस प्रदेश का काम चलाने का जनता ने आपको भार दिया है यह काम आपको सौंपा है और खास बात तो यह है कि जिन ईशूज पर आपको जनता ने यहाँ भेजा कोई भी सरकार इतने थोड़े समय में इतनी बुरी तरह असफल साबित हो जावे यह निःसंदेह आश्चर्य की बात है।

आप देखेंगे कि कानून और व्यवस्था के मुद्दे को लेकर आप चुनकर आए। आपने जनता से कहा कि आप देश और प्रदेश में कानून और व्यवस्था स्थापित करेंगे। और इस मुद्दे को सामने रखकर आपने देश में और सारे प्रदेश में जनता के सामने यह आरोप जनता पार्टी पर लगाया कि वह कानून और व्यवस्था बनाये रखने में असफल हो रही है और हम शासन में आकर पुनः कानून और व्यवस्था प्रदेश में स्थापित करेंगे।

नम्बर दो, आपने जनता के समक्ष यह मुद्दा रखा कि चीजों का अभाव है, महँगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है जनता पार्टी महँगाई रोकने में असफल रही है। आपने जनता के सामने यह बात रखी कि आप उस कमी को दूर करेंगे, महँगाई दूर करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, नम्बर तीन आपने यह बात रखी कि सांप्रदायिक सद्भाव कायम करेंगे और भ्रष्टाचार की समाप्ति करेंगे। आपने जनता के सामने यह तीन प्रमुख मुद्दे रखे और इन्हीं पर आपने जनता का विश्वास प्राप्त किया। अब श्रीमान् जी, आप एक-एक मुद्दे पर देखें कि आज क्या स्थिति है।

आप कहाँ तक असफल हुए हैं? पहले कानून और व्यवस्था का प्रश्न ही ले लीजिये। इस संबंध में, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहले विधानसभा का जो सत्र चला था तथा दूसरा सत्र जो अब चल रहा है कोई दिन भी ऐसा नहीं आता जिस दिन कानून और व्यवस्था के झगड़े की बात यहाँ न उठती हो इस सदन में। लोगों की इज्जत, उनकी जानमाल की हिफाजत, महिलाओं के शीलभंग के प्रकरण इस सदन में हर रोज उठे हैं और घण्टों उन पर बहस होती है।

कितनी घटनाएँ आपको गिनाऊँ? हमारे शासनकाल में यू.पी. और बिहार में कुछ घटनाएँ हुई थीं तो आपकी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी स्वयं उन स्थानों पर पहुँची थीं। अपने प्रदेश में एक घटना हो गई थी। वह थी रतलाम जिले के कनाड़िया ग्राम में। और वहाँ पर हरिजन और सवर्ण का झगड़ा नहीं था, जाति पाँति का झगड़ा नहीं था, बल्कि आपके द्वारा चलाए गए बीस सूत्रीय कार्यक्रम के आधार पर जो जमीन एलाट की गई थी उसका झगड़ा था।

{सभापति महोदय (श्री रघुनन्दन प्रसाद वर्मा) पीठासीन हुए}

श्री सुन्दरलाल पटवा : मगर हरिजन से आपकी पार्टी का चुनावी नाता रहा या हिमायती रहे। उसको बीस सूत्रीय कार्यक्रम के नारे के आधार पर जमीन अलाट की गई। उस कनाड़िया में हरिजन थे, पिछड़े और गरीब किसानों की बस्ती थी। उस जमीन के विवाद को लेकर झगड़ा था कोई हरिजन-सवर्ण साम्प्रदायिक जाति भेद का झगड़ा नहीं था। वह विवाद हुआ उस विवाद में 4 लोगों की मृत्यु हुई। संयोग से मरने वाले हरिजन थे। उस दुर्घटना को आपने अपनी राजनैतिक रोटी सेंकने का इश्यू बना लिया। इस प्रदेश में उस समय के विरोधी दल के नेता आज के मुख्यमंत्री माननीय श्री अर्जुनसिंह उस गाँव में पहुँचे और उसे हरिजन-सवर्ण झगड़े का रूप दिया और प्रदेश में माहौल बनाया गया कि जनता पार्टी के शासन में शांति-व्यवस्था नाम की चीज समाप्त हो गई। इस घटना के ऊपर आपकी संवेदनशीलता इतनी जागृत हो गई, आपका हरिजन प्रेम इतना जागृत हो गया?

श्री नन्दरामदास बालकवि बैरागी (राज्य मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मै पटवा जी से निवेदन करूँगा कि अभी उन्होंने अपने भाषण में एक वाक्य जानबूझकर बोला, उन्होंने कहा संयोग से हरिजन की मृत्यु हो गई। माननीय पटवा जी यह संयोग नहीं दुर्योग था।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप साहित्यकार हैं। आप मेरी बात को पूरी तरह सुनें, सन्दर्भ और अर्थ दोनों समझ लें। जमीन के ऊपर झगड़ा गाँव के लोगों के बीच में था। उस विवाद में दो पक्ष थे उन दोनों पक्षों के बीच में जिनमें चार लोग मारे गये और जो मरने वाले थे वह संयोग ऐसा बना कि हरिजन थे।

श्री बालकवि बैरागी : संयोग नहीं यह दुर्योग था।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप सन्दर्भ से हटकर किसी बात का गलत अर्थ न लें। अगर वह मर जाते तो सब काम हो जाता और इसलिये पूरी घटना दुर्घटना थी। यह मैंने पहले ही कहा हरिजन या सवर्ण, कोई जातिगत संघर्ष या जातिगत भेदभाव के कारण घटना नहीं हुई जमीन के कारण घटना घटी। ऐसा संयोग बना जिसमें चार हरिजन मारे गये। उसमें राजनीति की रोटियाँ सेंकने के आधार पर आज के मुख्यमंत्री कनाड़िया गये और मध्यप्रदेश में वातावरण बनाने की कोशिश की कि जनता पार्टी के शासन काल में कानून- व्यवस्था खत्म हो गई, गरीबों की जिन्दगी सुरक्षित नहीं। आज क्या हो रहा है? आज आपकी संवेदनशीलता कहाँ छिप गई, कहाँ खो गई। आज आपके मुँह से आवाज क्यों नहीं निकलती?

आप भोपाल में आज जहाँ बैठे हैं गरीब ड्रायवर काम पर चला जाता है उसकी बीबी के साथ किवाड़ तोड़कर बलात्कार किया गया। आपका हृदय रोता नहीं है। इस भोपाल में नल पर महिलाएँ सुबह पानी भरने जाती हैं सुबह के प्रकाश में गुण्डे महिलाओं के पानी भरने के समय चैन खींच लेते हैं, रेलगाड़ी में से महिलाएँ उतरकर अपने निवास पर जाती हैं उन्हें बीच में टेम्पो से ले जाते हैं इस सरकार को पता नहीं लग पाता। कितनी घटनाएँ आपको सुनाऊँ डाके की, बलात्कार की, अपहरण की, महिलाओं के शीलभंग कीं। इन्दौर सरीखे शहर में महिला मन्दिर जाने के लिए, दर्शन करने के लिए निकली तो वापस घर नहीं पहुँची। बड़नगर रेलवे स्टेशन पर कटी हुई लाश मिलती है। एक मासूम बालिका 10 वर्ष की कल आपने उसके बारे में यहाँ बयान दिया है। इनकी इज्जत सुरक्षित नहीं है।

आप इस बात से संतोष कर लेते हैं मुख्यमन्त्री जी इतना पर्याप्त नहीं है घटना हो गई और पुलिस हरकत में आ गई और कुछ अपराधी पकड़ लिए गए। आपके सुरक्षा विभाग को, पुलिस बंदोबस्त को सक्षम होना चाहिए, सूचना जाल सक्षम होना चाहिए, एक नेटवर्क होना चाहिए। आप इस बात को सोचिये कि क्या कारण है कि पुलिस समय से पहले कार्य नहीं कर पाती है घटनाएँ घट जाती हैं उसके बाद आप दौड़ जाते हैं। मुझे घटनाओं के विगत में नहीं जाना है। अन्य सब घटनाओं के विगत का विवरण दूसरे माननीय सदस्य देंगे। रेलें लुट रही हैं और

मध्यप्रदेश में ऐसी घटनाओं से आप अनभिज्ञ रहें क्यों यह हौसला लोगों का हो गया? बसें लुट रही हैं, रेलें लुट रही हैं।

चम्बल सम्भाग में जिसमें लोग पुराने आतंक और डाकू समस्या का विस्मरण कर चुके थे उसमें तेजी से घटनाएँ बढ़ रही हैं। अपहरण आम बात हो गई है। परसों विधानसभा विश्राम गृह के बाहर मैं नाम नहीं लूँगा दमोह जिले के लोग हैं लगभग 6-7 वर्ष के एक बालक का अपहरण हो गया वह लखपति का बालक है उसके रिश्तेदार काँग्रेस पार्टी के नेता हैं, काँग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं। क्योंकि काँग्रेस पार्टी के दूसरे गुट के लोगों का अपहरण करने वाले गैंग को संरक्षण प्राप्त है, वह इतना शक्तिशाली गैंग है।

जिसका अपहरण हुआ है वह पुलिस में रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको आशंका यह है कि पुलिस में रिपोर्ट करूँगा तो बच्चे का कत्ल हो जायेगा, मौत हो जायेगी। यह स्थिति आज सारे प्रदेश में कानून और व्यवस्था के नाम पर बनी है। जहाँ आप हमें पानी मी-पी कर कोसते थे, आपने हमें असफल बताया है और आपने यह आश्वासन प्रदेश की जनता को दिया था कि हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, सक्षम प्रशासन देंगे।

आपके शासन को 4 महीने हो गये खेद है कि इतना बहुमत प्राप्त है, मेसिब मैजारिटी है और प्रदेश में इतनी दयनीय स्थिति है। आप 4 महीने में पूरी सरकार का गठन नहीं कर पाये। मुख्यमन्त्री जी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब मैं मुख्यमंत्री बना था और मंत्रिमंडल का पूरा गठन किया और विभागों का वितरण करने में मुझे सात दिन लगे तो दूसरे दिन माननीय अर्जुनसिंह जी अखबार में मैंने आपका बयान पढ़ा कि मैं सरकार नहीं बना पा रहा हूँ।

वल्लभ भवन में काम ठप्प है, काम नहीं हो रहा है, जनता का काम रुका हुआ है तो क्या आपकी मौजूदगी में मंत्रिमण्डल बन जायेगा? आपका मंत्रिमंडल कब तक बन जायेगा? क्या आप मंत्रिमंडल बनाने तक बने रहेंगे इसके बारे में किसी को कोई निश्चितता नहीं है। सबसे पहले आप प्रदेश की जनता की जानमाल की सुरक्षा का इंतजाम करें, हिफाजत का इंतजाम हो। पुलिस आपकी पार्टी के कार्यकर्त्ताओं की हिफाजत में लगी है। ग्वालियर में काण्ड हो गया।

वहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचते हैं, एक उच्च कोटि के केन्द्रीय मंत्री पहुँचे और उन्होंने नारे लगवा दिए कि सामंतशाही नहीं चलेगी, चरण पुष्पों का आदान-प्रदान हो गया, जूते चप्पलों के आदान-प्रदान तक सीमित रहे। इस रास्ते पर आने वाले लोगों ने बताया जो लोग मंच पर बैठे थे उन्होंने अपने जूते चप्पल नीचे उतारे थे उन्हें अपनी जोड़ी मिलाने में 10-10, 15-15 मिनट लग गए एक जूता मिलता तो दूसरा नहीं मिला, एक चप्पल मिली तो दूसरी नहीं मिली।

श्री कृष्णपाल सिंह : जहाँ-जहाँ शीतला सहाय जी सभा में पहुँचते हैं वहाँ जूते-चप्पलों की यही हालत हो जाती है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : वह नहीं पहुँचे—

श्री शीतला सहाय : यह तो मेरी और आपकी बात थी, आपने यहाँ क्यों कह दी। यदि कहना चाहते थे कि किसके पहुँचने से यह स्थिति होती है तो अगर किसी के पहुँचने पर होती है तो मुख्यमन्त्री जी वहाँ पहुँचे थे, आप सीधे नहीं कह सकते थे तो मेरे ऊपर ढाल कर क्यों कह रहे हैं?

श्री सुन्दरलाल पटवा : सभापति महोदय, पहले गुट के सभा में आदान-प्रदान के बाद दूसरा गुट पहुँचा और प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुँचे कि अब कौन गड़बड़ी करता है। मंच पर मुख्यमंत्री, संसद सदस्य, नेता सभी विराजमान हैं। दूसरे गुट ने देखा कि पहले तो जूते चप्पल पर बात थी अब ऊँचा मामला बने तो अपनी डिग्री ऊँची रहेगी। तो उससे आगे मामला बढ़ा। अखबार कह रहे हैं कि कृषि राज्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह का कुर्ता खून से लथपथ था आपकी पार्टी के कार्यकर्त्ता अस्पताल में एडमिट थे।

अर्जुनसिंह जी कहते हैं कि वहाँ असामाजिक तत्व घुस आए थे, क्या वे ही अस्पताल में थे आप उन्हीं असामाजिक तत्वों को देखने गये थे? आपकी पार्टी के कार्यकर्ता श्री राजेन्द्र शर्मा का भाषण ग्वालियर के अखबार में छपा है, जिन्हें आप असामाजिक तत्व कहते हैं, क्या वही अस्पताल में भर्ती थे, उन्हें ही आप देखने गए थे?

श्री अर्जुनसिंह : सभापति महोदय, पटवाजी बोलने लगते हैं, तो कहाँ से शुरू करते हैं कहाँ खत्म करते हैं कुछ ध्यान नहीं रहता। मैंने कहा था कि कुछ असामाजिक तत्वों ने आकर गड़बड़ी पैदा की थी। राजेन्द्र जी आपकी व्याख्या के अनुसार असामाजिक तत्व होंगे हमारी व्याख्या के अनुसार नहीं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं वहीं आ रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वे नहीं थे। तो फिर कौन

थे यही मैं पाइंट आऊट करना चाहता हूँ। आपने अपनी पार्टी में वोट के खातिर सभी प्रकार के अवांछित तत्वों को आरक्षण दिया है, यही कारण है कि पुलिस उन पर कार्यवाही नहीं कर पा रही है। आप कह रहे हैं कि आर.एस.एस. के लोग थे, जनसंघ के लोग तो हमने माधवराव जी सिंधिया के साथ जितने भेजे हैं उतने ही कबाड़ा करने के लिए काफी हैं, नये भेजने की जरूरत नहीं है आपकी अरथी उठाने के लिए, अर्थी शब्द का गलत अर्थ नहीं लेना।

श्री हजारीलाल रघुवंशी : आपकी अर्थी तो जून 80 में उठी थी।

श्री सुन्दरलाल पटवा : (व्यवधान) जितने जनसंघी भेजे हैं, उतने ही काफी हैं। वे सब आपका काम करने के बाद वापस आ जायेंगे।

श्री कृष्णपाल सिंह : माधवराव जी की माताजी को विलाप करने के लिए आपने पास रख छोड़ा है?

श्री शीतला सहाय : आपकी सद्भावना यह है कि आप माधवरावजी का बुरा करने वाले हैं जिससे उनको विलाप करना पड़े यह सद्भावना है, आपके साथी के साथ आपकी।

सभापति : जो समय निर्धारित हो चुका है पाँच घण्टे बहस होगी, तो अनुपात के अनुसार काँग्रेस पक्ष को 240 मिनट और विरोधी पक्ष को 60 मिनट आते हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : सभापति महोदय, मूवर का समय काट कर हिसाब करते हैं। आप समय का विभाजन करते समय मूवर का समय काटकर उनको स्ट्रेंथ के मुताबिक अलाट करें।

सभापति : ऐसा कोई कायदा नहीं है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : सभापति महोदय, स्ट्रेंथ के हिसाब से नहीं होता, सामान्यतः प्रतिपक्ष को अधिक समय दिया जाता है।

सभापति : न्याय तो यही होगा कि सबको अनुपात से समय दिया जाये।

श्री सुन्दरलाल पटवा : सभापति महोदय, नो-कान्फीडेन्स मोशन तो हमने मूव किया है आरोप हमको लगाना है।

सभापति : अभी आप बोलेंगे फिर काँग्रेस पक्ष के लोग बोलेंगे, फिर आपको जवाब देना है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में आप जनता के जानमाल की हिफाजत कैसे करेंगे, सरकार अभी बनी नहीं पार्टी जैसी चल रही है उसी में आपकी शक्ति जाया हो रही है। चार महीने में इतनी दुर्दशा पार्टी की हो जाये इससे ज्यादा ताज्जुब की क्या बात होगी। सभापति महोदय, पुलिस वाले गये और पकड़ कर ले आए इससे काम नहीं चलेगा आपको यह इंतजाम करना होगा कि आम जनता अपने-अपने घरों में चैन से सो सके।

सुरक्षा का प्रबन्ध करना होगा यह जिम्मेदारी आपकी है आपने क्या किया है आप तो अपने झगड़ों में ही व्यस्त हैं सरकार पूरी बने इसके बारे में क्या होगा इस अधोगति की स्थिति को देखकर मेरा विश्वास उठ गया है कि आप कानून और व्यवस्था की स्थिति चैक कर सकेंगे और महिलाओं को सुरक्षा दे सकेंगे। सभापति महोदय, महँगाई और अभाव मेरा दूसरा मुद्दा था इसके बारे में ज्यादा कहने की आवश्यकता भी नहीं है।

सभापति महोदय, जीवनोपयोगी वस्तुओं का अभाव और महँगाई जनता पार्टी के शासनकाल में थम गई थी, भाव स्थिर हो गये थे इसके बाद आदरणीय चरणसिंह प्रधानमंत्री बने, प्रदेश और देश में थोड़े से भाव बढ़े तो आपने आसमान सिर पर उठा लिया था। आज क्या स्थिति है, आज स्थिति यह है कि हमारे खाद्य विभाग के राज्य मंत्री पहले-पहले नये आये थे, मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने आँकड़े पढ़े भी कि नहीं। उन्होंने कहा कि 19 हजार लोगों को सस्ते अनाज की दुकानें दे दीं।

श्री नन्दरामदास बालकवि बैरागी : सभापति महोदय, मैंने उस समय भी 16 हजार कहा था और आज भी उस पर स्थिर हूँ पटवा जी घर तो चले साथ फैसला हो जाएगा, क्यों जल्दी करते हैं। अपन दोनों जानते हैं कि क्या होने वाला है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : यहाँ दोनों से काम नहीं चलेगा यहाँ .....

श्री नन्दरामदास बालकवि बैरागी : आज तो परशुराम और लक्ष्मण संवाद ही होने वाला है।

सभापति : परशुराम कौन है?

श्री नन्दरामदास बालकवि बैरागी : वो सामने खड़े हैं, मैं तो लक्ष्मण हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : कहा है चीजें? केन्द्रीय मन्त्री कहते हैं कि फ्री सेल की शक्कर हमने राज्यों को अलाट कर दी है। वे उठाएँ, व वितरित करें यह उनकी जिम्मेदारी है, हमने समय से पूर्व इंतजाम कर दिया है।

सभापति महोदय, 450 रुपये क्विं. लेते हैं उसमें एक्साइज ड्यूटी और ट्रांसपोर्ट आदि का खर्चा और अन्य सभी खर्चे लगाकर उसको अधिक से अधिक सवा पाँच बेचा जाना चाहिए लेकिन उसको आप यहाँ साढ़े छः रुपये किलो बेच रहे हैं, आप मुनाफाखोरों को पकड़ते हैं लेकिन मेरा आरोप है कि सरकार के नेता मुख्यमंत्री और खाद्य विभाग के राज्यमंत्री इनसे बड़ा मुनाफाखोर इस प्रदेश में दूसरा नहीं। 100-125 रुपये क्विं. पर मुनाफा कमा कर प्रदेश की जनता को नोंच-खसोट रहे हैं।

श्री नन्दरामदास बालकवि बैरागी : सभापति महोदय, मैं माननीय पटवा जी को याद दिला दूँ कि इसमें वह शक्कर शामिल है जो कि ब्राजील से आई हुई है और जिसका भाव सात रुपये से ऊपर पड़ता है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : उसका किस्सा केन्द्र की सरकार में किया जा चुका है। उसका इम्पोर्ट गलत हुआ है। करोड़ों रुपये .....

श्री नन्दरामदास बालकवि बैरागी : पटवा जी, आज आपने जिस शक्कर की चाय पी है, वह वही शक्कर है। दोनों की प्राईज मिलाकर 6.50 होती है।

श्री अर्जुनसिंह : जिन्होंने वहाँ उठाया, उसको मुँह तोड़ जवाब मिल चुका है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप मुझे कहें, मैं आपको कहूँ। आप मेरा मुँह तोड़ें, मैं आपका मुँह तोडूँ। मैं तो नहीं कह सकता। मैं यह कह रहा हूँ कि शक्कर सवा पाँच रुपये मिलनी चाहिए। शक्कर मिल नहीं रही है। पाँच-पाँच सौ लोग लाइन में भोपाल में लगे हुए हैं। शक्कर कहाँ जाती है। मुंगेली की शक्कर कौन ले जा रहा था। आप कहते हैं कि आर.एस.एस. के लोग गड़बड़ी करते हैं। उस मुंगेली में वितरण व्यवस्था— एक माननीय सदस्य ने 95 लोगों को कोटे की शक्कर ही दिला रखी है। वहाँ की शक्कर ब्लेक बाजार में जा रही है। शक्कर को पकड़कर उन माननीय विधायक के सुपुत्र को जेल में बन्द कर रखा है।

श्री नन्दरामदास बालकवि बैरागी : मुंगेली में जो सबसे बड़ा आदमी पकड़ा गया है, वह आर.एस.एस. का संरक्षक है जिसको मिनीमीसा में बन्द कर रखा है। वह गुरू दक्षिणा देने वाला आदमी है, इस बात में मत पड़िए।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अगर आप इस तरह बार-बार उचकेंगे तो वह उचित नहीं है, आपको उत्तर देने का अवसर मिलेगा।

श्री नन्दरामदास बालकवि बैरागी : जब-जब आप असत्य भाषण करेंगे तब-तब उसका उत्तर देना पड़ेगा।

सभापति : बीच में औचित्य के प्रश्न के अतिरिक्त अन्य बातें न रखें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप बार-बार बीच में उठकर बोलते हैं, पाँच बार हो चुका।

श्री नंदरामदास बालकवि बैरागी : उसी समय उत्तर देना पड़ता है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : सभापति महोदय, उनको मौका मिलेगा जवाब देने का। मैं शक्कर के बारे में कह रहा था कि शक्कर कौन पकड़ता है, कौन खाता है, कौन चोरी करता है। आज खाद्य विभाग और सस्ते अनाज की दुकानों पर जितनी अव्यवस्था है, उन सबके मूल में आपकी पार्टी के हिमायती और अनुचित तत्व हैं जिन्होंने चुनाव में आपकी मदद की थी, वे आज उसकी कीमत वसूल कर रहे हैं।

यह महंगाई और अभाव की अव्यवस्था से कौन पीड़ित है, सारे प्रदेश की जनता, विशेषकर गरीब वर्ग हरिजन, आदिवासी, मजदूर गाँव में रहने वाले लोग। उनके यहाँ शक्कर नहीं मिल रही है। इसी बात पर, इसी इशू पर आप चुनाव जीतकर आये। चार महीने में यह सरकार पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई है।

मैंने इस तरह की सरकार नहीं देखी जो इतने कम समय में इस तरह असफल सिद्ध हुई हो। साम्प्रदायिक दंगों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह ऐसा सेंसेटिव विषय है जिस पर मैं बहुत विस्तार से जा नहीं सकता। हमारे प्रदेश में इन घटनाओं के पीछे जो तत्व हैं, जो साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के लोग हैं— आप दिन में

दस बार उठकर कोसते है। आप असल में चश्मा उतारकर देखिये कि ये कहाँ पनप रहे है। मंदसौर की घटना ने उजागर कर दिया है। देश और अन्य प्रदेशों के कई शहरों की घटनाओं ने उजागर कर दिया है। बेकार आरोप लगाने से बात नहीं बनेगी, मैं चाहूँगा अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री उन सारी घटनाओं पर, कानून और व्यवस्था की स्थिति पर और साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली घटनाओं पर श्वेत-पत्र प्रकाशित कीजिए, जहाँ-तहाँ से अनअथोराइज्ड आर्म्स, जिस-जिस मार्क के पकड़े है वह कहाँ से आए हैं, जिनके पास से आए हैं, उन सारी बातों की जानकारी लेकर जनता के दिल में विश्वास पैदा कीजिए।

आप दोषी है प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए, केवल वोट की राजनीति के लिए आपने ऐसे तत्वों को संरक्षण दिया है जो साम्प्रदायिक सद्भाव की होली जलाकर अपनी रोटी सेंकना चाहते हैं। इसके लिए आप दोषी है, आपकी पार्टी दोषी है, भ्रष्टाचार के बारे में लम्बा बयान करने की जरूरत नहीं है। एक लाख से अधिक तबादले और उसमें होने वाला सारा लेन-देन, जो प्रदेश की जनता के सामने उजागर है, उस पर मैं क्या कहूँ। अभी मैं पिछले दिनों मन्दसौर दौरे पर गया था, वहाँ एक पटवारी मिल गया, उसने कहा मेरा स्थानान्तर हो गया।

मैंने पूछा फिर क्यों नहीं गए? उसने कहा जैसे-तैसे मामला निपट गया, कुल 17 हजार खर्च हुआ। मुख्यमन्त्री जी आपके दल के माननीय सदस्य इस बात पर शायद आश्चर्य व्यक्त करते होंगे, आप भी आश्चर्य व्यक्त करते होंगे, मैं इस सदन में कहना नहीं चाहता। लेकिन आप इस मामले में अपने सूत्र से जाँच कराकर पता लगाने की कोशिश करेंगे तो आपके इर्द-गिर्द रहने वाले आपसे सम्बन्धित लोग काफी हद तक इस मामले में लिप्त हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आपकी आँखें खुल जायेंगी, क्या इस प्रकार की व्यवस्था से प्रदेश का शासन चलाना चाहते हैं? वल्लभ भवन में आज अनिश्चितता की स्थिति है।

मैं घटनाओं के विस्तार में न जाते हुए चार इश्यू पर सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूँ जिन इशूज पर मास मेजारिटी ने जनता ने आपको चुना था कि उसका संकट हल करेंगे। उन इशूज पर चार महीने में कुछ नहीं कर पाए और स्थिति दिन व दिन बदतर होती जा रही है। आज स्थिति यह है कि कॉंग्रेस पार्टी स्वयं अपना घर नहीं संभाल पा रही है, राज्य शासन की व्यवस्था संभालना दूर है।

वह समय आएगा जब इस प्रदेश के मुख्यमन्त्री ने यहाँ बैठकर क्या कहा था और वहाँ बैठकर क्या कह रहे है, उन्हीं के सामने रखूँगा। मुझे ऐसा लगता था कि शायद इतिहास के दौर से गुजर कर कॉंग्रेस पार्टी और आप सम्मानीय सदस्यगण, नेतागण सबक सीखेंगे, पुरानी भूलों को नहीं दोहराएँगे लेकिन शायद आपने भूलों से सबक न लेने की कसम खा रखी है। मैंने पहले दिन कहा कि सरकार कायम रहे, राज करे, होड़ इस बात में रहे कि प्रदेश में पहले से अच्छा शासन और बन्दोबस्त करके बता सकते हैं, गरीबों की भलाई कर सकते हैं।

इसमें बिना माँगे सहयोग ले लीजिए, न लेना चाहें तो भी हम देते हैं। हम चाहते थे आपको जनता ने जनादेश दिया। आप पूरे पाँच साल राज करें लेकिन हमारे चाहने स क्या होता है? हमारे चाहने न चाहने का प्रश्न नहीं है, शायद आप खुद पाँच वर्ष करना नहीं चाहते, पाँच वर्ष के पहले समाप्त होना चाहते हैं।

परन्तु जनता को तब तक त्रास मत दीजिए और मैं माननीय सदस्यों से चाहूँगा कि वे आज इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करके इस सरकार को हटा दें। इसी एक निवेदन के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूँ।

डॉ. राजेन्द्र जैन (उज्जैन उत्तर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी इस सदन के सामने एक वरिष्ठ नेता ने बहुत-सी बातें कहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आदर्श राज्य की कल्पना एक बहुत अच्छी बात है। हम सब ऐसे राज्य की कल्पना करना चाहते हैं जिसमें किसी प्रकार की जनता को तकलीफ न हो। ऐसा आदर्श राज्य हो, जहाँ पर अन्याय और अत्याचार समाप्त हो जाएँ, और जहाँ पर कोई भी भूखा न रहे।

ऐसा आदर्श राज्य हो कि जहाँ पर किसी प्रकार का अपहरण और अत्याचार न हो। तो यह आदर्श राज्य की कल्पना करना तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब हम वास्तविकता के धरातल पर अपने प्रदेश की स्थिति का आकलन करते है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हम पिछले ढाई-तीन साल जिसमें जनता पार्टी का राज्य रहा उसको देखें और आज वर्तमान में माननीय अर्जुनसिंह जी और उनके मंत्रिमंडल ने जो

इस प्रदेश का कार्यभार संभाला है, इन दोनों की तुलना करेंगे और वास्तविक स्थिति का अवलोकन करेंगे तो हम सोचेंगे, हम देखेंगे कि यह एक बहुत अच्छी बात होगी। और मैं तो माननीय विरोधी दल के नेता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो अविश्वास का प्रस्ताव लाया और इस प्रकार की चर्चा की शुरूआत की। इस चर्चा से इस प्रदेश की जनता को वास्तविकता मालूम हो जायेगी। उसे यह मालूम हो जायेगा कि वास्तव में जनता पार्टी ने क्या-क्या किया था और काँग्रेस के वर्तमान मंत्रिमंडल ने क्या-क्या किया है। यह आज जनता को अच्छे प्रकार मालूम हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, एक कहावत है कि "सूप बोले सो बोले चलनी भी बोले जिसमें हजारों छेद।"

अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के वे नेता, जनता पार्टी के वे विधायक और जनता पार्टी में रहने वाले मुख्यमंत्री जो आज आलोचना करना चाहते हैं, उसे सुनकर दुःख होता है। कानून और व्यवस्था के बारे में कहा गया कि सिंधी बालिका की जो हत्या हुई उसके बारे में कल भी सदन में कहा गया और आज भी इस संबंध में चर्चा हुई। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनको बहुत दुःख है। अध्यक्ष महोदय, मैं जिस शहर का रहने वाला हूँ जनता पार्टी के शासनकाल में वहाँ एक आशा नाम की मासूम सिंधी बालिका की हत्या हुई थी और सारे मध्यप्रदेश का सिंधी समाज इकट्ठा हुआ और सिंधी समाज के लोग तत्कालीन मुख्यमंत्री और मंत्री से मिले तो उन्होंने उन्हें यह कहा कि "भाग जाओ" हत्याएँ तो होती ही रहती हैं।

अध्यक्ष महोदय, उस बालिका के साथ बलात्कार करके उसकी जघन्य हत्या की गई थी। सारे शहर में हड़ताल हुई थी और इन जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्री जी ने कह दिया कि भाग जाओ बलात्कार तो होते ही रहते हैं और हत्याएँ होती ही रहती हैं। अध्यक्ष महोदय, इनका जनता पार्टी का ढाई साल तक राज्य रहा, आज तक उस मासूम बालिका का जिसका नाम आशा था पता नहीं चला।

आज के प्रश्नों में मेरा प्रश्न उसी बालिका के सम्बन्ध में था लेकिन प्रश्नोत्तरकाल समाप्त हो जाने के कारण मुझे उस पर पूरक प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिला और प्रश्नोत्तरकाल समाप्त हो गया। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं जनता पार्टी के शासनकाल में इसी भोपाल शहर के पास जो कि मध्यप्रदेश की राजधानी है इसके पास कोई पाँच-दस किलोमीटर दूर दिन में बारह बजे रेल में सोने की जंजीर महिलाओं के गले से खींची जाती रहीं।

इतना ही नहीं और कितनी ही जगह लाठी चार्ज हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जनता पार्टी के शासन काल में भोपाल में लाठी चार्ज नहीं हुआ। क्या सतना में लाठी चार्ज नहीं हुआ। क्या जबलपुर में लाठी चार्ज नहीं है? क्या विद्यार्थियों के ऊपर लाठी चार्ज नहीं हुआ? क्या काँग्रेस के लोग जो शांतिप्रिय तरीकों से सत्याग्रह करना चाहते थे उन पर लाठी चार्ज नहीं हुआ? फिर आप क्या कानून-व्यवस्था की स्थिति के बारे में कहते हो? अध्यक्ष महोदय, आप दुनिया का इतिहास उठाकर देखें तो पता चलेगा कि जब किसी देश की कानून-व्यवस्था बिगड़ती है तो वह कोई दो-चार महीने में नहीं सुधरती। उसको सुधारने में वर्षों लग जाते हैं। आज इस दुनिया का जो सबसे ज्यादा विकसित देशों में आता है वह अमेरिका है। उसमें न्यूयार्क प्रमुख है आज दुनिया में उसका कितना नाम है लेकिन उसकी जब एक बार कानून व्यवस्था बिगड़ गई तो क्या वह आज तक सुधर पाई? अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की जो कानून-व्यवस्था की स्थिति थी उसको काँग्रेस शासनकाल में धीरे-धीरे सुधार के रास्ते पर लाया गया था लेकिन पिछले ढाई सालों में जनता पार्टी के शासनकाल में वह सारी की सारी कानून और व्यवस्था की स्थिति को चौपट करके रख दिया। आज जनता इस बात को जानती है कि हमारे देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति को गिराने में किसकी जिम्मेदारी है, तो वह जनता पार्टी और उसके नेताओं की है। बलात्कार की बात आप करते हैं।

श्री कृष्णपाल सिंह : प्वाइंट ऑफ ऑर्डर। सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य बैरागी जी यहाँ से उठकर उधर जाकर बैठ गए हैं तो आप जरा देखिए कि कहीं झगड़ा न हो जाए?

श्री शीतला सहाय : क्या आप अपने पड़ोसियों से झगड़ा करते रहते हैं।

डॉ. राजेन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं बतलाना चाहता हूँ कि आज जनता पार्टी की सरकार और काँग्रेस पार्टी की सरकार में अन्तर क्या है? अभी बलात्कार की कितनी ही बातें हुई हैं। लेकिन आप देखिए हमारे सदन के नेता ने उनका प्रतिदिन किस तरह से उत्तर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं— और अपराधी

पकड़े जा चुके हैं— कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

लेकिन जनता पार्टी के शासनकाल में जब आदरणीय कैलाश जोशी जी मुख्यमन्त्री थे उन्होंने जवाब दिया। जब एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार हुआ और काँग्रेस के सदस्यों ने उस प्रकरण को सदन में उठाया तो उन्होंने उत्तर दिया कि क्यों हल्ला करते हो। बलात्कार तो मानवीय स्वभाव है।

तो काँग्रेस पार्टी और जनता पार्टी की सरकार में यह अन्तर है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एक ही मासूम हत्याकांड नहीं बल्कि न जाने कितने ही हत्याकांड हुए हैं और जो इस प्रदेश की विधानसभा में उनके उत्तर दिए गए उनको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ ताकि जनता पार्टी के लोगों की उस समय की याद ताजा हो जाये। वह शायद अपने को नहीं देख पाते हैं।

1 जुलाई 77 से 30 सितम्बर 79 के बीच में जनता पार्टी के समय में 4867 हत्याएँ इस प्रदेश में हुईं। (शेम, शेम की आवाजें) 2235 अपहरण हुए। और एक-एक अपहरण में आध-आध घण्टे की चर्चा माँगते रहे ये लोग। 1807 बलात्कार हुए और 1103 डकैतियाँ हुईं। यह रिकार्ड है इनका और सभापति महोदय, अन्य घटनाएँ हुई वे अलग हैं। इस प्रदेश में अगर किसी ने डाकू समस्या का हल किया था तो वह काँग्रेस पार्टी की सरकार थी।

(मेजों की थपथपाहट)

जब हिन्दुस्तान आजाद नहीं हुआ था, अँग्रेजी हुकूमत थी, राजे-महाराजाओं के जिम्मे था जो काम जिसे वे निपटा नहीं सके। डाकुओं का सफाया करना यह काम इस हिन्दुस्तान की काँग्रेस पार्टी ने उसके तिरंगे झण्डे वाली पार्टी ने और उसकी सरकार ने मध्यप्रदेश में हमेशा के लिए डाकू समस्या का मामला निपटा दिया था। लेकिन सभापति महोदय, इस प्रकार .....

(व्यवधान)

सभापति : आप सभी माननीय सदस्य बैठ जाएँ। (व्यवधान)

डॉ. राजेन्द्र जैन : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ अपनी गलतियाँ हैं, जहाँ हम अयोग्य साबित हुए हैं वहाँ हम अपने दिलों को टटोलें और जनता जनार्दन की अदालत के फैसले को स्वीकार करें। बहस करना है, बहस करिए और अपने मन की गहराइयों में अंतरात्मा से विचार करें कि काँग्रेस पार्टी की जब सरकार बनती है कितनी संजीदगी के साथ, कितनी संवेदनशीलता के साथ, कितने सौजन्यता के साथ वह सरकार चला रही है। डाकुओं का पूरा सफाया ग्वालियर डिवीजन से कर दिया गया था। लेकिन ढाई साल की उस जनता पार्टी की सरकार ने फिर से अलग-अलग क्षेत्रों में डाकुओं के गिरोह पैदा कर दिए हैं और इतना ही नहीं सभापति महोदय.....

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय.....

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/18 सितंबर 1980, पृष्ठ/ 2529-2539)

श्री तनवंतसिंह कीर (नेपानगर) : अध्यक्ष महोदय, आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ यह कि सुनकर विपक्ष के भाइयों ने अविश्वास का प्रस्ताव रखा। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विपक्ष के भाइयों से यह कहना चाहूँगा कि इतने कम समय से जबकि एक महीना भी अभी हमारी पार्टी को शासन में आए हुए नहीं हुआ और ये यहाँ अविश्वास प्रस्ताव ले आये और ये लोग जब जनता पार्टी का शासन चल रहा था तो इन्होंने जिनके मकान पक्के बने हुए थे इन्होंने उनके मकान तुड़वा दिए। और इस प्रकार से हमारे हरिजन और आदिवासी भाई बेघरबार हो गए जबकि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री ने 23 जून को उनको पुनः जमीन का मालिक बना दिया। सभापति जी हमारे विपक्ष के नेता ने कहा कि उनकी बोलती बन्द हो तो वाकई में उनकी बोलती बन्द है क्योंकि हमारे काँग्रेस शासन के इतने थोड़े से काल में ही अधिक काम हुए हैं कि उसको देखकर वाकई में उनकी बोलती बन्द हो गई।

श्री देवीलाल रैकवार : सभापति जी, मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूँ कि वे माननीय मुख्यमंत्री

जी की जो इतनी तारीफ कर रहे हैं उनको यह नहीं मालूम कि जिन गरीब हरिजनों और आदिवासियों की वे दुहाई दे रहे हैं, उनको आज गुड़ की चाय तक नहीं मिल पा रही है।

श्री तनवंतसिंह कीर : सभापति जी, इनके शासनकाल में जिस प्रकार से घोषणाएँ होती रहीं लेकिन सभापति जी, जनता पार्टी के शासनकाल में इतना अनाचार और अत्याचार हुआ कि हमारे देश में इसके पहले जैसा मैंने सुना था कि महमूद गजनवी ने हिन्दुस्तान को लूटा था उसके बाद यदि हिन्दुस्तान को किसी ने लूटा तो सभापति जी, वह जनता पार्टी है जिसने हिन्दुस्तान को लूटा और खाया। कारखानों, विद्युत के कार्यों में मजदूरों से काम लिया शर्म की बात तो यह है कि उनको जितनी मजदूरी मिलती थी उसमें भी ये कमी कर देते थे।

अध्यक्ष महोदय, जब भी प्रश्न आता है शक्कर के मामले पर आप जानना चाहते हैं। भाई रमाशंकर सिंह जी ने बड़े ताव के साथ यह कहा कि हजारीलाल रघुवंशी जी ने 71 हजार का भत्ता लिया है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप मन्त्री थे तो 40 हजार का बिल टेलीफोन का किसने लिया था? जबकि अध्यक्ष महोदय, रमाशंकर सिंह जी को सखलेचा जी ने कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिया था लेकिन फिर भी इनका टेलीफोन का बिल 40 हजार का आता था और यह जो बिल आता था वह केवल चरणसिंह और राजनारायण को खुश करने में ही आता था और ऐसे टेलीफोन इनके रात-दिन आते थे। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने प्रदेश की तरक्की के लिए कोई टेलीफोन नहीं किए हैं बल्कि अपने मन्त्रिमंडल की टाँगें खींचने के लिए टेलीफोन किए।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, चूँकि माननीय सदस्य ने नाम लिया है मेरा इसलिए इस पर कहना मेरा जरूरी हो गया है। यह सामान्य परम्परा है। चूँकि उन्होंने मेरे नाम का जिक्र किया है इसलिए मैं एक ही मिनिट में अपनी बात कहना चाहता हूँ कि यह जो टेलीफोन का जिक्र बार-बार आता है तो पहले तो यह दुरुस्त कर लीजिए कि 40 हजार नहीं 56 हजार था दूसरे मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि राज्य सरकार का पैसा केन्द्र सरकार में जाता है तो इसमें कौन-सा भ्रष्टाचार है? (व्यवधान) यदि रिश्वत लेकर पैसा जेब में रख लिया जावे तो वह भ्रष्टाचार होता है। तो माननीय सदस्य को (× × ×) की तरह से बात नहीं कहनी चाहिये? चूँकि मैं निष्कलंक हूँ इसलिए सबके खिलाफ बोलता हूँ।

COURIER COUNTER
ACCTT
BOOKING
M.P.T.L. BHOPAL
26924

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य रमाशंकर सिंह जी ने कहा कि यदि राज्य शासन का पैसा केन्द्र सरकार में चला जाये तो क्या हर्ज है। तो भाई रमाशंकर सिंह जी डेढ़ दिन तो मंत्री रहे और उसमें एक बार ग्वालियर गये और इतना बिल यह देखने की चीज है?

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी की शवयात्रा में जाने का भत्ता नहीं लिया है। (शेम-शेम)

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो संजय के नाम पर भी भत्ता लिया था?

श्री वासुदेव चंद्राकर : प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय, अभी जो (× × ×) का उपयोग भाई रमाशंकर सिंह जी ने किया है उसको प्रोसीडिंग से निकाला जावे?

सभापति : ठीक है यदि (× × ×) कहा गया है तो उसको प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाये।

श्री तनवंतसिंह कीर : अध्यक्ष महोदय, भाई रमाशंकर सिंह जी दिन भर गरीबों का ढोल पीटते हैं लेकिन ये अपने यहाँ मकान में 1500 रुपये कीमती वेस्टर्न स्टाइल की लेटरीन फिट करवाये हैं। क्या जरूरत है इतनी कीमती वेस्टर्न स्टाइल लेटरीन फिट करवाने की। 1500 के डब्ल्यू.सी. रखे गये। इसलिए मैं झूठे ढोल नहीं पीटना चाहता। जावरा के शक्कर कारखाने की बात की गई हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने 3 महीने के अन्दर कारखाने को अपने हाथ में ले लिया जबकि ये ढाई साल तक रिश्वत खाते रहे और 5 लाख रुपये लिए।

सभापति : आप अपना भाषण समाप्त करिए।

श्री तनवंतसिंह कीर : केवल दो मिनिट लूँगा।

सभापति : नहीं, आप बैठें।

श्री शीतला सहाय : सभापति महोदय, मुझे समय चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि मुझे केवल 15 मिनिट का समय दे दीजिए क्योंकि जब पटवा जी बोल रहे थे तो उन्होंने बहुत साफ कह दिया था कि इंस्टेसेज मैं दूँगा।

सभापति : आपने कुल दो घण्टे ले लिये। अब मुख्यमंत्री जी बोलेंगे।

श्री शीतला सहाय : मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि मुझे 15 मिनिट का समय आपके समय में से दे दें।

श्री अर्जुनसिंह : शीतला सहाय जी, मैं आपसे बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि .....

श्री शीतला सहाय : मैं बिल्कुल सूत्र में अपनी बात कहूँगा।

श्री अर्जुनसिंह : कभी और सूत्रोपचार कर लीजिएगा। अभी तो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही है और आपकी सहमति से 5 घण्टे का समय नियत किया गया है इसलिए अब मुझे उत्तर देने का भी अधिकार है।

श्री शीतला सहाय : मुख्यमंत्री जी को पूरा-पूरा अधिकार है लेकिन सभापति महोदय, चूँकि श्री पटवा जी ने बहस शुरू की है और इंस्टेंसेज मुझे देना है इसलिए 10 मिनिट का समय दिया जाये। (व्यवधान) मैं 10 मिनिट में समाप्त कर दूँगा।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय सभापति महोदय ..... (व्यवधान)

सभापति : आप सभी बैठ जायें। माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि 5 घंटे का समय निश्चित किया गया था।

श्री शीतला सहाय : मुझे मुख्यमंत्री जी के समय में केवल 10 मिनिट का समय दिया जाये।

सभापति : 5 घंटे का समय दिया था उसमें से आप 2 घंटे का समय ले चुके हैं।

श्री कृष्णपालसिंह : जितना समय निर्धारित किया गया उसके हिसाब से वे अपने कोटे से ज्यादा ले चुके हैं।

श्री शीतला सहाय : पिछले सदन की कार्यवाही उठाकर देख लें। (व्यवधान)

तीन-चार बार समय बढ़ाया जाता रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मुझे केवल 10 मिनट का समय दिया जाये

सभापति : आपकी सहमति से 5 घंटे का समय नियत किया गया है और उसमें आप 2 घंटे का समय ले चुके हैं अब आप और क्या चाहते हैं?

श्री शीतला सहाय : मैं 10 मिनिट से ज्यादा नहीं लूँगा। (व्यवधान)

सभापति : आप सभी सदस्यगण बैठ जायें। (व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय सभापति महोदय, ...

श्री शीतला सहाय : यदि आप मुझे समय नहीं देते हैं तो मैं इन कागजों को पटल पर रखता हूँ। (व्यवधान)

सभापति : नहीं, नहीं, ये नहीं रखे जा सकते।

श्री शीतला सहाय : मैं पटल पर रखता हूँ।

श्री कृष्णपालसिंह : पटल पर नहीं रखे जा सकते।

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका अनुगृहीत हूँ कि—

श्री शीतला सहाय : मैंने अनुमति माँग ली है, इसलिए मैं पटल पर रखता हूँ और मुझे इससे रोका नहीं जा सकता। राज्य मंत्री के भ्रष्टाचार से संबंधित आरोप हैं उनको मैंने पटल पर रखा है। (व्यवधान)

श्री विक्रम वर्मा : मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल को बचाना चाहते हैं इसलिए वे बोलने का समय नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय सभापति महोदय ..... (व्यवधान)

श्री विक्रम वर्मा : सभापति महोदय, मेरा प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर है जब इस पर बहस प्रारम्भ हुई थी उस समय माननीय मुख्यमन्त्री जी ने कहा था कि अगर माननीय सदस्य 10 घण्टे बोलेंगे तो मैं सुनूँगा और अब 10 मिनिट का समय नहीं दे रहे हैं।

सभापति : श्री विक्रम वर्मा, यह कोई प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है। आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का अधिकार दिया जाये। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ दस्तावेज हैं ..... (व्यवधान)

डॉ. परसुराम साहू : मेरा प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर है इस मंत्रिमंडल द्वारा जो गड़बड़ की गई है उसकी लिस्ट

पटल पर माननीय शीतला सहाय जी के द्वारा रखी गई है वह नियम-संगत है। वह नियमानुकूल है।

सभापति : यह कोई प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है। मैं इसको रूल आउट करता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय सभापति महोदय, जब इस पर सदन में चर्चा आरम्भ हुई थी उस समय मैंने विरोधी दल के नेता के भाषण और अन्य माननीय सदस्यों के भाषण बड़े ध्यान से चार घण्टे तक सुना।..... (व्यवधान)

श्री कैलाश पण्डित : सभापति महोदय, मेरा प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर है ..... (व्यवधान)

सभापति : आप बाहर जाइये।

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय सभापति महोदय, विरोधी दल के माननीय सदस्यों में हिम्मत नहीं है इसीलिए यह बहाना ढूँढ रहे हैं। चर्चा के दौरान उन्होंने जो भी बात कही हैं उनमें कोई तथ्य तो हैं नहीं, उनमें कोई आधार नहीं हैं। इसीलिये वे कुछ गड़बड़ करके आधार ढूँढ रहे हैं नहीं सुनने का। जब मैंने विरोधी दल के नेता तथा अन्य माननीय विरोधी दल के सदस्यों के भाषण शान्तिपूर्वक सुने हैं तो उनको भी चाहिए कि वे भी हिम्मत दिखायें और शान्ति से मेरा उत्तर सुनें। (व्यवधान)

अगर शीतला सहाय जी के पास इतने इम्पार्टेंट दस्तावेज थे तो सबसे पहले क्यों नहीं बोले। (व्यवधान)

सवाल यह है कि 5 घण्टे का समय सदन में निर्धारित किया गया है, विरोधी दल के नेता 40 मिनिट बोले, रमाशंकर सिंह 45 मिनिट बोले और आपके अन्य माननीय सदस्य बोले शीतला जी कहाँ से रह गए थे? (व्यवधान)

श्री शीतला सहाय : इसलिए मेरा नाम आखिर में है कि इन लोगों की आलोचनाओं का जवाब दे दूँ मैं प्रमुख बातें रख सकूँ, आप ऐसे हैं कि 10 मिनिट नहीं देना चाहते।

श्री अर्जुनसिंह : आपने मेरे ऊपर इतना एहसान किया है मैं इन व्यक्तिगत प्रकरणों में कभी नहीं जाता हूँ लेकिन जितना अहसान आपने किया है उसका मैं बखान इस सदन में करना नहीं चाहता हूँ। मैं तो आज जो विषय है उस पर बोलना चाहता हूँ। हम किसी प्रकार से विद्वेष की भावना से काम नहीं करना चाहते। आपके पास अवसर था, आप सदन के सामने कह देते। जब आपको कुछ बोलते नहीं बना तो अब नुस्का लेकर पहुँच गए हैं। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर सदन में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और विरोधी दल के नेता ने ..... (व्यवधान) जब मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ तो सब चिल्ला रहे हैं। मुझे जवाब नहीं देने देते।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप पूरा जवाब दें हम आपको शांति से सुनेंगे।

डॉ. राजेन्द्र जैन : अगर हमारे नेता के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया तो ठीक नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जितनी बहस हमने की है उसका पूरा जवाब सुनना चाहते हैं परन्तु आप कृपा करके यह देखिए कि हमारे सदस्य बोलने के लिए आपसे निवेदन कर रहे हैं उसमें से भी ..... (व्यवधान)

सभापति : 5 घण्टे होने को जा रहे हैं अब 25 मिनिट बचे हैं आप मुख्यमन्त्री का उत्तर सुन लें। (व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : अगर माननीय मुख्यमन्त्री जी जवाब देना चाहें ..... (व्यवधान) मैं निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि हम सुनना चाहते हैं ..... (व्यवधान)

सभापति : आपके कहने के अनुसार 5 घण्टे में से 2 घण्टे 10 मिनिट दे दिए।

श्री सुन्दरलाल पटवा : ये हिसाब सही नहीं है माननीय मुख्यमन्त्री— (व्यवधान) हमारे दल के 60 सदस्य हैं उसके हिसाब से कितने सदस्यों को समय दिया है? (व्यवधान) अगर 15 मिनिट समय बढ़ाकर मुख्यमन्त्री जी जवाब दें हम सुनेंगे।

(व्यवधान)

श्री कृष्णपालसिंह : प्वाइंट आफ ऑर्डर। चूँकि सम्मानीय पटवाजी आ गए हैं एक निवेदन करना चाहता हूँ जितना समय आपका बढ़ा दिया दो घन्टे की जगह पाँच घन्टे कर दिए आपको 22 मिनिट ज्यादा समय दे दिया।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप कैसा हिसाब लगा रहे हैं। 60 सदस्यों का समय आप कह देंगे पर्याप्त है तो मैं एक मिनिट में बैठ जाऊँगा।

श्री कृष्णपालसिंह : आप हर बात अपनी मनवाना चाहते हैं पटवा जी जैसे गम्भीर आदमी जिनके नेतृत्व में विश्वास था कि सदन शांति के साथ चलेगा मैं जानना चाहता हूँ कि आप बोलते हैं तो शायद ही कोई डिस्टर्ब करता हो आप अपनी पार्टी के सदस्यों पर कंट्रोल नहीं कर सकते जब भी सदन के नेता खड़े होते हैं आपके यहाँ से कैसा व्यवहार किया जाता है क्या आप इस पर गम्भीरता के साथ विचार करेंगे? महत्वपूर्ण सदस्य को बोलना चाहिए था शीतला सहाय जी महत्वपूर्ण हैं मैं मानता हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : सारे डाक्यूमेंट्स उनके पास हैं जो वे रखना चाहते हैं। आपने रमाशंकर सिंह जी को भी समय दिया है आप 60 सदस्यों में कैसे विभाजन करेंगे? (व्यवधान) आप क्या उनके समय को 60 सदस्यों के समय में से काटेंगे। आप कुछ न्याय तो हमारे साथ कीजिए। (व्यवधान) आप तो हमें 60 सदस्यों का हिसाब बता दीजिए? हमारे दल के कितने सदस्य बोले हैं?

श्री कृष्णपालसिंह : इस सदन में जरूरी नहीं है कि जो पटवा जी कहें वह चलेगी।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप जो कहेंगे वही चलेगा ये हम मानते हैं— (व्यवधान) माननीय मुख्यमन्त्री जी भी जवाब देंगे—

(व्यवधान)

श्री कृष्णपालसिंह : इतने सदस्य खड़े होकर एक भी चार्ज नहीं लगा सकते थे मेरा ये चार्ज क्या हल्कापन है? (व्यवधान) पटवा जी ठीक से अपनी पार्टी सदस्यों पर कंट्रोल करें और इस सदन को चलाने में मदद करें।

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय सभापति महोदय, अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर जिन लोगों ने यहाँ पर तथ्य रखने का प्रयास किया है और विशेष करके विरोधी पक्ष जिसके नेता श्री पटवा जी हैं, भाई रमाशंकर सिंह जी और शायद श्री गुप्ता जी ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएँ दी हैं और इस प्रकार सभापति महोदय, तीन अविश्वास प्रस्तावों पर एक साथ बहस हुई। यह प्रस्ताव किस सन्दर्भ में आया इसका अंदाज मैं अभी तक नहीं लगा सका हूँ।

इसलिए शायद कल सायंकाल से विरोधी पक्ष के बीच में अविश्वास प्रस्ताव की आँधी कहीं चल पड़ी कि हर चीज पर अविश्वास रखना है। यह क्रम उपाध्यक्ष महोदय से शुरू हुआ और मन्त्रिमंडल पर अविश्वास के रूप में परिणित किया। ठीक है यह आपका संवैधानिक अधिकार है। हमें कोई एतराज नहीं। विरोधी दल के नेता की तरफ से चार्ज सीट पढ़ी गई फिर कई सदस्यों के भाषण हुए। पर मैं सभापति जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक भी सदस्य के भाषण में किसी भी विशिष्ट प्रकरण का उल्लेख नहीं किया गया।

केवल स्वीपिंग एलिगेशन्स लगाये गये जैसे अभी तक मंत्रिमंडल का पूरा गठन नहीं हुआ, भ्रष्टाचार है, वादे जो किए थे वे पूरे नहीं हुए। इन्हीं बातों पर विरोधी पक्ष की तरफ से भाषण हुए। यह भी कहा कि हमारे द्वारा जो भाषण दिए गए उनके अनुरूप कार्य नहीं किया गया और हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इन्हीं आधारों पर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जावे। यदि आप यह समझते हैं कि आपके इतना कह देने मात्र से सदन में अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जावे तो मेरे मत में सभापति जी, शायद प्रजातांत्रिक आधार मूल्यों की मान्यताओं को समझने में इन्होंने गलती की है।

जितनी भी घोषणाएँ हमारे दल की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने काँग्रेस चुनाव पार्टी के घोषणा-पत्र में की थीं उनमें से प्रत्येक को कार्यरूप में परिणित करने की सुनिश्चित योजना हमारे मन्त्रिमण्डल ने बनाई है जिनमें से कुछ कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिए गए हैं और कुछ को पूरा कर दिया गया है। और इसी सत्र में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम उसके लिए कल विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया जावेगा और सदन उस पर विचार करेगा तथा सदन द्वारा पारित किया जावेगा।

पारित होने के पश्चात 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में इसे लागू करने की ओर हम अग्रसर होंगे। आपका यह कहना कि चुनाव हुआ था, आपने घोषणाएँ की थीं और हम लोग चुनकर आए और बाकी सब बातें भूल गए। सभापति जी, विरोधी पक्ष की ओर से भाषणों में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये अतः मुझे कुछ जनरल बातें कहनी पड़ेंगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि शांति और व्यवस्था, प्रशासनिक तन्त्र की कमजोरी समूचे समाज में उच्छृंखलता, राज्य में यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है और न यह रातों-रात पैदा हुई है। इसके पीछे वह मूल तत्व हैं जिन तत्वों के पीछे इस समूचे देश के अन्दर कुछ थोड़े से लोगों ने अपने सत्ता में पहुँचने का एक मात्र माध्यम समझते हुए देश के अंदर एक ऐसा राजनैतिक वातावरण निर्मित किया है, जहाँ इन समस्त मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए आपने वातावरण पैदा किया, अविश्वास का वातावरण पैदा किया। अन्याय का वातावरण पैदा किया, अनुशासनहीनता का वातावरण पैदा किया और आप हाथ रखने में सफल हुए और शासन की बागडोर आपके हाथ में आई तो स्वाभाविक था कि आप उन असामाजिक तत्वों को पुरस्कृत करते जिन लोगों ने आपको इस वातावरण को बनाने में सहायता की।

सहयोग ही नहीं सभापति महोदय, आप तो हमारे ऊपर यह कह सकते हैं कि असामाजिक तत्व हम लोगों के साथ मिलते बैठते हैं और इस वजह से उनके ऊपर कार्यवाही नहीं कर सकते। मैं सदन के सम्मानीय सदस्यों और इस सदन के माध्यम से इस प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूँ कि कितने ऐसे मीसाबन्दी थे जो असामाजिक तत्व थे, असामाजिक तत्वों की हैसियत से मीसा में बन्द किये गये और उनके छोड़ने के बाद इस प्रदेश के कोष से आपने 25-25 हजार रुपये उनको अनुदान में दिये और अनुदान में देने के बाद आप समझते हैं उसका कोई असर नहीं हुआ।

उसका असर यह हुआ कि पुलिस वाले, जिनके ऊपर पुलिस कार्यवाही कर सकती थी, जो समाज को दफनाने के लिए वातावरण पैदा करना चाहते थे उनको आपने प्रदेश के अन्दर हीरो बनाया। गुण्डे ही हीरो जिस समाज में बनाए जाएँगे उस समाज में इतना ही हुआ, देवी की कृपा है, संयम की महानता है, उसकी संकल्प शक्ति है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के अन्दर ऐसे ठोस नेतृत्व का विद्यमान होना है इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में समूचे देश की भावना और जनता का सहयोग तथा देश के लाखों-करोड़ों लोगों ने विश्वास प्रकट किया।

इससे आपको बौखलाहट हो सकती है लेकिन इस देश के जनतांत्रिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक महिला जिसे एक समूचे शासन तन्त्र ने न केवल प्रताड़ित करने की कोशिश की, समूचे परिवार को बदनाम करने की कोशिश है, जान से खत्म करने की कोशिश की गई। वह महिला इस देश के अन्दर ऐसे तत्वों का मुकाबला करके और आप जैसे लोगों को, जहाँ आप बैठे हैं वहाँ लाकर बैठा दिया।

एक माननीय सदस्य : धन्यवाद।

श्री अर्जुनसिंह : और मैं आपसे कहना चाहता हूँ मुझे धन्यवाद न दीजिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप सचमुच में इस प्रदेश के अन्दर शांति और व्यवस्था कायम रखना चाहते हैं तो कृपा करके अपने सम्बन्ध भी लोगों से विच्छेद कर लीजिए, जिनको आपने पैसे दिए थे, 25-25 हजार और जिनको हीरो बनाया था। संबंध विच्छेद असामाजिक तत्वों से .....

श्री शीतला सहाय : जगदीश गिल जैसे लोग, आपके साथ घूमते हैं एक दूसरे के साथ। काँग्रेस को पिटवाया था। प्रथम उनसे भी संबंध विच्छेद कर लें तो प्रदेश का हित होगा।

श्री अर्जुनसिंह : मैं केवल यह कह रहा हूँ कि इस प्रदेश के अन्दर शांति और व्यवस्था कायम रखने के लिए तीन चीजें आवश्यक हैं। पहली बात तो यह कि प्रशासन तंत्र को स्वतंत्रता से, ईमानदारी से काम करने का मौका मिले और इस दिशा में, मैं कह सकता हूँ, ईमानदारी से कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ पूरे मंत्रिमंडल ने इस दिशा में कोशिश की है और आने वाले दिन इस बात को बताएँगे जो प्रयास हमने किया है उसके परिणाम इस प्रदेश की शांति और व्यवस्था और प्रशासन की हालत में सुधार के रूप में आगे परिणित हो कर।

दूसरी आवश्यकता इस बात की भी है कि इस तरह से अब, चाहे किसी पक्ष का क्यों न हो, केवल राजनैतिक रोटियाँ सेंकने के लिए किसी प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप को सार्वजनिक रूप से सामने न लायें। हम तो प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि मेरी जानकारी में होते हुए भी मैंने अभी तक किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की है जिससे राजनैतिक वातावरण किसी प्रकार से इस प्रदेश का दूषित हो।

लेकिन मैं देख रहा हूँ कि शायद हमारे दल की इस सहानुभूति कि हम सबके इस विश्वास का कि आने

वाले दिनों में आप भी शायद इस प्रदेश में ऐसा निर्मित करेंगे हालाँकि आप उसका दूसरा अर्थ लगा रहे हैं और स्वाभाविक ही आप वैसा अर्थ लगाएँगे क्योंकि आपके बीच में सैकड़ों लोग लम्बी-चौड़ी डींग हाँकने वाले हैं, जो राजनैतिक मंच पर एक बात कहते हैं और लिखकर दूसरी बात देते हैं। यह तो हमने आँखों से देखा है।

सभापति महोदय, मेरे पास ऐसी सूची है आपकी अनुमति से मैं पटल पर रख दूँगा यदि आप चाहेंगे जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा जो लम्बी-चौड़ी डींग हाँकने वाले हैं और जो दूसरी आजादी का अवतरण करने वाले अपने को बताते हैं और अपनी स्वार्थ-पूर्ति के लिए लिखकर देते हैं ऐसे लोगों से प्रजातांत्रिक मान्यताओं के हनन की अपेक्षा है। उनके राजनैतिक जीवन के बारे में तो शायद मेरी भी भूल हो सकती है लेकिन भूल को मानते हुए मैं एक बार प्रयास जरूर करूँगा।

आप उस परिस्थिति का लाभ स्वयं नहीं तो अन्य कुछ ऐसे लोगों के माध्यम से कुछ ऐसे तत्वों को प्रोत्साहन देने के लिए समाज की शांति भंग करना चाहते हैं। कुछ कमजोर वर्ग के लोगों पर अत्याचार कर अपने शोषक तत्व को कायम रखना चाहते हैं, अन्य समाज विरोधी वातावरण कायम रखना चाहते हैं। इस प्रदेश की सेवा करने के लिए काँग्रेस पार्टी के सिद्धांतों पर प्रदेश का शासन चलाना चाहते हैं और अपने नेता को दिए गए वचन को पूरा करने के लिए हम सब एक हैं। हम ऐसी कोई बात इस प्रदेश में नहीं होने देंगे जिससे नीति को पूरा करने में कोई खलल पड़े।

सभापति महोदय, भाई रमाशंकर सिंह की काफी प्रेक्टिस हो रही है। पता नहीं वे किस बात के लिए प्रेक्टिस कर रहे हैं हर चीज पर यही आरोप लगाते हैं, कभी हमारे वरिष्ठ साथी सोलंकी जी पर, कभी मेरे ऊपर और कभी और पर इससे इनको अगर संतोष मिलता है तो अच्छा है। मैं तो सभापति महोदय से निवेदन करूँगा कि इनके लिए 15 मिनिट तय कर दिये जावें जिससे उस समय इनको जिसको जो कहना हो कह डालें जिससे ये संतुष्टि कर लें तो हमें बहुत ही प्रसन्नता रहेगी। (व्यवधान)

श्री रमाशंकर सिंह : आप अपने मंत्रिमण्डल के साथियों से कहें कि कोई ऐसा कर्म नहीं करें जिससे मुझे ऐसा कहना पड़े।

श्री अर्जुनसिंह : आपके कई कामों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ लेकिन कुछ ऐसी बातें जरूर हैं मैं एक प्रकरण के बारे में उल्लेख कर दूँ, बहुत बुरी बात नहीं है हमारे साथियों के भत्ते के बारे में कहा गया है, उस दुखद प्रसंग में ऐसी बात नहीं कही होती तो अच्छा था पर भाई रमाशंकर सिंह को कहने को तो कुछ मिलना चाहिए। उन्होंने नये सदन में यह प्रतिपादित किया कि 56 हजार का टेलीफोन का बिल हुआ तो क्या फर्क है आखिर केन्द्रीय शासन की आय बढ़ेगी। जिम्मेदारी उनकी थी। केन्द्रीय शासन की आय बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी हो सकती है लेकिन आप इस मध्यप्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं और इस प्रदेश के मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे हैं तो कृपा करके इस प्रदेश की आय बढ़ाने की दिशा में भी काम कीजिए दिनांक 27-4-78 से 30-4-78 तक एक वातानुकूलित गाड़ी का इस्तेमाल आपने किया। और उस गाड़ी के इस्तेमाल का बिल लगभग 3,086.25 पैसे तब से लम्बित है। आप कहाँ गए होशियारपुर गए या कहाँ पर लेकिन बहुत छोटी रकम है, आपने केन्द्र शासन को 56 हजार दिए प्रदेश के शासन को 3 हजार दे दीजिए।

श्री रमाशंकर सिंह : काँग्रेस पार्टी के भूतपूर्व मंत्रियों और नेताओं से मध्यप्रदेश भवन के हजारों रुपये के बिल वसूल करिए उसके बाद बात करिए।

श्री अर्जुनसिंह : यहाँ पर राजनैतिक प्रताड़ना की बात पटवाजी ने की और यह कहा कि समूचे प्रदेश के अन्दर राजनैतिक दृष्टिकोण से कार्यकर्त्ताओं को परेशान किया जा रहा है यह बात इन्होंने एक बार और कही थी। राज्यपाल के अभिभाषण के समय। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ और उस समय भी प्रार्थना की थी कि इस विषय पर हमारे दल का, हमारे शासन का स्पष्ट दृष्टिकोण है। राजनैतिक आधार पर जानबूझकर किसी भी राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी को परेशान करने का हमारा प्रयास न होगा न होने दूँगा। उस समय भी मैंने पूछा था और आज फिर पूछ रहा हूँ कृपा करके कोई प्रकरण दीजिए और उसके बाद.....(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : माननीय मुख्यमंत्री जी सदस्य की चिंता से परिचित नहीं हैं मैं एक प्रकरण बड़वाह का लिखकर दूँगा आप क्या कार्यवाही करते हैं, देखेंगे।

(कोई पत्र श्री कैलाश पण्डित द्वारा पटल पर रखा गया)

श्री अर्जुनसिंह : आप जो भी प्रकरण देंगे मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि राजनैतिक आधार पर बिना किसी और आधार के अलावा कहीं भी प्रताड़ित करने की कार्यवाही की जायेगी ऐसी किसी कार्यवाही को अपनी ओर से संरक्षण नहीं दूँगा और जाँच करने के बाद उस पर कार्यवाही करूँगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप अनुमति दें तो कुछ कहूँ मैंने उस दिन भी कहा था नालखेड़ा मण्डी के अध्यक्ष श्री सिद्धनाथ तेजड़ा के संबंध में आपके दल के सदस्य राणा नटवरसिंह ने कल यहाँ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया उसके बाद 4 और हत्याएँ उस क्षेत्र में हो गईं आप अपने दल के माननीय सदस्य राणा से पूछिए कि वे हत्यारे अपराधी असामाजिक तत्व कहाँ संरक्षण पा रहे हैं। आप एक-दो में तो कार्यवाही करने की कृपा करें हम और प्रकरण देंगे हम आपके आश्वासन पर भी भरोसा करते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मैंने पूर्व में कहा था उस संबंध में, मैं अभी जानकारी ले रहा हूँ। जानकारी मिलने पर कार्यवाही होगी। लेकिन आपकी तरफ से इस बात को कहने का कितना नैतिक अधिकार है, इस बात को भी जरा सोच लें। क्योंकि अकेले ढाई साल के अन्दर आपने विधानसभा में जो प्रश्नों के जो उत्तर दिए हैं, उनके आधार पर 30 हजार से अधिक गिरफ्तारियाँ आपने काँग्रेसजनों की की हैं, इसके अलावा—

श्री शीतला सहाय : अगर आप सत्याग्रह करें और अपने आपको गिरफ्तारी के लिए आफर करें, तो आपको ऐसी गिरफ्तारी में क्या आपत्ति है।

श्री अर्जुनसिंह : सुन तो लीजिए, आपको बीच में खड़े होने की आदत है। इतनी गिरफ्तारियाँ आपने कीं ठीक है। हम लोगों ने सत्याग्रह किया। और इसके अतिरिक्त ऐसे कितने प्रकरण हुए कभी आपने जानकारी लेने की कोशिश की। जब आप इस तरफ बैठे थे। मैं आपको सिर्फ एक ही प्रकरण बताऊँगा और आप देखेंगे कि किस हद तक प्रतिशोध की भावना से नीचे जाकर काम किया गया, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पूर्व उदाहरण मानकर वैसी कार्यवाही करने का मैं हामी नहीं हूँ।

सभापति महोदय, एक अध्यापिका थी शमीम अन्सारी जो यहाँ भोपाल में पढ़ाती थी पहले उनको यहाँ से बाहर रायसेन जिले में स्थानान्तरित किया गया क्योंकि उनके ब्रदर इन लॉ अय्यूब सैयद करन्ट के एडिटर थे और उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ आर्टिकल लिखे और उनसे यह कहा .....

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : सभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जैसे ही श्री अय्यूब सैयद मुझसे मिले और उन्होंने बताया कि ग्वालियर के अन्दर उनका ट्रांसफर किया गया है वैसे ही उनका वह ऑर्डर केन्सिल कर दिया गया और उनको भोपाल में रहने दिया।

श्री अर्जुनसिंह : सभापति महोदय, वे कैन्सर की मरीज थीं और कैन्सर की वजह से उनकी हालत बिगड़ती गई।

श्री शीतला सहाय : सभापति महोदय, वे ट्रांसफर पर गई नहीं, जैसे ही मालूम पड़ा उनका अटेचमेंट कर दिया गया और पूरे समय वे वहाँ रहीं। जैसे ही नोटिस में आया कि ट्रांसफर रोक दिया गया।

श्री अर्जुनसिंह : और किया क्यों गया था?

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : सभापति महोदय, किया नहीं गया, रोका गया। मेरी नालेज में ही नहीं था।

श्री अर्जुनसिंह : सभापति महोदय, ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं लेकिन उनकी मैं यहाँ सार्थकता नहीं समझता।

श्री सुन्दरलाल पटवा : ये उदाहरण तो नहीं जमा।

श्री अर्जुनसिंह : ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं। एक उदाहरण सभा के सदस्य के रूप में बैठे हुए श्री श्याम सुन्दर पाटीदार के परिवार का है जिनको जानबूझकर परेशान किया गया, मैंने स्वयं बार-बार पत्र लिखे लेकिन किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई लेकिन न्यायालय ने फैसला दिया कि उनके खिलाफ कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण, राजनैतिक आधार पर की गई, डिस्ट्रिक्ट के सेशन जज ने यह फैसला दिया। (मेजों की थपथपाहट)

अगर आवश्यक हो तो श्री पाटीदार इस सदन के सदस्य हैं, मन्दसौर का सवाल है। (व्यवधान)

यह बात यहाँ कही गई कि हमने जो घोषणाएँ कीं उनमें अत्यधिक विलम्ब हुआ उनको कार्यान्वित करने में विशेष रूप से उस अध्यादेश का नाम लिया गया जो 23 जून से प्रभावशील किया गया। यह अध्यादेश विधेयक के रूप में पिछले सत्र में पारित हुआ और 8 तारीख को विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ और 26 तारीख को इसके सम्बन्ध में प्रदेश के जिलों में एक नोटिफिकेशन के माध्यम से क्रमांक 4617 सी.ओ. 17, भोपाल दिनांक 26 जून के तहत तेजी से कार्यवाही करने के लिये संरक्षण देने का निर्देश सचिवालय से दिया गया।

आपने कहा कि 3 महीने तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। आरोपों में अगर तथ्य उपस्थित किए जाते तो मैं मानता लेकिन मैं उस भाषा का उपयोग नहीं करूँगा जो माननीय सदस्यों ने आरोप लगाते समय की। मैं कहना चाहता हूँ कि अब म.प्र. के अन्दर जो सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक अधिकारों की हद एक ओर आगे बढ़ने की धुरी बनी थी जिसमें गरीबों को .....

शोषितों, अन्य प्रकार के आधारहीन या दबे हुए लोगों के विरुद्ध शासन के दबाव की वजह से पलड़ा ऊँचा रहता था, वह हमारी नीति के मुताबिक इस प्रदेश का यह शासन अपनी समूची शक्ति और साधनों का उपयोग करके वह पलड़ा इस प्रदेश के गरीबों, शोषितों और दबे हुए लोगों की ओर झुकेगा। हम जानते हैं कि होने वाले दिनों की आपको कल्पना है इसलिए उन वर्गों के लिए कठिनाइयाँ सामने आने वाली हैं।

ऐसी कठिनाइयों की वजह से, अड़चनों की वजह से तरह-तरह की समस्याएँ आयेंगी। हमारी योजना इस प्रदेश के गरीब से गरीब लोगों के हित में है। दूसरे हमें विश्वास है विधानसभा के चुने हुए सभी साथियों पर और जो नहीं चुने गए बाहर हैं, वे सब मिलकर हमारे कार्यक्रम को सफल बनायेंगे। वे सब इस प्रदेश को आगे बढ़ाएँगे और सर्वहारा के हितों की जड़ें मजबूत होंगी। जो आपकी कल्पना है कि आगे ऐसा होगा वह कल्पना ही रहेगी। जो हमने इस प्रदेश की जनता के साथ वादे किए हैं कि हम इस प्रदेश में एक उन्नतिशील समाज प्रशस्त करेंगे, उसमें हमारे साथियों का और हमारे मंत्रिमंडल के साथियों का पूरा सहयोग है।

हमारा मंत्रिमंडल पूरा है, उसमें अगर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। मगर यह कहना कि मंत्रिमंडल पूरा नहीं है यह सर्वथा विरुद्ध है। यह ऐसा अवसर है जब सभी विवेकशील लोग जो साम्प्रदायिक तत्वों को दबाना चाहते हैं, जो समाज विरोधी तत्वों को दबाना चाहते हैं, जो माँ-बहिनों के साथ खिलवाड़ करने वालों को दबाना चाहते हैं, यदि सचमुच में ऐसा हो तो यह शासन उनके सहयोग में है, विरोध में नहीं है।

जो लोग इतने हल्के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लाये हैं, उसके पीछे परोक्ष रूप से यह मंशा है कि उन्हें अस्थिरता का वातावरण मिलता रहे और समाज विरोधी तत्वों को संरक्षण मिलता रहे, साम्प्रदायिक तत्वों को संरक्षण मिलता रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उनकी ऐसी कोई मंशा पूरी होने वाली नहीं है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : हमारी यह मंशा है आपकी क्या मंशा रहती थी। यह तो प्रजातंत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाना कोई नई बात नहीं है। क्या जब आप अविश्वास प्रस्ताव लाते थे तो जनेऊ पहनकर, गंगास्नान करके अगरबत्ती लगाकर लाते थे। जो आप करते थे वही हम भी करते हैं और जो हम करते थे वही आप भी करते थे?

श्री अर्जुनसिंह : आप जनेऊ की बात करते हैं तो मैं जनेऊ पहनता नहीं। ऐसा नहीं कि हिन्दू धर्म को नहीं मानता।

श्री सुन्दरलाल पटवा : इसलिये क्रियाकर्म करके करते थे।

श्री अर्जुनसिंह : क्रियाकर्म नहीं करने वाला हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : क्रियाकर्म तो किए हैं।

श्री अर्जुनसिंह : जहाँ तक ऐसे तत्वों को संरक्षण देने का सवाल है जो इस प्रदेश के समाज विरोधी हैं, जो गरीबों और शोषित वर्गों के हितों पर कुठाराघात करना चाहते हैं, जो माँ-बहिनों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के लिए हम कहते ही नहीं रहे एक विधेयक इसी सत्र में लाये हैं। जो इस बात को प्रमाणित करता है कि आपने कभी महिलाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ नजरबन्दी पर नहीं सोचा था, हरिजनों के साथ जो अपराध करते हैं उनको नजरबन्द करने की बात नहीं सोची थी।

सभापति : समय समाप्त हो रहा है, मैं चाहूँगा दस मिनिट का समय बढ़ा दिया जाये।

श्री अर्जुनसिंह : दो-तीन मिनिट में समाप्त करूँगा। हम कार्यक्रम बनाकर ऐसे तत्वों को इस प्रदेश में दबायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और मैं अपेक्षा करता हूँ जो आप इतनी चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं उसको ध्यान में रखकर आपका भी सहयोग हमें मिलेगा। जहाँ तक इस प्रदेश की योजनाओं और कार्यक्रमों का सम्बन्ध है उसके सम्बन्ध में ऐसी कोई बात नहीं की गई जिसके संबंध में कोई उत्तर देने की आवश्यकता हो। आपने अपने मन का गुस्सा निकालने के लिए प्रस्ताव रखा। आपके इस प्रयोग के लिए बहुत धन्यवाद। अब आप शांत हो जायें और सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चले।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आपसे ज्यादा चिन्ता हमें हैं, हमसे ज्यादा चिन्ता आपको है। इस सदन की कार्यवाही प्रक्रिया के अनुसार चले, इसको वन वे ट्रेफिक करना चाहते हैं, और प्रक्रिया, प्रोसीजर और बहुमत का दुरुपयोग करके विद्वेष का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, फिर आप हमसे कहें, आप ऐसा करने दीजिए, तो सम्भव नहीं है। हमने खड़े होकर यहाँ प्रतिरोध किया है आप वहाँ पहुँचे थे, हमने आपके चरण-चिन्हों का अनुगमन नहीं किया है। आप तो यहाँ लेटे हैं, लेटते हुए देखा है।

श्री अर्जुनसिंह : हम लोगों ने जो कुछ किया है लेकिन इस आसन्दी पर जूता नहीं फेंका है। इसलिए इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

श्री शीतला सहाय : जूता नहीं फेंका है लेकिन इस आसन्दी पर थूका है।

श्री अर्जुनसिंह : यह गलत है। मैं सदन से निवेदन करूँगा इस अविश्वास प्रस्ताव को न केवल अस्वीकृत करें बल्कि इस अस्वीकार करने की प्रक्रिया में इस बात को प्रतिष्ठित कर दें इस प्रदेश के अन्दर काँग्रेस पार्टी के सिद्धांतों के अनुरूप एक जनकल्याणकारी शासन को अपना कार्य करने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम के आधार पर मार्ग प्रशस्त है, इस बात की जानकारी इस प्रदेश की जनता को हो। वह इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ इस सदन के मत से संतुष्ट होगी, ऐसी मेरी आशा है।

श्री रमाशंकर सिंह (रौन) : सभापति महोदय, मैं संक्षेप में कहूँगा। श्रीमान हिटलर ने हमेशा अपने आपको दूसरे रूप में रखा है। उसकी तरफ से जो कुछ हुआ उसके लिए वह कहता था राष्ट्रीय समाजवाद के लिए, नेशनल सोशलिज्म के लिए जरूरी है और जरमन कौम के लिए फलाना काम जरूरी है इसलिए कर रहा हूँ।

आप जो राज्य सुरक्षा विधेयक ला रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हरिजन महिलाओं और महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वालों को बन्द करेंगे, अशांति फैलाने वालों को बन्द करेंगे, डिटेन करेंगे, मैं कहना चाहता हूँ इस विधेयक से आपकी दिखाने की मंशा जरूर है लेकिन कुछ दिनों में यह बात सदन और जनता के सामने साबित हो जायेगी कि इसके पीछे आपकी मंशा तानाशाही प्रवृत्ति की होगी, सामंतशाही प्रवृत्ति भी होगी, पूँजीवादी प्रवृत्ति भी होगी। क्योंकि आज काँग्रेस पार्टी इन्हीं तीनों के नेतृत्व में चल रही है और जितनी भी बातें अविश्वास के प्रस्ताव में उठाई गई थीं उनका किसी का भी जवाब माननीय अर्जुनसिंह जी के पास है ही नहीं तो वे उनका उत्तर देंगे ही कहाँ से? केवल एक ही बात है और वह है सुरक्षा कानून की।

श्रीमती जया बेन : महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनेगा। यह आरोप रोक नहीं सकते।

श्री नवीन कोचर : महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है। आप इन्दौर में जाकर देखिए?

श्री सुन्दरलाल पटवा : माननीय सभापति महोदय, इस सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने अविश्वास पर बहस का उत्तर दिया। मैं उनसे अपेक्षा करता था कि भाई शीतला सहाय जी जो तथ्य आपके सामने रखना चाहते हैं उन्हें सुन कर आप उत्तर देते लेकिन आपने ऐसा नहीं होने दिया और अपनी सहनशीलता का परिचय नहीं दिया। आपने योजना के बारे में कुछ नहीं कहा, बजट के बारे में कुछ नहीं कहा, प्रदेश के विकास के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में आपने बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या किया आप केवल बीस सूत्रीय कार्यक्रम की माला जप रहे हैं और केवल प्रचार का स्टंट लेकर चल रहे हैं इसके बारे में भी आपने इन तीन-चार महीनों में क्या कोई स्टेप उठाया है? आपसे मैंने कानून और व्यवस्था की बात कही।

ग्वालियर की स्पेसिफिक घटना बताई और सीहोर की स्पेसिफिक घटना तो आपकी मौजूदगी में ही हुई। हमें

आप कहते हैं कि हमने 25 हजार दे दिये, और 5 करोड़ दे दिये, मैं आपसे पूछता हूँ कि मीसा में हमने लोगों को बंद किया था या आपने किया था?

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, ऑन ए प्वाइंट ऑफ ऑर्डर, सभापति महोदय, 10 बजे तक का समय था और वह समय समाप्त हो गया है।

सभापति : दो मिनट और हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : सभापति महोदय, जो रेसपोन्सिबिलिटी मीसा बन्दियों के परिवारों के लिए हमने पूरी की क्या मानवीय आधार पर उसे आप उचित नहीं समझते? आप केवल उसी का प्रचार और प्रसार का साधन बना रहे हैं। आपके पास मूल प्रश्नों का कोई उत्तर है? नहीं है। आपने कहा कि हमने तथ्य नहीं बताये।

तथ्य हमारे पास थे लेकिन जो तथ्य हम बताना चाहते थे वे आपने हमें बताने नहीं दिए और जो हमने कुछ बताये भी उनका आपके पास कोई उत्तर नहीं है फिर किस नाम से आप कानून और व्यवस्था की बात करते हैं। आप जिस रास्ते पर चलकर ठोकर खा चुके हैं उसी पर फिर जा रहे हैं।

यह हम नहीं ले जा रहे हैं, आपका विनाश आपको ले जा रहा है। (हँसी) आज आप हँस सकते हैं परन्तु यह तो वक्त बतायेगा। आप दमन की नीति अख्यार करना चाहते हैं। आप बिना मुकद्मा चलाए नजरबन्दी का कानून लागू कर रहे हैं आप लोकतंत्र को समाप्त करने जा रहे हैं। आपने इन तीन महीनों में अपनी असफलता स्वीकार कर ली है इससे ज्यादा असफलता और आपकी कौन सी होगी।

सभापति महोदय, मैं तो मुख्यमंत्री से ऐसे उत्तर की अपेक्षा करता था कि हम नागरिकों की इस प्रकार से सुरक्षा करेंगे। हमने पुलिस का मनोबल बढ़ा दिया है। हम और दिनों दिन जीवन की सुरक्षा का प्रयास करेंगे वह आप नहीं कर सकते। आपकी पार्टी आज लड़खड़ा रही है। आप हमारी फेल्योर की बातें करते हैं, यह प्रस्ताव जो आज अविश्वास का आपके ऊपर रखा गया है वह हमारी फेल्योर पर नहीं है यह आपके ऊपर है। बहस आपकी जिम्मेदारी पर हो रही है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही कहा कि मैं बहस नहीं कर रहा हूँ लेकिन जिस प्रकार से आपने जो वातावरण बनाकर समूचे समाज में विकृति पैदा की, तो मैं क्या बताऊँ। अब उसमें हम सुधार करेंगे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, वह प्रक्रिया बहुत पुरानी रही है आप नजरबन्दी का कानून लाये हैं फिर भी आप सबक न लेकर विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। पता नहीं आगे इस प्रदेश को क्या और भुगतना पड़ेगा। इतिहास से आप सबक सीखिए और खतरनाक खेल खेलने के रास्ते पर आप आगे मत बढ़िए।

सभापति : अब मैं इन दोनों प्रस्तावों पर एक साथ मत लूँगा। प्रश्न यह है कि —

1. यह सदन मन्त्री परिषद में अविश्वास व्यक्त करता है।
2. यह सदन श्री अर्जुनसिंह के नेतृत्व में गठित मन्त्रिमण्डल के प्रति अविश्वास प्रकट करता है।

(प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ)

सभापति : यदि सदन की अनुमति हो जाये तो यह आधे घण्टे की चर्चा जो कार्यसूची में है हो जाए?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : हम सहमत हैं।

श्री कृष्णपालसिंह : सभापति महोदय, कल के लिए रख दीजिए।

श्री कैलाश जोशी : सभापति महोदय, बड़े खेद की बात है कि आपके नेता तो बैठे हैं और माननीय सदस्य भागने की कोशिश कर रहे हैं?

श्री सुन्दरलाल पटवा : सभापति महोदय, जिस समय इस अविश्वास प्रस्ताव का समय निर्धारित किया था उसी समय इस आधे घण्टे की चर्चा का समय भी निर्धारित किया गया था। तो आधे घण्टे की चर्चा आज ही होनी चाहिए।

सभापति : अधिकतर माननीय सदस्य चाहते हैं कि आधे घण्टे की चर्चा कल ली जाए। इसको मैं कल के लिए रख देता हूँ।

सभापति : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 19-1-80 के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/18 सितंबर 1980, पृष्ठ/ 2555-2564)

उज्जैन संभाग में मीसाबंदियों को उद्योग के लिए कर्ज में दी गयी राशि और उसकी वसूली के बारे में की गई कार्रवाई से संबंधित तारांकित प्रश्न सदस्य श्री राजेन्द्र जैन ने मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह से पूछा—

डॉ. राजेन्द्र जैन : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में किन-किन मीसाबंदियों के किस-किस उद्योग या प्रयोजन के लिए किस दिनांक को कितनी-कितनी धनराशि कर्ज पर 31-5-80 तक दी गई? (ख) क्या उक्त प्रकार से दी गई धनराशि की वापसी नियमानुसार हो रही है? (ग) यदि नहीं हो रही है तो शासन ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? (घ) फरवरी 1980 में विधानसभा भंग होने के पश्चात् किन-किन मीसाबंदियों को ऋण दिया गया है उनके नाम व धनराशि क्या हैं?

श्री अर्जुनसिंह : (क) 31-3-80 तक स्वीकृत ऋण ग्रहीताओं की सूची पुस्तकालय में रखी है उसके पश्चात् स्कीम समाप्त हो गयी (ख) मूलधन की किस्तें अभी देय नहीं हैं। ब्याज की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। (ग) जिन मीसाबंदियों ने ब्याज की राशि जमा नहीं की है, उनसे दाण्डिक ब्याज वसूल करने हेतु कार्यवाही की जा रही है तथा कुछ प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र भी जारी किए गये हैं। (घ) फरवरी 1980 में विधानसभा भंग होने के उपरान्त निम्नलिखित तीन मीसाबन्दियों को ऋण वितरित किया गया—

(1) उज्जैन : श्री रामचन्द्र आत्मज मोतीलाल, पता रामजी की गली, पवित्र भोजनालय, उज्जैन को दिनांक 21-3-80 को 5,000 रुपये की राशि वितरित की गई। इन्हें पूर्व में 19-2-79 को 20,000 रुपये ऋण दिया गया है।

(2) शाजापुर : श्री हरि मोरेश्वर जोशी, आत्मज मोरेश्वर वामन जोशी, लोकमान्य तिलक विद्यालय, उज्जैन को 25,000 रुपये की धनराशि दिनांक 11-3-80 को दी गई।

(3) मन्दसौर : श्री भवानी दास बैरागी, पिप्लीन तहसील, नीमच को 3790 रुपये दिनांक 31 मार्च 1980 को अनुपूरक ऋण दिया गया है।

डॉ. राजेन्द्र जैन : सूची में श्री हरिभाऊ जोशी का भी नाम है। क्या ये वही हरिभाऊ जोशी हैं जो जनता पार्टी के शासनकाल में शिक्षा मंत्री रहे हैं?

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : उपाध्यक्ष महोदय, यह जानकारी अभी मेरे पास नहीं है लेकिन मैं यह जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्य को दे दूँगा कि यह वही हरिभाऊ जोशी हैं या दूसरे हैं।

डॉ. राजेन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी भले ही Specific उत्तर दें लेकिन जनरल उत्तर तो देना चाहिए। मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ कि जिस तारीख को मीसाबंदियों को यह ऋण दिया गया और जिस कार्य के लिए दिया गया था यदि उस कार्य में उन्होंने उस ऋण को खर्च नहीं किया है तो क्या उनकी जाँच करके उस ऋण को वसूल करने की कार्यवाही करेंगे और जिन लोगों ने जिस कार्य के लिए वह ऋण लिया था उस कार्य में नहीं लगाया है क्या ऐसे लोगों के खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे?

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी यह भी बतला दें कि यह ऋण उस समय का है जब ये शिक्षामंत्री नहीं थे।

श्री अर्जुनसिंह : यह तो तारीख से ही ज्ञात हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय लक्ष्मीनारायण शर्मा द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार .....

श्री विक्रम वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी जानकारी के आधार पर उत्तर दे रहे हैं?

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी के कितने ही सदस्य मुझे क्या जानकारी दे जाते हैं उसका ब्यौरा मैं नहीं देना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बतलाना चाहता हूँ कि यह वही हरिभाऊ जोशी है जो कि शिक्षामंत्री थे और मार्च के अंत तक ऋण देने की प्रक्रिया जारी थी इसलिए उनको ऋण दिया गया। जहाँ तक जिस काम के लिए ऋण लिया गया और उसी में यह खर्च हुआ या नहीं इसकी जाँच की जायेगी।

डॉ. राजेन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा है कि जिन लोगों ने जिस काम के लिए वह ऋण लिया और उस काम में उसे नहीं लगाया है ऐसे लोगों के खिलाफ जाँच करके क्या कार्यवाही की जायेगी?

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यदि नियम के विपरीत खर्च किया गया है तो जो कार्यवाही नियमों के अनुसार होना चाहिए वह की जाएगी।

डॉ. राजेन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में कहा था कि मीसा बंदियों में ऐसे लोगों को भी ऋण दिया गया है जो सजायाफ्ता थे या पुलिस में जिनका रिकार्ड है और जिनका कोई राजनीतिक जीवन नहीं है ऐसे लोगों को भी जनता पार्टी ने ऋण दिया। क्या ऐसे लोगों के नाम वे बतला सकेंगे या केवल जनता पार्टी को बदनाम करने के लिंए ही उन्होंने यहाँ सदन में कह दिया था?

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश की जानकारी तो नहीं मिली है केवल 21 जिलों की जानकारी मिली है। उसके अनुसार 25 असामाजिक तत्वों को यह ऋण दिया गया था। जो कि ग्वालियर, भोपाल आदि के हैं।

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तो पूछा ही नहीं गया है। यह जो प्रश्न कर रहे हैं वह इस प्रश्न से हटकर है लेकिन उसका फिर भी उत्तर दिया जा रहा है। यह क्या है?

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : डॉ. जैन ने उज्जैन सम्भाग के बारे में पूछा है तो मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश की जानकारी देना चाहते हैं हमारे माँगने पर नहीं दे रहे हैं।

श्री विक्रम वर्मा : यदि वे पूरे प्रदेश की जानकारी देना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। भविष्य में भी इस प्रकार की पूरे प्रदेश की जानकारी पूछे जाने पर दिया करें।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : नागू की जानकारी छिपा लीजिए?

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : उपाध्यक्ष महोदय, आप जो जानकारी चाहते हैं और देने के लिए कहेंगे वही हम देंगे जो नहीं कहेंगे वह नहीं देंगे।

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद माननीय सदस्यों को इस प्रकार की जानकारी देने में किसी प्रकार की परेशानी होगी। प्रश्न यह नहीं है कि उन्होंने एक बात का उल्लेख कर दिया राजेन्द्र जैन ने पूछा कि कल मैंने सदन में अपना जो भाषण दिया था उसमें मैंने जिन तथ्यों का उल्लेख किया था उस संदर्भ में निश्चित रूप से मेरे पास वह जानकारी नहीं थी। मैं बिना जानकारी के सदन में कोई बात नहीं कहता। कल उसी समय माननीय जैन ने जानकारी चाही थी तो वह जानकारी मेरे पास कल उपलब्ध थी इसीलिए वह अभी प्रस्तुत की जा रही है। ऐसा नहीं है कि इस प्रश्न के लिए जो जानकारी माँगी जा रही है वह न देने का सवाल नहीं है। यदि आप चाहते हैं तो वह जानकारी नहीं दी जायेगी।

श्री शीतला सहाय : उपाध्यक्ष महोदय, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है और वह यह है कि कल मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि सारे प्रदेश में असामाजिक तत्वों को जो ऋण दिया गया था उसकी जानकारी है और उसके आधार पर आज प्रश्न पूछ लिया—

डॉ. राजेन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है—

श्री शीतला सहाय : मैं अभी प्वाइंट ऑफ ऑर्डर पर ही बोल रहा हूँ।

उपाध्यक्ष : अभी शीतला सहाय जी का प्वाइंट ऑफ ऑर्डर चल रहा है। आप बैठ जायें।

श्री शीतला सहाय : अभी श्री मुनिप्रसाद जी शुक्ल ने कहा कि सारे प्रदेश की जानकारी मेरे पास नहीं है कुछ जिलों की है। याने मुख्यमंत्री का यह कहना कि कल चूँकि मैंने अपने भाषण में कहा कि सारे प्रदेश की

जानकारी मेरे पास थी और अभी श्री शुक्ल जी द्वारा कहा जा रहा है कि मेरे पास सारे जिलों की जानकारी नहीं है कुछ जिलों की ही है ऐसा फार फेच्ड जो संबंधित जानकारी है वह दी जा रही है। तो उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह बात ठीक है कि इस प्रकार के प्रश्नों की जानकारी दी जाये। क्या यह व्यवस्था आगे भी लागू रहेगी।

उपाध्यक्ष : जो प्रश्न है उसी से सम्बन्धित जानकारी दी जाये, इससे अधिक नहीं।

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो समस्या खड़ी हो गई है इसकी गुत्थी इसी में हल हो जावेगी कि हम अपनी ओर से जानकारी नहीं देंगे।

(व्यवधान)

श्री विक्रम वर्मा : नहीं। आप तो पूरे प्रदेश की जानकारी दे दीजिए।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : हम जानना चाहते हैं कि हमारी सरकार ने कौन-कौन से असामाजिक तत्वों को कर्जा दिया है?

श्री बाबूलाल गौर : पक्षपातपूर्ण ढंग से मन्त्री जी हमारे प्रश्न की जानकारी नहीं देना चाहते। यदि उनके पास जानकारी नहीं है तो हमें कैसे प्राप्त होगी?

श्री शीतला सहाय : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछने हैं। मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि क्या मीसाबंदियों को ऋण देने की यह व्यवस्था कि केवल राजनैतिक बंदियों को ही ऋण दिया जाये और कलेक्टर इसका रिकार्ड देखकर कि यह राजनैतिक बंदी है ही, वह देगा, नियम का पालन किया गया।

श्री अर्जुनसिंह : व्यवस्था का ही तो दुरुपयोग किया जा रहा है, यहाँ कल मैंने कहा था कि प्रदेश के अंदर कई असामाजिक तत्वों को मीसाबंदी ऋण के अंतर्गत ऋण दिया गया है इसलिये वह जानकारी कल मेरे पास थी।

श्री शीतला सहाय : उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री अर्जुनसिंह : मुझे सुन लीजिए मैं क्या जानकारी नहीं दूँ? मैं कहता रहा हूँ कि व्यवस्था का ही दुरुपयोग किया गया।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : अभी मन्त्रीजी जो सूची बता रहे थे। जिसमें मीसाबन्दियों को ऋण दिया गया था वह सूची अब बता दीजिए।

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय अब नहीं बताई जायेगी। कभी कहते हैं, बता दीजिए कभी कहते हैं क्या बता रहे हैं यह कोई खेल है?

(व्यवधान)

श्री रमाशंकर सिंह : कितने काँग्रेसी विधायक हैं जिन्होंने मीसाबंदी का ऋण लिया था?

श्री विक्रम वर्मा : वही लोग असामाजिक तत्वों में पकड़े गये थे क्या?

श्री बाबूलाल गौर : क्या मंत्री जी को मालूम है कि भोपाल के लक्ष्मणदास केसवानी जो कि भूतपूर्व अध्यक्ष थे काँग्रेस कमेटी के और आजकल काँग्रेस के कार्यकर्त्ता हैं उन्होंने भी मीसाबन्दियों का ऋण लिया था? (व्यवधान)

श्री विनय दुबे : मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जनता पार्टी के भूतपूर्व संसद सदस्य स्वनाम धन्य हुकुमचन्द कछवायै ने अपने भाई नारायण कछवायै इन दोनों ने मिलकर शासन का 50 हजार रुपया वसूल लिया है। इसी प्रकार से जनता पार्टी के भूतपूर्व विधायक शिवनारायण एवं उनके लड़के नरेन्द्र चौधरी ने 50 हजार रुपया शासन का हड़पा है। क्या यह नैतिक नियमों के अधीन था?

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : जनता पार्टी ने जिन मीसाबंदियों को ऋण दिया था उनकी सूची देखना चाहते हैं कि हमने क्या गलती की थी, कितने असामाजिक तत्वों को ऋण दिया था जो आज काँग्रेस के प्रमुख कार्यकर्त्ता बने हुए हैं।(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा उसके लिए पूर्व सूचना चाहिये। क्या मैं यह बता दूँ कि कितने आर.एस.एस. के लोगों ने माफी माँगी थी?

श्री रमाशंकर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मुख्यमंत्री जी बार बार फाइल उठाते हैं और पटकते हैं क्या वे हमको धमका रहे हैं अगर उनके पास कोई जानकारी है तो वे उसको बतायें?

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जून 1978 से फरवरी 1980 तक जनता पार्टी शासन काल रहा है उस समय में इस सदन में प्रश्न पूछे गये हैं उनका उत्तर जनता पार्टी के मन्त्रियों ने जो दिया है उसको देख लीजिए।

जहाँ तक किसी को धमकी देने का सवाल है, मैं निवेदन करूँगा कि धमकी देना मुझे आता नहीं और न किसी की धमकी से डरना आता है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जानकारी किसी प्रश्न के संदर्भ में आएगी तो मैं निश्चित जानकारी दूँगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। जानकारी नहीं दी तो आपके शासन ने नहीं दी, इसलिए यह बात आप मेरे ऊपर मत लाइये।

मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि श्री जैन सा. ने कोई विशिष्ट जानकारी किसी व्यक्ति के बारे में चाही, इस समय मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है, इसकी पूर्व सूचना मिल जाये, जिसके बारे में पूछा है, वह मुझे मिल जाये तो मैं दे सकता हूँ।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा कि प्रदेश भर के असामाजिक तत्वों की सूची मेरे पास है और यह फाइल है और उसके बाद उन्होंने कहा कि इमर्जेन्सी में माफी माँगने वालों की सूची मेरे पास है। मेरा कहना है कि वह उन दोनों सूचियों को आज प्रस्तुत कर दें।

श्री अर्जुनसिंह : आप गलत बयानी मत करें। आपको प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाने का अधिकार है, लेकिन गलत बयानी करने का अधिकार नहीं है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक असामाजिक तत्वों की बात थी मैंने यह कहा था कि मीसाबंदियों की सूची में जिन लोगों को ऋण दिया गया है, उनमें कई असामाजिक तत्व भी शामिल हैं। मैंने कोई फाइल नहीं उठाई है। दूसरी बात मैंने यह कही कि जिन लोगों ने माफी माँगी थी उन लोगों के सम्बन्ध में फाइल उठाई थी।

श्री शीतला सहाय : मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर यह है कि असंबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री जी ने मीसा के समय जिन्होंने माफी माँगी है उनकी फाइल उठा करके धमकी देने की बात कही है। मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूँ कि जब मुख्यमंत्री के पास जानकारी है तो क्या उन्हें उस जानकारी को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए एक बात और दूसरी बात यह है कि प्रश्न असंबद्ध था। इसमें कोई शंका नहीं है।

जब सरकार जवाब देना चाहती है तो कौन असामाजिक तत्वों को ऋण दिया गया उसकी भी जानकारी इस सदन में दी जाये। और मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूँ कि जब सरकार इस प्रकार की जानकारी से आज सज्जित है तो उनसे जानकारी ली जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष : इस प्रश्न के संबंध में और इस समय मैं यह व्यवस्था नहीं दे सकता कि इस विषय की जानकारी दी जाये जानकारी देने का मौका जब आये तो वह देंगे। नियमानुकूल अभी वह उठा नहीं है।

श्री शीतला सहाय : धमकी भरे शब्दों में मुख्यमंत्री जी ने मीसा में माफी माँगने वालों की फाइल बताने की जो बात कही है उसको कृपा करके निकाल कर यहाँ उत्तर देना चाहिए।

श्री अर्जुनसिंह : जब मैंने कल कहा था, उस समय आपके मुँह से नहीं निकला। (व्यवधान)

श्री शीतला सहाय : आज जानकारी देने में क्या तकलीफ है? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष : जब अध्यक्ष खड़े हों तो सदस्यों को बैठ जाना चाहिए। पहले वर्मा जी फिर धुवारा जी का प्वाइंट ऑफ ऑर्डर सुनूँगा। बाद में अन्य सदस्यों को सुनूँगा। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल गौर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि मुख्यमंत्री आक्रोश में आकर उत्तर दे रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष : जब मैंने नाम पुकार दिये तो किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

श्री विक्रम वर्मा : माननीय मुख्यमंत्री जी मीसाबंदियों के संबंध में एक असामाजिक दूसरे राजनैतिक तत्वों के संबंध में इस प्रकार दो प्रकार के विभेद करके चल रहे हैं। वे मीसाबंदियों के ऋण के बारे में बार-बार कह रहे हैं कि असामाजिक तत्वों को ऋण दिया।

मैं मुख्यमंत्री जी से प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से एक बात जानना चाहूँगा कि जब आपने मीसा में लोगों

को बन्द किया था तो क्या उस समय इस तरह का क्लासिफिकेशन गिरफ्तारी वारंट में दिया गया था कि असामाजिक गतिविधियों के कारण बन्द कर रहे हैं या राजनैतिक कारणों से बन्द कर रहे हैं ऐसी व्यवस्था दी गई थी इसका उत्तर ही माननीय मुख्यमंत्री जी दे दें।

उपाध्यक्ष : यह प्रश्न नहीं उठता न यह प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। (व्यवधान)

श्री विक्रम वर्मा : बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था का प्रश्न है और मुख्यमंत्री जैसे गरिमामय व्यक्ति को इसका स्पष्ट उत्तर देना चाहिए क्योंकि जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा तब तक ये मीसाबन्दी ऋण की सारी व्यवस्था। (व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय आप प्रश्न पूछिये मैं उत्तर दूँगा लेकिन तत्काल नहीं। (व्यवधान)

श्री कपूरचन्द धुवारा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मुख्यमंत्री महोदय ने बिना पूछे जानकारी देना चाही मीसा में माफी माँगने वालों की तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूँगा कि उज्जैन जिले में कामरेड भैरव भारती को मीसा में बन्द जेल में मार डाला था? कितने मीसाबंदियों को जेल के अंदर मार डाला गया? इसकी भी ये जानकारी दे दें यह व्यवस्था चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष : मार डालने का प्रश्न नहीं उठता। (व्यवधान) मौत का प्रश्न नहीं ऋण देने का प्रश्न है जब वह प्रश्न आएगा तो उसका मौका आपको दूँगा। (व्यवधान)

श्री रमाशंकर सिंह : (व्यवधान के बीच) अध्यक्ष महोदय, मैंने शार्ट नोटिस क्वेश्चन दिया था। उनके पास जानकारी होती तो जवाब आ गया होता ..... (व्यवधान)

श्री कपूरचन्द धुवारा : (व्यवधान के बीच) उपाध्यक्ष महोदय, मीसाबन्दी में उज्जैन में एक मृत्यु हो गई। अगर आप पर पूरी जानकारी नहीं है तो उज्जैन की जानकारी दे दीजिए। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल गौर : (व्यवधान के बीच) मुख्यमंत्री जी ने बताया कि मीसाबन्दी में जो बन्द थे उन्होंने माफी माँगी। मीसा बन्दी में मैं भी था अगर मुख्यमंत्री जी के पास मेरे संबंध में कोई दस्तावेज हों कृपया उसे पेश करें ..... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री प्रकाश सोनकर : (व्यवधान के बीच) अध्यक्ष महोदय, मीसा के तहत युवक काँग्रेस ने जनता के लोगों को गुण्डा करार देकर बन्द किया। मैं नाम गिना सकता हूँ (व्यवधान) उन लोगों को 25000, 25000 हजार रुपये दिए थे क्या उनकी भी जाँच होगी और उन्हें जो काँग्रेस के पदों पर हैं उन्हें काँग्रेस से निकाला जावे।

श्री बैजनाथ सक्सेना : (व्यवधान के बीच) मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर वह असामाजिक तत्व नहीं थे तो कैसे जेल में बन्द किए जाते। कैसे उन्होंने ऋण प्राप्त किया (व्यवधान) यह ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं चूँकि इन्होंने स्वयं ऋण वितरित किया है।

उपाध्यक्ष : यह आपका व्यवस्था का प्रश्न है?

श्रीमती जया बेन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूँ कि रायपुर जिले में कितने लोगों ने जो मीसा में बन्द थे माफी माँगी। कितनों को ऋण दिया गया?

श्री नगीन कोचर : अध्यक्ष महोदय, मेरी तबियत खराब है अतः आज चिल्लाकर नहीं बोल सकता। मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ पर मुख्यमंत्री जी तो चले गए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब मीसा में गिरफ्तारी हुई थी तब स्पष्ट निर्देश थे राजनैतिक कैदी अलग थे, असामाजिक तत्व और आर.एस.एस. तीनों अलग-अलग थे। मैं जानना चाहता हूँ इस प्रकार के निर्देश किसने दिए थे। अध्यक्ष महोदय मैंने उज्जैन संभाग के बारे में पूछा है? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आपने जो प्रश्न किया उस तरीके से माननीय सदस्यों ने कई प्रश्न किए।

श्री नगीन कोचर : उज्जैन संभाग के कलेक्टर और कमिश्नर को क्या ऐसे निर्देश थे उस समय कि कौन असामाजिक तत्व हैं, कौन राजनैतिक कैदी हैं, उज्जैन संभाग की बात हो रही है।

उपाध्यक्ष : क्या आदेश दिए थे कौन आर.एस.एस., कौन जनसंघ के हैं इस तरह के गिरफ्तार लोगों में?

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : इसकी जानकारी तो बंद कर दी। हमारे पास जानकारी है नहीं और न यह प्रश्न से उद्‌भूत होता है।

(व्यवधान)

श्री नगीन कोचर : अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश की जानकारी है उसकी जानकारी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : काफी चर्चा हो चुकी है।

डॉ. राजेन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। मैंने एक प्रश्न उठाया था। श्रीमान् ने व्यवस्था दी है चूँकि उज्जैन संभाग के अलावा जानकारी मन्त्री महोदय, के पास होने के बावजूद नहीं दे सकते तो मेरी व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जिस प्रकार से इस सदन में आपने आदेश दिया है क्या हमारी जनता पार्टी के विधायक महोदय भी भविष्य में इसका पालन करेंगे? एक महत्वपूर्ण परम्परा है कि अगर मंत्री महोदय के पास जानकारी है तो एक-एक माननीय जनता पार्टी के सदस्य ने दस-दस, बीस-बीस प्रश्न पूछे हैं और माननीय मन्त्री महोदय ने जानकारी दी है केवल मेरे प्रश्न के ऊपर जानकारी होते हुए भी नहीं दी।

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री नगीन कोचर : मैं आज ही लेट आया विधानसभा में और मेरा पाँचवा प्रश्न छूट गया। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : परम्परा यह है कि प्रश्न काल के अन्दर अगर सब प्रश्नों के बाद समय रहा तो समय देंगे अन्यथा नहीं है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/19 सितंबर 1980, पृष्ठ/2567-2572)

19 सितंबर 1980 को मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने आदिवासी-हरिजन विमुक्त जाति के छात्रों को दूर-दराज के इलाकों में छात्रावास सुविधा बढ़ाने की घोषणा करते हुए सदन में वक्तव्य दिया—

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : उपयोजना क्षेत्र में तथा उपयोजना क्षेत्र के बाहर आदिवासी-हरिजन विमुक्त जाति के छात्रों को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने बाबत निम्नलिखित नीति विषयक निर्णय लिये गये हैं—

(1) उपयोजना क्षेत्र में संचालित सभी कन्या उच्चतर माध्यमिक शालाओं के साथ छात्रावास होना आवश्यक है। इस नीति के अनुसार उपयोजना क्षेत्र की जिन 23 कन्या उच्चतर माध्यमिक शालाओं के साथ छात्रावास नहीं हैं वहाँ 50 सीट वाले कन्या छात्रावास खोले जायेंगे।

(2) बालिकाओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिये उपयोजना क्षेत्र के प्रत्येक विकासखंड में एक कन्या छात्रावास आवश्यक है? इस नीति के आधार पर जिन 106 विकासखंडों में कन्या छात्रावास नहीं हैं वहाँ प्रत्येक में 50 सीट वाले छात्रावास खोले जायें।

(3) उपयोजना क्षेत्र में वर्तमान में संचालित सभी कन्या छात्रावासों को 50 सीट का बनाने हेतु कुल 2360 अतिरिक्त सीटें भी स्वीकृत की जायेंगी।

(4) वर्तमान में लगभग 82 आश्रमों से स्थानों पर संचालित हैं जहाँ अब प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शालाएँ भी संचालित हैं। इन आश्रमों को अधिक पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ कि इनकी वास्तविक आवश्यकता है स्थानान्तरित कर इन स्थानों पर छात्रावास संचालित करने का निर्णय लिया गया है अतः ऐसे स्थानों हेतु 82 छात्रावास स्वीकृत किये जावेंगे।

(5) उपयोजना क्षेत्र में संचालित सभी उच्चतर माध्यमिक शालाओं के साथ चाहे वह इस विभाग द्वारा संचालित हो या शिक्षा विभाग द्वारा एक छात्रावास संलग्न रहे इस उद्देश्य से न केवल पूर्व से संचालित 62 उच्चतर माध्यमिक शालाओं के स्थानों में एक-एक 50 सीटर छात्रावास स्थापित किया जायेगा बल्कि स्वीकृत 39 नवीन उच्चतर माध्यमिक शालाओं में से जिन 27 स्थानों में छात्रावास नहीं हैं वहाँ 50 सीट वाले छात्रावास खोले जाएँगे तथा जिन 12 स्थानों पर पूर्व से पूर्व माध्यमिक शालाओं के लिए छात्रावास संचालित हैं वहाँ उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए प्रत्येक छात्रावास में 20-20 सीटें बढ़ाई जाएँगी।

(6) उपयोजना क्षेत्र के ऐसे इलाके जो अत्यंत पिछड़े हैं और जहाँ वर्तमान में छात्रावास उपलब्ध नहीं है वहाँ छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 98 छात्रावास खोले जाएँगे।

(7) इतना ही नहीं खेलकूद परिसर योजना के अंतर्गत परियोजना स्तर पर जो 31 बालक और 4 कन्या खेलकूद परिसर खोले गए हैं वहाँ खेलकूद परिसर के विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 700 अतिरिक्त सीटें स्वीकृत की जावेंगी।

(8) उपयोजना क्षेत्र के बाहर गैर-उपयोजना क्षेत्र में भी बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिन 104 तहसीलों में वर्तमान में कन्या छात्रावास नहीं हैं वहाँ एक 50 सीटर कन्या छात्रावास स्थापित किया जायेगा और मैट्रिकोत्तर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये गत वर्ष स्वीकृत तीन कन्या मैट्रिकोत्तर छात्रावास के अतिरिक्त 6 कन्या मैट्रिकोत्तर छात्रावास संभाग मुख्यालय पर खोले जायेंगे।

(9) इस प्रकार पूरे प्रदेश में 318 बालिकाओं के लिए व 195 बालकों के लिए नये छात्रावास खोले जायेंगे और इनके अतिरिक्त छात्रावासों में कुल 3300 सीटें बढ़ाई जायेंगी। आशा है इन छात्रावासों के खुलने पर उपयोजना क्षेत्र व उपयोजना क्षेत्र के बाहर छात्रावास विशेषकर कन्या छात्रावासों की कमी दूर हो जायेगी और आदिवासी हरिजन-बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने में ये छात्रावास सहायक सिद्ध होंगे।

श्री कैलाश जोशी (बागली) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो मुख्यमंत्री जी ने वक्तव्य दिया है वह निश्चय ही स्वागत योग्य है। परन्तु एक बात मुख्यमंत्री जी ने नहीं बताई यह जो निर्णय लिया है इसकी कार्यावधि क्या है क्योंकि कई बार यह होता है कि निर्णय तो हो जाते हैं परन्तु इनकी कार्यावधि तय न होने के कारण फिर समयावधि में उसका निर्माण कार्य नहीं हो पाता। तो आपने इस प्रकार कोई कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है जिसे कार्यावधि में पूरा कर लिया जायेगा?

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इतने ज्यादा छात्रावासों को खोलने की योजना है तो निश्चित ही उसमें थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि इन छात्रावासों के निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर लिया जावेगा और जल्दी से जल्दी इन छात्रावासों का निर्माण पूरा करवाया जायेगा।

श्री दिलीप सिंह चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

उपाध्यक्ष : मैंने आपसे कहा मैं कल देखूँगा। कल के लिए मैंने कहा था।

श्री विक्रम वर्मा : कल प्राथमिकता के ऊपर लें तो अधिक उपयुक्त होगा। कल बहुत से बिल आ जायेंगे इसलिए।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/19 सितंबर 1980, पृष्ठ/ 2629-2630)

इन्दौर नगर निगम ने रोड रोलर्स की खरीदी उस समय की जब श्री सुरेश सेठ निगम के मेयर के पद पर आसीन थे। बाद में वे श्री अर्जुनसिंह के मंत्रिमण्डल में शामिल हुए। सदस्य श्री रमाशंकर सिंह ने रोड रोलर खरीदी में घपले की आशंका के आधार पर आधे घंटे की चर्चा की। श्री सुरेश सेठ ने अपना अत्यन्त भावनात्मक वक्तव्य दिया और अन्त में श्री अर्जुनसिंह ने अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि— "मेरे पास संदेह करने के लिए भी ऐसे कोई तथ्य नहीं हैं कि सुरेश भाई की ओर उँगली उठा सकूँ।" आधे घंटे की चर्चा यहाँ प्रकाशित है—

श्री रमाशंकर सिंह : सभापति महोदय, मैं दूसरी चर्चा शुरू कर रहा हूँ। श्री सुरेश सेठ का मामला भी काफी महत्वपूर्ण है उसमें आधे घंटे से कम समय नहीं लगेगा।

सभापति : आप चर्चा शुरू करिए नहीं तो मैं सदन स्थगित करता हूँ।

श्री रमाशंकर सिंह : आप इस बात का आश्वासन तो दे दीजिए कि मेरी चर्चा का जवाब मुख्यमंत्री महोदय, देंगे इसमें कॉंग्रेस पार्टी एक्सपोज हो रही है। सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय ने चर्चा को स्वीकार किया है और

ये कहते है कि फालतू समय खराब कर रहे हैं।

सभापति : अब आप चर्चा शुरू करिए। थक गए हों तो बात दूसरी है।

श्री रमाशंकर सिंह : श्रीमान् दूसरा एक मामला है, उस पर उनका जवाब जरूर आये, ऐसा न हो कि उनका जवाब न आये। श्रीमान्, ये सुरेश सेठ साहब हैं।.....

श्री सुरेश सेठ : पहले मैं जवाब दूँगा, फिर मुख्यमन्त्री जी जवाब देंगे।

श्री रमाशंकर सिंह : सभापति महोदय, जब से सुरेश सेठ साहब मंत्री बने हैं तब से इनके व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आया है। मैं उसकी तारीफ करता हूँ लेकिन यह मामला उसके पहले का है मैं समझता हूँ कि सुरेश सेठ साहब इसमें कोई मोटिव नहीं रखेंगे। मैं इस दृष्टि से इसे नहीं उठा रहा हूँ कि आपकी व्यक्तिगत बदनामी हो। नियम 52 के अन्तर्गत बहस उठाई गई वह इसलिए कि कोई ऐसी व्यवस्था बने कि जो अपराधी बनाये गए हैं, जिन पर आरोप लगाये गये हैं, उनके प्रकरण को विथड्रा करने की जो शक्ति सरकार के पास है उसका दुरुपयोग न हो, खासतौर से उस समय जब पार्टी सत्ता में हो।

अभी उनकी पार्टी सत्ता में है तो उनके खिलाफ तमाम केसेज को विथड्रा कर लिया जायेगा। जब दूसरी पार्टी आ जाएगी तब अपरिपक्व ही सही केसों को लाद दिया जायेगा। अब ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि इस तरह के केसेज से एक लांछन आता है इसलिए इसे आपकी आज्ञा से लाना चाहता हूँ। सुरेश सेठ साहब महापौर थे इन्दौर म्युनिसपल कारपोरेशन के, एक चक्का कांड हुआ। ये वर्ष 69-70 में महापौर थे। वर्ष 1969-70 में नगर निगम के रोड रोलर्स खरीदने के बाबत कार्यवाही हुई।

दिनांक 19-1-70 को नगर निगम के आयुक्त ने एक पत्र रोड रोलर्स के 6 पहिए खरीदने बाबत् लिखा, जिसकी स्वीकृति निगम की सामान्य सभा द्वारा दी गई किन्तु उसके बाद 6 जोड़ी रोड रोलर्स की माँग की गई क्रमांक 962 द्वारा और 1 लाख 36 हजार 675 रुपये मेसर्स दुबे को पेमेंट किया गया जबकि वस्तुतः मूल्य केवल 24 हजार 491 रुपए होता था।

उसमें इनके साथ एक हिम्मत सिंह व्यापारी हैं, एक रमेश चन्द्र हैं जो नगर निगम के आयुक्त थे, एक पी.के. दीक्षित नगर निगम के कर्मचारी थे। इन्होंने माँग की पहले कुछ और बाद में आवश्यकता दिखाई गई 6 जोड़े रोड रोलर्स की। जिनकी आवश्यकता थी नहीं। उनकी कीमत कुछ थी लेकिन दिखाई गई 1 लाख 36 हजार, जिसका पेमेंट हुआ। आप जानते हैं कि इन्दौर का जो नगर निगम है उसकी हालत आर्थिक रूप से बहुत जर्जर है। बहुत दिनों से जर्जर चली आ रही है। जब सुरेश सेठ साहब मेयर थे तब भी जर्जर थी। जहाँ भी जाइये इंदौर की सड़कों की हालत खराब है। उस स्थिति में इतना ओवर पेमेंट करना या फोर्ज्ड पेमेंट करना बहुत बड़ा मामला था।

श्री बैजनाथ सक्सेना : दबी जवान, से क्यों बोल रहे हैं?

श्री रमाशंकर : काँग्रेस पार्टी की गुटबन्दी ऐसी है कि यह चाहते हैं सुरेश सेठ के खिलाफ जोर से बोला जाए क्या मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि जोर से बोला जाए। मैं अच्छी नियत से बहस को उठा रहा हूँ। इन्दौर में यह मामला मूव होता है, उसके बाद यह मामला बिजलेंस में जाता है वह कहते हैं मामले में दम है, अपराध बनता है। उसके बाद मामला शासन के पास आता है, बहुत दिनों तक पेंडिंग में रहता है फिर शासन के द्वारा अदालत में दिया जाता है, अदालत में सारी कार्यवाही शुरू होती है और चार्ज भी फ्रेम होते हैं। किसी भी कोर्ट में चार्ज फ्रेम होने की स्थिति में आना और जज के द्वारा कहना चार्जेज आर वेल फाउन्डेड, आप समझते हैं क्या होता है। लेकिन इस बीच लोकसभा का चुनाव होता है, इन्दिरा जी की पार्टी और उनके घोर समर्थक श्री सेठ साहब जीत कर आते हैं, उस समय राष्ट्रपति का शासन चल रहा था, उसमें जो रूलिंग पार्टी है, उसकी इच्छाओं का पालन होता है, यह भी जानते हैं और इस इलेक्शन में हुआ भी। लोकसभा में जीतने के बाद विधानसभा के चुनाव हो गये। मैं तारीख बताना चाहता हूँ 6-6-80। जहाँ तक मुझे जानकारी है अर्जुनसिंह 9 जून को मुख्यमंत्री बने, 9 जून को मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्रिमण्डल का निर्माण करना था और सुरेश सेठ साहब चाहते थे कि वह मंत्री हो जायें लेकिन इस बात में सबसे ज्यादा चीज जो आड़े आ रही थी, जो कोर्ट में मुकदमा था जो चीटिंग और फोर्जिंग्स

के बारे में था तो 6 तारीख को एक वायरलेस जाता है और इन्दौर के असिस्टेंट पब्लिक प्रासीक्यूटर डी.के. तांतना को, उसमें कहा जाता है यह केस विथड्रा कर लीजिए। अगले दिन कहा जाता है इस मामले में जल्दी कीजिए केस तुरन्त विथड्रा कीजिए। अगले दिन कोर्ट के अन्दर अप्लीकेशन लगाते हैं, कु. ऊषा शुक्ला, फर्स्ट एडीशनल सेशन जज इन्दौर की अदालत में और उसमें हवाला देते हैं एडीशनल गवर्नमेंट प्लीडर फाइल्स एन एप्लीकेशन under sec. 321 of the cr.p.c. for withdrawal from the prosecution on the ground that the offences of the accused persons, have been charged can not be Substantiated and that it would be the public interest to permit the prosecutor to withdraw from the Prosecution. The additional Govt. pleader also files a true copy of the wireless message.

श्री गंगाचरण मिश्र : आपको खबरें कहाँ से मिलीं, यह मालूम करें।

श्री सुरेश सेठ : वेल इन्फार्म्ड सोर्सेस ने खबरें दी हैं, ऐसा लगता है।

श्री रमाशंकर सिंह : तो यह ऐप्लीकेशन है, जो कोर्ट के अंदर लाई गई है। अभी कुछ दिन पहले स्वयं कोर्ट ने कहा था कि चार्जेज आर वेल फाउन्डेड। सभापति जी, केन्द्रीय सत्ता बदलने के बाद जो अभियोजन पक्ष था अचानक कहने लगा कि चूँकि आरोपों को अदालत में सिद्ध नहीं किया जा सकता है इसलिए उनको सजा नहीं मिल सकती है। और इस प्रकार का वायरलेस मैसेज जो गया है उसमें यही बात थी। मैं तो स्वयं सभापति जी, कुछ नहीं कह सकता लेकिन डिवीजनल सेशन जजेज ने जो फैसला किया उसके विरोध में हाईकोर्ट में अपील कर दी गई और उस अपील में ये ग्राउंड लिए गए हैं। उसमें तमाम फैक्ट्स रखे गये हैं।

सभापति : यह मैटर सब ज्युडिस है इसलिए आप यहाँ वह नहीं कह सकते।

श्री रमाशंकर सिंह : सभापति महोदय, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ जिससे न्यायालय की प्रोसीडिंग में कोई फर्क पड़े। जो ऐप्लीकेशन हाईकोर्ट में सब्मिट हुई हैं उसको पढ़ने का मुझे हक है। जो एप्लीकेशन मूव हुई हैं .....

सभापति : आपके कहने का मकसद क्या है?

श्री रमाशंकर सिंह : सभापति जी मेरे कहने का मकसद यह है कि हाईकोर्ट में यह कहा है कि एडीशनल सेशन जज की अदालत को सी.आर.सी.पी.की धारा 321 के तहत को चेलैंज करने का अधिकार नहीं है और यह विथड्रॉवल जस्टीफाई नहीं है। इसके अलावा सभापति जी, जिन्होंने विथड्रॉवल किया है, वह उपयुक्त व्यक्ति नहीं था लेकिन उसके बाद भी विथड्रॉवल हुआ है। यहाँ से जो वायरलैस मैसेज गया वह यह है कि—

The addi. Govt. Pleader files application under Sec. 321 of the Cr.P.C. for with drawal from the prosecution on the ground that the offences of which accused persans have been charged cannot be substantiated and that it would be in the public interest to permit the prosecutor to withdraw from the prosecution. The additional Govt. Pleader also files a true copy of the wireless message.

सभापति जी, मेरा यह कहना है कि यह तो ठीक है कि इसके बाबत मैं नहीं कह सकता कि जो कुछ जज साहब ने कहा लेकिन सभापति जी, इसके बाद इन्हें वही विभाग दिया गया जिससे संबंधित इन पर आरोप थे। हम सभापति जी, इसको किसी पार्टी के सवाल से नहीं उठाना चाहते। हम तो आपके समक्ष यह बात रखना चाहते हैं कि हमारी सरकार आये तो हमारे तमाम पाप माफ और अगर इनकी सरकार आये तो इनके तमाम पाप माफ। आखिर सार्वजनिक जिन्दगी में ईमानदारी की प्रतिष्ठा कैसे होगी? अगर इसी प्रकार से पाप माफ किए गए तो इस भ्रष्टाचार का खात्मा आखिर कैसे होगा? इसमें लिखा है जो अभियोजन पक्ष की तरफ से एप्लीकेशन है, चूँकि सुरेश सेठ एम.एल.ए. का चुनाव जीत कर आ गए हैं और जनता ने मोहर लगा दी है अतः इसको वापिस किया जाये।

एक माननीय सदस्य : सभापति जी, ईमानदारी से रमाशंकर सिंह जी का क्या संबंध?

श्रीमती जया बेन : आपकी पार्टी जब सत्ता में आई तो जार्ज फर्नान्डीज के केस क्यों वापिस ले लिए गए थे?

श्री रमाशंकर सिंह : मैं सभापति जी, वही तो कह रहा हूँ कि राजनैतिक दलों को इस प्रकार से गलतियों को ढाँपने का अवसर न मिल पाये इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। यह काम आज हो रहा है कि

जिसकी सत्ता आ जाये उस पार्टी के लोगों के पाप ढाँक दिये जाएँ यह व्यवस्था अवश्य बदली जानी चाहिए वर्ना आगे आने वाली जो पीढ़ी है, उसके सामने आपकी प्रतिष्ठा इससे गिरेगी। मेरा यह कहना है कि सेठ साहब के अन्दर पिछले के मुकाबले परिवर्तन आया है लेकिन और अच्छा होता यदि वे अदालत की कार्यवाही से मुक्त होकर यहाँ मंत्री बनकर आये होते लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। केस अदालत से वापिस हो गया। इन्होंने जो केस वापिस किया है वह 6 जून को वापिस किया है और 9 जून को मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री की शपथ होनी थी तो इस तरह से एक आदमी को मंत्री बनाने के लिए उस पर से केस को वापिस लिया गया तो इस तरह से मुख्यमंत्री जी ने एक केस को वापस करवाकर गैर-जिम्मेदारी का काम किया है।

मैं जोर देने के लिहाज से कहता हूँ किसी को बदनाम करने के लिहाज से नहीं कहता हूँ। आज इस केस वापिसी को लेकर जो जनता में बदगुमानी है यदि 6 महीने रुक लिये होते और अदालती कार्यवाही निबट गयी होती और फिर मंत्री बने होते तो दूसरी बात होती मैंने जो यह आधा घण्टे की बहस उठाई है इसका मूल तत्व यही है इसी कारण से मैंने सर्वप्रथम इसको इस विधानसभा में उठाया था।

सभापति महोदय : अब आप खत्म करिए।

श्री रमाशंकर सिंह : श्रीमान यदि आपकी आसन्दी से हुकुम होगा तो मैं बैठ जाऊँगा। सभापति महोदय मेरा उनके प्रति न राग है न कोई द्वेष है!....

सभापति : ठीक है अब समाप्त करिए।

सुरेश सेठ (इन्दौर-5) : सभापति महोदय, माननीय रमाशंकर सिंह जी ने जो आधे घंटे की चर्चा रक्खी है। उसके लिए मैं उनका बड़ा आभारी हूँ उन्होंने जो कुछ भी कहा उसमें मेरा व्यक्तिगत कुछ न कहकर जो भी कहा वह कानून की चीज कही। एक चीज उन्होंने बड़ी अच्छी कही कि सदन में हम मैजोरिटी से कुछ करने लगे हैं वही मेरा भी दुर्भाग्य है कि जिस मैजोरिटी की आप बात करते हैं वही बहुमत से मुझे भी पनिश करने की कोशिश की गई थी।

पहली मर्तबा में बाहर गया और फिर दूसरी मर्तबा बाहर गया और फिर हमेशा के लिए मुझे निकाल दिया गया। सभापति महोदय, आज से 10 साल पहले मैं इन्दौर का मेयर था और 10 साल बाद किसी से यह कहा जावे कि ऐसा क्यों किया आप यहाँ 300 का सदन चलाते हैं मैं वहाँ पर 60 का सदन चलाता था कई निर्णय वहाँ पर लिए गये थे और वे मैजोरिटी के आधार पर ही लिए गए थे। मैं तो केवल सूचना देने वाला हूँ कि आज सदन ने यह कार्यवाही की है और ये-ये निर्णय लिए हैं। तो मैंने ही उसको विजिलेंस में भेजा था क्योंकि जो रिपोर्ट आती है वह सदन में पढ़कर सुनाई जाती है तो 10 साल बाद मुझे कोई कुछ कहें इसलिए मैंने ही वह विजलेंस में भेजी थी वही सदस्यों की राय थी वही मैंने पारित करके भेज दी थी।

यह तो वहाँ के अधिकारियों के देखने का काम है आप और हम नियम बनाते हैं कोई चीज पास करते हैं वह कानून ठीक है या नहीं एक लेना, दो देना। लोहा कहें और सोना खरीदें और सोने का भाव दिया गया यह आप पर आरोप नहीं है मैंने जब एक कमेटी बनाई और उस कमेटी की राय थी कि इसको विजिलेंस में भेजना चाहिए तो सदन में ऐसा प्रस्ताव पास किया किस प्रकार मैं भाग्यशाली हूँ और मैं सिद्धांत की लड़ाई लड़ता हूँ।

सन् 1976 के अन्दर विजिलेंस ने रिपोर्ट दी कि इसमें सुरेश सेठ का कोई संबंध नहीं है। केस खत्म हो चुका है। सन 77 में मैंने चुनाव लड़ा और जीत गया, वह केस पूरा विजिलेंस की डायरी में है। भाई रमाशंकर जी इसको देखें तब फिर बात कहें। आप चाहें तो मेरे बारे में जाँच करा लें। आखिर निर्णय किसने लिया इसमें किस आदमी का संबंध है। किसके कहने पर किस आधार पर इसको हाईकोर्ट में ले जाया जाता है कौन वकीलों को खड़ा करता है यह आप देखें। ऐसे लोगों के कहने से न मैं राजनीति में मरा हूँ और न मरने वाला हूँ। मैं अब तक तीन चुनाव जीतकर आया हूँ पहले जितने मतों से जीत कर आया उससे दुबारा ज्यादा से जीतकर आया और तीसरी बार उससे भी अधिक मतों से जीत कर यहाँ आया।

श्री रमाशंकर सिंह : मैं जरा स्पष्ट कर दूँ। आपको समय मिलेगा और आप बोल ही रहे हैं। (व्यवधान) आप चाहें तो आप अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें कि किन लोगों ने आपके खिलाफ यह किया था, उसका

नाम बता दीजिए।

श्री सुरेश सेठ : इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं जिन्होंने कहा। लेकिन यह अपने दिल में सोच लें, सीने पर हाथ रखकर सोच लें कि भागीदार कौन है। यदि मैं गलत होऊँ तो मैं सदन को छोड़ दूँगा। मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि जो एडवोकेट जनरल गर्ग साहब हैं उनसे कसम दिलवाकर पूछें कि किसने कहा था। मेरा दुर्भाग्य यह है कि मेरे साथ इस प्रकार की बात की गई है।

मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। हो सकता है जो लोग चाहते थे उन्होंने ऐसा किया। आज ही मुझे इन्दौर से टेलीफोन आया कि इस तरह का प्रश्न है जो कि मुझे मालूम नहीं। रात को भी एक साथी ने मुझसे कहा था कि आज आपसे सम्बन्धित आधे घण्टे की चर्चा है सदन में। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस पर आज अपनी बात कहने को मिल रही है।

जो प्रश्न पूछा गया था उसमें क्या कहा गया है इसको मैंने पढ़ा तक नहीं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। प्रश्न करने वाले जानें, जवाब देने वाले जानें। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इन्दौर के अखबार में यह बात छपी कि इस बात पर प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया गया है। ऐसा हुआ होगा, यह कह कर मैंने ध्यान नहीं दिया। आज ऐसे ही मैं सदन मे आया तो मैंने कहा कि मैं इस पर जरूर बोलूँगा और इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया कि मुझे बोलने दिया जाये।

मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि दुनिया में इंसान से कभी-कभी काम करते-करते गलतियाँ भी हो जाती हैं। परंतु यह तो देखें कि दोषी कौन है। क्या मैं अकेला आदमी दोषी हूँ 60 आदमियों के सदन में? क्या मैं अकेला ही करता रहा और मैं ही दोषी हूँ? जब मैं मेयरशिप से हट गया तो पेमेंट किसने किया? उसमें कौन-कौन से आदमे थे? यह काम करवाने वाले कौन थे? यदि फिर से उसकी जाँच कराई जाये इंदौर में तो पता चल जाएगा कि मेरे मेयर काल में कितने मकान बनाये गए? म्युनिसिपैलिटी के मकान किसने हड़प लिए? और वे आज किसके हाथ में हैं?

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिस विभाग का मैं इस सदन में मन्त्री हूँ उस विभाग में न्याय दिलाने के लिए मैं बार-बार भगवान से लड़ता रहूँगा। वह मुझे कभी माफ नहीं करेगा गलत कामों के लिए। इन्दौर में राजवाड़े का प्रकरण हुआ, 15 लाख का केस था लेकिन मुझ पर 90 लाख का केस चलाया गया। मेरे और परिवार पर इन्दौर में बोगस लायसेंस का कांड किसने चलाया? मैंने स्पष्ट बताया था कि इसमें करोड़ों का घोटाला हो रहा है। यदि मेरी नियत बुरी होती तो मैं एक लाख 25 हजार के लिए अपनी इज्जत को बेच सकता था? मैं यहाँ 3-4 माह से मंत्री पद पर बैठा हूँ। मैंने कहीं भी किसी भी तरह से कुछ गड़बड़ी की हो यदि ऐसा कोई बता दे तो उसके लिए जो सजा होगी वह मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। आज मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे अपनी बात साफ करने का मौका दिया गया है।

सभापति महोदय, मैं आपको विश्वास दिलता हूँ कि आप जिसकी कसम कहो वह मैं खाने को तैयार हूँ। मैं अपने माँ-बाप की, भगवान की कसम खाने को तैयार हूँ कि मैंने ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा। किसने कहा उससे जाकर पूछा कभी, उसने अन्याय किया है तो मैं हट भी जाऊँगा। पर मैंने नहीं कहा न मैंने मंत्री बनने के लिए कहा न मैं दिल्ली गया। कल आपने कहा कि श्रीमान् मैं केवल दो बार दिल्ली गया हूँ दो दिन के लिए जब मैं यहाँ पर मन्त्री बना तो जिसने मुझे बनाया उससे निवेदन करने उसके दर्शन करने गया और दूसरी बार एक मेरे विभाग का आदमी या मेरे परिवार का कोई आदमी चला गया यह मेरी गलती जरूर हुई कि वहाँ पर जाकर मैंने भत्ता लिया मैं वहाँ पर एम.पी. हाउस में नहीं ठहरा न किसी होटल में ठहरा उसी जगह ठहरा जहाँ हमेशा ठहरता हूँ। सिसोदिया जी के यहाँ ठहरा जहाँ वर्षों से ठहरता हूँ। आपने जो क्वेश्चन पूछा अब आने वाले समय मैं बराबर ध्यान रखूँगा। कभी भी कोई ऐसे काम के लिए जाऊँगा तो यहाँ जिस तरह से आपको फर्स्ट क्लास का टिकिट मिलता है। उसी आधार पर मैं भी चला जाऊँगा और भत्ता नहीं लूँगा, कोशिश करूँगा मैं अपने आपको सुधारने की। अच्छा है आपने मेरा ध्यान आकर्षित कर दिया। इससे आप ध्यान लगाइए कि कैसेज तो बहुत से बिथड़ा होते हैं। जिस दिन हम यहाँ हाउस में आए थे जिस दिन यहाँ पर मंत्री बन कर आये थे। उसी दिन यह

क्वेश्चन हुआ था। उसी दिन मेरा दिन था। आदमी किसी बारे में कुछ भी कह दे और सुने नहीं। तो दिल में आएगा कि नहीं आयेगा। मैं आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कहूँ और कभी मैं आपको बोलने का मौका नहीं दूँ, मैं सदन के अन्दर रोज कहता हूँ कि यहाँ पर जिस किसी ने कहा हो, हो सकता है कि मेरे साथी मुझसे बहुत से नाराज हो गए हों कि आप ऐसी कैसी बातें करते हैं जनसंघियों के आरोप हैं। जनता पार्टी का आरोप है आप कैसे कहते हैं कि उसको नियमानुसार दिए गए हैं। अरे भाई हर एक के बच्चे होते हैं। हर एक का परिवार है कभी किसी ने कोई मकान बना लिया या किसी ने जमीन ले ली तो कोई पाप का काम किया है।

हमारा भी आज तीस साल से शासन है। आप हम तो सब जिन्दा रहने वाले हैं उस समय मैं भी मैंने कहा मैं जानता हूँ कि आज के जमाने में लम्बे समय तक राज करने का वक्त चला गया है। एक जमाना था जब लम्बे समय तक राज कर लिया। कभी हम अपनी दिक्कतों को, तकलीफों को, यह जो काम गलत है उसको कभी दोहराने की बात करेंगे तो आने वाला समय किस के हाथों में जायेगा यह नहीं कहता हूँ। हो सकता है कभी मेरे पर कोई आरोप लगा हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इन्दौर की जनता मुझे जानती है, अच्छी तरह से पहचानती है। आप आइए, और वहाँ पर जनमत ले लीजिए। आप किसी से पूछ लीजिए सौ आदमी इकट्ठा कर लीजिए। जो कह देंगे कि सुरेश सेठ ने ऐसा करा हो आप मेरे भाई हैं छोटे भाई हैं, मेरे कहने से आप से निवेदन है कि कोई मुझसे नाराज है राजनीति में। वह मेरे बड़े भाई जैसे हैं उनको कई बार मैं समझा चुका हूँ, कह चुका हूँकि जिन्दगी के अन्दर हजारों आदमी बैठे रहते हैं। कोई पहले मरता है कोई बाद में मरता है। तुम अपना धन्धा करो मैं अपनी राजनीति में रहूँगा। तुम अपने काम से जाओ तुम अपने परिवार के काम करो तुम्हारा परिवार आगे बढ़ा रहे भगवान करे इतना आगे बढ़ जाये, इतनी धन दौलत आ जाए कि मैं उसके दर्शन भी नहीं करना चाहूँ। मैं आपसे पुनः कहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दें इसके पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कभी आप मेरी बात से सेटिसफाई हों तो कृपा करके .....

श्री रमाशंकर सिंह : आपकी भावनाओं से हम सहमत हैं लेकिन यह तो कानूनी बात है।

श्री सुरेश सेठ : कानून के अन्दर आप कुछ भी कर सकते हैं। किस के खिलाफ केस चला, क्यों हटाया यह बात की बात है। अभी आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लें। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं। मैंने यहाँ पर 13 तारीख की ओथ ली और इण्डियन एक्सप्रेस में आठ रोज के बाद फ्रन्ट पेज पर यह लिखा दिया कि सुरेश सेठ पर केस है फिर वह केस उठा लिया गया। मुझे आठ-दस रोज बाद पता लगा और देहले में मैंने पढ़ा और आई वाज सरप्राइज्ड दी केस वाज विथड्रॉन एण्ड व्हेन इट वाज, पब्लिश्ड आन द फ्रन्ट पेज इन सच ए विग न्यूज पेपर हाऊ एण्ड वाय हू हैज रिक्वेस्टेड एण्ड हू हैज आरगैनाइजिंग। यह कहने की बात नहीं है। फ्रन्ट पेज पर फ्रन्ट लाइन में सुरेश सेठ का नाम आया। श्रीमान, मैं इन्दिरा गांधी के साथ प्रदेश के अन्दर उस समय गया हूँ जब बहुत कम लोग थे कभी मेरे दिल और दिमाग में कुछ होता तो मैं हाथ जोड़ लेता हमारे सखलेचा जी के पास जाके।

मेरे को आपसे निकालो नहीं मैं माफी माँगता हूँ मुझे फिर से रख लीजिएगा। जिस दिन से आपने मुझे सदन से निकाला मैं भोपाल नहीं आया। सदन के अन्दर कभी नहीं आया। मैंने कहा कि हमें क्या लेना देना है जिस जगह से हट गए 10 साल पहले मेयर था आज तक म्युनिसिपैलिटी के अन्दर नहीं गया।

मैं यहाँ पर मेरे इतने मंत्रीगण हैं मैं कहता हूँ मैंने किसी से ट्रांसफर के लिए नहीं कहा। मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। इंदौर में मैं वर्षों से पला पोसा हूँ आप वहाँ पर किसको भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, और किसे पूछकर भेज रहे हैं। यह भी नहीं पूछा। न किसी अधिकारी को टेलीफोन किया जरा मेरे पर विश्वास रखिए।

हो सकता है मैं यहाँ पर पार्टी के नाते बैठा हुआ हूँ पर मेरे को आप बल दीजिए। मेरी गलतियों को कमरे में आकर समझा दीजिए। जीवन के अंदर गलतियाँ हो सकती हैं। पर मैंने यह गलती नहीं की मैं आपसे आशा रखता हूँ कि आप मुझ पर दया करें और कभी मेरी बात से सहमत हैं तो आप कृपाकर इस टॉपिक को क्लोज कर दें, और चाहते हैं कानूनी बात आगे तो आपकी इच्छा है।

श्री अर्जुनसिंह : सभापति महोदय, माननीय सुरेश सेठ ने जो कुछ कहा वह केवल अपनी स्वयं की भावनाओं

में बहकर नहीं कहा, वे सब बातें जो उन्होंने कहीं हैं, इस प्रकरण के जो तथ्य हैं उनसे पूरी तरह से मेल खाती है और मुझे इस बात का दुख है कि कोई भी नोटिफिकेशन हुआ तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन इस प्रकरण को किसी भी प्रकार से सुरेश सेठ की ईमानदारी से या उनके राजनीतिक जीवन के ऊपर आक्षेप लगाने का या किसी प्रकार से जोड़ने का जो प्रयास किया गया है मैं समझता हूँ कि वह उचित नहीं है। सभापति महोदय, इस प्रकरण के तथ्य यह हैं कि 69-70 मैं जो खरीदी की थी उसके संबंध में एक शिकायत की गई। और उस शिकायत के संबंध में जाँच चलती रही उस शिकायत में सुरेश सेठ के अतिरिक्त श्री दीक्षित हिम्मतसिंह जैन, कैलाशचन्द खण्डेलवाल, और रमेशचन्द्र दुबे के बारे में भी शिकायत थी। इस प्रकरण में जहाँ 1-10-76 को तत्कालीन वित्त सचिव ने यह मत दिया कि रोलर्स के संबंध में खरीदने का प्रस्ताव निगम ने पारित किया था वह पूर्णतया विधिवत् है और उसके अनुरूप ही उनका क्रय किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार से सुरेश सेठ के मेयर के हैसियत से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था।

इतना ही नहीं वित्त सचिव की इस राय को 4-10-76 को सतर्कता आयुक्त ने भी पूरी तरह से इसकी पुष्टि कर दी। जो अब बार-बार सतर्कता आयोग की बात कह रहे हैं, फिर सभापति महोदय, मुझे नहीं मालूम क्या कारण था कि 20 सितम्बर 1978 को इस प्रकरण में मत बदला गया। राजनीतिक राग-द्वेष किस सीमा तक है उसकी व्याख्या करने का समय नहीं है, लेकिन तथ्य अपनी कहानी कहते हैं इसके लिए किसी की व्याख्या करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, 20 सितम्बर, 78, को यह निर्णय फिर से बदला गया और सतर्कता आयुक्त से भी फिर से रिपोर्ट ली गई। महाधिवक्ता जो उस समय थे, उन्होंने भी अपनी राय दी, यह प्रकरण फिर चालू कर दिया गया। इस विषय पर जहाँ प्रकरण के जो अभिलेख हैं उन पर इस प्रकार से विरोधाभास मौजूद हो।

इस प्रकरण में यदि तात्कालिक उस समय के राष्ट्रपति शासन ने यह निर्णय लिया कि इसमें न तो तथ्य हैं न साक्ष्य हैं केवल निष्ठावान व्यक्ति के राजनीतिक चरित्र के हनन का प्रयास है और इस पृष्ठभूमि में यदि यह निर्णय लिया गया कि यह मुकदमा वापस लिया जाये तो सही और उचित निर्णय था। और इस निर्णय के आधार पर ही न्यायालय में स्वीकृति दी और इसको उचित माना और तभी यह प्रकरण वापस लिया गया। आगे आपने जो कुछ कहा है मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तथ्यों के आधार पर सुरेश सेठ ने जो कहा है विह बिल्कुल सही है और किसी पक्षपात और अन्य आधारों पर वापिस नहीं लिया गया है। तथ्यों के आधार पर लिया गया है जहाँ तक सुरेश भाई के व्यक्तिगत जीवन का प्रश्न है, मैं बहुत अधिक दिनों से उन्हें नहीं जानता, मेरा उनका पिछले तीन चार वर्षों से निकट का सम्बन्ध है। हमने राजनैतिक स्तर पर बहुत ही निकट में रहकर काम किया है। किस व्यक्ति से गलती नहीं होती कौन कह सकता है कि मैंने अपने राजनैतिक जीवन में कभी कोई गलती नहीं की।

मैं यहाँ पर यह कहने के लिए अधिकृत हूँ कि किसी भी विषय पर जहाँ भ्रष्टाचार की बदबू आती हो, अनैतिक काम की बदबू आती हो मेरे पास संदेह करने के लिए भी ऐसे कोई तथ्य नहीं हैं कि सुरेश भाई की ओर उंगली उठा सकूँ।

(मेजों की थपथपाहट काँग्रेस पक्ष की ओर से)

आप, यह सदन, इस सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता निष्ठावान सार्वजनिक कार्यकर्त्ता को किस प्रकार से लगे रहने का निर्देश दे जैसा कि इनके क्षेत्र की जनता ने इन पर विश्वास करके दिया है।

(मेजों की थपथपाहट)

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/19 सितंबर 1980, पृष्ठ/ 2673-2680)

मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ समुचित कार्रवाई करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था विधेयक 1980 विचारार्थ प्रस्तुत किया। 19 और 20 सितंबर 1980 को इस पर चर्चा हुई। विरोधी पक्ष के सदस्य यह आपत्ति उठाते रहे कि यह विधेयक लाने का अधिकार विधानसभा को नहीं है और इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। सदस्य श्री

सुन्दरलाल पटवा और श्री कैलाश जोशी ने अनेक आपत्तियाँ कीं। श्री जोशी ने यह आशंका भी प्रकट की कि इस विधेयक के प्रावधान आर.एस.एस. के विरुद्ध भी आजमाये जा सकते हैं और राजनैतिक प्रतिद्वंद्वियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। इस सारी बहस का समुचित प्रतिउत्तर श्री अर्जुनसिंह ने दिया। बहस यहाँ प्रस्तुत है—

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था विधेयक, 1980 पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ .....

श्री सुन्दरलाल पटवा (सीहोर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह पुरःस्थापित कब हो गया चर्चा तो प्रस्तुत होने के बाद होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : पुरःस्थापित परसों हो गया था।

श्री सुन्दरलाल पटवा : उपाध्यक्ष महोदय, परसों किस समय हो गया, हम तो पूरे समय उपस्थित थे।

उपाध्यक्ष : मै यह घोषणा करता हूँ कि पुरःस्थापित हो गया और मैंने स्वयं अपने सामने करवाया है।है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में तो उस दिन कोई कार्यवाही ही नहीं हुई।

उपाध्यक्ष : यह आपका मत है लेकिन मैं यह मानता हूँ कि कार्यवाही हो गई।

श्री रमाशंकर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन कई माननीय सदस्य गिरफ्तार हुए थे उनकी सूचना यहाँ पढ़ी जाना चाहिए थी।

उपाध्यक्ष : पढ़ी गई थी।

श्री रमाशंकर सिंह : कब पढ़ी गई। हमने तो सुना ही नहीं। लोकसभा में कायदा है कि जिस दिन गिरफ्तारी होती है, उस दिन उसकी सूचना दी जाती है। मेरा व्यवस्था का महत्वपूर्ण प्रश्न है। माननीय सदस्यों की जिस दिन गिरफ्तारी हुई उस समय दोपहर के दो बज रहे थे, यह सदन पाँच बजे के बाद तक बैठा रहा। जिस तरह की यहाँ परम्परा रही है .....

उपाध्यक्ष : गिरफ्तारी की सूचना पढ़ी गई है।

श्री रमाशंकर सिंह : मेरी आपत्ति यह है .....

श्री सुन्दरलाल पटवा : जिस विधेयक पर माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करने का प्रस्ताव कर रहे हैं, उस विधेयक का विधिवत पुरःस्थापन ही नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी, परसों पुरःस्थापित हो चुका है। मैंने यह निर्णय दे दिया है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : जिस विधानसभा में किस समय यह पुरःस्थापित हुआ, उसकी विधिवत कोई कार्यवाही हुई नहीं।

उपाध्यक्ष : मैंने बता दिया, पुरःस्थापित हो चुका है। अब आगे कार्यवाही होगी।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मुझे इस पुरःस्थापन पर आपत्ति करते हुए निवेदन करना है कि इस विधेयक में कई धाराएँ ऐसी हैं जिनसे संविधान में दिए गए मूलभूत अधिकारों का हनन होता है। वे धारायें संविधान में दिये गये मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध हैं। इसलिए इस विधानसभा में इस पर विचार नहीं हो सकता। यह विधानसभा में विचार की परिधि के बाहर है इसलिए मैं आपत्ति करता हूँ कि श्रीमान् इस पर विचार करने की अनुमति न दें।

उपाध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित हो चुका है। विचार नहीं किया जा सकता है। इस पर तर्क प्रस्तुत करें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : इस विधेयक में संविधान के मूलभूत अधिकारों को हनन करने वाली कई धाराएँ हैं। हमारे सर्वोत्तम न्यायालय ने अभी-अभी फैसला दिया है कि संविधान में दिए गये मूलभूत अधिकारों का हनन करने का अधिकार न तो लोकसभा को है और न विधानसभाओं को है। इसलिए इस पर मेरी आपत्ति है। इस विधेयक में कई धाराएँ संविधान में दिए गए मूलभूत अधिकारों के विपरीत हैं, इसलिए विधानसभा में इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष : जब धाराओं पर विचार होगा, उस समय जब आपत्ति आयेगी, जब वे क्लाज सामने आयेंगे तब मैं उन्हें देखकर व्यवस्था दूँगा। अभी सामान्य चर्चा होगी।

श्री सुन्दरलाल पटवा : इस प्रकार के विधेयक से संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकारों का हनन होता है। यह इस विधानसभा की विचार की परिधि के बाहर है। जो आपने प्रावधान किया है कि बिना विचार किए बिना मुकदमा चलाये गिरफ्तार किया जा सकता है, उनको निरोध में रखा जा सकता है, ऐसी सभी धाराओं को इससे निकाल दीजिए, उसके बाद यहाँ विधानसभा में विचार कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष : अभी तो इस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है कि विधेयक पर विचार किया जाए या नहीं? इस पर जो आपको तर्क प्रस्तुत करना हो, वह प्रस्तुत कर दीजिएगा।

श्री रमाशंकरसिंह (रोन) : इस विधेयक को आप देखें, धारा 29 की उपधारा (1) (2) (3) है, मैं कहता हूँ यह विधानसभा इस पर विचार करने के योग्य नहीं है। संविधान विरोधी कोई विधेयक आता है जिस पर विचार करने के लिए विधानसभा सक्षम नहीं है, क्या यह भी कहने का अधिकार हमें नहीं है?

उपाध्यक्ष : मैंने इसीलिए कहा कि विधेयक पर विचार किया जाये अथवा नहीं इसी विषय पर तर्क हो रहा है। विचार नहीं किया जा सकता। आप इस पर अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए? इसके बाद सदन से अनुमति ली जाएगी कि विचार किया जाए या नहीं। आपको भी बोलने का इस पर मौका मिलेगा।

श्री रमाशंकर सिंह : इसमें सभा करने, जुलूस निकालने, संगठन बनाने, वर्दी पहनने, किसी सड़क पर चलने, सब पर पाबन्दी लगा रखी है।

श्री विक्रम वर्मा (धार) : प्वाइंट ऑफ ऑर्डर। किसी भी बिल के बारे में जब कोई संवैधानिक आपत्ति प्रस्तुत की जाए तो यह प्रक्रिया है कि उस संवैधानिक आपत्ति को पहले सुन लिया जाये, आपकी आसंदी से उसका निराकरण हो जाए, फिर बिल के ऊपर क्रमशः विचार प्रारम्भ हो सकता है।

माननीय सदस्य ने संवैधानिक आपत्ति उठाई है कि बिल के प्रावधान ऐसे हैं जो संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों का विरोध करते हैं। इसलिए संवैधानिक दृष्टि से इस विधानसभा में इस बिल को प्रस्तुत नहीं कर सकते। माननीय सदस्य को इस बात 'पर सुनना आवश्यक है। शासन का उत्तर आने के बाद कि संवैधानिक दृष्टि से आपत्तिजनक नहीं है, जब इसका समाधान हो जाए तब इस बिल पर विचार किया जाए। इसलिए पहले आपत्ति का निराकरण कीजिए।

उपाध्यक्ष : आपने जो कहा कि इस पर विचार नहीं होना चाहिए इसी विषय पर तो सदन में प्रस्ताव आया है कि विचार किया जाए। आप अपने-अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए।

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता ने केवल यह स्टेटमेंट दिया है कि इस बिल में ऐसे प्रावधान हैं जो संविधान के विरुद्ध हैं, इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। एक तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो कोरा स्टेटमेंट है यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि यह विधेयक जो आज प्रस्तुत किया जा रहा है। अक्षरशः वही विधेयक है जो 1959 से 1977 तक इस विधानसभा के द्वारा बार-बार पारित किया गया।

सन् 59 में पारित किया गया फिर हर तीसरे वर्ष उसका नवीनीकरण किया गया है और इतने वर्षों में प्रदेश में स्टेच्यूट्स बुक में रहा। कभी भी इसके प्रावधानों को न चैलेंज किया गया न अवैधानिक घोषित किया गया। इसलिए यह कहना कि इसमें प्रावधान है जो असंवैधानिक हैं इसलिये उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिये, मैं निवेदन करूँगा यह तथ्यों के विपरीत है। आप अब कोई नई व्यवस्था करना चाहें तो जैसा उपाध्यक्ष महोदय, ने कहा आप इस पर चर्चा के समय जो कुछ मुद्दे उठाना चाहें उठाइए, अपनी तरफ से आपको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अवधि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताई है कि यह इस प्रदेश के स्टेच्यूट में रहा है इसलिए यह विधिवत बिल है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनके इस कथन से असहमति जाहिर करता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : जिनके बारे में आपको आपत्ति है, वह बिल्कुल वही का वही जो हमने नये प्रावधान किए हैं, उनमें मैं समझता हूँ कि आपको आपत्ति भी नहीं होगी।

श्री रमाशंकर सिंह : आपत्ति नहीं होगी यह आपको पहले ही पता चल गया?

श्री सुन्दरलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ताजी ही बात है पिछले ही महीने इस देश के

कोई स्पेसिफिक धारा बतायें। नहीं तो यह केवल इस विधेयक को डिले करने भर की उनकी चाल है। जब तक माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक आपत्ति न बतायें इनकी आपत्ति रद्द किये जाने योग्य है।

श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के बारे में प्रेसीडेन्ट एसेन्ट हैं या नहीं इसकी कोई सूचना आपके कार्यालय में है क्या? यह कानकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। कानकरेंट लिस्ट-3 के अंतर्गत भाग (3) में स्पष्ट दिया है कि—

"(3) Preventive detention for reasons connected with the security of a State, the maintenance of public, order, or the maintenance of supplies and services essential to the company; persons subjected to such detention.

कानकरेंट लिस्ट के किसी सबजेक्ट पर सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में कानून बनाने का अधिकार केन्द्र का है और वह पहले ही से बना हुआ है। इसलिए यदि आप यहाँ पर भी इसको पास करवाना चाहते हैं तो पहले आपको प्रेसीडेंट की असेंट लेनी पड़ेगी। बिन असेंट के इसको यहाँ पर इन्ट्रोड्यूज नहीं कर सकते। यही मेरी आपत्ति है। कानकरेंट लिस्ट के मैटर पर पार्लियामेंट का और स्टेट विधानसभा का लॉ बन जायेगा तो अभी जो केन्द्र का लॉ एग्जीस्टेंस है उसमें कान्फलीक्ट पैदा हो जायेगा। इसलिए कहीं कान्फलीक्टींग प्रोवीजन्स न हो जावें, इसी कारण प्रेसीडेंट की असेंट आवश्यक है। क्या आपने इसे देख लिया है।

श्री रमाशंकर सिंह : क्या राष्ट्रपति की कोई असेंट की आवश्यकता ही नहीं है?

श्री सुन्दरलाल पटवा : उपाध्यक्ष महोदय, क्या आपने विधिमंत्री जी को सलाह मशविरा करने की अनुमति दे दी है?

श्री अर्जुनसिंह : सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री बाबूलाल गौर : राष्ट्रपति ने तो सहमति देने से पहले ही इंकार कर दिया है।

श्री अर्जुनसिंह : राज्यपाल से अनुमति और सहमति कब लेनी पड़ती है इतना भी आपको नहीं मालूम। उपाध्यक्ष महोदय, अभी श्री सखलेचा जी ने एक नियम का हवाला दिया नियम 63 का। यदि वे स्वयं इसको देखेंगे कि वह जो नियम है वह उस समय के लिए है जब लीव ऑफ इंट्रोड्यूस लेना पड़े तब के लिए है याने पुरःस्थापना के लिए अनुमति माँगना। क्योंकि यह पुरःस्थापित हो चुका है इसलिये यह इस रूल के अन्तर्गत यह आब्जेक्शन वैसे ही असेंट नहीं किया जा सकता। जहाँ तक कानकरेंट लिस्ट के अन्तर्गत अनुमति लेने का सवाल है तो ऐसा कोई बंधन शासन पर नहीं है। इसलिए हमने छिपाया नहीं है, हमने बिल में लिख दिया है कि उसकी आवश्यकता नहीं है और इसलिए हम इस बिल को यहाँ पर लाये हैं। मैं माननीय विरोधी दल के नेता से चाहूँगा कि—

श्री सुन्दरलाल पटवा : कहाँ पर आवश्यक नहीं है?

श्री अर्जुनसिंह : प्रायर असेंट चाहिये प्रेसीडेंट की।

श्री सुन्दरलाल पटवा : क्या आपने बिल में लिखा है?

श्री अर्जुनसिंह : इसको पास करने के बाद फिर राज्यपाल के साथ-साथ प्रेसीडेन्ट की असेंट के लिए भेजा जावेगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : किसी भी बिल को प्रस्तुत करने के पूर्व, इस बिल में भी लिखा है पृष्ठ 18 पर कि संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल महोदय द्वारा अनुशंसित तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आपने राज्यपाल महोदय से अनुशंसित करवाया। परंतु जो अधिकार कार्यक्षेत्र जिनके बारे में आप कानून बनाना चाहते हैं । क्या वह कानकरेंट, समवर्ती सूची में है। यदि राज्य शासन और केन्द्र दोनों के अधिकार का विषय है तो उसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति भी गलती है। और इसके बारे में ही श्री सखलेचा जी ने आपत्ति उठाई है।

श्री अर्जुनसिंह : वह किस आधार पर उठाई है?

श्री सुन्दरलाल पटवा : पहले आप प्राप्त करें उसके बाद इसे लावें।

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो एतराज किया गया कि इसमें राष्ट्रपति की अनुशंसा नहीं है, स्वीकृति नहीं है इसलिए यह बिल नहीं आ सकता। कानकरेंट लिस्ट में होते हुए भी अगर वहाँ कोई कानून बना है तो उसके विपरीत या अलग कोई बनाना चाहते हैं तो भी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। वहाँ का कानून

जो बना है, और यहाँ जो बनने वाला है ये दोनों यदि मिलते जुलते हैं तो स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। पास होने के बाद स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा। जो सवाल श्री पटवा जी ने उठाया है कि विधानसभा को यह कानून बनाने का अधिकार नहीं है तो मेरा उनसे निवेदन है कि इस सम्बन्ध में दो-तीन प्रावधान दिए हैं यदि उनकी तरफ आपका ध्यान गया हो तो .....

बिल को विधानसभा में पास करने का अधिकार है। अगर ऐसा कोई एतराज हो सकता है तो जैसे कि उपाध्यक्ष महोदय ने कहा जब वह धाराएँ आयेंगी उन धाराओं के सम्बन्ध में कहा जा सकता है। जिन धाराओं के पास करने का अधिकार नहीं है।.....

श्री सुन्दरलाल पटवा : जब सामान्य चर्चा हम विधानसभा में करते हैं क्या उन धाराओं को निकाल कर करते हैं। आपकी धारा 3 पहले ही है जो वह निर्वाचन के लिए व्यवस्था करती है।

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : अगर हम आपके आर्गूमेंट को मान लेते हैं तो वह जो धाराएँ हैं उसको आप यह मानते तो उसको विधानसभा को पास करने का अधिकार नहीं है। क्या वह धारा निकाल दी जाएगी? तब फिर बिल तो बाकी रह जाएगा। तो उस धारा को जो सीमा आपको पास करने का अधिकार नहीं है आपके आर्गूमेंट से हम मान लेते हैं उस धारा को आप निकाल दो तो भी बिल सबमीशन तो बाकी रह जाएगा।

इसलिए अगर केवल एक धारा ऐसी है जिसको हमको पास करने का अधिकार नहीं है। उसकी वजह से पूरा बिल जो है। विधेयक जो बनेगा। वह कभी निरस्त नहीं किया जा सकता। दूसरा तर्क, सखलेचा जी ने कहा है कि मूलभूत अधिकारों के विपरीत है मूलभूत अधिकारों पर जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का हुआ होगा, दोनों को मिलाकर पढ़िए तो मूलभूत अधिकारों में हम रीजनेबल रिसटरेक्शन लगा सकते हैं और हमेशा सुप्रीम कोर्ट में ऐसे निर्णय हुए हैं।

मूलभूत अधिकारों को एकदम हम समाप्त करते हैं तब तो सुप्रीम कोर्ट आड़े आ सकती है मगर मूलभूत अधिकारों के अंदर रीजनेबिल रिस्ट्रेक्शन लगाने का तो हमको संविधान में ही अधिकार है। अब देखना यह पड़ेगा कि जैसा उपाध्यक्ष महोदय ने कहा चर्चा करिए पूरे विधेयक पर। आप चर्चा करिए जो धाराएँ आपकी समझ में आती हों कि यह संविधान के विपरीत है उनको आप बताइए। उस पर विचार किया जाएगा और वह मूलभूत अधिकार, क्या ऐसे अधिकार हैं जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विपरीत हैं। क्योंकि रीजनेबिल रिसट्रेक्शन न लगाने का अधिकार हमेशा सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय करती है। ऐसा कोई बिल नहीं है कि यह विधानसभा विचार नहीं कर सकती है। पुरःस्थापित हो चुका है अब प्रश्न इस बात का है कि आप विचार करिए अगर विचार में जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा है विचार करने में ऐसा संशोधन हो जाएगा। उस पर विचार किया जाएगा।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा (बैरसिया) : अध्यक्ष महोदय, अभी आदरणीय सखलेचा जी ने जो संवैधानिक प्रश्न खड़ा कर दिया है। वह विषय जो संवर्गीय सूची में संविधान में शामिल है। जिन पर स्टेट या केन्द्र दोनों कोई कानून बना सकते हैं ऐसे विषय पर अगर केन्द्र ने कोई कानून बना दिया है उस पर अगर स्टेट कोई कानून बनाती है तो बिना राष्ट्रपति की एप्रूबल के जो कि कानून कहीं ऐसा न बन जाए कि दोनों में कन्ट्राडेक्शन हो जाए स्टेट के कानून और केन्द्र के कानून में। इसलिए आवश्यक है कि पहले राष्ट्रपति से एप्रूबल लिया जाए उसके बाद वह विधेयक यहाँ विधानसभा में लाया जाए।

श्री विक्रम वर्मा (धार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शासन पक्ष की ओर से बार-बार संवैधानिक आपत्तियों का उत्तर केवल एक तर्क देकर दिया जा रहा है। वह कहते हैं कि जब हम पूरे बिल पर चर्चा करेंगे तो जो कांस्टीट्यूशन के खिलाफ प्रॉवीजन हैं उस समय आप उनको बता दीजिएगा। उस समय हम उस पर विचार करेंगे। माननीय महोदय, पूरे बिल पर चर्चा करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता क्योंकि पहले इस हाउस की काम्पीटेन्सी के ऊपर एक प्रश्न वाचक चिन्ह लगाया गया है कि यह विधानसभा क्या इस प्रकार के बिल पर बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के चर्चा कर सकती है या नहीं कर सकती है। जब तक हम इसकी काम्पीटेन्सी के बारे में पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाते हैं समवर्ती सूची में जहाँ इस तर्क कि केन्द्र और राज्य दोनों ही बिल बना सकने की स्थिति में हैं। वहाँ केन्द्र का पूर्व से ही कोई कानून प्रवर्तित है। उस परिस्थिति में अगर इस विधानसभा द्वारा कोई कानून

बनाया जाता है, तब यह संवैधानिक प्रश्न खड़ा होगा। दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी, कि इस प्रकार के कानून हमारे मध्यप्रदेश के अन्दर पूर्व में चलते रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हू-बहू उसी प्रॉवीजन को जो पूर्व में प्रचलित था शब्दशः अगर मुख्यमंत्री के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया होता और इस प्रकार का कोई कानून केन्द्र शासन के द्वारा हमारे देश के अन्दर स्वीकार नहीं किया गया है चलता नहीं है तो उस परिस्थिति में हमको उस बिल पर विचार करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं थी। लेकिन पुराने सारे कानूनों को आप देख लें और उनमें जो प्रॉवीजन किये गये हैं उनमें केवल शब्दों की भिन्नता है लेकिन मन्शा और उद्देश्य भी अलग-अलग हैं और इस प्रकार से यह एक नया बिल है जो मौलिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता को एक प्रकार से प्रतिबन्धित करता है और प्रतिबन्धित करने के साथ-साथ एक संवैधानिक प्रश्न खड़ा करता है कि वर्तमान परिस्थिति में यह हमारी विधानसभा इसको पारित करने में भी, विचार करने में भी सक्षम है कि नहीं पारित करना तो बाद की बात है। उस पर विचार भी कर सकती है या नहीं। आज तो मूलभूत प्रश्न यह खड़ा हुआ है। मेरा विनम्र शब्दों में निवेदन है कि राष्ट्रपति की आज्ञा हो जायेगी यदि हम इस पर विचार करना प्रारंभ कर देते हैं और आप देख लीजिए और इस पर अपनी व्यवस्था दें उसके बाद ही हम आगे बढ़ें तो उपयुक्त होगा।

श्री महावीर प्रसाद वशिष्ठ : राज्यों में शांति व्यवस्था को बनाये रखने की जिम्मेदारी राज्य की है और कानून बनाने का अधिकार राज्यों की विधानमण्डलों को है, इसलिए यह जो विधेयक लाया गया है, यह राज्य की सूची के अन्तर्गत आता है जैसा कि हमारे विरोधी दल के नेता पटवा जी ने कहा कि यह समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची मे अगर उनके कहने के अनुसार है, मान भी लिया जाए तो यह बताने का प्रयत्न नहीं किया कि सर्वोच्च न्यायालय अथवा भारतीय संविधान के किस निर्णय के अनुसार, अथवा भारतीय संविधान की किस धारा के अनुसार समवर्ती सूची का विषय है जिनमें राज्य का विधानमण्डल और केन्द्र की संसद दोनों को समान रूप से कानून बनाने का अधिकार है। माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया कि विधानमण्डलों द्वारा जो कानून बनाये जायेंगे उसमें राज्यपाल की स्वीकृति होगी। इस समय संविधान की किस धारा में अधिसूचित किया गया है अथवा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। मैंने जैसा कि पूर्व में निवेदन किया है कि इस प्रकार लोक सुरक्षा, जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में घोषित किया कि कुछ तत्व जो समाज में शांति व्यवस्था नहीं रखने देना चाहते संगठित रूप से इस प्रदेश की शान्ति व्यवस्था को खतरे में डालना चाहते हैं।

उपाध्यक्षः इससे उसका कोई मतलब नहीं है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (चन्दला) : अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी देर पहले सख़लेचा जी ने एक तर्क रखा और उसके तहत उन्होंने यह बताया कि यदि कोई संवैधानिक विवाद उपस्थित हो जाये तो फुल फ्लेज डिबेट स्पीकर द्वारा परमिट किया जा सकता है। परमिट किया जाये यह आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने फुल फ्लेज डिबेट परमिट कर दिया है, यदि नहीं किया है तो कृपया अपनी व्यवस्था दें।

श्री रमाशंकर सिंह : यह जो तर्क दिया है शासक दल की तरफ से कि जब विधानसभा से पास हो जायेगा तब राष्ट्रपति की स्वीकृति ले लेंगे। श्रीमान् ऐसे मामले जो संविधान की समवर्ती सूची में आते हैं, केन्द्र में कोई कानून बना हो, उसकी धाराओं की मंशा के विपरीत कोई कानून न बन पाये इसके लिए यह प्रावधान किया गया है। बिल लाने के पहले ही राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर यह बिल पेश हो और राष्ट्रपति महोदय ने यह जाना कि यह बिल संविधान का समवर्ती सूची के मुताबिक और केन्द्र लॉ की जो धारा है उन मंशाओं के विपरीत है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं आपको टोकना तो नहीं चाहता। मैं तो यह कह रहा हूँ कि कृपा कर के संविधान की किताब को पलट करके, उस संविधान के आर्टिकल का जिक्र कीजिए जिसमें यह दिया गया हो कि बिना राष्ट्रपति की अनुमति से नहीं ला सकते हैं। आप कृपा करके संविधान से बता दें। आप अपना मत व्यक्त कर रहे हैं और यहाँ संविधान की बात कर रहे हैं।

श्री रमाशंकर सिंह : मैं तो देख करके ही बोल रहा हूँ (व्यवधान) मैं संविधान पढ़ने के बाद ही कह रहा हूँ। मेरा कहना है कि जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलेगी तब तक इस पर विचार नहीं हो सकता और अगर उसके बाद जैसा कि मैंने एक चीज बताई थी श्रीमान् वैसा हुआ तो सारी की सारी विधानसभा की एक्जरसाईस फ्यूटाइल हो जायेगी।

उपाध्यक्ष : आपका प्वाइंट मैं समझ गया।

श्री विक्रम वर्मा : अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये सारी स्थिति है और विपक्ष के ऊपर एक पांसा फेंकने का प्रयास किया कि धारा बता दें। संविधान के आर्टिकल 19 में बिल्कुल स्पष्ट रूप से नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, लिखा है और इसलिए जब हम उसके अधिकारों को सीमित करने का कोई प्रावीजन, प्रावधान करते हैं तो उस परिस्थिति में हमको निश्चित रूप से कानून बनाते समय राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि केन्द्र द्वारा इस प्रकार का कानून बनाया गया है। तो वह स्थिति निर्मित होती है। आर्टिकल के बारे में वही आँकड़ा आता है और चूँकि समवर्ती सूची में यह प्रावीजन्स है कि जहाँ स्टेट व सेन्ट्रल कानून बना सकता है वहाँ केन्द्र के द्वारा पूर्व से प्रचलित कानून हो तो राज्य बिना महामहिम राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के इस प्रकार—

श्री अर्जुनसिंह : वही आर्टिकल बता दीजिये किस कान्स्टीट्यूशन के किस आर्टिकल में लिखा है कि कांक्रेट लिस्ट में किसी ऐसे विषय पर केन्द्र ने कानून बनाया है तो कोई लेजिस्लेचर इस देश का बिना प्रयोर एप्रूबल के लेजिस्लेट नहीं करेगा?

श्री विक्रम वर्मा : अभी हाल ही में वीरेन्द्र जी ने पढ़ा वही प्रावीजन है।

श्री अर्जुनसिंह : आप बता दें पटवा जी बता दें। मत व्यक्त किया है प्रावीजन नहीं पढ़ा।

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : मैं इसके विपरीत बता रहा हूँ जिसको सब मानेंगे। कान्स्टीट्यूशन में प्रावधान है कि कान्करेन्टलिस्ट में सेन्ट्रल का लेजिस्लेशन भी हो प्रान्त का भी हो दोनों इन्कन्सटेंट हों तो सेन्ट्रल बिल बी सुपरसीडेड।

इसका मतलब है कि कम से कम ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि सेन्ट्रल ने भी लेजिस्टलेट कर दिया और प्रान्त ने भी लेजिस्लेट कर दिया है। अधिकार की सीमा नहीं है विधानसभा को भी अधिकार है लेजिस्लेट करने का तथा केन्द्र को भी है। जब ऐसी स्थिति आ जावे उसी तरह का कानून सेन्ट्रल का है और प्रान्त का भी है तो कौन-सा कानून मान्य होगा तो जो अदालत मान्य करेंगे जो सेन्ट्रल का होगा। समवर्ती लिस्ट में केन्द्र व प्रांत को बराबर कानून बनाने का अधिकार है अगर एक दूसरे के इन्कनसिस्टेन्स हैं तो केन्द्र का माना जायेगा प्रान्त का नहीं। ये कांस्टीट्यूशन में प्रावधान है। जनरल क्लाजेज एक्ट के मुताबिक इन्टरप्रेट किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कांकरेन्ट लिस्ट में केन्द्र व प्रान्त दोनों कानून बना सकते हैं।

डॉ. राजेन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय मैंने पहले प्वाइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया था अब मैं बोलना चाहता हूँ। आपने मुझे चर्चा की इजाजत दी है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं तो माननीय गृह राज्य मंत्री श्री मुनिप्रसाद जी ने जो मुझसे पूछा कि आप ये तो बताइये कि कौन-सी धारा आपत्तिजनक है। मैं सदन के नेता व गृह राज्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूँ जो धारा तीन आपने —

श्री अर्जुनसिंह : मैं पटवा जी से निवेदन करूँगा। बिल की धारा आपके मत में आपत्तिजनक हो सकती है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। आप मानें या न मानें। आपने आपत्ति संवैधानिक अधिकार पर उठाई, लेजिस्लेचर की काम्पीटेन्सी के बारे में चेलेन्ज किया। इसलिए लेजिस्लेचर की काम्पीटेन्सी है कि नहीं किसी संविधान की धारा के द्वारा स्थापित हो जाता है तो बात गलत है लेकिन इस बिल में आपके मत में कोई आबजेक्शनेबिल प्रोवीजन है। मैं ऐसा कहता हूँ कि इस ओबजेक्शनेबिल प्रोवीजन के बारे में इस लेजिस्लेचर को लेजिस्लेट करने का कम्पीटेन्स है क्योंकि संविधान में प्रेवेन्टिव डिटेन्शन लागू करने का प्रावधान है। इसका मतलब यह है कि प्रेवेन्टिव डिटेन्शन के बारे में, कानून पास करने के बारे में कानून पास करने का अधिकार संविधान में दिया गया है और इस हद

तक संविधान ने स्वयं यह स्वीकार कर लिया है कि 19 धारा में जो अधिकार दिया गया उसका संकोचन किया जा सकता है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : संकोचन किया जा सकता है संविधान में यह प्रावधान है, आपके इस कथन को मैं स्वीकार करता हूँ क्योंकि संविधान में यह लिखा है पर संविधान की उसी धारा में यह भी लिखा है कि निर्बाध अधिकार राज्य शासन या केन्द्र शासन नहीं ले सकते और नागरिक स्वतंत्रता के मूलभूत अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता। श्रीमान् सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है। मेरे पास इस समय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि नहीं है और न ही उसको उपलब्ध करना मेरे और आपके लिए संभव नहीं था। इसलिए क्योंकि न्यायालय इतने विस्तार से .....

उपाध्यक्ष : अखबारों की चर्चा आप कर रहे हैं.....

श्री विक्रम वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले क्या अखबारों में नहीं छपते?

श्री अर्जुनसिंह : सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है मैं उसको यहाँ चैलेन्ज नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल इतना निवेदन आपसे यहाँ कर रहा हूँ कि यह संवैधानिक प्रश्न है और आपके मत पर उनका निर्णय नहीं हो सकता। अगर संवैधानिक निर्णय कोई सुप्रीम कोर्ट में हुआ है तो वह निर्णय वर्तमान स्थिति में किस प्रकार से लागू होता है किस प्रकार से उस निर्णय की वजह विधेयक को रोका जा सकता है। किस प्रकार से उस निर्णय के द्वारा इस विधेयक का प्रावधान प्रभाक्ति होता है यह आपको इस सदन के समक्ष बताना ही चाहिए। अगर आप केवल निर्णय का हवाला देते हैं जो अलग संदर्भ में हो तो उसका इस सन्दर्भ से कोई मतलब नहीं था.....

(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वह निर्णय इतने विस्तृत रूप से सारे देश में प्रसारित और प्रकाशित हो चुका है अतः इसका पब्लिक नोटिस मैं, आप और विधानसभा ले सकती है। और निर्णय में बहुत साफ तौर से यह मत स्थापित किया गया है कि संविधान के द्वारा दी गई आर्टिकल 19 में दी गई मूलभूत स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता। माननीय गृह राज्यमंत्री ने यह बात उठाई है कि कहाँ यह हनन हो रहा है।

इसका उदाहरण देते हुए यह रख रहा हूँ कि धारा 3 में निबन्धन के आदेश का प्रावधान इसमें रखा है उसके द्वारा आप देखिए कि यह निबन्धन का जो आदेश उप धारा 11 की एक शब्द की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ किस प्रकार से वह मूलभूत अधिकार पूरी तरह से अपहत करने का और संकोचित ही नहीं समाप्त करने का व्यापक अधिकार इसमें है। धारा 11 में आप देखेंगे। अध्याय 3 समाज विरोधी तत्वों के बारे में इस अधिकार का संविधान की धारा 19 के अन्तर्गत दिया गया अधिकार का पूरी तरह से अपहरण कर लेता है।

समाज विरोधी तत्वों के बारे में अध्याय 3 में उल्लेख किया है। इसमें सामान्यतः किसी भी बिल के सेक्शन 2 में परिभाषाएँ दी हुई होती हैं। इस कानून में दिया गया है कि शब्दों का अर्थ क्या होगा। परन्तु यह विचित्र कानून है। इसमें धारा 2 की परिभाषाएँ हैं ही नहीं। अब यह समाज विरोधी शब्द जो लागू है उसमें समाज विरोधी क्या होगा, क्या नहीं होगा इसकी व्यवस्था क्या है, परिभाषा क्या है। इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसमें व्यापक शब्द है। मैं उदाहरण के तौर पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।

श्री महावीर प्रसाद वशिष्ठ : प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

उपाध्यक्ष : मैं सुनूँगा।

श्री महावीर प्रसाद वशिष्ठ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि यह सदन किस विषय पर विचार कर रहा है और माननीय पटवा जी किस संबंध में अपना भाषण दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय इस सदन की मर्यादा का प्रश्न है। इस सदन की मर्यादा का प्रश्न इस सदन के सामने एक बार विचारणीय है लेकिन यह विधेयक .....।

उपाध्यक्ष : ऑर्डर में। बार-बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप बैठिए। मैं यह मानता हूँ संवैधानिक प्रश्न है और विधानसभा के लिए लेजिस्लेटिव काम्पीटेंस का सवाल है इसलिए मैं सुनना चाहता हूँ। कोई इसमें सदन की मर्यादा का प्रश्न नहीं उठता।

श्री महावीर प्रसाद वशिष्ठ : अध्यक्ष महोदय, यह कोई प्रावधान नहीं बता रहे हैं। इस सदन में लेजिस्लेशन बनाने का कोई अधिकार नहीं है। लेजिस्लेशन प्रावधान के अन्तर्गत राज्य की विधान मण्डल कानून नहीं बना सकती।

उपाध्यक्ष : अपने संतोष के लिए सुन रहा हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि किसी को भी समाज विरोधी तत्व कहकर के इस निर्वाचित आदेश का उसके ऊपर प्रयोग किया जा सकता है। कल से यह परिस्थिति पैदा हो गई कि माननीय मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह को यह खतरा पैदा हो गया कि कहीं शिवभानु सोलंकी बहुमत बताते हुए पद हड़पने के लिए तैयार हुए तो उनको समाज विरोधी तत्व बताकर कानून बनाकर इसके अन्तर्गत प्रतिबंधित किया जा सकता है।

श्री अर्जुनसिंह : आप संविधान की बात करके और इस स्तर पर चर्चा को ला रहे हैं, मुझे बड़ा दुख है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप मेरे ऊपर ला सकते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : न आपके ऊपर न किसी राजनैतिक कार्यकर्त्ता के लिये किन्तु समाज विरोधी तत्वों के लिये होगा, होगा, होगा।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : मीसाबन्दियों के साथ श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह करवाया था।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मेरे कथन पर ही माननीय मुख्यमंत्री उत्तेजित हो गये और होगा, होगा, होगा तीन बार कह गये।

(व्यवधान)

श्रीमान अर्जुनसिंह कहें वैसा होगा यह नहीं है। आज माननीय अर्जुनसिंह जी हैं कल और दूसरे सिंह जी वहाँ आकर बैठ सकते हैं। यह जरूरी नहीं है यह कोई अनन्तकाल तक रहने वाले हों। यह कानून रहेगा आपकी भावना शुद्ध हो सकती है। आपकी नीयत पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप लोग कम से कम अपने दिल की बात और जो भावना है वही कहेंगे। मैं तो आपसे इतना ही कह रहा हूँ कि आप आज यहाँ हैं मुख्यमंत्री।

मैं भी कल वहाँ था तो आप यह मत मानिये कि आप जो कहेंगे वही होगा। आपकी भावना अच्छी हो सकती है। परन्तु इस कानून में जो शब्द लिखे हैं उनका आगे लाभ लिया जा सकता है, लिया जा सकेगा या कल बीत गया में लिया गया विचार करना होगा और इस कानून को जैसी आपकी भावना है किसी भी ऐसे व्यक्ति पर कानून लागू नहीं होगा जो आपकी मंशा के अनुसार इस कानून के अन्तर्गत परिधि में नहीं आता।

संवैधानिक यही बता रहा हूँ उसमें ऐसे शब्द डाले गये हैं जो निर्बाध अधिकार देते हैं मूलभूत नागरिक स्वतंत्रता को अपहरण करने के। राज्य की मशीनरी को इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने निश्चय किया है। अध्यक्ष महोदय, कल गुजरात में महँगाई विरोधी आन्दोलन किया गया उसमें गुजरात राज्य भारतीय जनता पार्टी के नेता, संसद सदस्य और राजनैतिक दलों के नेता थे। उनको निवारक नजर बन्दी में गिरफ्तार किया गया।

गुजरात राज्य के उच्च न्यायालय में अपील की तो उसने उसे वैध ठहराया फिर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उसे अवैध ठहराये हुए मुक्त किया। हमारे मुख्यमंत्री जी सब बातों से परिचित हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई राजनैतिक दुरुपयोग इसका नहीं होता पर आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उन शब्दों को देखें। अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन कर रहा हूँ कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो मूलभूत स्वतंत्रता है उसका अपहरण नहीं किया जा सकता है।

उसका अपहरण करने का निर्बाध अधिकार पार्लियामेंट और विधानसभाओं को नहीं है। विधिमंत्री और मुख्यमंत्री उससे परिचित हैं। गुजरात राज्य में राजनैतिक दल के नेताओं, कार्यकर्त्ताओं और विधायकों पर उसका प्रयोग हो चुका है। इसी प्रकार के यहाँ पर निर्बाध अधिकार देने वाले शब्द हैं यह सर्वथा संविधान के प्रावधानों के विपरीत हैं। सर्वोच्च न्यायालय के दिये गये निर्णय के विपरीत हैं इसलिए विधान सभा की काम्पीटेन्सी के बाहर है इसका विधानसभा में विचार नहीं किया जा सकता है, यह कानून विधानसभा में पारित नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष : (कुछ माननीय सदस्यों के बोलने पर) संवैधानिक प्रश्न पर एक माननीय सदस्य को एक बार बोलने का अवसर दिया जाएगा।

श्री रमाशंकर सिंह : मुख्यमंत्री जी और श्री श्रीनिवास तिवारी ने कुछ दिन पहले क्या कहा है।

उपाध्यक्ष : मैं किसी माननीय सदस्य को एक बार से अधिक नहीं सुनूँगा। मैं आपको अनुमति नहीं देता।

श्री रमाशंकर सिंह : श्री अर्जुनसिंह कुछ दिन पहले प्रतिपक्ष के नेता थे और श्री श्रीनिवास तिवारी और श्री अर्जुनसिंह ने भाषण दिया था। मैं आपकी आज्ञा मानकर बैठता हूँ पर आप एक मिनट सुन लीजिए।

उपाध्यक्ष : मैं विनम्रता से निवेदन करता हूँ कि संवैधानिक प्रश्न पर कई माननीय सदस्यों को सुन चुका हूँ। एक माननीय सदस्य को एक बार सुनूँगा, कई बार सुनना चाहूँगा तो निपटारा नहीं होगा। मैं अनुमति नहीं दे सकता।

श्री रमाशंकर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, लम्बी-चौड़ी बात नहीं है इन शासकों के चेहरे तो बेनकाब होना चाहिए (व्यवधान) श्रीमान आप सनु लें।

उपाध्यक्ष : मेरी बात मान लें, मेरा निवेदन सुन लें। संवैधानिक प्रश्न है, अप्रसांगिक भाषणबाजी का समय नहीं है।

श्री रमाशंकर सिंह : मैं आपकी बिना आज्ञा के नहीं बोलूँगा। लेकिन आप आज्ञा दे दें।

श्री विक्रम वर्मा : माननीयउपाध्यक्षमहोदय, माननीय सदस्य का कहना है कि इससे संवैधानिक कार्यवाही में मदद मिलेगी।

उपाध्यक्ष : यह प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर मेरे लिये है, व्यवस्था मुझे देनी है, संतुष्ट होना मेरा काम है, मैं माननीय सदस्यों को सुन चुका हूँ, अब इधर के सदस्यों को सुनूँगा और उसके बाद अपनी धारणा बनाऊँगा।

श्री रमाशंकरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अनुमति दे दें सिर्फ एक मिनिट लूँगा।

उपाध्यक्ष : यह आपको अन्तिम मौका है, आप इस तरह के जो ..... (व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे यह आश्वासन दिया था कि माननीय पटवाजी के बाद मुझे आप प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाने की अनुमति देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहस जो चलाई जा रही है वह इसलिए माँगी गई कि कौन-से संविधान में यह प्रावधान है कि सदन को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, इस पर विचार किया जाये इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी चीजों, तथ्यों और बिल की व्याख्या को उठाया जाता है तो आप परमीशन न दें इस पर मैं व्यवस्था चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष : इस पर आप मुझसे व्यवस्था नहीं लीजिए, मैं व्यवस्था दूँगा, पहले सब की बात सुन लूँ।

श्री रमाशंकर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक शब्द भी इसमें मैं अपनी ओर से नहीं जोड़ना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय पिछली सरकार में लोक सेवा विछिन्नता विधेयक आया था इस विधेयक की तुलना में उसमें कुछ भी नहीं था उस पर अर्जुनसिंह जी ने कहा था कि अध्यक्ष महोदय, यदि कोई भी विधेयक होगा जो मूलभूत रूप में न केवल इस प्रदेश की विधानसभा में माननीय सदस्यों की मंशा के विपरीत है और इस सदन के ही नहीं सदन के बाहर आम जनता के बीच में इस सदन के बारे में अनेक प्रकार की शंकाएँ पैदा होती हैं तो इसका आधार जनतंत्र में और क्या हो सकता है। यदि इसका आधार केवल मुख्यमंत्रीजी की इच्छा व अनिच्छा है तो वे जानें, हम लोग इस आधार पर इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि यह अध्यादेश जिसे विधेयक के रूप में पारित किया जाता है जो लगाया गया है स्पष्ट रूप से इस प्रदेश के अन्दर शासकीय कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों के उपयोग के विरोध में है, दमनात्मक है और इसलिये इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर हम इसका विरोध करते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : और इसलिए आपने जो कहा है..... (व्यवधान)

श्री रमाशंकर सिंह : आप बौखलाइए नहीं।

श्री अर्जुनसिंह : मैं बौखला नहीं रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, इस समय मौजू हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है उस कानून को जिस समय लाया गया था इस प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के दमन के लिए लाया गया था आप देखिए कि यह विधेयक जो आज मैं लाया हूँ शासकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो चेप्टर था मैंने स्वयं उसको डिलीट किया है क्योंकि मुझे विश्वास है अपने कर्मचारियों की ईमानदारी और निष्ठा पर, मैं इस तरह के दमन की बात नहीं कर रहा हूँ।

श्री विक्रम वर्मा : माननीय मुख्यमंत्री जी एक बात और स्पष्ट कर दीजिए कि क्या शासकीय कर्मचारी इस प्रदेश के नागरिक नहीं हैं, यह जो पूरा का पूरा अंक है .....(व्यवधान)

(मेजों की थपथपाहट)

आप मध्यप्रदेश की जनता को धोखा नहीं दे सकते हैं। कर्मचारी भी इस प्रदेश के नागरिक हैं और यह

नागरिकों पर ही लागू होने वाला है।

(व्यवधान)

श्री रमाशंकर सिंह : हिटलर भी यही कहता था। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्रीनिवास तिवारी जी कहते हैं कि इस विधेयक पर विचार इसलिए नहीं हो सकता है कि कोई भी कानून आपकी विधानसभा नहीं बना सकती है अगर वे कानून मूलभूत अधिकारों के विरोध में हों। तिवारी जी यह तो उस कानून से भी कहीं ज्यादा सख्त कानून है।

श्री श्रीनिवास तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल दो हैं जिन्हें वैधानिक रूप से यहाँ पर उपस्थित कह सकें। पहला तो यह कि मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध इस विधेयक में कुछ चीजें प्रस्तावित की गई हैं और दूसरा यह कि बिना राष्ट्रपति की अनुमति के इस विधेयक को यहाँ पर लाया नहीं जा सकता। ये संवैधानिक आपत्ति है। मैं निवेदन करूँगा कि ये दोनों बातें यथार्थ से परे हैं आप देखिए कि संविधान की धारा.....

(व्यवधान)

श्री रमाशंकर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे राजनैतिक मूल्यों के खिलाफ है इसको इतनी आसानी से पेश नहीं होने देंगे।

(व्यवधान)

श्री श्रीनिवास तिवारी धारा 246 (2) को देखिए—

Notwithstanding anything in clause, Parliament & Subject to clause the Legislature of any state **** also have Power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List 111 in the seventh Schedule (''in this Constitution referred to as the Concurrent List'')

इसमें पूरी तरह से लेजिस्लेचर को अधिकार दिया गया है कि कांक्रेट लिस्ट में कोई विषय हो तो उन पर लेजिस्लेचर कर सकते हैं। उसमें कुछ रिस्ट्रेक्शन हैं। रिस्ट्रेक्शन जो दिए गए हैं धारा 304 में हैं, उसको देखिए। अभी मैं धारा 254 (2) पढ़कर बताता हूँ, पूरा नहीं पढ़ूँगा—

Where a law made by the Legislature of a state with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List contains any Provision repugnant to the provisions of an earlier law made by Parliament or an existing law with respect to that matter then the law so made by the Legislature of such state shall if it has been reserved for the consideration of the president and has received his assent pre prevail in that state.

इसके आगे धारा 304 देखिए।

श्री रमाशंकर सिंह : तिवारी जी, आपके हाथ में यह किताब शोभा नहीं देती।

श्री श्रीनिवास तिवारी : रमाशंकर सिंह जी बचकाना मत कीजिए। आपकी उम्र छोटी है, समझने की कोशिश करें। जो मैंने कहा है वही कहूँगा। सभापति जी, धारा 304 देख लीजिए क्योंकि पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है—

Provided that no Bill or amendment for the purposes of the clause (b) shall be introduced or moved in the Legislature of a state without the previous sanction of the president.

ट्रेड कामर्स एण्ड इन्टरकोर्स एमंग स्टेट्स, अगर इनके बारे में बिल बनायें तो प्रेसीडेन्ट की अनुमति की आवश्यकता होगी। इसलिये ये तीनों प्रावधान मैंने बताये कि संविधान में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि इस विधेयक को विधानसभा में नहीं ला सकते, इस पर विचार कर सकते हैं इसका औचित्य है। दूसरा सवाल विपक्ष के नेता ने उठाया। उनका कहना है यह मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। भाई रमाशंकर सिंह बहुत उछलते हैं और कहते हैं मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। मैंने एक बार नहीं जीवन में सौ बार कहा है मूलभूत सिद्धान्तों की रक्षा करनी चाहिए और फिर बोल रहा हूँ आज भी इस विधेयक के माध्यम से जनता के मूलभूत सिद्धांतों और उनके अधिकारों

की रक्षा करना चाहते हैं जो कॉंग्रेस पार्टी का पवित्र कर्त्तव्य है। ऐसे असामाजिक तत्व जो प्रदेश का वातावरण दूषित करना चाहते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए ..... (व्यवधान)

श्री रमाशंकर सिंह : इन्दिरा जी आपकी फाइल देख चुकी हैं। कहें तो सब कह दूँ। (व्यवधान)

श्री श्रीनिवास तिवारी : इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि यह विधेयक औचित्यपूर्ण है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : तिवारी जी ने इतनी बड़ी बहस की। आपने जो समाज विरोधी तत्व लिखा है उसकी कोई परिभाषा अर्थ दिया है इसमें?

श्री अर्जुनसिंह : मैं आपसे यही बार-बार निवेदन कर रहा हूँ कि बिल पर चर्चा प्रारम्भ कर दें, फिर सबका उत्तर दिया जाये। आपने संवैधानिक एतराज उठाया लेकिन कोई अनुच्छेद नहीं बताया और विरोध कर रहे हैं इस बिल की धाराओं पर संवैधानिक आपत्ति है तो संविधान के अनुच्छेद का उल्लेख करें।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : चार बजे मेरा संकल्प आना है।

श्री शीतला सहाय : जब से बहस शुरू हुई एक दर्जन बार हाथ उठा कर समय माँग रहा हूँ। जब आपकी अनुमति हो।

उपाध्यक्ष : मैं आपको इन्कार नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इस पर चर्चा समाप्त हो जाये, अपनी व्यवस्था दे दूँ फिर अशासकीय संकल्प लिया जाये। सदन अनुमति दे, इनको सुनकर फिर व्यवस्था दूँगा।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : पूरी डिबेट इस पर होनी चाहिए। हमें संविधान के आर्टिकल के बारे में कहना है। आर्टिकल 246 के बारे में है.....

उपाध्यक्ष : आपने अपना तर्क दे दिया, उन्होंने उत्तर दे दिया। एक माननीय सदस्य को एक बार सुनूँगा। शीतला सहाय जी को बोलने दीजिए।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : मेरा संकल्प है।

उपाध्यक्ष : मैंने आपके नेता से सहमति ले ली है, इसके बाद शासकीय संकल्प आयेगा।

श्री शीतला सहाय (लश्कर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि इस पर क्या मध्यप्रदेश विधानसभा में विचार हो सकता है और क्या यह काम्पीटेंट हैं? यह मुख्य सवाल हमारे सामने है। इस पर हमें निर्णय करना है। मैंने विगत व्यवस्था विछिन्न विधेयक पर बहुत गौर से अर्जुनसिंह जी और श्री श्रीनिवास तिवारी जी के भाषण पढ़े जिनमें कि बार-बार आज के मुख्यमंत्री को तत्कालीन विरोध पक्ष के नेता यह कह रहे थे कि आप कोई प्रोवीजन निकाल कर बता दीजिए कि क्या कोई प्रोवीजन है और इस प्रकार से बार-बार हमारे ज्ञान को आवाहन कर रहे थे तो मैंने सोचा कि शायद उनके भाषण में ही सारी लीगल पोजीशन मिल सके लेकिन मुझे दुःख है अध्यक्ष महोदय, कि उस समय एक भी कोई लीगल पोजीशन उस विधेयक पर प्रस्तुत तर्क के पक्ष में उन्होंने प्रस्तुत नहीं की। यह कानून कैसा कानून है।

यह तो जनता बतायेगी लेकिन सामयिक परिस्थितियों से निपटने के लिए जो उस समय कानून बनाया गया था और जो केवल उतने समय के लिए लागू किया जा सकता था, यहाँ व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक था उस कानून को यहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है यह प्रश्न श्री अर्जुनसिंह जी ने हमारे सामने उस समय प्रस्तुत किया था। उस समय जो आज मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा था कि जिन भावनाओं के विरुद्ध जो प्रावधान हैं वे यहाँ कानून नहीं बनाये जा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उस समय किन्हीं परिस्थितियों में और किन्हीं वर्गों के खिलाफ बनाये जाने वाले कानून को यहाँ नहीं लाया जा सकता।

ऐसा यह कहते थे। और आज पूरी तौर से यह मीसा जैसा कानून लाने के लिए यह वकालत कर रहे हैं। मात्र यह कह कर कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ यह प्रावधान हमने रखे हैं आम आदमी के विरुद्ध करने के अधिकार प्राप्त करने की वकालत कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से यह चाहूँगा कि आप संविधान का यदि कोई ऐसा आर्टिकल है, तो वह आप बतायें। मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, जो संदर्भ है वही मैं बता रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है .....

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, जब तक आप प्वाइंट ऑफ ऑर्डर, स्वीकार नहीं करते तब तक मैं नहीं बैठूँगा।

(व्यवधान)

श्री शीतला सहाय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि मध्यप्रदेश विधानसभा में ऐसे अवसरों पर जो प्रोसीडिंग्स में हमको मिले हैं, उनको कोट करना मैं आवश्यक समझता हूँ। मैं बहुत लम्बे-लम्बे भाषण पढ़कर निश्चित रूप से आपका समय खराब नहीं करूँगा लेकिन जो श्री अर्जुनसिंह जी ने इस कानून के विरोध में कहा था क्या वह संबद्ध विषय नहीं है?

श्री शिवभानु सोलंकी : यह बात थी कि माननीय सदस्य कांस्टीट्यूशन की धारा बतायें। पता नहीं पिछली प्रोसीडिंग्स उठा कर बोल रहे हैं। ये बातें जो उपाध्यक्ष महोदय, जब बिल के ऊपर डिस्कशन होगा तब भी बोल सकते हैं।

श्री शीतला सहाय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रोवीजन पर आ जाता हूँ लेकिन मुझे आप इतनी तो इजाजत दीजिए कि मैं माननीय सोलंकी जी से कह सकूँ कि जिस अवसर पर उन्होंने वह बात कही थी वही मैं आज कह रहा हूँ। उस समय उन्हें वह बात बुरी नहीं लग रही थी आज बुरी लग रही है। सबसे पहले में आपका ध्यान संविधान की आर्टिकल 14 और 19 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि किस प्रकार से यह आपका कानून इन आर्टिकल के खिलाफ आम नागरिकों के अधिकारों को कम करने वाला है.....

तो यह नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनको कम करने वाला है। इसलिए यह विधानसभा की कांपिटेन्स में नहीं आता है। उपाध्यक्ष महोदय, जो बात अभी तिवारी जी ने कही तो मुझे समझ में नहीं आती कि वह किस तरह से लागू होती है। लेकिन में एक बात श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। श्रीमान यह देखेंगे कि जब इस स्टेट में हमें कुछ आर्डिनेन्स पारित करने हो सकते हैं उसमें गवर्नर की ऐसेन्ट्स की आवश्यकता होती है और जो उनकी कांपिटेन्स की बात होती है वह मध्यप्रदेश विधानसभा के कांपिटेन्स की बात होती है। तो इस तरह का कोई भी आर्डिनेन्स गवर्नर पास नहीं कर पाता है। यह आर्टिकल 213 का प्रोवीजो है।.....

श्री महावीर प्रसाद वशिष्ठ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आर्टिकल के बारे में बोल रहे हैं क्या?

श्री शीतला सहाय : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यदि अपने स्थान से बोलें तो कुछ समझ में भी आये। तो गवर्नर को वही अधिकार है जो हमारी विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है और जो हमारी विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है उससे हटकर गवर्नर कानून नहीं बना सकता है। मैं आपको आर्टिकल 213 का प्रोवीजो पढ़कर सुनाता हूँ जो कि इस प्रकार है—

Provided that for the purposes of the provisions of this Constitution relating to the effect of an Act of the Legislature of the State which is repugnant to an Act of Parliament or an existing law with respect to a matter enumerated in the concurrent List an Ordinance promulgated under this article in pursuance of instructions from the President shall be deemed to be an Act to the Legislature of the state which has been reserved for the consideration of the president and assented to by him.

तो यह बात जो है इसको श्रीमान् को कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं यह निवेदन करूँ कि समवर्ती सूची में पार्लियामेंट का कोई कानून है क्या? आप जो प्रोवीजो पढ़ेंगे उसका मैं उल्लेख करना नहीं चाहता हूँ। तो यह इस प्रकार के प्रोवीजो इस विधेयक में हैं जो कि इस प्रकार के प्रोवीजो का उल्लंघन करते हैं। अतः यह कानून बनाना विधानसभा के अधिकार में नहीं है।

श्री श्रीनिवास तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शीतला सहाय जी से कहना चाहता हूँ कि आप एक बार इस प्रोवीजो को फिर से पढ़ लीजिए तो स्पष्ट हो जाएगा कि उसका मतलब ऐसा नहीं है।

श्री शीतला सहाय : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उसको लागू करने के लिए कहा था कि गवर्नर उसको लागू नहीं कर सकता है। आप मुझे एक बात बतला दीजिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर कोई आर्डिनेन्स बनायें और मध्यप्रदेश विधानसभा के कांपिटेंस के बाहर की बात हो तो क्या इस प्रकार के कांट्राडिक्शन हो सकते हैं?

ऐसा नहीं हो सकता तो यह बहुत जरूरी है कि इंस्ट्रक्शन्स फ्राम दी प्रेसीडेंट आर असेंशियल। और इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, इनके पास किसी प्रकार के इंस्ट्रक्शन्स नहीं हैं, कोई स्वीकृति नहीं है इनके पास और इसलिए यह कांपिटेंस के बाहर की बात है, यह मेरा निवेदन है।

श्री श्रीनिवास तिवारी : आर्टिकल 304 के अन्तर्गत ही रेस्ट्रिक्शन्स हैं। उसके अलावा नहीं है।

श्री शीतला सहाय : आर्टिकल 304 ट्रेड और कामर्स पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकता। लेकिन श्रीमान् जिस तरह से मीसा के लिए आपने कांस्टीट्यूशन को अमेंड किया ताकि हम किसी प्रकार से कोर्ट का दरवाजा न खटखटा सकें और आप हमें जेल में डाल दें। मैं और प्रोवीजन्स में नहीं जाना चाहता। वरना में एक दर्जन स्थानों पर आपको बतला दूँगा कि जो संविधान है और जितने पीरियड तक डिटेन करने का अधिकार है उससे आप बाहर जाकर इसमें प्रावधान करने जा रहे हैं।

इस संविधान की तीन प्रमुख बातों का जिक्र करना चाहूँगा। मेरा निवेदन यह है यह निश्चित रूप से मध्यप्रदेश विधानसभा के काम्पीटेन्स के बाहर की बात है। जहाँ तक आर्टिकल 304 का सवाल है तो मैं श्री तिवारी जी से भी कहना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि हैल्थ और पब्लिक आर्डर का बाना पहनाकर आप यह अधिकार अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इससे आम आदमी चाहे वह ट्रेड या कामर्स के लिए हों चाहे विधानसभा के सदस्य हों, राजनीतिक दृष्टि से उनको परेशान करने के लिये ही आप यह कानून बनाने का अधिकार ले रहे हैं जो कि आपके अधिकार में नहीं है। इसलिए इसको लाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्री कृष्णपालसिंह : उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री नगीन कोचर : उपाध्यक्ष महोदय, अब अशासकीय संकल्प लिये जायें।

उपाध्यक्ष : यह तय हो गया है कि इसके बाद वह लिया जाएगा।

श्री कृष्णपालसिंह (विधि मंत्री) : इसके लिये भी प्रस्ताव लाना पड़ेगा कि सभा की कार्यवाही 7 बजे तक बढ़ा दी जाये।

(विरोधी पक्ष की ओर से नहीं, नहीं की आवाजें)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, इसमें जैसा तिवारी जी ने कहा कि 3 विचारों के आधार पर संवैधानिक चर्चा हो— एक तो यह है कि यदि अमेंडमेंट है तो कांस्टीट्यूशन इसकी स्वीकृति नहीं देता और यह मूलभूत अधिकारों पर आपत्ति है और आर्टिकल 14, 19 की ओर भी इशारा किया गया कि उसमें इस पर बंदिश लाता है। मैं सदन का ध्यान आर्टिकल 19 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आर्टिकल 19 और 22 हमें इस बातं के लिए अधिकृत करते हैं कि इस विधानसभा में इस पर कानून पेश किया जा सकता है। मैं थोड़े में ही आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आर्टिकल 19 यह कहता है कि—

"19 Protection of certain rights regarding freedom of speech etc—

आर्टिकल 19 के नम्बर दो की ओर भी ध्यान आकर्षित करूँगा जिसमें लिखा है कि— (1) Nothing sub-clause (a) of clause (1) shall affect the opinion of any existing law, or prevent the state from making any law, in so for as such law imposes reasonable restrictions out the exercise of the right on conferred by the said sub-clause in the interest and such....."

मेरा निवेदन है कि 19 (2) अपने आप में यह अधिकार देता है कि स्टेट को इस बात का अधिकार के कि वह रिस्ट्रेक्शन के कानून बना सके। उसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन आप से है 22 (2) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। 22 (3) के सब क्लाज में दिया हुआ है बी में।

(3) Nothing in clauses (1) and (2) shall apply

(b) to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention

यह जो 22 का प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एण्ड अदर्स है इसमें इतना क्लाज दे दिया गया है 22 का प्रोटेक्शन उन लोगों को नहीं मिलेगा। जो किसी कानून के अन्तर्गत डिटेन कर लिये जायें। एण्ड एनी प्रावीजन आफ दी लॉ।

person who is arrestedor detained under law providing for preventive detention. मैं निवेदन करूँ अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 19 और 22 यह दोनों मध्यप्रदेश विधानसभा को यह अधिकार देते हैं कि हम इस प्रावेन्टिब डिटेन्सन के लिये .....।

श्री शीतला सहाय : रीजनेबिल शब्द पर आपने ध्यान नहीं दिया है।

श्री कृष्णपालसिंह : सखलेचा जी. ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आज मुझसे रीजनेबिल होने की बात करते हैं। मैं आपसे भी प्रार्थना करूँगा कि आप भी रीजनेबिल रहिए। अब इस तरीके से आर्टिकल 19 और 22 ।....

श्री शीतला सहाय : आई एम सारी सर विधि मंत्री जी मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरा यह कहना है कि आपने जो पढ़ा रीजनेबिल रेस्ट्रेक्शन में उस तरह आप का ध्यान आकर्षित कर रहा था। वैसे आप मोस्ट रीजनेबिल हैं।

श्री कृष्णपालसिंह : आप से मेरी प्रार्थना है कि आप आर्टिकल 19 और 22 अभी बैठे-बैठे पढ़ डालिए और उसके बाद कहिए कि क्या चर्चा करें। अब इसके बाद अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन इस पर है कि जहाँ तक इस विधानसभा को इस बात का अधिकार है कि प्रीवेन्टिव लॉ हम ला सकते हैं स्टेट में या असेम्बली में इसके लिए आर्टिकल 19 और 22 दोनों हमको अधिकार देते हैं। अब दूसरा प्रश्न यह है अध्यक्ष महोदय, कि क्या यह कांकरेन्ट लिस्ट में आता है। क्योंकि यह कांकरेन्ट लिस्ट में आता है। इसलिए कांकरेन्ट लिस्ट की यह मन्शा है अध्यक्ष महोदय, कि उस पर हम भी कानून पास कर सकते हैं। और पार्लियामेन्ट भी कूनन पास कर सकती है। जब पार्लियामेन्ट कानून पास कर सकती है और हम भी पास कर सकते हैं तो हमारे सामने क्या रिस्ट्रेक्शन्स है इस पर श्री श्रीनिवास तिवारी जी ने बहुत व्यापक रूप से आपके सामने रखा है। क्योंकि इसकी मन्शा नहीं है कि हम पास करें या पार्लियामेन्ट पास करे और अगर पार्लियामेन्ट इस पर पास कर देता है तो हमारा बनाया हुआ लॉ आईसोलेट हो जाता है। और वह लॉ खतम हो जायेगा। और पार्लियामेन्ट का बनाया हुआ लॉ ही कार्य करेगा। इसलिए कान्करेन्ट लिस्ट में आने का मतलब ही यह है कि हमको यह अधिकार है, स्टेट को अधिकार है कि यह भी कानून बना सकता है। एक ही शर्त होगी कि अगर पार्लियामेन्ट ने उस कानून को बनाया तो हमारा कानून समाप्त हो जायेगा इसलिए मेरा यह निवेदन है कि अभी इस प्रश्न पर क्योंकि सेन्ट्रल का न तो कोई लॉ है और न ही सेन्ट्रल ने अभी तक हमारे सामने कोई लॉ रखा है।

इसके आधार पर हम यह मानें कि सेन्ट्रल ने कोई लॉ हमारे सामने रख दिया है और यह कानून पास नहीं कर सकते। इसलिए मेरा निवेदन है कि कांकरेन्ट लिस्ट में आने के बाद हमारी विधानसभा को पूरा अधिकार है कि हम अपना कानून पास करें। अब फर्क इतना-सा है कि कांकरेन्ट लिस्ट में आने के बाद क्या उस पर राष्ट्रपति महोदय का एप्रूव हम को लेना चाहिए? इसमें केवल एक ही सेक्शन है माननीय शीतला सहाय जी ने जो रखा मुझे दुख है कि वे आर्डीनिन्स वाला प्रोवीजन तो ला कर रख दिया।

कानून में कब कौन-सी पैचीदगियाँ हैं इस पर तो चर्चा कीजिए। सखलेचा जी से कहूँगा कि कानून बनाने का एक और भी तरीका है। वह अधिकार जब विधानसभा में कानून नहीं पास होता है तो राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय को अधिकार दिया जाता है। कानून बनाने के हित में एक आर्डीनिन्स है जिसके आधार पर राज्यपाल महोदय कानून बना देते हैं। राज्यपाल महोदय जो कानून बनाते हैं आर्डीनिन्स पैदा करके उसके लिए एक अलग प्रोवीजन ही दिया हुआ है।.....

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, अभी जो कहा जा रहा है, प्रिवेन्टिव डिटेन्शन, मैंने वह आर्टिकल 3 आपको पढ़कर सुनाई एण्ट्री 3 कांकरेन्ट लिस्ट की पढ़कर सुनाई, लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो यूनियन की लिस्ट है, सेवन शेड्यूल्ड की लिस्ट है जिस पर केवल यूनियन, पार्लियामेन्ट को लॉ बनाने का अधिकार है। उसकी एण्ट्री 9 में भी है, प्रिवेन्टिव डिटेंशन कृपया एण्ट्री 9 देखने की कृपा करें। एण्ट्री 9 प्रिवेन्टिव, डिटेंशन ए फार दी रीसन कनेक्टेड विथ दी डिफेन्स फारेन अफेयर्स ऑर सिक्युरिटी आफ इंडिया परसनल सब्जेक्ट टु सच डिटेन्शन, प्रिवेन्टिव डिटेन्शन यूनियन लिस्ट में भी है, जिसका एक्सप्लीडिंग पावर सिर्फ पार्लियामेन्ट को है और अध्यक्ष महोदय,

समवर्ती सूची में आर्टिकल 246 के अनुसार स्टेट और पार्लियामेन्ट दोनों कानून बना सकती हैं, अब सिक्युरिटी ऑफ इण्डिया में म.प्र. भी आता है और इसके कारण यहाँ प्रश्न यह है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि कान्स्टीट्यूशनल प्रोप्रायटी के बारे में, कान्स्टीट्यूशनल वेलेडिटी के बारे में लेजिस्लेचर को इस प्रकार कानून पारित करने का अधिकार है या नहीं, इसके लिए प्रेसीडेन्ट की प्रायर सेंक्शन आवश्यक है या नहीं, यह सारा इतना गहन विषय है कि इस पर जल्दी में आप निर्णय करने की कृपा न करें और रूल्स के अन्दर ही जो प्रावधान हैं कि इसके बारे में पूरी तरह से डिस्कशन किया जायेगा, 4.30 बज रहे हैं और नॉन आफिशियल बिजनेस लिया जाना है। आप जल्दी न करें, पूरी सुनवाई करके आर्टिकल 246 के बारे में भी और अन्य आर्टिकल्स के बारे में भी सुनने की कृपा करें, इसमें केवल एण्ट्री में नहीं है यह यूनियन की एण्ट्री में भी है। एण्ट्री 9 के अन्दर और उसमें क्या डिफरेन्स है, यह पूरा सुनना चाहिए।

श्री श्रीनिवास तिवारी : सखलेचा जी से मैं निवेदन करूँगा कि जो कांकरेन्ट लिस्ट है उसका नम्बर 3 भी देख लें और नम्बर 3 के साथ 246 को भी पढ़ लें और इसके बाद उनके सामने नक्शा स्पष्ट हो जायेगा।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : तिवारी जी को स्मरण होगा, पहले मैंने समवर्ती सूची की एण्ट्री 3 पढ़कर सुनाई थी और 246 पढ़कर सुनाई थी तो 246 के बारे में जवाब देना चाहता हूँ। यह कहा है।

श्री कृष्णपालसिंह : मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, समवर्ती सूची के विषय में सखलेचा जी ने कहा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि समवर्ती सूची में हमको क्या प्रिवेन्टिव लॉ लाने का अधिकार है या नहीं उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाऊँगा। समवर्ती सूची की एण्ट्री 3 "प्रिवेन्टिव डिटेंशन फार रीजन विथ द सिक्युरिटी ऑफ ए स्टेट मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर" डोंट यू फील दीज लॉ।

क्या आप महसूस नहीं करते कि यह लॉ, यह कानून पब्लिक आर्डर मेंटेनेंस के लिए हैं, क्या आप यह नहीं महसूस करते प्रावीजन भी किया है कि वह सिक्यूरिटी ऑफ स्टेट एण्ड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक आर्डर देने के बारे में है जो सिक्युरिटी ऑफ स्टेट एण्ड मेंटेनेंस पब्लिक आर्डर। (व्यवधान)

श्री विक्रम वर्मा : म.प्र. उसका एक हिस्सा होने के कारण प्रोवीजन के अन्तर्गत आ जाता है, चूँकि प्रदेश उस राष्ट्र का हिस्सा है।

श्री कृष्णपालसिंह : विक्रम वर्मा जी से मेरा निवेदन है कि अगर आप सुनेंगे नहीं तो मैं क्या करूँ, यह कानून नेशनल डिफेंस का नहीं है। वी केन लेजिस्लेट फार सिक्युरिटी ऑफ दी स्टेट एज वेल एज फार दी मेंटेनेन्स ऑफ पब्लिक आर्डर्स इट इज नाट टूअर्डस यह नहीं हो सकता कि केवल स्टेट के लिए बनायें या हम पब्लिक आर्डर के लिए बनाएँ। (व्यवधान)

इसलिए मेरा निवेदन है कि समवर्ती सूची में हमको पूरी तरह से अधिकार है हम इस पर कानून बना सकते हैं और जो रिस्ट्रेक्शन बताया गया है उस पर तिवारी जी ने बताया आपको। जिस पर हमको पार्लियामेंट से अनुमति लेना चाहिए। जो शीतला सहाय जी ने कहा उसकी ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया वह केवल आर्डीनिन्स से संबंधित है। शीतला सहाय जी मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने "इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ" इस शब्द का ठीक से अध्ययन किया होता तो आप शायद यह सवाल नहीं करते आर्डीनिन्स इज क्वाइट ए डिफरेन्ट मेटर हमको आर्डीनिन्स में क्या अधिकार है और रिस्ट्रेक्शन हैं वह बिल्कुल दूसरे होते हैं।

श्री विक्रम वर्मा : अध्यादेश कानून की प्रथम स्टेज भी हो सकती है जबकि बाद में लेजिस्लेटिव एसेम्बली कानून के रूप में स्वीकार करे। अध्यादेश बनाते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भविष्य में कानून बनने की पात्रता रख सकता है कि नहीं।

श्री शीतला सहाय : मैं एक्सप्लेनेशन पढ़कर सुना दूँ। श्रीमान् का अधिक समय न लूँ, पूरी चीज पढ़कर नहीं सुनाई मिस्इन्टरप्रेट किया जावे तो एक्सप्लेनेशन सुना दूँ।

श्रीकृष्णपालसिंह : आप 10 घण्टे दीजिए मुझे एतराज नहीं पर मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। आप खूब अध्ययन कीजिए फिर बाद में बहस कीजिए जो कुछ भी रेस्ट्रिक्शन हैं वे थोड़े से पोर्शन्स में

हैं जो तिवारी जी ने आपके सामने रखे। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। शीतला सहाय जी ने जिन रेस्ट्रिक्शन्स के बारे में कहा पूरा का पूरा चेएर आर्डीनेन्स से संबंधित है। सारे कानून कायदे से संबंधित हैं इसलिए रेस्ट्रिक्शन्स नहीं है। मैं समराइज करके इतना ही कहता हूँ कि आर्टिकल 19 व 22 इस बात का अधिकार देते हैं कि हम ऐसा कानून प्रस्तुत कर सकते हैं। हमको कांकरेंट लिस्ट में प्रीवेन्टिव डिटेन्शन का ऐसा कानून हमको पास करने का अधिकार प्राप्त है जैसा कि तिवारी जी ने बताया जो बंदिश बताई लग सकती है पर जो शीतला सहाय जी ने बताई वह नहीं लग सकती हम सदन में पारित कर सकते हैं कोई कानूनी बंदिश नहीं है।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है इसकी व्यवस्था कल दीजिए। हमारे माननीय सदस्यों का संकल्प है—

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : मेरा निवेदन है कि एक ओर तिवारी जी कह रहे आर्टिकल 246 पढ़ लीजिए। मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष : मैं पढ़कर आया हूँ इसका प्रश्न नहीं। सदन के सामने जो प्रश्न उठाये जावें उसके बारे में आप—

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : आर्टिकल 246 नाट स्टेंडिंग एनीथिंग इन क्लाज टू एण्ड श्री पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लाज विथ रेस्पेक्ट टू नाट आफ मेटर्स इन्म्यूरेटेड इन लिस्ट वन इन सेड्यूल सेवन। दो आर्टिकल के एक्सक्लूसिव पावर टू दी पार्लियामेंट दिए गए हैं। स्टेट तो लॉ नहीं बना सकता इस इन्टरप्रेटेशन के बारे में—

श्री श्रीनिवास तिवारी : नम्बर दो पढ़िए।

डॉ. राजेन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, ये जितने पढ़ रहे हैं एक धारा पढ़ते हैं दूसरी धारा नहीं पढ़ते इन्होंने डिपेन्डेन्ट नहीं पढ़ा धारा, 19 अधूरी छोड़ दी दूसरे को भी बोलने नहीं देते—

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : आर्टिकल 246 (1) में कहा गया है कि एक्सक्लूसिव पावर यूनियन में हैं। एण्ट्री 9 में प्रावीजन है प्रीवेन्टिव फार कनेक्टेड टू दी डिफेंस फारेन अफेयर्स सेक्युरिटी आफ इंडिया इसका पूरा एक्सक्लूसिव पावर सेक्यूरिटी ऑफ इंडिया के अन्तर्गत ये जो बिल है इसके अन्दर जो प्रावधान है ये 36 के अन्दर प्रावधान किया गया है कि डिटेन्शन के राज्य सरकार या सचिव के पद श्रेणी के राज्य सरकार का कोई ऐसा अधिकारी जिसे सरकार के द्वारा प्रावीजन के बारे में सशक्त किया गया हो। किसी व्यक्ति के संबंध में यह समाधान हो जावे कि उसे राज्य में सुरक्षा या लोक व्यवस्था के बारे में प्रतिकूल प्रभाव वाले इरादे से रोकना किसी दृष्टि से आवश्यक है वह निर्देशित कर सकेगा जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया जावे। राज्य की सुरक्षा का भी लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश कोई भारत के बाहर नहीं है। सेक्युरिटी ऑफ इंडिया के अन्तर्गत आता है। इसी कारण क्लीयर डेस्टीनेशन करना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव पावर सेन्ट्रल को है 246 (1) में कांकरेंट लिस्ट की जो बात है जो रेस्ट्रिक्शन्स हैं एन्ट्री दो के बारे में स्टेट तो लॉ नहीं बना सकता—

"अनलिमिटेड पावर्स सब्जेक्ट टु क्लाज"? "दि लेजेस्लेचर ऑफ दि स्टेट आलसो हेव दि पावर्स टु मेक लाज विथ रिस्पेक्ट टु एनी आफ दि मेटर्स कांकरेन्टली" अध्यक्ष महोदय, कांकरेन्टली का जो पावर है और वह सब्जेक्ट टु क्लाज है और सिक्योरिटी आफ इन्डिया के लिए लॉ बनाने का एक्सक्लुसिव पावर पार्लियामेन्ट को दिया हुआ है और इसके कारण अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसको पूरी तरह से एक्जामिन किया जावे। जल्दी में कोई रूलिंग देना ठीक नहीं होगा। यहां कन्सटीट्यूशन वेलेडिटी का सवाल है। लेजेस्लेचर की कम्पीटेन्स है या नहीं और इसका प्रोवीजन किस तरह से है क्योंकि श्रीमान् देखेंगे कि पेनल कोड के सारे प्रोवीजन के बारे में कहा गया है, उसमें किया गया है लोक व्यवस्था को बनाये रखने का शुद्ध प्रभाव डालने वाला ठीक से कार्य करने के अन्तर्गत कोई भी इस कार्य जिसमें भारतीय दंड संहिता के 16 की धारा तथा 506 और 509 के अधीन एवेल का अधिकार 1955 के विषय में है यह सारे रिस्ट्रेक्शन हैं और जो सेन्ट्रल लॉज हैं उनके भी सारे रिस्ट्रेक्शन इसके अन्तर्गत कव्हर किए गए।

इसलिए मेरा निवेदन है कि कन्स्टीट्यूशनल आब्जेक्शन्स के बारे में पूरा विचार किया जावे और आपने यदि बिना कांपीटेन्ट के पारित कर दिया तो वह ठीक नहीं होगा।

उपाध्यक्ष : मैंने सुना और विचार किया। विधेयक की विषय वस्तु संविधान की सूची 1, 2, 64 तथा अन्य

समर्थकारी प्रवृत्तियों की समवर्ती सूची में 13 के अन्तर्गत आते हैं। अतः राज्य विधान मंडल इस विधि को नियमित करने के लिए सक्षम हैं।

(2) दूसरा प्रश्न है कि विधेयक प्रस्तावित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 304 के परन्तुक के अधीन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

(3) विधेयक के उपबन्धों की दृष्टि से इसे प्रस्तावित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिश की आवश्यकता है जो संलग्न की गई है। जहाँ तक वैधानिक आपत्ति का सवाल है उसे इस विधान सभा के बाहर न्यायालय में उसको चुनौती दी जा सकती है। इसलिए यहाँ पर विचार होगा।

श्री कैलाश जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पक्ष की ओर से एक बार नहीं अनेक बार अनेकों माननीय सदस्यों ने तर्क के द्वारा संविधान की धाराओं का हवाला देते हुए विपक्ष का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रश्न किया कि यह संवैधानिक संकट की स्थिति है इसलिए इस पर गम्भीरता से विचार होने के बाद ही कुछ निर्णय होना चाहिए। परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, लगता यह है कि बहुमत के कारण सत्तापक्ष सारी संवैधानिक मान्यताओं पर भी विचार करने को तैयार नहीं है और इतना ही नहीं इसका जो प्रस्तुतीकरण हुआ व पुरःस्थापन हुआ है वह भी अनुचित रूप से हुआ है। हमने इस पर भी आपत्ति उठाई थी। उस समय कोई सुन नहीं पाया कि कब पुरःस्थापन की गई। परन्तु इसके बाद भी उपाध्यक्ष महोदय, शासन अपने बहुमत के आधार पर इस पर अनुचित रूप से निर्णय करवा रहा है। इसके विरोध में हम सब सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(बहिर्गमन)

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/19 सितंबर 1980, पृष्ठ/ 2634-2650)

राज्य सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था विधेयक 1980 पर सामान्य चर्चा

उपाध्यक्ष : थोड़ी देर में लेता हूँ। म.प्र. राज्य सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था विधेयक 1980 पर चर्चा करने का प्रस्ताव है उसमें 2 संशोधन मैं चाहूँगा कि संशोधन भी प्रस्तुत हो जायें और एक साथ चर्चा हो जाये।

श्री विक्रम वर्मा : मेरा ख्याल है कि यह बिल मुख्यमंत्री जी ने वापस ले लिया है, क्योंकि वे हाजिर नहीं हैं मैं समझता कि मुख्यमंत्री जी नहीं हैं। तो शायद वापस ले लिया होगा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राज्य सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था विधेयक 1980 प्रवर समिति को सौंपा जाये जिसके सदस्य होंगे श्री भूरेलाल फिरोजिया, मोहनलाल सेठिया, रमाशंकर सिंह, हिम्मत कोठारी, कपूरचन्द धुवारा, के.डी. देशमुख और निर्भय सिंह पटेल।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि म.प्र. राज्य सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था विधेयक 1980 पुरःस्थापन अनुसार प्रवर समिति को सौंपा जाये।

दूसरा प्रस्ताव है श्री कपूर चन्द धुवारा।

श्री कपूरचन्द धुवारा : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उक्त अधिनियम जो कि मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसको जनमत संग्रह के लिए भेजा जाये।

श्री रमाशंकर सिंह : मेरा भी प्रस्ताव है कि इस विधेयक को रद्दी की टोकरी में फेंका जाये।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। सर्वसाधारण की राय जानने के लिए अब राज्य सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था विधेयक 1980 परिचलित किया जावे और मूल प्रस्ताव एवं संशोधन प्रस्ताव पर एक साथ चर्चा होगी।

श्री राधारमण भार्गव : इसमें और भी संशोधन दिए गए हैं।

श्री कैलाश जोशी (बागली) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर म.प्र. राज्य सुरक्षा तथा लोक स्वास्थ्य विधेयक 1980 जो विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका विरोध करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज के मुख्यमंत्री की तरह इसका विरोध आँख मूँदकर नहीं कर रहा हूँ। मेरे विरोध

के पीछे सुस्पष्ट तथ्य है। जिन पर मैं धारावार अपने विचार भी प्रस्तुत करूँगा। अपेक्षा तो ये थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस विधेयक के भारसाधक सदस्य हैं, वे सदन में उपस्थित रहते इसलिए कि इस विधेयक के माध्यम से हम जिनके विवेक को जगाना चाहते हैं और वे ही सदन में उपस्थित नहीं हैं तो हम किसके विवेक को जगाएँगे। सरकार ये कह सकती है कि इनके प्रतिनिधि यहाँ चर्चा को सुनने के लिए उपस्थित हैं किन्तु जिन भारसाधक सदस्य ने इसे प्रस्तुत किया है उनके विवेक को जगाने की ही बहुत बड़ी आवश्यकता है इसलिए उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री कृष्णपालसिंह : केबिनेट की जिम्मेदारी सामूहिक रहती है वह तो रहती ही है विवेक भी सामूहिक हो जाता है।

श्री कैलाश जोशी : विवेक सामूहिक हो जाता है, बात सच है परन्तु कुछ मामलों में जब कोई विवेकवान व्यक्ति विधिमंत्री बन जाता है तो वह सिवाय कानून की लकीरों पर चलने के कभी अपने विवेक से काम लेना पसन्द नहीं करता, यह देखा गया है अनुभव से भी। इसलिए आपसे तो कहने का कुछ अर्थ ही नहीं है। परन्तु जिन भारसाधक सदस्य ने यहाँ इसे प्रस्तुत किया है उन पर उनके विवेक को जगाना इसलिए आवश्यक है उपाध्यक्ष महोदय, कि हम इस देश में पिछले 30 वर्षों से लोकतंत्र का प्रयोग कर रहे हैं और हर बार हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि वह बहुत उदार होकर लोकतन्त्र को चलाने में सहयोग करे। परन्तु जब हमारी बारी आती है तो हम कहते हैं इन सारे आचरणों का पालन होना चाहिए पर हमसे कुछ मत कहिए, बाकी लोगों को पालन करना चाहिए और यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर माननीय अर्जुनसिंह अगर सदन में उपस्थित हों तभी हम उनके विवेक को जागृत कर सकते हैं।

जैसा मैंने कहा कि मैं इसका आँख मूँदकर विरोध नहीं कर रहा हूँ। इसके साथ ही मैं इस बात की याद दिलाना चाहता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास उन दिनों की बहस, चर्चा और इतना ही नहीं उन दिनों समाचार-पत्रों में जो-जो समाचार आते रहे हैं उनकी कतरनें मौजूद हैं जिनमें माननीय अर्जुनसिंह जी ने भी और विधेयक हम लाना चाहते थे जो अध्यादेश निकाला था। उसका बड़ा विरोध किया था और अखबारों में जो समाचार आये थे, उनके तर्क मेरे पास मौजूद हैं और अकेले उनके ही नहीं इस सदन के सत्तापक्ष में बैठने वाले अनेक माननीय जिम्मेदार सदस्यों के पत्र व्यवहार भी मेरे पास मौजूद हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि यह अनुचित रूप से आप लोगों की आजादी पर बंधन लगा रहे हैं और इस मिनी मीसा को आपको वापिस लेना चाहिये।

कल भी मुझे बड़ा खेद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप तो कर्मचारियों पर उसका उपयोग करना चाहते थे हमने इसमें कर्मचारियों का कहीं प्रावधान नहीं रखा है परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, जब हम इनके प्रावधानों को देखते हैं तो इसमें तो आपने समाज के किसी वर्ग को नहीं छोड़ा। जिस प्रकार से आपको, हमको आशंका नहीं थी कि वह समाज की व्यवस्था को अव्यवस्था में बदलना चाहते हैं या कानून व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं। परन्तु आपने समाज के किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा है। विधेयक के अंदर समाज के सारे वर्ग इससे प्रभावित हो सकते हैं। जब भी आप चाहेंगे, शासन चलेगा, जबकि हमने जिस अध्यादेश को निकाला था उसके पीछे तर्कसंगत कारण थे। माननीय अर्जुनसिंह जी का एक भी दिन वक्तव्य नहीं दिखा कि कर्मचारी खुले रूप से राजधानी के अंदर और अन्य नगरों में इस बात की चुनौतियाँ दे रहे थे। घोषणाएँ कर रहे थे कि हम सारे प्रदेश की बिजली बंद कर देंगे। ग्वालियर के कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर यह कहा था कि हम अमुक तारीख को ग्वालियर में पानी देना बन्द कर देंगे अगर ऐसी समाज में व्यवस्था फैलने लगे तो फिर सिवाय इसके कि कोई कड़े बंधन, कड़ा कानून न बनाया जावे, किसी भी संवेदनशील सरकार के सामने कौन-सा उपाय बचता है परंतु चूँकि उस समय आप विरोध में थे आप में से किसी ने एक शब्द उस पर नहीं बोला कि जो कर्मचारी इस प्रकार की भाषा बोलते हैं वह लोकतन्त्र के लिये उचित नहीं है। वह लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है कभी नहीं बोला मैंने। आपने कहा मिनी मीसा का विरोध करते हैं। क्या हम चाहेंगे कि उसी आधार पर विरोध करें। आप जिस प्रकार से विधेयक लाये हैं हम भी चाहेंगे कि आपका ही अनुकरण करें और हम भी कहें कि इसको पूरा का पूरा निरस्त किया जाये। परंतु अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने कहा कि उसका हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हम जैसा विरोध करना चाहते हैं जिन आधारों पर विरोध करना चाहते हैं उसके बारे में सुस्पष्ट तर्क आपको दे रहा हूँ। आपको, मुख्यमंत्री को अगर समाज के सुव्यवस्थित संचालन के लिए सरकार को किसी प्रकार के शस्त्रों की आवश्यकता है हम विरोध में रहने

के बाद भी उस पर विचार करके सहयोग करने के लिए तैयार हैं। यही हमारे और आपके आचरण में अन्तर है। जिन भिन्न-भिन्न कार्यालयों में खुलेआम कर्मचारी असहयोग कर रहे थे वह सरकारी कर्मचारियों के विरोध में नहीं था कि एक सरकारी कर्मचारी को मीसा में भेज दिया जायेगा। यह था कि जो कर्मचारी अपने दायित्वों को नहीं निभाकर बिजली नहीं पहुँचाएँगे, पानी नहीं पहुँचाएँगे, सचिवालय में वहाँ के कार्यों को ठप्प करेंगे ऐसे ही कर्मचारियों के विरुद्ध उसका प्रयोग होने वाला था। इतना ही नहीं उस समय की सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि यह एक अस्थाई प्रतिबन्ध है। अध्यादेश की प्रति भी मैं अपने साथ यहाँ लाया हूँ।

उस समय कहा था कि अस्थाई शक्ति राज्य सरकारों को चाहिए परन्तु आपने चूँकि विरोध किया है इसलिए बिना कारण को जाने बिना, आवश्यकताओं का अनुभव किये बिना प्रदेश की परिस्थितियों को ध्यान में लिये आपने विरोध किया था। हम चाहें तो ऐसा ही कर सकते हैं कि यह काला कानून है मिनी मीसा है हम इसका पूरा विरोध करते हैं परंतु हमारे और आपके आचरण में यही अंतर है तर्कों के आधार पर इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं जब कि आपने कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया था। आपका एक ही तर्क था कि कानून नहीं बनना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं विधेयक के प्रावधान हैं उनके नीचे कुछ बातें लिखी हैं, ऊपर आना चाहूँगा। उपाध्यक्ष महोदय, एक सलाहकार परिषद का गठन होने वाला है उसमें राज्य सरकार ने ऊपर कुछ बातें लिखी हैं आप उसकी धारा 7 को देखेंगे तो पता लगेगा कि उसकी उपधारा (2) में लिखा है सलाहकार परिषद में ऐसे तीन व्यक्ति होंगे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रह चुके हैं या उस रूप में नियुक्त किये जाने के लिये अर्हित हैं और ऐसे व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जावेंगे। समझ में नहीं आता उस रूप में "अर्हित" शब्द से आपका क्या तात्पर्य है। क्या कानून में ऐसा होगा कोई जज के समान, न्यायाधीश के समान जिनको अनुभव है, प्रतिष्ठा प्राप्त है, ऐसा कोई भी व्यक्ति है। मैं समझता हूँ कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हो सकता। कानून में प्रावधान स्पष्ट होना चाहिए और जो प्रावधान रखा है वह उपयुक्त नहीं है इसका हम विरोध करना चाहते हैं इस पर संशोधन भी दिया गया है अतः आप विचार करेंगे।

एक गंभीर बात जो इस विधेयक के माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ वह यह है कि आपने इसके अध्याय 3 में धारा 11, 12, 13 हैं इसमें ऐसे लोगों को निर्बन्ध करने का प्रावधान रखा है कि जो समाज विरोधी तत्व होंगे या पूर्व के सिद्ध दोष ठहराए गए व्यक्ति होंगे। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से पूर्व के सिद्ध दोष ठहराए गए लोगों की परिभाषा तो हो सकती है। परन्तु आपने कहीं स्पष्ट नहीं किया कि पूर्व के सिद्ध दोष ठहराये गये जो व्यक्ति होंगे यह ऐसे-ऐसे थे। पूर्व से सिद्ध दोष व्यक्ति के नियमों का निर्बंधित उल्लेख किया जा सकता है आपने इसको बताने का कोई प्रावधान नहीं किया और पूरे अध्याय के अन्दर कहीं पर निरूपित नहीं किया कल मुख्यमंत्री ने चर्चा के बीच अचानक यह बात कही थी कि यहे बात जरूर कही थी कि आप निश्चित रहिए इसका उपयोग राजनैतिक दलों के लिए नहीं किया जाएगा। परन्तु इसमें वह भावना नहीं है। पटवाजी ने भी याद दिलाया था कि आप विश्वास रखिए हमें आप पर अविश्वास नहीं है, परन्तु यह बन जाने के बाद भी आप यहाँ रहेंगे तब तक उपयोग नहीं होगा। आपके बाद जो सरकार आयेगी वह उपयोग करेगी और बाद में भी उपयोग होता रहेगा हो सकता है यहाँ आपकी सद्भावना हो, आज के विधि मंत्री, मुख्यमन्त्री, गृह राज्यमंत्री की यह मंशा न हो परन्तु कल आने वाले इसका कैसा उपयोग करेंगे।

यहाँ उस्तरा रखा हुआ है आपने कहा कि हजामत बनाने के लिए इसका उपयोग किया जायेगा। इसी प्रकार एक बार बंदर के हाथ में उस्तरा आया तो उसने अपनी ही नाक काट ली। पहले भी कानून वाले की मंशा बुरी नहीं थी फिर भी उसका खुलकर दुरुपयोग हुआ है। इसलिए धारा 11 के अन्त में हम चाहेंगे कि जैसी सरकार की मंशा है और मुख्यमंत्री ने घोषित किया था कि राजनैतिक दलों और कार्यकर्त्ताओं पर उपयोग करने के लिए नहीं है, जबकि इसका स्पष्ट उल्लेख सरकार कर दे और स्थिति स्पष्ट हो जाए तो सबको स्पष्ट हो जायेगा। इसी आधार पर संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं और इस सदन में आपने जो भावना व्यक्त की थी उसी भावना को संशोधन में जोड़ा है और यह संशोधन हमने सुझाया है धारा 13 के बाद। धारा 13 के बाद एक परन्तुक स्थापित कर लिया जाये उसमें यह स्थापित

कर लिया जाये कि परन्तु धारा 11, 12, 13 के प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए अथवा प्रयोग में किसी भी राजनीतिक दल की गतिविधियों के संचालन में संलग्न दल के पदाधिकारियों तथा दल के उम्मीदवार के रूप में जनता द्वारा किसी पद पर चुने हुए व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा और यदि यह संशोधन जुड़ता है तो इस बात की कोई आशंका नहीं रहेगी कि समाज विरोधी तत्वों के नाम पर इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।

मै उदाहरण स्वरूप कहना चाहता हूँ कि मैं विधिमंत्री के किसी निर्णय पर असंतुष्ट हूँ, इस आधार पर मैंने तय किया कि श्री कृष्णपालसिंह जी के बंगले पर धरना दूँगा और वहाँ 100-50 लोगों को ले जाकर नारे लगवाये। उसके कारण पुलिस मुझ पर यह आरोप लगाती है कि इसके कारण उनके परिवार की शांति में बाधा पहुँची और आसपास के लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं रहा इसलिए आप असामाजिक तत्व हैं। यह भी हो सकता है और इस नाते इसमें जब तक साफ उल्लेख नहीं होगा, तब तक इसका कभी भी दुरुपयोग हो सकता है। इस आधार पर सरकार की मंशा अच्छी है तो उसे यह संशोधन स्वीकार करना चाहिए अन्यथा शासन की ओर से संशोधन प्रस्तुत कर दिया जाये और कहीं भी जोड़ दिया जाये। मैं दोष सिद्ध की व्याख्या विधिमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ वैसे मैंने उसे पढ़ा है, उसके बावजूद भी पुलिस और प्रशासन चलाने वाले अधिकारियों को आवश्यकता हुई तो मुझे कह देंगे कि आप भी दोष सिद्ध हैं, क्योंकि पूर्व में 7 बार जेल गए हैं। यदि मैं राजनैतिक कारणों से ही गया होऊँगा। इस नाते मेरा आग्रह है कि शासन गम्भीरता से इस पर विचार करे। जहाँ तक इस अध्याय का प्रश्न है हमारे माननीय दल के साथियों ने संशोधन प्रस्तुत किए हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। मैं इस अध्याय के सम्बन्ध में एक बात और धारा 17 में कहना चाहता हूँ।

जैसा कि मैंने कहा कि समाज के सुदृढ़ शासन के लिए कड़े प्रावधान रखना चाहते हैं, तो समाज के हित में हम सरकार के शस्त्रों से सुसज्जित करने में बाधक नहीं बनना चाहते किन्तु दो ही आश्वासन चाहते हैं। एक तो यह कि इसका राजनैतिक दुरुपयोग न हो और दूसरे यह कि व्यक्ति के आधारभूत और नागरिक के अधिकारों पर किसी प्रकार का कुठाराघात न हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नागरिक अधिकारों का मतलब यह भी नहीं होना चाहिए कि समाज के सुव्यवस्थित संचालन के लिए अगर कोई व्यवस्था बनाई जाये तो उसका भी विरोध हो कि नागरिक अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। इस नाते से अगर कोई सख्त प्रावधान सुरक्षा की दृष्टि से, अच्छी नियत से किया जाता है और उसका दुरुपयोग नहीं किया जाता है तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। परन्तु कभी भी हम सब इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि नागरिकों के जीने के अधिकार भी छीन लिए जाएँ यही प्रावधान इसमें हैं, अगर आप धारा 17 को देखें। आपने उसमें कहा है कि धारा 11, 12 या 13 के अधीन या राज्य सरकार द्वारा धारा 16 के अधीन पारित किया गया कोई आदेश किसी न्यायालय में निम्नलिखित आधारों पर ही प्रश्नगत किया जाएगा अन्यथा नहीं इसमें आपने तीन कारण दिए हैं पहला यह कि प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया। दूसरा यह कि जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिस पर कि वह अपना आदेश आधारित कर सकता था और तीसरा यह कि जिला मजिस्ट्रेट की यह राय नहीं थी कि साक्षी गण उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके कि सम्बन्ध में धारा 12 के अधीन आदेश पारित किया गया था, खुलेआम साक्ष्य देने के हेतु आगे जाने के लिए रजामन्द नहीं थे। ये कारण आपने बताए हैं। मेरा कहना है कि इन तीन कारणों में से अगर कोई कारण नहीं होगा तो वह न्यायालय में प्रश्नगत नहीं कर सकेगा इसलिए इसमें इस बात की महती आवश्यकता है कि एक उपधारा इसमें जोड़ी जाये जिसके सम्बन्ध में मैंने संशोधन दिया है कि "यह कि अन्य ऐसा आधार जो इसके नागरिक अधिकार पर आघात करने वाला हो।"

मैं समझता हूँ कि शासन को इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए जब नागरिक अधिकारों के हनन की बात होगी तभी वह न्यायालय में जाएगा। आपके द्वारा न्यायालय में जाने के द्वार बन्द नहीं होना चाहिए जिसके विरुद्ध कि जिला मजिस्ट्रेट कार्यवाही करना चाहता हो। इसके बाद मैं इसी अध्याय की धारा 20 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूँगा जिसमें राज्य शासन ने निर्वसन के बारे में कहा है। इसमें इतना वेग लिखा गया है कि कल इसके क्या परिणाम निकाले जा सकते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इसमें ऐसा कुछ बुरा नहीं लिखा मंशा हमारी

अच्छी है। लेकिन कल किन अर्थों में इसको लिया जाता है इसके सम्बन्ध में कोई चैक नहीं है और इसका भविष्य में दुरुपयोग हो सकता है। इसके पश्चात् इस विधेयक के अध्याय 5 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूँगा इसमें कहा गया है कि (लोकक्षेम और व्यवस्था में) किसी क्षेत्र में सैनिक प्रकार के ऐसे शिविरों का लगाया जाना निर्बंधित कर सकेंगे। मैं मानता हूँ कि सैनिक शिविर लगाना निर्बंधित होना चाहिए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि यह जोड़ने की इसमें क्या आवश्यकता थी कि "किसी ऐसे अभ्यास, संचालन, व्यवस्थित चालन या कवायद का कराया जाना प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित कर सकेगी। शासन को यह स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि शासन आर.एस.एस. की गतिविधियों पर रोक लगाना चाहता है आपको साफ रूप में यह कहना चाहिए, काफी दिनों से यह चर्चा का विषय बना हुआ है, एक बार इस पर खुलेआम चर्चा हो जाना चाहिए।

आर.एस.एस. के बारे में आप चाहे जो संदेह करते हों परन्तु आजादी के 30 वर्षों के पश्चात् भी इस प्रदेश में एक भी उदाहरण ऐसा प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि आर.एस.एस. ने समाज व्यवस्था को अव्यवस्था में बदलने का प्रयास किया हो। यह सच है कि इन तीस वर्षों के दौरान दैवीय विपत्तियों के समय इस संगठन ने अनेक श्रेष्ठ कार्य अपने हाथ में लिए। वनवासियों की अनेक योजनाएँ आर.एस.एस. के सहयोग से चल रही हैं। परन्तु राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अपने बीस वर्ष के कार्यकाल में एक बार भी ऐसा अवसर नहीं आने दिया। कहीं प्रदेश में ऐसा कोई उदाहरण बता दें, ऐसा कोई अवसर बता दें जबकि संघ ने कोई अनुचित कार्य किया हो। केवल राजनीतिक आधार पर संघ के ऊपर हिंसा करने का दोष लगाना और टीका-टिप्पणी करना यह ठीक नहीं है। क्योंकि संघ की विचारधारा आपकी विचारधारा से मेल नहीं खाती। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि जब आप लोकतंत्र को स्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि संघ की विचारधारा ठीक नहीं है तो आप समाज को समझाइए कि समाज उस विचारधारा को न मानें। परन्तु आप तो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, शासन सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और संघ को दोष देते हैं। और संघ को अपना कार्य करने से रोकते हैं। मौरवी में जब बाढ़ आई थी तो सैनिक वहाँ की सड़ी-गली लाशें उठाने से इन्कार करते थे परन्तु संघ के स्वयं सेवकों ने वह कार्य भी बिना किसी हिचक के किया। आन्ध्र में बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास का कार्य किया, मौरवी में, गुजरात में कार्य किया।

मध्यप्रदेश में अनेक जनकल्याणकारी कार्य किए। संघ के जो आदर्श और सिद्धांत हैं जिनको लेकर के वह कार्य कर रहा है उनको पूरा करने के लिए वह कृतसंकल्प है। शासन मैं और दल में जो लोग हैं वह जानते हैं कि संघ ने समाज के उत्थान में कितना सहयोग दिया है और दे रहा है फिर कोई कारण नहीं है कि आप इस प्रकार की बात सोचें और इस प्रकार की बात मन में लावें। इसमें कोई उल्लेख नहीं है परन्तु सरकार की ऐसी मंशा है कि वह संघ के कार्य में, दैनंदिन के कार्य में प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहती तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा इसमें प्रावधान नहीं है परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से यदि कोई क्षोभ और व्यवस्था के नाम पर कुछ करना चाहते हैं और राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए उसका उपयोग करना चाहते हैं तो इस प्रकार का शासन से स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ।

हमारे माननीय सदस्यों ने कुछ संशोधन प्रस्तुत किए हैं वह उस पर अपने विचार रखेंगे, इसमें कुछ स्थान और क्षेत्र तक पहुँचने की जो बात रखी गई है यद्यपि उस प्रावधान का उल्लेख नहीं है, कर्मचारियों के बारे में आपने कुछ नहीं रखा है परन्तु इसमें सब वर्ग आ जावेंगे। निर्बंधन का भी इसमें प्रावधान रखा गया है उसमें भी किसी वर्ग का उल्लेख नहीं है। यदि आप उसका युक्तियुक्त रूप से पालन करेंगे, निष्पक्ष रूप से पालन करेंगे तो हम निश्चित रूप से उसमें सहयोग करेंगे और पूरा-पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन केवल विरोधियों के दबाने के लिए जैसा कि 1975 में मीसा में बन्द कर दिया गया था और बिना कोई कारण बताए किसी ने भी प्रधानमन्त्री से जाकर यह तक नहीं कहा कि इनका कोई दोष नहीं है इनको क्यों बन्द किया जा रहा है, ये कोई सरकार को उखाड़ नहीं रहे हैं और न कोई हिंसा के तरीके अपना रहे हैं।

आप बार-बार लोक क्षेम की दुहाई देते हैं, न्याय की बात करते हैं। जो हजारों परिवार टूट गए हैं उनको 25-25 हजार रुपये खैरात नहीं कर्ज के रूप में दे दिए हैं। पेंशन नहीं दी है, कर्ज दिया है उनको कर्ज दिया, ब्याज किसी ऐसे काम के लिए दिया जिससे उनके परिवार का पुनर्वास हो जाये। आपको उसमें भी राजनीति दिखाई देती है।

आप कहते हैं कि यह दुरुपयोग किया गया जनता के धन का। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कौन-सी सत्ता का उपयोग किया था जो उन हजारों निर्दोष लोगों को बन्द किया गया था इस आधार पर मेरा यह कहना कि इस दृष्टि से इस बात पर विचार आपको करना पड़ेगा। आज बहुत अच्छी बात है कि ढाई साल के अंदर आप पुनः सत्ताप्रक्ष में बैठे, अब आपकी आँखें खुल जानी चाहिए। जिन मामलों में हम भ्रम में थे, वह भ्रम दूर कर रहे हैं, जिन मामलों में आप भ्रम में थे आपका भी भ्रम दूर हो जाना चाहिए। हमारे आपके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र। हम लड़ें खिलाड़ी की भावना से लड़ें यह टट्टी की ओट से जो प्रयास कर रहे हैं, वह निंदनीय है। इस बात की चेतावनी मैं सरकार को देना चाहता हूँ। मैं आपका ध्यान 7 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिसकी जिसकी धारा 36 में निवारक निरोध का प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को राज्य सरकार या सचिव की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का राज्य सरकार का कोई ऐसा अधिकारी जिसे उस सरकार द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से सशक्त किया गया हो यदि किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में उसका समाधान हो जाये तो वह उसके निरोध का प्रस्ताव कर सकेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रावधान का मुझसे बड़ा भुक्तभोगी कोई नहीं हो सकता है। यह निरोध का कानून जो आपने पेश किया है, लोकसभा के अन्दर भी घोषणा की गई थी कि इसका उपयोग राजनैतिक हितों के उपयोग के लिए कभी नहीं किया जायेगा लेकिन इतिहास साक्षी है कि उसका उपयोग आपने राजनैतिक हितों के लिए किया है। हमारे अधिकार आपने छीन लिए। हमारे अदालत में जाने के अधिकार छीन लिए और अनंतकाल तक हमको जेल में रखने का प्रयास आपने किया, जबकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। अध्यक्ष महोदय उसमें भी सलाहकार कोई बना था लेकिन उनकी बैठकें कभी नहीं होती थीं।

सात दिन के अन्दर उनको मीसा कनफर्म करना था लेकिन मुझे मालूम है पूरे 38 दिन के बाद मीसा कनफर्म किया। अगर आप कोई बात लोकहित में रखना चाहते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं हैं लेकिन अगर आप इसलिए रखना चाहते हैं कि उसके आधार पर अपनी सत्ता की कुर्सी सुरक्षित करें तो उसकी शक्ति जनता के हाथ में है। जनता ने इतनी शक्ति आपको दी है कि "न भूतो न भविष्यति" न कभी मिली है न मिल पायेगी। इसीलिए आपको क्या इतनी शक्ति जनता ने दी है कि इस प्रकार दुरुपयोग करने वाला प्रावधान रखें? एक को लज्जा नहीं आती। जुए में हारे हुए खिलाड़ी की तरह सिर झुका कर क्यों बैठे हैं, एक तो कहे कि यह प्रावधान ठीक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी कारण मैंने धारा 36 के अन्दर एक संशोधन सुझाया है और वह संशोधन यह है कि—

प्रस्तावित उपखण्ड (1) के स्पष्टीकरण को क्रमांक '1' के रूप में क्रमांकित किया जाकर उसके पश्चात् निम्न लिखित स्पष्टीकरण अन्तः स्थापित किया जाये, अर्थात—

(2) स्पष्टीकरण उपधारा में अभिव्यक्त राज्य की सुरक्षा के अन्तर्गत इसका उपयोग राजनैतिक दलों की स्वाभाविक गतिविधियों पर और राजनैतिक दलों के कार्यकर्त्ताओं पर कदापि नहीं किया जायेगा।

कल मुख्यमंत्री जी स्वयं सदन में कह चुके हैं कि आप निश्चिन्त रहें इसका उपयोग राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं और राजनैतिक दलों के लिए नहीं करेंगे इसलिए आपको यह प्रावधान जोड़ देना चाहिए जिससे यह आशंका समाप्त हो जाये। इसके साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि सलाहकार बोर्ड की बात कही गई है। मेरा यह कहना है कि इसमें यह कहा गया है कि सलाहकार बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे और एक अध्यक्ष होगा। और इस आधार पर वह बोर्ड अपनी सिफारिश करेगा और उनके अनुसार शासन काम करेगा हमने यह देखा है कि उस समय सलाहकार बोर्डों की सिफारिशें लगा दी गई लेकिन उन पर शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया, तो मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए।

आज जो समाज विरोधी तत्व हैं और मुनाफाखोरी करने वाले व्यक्ति हैं उनके खिलाफ हो लेकिन न्याय की प्रक्रिया सुचारु रूप से चलनी चाहिए, यह नहीं होना चाहिए कि सात दिन का प्रावधान है तो सात महीने तक भी सुनवाई न हो इसलिए हमारे साथ साथियों ने जो संशोधन रखे हैं उन पर सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी आपने दस-बारह दिन का प्रावधान रखा है। उसके स्थान पर हमने सात दिन का प्रावधान करने की सलाह दी है और इसी प्रकार से अन्य छोटे-मोटे संशोधन दिये हैं उन्हें प्रस्ताव किया जायेगा तो उन पर हम विचार करेंगे। तो

इस आधार पर मेरा यह कहना है कि मुख्यमंत्री जी की तरह सारे प्रदेश की समस्याओं को राजनैतिक चश्मों से हम नहीं देखते कि उन्होंने आज से तीन महीने पहले बिना आवश्यकता अनुभव किये, बिना प्रदेश की स्थिति का सही ध्यान किए और बिना प्रदेश के हित-अहित का ध्यान किए एक अशांति मचा दी। और न जाने क्या-क्या वक्तव्य दिए और सुरेश सेठ जी ने भी पत्र लिखे थे। मैं आशा करता हूँ कि इस पर वे अब जरूर बोलेंगे कि सरकार जो यह गलती करने जा रही है उसको डाँटेंगे तो मैं समझूँगा कि उनकी लोकतंत्र में आस्था है। मैं माननीय सदस्यों के विवेक को जगाना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के सुव्यवस्थित संचालन का जहाँ तक प्रश्न है। हम शासन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि समाज के सुव्यवस्थित संचालन में सहयोग देने के लिए ही हम यह संशोधन करना चाहते हैं हम आपकी तरह मिनी मीसा कहकर हल्ला नहीं करना चाहते।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/20 सितंबर 1980, पृष्ठ/ 2709-2715)

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : आदरणीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने, श्रीमान कैलाश जोशी जी ने, तथा अन्य सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। सभापति महोदय, श्री कैलाश चन्द्र जोशी जी के विचार और अन्य माननीय सदस्यों के विचारों में थोड़ी सी भिन्नता थी और यह स्वाभाविक भी है। श्री जोशी जी थोड़े ही दिन के लिये क्यों न सही इस प्रदेश का राजनैतिक संचालन मुख्यमंत्री के रूप में कर चुके हैं। इसलिए यदि उनके विचार व्यवहारिक कठिनाइयों और यथार्थ की आवश्यकतानुसार प्रभावित हो रहे थे तो यह उपयुक्त ही था। अन्य माननीय सदस्यों ने कुछ शंकाओं पर और कुछ संभावनाओं पर और कुछ अपने पूर्वागृहों पर अपने तर्कों को प्रस्तुत किया। मैं प्रयास करूँगा कि इन तीनों के सम्बन्ध में कुछ कह सकूँ। कल हमारी इस विधानसभा में एक विधेयक ने, सभी प्रकार की फिलासफी, आईडियालोजी और दूसरी ओर उच्चकोटि की जो भी दूसरी बातें हो सकती थीं, उससे हमारे भाई रमाशंकर जी ने शुरू किया और जिस स्तर पर लाकर समाप्त किया वह भी उनके स्तर पर उचित ही था।

सभापति महोदय, किसी भी राज्य में न केवल सम्पूर्ण रूप से शांति कायम रखने के लिए बल्कि साथ ही साथ उन सिद्धांतों की रक्षा के लिये जिनके लिये प्रत्येक शासन निर्मित होता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिये जो अधिकार किसी भी समाज की आधारशिला होते हैं उनके लिए आज आधुनिक युग में जितने भी उपाय दुनिया के सामने हैं उनमें से कुछ परोक्ष हैं और कुछ पीछे से हैं। उनके सम्बन्ध में समाज को ही और उस समाज के प्रतिबिम्ब इस विधानसभा में हैं, हमें नियम करना पड़ेगा और उसी अनुसार यह विधेयक यहाँ इस विधानसभा में प्रस्तुत करना पड़ा। पहले यह समाचार दिया गया कि इस विधानसभा के सत्र के समाप्त होने के बाद इस विधेयक को एक अध्यादेश के रूप में पारित किया जायेगा। फिर एक अखबार में यह भी समाचार आया कि राज्यपाल महोदय ने अध्यादेश को लाने से मना कर दिया है इसलिए विधेयक को विधानसभा में लाना पड़ा है। तो सभापति महोदय, मुझे कहना है कि इस विधेयक को जिसको कि हमें विधि बनाना है उसको किसी भी समय हमारे सामने यह नहीं था कि इसको बिना विधानसभा में चर्चा किए ही विधि बना दिया जाये। ऐसी हमारी मंशा कभी नहीं थी। हम इस विधानसभा के सामने उन सभी तथ्यों को रखकर समाज के सामने जो खतरे हैं उनका सामना करने के लिए इसको लाना पड़ा है उन पर सदन में चर्चा होना है। इस विधेयक के बारे में जो ईमानदारी से चर्चाएँ की जाती हैं उन पर अमल किया जायेगा। यह न केवल हमारे शासन के हित में है बल्कि उन नागरिकों के हित में भी है जिनके लिये कि यह विधेयक यहाँ लाने पर सबसे पहले आपत्ति उठाई गई। सभापति महोदय, यह विधेयक नागरिकों के अधिकारों का हनन करने वाला विधेयक नहीं है। सभापति महोदय, समाज में आज जितने भी लोग हैं, नागरिक हैं। इस देश में जितने भी लोग नागरिकता के अधिकार रखने वाले हैं वे नागरिक हैं। यदि कोई शांति और व्यवस्था को भंग करता है तो इसके लिए यदि सीमा रेखाएँ नहीं खींची जायें तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई समाज में व्यवस्था को शांतिपूर्ण चला सकेगा और वही सीमाएँ खींचने का प्रयास किया है। वह उनको जो शांतिपूर्वक तरीके से उन नागरिकों को अपने राजनैतिक अधिकारों का उपयोग करता है तो कोई बाधा नहीं डाली जायेगी।

इस प्रदेश में उदाहरण स्वरूप जो राजनैतिक दल जनता की सहमति से कार्य को करते हैं उनके विरुद्ध इस विधेयक का उपयोग नहीं किया जाएगा। यदि कोई राजनैतिक दल शासन को अपदस्थ कर बैठना चाहता है तो भी उनके खिलाफ इसका उपयोग नहीं किया जायेगा यदि वह शांतिपूर्ण तरीके से किया जाये। उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। लेकिन जो नागरिक अन्य नागरिकों की परवाह न करते हुए और शांति तथा व्यवस्था के अधिकारों की परवाह न करते हुए स्वच्छंद आचरण करेगा उसके खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जाएगी। जो जमाखोरी करेगा, साम्प्रदायिक तनाव पैदा करेंगे, एक वर्ग और दूसरे वर्ग में भेद करेगा, एक से दूसरे को लड़ाने के लिए अगर कोई चेष्टा करेगा तो चाहे वह नागरिक हो और चाहे वह नागरिक न हो निश्चित रूप से वह समाज का विरोधी है और प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ इस विधेयक का उपयोग किया जायेगा। (थपथपाहट) इसलिए यह जो आपकी शंकाएँ हैं, वे शंकाएँ बिल्कुल निर्मूल हैं।

फिर यह कहा गया कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। मैं माननीय सदन के सदस्यों को इस बात की याद दिलाना चाहूँगा कि यह विधेयक जो आज प्रस्तुत हुआ है यह मध्यप्रदेश की स्टेच्युट-बुक में सन् 1959 से लगातार आज से 3 वर्ष पहले तक था। सभापति महोदय, यह 17 वर्षों से यह विधेयक के रूप में प्रभावशील रहा है और इन 17 वर्षों से इस प्रदेश के अन्दर काँग्रेस पार्टी का ही शासन था। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर उपस्थित कोई भी माननीय सदस्य ऐसा एक भी उदाहरण बता दे कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के खिलाफ इस कानून का उपयोग किया गया हो? यदि इन 17 वर्षों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के खिलाफ इसका उपयोग नहीं किया गया तो आपको फिर आशंका करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन इतना स्पष्ट है कि इस विधेयक में किसी भी संस्था का नाम नहीं लिया गया है। जो संस्थाएँ हैं, विशिष्ट प्रकार के आचरण करने वालीं संस्थाओं के विरुद्ध ही इसका उपयोग किया जाएगा और वह इसलिए सभापति महोदय, कि जब कोई भी संस्था एक प्रजातांत्रिक देश में अधिनायकवादी तरीके से पार्लियामेंटरी प्रोग्राम के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके के विरुद्ध हिंसा और आतंक के आधार पर राज्य सत्ता में परिवर्तन करने का प्रयास करेगी तो फिर वह चाहे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हो या फिर कोई अन्य संस्था हो, उसके खिलाफ अवश्य कड़ी कार्यवाही की जायेगी (थपथपाहट)। इसलिए आपकी यह शंका और मैं तो ऐसा समझता हूँ कि जब कहीं कोई आधार ही नहीं है, तो उस बात की शंका बार-बार व्यक्त करना यह कौन-सी मनोवृत्ति का परिचय देती है। जैसा मैंने कहा कि न पूर्व में कोशिश की गई और न अब होगी। लेकिन जब तक इनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जायेगी तो इसका उपयोग भी नहीं किया जायेगा। किसी संस्था के खिलाफ कार्यवाही करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

फिर कहा गया कि अदालतों को इसके सम्बन्ध में कम अधिकार दिए गए हैं। सभापति महोदय, इसके खण्ड 17 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धारा 11, 12 और 13 के अधीन राज्य सरकार द्वारा कोई कार्य किया जाता है, 16 के अधीन पारित किया गया कोई आदेश किसी न्यायालय में निम्नलिखित धाराओं पर ही सीमित रहेगा। यह जो जिला मजिस्ट्रेट को धारा 15 (1) की प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया याने निवारक नजरबन्दी के तहत किसी मजिस्ट्रेट ने पालन नहीं किया तो चैलेंज किया जा सकता है। दूसरी चीज यह है कि जिला मजिस्ट्रेट के सामने ऐसी कोई सामग्री नहीं रखता है जिस पर वह अपना आदेश आधारित कर सकता है। इसको समझाने की जरूरत नहीं है। धारा 15 (3) यह कि जिला मजिस्ट्रेट की यह राय उस साक्षी गण उस व्यक्ति के विरूद्ध जिसके सम्बन्ध में धारा में अपना आदेश पारित किया था। अब बताइए सभापति महोदय, आप स्वयं बहुत बड़े वकील हैं ऐसी कोई चीज बाकी रह गई जिस पर अदालत का अंकुश नहीं है। आधार पर चैलेंज कर सकते हैं, प्रोसीजर पर चैलेंज कर सकते हैं, उसकी मंशा पर चैलेंज कर सकते हैं, और आप कहते हैं कि अदालत को बाहर रख दिया गया है। आप तर्क ही देना चाहते हैं तो मैं नहीं कह सकता लेकिन प्रावधानों के आधार पर तर्क देने का प्रयत्न करेंगे। बिना तर्क के आधार पर किसी विधेयक की सार्थकता नहीं मानी जा सकती।

श्री विक्रम वर्मा : यदि मुख्यमंत्री जी आज्ञा दें। जैसा कि वे कह रहे हैं केवल प्रकरण से संबंधित है।

निवेदन करूँगा कि आगे की ओर देखें और आगे चलने की कोशिश करें।

श्री चौधरी दिलीप सिंह : मैं माननीय अर्जुनसिंह जी से निवेदन करूँगा कि धारा 44 व 45 और उनके दो सब क्लाज में स्पष्ट है कि वाइडिंग नहीं है। शायद इन क्लाज का कोई हिन्दी में मिला है किसी भी क्लाज में यह स्पष्ट नहीं है कि कैसे वाइडिंग होगा। कोर्ट की ओपीनियन होगी। लाभ पोजीटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। यह कहा पोजीटिव नहीं है कि कोर्ट की राय राज्य सरकार को वाइडिंग होगी, हो सकती है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं समझता हूँ कि इस बात को हम अदालत पर छोड़ दें, क्योंकि वही इस बात का निर्णय करेगी। प्रावधान के मुताबिक तो बहुत स्पष्ट है और शायद इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुआ है तो यहाँ प्रस्तुत नहीं किया जाता लेकिन उसको आप चाहें तो देख लें, आप अपने को संतुष्ट कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मैं यह बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि हमने केवल इस आधार पर कि यह विधेयक इस प्रकार से 17 वर्षों से इस प्रकार से प्रभावशाली था तो हम ऐसा विधेयक लाना ही चाहते थे इसलिए हमने इसको लाकर यहाँ पर उपस्थित कर दिया। हमने इस बात को देखने का प्रयास नहीं किया कि उसकी कोई धारा या चेप्टर शायद अब या तो उपयुक्त नहीं है या उसके अन्तर्गत कुछ अधिकार जिनके कि ज्यादा प्रावधान हैं। जिन्हें हम ऐसा समझते हैं कि उस अधिकार को जो कि संदर्भ में हमें नहीं लेना चाहिए, और न प्रशासनिक अधिकारियों को देना चाहिए और इस बात का प्रमाण ये है कि जो पहला विधेयक था उपाध्यक्ष महोदय, उसमें दो प्रावधान और थे। एक तो था आब्जेक्शन पब्लिकेशन्स को बेन करने का जिसमें समाचार-पत्र कोई पब्लिकेशंस किताब वगैरह उसके सम्बन्ध में एक पूरा चेप्टर था। चूँकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कायम रखना, सम्पूर्ण तरीके से उसको संरक्षित रखना यह शासन अनिवार्य आवश्यक समझता हूँ इसलिए हमने उस चेप्टर को इस विधेयक से बाहर कर दिया। दूसरा प्रावधान था संपत्ति के अधिग्रहण का और संपत्ति का अधिकार काफी व्यापक था। चूँकि संपत्ति के अधिग्रहण से जो व्यक्ति असामाजिक तत्व इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं वह तो प्रभावित होता ही है साथ ही साथ उनका पूरा परिवार प्रभावित होता है। कई लोगों के ऊपर ज्यादती होती है, उनको कठिनाई पैदा होती है इसलिए हमने उस अध्याय को भी इस विधेयक के बाहर कर दिया और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह व्यक्तिगत सवाल नहीं है। यह कोई हमारी ओर से इस विधानसभा के समक्ष या इस प्रदेश की जनता के समक्ष कोई वचन देने का सवाल नहीं है।

यह दृष्टिकोण हमारे दल का है, हमारे मन्त्रिमन्डल का है और हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्देशों पर चलने वाली पार्टी का है और इसलिए हम इसके लिए वचनबद्ध हैं कि इन अधिकारों का जो हम इस विधेयक के माध्यम से इस विधानसभा से माँग रहे हैं। उनका उपयोग इस प्रदेश के अन्दर असामाजिक तत्वों के विरोध में, शांति और व्यवस्था को भंग करने वालों के विरोध में, साम्प्रदायिक तनाव फैलाने वालों के विरोध में, हमारी माता-बहिनों के खिलाफ बर्ताव करने वालों के खिलाफ, हरिजन-आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को सताने वालों के खिलाफ और अब ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो अमन और चैन की बर्बादी चाहते हैं। समाज में शांति और व्यवस्था को बनाकर रखने में सहायक के बजाय बाधक होते हैं उनके खिलाफ इस अधिकार का उपयोग किया जायेगा। इस प्रदेश के अन्दर यदि रमाशंकर भाई, कैलाश जी या और कोई व्यक्ति विद्रोह करता है, इस शासन को बदलकर स्वयं अपना शासन बनाना चाहते हैं और राजनीतिक प्रक्रिया के मुद्दे शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहते हैं आपको पूरी छूट है, किसी प्रकार की रोक नहीं है। न जुलूस में रोक है, न सभा में रोक है न भाषण में रोक है न कोई कार्यवाही पर रोक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आधुनिक प्रशासन, आधुनिक समय में भारतवर्ष के अन्दर जो परिस्थितियाँ निर्मित हो रही हैं जहाँ हर प्रकार के अथारिटी को चैलेन्ज करने की एक नई प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। इसलिए उसके ऊपर जो लोग ऐसा कर रहे हैं वे उन किताबों के ऊपर जिनका भाई रमाशंकर सिंह ने उदाहरण प्रस्तुत किया। यदि महात्मा गांधी, थाम्स, रूसो इन लोगों के विचारों से प्रेरित होकर विचार करते तो मैं एक बार नतमस्तक हो सकता हूँ। लेकिन गुण्डों को, बदमाशों को आधार बनाकर, समाज विरोधी तत्वों को आधार बनाकर ऐसे काम करेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। इस प्रदेश में ऐसे तत्वों को किसी भी तरह से न तो संरक्षण मिलेगा

एक तरफ तो डी.एम. को अनलिमिटेड आधार पर पॉवर दे दिए हैं। केवल प्रोसीजर में मामले में कमी रहेगी तो केवल उस कारण कोर्ट में जा पायेगा और उसमें प्रस्तुत इस प्रकार है कि जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष आपने बताया था कि उसके बाद भी वहाँ से मैनुअल बना रखते हैं। यह छोटा-सा आधार भी शासन बताने को तैयार नहीं है कि किस आधार पर आप उसको कह रहे हैं जब आधार बताने की बात स्पष्ट नहीं है कि वहाँ केवल प्रोसीजर मिस्टेक के बारे में संकेत कर रहे हैं। रीजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : आपने नहीं सुना तो मैं लाचार हूँ। अब क्या कहना क्या ढिंढोरा पीटें। दूसरी बात सभापति महोदय अभी एडवायजरी काऊंसिल के सम्बन्ध में कहा कि अँगूठा छाप वाले लोग आयेंगे तो वे मानेंगे नहीं। मैं दिलीप सिंह चौधरी से निवेदन करता हूँ कि हममें से प्रत्येक आपकी तरह बुद्धिमान हो, डिग्रियाँ हों, जरूरी नहीं है। हममें से बहुत से साथी हो सकते हैं और उनको मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है लेकिन जब कानून में साफ लिखा है कि एडवायजरी काऊंसिल की राय वाइडिंग होगी, सेल यूस किया है। उसके बाद चाहे अँगूठा छाप हो, एल.एल.बी. हो कानून के तहत उसको मानना पड़ेगा।

चौधरी दिलीप सिंह : सबसे पहले मैं अर्ज करूँ कि कानून मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों के लिए नहीं है, बल्कि कानून हमेशा के लिए बनता है। आज आप काबिल हैं लेकिन कल अँगूठा छाप हो सकते हैं प्रश्न यह है कि जो धारा 44 है उसमें बहुत स्पष्ट है कि (1) "सलाहकार बोर्ड अपने समक्ष रखी गई सामग्री पर विचार करने के पश्चात् तथा राज्य सरकार से या राज्य सरकार के माध्यम से इस प्रयोजन के लिए बुलाए गये किसी व्यक्ति से या संबद्ध व्यक्ति से ऐसी अतिरिक्त जानकारी जैसी कि वह आवश्यक समझे। मँगाने के पश्चात् और यदि किसी विशिष्ट मामले में ऐसा करना आवश्यक समझती हो अथवा यदि संबद्ध व्यक्ति यह चाहता हो कि उसे सुना जाये तो स्वयं उसको सुनने के पश्चात् राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट संबद्ध व्यक्ति के निरोध की तारीख से सात सप्ताह के भीतर भेजेगा।"

श्री अर्जुनसिंह : आप धारा 10 को देखने का कष्ट करें जिसमें यह लिखा हुआ है। धारा 10 के बाद "राज्य सरकार सलाहकार परिषद की राय के अनुसार निर्बंधन आदेश की पुष्टि करेगी उसे उपांतरित करेगी या रद्द करेगी। अब इसकी और कोई परिभाषा होती हो तो मैं और कहीं पढ़ लूँगा।

श्री विक्रम वर्मा : मुख्यमंत्री जी धारा 10 के पहले 9 (4) में देखिए "राज्य सरकार तथा सलाहकार परिषद द्वारा दी रिपोर्ट के उस भाग के सिवाय जिसमें कि सलाहकार परिषद की राय विनिर्दिष्ट है, गोपनीय होगी और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी न्यायालय किसी लोक सेवक से यह अपेक्षा करने का हकदार नहीं होगा कि वह पूवाक्त दस्तावेजों से कोई दस्तावेज उसके समक्ष पेश करें।"

माननीय सभापति जी, यह स्पष्ट है कि हम इस प्रकार से कोर्ट भी अनलिमिटेड कर रहे हैं, प्रतिबंधात्मक कर रहे हैं। कोई दस्तावेज बताने के लिए किसी प्रकार से गोपनीय रिपोर्ट होगी वह न्यायालय के सामने भी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं हैं। आप पहले तो प्रतिबन्ध लगा रहे हैं 9वें में और 10वें में फिर आप अपनी उदारता बताने के लिए लिख रहे हैं कि सलाहकार परिषद की राय के अनुसार निर्बंधन आदेश की पुष्टि करेगी यदि न्यायालय में आदमी चुनौती देता है तो दस्तावेज आप पुटअप नहीं करेंगे, आप कह देंगे, नोटशीट प्रस्तुत नहीं करना चाहते। (व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई वकील तो नहीं हूँ, पढ़ा जरूर हूँ बी.ए. एल.एल.बी. लेकिन वकालत मैंने नहीं की। शायद विक्रम वर्मा वकालत भी करते हैं जैसा मैं जानता हूँ। इस तरह रिपोर्ट देने का कुछ भी हो यदि वह रिपोर्ट या राय नियम, कानून-कायदे के अन्तर्गत जिसका स्पष्ट प्रावधान अधिनियम में है शासन के ऊपर बाध्य है तो मैं जानना चाहता हूँ कि किस प्रावधान के अन्तर्गत शासन उस राय को न माने मैं जानना चाहता हूँ। आप बताइए।

श्री विक्रम वर्मा : आप कह रहे हैं कि गोपनीय रिपोर्ट होगी और दस्तावेज बुला नहीं सकते और तीसरे परिषद का गठन इस प्रकार किया गया है कि शासन के निर्देशों को मानें और आप उसमें लिख रहे हैं कि ऐसे सदस्यों की बहुसंख्या की राय को प्रदत्त समझा जायेगा, शासन परिषद को निर्देश दे सकती है।

श्री अर्जुनसिंह : वर्मा साहेब आप आगे जाते हैं फिर केंकड़े की तरह पीछे जाना चाहते हैं। मैं तो उनसे

और न ही वे ऐसा करने की हिम्मत करेंगे।

उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था विधेयक 1980 प्रस्थापनानुसार निर्मित प्रवर समिति को सौंपा जाये।

कई माननीय सदस्य : डिवीजन।

श्री विक्रम वर्मा : यह होना चाहिए इससे पता लग जाये कि किसने विरोध में मत दिया।

श्री अर्जुनसिंह : इनको एक डिवीजन तो लेना है, इसी में ले लेने दीजिए।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/20 सितंबर 1980, पृष्ठ/ 2736-2740)

सत्रावसान

..... दायित्व और अधिकार किसी किताब से नहीं निकलते। जो दायित्व और अधिकार किताबों के पन्नों से निकलते हैं; वे किताब के पन्नों में फँसकर रह जाते हैं और जो दायित्व और अधिकार जनता के विश्वास, आस्था और आशीर्वाद से बनते हैं। वे आस्था और दायित्व प्रजातंत्र में स्थायी हो सकते हैं और उनको आधार बनाकर कोई भी आगे बढ़ सकता है।

— मध्यप्रदेश विधानसभा में अर्जुनसिंह
17 सितम्बर 1988



1981

1981 का बजट सत्र 25 फरवरी को प्रारंभ हुआ। अध्यक्ष श्री यज्ञदत्त शर्मा, उपाध्यक्ष श्री रामकिशोर शुक्ल, राज्यपाल श्री भगवत दयाल शर्मा और मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह।

उपचुनावों में नरसिंहपुर से श्री अजय नारायण मुश्रान और इन्दौर-1 से श्री सत्यनारायण सत्तन विजयी होकर आये और उन्होंने शपथ ग्रहण की। ये सीटें क्रमशः श्री श्याम सुन्दर नारायण मुश्रान और श्री चन्द्रशेखर व्यास के आकस्मिक निधन के कारण खाली हो गयी थीं।

सदन में राज्यपाल महोदय का आगमन हुआ। सदस्य श्री रमाशंकर सिंह ने राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार और सदन से बहिर्गमन करते हुए ये शब्द कहे— "महामहिम राज्यपाल महोदय, शंकर गुहा नियोगी, सहदेव साहू और रमेशचन्द्र गुप्ता को आपकी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के तहत गिरफ्तार किया है। श्रीमान् इसी प्रकार राजनैतिक दुर्भावना के कारण सैकड़ों राजनैतिक कार्यकर्त्ता गिरफ्तार किये गये हैं। इतना ही नहीं, काँग्रेसी शासन ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। (व्यवधान) हम आपका अभिभाषण सुनने में असमर्थ हैं और यह ज्ञापन देते हुए उसके खिलाफ आपके अभिभाषण का बहिष्कार करते हैं।" (व्यवधान) श्री रमाशंकर सिंह के साथ श्री कपूरचन्द धुवारा और श्री महेन्द्र शर्मा ने भी बहिर्गमन किया।

राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। अभिभाषण पर सदस्य श्री मोतीलाल वोरा ने कृतज्ञताज्ञापन प्रस्तुत किया। अध्यक्ष ने सदस्यों से कहा कि जो सदस्य कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देना चाहें वे दिनांक 26 फरवरी 1981 को 5 बजे तक विधानसभा सचिवालय में दे दें।

26 फरवरी 1981 को सदस्य श्री गौरीशंकर शेजवार और श्री रमाशंकर सिंह ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के होर्डिंग्स के विषय में तारांकित प्रश्न मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह से पूछा। प्रश्न, पूरक प्रश्न और उत्तर यहाँ दिये जा रहे हैं—

डॉ. गौरीशंकर शेजवार (श्री रमाशंकर सिंह) : क्या मुख्यमंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन के समस्त विभागों द्वारा शासकीय व्यय से जिसकी सूचना प्रकाशन विभाग को है। पूरे मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री एवं भारत की वर्तमान प्रधानमंत्री के चित्रों सहित संदेश वाले लकड़ी एवं टीन के बने बड़े-बड़े विज्ञापन बोर्ड दिनांक 1 जून, 1980 से 23 दिसम्बर, 1980 तक कुल कितने लगाये गये? दोनों की अलग-अलग संख्या बतायें? (ख) उक्त अवधि में उक्त दोनों प्रकार के बोर्डों में कुल कितना व्यय हुआ? तथा अलग-अलग दोनों पर कितना-कितना व्यय हुआ? (ग) प्रति बोर्ड कितना खर्च आया, सामान पर, पेन्टिंग पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, अलग-अलग बताने का कष्ट करें। (घ) क्या इन बोर्डों के लिये कोई ठेका दिया गया था? यदि हाँ तो विज्ञापन क्रमांक बताने का कष्ट करें एवं ठेकेदारों के नाम बताने का कष्ट करें एवं किस दर से इन्हें पेमेन्ट हुआ एवं कब हुआ यह भी बताने का कष्ट करें? (ङ) क्या उक्त प्रकार के कुछ बोर्डों पर लाइट की व्यवस्था की गई है जो रात्रि के समय बोर्डों पर लाईट फेंकी जाती है? यदि हाँ तो इस प्रकार की व्यवस्था प्रदेश में कितने बोर्डों पर है एवं प्राथमिक रूप से लाईट के लिये प्रति बोर्ड कितना खर्च किया गया है, एवं प्रतिमाह बिजली का खर्च

कितना आया है? और इसे कौन वहन करता है?

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : (क) केवल राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री जी के सन्देश के दो तथा मुख्यमंत्री जी के सन्देश के चार होर्डिंग्स लगाये गये हैं। अन्य विभागों द्वारा लगाये गये होर्डिंग्स की जानकारी प्रकाशन विभाग को नहीं है। (ख) कुल रुपये, 18,108 व्यय हुआ है। व्यय का विवरण निम्नानुसार है—

(1) प्रधानमंत्री जी के होर्डिंग्स पर	11.113
(2) मुख्यमंत्री जी के एक नये होर्डिंग्स पर	1,970
(3)मुख्यमंत्रीजी के तीन पुराने होर्डिंग्स पर	5,025
योग	18,108

(ग) प्रति होर्डिंग्स पर निम्न अनुसार व्यय हुआ है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, सामग्री, पेन्टिंग तथा फिक्सिंग आदि सम्मिलित हैं:—

(1) नये होर्डिंग्स पर प्रधानमंत्री जी का सन्देश....	5,556.50
(2) नये होर्डिंग्ज पर मुख्यमंत्री जी का सन्देश	1,970.00
(3) पुराने होर्डिंग्स पर मुख्यमंत्री जी का सन्देश	1,675.00

(घ) जी हाँ। विज्ञापन क्र. 3500 दिनांक 25-7-80 के अनुसार निम्नतम कोटेशन के आधार पर प्रधानमंत्री जी के होर्डिंग्स का कार्य मे. माहेश्वरी एडवरटाइजिंग एजेन्सी, भोपाल को तथा मुख्यमंत्री जी के होर्डिंग्स कार्य मेसर्स लिली सिल्क स्क्रीन एण्ड आर प्रिंटर्स, भोपाल को दिया गया। दोनों पार्टियों के बिल का भुगतान अभी नहीं किया गया है। (ङ) जी नहीं। नगर निगम भोपाल द्वारा पोलिटेकनिक चौराहे पर एक हेलोजन लेम्प अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था के लिये लगाया गया है जिसका प्रकाश प्रधानमंत्री जी के होर्डिंग्स पर भी पड़ता है। यह लैम्प स्ट्रीट लाइट परिपथ से जुड़ा है।

श्री गौरीशंकर शेजवार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न यह था कि पूरे मध्यप्रदेश में वर्तमान मुख्यमंत्री एवं भारत की वर्तमान प्रधानमंत्री के चित्रों सहित संदेश वाले लकड़ी एवं टीन के बने बड़े-बड़े विज्ञापन बोर्ड दिनांक 1 जून, 1980 से 23 दिसम्बर, 1980 तक कुल कितने लगाये गये? इन पर कितना खर्च आया तथा क्या इन पर लाईट की व्यवस्था की गई है जो रात्रि के समय बोर्डों पर लाईट फेंकी जाती है, लाईट पर प्रति बोर्ड कितना खर्च किया गया है एवं प्रति माह बिजली का कितना खर्च आता है और इसे कौन वहन करता है? लाईट खर्च में जवाब दिया गया है कि जी नहीं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि होर्डिंग्स पहले लगा या लैम्प पहले लगा? क्योंकि जवाब में इन्होंने बताया है कि लाईट प्रधानमंत्री जी के बोर्ड पर भी पड़ती है। जबकि अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि लाईट जो है वह स्पष्ट रूप से बोर्ड के ऊपर की गई है। अतः यह बताने की कृपा कीजिये कि होर्डिंग्स पहले लगा या लाईट पहले लगी?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में स्पष्ट लिखा है कि जो प्रकाश चौराहे पर लगाया गया है वह होर्डिंग्स पर प्रकाश डालने के लिये नहीं लगाया गया है। वह चौराहे पर प्रकाश देने के लिये है। और यही सीधा सा उत्तर स्पष्ट रूप से दिया है।

श्री गौरीशंकर शेजवार : माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन दिनों भोपाल में रहते हैं और दिन में उधर से निकलते हैं तो उन्होंने स्वयं इस बात को देखा होगा?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, दिन में लाईट नहीं जलाई जाती। (हँसी)

श्री गौरीशंकर शेजवार : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी जब रात में उधर से निकलते होंगे तो अवश्य देखते होंगे कि पूरी लाईट उस होर्डिंग्स पर डाली गई है?

श्री शीतला सहाय : मुख्यमंत्री जी, रात को सड़कों पर नहीं निकलते। (हँसी)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, रात्रि को मैं अपने घर पर ही रहता हूँ। (हँसी)

श्री गौरीशंकर शेजवार : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर आने से यह बात स्पष्ट हो जावेगी और

इसीलिये मैं यह पूछ रहा हूँ कि वहाँ लाईट पहले लगी अथवा होर्डिंग्स पहले लगा? होर्डिंग्स किस तारीख को लगा यह बताने का कष्ट करें।

श्री चन्द्र प्रभाष शेखर (राज्य मंत्री सूचना एवं प्रकाशन) : अध्यक्ष महोदय, मैं तारीख नहीं बता सकता।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, श्री अर्जुनसिंह के शासन ने यह फैसला किया था कि उनकी सरकार की जो नीति निर्धारित होगी उसी पर जोर देंगे व उसी का प्रसार एवं प्रचार उनके शासन द्वारा किया जावेगा। पर इन होर्डिंग्स से यह स्पष्ट होता है कि इसके विपरीत व्यक्ति विशेष को उठाने के लिये होर्डिंग्स की अधिक से अधिक जगह उनके चित्रों पर लगाई गई है, जो शासन की नीतियाँ हैं उनके लिखने के लिये कम स्थान रखा गया है।

अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या हुआ?

श्री रमाशंकर सिंह : स्पष्ट रूप से मेरा प्रश्न यही है कि इन होर्डिंग्स के माध्यम से शासन द्वारा व्यक्ति विशेष का प्रसार व प्रचार किया गया है व जो नीतियाँ शासन की हैं उनके लिये बोर्ड्स में बहुत कम स्थान रखा गया है। श्री अर्जुनसिंह जी का जो फोटो लगा हुआ है, उसमें अधिक स्थान बोर्ड का घिरा हुआ है वनिस्बत उसके कि जहाँ पर शासन की नीतियाँ लिखी हुई हैं। आखिर इस प्रकार ऐसी दुविधापूर्ण नीति क्यों?

श्री अर्जुनसिंह : माननीय सदस्य को अनुमति है वे स्वयं होर्डिंग्स को देख लें और यह निर्णय कर लें कि कितनी स्पेस फोटू पर खर्च की गई है और कितनी नीतियों को लिखने पर।

श्री रमाशंकर सिंह : अगर मैं देखकर कोई निर्णय लेता हूँ तो क्या वह बाइन्डिंग होगा? (उत्तर नहीं आया)

श्री हिम्मत कोठारी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर के भाग (ख) में बताया गया है कि प्रधानमंत्री जी के होर्डिंग्स पर 11,113 रुपये व्यय हुए जबकि मुख्यमंत्री जी के होर्डिंग्स पर केवल 1970 रुपये तथा मुख्यमंत्री जी के पुराने तीन होर्डिंग्स पर केवल 5 हजार 25 रुपये ही व्यय हुए। आखिर यह खर्चे में इतना अन्तर क्यों?

श्री चन्द्र प्रभाष शेखर : अध्यक्ष महोदय, जो खर्चा आता है वह इस बात पर निर्भर होता है कि होर्डिंग्स की साइज क्या है? बड़े होर्डिंग्स पर ज्यादा खर्चा आता है। इसी प्रकार उन पर जितना पेन्टिंग होता है उसके तथा लाने ले जाने पर जो व्यय होता है उस सबके आधार पर खर्चा आता है। इस कारण अलग-अलग होर्डिंग्स पर अलग-अलग व्यय हुआ है।

श्री कैलाश जोशी : पहली बात तो यह है कि उत्तर यह दिया गया है जो लाईट लगाई गई है वह नगर निगम द्वारा वहाँ चौराहे पर आवागमन की सुविधा के लिये लगाई गई है। यह बात अनुचित है और शासन को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जो लाईट वहाँ लगाई गई है वह विशेष रूप से प्रधानमंत्री के होर्डिंग्स पर पड़े इसलिये लगाई गई है। वास्तव में देखा जावे तो उस लाईट से आवागमन में बाधा ही उत्पन्न होती है। नगर निगम द्वारा स्पष्ट रूप से होर्डिंग्स पर लाईट डालने के लिये ही वह व्यवस्था की गई है। ठीक है लेकिन ऐसी लाईट न की जावे जिससे आवागमन में सुविधा के स्थान पर असुविधा उत्पन्न हो?

श्री चन्द्र प्रभाष शेखर : आपका सुझाव अच्छा है, हम हर अच्छे सुझाव को मानने को तैयार हैं।

श्री बाबूलाल गौर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय के जो चार होर्डिंग्स लगे हुए हैं उनमें से एक जो रायल मार्केट के पास लगा हुआ है उसमें एक संदेश है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तंत्र है, वह प्रजा से न टकराये। इस प्रकार तंत्र द्वारा कार्य किया जाना चाहिए।

श्री चन्द्र प्रभाष शेखर : इस प्रकार के जो होर्डिंग्स लगते हैं उन पर कोई अन्य पोस्टर चिपका देते हैं तो वह गलत पढ़ा जाता है। कोई इस तरह की गड़बड़ी होगी तो ठीक करा ली जाएगी।

श्री बाबूलाल गौर : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बता सकते हैं कि उस पर क्या लिखा हुआ है?

अध्यक्ष : क्या आप बता सकते हैं कि उस पर क्या सूत्र लिखा हुआ है?

श्री चन्द्र प्रभाष शेखर : इस समय मैं नहीं बता सकता।

श्री शीतला सहाय : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या नगर निगम को इस प्रकार की लाईट लगाने के लिए आपके विभाग ने कोई पत्र लिखा था?

श्री चन्द्र प्रभाष शेखर : जी नहीं।

श्री तनवंत सिंह कीर : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या भोपाल के अलावा भी जन-जन तक हमारी देश की प्रिय नेता प्रधानमंत्री तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री का संदेश पहुँचाने के लिये, देश व प्रदेश की तरक्की के लिये जिले व तहसील मुख्यालय केन्द्रों पर और बोर्ड लगाने की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे?

श्री चन्द्र प्रभाष शेखर : इस सुझाव पर विचार किया जायेगा।

श्री बाबूलाल गौर : बोर्ड पर तंत्र के बारे में क्या लिखा हुआ है यह बता नहीं पा रहे हैं और बोर्ड लगाने का कहते हैं तो पहले समझ तो लो?

अध्यक्ष : आपको नहीं मालूम उनको तो मालूम है।

श्री बाबूलाल गौर : अध्यक्ष महोदय, मैं मान लूँगा कि इनका संदेश ठीक है अगर ये बता देंगे तो।

श्री चन्द्र प्रभाष शेखर : क्या लिखा है ये सवाल नहीं है। इस तरह से अनेक बोर्ड लगे हुए हैं।

श्री बाबूलाल गौर : केवल मुख्यमंत्री का चित्र देखने में आता है। संदेश इतने छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि कोई पढ़ नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री चन्द्र दर्शन गौर : हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया इतना महत्वपूर्ण संदेश जिसका कि बोर्ड लगाया गया है उसके लिए अतिरिक्त विद्युत व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे?

श्री चन्द्र प्रभाष शेखर : कैलाश जी ने भी सुझाव दिया है जरूरी होगा तो व्यवस्था की जायेगी।

अध्यक्ष : दोनों विपरीत हैं।

श्री कैलाश जोशी : मेरा विपरीत नहीं है। शासन को उचित व्यवस्था कर देना चाहिए, अगर जरूरी है। वह आवागमन में बाधा उत्पन्न करता है।

श्री कृष्णपालसिंह : माननीय सदस्य, जोशी जी आश्चर्यजनक बात सामने ला रहे हैं इतिहास याद कराना पड़ेगा हमारे मुख्यमंत्री की फोटो देखकर वैसी ही घबराहट आ रही है जैसे शिवाजी की फोटो देखकर औरंगजेब घबराया करते थे।

श्री रघुराजसिंह तोमर : हमको घबराहट नहीं है घबराहट तो आपको है।

श्री चन्द्र दर्शन गौर : यह व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी? (उत्तर नहीं दिया गया)

श्री विक्रम वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश में क्या लिखा है यह उनको मालूम नहीं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, उत्तर में यह आया है कि पूरे प्रदेश के अंदर जगह-जगह लिखा गया है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी चतुराई के साथ छिपा लिया है। सूचना प्रकाशन विभाग ने अलग-अलग विभाग से कहा कि पोस्टर और होर्डिंग तैयार करके लगायें। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते तो जी.ए.डी. से जानकारी लेकर दे सकते थे। प्रदेश के अन्य जगहों पर छोटे रूप में लिखा है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक छोटा-सा प्रश्न पूछना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी का संदेश क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के संदेश से ज्यादा महत्वपूर्ण था जो मुख्यमंत्री जी के चार फोटो वाले बोर्ड लगे और प्रधानमंत्री के केवल दो ही लगे?

श्री चन्द्र प्रभाष शेखर : प्रधानमंत्री जी के और बोर्ड लगाए जा रहे हैं।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/26 फरवरी 1981, पृष्ठ/ 37-39)

ग्राम नया गाँव, थाना ओछापुरा, जिला मुरैना में पुलिस गार्ड के सिपाहियों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार किये जाने के संबन्ध में अध्यक्ष को पाँच सूचनाएँ प्राप्त हुईं। स्थगन प्रस्ताव चर्चा के लिए ग्राह्य किये जाने के संबंध में तीखी बहस हुई और संपूर्ण विरोधी दल ने सदन से बहिर्गमन किया—

अध्यक्ष : मेरे पास दिनांक 4 एवं 5 फरवरी, 1981 की दरम्यानी रात्रि को एक पुलिस गार्ड के सिपाहियों द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार किये जाने के संबंध में निम्नलिखित सदस्यों की स्थगन प्रस्ताव की

सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं—

पहली सूचनाः सर्वश्री मुंशीलाल, शीतला सहाय, डॉ. गौरीशंकर शेजवार की। दूसरी सूचनाः सर्वश्री विक्रम वर्मा, सखाराम देवकरण पटेल, लक्ष्मीनारायण शर्मा की। तीसरी सूचनाः चौधरी दिलीपसिंह की। चौथी सूचनाः श्री रमाशंकर सिंह की तथा पाँचवी सूचनाः सर्वश्री लरंग साय, बलिराम कश्यप, श्री राम जाटव, बाबूलाल गौर, परशुराम साहू, चम्पालाल आर्य की है।

चूँकि श्री मुंशीलाल, श्री शीतला सहाय, डॉ. गौरीशंकर शेजवार सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचना पहले आई है, अतः उसे पढ़कर सुनाता हूँ—

"दिनांक 4 एवं 5 फरवरी, 1981 की दरम्यानी रात को ग्राम नया गाँव, थाना ओछापुरा तहसील विजयपुर जिला मुरैना में थाना पालपुर के एक गार्ड ने आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार किया है। घटना इस प्रकार है कि कथित रात्रि को यह गार्ड नया गाँव पहुँचा और एक सिपाही एक घर में जबरदस्ती घुस गया तथा घर की जवान महिला के साथ छेड़छाड़ की एवं बलात्कार किया। ग्राम का सरपंच घर के बाहर बैठा था उसके घर में भी पीछे से सिपाही बलात्कार करने के लिये घुसे तथा महिला के साथ बलात्कार करने लगा। जब ये जानकारी सरपंच को मिली तो उसने शोर किया और गाँव के सब लोगों को इकट्ठा कर लिया। हल्ला को सुनकर कई घरों में घुसे सिपाही भागने लगे तो एक महिला ने एक सिपाही को पकड़ लिया। इसी प्रकार दूसरे घर में हड़बड़ी में दूसरा सिपाही अपनी बंदूक छोड़ गया। लोगों के इकट्ठे हो जाने के कारण यह बलात्कारी भाग गये लेकिन एक सिपाही जिसे महिला ने पकड़ लिया था वह नहीं भाग पाया। इस प्रकार एक सिपाही मय बंदूक के और एक बंदूक जिसे सिपाही महिला के पास ही छोड़कर भाग गया था, गाँव वालों के कब्जे में आ गई। गाँव वाले इस घटना की रिपोर्ट करने और सिपाही तथा दोनों बंदूकों को कलेक्टर मुरैना को सुपुर्द करने की दृष्टि से रात को ही रवाना हुए। नया गाँव से मुरैना जाने के लिये इकलौद से बस मिलती है। अतएव बस पकड़ने इकलौद तक पहुँचे जब तक ये लोग इकलौद पहुँचे तब तक भागे हुए सिपाही अपने थाने में पहुँच गये तथा वहाँ से फोर्स भेजकर नया गाँव से आदमी और बन्दूक प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन यह मालूम होने पर कि सिपाही और बन्दूक के साथ ग्रामीण मुरैना के लिये रवाना हो गये हैं, आसपास के सारे थानों में पुलिस ने वायरलेस करके इन लोगों को रोकने की कार्यवाही की। विजयपुर थाने की एक टुकड़ी वहाँ के थानेदार के नेतृत्व में इकलौद रवाना हुई जहाँ वे इन लोगों को रोककर विजयपुर थाने ले गये, वहाँ हिरासत में रखा उनकी भारी मारपीट की गई, तथा यातनाएँ दी गईं और उन्हें इस आश्वासन पर छोड़ा गया कि वे इस घटना की सूचना किसी को नहीं देंगे। उनमें से सरपंच सरमन पुत्र फग्गी, छोटू पुत्र सटोले, छुट्टन पुत्र सोलू, चिंटू पुत्र विरखा, हरिया पुत्र चेतू, नब्बी पुत्र मंजी, थोंदू पुत्र टुण्डा पर धारा 25,27,395, 397, 147, 148, 347 और 322 के अन्तर्गत मुकदमा कायम कर के हिरासत में लिया गया। इसी ग्राम की महिला पार्वती पत्नी रंगलाल उर्फ रंगू उम्र 22 वर्ष, रामकटोरी पत्नी पथरिया उम्र 21 वर्ष, हरिकुंवर पत्नी सरवन लाल उम्र 30 वर्ष ने जे.एम.एफ.सी., सबलगढ़ की अदालत में शपथ-पत्र पर भी कहा है कि उनके साथ पुलिस के सिपाहियों ने कथित रात्रि को उनके घर में घुसकर जबरदस्ती बलात्कार किया है एक तरफ नियंत्रणहीन स्वच्छंद पुलिस के लोग सरेआम बलात्कार करके महिलाओं की इज्जत लूट रहे हैं तो दूसरी ओर इस दुखद घटना के ऊपर वैधानिक कार्यवाही करने वाले उसी ग्राम के आदिवासियों को विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायम करके डराया धमकाया जा रहा है। इतना ही नहीं, घटना के बाद दिनांक 6-2-81 को सी.आई. विजयपुर, अगरा और पालपुर के दोनों थानेदार मय फोर्स के गाँव में पुलिस के साथ पहुँचे और 22 लोगों को पुनः हिरासत में लिया जिससे ग्राम और आसपास के क्षेत्र में घटना की बात करने से भी लोग डरने लगे हैं। इस प्रदेश के आदिवासी महिलाओं पर इस सामूहिक बलात्कार की घटना से भय व्याप्त है, क्षोभ और रोष है तथा सारे क्षेत्र में पुलिस के इस ताण्डव से आतंक फैला हुआ है। अतएव सार्वजनिक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर आज की कार्यवाही रोकी जाये।

इस संबंध में शासन का क्या कहना है?

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल (गृह राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 4/5-2-1981 की दरमियानी रात में ग्राम नयागाँव, थाना ओछापुरा, तहसील विजयपुर, जिला मुरैना के थाना पालपुर से 10वीं वाहिनी का एक गार्ड, हमराह आरक्षक गंगाराम, थाना पालपुर के वारंट तामीली हेतु भेजा गया था। उक्त गार्ड के कर्मचारियों ने ग्राम नयागाँव में आदिवासी महिलाओं के साथ कोई बलात्कार नहीं किया और न ही उनके साथ कोई छेड़छाड़ की। घटना से संबंधित विवरण निम्न प्रकार है—

(विरोध पक्ष के सदस्यों द्वारा शेम-शेम की आवाज)

अध्यक्ष : (गृह राज्यमंत्री की ओर इशारे करते हुए) पूरा करिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सदन की कुछ परम्परा और नियम हैं। सभी लोग बोलेंगे। आपको भी बोलने का मौका दिया जायेगा।

कई माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, सच्चाई पर पर्दा डाला जा रहा है।

अध्यक्ष : सच्चाई पर से पर्दा उठाने का आपको अधिकार है। आपको मौका मिलेगा। मैं आपको बोलने का मौका दूँगा।

दिनांक 4-2-1981 के 12.30 बजे दिन थाना पालपुर से एक प्रधान आरक्षक तथा पाँच आरक्षक न्यायिक दंडाधिकारी, सबलगढ़ का अपराध क्रमांक 379 भा.द.वि. का जमानती वारन्ट, सरमन, बल्टो और लटोरी पर तामील करने नयागाँव गये। यह पुलिस गार्ड शाम करीब 8 बजे नयागाँव पहुँची। आरक्षक गंगाराम ने सरमन सरपंच से कहा कि उसे थाना पालपुर में बुलाया है। इस पर सरमन ने जाने से मना किया एवं गाली-गलौज कर झगड़ा करने पर आमादा होकर अपने साथियों को आवाज देकर बुलाया करीब 15-16 आदमी आ गये, जिनसे सरपंच ने कहा कि बागी आए हैं इन्हें मारो और पकड़ो। इन लोगों ने मिलकर पुलिस के जवानों की मारपीट की और आरक्षक शीतलप्रसाद को पकड़कर बाँध दिया। उसकी रायफल व सामान छीन लिया। आरक्षक बालकृष्ण की रायफल और कारतूस छीन ली। पुलिस कर्मचारियों को मारपीट करने से चोटें आईं। प्रधान आरक्षक देवराज के पैर में फ्रेक्चर हो गया। मारपीट अधिक होते देख तथा आरक्षक शीतलप्रसाद को रस्सी से बाँधा होने पर शेष पुलिस कर्मचारी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे और कूनो नदी के किनारे रात भर छिपे रहे। यह पुलिस वाले चारों ओर घना जंगल होने से सुबह ही थाना पालपुर पहुँच सके। जहाँ उन्होंने घटना की रिपोर्ट की। आरक्षक गंगाराम की रिपोर्ट पर थाना पालपुर में अपराध क्रमांक 0-81 धारा 395/397/347/332/147/148/149 भा.द.वि. के अर्न्तगत पंजीबद्ध कर प्रकरण थाना ओछापुरा भेजा गया, जहाँ अपराध क्रमांक 3/81, पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारम्भ की गई। थाना प्रभारी पालमपुर व मंडल निरीक्षक विजयपुर ने जवान लेकर सूचना के आधार पर जंगल में तीन पार्टियाँ बनाकर अपराधियों की तलाश की तो दिनांक 5-2-1981 को सायंकाल 6 बजे अपराधी, आरक्षक, शीतलप्रसाद के साथ मिले। उनसे शीतलप्रसाद को मुक्त कराया गया तथा लूटा गया माल, बन्दूक व कारतूस बरामद किया गया। सरपंच सरमन से बन्दूक बरामद की गई तथा 7 व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया। यह सही नहीं है कि नयागाँव के सात अभियुक्तों की विजयपुर जाने में हिरासत में मारपीट की या उन्हें यातनाएँ दी गईं। उक्त सातों अभियुक्तों को गिरफ्तारी के पश्चात् न्यायालय में पेश किया गया। इन अभियुक्तों ने न्यायालय में या अन्य किसी अधिकारी की मारपीट आदि की शिकायत नहीं की और न ही चोटों को बताया। इसके विपरीत पुलिस गार्ड के कर्मचारियों को कई चोटें आईं, जिनकी पुष्टि डॉक्टरी परीक्षण से हुई है। इनमें से मुरैना अस्पताल में प्रधान आरक्षक की हालत गंभीर है। उसके पैर में फ्रेक्चर होना भी पाया गया है। यह भी सही नहीं है कि बन्दी बनाये गये अभियुक्तों को इस आश्वासन पर छोड़ा गया था कि वे घटना की शिकायत किसी से नहीं करेंगे। बल्कि बंदी बनाये गये अभियुक्तों को तत्काल न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जो अभी तक जमानत न होने के कारण जेल में हैं।

प्रकरण में नयागाँव की तीन महिलाएँ, श्रीमती पार्वती, कटोरी तथा हरकुंवर से बाबूलाल नेवरा ने बहकाकर न्यायिक दंडाधिकारी, सबलगढ़ के न्यायालय में शपथ-पत्र दिलवाया। इस प्रकरण में तीनों महिलाओं के रिश्तेदार जेल में हैं एवं उन्हें जमानत पर छुड़ाने पर सफल नहीं हो सके हैं। शपथ-पत्र देने का कारण बाबूलाल नेवरा ने उन स्त्रियों को बताया था कि ऐसा करने से उनके रिश्तेदार शीघ्र छोड़ दिये जावेंगे। इन स्त्रियों ने उनके साथ

बलात्कार किये जाने की रिपोर्ट थाना, अगरा, विजयपुर, पालपुर तथा ओछापुरा में कहीं भी नहीं की है। इससे सिद्ध होता है कि उनके साथ बलात्कार नहीं किया गया। इन महिलाओं ने पूछने पर बताया कि उनके साथ बलात्कार की घटना असत्य है तथा बहकावे में आकर उन्होंने शपथ-पत्र दिया है।

यह भी सही नहीं है कि दिनांक 6-2-81 को मंडल निरीक्षक विजयपुर, थाना प्रभारी आगरा व पालपुर को फोर्स के साथ लेकर पुनः नयागाँव गये व 22 व्यक्तियों को हिरासत में लिया। उक्त रात अभियुक्तों के अतिरिक्त किसी को भी बन्दी नहीं बनाया गया है।

यह भी सही नहीं है कि सारे क्षेत्र में पुलिस से लोग आतंकित हैं बाबूलाल नेवरा, जनपद अध्यक्ष ने अन्य कुछ लोगों के साथ राजनैतिक लाभ लेने के उद्देश्य से घटना को झूठ बताया है।

आसपास के क्षेत्र में भय, क्षोभ एवं रोष व्याप्त नहीं है।

श्री मुंशीलाल (दिमनी, संरक्षित स्थान) : अध्यक्ष महोदय, शासन का वक्तव्य सुनने के बाद मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि—

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व कि मुंशीलाल जी अपनी बात रखें मैं चाहूँगा कि मंत्री जी इतना बता दें कि धारा 379 में जमानती वारंट तामील करने गया था ऐसा उन्होंने कहा तो वह किसके खिलाफ तामील करने गये थे और यह क्या होता है जरा इसको स्पष्ट कर दें।

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : मैंने कहा था कि वारंट तामील करने गये थे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप जरा फिर से पढ़ दीजिये।

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, सुनने में फर्क हो सकता है। मैंने जमानत शब्द का प्रयोग नहीं किया है।

श्री शीतला सहाय : किस दफा के अन्तर्गत था और किस कोर्ट का था?

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : यह इसमें जिक्र नहीं किया गया है।

(शेम-शेम)

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : अदालत तो मजिस्ट्रेट की ही होगी, इसमें लिखा नहीं है।

(शेम-शेम)

डॉ. परशुराम साहू : अध्यक्ष महोदय, बड़े ही अनुत्तरदायित्व ढंग से शासन का जवाब आया है, यह बड़े दुख की बात है, शासन के पास तथ्य नहीं हैं, कुछ पता ही नहीं है, यह सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जुर्म 675/79 धारा 379 का था अदालत का नाम मैं बाद में पता करके बता दूँगा।

श्री मुंशीलाल : अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस निकम्मे शासन में हरिजन-आदिवासियों की महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं ....(व्यवधान) और सामूहिक रूप से महिलाओं के साथ बलात्कार किया 4-5 फरवरी को पुलिस वाले वहाँ पहुँचे। इस प्रकार एक सिपाही मय बंदूक के और एक बंदूक जिसे सिपाही महिला के पास ही छोड़ कर भाग गया था गाँव वालों के कब्जे में आ गई। गाँव वाले इस घटना की रिपोर्ट करने और सिपाही तथा दोनों बंदूकों को कलेक्टर मुरैना को सुपुर्द करने की दृष्टि से रात को ही रवाना हुए। नयागाँव से मुरैना जाने के लिये इकलौद से बस मिलती है। अतएव बस पकड़ने इकलौद तक पहुँचे जब तक ये लोग इकलौद पहुँचे तब तक भागे हुए सिपाही अपने थाने में पहुँच गये तथा वहाँ से फोर्स भेजकर नयागाँव से आदमी और बंदूक प्राप्त करने का प्रयास किया।

अध्यक्ष : जो कुछ आपने कहा है वह इसमें आ गया है।

श्री मुंशीलाल : ठीक है।

श्री शीतला सहाय (लश्कर पश्चिम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ शासन ने सुना है कि ऐसा आदेश निकाला है कि रात को किसी भी प्रकार की कार्यवाही पुलिस नहीं करे और अभी वक्तव्य में कहा गया है कि यह पुलिस दल रात्रि 8 बजे वारंट तामीली के लिए गया था।

रात में कोई पुलिस दस्ता जावे और दिन के समय नहीं जावे, वहाँ जाता है और वारंट तामीली करता है उनको रात को समय क्यों मिला था? यही कारण है कि जिसके बारे में हम सदन में तथ्य पेश करना चाहते हैं आपकी अनुमति चाहते हैं कि जानबूझकर गया था, अपनी हविश पूरी करने के लिये गया था। दुख की बात है कि शासन आज यहाँ बैठा है और वहाँ हरिजन-आदिवासियों पर अत्याचार हों। 5 घरों में पाँच सिपाही अपनी जिम्मेदारी भूल करके बलात्कार करते हैं। महिलाओं ने एफिडेविट दिया था, यहाँ मजाक उड़ाते हैं। ऐसा व्यवहार आज के युग में हमें कलंकित करने वाला है। यह 8 लोग गश्त करने गये थे। यह सरकार जिसके पास ब्यौरा नहीं है। सब सदन जानता है धारा 379 का वारंट किस अदालत का है यह नहीं बता सकते.....

श्री अर्जुनसिंह : ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का है।

श्री शीतला सहाय : उन्हीं के यहाँ वे एफिडेविट करते हैं। हम आपसे अनुमति चाहते हैं।

अध्यक्ष : श्री मुंशीलाल जी ने अनुमति माँगी थी वह हमने दे दी है।

श्री शीतला सहाय : कागजात हमें दे दीजिए, मैं पेश करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष : उन्हीं के पास हैं, उन्हें दे दिये हैं।

श्री शीतला सहाय : अनियंत्रित लोग जैसा-जैसा व्यवहार करते हैं वैसा-वैसा किया। उन्होंने 5 मकान चुने। कौन-सी उम्र की है? उन्होंने चयन किया है? और आप कहते हैं कि कहीं रिपोर्ट करनी थी। वे पढ़े-लिखे नहीं हैं, वे कानून-कायदा जानते नहीं हैं। आज बड़े आश्चर्य की बात है कि कलेक्टर को आदिवासी राजा कहते हैं। वे रिपोर्ट करना नहीं जानते हैं। आज स्थिति यह है कि पुलिस के लोग आदिवासियों को मार-मार कर जो चाहें कहलवा लेते हैं, मार-मार कर आप जो चाहे कहलवा लीजिए। अतः अध्यक्ष महोदय, उस पर विचार करने के लिये आज की कार्यवाही स्थगित की जाये। सुप्रिटेन्डेन्ट पुलिस आज तारीख में उस गाँव में है, गाँवों में आदिवासियों को मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा और केवल इसलिये प्रताड़ित किया जा रहा है कि उन्होंने एफीडेविट क्यों दे दिया है? अध्यक्ष महोदय, उन्हें सताया जा रहा है कि अब अगर जाँच करने का मौका आया तो गाँव के गाँव को कहना पड़ेगा कि वे लोग बलात्कार करने नहीं आये थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन स्थगन प्रस्ताव पेश हुआ, शासन के पास रिपोर्ट भेजी, क्या उन महिलाओं का मेडिकल परीक्षण करवाया गया? क्यों नहीं करवाया गया? करवाते तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाता। ये लोग तथ्य को छुपाना चाहते हैं लेकिन हम सदन के सामने इस मामले को प्रस्तुत कर पर्दाफाश करना चाहते हैं कि किस तरह से अत्याचार हरिजनों पर हुआ है और किस तरह सरकार यह छुपाना चाहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुरैना में माननीय मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह गये नहीं होंगे और यदि गये होंगे तो इनकी जाति के लोग संरक्षण देते होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, गाँव का गाँव खाली हो जाता है अगर एक आदमी भी बंदूक लेकर चला जाता है, पानी देने वाला बचता नहीं। सब के सब लोग गफलत में थे, ऐशो आराम में थे, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। गाँव के लोग इकट्ठे हो गये, वे बंदूक लिये महिला के साथ सो रहे थे।

(शेम-शेम के नारे)

परिणाम स्वरूप ये बंदूक को हाथ में लेने की स्थिति में नहीं थे। पैर में फ्रेक्चर हो गया। पैर में फ्रेक्चर है, पत्थर से होता तो सिर में होता जबकि यह पैर में है। जब गाँव के लोग इकट्ठे हुए, यह भाग कर जाने लगे, गाँव था, ऊबड़-खाबड़ जमीन थी, निश्चित रूप से गिरे होंगे। चोर में दम ही कितना होता है। इन्होंने भागने का प्रयास किया होगा और उससे पैर में फ्रेक्चर आया होगा। अगर कोई मारता तो सिर में चोट आती पैर में नहीं आती। इसलिये मैं चाहता हूँ कि हमको मौका मिलना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, रायफल छीन ली। मैं समझता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह जी राजा रहे हैं, राजा के पास रायफल रहती है। रायफल और कारतूस निहत्था आदमी छीन ले यह कैसे संभव है। महिला के साथ लेटे हुए थे, गाँव वाले आ गये, भाग गये, रायफल ले जाने की हिम्मत नहीं रही, इसलिये रायफल रह गई। भाग कर जब किसी तरह थाने में पहुँचे तो वहाँ अपने साथियों को सूचना देकर वायरलेस करवाया। जो वायरलेस जनता की सुरक्षा के लिये उपयोग होना चाहिये था वह

इन बदमाशों की सुरक्षा के लिये उपयोग किया गया। अगर यह बदमाश थे और अगर बन्दूक छीन ली थी और इन्हें भागना था तो जंगल में मिलते? कहाँ मिले, नयागाँव, बड़ागाँव, पिपलौद में, जहाँ मुरैना जाने के लिये बस मिलती है। जो चाहते थे कलेक्टर के यहाँ जाना, जिसको राजा कहते हैं। सोचा होगा राजा के सामने अपने को प्रस्तुत किया जाये। जो सिपाही पकड़ लिया है उसे उनको सुपुर्द किया जाये कि यह महिला की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा था। हरिजन-आदिवासी महिला की बेइज्जती हुई, रोष न आना कैसे संभव हो सकता है। हम कहना चाहेंगे कि आप हमको समय दें। हम सारे तथ्य प्रस्तुत करेंगे बाईस लोगों की गिरफ्तारियाँ की गईं सभी प्रकार के कानून कायदे से। सवाल इस बात का था कि आज के पहले उनके ऊपर कौन-सा अपराध था और अगर अपराध था तो माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि ये सारे तत्वों को रखने की हमको अनुमति मिलनी चाहिये। हम सारे तथ्यों को मय प्रमाण के प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। अध्यक्ष महोदय, एक 20 वर्ष की महिला है और एक उससे दो साल बड़ी है और एक, और उससे बड़ी है इन तीनों महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह पुलिस वाले अपनी कमजोरी छुपाने के लिये सार्वजनिक कार्यकर्त्ता को फँसाना चाहते हैं और इसी कारण यहाँ श्री बाबूलाल नेवारा का नाम जानबूझकर लिया गया है। श्री बाबूलाल जी पुलिस का पर्दाफाश करना चाहते थे कि पुलिस ने थाने में बन्द करके आदिवासियों को मारा। इन सब बातों को देखते हुए अध्यक्ष महोदय, हमने यह स्थगन प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया जिसे ग्रहण किया जाना चाहिये। श्री नेवारा आदिवासियों का संरक्षण करना चाहते थे, अतः उनको जानबूझकर फंसाने की कोशिश की गई है। वह वहाँ के जनपद के अध्यक्ष हैं। मैं श्रीमान् से निवेदन करूँगा कि इसे ग्राह्य किया जावे। स्थिति बहुत गम्भीर है। गश्त करते हुए सिपाही गाँवों में गये और वहाँ घरों में घुसकर महिलाओं के साथ बलात्कार किया। अभी भी पुलिस के लोग गाँव में मौजूद हैं और देख रहे हैं कि गाँव के लोग किसी प्रकार वहाँ से साक्ष्य देने न जावें। भोपाल आकर मुख्यमंत्री जी के दरबार में वह अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत न कर सकें, इसके लिए उनको पूरी तरह से रोका जा रहा है। इन सब बातों को देखते हुए मैं श्रीमान् से निवेदन करूँगा कि इस विषय पर यदि सदन में चर्चा न हुई तो वहाँ के आदिवासियों के जान व माल का पूरा भय है। पुलिस अधिकारी उन गरीब आदिवासियों की वह स्थिति कर देंगे कि वह लोग न जिन्दों में रहेंगे और न मुरदों में। अतः मैं श्रीमान् से चाहूँगा कि सदन की आज की कार्यवाही स्थगित कर इस गम्भीर विषय पर चर्चा की जावे ताकि तथ्यों पर पूरी तरह से प्रकाश डालने का हमको मौका मिले।

श्री परशुराम सिंह भदौरिया (अटेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं भी चम्बल संभाग में रहता हूँ। मैं स्पष्ट रूप से आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ जो कुछ कहा गया है वह सब असत्य है ..... (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

अध्यक्ष : आप बैठिए मैं इसको भी सुनना चाहूँगा।

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहूँगा कि प्रकरण में पहले यह आवश्यक है कि जो तथ्य हैं उन पर हम लोग पूरा प्रकाश डालें।

अध्यक्ष : देखिये जब भी कोई स्थगन प्रस्ताव सदन में चर्चा के लिए आता है तो मुझे अधिकार है कि मैं दोनों पक्षों को सुनूँ कि क्यों उक्त स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य किया जाए अथवा किन मुद्दों पर उसे अग्राह्य किया जावे। अतः संबंधित माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। मैं सबको अवसर दूँगा। उसके बाद ही निर्णय दूँगा कि स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य किया जावे अथवा अग्राह्य किया जावे। आप उनको बोलने दीजिए।

श्री परशुराम सिंह भदौरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी जो कुछ बातें श्री शीतला सहाय जी ने कहीं वह नितांत असत्य हैं। स्थिति यह है कि विरोधी पक्ष के लोग गाँव के जो असामाजिक तत्व होते हैं उनका संरक्षण करना चाहते हैं और इस कारण इस प्रकार के गलत आरोप पुलिस पर लगाये जाते हैं। पुलिस वहाँ धारा 379 के तहत कार्यवाही के लिये गई थी और यह विरोधी पक्ष वाले उन बुरे लोगों को बचाना चाहते हैं इसलिये पुलिस और शासन पर इस प्रकार के गलत आरोप लगा रहे हैं जो नितान्त असत्य हैं.....

अध्यक्ष : आप कृपया बैठिए। आपको सुन लिया।

डॉ. गौरीशंकर शेजवार (सांची, संरक्षित स्थान) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि स्थगन प्रस्ताव के ऊपर जो वक्तव्य शासन की तरफ से आया है वह सौ प्रतिशत गलत है इसमें कई तथ्य ऐसे हैं जिनकी जानकारी शासन ने बिल्कुल अनभिज्ञता के साथ दी है और जवाब देते समय शासन के पास पूरी जानकारी नहीं थी। डींग हाँकर माननीय मुख्यमंत्री व राज्यमंत्री अलग-अलग तरीके से बता रहे थे। राज्यमंत्री बोलते हैं कि मुझे धारा नहीं मालूम मैंने धारा नहीं बोली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे स्पष्ट किया इससे स्पष्ट होता है और हम इस तथ्य पर पहुँचते हैं कि पूरी की पूरी कहानी मनगढ़ंत है। एक तरफ तो आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार हो रहे हैं और पुलिस जिसका काम सुरक्षा करना है, इन सब बदमाशों को पकड़ना है बिल्कुल उल्टा वह काम कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिये था और उन सब ऐसे लोगों को निकम्मी सामंती सरकार संरक्षण दे रही है। और महिलाओं ने जो शपथ-पत्र दिया है उसे प्रस्तुत करते हुए बता रहे हैं..... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बलात्कार हुआ है तो क्या मेडीकल परीक्षण हुआ है?

अध्यक्ष : आप वही बातें कहें जो माननीय सदस्य श्री शीतला सहाय जी ने न कही हों।

डॉ. गौरीशंकर शेजवार : दो तथ्य स्पष्ट हैं कि मेडीकल परीक्षण किया जाना चाहिये था तथा ये जिम्मेदारी पुलिस की, शासन की पहली जिम्मेदारी थी।

अध्यक्ष : ये बात तो माननीय सदस्य श्री शीतला सहाय जी कह चुके हैं। आपका सभी का समय कीमती है। अतः वही कहें जो उन्होंने न कहा हो।

डॉ. गौरीशंकर शेजवार : तीन दिन पहले स्थगन प्रस्ताव दिया गया था तो शासन की जिम्मेदारी थी कि अगर वह सत्य जानना चाहता था, विरोधी पक्ष के लोगों ने शपथ-पत्र की अनुमति भी माँगी थी, जिन-जिन पर आरोप है पुलिस व गार्ड व अधिकारी व थानेदारों के खिलाफ तो उनके अलावा अन्य किसी व्यक्ति से जानकारी मंगवाते। उनको वहाँ से हटाना था जो नहीं किया गया। उनको बचाने के लिये शासन द्वारा अपनी अक्षमता को छिपाने के लिये ऐसा किया गया।

श्री विक्रम वर्मा (धार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे ही प्रश्न उपस्थित हुआ सरकार के उत्तर में एक के बाद एक विसंगतियाँ आती चली गईं और विसंगतियाँ इस बात की प्रतीक हैं कि शासन ने जो वक्तव्य सदन में दिया है यहाँ उस सारे के सारे घटनाक्रम को छिपाने व अपने सिपाहियों को बचाने के लिये मनगढ़ंत कहानी गढ़ी गई इससे साफ और स्पष्ट मालूम पड़ता है, शुरू से ही ज्ञात होता है कि न्यायालय ने जो वारंट दिया तो जिस थाने के अन्तर्गत आता है उस थाने में जाना था तथा उसी पुलिस गार्ड को तामील करना था। आप देखिये पुलिस गार्ड जो गये हैं वे पालमपुर के गये हैं जबकि नया गाँव ओछापुर थाने के अन्तर्गत आता है। यह इस बात का प्रतीक है कि इस बात को छिपाने के लिए कि पुलिस के द्वारा जो कुकृत्य कर दिया गया किसी प्रकार उनकी लोपापोती कर दी जावे यह कहानी बनाई गई है और सारी की सारी पेचअप करने का प्रयास किया जा रहा रहा है। एक असत्य बात को छिपाने के लिए सौ असत्य बोलना पड़ते हैं। इनके राज्य में पुलिस से पाप होता है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मुख्यमंत्री तथा राज्यमंत्री को भी उस पाप को छिपाने का प्रयास करना पड़ता है। एक के बाद एक गलत बात कही जा रही है। आप देखें, स्पष्ट है कि जैसा कि माननीय सदस्य श्री शीतला सहाय जी व प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि यदि 379 का वारंट है, एक तो प्रगट का गैर-जमानती है और उसे तामील कराने का प्रश्न नहीं आता। पुलिस जाकर गिरफ्तार कर सकती थी फिर जैसा घटनाक्रम आया है वह इस बात का स्पष्ट प्रतीक है कि जब सारा घटनाक्रम हो गया। पुलिस के द्वारा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। उसका न्यायालय में शपथ-पत्र दिया गया। गार्ड के सिपाही रात 10 बजे अचानक पीछे से घर में घुस गये तथा महिलाओं को पकड़कर जबर्दस्ती छेड़छाड़ की, शीलभंग करके इज्जत लूटी, उसी न्यायालय के अन्दर शपथ-पत्र में कहा है। महिलाओं ने पत्रकारों के सामने सारी घटना को रोते-रोते वर्णित किया है। घटना हो गई, पुलिस सभी महिलाओं के शपथ-पत्र .....

अध्यक्ष : आप शपथ पत्र दे दीजिये।

श्री विक्रम वर्मा : उसके बाद पुलिस वाले भागे। राज्यमंत्री के कथन में एक बात आई है कि पुलिस को

निहत्थे लोगों ने पकड़ लिया। मैं समझता हूँ कि इससे कनफेशन हो जाता है। मंत्रीजी ने इसे मंजूर किया है कि अर्जुनसिंह जी के राज्य में पुलिस कितनी निकम्मी है कि उनके पास शस्त्र होते हुए भी गाँव के लोगों ने पुलिस को पकड़ लिया और उनकी बंदूकें छीन लीं। इससे अक्षम पुलिस और क्या हो सकती है। पुलिस का यह चित्र है। ऐसी हालत में पुलिस प्रदेश की जनता की क्या सुरक्षा कर सकती है, यह एक विचारणीय बात है? या तो इस बात को वे स्वीकार करें। (व्यवधान)

अध्यक्ष : आप दोनों माननीय सदस्य बैठ जायें।

श्री विक्रम वर्मा : लेकिन वास्तविक स्थिति यह नहीं थी पुलिस में से स्वयं किसी प्रकार से मारपीट नहीं की गई। घरों के अन्दर पुलिस घुस गई और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ उसने की। इस पर जब हल्ला हुआ तब पुलिस वहाँ से भागी।

अध्यक्ष : अब सब बात आ गई।

श्री विक्रम वर्मा : अब मैं नये तथ्य की ओर ले जाना चाहता हूँ। जब पुलिस वहाँ से भागने लगी तब एक कांस्टेबिल पकड़ में आ गया और एक कांस्टेबिल ने अपनी रायफल छोड़ दी। गाँव के लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। अगर लोग चाहते तो उस पकड़े गये पुलिस वाले के साथ मारपीट कर सकते थे, खत्म कर सकते थे और चंबल क्षेत्र में इस प्रकार का होना भी संभव है लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उस व्यक्ति को पकड़कर जनता कलेक्टर के पास ले जा रही थी तब पुलिस ने घेरा डालकर पकड़ लिया इसमें किसी के फ्रेक्चर होने की बात नहीं है जब कलेक्टर के यहाँ ले जाने की बात हो रही थी तथा पुलिस को मालूम हुआ तो उसने यह सोचा कि कहीं अपने पुलिस विभाग की बदनामी न हो इसके लिए वायरलेस करके उनको पकड़ने की व्यवस्था की गई और उनको रास्ते में पकड़ लिया गया और इस तरह से यह घटनाक्रम डेवलप हुआ। इसलिये मेरा कहना है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है। पुलिस बजाय रक्षक के भक्षक हो गई है। इसलिये इस विषय पर अवश्य चर्चा होना चाहिये। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा कि तथ्यों को स्पष्ट करें।

डॉ. राजेन्द्र जैन : मेरा औचित्य का प्रश्न है कि इसको ग्राह्य क्यों न किया जाये, इस पर तो काफी विस्तार से और लम्बी विवेचना माननीय सदस्यों ने कर दी है तब फिर और ज्यादा इस पर चर्चा न हो तो ठीक रहेगा।

अध्यक्ष : मैंने यह कहा है कि इसको ग्राह्य क्यों किया जाये और ग्राह्य क्यों न किया जाये दोनों पहलुओं पर मैं सुनना चाहूँगा। मुझे सुनने का अधिकार है दोनों पक्षों को।

श्री गंगाचरण मिश्र : अभी पहले डॉ. परशुराम जी बोले फिर विक्रम जी बोले इस तरह अध्यक्ष महोदय, आप केवल एक साइड को ही सुन रहे हैं। हमको भी सुनना चाहिये।

अध्यक्ष : इसका मतलब यह हुआ कि दोनों साइड को सुनने के लिये इस प्रस्ताव को ग्राह्य कर लूँ?

श्री गंगाचरण मिश्र : मेरा कहना है कि एक आदमी सही स्थिति रखना चाहता है तो उसको अपनी बात नहीं रखने दी जा रही है। आप केवल एक साइड के लोगों को ही सुन रहे हैं।

अध्यक्ष : आप बैठ जायें मिश्रजी। श्री दिलीपसिंह जी आप बोलिये।

श्री दिलीपसिंह चौधरी : (भिण्ड) आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी शासकीय बैंच इसे गंभीरता से देखें। इसमें पक्ष-विपक्ष की बात पैदा न करें। हकीकत यह है कि प्रजातन्त्र में पुलिस अगर ऐसा कार्य करती है तो इसकी जिम्मेदारी शासन की है। सबसे पहला प्रश्न काबिलेगौर यह है कि अगर मुलजिम अदालत से गैर-हाजिर हो जाये तो अदालत उसको गिरफ्तार करने के लिये वारन्ट निकालती है। दूसरी बात यह है कि हमारे राज्यमंत्री ने जो रिपोर्ट पढ़ी है उसमें और अभी मुख्यमंत्री जी ने धारा 379 के बारे में बताया उसमें फर्क है। हमारे राज्यमंत्री महोदय ने रिपोर्ट पढ़ी कि मुलजिम गिरफ्तार हो गये, उन पर डकैती के अन्तर्गत धारा 353, 332 और 149 कई धाराएँ लगा दी गईं लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ जिस वारन्ट को इशू करने गये थे उस धारा में क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। इसमें कुछ पुलिस की निष्पक्षता में शक पैदा होता है। उसे धारा 379 में गिरफ्तार करना चाहिए था लेकिन हुकूमत ने इसमें उनको गिरफ्तार नहीं किया। यह इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है वहाँ पर शिक्षा का प्रसार

नहीं है। वहाँ की महिलाएँ पुलिस जवानों के हाथ से बंदूकें छीन लें इसमें शंका दिखती है। मैं कहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री को स्पष्ट कर देना चाहिए कि अगर हकीकत में उन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है तो उनकी रिपोर्ट करनी चाहिए और जाँच करना चाहिए। मैं विपक्ष के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि हम लोग प्रान्त की जनता को सुरक्षा देने के लिए उत्तरदायी हैं, कोई भी वारन्ट रात में इशू नहीं होता है, अगर पुलिस को रात्रि में वारन्ट तामीली के लिए देना था तो रात्रि में मकान को घेरा देना था अतः मैं अर्ज करूँगा कि सदन की एक कमेटी बना दी जाये और वह कमेटी उसकी जाँच करे और वास्तव में हकीकत क्या है इसका पता लगाये। और यदि हकीकत है तो सिपाहियों को दण्डित किया जाये। मैं चाहता हूँ कि सदन की कमेटी बना दी जाये।

श्री सखाराम देवकरण पटेल (पंधानी, संरक्षित स्थान) : अध्यक्ष महोदय, इसको ग्राह्य करने के सम्बन्ध में काफी चर्चा हो चुकी है। मुख्यमन्त्री जी की प्रशासनिक क्षमता या उनकी नियत पर हमको शंका नहीं है कि जब विपक्ष में वे बैठते थे तो इस प्रदेश के हरिजन-आदिवासियों के लिए उन्होंने काफी लड़ाई लड़ी और लड़े ही नहीं एक बार तो आक्सीजन भी देना पड़ी थी। इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति को तो विश्वास था कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद मध्यप्रदेश के हरिजन-आदिवासियों की सुरक्षा को नया आयाम मिलेगा। यहाँ इस घटना के बाद ऐसा लगता है कि तब तो आप आम लोगों के बीच होने वाली साम्प्रदायिक लड़ाई यहाँ पर पेश करते थे लेकिन आज आम लोगों के बीच की लड़ाई नहीं है यह आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार की लड़ाई है। इस घटना को हमारा दल राजनीतिक आधार बनाकर प्रस्तुत करना नहीं चाहता लेकिन आपकी जवाबदारी है, हमारा भी कर्त्तव्य है। आपका जवाब सही होगा हमारा आरोप भी सही होगा। मैं तो यह निवेदन करूँगा कि इस पर चर्चा हो जाये लेकिन हम औपचारिकता के नाते चर्चा करके नहीं रह जायें। मा. अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करूँगा कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता, आप स्वयं उपमुख्यमंत्री लरंग साय जी, आप उस स्थान पर जायें। दोनों पक्षों को सुनें और जो स्थिति बने उसका हम दोनों पक्ष पालन करें और यदि नहीं कर सकते, गारंटी नहीं दे सकते तो मध्यप्रदेश के आदिवासी-हरिजन आप पर निर्भर नहीं रहेंगे वे ललकार करेंगे एक एकलव्य वह था जिसने लड़ाई जीतने के लिये द्रोणाचार्य को अपना अँगूठा दे दिया था उसी प्रकार वे ललकार करेंगे सोलंकी जी से कि आओ आप नेतृत्व सम्हालो।

श्री रमाशंकर सिंह (रोन) : श्रीमान् जो बातें श्री शीतला सहाय जी ने कही हैं मैं उनको नहीं दोहराऊँगा। अगर पूरे चम्बल संभाग को देखा जाये तो केवल मुरैना जिले में ही 400 लोग ऐसे हैं जो विभिन्न पुलिस थानों में बन्द हैं, गिरफ्तार हैं। जिनको पुलिस ने बिना कारण बन्द किया है। उनमें से अधिकांश लोग छोटी-छोटी जाति के हैं या हरिजन-आदिवासी हैं। यह जो असत्य आरोप वहाँ के पुलिस एस.पी. ने एक स्थानीय अखबार में निकलवाकर लगाया है और उसी के आधार पर यह दावा करते हुए वहाँ की पुलिस ने मुरैना जिले में ही 40-40, 50-50 लोग गिरफ्तार किये हैं विभिन्न थानों में। यह स्थिति है। मुरैना में कई स्थानों पर पुलिस ने महिलाओं के साथ भी बलात्कार किया है लेकिन वह नजर में नहीं आया है। अगर श्रीमान् इस प्रस्ताव को मंजूर करेंगे तो वे सब बलात्कार सदन के सामने आयेंगे। और जो पुलिस वहाँ पर अत्याचार कर रही है वे सामने आयेंगे। मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव को ग्राह्य किया जाना चाहिये।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा (जावद) : अध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रस्ताव का जवाब दें, मैं कुछ निवेदन करूँगा। यह जो बात है वह सबलगढ़ में जो चोरी हुई थी उसमें जो वारन्ट निकाले गये थे उसके संबंध में है। क्या उसमें किसी प्रायवेट फर्म ने कोर्ट से वारन्ट निकलवाये थे? क्योंकि जो एफ.आई.आर. है, वह चोरी की है 379 की, इसमें तो पुलिस वारन्ट निकालती नहीं है। यह मालूम कर लें। क्योंकि 379 में कोई वारन्ट की आवश्यकता ही नहीं होती है। किसी प्रायवेट कम्प्लेन्ट पर वारंट निकाले जाते हैं और वारन्ट कभी भी रात को तामील नहीं होते हैं जबकि उसको रात को तामील कराया गया है, आरोप जो है वह जनपद अध्यक्ष के ऊपर लगाया जा रहा है। क्या इसकी जाँच किसी एस.डी.एम. से करा ली गई थी या डी.एम. से करा ली गई थी। किस जानकारी के आधार पर यह कहा जा रहा है? केवल पुलिस कह रही है। पुलिस ने जो जवाब बता दिया है, उसको आप यहाँ कह रहे हैं। वहाँ पर महिलाओं ने स्टेटमेन्ट दिये हैं पुलिस के बारे में जबकि सरपंच

के बारे में जनपद पंचायत के अध्यक्ष के बारे में एलीगेशन लगाये जा रहे हैं। महिलाओं ने एफीडेविट दिया है। वारन्ट तामील कराने के लिये रात को पुलिस का गार्ड भेजा गया। यह तो आपने स्वयं बताया है कि गार्ड गया था। गार्ड के पास बन्दूकें थीं तो वहाँ के निहत्थे लोगों ने गार्ड की बन्दूकें छुड़ा लीं। जब उनकी बन्दूकें छुड़ाई जा रही थीं तो गार्ड ने रिसेन्ट क्यों नहीं किया। इस प्रकार की वारदात से तो स्पष्ट होता है कि गार्ड स्वयं अपनी बन्दूकें वहाँ छोड़कर चला आया है। यह कोई पूर्व से बनाई गई योजना होगी।

एक महिला ने बड़े साहस के साथ एक कान्स्टेबिल का हाथ पकड़ लिया और वह कान्स्टेबिल भाग नहीं सका। उसको लेकर वे बस स्टेण्ड पर आये कि इसको कलेक्टर के पास ले चलें। जो उसको कि पकड़कर ले जा रहे थे, उन सबको पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख है कि जो बाबूलाल नेवार पर इस प्रकार के आरोप लगाये गये हैं मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि बतलाइये कि क्या आपने कोई इस केस की इन्डिपेन्डेन्ट जाँच करवाई है? अतः इसको बहस के लिये ग्राह्य किया जावे तो उचित होगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा (सीहोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहें इसके पहले जो विसंगतियाँ हो गई हैं उनकी ओर श्रीमान् का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख हुआ गृह राज्यमंत्री महोदय का यह बयान सुनकर। जैसा लिखकर आया वैसा ही आपने यहाँ पर उसको पढ़ दिया है। आपने उसमें कुछ अपना माइन्ड भी अप्लाई किया है या नहीं? आप अध्यक्ष महोदय, स्वयं वकील हैं मैं यही बात कहना चाहता था जो अभी मेरे साथी सखलेचा जी ने कही है। दफा 379 में रिपोर्ट हुई और आपने उसमें वारन्ट निकाल दिया। जब हमने पूछा कि यह दफा 379 का वारन्ट क्या होता है तो जवाब दिया मैंने तो पढ़ा ही नहीं यह क्या होता है। जो गृह राज्यमंत्री जी ने रिटिन स्टेटमेन्ट पढ़ा है उसकी कापी निकलवाई जावे और सदन के पटल पर रखी जावे और जो कहा है कि पढ़ा ही नहीं यह क्या होता है। जो दो बातें उन्होंने अभी-अभी कहीं हैं वह उससे पता लग जायेगा। जहाँ तक पुलिस को संरक्षण देने का सवाल है, मैं आपसे ज्यादा हिमायती हूँ। जो प्रदेश की करोड़ों जनता की जानमाल की रक्षा अपनी जान पर खेलकर करती है उसको आप संरक्षण दीजिये। लेकिन जो पुलिस महिलाओं के ऊपर बलात्कार करे उसे आप पुलिस कहेंगे क्या? तो हमारा कहना इतना ही है कि रिटिन स्टेटमेन्ट देने के पहले यदि आप अपना माइन्ड उसमें अप्लाई कर लेते तो अच्छा होता। फिर इसके बाद विसंगतियाँ कहाँ आती हैं इस पर आता हूँ, जब उस कांस्टेबिल को पकड़ लिया तो पुलिस वाले फिर से पहुँच गये उसको छुड़ाने के लिए। और जिस थाने की पुलिस ने जहाँ उसको पकड़ा क्या दफा 379 में वारन्ट इशू करने के अधिकार थे उस कांस्टेबिल को पकड़कर लोग-बाग मोटर स्टैंड पर लाये कि चलो इसको कलेक्टर के पास ले चलें घटना के स्थान से मुरैना 50 किलोमीटर दूर है। तो उसको पकड़कर वे लोग रोड पर लाये कि चलो इसको कलेक्टर के पास ले चलें। तो इससे आप क्या मतलब निकालते हैं? क्या हम आपकी कही हुई बात ही सत्य मान लें? और जो अपनी रिपोर्ट में 20 और 30 वर्ष की महिलाओं ने कहा है कि हमारे साथ इसने बलात्कार किया है वह सही न मानें बाबूलाल नेवार पर जो आपने आरोप लगाया वह केवल इसलिए लगाया है क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि आप दलगत प्रश्न को इस तरह उठाकर कोई निर्णय लेंगे।

आप मान लीजिये कि आपकी पुलिस सही कह रही है, और मैं सखाराम जी के सुझाव पर चलने को तैयार हूँ मुख्यमंत्री जी और हम दोनों बैठें। मैं कल ही चलने को तैयार हूँ। मुझे पता नहीं कि वे किस पार्टी के मतदाता रहे होंगे। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जिनके आप हिमायती बनते हैं शायद वे आपकी पार्टी के ही मतदाता रहे हों। आप बिना जाने आक्षेप न करें। मैं इन सारे तथ्यों को देखते हुए आग्रह करूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रश्न को दलगत प्रश्न न बनायें। बाबूलाल नेवार क्योंकि उन पुलिस वालों को लेकर जा रहे थे तो इसे भारतीय जनता पार्टी का इश्यू बना लिया गया। आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिये। जहाँ तक न्यायिक जाँच का सवाल है, न्यायिक जाँच में पता नहीं कितना समय लगेगा? इस इश्यू को हम आप बैठें और निपटायें। मैं कल चलने को तैयार हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यह स्थगन प्रस्ताव रखा और घटना से सम्बन्धित तथ्य यहाँ प्रस्तुत किये जिनके आधार पर उनका यह कहना है कि ये घटनाएँ वहाँ पर हुईं जिसकी वजह से यह

तथ्य सामने आये हैं कि अनधिकृत रूप से पुलिस वहाँ पर गई बजाय अपने कर्त्तव्य पालन के वहाँ इस प्रकार की हरकतें कीं जिसके कारण यह स्थिति निर्मित हुई। अध्यक्ष महोदय, किसी प्रश्न को लेकर मैं किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के खिलाफ कोई टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता। घटना अपनी जगह पर है और पार्टियों का सामान्य आचरण अपनी जगह है। पार्टियाँ क्या करती रही हैं और कौन-सी पार्टी मददगार है या नहीं है। इसका सर्टिफिकेट हमें माननीय सदस्य श्री सखाराम नीलकंठ जी से लेने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी को इसकी आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक सवाल इस घटना का है मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि घटना से सम्बन्धित तथ्यों को केवल इस आधार पर कि उसमें कौन-सी पार्टी इनवॉल्वड है और क्या कार्यवाही की जाये इससे नहीं है? प्रश्न यह है कि हमारी जैसी मान्यता है कि प्रशासन तंत्र शासन की जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए है जो अधिकार उसे प्रदत्त किये गये हैं, वे अधिकार जनहित में प्रयुक्त किये जाने चाहिये। यदि जनहित में वे अधिकार प्रयुक्त नहीं किये गये हैं तो कोई भी संरक्षण उन्हें नहीं मिलना चाहिये। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में जैसा कि विरोधी दल के नेता ने, भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री सखलेचा जी ने, श्री शीतला सहाय जी ने तथा अन्य और भी माननीय सदस्यों ने कुछ बातें यहाँ रखी हैं उनमें पहली बात तो यह है कि पुलिस का वहाँ जाना किसी भी नियम के अनुसार आवश्यक था या नहीं। यह प्रश्न हमारे और आपके मध्य का नहीं हो सकता। हम कह सकते हैं कि जाना चाहिये था और आप कहेंगे कि नहीं जाना चाहिये था। यह तो जिस प्रक्रिया के मुताबिक वह गये, वह प्रक्रिया उचित थी या नहीं? यह तो हम उस रिकार्ड को देखकर ही बता सकते हैं। जानकारी जो थी वह सदन को दी गई।

दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो घटनाएँ हुईं, जिनका उल्लेख आपने अपने स्थगन प्रस्ताव में किया, किस प्रकार से उनकी सत्यता या उनकी असत्यता का निर्णय किया जाये। शायद स्थगन प्रस्ताव में उल्लेख करने से पहले विरोधी दल के नेता और उनकी तरफ से बोलने वाले सभी माननीय सदस्यों के सामने यह बात न रही हो या भूल से जिसका जिक्र नहीं किया हो कि यह सब घटनाएँ उनके मत के मुताबिक 4 और 5 फरवरी की रात में घटित हुई। चार फरवरी की रात और पाँच फरवरी के पहले। अध्यक्ष महोदय, वैसे स्वाभाविक आचरण की बात यहाँ कही गई, मैं समझता हूँ स्वाभाविक प्रक्रिया या प्रतिक्रिया इस प्रकार की घटना जो चार और पाँच फरवरी की रात को घटित हुई, यह होनी चाहिये थी कि जैसे ही जिम्मेदार लोगों को, मैं यह मानने के लिये तैयार हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में और विशेषकर हमारे हरिजन और आदिवासी भाइयों के बीच में यह अपेक्षित करना कि वह हिम्मत करके जुल्म-ज्यादती के खिलाफ स्वयं खड़े हो जायेंगे, संभव नहीं है। इसमें हमें नहीं जाना चाहिये लेकिन यदि कोई जिम्मेदार व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो राजनैतिक कार्यकर्त्ता हो, जनप्रतिनिधि हो या अन्य प्रकार से सक्षम हो, यदि उसे किसी घटना की जानकारी होती है तब वह उस जानकारी के पश्चात् क्या व्यवहार करता है? मेरा विनम्र निवेदन है, यह विचारणीय है। क्या सदन को सूचित किया गया कि जिस एफिडेविट को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है वह किस दिनांक को अदालत के सामने प्रस्तुत किया गया? मुझे यह जानकारी मिली है कि चार और पाँच की रात को घटित घटना के संबंध में 23 फरवरी को एफिडेविट फाइल किया गया।

श्री शीतला सहाय : मुख्यमंत्री मुझे एक मिनट की इजाजत देंगे। यह बात सही है कि एफिडेविट देर में हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी विरोधी पक्ष में भी रहे हैं क्या वह नहीं जानते कि हमारे पास क्या इतने साधन हैं? उसको पकड़ा, फिर पकड़ा, फिर पकड़ने के बाद फिर पकड़ा और जब मुरैना में हम लोगों को महिलाओं की तरफ से जानकारी मिली कि बलात्कार हुआ तो सत्यता जानने की दृष्टि से कहा कि एफिडेविट लेकर आयें। क्या यह अवैधानिक जानकारी है? अगर देर से जानकारी मिली हो तो घटना की सत्यता के बारे पता लगाने के लिये कहते हैं। एफिडेविट लेकर आयें और वह विलम्ब से आते हैं तो क्या इस सदन के सामने प्रस्तुत करने का हक विरोधी दल का समाप्त हो जाता है? क्या देर से आने के बाद अपराध की स्थिति नही रहती? वकीलों जैसी तकरीर पेश करके यह प्रमाणित करने की कोशिश करें कि विलम्ब से आया इसलिये राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित है, मैं समझता हूँ उन जैसे संवेदनशील मुख्यमंत्री के लिये वाजिब नहीं है।

अध्यक्ष : अभी यह कहा गया कि एफिडेविट देर से पेश किया गया। देर से पेश किये जाने का इन्फरेन्स

निकालने के लिये आप भी आजाद हैं, वह भी।

श्री शीतला सहाय : आप बहुत ठीक फरमा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को इन्फरेन्स निकालने के लिये अधिकार है लेकिन जिस स्थान पर मुख्यमंत्री जी बैठे हैं उस स्थान पर इन्फरेन्स निकालने का हक सब्जेक्ट के प्रति होना चाहिये व्यवस्था के प्रति नहीं।

श्री अर्जुनसिंह : मैंने यह कदापि नहीं कहा कि इस सदन के पटल पर जिस किसी भी चीज को माननीय अध्यक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दें उसके संबंध में यह कहूँ कि आपको प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। मेरे मुँह से जबरदस्ती कुछ बात कहला रहे हैं तो मैं क्या करूँ।

अध्यक्ष : आपने कहा था पेश करने के बारे में।

श्री शीतला सहाय : इतना विलंब से पेश किया। आपके सामने एक घटना का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। चाहिये था कि किसी एक मंत्री को भेजकर जैसा कनाड़िया जाते थे, उसी तरह से जानकारी प्राप्त करते।

अध्यक्ष : आपने जो प्रयास किया, मैं उसको एप्रीशियेट करता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पूर्व में कहा, यह जानकारी एफिडेविट के द्वारा न केवल उन महिलाओं की ओर से आई है बल्कि स्वयं विरोधी नेता ने अभी कहा कि उनके दल के जनपद अध्यक्ष नेवरा जी ने आगे बढ़कर उसकी तरफदारी की। तरफदारी करने में मुझे आपत्ति नहीं है। वे एक सक्षम कार्यकर्त्ता हैं। उनकी जानकारी में आने के बाद 20-22 दिन एफिडेविट दिलाने में लग गये, इस तथ्य को इस प्रदेश के सामने लाने में लग गये। अध्यक्ष महोदय, यदि दोषी व्यक्तियों को सजा दिलाना था, उनके खिलाफ कार्यवाही करना था तो उसके लिए 20 दिन के इंतजार की क्या आवश्यकता थी। क्या उसके पहले आदरणीय शीतला सहाय जी या अन्य माननीय सदस्य एक पत्र भी नहीं लिख सकते थे?

श्री शीतला सहाय : जिन पत्रों को लिखा उनका क्या हुआ?

श्री अर्जुनसिंह : मैं सफाई देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आपने घटना को अतिरंजित रूप में प्रस्तुत किया है।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय .....

अध्यक्ष : मैंने आपको कई बार कहा कि हमारी परम्परा है, जिसका मैं कड़ाई से पालन कर रहा हूँ, कि जब सदन के नेता बोल रहे हों तो दूसरे माननीय सदस्य उनको बीच में न टोकें। पहले उन्होंने आपको बोलने की परमीशन दी आप बोले। अब वे परमीशन नहीं दे रहे हैं इसलिये आप उनको बोलने दें। अब मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं देता।

श्री अर्जुनसिंह : जब माननीय सदस्य शीतला सहाय जी बोल रहे थे तब मैं खड़ा नहीं हुआ। विरोधी दल के नेता जब बोलते हैं तब मैं खड़ा ही नहीं होता किसी भी माननीय सदस्य के भाषण के बीच में, मैं अवरोध पैदा नहीं करता। इस घटना के बारे में, मैं पूरी जानकारी लेने को तैयार हूँ लेकिन जिस दृष्टिकोण से इसे प्रस्तुत किया गया है, मेरे विनम्र मत से वह दृष्टिकोण पूरी तरह से राजनीति से परे नहीं है। यदि निश्चित रूप से ऐसा होता तो इस घटना के सम्बन्ध में शासन की तरफ से और आपकी तरफ से पूरी जानकारी प्राप्त की गई होती और उसके बारे में पूरी जानकारी प्रदेश की जनता को प्राप्त हुई होती। शायद विधानसभा के सत्र के प्रथम दिन ही इस तरह की जानकारी न रखते हुए, पहले ही जानकारी हो गई होती। इस घटना के सम्बन्ध में जो जानकारी दी गई है— अभी प्रस्तुत की गई है, उस जानकारी के आधार पर शासन किसी को नहीं बचा रहा है न किसी के खिलाफ कार्यवाही कर रहा है, चाहे वह राजनैतिक कार्यकर्त्ता हो चाहे पुलिस का छोटा से छोटा सिपाही हो। मैंने जानकारी ली है। आपका यह कहना गलत है कि मैंने जो जानकारी ली है वह पुलिस के थानेदार को भेजकर ली है वह आपका निष्कर्ष था मैंने एस.पी. के माध्यम से जानकारी ली है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आज जो हमारी स्थिति है, इस देश के अन्दर, उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे स्थानों पर जहाँ का एक इतिहास है, जहाँ पर हमारे गरीबों और हरिजन-आदिवासियों के अत्याचार का इतिहास है, वहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी ही रखे जाते हैं, वहाँ मुरैना में भी एक हरिजन एस.पी. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं। इस अपेक्षा के साथ कम से कम इस प्रकार की घटनाओं के बारे

में किसी प्रकार के किसी के दबाव में आकर कोई बात ऐसी न कहें। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस घटना के बारे में अभी तक जो जानकारी है उसके आधार पर इस स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन चूँकि सदन और माननीय विरोधी पक्ष के सदस्यों ने इस घटना को यहाँ पर उठाया है। इसलिये इस घटना के बारे में पूरी जानकारी लेकर फिर एक स्टेटमेंट सदन में देने को तैयार हूँ। उस जानकारी के पश्चात् मुझे कोई जानकारी मिली, जिसकी वजह से यदि आवश्यक हुआ किसी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये, चाहे कोई भी व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों के विचार एवं शासन का वक्तव्य जानने के बाद में इसे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

(बहिर्गमन)

स्थगन प्रस्ताव की अग्राह्यता के संबंध में विरोधी दल के नेता द्वारा अपने दल के साथ बहिर्गमन)

श्री सुन्दरलाल पटवा : आपने जो आदेश दिया वह आपका उत्तरदायित्व है। परन्तु जिस प्रकार की जानकारी शासन ने इस घटना के बारे में दी और माननीय मुख्यमंत्री महज इस बात को लेकर कि यह आपने 10 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन के बाद दिया, इसलिये मैं पूर्ण जानकारी नहीं दे सकता, इसमें 379 का वारन्ट कौन-सा था। उस क्षेत्र में पुलिस के उसी क्षेत्र के अफसरों के जाने का कारण क्या था। उसकी जानकारी अभी भी उनके पास नहीं है। माननीय सदस्यों की एक समिति बनाकर या कोई मंत्री जाकर घटना की जाँच करे, इस पर कोई तैयार नहीं है। हरिजन और आदिवासियों की हिमायत करने का कहने वाली यह सामंती सरकार हरिजन-आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है, यह पिछले 10 महीनों में हुई घटनाओं से स्पष्ट है। (शेम-शेम) यह कहते हुए मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूँ। (व्यवधान)

सम्पूर्ण विरोधी दल द्वारा सदन का बहिर्गमन किया गया।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/26 फरवरी 1981, पृष्ठ/ 101-110)

26 फरवरी 1981 को अध्यक्ष महोदय ने सूचना दी— "मेरे पास नियम 143 के अंतर्गत मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रकट करने के प्रस्ताव की सूचना श्री कपूरचन्द धुवारा, श्री महेन्द्र शर्मा सदस्यगण विधानसभा की ओर से आयी है जो इस प्रकार है— श्री अर्जुनसिंह के नेतृत्व वाले मंत्रिमण्डल में यह सदन अविश्वास प्रकट करता है।" अध्यक्ष ने पूछा—

—"जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिये जाने के पक्ष में हों वे कृपया खड़े हो जायें।"

अध्यक्ष का निर्णय—

—"क्योंकि 33 सदस्यों से अधिक सदस्य इसके पक्ष में खड़े नहीं हुए हैं इसलिए इस प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी गयी।"

2 मार्च 1981 को सदस्य श्री दिलीपसिंह चौधरी, श्री श्रीराम जाटव और श्री रमाशंकर सिंह के स्थगन प्रस्ताव— जिला भिण्ड के ग्राम रावतपुरा, थाना लहार में दो व्यक्तियों की हत्या और अपहरण— पर चर्चा एवं मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह का वक्तव्य—

अध्यक्ष : सदन को स्मरण होगा कि जिला भिंड के ग्राम रावतपुरा, थाना लहार में दो व्यक्तियों की हत्या किये जाने व अपहरण करने के संबंध में सदस्य चौधरी दिलीप सिंह व श्री श्रीराम जाटव की एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दिनांक 26-2-81 को पढ़कर सुनाई गई किन्तु उसके संबंध में शासन के पास जानकारी न होने के कारण उक्त दिन सदन में वक्तव्य नहीं दिया जा सका। आशा है आज इसके संबंध में जानकारी आ गई होगी। चूँकि इसके

विषय पर श्री रमाशंकर सिंह सदस्य से एक सूचना 26 फरवरी को प्राप्त हुई है अतः मैं उनको भी कहने का मौका दूँगा।

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल (राज्य मंत्री गृह) : अध्यक्ष महोदय, प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 18,19-2-81 मध्य रात्रि को उदयभानसिंह, उदयसिंह, तख्तसिंह गड़रिया, सुगरसिंह वगैरा 14, 15 सशस्त्र डाकुओं द्वारा ग्राम टोला रावतपुरा लहार के लटर ब्राह्मण किशनलाल ब्राह्मण राधाचरण व बच्चूलाल का अपहरण उनके ट्यूबवेल से किया गया और रामसेवक ब्राह्मण तथा हरचरण गड़रिया निवासी रावतपुरा का कत्ल भी किया गया।

ग्राम रावतपुरा उत्तर प्रदेश तथा मध्यप्रदेश की सीमा पर मध्यप्रदेश की हद में है तथा उत्तर प्रदेश की सीमा से आधा कि.मी. दूर है। इस घटना की सूचना दिनांक 19-2-81 को 11.30 बजे थाना लहार में प्राप्त होते ही एस.डी.ओ.पी. लहार, सी.आई. लहार एवं उपस्थित फोर्स बदमाशों की तलाश हेतु उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश की सीमा पर संभावित स्थानों की ओर रवाना हुई। घटना की सूचना थाना लहार में प्राप्त होने पर दिनांक 19-2-81 को 11.30 बजे अपराध क्रमांक 52, 53/81 धारा 302/365 भा.द.वि. कायम कर विवेचना शुरू की गई। दिनांक 20-2-81 को गैंग की एक टुकड़ी से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में भागीरथ काछी निवासी उदयपुरा थाना बरासी धराशाही हुआ (इस व्यक्ति पर 250 रुपये इनाम घोषित था)।

पूरी तहसील डाकूग्रस्त क्षेत्र है। जंगल से डाकुओं की सूचना मिलने पर समय-समय पर दबिश दी जा रही है। पुलिस अपने कर्त्तव्य के प्रति जागरूक है। दस्यु विरोधी कार्यवाही में दिनांक 6-1-81 से अभी तक 4 दस्यु मारे गये तथा 16 बन्दी बनाये गये हैं इसके अलावा पुलिस ने दस्यु मुठभेड़ में अपहृत व्यक्तियों को छुड़ाया भी है। यह कहना गलत होगा कि पुलिस की ओर से कार्यवाही न होने के कारण खेतों में काम करना असम्भव है।

श्री दिलीप सिंह चौधरी (भिण्ड) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भिण्ड जिले में आज वास्तविक स्थिति यह है कि वहाँ बिल्कुल डाकू राज्य है। हुकूमत नाम का राज्य वहाँ वास्तविकता में नहीं है। मैं अर्ज करूँगा कि यह स्थान लहार थाने से सात किलोमीटर दूर है। इसमें और जावद जिले के बीच नदी पड़ती है और डाकू दिन दहाड़े वहाँ घूमते हैं वे वहाँ इसी प्रकार घूमते हैं जैसे हमारे यहाँ देवतागण घूमते हैं। अध्यक्ष महोदय, चम्बल संभाग में दतिया में दस्युओं का खुलेआम सम्मेलन हुआ। दिन दहाड़े दो सौ, ढाई सौ बदमाशों की गैंग निकली और खूब पब्लिसिटी हुई। अगर इस प्रकार से पब्लिसिटी न की जाये तो ज्यादा बेहतर होगा। इससे जनता का मनोबल गिरता है। मेरा निवेदन है कि भिंड जिले में इस समय डाकू राज्य है, वहाँ दिन में जाइये, आप सुरक्षित नहीं हैं। ट्यूबवेल पर एक किसान रहता है वह पकड़ लिया जाता है, वहाँ खेती नहीं कर सकते हैं और एक जाति विशेष, वर्ग विशेष पर विशेष प्रकोप है। आप भिंड जिले का नक्शा देखिये, पकड़ने वाले कौन हैं इसमें एक रहस्य है, राजनीति है। चूँकि यह अहम मसला है इसलिये इस पर बहस होनी चाहिये। आज भिंड जिले में डाकू राज्य है, प्रशासन पूर्ण रूप से अकर्मण्य है। जब बदमाश चले जाते हैं तो पुलिस गोली चलाकर खानापूरी करती है। एक इंसान का रहना आज भिंड जिले में मुश्किल है, घर में आदमी रात में सो नहीं पाता है और शासन के आदेश से बन्दूकों का लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। वहाँ बन्दूकों के लाइसेंस दिये जायें तो डाकुओं का खुद मुकाबला कर सकते हैं। जो दो आदमी पकड़ कर ले जाये गये आज तक हुकूमत पकड़े गये लोगों को छुड़ा नहीं सकती है बल्कि बदमाशों ने चिट्ठी दी है कि दो लाख रुपया दीजिये तो छूट सकते हैं। इस प्रगतिशील शासन की यह हालत है। हम लोगों ने चन्दा इकट्ठा किया। इस तरह से लूट रोकी जाये। इसलिये इस मसले पर विशेष विचार किया जाये जो जनहित में आवश्यक है।

श्री रमाशंकर सिंह (रोन) : श्रीमान् आपने स्वयं चम्बल क्षेत्र और खासकर भिंड-मुरैना का दौरा किया है। आपके सामने भी क्षेत्र की जनता ने स्थिति बताई है। मैं नहीं कहता कि आप स्थिति से पूरी तरह से अवगत हो गये हैं लेकिन स्थिति की गम्भीरता कितनी है इसका एक अंश आपके सामने आया होगा। अभी मड़कुआ के जंगल में 16 फरवरी को मलखानसिंह, घनश्याम और फूलनदेवी के गिरोह का वह हिस्सा जो बमहेई हत्याकाण्ड के बाद मध्यप्रदेश में, मड़कुआ के जंगल में आ गये हैं, उनसे 16 फरवरी को पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ जिसमें यह प्रचार किया गया डाकू छोटे सिंह मारा गया। यह असत्य है कि वह एक डकैत था। वह एक साधारण आदमी

था। चूँकि उसकी लाश क्षत-विक्षत हो गई थी, उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया था, पुलिस ने वाहवाही लूटने के लिए एक निर्दोष आदमी को गोली मार दी। चूँकि स्थगन की घटना 20 फरवरी की है तो 16 फरवरी को प्रचार किया कि एनकाउंटर हुआ। 26 जनवरी को दो बोरी चीनी भी बाजार से जाती है। मलखानसिंह और घनश्याम सिंह का गैंग पूरे दो क्विंटल चीनी की जलेबी बनवाकर दस्यु सम्मेलन में खिलाता है, खाना बनता है। दो क्विंटल चीनी और 10 क्विंटल आटा बाजार से जाये और जानकारी पुलिस को न हो, यह संभव नहीं है। बड़े-बड़े अधिकारी जाते हैं लेकिन उनको स्थिति की जानकारी नहीं है। जैसा स्थगन प्रस्ताव में कहा गया है आज हालत यह हो गई कि कोई आदमी रात में, जब बिजली आती है, ट्यूबवेल पर जाकर पानी नहीं दे सकता। कई गाँवों में पंचायतें हुई हैं, दस-दस बन्दूक वाले इकट्ठा होते हैं और तय करते हैं कि इस रात इस खेत में पानी देना है, अगली रात दूसरे खेत में पानी देना है। श्रीमान् मैं बताऊँ रोन में सात में से छै आदमी फरार भी नहीं हुये थे, उनके खिलाफ पुलिस में कोई शिकायत भी नहीं थी. किन्तु उनको घोषित कर दिया गया कि वे डकैत थे। इस तरह से निर्दोष आदमियों को भी ये मारते हैं। वहाँ एक नया गैंग बना है।

अध्यक्ष : मैंने आपका पूरा भाषण सुना।

श्री रमाशंकर सिंह : श्रीमान् चम्बल घाटी में आग लगी हुई है। इस स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करें। अगर इसको ग्राह्य नहीं करेंगे तो ऐसी कौन-सी स्थिति आयेगी। इस समय अन्तर्राज्यीय गिरोह बनाकर डेढ़ हजार लोग घूम रहे हैं। 6 हजार रुपया अपनी मेहनत पसीने की कमाई का लगाकर लोग बन्दूक खरीदना चाहते हैं लेकिन सरकार शस्त्रों के लाइसेंस नहीं दे रही है। यह स्थगन प्रस्ताव मंजूर किया जाना जरूरी है। यह दिलीपसिंह चौधरी का क्षेत्र है और रोन मेरा क्षेत्र है। यहाँ के लोग निकल नहीं पा रहे हैं। बारातें नहीं जा रही हैं। बारात रोककर आलमपुर में लोगों को गिरफ्तार किया गया। सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए।

अध्यक्ष : आप स्थगन प्रस्ताव को छोड़कर पुलिस पर आ गये।

श्री रमाशंकर सिंह : ये दोनों एक हैं। जितना गलत काम डाकू करते हैं वैसा ही गलत काम वहाँ पुलिस करती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह जी से कहना चाहता हूँ कि पुलिस को कोई हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ किन्तु यदि आप पुलिस को सभी गैर-कानूनी काम करने की छूट देंगे तो जनता त्रस्त हो जायेगी।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले कहा था कि प्रदेश के भिंड-मुरैना और कुछ स्थानों में हुई डकैती की घटनाओं की गम्भीरता को शासन पहले भी कम नहीं समझ रहा था और न किसी तथ्य को छिपा लेना चाहता है लेकिन साथ ही साथ आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा यदि निष्पक्ष रूप से आप देखना चाहते हैं तो इस समस्या के समाधान के लिये पिछले दो महीनों में जो कदम उठाये गये हैं निश्चित रूप से उससे इस समस्या के समाधान में सहायता मिली है। मलखान सिंह गैंग को ही ले लीजिये। मुझे उतनी जानकारी नहीं है जितनी भाई रमाशंकर सिंह जी को और दिलीप सिंह जी को होगी।

श्री रमाशंकर सिंह : मैं वहाँ रहता हूँ इसलिये जानकारी है।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : इसीलिये मैंने कहा है। (हँसी)

श्री रमाशंकर सिंह : कैसा हँस रहे हैं।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं होगी तो किसे जानकारी होगी?

श्री अर्जुनसिंह : माननीय शीतला सहाय जी जितना चाहते थे.....

श्री शीतला सहाय : मुझे जानकारी मत दीजिये लेकिन आप स्वीकार कीजिये।

श्री अर्जुनसिंह : आप कक्ष में आ जाइये तो ऐसी जानकारी दूँ कि आप भी चकित रह जायें।

श्री शीतला सहाय : मैं कक्ष में आ जाऊँगा। मुझे डर नहीं है। (हँसी) मैं समझता था कि अब आपने कक्ष में बुलाने की आदत छोड़ दी है लेकिन अभी भी बरकरार है।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि इस समस्या को एक तो शासन तंत्र द्वारा कार्यवाही से काबू में लाया जा सकता है, दूसरी तरफ जो लोग वहाँ पर उन लोगों की सहायता करते हैं, उनके

खिलाफ भी प्रभावी कार्यवाही करना आवश्यक है, और वह केवल शासकीय तंत्र के माध्यम से की जाये यह स्वाभाविक नहीं हो सकता है। उनके बारे में उस क्षेत्र में वातावरण निर्मित करना पड़ेगा और उसमें आप सबका सहयोग मिलेगा। ऐसे व्यक्ति जो भी हों, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये और किसी प्रकार का उनको संरक्षण प्राप्त न हो, इस दिशा में व्यापक स्तर पर हमने कार्यवाही प्रारम्भ की है और अभी तक इसमें किसी प्रकार से व्यवधान उपस्थित किया हो, मैं कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं हुआ है। जहाँ कांफ्रेंस या मीटिंग का जिक्र किया गया है। जो कि माननीय सदस्यों ने कहा कि वहाँ एक कांफ्रेंस हुई है। समाचार-पत्रों में ऐसे समाचार छपे। कांफ्रेंस हुई या नहीं हुई, इसके बारे में, मैं तो अधिकृत रूप से कहने की स्थिति में नहीं हूँ लेकिन माननीय सदस्य को चिन्ता है, स्वाभाविक चिन्ता है, उसके अनुरूप मेरी यह प्रार्थना होगी कि इस संबंध में जो निश्चित व विस्तृत जानकारी माननीय सदस्यों को हो कृपा कर मुझे उपलब्ध करायें तो निश्चित रूप से मुझे जो कुछ करना होगा, करूँगा। साथ ही साथ उस हिस्से में जो इस प्रकार का एक वातावरण निर्मित है और उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के संयुक्त प्रयास से जो कुछ वहाँ होता है और हो रहा है उसको और गति देना है तो स्थानीय स्तर पर सरकार वहाँ की कठिनाइयों को देखकर और पुलिस कर्मचारियों को उनके काम के लिये साधन, सुविधायें और प्रोत्साहन देना है। मेरी उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है और हम दोनों ने यह निश्चय किया है कि दिनांक 8 मार्च को उत्तरप्रदेश के उस अंचल में जहाँ डाकू समस्या है और उसी दिन मध्यप्रदेश के ऐसे अंचल में, जहाँ डाकू समस्या है, वहाँ दोनों प्रदेशों के सम्मिलित अधिकारियों की बैठकें होंगी। मैं चाहूँगा कि इस समस्या का पूरी तरह से मुकाबला करने के लिये जो वातावरण हम सबको मिलकर बनाना है, जो सहयोग हमें चाहिये मिले तो निश्चित रूप से और विश्वास के साथ मैं आपसे कह सकता हूँ कि समस्या का हल होगा। इसलिये निवेदन है कि इस प्रकार से पुलिस के कर्मचारी इस समस्या को निपटाने में आपकी इच्छा के अनुसार कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यदि कोई गलती करता है तो गलत बात होती है और यह विशिष्ट प्रकरण बनकर आता है। लेकिन आम तौर पर यह कहना कि पुलिस और डाकू एक समस्या के समाधान की दिशा में नहीं हैं।

श्री रमाशंकर सिंह : ग्रामीणों को संरक्षण के लिये आधुनिक हथियार मिलेंगे या नहीं। (व्यवधान)

श्री तनवंतसिंह कीर : मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर .....

अध्यक्ष : आपका कोई प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यों के विचार एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् मैं इसको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, लोगों का कहना है कि यदि रमाशंकर सिंह जी मुरैना छोड़ दें तो अधिक शांति स्थापित हो जाएगी।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/2 मार्च 1981, पृष्ठ/ 313-315)

26 फरवरी 1981 को नया गाँव, जिला— मुरैना की घटना पर स्थगन प्रस्ताव आया था जिसे चर्चा के लिये ग्राह्य किये जाने के संबंध में समूचे विपक्ष ने बहिर्गमन किया था। 27 फरवरी को सदस्य श्री शीतला सहाय, श्री बाबूलाल गौर, श्री गौरीशंकर शेजवार और श्री विक्रम वर्मा ने अध्यक्ष को मुख्यमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग की इस आशय की सूचना दी कि विधानसभा का सत्र चलते समय विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री द्वारा इस घटना की मजिस्ट्रियल जाँच की घोषणा की गयी है। इस पर हुई एक दिलचस्प बहस यहाँ प्रकाशित है।

इस बहस के तुरन्त बाद दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर भी चर्चा हुई— पहली, विधायकों के विधानसभा भवन आते समय पुलिस द्वारा अवरोध उत्पन्न किये जाने के बारे में और दूसरी, दिल्ली में 16 फरवरी को हुई किसान रैली में शासकीय तंत्र के दुरुपयोग के बारे में थीं। इन दोनों ही चर्चा में श्री अर्जुनसिंह ने हिस्सा लिया—

अध्यक्ष : मेरे पास विधानसभा सदस्य सर्वश्री शीतला सहाय, बाबूलाल गौर, गौरीशंकर शेजवार तथा श्री विक्रम वर्मा की ओर से एक विशेषाधिकार भंग की सूचना 27-2-81 को प्राप्त हुई है जिसे मैं सदन में पढ़कर सुनाता हूँ। सूचना इस प्रकार है—

"कल दिनांक 26-2-81 को विधानसभा में नयागाँव , जिला मुरैना में पुलिस द्वारा आदिवासी महिलाओं पर बलात्कार किये जाने की घटना पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से जाँच की माँग की जाने पर माननीय मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह द्वारा इस बारे में कोई घोषणा नहीं की गयी और इसके पश्चात् उनके द्वारा मजिस्ट्रियल जाँच की घोषणा की गई जिसे सायंकाल प्रादेशिक समाचारों में आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किया गया साथ ही आज 27-2-81 के समाचार-पत्रों में भी यह खबर छपी है।

विधानसभा का सत्र चलते समय विधानसभा के बाहर इस प्रकार की घोषणा करके मुख्यमंत्री द्वारा सदन की अवहेलना करने एवं सदन की मर्यादा भंग करने का जानबूझकर प्रयत्न किया गया है इससे सदन का विशेषाधिकार भंग हुआ है अतः यह प्रश्न विचारार्थ विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये।

अध्यक्ष : प्रस्ताव पर निर्णय लेने के पूर्व मैं माननीय सदस्य तथा शासन के विचार सुनना चाहूँगा।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूँगा कि पहले विक्रम वर्मा जी को बोलने की इजाजत दी जाये उसके बाद मैं बोलूँगा।

डॉ. राजेन्द्र जैन : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, आप माने हुए प्रसिद्ध वकील रहे हैं। कोई बात अगर सर्वमान्य रूप से स्वीकार हो जाती है उस प्रस्ताव को तो आउट राइड रिजेक्ट किया जाना चाहिये, इस प्रकार का प्रश्न.....।

अध्यक्ष : आपने यह प्वाइंट ऑफ ऑर्डर मेरे ऊपर उठाया है कि मैंने उसको स्वीकार क्यों किया। कौन-सा नियम आपके दिमाग में है जो पढ़कर मुझे बताना चाहते हैं?

(मेजों की थपथपाहट)

डॉ. राजेन्द्र जैन : नियमावली के नियम 165 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करके निवेदन .....।

अध्यक्ष : आप पढ़ लीजिये।

श्री विक्रम वर्मा (धार) : अध्यक्ष महोदय, 26 तारीख को इस सदन में नयागाँव का प्रश्न आया जिसमें आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार किये जाने की घटना पर मुख्यमंत्री महोदय का जवाब आया था तो उस दिन की प्रोसीडिंग की नकल हेतु माननीय सदस्य ने आवेदन दिया लेकिन अभी तक मिल नहीं पाई है। उसमें आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री महोदय ने अपने जवाब में इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की। स्थगन जब सदन में प्रस्तुत किया जाये उस घटना के क्रम में शासन की तरफ से उत्तर आये उसके बाद सारे माननीय सदस्यों के प्रश्नों के माननीय सदन के नेता हस्तक्षेप करके जवाब दें या वक्तव्य दें और उसमें कोई भी इस प्रकार का उल्लेख न किया जाये जैसा कि स्थगन प्रस्ताव के बारे में होता है कि कमेटी बनाई जाये या किसी अधिकारी से जाँच कराएँगे ऐसी स्पष्ट घोषणा होना चाहिये लेकिन किसी भी प्रकार की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा इस सदन के अंदर नहीं की गई। और उस दिन जब आप अग्राह्य करने के लिए खड़े हुए तब माननीय विरोधी दल के नेता ने यह बात कही कि हम शासन के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। यह सरकार सब प्रकार से छिपाना चाह रही है, यह इस घटना को टालना चाह रही है, सदन को स्पष्ट आश्वासन क्यों नहीं देती। इसलिये विरोधी दल के नेता ने स्वयं वहाँ जाकर इसकी जाँच करेंगे, यह कहा और इसके बाद वाकआउट किया। बाद में यह सारी बातें प्रेस में देकर चर्चा की, और जाँच की घोषणा की। इस प्रकार सदन के अधिकार की कटौती करने का, सदन के अधिकार को सीमित करने का प्रयास मुख्यमंत्री के उस आचरण से हुआ है और इसलिये मुझको विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव इस सदन के अन्दर लाना पड़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक तो सारा का सारा पुलिस को प्रोटेक्शन देने के लिए कोई स्पष्ट घोषणा माननीय नेता नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब विरोधी दल के नेता और अन्य दल के सदस्यों के जाने की बात

और इसके बाद में सारे तथ्य जिनको शासन ने यहाँ छिपाया है पुलिस की ज्यादतियों की बातें जिस प्रकार से उन लोगों ने दबाव देकर झूठे एफिडेविट कराने का प्रयास सत्तारूढ़ दल के द्वारा किया गया था तो या शासन के द्वारा किया गया था, वे सारे तथ्य जब सदन के फ्लोर पर आयेंगे तब पूरा का पूरा वक्तव्य सरकार को झुठला जायेगा इस बात को रोकने के लिये यदि भविष्य में सदन में चर्चा न की जाए और उसको सबज्यूडिस बनाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने आफ्टर थाट करके इस प्रकार की मजिस्ट्रियल जाँच की घोषणा की ताकि फिर इस सदन को .....।

अध्यक्ष : मैं जानना चाहता हूँ कि आफ्टर थाट और बाद में घोषणा की, इसमें ब्रीच ऑफ प्रीविलेज होगा, इस पर नहीं जाना चाहिये।

श्री विक्रम वर्मा : इस सदन में प्रोसीडिंग थी और क्या उसके पीछे उद्देश्य था प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से माननीय सदस्यों को भविष्य में इस प्रकार से रोका जाना चाहिये। इन्होंने आफ्टर थाट करके सब-ज्युडिस बनाकर, ताकि बाद में चर्चा न की जाए, घोषणा की है। इस बारे में इस प्रकार की रूलिंग्स सदन के अंदर बनती है और जो घटनाएँ आती हैं उन पर सदन विचार करने के बाद रूलिंग बनाता है। लेकिन फिर भी इस बारे में स्पष्ट रूलिंग नहीं है।

अध्यक्ष : कई स्पष्ट रूलिंग्स हैं।

श्री विक्रम वर्मा : लेकिन अध्यक्ष महोदय, लोकसभा में इस प्रकार की स्थिति से जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस सदन के प्रति इस घोषणा के बाद भी सदन को सूचना देने का प्रयास नहीं किया गया। इस प्रकार से सदन की अवमानना है। इस प्रकार की रूलिंग लोकसभा के स्पीकर ने 19 दिसम्बर 1963 को लोकसभा में दी है। श्री होमीदाजी ने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री के खिलाफ सदन के बाहर अखबारों को दिया, उसके बारे में पूरी प्रोसीडिंग है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि—

Though it is a matter of propriety, and courtesy also demands, that they should be made in the House when the House is in session.

अध्यक्ष महोदय, जब हाऊस सेशन में हो, जब सदन चल रहा हो, तब उस सदन के नेता की मंत्रिमंडल के मंत्री की सदन के प्रति सदन की जो गरिमा है, उसके प्रति इस बात का औचित्य होना चाहिये था कि वे सदन के अंदर इस बात की घोषणा करते लेकिन सदन के अंदर नहीं की। इसकी घोषणा दूसरे दिन भी सदन में कर सकते थे कि इस प्रकार की जानकारी मिलने के बाद हमने मजिस्ट्रियल जाँच बिठाई है और इस प्रकार से यह सदन की अवमानना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन है कि जिस प्रकार से रूलिंग लोकसभा के स्पीकर ने दी है, इस सारे प्रकरण में देखें तो एक प्रकार से जो प्वाइंट मैंने ऊपर बताए हैं उसी प्रकार की अवमानना की स्थिति है। और कम से कम इतनी कृतज्ञता इस सदन के प्रति मुख्यमंत्री को बतानी चाहिए थी। वह न करते हुए जो मैंने बताया कि उसको रोकने का प्रयास किया है। हाउस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपने वर्ड से, स्पीकिंग से यदि रोकने का प्रयास या कोशिश, यह रूलिंग में है—

"Other acts besides words spoken or writings published reflecting upon either House or its proceedings which though they do not tend directly to obstruct or impede either House in the performance of its functions, yet have a tendency to produce this result indirectly by bringing such House in to odium, contempt or ridicule or by lowering its authority may constitute contempts".

प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके किसी कथन से सदन प्रतिबंधित हो, हम प्रत्यक्ष रूप से रोके जाने की स्थिति में पड़ते हैं तो कन्टेम्प्ट है, सदन की अवमानना है अतः अध्यक्ष महोदय, इसे स्वीकार करें यह हमारी प्रार्थना है।

डॉ. राजेन्द्र जैन (उज्जैन-उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जिस मामले में सम्मानीय सदन के सदस्यों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिये था खासतौर से विरोधी पक्ष के नेता को और विरोधी दल के सदस्यों को उस मामले में बजाय धन्यवाद देने के एक विशेषाधिकार का प्रश्न सदन के सामने लाये हैं।

उस दिन जो चर्चा हुई थी उसमें उस दिन विरोधी पक्ष के नेता ने आग्रह किया था कि यह गम्भीर मामला है, मुख्यमंत्री जी जाँच करें, कार्यवाही करें और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके कहने के बाद और सदन में बयान देने के बाद भी मामले को देखने और आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया और उसके परिपालन में उस दिन बड़ी तत्परता से घोषणा की मजिस्ट्रियल जाँच की, उसके लिये माननीय विरोधी दल के नेता को धन्यवाद देना चाहिये। उसमें स्पष्ट फैसले हैं हाउस आफ कामन्स के, इंडियन पार्लियामेंट के और श्रीमान आपके स्वयं के फैसले की ओर ध्यान दिलाऊँगा। आफिशियल रिपोर्ट, फिफ्थ सीरीज, पार्लियामेंट डिवेट्स कामन्स, 1951-52 वाल्यूम 500 के पृष्ठ 390 7-5-52 को आयंगर साहब स्पीकर ने कहा है कि "आई एम क्लीयर देट देअर इज नो क्वेश्चन आफ प्रिविलेज अबाउट इट।" अध्यक्ष महोदय, उसके बाद एक नहीं अनेक, जैसा अभी सम्मानीय सदस्य ने कहा कि इसके बारे में रूलिंग नहीं है। रूलिंग है, वह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारी लोकसभा की अनेक रूलिंग्ज की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें स्पष्ट कहा है कि—

"No privilege of Parliament is involved if statement on matter of public interest are not first made in the House and are made outside"

यह मैं आपके ध्यान में प्रेक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेंट, कौल और शकधर के वाल्यूम 1 पृष्ठ 235 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आप कानून के मामले में विद्वान माने जाते हैं। आपने उसी सत्र में श्री श्रीनिवास जी तिवारी के मामले में एक महत्वपूर्ण रूलिंग देकर यहाँ आपने एक परम्परा कायम कर दी है प्रिविलेज डायजेस्ट, वाल्यूम 1-4-1957-60 पर भी व्यवस्था पृष्ठ 160 पर दी है। 'यदि जनहित में आवश्यक हो तो वक्तव्य विधानसभा चलते हुए सदन के बाहर दिया जावे तो विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता।'

श्री शीतला सहाय (लश्कर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, राजेन्द्र जी ने रूलिंग देकर यह प्रतिपादित किया कि विशेषाधिकार भंग नहीं है इसलिये उसके साथ-साथ एक बात प्रतिपादित की गई वह बात स्पष्ट हो जाये तो मैं समझता हूँ कि स्थिति साफ हो जायेगी। जो रूलिंग कोड की गई हैं उन सब में यह है कि प्रोप्रायटी और कर्टसी का मामला है। अध्यक्ष महोदय, राजेन्द्र जी ने रूलिंग देकर अपनी बात तो प्रतिपादित की कि विशेषाधिकार भंग नहीं होता। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात प्रतिपादित की है वह भी यहाँ स्पष्ट हो जावे तो मैं समझता हूँ कि स्थिति साफ हो जावेगी। उन्होंने कहा कि विशेषाधिकार तो नहीं बनता लेकिन जो रूलिंग उन्होंने कोट की है उससे यह साफ है कि यह प्रोप्रायटी और कर्टसी का मामला था कि लीडर या सरकार को अपनी घोषणाएँ हाउस के अन्दर करना चाहिये थीं। उन्होंने बड़ी विद्वता से अपनी बात कही। अध्यक्ष महोदय, आप तो विद्वान हैं ही, पर यहाँ उनकी विद्वता की तारीफ करना पड़ेगी।

अध्यक्ष : मेरी विद्वता की यहाँ चर्चा नहीं हो रही है .....।

(हँसी)

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, आपकी सब रूलिंग स्वीकार है लेकिन यह रूलिंग स्वीकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि उन्होंने बड़ी विद्वता के साथ अपने नेता की कमी को छुपाने की कोशिश की..... (कुमारी विमला वर्मा के खड़े होने पर) बहुत दिनों बाद विमला जी मेरे वक्तव्य पर बोल रही हैं अतः मैं बन्द करता हूँ।

कुमारी विमला वर्मा (लोक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, शीतला सहाय जी की विद्वता की कोई तारीफ ही नहीं कर रहा है। (हँसी)

श्री सुन्दरलाल पटवा : उनकी तारीफ करने कौन खड़ा होगा यह वह भी जानती हैं, हम भी जानतें हैं। (हँसी)

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं जोड़ दूँ कि एक जमाना मेरा भी था जबकि मेरी तारीफ करने वाले सामने आया करते थे। (हँसी)

अध्यक्ष : अभी भी आपका जमाना है। (हँसी)

श्री शीतला सहाय : धन्यवाद। तो अध्यक्ष महोदय, राजेन्द्र जी की बात अगर स्वीकार कर ली जावे तो

जो बात उन्होंने प्रतिपादित कर दी वह यह कि प्रोप्रायटी और कर्टसी के यह विरुद्ध था कि माननीय मुख्यमन्त्री जी ने हाउस में इस निर्णय की घोषणा नहीं की और उन्होंने विरोधी पक्ष के नेता से यह अपेक्षा की उनको धन्यवाद देना चाहिये था। अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो हमने सरकार को धन्यवाद दिया और तारीफ की पर अब ऐसा लग रहा है कि यह हमारे धन्यवाद का दुरुपयोग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक निवेदन और करूँगा कि जो रूलिंग श्रीमान् ने सदन में दी थी उस रूलिंग का प्रभाव इस सरकार पर उल्टा पड़ रहा है। कदाचित उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री श्रीनिवास तिवारी को प्रताड़ना दी होती और विशेषाधिकार भंग है उस पर निर्णय कर दिया होता तो मुख्यमंत्री जी आज इस प्रकार की गलती नहीं करते लेकिन उस दिन इस सारे प्रकरण को लेकर उनको मुक्त कर दिया, जिसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है, कि पुनः उसी प्रकार की गलती दोहराई जा रही है। राजेन्द्र जी की बात उस समय अच्छी मानी जा सकती थी।

अध्यक्ष : मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। आपका कहना है कि उस समय यदि प्रताड़ना दे दी जाती तो यह नौबत नहीं आती।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, मेरा यही तात्पर्य है कि अगर आप डेटेरेन्ट पनिशमेंट सरकार में बैठे हुए लोगों को नहीं देंगे तो यह सब बिल्कुल उच्छृंखल और स्वच्छन्द हो जावेंगे।

डॉ. राजेन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। माननीय शीतला सहाय जी श्रीमान् द्वारा दिये हुए निर्णय पर जो वक्तव्य सदन में दे रहे हैं क्या वह सदन और श्रीमान् की अवमानना में नहीं आता?

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, अधिक बुद्धिमान होना भी ठीक नहीं। श्रीमान् मैं स्वास्थ्य मन्त्री रहा हूँ। कई केसेस मेरे पास आये और मैंने यह महसूस किया कि अधिक बुद्धिमान होना भी ठीक नहीं है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, संक्षिप्त में, मैं अपनी बात कहता हूँ। राजेन्द्र जी के हिसाब से प्रोप्रायटरी और कर्टसी के विरुद्ध था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को खड़े होकर यह कहना चाहिये था कि गलती हो गई। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ। इस क्षेत्र में यदि हाउस आफ कामन्स इनडिपेन्डेन्ट है, लोकसभा इन्डिपेन्डेन्ट है तो हमारी मध्यप्रदेश विधानसभा भी इन्डिपेन्डेन्ट है, अपने रूलिंग को कायम करने में पिछले रूलिंग प्रस्तुत करके यह कोशिश की जा सकती है कि कन्टिन्यूटी बनाई जावे। लेकिन जब यह देखा जावे कि कन्टिन्यूटी का दुरुपयोग होता है तो हम सदन में एक नये रूलिंग कायम करने की परिस्थिति पर विचार करें। और मेरा तो यह निवेदन है कि हाउस के चलते हुए जब यह परम्परा प्रारम्भ हो गई है कि महत्वपूर्ण प्रवेश बाहर कर लिया जाता है तो यह ठीक नहीं है। आखिरी बात यह कहना चाहता हूँ कि राजेन्द्र जी ने कहा कि हमें धन्यवाद देना चाहिए। मेरा यह आरोप है मुख्यमंत्री जी पर कि हमारी जाँच प्रभावित हो, विरोधी पक्ष द्वारा की जाने वाली जाँच प्रभावित हो इसलिये जानबूझकर के उन्होंने इस प्रकार का निर्णय लिया कि मजिस्ट्रियल जाँच घोषित की जाती है जिससे मामला सब-ज्यूडिस हो जाये और सबज्यूडिस होने के कारण ये काम नहीं कर पायें। आखिर इतनी जल्दी क्यों की गई। दूसरे दिन 11 बजे सदन में इस प्रकार की घोषणा की जा सकती थी। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमने सूचित कर दिया था कि हम शाम को इतने बजे इस गाड़ी से जाँच करने जा रहे हैं। उस हमारे सारे प्रयास को असफल बनाने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया। मैं श्रीमान् से यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस सारी भूमिका के आधार पर इस मसले को लेकर एक नयी रूलिंग कायम करें।

श्री सुन्दरलाल पटवा (सीहोर) : माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहें इसके पहले 10 मिनट का समय मैं भी चाहूँगा। इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि .....।

श्री उत्तमचन्द खटीक : अध्यक्ष महोदय, आपने जो सदन का समय बढ़ाया था 10 मिनिट अब 20 मिनिट हो चुके हैं, क्या आप और बढ़ा रहे हैं?

अध्यक्ष : इस बीच मैंने समय बढ़वा लिया है आप बैठ जायें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि इस प्रकार की घोषणाएँ सदन के बाहर करने के बारे में लोकसभा के, हाउस आफ कामन्स के, इस सदन के निर्णय हैं

उसमें इसको यद्यपि विशेषाधिकार भंग का प्रश्न नहीं माना है किन्तु डिस्कर्टसी व इम्प्रोप्रायटी है इस बात को सभी निर्णयों में स्वीकार किया गया है। यह बात नहीं है लेकिन इस विशिष्ट प्रकरण में दूसरा मुद्दा श्रीमान के सामने रखा गया है कि इस प्रकार की घोषणा सदन के बाहर करने के पीछे जो इरादा है, इन्टेन्शन है वह मेलाफाइड है और इस सदन में हम लोगों के अधिकारों का, कर्त्तव्यों का पालन करने से रोकने का, इरादतन किया गया है। मैं श्रीमान् का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा यह तो बहुत क्लीयरकट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। उस मामले की जाँच करके यहाँ उसके तथ्य रखते किन्तु जब सदन में घोषणा कर दी तो सदन में इस विषय पर चर्चा न हो सके इस बात को प्रतिबंधित करने के लिये मेलाफाइड इन्टेंशन से इस प्रकार की मजिस्ट्रियल जाँच कर मामले को सबज्यूडिश बनाया गया है यह कन्टेम्प्ट व ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का प्रश्न है, हाउस की अवमानना भी है, यह अपनी जगह है। मैं चाहूँगा कि इसको विशेषाधिकार समिति को सौंपने का निर्णय लें।

श्री अर्जुनसिंह : * आदरणीय अध्यक्ष महोदय, न तो यहाँ पर उस घटना के तथ्यों का उल्लेख करना चाहूँगा इसलिये नहीं क्योंकि माननीय विरोधी दल के नेता व उसके कई साथियों ने निश्चित रूप से महत्वपूर्ण खोजबीन की होगी और वह सदन के सामने आयेगी लेकिन सदन के सामने .....।

(प्रतिष्ठित दीर्घा से एक व्यक्ति द्वारा मुख्यमंत्री इस्तीफा दें की आवाज)

यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि जो जाँच माननीय विरोधी दल के नेता, हमारे आदरणीय सदस्य श्री शीतला सहाय जी व अन्य लोगों ने करने का निर्णय लिया है वह जाँच माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधानसभा की किसी समिति द्वारा की गई जाँच नहीं है और यदि आप जाँच करना चाहते हैं किसी बात पर एक दल की हैसियत से तो आपको पूरी आजादी है और उस जाँच को करने के लिये आप स्वतन्त्र हैं जरूर कीजिये। उसके निष्कर्ष आप अपने दल के नेता के माध्यम से सदन के सामने प्रस्तुत करें, जनता के सामने प्रस्तुत करें और आगे जो कार्यवाही हो सकती है, मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि विक्रम वर्मा जी किताब पढ़कर इस बात को कहें तो मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने एक ब्रीफ लिया है अच्छी तरह से कह रहे हैं लेकिन विरोधी दल के नेता उस बात को कहें तो मुझे स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। क्योंकि स्मरण हो कि उस दिन चर्चा के समय यह भी प्रश्न उठाया गया था, कहा गया था कि जिन लोगों ने यह ज्यादती की है हम आरोप लगा रहे हैं पुलिस वालों ने ज्यादती की है, उसी थानेदार, डिप्टी सुप्रिन्टेंडेंट आफ पुलिस को भेजकर सदन में यह बात कह रहे हैं, अन्य भी शंका पैदा की गई कि जो जानकारी सदन में दे रहे हैं सही नहीं है ..... आपने यह आफर भी दिया कि हम लोग साथ चलें। अध्यक्ष महोदय, यह शासन किसी चीज को तोड़-मरोड़कर, छिपाकर अपनी बचत नहीं करना चाहता। लेकिन यह बात भी उतनी ही स्पष्ट हो जानी चाहिये कि हम जो सदन में कहते हैं उसे पूरा करने के लिये यदि कोई कदम उठाते हैं और वह कदम आपकी किसी भावना के व्यूहरचना की आड़ में आता है तो उसकी वजह से हम कभी रुकने वाले नहीं हैं। (ट्रेजरी बैंचों की तरफ से मेजों की थपथपाहट) हमने सदन में यह कहा है। इतना ही नहीं हम जाँच करायेंगे, जानकारी लेंगे। मैंने यह भी कहा था कि जानकारी लेने के बाद मैं सदन में स्टेटमेंट दूँगा। यह रिकार्ड में है अध्यक्ष महोदय, और जब मैं सदन में स्टेटमेंट दूँगा तो विरोधी दल के नेता शायद जानते ही होंगे कि शासन के द्वारा दिये गये किसी स्टेटमेंट पर सदन में चर्चा भी की जा सकती है आपकी अनुमति से। और मैं चाहूँगा कि आज ही आप इस बात पर पूर्ण निर्णय ले लें जिस दिन सदन में स्टेटमेंट आवे उस दिन माननीय सदस्य सदन में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इस आड़ में आप और कुछ करना चाहते हैं या बाद में आपको कुछ ऐसा लगे कि ऐसा होना चाहिये जिस तरह से मिलिटरी में पलेंकिंग होता है उस तरह से .....

श्री शीतला सहाय : मैं निवेदन करूँ कि वहाँ जाने के बाद दिया गया। मुख्यमंत्री जी जरा जोर से न बोलें तो ठीक रहेगा।

श्री अर्जुनसिंह : मैं जोर से नहीं बोल रहा हूँ। मैं न जोर से बोलता हूँ और न धीमे ही बोलता हूँ। यह बात अलग है कि किसी को पसंद नहीं आता और किसी को पसंद आता है। लेकिन सवाल यह है कि हमने जो कदम उठाये हैं वह इस सदन में जो हमने आश्वासन दिये हैं उसके पालन में भी उठाये हैं। अगर माननीय सदस्यों को उससे खेद हुआ है तो मैं जरूर उनसे माफी माँग लूँगा। सदन में जो आश्वासन दिये जाते हैं यदि उनका

पालन न किया जाये ऐसी यदि भावना है तो ठीक है आगे से वैसा करेंगे। अगर इस पर दुःख होता है तो फिर आगे से कोई भी आश्वासन देने में हिचकिचायेगा। यदि आप चाहते तो उस दिन आप उस बात को वहाँ पर समाप्त कर सकते थे। शासन की तरफ से जो कुछ कहा गया है उतना ही पर्याप्त मान सकते थे। लेकिन सदस्यों ने जो यहाँ पर चिंता व्यक्त की है, आशंका व्यक्त की उन सबको ध्यान में रखते हुए ही हमने मजिस्ट्रियल इन्क्वायरी के आर्डर दिये हैं। जिस तरह से मजिस्ट्रियल इन्क्वायरी सभी नागरिकों के लिये खुली है उसी तरह सदन के विरोधी दल के माननीय नेता और शीतला सहाय जी के लिये भी खुली है। यदि आपके पास कोई तथ्य हैं तो आप उनके आधार पर अपनी बात कह सकते हैं। उनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। आप उन तथ्यों को प्रस्तुत कर सकते हैं। जो भी वहाँ निष्कर्ष निकालेंगे, उस पर शासन अपनी ओर से परिस्थिति के अनुसार कार्यवाही करेगा। जिस मंशा के अन्तर्गत हमने जाँच के आदेश दिये हैं और जो आपको सदन ने अधिकार दिये हैं सदन के सदस्य के रूप में उनको सीमित करने की बात हमने कभी नहीं कही है। हमने तो स्वाभाविक रूप से आश्वासन दिया है उसको पूरा करने के लिये जो हमें करना था वही हमने किया है। मैं समझता हूँ कि न केवल मुझे किसी प्रकार का खेद व्यक्त करने की आवश्यकता है बल्कि मैं तो यह कहना चाहूँगा कि आश्वासन की पूर्ति की दिशा में हम जल्दी से जल्दी मजिस्ट्रियल इन्क्वायरी की रिपोर्ट इस सदन में स्टेटमेंट के साथ प्रस्तुत करेंगे और सदन को अवसर देंगे जिससे वह अपनी राय जाहिर करें।

श्री सुन्दरलाल पटवा (सीहोर) : माननीय मुख्यमंत्री जी आपने जब इस जाँच की घोषणा सदन के बाहर की, सदन के अंदर नहीं की। मैं तो चाहता था कि सारे तथ्य जनता के बीच और सदन के अंदर जहाँ तक कि आपको भी बताना चाहता था। लेकिन वह सब न हो सका। आपने जो मजिस्ट्रियल इन्क्वायरी बैठाई है वह पर्याप्त नहीं है क्योंकि सारे तथ्य अधिकारियों द्वारा तोड़े-मरोड़े जायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप मजिस्ट्रियल इन्क्वायरी के बजाय न्यायिक जाँच करायें तो बेहतर होगा, उसके समक्ष हम जाने के लिये तैयार हैं। हमने जो अपने वर्शन रखे हैं, उसमें अगर किसी प्रकार की गलती हो गई हो तो हम उसके लिये भी पश्चाताप् करने के लिये तैयार हैं। यह जो मजिस्ट्रियल जाँच करेगा वह सामान्य अधिकारी करेगा और उससे पूरा संतोष नहीं हो सकेगा। लीपा-पोती ही होगी। सारे तथ्य सामने नहीं आ पावेंगे इसलिये आप न्यायिक जाँच की ही घोषणा करें। मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी जवाब दें कि क्या वे न्यायिक जाँच करवायेंगे।

श्री शीतला सहाय : हम सब न्यायिक जाँच के सामने उपस्थित होंगे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि डिप्टी कलेक्टर एक जैसे प्रशासनिक अधिकारी से आप जाँच करवायेंगे जबकि आपका जिला प्रशासन उस घटना को दबाने में लगा है।

श्री अर्जुनसिंह : अतिरिक्त कमिश्नर उनकी जाँच करेंगे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप न्यायिक जाँच की घोषणा करें, हम आपको धन्यवाद देते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मैं आपसे कोई धन्यवाद नहीं चाहता।

श्री शीतला सहाय : माननीय मुख्यमन्त्री जी ने जाँच की बात छेड़ी है और जब उन्होंने कहा है कि यह जाँच प्रदेश की जनता को संतोष देने के लिये लगाई गई है। अतिरिक्त कमिश्नर जो हैं वे उसकी जाँच करेंगे।

(व्यवधान)

हमारी माँग है कि न्यायिक जाँच होना चाहिये।

श्री रमाशंकर सिंह : जो आई.ए.एस. अधिकारी जाँच कर रहे हैं वे काँग्रेस (ई) की रैली के लिए बसें इकट्ठी कर रहे थे।

अध्यक्ष : मैं 5 मिनिट और बढ़ाना चाह रहा हूँ। माननीय सदस्य शीतला सहाय, बाबूलाल गौर, विक्रम वर्मा सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना दी गई जिस पर मैंने दोनों पक्षों को सुना। इससे पूर्व कि मैं इस पर अपना अंतिम निर्णय दूँ कुछ तथ्य आपके समक्ष रखना चाहूँगा। पहली बात कोल एंड शकधर की "प्रेक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट" के पृष्ठ 217 पर लिखा है.....

No privilege of Parliament is involved if statement on matter of public interest

are not first made in the House and are made outside. Such actions, are against conventions and propriety but do not constitute any basis on which breach of privilege can be founded.

इसके साथ ही कुछ उद्धरण और देना चाहूँगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने राज्यसभा, 10 अगस्त 1970 को व्यवस्था दी थी कि .....।

1. 'Normally it is the practice that when the House are in session, the Hon. Minister or the Government should make all policy statements in the House.'

2. "So far parliamentary practice is concerned if any information regarding important policy matter or policy decisions appear in the press it is decided that this does not amount to any breach of privilege of the House."

इन सब तथ्यों के आधार पर एक रूलिंग पिछले सत्र में श्री तिवारी जी से संबंधित दी गई थी उसमें भी इस प्रकार का जब प्रश्न इन्वाल्व हुआ था तब मैंने इस प्रकार का निर्णय लिया था कि यदि सदन की बैठक चल रही है तो नीति संबंधी वक्तव्य सदन के बाहर दिया जाये वह विशेषाधिकार भंग नहीं माना जाता क्योंकि जाहिर है कि जब सत्र चल रहा हो उस समय जो भी स्टेटमेंट दिया गया है वह पॉलिसी से सम्बन्धित है उसके बावजूद भी यह कहा जाना कि यह ब्रीच आफ प्रिविलेज है। इस पर मैं सहमत नहीं हूँ।

There may be a question of courtesy, propriety & desirability but there was no question of breach of privilege at all.

फिर भी यह माना जाये कि शासन को वक्तव्य देते समय यह ध्यान में रखना चाहिये कि 'कर्टसी' और 'डिजायरेबिलिटी' के अनुसार वह सदन के समक्ष होना चाहिये। मैं इससे सहमत हूँ कि इन परिस्थितियों में वे सदन के समक्ष आ सकते थे लेकिन परिस्थितियाँ विशेष को देखते हुए और जो प्रकरण विचाराधीन है उसको देखते हुए यह कहा जाना कि यह 'कर्टसी' और 'डिजायरेबिलिटी' के खिलाफ रहा, इसको मैं उचित नहीं मानता अतः यह प्रश्न मैं समाप्त करता हूँ।

(1-37 से 3-10 बजे तक अन्तराल)

{सभापति महोदय (श्री मोतीलाल वोरा) पीठासीन हुए}

विधायकों के विधानसभा भवन आते समय पुलिस द्वारा अवरोध उत्पन्न किये जाने की सूचना

श्री रमाशंकर सिंह : सभापति महोदय, आज विधानसभा को आते हुए लिली टाकीज के पास जो तालाब है और उधर कमला पार्क के पास विधायकों को रोका जा रहा है और आम जनता को भी रोका जा रहा है। आज तक इस तरह से कभी नहीं हुआ कि आम जनता और विधानसभा सदस्यों पर दो-दो मील दूर से विधानसभा भवन आते हुए कोई बंधन लगाया गया हो। इस तरह से आज विधानसभा सदस्यों को विधानसभा भवन में आने नहीं दिया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कर्मा : सभापति महोदय,

सभापति : आप बैठिए। विधानसभा की गरिमा को बनाये रखना हम सब का कर्त्तव्य है। आप बैठिए।

श्री महेन्द्र कर्मा : सभापति महोदय,

सभापति : बैठिए आप माननीय सदस्य जो कुछ भी कह रहे हैं उसको रिकार्ड में न लिया जाये।

श्री शीतला सहाय : सभापति महोदय, मेरी विधानसभा की 12-13 साल से ज्यादा की जिन्दगी हो गई है लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है कि विधानसभा के सदस्यों को विधानसभा में आने-जाने में तकलीफ हो। मैं जब विधानसभा से बसिस में बाहर निकला तो मुझे रोका गया और एम.एल.ए. रेस्ट हाउस की तरफ नहीं जाने दिया गया और मुझे रवीन्द्र भवन की ओर डायरेक्ट कर दिया गया और जब रवीन्द्र भवन पहुँचा तो वहाँ मुझे न्यू मार्केट

की तरफ डायरेक्ट कर दिया गया जब मैं न्यू मार्केट की तरफ जाने लगा तो मैंने कहा कि भई मैं एम.एल.ए. रेस्ट हाउस में रहता हूँ और लंच के लिए जा रहा हूँ तो मुझे न्यू मार्केट की तरफ जाने दिया गया। जब मैं आयुर्वेदिक संचालनालय के पास पहुँचा तो मुझे फिर रोका गया। मैंने समझाया कि मुझे जाने दो और अगर चाहो तो एक आदमी मेरे साथ कर दो मैं आपको बतला देता हूँ कि मैं कहाँ रहता हूँ। सभापति महोदय, आज इतनी कष्टदायक स्थिति इस सरकार ने बना रखी है जिसकी हद नहीं। अगर जनता पार्टी शासन काल में जरा भी कोई चीज होती थी तो आप ही चिल्लाते थे। .....

सभापति : आप जो कह रहे हैं वह मैं समझ गया। अब आप बैठिए।

श्री रमाशंकर सिंह : मैं श्रीमान् जवाहर चौक से कमला पार्क में आ रहा था तो मुझे रोका गया (व्यवधान) सभापति जी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि विधायकों को पकड़कर सड़क पर घसीटा जाये।

श्री शीतला सहाय : मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इसमें एक शब्द गलत नहीं है। आप मेरे साथ चलें, कोई मंत्री मेरे साथ चलें, मैं दिखाता हूँ।

श्री बी.आर यादव : हम लोग भी उसी सड़क से आ रहे हैं, हमें किसी ने नहीं रोका। (व्यवधान)

श्री रमाशंकर सिंह : 2 बजकर 5 मिनट थे, मैं जवाहर चौक से कमला पार्क की ओर से आ रहा था, टेक्सी लेकर, मुझे यहाँ आने में 40 मिनट लगे। दो जगह पुलिस ने पकड़ा, झूमा-झटकी की। आप देख रहे ह, मेरी क्या हालत है। जूते की नोक से मुझे मारा गया। (व्यवधान) सही स्थिति यह है कि आज जो हालत बनी हुई है उससे सामान्य जनता को तकलीफ है और विधायकों को अपना कर्त्तव्य निर्वहन करने में तकलीफ है। (व्यवधान) आप भी जुलूस लेकर आये थे, हाथी घोड़े लेक्र आये थे, ऐसा कभी आपके साथ हुआ? वहाँ डी.आई.जी. स्वयं खड़े थे।

श्री कपूरचन्द धुवारा : .....

सभापति : आप बैठ जायें। आप जो कुछ कह रहे हैं रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य रमाशंकर सिंह जी ने और माननीय शीतला सहाय ने कुछ कठिनाइयों का यहाँ पर जिक्र किया जो उन्हें यहाँ आने में या यहाँ से बाहर जाने में हुई। सबसे पहले मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहूँगा कि विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करने, प्रतिबंधित क्षेत्र में आकर गिरफ्तारी देने, अन्य प्रकार से अपनी बात को प्रदर्शन के माध्यम से, भाषण के माध्यम से कहने के समस्त अधिकार माननीय सदस्यों को प्राप्त हैं और प्रत्येक राजनैतिक दल को प्राप्त हैं। जहाँ तक मुझे स्मरण है पहली बार कुछ राजनैतिक दलों ने मिलकर यह घोषणा की कि वे विधानसभा का घेराव करेंगे .....।

श्री रमाशंकर सिंह : मैं..... (बैठ जाओ की आवाज) ऐसा कहने से हम नहीं बैठेंगे। मंत्री हो तो गरिमापूर्वक व्यवहार करो, होश में आकर बात करो (व्यवधान) मैं मुख्यमंत्री जी की बात सुन रहा हूँ, यदि पीछे से मंत्रिगण इस प्रकार अशिष्टतापूर्वक चिल्लायेंगे तो मैं सुनने वाला नहीं हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : जब आप सार्वजनिक रूप से इस बात की घोषणा करेंगे कि आप विधानसभा का घेराव करना चाहते हैं तो घेराव का स्पष्ट मतलब है विधानसभा में आने और जाने में लोगों को व्यवधान पैदा होगा। विधानसभा के माननीय सदस्यों के लिये भी व्यवधान पैदा होगा। घेराव से यही अर्थ निकलता है। ऐसी परिस्थिति में म केवल विधानसभा के अन्दर माननीय अध्यक्ष महोदय का बल्कि इस विधानसभा के प्रत्येक माननीय सदस्य के अधिकारों का संरक्षण करना कि वे बिना हिचक के विधानसभा में प्रवेश कर सकें और बाहर जा सकें, यह शासन की जिम्मेदारी है कि हम ऐसी स्थिति निर्मित न होने दें कि जहाँ इस तरह की रुकावट आये। जहाँ तक इसका सवाल है कि प्रबन्ध किस प्रकार किया जाये, उसके बारे में इतना ही कहूँगा कि स्थानीय प्रशासन ने प्रबन्ध किया है, ट्राफिक को रेगुलेट किया है। एक रास्ते से आना और दूसरे से जाना, उसको नियमित करना पड़ा क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि सामान्य लोगों के साथ-साथ जो आपके घेराव के लिए आने वाले लोग हैं किसी भी स्थल पर उनका टकराव हो या एक नई स्थिति पैदा हो। मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसी भी माननीय सदस्य को इस सभा

में आने के लिए और जाने के लिये रोक नहीं है। यदि इस प्रबन्ध के दौरान किसी भी माननीय सदस्य को असुविधा हुई हो तो उसके लिए मुझे खेद है।

श्री रमाशंकर सिंह : यह आप असत्य कह रहे हैं। घेराव की कोई योजना नहीं थी। जो रैली में भाग लेने वाले हैं, क्या उन्होंने किसी एम.एल.ए. को रोका या जानबूझकर कुछ किया।

श्री अर्जुनसिंह : अखबारों में बयान देते समय बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यह सुर्खियों में छपता है। ऐसा कौन-सा पत्र है जिसमें आपने नहीं कहा कि घेराव किया जायेगा। यदि नहीं कहा तो क्या उसका प्रतिवाद दिया कि हमने ऐसा नहीं कहा जिससे माननीय सदस्य आश्वस्त रहते। जिन माननीय सदस्यों को असुविधा हुई है जैसा माननीय शीतला सहाय जी ने कहा उसके लिए मुझे खेद है। ट्रेफिक को रेगुलेट किया गया है। यहाँ माननीय सदस्यों को आने और जाने के लिये किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है। शांति और व्यवस्था कायम रखने के लिये जो व्यवस्था की गई है, वह उनकी जिम्मेदारी थी।

श्री रमाशंकर सिंह : एक आई.पी.एस. अधिकारी ने मुझे रोके रखा। उसको मालूम था कि मैं विधानसभा सदस्य हूँ। मैंने उससे कई बार कहा कि मैं विधानसभा सदस्य हूँ।

सभापति : वह आप कई बार कह चुके हैं।

श्री रमाशंकर सिंह : मैं कह चुका लेकिन उसका निराकरण होना चाहिये।

श्री कपूरचन्द धुवारा : सभापति महोदय, इस प्रकार की पुलिस तानाशाही के खिलाफ मैं सदन से बहिर्गमन करता हूँ।

(अर्जुनसिंह की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कहते हुए तीन माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।)

श्री शीतला सहाय : सभापति महोदय, मैं केवल जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरे साथ कुछ प्रतिष्ठित पत्रकार भी थे, इस सत्यता को प्रमाणित किया जा सकता है। अगर कोई भी जाकर देखे तो यहाँ विधानसभा से सीधे विधायक विश्राम गृह नहीं जा सकते हैं। स्थानीय प्रशासन आपके नियमंत्रण में है। जो विधायक आते-जाते हैं, उनकी व्यवस्था रहे। मुझे अफ़सोस है कि आज आप कानून और व्यवस्था की बात करते हैं, उस समय जब हम कानून और व्यवस्था की बात करते थे जब आप हाथी-घोड़े लेकर आते थे।

ध्यान आकर्षण सूचना

दिनांक 16 फरवरी, 1981 को दिल्ली में हुई किसान रैली में शासकीय तंत्र का दुरुपयोग किए जाने के संबंध में

श्री कैलाश पंडित (बड़वाह) : (श्री विक्रम वर्मा, श्री कपूरचन्द धुवारा, श्री राधारमण भार्गव, डॉ. गौरीशंकर शेजवार, श्री शीतला सहाय, श्री मुंशीलाल, श्री महेन्द्र कर्मा) अध्यक्ष महोदय, मैं नियम, 138 (1) के अधीन मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान निम्न अविलम्बनीय सार्वजनिक महत्व की ओर आकर्षित करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वे इस पर अपना वक्तव्य देने का कष्ट करें। विषय इस प्रकार है—

दिल्ली में दिनांक 16 फरवरी, को काँग्रेस 'इ' द्वारा आयोजित तथा कथित किसान रैली में मध्यप्रदेश से अधिक से अधिक भीड़ पहुँच सके इसके लिए मध्यप्रदेश की काँग्रेस 'इ' सरकार ने दबाव डालकर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। इस प्रशासन ने रैली के तथाकथित व्यय के लिए धनराशि दबाव देकर एकत्रित कराई, जबर्दस्ती बसें एवं ट्रक उपलब्ध कराये। इन बसों एवं ट्रकों का दिल्ली आने-जाने का परमिट न होने पर भी बिना परमिट के अवैधानिक रूप से दिल्ली भिजवाया। मध्यप्रदेश रोडवेज़ की बसें बिना रिकार्ड पर लाये शुल्क मुक्त कर दिल्ली भिजवाई। निर्धारित रूट पर चलने वाली बसों को भी नहीं छोड़ा जिससे उस रूट के यात्रियों को अत्यधिक कष्ट हुआ। सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों पर दबाव डालकर उन्हें अपने सारे मजदूरों को दिल्ली रैली में भेजने हेतु बाध्य किया। इस कृत्य से जनता में क्षोभ है।

सभापति : जितना आपको दिया है, उतना पढ़िए।

श्री कैलाश पंडित : अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

सभापति : आप बैठिए।

श्री शीतला सहाय : माननीय सभापति महोदय, श्रीमान् आपकी अनुमति से जो ध्यानाकर्षण किया था।

श्री कैलाश पंडित : मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।.....

सभापति : जितना दिया गया उतना ही पढ़िए।

श्री शीतला सहाय : माननीय सभापति महोदय, निवेदन है कि जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, उसको पढ़ेंगे और जो ऐड कर रहे हैं।

सभापति : जो प्रस्ताव आया है, वह मेरे पास है।

श्री विक्रम वर्मा : माननीय सभापति महोदय, इन्होंने जो पढ़ा है, मैंने दिया था। उनका प्रस्ताव अलग है, जिसमें और भी वृत्तांत हैं।

सभापति : सभी लोगों के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मिलाने के बाद जो प्रस्ताव है, वह आया है, वह पढ़ा जाएगा। अध्यक्ष ने जितना आग्रह किया है उतना ही पढ़िए और उसके आगे न पढिए।

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : सभापति महोदय, 16 फरवरी, 1981 को दिल्ली में काँग्रेस 'आई' पार्टी द्वारा आयोजित किसान रैली में किसानों को भेजने के लिए शासन तंत्र का उपयोग नहीं किया गया और न विभिन्न विभागों द्वारा धनराशि ही एकत्रित कराई गई और न किसी विभाग तथा किसी शासकीय अधिकारी ने धनराशि ली। अधिकांश किसान विशेष रेल द्वारा स्वेच्छा से दिल्ली गए। विशेष रेलों का अग्रिम भाड़ा भी चुका दिया गया था। राज्य परिवहन की बसें मध्यप्रदेश काँग्रेस (आई) के अध्यक्ष की माँग पर नियमानुसार उचित भाड़ा लेकर दिल्ली गईं जिसका मूल्य रुपये 9,37,000 चुका दिया गया है जो बाकी देयक होगा अंतिम बिल राज्य परिवहन के द्वारा पेश करने पर काँग्रेस पार्टी द्वारा चुका दिया जाएगा। राज्य परिवहन के अतिरिक्त जो बसें तथा ट्रक गये उनके मालिकों ने स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के भेजा, किसी पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला गया और न सिंचाई तथा लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों को मजदूर भेजने के लिए दबाव डाला गया।

श्री शीतला सहाय : माननीय मंत्री जी यह स्पष्ट करें कि 1 लाख 21 हजार कितने बसों का शुल्क है?

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल (गृह राज्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुरैना से 20 बसें गईं, भिण्ड से 5 बसें गईं, ग्वालियर से 18 बसें गईं और शिवपुरी से 6 बसें गईं, कुल 49 बसें गईं, उनका शुल्क है।

श्री रमाशंकर सिंह : मुख्यमन्त्री ने तय किया था कि 100 बसें जायेंगी। 100 बसें वहाँ गईं और खड़ी रहीं। अधिकांश मस्टर रोल के मजदूर उसमें गए।

सभापति : आपका अवसर बाद में आएगा, तब आप बोलिए।

श्री विक्रम वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, झाबुआ एम.पी.एम. 4177, झाबुआ-धार एम.पी.एम. 1073, बई-धार एम.पी.एम. 4652, बदनावर-माण्डव एम.पी.एम. 7951 गई। उनकी परमिट हैं क्या? क्या यह परमिट्स दिलाए गए क्या?

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : सभापति जी, जो राज्य परिवहन की बसें गईं, उसकी सूचना हमारे पास है। जो अशासकीय लोगों ने, व्यक्तिगत लोगों ने स्वेच्छा से भेजी हैं, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है।

श्री विक्रम वर्मा : सभापति जी, माननीय मंत्री जी का कहना है कि सारी बसें परमिट लेकर गईं। मैं पर्टीकुलर बस नंबर बता रहा हूँ, बस का नाम बता रहा हूँ। जिस रूट की चलने वाली बसें हैं, उनको सस्पेंड कराया गया। जबरन वहाँ आर.टी.ओ. तीन-तीन दिन बैठे हैं। बस वालों को बुलाकर धौंस दी बस का रूट का परमिट कैंसिल कर दिया जाएगा, तुमको दिल्ली जाना पड़ेगा और डीजल भी तुमको अपना जलाना पड़ेगा। हम पर्टीकुलर बस का नंबर दे रहे हैं, बस का नाम बता रहे हैं। मंत्री जी से पूछ रहे हैं कि क्या परमिट के साथ बसें गईं?

श्री अर्जुनसिंह : सवाल यह है कि कहाँ-कहाँ से गईं यह जानकारी हमने इकट्ठी नहीं की, अपनी-अपनी जगह से जो ले गए एक-एक के लिये जवाब हम दें, वो ले भी गए कि नहीं यह कैसे जानें, आपने तो कागजात पढ़कर बता दिया ये तो कोई तरीका नहीं है।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री चन्द्र प्रभाष शेखर (राज्य गृह निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी है कि श्री विक्रम वर्मा जी असत्य नम्बर लेकर आए हैं। (व्यवधान)

श्री विक्रम वर्मा : सभापति महोदय, चन्द्र प्रभाष शेखर जी मंत्री हैं वे संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करें, अगर वे इस तरह से कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि उनका यह बयान असत्य से भरा हुआ है। (व्यवधान)

जैसे शब्दों का प्रयोग आप करेंगे वैसे ही जवाब आपको मिलेगा। (व्यवधान)

संसदीय शब्दों का प्रयोग कैसे करें यह अपने मन्त्री को समझाएँ। (व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि शब्द कार्यवाही से निकाला जावे।

श्री शीतला सहाय : सभापति महोदय, मंत्री परिषद् में बैठकर एक आदमी ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा यह नहीं होगा .....(व्यवधान)

श्री शीतला सहाय : सबसे पहले अगर एक्शन होगा तो चन्द्र प्रभाष शेखर के वक्तव्य पर होना चाहिये। मंत्री के पद पर बैठकर इस प्रकार की अशिष्टता करें?

सभापति : विक्रम वर्मा जी ने जो शब्द कहे हैं उनको कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री रमाशंकर सिंह : सभापति महोदय, यही तो कहा है कि क्या खराब बात कर दी। जैसा है वैसा है।

सभापति : आपत्तिजनक है इसीलिये कार्यवाही से निकाला है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : सभापति महोदय, मुझे खेद है कि माननीय विक्रम वर्मा सदस्य महोदय ने जिस प्रकार शेखर जी के आरोपों का प्रत्युत्तर दिया उस पर मुख्यमंत्री जी उत्तेजित हो गए। मैं आपको सभापति की आसन्दी के लिये और सदन के नेता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम अपनी ओर से सभा भवन को बहस का और एक स्तर की बहस का मंच बनाए रखना चाहते हैं इसके लिये वन वे ट्रेफिक नहीं होना चाहिये कि आप अपने को अलग गज से नापें और हमें दूसरे गज से नापें। मैं निवेदन करूँगा कि उस समय मुख्यमंत्री महोदय बैठे थे, शायद उस समय मुझे मुख्यमंत्री महोदय से भी ज्यादा उत्तेजना हुई थी लेकिन हम उसको दरगुजर कर गए आप उसके समीप थे जिस समय रेल्वे की डकैती के संबंध में मोहनलाल जी सेठिया चर्चा कर रहे थे कि इस उम्र के लोग थे, युवा थे, नौजवान थे, मुख्यमंत्री महोदय की मौजूदगी में उसके पार्टी के सदस्य ने कहा था कि वे आर.एस.एस. के लोग थे। इस प्रकार की बातें तो हम भी करने के अधिकार रखते हैं लेकिन राज्यमंत्री मंडल के सदस्य यह कहते हैं कि विक्रम वर्मा जी असत्य बोल रहे हैं.....

श्री चन्द्र प्रभाष शेखर : मैंने इसके लिये खेद प्रकट कर दिया है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं विरोधी पक्ष की ओर से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसा वन वे ट्रेफिक न हो कि अपने लोगों के लिये एक गज का उपयोग करें और हमसे निपटने के लिये दूसरे गज का प्रयोग करें। आप कहें तो ठीक और हम कहें तो नाराज होने लगें। हम भी नहीं चाहते कि इस प्रकार असंसदीय बात हो और हल्के स्तर के आरोप-प्रत्यारोप लगाए जायें बल्कि विनोद के समय भी इस तरह के आरोप न लगाए जायें। आपकी पार्टी बड़ी पार्टी है, आप सत्ता में हैं, आपकी जवाबदारी ज्यादा है, आपको अधिक बरदाश्त करने की क्षमता रखना चाहिये। इस प्रकार से उत्तेजित होकर कुछ भी कहने का अधिकार चाहें और हम कुछ कहें तो आवेश में आयें यह सदन के नेता को शोभा नहीं देता।

श्री गौरीशंकर शेजवार : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। विक्रम वर्मा जी ने जो वक्तव्य दिया, उसमें कौन-सा भाग असंसदीय है, जिसे आपने निकालने के लिए कहा है, उसको कृपया स्पष्ट करें।

श्री विक्रम वर्मा : सभापति महोदय, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैंने पूछा लेकिन मंत्री जी बताने को तैयार नहीं हैं। मैं ये सारे आँकड़े बता रहा हूँ। मैं तो इस सदन में चुनौती देने को तैयार हूँ। उसमें से कुछ लोगों के लिखित बयान मेरे पास हैं। मुख्यमंत्री यदि कमेटी की घोषणा करें तो मैं एफिडेविट उनका कराने के लिये तैयार हूँ (व्यवधान) वे बताएँ कि दिनांक 10 से 15 तक मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल के विभिन्न मंत्रियों के दौरे क्यों आयोजित किये गये थे, उसमें मुख्यमंत्री भी स्वयं 14-15 को ग्वालियर पहुँचे थे, वे कौन-कौन से सार्वजनिक कार्यों के लिए गए थे, बताने की कृपा करें?

श्री अर्जुनसिंह : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री सार्वजनिक कार्यों के लिये ही भ्रमण करते हैं, और

जहाँ तक मेरा सवाल है मैं बताना चाहता हूँ कि ग्वालियर गया था, वहाँ के डकैती उन्मूलन के कार्यक्रम के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को साथ लेकर चर्चा करने के लिए गया था। यदि इस पर भी आपको एतराज है तो मैं .....

श्री रमाशंकर सिंह : क्या आपने रैली के संबंध में चर्चा नहीं की।

श्री अर्जुनसिंह : रैली के संबंध में पार्टी लोगों से चर्चा करना मेरा कर्त्तव्य है और कि..... (व्यवधान)

श्री विक्रम वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रतीक है इस बात का कि माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली से शासकीय वायुयान से रैली की भीड़ बढ़ाने के लिए दावे देकर अधिकारियों को लेकर वहाँ पहुँचे।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय वर्मा जी, यह भूल जाइये कि भारत के 25 लाख किसान किसी की जबर्दस्ती से नहीं अपनी नेता श्रीमती गांधी के आव्हान पर गए थे।

श्री विक्रम वर्मा : यह बताएँ कि कितने-कितने सार्वजनिक दौरे कब-कब आयोजित किए गये थे। (व्यवधान)

श्री रमाशंकर सिंह : इस किसान रैली की नौटंकी करने के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं ग्वालियर का भ्रमण किया। (व्यवधान)

श्री शीतला सहाय : सभापति महोदय, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वे उनकी नेता श्रीमती गांधी के आव्हान पर रैली की व्यवस्था करने के लिए गए थे। यही दरअसल हम चाहते थे .....

श्री अर्जुनसिंह : आप गलत उद्धरण दे रहे हैं। मैंने ये कहा कि मैं ग्वालियर गया था, डाकू अभियान के संबंध में उच्च अधिकारियों की मैंने बैठक बुलाई थी और उनके साथ उस विषय पर चर्चा की। माननीय रमाशंकर सिंह ने कहा कि रैली के बारे में बात नहीं की तो मैंने कहा कि पार्टी के अधिकारियों से रैली के बारे में जानकारी लेना-देना मेरा कर्त्तव्य है

श्री शीतला सहाय : आप प्रोसीडिंग देख लीजिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम हमारी नेता श्रीमती गांधी के आव्हान पर .....

श्री अर्जुनसिंह : वह मैंने दूसरे संदर्भ में कही थी, वह इस संदर्भ में कहा था कि यहाँ कहा गया था जोर जबर्दस्ती करके लोगों को ले जाया गया। यह सर्वथा गलत है। दिल्ली में 25 लाख लोग आए थे भारत से दूर-दूर से किसान आए थे आप क्या समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भर एक है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के .....

श्री रमाशंकर सिंह : भारतीय जनता पार्टी नहीं हो सकती।

श्री अर्जुनसिंह : यह तो मैं जानता हूँ कि.....

श्री विक्रम वर्मा : आपकी जबान पर भारतीय जनता पार्टी छायी रहेगी।

श्री अर्जुनसिंह : जो 25 लाख लोग दिल्ली में किसान रैली में एकत्रित हुए वे जोर जबरदस्ती नहीं ले जाये गये। भारत के किसान इस देश की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के आव्हान पर वहाँ गये। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि भारत के नागरिकों को इस प्रकार से प्रेरित करके आप इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली नहीं ले जा सके थे

श्री शीतला सहाय : मैं यह मानता हूँ। आप प्राइम मिनिस्टर की बात उसमें छोड़ दीजिए, वह काँग्रेस (आई) की रैली थी। श्रीमती गांधी के आव्हान पर रेवेन्यु आफीसर गाँवों से पकड़-पकड़ कर किसानों को ले जावें, पुलिस आफीसर गुण्डों को उसमें बैठाकर ले जावें, आर.टी.ओ. लोगों को ले जावें, ठेकेदारों से पैसा इकट्ठा करके लोगों को ले जावें क्या ऐसे आव्हान पर यह रैली आयोजित की गई थी।

(व्यवधान)

सभापति : आप बैठें। जिन माननीय सदस्यों के नाम हैं वे ही केवल बोल सकेंगे। (व्यवधान)

श्री तनवंतसिंह कीर : सभापति महोदय, पटवा जी ने लच्छेदार भाषा में यह कहा कि हमारे लोग कुछ नहीं कह सकते। उनके लोग सब कुछ कह डालते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ नहीं करते और हम लोग कुछ नहीं करते हैं फिर भी वे कहते हैं कि हम कहते हैं।

श्री शीतला सहाय : रेवेन्यु आफीसर, पुलिस आफीसर, आर.टी.ओ. सबके सब रैली के काम के लिए लगे थे। (व्यवधान)

सभापति : सिर्फ जिन माननीय सदस्यों के नाम हैं वे बोलें, फिर मंत्री जी बोलेंगे।

श्री विक्रम वर्मा : सभापति महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका स्पष्टीकरण मंत्री की ओर से, मंत्रिमंडल

के सदस्यों की तरफ से नहीं आया है। मुख्यमन्त्री जी ने सिर्फ अपना कार्यक्रम बताया है। मैंने स्पष्ट पूछा है कि 10 तारीख से 15 तारीख तक के बीच में कौन-कौन मंत्री किन-किन जिलों में गये थे और कहाँ-कहाँ सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था उसकी जानकारी दें। (व्यवधान)

श्री अच्युतानन्द मिश्र : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर प्रश्नकर्त्ता केवल एक प्रश्न कर सकते हैं (व्यवधान) जो भी कार्यवाही हो वह नियमानुकूल होना चाहिए। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं भाषण नहीं दे सकते हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : सभापति महोदय, क्या तारासिमनिया, तहसील हुजूर से 10 बेड़े, बेड़दियाँ रैली में गई थीं?

सभापति : आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में नाम नहीं है।

श्री मुंशीलाल : मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ जो रैली मैं बसें व ट्रेनें मध्यप्रदेश से गई थीं एक दुर्घटना पलवल के पास हुई जिसमें मध्यप्रदेश के 5 मजदूर मारे गये। क्या शासन ने उनके आश्रितों को मुआवजा देने की व्यवस्था की है?

(व्यवधान)

श्री राधारमण भार्गव : सभापति महोदय, मैं शासन से पूछना चाहता हूँ कि विदिशा जिले में मध्यप्रदेश परिवहन निगम की 10 बसें रैली में गईं। क्या बिना पैसा दिये इस प्रकार परिवहन निगम अपनी बसें दे सकता है। अभी तक परिवहन निगम ने वह पैसा वसूल नहीं किया? (व्यवधान)

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : अगर कोई वैसे अपनी स्वेच्छा से जावे इसकी जानकारी हमें कैसे मिल सकती है .....

(व्यवधान)

श्री राधारमण भार्गव : सभापति महोदय, मैं राज्य परिवहन निगम की बसों की बात कर रहा हूँ?

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : राज्य परिवहन निगम की कोई बसें नहीं गईं।

श्री मुंशीलाल : माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि रैली के लिये पाँच-पाँच रुपये लेकर लोगों को ले जाया गया। पलवल के पास एक दुर्घटना घटी जिसमें प्रदेश के 5-6 लोग मारे गये उनको आज तक कोई पैसा देने की व्यवस्था नहीं की। शासकीय अधिकारियों ने सब व्यवस्था की और शासकीय तंत्र का दुरुपयोग किया गया? (व्यवधान)

सभापति : अब आप बैठ जाइए। (व्यवधान)

श्री मुंशीलाल : किसानों की फसल सूख गई है। जो लोग मारे गये उनके लिये क्या व्यवस्था की गई। (व्यवधान)

श्री रमाशंकर सिंह : सभापति महोदय, मेरा एक ही प्रश्न है। जितना स्पष्ट मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ उतना ही स्पष्ट उत्तर शासन से अपेक्षित है। यह आरोप विधायक द्वारा लगाया गया है कि चम्बल आयाकट के डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो पैसा विश्व बैंक से मिला था उसको डायवर्ट किया गया इसकी जानकारी मुख्यमंत्री जी को है या नहीं। यह पैसा रैली के कार्य के लिये डायवर्ट किया गया और रैली के कार्य में इसका उपयोग किया गया (व्यवधान) क्या मुख्यमंत्री जी इसकी जाँच करायेंगे? इसी प्रकार मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि भोपाल से पी.एच.ई. के मुख्य यंत्री ने ग्वालियर फोन किया संयोग से उस समय मेरा फोन भी लगा हुआ था और उसके फंसे रहने के कारण मैंने स्वयं उनकी बात सुनी जो उन्होंने अपने ग्वालियर के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से की। उन्होंने उनको निर्देश दिया कि ग्वालियर से रैली में जाने वाली जो ट्रेन पास हो उनको फूड पैकिट बँटवाये जायें। मैंने स्वयं जाकर देखा; सरकारी विभाग के लोग फूड पैकिट स्टेशन पर बाँट रहे थे? (व्यवधान)

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : सभापति महोदय, जो आरोप लगाया जा रहा है वह बिल्कुल असत्य है (व्यवधान)

सभापति : रमाशंकर सिंह जी आप कृपया बैठिए मैंने आपको भाषण देने का मौका नहीं दिया। आपका प्रश्न हो गया। (व्यवधान)

श्री रमाशंकर सिंह : बिना जाँच के कैसे साबित हो सकता है कि आरोप गलत है?

श्री अर्जुनसिंह : मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य श्री रमाशंकर सिंह के सम्पूर्ण प्रश्नों का सही व

सम्पूर्ण उत्तर हम उन्हें संतुष्टि देने के लिए तभी दे सकेंगे जब हम लोगों का भी टेलीफोन फँसेगा। आज जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसके बारे में आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार के आरोप लगा देना कि वर्ल्ड बैंक का पैसा प्रदेश में आया है उसको उस पर खर्च न करके रैली में लगा दिया .....।

श्री रमाशंकर सिंह : मैं साबित करने के लिए तैयार हूँ। मैं स्पष्ट रूप से चार्ज लगा रहा हूँ ऐसा हुआ है..... (व्यवधान) बिना जाँच हुए कैसे साबित हो सकता है कि आरोप गलत है। (व्यवधान)

श्री शीतला सहाय : मैं मुख्यमंत्री जी से एक जानकारी चाहता हूँ। मैंने सुना है, कहाँ तक सही है, नहीं जानता, मुख्यमंत्री का व रमाशंकर सिंह का फँसा हुआ है क्या यह सही है?

श्री अर्जुनसिंह : अक्सर शीतला सहाय जी की व रमाशंकर सिंह जी की जो बात होती है वह मैं जरूर सुन लिया करता हूँ।

श्री रमाशंकर सिंह : हम लोगों की बात भी ओवर-हियर करके मुख्यमंत्री जी मजाक में टाल रहे हैं।

सभापति : जवाब दे दिया। (व्यवधान)

श्री रमाशंकर सिंह : जवाब गलत दिया गया है। आप अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री तनवंतसिंह कीर : रमाशंकर सिंह जी ने श्री सखलेचा जी पर 101 आरोप लगाये थे माननीय शीतला सहाय जी (व्यवधान) बतायें कि कितने सही थे रमाशंकर सिंह जी को तो आरोप लगाने की आदत है। (व्यवधान)

श्री अच्युतानंद मिश्र : मेरा प्वाइंट आफ ऑर्डर है। मैं चाहूँगा कि क्या आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को रिलेक्स करके प्रश्नकर्त्ता को अधिकार दिया है कि वे.... (व्यवधान)

सभापति : मैंने केवल पाँच लोगों को अनुमति दी है। रिलेक्स नहीं किया है।

श्री अच्युतानंद मिश्र : अभी तक 7 लोग बोल चुके हैं एक बार में एक ही प्रश्न कर सकते हैं 7 लोग प्रश्न कर चुके हैं, भाषण कर चुके हैं।

सभापति : मैंने अनुमति नहीं दी है।

श्री कैलाश पंडित : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या आंध्रप्रदेश से एक स्पेशल ट्रेन जो किसान रैली में दिल्ली जा रही थी, रायपुर में उसमें इंदिरा काँग्रेस के कार्यकर्त्ता जबर्दस्ती घुसे व रोकने में दोनों प्रदेश के कार्यकर्त्ताओं में टकराव व मारपीट हुई। आंध्रप्रदेश के एक मंत्री घायल हुए। रैली में जाने वालों ने पुलिस थाना रायपुर का घेराव किया और रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके बाद एक एम्बेसेडर कार एम.पी. झेड. 6986 जिसमें काँग्रेस 'आई' का झण्डा लगा हुआ था ग्वालियर के कार्यकर्त्ताओं.....

सभापति : मैं आपको भाषण की अनुमति नहीं दूँगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : क्या ऐसा झगड़ा हुआ था ये प्रश्न आपकी समझ में नहीं आया?

श्री कैलाश पंडित : जब रैली लौट रही थी टेकनपुर ग्वालियर में एक वाहन से एक अध्यापक के बालक को .... (व्यवधान)

सभापति : आपने जो रायपुर के बारे में प्रश्न पूछा था उसका मंत्री जी ने जवाब दे दिया है।

श्री विक्रम वर्मा : आंध्र के मंत्री ने यह कहा कि मध्यप्रदेश की जैसी अराजक सरकार कहीं देखने को नहीं मिली। इस प्रकार का एक प्रमाण-पत्र दिया है।

श्री अर्जुनसिंह : शायद वह सर्टिफिकेट आपके पास ही रखा हुआ है। (व्यवधान)

कुछ पता नहीं लगता कि श्री रमाशंकर सिंह जी कभी तो बड़े खुश नजर आते हैं तो कभी गमगीन नजर आते हैं, आखिर बात क्या है?

श्री रमाशंकर सिंह : आपकी हालत को देखकर मैं गमगीन हो जाता हूँ और सत्तापक्ष के लोगों की बुद्धि पर मुझे तरस आता है।

श्री अर्जुनसिंह : सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य ने रायपुर स्टेशन पर आंध्रप्रदेश से जो किसान लोग आये थे उनके बारे में एक सवाल पूछा तो वास्तविकता उसकी यह है कि स्पेशल ट्रेन जब रायपुर स्टेशन पर आई तो रायपुर से जाने वाले जो लोग थे उनको चूँकि रायपुर से छूटने वाली स्पेशल ट्रेन नहीं मिल पाई क्योंकि वह

छूट चुकी थी और काफी संख्या में लोग जाने वाले थे उनको जगह नहीं मिली जिसके कारण वहाँ पर वाद-विवाद उठ खड़ा हुआ लोगों को बैठने को स्थान नहीं मिला। जब इस बात का फैसला हो गया कि ट्रेन में जगह नहीं है और इतने सारे लोग बैठ नहीं सकते थे इसलिये वे अपने घरों को वापस चले गये। बड़े दुखी मन से वे वापस चले गये।

डॉ. राजेन्द्र जैन : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना जवाब तो पूरा कर लेने दीजिये। क्या रायपुर स्टेशन पर ऐसी कोई रिपोर्ट लॉज हुई? यह बात ठीक है कि काफी लोग दुखी मन से वापस चले गये। लेकिन रिपोर्ट लॉज हुई या नहीं इसका उत्तर तो आने दीजिए?

श्री अर्जुनसिंह : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : गृह राज्यमंत्री, जी इसकी जानकारी मँगाकर बता दें?

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उससे यह प्रश्न ही नहीं होता। इसलिए जानकारी कैसे मिल सकती है। (व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : आप यदि चाहेंगे तो जानकारी माँग ली जायेगी।

सभापति : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव नं. दो लिया जायेगा।

श्री कैलाश पंडित : अभी मेरा प्रश्न पूछना बाकी है। खरगौन जिले के एक अध्यापक।

सभापति : अब मैं आपको बिल्कुल अनुमति नहीं दूँगा। आप बैठ जायें।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/2 मार्च, 1981, पृष्ठ/ 326-338)

25 और 26 जनवरी 1981 को ग्वालियर रेल्वे स्टेशन पर 500 लोगों को लूटे जाने और उन्हें अपमानित किये जाने के बारे में सदस्य श्री रमाशंकर सिंह (रोन) की ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने इस चर्चा में गहरी दिलचस्पी ली—

श्री रमाशंकर सिंह (रोन) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 138 (1) के अधीन मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान निम्न अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वे इस पर अपना वक्तव्य देने का कष्ट करें। विषय इस प्रकार है—

"गत 25-26 जनवरी की मध्यरात्रि को ग्वालियर रेल्वे स्टेशन पर करीब पाँच सौ की भीड़ द्वारा भारी उत्पात किया गया। रेल्वे स्टेशन के पार्सल घर का सारा सामान लूट लिया गया। स्टेशन के खोमचे व फेरी वालों को भी लूटा। यात्रियों को अपमानित किया गया व उनके बहुमूल्य सामान को गुण्डे लेकर भाग गये। महिला यात्रियों को बुरी तरह बेइज्जत किया गया। कई सूत्रों के अनुसार उन्हें निर्वस्त्र भी किया गया। कई घण्टों तक स्टेशन पर अराजकता व गुण्डागर्दी का राज्य रहा। पुलिस बल घटना के करीब दो घण्टे बाद 12.40 बजे रात को पहुँचा सो भी अपर्याप्त। इस घटना से ग्वालियर आने-जाने वाले यात्रियों व जनसाधारण के मन में भय बैठ गया है।"

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 25, 26-1-81 की दरम्यानी रात को ग्वालियर रेल्वे स्टेशन पर जो घटना घटित हुई जिसका संबंध उन यात्रियों से था जो दिल्ली की ओर सदर्न एक्सप्रेस से जा रहे थे। सदर्न एक्सप्रेस उस दिन करीब एक घण्टा लेट पहुँची थी। करीब 200 अनधिकृत यात्री झाँसी से ही सदर्न एक्सप्रेस में बिना टिकिट लिये बैठ गये थे जिसकी इत्तला जी.आर.पी. थाने को दी गई थी। सूचना आने पर ट्रेन आने से पहले ही जी.आर.पी. की फोर्स के 22 जवान प्लेटफार्म पर मौजूद थे। ट्रेन स्टेशन पर आने के समय ग्वालियर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों ने ट्रेन में घुसने का प्रयास किया लेकिन अन्दर बैठे हुए यात्रियों ने दरवाजे नहीं खोले जिस पर से दोनों गुटों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। इसी बीच वहाँ के यात्रियों में असंतोष पैदा हुआ और ऐसा लगा कि दोनों गुटों में झगड़ा होगा। इस पर उपस्थित जी.आर.पी. बल ने उन्हें खदेड़ा। भागते हुए उन्होंने खोमचे आदि फैला दिये तथा दूसरी सामग्री को भी नुकसान पहुँचाया गया। स्थिति को अनियंत्रित देखकर पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक तथा अतिरिक्त कलेक्टर भी मौके पर पहुँचे। इनकी उपस्थिति से भीड़ तितर-बितर हो गई और भागते समय भीड़ ने कुछ ठेलों आदि को गिरा दिया। पुलिस बल ने तत्काल घटना स्थल पर पहुँच कर स्थिति पर काबू पाया। यह घटना गाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी थी तभी घटित हुई।

अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि किसी महिला को निर्वस्त्र किया गया तथा पार्सल घर का सामान लूटा गया। महिला जो कि भीड़ के बीच में पड़ गई थी, उसे जी.आर.पी. के कर्मचारियों द्वारा थाने में लाया गया और उसे रिपोर्ट करने के लिये कहा गया। इसी बीच उसके घर वाले लोग भी जी.आर.पी. थाने पहुँच गये थे तथा वे उसे ले गये। पुलिस ने इस घटना के संबंध में एक प्रकरण 9/81 धारा 147, 148, 354, 426, 336, 435, 353 भा.द.वि. तथा 120/22 रेल्वे एक्ट के अन्तर्गत दर्ज किया जो विवेचना में है। कुछ तत्वों द्वारा जबकि पुलिस द्वारा तितर-बितर किये जाने पर भाग रहे थे, स्टेशन के गोदाम के सामने पड़े घास के पूले में आग लगा दी गई जिस पर फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा तथा आग बुझाने में सफलता प्राप्त की गई। महिला के निर्वस्त्र करने वाली बात गलत है। सदर्न एक्सप्रेस ग्वालियर स्टेशन पर रात 00.38 बजे आई थी तथा 02.20 बजे ग्वालियर से दिल्ली की ओर रवाना हुई थी। इस घटना के तथ्य ज्ञात करने हेतु शासन द्वारा एक महिला अधिकारी को प्रशासनिक जाँच करने के आदेश दिये और जाँच चल रही है।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, चूँकि मैं आपकी इस विधानसभा का सदस्य हूँ और जब यह घटना हो रही थी तब मैं स्वयं स्टेशन पर मौजूद था तथा इस प्रदेश के लोकसभा सदस्य श्री एन.के. शेजवलकर भी मौजूद थे। इसलिये जो जवाब दिया गया है उसके संबंध में संक्षिप्त रूप से निवेदन करना चाहूँगा।

अध्यक्ष : आप सवाल पूछिए भाषण नहीं चलेगा।

श्री रमाशंकर सिंह : वक्तव्य से जो प्रश्न उद्भूत होते हैं उनको पूछने की अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष : वही तो मैं कह रहा हूँ कि प्रश्न पूछिए।

श्री रमाशंकर सिंह : मैं तो प्रश्नों को खंडों में पूछना चाहता हूँ।

श्री परसुरामसिंह भदौरिया : ये उस घटना में शामिल थे या वहाँ पर मौजूद थे?

अध्यक्ष : देखिए परसुरामजी सवाल वही कीजिए जो वास्तविकता से संबंधित है। यदि आप मंत्री जी की हैसियत से पूछते तो समझ में आता।

श्री विक्रम वर्मा : वे इनके स्तर के प्रश्न पूछते हैं यदि विधानसभा के स्तर के पूछें तो ठीक रहेगा।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, स्टेशन पर मैं स्वयं मौजूद था। सदर्न एक्सप्रेस आने के पहले मद्रास जाने वाली जनता एक्सप्रेस के यात्रियों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया और वहाँ पर उस प्लेटफार्म नम्बर एक तथा दो पर एक जैसा दृश्य देखने को मिल रहा था।

अध्यक्ष : आपने जो कुछ लिखा है वही चल रहा है, इसके अलावा जो पूछना चाहते हैं, वही पूछ लीजिये, भाषण नहीं चलेगा।

श्री रमाशंकर सिंह : प्रश्न पूछ रहा हूँ, मेरा कहना यह है कि दक्षिण एक्सप्रेस झाँसी से जब आ रही थी तब बड़े पैमाने पर बगैर टिकट यात्री सवार हुए।

अध्यक्ष : प्रश्न क्या है?

श्री रमाशंकर सिंह : प्रश्न यह है कि वहाँ स्टेशन पर जो जी.आर.पी. का पुलिस बल है उसको झाँसी से पूर्व सूचना मिलने के बाद भी अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी?

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : मैंने पहले ही निवेदन किया, जब सूचना मिली कि उसमें कुछ बिना टिकिट यात्री सवार हैं तो जी.आर.पी. के 22 जवान वहाँ पहुँच गये थे। यह कहना गलत है कि वहाँ सिर्फ 7 जवान मौजूद थे।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जी.आर.पी. का जो इन्दौर हेड क्वार्टर है उसमें महिलाओं को निर्वस्त्र होने की सूचना है या नहीं? इन्दौर हेड क्वार्टर का जो रेंज है, उसमें निर्वस्त्र होने की सूचना पुलिस रेकार्ड में दर्ज है या नहीं है?

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में स्पष्ट कहा गया है कि जब महिला भीड़ में थी तब

जी.आर.पी. के जवान उन्हें थाना ले गये और रिपोर्ट करने को कहा लेकिन इस बीच उनके घर के लोग आ गये और उनको ले गये। थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की।

अध्यक्ष : वह यह पूछ रहे हैं कि क्या कोई महिला इन्दौर में निर्वस्त्र होकर आई थी?

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : निर्वस्त्र होकर कोई महिला नहीं आई, इन्दौर में। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा हूँ कि ग्वालियर स्टेशन पर कोई महिला निर्वस्त्र हुई थी या नहीं हुई थी?

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, रमाशंकर सिंह जी ने जो वक्तव्य दिया है और सदन का जो ध्यान आकर्षित किया है महिला के निर्वस्त्र होने का तो उनका जो वक्तव्य है।..... (व्यवधान)

श्री रमाशंकर सिंह : मुख्यमंत्री जी यहाँ पर मेरे जिस वक्तव्य का हवाला देना चाहते हैं वह मैंने कभी नहीं दिया है वह तो इनके पिट्ठू अखबारों ने ही निकाला था जो कि बिल्कुल ही झूठा था। मैं आज भी उस वक्तव्य के बारे में शपथपूर्वक कहने के लिये तैयार हूँ कि वह वक्तव्य मेरा नहीं था।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि इस घटना के बारे में कई प्रकार के तथ्य सामने आये हैं।..... (व्यवधान)

श्री शीतला सहाय : मेरा प्वाइन्ट आफ ऑर्डर यह है अध्यक्ष महोदय, कि रमाशंकर सिंह जी ने कुछ तथ्य प्रस्तुत किये हैं हमारा यह कहना है कि .....

अध्यक्ष : इस समय आपका प्वाइन्ट आफ ऑर्डर नहीं उठेगा।आपने भी दिया है। मैं आपको समय दूँगा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के नोटिस में भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि उन्होंने जो वक्तव्य दिया है वह किस रूप में दिया है। और अब उसका खण्डन कर रहे हैं। जैसे वे अपना वक्तव्य देने के लिये स्वतन्त्र थे वैसे ही वे उसका खण्डन करने के लिये भी स्वतन्त्र हैं। इस घटना के बारे में जो भी तथ्य सामने आये उनको देखते हुए शासन ने यह व्यवस्था की है कि कोई भी तथ्य छिपाये नहीं जायें और यह केस एक महिला से संबंधित है इसलिये एक महिला अधिकारी को वहाँ पर भेजा है और उस महिला अधिकारी ने अपना काम भी शुरू कर दिया है और कुछ ही समय में वह जाँच भी पूरी हो जायेगी। क्योंकि यह घटना ग्वालियर रेल्वे स्टेशन पर हुई है इसलिये रिपोर्ट भी ग्वालियर में ही दर्ज कराई जायेगी। भले ही वह स्थान इन्दौर रेंज में आता है। लेकिन इन्दौर रेन्ज को तत्काल तो यह मालूम हीं हो सकता है कि ग्वालियर में क्या हो गया है। यह तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको ही मालूम हो सकता है। इसलिये प्रथम रिपोर्ट तो ग्वालियर में ही दर्ज कराई जाना चाहिए थी क्योंकि तत्काल जानकारी तो ग्वालियर में ही होगी। ऐसी कोई किसी महिला के साथ घटना घटी है। इस प्रकार की रिपोर्ट किसी महिला ने ग्वालियर में दर्ज नहीं कराई है। यह जानकारी हमारे पास है।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर तथ्यों को दबाया जा रहा है। प्रश्न कुछ पूछा जा रहा है और उसका उत्तर कुछ दिया जा रहा है। क्या कोई शरीफ घर की महिला यह रिपोर्ट करायेगी कि उसको निर्वस्त्र किया गया है मैं यह पूछ रहा हूँ कि जी.आर.पी. थाने में क्या ऐसी कोई रिपोर्ट आई है कि किसी महिला को निर्वस्त्र किया गया था।

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, रमाशंकर सिंह जी स्वयं कनफर्म नहीं हैं कि क्या स्थिति थी। कभी उनका स्टेटमेंट कुछ होता है कभी कुछ होता है।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर मैं निश्चित होता तो आपसे सवाल ही क्यों करता? मैं वहाँ प्रत्यक्षदर्शी था क्या आपकी तरह से झूठ बोलूँ कि मैंने देखा। मैंने नहीं देखा इसलिये तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ?।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, केवल रमाशंकर सिंह जी ही सत्यवादी हैं और बाकी सब असत्यवादी हैं, ऐसा निष्कर्ष वे न निकालें।

श्री चित्रकांत जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कुछ नहीं देखा उस समय इन्होंने अपनी आँखें बन्द कर ली थीं?

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं आया है मैंने स्पष्ट पूछा है.....

श्री सुन्दरलाल पटवा : हमारे दल के माननीय सदस्य शीतला सहाय जी कई बार खड़े हुए हैं और अभी

तक कोई मौका नहीं दिया गया है?

अध्यक्ष : मैं समय दूँगा।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि 10 बजकर 40 मिनट से 12 बजकर 40 मिनट तक मैं पुलिस अधीक्षक श्री रामलाल वर्मा को टेलीफोन करता रहा और डी.आई.जी. को टेलीफोन करता रहा। यह सूचना गलत है कि वे सूचना मिलते ही तत्काल चलेआये। वे लोग 2 घण्टे बाद मात्र आठ सिपाही लेकर वहाँ पहुँचे थे।

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, यह केवल रमाशंकर सिंह जी की सूचना हो सकती है। लेकिन जी.आर.पी. ने जैसे ही सूचना दी उसके बाद वे लोग वहाँ पहुँच गये हैं।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है।

अध्यक्ष : दूसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी श्री शीतला सहाय जी का है। मैं इसको पढ़ देता हूँ.....

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप सवाल का जवाब दिलवाना नहीं चाहते हैं। ग्वालियर में इतनी बड़ी घटना हो गई आपकी तरफ से क्या बाध्यता है कि यहाँ पर मंत्री सही बात रक्खें।

अध्यक्ष : रमाशंकर सिंह जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी सीमाओं से बाहर जा रहे हैं। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मैं जवाब दिलवाना नहीं चाहता हूँ। यह कहने का क्या मतलब है? मैंने आपको कितना मौका दिया बोलने का। मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ कि आप अपने ढंग से बैठे नहीं तो आपको बाहर जाना पड़ेगा।

श्री रमाशंकर सिंह : आप चाहें तो मुझे बाहर कर सकते हैं।

अध्यक्ष : मैंने आपको बहुत ज्यादा समय दिया है अब आप चुपचाप बैठ जाइए। (व्यवधान) (न बैठने पर) अब मैं आपको कहता हूँ कि आप बाहर जाइए?

श्री रमाशंकर सिंह : मैं इस तरह बाहर नहीं जाऊँगा श्रीमान्।

अध्यक्ष : (मार्शल से) इनको बाहर ले जाइए।

(मार्शल माननीय सदस्य को पकड़ कर बाहर ले चले)

श्री रमाशंकर सिंह : अर्जुनसिंह की सरकार औरतों को निर्वस्त्र करती है। गुण्डागर्दी की सरकार चल रही है। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा (जावद) : प्वाइंट आफ ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय, आप एक मिनिट मार्शल को वापस बुलवा लीजिए मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष : वे अभी भी लगातार आरोप लगाये जा रहे हैं। (व्यवधान) मि. मार्शल रुकिए।

श्री रमाशंकर सिंह : मुख्यमंत्री का चेहरा जल्दी नंगा होगा, इस तरह से यह सरकार नहीं चलेगी।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : प्वाइन्ट आफ ऑर्डर .....

अध्यक्ष : वह स्वतः सदन से बाहर चले गये हैं, यह मामला खत्म हो गया।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, लगातार इस सदन के अन्दर यह प्रश्न रखा गया कि जी.आर.पी. ग्वालियर द्वारा अपने हायर अफसर को यह रिपोर्ट की गई है कि ग्वालियर स्टेशन के ऊपर इस तरह की घटना हुई, महिला को निर्वस्त्र करने की घटना हुई। राज्य गृह मंत्री ने प्रश्न का स्पेसिफिक उत्तर अभी तक नहीं दिया। क्या जी.आर.पी. थाने ने अपने हैड क्वार्टर को जो इन्दौर में है, रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट के अन्दर महिला को निर्वस्त्र किया गया, यह भी रिपोर्ट में दर्ज है, इसका स्पष्ट उत्तर देना चाहिए था।

अध्यक्ष : जो भी रिपोर्ट घटना की होती है। वह तत्काल फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट के रूप में रिकार्ड की जाती है। यदि ग्वालियर स्टेशन की कोई घटना है तो उसकी फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट ग्वालियर में होनी चाहिए। उसके बाद हैड आफिस को जो रिपोर्ट जाती है वह जीस्ट जाती है, अलग से रिपोर्ट नहीं जाती है। अलग से रिपोर्ट जाती है तो उसकी वेल्यू नहीं है। यह जवाब आ चुका है इसलिए अब क्या बचा है? आप तो स्वयं वकील हैं वही बात बार-बार कह रहे हैं।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : आप उत्तेजित न हों। मैं वकील होने के नाते ही कह रहा हूँ। किसी महिला को थाने पर ले गये, स्टेशन पर महिला ने स्वयं एफ.आई.आर. दर्ज नहीं कराया तो कानून के अंतर्गत घटना देखने के बाद पुलिस को स्वयं रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। इस नाते ग्वालियर स्टेशन पर जो घटना हुई उसके सम्बन्ध में

जी.आर.पी. ग्वालियर ने क्या रिपोर्ट दर्ज की और क्या इसके बारे में जीस्ट में डी.आय.जी. को सूचना भेजी?

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : मेरे पास इस समय एफ.आई.आर. की प्रतिलिपि नहीं है जिससे मैं बता सकूँ, जो रिपोर्ट दर्ज की गई वह स्वतः की गई है।

अध्यक्ष : आपने जो बयान तैयार किया वह किस आधार पर तैयार किया?

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : पूरी रिपोर्ट नहीं है, जीस्ट है। उसमें 147, 354, 376, 435 आदि धारायें लगी हैं।.....

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : जो कुछ रिपोर्ट दर्ज हुई है, उसकी कापी इनके पास नहीं है।.....

अध्यक्ष : जीस्ट उनके पास है, उसमें धारा 376 है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : कंट्रोवर्सी इसी बात पर चल रही है। मुख्यमंत्री जी ने एक महिला अधिकारी को जाँच करने के लिए इसीलिए भेजा। इसका उल्लेख है कि इस प्रकार की घटना हुई, शासन की ओर से इंकार किया जा रहा है। जो सारी घटना हुई जी.आर.पी. ने उसकी रिपोर्ट अपने हायर अथार्टीज को भेजी। महिला ने रिपोर्ट नहीं की लेकिन वह घटना स्टेशन पर हुई और थाना स्टेशन पर ही है, तो जो घटना की रिपोर्ट तैयार की गई और रिपोर्ट भेजी गई उसके अन्दर यह बात है या नहीं? आप स्वयं विचार करिए इस कॉलिंग अटेंशन का उत्तर देने के समय रिपोर्ट की कॉपी इनके पास होनी चाहिए ताकि स्पेसिफिक उत्तर दे सकें। वह जीस्ट के आधार पर बात कर रहे हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : माननीय मन्त्री जी कुछ स्पष्ट करें, उसके पहले बात साफ हो जाये, मैं एक मिनट में कुछ कह दूँ। दो-तीन प्रकार की सूचनाओं के आधार पर— एक तो जिसके साथ घटना घटित हुई, वह स्वयं दर्ज कराये। दूसरे, पुलिस आफीसर जो घटना के समय उपस्थित हों, वह जाकर रोजनामचे में रिपोर्ट दर्ज करें। माननीय सदन जानना चाहता है कि ग्वालियर स्टेशन पर जो घटना घटी पुलिस आफीसर ने जो रिपोर्ट अपने हायर अथारिटी को भेजी, महिला ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, वहाँ के पुलिस अधिकारी ने जो रिपोर्ट भेजी है, क्या उसमें यह है कि महिला को निर्वस्त्र किया गया है?

अध्यक्ष : अगर है भी तो उसकी क्या वकअत है?

श्री सुन्दरलाल पटवा : वकअत का प्रश्न नहीं है। हम यहाँ न्यायालय बनकर फैसला करने नहीं जा रहे हैं।

अध्यक्ष : पटवा जी, ऐसा मत कहिए। यह जनता का बहुत बड़ा न्यायालय है। क्या एफ.आई.आर. की रिपोर्ट मँगवाई जाये। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके लिये निर्देश कर देता हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : पुलिस थाने के अधिकारी ने जो अपनी रिपोर्ट हायर अथारिटी को भेजी है, वह रिपोर्ट श्रीमान् मँगवाकर देख लें।

श्री कृष्णपालसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पर एक महिला के निर्वस्त्र करने की चर्चा चलाई गई न वह एफ.आई.आर. में है, न माननीय सदस्य की स्वयं की अधिकृत जानकारी है।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, यह कहना गलत है। मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है, घटना घटी है।

श्री कृष्णपालसिंह : न आप स्वयं देखें ।

श्री शीतला सहाय : मैं सदन के सामने प्रमाण देने को तैयार हूँ।

श्री कृष्णपालसिंह : केवल *** विकृत मनोवृत्ति का प्रदर्शन करने के लिए कहना ..... (व्यवधान)

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, ...

डॉ. गौरीशंकर शेजवार : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : डॉ. शेजवार आप बैठिए आपका नाम है, आपको समय दूँगा।

डॉ. गौरीशंकर शेजवार : हमें हर बार यह कहकर बैठा दिया जाता है कि आपका नाम है। हमको बोलने का मौका नहीं दिया जाता।

अध्यक्ष : मैं कहना चाहता हूँ कि डॉ. शेजवार, इस तरह तेश में आकर आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते हैं। श्री रमाशंकर सिंह जी को एक प्रश्न पूछना था। मैंने उनको दस मिनट का समय दिया, उसके बाद आप कहते हैं कि मैंने मौका नहीं दिया।

श्री कृष्णपालसिंह : अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सदस्यों ने सकारात्मक रूप से जानकारी नहीं दी कि किसी

महिला को निर्वस्त्र किया गया है।

श्री विक्रम वर्मा : उसमें देखिए, जानकारी दी है कि निर्वस्त्र किया गया है।

श्री कृष्णपालसिंह : न उसकी शासन को जानकारी है, न सम्मानीय सदस्य के पास के स्वतः की जानकारी है। फिर आखिर किसी महिला के संबंध में इस तरह क्यों कहा जा रहा है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि वित्त मंत्री जी ने उत्तेजित होकर के जिन शब्दों का प्रयोग किया है कि हम यहाँ इस सवाल को उठाकर अपनी (*** विकृत मनोवृत्ति) का परिचय दे रहे हैं मैं उसके प्रति प्रतिरोध और विरोध जाहिर करना चाहता हूँ और मुझे खेद है कि उन्होंने इतने हल्के स्तर के शब्दों का प्रयोग किया है।

श्री कृष्णपाल सिंह : ये बिल्कुल हल्के स्तर के शब्द नहीं हैं और मैं तो समझता हूँ कि किसी भी महिला को नग्न करने की बात बिना किसी आधार के करना स्वयं अपने आप में विरोध की बात है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : तो मुझे मजबूर होकर यह कहना पड़ेगा कि श्रीमान् जो घटना घटी है, उसके बारे में इतनी निर्लज्जता के साथ, बिना किसी संवेदना के, उत्तेजित होकर उस घटना से इंकार करना आपकी सरकार की अक्षमता है। वहाँ पर घटना घटी है। इसकी जानकारी माननीय सदस्यों ने मुख्यमंत्री जी को दी है। उसके बारे में आपसे जवाब तलब करना चाहते हैं, उनको इस प्रकार की भाषा से संबोधन करते हैं, मैं आपसे आग्रह करता कि इस मनोवृत्ति को बदलें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कार्यवाही से इन शब्दों के निकाल दिया जाये।

(बारह बजकर अड़तीस मिनट पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित हुई)

{अध्यक्ष (श्री यज्ञदत्त शर्मा) पीठासीन हुए}

अध्यक्ष : श्री पटवा के अंश कार्यवाही से निकालने के आदेश उसी समय दे चुका हूँ। और श्री कृष्णपाल सिंह के शब्दों को भी सदन की कार्यवाही से निकाले जाने का आदेश देता हूँ।

श्री बैजनाथ प्रसाद सक्सेना : अध्यक्ष महोदय, पटवा जी को माफी माँगना चाहिए। इस तरह से कार्यवाही से नहीं निकालना चाहिए।

अध्यक्ष : आपके मानने न मानने से कुछ नहीं होता मैंने आदेश दे दिया है। आप बैठ जावें। (व्यवधान)

श्री बैजनाथ प्रसाद सक्सेना : पटवा जी को माफी माँगना चाहिए।

अध्यक्ष : आप बैठ जावें।

डॉ. राजेन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान् का ध्यान नियम 138 (2) की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। नियम 138 (2) में दिया है कि ऐसे वक्तव्य पर, जब वह दिया जाये, कोई वाद-विवाद नहीं होगा। किन्तु प्रत्येक सदस्य, जिसके नाम से कार्यसूची में वह मद दिखाई गई हो अध्यक्ष की अनुमति से एक प्रश्न पूछ सकेगा। क्या आपने नियम को शिथिल करते हुए विपक्ष को इतना समय प्रदान किया है।

अध्यक्ष : वह प्रश्न मेरे मस्तिष्क में है, मैं उसी के अनुसार कार्य कर रहा हूँ।

डॉ. राजेन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है कि इतना सब होते हुए भी..... (व्यवधान)

अध्यक्ष : मेरे सामने पक्ष-विपक्ष दोनों बराबर हैं, मैं जो उचित समझ रहा हूँ वही कर रहा हूँ।

श्री कपूरचंद धुवारा : मैंने एक ध्यान आकर्षण दिया था उसके बारे में आपने क्या आज्ञा दी है..... (व्यवधान)

श्री गंगाचरण मिश्र : अध्यक्ष महोदय, पटवा जी से इतने विद्वान व्यक्ति होते हुए भी आखिर में कह कुछ देते हैं इसकी ओर थोड़ा ध्यान दीजिए। उन्होंने पहले सिनेमा की टिकट लेकर आये यह कहा..... (व्यवधान)

अध्यक्ष : वह चीज समाप्त हो गई है।

श्री विक्रम वर्मा : क्या 25-26 जनवरी 81 की दरम्यानी रात में ग्वालियर रेल्वे स्टेशन एवं आसपास के क्षेत्र में असामाजिक एवं गुण्डा तत्वों द्वारा व्यापक लूटपाट, तोड़-फोड़ एव महिलाओं के साथ अशोभनीय व अवांछनीय

दुर्व्यवहार किया गया। साढ़े पाँच घंटे तक उक्त क्षेत्र में अराजकता का पूर्ण साम्राज्य छा गया, प्लेटफार्म पर उपस्थित यात्रियों एवं पठानकोट एवं सदर्न एक्सप्रेस के यात्रियों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई।

अध्यक्ष : यह आपने बिना विराम के प्रश्न किया है। कहीं विराम तो लगाना चाहिए।

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी वित्त मंत्री जी ने कहा था कि इसमें घटना का उल्लेख नहीं किया है। उसका मेरे ध्यान आकर्षण में विस्तृत रूप से उल्लेख है। सदर्न एक्सप्रेस की महिलाओं की चेन, जेवर जबरन छीने गये तथा स्टेशन पर व्यापक लूटमार करते हुए रेल्वे संपत्ति को भारी नुकसान पहुँचाया गया, ट्यूब लाइट्स, घड़ियाँ, गाड़ियों के काँच सभी तोड़ दिये गये। गोदाम में आग भी लगाई गई सर्वाधिक निंदनीय एवं शर्मनाक स्थिति उस समय निर्मित हुई जब स्टेशन पर कुछ महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, एक नवविवाहित युवती को पूर्ण नग्न कर गुण्डा तत्व कन्धे पर उठा कर पूरे प्लेटफार्म पर घुमाते रहे। रेल्वे कर्मियों के हस्तक्षेप से तथा कुछ कुली के साफे से उठाकर शरीर जैसे-तैसे ढका जा सका मौके पर पहुँचे अधीक्षक, थाना प्रभारी, राजनैतिक एवं कुल पुलिस कर्मियों को इन गुण्डा तत्वों ने हस्तक्षेप करने पर घायल कर दिया तथा इनमें से लगभग 15-20 असामाजिक तत्वों को पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया तथा मुरार थाने पर लगभग 2 घन्टे रखा भी गया पर बाद में क्यों छोड़ा गया?

अध्यक्ष : मैं आपका सवाल भूल गया। मंत्री जी को जितना याद हो उसका उत्तर दे दें। आपने तो पूरा भाषण दे दिया।

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुझको इसलिए विस्तृत करना पड़ा क्योंकि वित्त मंत्री जी के प्रश्नोत्तर में यह बात आई थी कि ध्यान आकर्षण में इसका उल्लेख नहीं किया। सर्वश्री शीतला सहाय, डॉ. गौरी शंकर शेजवार और मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था उसमें इसका उल्लेख है।

अध्यक्ष : एक-एक घटना पर ध्यान आकर्षण आता है और उसमें हमारा इतना समय चला जायेगा तो हमारा सारा समय ध्यान आकर्षण में ही चला जायेगा। जो तथ्य रह गये हैं आप उस पर सवाल पूछ सकते हैं। आपने अपनी पूरी बात कह दी है। इन्होंने जो कुछ सुना है, समझा है इसका जवाब सुन लीजिए।

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण तो नहीं देना चाहता लेकिन जिस पृष्ठभूमि में यह सवाल रखा गया है और शासन की ओर से जो कुछ किया गया है, आपकी अनुमति से दो-तीन मिनिट में कहना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि इस घटना से, जो वहाँ पर घटी उसकी जानकारी जैसे ही मिली, तत्काल उस पर पुलिस की ओर से कार्यवाही की गई। यह तथ्य रेकार्ड में प्रमाणित है, चाहे वह पहली ट्रेन की बात हो, चाहे बाद वाली ट्रेन की बात हो। दूसरी बात यह है कि क्या, किस प्रकार से हुआ उस घटना में उसमें अन्य बातों के अलावा विरोधी पक्ष की ओर से सबसे ज्यादा बल और सबसे ज्यादा और उस एक घटना की ओर दिया जा रहा है जैसा अभी कथित किया गया कि किसी महिला को निर्वस्त्र किया गया। जैसा मैंने पूर्व में कहा था, इस घटना को सत्य मानें या असत्य मानें। पहली बात तो यह है कि यदि महिला की तरफ से या उसके घर के लोगों की तरफ से या यात्रियों की तरफ से एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाती तो पहला प्रमाणिक आधार होता जिसके बाद कह सकते थे कि ऐसी घटना हुई। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक शासन की जानकारी है ऐसी कोई भी रिपोर्ट किसी के द्वारा वहाँ पर नहीं की गई। दूसरी बात कहता हूँ सी.आर.पी., एस.आर.पी. इन्दौर के बारे में उनकी रिपोर्ट में उल्लेख है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उस रिपोर्ट में ऐसा उल्लेख नहीं है कि किसी महिला को निर्वस्त्र किया गया।

(व्यवधान)

आप चाहते हैं तो आपको दे दूँगा लेकिन यह रिपोर्ट नहीं है।

अध्यक्ष : आप जो चाहते हैं कि यह रिपोर्ट में है या नहीं बाद में आप देख लेते।

(व्यवधान)

अर्जुनसिंह : सदन के पटल पर जो अध्यक्ष महोदय, चाहेंगे मैं वह रख दूँगा लेकिन एस.आर.पी. की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं है कि किसी महिला को वहाँ निर्वस्त्र किया गया। मैं जो वक्तव्य दे रहा हूँ और रिपोर्ट में इसके प्रतिकूल लिखा होगा आप ऐसा मानते हैं तो आप स्वतंत्र हैं।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, लिखा है लेकिन नहीं कह रहे हैं यह पुलिस की रिपोर्ट से मालूम होगा। आपके पास रिपोर्ट है तो बता दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : इसके बाद की कार्यवाही में इस तरह की जानकारी है। (श्री विक्रम वर्मा से) वर्मा जी, यदि आप रिपोर्ट चाहते हैं तो मैं पटल पर रख दूँगा मैं छिपा नहीं रहा हूँ लेकिन हर रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखना कहाँ तक उचित होगा।

(व्यवधान)

केवल आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कोई तथ्य लिख दिया इसलिये वह सत्य हो गया और इधर से सत्य के रूप में जो बात कही जा रही है वह असत्य होगी अगर ऐसा मानते हैं तो आप अपने मत के लिये स्वतंत्र हैं और हम अपने मत के लिये स्वतंत्र हैं।

अध्यक्ष : फर्स्ट इन्फर्मेशन रिपोर्ट की नकल आप को भी मिली होगी। वह डाक्यूमेंट के विपरीत है या नहीं? इतना जानना चाहते हैं। मैं समझता हूँ इसके लिये ज्यादा लम्बी बहस की जरूरत नहीं है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, मुझे कन्फयूज हो रहा है एफ.आई.आर. के बारे में। पुलिस के द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। जो पुलिस अधिकारी मौके पर तैनात थे, एस.पी. मौके पर थे और उनमें से किसी ने रिपोर्ट नहीं की?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : 15 मिनट का समय बढ़ाने के लिये अनुमति प्रदान की गई है।

श्री अर्जुनसिंह : थाने पर जो वक्त दिया उसमें कोई ऐसी बात नहीं कही गई कि महिला को निर्वस्त्र किया गया है। फिर आप लोगों ने कहा उसमें नहीं एस.आर.पी. इन्दौर ने लिखा है, उसमें लगता है कि एस.आर.पी. ने जो रिपोर्ट लिखी है, वह शायद उस समय वहीं थे, बीमार थे, और ग्वालियर में थे इसलिये ग्वालियर की घटना की उन्हें जानकारी न हो ऐसी बात नहीं है। रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख नहीं है।

शीतला सहाय जी ने प्रेस में एक वक्तव्य दिया, मुझे भी एक पत्र लिखा, उनका तार भी मिला और मुझसे मिलकर भी कहा। इसके लिये अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के कथन को महत्व देते हुए, सभी डाक्यूमेंट्री ईवीडेंस होने के बावजूद मैंने यह उचित समझा कि तथ्यात्मक रूप से तथ्यों की और जानकारी ली जावे और इसीलिये कुमारी ताजुर्रहमान को वहाँ जाँच के लिये भेजा अध्यक्ष महोदय, जहाँ पर स्वयं तथ्य की जानकारी लेने के लिये आपके कहने से भी, अपने आप भी सतत प्रयत्न कर रहा हूँ। पर आप केवल अपने पक्ष के बारे में ध्यान देकर, कथन करके वे यह चाहते हैं कि अब यह तथ्य सामने न आ सकें, यह आपकी मंशा न होगी ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में जो तथ्य यहाँ पर शासन की ओर से दिये गये हैं उनके बारे में आगे कोई प्रश्न पूछना आवश्यक नहीं है। वैसे, माननीय सदस्य और प्रश्न पूछेंगे तो हम उसका उत्तर भी देंगे।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट हो गया इस मामले में ....एस.आर.पी. वहीं थे और जी.आर.पी. थाने के लोगों ने फेक्ट्स लेकर उनको दिये। अब अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी यह कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट को टेबिल पर रख देंगे। घटना कितनी गम्भीर है यह आप महसूस कर सकते हैं।

अध्यक्ष : ठीक है, मैं दोनों रिपोर्टों को मंगवाकर देख लूँगा।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी रिपोर्ट का वह पोर्शन पढ़ दें।

अध्यक्ष : मैं दोनों रिपोर्टों को देख लूँगा। रिपोर्ट पर सदन में चर्चा नहीं होती। यह ध्यान आकर्षण है। आप स्वयं प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, सारा मामला तथ्यों पर अड़ा हुआ है। उस रिपोर्ट के कन्टेन्ट्स के बारे में विवाद खड़ा हुआ है .....

अध्यक्ष : ठीक है, मैं रिपोर्ट मँगाकर देख लूँगा। यदि उसमें कुछ कान्ट्रेडिक्ट्री हुआ तो आपको बुलाकर बता दूँगा।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम तथ्यों को सामने नहीं आने देना चाहते न मैं उनसे बार-बार कह रहा हूँ कि रिपोर्ट पढ़ दीजिये। जो उनका वर्जन है तो और जो अधिकारियों का वर्जन है वह सदन के सामने आ जावेगा। इसलिये मैं फिर पढ़ने के लिये निवेदन कर रहा हूँ।

अध्यक्ष : अभी राज्य मन्त्री श्री मुनिप्रसाद जी ने कहा है कि रिपोर्ट उनके पास नहीं है, केवल उसका जीस्ट आ चुका है.....

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, शीतला जी बार-बार प्रश्न पूछने के लिये खड़े हो रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिये। उनका सवाल है।

अध्यक्ष : ठीक है, मैं इनसे निपट लूँगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप तो सभी से निपट लेते हैं..... (हँसी)

श्री विक्रम वर्मा : मैंने एक पर्टिकुलर प्रश्न पूछा था। वहाँ कई लोगों को चोटें आई। 15-20 लोगों को पकड़ा गया था और मुरार के थाने में रखा गया था, बाद में उनको छोड़ दिया गया।

अध्यक्ष : इसका उत्तर आ चुका है।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्यमंत्री जी ने 28 जनवरी का भास्कर पढ़ा है जिसमें यह लिखा है.....।

अध्यक्ष : अखबार में क्या छपा है उस पर यहाँ चर्चा नहीं होगी। आप सवाल पूछिए।

श्री शीतला सहाय (लश्कर-पश्चिम) : मैं उसको पढ़कर नहीं सुनाऊँगा। एक चश्मदीद पत्रकार जो वहाँ पहुँचे, उन्होंने लिखा है कि भारतीय संस्कृति को धूल में मिलाकर महिलाओं को पूर्ण रूप से निर्वस्त्र करने की घटना घटी। क्या यह बात सही नहीं है? दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि श्री तारासिंह जी वियोगी, राज्यमन्त्री ने जो वक्तव्य 29 जनवरी को दिया वह भी अखबार में छपा है, उन्होंने कहा कि "मैं इस शर्मनाक घटना की भर्त्सना करता हूँ" अभद्र व्यवहार किया गया.....।

अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है?

श्री शीतला सहाय : मैं पूछ रहा हूँ कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में यह बात है कि उनके मंत्रि-परिषद के एक सदस्य ने इसको अभद्र और शर्मनाक घटना निरूपित किया है मैं उनके नाम बता दूँ उसमें कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष श्री पिपड़कर जिला कांग्रेस कमेटी के श्री कैलाश मिश्र और कांग्रेस (आई) के एक दर्जन लोगों ने इस घटना को शर्मनाक और पूर्ण रूप से निंदनीय कहा है, क्या यह मुख्यमंत्री ने नोटिस में है?

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उन लोगों ने कहा तो कहा, मैं भी कह रहा हूँ कि शर्मनाक और निन्दनीय घटना है लेकिन उनके शर्मनाक और निन्दनीय कह देने से क्या यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि किसी महिला को निर्वस्त्र किया गया है?

श्री शीतला सहाय : मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर, पत्र लिखकर तार भेजकर कहा कि कलेक्टर व एस.पी. जो ताजबुर्रहमान से सीनियर आफिसर्स हैं उनके आचरण के विरुद्ध आप जाँच एक कनिष्ट अधिकारी से करा रहे हैं तो कनिष्ट अधिकारी इस जाँच में क्या कोई न्याय कर सकेगा? और मैंने माँग की थी कि न्यायिक जाँच कराई जाये तो क्या वे ऐसी तथ्यात्मक जाँच कराने के लिए तैयार हैं?

श्री अर्जुनसिंह : मुझे ताजबुर्रहमान की इन्टीग्रिटी पर पूरा भरोसा है और वे निश्चित रूप से सही जाँच करके रिपोर्ट देंगी।

(व्यवधान)

श्री शीतला सहाय : जितना समय आपने दूसरे सदस्यों को दिया घटना के सारे तथ्यों को तोड़-मरोड़कर सरकार इस कोशिश में है कि वहाँ ऐसे लोगों को पकड़-पकड़कर स्टेटमेंट लिये जावें। ताजबुर्रहमान रमाशंकर सिंह को कुछ कहती है कि क्या आपने इस घटना को डिनाय किया है ऐसा स्टेटमेंट दे दें..... (व्यवधान) मैंने स्थगन प्रस्ताव की बात कही थी आपने उस पर पूरी चर्चा करने हेतु आश्वस्त किया था आपका वक्तव्य है। (व्यवधान)

अध्यक्ष : मैं आपसे चर्चा करूँगा। आप जो कहेंगे रिकार्ड में नहीं आयेगा।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : केवल अपनी बात कहने के लिये इस प्रकार के आरोप न लगायें.....।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप सभी बैठ जायें।

श्री शीतला सहाय : मैं अपनी बात पूरी कहे बिना नहीं बैठूँगा।

(व्यत्रधान)

अध्यक्ष : आज आप दिन भर सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे।

(1 बजकर 12 मिनट से 2.30 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय : (यज्ञदत्त शर्मा) पीठासीन हुए)

श्री सुंदरलाल पटवा (सीहोर) : अध्यक्ष महोदय, आप शायद यहाँ पर मौजूद नहीं थे इसी बीच एक अत्यंत भयंकर घटना यहाँ पर घटित हुई है। मैं आपके समक्ष आपके सुरक्षा अधिकारियों ने जो व्यवहार हमारे दल के सदस्य माननीय शीतला सहाय जी, श्री गंगाराम बांदिल, मेरे, श्री विक्रम शर्मा, श्री गौरीशंकर शैजवार सहित सभी लोगों के साथ किया है उसके बारे में मैं लिखित में श्रीमान को शिकायत प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमें सदन में आने से और अनेक सदस्यों को यहाँ सदन में आने से रोका गया माननीय सदस्य श्री शीतला सहाय जी को कमर पकड़कर घसीटा गया हो और इतनी बुरी तरह से वहाँ तक ले जाया गया हो और जबकि इस स्थिति में ले जाया गया हो जबकि विधानसभा के सदस्य उनको रोक रहे थे पुलिस अधिकारियों को अध्यक्ष महोदय को आने दीजिये, आप मत ऐसा कीजिये, इसके बावजूद पुलिस अधिकारियों ने कम से कम 15-20 पुलिस अधिकारी यहाँ पर थे उन्होंने माननीय सदस्य श्री शीतला सहाय जी को कमर से बड़ी बुरी तरह से पकड़ रखा। एक ने टांग पकड़ी, घसीटा, वह नहीं जाऊँगा कह रहे थे। मैंने कहा मत ले जाइये। अनेक सदस्यों ने उन्हें रोका उसके बावजूद शीतला सहाय जी के साथ आपके यहाँ के जो अधिकारी नियुक्त हैं उन्होंने इतना दुर्व्यवहार किया है और अगर इस तरह से सदन में व्यवस्था कायम रखी जाती हो और इस सदन में बहस चलाई जा सकती हो, जन समस्याओं पर चर्चा की जा सकती हो, हम शक्ति भर यहाँ सभी कामों में सहयोग दें यह अपेक्षा की जा सकती हो तो मैं सोचता हूँ यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। मैं इसके बारे में शिकायत भी श्रीमान को लिखकर दे रहा हूँ और विशेषाधिकार भंग की सूचना भी श्रीमान को लिखकर दे रहा हूँ।

अध्यक्ष : मेरे समक्ष जो भी कागजात आयेंगे मैं देखने को तैयार हूँ। यह बात जरूर है, मैंने सारे सुरक्षा अधिकारियों को आदेश दिये थे कि श्री शीतला सहाय जी आज दिन भर की सभा में हिस्सा नहीं लेंगे। मैंने शीतला सहाय जी को खुद कहा था कि आप हिस्सा नहीं ले सकेंगे यह उनकी जिम्मेदारी थी, उनको जिम्मेदार विधायक समझा जाता है, उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिये था। उसके बाद भी वह यहाँ आये और सदन में बैठे, मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ। आप जो कहेंगे मैं कार्यवाही करूँगा। मैं इस समय आपको सुनने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि मैंने उनको सदन में आने के लिए नहीं कहा था, उसके बावजूद भी यहाँ बैठे हैं मैं ऐसा मानने के लिये तैयार हूँ कि वे मान्य चेयर के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। चेयर के आदेश को नहीं मान रहे हैं इसलिये मैं अगली कार्यवाही करने में असमर्थ हूँ।

श्री कैलाश जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि आपने जो यह कहा है कि वे यहाँ पर आकर बैठे हैं, ठीक है। परन्तु वे किसी परिस्थिति में आकर बैठ गये हैं, इसकी भी जानकारी आपको मिल चुकी है। यहाँ से उनको अब जबर्दस्ती पकड़ कर ले गये उसके कारण से वे सीधे आकर मुख्यमंत्री महोदय से मिले।

श्री परशुरामसिंह भदौरिया : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है, जब आपका आदेश है कि यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए तो इनको यहाँ से चले जाना चाहिये उसके बाद ही माननीय सदस्य इस पर प्रकाश डालें यह उचित नहीं, यह मेरा निवेदन है।

अध्यक्ष : (श्री सुन्दरलाल पटवा से) मैं सब सुन चुका हूँ आप लिखकर दे दीजिये मैं कार्यवाही करूँगा। अब प्रश्न यह है कि जब उसने कहा कि यहाँ नहीं बैठेंगे फिर भी बैठ गये। तो आप चाहते हैं कि मैं इसके आगे कुछ कार्यवाही करूँ।

श्री कैलाश जोशी : अध्यक्ष महोदय, वे मुख्यमंत्री महोदय के पास आये थे और वहाँ से आकर बैठ गये। जो परिस्थिति अभी बन गई है उसी के कारण यहाँ बैठे हैं।

अध्यक्ष : मैं कार्यवाही करने को तैयार हूँ, जैसे ही शिकायत आयेगी मैं देखूँगा कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कार्यवाही हुई है, किसने ज्यादती की है, उसके लिये कार्यवाही करने के लिये मैं तैयार हूँ यदि आप यह समझते हैं कि मेरे आदेश के बाद ये यहाँ बैठें तो इस तरह से न सदन की कार्यवाही आज तक चली है न चलेगी।

श्री कैलाश जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश की अवहेलना हम कोई नहीं करना चाहते हैं। श्री शीतला सहाय स्वयं एक जिम्मेदार सदस्य हैं।

श्री परशुरामसिंह भदौरिया : अध्यक्ष महोदय, शीतला सहाय जी अभी भी बाहर नहीं गये हैं— अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है वे आपके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं।

डॉ. राजेन्द्र जैन : प्वाइंट आफ आर्डर, अध्यक्ष के द्वारा एक बार आदेश दिये जाने के पश्चात् जो सदस्य आदेश का पालन नहीं करें वह तथा उसका पालन न करने के सम्बन्ध में जितने माननीय सदस्य उठकर व्यवधान में हिस्सा ले रहे हैं और उसका पक्ष प्रतिपादित कर रहे हैं वह भी आसंदी की अवमानना की परिभाषा में आते हैं। आप यह आदेश दें या कि मैं विधिवत प्रस्ताव रखूँ।

श्री सुरेश सेठ : मैं बड़े सम्मान से कह रहा हूँ घटना बाहर घटी है। मेरा ख्याल है जो कुछ बाहर यहाँ की पुलिस ने किया है वह ठीक नहीं किया है। सदन चालू नहीं हुआ था।

अध्यक्ष : उनकी शिकायत आयेगी उस पर इन्क्वायरी करूँगा और कितना सही किया, कितना गलत किया, यह देखूँगा।

श्री सुरेश सेठ : आपकी बात को सदन में मानना चाहिये और मैं समझता हूँ कि वह मानेंगे। घटना जो घटी उसके लिये हमें निन्दा करनी चाहिये। दोनों बातें साथ करनी चाहिये।

अध्यक्ष : आपकी निंदा को रिकार्ड में ले लूँगा। पहले शिकायत क्या है, इसको देख लूँगा फिर आपकी निंदा का स्वागत करूँगा।

श्री सुरेश सेठ : आपकी बात कभी नहीं टालनी चाहिये पर जिस तरह से बाहर किया गया, उसमें जो गलत हुआ है वह भी करना चाहिये।

डॉ. राजेन्द्र जैन : जब तक अध्यक्ष की आसंदी से जो आदेश दिया गया है उसका पालन नहीं होता उस समय तक बीच में बाधा उत्पन्न करने के लिए क्या मंत्री महोदय भी उसी परिधि में आना चाहते हैं?

श्री सुरेश सेठ : मैं मंत्री भी हूँ, विधायक भी हूँ। जितने आप जिम्मेदार हैं उतना मैं भी हूँ।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : प्वाइन्ट आफ ऑर्डर, इस सदन के काफी सदस्यों ने अभी जो सदन की लाबी के अन्दर हुआ है, उसके देखा .....।

अध्यक्ष : मैंने नहीं देखा है। आप कार्यवाही चाहते हैं तो लिखकर दें, मैं कार्यवाही करूँगा। अगर अधिकारियों ने गलत काम किया है, तो मैं एक्शन लूँगा। आप रिपोर्ट कीजिये।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : सदन में मैं कह रहा हूँ, इससे बड़ी रिपोर्ट क्या होगी?

अध्यक्ष : आप चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही रोककर आपको सुनूँ पहले वे बाहर जायें फिर मैं आपको सुनने के लिये तैयार हूँ। पहले चेयर का आदर होना चाहिये यह नहीं होगा कि आप आदेश भी नहीं मानें और आपको सुनूँ भी.....।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : हम सब सदस्यों के अधिकार सस्पेंड नहीं किये जा सकते, दूसरों को क्यों आने से रोका, सदन में असेम्बुल होने में अवरोध डाला गया। पहले उस पर कार्यवाही होना चाहिये अधिकारियों ने सदस्यों को सदन में आने से रोका, उनके खिलाफ कार्यवाही होना चाहिये।

अध्यक्ष : आप चाहते हैं आपकी बात पर कार्यवाही करें और आप उन्हें सदन की अवमानना करते हुए यहाँ बिठाये रखें।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : आप अध्यक्षता कर रहे हैं ××× (व्यवधान)

श्री मोतीलाल वोरा : प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर, ... (व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुपस्थिति में, यहाँ जो कुछ हुआ, जब आपने उस विषय पर पूरी गम्भीरता से विचार करके सदस्यों के अधिकारों और सभी चीजों को ध्यान में रखकर पूरी कार्यवाही करने का आश्वासन इस सदन में दिया है तो हमारे लिये ..... और इस सदन के लिये आपका यह आश्वासन अपने आप में पर्याप्त है और मैं चाहता हूँ कि इस विषय में आप जानकारी लें और हमारे विरोधी दल के नेता भी जानकारी लें और जिन्होंने देखा है, उनसे जानकारी लें। हमारे विरोधी दल के नेता ने मुझसे कहा कि ये हो रहा है, मैंने दरवाजे से बाहर जाकर देखा। किसी भी माननीय सदस्य के अधिकारों पर कुठाराघात करने का मेरा और मेरे दल का कभी भी कोई इरादा नहीं रहा है। आपके आश्वासन के बाद यह सदन की गरिमा के अनुरूप होगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, ने जो आदेश अन्तराल के पूर्व दिया था, उसका पालन करते हुए श्री शीतला सहाय जी आज की कार्यवाही में भाग न लें। श्री शीतला सहाय जी सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं उनका अत्यधिक आदर करता हूँ। हो सकता है किसी आवेश में आकर उन्होंने बात कह दी हो। माननीय अध्यक्ष के पद की गरिमा को ध्यान मे रखते हुए उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिये। उसके बाद वे कार्यवाही में भाग लें और अपना योगदान दें। यदि वे ऐसा नहीं करते और कहते हैं कि मैं सदन में बैठूँगा तो मैं समझता हूँ कि उनको सदन की कार्यवाही मे भाग लेना न केवल अध्यक्ष महोदय के प्रति बल्कि पूरे सदन के प्रति असम्मान होगा।

श्री शीतला सहाय : मैं एक बार नहीं, चार बार खेद प्रकट करने को तैयार हूँ किन्तु एक बार मेरा अपराध मालूम हो जाये कि मैंने क्या अपराध किया। अध्यक्ष महोदय बहुत बड़े हैं और सदन उससे भी बहुत बड़ा है। मैं माफी कई बार माँग चुका हूँ लेकिन एक बार मुझे मालूम हो जाये कि मुझसे अपराध क्या हुआ है। ताकि मैं आगे उसको सुधारने की कोशिश तो करूँ।

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....।

श्री रमाशंकर सिंह : प्वाइन्ट आफ ऑर्डर, अध्यक्ष महोदय, यदि आप प्रोसीडिंग निकालकर देखें तो आपने यह आदेश दिया था कि आज दिन भर के लिये शीतला सहाय जी नहीं बोलेंगे। सदन में कार्यवाही में जो कहे गये शब्द हैं उनको आप अपने चेम्बर में देख लें।

अध्यक्ष : मैंने जो कह दिया वह सही है। आप समझ नहीं पा रहे हैं।

श्री रमाशंकर सिंह : आपने कहा था कि .....।

अध्यक्ष : मैंने कहा था कि आज आप दिन भर सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। मैंने जो फैसला दे दिया है, वह अंतिम है।

श्री रमाशंकर सिंह : सदन में यह फैसला नहीं हुआ। आप कह दीजिए कि आप विपक्ष को सुनना ही नहीं चाहते।

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सखलेचा जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि मैं अध्यक्ष के उपदेश को मानने के लिये कतई तैयार नहीं हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह अध्यक्ष की आसन्दी की अवमानना है। माननीय सदस्य एक वरिष्ठ हैं। मैं मौखिक रूप से विशेषाधिकार भंग की सूचना सदन को दे रहा हूँ। यह आवश्यक नहीं है कि आपको लिखकर ही सूचना दी जाये। सखलेचा जी ने सदन की अवमानना की है। इसपर व्यवस्था देने के बाद आप सदन की दूसरी कार्यवाही करें। आप सदन की दूसरी कार्यवाही रोककर चर्चा प्रारम्भ करने की अनुमति देवें। मैं आपसे व्यवस्था चाहूँगा।

अध्यक्ष : जब सदन अभी बीच में भोजन के समय उठा, उस समय जो मैंने आदेश दिया था, वह स्पष्ट है कि आप दिन भर कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। मेरे सामने कार्यवाही का भाग मौजूद है, उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद भी मैं यह अपेक्षा करता था कि कक्ष में चर्चा का कोई रास्ता निकल जाये जिससे कि हम लोग जो कुछ परिस्थिति देख चुके थे उससे हटकर काम शुरू कर दें। मैंने पटवा जी को बुलाकर— मैं उनका आभारी हूँ— उनसे भी चर्चा की। उन्होंने भी इस सम्बन्ध में मुझे कोई रास्ता नहीं बताया। खुद शीतला सहाय जी भी आये, जो शायद बहुत गरम थे। मैं समझता हूँ कि ये गरम हैं उसके बावजूद कुछ ढंग की बातें हो पायेंगी। उन्होंने मेरे कक्ष से जाते-जाते यह कह कर गये कि आप मुख्यमंत्री जी के दबाव में आकर काम कर रहे हैं। यह

उचित नहीं है। मै किसी के दबाव में आकर काम नहीं कर रहा हूँ। मैं तीन बजकर पन्द्रह मिनट तक के लिए आज सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूँ।

(2.56 से 3.20 बजे तक अन्तराल)

{अध्यक्ष महोदय (श्री यज्ञदत्त शर्मा) पीठासीन हुये}

अध्यक्ष : मैंने कुछ प्रयत्न किया कि कोई रास्ता निकल जावे जिससे इस सदन की मर्यादा और गरिमा को कायम रखते हुए कार्य कर सकें। मैं आभारी हूँ भाई कैलाश जी जोशी का जिन्होंने इस दिशा में प्रयत्न किये। लेकिन वह भी अपने कार्य में सफल नहीं हो पाये। और जैसा कि तय था अभी दो घन्टे स्थगन प्रस्ताव पर आज चर्चा होती। लेकिन यदि माननीय सदस्यगण नहीं चाहते हैं कि महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो और सदन की गरिमा को कायम रखने के लिये काम किया जाये तो मैं सदन की कार्यवाही कल सुबह 10.30 बजे तक के लिये स्थगित करता हूँ।

3 बजकर 26 मिनट पर विधानसभा शुक्रवार दिनांक 6 मार्च 1981 (14 फाल्गुन शक संवत् 1902) को 10.30 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/5 मार्च, 1981, पृष्ठ/ 559-570)

अध्यक्ष महोदय को जुलाई 80 में छतरपुर में हुए गोली काण्ड की जाँच रिपोर्ट शासन द्वारा दबाये रखने और शासन की घोषणा के पहले समाचार-पत्र में प्रकाशित होने के संबंध में श्री सुन्दरलाल पटवा, श्री कैलाश पंडित, श्री तेजसिंह सेंधव और श्री कपूरचन्द धुवारा की स्थगन प्रस्ताव सूचनाएँ प्राप्त हुई। श्री सुन्दरलाल पटवा ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार द्वारा स्वतंत्र पत्रकारिता का गला घोंटा जा रहा है। इस बात का समुचित और तर्कपूर्ण उत्तर मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने दिया—

अध्यक्ष : मेरे पास जुलाई 80 में हुए छतरपुर में गोली कांड की जाँच रिपोर्ट शासन द्वारा दबाये रखने एवं शासन की घोषणा के पूर्व समाचार-पत्र में प्रकाशित होने के संबंध में निम्नलिखित सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं— पहली सूचना— सर्व श्री सुंदरलाल पटवा, कैलाश पंडित, तेजसिंह सेंधव की और दूसरी सूचना— श्री कपूर धुवारा की है। चूँकि सर्वश्री सुन्दरलाल पटवा, कैलाश पंडित, तेज सिंह सेंधव की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचना सबसे पहले प्राप्त हुई है, अतः मैं इसे पढ़कर सुनाता हूँ :

"जुलाई 80 में छतरपुर में हुए गोली कांड की जाँच हेतु नियुक्त अतिरिक्त जिलाध्यक्ष श्री एस.सी. पाठक द्वारा सितंबर 80 में शासन को अपनी जाँच रिपोर्ट सौंप दी गई। शासन द्वारा उसे कई माह तक दबाकर रखा गया और उसका प्रकाशन भी नहीं किया गया। इसी दरम्यान उक्त रिपोर्ट स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र 'शुभ-भारत'' में प्रकाशित हो गई। इस प्रकाशन के बाद से वहाँ का जिला प्रशासन पत्रकारों के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। जनप्रतिनिधि, पत्रकारों, वकीलों की माँग पर उस रिपोर्ट पर कार्यवाही न कर कलेक्टर ने ए.डी.एम. श्री पांडेय की दोबारा एक नयी जाँच घोषित कर दी है। जिला प्रशासन, पुलिस एवं उसके हस्तकों द्वारा पत्रकारों को अनेक प्रकार की धमकियाँ देकर व परेशान करके तभी से आतंकित करने की कार्यवाहियाँ की जा रही हैं। इसकी चरम परिणति के फलस्वरूप दिनांक 2 मार्च 81 को छतरपुर के लगभग सभी पत्रकार छतरपुर छोड़कर यहाँ से बाहर चले गए हैं जिन लोगों ने पूर्व जाँच आयोग के सामने सही गवाहियाँ दी हैं, उन पर फौजदारी मुकदमे चला दिये गए हैं और उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस प्रकार की दमन एवं आतंकपूर्ण कार्यवाहियों से छतरपुर के पत्रकारों एवं नागरिकों में भय, असंतोष एवं रोष व्याप्त है तथा स्थिति अत्यंत गंभीर तथा तनावपूर्ण है।

इसके संबंध में शासन का क्या कहना है?

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, एक श्री बघेल, सहायक उपपुलिस निरीक्षक द्वारा एक युवती के साथ तथाकथित बलात्कार की घटना को लेकर छतरपुर नगर में दिनांक 26 जुलाई 1980 को उत्तेजना फैली थी तथा कानून एवं सुरक्षा के लिए पुलिस को गोली चलाना पड़ी थी। तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, श्री मोतीसिंह द्वारा

पुलिस द्वारा किये गये बल प्रयोग की जाँच करने के लिये पुलिस रेग्युलेशन की धारा 241 के अंतर्गत मजिस्ट्रीयल जाँच आदेशित की गई थी।

मजिस्ट्रीयल जाँच करने हेतु श्री एस.सी.. पाठक तत्कालीन उपजिलाध्यक्ष को अधिकृत किया गया था। उनका जाँच प्रतिवेदन आने पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह पाया कि मजिस्ट्रीयल जाँच में कई खामियाँ हैं और इसलिए उन्होंने जाँच को जारी रखने के निर्देश दिये ताकि सही तथ्य एवं निष्कर्ष सामने आ सकें। तदनुसार अभी मजिस्ट्रीयल जाँच पूरी नहीं हुई है एवं जारी है।

इसी बीच एक स्थानीय पत्रकार ने श्री पाठक, जाँच अधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि किसी प्रकार प्राप्त कर ली और उसे स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र 'शुभ-भारत' के अंक दिनांक 23 जनवरी, 1981 में प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया। जिलाध्यक्ष के ध्यान में यह बात आते ही तुरन्त ही एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कराई गई जो जाँच प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया है, वह भ्रमोत्पादक है क्योंकि जाँच परिणाम अभी अंतिम रूप से सामने नहीं आये हैं तथा जाँच पूरी नहीं होने से आगे जारी रखी जाना है। यह प्रेस विज्ञप्ति उक्त दैनिक 'शुभ-भारत' के अंक दिनांक 24 जनवरी, 1981 में प्रकाशित हुई।

इस प्रकार यह बिल्कुल असत्य है कि जिलाध्यक्ष द्वारा मजिस्ट्रियल जाँच की रिपोर्ट पत्रकारों को दी गई है। इसका प्रश्न ही नहीं उठता, बल्कि जैसे ही समाचार प्रकाशित हुआ उसका तत्काल प्रेस विज्ञप्ति द्वारा खण्डन कराया गया। अनुमान यह है कि जब श्री पाठक, जाँच अधिकारी का जाँच प्रतिवेदन टाइप में या डिस्पेच में था, तभी कार्यालय के किसी कर्मचारी से साँठगाँठ कर पत्रकार ने उक्त जाँच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि हासिल कर ली। यह कैसे हुआ तथा इसके लिये कौन कर्मचारी दोषी हैं, इसकी जाँच के लिये मामला पुलिस अधीक्षक को सौंपा जा चुका है। पुलिस द्वारा जाँच जारी है तथा अभी उसके परिणाम सामने नहीं आये हैं।

यह कहना बिल्कुल असत्य है कि उक्त बात को लेकर पूरे छतरपुर की जनता में रोष फैल गया है तथा जनता में भय व्याप्त हो गया है। पुलिस की रिपोर्ट प्राप्त होते ही दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही तुरन्त की जावेगी।

GOVT. COLLEGE LIBRARY ACC.No..... Book No..... Date..... 26924

श्री सुन्दरलाल पटवा (सीहोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी गम्भीरता से इस सदन का, आपका और शासन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि एक लम्बे समय से सरकार एक ऐसे खतरनाक रास्ते पर चल रही है, उस रास्ते का अंत कहाँ होगा यह भगवान जाने। हमने प्रजातंत्र को स्वीकार किया है, हम उसमें रहते हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता पर अनेक बार ऊँची-ऊँची घोषणाएँ इस शासन के द्वारा, प्रमुख अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा और नेताओं द्वारा की गई हैं परंतु हालात विपरीत हैं, घटनाएँ विपरीत हो रही हैं। इसी प्रदेश के एक जिम्मेदार मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया जो समाचार-पत्रों में छपा है। जिम्मेदार मंत्री ने विचार प्रकट किये हैं कि जो मेरे खिलाफ लिखेगा उसे हम किसी प्रकार की सुविधाओं का उपभोग नहीं करने देंगे। यह मस्तिष्क किस दिशा में क्या काम करता है इससे पता चलता है। 2 तारीख से छतरपुर के सारे पत्रकार उस शहर से बाहर हैं, वह वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। यू.एन.आई. के पत्रकारों को परेशान किया गया है। दल्ली राजहरा में पत्रकारों को सताया जा रहा है। शासन अपने साधन, अपने प्रभाव और अपने अधिकार का दुरुपयोग करके स्वतन्त्र पत्रकारिता का इस प्रदेश में गला घोंटना चाहता है जो जी-हुजूरी करे उनको जिन्दा रहने देना चाहते हैं बाकी आम लोगों को आजाद रहने देने का इस शासन का इरादा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपना कथन प्रारंभ करते हुए जिस शब्द का प्रयोग किया है उसकी ओर आपका और सभा भवन का ध्यान आकर्षित करूँगा आपने कहा है कि 'तथाकथित बलात्कार की जो घटना को लेकर' मैं दो चार वाक्य श्रीमान् से निवेदन करना चाहूँगा।

दिनांक 23-7-80 को गुप्ता लाज छतरपुर में सुरेश सोनी नामक व्यक्ति अपनी बहिन कृष्णा कुमारी सोनी के साथ रुका हुआ था। जब कि ए.एस.आई. जयप्रताप सिंह बघेल द्वारा उक्त होटल की चैकिंग रात में की गई तथा उक्त सुरेश सोनी को नीचे काउन्टर पर बुलाकर खड़ा कर दिया गया तत्पश्चात् चैकिंग के बहाने ऊपर जाकर उक्त व्यक्ति की बहिन कृष्णा कुमारी के साथ बलात्कार किया गया। होटल के मैनेजर एवं नौकर के बयान एक-दूसरे के प्रत्येक बिन्दु की परिपुष्टि करते हैं तथा पूर्णतः स्वाभाविक परिस्थितियों का भी समर्थन करते हैं तथा इससे स्पष्ट होता

है कि उक्त ए.एस.आई. द्वारा महिला कृष्णा कुमारी के साथ उक्त दिनांक को रात्रि बलात्कार किया गया। उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहों के कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है एवं प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श 1 के द्वारा उक्त गवाहों द्वारा यह रिपोर्ट थाना छतरपुर में भी दर्ज करा दी गई थी। दिनांक 25-7-80 को तत्काल 24-7-80 को रिपोर्ट दर्ज न कराने के कारण गवाह बल्लू गोस्वामी द्वारा यह बताया गया है कि 24 तारीख कोतवाली में वह होटल के मालिक लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता को भी लेकर गया था। किन्तु उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। क्योंकि सिपाही ने बताया था कि अभी साहब नहीं हैं। रिपोर्ट फिर लिखवाना। उक्त घटना के संबंध में ए.एस.आई. बघेल द्वारा दिया गया बयान एवं उसमें दर्शाये गये तथ्य बनावटी मालूम पड़ते हैं। बल प्रयोग के बारे में दो बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। उनके द्वारा इस अवसर पर किया गया बल प्रयोग औचित्यपूर्ण ठहराया जाना संभव नहीं है। गवाहों के बयान से यह भी प्रतीत होता है कि पूर्व में भी इनके द्वारा कानून एवं व्यवस्था की स्थितियों में विवेकपूर्वक कार्यवाहियाँ नहीं की जाती रही हैं।

इसके अतिरिक्त उसी दिनांक को पत्रकारों के साथ पुलिस द्वारा किये गये अभद्र व्यवहार के संबंध में जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्री रामकिशोर अग्रवाल द्वारा यह बयान दिया गया कि दोपहर पौने बारह बजे सूचना प्रकाशन कार्यालय के बाहर पुलिस वालों का झुण्ड राहगीरों और दुकानदारों को पीटता चला जा रहा था जिसमें डिप्टी एस.पी. शर्मा व जैन शामिल थे उन्होंने पत्रकारों को भद्दी गालियाँ दीं और उन्हें सूचना प्रकाशन कार्यालय के अंदर बन्द कर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। कुछ अंश हैं जिनको आपके सामने निवेदन किया है। यह उस जाँच रिपोर्ट के अंश जो आपकी सरकार के द्वारा इस घटना की जाँच के लिये नियुक्त की गई थी। यह जाँच रिपोर्ट अधिकारियों द्वारा बनायी गई है जो आपके अंश के विपरीत है इसीलिये मंत्रीजी ने कहा है जाँच रिपोर्ट अधूरी है, अगर आपकी मन की बात जाँच अधिकारी लिख देते हैं तो यह रिपोर्ट पूरी हो जाती है। अब चूँकि उस समय ए.एस.आय. बलात्कार का असंदिग्ध रूप से दोषी पाया गया है इसलिये जाँच रिपोर्ट आपके मन के अनुकूल नहीं है और अधूरी है।

आपका कहना है छतरपुर में 26 जुलाई 80 को घटे कांड में मजिस्ट्रेट की जाँच पूरी नहीं हो सकी है। मजिस्ट्रेट ने जो रिपोर्ट दी है उसमें सब तथ्यों का और अपने निष्कर्षों का उल्लेख किया है। जाँच मजिस्ट्रेट ने जो प्रतिवेदन दिया था उसमें जिला दण्डाधिकारी ने कोई कमी पाई है एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने फिर से जाँच का आदेश दिया है। कुछ समाचार-पत्रों में उक्त बात प्रकाशित हुई है। जो तत्कालीन जिला अध्यक्ष थे, श्री मोतीसिंह और अतिरिक्त जिलाध्यक्ष वह रीवा के हैं और बघेल हैं। रीवा, सतना में सारे भरोसे के अधिकारी जहाँ-जहाँ नियुक्त हैं प्रशासन उनकी कारगुजारी की ओर इशारा कर रहा है। समझदार को इशारा काफी होता है।

(व्यवधान)

मैं केवल दो-चार मिनिट और लूँगा।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे जिले का मामला है मुझे भी बोलने का अवसर देंगे। श्रीमान् क्योंकि तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अभी आपने शपथ तो ली नहीं है। हाँ लिस्ट में आपका नाम है, मुझे मालूम है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मुझे उसकी जरूरत नहीं है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, इस बात की ओर मैं आपका और सदन का ध्यान विशेष जोर देकर दिलाना चाहता हूँ और मैं सलाम भेजना चाहूँगा उस बहादुर पत्रकार को, सुप्रभात के उस बहादुर पत्रकार को, जिसने इन अधिकारियों और सरकार की उस मंशा को जो सच्चाई को दबाना चाहते हैं, सच्चाई का गला घोंटना चाहते थे, उसके विपरीत उसने उस रिपोर्ट को जनता के सामने उजागर किया। वह सचमुच बधाई का पात्र है। सब में जो प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं, यही भावना होनी चाहिये। परन्तु आपकी पुलिस क्या कर रही है? उस पत्रकार के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। उससे बराबर पूछा जा रहा है बताओ यह रिपोर्ट कहाँ से लाये? इसका सोर्स क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर कौन-से कानून के अन्तर्गत आप उस पत्रकार को मजबूर कर सकते हैं कि वह सोर्स बताये। यह स्वतंत्र पत्रकारिता के कौन-से नीति-नियम या सैद्धान्तिक नियम में आता है? क्या इसका कोई जवाब

आप मुझे दे सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय, अनुराग पटेरिया और श्याम किशोर अग्रवाल जो इसके पत्रकार हैं, उन्होंने जिस तारीख से यह रिपोर्ट प्रकाशित की, तारीख 24 से ही पुलिस उसके पीछे पड़ी है और कह रही है कि इस रिपोर्ट का प्रकाशन बन्द करो बराबर उनसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से इसको लाये? और आपके मंत्रिमंडल के सदस्य 31 जनवरी को छतरपुर में आयोजित बुन्देली समारोह में भाई बैरागी जी मुख्य अतिथि के रूप में गये और समारोह में सम्मिलित हुये थे और इस सदन की भूतपूर्व सदस्य श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी इस सम्मेलन की अध्यक्षा थीं। इसमें पत्रकार सब एकत्रित थे। सर्वश्री विनीत शर्मा, राजेश शर्मा, बादल, हिन्दुस्तान समाचार के विजय बहादुर सिंह, शिवनाथ पटेरिया, रामकिशोर अग्रवाल, अजय शुक्ला। इन सब की उपस्थिति में जब यह सब गपशप कर रहे थे एस.पी. वहाँ आये और उसके बाद वहाँ कलेक्टर महोदय की सवारी भी आ गई। कलेक्टर ने एस.पी. से कहा, मिस्टर पटेरिया की तरफ इशारा करके कि यह तो अभी बाहर घूम रहे हैं, इन्हें तो अभी तक हवालात के अन्दर होना चाहिये था। मिस्टर पटेरिया से उन्होंने कहा कि "आपने यह रिपोर्ट प्रकाशित करने की जुर्रत कैसी की? और फिर तीन फरवरी को श्री पटेरिया को एस.पी. आफिस में बुलाया गया और फिर वही सवाल पूछा गया कि इस रिपोर्ट का सोर्स बताओ। एक विपिन खरे नाम के पत्रकार श्री पटेरिया के पास कलेक्टर महोदय का सन्देश लेकर पहुँचे कि बताओ इसका सोर्स अगर इस शहर में रहना है और यदि जिन्दा रहना चाहते हो तुम जिला प्रशासन और सरकार से टक्कर लेकर कहाँ जाओगे? इसी प्रकार 20 फरवरी को श्री नायक सी.आई. श्याम अग्रवाल के पास पहुँचे और वही पुराना सवाल। यह रिपोर्ट आपने कहाँ से प्राप्त की? अध्यक्ष महोदय, 21 फरवरी को इसके विरोध में जिला पत्रकार संघ की बैठक हुई और इस घटना पर बैठक ने निन्दा प्रस्ताव पारित किया। सब समाचार-पत्रों में वह छपा। मेरे पास सब पत्रों की कटिंग्स मौजूद हैं। सब अखबार मेरे पास हैं आपके आदेश से मैं उनको प्रस्तुत करता हूँ और आपकी अनुमति से उनको टेबिल पर रखता हूँ। इन सब समाचार-पत्रों ने अपने प्रथम पृष्ठ पर इस घटना का विरोध किया है। प्रत्येक समाचार पत्र में यह छपा है ..... "'शुभ-भारत' समाचार-पत्र तथा पत्र के प्रतिनिधि को धमकी दिये जाने के विरोध में घोर प्रदर्शन जिलाध्यक्ष श्री गुप्त जी की तानाशाही दमनकारी नीति बरदाश्त नहीं होगी जिसका छतरपुर जिला एकजुट होकर विरोध करता है", यह सारे समाचार-पत्रों में है और सबने अपने प्रथम पृष्ठ पर इस समाचार को प्रकाशित किया है। आपकी अनुमति से मैं इन्हें टेबिल रखना चाहूँगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद उनको पकड़ा गया और दमन, आतंक और भयभीत करने की इतनी कार्यवाही की गई कि 2 तारीख को सारे पत्रकार छतरपुर छोड़कर या तो भोपाल आ गये अथवा और कहीं छुपे रहे हैं, अपने किसी तरह प्राण बचाये हुए हैं। क्या इसको हम प्रजातंत्र कहेंगे। स्वतंत्र पत्रकारिता का क्या यही नमूना है? और यह सवाल केवल एक घटना को लेकर संबंधित नहीं है। ऐसी हमारे शासन की मनोवृत्ति है जो स्वतंत्र पत्रकारिता का गला घोंटना चाहती है। लगातार प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं का दिग्दर्शन हो रहा है और यह घटना उन घटनाओं की केवल एक कड़ी है। और इस घटना के कारण माननीय मंत्री जी के अनुसार न तो जनता में कोई रोष है और कोई आतंक है और न कोई भय है। वे तो प्रसन्न हैं परन्तु वे यहाँ बैठकर इस प्रकार की कार्यवाही करके कैसे प्रजातंत्र को परिपुष्ट कर रहे हैं? आने वाली पीढ़ी के लिए कौन-सा प्रजातंत्र व स्वतंत्र पत्रकारिता का नमूना विरासत में छोड़कर जाना चाहते हैं? मुझे दुख है। मैं निवेदन करना चाहूँगा आग्रहपूर्वक कि समाचार-पत्र प्रजातंत्र का पाँचवा स्तम्भ है, यह मैं मानता हूँ। समाचार-पत्र स्वतंत्र रहें यही प्रजातंत्र को जीवित रखने, स्वतंत्र रखने की कार्यप्रणाली है। अतः मैं प्रस्ताव को महत्वपूर्ण मानते हुए प्रदेश की दृष्टि से निवेदन करूँगा कि इसे चर्चा के लिये ग्राह्य किया जावे।

श्री बालकवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जिक्र किया गया है अतः मैं विरोधी दल के नेता से निवेदन करना चाहूँगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : इसी सन्दर्भ में कि आप समारोह में शामिल हुए।

श्री बालकवि बैरागी : मैं तो आपकी बात बड़ी जिज्ञासा के साथ सुनता रहा हूँ। मैं 30 जनवरी की शाम

को वहाँ पहुँच गया था, 31 को दिन भर वहाँ रहा। इस घटना के संबंध में कोई पत्रकार मुझसे नहीं मिले। 30 या 31 को वे मुझसे कुछ कह देते लेकिन किसी ने भी मुझसे कुछ नहीं कहा न ऐसी कोई बात मेरे सामने हुई इतना ही निवेदन है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (चन्दला) : अध्यक्ष महोदय, स्थिति ये है कि छतरपुर का मामला है और जिस दिन की घटना है मैं मौके पर मौजूद था मैंने स्थिति को खुद देखा है। यह घटना जब घटी है तो उसके बाद जाँच के आदेश हुए, जुलूस हुआ सारी चीजें हुईं। पिछले सत्र में सदन में विस्तार के साथ इस बात पर चर्चा हो चुकी है। प्रश्न ये है कि जाँच के आदेश दिये गये इसके तीन मुद्दे थे एक मुद्दा ये था कि क्या वास्तव में बलात्कार हुआ? दूसरा मुद्दा ये था कि क्या पुलिस द्वारा गोली चालन के पर्याप्त कारण थे? या नहीं? यदि नहीं तो गोली चालन के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है, दोषी है? ये तीन मुद्दे थे। पत्रकारों द्वारा यह रिपोर्ट की गई कि पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। जब पुलिस कार्यवाही चल रही थी तो चौथा मुद्दा ये कि क्या उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया? यदि हाँ तो कौन दोषी है? इस मुद्दे पर जाँच हेतु श्री पाठक को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया। उन्होंने जाँच की और उसके दौरान उनके ट्रांसफर के उसी समय आदेश हुये जो कि रुटिन में चल रहा था उन्होंने ट्रांसफर हेतु रिक्वेस्ट किया था तो ट्रांसफर हो गया। उन्होंने जल्दी-जल्दी में एक निष्कर्ष निकालकर दे दिया। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर जाँच चल रही हो तो कलेक्टर के बयान लिए जावेंगे कि किन परिस्थितियों में घटना घटी महिला के साथ बलात्कार हुआ है तो उसके बयान नोट किए जावें, उसके साथ भाई होना बताया जाता है तो उसके बयान नोट किये जावें जो कि पाठकजी ने नोट नहीं किया अधूरी जाँच के आधार पर ही रिपोर्ट बनाकर दे दी। जब जाँच सामने आई तो पाया गया कि जाँच नहीं टिक सकेगी, इस पर कोई मुकदमा अदालत में नहीं टिक सकेगा, तो कलेक्टर को निर्देश देना पड़ा कि जिन मुद्दों पर पर्याप्त प्रमाण एकत्र नहीं किए गए हैं, पर्याप्त प्रमाण इकट्ठे किए जावें फिर जो भी फँसता है उसे सामने लाया जावे। दोषी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा कायम किया जावे। मैं पत्रकारों का बहुत सम्मान करता हूँ। में यहाँ एक चीज जरूरी कह देना चाहता हूँ कि अखबारों में जो चीज उठाई गई मेरे पास प्रमाण हैं आप तैयार हो जावें मैं प्रमाण प्रस्तुत कर सकता हूँ कतिपय पत्रकारों ने कलेक्टर को ब्लेकमेल करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि प्रदेश व जिले की वितरण निगरानी समितियों में उन्हें नामीनेट किया जावे। नियमों के अनुसार राज्य स्तर एवं अखिल भारतीय स्तर के पत्रकारों को ही नामीनेट करने के प्रावधान हैं। उन्होंने धमकी दी कि हम आपको इस तरह अखबारों में उछालेंगे और कलेक्टर के विरुद्ध माहौल तैयार करेंगे उन्हें ऐसी धमकी दी गई। इस तरह व निजी स्पर्धा और राजनैतिक उद्देश्य के साथ बात बतलाए हैं और विरोधी पक्ष के नेता द्वारा इसे आधार बनाकर महान बनने की कोशिश की गई है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि वह रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई। लेकिन दूसरे तरीके से रिपोर्ट के अंश उनके पास कहाँ से आये यह तो वे जानें परन्तु वह रिपोर्ट के अंश किसी तरह से आये।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : रिपोर्ट के मुद्दे में बताये कि उन पर जाँच होनी थी।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मुझे दुख है कि छतरपुर के सारे के सारे पत्रकार एक स्वर से जिस बात का विरोध कर रहे हैं उनका दमन किया जा रहा है।

डॉ. राजेन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि बार-बार हमारे विपक्ष के नेता के द्वारा यह कहा जा रहा है कि पत्रकारों की स्वतंत्रता के बारे में ध्यान नहीं रखा गया; अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी सप्ताह विपक्ष के नेता और दूसरे सदस्यों ने इतना हो-हल्ला किया कि घंटों में 15 मिनट में से 9 मिनट का प्रसारण किया फिर भी उन्होंने पत्रकार के विरुद्ध शिकायत की (व्यवधान) पत्रकारों के खिलाफ कार्यवाही की जाये (व्यवधान) यहाँ पर वे केवल पत्रकारों की ही बात को करते हैं (व्यवधान) तो मेरा कहना है कि स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि स्वच्छंदता और स्वेच्छाचारिता करने दी जाये।

श्री कपूरचंद धुवारा : अध्यक्ष महोदय, अभी कल ही अखबार में समाचार-पत्र में था कि दल्ली-राजहरा के पत्रकारों को वहाँ पर जाने से रोका गया जहाँ गड़बड़ी हो रही थी।

अध्यक्ष : यहाँ दल्ली-राजहरा कहाँ से आ गया? यहाँ तो छतरपुर की बात हो रही है।

श्री कपूरचंद धुवारा : आज पूरे प्रदेश के पत्रकारों पर आक्रमण किया जा रहा है। मैं भी छतरपुर के बारे में ही कह रहा हूँ। जहाँ तक चतुर्वेदी जी ने पत्रकारों की बात कही कि पत्रकारों ने माँग की कि उनको भी कमेटी में रखा जाये तो यह बात सरासर झूठ है। पत्रकारों का एक भी पत्र बता दें कि जिसमें उन्होंने यह कहा हो।

अध्यक्ष : धुवारा जी? आप बैठ जायें।

श्री कपूरचंद धुवारा : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से बिहार में डी.आई.जी. को निलंबित किया गया उसी तरह छतरपुर के कलेक्टर को भी निलंबित किया जाये।

अध्यक्ष : बस, आप बैठ जायें। अब आपकी बात रिकार्ड नहीं की जायेगी।

श्री विक्रम वर्मा (धार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो स्थगन प्रस्ताव आया है और उस पर माननीय विरोधी दल के नेता को सुनने के बाद तथा शासन के उत्तर के आने के पहले माननीय सदस्य श्री चतुर्वेदी जी ने जो तथ्य सदन के सामने रखे हैं उसके बाद इसकी ग्राह्यता का प्रश्न और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस प्रश्न को निश्चित रूप से चर्चा के लिये ग्राह्य करना चाहिये जिससे कुछ और नये तथ्य सामने आ सकेंगे। क्योंकि उससे एक प्रश्न और उठता है। जैसा अभी विरोधी नेता ने कहा कि जाँच रिपोर्ट पत्रकारों के पास जैसा कि कहा जाता है उनके सारे तथ्य माननीय सदस्य के पास कहाँ से पहुँचे, यह एक विचारणीय प्रश्न तो है ही लेकिन इसके साथ ही साथ माननीय सदस्य ने एक बात और कही जो प्रोसीडिंग्स में देखी जा सकती है कि उनको वह अंश कहाँ से प्राप्त हुआ जिसके आधार पर राज्य शासन को इस बात पर चर्चा के लिये फिर से विचार करना पड़ सकता है। यह जो रिपोर्ट है वह ठीक नहीं है। इसलिये कलेक्टर को निर्देश दिये गये हैं कि इसकी फिर से जाँच की जाये। इसलिये यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होता है। (व्यवधान) इसका मतलब है कि वहाँ के माननीय विधायक को सारी बात मालूम है और वे अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर सकते हैं। रिपोर्ट में सारे अधिकारियों के खिलाफ बात है तो मुख्यमंत्री जी से इस बात पर संपर्क किया होगा। इसलिये नई रिपोर्ट नये सिरे से जाँच कर दी जाने के लिये निर्देश दिये जायें। यह सारी बात माननीय सदस्य को किस तरह से मालूम है यह समझ में नहीं आता? और कहा गया कि रिपोर्ट फिर से तैयार की जाये। इसका मतलब यह है कि सारी की सारी रिपोर्ट में बदलवाने से लेकर सारे तथ्यों को छुपाने के लिये राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग किया गया है (व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता ने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है और उस पर जो उन्होंने अपना भाषण दिया है मैंने बहुत गौर से उसे सुना। उनके दृष्टिकोण से इस विषय पर 2-3 पहलू सामने आये। पहला तो यह कि समाचार-पत्रों को क्या इस प्रकार की रिपोर्ट जो गोपनीय हो चाहे आधी हो, या पूरी हो, जैसी भी हो उसे इसे छापने का अधिकार है या नहीं। इसकी प्रतिध्वनि उनके भाषण से हुई। यहाँ उन्होंने इस प्रश्न को इस तरह से क्लोज नहीं किया। मैं कहना चाहता हूँ कि पत्रकारिता जगत में इस प्रकार के समाचारों को छापने को जिसे जनहित में समझ कर छापा जाये किसी भी पत्रकार को पूरा-पूरा अधिकार है ऐसी इस शासन की मान्यता है और इस आधार पर कि उन्होंने वहाँ के पत्रकारों ने किसी रिपोर्ट को छापा भले ही वह अधूरी हो या पूरी हो। यह मत का विषय हो सकता है, लेकिन ऐसा करने का उन्हें पूरा अधिकार था और उस अधिकार में कहीं भी किसी प्रकार की कमी न आने पायेगी इसका मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूँ।

दूसरा प्रश्न है कि क्या इसके परिणाम स्वरूप इस प्रकाशन को जैसा कि कहा गया है वहाँ पर पत्रकारों को परेशान किया गया, आतंकित किया गया और कई प्रकार के तथ्य सामने यहाँ लाये गये। साथ ही साथ माननीय विरोधी दल के नेता ने व्यापक तौर से प्रदेश के अंदर पत्रकारों को दबाने, प्रभावित करने आदि के व्यापक आरोप भी लगाये और इसमें उन्होंने उदाहरण दल्ली-राजहरा का दिया, उन्होंने उदाहरण जबलपुर का दिया। चूँकि वह विषय अलग-अलग है और उन विषयों के बारे में दोनों के संबंध में, जाँच के आदेश हमने दिये हैं। जैसे ही जाँच के परिणाम आयेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उन्हें सदन के पटल पर रखूँगा ताकि सभी सदस्य उस परिणाम से अवगत हो सकें और देख सकें कि क्या सही है और क्या गलत है जहाँ तक मेरे संबंध में कटाक्ष का प्रश्न है तो मैं पटवाजी से कहना चाहता हूँ कि शायद काफी दिनों तक हम एक साथ रहे हैं, इस स्तर पर

आकर आप न मेरे बारे में सोचें और न मैं आपके बारे में सोचूँ। यह भी उतना ही आवश्यक है जितनी आप सबकी अपनी मान्यता को इजहार करना। मैं चाहता हूँ कि इस प्रदेश के अंदर बहुत से ऐसे लोग होंगे, कोई मेरे संबंधी होंगे, कोई मेरे रिश्तेदार होंगे, कोई मेरे मित्र होंगे, शासकीय सेवा में होंगे। लेकिन इसके पहले कि आप इस प्रकार कोई निष्कर्ष निकालें, कटाक्ष करें, किसी भी प्रकरण में, मैं आज की बात नहीं करता, भविष्य की बात नहीं करता, मैं आपसे ही चाहूँगा कि अपने विवेक से सभी बातों को ध्यान में रखकर जब आप निष्कर्ष पर पहुँचें तब कटाक्ष करें, तभी आप मेरे साथ न्याय करेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जहाँ तक सवाल इस घटना का है, जिसका उल्लेख आपने किया है कि पत्रकारों को आतंकित करेंगे, या, डराया, धमकाया और अन्य बातें कही गईं। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास जो जानकारी थी, सदन को दी, लेकिन चूँकि यह प्रश्न एक पत्र, न्यूज पेपर्स के पत्रकार जगत की स्वतंत्रता से, निष्पक्षता से और उनके आचरण से संबंध रखता है, जिन्हें मैं भी उतना महत्वपूर्ण न्यूज पेपर्स के पत्रकार जगत मानता हूँ, जितना विरोधी दल के नेता मानते हैं, इसलिए शासन ने निर्णय लिया है कि हम इस घटना की ज्यूडिशियल इन्क्वायरी करेंगे और एक डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा ज्यूडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा मैं करता हूँ और मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय विरोधी दल के नेता को और पत्रकारों को कि वे तथ्यों को न्यायिक जाँच के समय प्रस्तुत करें, यह उचित होगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा (सीहोर) : अध्यक्ष महोदय, जिस भावना से मैंने कहा है और जिस तैयारी से माननीय मुख्यमंत्री ने जी इसको लिया है और इसकी न्यायिक जाँच की घोषणा की है इस पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। लेकिन वे किसी आईसोलेटेड घटना पर ही इस तरह का निर्णय लें यह तो उचित नहीं है। मैंने मुरैना की घटना पर भी आपसे स्वयं रिपोर्ट कर आग्रह किया है। इसलिए यदि आप सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं तो जिस तरह से आपने इस घटना की न्यायिक जाँच की घोषणा की है, यदि आप मुरैना की घटना की भी न्यायिक जाँच की घोषणा करेंगे, तो मैं आपका अभिनन्दन करूँगा।

अध्यक्ष : शासन का वक्तव्य तथा माननीय सदस्यों के विचार सुनने के पश्चात् मैं इसको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूँ।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/6 मार्च, 1981, पृष्ठ/ 659-663)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री मोतीलाल वोरा द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव पर अध्यक्ष के पास 47 संशोधन आये जिनमें 30 नियमानुसार न होने से अग्राह्य कर दिये गये। कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई। 2 मार्च को चर्चा की शुरूआत सदस्य श्री शीतला सहाय (लश्कर-पश्चिम) ने की। यह चर्चा तीन और पाँच मार्च को भी हुई। 6 मार्च को मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने अपने विस्तृत भाषण के माध्यम से प्रतिपक्ष को दो टूक उत्तर दिये। दो और छह मार्च को चर्चा के अंश यहाँ प्रस्तुत हैं—

सभापति महोदय : राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव में मेरे पास 47 सदस्यों के संशोधन की सूचनाएँ आई हैं। इनमें से मैंने, जो संशोधन नियमानुसार नहीं थे उन्हें अग्राह्य कर दिया है। संशोधन बहुत बड़े-बड़े हैं। मैं पूरे संशोधनों को नहीं पढ़ूँगा, केवल उनके प्रस्तावक के नाम और संशोधन क्रमांक ही पढ़ूँगा। जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित होंगे। उनके संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे जायेंगे।

सदस्य का नाम	संशोधन क्रमांक
श्री तेजसिंह सेंधव	1
श्री सखाराम देवकरण पटेल	2
श्री बृजमोहन माहेश्वरी	4
डा. शैलकुमार शर्मा	5

श्री हरिप्रसाद शुक्ला	7
श्री आत्माराम धुवा	10
श्री मोहनलाल सेठिया	12 तथा 46
श्री लरंग साय	16
श्री शंभूनाथ नायक	20
श्री हमीदुल्ला खान	24
श्री चौधरी दिलीप सिंह	29
श्री बाबूलाल गौर	30
श्री मधुकर हर्णे	33
श्री रघुराज सिंह तोमर	34
श्री मुन्शीलाल	39
श्री शालिगराम श्रीवास्तव	44
श्री विक्रम वर्मा	45

अब राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री मोतीलाल वोरा, सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ चर्चा होगी।

श्री शीतला सहाय (लश्कर पश्चिम) : माननीय सभापति महोदय, मैं बिल्कुल परम्परा से हटकर इस बार अपनी बात कहना चाहता हूँ। चाहता यह हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय कृपा करके मेरी बात पर विचार करें। वैसे सभापति महोदय, यह बात मध्यप्रदेश की जनता के सामने बहुत स्पष्ट है कि यह सरकार घपलों की सरकार है। एम.पी.ई.वी. के स्क्रेप सूचना केन्द्र, तेंदूपत्ती, और शराब के घपलों, इन सब की चर्चा तो प्रदेश में जन श्रुति बन गई है। इन सबका मामला जग जाहिर हो गया। मैं आज उन पर प्रकाश डालकर सदन का समय नही लूँगा। यह नीति विषयक स्टेटमेंट है इसलिए मैं नीतियों से संबंधित चर्चा हीं यहाँ पर करना चाहूँगा। सभापति महोदय, सही माने में एक जागरूक विधायक के नाते माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से मुझे बड़ी निराशा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी मुझसे पहले से इस विधानसभा के सदस्य रहे हैं और दर्जनों अभिभाषण उनके सामने आये होंगे। लेकिन दुःख है कि जब उनके द्वारा अभिभाषण तैयार करके दिलवाने का मौका आया तो आशा के विपरीत एक खोखला वक्तव्य सुनने को मिला यह एक निराशाजनक स्थिति बन गई। सभापति महोदय, यह पूरा अभिभाषण मैंने पढ़ा है। इसमें केवल डाकू समस्या को छोड़कर और कानून व्यवस्था पर मैंने इसमें कहीं कुछ नहीं पढ़ा। सभापति महोदय, जिस समय यह सरकार चुनकर आयी उस समय इनकी पार्टी ने जनता के सामने कुछ मुद्दों को रक्खा था और उसके आधार पर इन्होंने जनता से मत लेकर अपनी सरकार बनाई थी। उस समय इन्होंने कानून और व्यवस्था का मुद्दा मुख्य मुद्दा बनाया था लेकिन आज आप देख रहे हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति काफी चिन्ताजनक बनी हुई है व यह बात दूसरी है कि यह कह दें कि चूँकि प्रशासन को जनता पार्टी के शासन के समय में बिगाड़ दिया था यही बहाना बना रहे हैं इनका कहना है इसलिए हम कुछ व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात है आजकल यह अपनी असफलता को छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पृष्ठ 24 पर यह लिखा है कि "डाकुओं का उपद्रव समाप्त करने के लिए मेरे शासन ने पड़ौसी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के शासनों से संपर्क किया और तीनों प्रदेश इस बात पर सहमत हो गये हैं कि दस्यु विरोधी अभियान संयुक्त कमान के अधीन चलाया जावे।" सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि इस प्रकार की सयुंक्त कमान की व्यवस्था 1962 में की गई थी और 1964 में भी की गई थी और हर बार संयुक्त कमान बनाने की बात की गई थी लेकिन इसमें कभी भी सफलता नहीं मिली है। लेकिन आज भी वही पुरानी घिसी-पिटी बात कहलवा कर माननीय मुख्यमंत्री जी विषम समस्याओं को हल करना चाहते हैं। यह व्यवस्था क्यों भयंकर बनी? यह डाकू समस्या इस एक वर्ष में फिर क्यों सिर उठा रही है। इसके संबंध में सभापति महोदय, मैं दो एक बात कहना चाहूँगा। मध्यप्रदेश के जो छोटे-छोटे जागीरदार और राजा थे वे 1 जून 1980 के बाद

से यह समझने लगे हैं यह राज्य उनका हो गया है। इन लोगों ने क्रिमिनल एक्टिविटीज को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है और डाकू समस्या के पनपाने में इन लोगों का वर्ग आज बहुत जिम्मेदार है। माननीय मुख्यमंत्री जी यदि इस वर्ग की तरफ दृष्टि करें तो यह समस्या सुलझ सकेगी। जो डकैत ऐरिया है वहाँ आज सोशिओं इकोनोमिक कार्य करने चाहिये तब डकैती की समस्या का कोई हल निकल सकता है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि जब से यह सरकार बनी है उसके बाद से यानी केवल 1980 में 77 नामी डकैतों के गैंग केवल एक साल में बने हैं। आज डाकू खुलेआम घूम रहे हैं। सभापति महोदय, भरकुआं में 150 डाकुओं का सम्मेलन हुआ। 150 डाकू बैठकर आपस में सम्मेलन करें उसकी जानकारी सबको मिले, आम जनता को मिले लेकिन हमारे प्रशासन को उसकी जानकारी न मिले यह कैसी आश्चर्यजनक बात है। सरकार प्रशासन में बैठी हुई है लेकिन आज डाकुओं की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। मैं निवेदन करूँगा कि इस पर वह ध्यान दें। हमारे समय में भी छोटी-मोटी डाकू समस्या थी। मैं इस सम्बन्ध में 1979 में जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ उसकी कंडिका 4 की तरफ ध्यान आकर्षित करूँगा जिसमें कहा गया था—

"इस वर्ष हमारे प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक रही है। दस्यु उन्मूलन की दिशा में सागर जिले में कुख्यात डाकू हरीसिंह और मुरैना जिले मैं डाकू मल्लाह के गिरोहों का सफाया उल्लेखनीय सफलता रही है।" लेकिन आज की सरकार इस बात का दावा नहीं कर सकती है। हाँ किसी निरीह आदिवासी की हत्या करके यह लोग कह देते हैं डाकू मारा गया व्यक्ति डाकू था और हमने मार दिया। लॉ एण्ड ऑर्डर की यह स्थिति हो गई है कि सभापति जी, अगर आप यह सुन लें कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ चोरी हो गई तो आश्चर्य नहीं होगा। जिला धार में एक पुलिस थाने में 8 हजार की चोरी हो गई। यह लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति है। शांतिप्रिय नागरिकों की कानून और व्यवस्था की बिगड़ी हालत से स्थिति खराब है? यदि इस पर विचार करें तो पता लगेगा कि आज पुलिस को राजनैतिक हस्तक्षेप ने निष्क्रिय बना दिया है। पुलिस को पूरी तरह से निकम्मा और अपराधी कहने की आदत मेरी नहीं है, कहीं-कहीं पुलिस अच्छा काम कर रही है लेकिन राजनैतिक हस्तक्षेप इतना ज्यादा है कि वह विचारे स्वतन्त्रता से काम नहीं कर पाते एक घटना मुझे मालूम है, मुख्यमंत्री जी को भी पता है। एक असामाजिक तत्व को पुलिस ने पकड़कर सेन्ट्रल जेल में भेज दिया फिर दबाव डाला गया रिलीज करने के लिए। लेकिन सेन्ट्रल जेल से रिलीज करने के लिए एस.पी. ने मना कर दिया, कलेक्टर ने मना कर दिया। राजनैतिक प्रभाव के कारण रात में 12 बजे जेल का दरवाजा खुलता है और पुलिस अफसरों को चिढ़ाता हुआ बाहर आता है। आप बताइए, इसका क्या होगा? क्या पुलिस डिमारल नहीं होगी। आज की पुलिस राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण डिमारलाइज हो रही है। रूलिंग पार्टी का आदमी अपने स्थान पर बैठकर एस.पी., सी.आई. सब इंसपेक्टर की रोजाना हाजिरी लेता है। मैं ऐसे ही एक महानुभाव को जानता हूँ वह मुख्यमंत्री के निकट के उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं ग्वालियर में। एस.पी., कलेक्टर, कमिश्नर उनके यहाँ हाजिरी नहीं दें तो उन्हें स्थानान्तरित करने की धौंस दी जाती है? वह प्रतिनिधि अन्डरवियर और लुंगी पहनकर अपने घर इन अधिकारियों से भेंट करते हैं। ऐसे सज्जन जिनको कभी कॉंग्रेस की सरकार ने ही उनके व्यवहार के कारण हथकड़ी पहनाकर निकाला था। मैं मुख्यमंत्री से प्रार्थना करूँगा वे इस स्थिति को सुधारें, इस हस्तक्षेप को बन्द करने से ही लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति सुधरेगी।

मैं अगली बात कहना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि मँहगाई पर नियंत्रण पाने की हम कोशिश करेंगे। मेरे पास एक प्रश्न जिसमें ग्वालियर, भोपाल, इन्दौर एवं एवं जबलपुर के 1978 तथा इनके राज्य के समय के इण्डैक्स अंक हैं उसमें। बताया गया है जहाँ प्राइस इंडेक्स 300 था वहाँ इनके राज्य में, 425 हो गया, जो आँकड़े बताए हैं उसके हिसाब से 25 प्रतिशत भाव बढ़े हैं, आपने यह प्रश्न में आँकड़े बताये हैं। इनके राज्य में महँगाई की स्थिति बदतर होती जा रही है। आप जनता पार्टी के शासन को रोजाना कोसते हैं। हम एक आदमी को प्रतिमाह बारह किलो गेहूँ देते थे, आपके राज्य में दो किलो प्रतिमाह दिया जाता है, वह भी पाँच-पाँच महीने तक नहीं मिलता है। मेरी आदत यहाँ गेहूँ लाकर बतलाने की नहीं है, मैं मुख्यमंत्री जी को दिखा सकता हूँ कि आजकल अखाद्य गेहूँ दिया जा रहा है। शक्कर चार-चार महीने से नहीं मिल रही है। खाद्य तेल नहीं मिल रहा है। सस्ते अनाज की दुकान पर चीजें

इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि बाहर के बड़े व्यापारी से इनकी साँठ-गाँठ हैं वे इससे संबंधित है वह मुनाफा कमा रहे हैं। महँगाई बढ़ती जा रही है। आज खाने के तेल की कीमत 15-16 रुपये किलो हो गई है जो जनता राज्य में 5-6 किलो थी। गेहूँ 225/- रुपये प्रति कुन्टल बिक रहा है। शक्कर, मोटा कपड़ा, दालें, आदि के भाव आसमान छू रहे हैं। अभिभाषण में उल्लेख किया गया है कि सस्ते अनाज की दुकान से सस्ता अनाज उपलब्ध कराने में सुधार हुआ है। बालकवि बैरागी जी का दिल अच्छा है, वे कवि हैं, कहाँ से फँस गये। समझ में नहीं आता। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में उनका कहना है कि पिछले कुछ महीनों में कुछ प्रतिशत उपलब्धि में सुधार हुआ है। चावल, खाने का तेल और सीमेन्ट आदि की आपूर्ति में सुधार हुआ है। जरा एक बार किसी सस्ते अनाज की दुकान में जाकर देख लें। वहाँ वस्तुएँ या तो उपलब्ध नहीं हैं और यदि उपलब्ध हो गयीं तो सारा माल कालाबाजारी में चला गया। हमको यहाँ यही कहते रहे कि स्थिति में सुधार हुआ है लेकिन वे स्वयं देखकर आश्वस्त हो जाये कि दुकानें खाली पड़ी हैं या माल है। मेरा बोलने का लिंक टूट गया। मैं यह निवेदन कर रहा था कि सस्ते अनाज की दुकानों में वस्तुएँ नहीं हैं।

श्री बालकवि बैरागी : उनका लिंक टूट गया। श्री शीतला सहाय जी कितने बेमन से बोल रहे हैं, यह इसी से प्रकट हो जाता है।

श्री शीतला सहाय : मैंने अपना मन बैरागी जी को दे दिया है।

श्री बालकवि बैरागी : मैं उसे उचित मूल्य की दूकान में नहीं बिकवाऊँगा।

श्री शीतला सहाय : दिल दिया था रखने को तूने दिल जलाकर रख दिया। माननीय खाद्य राज्यमंत्री सस्ते अनाज की दुकान पर तो नहीं बिकवाएँगे लेकिन अव्यवस्था करके उसे जला तो रहे हैं। दिनांक 31-10-80 को भोपाल से एक आदेश जाता है कि जितनी भी सस्ते अनाज की दूकानें हैं वे सब सस्पेण्ड कर दी जावें। कहा यह जाता था कि वे सब जनता पार्टी के लोगों ने अपने-अपने लोगों को दी थीं। 33 हजार दूकानें सस्पेण्ड कर दी गई। आज जिनको दूकानें दी गईं उनमें 30-40 प्रतिशत तो असामाजिक तत्व हैं तथा उन्हें जो भी माल सप्लाई किया जा रहा है, वह उस सबके सब माल को ब्लेक में बेच रहे हैं। माल बिल्कुल भी उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा है।

श्रीमती जया बेन : ये कितना सच बोल रहे हैं? कुछ परसेंट तो सच बोलें।

श्री शीतला सहाय : मुझे दुख है। आम महिला हृदय भी उसे महसूस नहीं कर रहा है शायद महिला हृदय पर राजनैतिक असर अधिक हो गया है। महँगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। मुख्यमंत्री जी दिल्ली को बार-बार 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में उनकी तत्परता बतलाना चाहते थे इसलिये विधानसभा का सत्र बुला लिये जाने पर भी उसकी प्रतीक्षा नहीं की एवं अध्यादेश जारी करके उसको लागू कर दिया था। अगर उससे जनता का भला होने वाला है तो उसमें मुझे आपत्ति नहीं है, जनता का भला होना चाहिये। उसमें पहला सूत्र है कि सस्ते मूल्य की दुकानों से जीवनोपयोगी वस्तुएँ सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराई जायेंगी, वह सूत्र पूरा नहीं हुआ। उसका कारण है कि इनकी साँठ-गाँठ बड़े व्यवसायियों से है उनको समुचित लाभ मिल सके जिससे भविष्य में इनसे मिलने वाला सहयोग सुरक्षित हो जाये, इस दृष्टि से जारी व्यवस्था हुई। आगे अभिभाषण में कहा गया है कि "आम जनता के विकास कार्यक्रम को शीघ्र पूरा करना।" उसके लिए क्या करना चाहते हैं ताकि पूरा विकास हो सके। अभी आपके सामने एक प्रश्न था, इन्होंने उत्तर दिया है, अंत्यावसायी निगम में जिसे, मध्यप्रदेश में जनता पार्टी के समय में प्रारंभ किया था, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि आज का मुसलमान आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, प्रताड़ित है, वह आर्थिक दृष्टि से इतने पिछड़े हैं कि उस तुलना में उसके समक्ष और कोई दूसरा वर्ग नहीं है। ईसाई, हरिजन, आदिवासी तथा कमजोर वर्ग, इन सबको मदद करने की दृष्टि से अन्त्यावसायी निगम प्रारम्भ किया गया था। इस सरकार ने इस अन्त्यावसायी निगम की हालत क्या कर दी है सभापति महोदय, रायसेन में कथित वर्गों की 1,008 एप्लीकेशन आईं उसमें से 8 लोगों को कर्ज मिला। 4933 एप्लीकेशन देवास में आईं, कर्ज किसी को नहीं मिला। छतरपुर में सात सौ एप्लीकेशन आईं, कर्ज किसी को नही मिला। अंत्यावसायी निगम जो मुसलमान भाईयों की मदद कर सकता था, ईसाई भाईयों की मदद कर सकता था, हरिजन-आदिवासी भाईयों की

मदद कर सकता था, उसको चूँचूँ का मुरब्बा बनाकर खत्म कर दिया। केवल एक ही इरादे से कि जनता पार्टी में जो अच्छे खासे काम हुए, वे काम समाप्त हो जायें। इसी दृष्टि से अंत्यावसायी निगम समाप्त हो जायें। लेकिन यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी समुचित विकास का अवसर देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार समुचित विकास क्या है?

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने भूमि आवंटन करने को कहा है। आपने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत समिति बना दी है या अब शासन द्वारा बनाये जाने वाली है। जो भूमि आवंटन की समिति है, उसमें केवल काँग्रेस के सदस्यों को ही रखा है। जब यह शासन का कार्य है तो विधानसभा के संदस्यों में किसी प्रकार का फर्क नहीं होना चाहिये। लेकिन उनका कहना है कि जिनकी आस्था 20 सूत्री कार्यक्रम में है, जिन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम को रामायण या कुरान की तरह स्वीकार कर लिया है, पालन कर रहे हों या न कर रहे हों, वे ही भूमि वितरण के कार्य की समिति के सदस्य होंगे। जिन्होंने रामायण और कुरान समझ कर समर्थन किया है, उन्हें रखा गया है। अभी उनकी मीटिंग्स हो रही हैं। अभी वह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको काम क्या करना है। साल भर निकल गये 20 सूत्री भूमि समितियों के माध्यम से आवंटन की व्यवस्था नहीं हो पाई कार्य करने की दृष्टि से अब सक्रिय नहीं हो पाई और जो जनता पार्टी के समय में 22 पार्टियाँ बनाकर सारी वन भूमि को राजस्व में स्थानांतरित कर दिया। खनिज विभाग की भूमि हस्तांतरित की और अध्यक्ष महोदय, वह सारी की सारी वितरित करने की व्यवस्था हमने की थी। हमने जो व्यवस्था की थी, वह सारी व्यवस्था को समाप्त करके केवल अपनी पार्टी के कार्यकर्त्ताओं को अवैधानिक दृष्टि से, कुछ आर्थिक दृष्टि से लाभ पहुँचाने की इस दृष्टि से वह वितरण समिति बना दी गई। साल भर हो गया उन समितियों के बने हुए, लेकिन अभी उनका काम शुरू नहीं हुआ। अभिभाषण में इसका उल्लेख होना चाहिये था लेकिन इनका उल्लेख नहीं हुआ।

श्री कांतिलाल भूरिया : सभापति महोदय, सारे जंगल कटवाये।

श्री शीतला सहाय : आप जिस बैंच पर बैठे हैं, उसमें क्या कोई कील है?

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान समस्यामूलक गाँवों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए इन्होंने जो कुछ कहा है जरा उसे देखिये क्या है। वह कहते हैं कि "पिछले साल 79-80 में समस्यामूलक घोषित 32,792 गाँवों में से 12940 गाँवों में पीने के पानी की व्यवस्था कर दी गई है।" आपने हमारे शासनकाल की इस उपलब्धि का उल्लेख कर दिया। आपने क्या किया? यहाँ हमारा उल्लेख करके आपको छूट कैसे मिलेगी? अगर आप पिछले दो सालों के अभिभाषणों को पढ़ लें तो इन भाषणों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह बात हमारे समय में प्रारंभ की गई एवं योजना बनाकर किस तरह से की गई और इतना ही नहीं इसका एक प्रमाण है। मैंने एक प्रश्न पूछा था कि 77-78, 78-79 और 79-80 में तीन वर्ष में 69 योजनाएँ स्वीकार कीं और काम चालू किया तथा लगभग तीन अरब रुपये के काम शुरू हुए। इसमें गाँव की योजना सम्मिलित नहीं है गाँवों में कलेक्टरों को अलग अधिकार देकर सैकड़ों योजनाएँ शुरू कीं। यह 1977-78, 78-79 और 79-80 के संबंध में एक प्रश्न पूछा था जिसके उत्तर में यह बताया है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह जी से पूछना चाहता हूँ हमारे समय का अभिभाषण पढ़ें तो जबलपुर में, भोपाल में, सीहोर में तथा दर्जनों कस्बों में पीने के पानी की व्यवस्था करवाई, सीधी में पीने के पानी की व्यवस्था हो गई। आप कह रहे हैं कि ऐसा कर देंगे। इस दृष्टि से आपने वह उल्लेख कर दिया जो हमारे समय में हुआ। गत एक साल में आपने क्या किया है, उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप खाना तो खिला ही नहीं सकते पानी भी नहीं पिला सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र का दौरा करके आया हूँ जो हमने दिसम्बर, 1979 के पहले कुएँ स्वीकार किए थे अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर में उस समय जो कुएँ बन गए वह तो बन गए। अगर किसी पंचायत ने बनाने में कुछ सुस्ती दिखाई तो वह कुआ आज तक नहीं बनाया गया। राहत कार्य उसके बाद क्या हुए? माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय इस ओर विपक्ष में बैठते थे, राहत काम न होने की माला जप रहे थे। राज्यपाल को शापन देते थे कि राहत कार्य बन्द हो रहे है। अध्यक्ष महोदय, अपूर्ण उत्तरों के जो पूर्ण उत्तर

दिये गए हैं इसके पृष्ठ 5 को आप देखें जिसमें मैंने प्रश्न पूछा था कि एक मार्च 1980 के बाद ग्वालियर जिले में राहत काम में करने वाले लोगों की औसत संख्या क्या थी तो उसका उत्तर है प्रतिदिन 32 मजदूर औसतन कार्यरत रहे। सभापति महोदय, आप ही देखिये वो जागरूक विरोधी दल का नेता जो कि राहत कार्यों के नाम पर हिन्दुस्तान में धूम मचाता था कहीं राज्यपाल को ज्ञापन तो कहीं दिल्ली में तूफान खड़ा करता था उस आदमी की पार्टी जब सत्ता में आती है तो प्रतिदिन कार्यरत मजदूरों की संख्या 32 रह जाती है। सभापति महोदय, ककेटो, डिगरा, साक स्वर्ण रेखा, मणिखेड़ा, सिन्द रमोआ, महवर आदि परियोजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया था। जहाँ 10-10 हजार लोग काम करते वहाँ कम होकर अब 32 रह गए हैं..... (व्यवधान)

सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि समुचित रोजगार के अवसर उपलब्ध करायेंगे। 1979-80 का अभिभाषण आप देख लें; मैं रिफ्रेस नहीं देना चाहता उसमें देर होगी 2 हजार डाक्टरों को नौकरी में रखा। आज स्वास्थ्य मंत्री हँसते आ रहे हैं। मेडिकल और इन्जीनियर ग्रेजुएट बेरोजगार हैं उन्हें शासन धन्धा नहीं दे सकता। इतना ही नहीं सभापति महोदय, काम के बदले अनाज योजना। आम के आम गुठली के दाम। किसान अपने-अपने यहाँ काम करता था बाकी समय में अपने गाँव को शहर से जोड़ने के लिये सड़क बनाने के काम में लगता रहता था। उसके लिये तीन किलो अनाज और सत्तर पैसे मिलते थे और सही रूप में भूखे पेट में वह अनाज जाता था इसकी योजना हमने बनाई। कई राहत कार्य हमने प्रारंभ कराये। जहाँ यह सरकार 1977 के पूर्व 15 हजार रुपये एक ब्लाक पर खर्च करते थे, हम उन्हीं ब्लाक में 50 हजार के बजाय 15 लाख रुपये खर्च करते थे। वर्ष 1977 के पूर्व यह 50 हजार तभी खर्च हो सकते थे जब इतनी ही राशि जनता इकट्ठा करती लेकिन जनता पार्टी सरकार ने ग्रामीण जनता से चन्दा लेना बन्द करा दिया। मैंने कहा कि हम जनता से कोई राशि जमा नहीं कराते थे। विकास कार्यों के लिये किसी प्रकार का अनुदान और चन्दा नहीं लेते थे, आज काँग्रेस के राज्य में फिर वही प्रारंभ हो गया है। कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद वह घटकर कहीं दस हजार और कहीं पन्द्रह हजार रह गया और पचास हजार से ज्यादा कहीं नहीं है। जनता पार्टी के शासनकाल में हरिजन-आदिवासी क्षेत्रों में कहीं 15-20 लाख नहीं कहीं कहीं 25 से 40 लाख तक खर्च किया गया। आज फिर वह पैसा मंत्रियों के बंगलों को सजाने पर खर्च हो रहा है, अफसरों के कक्ष बनाने में खर्च हो रहा है, शासकीय निकायों के कक्ष वातानुकूलित करने में पैसा खर्च हो रहा है, सभापति महोदय, मध्यप्रदेश रोडवेज की बात कहूँ तो 53 गाड़ियाँ ग्वालियर डिपो में ऐसी हैं जिनमें काँच नहीं हैं।

श्री रघुनन्दन प्रसाद शर्मा : गलत, बिल्कुल गलत।

श्री शीतला सहाय : इस प्रकार गलत कहने से काम नहीं चलेगा, आप जाँच कर लीजिये, फिर या तो आप त्याग-पत्र दे दीजिये या मैं दे दूँगा।

श्री रघुनन्दन प्रसाद शर्मा : यह नितान्त असत्य है।

श्री शीतला सहाय : मैं आज ही चलकर गिनती कराने को तैयार हूँ। कड़कती ठंड में रघुनन्दन प्रसाद जिन्दाबाद के नारे लगाते लोग यात्रा करते थे और आप कहते हैं कि नितान्त असत्य है। रोडवेज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हर स्तर पर पैसा है। आज कंडेक्टर कहता है कि पैसा ऊपर तक भेजना पड़ता है और इसलिए आधी पौन बस बिना टिकिट चलती है पैसा यहाँ तक आता है। सभापति महोदय, आदिवासियों के, लिए हरिजनों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए कुछ सुविधाएँ मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं ऐसा उन्होंने कहा है। इसी प्रकार से एक सुविधा 4 प्रतिशत ब्याज की दर करने की दी है यह अच्छी है। मुझे नहीं मालूम इसका कहाँ तक क्रियान्वयन होगा। एक मजेदार उदाहरण है ग्राम सरोला के एक शंकर किसान की गाय कांज़ी हाउस में बंद कर दी जाती है और उसे नीलाम किया जाता है। नीलामी में केवल 3 रुपये 50 पैसे मिलते हैं। सहकारी बैंकों द्वारा ऐसी घटनाएँ हो रही हैं यदि इस तरह की व्यवस्थाएँ मध्यप्रदेश में हो रही हैं तो इन सुविधाओं का क्या उपयोग है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज यह सरकार पूरी तरह से असफल हुई है। स्थान-स्थान पर सामंती लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं लोगों का शोषण प्रारंभ हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहना चाहता हूँ यह बिजली बढ़ाने की बात शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने शुरू की है तो वह बधाई के पात्र हैं, लेकिन उसका उन्होंने अभिभाषण में

उल्लेख किया है यह देख लें कि इनमें से जितने प्रोजेक्ट इससे पहले यानी जनता पार्टी सरकार के समय मंजूर हो चुके हैं, कितने इनके सक्रिय परिश्रम से हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे हमारी सरकार में हुए या आपने किए हों, इनका क्रियान्वयन सतर्कता से करना होगा। मैंने 1974 में भी यह बात कही थी कि मध्यप्रदेश में खपत तेजी से बढ़ रही है। आज जितनी बिजली चाहिए उतनी बिजली पैदा नहीं हो पा रही है। वह पैदा करने की योजना बनाना चाहिए। मुझे राजघाट योजना की जानकारी मिली है। मुझे मालूम था निर्णय हुआ था कि बहुत से निर्माण कार्य मध्यप्रदेश में होंगे। पानी का कन्ट्रोल यहाँ पर मध्यप्रदेश के पास रहेगा, लेकिन तमाम निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश तरफ हो रहे हैं, यदि इस प्रकार की स्थिति रही तो काम चलने वाला नहीं है। अभयारण्य सीधी में बन रहा है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन जानना चाहता हूँ कि सीधी से अभयारण्य में रहने वाले लोग भोपाल आ गए तो इस अभयारण्य का क्या मतलब होगा, वहाँ बनाने का। लेकिन इससे कोई बहुत रोजगार मिलने की बात नहीं, भूख से तड़पने वाले आदमी को राहत मिलने की बात हो, ऐसी योजना आनी चाहिए थी। सभापति महोदय, मैंने स्वास्थ्य विभाग के बारे में भी पढ़ा, उसमें नहीं लिखा है कि इतने गाँवों में और चिकित्सालय खोले जावेंगे, इतने डाक्टरों को रोजगार उपलब्ध कर देंगे। इसके बाद सिंचाई क्षमता की बात पर मैं आता हूँ। सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिये समुचित प्रोजेक्ट बनाकर प्रारंभ हो गए थे। काम शुरू कर दिया था प्री कन्स्टरक्शन की स्वीकृति दी गई थी इसके बाद प्रोजेक्ट की तो समुचित स्वीकृति की व्यवस्था की जानी थी लेकिन नहीं करवा पाये। तात्या टोपे योजना में अभी तक स्वीकृति नहीं करवा पाये हैं। वहाँ काम बंद हो गया है। ग्वालियर एवं चम्बल संभाग में लाइनिंग करने के काम के लिए वहाँ पैसा मंजूर हुआ है। लेकिन स्वीकृति यहाँ से नहीं मिल पा रही है। इस प्रकार से तमाम प्रकार के अवरोध उपस्थित किए जा रहे हैं, जिससे कि काम समुचित मात्रा में नहीं हो पाता।

श्री कान्तिलाल भूरिया : हमको भी बोलने दिया जाए। इन्होंने लाखों रुपये के घपले किए हैं....

श्री शीतला सहाय : मैं कहना चाहता हूँ कि खुद जाकर जाँच करवा लीजिए और भ्रष्टाचार का कोई एक केस मिल जावे तो आप खुद जो सजा देंगे मैं भुगतने के लिये तैयार हूँ। मैंने अच्छा काम करके स्वास्थ्य सुधारा

श्री परशुराम सिंह भदौरिया : शीतला सहाय जी भूवण्टन की बात कही है तो हमारे देश के नेताओं ने मकान बनाए और वे गरीबों से पैसा वसूल कर रहे हैं। सभापति महोदय, अगर आप समय दें तो मैं तथ्य सामने ला सकता हूँ।

श्री शीतला सहाय : हमारे ग्वालियर में एक भी मकान अपने खुद का नहीं है। भ्रष्ट लोग खाँमुखाँ आरोप लगा रहे हैं। आप जैसा भ्रष्टाचार कर रहे हैं वैसा मैं भी भ्रष्टाचार करता हूँ? (एक माननीय सदस्य के बोलने पर) 25 हजार रुपया लगाकर मकान बनाये थे उसमें भी हमारा कोई मकान नहीं बना।

श्री परशुराम सिंह भदोरिया : बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब वे स्वास्थ्य मंत्री थे तब अपना इलाज नहीं करा सके।

(व्यवधान)

श्री शीतला सहाय : सभापति महोदय, मुरैना और भिण्ड की फसल चौपट हो रही है। उनको पानी नहीं मिल रहा है। उनको पलेवा के लिए पानी दिया था। उसके बाद पानी नहीं मिल रहा है। 4-5 दिन में पानी नहीं दिया गया तो फसल चौपट हो जावेगी अतः तुरंत पानी की व्यवस्था की जानी चाहिये। मुख्यमंत्री जी स्थाई व्यवस्था करें कि जितना राजस्थान से पानी हमको मिलना चाहिये उतना पानी मिले। पानी की उम्मीद में किसान ने फसल बोई तथा विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट करने की कोशिश की है, मुरैना और भिण्ड चम्बल आयकट के रूप में डेवलप हुआ है उसका पानी नहीं कटे ऐसी व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, आखिर में, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि वे कृपा करके 78 और 79 का अभिभाषण पढ़ें और उनमें जिस तरह से ठोस योजना का जिक्र किया है एक भी कोई ठोस योजना उसमें नहीं है जिसमें यह कह सकें कि यह काम अच्छाई के लिए है और यह बुराई के लिए है। पालिसी स्टेटमेंट के लिए सरकार ऐसी योजना बनाये जिससे काम हो सके। पहले क्या काम किया है और बाद में क्या काम करना चाहते हैं ऐसा तरीका आप अपनायें। 1980 में जो बातें कही थीं उनमें से एक भी बात वे पूरी करने में सफलता नहीं मिल पाई। उसका तुलनात्मक अध्ययन कर लें तो स्पष्ट बात सामने आ

जायेगी। यह सरकार सिवाय बातों के और कुछ नहीं करना चाहती। बड़े-बड़े सामंतों और व्यापारियों का सरकार पर असर है गाँवों में लाखों-करोड़ों रुपया खर्च किया जाता था वह नहीं करना चाहते हैं, गत्रे, गेहूँ का समुचित मूल्य नहीं मिल पाया। इन सब बातों का अध्ययन कर सुनियोजित पॉलिसी बनायें जिससे इस प्रदेश की जनता आश्वस्त हो सके।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/2 मार्च, 1981, पृष्ठ/340-344)

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री मोतीलाल वोरा द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किये हैं और जो सुझाव दिये हैं, मैं उसके लिये आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय सदस्य श्री मोतीलाल वोरा जी ने जो प्रस्ताव के समर्थन में जो भाषण दिया है, मैं उनका कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इस प्रदेश के चहुँमुखी विकास की ओर जहाँ सदन का ध्यानाकर्षित किया है, वहीं पर उन आवश्यकताओं की ओर भी इंगित किया है, जिनकी पूर्ति हमारे कार्य को गति दे सकती है और इस प्रदेश के विकास में और सफल हो सकता है। माननीय विपक्ष के श्री शीतला सहाय जी ने जिन्होंने विपक्ष की ओर से इस चर्चा की शुरूआत की। मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि जब वे बोल रहे थे कि शायद एक औपचारिकता निभाने के लिये उन्होंने अपना भाषण दिया कि विरोधी पक्ष की ओर से कुछ न कुछ कहा जाना चाहिये और उसी संदर्भ में जो कुछ मैं उसे लेता हूँ, इसलिये नहीं कि शीतला सहाय जी औपचारिकता बरतने के आदी हैं, इसलिए कि चूँकि उनके पास कुछ खास कहने को था ही नहीं।

श्री तेजसिंह सेंधव : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी कोई विशेष नीति की बात नहीं थी।

अध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि सखलेचा जी यहाँ पर हैं इसलिये यहाँ पर तो आप चिन्ता न करें।

श्री पुरुषोत्तमराव विपट : अध्यक्ष महोदय, क्या हमारे अधिकार सखलेचा जी को ट्रांसफर कर दिये हैं जो माननीय सदस्य नहीं बोल सकते।

अध्यक्ष : जब मुख्यमंत्री बोलते हैं तब इंट्रप्शन नहीं होना चाहिये। आवश्यकता पड़ने पर बेहतर यह है कि आपके नेता कह सकते हैं वे आपके हितों का संरक्षण कर सकते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : सेंधव जी ने कहा,

श्री तेजसिंह सेंधव : मेरा नाम सेंधवा नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : मैंने सेंधवा नहीं कहा। सेंधव जी के नाम से और कृतित्व से हम सब परिचित हैं (हँसी)

अध्यक्ष : सेंधवा हो जावे तो भौगोलिक सत्य हो जावेगा।

श्री अर्जुनसिंह : उन्होंने अध्यक्ष महोदय, हमें यह कहा कि अगर आपको राज्यपाल महोदय के अभिभाषण देखना है तो आप 1977, 1978 और 1979 के अभिभाषण पढ़ें। उनमें किस प्रकार से हमने नीति निर्धारण किया है और किस प्रकार से जनता पार्टी शासन ने उनको कार्यान्वित किया। अध्यक्ष महोदय, आज के संदर्भ में, मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता था क्योंकि आपने क्या किया और क्या नहीं किया वह सर्वविदित है। श्री शीतला सहाय जी ने पढ़ने को कहा था इसलिये मैंने उन भाषणों को पढ़ा और आपकी अनुमति से संक्षेप में यह बताना चाहता हूँ और मैं केवल बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, 1977 में यह कहा गया था कि लोक आयुक्त एक्ट में संशोधन किया जायेगा। 1977 में यहाँ भाषण दिया गया था लेकिन हो सकता है कि कुछ अनिवार्य कारण रहे होंगे। 1977 के भाषण के उपरांत दिनांक 29-10-79 को यह विधेयक सदन में पुरःस्थापित किया और उसके बाद विधानसभा का विघटन हो गया। आपने कहा था कि कनिष्ठ सेवाओं की भर्ती के लिये स्वतन्त्र चयन बोर्ड का गठन किया जायेगा, ये सब पाजिटिव कथन हैं अभी तक उस बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। प्रादेशिक चुनाव आयोग का गठन किया जावेगा उसका गठन, 1979 तक नहीं किया गया। फिर कहा गया था सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में जिला पंचायतों की स्थापना कर उस पर सक्रिय विचार किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, उस वर्ष में तो प्रश्न ही नहीं उठता। न तो कोई विचार-विमर्श हुआ और न कोई नया प्रस्ताव इस विधानसभा के सामने नहीं आया। फिर हम आते हैं 1978 के अभिभाषण में जब हमारे सखलेचा जी मुख्यमंत्री थे। उस समय पैंतीस सौ

समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया गया था और उस वर्ष अध्यक्ष महोदय, प्राप्त आँकड़ों के अनुसार 1654 ग्रामों में ही कार्य किया जा सका था। शासकीय वनों के विवादास्पद अतिक्रमणों के निपटारे उस वर्ष में नहीं किये गये। विद्युत क्षमता 1979 तक 520 मेगावाट बढ़ाने का आश्वासन दिया था परन्तु विद्युत क्षमता में कोई वृद्धि नहीं की गई। मार्च, 1979 तक एक हजार की आबादी वाले सभी ग्रामों में बिजली भेज दी जायेगी। मार्च, 1978 में केवल 67.8 प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा सका। किसानों को प्रमुख समितियों के माध्यम से दीर्घकालीन और अल्पकालीन ऋण सुलभ करने के लिये प्रथम चरण में नौ जिलों को तथा बाद में शेष सभी जिलों को केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा भूमि विकास बैंकों का एकीकरण किया जायेगा। बैंकों का एकीकरण करने का निर्णय क्रमशः 4-2-78 और 4-8-78 को लिया गया किन्तु इनको अंतिम रूप आज तक नहीं दिया गया।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र के द्वारा आपत्ति की गई थी।

श्री अर्जुनसिंह : फिर एक आश्वासन यह था कि वृहत्त एवं मध्यम लघुसिंचाई योजना से दो लाख हेक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता पैदा की जायेगी। प्राप्त आँकड़ों के हिसाब से एक लाख हेक्टेयर में ही पूरा किया जा सका। वन ग्राम के निवासियों को स्थायित्व प्रदान करने के लिये राज्य के अधिकांश वन ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित किया जायेगा, लेकिन वन ग्रामों का राजस्व विभाग को हस्तान्तरण करने हेतु सर्वेक्षण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। यह 1979 तक की बात है। फिर 1979 में बजट अभिभाषण में न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत शेष सभी नियोजनों के वेतन निर्धारण की कार्यवाही का आश्वासन दिया गया था। इस वर्ष केवल 10 नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के न्यूनतम वेतन दरों का पुनरीक्षण किया गया है। सालबीज और हर्रा के आधारित उद्योग बस्तर, मंडला, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ एवं सरगुजा जिले में लगाये ज्ञायेंगे। हर्रा से तेल निकालने का कारखाना रायपुर में तथा मंडला में और सालबीज से तेल निकालने का कारखाना रायपुर और जगदलपुर में स्थापित किये जाने की अभी तक प्रारंभिक कार्यवाही हो सकी है। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह में एक जनरेटर 1979 तक तथा दूसरा सितम्बर, 1979 तक चालू कर दिया जावेगा। छठवीं इकाई से नियमित उत्पादन 1980 में ही चालू हो सका है तथा सातवी इकाई का उत्पादन जनवरी, 1981 में प्रारंभ हो पाया है। यूरोपीय इकानामिक कम्यूनिटी की सहायता से गोदाम निर्माण का कार्य कराया जायेगा। 474 गोदामों के निर्माण के लिये रुपये 1,97,32,670.00 की राशि निर्गमित की गई है किन्तु केवल 46 गोदामों का निर्माण ही पूरा हुआ है। टी बोर्ड के सुझाव पर निगम चाय बागान लगाने की योजना तैयार कर रहा है। राज्य वन विकास निगम द्वारा चाय बागान लगाने की विस्तृत योजना अभी तैयार नहीं की गई है। यह उल्लेख मैं केवल इसलिये करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि राज्यपाल के अभिभाषण में लिख देने मात्र से ही यह बात साबित नहीं हो जाती कि शासन की मंशा पूरी तरह से करने की है या नहीं। पहली बार हमने यह प्रयास किया है कि राज्यपाल का जो भाषण हुआ जिन मुद्दों पर अभिभाषण में विशेष रूप से उल्लेख किया गया। इस पर आगामी वर्ष की योजना के बारे में 5-7 पन्नों में राज्यपाल महोदय ने कहा उन आश्वासनों को किस प्रकार से पूरा किया गया इसका उल्लेख उनके अभिभाषण में है जो आप पढ़ सकते हैं। यह इसलिये अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सब इस बात को समझें कि जो आश्वासन हम इस सदन में राज्यपाल महोदय के माध्यम से प्रदेश की जनता को देते हैं वह केवल इसलिये नहीं देते कि अगले वर्ष हमको कोई रखने वाला नहीं है। इस वर्ष जितनी लम्बी-चौड़ी बातें करते हैं करते जाते हैं और अगले वर्ष नये मुद्दे निकल जायेंगे। यह हो सकता है ऐसा दल या ऐसी सरकार जो-किन्हीं नीतियों को बनाती नहीं है। जो केवल सत्ता पर पहुँचने के लिये एक योजनाबद्ध कार्यक्रम के जाँच जरिये सत्ता पर पहुँची है और सत्ता पर बनी रहना चाहती है जिसका एक मात्र उद्देश्य है उसके लिये तो संभव है हर वर्ष लुभावनी चीज दिखाये राज्यपाल महोदय के माध्यम से देखा जाये। हम इस प्रदेश के कार्यक्रम चलाना चाहते हैं और हमने 8-9 महीनों में प्रमाणित किया है कि न केवल इस प्रदेश के नागरिक, विधानसभा के माननीय सदस्य और कॉंग्रेस (आई) के उन वायदों को पूरा करने के लिये सक्षम हैं और जैसा कि हमने स्वयं करके दिखाया है।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में बड़ी चर्चा की गई और प्लेटफार्म से भाषणों

में भी यह कहा गया कि यह तो एक शासकीय कार्यक्रम है अतः इस कार्यक्रम में केवल काँग्रेस पार्टी के लोग ही, एक पक्ष के लोग क्यों लिये जा रहे हैं। मैंने अध्यक्ष महोदय, यह बात बाहर भी कही है कि यह दल का सवाल नहीं है। यह कार्यक्रम में आस्था और विश्वास का सवाल है। जब इस प्रदेश के बहुसंख्यक नागरिकों ने बहुमत से 20 सूत्रीय कार्यक्रम को इस प्रदेश का पिछड़ापन दूर करने के लिये भविष्य की रूप-रेखा के रूप में स्वीकार किया तो उस पर अमल करने के लिये ऐसे ही लोगों के माध्यम से कार्यवाही होना चाहिये जिन्हें इस कार्यक्रम पर पूरी आस्था हो और इस कार्यक्रम के प्रति पूरी निष्ठा हो। अतः ऐसे ही व्यक्ति सामने आयें जिन्हें पूरी आस्था इसके प्रति हो। जैसा कि सदन में माननीय पटवा जी, श्री शीतला सहाय जी ने कहा कि यह तो सरकारी कार्यक्रम हो गया है, सदन में इस प्रकार का भाषण दे दिया कि यह शासकीय कार्य है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये जनता ने जिम्मेदारी सौंपी है इस आधार पर कि यह काँग्रेस पार्टी का तथा उसकी नेता श्रीमती गांधी का काम है जिसको वह समर्थन देते हैं। और उसी समर्थन के बल पर हम लोग काँग्रेस पार्टी के लोग बहुमत में चुनकर आये हैं। आप लोग कहते हैं कि हम भी इसे करना चाहते हैं। पर अध्यक्ष महोदय, मैं सहसा इस पर कैसे विश्वास कर लूँ। मेरे पास तथ्य हैं। शायद श्री सखलेचा जी को वह बात याद न हो, लेकिन मेरे पास उनका लिखित पत्र मौजूद है, जो कि एक शासकीय अभिलेख है, वह अपनी कहानी आप कहता है। इस पत्र में श्री सखलेचा जी जो पत्र अपने पैरोल के सम्बन्ध में लिखा था उसमें एक वाक्य यह भी अगर आपकी अनुमति हो तो उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। "20 सूत्री कार्यक्रम के अवरोधक कभी हम रहे नहीं। बल्कि उक्त कार्यक्रम के अनेक मुद्दों को कार्यान्वित करने की सतत माँग विधानसभा के भीतर और बाहर करता रहा हूँ।"

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : आप उल्टी बात कह रहे हैं। श्री पटवा जी तथा शीतला सहाय जी ने यह कहा जहाँ तक 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि वितरण का सवाल है अथवा महँगाई कम करने का सवाल है इसका हमें कभी भी विरोध नहीं है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने अपने को छुड़ाने के लिये 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन किया।

(शेम-शेम की आवाज)

श्री बाबूलाल गौर : अध्यक्ष महोदय, यहाँ 20 सूत्री कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। शासन ने उसका एक ही सूत्र महँगाई कम करने की दिशा में क्या किया? आज क्या स्थिति है? क्या प्रदेश में महँगाई कम हुई। आज तेल का भाव 15 रु., गेहूँ 240 रु. क्विंटल हो गया तथा शक्कर का भाव 8 रुपये किलो है। आप अपने 20 सूत्री कार्यक्रम का एक ही सूत्र पूरा कर दीजिये। (व्यवधान)

श्री हिम्मत कोठारी : अध्यक्ष महोदय, आपके इस कार्यक्रम में ऐसे लोग रखे गये हैं जो असामाजिक तत्व हैं जिनको इसमें आस्था और विश्वास नहीं है .....(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम विपट : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जिसको (एक सदस्य को) 20 सूत्री कार्यक्रम में रखा है, और आप ही ने उसको रासुका में गिरफ्तार किया है.....(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जानता था कि अगर यह बात कही जावेगी तो यह लोग छटपटायेंगे। अभी मैंने श्री सखलेचा जी के पत्र का अंश ही पढ़कर सुनाया? मेरे पास सैकड़ों ऐसे पत्र हैं जिसमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम के प्रति अगाध श्रद्धा और उसके प्रति समर्पण जितना काँग्रेस के लोगों ने नहीं किया उससे अधिक जनसंघ के लोगों ने किया है। .....(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि हम लोगों ने भी भूमि का वितरण किया। आपके समय में भी यह कार्य हुआ। क्या मुख्यमंत्री जी एक भी ऐसा उदाहरण दे सकते हैं कि हमने एक दो वर्ष के काल में जितना भूमि वितरण किया क्या उनके समय में हुआ?

श्री अर्जुनसिंह : ये सब बातें मैं सहीं मान सकता हूँ यदि एक काम आपने न किया होता तथा पैरोल के लिए लिखे गये बीस सूत्रीय कार्यक्रम के समर्थन में नीति विषयक समर्थन मानते। यदि यह विधेयक इस विधानसभा

में पारित न किया जाता .....(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, आपमें उत्तर देने की क्षमता है पत्र भी लिखे हैं बीस वर्षों से निरन्तर इन मुद्दों के लिए लड़ते रहे हैं विधानसभा की कार्यवाही उसका प्रमाण है ये क्यों भूल जाते हैं?

श्री अर्जुनसिंह : फिर इस सन्दर्भ में विधेयक की क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी? उसे और सक्षम बनाते, अपने बीस साल के अनुभव का उसमें समावेश करते, संघर्ष करते, इस विधानसभा में 4 अप्रैल, 1978 को जब आप मुख्यमंत्री बने आपने निरसन विधेयक पारित किया और आप कहते हैं ..... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : ये तो केवल दिखावा करने की बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : केवल अपने को छुड़ाने के लिए अपने लाभ के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करके आपने अवसर मिलने पर उसके विरुद्ध काम किया है ऐसे लोगों को कतई आवश्यक नहीं कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम में .....

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : मैंने स्पेशेफिक पूछा है एक तो सरकार बताये हमने एक सूत्रीय कार्यक्रम के तहत भूमिहीनों को भूमि वितरण करके बताया इन्होंने एक भी बताया?

श्री अर्जुनसिंह : आप जितने अभिलेख कहें सामने रख दूँ। (व्यवधान) काँग्रेस पार्टी ने भूमिहीनों को भूमि वितरित की है..... (व्यवधान) शायद सखलेचा जी समझते हैं कि पिछली बातें याद नहीं हैं। ऋण मुक्ति कार्यक्रम बीस सूत्रीय कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है उस कार्यक्रम को लागू करने में.....

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : भूमि वितरण का ही बतायें?

श्री अर्जुनसिंह : आपने एक आयोग का गठन किया कि सूदखोरों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई ये आयोग जाँच करे। (व्यवधान) बात असली ये है कि .....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, ये तो बता दें कि सखलेचा जी उनके समय में सीधी के कितने लोगों को भूमि के पट्टे बाँटकर आये थे?

श्री निर्भयसिंह पटेल : अर्जुनसिंह जी का मंत्रिमण्डल इंदिरा जी के प्रति कितना विश्वस्त है और स्वर्गीय संजय गाँधी के प्रति कितना? संजय गाँधी के पाँच सूत्र भी चले गये उस पर प्रकाश नहीं डाल रहे हैं?

श्री अर्जुनसिंह : न तो आप श्रीमती गांधी को समझ सकते हैं और न संजय गांधी को। आप तो दक्ष बोलिये और दक्ष रहिये इतना ही पर्याप्त है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल गौर : दक्ष का मतलब है एलर्ट रहिए।

श्री अर्जुनसिंह : आप तो हरदम दक्ष रहते हैं मैं तो उनकी बात कह रहा हूँ।

श्री शैलकुमार शर्मा : हम भी समझ रहे हैं और प्रदेश की जनता भी समझ रही है कि किस प्रकार से महँगाई बढ़ रही है जबकि प्रथम सूत्र महँगाई कम करने का है यह किस प्रकार सफल हो रहा है?

श्री अर्जुनसिंह : उसके बारे में भी सुन लीजिए। महँगाई बढ़ी है। इससे कौन इन्कार करेगा। ऐसे कारण हैं जिन कारणों से प्रदेश शासन का ही कोई अधिकार नहीं है लेकिन कुछ ऐसे भी कारण हैं जहाँ कृत्रिम अभाव पैदा करके आवश्यक वस्तुओं का अभाव पैदा किया जाता है मैं इसे दलगत राजनीति का अंग नहीं बनाना चाहता लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से दुकानों का सस्ते गल्लों की दुकानों का वितरण 1977 से 1979 तक किया गया ऐसे ही लोगों के हाथ में दी गई जो कि सस्ते गल्ले की दुकानें ईमानदारी से चलाना चाहते थे।..... (व्यवधान)

अध्यक्ष : आप सभी बैठ जायें। मैं आपको इतना स्पष्ट कर दूँ कि यहाँ की जो परम्परा है उसको आप निभायें कि जब सदन के नेता या विरोधी दल के नेता बोल रहे हों तब बीच में, न बोलें, उनको धैर्यपूर्वक सुनें। जब तक वे अनुमति न दें तब तक बीच में न बोलें। कभी बीच में एकाध प्रश्न पूछा जा सकता है लेकिन बार-बार नहीं।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : शैलकुमार जी ने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब तो दिया जाये?

अध्यक्ष : आप सबको मौका मिलेगा। फिर भी बीच में एकाध प्रश्न हो जाये तो कोई बात नहीं। मैं आपके हितों को बराबर प्रोटेक्ट करूँगा।

श्री रामजी महाजन : चोट पड़ने पर बेचारे कैसे तिलमिला जाते हैं।

अध्यक्ष : आप बीच में क्यों आ रहे हैं?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यहाँ किसानों की बात कही गई और कहते-कहते यहाँ तक कह दिया गया कि किसान रैली एक तमाशा थी और न जाने क्या-क्या बातें कह दी गईं? अध्यक्ष महोदय, किसान वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो बोलता कम है, समझता ज्यादा है और इसलिये मेरी तो मान्यता यह है कि जिस प्रकार का मायाजाल रचने में कुछ लोग निपुण होते हैं वे और सबको तो धोखा दे सकते हैं लेकिन भारतवर्ष के किसानों को धोखा नहीं दे सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सन् 1977 से लेकर 1979 तक जब आपके पास इस प्रदेश के किसानों ने इस प्रदेश की बागडोर सौंपी थी तब आपने किसानों के हितों की कौन-सी बात की? उनके पैदावार को ज्यादा कीमत दिलाने के लिये क्या कोशिश की? क्या यह बात सही नहीं है कि महीदपुर और जावरा की शुगर मिलों पर किसानों के लाखों रुपयों के देयक आज भी पड़े हुए हैं, मजदूरों के पड़े हुए हैं। उनके बारे में आपके शासन ने क्या किया, यह बता दीजिये? आप की ही केन्द्रीय सरकार द्वारा 10 पैसा मूल्य बढ़ाने की सिफारिश को आपने क्रियान्वित नहीं किया। आप 10 पैसा भी वृद्धि नहीं कर सके। आज आप किसानों के हिमायती बनना चाहते हैं।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है कि मुख्यमंत्री जी सही तथ्यों को सदन में नहीं रख रहे हैं। केन्द्र सरकार ने जो मूल्य घोषित किये थे उससे ज्यादा ही मूल्य हमने दिये हैं, जावरा शुगर मिल के। (व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : आपने मूल्य दिलाया या नहीं वह किसानों से पूछिये जिनको हम आज पेमेंट कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : हमने तो 20 पैसे से ज्यादा ही दिलाया है। 9 रु. और 8 रुपये के बजाय हमने 10-12 रुपये पेमेंट किया है। सदन में जो तथ्य पेश किये जा रहे हैं वे गलत पेश किये जा रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तम विपट : आपने भी पेमेंट नहीं किया।

श्री निर्भयसिंह : आपने तो किसानों के बिजली के कनेक्शन तक काट डाले हैं।

श्री अर्जुनसिंह : सखलेचा जी, जब आप मुख्यमंत्री थे तब तो आप नहीं बता सके, लेकिन आज तो बता सकते हैं कि इस प्रदेश के धान की खेती करने वाले किसानों को आपके शासन ने उस समय कितना मूल्य दिया था, आज तो बता दें।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : आपने जो गन्ने की बात की है उसकी बात करें।

(व्यवधान)

श्री रसूल अहमद सिद्दीकी : सखलेचाजी को तो उस समय किसानों की फिक्र ही कहाँ थी? आप तो नेपाल की यात्रा करते रहते थे?

श्री बैजनाथ सक्सेना : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : सक्सेना जी आप बार-बार खड़े हो जाते हैं, सदन की कार्यवाही आप चला रहे हैं या मैं चला रहा हूँ?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आपके माध्यम से सूचित करना चाहता हूँ कि मध्यप्रदेश में पहली बार न्यूनतम मूल्य जो निर्धारित किया गया था उससे ज्यादा 10 रुपये कीमत इस प्रदेश के धान पैदा करने वाले किसानों को दिया गया और अब तक लगभग 3 लाख टन धान खरीदी जा चुकी है।

श्री रमाशंकर सिंह : पिछले साल के मुकाबले में कितनी महँगाई बढ़ी है यह भी बता दीजिये।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, 31.50 करोड़ रुपये की धान खरीदी की गई जिसमें जो कीमत देना पड़ी उसका अधिभार म.प्र. शासन ने 2.5 करोड़ वहन किया। इसी प्रकार से कपास की रिकार्ड खरीद 1.88 लाख गाँठ की गई जिसकी कीमत 45 करोड़ है और यह खरीद सीधी तौर से किसानों से की गई बिचौलियों से नहीं। शुगर केन की कीमतें कम से कम 20 रुपये प्रति क्विंटल दिलाई गईं और एक स्थान पर 23 रुपये प्रति क्विंटल तक दिलाई गई। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि किसानों के हितों को न केवल उत्पादन क्षेत्र पर बल्कि उत्पादित फसल के लिये भी पूरी तरह से संरक्षित करने का शासन ने प्रयास किया। 20 घण्टे प्रतिदिन बिजली का प्रदाय किया जा रहा है जितने ज्यादा बीज इस साल उपलब्ध कराये गये उतने कभी भी उपलब्ध नहीं कराये

गये और यही कारण है कि इस प्रदेश के किसानों ने आपके लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी न तो आंदोलन किया और न एक मोर्चा बनाया और आपको आंदोलन की तिथियों की घोषणा करते रहना पड़ा कि 10 को होगा, 15 को होगा, 25 को होगा पता नहीं कब होगा। अध्यक्ष महोदय, यह परिणाम है और इसी वजह से मैं कहना चाहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूँ कि इस प्रदेश में 80 प्रतिशत आबादी किसानों की है जिनके हितों का संरक्षण प्राथमिक हमारा कर्त्तव्य है और शासन ने अपनी इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया है। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, आपने "लॉ एण्ड ऑर्डर" के बारे में बड़ी चर्चा हुई। लॉ एण्ड ऑर्डर खराब हो गया। रोज कत्ल और डकैतियाँ हो रही हैं, पूरी तरह से अराजकता फैली है। इस प्रकार का भाव सामने आया। मैं आँकड़े से आपको जवाब दूँ वह अपनी जगह है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि इस विषय को भी हमें केवल दलगत राजनीति की नजर से नहीं देखना चाहिये। यदि शांति व्यवस्था को कायम रखना है, और मजबूती से असामाजिक तत्वों को दबाना है तो आवश्यक है कि प्रशासनिक तंत्र को निर्भीकता के साथ काम करने के लिये आप परिस्थिति पैदा करें क्योंकि यह काम मुख्य रूप से प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से होता है। यह सर्वविदित है कि 77 से लेकर 79 वे समस्त प्रशासनिक मान्यताएँ जिन्होंने इस देश और प्रदेश के प्रशासन तंत्र को जनता की कम से कम न्यूनतम सेवा के लिये सक्षम बनाकर रखा, आपने उसे छिन्न-भिन्न कर दिया और ..... अनुशासित फोर्स जो पुलिस फोर्स है उसमें हर प्रकार की अड़ंगेबाजी लगाकर अनुशासनहीनता के सामने घुटने टेककर उसे समाप्त कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि पुलिस फोर्स इस मध्यप्रदेश में एक गौरवमयी फोर्स रही है। उसने अपने लिए उपलब्धियाँ अर्जित की हैं और कर्त्तव्य परायणता के क्षेत्र में उन्हें प्रसिद्धि मिली है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, उस पुलिस फोर्स में यहाँ तक नौबत आ जावे कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की मैय्यत वह निकालें.....

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, हमने उस समय पुलिस आंदोलन को मीट किया था। लेकिन अभी आपने कुछ विचित्र कार्यवाही की है जिससे कि पुलिस का मारल डाउन हुआ है।

श्री अर्जुनसिंह : आपने किस प्रकार से पुलिस आंदोलन को मीट किया यह तो आप जानें। लेकिन उसका जो परिणाम निकला वह हमने भुगता। अध्यक्ष महोदय, जिस समय बल उपयोग करना चाहिये उस समय उससे समझौता करना यह कोई अच्छी पद्धति नहीं है। यदि वे थोड़े से लोग हैं, अनुशासनहीन हैं, तो उन थोड़े से लोगों को समूचे समाज के समक्ष अनुशासनहीनता करने का अवसर नहीं देना चाहिये। तो जब ऐसी स्थिति बनी हमने उसको समाप्त किया और यही कारण है कि अब इस प्रदेश की पुलिस फोर्स अपनी पुरानी गौरवमयी परम्परा को प्राप्त कर रही है। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, आखिर आप किसके माध्यम से काम करना चाहते हैं इस प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से ही तो आप इस प्रदेश के शासन को चला सकते हैं। इस तरह से इस प्रदेश की जो प्रशासनिक सेवायें हैं उनका सही उपयोग करने का उनको दायित्व देकर और फिर उनके ऊपर जिम्मेदारी बाँधकर हम काम करना चाहते हैं ताकि वे सही-सही काम करें। यदि इस दिशा में हम प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से इस प्रदेश के प्रशासन का स्तर ऊँचा होगा, जैसा कि अभी पिछले 8-9 महीनों में हुआ है। अध्यक्ष महोदय, विकास के क्षेत्र को लीजिये आदिवासियों के विकास के लिये यह आवश्यक है कि आदिवासियों के विकास की योजना पर उसी क्षेत्र में निर्णय लिया जाना चाहिये जिस क्षेत्र में कि आदिवासियों का विकास किया जाना है। यदि बस्तर में आदिवासियों का कोई विकास होना है और उसका निर्णय भोपाल में हो तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनका विकास होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आदिवासी क्षेत्रों में जो विकास की जिम्मेदारी ली गई है उसे प्रदेश के पाँच प्राधिकरणों में बाँटकर लिया गया है। उसमें उस क्षेत्र के सभी माननीय सदस्य रहेंगे। वे उसको गति दे सकेंगे। इस तरह से हम भी दूसरे प्रदेशों के समकक्ष हो सकेंगे।..... इसी प्रकार से आप उद्योग के क्षेत्र में देखिए। प्रदेश के अन्दर कुछ चन्द लाइसेंस देकर और बड़े-बड़े मिल मालिकों को लाकर उद्योग स्थापित करा देने से उद्योग की प्रगति नहीं होगी। इस प्रदेश में उद्योग की प्रगति के लिए आवश्यक है पावर, बिजली कार्यक्रम। बिजली के भाव में कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए शासन ने प्राथमिकता ही नहीं दी बिजली को, हर प्रकार से विद्युत उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयास किया है और मुझे भरोसा है हम इस प्रदेश में अगले 8-9 वर्षों में विद्युत

विकास के क्षेत्र में उस स्थिति में पहुँच जायेंगे जब इस प्रदेश में देश के किसी कोने से आने वाले उद्योगपति को बिजली की दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपकी कुछ नीतियाँ होनी चाहिए कि प्राथमिकता किस आधार पर रखना है, उद्योगों को केवल क्षेत्रीय संतुलन और असंतुलन के आधार पर बाँटा जाये या उन क्षेत्रीय संतुलन, असंतुलन को कायम रखते हुए उद्योगों की स्थापना में कुछ ऐसी प्राथमिकतायें रखी जायें जो उद्योगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। मैं समझता हूँ सदन इस बात से सहमत होगा कि उद्योगों की स्थापना में हम खनिज पर आधारित उद्योग, वनों पर आधारित उद्योग और कृषि उपज पर आधारित उद्योग, इन तीन वर्षों में उद्योगों को बाँटकर जहाँ जो साधन उपलब्ध हों वहाँ उस उद्योग की स्थापना की नीति बनाकर उद्योग के विकास को गति दें। सदन को बजट के समय चर्चा करने का अवसर मिलेगा। जब अलग-अलग विभागों पर चर्चा करेंगे तो इस नीति को क्रियान्वित करने के लिये शासन ने क्या योजनाएँ बनाई हैं यह मालूम होगा और आपके सुझाव उस समय आदरपूर्वक आमंत्रित करेंगे। प्रशासन तंत्र के सुधार के लिए एक यह भी आवश्यकता है कि जो प्रक्रियाएँ हैं हमारी, वह सरल और आम आदमी की समझ में आने वाली प्रक्रियाएँ बनाई जायें। इसमें सदन के किसी सदस्य का विमत नहीं हो सकता कि जो प्रक्रियाएँ आज कई क्षेत्रों में हैं वह आम आदमी, किसान के लिए, बिना पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए बहुत कठिनाई वाली हैं। इसलिए प्रयास किया है कि प्रशासन तंत्र के अधिकारी दौरे पर जाकर, स्वयं गाँवों में उन प्रकरणों की सुनवाई करें जहाँ उनको निकट से परिस्थिति देखने का अवसर मिले और जो अन्य रुकावटों की वजह से सही आदमी उन तक नहीं पहुँच सकता है उनको न्याय मिल सके। मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष है कि इस प्रक्रिया का प्रदेश में आम लोगों ने न केवल स्वागत किया है बल्कि सफल बनाने के प्रयास में रत रहे हैं। जिसका अन्दाजा इससे होगा कि 1.10.80 से 15.1.81 के बीच में 23 जिलों की जानकारी के अनुसार 1 लाख 16 हजार 960 प्रकरण इन मोबाइल अदालतों के माध्यम से तहसीलों और जिला लेबल पर निपटाये जा चुके हैं। इन मोबाइल कोर्ट को सक्षम बनाने के लिए आपके कोई सुझाव हों, देने की कृपा करें ताकि जो हमारी आपकी सम्मिलित मंशा है कि न्याय सुलभ और सस्ता हो सके, लम्बी अवधि कम की जा सके, वह पूरी हो सके। यह हमारा आपका कर्त्तव्य है उन लोगों के प्रति जो शासन, हमसे और आपसे अपेक्षा करते हैं। .....साथ ही साथ यहाँ पर यह कहना भी उपयुक्त होगा कि इस प्रदेश की विशालता को देखते हुए, इस प्रदेश की उन समस्याओं को देखते हुए, जिन समस्याओं ने अपने स्वरूप में इस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न की हैं जो विशिष्ट रूप की हैं जिनका समाधान किसी भी प्रशासन को यहाँ बैठकर करना होगा। आवागमन की सुविधाएँ बढ़ाने के लिए लोगों के बीच में जो कुछ थोड़ी-बहुत दूरी बाकी रह गई है उसको दूर करने के लिए आपस के ऐसे विवाद जो विवाद का स्वरूप नहीं ले सकते हैं, यदि हममें से कोई उनको प्रोत्साहित न करे, उस चीज के बारे में सतर्कता बरतें क्योंकि आज की स्थिति में किसी भी विषय को लेकर असंतोष पैदा कर देना, लोगों के मन में विरोध पैदा कर देना, यह बहुत आसान काम है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन इस प्रजातांत्रिक पद्धति को, प्रजातांत्रिक शासन को और इस प्रदेश के भविष्य को यदि हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हममें से प्रत्येक को, मैं अपने को भी उससे सम्बद्ध करता हूँ अपने दल के लोगों को भी उससे सम्बद्ध करता हूँ, संयम रखना होगा। आम जनता के बीच में इस बात को ध्यान में रखकर काम करना होगा कि हमारे किसी भी काम से ऐसी स्थिति का निर्माण न हो जो इस प्रदेश में असंतोष फैलाने की दिशा में आगे बढ़ती हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह शासन, हमारा दल, हमारे दल के प्रत्येक माननीय सदस्य और इस सदन के बाहर बैठे हुए भी दल के सदस्य यह चाहते हैं कि मध्यप्रदेश को उस कल्पना के अनुरूप बनाया जा सके जो इस प्रदेश के नागरिक इस प्रदेश के बारे में करते हैं। यह हमारे सौभाग्य की बात है कि मध्यप्रदेश के विकास के बारे में, मध्यप्रदेश की समस्याओं के बारे में और उन समस्याओं के समाधान खोजने की दिशा के बारे में हमें आदरणीय प्रधानमंत्री का सहयोग और संरक्षण प्राप्त है। इतना ही नहीं बल्कि इस प्रदेश के विकास को जितनी अधिक गति दी जा सके, इसकी भी उन्हें चिन्ता है। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है, हम उनकी इस भावना का पूरा-पूरा उपयोग करें। हम उनके द्वारा प्रदत्त हर सलाह और हर सहयोग

को प्राप्त कर उसको पूरा करने में अपनी ओर से कोई कसर उठाकर न रखें। मुझे पूरा भरोसा है कि यह प्रदेश उन सभी संभावनाओं को समेटे हुए निश्चित रूप से चला आ रहा है, ये संभावनाएँ यथार्थ का रूप लेंगी श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। हम जानते हैं कि हमारे सामने बहुत कठिनाइयाँ हैं लेकिन मैं विरोधी पक्ष के सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यह समय केवल चलते हुए एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का नहीं है, यह समय अनायास एक दूसरे की टाँग खींचकर गिराने का नहीं है? हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि प्रजातांत्रिक पद्धति में, प्रजातांत्रिक मूल्यों में, प्रजातांत्रिक पद्धति के उन तंत्रों में आम आदमी की विश्वसनीयता केवल इस आधार पर समाप्त कर दी जाये कि हम और आप एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहें तो किसी दिन उनके मन में यह भावना पैदा हो सकती है कि ये दोनों ही अविश्वसनीय हैं और उस दिन ऐसी ताकत आ जाये जो सही माने में प्रजातंत्र के लिए खतरा हो। उसकी जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। शासन में स्वच्छता होनी चाहिये, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिये, किसी भी अन्याय और आतंक की कार्यवाही नहीं होनी चाहिये। मैं इसको स्वीकार करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को और इस प्रदेश की जनता को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि किसी भी राग-द्वेष में न पड़कर, किसी के भी दबाव में न पड़कर यह शासन अपनी पूरी शक्ति और सक्षमता के साथ.... इस प्रदेश के अंदर एक उत्तरदायी, एक प्रगतिशील और इस प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई सरकार देना चाहता हूँ। जो सरकार न केवल उन आकांक्षाओं की पूर्ति करे, जिन आकांक्षाओं को संजोकर, उस आस्था को व्यक्त किया है, इस प्रदेश की जनता ने श्रीमती गांधी के प्रति, बल्कि जो सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इस प्रदेश की करोड़ों जनता को दिए गए वचन को कार्यरूप में परिणित कर सके। आपके सहयोग से, आप सबके समर्थन से वह कार्य हम करना चाहते हैं। आपका सहयोग, समर्थन मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ और अपनी ओर से केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सब सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकर्त्ता हैं। किसी के बारे में, कोई बात आसानी से कह देना, भाषण के लिए मसाले के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन जब उसे कसौटी पर कसने की कोशिश करेंगे, जिस कसौटी पर आज नहीं आज से आने वाले 25 वर्षों में हम और आप सब कसे जाएँगे, उस समय आपको एक क्षण रुक कर विचार करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, हम उसकी निंदा, हम उसको कंडेम तभी करें, जब यथार्थ में किसी प्रकार का प्रमाण हो। मैं इसलिए मजबूर हुआ कि आदरणीय शीतला सहाय जी ने अपने भाषण की शुरुआत में कुछ ऐसी टिप्पणियाँ कीं, जिनका मैंने उस समय प्रतिकार नहीं किया। सामंतवादी युग आ गया है, सामंतों का राज्य हो गया है और न जानें क्या-क्या वे कह गए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह बात पहले कई दफे कह चुका हूँ, सामंतवाद कोई बपौती से आई हुई चीज नहीं और जो लोग सामंतवाद को बपौती से आई हुई चीज मानते हैं मेरा मत है कि वे स्वयं सामंतवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। सामंती दृष्टिकोण वह है, जो किसी समाज के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अवसरों का उपयोग शासन के लिये, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने स्वयं की कुत्सापरस्ती के लिए किया जाये, वह है सामंतवादी स्वरूप। मैं माननीय विरोधी दल के सदस्यों और अन्य सभी को इस बात की चुनौती देता हूँ कि 1957 से 1981 तक अगर एक भी प्रकरण इसका साबित कर सकें, जहाँ मैंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने परिवार के लाभ के लिए, किसी प्रकार का जो हमको अधिकार मिले थे, उनका उपयोग किया हो, तो आपको मुझे कभी देखने की नौबत नहीं आएगी। इस बात को हल्के तरीके से सदन में कह देना, निश्चित रूप से इस प्रदेश और जनता के बीच इस प्रकार का भरमक प्रचार करना हम सब के लिए शोभनीय नहीं है। अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें इस बात का गौरव प्राप्त है कि देश को ऐसा नेतृत्व मिला है जो विषमताओं की आग में तपा है, जो चुनौतियों के बीच में और ऐसी प्रखर चुनौतियों, जिन्होंने कि बड़े-बड़े राष्ट्रों को घुटने टेकने को मजबूर किया है, उन चुनौतियों के बीच से एक प्रज्वलित मसाल की तरह से आगे ले चलने में सक्षम है और जिसके अंदर कल्पना है, समूचे भारतवर्ष की, उसकी प्रगति की, उसकी कठिनाईयों की, सही रूप में उत्थान के रास्ते पर उचित स्थान पर ले जाकर बैठाने की ऐसे महान नेतृत्व के मार्ग पर सिपाही की हैसियत से हम सब लोग अपना कार्य करें। निश्चित रूप से न केवल हम इस सदन के प्रति अपना उत्तरदायित्व पूरा करेंगे, बल्कि इस प्रदेश के करोड़ों नागरिकों के प्रति अपने उत्तरदायित्व

का निर्वहन करेंगे। इस निर्वहन के लिए मैं सभी माननीय सदस्यों के सहयोग का आव्हान करता हूँ।

अध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत ज्ञापन प्रस्ताव में जितने संशोधन प्राप्त हुए है, उन सब पर एक साथ ही मत ले लिया जाये।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव में प्राप्त समस्त संशोधन स्वीकृत किये जायें।

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश विधानसभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री नन्दराम बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मैं करना चाहूँगा मेरी जिज्ञासा भी है पूरा भाषण सदन के नेता का हुआ, प्रस्ताव पास हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक घंटे तक आपने भाषण में मार्क किया होगा कि पूरे भाषण के दौरान प्रतिपक्ष के नेता अनुपस्थित रहे हमारी यह भावना आप उन तक पहुँचा दें।

अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता जी किसी कार्य के कारण मुझे लिखकर दे गए हैं कि वे उपस्थित नहीं रह पायेंगे मैं स्वयं सब काम छोड़कर उपस्थित हुआ हूँ लेकिन दुख की बात यह है कि जब सदन के नेता बोल रहे थे उस समय मंत्रिमंडल के कई मंत्री उपस्थित नहीं थे, यह उचित नहीं है। मुझे खेद इस बात का है कि जब सदन के नेता बोलते हैं या विपक्षी नेता बोलते हैं तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझ कर यहाँ उपस्थित रहने का प्रयास करता हूँ तो दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों को भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिये।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/6 मार्च, 1981, पृष्ठ/ 674-680)

रायसेन जिले के चिकलौद ग्राम की वनभूमि की बिक्री के सम्बन्ध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। इस विषय पर मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि वे कल इस पर वक्तव्य देंगे और इसे चर्चा के लिए ग्राह्य करते हुए समय निर्धारित किया जाना चाहिए—

सर्वश्री श्रीनिवास तिवारी (त्योंथर), रमाशंकर सिंह, मोतीलाल वोरा, अच्युतानन्द मिश्र, चित्रकान्त जायसवाल, रामचन्द्र वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 128 (1) के अधीन राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान निम्न अविलम्बनीय सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वे इस पर अपना वक्तव्य देने का कष्ट करें। विषय इस प्रकार है—

रायसेन जिले के चिकलौद ग्राम की 22 सौ एकड़ वन भूमि को 23 विक्रय संविदाओं के माध्यम से विभिन्न प्रभावकारी व्यक्तियों को श्रीमती साजिदा सुल्तान द्वारा बेचने से जनमानस में काफी असंतोष तथा विक्षोभ का प्रादुर्भाव हुआ है। क्योंकि 20 जनवरी 1981 को म.प्र. गैर-कृषि भूमि सीमा बन्दी अध्यादेश शासन द्वारा लागू किया गया। जबकि इसके दो माह पूर्व ही 22 सौ एकड़ वन भूमि का विक्रय 26 नवम्बर, 1980 को ही कर दिया गया, स्पष्ट है कि अध्यादेश के बारे में विक्रेता को पूर्व सूचना हो चुकी थी। 10 हजार रुपये प्रति एकड़ वाली भूमि को 116 रुपये प्रति एकड़ में बेचा जाना अपने आप में बेनामी विक्रय का प्रमाण है तथा पंजीयन अधिकारी ने भी इतने कम मूल्य में पंजीयन कर शासन को हानि पहुँचाई है। वन भूमि के इस विक्रय में करोड़ों रुपये की हेराफेरी की आशंका है। कुल मिलाकर इस घटना से लोगों में अत्यन्त रोष व क्षोभ व्याप्त है।

श्री टुमनलाल (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि श्रीमती साजिदा सुल्तान बेगम, भोपाल द्वारा उनकी जिला रायसेन, ग्राम चिकलौद के कोठी के पास की 2206-51 एकड़ भूमि बम्बई, आगरा, इन्दौर, भोपाल आदि के 23 व्यक्तियों को औसतन 125 रुपये प्रति एकड़ की दर से बेची गई है। क्रेतागण प्रभावशील व्यक्ति हैं, इसकी जानकारी नहीं है। यह भी सही नहीं है कि विक्रय से जनमानस में काफी असंतोष तथा क्षोभ का प्रादुर्भाव

हुआ है। यह भूमि 27-11-1980 से 2-12-1980 की अवधि में बेची गई है। म.प्र. अकृषक जोत उच्चतम सीमा अध्यादेश 1981 दिनांक 29-1-1981 से प्रभावशील हुआ है। अतः अध्यादेश प्रभावशील होने के पूर्व ही भूमि बेची जाने के कारण यह कहना सही नहीं है कि कानून से बचने के लिये यह भूमि बेची गई है। इस अध्यादेश की गोपनीयता के बाबत शासन स्तर पर पूर्ण सतर्कता रखी गई।

गत 2 वर्ष की रजिस्ट्रियों के आधार पर प्रशासनाधीन भूमि का मूल्य रु. 1611/- प्रति एकड़ है। बहुमूल्य वन की भूमि होने के कारण इसका मूल्य और अधिक हो सकता है। बिक्री मूल्य कम प्रतीत होने के कारण उपपंजीयक गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा इन सभी पंजीकृत विक्रयों को स्टेम्प एक्ट की धारा 47 (क) के अन्तर्गत प्रकरण कायम करने के लिये कलेक्टर ऑफ स्टेम्पस रायसेन को भेजे गये हैं। वहाँ इन प्रकरणों को कायम कर विधिवत कार्यवाही की जा रही है वैसे भी शासन स्तर पर इस भूमि के वृक्षों की कटाई तथा निकासी पर रोक लगाई जाने के कारण यहाँ की वन सम्पदा नष्ट होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जनता में किसी प्रकार का रोष, आक्रोष व्याप्त नहीं है शासन पूरी तरह सजग है तथा विधिवत उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री श्रीनिवास तिवारी : अध्यक्ष महोदय, क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन 23 रजिस्ट्रियों के माध्यम से भूमि विक्रय की गई उसमें एक रजिस्ट्री में कितनी-कितनी भूमि विक्रय की गई?

श्री टुमनलाल : बहुत लम्बी सूची है अध्यक्ष महोदय।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : पढ़ दीजिए।

श्री श्रीनिवास तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सूची तो बाद में पढ़ेंगे। मेरा एक पाइन्टेड सवाल है कि जो 23 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं उनमें प्रत्येक में भूमि कितनी-कितनी "इनवाल्व्ड" है। क्या 100 एकड़ से भूमि कम विक्रय हुई है?

श्री टुमनलाल : अध्यक्ष महोदय, रजिस्ट्रियाँ अलग-अलग नामों से विक्रय हुईं उनके नाम अलग-अलग बतलाना संभव नहीं है।

श्री श्रीनिवास तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि और इसलिए पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि उन्होंने अपने वक्तव्य में यह बात कही है कि उनकी पूर्व सूचना इस अध्यादेश की नहीं हो सकती थी क्योंकि इस सम्बन्ध में शासन सतर्क था। तो फिर क्या कारण हैं कि जो रजिस्ट्रियाँ की गई हैं 23 क्या इनमें प्रत्येक में 100 एकड़ से कम भूमि ही इन्वाल्व है?

श्री टुमनलाल : अध्यक्ष महोदय, जी हाँ।

श्री श्रीनिवास तिवारी : अध्यक्ष महोदय, जब यह अध्यादेश प्रख्यापित हुआ उसके पूर्व ये रजिस्ट्रियाँ जिनमें कि 100 एकड़ से कम भूमि की रजिस्ट्रियाँ की गईं इसकी पूर्व जानकारी उन्हें थी। क्या राजस्व मंत्री जी इसकी जाँच करायेंगे और कि उस अध्यादेश की उन्हें पूर्व सूचना थी या नहीं या कोई अधिकारी इसमें इन्वाल्व्ड है या नहीं है?

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की यह चिन्ता स्वाभाविक है जो उन्होंने व्यक्त की है। मैंने यह जानकारी अभी प्राप्त की है कि इस अध्यादेश के बारे में कार्यवाही अलग-अलग स्तर पर कैसे की गई, कब की गई? क्योंकि यह अध्यादेश ऐसा था जिसका पूर्व अनुमोदन भारत शासन से आवश्यक था। अभी तक जो कुछ मेरे पास जानकारी है उस आधार पर यह मानने के लिये कोई आधार नहीं है कि इस अध्यादेश के बारे में कहीं भी, शासन के स्तर पर किसी प्रकार से जानकारी बाहर की गई है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में, जो चिकलौद के खरीद-फरोख्त का है, इसके संयोग को देखते हुए आवश्यक कि इस विषय में पूरी जानकारी लेकर अपने को आश्वस्त कर लूँ कि इस तरह की घटना हुई है या नहीं? मैं निश्चित रूप से इस बात की जानकारी करूँगा और उसके निष्कर्ष से सदन को अवगत कराऊँगा।

श्री श्रीनिवास तिवारी : इसके साथ ही साथ क्या राजस्व मंत्री या मुख्यमंत्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि जिस तारीख को यह अध्यादेश लागू हुआ, अब यह विधेयक की शक्ल में आ गया है और यह कानून का रूप फिर से ले, तो क्या यह 6 महीने या साल भर पहले जो रजिस्ट्रीज हुई थीं उनको निरस्त करने की कार्यवाही करेंगे, कानून में संशोधन लाकर?

अध्यक्ष : क्या आप चाहते हैं ऐसा?

श्री श्रीनिवास तिवारी : मुख्यमंत्री जी ने कहा संयोग को देखते हुए इसकी जाँच फिर से करायेंगे कि कहाँ किस प्रकार से घटना घटी है। राजस्व मंत्री ने स्वीकार किया है जमीन का मूल्य ज्यादा है, रजिस्ट्री कम की हुई है। यह भी संयोग हो गया कि जिस समय अध्यादेश जारी हुआ उसके एक महीना पहले रजिस्ट्री हुई। यह भी संयोग हो गया कि उतने ही एकड़ की रजिस्ट्री हुई जितनी की बंदिश लगाई गई। तो सारे संयोगों को देखते हुए क्या शासन आवश्यक नहीं समझता है कि हम इसको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करें ताकि जो इसमें घोटाले हुए हैं वह सामने आ जाये और वह पूर्वानुसार हो जायें? क्या शासन इस पर विचार करेगा?

श्री अर्जुनसिंह : इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सदन इस विधेयक को पारित करेगा उस समय सदन के सामने उस बात को रखकर पारित कर दिया जायेगा।

श्री श्रीनिवास तिवारी : सदन पारित करेगा, यह ठीक है शासन की तरफ से क्या इस तरह का संशोधन आयेगा?

श्री अर्जुनसिंह : मुझे कोई एतराज नहीं है। सदन जब विचार करेगा तो इस तरह से पारित किया जायेगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आपके शासन के स्तर पर वह कौन-सी तारीख थी, कौन सा (पहला दिन) था जिस दिन आपने अध्यादेश लागू करने की कार्यवाही का विचार किया? इसके बाद भारत सरकार से अनुमति ली?

श्री अर्जुनसिंह : मैं चाहता था उस जाँच के पश्चात् तारीख देता लेकिन विरोधी दल के नेता चाहते हैं तो दे रहा हूँ।

अध्यक्ष : जाँच चल रही है, उसके बाद आवश्यकता समझी है तारीख की।

श्री सुन्दरलाल पटवा : जाँच चल कहाँ रही है, जाँच करने के लिए कह रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : सर्वप्रथम इस प्रश्न पर मंत्रिमंडल में दिनांक 25-9-80 को वन विभाग की समीक्षा करते समय विचार किया। तदुपरांत मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 3-11-1980 में निजी स्वामित्व पर खड़े जंगलों को अधिगृहीत करने के बारे में एक नया अधिनियम बनाकर प्रस्तुत करने पर विचार हुआ था। तदनुसार विधि विभाग को अधिनियम का प्रारूप बनाकर परीक्षण करने के लिये दिनांक 6-11-1980 को प्रकरण भेजा गया था। दिनांक 17-11-1980 को विधि विभाग ने इस प्रकरण को वापिस भेजा और मंत्रिपरिषद ने दिनांक 25-11-1980 को यह निर्णय लिया कि विधि विभाग ने जो प्रारूप तैयार किया है उसे भारत शासन को भेजकर उनकी अभिस्वीकृति प्राप्त की जाये। तदनुसार विधि विभाग की राय से दिनांक 6 दिसम्बर, 1980 को भारत शासन को पत्र भेजा गया। भारत शासन की अभिस्वीकृति दिनांक 17-1-1981 को प्राप्त हुई। राष्ट्रपति की अनुमति कि अध्यादेश जारी हो, भारत शासन के पत्र दिनांक 17-1-1981 द्वारा प्राप्त हुई। तत्पश्चात् आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त अध्यादेश दिनांक 29-1-1981 को प्रख्यापित किया गया।

श्री सुन्दरलाल पटवा : क्या इस प्रकार वन भूमि के विक्रय में, विक्रय के पहले कलेक्टर की स्वीकृति आवश्यक है? यदि कलेक्टर की स्वीकृति आवश्यक है तो क्या इस प्रकरण में कलेक्टर की स्वीकृति ली गई है?

डॉ. टुमनलाल : अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। कोई जमीन बेचे तो बाकायदा उसकी रजिस्ट्री हो जाती है।

श्री चित्रकान्त जायसवाल : जो मुख्यमंत्री जी ने तिथियाँ बताई हैं और जो विक्रय की तिथियाँ हैं उससे इसकी गंभीरता और भी बढ़ जाती है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि ऐसे सब लोग जो उसकी चपेट में आ सकते हैं, जो जाँच में दोषी पाये जायेंगे, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और क्या वह जाँच रिपोर्ट विधानसभा सत्र समाप्त होने के पहले सदन के सामने आ जाये, ऐसी वे कोशिश करेंगे?

श्री अर्जुनसिंह : जो जाँच की कार्यवाही की जा रही है, वह इसीलिये की जा रही है कि उसकी रिपोर्ट विधानसभा का सत्र समाप्त होने के बहुत पहले ही इस सदन में आ जाये।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : इस प्रकार जो चिकलोद का केस हुआ है, मध्यप्रदेश के बहुत से राजा-महाराजाओं के पास इसी प्रकार की वन भूमि थी, उन्होंने वन भूमि बेचकर पैसा कमाया है क्या उनकी भी आप जाँच करवा लेंगे?

श्री अर्जुनसिंह : जो प्रकरण सामने आये उसकी जाँच करवा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सबकी जाँच करवायें आप नाम बताइये, स्थान बताइये, कुछ संकेत तो हों।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : इस प्रकार फारेस्ट में हमारे मध्यप्रदेश के जो राजे-महाराजे हैं उनकी हजारों एकड़ भूमि है, उसकी जाँच होनी चाहिये।

श्री रमाशंकर सिंह : 25-9-80 को पहली बार मंत्रिपरिषद् के सामने यह विचार हुआ कि ऐसा अध्यादेश लागू किया जाये। मेरा प्रश्न यह है कि रजिस्ट्री कौन-सी तारीख की हुई है?

डॉ. टुमनलाल : अभी बताया अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष : पहली रजिस्ट्री किस तारीख को हुई?

डॉ. टुमनलाल : स्टेटमेंट में उसका उल्लेख है।

अध्यक्ष : क्या आप यह कहना चाहते हैं कि केबिनेट में चर्चा हुई, उसके बाद रजिस्ट्री हुई?

श्री रमाशंकर सिंह : श्रीमान, कथन स्पष्ट है। मंत्रिपरिषद में चर्चा करने की तुरन्त सूचना दे दी गई है।

श्री अर्जुनसिंह : मुझे घोर आपत्ति है माननीय सदस्य के कथन पर, माननीय मंत्री क्या किसी भी सदस्य के बारे में इस प्रकार कहना, मैं नहीं समझता कि इस प्रकार कहकर आप अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री विक्रम वर्मा : एक मंत्री के पुत्र के नाम से बेनामी विक्रय है, वह बम्बई के नगीन शाह के माध्यम से हुआ है।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य को सखलेचा जी के पुत्र का नाम याद आ गया।

डॉ. टुमनलाल : 27-11-80, 2-12-80।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, नाम नहीं बताए गए। जिन-जिन लोगों के नाम रजिस्टर्ड हुए, उन 23 लोगों के नाम।

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि उन्होंने स्थान बता दिया, जिनसे यह सम्बन्धित हैं। मेरा यह निवेदन है कि 23 नाम पढ़ने में 4 मिनट लगेंगे। मंत्री जी उनका नाम बता दें, पता व स्थान तो बता दिए।

अध्यक्ष : यदि आप नाम जानने पर जोर दे रहे हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रमाशंकर सिंह : श्रीमान, बिना नाम के काम नहीं चलेगा।

अध्यक्ष : राज्यमंत्री की ओर इशारे करते हुए (नाम बता दीजिए) तो तारीख तो आ चुकी है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, सदन का समय बचे, इसलिए यह पूरी जानकारी मैं पटल पर रख देता हूँ, जिनमें सूची व स्थान हैं।

श्री विक्रम वर्मा : सदन का समय बचे तथा साथ ही इस प्रदेश की वन-सम्पदा भी बचे, इसलिए आप नाम भी बता दें। (व्यवधान)

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो कार्यसूची बाँटी गई थी, उसमें बारना डेम से सम्बन्धित बाँध में पानी रिसने तथा नर्मदा में बाढ़ आने का मामला है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। इसे क्यों विलोपित किया जा रहा है।

श्री रामचन्द्र बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, वन भूमि से लकड़ी न काटी जाये, इस सम्बन्ध में आदेश किस तारीख को हुए। जो जर्मीन बच गई है, उस वन भूमि में वहाँ अभी भी वृक्ष खड़े हुए हैं क्या?

डॉ. टुमनलाल : तारीख नहीं बता पाऊँगा।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि लकड़ी का काटना रोक दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, बहुत साफ है, ऐसे आदेश कब हुए? जानकारी देनी चाहिए।

अध्यक्ष : (डॉ. टुमनलाल की ओर इशारे करते हुए) तारीख बता सकेंगे?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, वन विभाग के जो वन मण्डलाधिकारी थे, उन्होंने अनुशंसा की थी जर्मीन में खड़े झाड़ के बारे में, वह परमीशन नहीं दी गई। वह किसी तारीख में नहीं दी गई।

डॉ. टुमनलाल : अभी नहीं बता पाऊँगा।

डॉ. गौरीशंकर शेजवार : अध्यक्ष महोदय, उस लकड़ी का मूल्य कितना होगा, क्या अंदाजन बता सकेंगे मंत्री जी।

डॉ. टुमनलाल : यह फारेस्ट डिपार्टमेंट वाले बता सकते है।

श्री चित्रकान्त जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इस बात से सहमत है कि लकड़ी का मूल्य बहुत

है इसलिए लकड़ी काटने को रोकने का आदेश दिए। वे यह बता दें कि लकड़ी 5 रु., 10 रु. हजार, लाख या करोड़ की थी, जिसकी वजह से यह आदेश हुए?

डॉ. टुमनलाल : इसका सर्वेक्षण नहीं कराया गया है, इसलिए बताना सम्भव नहीं है।

श्री चित्रकान्त जायसवाल : ऐसे आदेश देने का क्या आधार था उनके पास?

डॉ. टुमनलाल : वन विभाग वालों ने लकड़ी न काटने के सम्बन्ध में मंजूरी माँगी थी, इसलिए आदेश दिया गया था।

श्री चित्रकान्त जायसवाल : लकड़ी का कितना मूल्य था, वन विभाग के लोगों ने सूचित किया है?

डॉ. टुमनलाल : इसका सर्वेक्षण नहीं किया गया। इसलिए लकड़ी की क्वान्टिटी पर उसका मूल्य तय होता है।

श्री श्रीनिवास तिवारी : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई आदेश में दिया है कि कितने मूल्य की लकड़ी है?

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उक्त भूमि पर खड़े हुए वृक्षों को काटने की अनुमति दो रूपों के रूप में क्रमशः 16-4-79 व 19-9-79 को जिलाध्यक्ष भोपाल के न्यायालय में पंजीबद्ध किये गये, दिनांक 19-9-79 के प्रकरण में वन मण्डलाधिकारी भोपाल की ओर से अनुमति अनुशंसा दिनांक 29-3-80 को की गई लेकिन इसके बावजूद अनुमति नहीं दी गई। अब रह गई दिनांक की बात कि किस दिनांक को नहीं दी गई, आदेश क्यों हुए तो उस आदेश की प्रति सदन में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

श्री श्रीनिवास तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी द्वारा जो सूचना दी गई है वह 1979 की है, रजिस्ट्री होने के बाद लकड़ी काटी गई या नहीं? लकड़ी काटने की परमीशन का कागज आया तो अनुमति दी गई कि नहीं? वे कौन-सी तारीख है वह पूछ रहा हूँ, यह तो 1979 का उत्तर दिया है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, 1979 का उत्तर मैं जानबूझकर नहीं दे रहा हूँ। उसी भूमि को जिसको बेचा गया है पहले से ही उस भूमि की लकड़ी काटने की अनुमति दूसरे के नाम से चाही गई थी जिनकी जमीन थी, क्योंकि वे चाहते थे कि लकड़ी काट ली जावे तत्पश्चात् इसको बेचा जावे लेकिन वही जब अनुमति नहीं दी गई तो अब काटने का सवाल कहाँ उठता है।

श्री श्रीनिवास तिवारी : अध्यक्ष महोदय, रजिस्ट्री हो जाने के बाद लकड़ी काटने की अनुमति दी गई कि नहीं या माँगी गई थी कि नहीं?

डॉ. राजेन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ ऑर्डर है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम 138 (2) की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिसके तहत सिर्फ एक प्रश्न पूछने की बात है लेकिन यहाँ 3-4 प्रश्नों के पूछने की अनुमति आप दे रहे हैं।

अध्यक्ष (मुख्यमंत्री से) : ये इतना पूछना चाहते हैं कि रजिस्ट्री होने के बाद उनके द्वारा क्या वृक्ष काटने की अनुमति चाही गई थी?

डॉ. टुमनलाल : नहीं माँगी।

श्री चित्रकान्त जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, नियमानुसार जिस जमीन के वृक्ष काटने की अनुमति माँगी जाती है उसके बारे में स्पेसिफिकेशन दिया जाता है कि किसके द्वारा अनुमति माँगी गई है जिस लकड़ी को काटने की अनुमति चाही गई है वह जलाऊ लकड़ी है या इमारती लकड़ी है क्योंकि इसका स्पेसिफिक विवेचन होता है विवेचन के पश्चात् यह तय किया जाता है कि परमीशन दी जाये कि नहीं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि 2200 एकड़ क्षेत्र के वृक्ष काटने की क्या अनुमति माँगी गई है और क्या उसमें लिखा था कि वह लकड़ी जलाऊ है या इमारती उसमें इस 2200 एकड़ भूमि का जिक्र है कि नहीं?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, दो प्रकार के प्रकरण हैं उनको एक दूसरे से कन्फ्यूस न करें। भूमि वही है उसके वृक्ष काटने की अनुमति चाही गई थी, फारेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा 28-3-80 को इस हेतु अनुशंसा करने के बावजूद उनको शासन ने अनुमति प्रदान नहीं की। वह प्रकरण क्यों रिजेक्ट किया गया यह जानकारी मैं बाद में सदन में दे दूँगा। जहाँ तक इस प्रकरण के क्रेताओं का सवाल है उन्होंने अनुमति माँगी ही नहीं तो देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री

से जानना चाहूँगा कि चूँकि यह विक्री रजिस्ट्री बहुत स्वाभाविक हुई है ऐसा नहीं लगता है, बम्बई, आगरा, दिल्ली के उद्योगपति इसमें है, भूतपूर्व बेगम, नवाब बेचने वाली हैं, बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं इससे आभास यह मिलता है कि आपके मंत्रीपरिषद में जब इस प्रकार के आर्डिनेन्स पर विचार प्रारम्भ हुआ उसके बाद यह खरीद-फरोख्त हुई है, इस प्रकार से आपकी मंत्रिपरिषद से लीक होकर उनको लाभ पहुँचाने के लिये गड़बड़ हुई है यह आशंका होती है। आप जाँच करवाना चाहते हैं इसलिये आपसे आग्रह करूँगा कि स्पष्ट जाँच हो, आशंकाएँ घर न करें इसके लिये क्या आप उचित मानेंगे और क्या इस बात को स्वीकार करेंगे कि माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सदन के सदस्यों की एक कमेटी बने और सारे प्रकरण की जाँच करे।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष : ऐसे मामले में क्या अध्यक्षता जरूरी है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : यदि आप इनवाल्व न होना चाहें तो सदन की एक कमेटी बने और जाँच करे और तथ्य निकाले, क्या आप इस बात को स्वीकार करने की स्थिति में हैं?

श्री अर्जुनसिंह : जाँच किस प्रकार से हो, इसका निर्णय तो शासन करेगा, इसमें आपके सुझाव पर विचार करेंगे।

श्री मोतीलाल वोरा : माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्बन्धित प्रकरण पर जाँच करने का आश्वासन दिया है, मैं केवल एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या पंजीयक ने इस बात की तहकीकात नहीं की थी कि चिकलोद के आसपास की वन भूमि या अन्य भूमि की कीमत 116 रुपये प्रति एकड़ है, उस पंजीयक के विरुद्ध भी क्या कार्यवाही शासन ने की है। 116 रुपये प्रति मीटर में कपड़ा भी नहीं मिलता है, परन्तु 116 रुपये प्रति एकड़ में पंजीयक ने रजिस्ट्री कर दी है। क्योंकि पंजीयक रजिस्ट्री करता है तो वह आसपास की जमीन की कीमत का अपने पास में हिसाब रखता है। तो उस पंजीयक ने इस बात का हिसाब-किताब नहीं रखा और आँख मूँदकर रजिस्ट्री कर दी, क्या राजस्व मंत्री जी इसकी भी जाँच करायेंगे।

डॉ. टुमनलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी दे दूँ। उप पंजीयक गोहरगंज, जिला रायसेन ने भूमि का मूल्य कम दिखाकर रजिस्ट्री किये जाने की रिपोर्ट कलेक्टर ऑफ स्टेम्प, रायसेन को की और डिक्री की गई। इससे स्पष्ट है। इस प्रकार कोई प्रतिबन्ध नहीं है ..... (व्यवधान)

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, शासन के खजाने में जबरदस्त नुकसान हुआ और उस पंजीयक ने 116 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से रजिस्ट्री कर दी। इसके बाद ही कलेक्टर को खबर दी गई। क्या पंजीयक महोदय के सामने पूरा उस क्षेत्र की जमीन का खाका नहीं था और यदि था तो क्या पंजीयक ने जानबूझकर या किसी के दबाव में आकर इसकी रजिस्ट्री की।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो एक स्पष्ट नियम का विषय है कि किसी भी पंजीयक के सामने एक रजिस्ट्री करने का डाकूमेंट पेश किया जाये तो उस डाकूमेंट के आधार पर रजिस्ट्री करे या न करे। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो डाकूमेंट जितनी कीमत बताई जाये, उस हिसाब से रजिस्ट्री में स्टेम्प हैं या नहीं यह देखना है। यदि कम हैं तो रोक सकता है, लेकिन जितनी कीमत बताई गई है उतने स्टेम्प हैं, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, रजिस्ट्रार उसे रोक नहीं सकता। उसके बाद वह कार्यवाही शुरू कर सकता है, और वह कार्यवाही उस रजिस्ट्रार ने की है। इसलिए मैं नहीं समझता कि उनके बारे में कहा जाये कि उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभायी।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, भूमि का रिकार्ड दो विभाग रखते हैं, एक रेवेन्यू विभाग दूसरा वन विभाग। मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह जो भूमि जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, वह वन विभाग के रिकार्ड में थी या राजस्व विभाग के रिकार्ड में थी।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में जानकारी लेकर ही उत्तर दिया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री अच्युतानन्द मिश्र : यदि कम पैसे में जमीन की रजिस्ट्री किसी को कर दी जाती है और यह बात जैसे ही राज्य शासन के नोटिस में आती है वैसे ही राज्य शासन क्रेता और विक्रेता दोनों को नोटिस देता है कि हम इस जमीन को 15 प्रतिशत ज्यादा मूल्य देकर खरीदना चाहते हैं, खरीदने को तैयार हैं और तुम्हारी बिक्री निरस्त की जाती है।

जब शासन को अधिकार है कि 15 प्रतिश देकर सारी जमीन क्रय कर ले तो जैसे ही अधिकारियों, राज्य शासन को सूचना मिली तो जब यह अध्यादेश जारी नहीं हुआ था तो क्या इसके पहले इस तरह की कार्यवाही हुई यदि कार्यवाही नहीं हुई तब तो लम्बा-चौड़ा घोटाला है।

डॉ. दुमनलाल : पिछले तीन साल की रजिस्ट्री आदि हैं उसके मुताबिक नोटिस दिया है कि खरीददारी जो वैल्यू है उससे कम है इसलिए इतनी राशि स्टेम्प ड्यूटी के रूप में पटाना चाहिए ऐसी पंजीयक ने कार्यवाही की है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को आपका संरक्षण चाहिये। ऐसा कानून है, प्रावधान है, ऐसा मिश्रजी ने कहा तो कौन-सा कानून है, कौन-सी धारा है यह बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें घोटाला मालूम होता है ऐसा उल्लेख किया है तो क्या यह सदन की कार्यवाही संचालन में सहायक है? वे लैंड रेवेन्यू कोड का कोई प्रावधान बता दें, सिर्फ कानून कहने से काम नहीं चलेगा। (व्यवधान)

श्री विक्रम वर्मा : माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन को गलत जानकारी दी है। इन्दौर में कम मूल्य पर रजिस्ट्री हुई है। अगर रजिस्ट्रार को लगे कि कम मूल्य पर रजिस्ट्री कर रहे हैं तो कलेक्टर को रेफर किया जा सकता है और रोक सकते हैं। (व्यवधान)

श्री भूरेलाल फिरोजिया : किस तारीख को ट्रांसफर हुआ।

श्री परशुराम सिंह भदौरिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ये रमाशंकर सिंह जी गाली दे रहे हैं, अभी गाली दी है आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं?

अध्यक्ष : जो बातें मैं नहीं सुन पाया उस पर मैं अभी कार्यवाही नहीं कर सकता। आप लिखकर दे दीजिये।

श्री रमाशंकर सिंह : माननीय विरोधी दल के नेता ने सुझाव दिया है कि सदन की समिति द्वारा जाँच हो। यह सदन को अधिकार है, सत्ताधारी दल के लोग आरोप लगा रहे हैं, वे तो पक्ष के दल के लोग हैं तो मैं आपसे व्यवस्था चाहूँगा कि क्या यह उपयोगी नहीं होगा कि ..... (व्यवधान)

श्री परशुराम भदौरिया : अभी हाल में गालियाँ दी हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष : मैंने बता दिया है।

श्री परशुराम भदौरिया : इसका निर्णय होना चाहिये। इन्होंने मुझे गालियाँ दीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री परशुराम भदौरिया : गालियाँ देना स्वीकार किया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष : पहली बात तो यह है कि अपना प्रिविलेज रिश्तेदारी के हिसाब से मानते हैं तो मुंझे सारे रिश्तेदारों का रिकार्ड रखना होगा।

श्री अर्जुनसिंह : उसमें बड़ी दिक्कत पड़ जायेगी।

अध्यक्ष : मेरे लिये संभव नहीं है। इस तरह अच्छे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, साले, बहनोई के भी हो सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको ज्यादा गालियाँ दी हैं तो आप लिखकर दे दें।

श्री विक्रम वर्मा : वारना पर स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें आपकी अनुमति हो तो दो मिनट।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैंने बारना के विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए एक पत्र लिखा है। उसके साथ ही यह गंभीर मामला है कि राज्य शासन बारना की स्थिति पर वक्तव्य दे और उस वक्तव्य की सहायता से चर्चा करने का मौका मिले। मेरी निजी जानकारी के अनुसार यह गंभीर मामला है। पता नहीं कि इसकी मरम्मत हो पायेगी या नहीं या क्या होता है?

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल के नेता से पूर्णतः सहमत हूँ। सदन में कल इस विषय पर अपना वक्तव्य दूँगा और आपसे अनुमति चाहूँगा कि उस पर चर्चा ग्राह्य करते हुए आप समय निर्धारित करें।

अध्यक्ष : मैं चर्चा करके समय निर्धारित कर लूँगा। (व्यवधान)

(म.प्र. विधानसभा कार्यवाई/9 मार्च, 1981, पृष्ठ/ 710-716)

बारना बाँध की रिसन के कारण पानी खाली किये जाने और उससे उत्पन्न संकट के विषय पर नियम 139 के अंतर्गत चर्चा हुई। प्रतिपक्ष के नेता श्री सुन्दरलाल पटवा ने अनेक प्रश्न उठाये। इस पर मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने कहा कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन्हें दलगत राजनीति से परे समझना चाहिए। चर्चा इस प्रकार है—

सभापति : अब बारना बाँध के रिसन के कारण पानी खाली किये जाने तथा उससे उत्पन्न संकट के विषय में श्री सुन्दरलाल पटवा नियम 139 के अन्तर्गत चर्चा करेंगे।

श्री अच्युतानन्द मिश्र (मऊगंज) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभापति महोदय, इसी प्रश्न पर आज ही इस विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा हो चुकी है और उस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह घोषणा की है कि इस घटना की न्यायिक जाँच होगी और उस पर हाउस ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि यदि यह प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण में अन्तर हो तब तो इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन इस प्रस्ताव में और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कोई अन्तर नहीं है। इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती है। इसके लिए आपका ध्यान नियम 241 की ओर आकर्षित करूँगा और निवेदन करूँगा कि आप इस पर अपना निर्णय दें।

241. किसी प्रस्ताव में कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिये जो सारतः उस प्रश्न के समान हो जिस पर सभा उसी सत्र में विनिश्चय कर चुकी हो।

इसी तरह से माननीय सभापति महोदय, कौल एण्ड शकधर की किताब में भी इसका उल्लेख है— "प्रस्तावों की पुनरावृत्ति तथा उसका वापस लिया जाना। प्रस्तावों के सम्बन्ध में सामान्य नियम यह है कि किसी प्रस्ताव के माध्यम से सारतः वैसा ही प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिये जिसके सम्बन्ध में उसी सत्र में सभा ने कोई फैसला कर दिया हो।" सभापति महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में लोकसभा का एक ऐसा ही मेटर 8-12-1955 का देखा है। उसमें इसका पूरी तरह से उल्लेख है। इसलिए सभापति महोदय, मैं निवेदन करूँगा कि हमारे माननीय विपक्ष के नेता संसदीय प्रणाली से विज्ञ हैं। इसलिए सभापति महोदय, जब 139 पर चर्चा करने के लिए यह प्रस्ताव आया था और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आया था, तब माननीय अध्यक्ष महोदय, का यह कर्त्तव्य था कि वे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को रोककर 139 पर चर्चा करवाते लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसलिए सभापति महोदय, मैं चाहूँगा कि आप इस पर अपना निर्णय दें।

डॉ. राजेन्द्र जैन : प्वाइंट ऑफ ऑर्डर, मैं आपका ध्यान नियम 251 (1) की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। एक ध्यान आकर्षण की सूचना माननीय सदस्यों ने दी, उसके जवाब में उप मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने एक न्यायिक जाँच की घोषणा कर दी, जिसमें हाई कोर्ट के जज जाँच करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता था विरोधी पक्ष के नेता से, उनको हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए था कि उन्होंने इतने साहस के साथ उच्च स्तरीय जाँच की घोषणा की .....

सभापति : इसमें व्यवस्था का क्या प्रश्न है? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। अब पटवा जी धन्यवाद दें या न दें, यह व्यवस्था की परिधि में नहीं आता।

डॉ. राजेन्द्र जैन : मैं निवेदन नहीं कर रहा हूँ कि चर्चा न की जाये। मेरा निवेदन है कि हम चर्चा के माध्यम से कोई ऐसी बात नहीं उठा सकते जो उच्च न्यायिक जाँच की घोषणा की है उसके उद्देश्य को डिफीट करे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : जहाँ तक नियम 139 के अन्तर्गत चर्चा उठाने का प्रश्न है आप स्वयं देखें उसमें कोई फार्मल मोशन नहीं है, किसी प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो रही है। किसी विषय पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इसलिए किसी प्रस्ताव के बारे में जो हवाला दिया है वह इस संदर्भ में लागू नहीं होता। मुझे जानकर खुशी हुई, अध्यक्ष महोदय ने जो नई किताब सबको वितरित की है उसका मिश्रा जी ने अध्ययन किया है। डॉ. राजेन्द्र जैन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मेरी पूरी-पूरी सहानुभूति है, बहुत विकलता से कतार में खड़े हैं, मेरी शुभ

कामना है कि भाभी जी उनको जल्दी तिलक लगाने का अवसर पायें। सभापति महोदय, मुझे अपेक्षा थी, आशा थी चर्चा में भाग लेने के लिए और हमारे निवेदन को सुनने के लिये सदन में मुख्यमंत्री जी स्वयं उपस्थित रहते .....

श्री हजारीलाल रघुवंशी : वह चेम्बर में बैठे हैं, यहाँ उप मुख्यमंत्री बैठे हैं, मैं बैठा हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : रघुवंशी जी आप उत्सुक हैं, एक बार मौका आया तो सोलंकी जी से छोटी सिंचाई का विभाग ले लिया, बारना बड़ी सिंचाई है, इसमें भी आपका इरादा कुछ गड़बड़ लगता है।

श्री थावरचन्द गहलोत : प्वाइंट आफ ऑर्डर, इस विषय पर मैंने ध्यान आकर्षण दिया था और मुख्यमंत्री जी की न्यायिक जाँच की घोषणा होने के बाद प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी थी और कहा था इस पर चर्चा शाम को होगी तो क्या अध्यक्ष महोदय के निर्णय में आप परिवर्तन करेंगे?

सभापति : अध्यक्ष महोदय, ने कोई ऐसी व्यवस्था दी थी तो देख लूँगा, मैं उनके निर्णय को बदलने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन देख लूँगा कि उन्होंने कौन-सी व्यवस्था दी थी।

श्री कृष्णपालसिंह : माननीय सभापति महोदय, जहाँ तक माननीय सदस्य श्री अच्युतानन्द जी द्वारा उठाये गये प्रश्न का सवाल है, वह अपने आप में अहमियत रखता है। जिन प्रश्नों पर और जिन विषयों पर जुडीशियल इंक्वायरी या जुडीशियल कमीशन बैठ जाये, उन पर विचार नहीं होना चाहिए, यह परम्परा रही है लेकिन इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम आकर यहाँ रुक जाते हैं, उन सब नियमों के होते हुए माननीय अध्यक्ष ने उस पर चर्चा के लिए निर्देश दे दिया है इसलिए अब न उस पर प्वाइंट आफ ऑर्डर पर विचार हो सकता है न किसी नियम पर, क्योंकि माननीय अध्यक्ष का आदेश सर्वोपरि होता है इसलिये अब उस पर पुनः विचार की आवश्यकता नहीं है।

सभापति : माननीय सदस्य श्री अच्युतानंद मिश्र ने नियम 241 के अधीन पुनरावृत्ति का उल्लेख किया है। नियम 138 के अधीन मंत्री का ध्यान आकर्षण की सूचना सभा में लाने पर सम्बन्धित मंत्री द्वारा उस पर वक्तव्य दिया जाता है न कि कोई विनिश्चय सभा में घोषित किया जाता है। अतः नियम 241 इस पर लागू नहीं होता है। विषय के महत्व को देखते हुए नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर माननीय अध्यक्ष ने डेढ़ घण्टे की चर्चा ग्राह्य की है। इसलिये मैं माननीय पटवा जी से निवेदन करूँगा कि वे अपनी चर्चा प्रारंभ करें।

श्री सुन्दरलाल पटवा (सीहोर) : माननीय सभापति महोदय, जैसी मेरी अपेक्षा थी सदन में मुख्यमंत्री जी स्वयं मौजूद हैं। मैं उनके साहस की दाद देना चाहूँगा। आजकल मुख्यमंत्री जी बड़े फार्म में हैं। जिस बात को ले आइये, वे कह देते हैं कि न्यायिक जाँच हो जाये। छतरपुर की घटना पर हमने कुछ कहा, उन्होंने कहा कि न्यायिक जाँच हो जाये। आज बारना का कहा तो उन्होंने कहा कि न्यायिक जाँच हो जाये। हमने मुरैना की घटना बताई, उस पर उन्होंने न्यायिक जाँच की बात नहीं कही, पता नहीं उस समय कौन-सा संदेह उनको घेर लेता है। बारना के सम्बन्ध में उन्होंने न्यायिक जाँच की बात कही है। उन्होंने कहा कि ये इंजीनियर, निलम्बित हो जायें, ये छुट्टी पर चले जायें, उसके बाद जाँच हो जाये। पर क्या मुख्यमंत्री जी आपको अपनी बगल में बैठे हुए लोग दिखाई नहीं देते हैं। इंजीनियरों को हटाया किन्तु जिस समय यह बारना बाँध बन रहा था उस समय उसके इंचार्ज कौन थे सिंचाई राज्यमंत्री भेड़िया जी। भेड़िया जी उस जाँच के लिए जिम्मेदार हैं और आपकी न्यायिक जाँच उनको बर्खास्त किये बगैर नहीं हो सकती है। जिस प्रकार आपने न्यायिक जाँच की घोषणा की है। उसी तरह से भेड़िया जी को मंत्रिमंडल से हटाइए, फिर न्यायिक जाँच करवाइए ताकि न्यायिक जाँच से वास्तविकता का पता लगे। एक न्यायिक जाँच पहले भी हमने देखी है गुलाबी चना कांड की। आपके दलगत विरोध में आपके विरोधी की पिटाई का डण्डा आपके हाथ में हो, ऐसा मत कीजिये। माननीय श्यामाचरण शुक्ल उस समय मुख्यमंत्री थे, उस समय बारना बाँध बना। शुक्ल बंधु और आपके रिश्ते, एक पार्टी में होते हुए भी, कैसे हैं, यह मुझे कहने की जरूरत नहीं है। क्या कहीं उनके विरोध में एक शस्त्र के रूप में इस न्यायिक जाँच का प्रयोग करने के लिए यह साहस हो। यदि आपने ऐसा नहीं किया है और यह नहीं है और सचमुच आप दोषियों को ढूँढना चाहते हैं और सच्चाई को प्रकट करना चाहते हैं, दोषियों को दंडित करना चाहते हैं तो फिर आग्रहपूर्वक निवेदन करूँगा कि आप भेड़िया जी को अपने मंत्रिमंडल में से निकाल दें और उसके बाद न्यायिक जाँच के परिणामों को आने दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, घटना

कहाँ से प्रारम्भ हुई। बारना एक बड़ी परियोजना है, बड़ी सिंचाई की योजना है, नर्मदा की मुख्य सहायक नदी है, रायसेन जिले की बरेली तहसील में बाड़ी ग्राम के पास भोपाल से लगभग 26 कि.मी. की दूरी पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह शामिल हुई है। मूल अनुमानित लागत 5 करोड़ 56 लाख, पुनः अनुमान 10 करोड़ है लगभग पूरा होते-होते 15 करोड़ की योजना होगी। सिंचाई क्षमता 1 लाख 56 हजार एकड़ की है। फरवरी 1960 में काम शुरू हुआ। फिर मंद गति से काम हुआ। दिसम्बर, 67 में कंट्रोल बोर्ड मेजर प्रोजेक्ट का गठन हुआ। बाँध की लम्बाई 1457 फीट, अधिकतम ऊँचाई 157 फीट, दायीं मुख्य नहर और शाखाओं की लम्बाई 186 फीट या साढ़े 86 मील, बायीं मुख्य नहर और शाखाओं की लम्बाई 82 मील। दायीं नहर की सिंचाई क्षमता 90 हजार एकड़ और बायीं नहर की मुख्य नहर और शाखाओं की लम्बाई 82 मील। दायीं नहर की सिंचाई क्षमता 90 हजार एकड़ और बांयीं नहर की सिंचाई क्षमता 66 हजार एकड़।लगभग डेढ़ लाख एकड़ जमीन की सिंचन की क्षमता वाली यह वृहद परियोजना है। रायसेन जिले के 140 और सीहोर जिले के 43 गाँवों में, उससे सिंचाई की सम्भावना है। 18900 एकड़ के एरिया में फैली हुई है, यह बड़ी झील है। अगस्त 1968 में बारना प्रोजेक्ट डिवीजन प्रारम्भ हुआ। श्री गौतम तलवार, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बने। जुलाई 69 में बारना डेम पर श्री जे.सी. उत्तम चंदानी आए फिर प्रोजेक्ट मंडल में हरिकृष्ण गंगोत्रा एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बने। चीफ इंजीनियर तथा प्रोजेक्ट के श्री शरण प्रसाद के अधीन काम शुरू हुआ। थोड़े दिन बाद उन्हें हटा कर श्री वाय.जी. माने उसके इन्चार्ज इंजीनियर हुए उसके बाद में श्री डी.एस. सिन्हा, जे.बी. मेहता, आर.एल. गुप्ता, बी.एम. चितले, एन.पी. हीरामठ, जी.आर. मल्होत्रा, यह सब चीफ इंजीनियर के रूप में इस प्रोजेक्ट के चार्ज में रहे। 1969 में जब काम प्रारम्भ हुआ, तब एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर मिस्टर गंगोत्रा नियुक्त थे। पाँच खंडों में इसके टेंडर बुलाए गए थे। पहले खंड में तालिका नंबर 1 से 10 तक, दूसरे खंड में तालिका नंबर 11 से 23 तक, तीसरे खंड में पूरे बाँध की गाडरिंग, ड्रिलिंग, चौथे खंड में उपबंध जिसके मध्य से नहर से पानी दिए जाने की योजना थी, पाँचवें खंड में उपबंध का ड्रिलिंग और गाडरिंग के लिये निविदायें भोपाल से काल की गईं। ग्रुप नं.— 1 में जो एम.के. शाह निविदा न्यूनतम थी, परन्तु दरों की तुलनात्मक तालिका उस समय बनी। श्री गंगोत्रा के द्वारा एम.के. शाह के स्थान पर फ्रंटियर कंस्ट्रक्शन कंपनी, कानपुर को न्यूनतम टेंडर किया गया। उस तालिका में श्री गंगोत्रा और माने ने टेंडर स्वीकृत किए और सिफारिश की, सचिव श्री देवराज सिक्का हैं मेजर प्रोजेक्ट्स-कन्ट्रोल बोर्ड के उन्होंने शायद पता नहीं फिर किसी विशेष रुचि के कारण उस एक भाग के टेंडर को स्वीकृत न करते हुए प्रकरण को निगोसिएशन में डाला। केवल एक भाग में निगोसिएशन हुआ फिर एम.के. शाह का टेंडर सबसे नीचा था उसको काम मिल गया स्वीकृत हो गया ग्रुप नं. 2 धवलदास एण्ड संस, ग्रुप नं. 3 सीमेन्ट एण्ड के, ग्रुप नं. 4 विनय कुमार, ग्रुप नं. 5 साईंनाथ कंपनी नागपुर। यह सब लोगों के टेंडर के आधार पर स्वीकृत हुआ। केवल ग्रुप नं. 1 एम.के. शाह निगोसिएशन के आधार पर श्री सिक्का जो उस समय थे उन्होंने स्वीकृत किया। कहते हैं यह सिक्का साहब और एम.के. शाह साहब, दोनों पूना इंजीनियरिंग कॉलेज के सहपाठी भी रहे हैं और शायद पुरानी पहचान हो, काम शुरू हुआ। भेड़िया जी उस समय राज्यमंत्री थे सिंचाई विभाग के। गंगोत्रा जी बड़े प्रिय पात्र थे उनके। शाह और छबीलेदास के काम में कुछ कठिनाई पैदा हुई, मुख्यमंत्री तक उनकी पहुँच हुई और मेरी जानकारी के अनुसार भेड़िया जी उस समय मध्यप्रदेश के बाहर बिहार राज्य में कहीं दौरे पर थे टेलीफोन और वायरलेस मेसेज से गंगोत्रा को वहाँ से ट्रांसफर कर दिया और जब उनको आदेश दिया गया तो उन्होंने कहा जब तक भेड़िया जी नहीं आयेंगे तब तक चार्ज नहीं दूँगा। उस समय फिर माने, वहाँ के चीफ इंजीनियर को वायरलेस से आदेश दिया कि आज आपका चार्ज होना चाहिए वरना आपको निलम्बित किया जाएगा। तब कहीं उनका चार्ज हुआ, तलवार को चार्ज हुआ उसके बाद श्री जी.एम. जोशी अधीक्षण यंत्री आए। उनसे भी मिस्टर शाह को कुछ अड़चन पैदा हुई तो वह सिक्का साहब और मुख्यमंत्री तक उनकी आवाज पहुँची और दूसरे अधीक्षण यंत्री वहाँ पर श्री किरण किशोर ध्रुव की नियुक्ति हो गई, जिनके बारे में आज मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं। ध्रुव साहब और तलवार साहब में खींचतान चलती रही। ये प्रकरण जहाँ कहा है, आठवाँ ब्लाक ग्रुप नम्बर 1 का है, उस ब्लाक के 7वें और 8वें की नींव की जो खुदाई हुई

इसी पर सारा झगड़ा हुआ और मेरी जहाँ तक जानकारी है सिक्का साहब निर्माण का कार्य उस नरम मिट्टी पर ही खड़ा करवाना चाहते थे जिस पर तलवार साहब ने आपत्ति की और उन्होंने उन्हें रोका तो वहाँ रातमरात वहाँ कांक्रीट बिछाई गई और जब तलवार साहब ने उसको वहाँ से हटाने का आदेश दिया तो कांक्रीट तो वहाँ से नहीं हटी लेकिन तलवार साहब जरूर वहाँ से हट गए और तब उनके स्थान पर जी.एन. सुब्रमणियम आ गए। काफी समय से इस बाँध से लीकेज था लेकिन उसको गंम्भीरता से नहीं लिया गया। सभापति महोदय, पुरानी बात को तो जाने दीजिये एक सप्ताह पहले राज्य शासन की विज्ञप्ति जो समाचार पत्रों में बारना बाँध के सम्बन्ध में प्रकाशित हुई उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा। उसमें भी राज्य शासन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि मामला गम्भीर खतरे का है। शासन ने कहा कि एक साधारण मामला है सब ठीक हो जायेगा चिन्ता की कोई आवश्यकता नहीं है, बात को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करने की आवश्यकता नहीं है, शासन ने उस समय भी खतरा, महसूस नहीं किया और अगर किया भी तो उसको लोगों के सामने नहीं लाना चाहा हो। आज स्थिति यह है कि जब निरीक्षण गैलरी से प्रति मिनट 60-70 लीटर पानी आना चाहिये वहाँ से 700 लीटर पानी यानी 10 गुना ज्यादा पानी आ रहा है। 2 हजार 500 लीटर क्यु मिनट की रिसन है। ब्लाक नं. 8 की जो मेरी जानकारी है वह यह है कि प्रेशर रिलीज के लिये जो छेद हैं उसके तीन छेदों में से एक हजार लीटर पानी प्रति मिनट फब्बारे की तरह निकल रहा है। ब्लाक नं. 13-14 के जोड़ की दरार से भी पानी निकल रहा है। अब यह जो काम जिनके जिम्मे था, वर्तमान शासन के निर्णय के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। श्री के.के. ध्रुव कार्यपालन यंत्री जिनके खिलाफ कई प्रकार की अनियमितताओं की जाँच हो रही थी पिछली जनता सरकार ने इन अनियमितताओं के कारण उनकी पदोन्नति रोकी थी परन्तु इस सरकार के आते ही उन सारी जाँचों के बावजूद भी उनको पुरस्कार के रूप में कार्यपालन यंत्री से पदोन्नत करके अधीक्षण यंत्री वहीं बारना में बना दिया। फिर गौतम तलवार कार्यपालन यंत्री के खिलाफ बारना प्रोजेक्ट में काफी बड़ी रकमों का ज्यादा भुगतान करने के मामले थे उन्हें भी वर्तमान शासन ने पदोन्नत करके कार्यपालन यंत्री से अधीक्षण यंत्री बना दिया। अब यह काम सन् 1976 में सम्भवतः पूरा होकर उद्घाटित हुआ उसके बाद इस प्रकार की रिसन की जानकारी इंजीनियर्स द्वारा निरीक्षण के दौरान रिपोर्ट में दी गई। ड्राउटिंग की जाये, रिपेयरिंग की जाये इसकी रिपोर्ट है परन्तु मुझे दुख है कि इस ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था, जितनी चिन्ता की जाना चाहिये थी नहीं की गई। यह तो मैंने पीछे की बात कही है परन्तु इससे भी ज्यादा चिन्ता की बात कल के भविष्य के बारे में है। सभापति महोदय, इस प्रकार की बड़ी वृहद परियोजनाओं में इस प्रकार की रिसन, टूटन, खामियाँ, डिफेक्ट के बारे में मध्यप्रदेश के सिंचाई विभाग या हमारे यहाँ के इंजीनियर्स को कोई पुराना अनुभव नहीं है। यह ठीक है कि केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय विशेषज्ञों को बुलाकर चर्चा की गई है परन्तु मेरे विनम्र मत में शायद इस प्रकार की मरम्मत की जानकारी और विशेषज्ञता हमारे देश में उपलब्ध है कि नहीं मुझे तो नहीं पता, मुख्यमंत्री महोदय जब इस बात पर प्रकाश डालेंगे तो उनसे मैं आश्वस्त होना चाहूँगा। सबसे बड़ा इस बारना बाँध में उस समय जिन लोगों ने जो कुछ किया होगा वो तो जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि जाँच की घोषणा हो चुकी है, जाँच के बाद ये बातें सामनें आयेंगी लेकिन सबमें बड़ा आघात जो लगेगा वह मध्यप्रदेश के सिंचाई विभाग को और उसकी दक्षता को। मध्यप्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा वेली के डेवलपमेंट की बड़ी भारी स्कीम है, जिससे मध्यप्रदेश का नक्शा बदलना चाहते हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक की सहायता की हम अपेक्षा करते हैं उस योजना को भी हम पूरा कर पायेंगे इतनी क्षमता हम में है, इतनी योग्यता, इतनी पात्रता हममें है या नहीं, इस पर भी इस घटना से प्रश्न चिन्ह लगेगा और मुझे शंका है कि कहीं हमारी इस योग्यता, क्षमता और पात्रता के प्रश्न चिन्ह से आने वाली हमारी भविष्य की सिंचाई की जो योजनाएँ हैं और बड़े-बड़े उपक्रम हैं उनकी गतिविधियों पर कोई विपरीत प्रभाव न हो। यह मेरे ही लिए नहीं सारे शासन पक्ष और सारे प्रदेश की चिंता का विषय है। माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के सिंचाई विभाग और सिंचाई विभाग के जितने इंजीनियर हैं, मैं चाहता था कि उनके प्रति गौरव करूँ, मैं प्रसन्नता प्रकट करूँ इन सब की योग्यता पर, मुझे दुःख है कि इस घटना ने हमारी विश्वसनीयता को संकट में डाल दिया है। सभापति महोदय, बाँध में लगभग 120 या 125 फुट के

लगभग पानी भरा था। आज जैसा वक्तव्य में बताया गया अभी तक के उपक्रम में 13 फुट जल कम किया गया। औसत यदि इसमें एक फुट रोज की गति से भी माना जाये और अगर बाँध की मरम्मत के लिए पानी को खाली करना पड़े तो मुझे नहीं लगता कि हम बाँध के पूरे पानी को निकाल करके और उसको ठीक प्रकार से मरम्मत करने की स्थिति में बरसात के पहले ला सकें। यदि पूरा पानी न निकालना पड़े और उसके बावजूद भी मरम्मत हो सके, ऐसा कोई उपक्रम हो सके तो भी इसमें काफी कठिनाई और जल सकट का सामना है। किस प्रकार ये संभव होगा इसका विश्वास तो जिन विशेषज्ञों से शासन ने चर्चा की है, माननीय मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं। इससे मेरे संदेह को बल मिलता है कि जिस प्रकार से आज के बयान में कहा गया है। मेरी जानकारी है उस रिसन में बारीक रेती और कंकड़ भी आ रहे हैं और जो कंकड़ आ रहे हैं वे कोई चुनाई के बीच मे से नहीं आ रहे हैं। दीवाल बनी हुई है और उसके नीचे लगभग 30 फुट नींव है और उसके नीचे पता नहीं कहाँ से रेती और कंकड़ आ रहा है और उसके नीचे किस प्रकार से जाकर के मरम्मत संभव होगी इस बात के बारे में एज ए ले मेन मैं तो कुछ नहीं कह सकता विशेषज्ञ ही बता सकते हैं। नींव में से कंकड़ आने की नीचे जो पोली जगह है, नरम जगह है उसके कितने नीचे है इस बात का विशेष रूप से जो विशेषज्ञ हैं और जो इस बात की जानकारी रख सकते हैं वे ही इसका अंदाज लगा सकते हैं। आज आदमी के लिये तो यह सचमुच में कल्पना ही बड़ी खतरनाक है। इस प्रकार की स्थिति बने बरसात के पहले इसकी मरम्मत न हो पाए और बरसात में कोई घटना न घटे और इस प्रदेश को किसी और बड़े संकट का सामना न करना पड़े यह सचमुच में हमारी आपकी सबकी चिंता का विषय है। सभापति महोदय, मुझे माननीय सोलंकी जी के बयान को सुनकर थोड़ा-सा खेद हुआ हालाँकि मेरी सहानुभूति उनके साथ है। एक दुर्घटना ने छोटा सिंचाई विभाग उनसे छीन लिया, ये दुर्घटना उनके साथ और कोई बड़ी घटना न बने मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है परन्तु जब सारा प्रदेश, सारे अखबार, सारे समाचार ये कह रहे हैं कि आपके इस पानी छोड़ने से नर्मदा के नीचे होशंगाबाद से लगाकर बड़वाहा, बड़वानी तथा धार और खरगौन जिले तक सारे गरीब काश्तकारों की फसल पानी में डूब गई, चौपट हो गयी और उनके पूरे वर्ष के भविष्य में प्रश्न चिन्ह लगाया गया तब आप अपने बयान में इस प्रकार की बात कहें कि फसलों के लिए तवा और नर्मदा के संगम पर कोई विशेष क्षति नहीं हुई है, नदी में कृषि की सुरक्षा के लिये प्रयत्न किया जायेगा।

श्री शिवभानु सोलंकी : तवा में नहीं हुआ है। नर्मदा के नीचे काश्तकारों को नुकसान हुआ है। तीन जिलों की रिपोर्ट आ गयी है कितने एकड़ डूब में है। इसका मुआवजा देने की घोषणा की है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मेरे सुनने में कसर थी या आपके कहने में कसर थी। अब बात ठीक हो गयी है।

श्री अर्जुनसिंह : आप वही सुनना चाहते हैं जो आप चाहते हैं।

श्री शिवभानु सोलंकी : आपने कहा कि प्रमोशन कर दिया था वह प्रमोशन पहले ही हो चुका था मैंने नहीं किया।

श्री सुन्दरलाल पटवा : क्या आपका यह कहना है कि हमारे जाने और आपके विराजने के बीच में किया था? क्या राष्ट्रपति शासन काल में हुआ था।

श्री शिवभानु सोलंकी : मैंने नहीं किया।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/10 मार्च, 1981/पृष्ठ- 849-853)

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं यह अपेक्षा करता था कि विरोधी दल के नेता व अन्य सम्मानित सदस्य जो विपक्ष से बोलेंगे वे इस गंभीर विषय पर कुछ इस प्रकार की जानकारी या कुछ ऐसे सुझाव यहाँ पर देने का कष्ट करेंगे जो उस जाँच को और प्रभावशील बनाने में सहायक होंगे, जिसका स्वयं उन्होंने भी स्वागत किया है। मुझे दुःख है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, आश्चर्य भी नहीं करूँगा, मुझे एक तरह से जैसा अन्दाज था उस प्रकार का भाषण यहाँ पर लोगों ने दिया है। सभापति महोदय, कुछ विषय ऐसे होते है जिन्हें दलगत राजनीति से परे समझना चाहिये और ये वे विषय होते है जिनका संबंध किसी राजनीतिक दल से नहीं होता,

हमारी सामाजिक व्यवस्था से होता है, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था से होता है और उस व्यवस्था को जनहित में किस प्रकार से चलाया जा सके, ये उसमें मुख्य मुद्दा होता है। मुझे दुख है सभापति महोदय, हमने तो किसी का नाम लिया नहीं, किसी भी व्यक्ति के बारे में मैंने कोई बात यहाँ पर कही नहीं, लेकिन आपका भाषण शुरू से अन्त तक कॉंग्रेस पार्टी के अन्दर के लोगों के बारे में कुछ कहें ये संकेत देंगे कि ये कदम हमने स्वयं गुटबन्दी के आधार पर प्रभावित होकर उठाया है, अगर आपकी यह मान्यता है तो आप बहुत खुश रहिए। इस मान्यता के लिए हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपकी इस विषय पर टिप्पणी की जरूरत नहीं है। ये शासन जनहित में जो उचित समझेगा वह कदम उठायेगा, आप उसका समर्थन करें या न करें, इससे इसका कोई महत्व नहीं है। (मेजों की थपथपाहट)। सभापति महोदय, मैं इस बात को इस समय नहीं कहना चाहता था, लेकिन अब आपने सदन के सामने चर्चा की है तो लांछन के रूप में नहीं तथ्यों के रूप में इस बात को सदन के सामने कहना चाहता हूँ। इस बाँध में रिसन जो हुई है, फरवरी 81 में नहीं हुई। पहले तो जल्दबाजी में श्री रमाशंकर सिंह जी ने 80 पढ़ दिया।

श्री रमाशंकर सिंह : 79 कहा था।

श्री अर्जुनसिंह : आपका संकेत पर्याप्त नहीं था लेकिन मैं उसे पर्याप्त करना चाहता हूँ। सभापति महोदय, 1976-77 से रिसन शुरू हुई है, जून 1977 में जनता पार्टी का शासन पदारूढ़ हुआ और फरवरी 1980 तक पदारूढ़ रहा इस बीच में पानी निकाला गया और सुधारने के लिए कोशिश की गई इस बीच जनता पार्टी के तीन-तीन मुख्यमंत्री रहे क्या माननीय विधानसभा में किसी ने भी खतरे के बारे में विधानसभा को सूचित किया? (शेम, शेम) क्या वे इस खतरे को प्रदेश की जनता के लिए नहीं मानते थे?

श्री सुन्दरलाल पटवा : आपने भी इस विधानसभा को इस खतरे की सूचना नहीं दी (व्यवधान) समाचार-पत्रों में नहीं आता, विधानसभा में विरोधी दल के लोग इस प्रश्न को नहीं उठाते तो यह सूचना नहीं आती।

श्री अर्जुनसिंह : सभापति महोदय, मैं अपने को संशोधित कर लेता हूँ समाचार-पत्रों में क्या आपने दिया था? सभापति महोदय, समाचार-पत्र भी एक सशक्त माध्यम है जनता के सामने कोई चीज ले जाने के लिए, आगाह करने के लिये क्या आपके मंत्री जी ने या आपके प्रवक्ता ने इस प्रदेश की जनता को यह सूचना दी थी कि इस बाँध में गड़बड़ी है, पानी निकल रहा है, खतरा हो सकता है। ईश्वर की इस प्रदेश की जनता पर अनुकंपा है। 77 में रिसन हुई, 78 तथा 79 में दो साल बरसात कम हुई, 80 जैसी बरसात 77 या 78 में आ गई होती तो दुर्घटना हो सकती थी इसकी कल्पना से हमें रोमांच होता है।

श्री रमाशंकर सिंह : 10 अप्रैल 1979 को (व्यवधान) जो जाँच रिपोर्ट का हवाला दिया है उस समय पर मेन ड्रेनेज होल से 100 लिटर पानी आ रहा था। श्रीमान् इतनी भयावह स्थिति का संकेत देने को पर्याप्त है अतः इंजीनियरिंग प्वाइंट से सारे मामले की जाँच करवाई जाये।

श्री अर्जुनसिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य आंशिक समर्थन ही सदैव देंगे अतः आंशिक ही समझने की कोशिश करूँगा (हँसी) जो आप कह रहे हैं, मैं उसकी पुष्टि कर रहा हूँ। जब से बाँध बनना प्रारंभ हुआ है तब से कोई भी अभिलेख में तब्दीली नहीं आई है। वह अभिलेख भी उपलब्ध है आप जिसका उल्लेख कर रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट थी तो क्या कारण था आपकी जनता पार्टी के शासन काल में कि आपने यह उचित नहीं समझा कि न्यायिक जाँच कराई जावे? क्यों जनता पार्टी के शासन ने यह आवश्यक नहीं समझा कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जावे? अधिकारी अपराधी के क्षेत्र में आ जा सकते थे तो उसकी जाँच क्यों नहीं की? जो खतरा उत्पन्न हुआ है मैं उसे राजनैतिक विषय नहीं बनाना चाहता हूँ प्रदेश की जनता के लिए नवनिर्माण की संभावनाओं में रुकावट आने की संभावना है। हमारा मिल करके यह प्रयास होना चाहिये कि विकास की गति न रुके। हजारों ईमानदार सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी जो काम करें तो हम समर्थन करें, संरक्षण प्रदान करें। बेईमानी से काम करते हैं चाहे कोई भी हो हमें और आपको पुनर्विचार नहीं करना पड़े। सभापति महोदय, माननीय विरोधी दल से निवेदन करना चाहता हूँ, आज भी मैं कहता हूँ राजनीति से परे ले जाने का जहाँ तक प्रश्न है, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ जितनी भी कार्यवाही इस बाँध के

सुधारने के लिए की जायेगी मैं न केवल माननीय विरोधी दल के नेता बल्कि इस विधानसभा के अन्य माननीय सदस्यों से इस बारे में जानकारी लेना चाहूँगा क्योंकि यह काँग्रेस का सवाल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है, किसी पार्टी का सवाल नहीं है, इस प्रदेश के हजारों नागरिकों के भविष्य का सवाल है जो इस बाँध के नीचे रहते हैं। सुरक्षा सम्बन्धी जो कार्य किया जायेगा उसमें आपकी भी नजर रहेगी। लेकिन आपसे यह अपेक्षा करता हूँ राजनीति का चश्मा कभी-कभी जनहित के लिए अगर निकाल दें तो उसकी पार्टी की महिमा और गरिमा में कमी नहीं आयेगी। जो भी इसके बारे में प्राप्त अभिलेख हैं, स्पष्ट संकेत हैं उसके बारे में कार्यवाही की जायेगी। मैं जानता हूँ माननीय रमाशंकर सिंह जी ने जो कहा कि कई दफा इस विधानसभा में और इस विधानसभा के बाहर कह चुका हूँ, कुछ मायनों में भ्रष्ट तत्वों का संकेत है, गठबन्धन है। प्रजातंत्र को स्वच्छ बनाने के लिये, प्रजातन्त्र को मजबूत बनाने के लिए उस गठबन्धन को तोड़ना आवश्यक है। यदि इस न्यायिक जाँच के दौरान किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में कोई भी संकेत मिलेंगे या कोई फाइंडिंग मिलेगी मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ चाहे कोई पार्टी का ही व्यक्ति क्यों न हो, उसके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी। इन शब्दों के साथ माननीय सभापति जी.....

श्री सुन्दरलाल पटवा : माननीय सभापति जी हम जोरदार भाषण की अपेक्षा रखते थे। अब आवाज आई है। परन्तु मैंने कोई नई बात नहीं की है। अगर आपको बुरा लगा है तो मैं उस बात को वापस ले सकता हूँ। यहाँ राजनीतिक जिम्मेदारी न बताकर यहाँ आपने कौन-सा दर्शन.....।

श्री अर्जुनसिंह : दर्शन तो आप माननीय वीरेन्द्रकुमार सखलेचा से अच्छी तरह समझ सकते हैं। मेरे में क्षमता नहीं है आपको समझाने की। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जब कोई प्रमाण ही नहीं है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मूल बात को टाल रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मूल बात को टालने की बात नहीं है, न किसी के बारे में पूर्वाग्रह के आधार पर निष्कर्ष निकालने की बात है। आपने कहा आधार नहीं है। आधार के बिना कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है। मैं सोचता हूँ कि माननीय सभापति महोदय, इस विषय को गम्भीरता से लें। बाँध की सुरक्षा के लिये हम जितनी भी कार्यवाही कर सकते हैं करेंगे। विरोधी पक्ष को विश्वास में लेंगे, हम प्रदेश की जनता को विश्वास में लेंगे और मुझे भरोसा है प्रदेश में जितने भी टेक्नीकल काम करने वाले लोग हैं, सिंचाई बाँध बना सकते हैं ईमानदारी से उनका सहयोग लेकर जनहित के काम में आगे बढ़ेंगे। स्वच्छ प्रशासन तन्त्र में इरिगेशन डिपार्टमेंट के बारे में अभी प्रश्न नहीं उठता है। प्रश्नवाचक चिन्ह जाँच के बाद ही साबित हो पायेगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मरम्मत की संभावना के बारे में कोई संकेत नहीं दिया।

श्री अर्जुनसिंह : पूरी जानकारी आपको देकर, आपको विश्वास में लेकर ही मरम्मत की कार्यवाही शुरू होगी।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/10 मार्च 1981, पृष्ठ/ 861-862)

ग्वालियर जिले के पावा गाँव में डाकू पानसिंह द्वारा पाँच ग्रामीणों की निर्मम हत्या के विषय में सदस्य श्री रमाशंकर सिंह के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ हुई।

अध्यक्ष : कार्यस्थगन प्रस्ताव की जो सूचनाएँ आयी हैं उनमें पावा में कुख्यात दस्यु सरदार पानसिंह द्वारा 5 ग्रामीणों को मार देने के संबंध में 8 स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ आयी हैं पहली सूचना श्री रमाशंकर सिंह की, दूसरी सूचना दिलीप सिंह चौधरी की, तीसरी सूचना डॉ. गौरीशंकर शेजवार और श्री शीतला सहाय की, चौथी सूचना श्री श्रीराम जाटव, श्री मुंशीलाल, डॉ. गौरीशंकर शेजवार की, पाँचवी सूचना श्री बृजमोहनदास माहेश्वरी की, छठवीं सूचना श्री सखाराम देवकरण पटेल, श्री नगीन कोचर, श्री राधारमण भार्गव की, सतावीं सूचना श्री जगन्नाथ सिंह की और आठवीं सूचना श्री कैलाश चावला की है। डॉ. गौरीशंकर शेजवार एक ही विषय पर दो-दो सूचनाएँ देते हैं। वे आगे ध्यान रखें कि उसी विषय पर दूसरी सूचना प्रस्तुत न किया करें, श्री रमाशंकर सिंह की सूचना पहले प्राप्त हुई है इसलिये मैं उसको पढ़कर सुनाता हूँ—

"13 मार्च, 1981 को ग्वालियर जिले में पावा गाँव में दस्यु सरदार पानसिंह के कुख्यात गिरोह ने पाँच ग्रामीणों को बर्बरता पूर्वक कत्ल कर दिया। समीपवर्ती गाँव पवाया से पाँच ग्रामीणों को रस्सी से बाँधकर पावा लाया गया और वहाँ एक कतार में खड़ा कर गोली से भून दिया। डाकू गिरोह ने पावा गाँव की झोंपड़ियों में आग लगा दी और जंगल में भाग गये। डकैत मातादीन की मृत्यु के बाद से ही उक्त गाँव के निवासियों को पान सिंह की ओर से धमकियाँ मिल रही थीं। आसपास के कई गाँवों से गूजर जाति के अनेक लोग गाँव छोड़कर ग्वालियर भाग आये है। ग्रामीणों में आतंक और भय व्याप्त है। पूर्व में ग्रामीणों द्वारा मातादीन के विरुद्ध पुलिस को सूचना सहयोग देने के फलस्वरूप हुए हत्याकांड के कारण पुलिस विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। संपूर्ण ग्वालियर व चम्बल संभाग में दस्यु गिरोह के बढ़ते आतंक के कारण अशांति छायी हुई है। अतः इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हेतु सदन की कार्यवाही स्थगित की जाये।"

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस कार्यस्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य किया जावे। यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि विरोधी दल के नेता से तथा माननीय सदस्य जिन्होंने यह कार्यस्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। चर्चा हो चुकी है।

अध्यक्ष : इस प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों के तथा शासन के विचार कक्ष में सुनने के बाद और इसके नियमानुकूल होने के कारण माननीय सदस्य को इसको रखने की अनुमति देता हूँ। अब माननीय सदस्य इसको प्रस्तुत करने की अनुमति माँगें।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, आज और भी प्रस्ताव डाकू समस्या पर प्रस्तुत किये गये हैं अगर उनको भी चर्चा में शामिल कर लिया जाये तो एक साथ चर्चा हो जायेगी।

अध्यक्ष : अभी तो मैं इसको ले रहा हूँ जब उस पर आऊँ तो बता दीजिये मैं उस पर विचार कर लूँगा।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, तो मैं स्थगन प्रस्ताव पर सदन में चर्चा के लिये अनुमति माँगता हूँ।

(अनुमति प्रदान की गई)

अध्यक्ष : (मुख्यमंत्री जी से) अब इस पर चर्चा के लिए समय के बारे में जानकारी चाहता हूँ। आप बता दीजिये।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इसी विषय के सम्बन्ध में, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस समस्या के समाधान के लिए प्रभावशाली कदम उठाने के लिये राजस्थान के मुख्यमंत्री से चर्चा होने वाली है। जो पहले से निर्धारित है। मैं आपकी अनुमति लेकर वहाँ जा रहा था। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस पर कल प्रश्न काल के तत्काल बाद 2 घण्टे की चर्चा निर्धारित करने की कृपा करें। आशा है, सदन इस पर अपनी अनुमति देगा।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो नियम हैं उनको देखते हुए इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा आज ही होनी चाहिये। नियम ऐसे हैं कि जिस दिन कार्यस्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है चर्चा उसी दिन होनी चाहिए।

अध्यक्ष : रमाशंकर सिंह जी, आप क्या मजबूर कर रहे हैं?

श्री रमाशंकर सिंह : श्रीमान्, मैं मजबूर नहीं कर रहा हूँ, मैं सदन के समक्ष विचारार्थ रख रहा हूँ कि सदन इस पर विचार करे कि इस पर आज ही प्रश्नकाल के बाद यानी 12 बजे से दो घण्टे की चर्चा प्रारम्भ हो जाये और लंच काल तक समाप्त कर दी जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री जी जयपुर चले जायें।

अध्यक्ष : आपके सुझाव पर विचार करने के पश्चात् मैं प्रश्न काल के तत्काल पश्चात् कल 2 घण्टे का समय चर्चा के लिए निर्धारित करता हूँ।

श्री शीतला सहाय : श्रीमान्, मैं पहले ही आपत्ति कर चुका हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, कार्यस्थगन प्रस्ताव जो दिये जाते हैं, वह नियमों के अन्तर्गत दिये जाते हैं उन पर उसी दिन चर्चा बाकी का काम स्थगित करके शुरू करना होती है। अविलम्बनीय विषय के होते हैं उस पर उसी दिन चर्चा होती है। अगर उसी दिन चर्चा न होकर किसी अन्य दिन के लिये चर्चा रखी जाती है तो अन्य नियम या अन्य प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। विधानसभा के नियमों के अन्तर्गत कार्यस्थगन प्रस्ताव के जो नियम हैं वह परिपाटी परम्परा है उसके अंतर्गत तुरन्त चर्चा की जाती है। यही नियम है। अगर इन नियमों के विपरीत चर्चा की जाती है तो वह परम्पराओं के भी विपरीत होगा नियमों के भी विपरीत होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि दूसरे दिन के लिये टाला जाना उचित नहीं होगा।

अध्यक्ष : जहाँ तक मुझे याद है सत्र जब प्रारम्भ हुआ था उस समय एक प्रस्ताव आया था श्रीमती सावित्री देवी का स्वर्गवास होने के पश्चात् वह कार्यस्थगन प्रस्ताव शायद आपका ही था उसे दूसरे दिन लिया गया था।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, अगर किसी कारण से सभा स्थगित हो गई और उस दिन चली ही नहीं इसलिए दूसरे दिन के लिये रख दिया गया था।

अध्यक्ष : उस दिन का कार्यस्थगन प्रस्ताव समाप्त हो जाना चाहिये था लेकिन वह दूसरे दिन लिया गया था।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करने के बाद उस पर चर्चा आज ही होना चाहिये। यह काम रोको प्रस्ताव है इस पर आज ही चर्चा होनी चाहिये।

अध्यक्ष : किसी विशेष कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी को राजस्थान के मुख्यमंत्री से चर्चा करने के लिये जाना पड़ रहा है। उनका आज यहाँ रहना संभव नहीं है इसलिए इस पर यदि कल चर्चा हो जाये तो क्या आपत्ति है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपनी जगह ठीक हैं। वे आप से इजाजत लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन यह जो स्थगन है इसका उत्तर केवल मुख्यमंत्री जी ही दें यह आवश्यक नहीं है। वे अपनी जगह किसी को अधिकृत भी कर सकते हैं। उनकी जगह माननीय सोलंकी जी, इसका उत्तर दे सकते हैं और माननीय कृष्णपालसिंह जी भी इसका जवाब दे सकते हैं।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का रहना ज्यादा अच्छा है, उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी को ही देना चाहिये।

अध्यक्ष : नियमावली के नियम 57 में स्थगन प्रस्ताव की चर्चा के लिये लेने का जो समय लिखा हुआ है वह यह कि— " प्रस्ताव मध्यान्होत्तर 3 बजे या यदि सभा नेता से परामर्श के पश्चात् अध्यक्ष ऐसा निर्देश दे तो उससे पहले किसी भी समय जबकि उस दिन का कार्य समाप्त हो जाये, लिया जायेगा।" इसके सम्बन्ध में अब आपका क्या कहना है?

श्री कृष्णपालसिंह : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य होने के बाद उसी दिन लिया जाये लेकिन जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने के लिये जाना है और वे चर्चा करने भी इसी विषय पर जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने आपसे इजाजत भी ली है और आपने इसके लिए इजाजत दी है। इस संबंध में जब तक आपका निर्देश नहीं हो जाता है तब तक हम नियमों पर चर्चा कर सकते हैं और जब आपका निर्देश हो जाता है तो उसके बाद नियम शिथिल हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, एक बार नहीं यूँ तो परम्परा दो बार की है जबकि स्थगन प्रस्ताव को बाद में लिया गया है। डकैती की समस्या पर सभी माननीय सदस्य जिस समय गम्भीरता से विचार करें उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी को रहना चाहिये। वे इसकी गम्भीरता को आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझा सकते हैं। इसलिए इस स्थगन प्रस्ताव की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ रहना और उनका जवाब देना महत्व रहता है, इसलिए इस स्थगन प्रस्ताव को अगले दिन के लिये रखना न्यायसंगत भी होगा और इसी विषय पर मुख्यमंत्री जी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने जा रहे हैं उनसे चर्चा के बाद यदि वे उत्तर देते हैं तो और भी अच्छा होगा और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही तत्परता से कहा है कि इस गम्भीर समस्या पर चर्चा होनी चाहिये। उन्होंने इसको स्वीकार किया है। हम इस पर अड़ भी सकते थे जैसा कि आप किया करते थे। (व्यवधान) तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तत्परता से सदन में कहा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिये इसको स्वीकार किया है तो इस स्थगन प्रस्ताव की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए कल ही इस पर चर्चा होनी चाहिये।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एडजर्नमेंट मोशन सदन के अन्दर रखा गया, कौन सहमत है यह भी सदस्यों से पूछ लिया गया है यह अच्छी बात है इस पर सदन में चर्चा हो रही है। जैसा आपने नियम पढ़कर बताया और मुख्यमंत्री को उसके बारे में विचार करने के लिये कहा। आज की कार्यवाही स्थगित करके इस पर चर्चा होनी चाहिये। यह विषय इतना महत्वपूर्ण होता है कि सदन की नार्मल कार्यवाही स्थगित करके चर्चा की जाती है। मुख्यमंत्री को राजस्थान के मुख्यमंत्री से चर्चा करने के लिये जाना है। वह इस सदन की चर्चा के

बाद जाकर चर्चा कर सकते हैं। वे सदन के प्रति उत्तरदायी हैं, सदन में इस महत्वपूर्ण घटना पर सदस्य क्या-क्या राय देते हैं, उसको प्राथमिकता दिया जाना चाहिये। यहाँ चर्चा होने के बाद शाम को जाकर राजस्थान के मुख्यमंत्री से चर्चा कर सकते हैं। राजस्थान की असेम्बली चल रही हो तो शाम को चर्चा हो सकती है। आप पहले सदन के प्रति उत्तरदायी हैं। वर्ना यह रूल्स के विपरीत हो जायेगा।

श्री कृष्णपालसिंह : शासन सदन के प्रति उत्तरदायी है और प्रदेश की जनता के प्रति भी उत्तरदायी है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : इस प्रदेश की जनता के प्रति इस सदन के द्वारा उत्तरदायी है। इसलिए पहला उत्तरदायित्व सदन के प्रति है और इस नाते से जो काम रोको प्रस्ताव स्वीकार किया है उस पर चर्चा होनी चाहिये। कल लिया जायेगा तो उसके कारण दूसरे एडजर्नमेंट मोशन नहीं आ सकेंगे कल इससे भी महत्वपूर्ण काम रोको प्रस्ताव आ सकते हैं तो क्या स्थिति होगी? इसलिए इस पर आज चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष : सदन इसको कल चर्चा के लिए रखता है तो दूसरे जो कल प्रस्ताव आयेंगे, उनको लिया जायेगा।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : यह नहीं हो सकता, इस पर चर्चा आज होनी चाहिये।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : मैं विरोधी दल के नेता और भूतपूर्व मंत्री द्वय से यह निवेदन करना चाहूँगा कि सदन के प्रति उत्तरदायित्व है और इस प्रस्ताव की अहमियत को हम भी नजरअंदाज नहीं करना चाहते और आप ऐसा कभी आभास न लें इस प्रस्ताव पर आज बहस न होकर कल होगी तो उसके महत्व या प्रभाव में कमी आयेगी। आप कहते हैं बाद में जा सकते हैं, मैं परसों भी जा सकता हूँ, नरसों भी जा सकता हूँ। प्रश्न यह है कि एक घटना हुई जिसको हम सभी बहुत गम्भीरता से लेते हैं और उस घटना के ऊपर चर्चा करके ही अपने उत्तरदायित्व को समाप्त नहीं करना चाहते, जिन लोगों ने घटना की है उसके बारे में प्रभावी कदम उठाना चाहते हैं और उसके सन्दर्भ में कुछ कार्यवाहियाँ हुई हैं, उन्हीं को निश्चित समय में पूरा किया जा सके, जिसके विस्तार में यहाँ नहीं कहा जा सकता, इसलिए आज वहाँ चर्चा करने जाना है और जितनी हो सके वह करनी है। मैं समझता हूँ कि जो सदन और प्रदेश की जनता की इच्छा है, उसको हम आगे ही बढ़ायेंगे, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान पैदा होने का सवाल नहीं है। इसलिए विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष महोदय, से निवेदन किया और मैं समझता हूँ कि सदन के अन्दर अपने दायित्वों को पूरा करते हुए ऐसी बातों को ध्यान में रखें, उसमें सदन की न गरिमा कम होगी न प्रस्ताव का महत्व ही कम होता है। इसके विस्तार में जाना मेरे लिए सम्भव नहीं है इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ। मैं कभी इस बात की दरख्वास्त नहीं करता कि इस चर्चा को कल लिया जाये और आज जाने दिया जाये यदि ऐसी विशेष बातें न होतीं।

श्री शीतला सहाय : मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी तक घटना के बाद से समय मिला, वे घटनास्थल देख आये यह अच्छी बात है, क्या वे वहाँ से सीधे जयपुर जाकर चर्चा नहीं कर सकते थे, क्या कल का दिन नहीं था वे जाकर चर्चा कर लेते? आज जब यह बात स्वीकार हो गई, तभी चर्चा के लिये जायें, क्या यह उचित है।

श्री मोतीलाल वोरा : माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे, इसमें शीतला सहाय जी की सलाह की आवश्यकता नहीं है।.....

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का सदस्य हूँ ..... (व्यवधान) सरकार निकम्मापन अपना यहाँ नहीं दिखाये। ..... (व्यवधान)

श्री मोतीलाल वोरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : प्रश्न गम्भीर थोड़ा यह बन जाता है कि माननीय सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाह दे सकते हैं लेकिन जब वे चाहें तभी सलाह दें।

श्री शीतला सहाय : सुझाव की बात होती है। मैं यह सुझाव देता हूँ।

श्री कृष्णपालसिंह : अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य सरकार अच्छी या निकम्मी जो हो उसे सलाह दे सकते हैं लेकिन यह शासन पर होगा कि वह उस निकम्मेपन की सलाह को माने या न माने।

श्री शीतला सहाय : निकम्मापन यहीं दिख रहा है कि 5-5 लोग मारे जाते हैं। यह निकम्मापन है।

श्री मोतीलाल वोरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस स्थगन प्रस्ताव पर अभी चर्चा की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उसकी गंभीरता को देखते हुए निवेदन किया, परिस्थिति ऐसी हुई कि उन्हें जाना पड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कौल एण्ड शकधर की पुस्तक के पेज 431 की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

The Speaker may, in a fit case, postpone consideration of a notice of an adjournment motion without prejudice to the claim of the member to raise an urgent matter. Circumstances in which consideration of adjournment motions has been postponed are:

लेकिन जब आपने एक बार कल के लिए स्थगित कर दिया है तब क्या शीतला सहाय जी इस बात के लिए आप पर दबाव डाल सकते हैं कि इस पर आज ही चर्चा की जाये। ऐसी परिस्थिति हुई है जिस पर आपको पोस्टपोन करने के लिये कहा गया और आपने पोस्टपोन किया है।

अध्यक्ष : मैं कौल एण्ड शकधर की पुस्तक के पेज 437 को पढ़ दूँ—

Where some important business has to be gone through, the Speaker may, with the concurrence of the House, or after suspending the rule, direct that the motion would be taken up at an hour later than 16.00 hours, and if it becomes necessary in an exceptional case, even on a subsequent day 3,

श्री सुन्दरलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् ने जो पढ़ा है वह मैंने देखा और माननीय वोरा जी ने भी जो पढ़ा वह देखा है। श्रीमान् ने जो पढ़ा है, वह इस हाउस के नियम को सस्पेंड करके वह नियम रखा है।

अध्यक्ष : आप बैठें, मैं सदन से जानना चाहता हूँ .....

श्री सुन्दरलाल पटवा : श्रीमान् आप सदन से अनुमति लेंगे। मुझे मालूम है कि सदन में सत्तापक्ष के साथ में अनुमति है माननीय मुख्यमंत्री जो चाहेंगे, उसके लिए अनुमति मिल जायेगी, इसमें कोई सन्देह की कोई बात नहीं है, परन्तु क्या सदन में प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद इस बात की परम्परा डालना कि उसे दूसरे दिन चर्चा के लिए रखा जाये, क्या इन सब दृष्टि से उचित है कि इस प्रकार विधानसभा में एक स्वीकृत स्थगन प्रस्ताव को दूसरे दिन चर्चा के लिए रखा जाये, मैं इसमें सहमति देने में असथर्म हूँ।

अध्यक्ष : आप बैठ जाइए (श्री बाबूलाल गौर की ओर इशारा करते हुए) विरोधी दल के नेता ने सुन लिया आपको सुनने के लिये तैयार नहीं हूँ। आपके नेता के बाद मैं आपको नहीं सुनना चाहूँगा। आप जो भी कहेंगे रिकार्ड में नहीं आएगा।

श्री बाबूलाल गौर : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ ऑर्डर है और अध्यक्ष महोदय का कर्त्तव्य है कि इस आधार पर मुझे अवसर दें।

अध्यक्ष : मेरा क्या कर्त्तव्य है, मैं जानता हूँ।

श्री बाबूलाल गौर : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ ऑर्डर है।

अध्यक्ष : मैं पाइंट आफ ऑर्डर नहीं सुनूँगा। आप बैठ जाइए।

श्री बाबूलाल गौर : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई नियम नहीं है।

अध्यक्ष : मेरा पूरा अधिकार है कि पाइंट आफ ऑर्डर सुनूँ या नहीं सुनूँ। आप बैठ जाइए। इस प्रश्न पर आपके नेता को सुना नहीं होता तो आपको सुन लेता।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक औचित्य का प्रश्न है श्रीमान् के समक्ष औचित्य का प्रश्न किसी भी समय, किसी भी मामले पर उठाने का प्रत्येक सदस्य को अधिकार है। आप कृपा करके औचित्य के प्रश्नों को उठाने का अवसर सदस्य को दें। अगर औचित्य का प्रश्न नियम के अन्तर्गत नहीं आता है तो श्रीमान् उसे अस्वीकृत कर सकते हैं, परन्तु औचित्य के प्रश्न के बारे में किसी सदस्य को उठाने से रोकना, मेरी दृष्टि से उचित नहीं होगा। पाइंट ऑफ ऑर्डर कृपा कर सुनना चाहिए।

अध्यक्ष : मैं निश्चित रूप से गौरजी को सुनना चाहता हूँ लेकिन नियम मुझे बता दें कि औचित्य का प्रश्न उठता है तो सुनना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं।

मैं औचित्य के प्रश्न पर बहुत लिबरल हूँ। यह महत्वपूर्ण मामला है। आपके नेता को सुन लिया है तो .....

श्री बाबूलाल गौर : मैं नेताजी के बारे में कुछ नहीं कहना चहता। मैं कहना चाहता हूँ कि ..... (व्यवधान)

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी जयपुर नहीं जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। सदन में यह बता कर जा रहे हैं कि जयपुर जा रहे हैं, जबकि दिल्ली जा रहे हैं।

अध्यक्ष : आप बैठें।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संरक्षण चाहूँगा। माननीय रमाशंकर जी का यह प्रस्ताव है। वे प्रस्ताव पर चर्चा के समय कह देंगे कि मैं सिनेमा देखने गया था। लेकिन इस प्रकार सदन में गलत बात कहना शायद उनके लिए शोभा नहीं देता। मैं राजस्थान जाऊँगा, दिल्ली भी जाऊँगा, जहाँ भी आवश्यकता होगी, जाऊँगा। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, वही मेरा कहना था, राजस्थान के बहाने दिल्ली जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ।

अध्यक्ष : आप बैठ जायें। (व्यवधान)

मैं सिर्फ गौर साहब को सुनना चाहता हूँ। क्या मजबूर होकर आपका पाइंट आफ ऑर्डर सुनना आवश्यक है? ऐसा कोई नियम है।

श्री बाबूलाल गौर : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि हमारी प्रक्रिया के अन्दर यह है कि कोई भी माननीय सदस्य खड़ा होकर औचित्य का प्रश्न उठाए तो माननीय अध्यक्ष महोदय अवसर प्रदान करेंगे। मुझे एक बार भी अवसर प्रदान नहीं किया गया। इसमें मेरी क्या त्रुटि है? माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े हो जाते हैं और माननीय विरोधी दल के नेता खड़े हो जाते हैं, हम पूरा आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, लेकिन यह मतलब नहीं है कि विरोधी दल के नेता बोल रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति का औचित्य का प्रश्न समाप्त हो जाये। ऐसी कोई रूलिंग बता दें अध्यक्ष महोदय, कि विरोधी दल का नेता खड़ा हो जाये या मुख्यमंत्री खड़े हो जायें, तो उसका अधिकार ही समाप्त हो जायेगा। यदि आप इस प्रकार बता दें तो कोई शिकायत नहीं होगी?

अध्यक्ष : आप कक्ष में आ जायें, मैं बता दूँगा।

श्री बाबूलाल गौर : फिर विधानसभा चलने का अर्थ ही क्या हुआ, यदि कक्ष में बताना है तो।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती है, आप चर्चा करवाइए। सरकार नहीं चाहती कि आज सदन के सामने तथ्य आयें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस मामले में सहमत होने पर अपने को असमर्थ पा रहा हूँ। स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के पश्चात् चर्चा के लिए दूसरे दिन के लिए रखा जाये, परन्तु मैं शासन का रवैया देख रहा हूँ। वह चर्चा को टालने पर तुला हुआ है। मैं इस बारे में शासन के रुख के प्रति असहमति व्यक्त करते हुए सदन से अपने दल के साथ बहिर्गमन करता हूँ।

डॉ. गौरीशंकर शेजवार : (बाहर जाते हुए) आप बहुमत के आधार पर बच नहीं सकते।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अभी एक बात और पैदा हो गई है—

अध्यक्ष : आप वाक आउट नहीं कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, मैं जा रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस सदन की लंबी परम्परा के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव को भी स्थगित करने का प्रेसीडेन्स नहीं रहा है। है।

श्री अर्जुनसिंह : आप जितने दिन भी मुख्यमंत्री रहे, एक भी स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत कराने की हिम्मत की है?

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : यदि मुख्यमंत्री हिम्मत बता रहे हैं, यदि आप अपनी गवर्नमेंट को बार-बार सेंसर कराना चाहते हैं, तो कराते रहिए? (व्यवधान)

अध्यक्ष : नियमावली के नियम 57 के अनुसार स्थगन प्रस्ताव की चर्चा के लिए निलंबित करता हूँ और कल के लिए प्रश्नोत्तर के बाद 2 घण्टे का समय नियत करता हूँ। मैं इसे कल तक के लिये स्थगित करता हूँ। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल गौर : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह था कि औचित्य के प्रश्न के आधार पर—

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना नोटिस में लाना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपको मुख्यमंत्री जी का पत्र मिला होगा कि डाकू समस्या के निराकरण के लिए तथा चंबल परियोजना से म.प्र. को सिंचाई हेतु जल प्रदाय के संबंध में चर्चा करने के लिए आज दिल्ली जा रहा हूँ। अतः म.प्र. विधानसभा की आज की प्रश्नोत्तर समय के बाद की कार्यवाही में, मैं सम्मिलित नहीं हो सकूँगा। उसकी प्रति मेरे पास भी मुख्यमंत्री ने भेजी है। तो केवल इस काम के लिए चर्चा न करवाई जाना उचित नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन को सूचित किया है। मैं राजस्थान भी जा रहा हूँ और दिल्ली भी जा रहा हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : इसमें उसका उल्लेख नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : भूल से रह गया होगा। जब सदन में सूचित कर रहा हूँ तो—

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा "धिक्कार है, धिक्कार है" की आवाज)

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब मैंने यह सूचना सदन के सामने रखी तब मुख्यमंत्री ने डाँटा, उनको कहिए कि गलत किया है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/16 मार्च 1981, पृष्ठ/ 1315-1321)

पावा गाँव की घटना पर चर्चा 17 मार्च को भी चली। मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने अपने विस्तृत भाषण में डकैती समस्या के समाधान के संदर्भ में सरकार की तत्परता प्रकट की और कहा कि नया कानून इसी विधानसभा सत्र में लाने का प्रयास करेंगे ताकि आतंक और शोषण के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा सके। उन्होंने इस समस्या को जड़मूल से समाप्त करने के लिए सदन से प्रबल समर्थन की अपील की—

अध्यक्ष : श्री रमाशंकर सिंह जी, आप अपना स्थगन प्रस्ताव पढ़ें।

श्री रमाशंकर सिंह (रोन) : अध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक महत्व के निम्न अविलम्बनीय विषय पर चर्चा हेतु स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ, विषय इस प्रकार है। "13 मार्च, 81 को ग्वालियर जिले के पावा गाँव में दस्यु सरदार पानसिंह के कुख्यात गिरोह ने पाँच ग्रामीणों को बर्बरता पूर्वक कत्ल कर दिया। समीपवर्ती गाँव मेवाया में पाँच ग्रामीणों को रस्सी से बाँधकर पावा लाया गया और वहाँ सबको एक कतार में खड़ा कर गोली से भून दिया। डाकू गिरोह ने पावा गाँव की झोपड़ियों में आग लगा दी, और जंगल में भाग गये। डकैत मातादीन की मृत्यु के बाद से ही उक्त गाँव के निवासियों को पानसिंह की ओर से धमकियाँ मिल रही थीं। आसपास के कई गाँवों से गूजर जाति के अनेक लोग गाँव छोड़कर ग्वालियर भाग आये हैं। ग्रामीणों में आतंक और भय व्याप्त है। पूर्व में ग्रामीणों द्वारा मातादीन के विरुद्ध पुलिस को सूचना व सहयोग देने के फलस्वरूप हुए हत्याकांड के कारण पुलिस विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। सम्पूर्ण ग्वालियर व चंबल संभाग में दस्यु गिरोह के बढ़ते आतंक के कारण अशांति छाई हुई है।

अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि— "13 मार्च, 81 को ग्वालियर जिले के पावा गाँव में दस्यु सरदार पान सिंह के कुख्यात गिरोह ने पाँच ग्रामीणों को बर्बरता पूर्वक कत्ल कर दिया समीपवर्ती गाँव मेवाया से पाँच ग्रामीणों को रस्सी बाँधकर पावा लाया गया और वहाँ सबको एक कतार में खड़ा कर गोली से भून दिया। डाकू गिरोह ने पावा गाँव की झोपड़ियों में आग लगा दी और जंगल में भाग गये। डकैत मातादीन की मृत्यु के बाद से ही उक्त गाँव के निवासियों को पानसिंह की ओर से धमकियाँ मिल रही थीं। आसपास के कई गाँवों से गूजर जाति के अनेक लोग गाँव छोड़कर भाग गये हैं। ग्रामीणों में आतंक और भय व्याप्त है। पूर्व में ग्रामीणों द्वारा मातादीन के विरुद्ध पुलिस को सूचना व सहयोग देने के फलस्वरूप हुए हत्याकांड के कारण विश्वसनीयता समाप्त हो गई

है सम्पूर्ण ग्वालियर व चम्बल संभाग में दस्यु गिरोह के बढ़ते आतंक के कारण अशांति छायी हुई है।"

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह घटना जिस प्रकार की है और जितनी दर्दनाक है, उसके सम्बन्ध में इस सदन का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? यह एक ऐसी महत्वपूर्ण बात होगी कि जिससे चम्बल और ग्वालियर संभाग के 55 लाख नागरिकों का सीधा-सीधा वास्ता है। श्रीमान् सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इस विषय को और इस मामले को इतना महत्वपूर्ण समझा कि स्वयं अपनी ओर से इस स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करवाया। श्रीमान् हम लोग अलग-अलग राजनीतिक दलों के हैं। लेकिन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक जीत कर आते हैं तो वहाँ की जनता की उम्मीदें, आकांक्षाएँ, उस विधायक के साथ जुड़ी रहती है। आज यह मामला ऐसा बन गया है क्योंकि यह कोई नयी चीज आज पैदा नहीं हुई है। पिछले कई 100 वर्षों से और खास तौर से श्रीमान् आँकड़े देना चाहूँ तो वह बहुत दूर हो जायेगा— अकबर के या फिर पृथ्वीराज सिंह चौहान के। वहाँ नहीं जाना चाहता लेकिन नये मध्यप्रदेश का जब से गठन हुआ है उसके बाद से सन् 1957 से लेकर के सन् 1972 तक जब कि जयप्रकाश जी के सामने कई सौ गिरोहों ने आत्म समर्पण किया। उसके अगर आँकड़े सदन के सम्मुख रखना चाहूँ तो उससे जाहिर होता है कि पिछले 25-30 वर्षों में और मध्यप्रदेश का पुनर्गठन होने के बाद यह समस्या गम्भीर रूप से सामने आई है क्योंकि इस पूरे आजाद भारत में जो योजनाएँ विकास की बनीं, जो आगे बढ़ने के कार्यक्रम बनते हैं, उनके फल आने से पहले ही छिन जाते हैं। उसके बारे में आप हर दृष्टि से देखें, शांति व्यवस्था का मामला जरूर है लेकिन आखिर ऐसी कौन-सी बात है कि चम्बल और ग्वालियर संभाग में ही इस प्रकार की समस्या है। इस पर विचार करना सदन को बहुत जरूरी है और ऐसे मौके पर जब कि सदन ने इस स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य किया है। हमको इसके संदर्भ में कि क्या एक कुख्यात डाकू गिरोह ने ग्रामीणों को मार डाला, झोपड़ियों को आग लगा दी, किन परिस्थितियों में यह संभव हुआ और वर्तमान सरकार ने इस घटना के पूर्व जो निरोधक उपाय होना चाहिये थे कि ऐसी घटना न होने पाये और घटना के बाद जिस प्रकार एक्शन होना चाहिए था वह हुआ या नहीं हुआ। इसके संबंध में कुछ समय माँग करके विस्तार से वर्णन करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष : आप इतना समय नहीं ले पायेंगे कि पूरी चर्चा 2 घंटे में समाप्त हो पाये। नियम 58 के अधीन स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा दो घंटे हो सकती है उसके आगे एक मिनट भी नहीं बढ़ाया जा सकेगा। यदि समय नहीं रहा तो शासन का वक्तव्य नहीं आएगा।

आप 4.15 बजे तक समाप्त कर देंगे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : इस बारे में जो प्रस्ताव दे चुके हैं उनके नाम भी हमने दिए हैं, उनको भी बोलने का मौका दिया जाए।

अध्यक्ष : जी हाँ।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्यों डाकू बनते हैं उसके बारे में सोचना होगा और शार्ट टर्म व लॉग टर्म प्लान और ऐसी योजनाएँ बनानी होंगी कि अन्ततः यह समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाये। भौगोलिक स्थिति जो है खास तौर से सिंध, क्वारी, चंबल, बौसुली आसन और जमुना नदी के जो बीहड़ हैं, छोटी-छोटी नदियों के इन बीहड़ों में जो कि कई लाख किलोमीटरों में फैले हुए हैं इन बीहड़ों में डाकू क्यों पैदा होते हैं, इसका प्रमुख कारण भौगोलिक स्थिति है। यह भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उनको एक प्रकार से प्राकृतिक रूप में एक आश्रय स्थल मिल जाता है।

श्रीमान् आप देखें, चाहे वह पानसिंह हो चाहे मलखान सिंह हो, आखिर यह डाकू बनते क्यों हैं? पानसिंह पर होने वाली बहस के माध्यम से आज पूरे सदन को यह निर्णय लेना पड़ेगा कि पानसिंह और मलखानसिंह और चम्बल संभाग में जो 700 डाकू हैं, वे ऐसे कार्य क्यों करते हैं, मैं यह उनकी निन्दा की दृष्टि से ही नहीं बल्कि घृणा की दृष्टि से कह रहा हूँ। उन्होंने समाज के गरीब वर्ग को लूटा है उनको मार डाला है। आखिर यह होता क्यों है। श्रीमान पानसिंह सन् 1960 को एशियाई दौड़ में भाग ले चुका है और उसमें उसने गोल्ड मेडिल प्राप्त किया है। यह 6 फीट का जवान है। फौज में नौकरी करता था। उसका भाई मातादीन भी फौज में नौकरी करता

था। दोनों भाई नौकरी करते थे। इन दोनों भाईयों की जमीन पर उसके भाई बाबूसिंह ने कब्जा कर लिया। उसके भाई ने राइफल का लाइसेन्स लिया, जो मिलेट्री में होते हैं उनको एक बन्दूक का लाइसेंस मिल सकता है। उसके उस लाइसेंसी स्प्रिंग फील्ड राइफल के बारे में वैधता को चुनौती दी गई और परेशान किया गया। वह राजस्थान में उसके रिश्तेदारों के साथ तीर्थयात्रा करने जा रहा था राजस्थान में एक देवी हैं, उसके दर्शन करने के लिये जाते हैं।

श्री रायसिंह भदौरिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि माननीय सदस्य रिलेवेन्ट बोलें। इस प्रकार की कहानी सुनाने से तो कोई लाभ नहीं होगा।

श्री रमाशंकर सिंह : श्रीमान् मैं रिलेवेन्ट ही बोल रहा हूँ।

अध्यक्ष : आप रिलेवेन्ट तो बोल रहे हैं लेकिन इतने डिटेल में जा रहे हैं कि इतने समय में आप पूरा नहीं कर पायेंगे।

श्री रमाशंकर सिंह : शासन आज कुछ कदम उठा सके, समाज में जो गरीबों का कत्ल हो रहा है, आज चम्बल घाटी उससे त्रस्त है, उसके बारे में कुछ प्रभावी कदम उठाये जा सकें, शासन कुछ ठोस कार्यवाही कर सके उसके लिये मैं कुछ पाइन्ट्स रख रहा हूँ।

अध्यक्ष : आप इतने डिटेल्स में जा रहे हैं कि जो समय दिया गया है उसमें आप अपने सब प्वाइंट नहीं रख पायेंगे। आप जानिए मैं सवा चार बजे तक ही समय देता हूँ।

श्री रमाशंकर सिंह : श्रीमान् मैं अपने निश्चित समय में पूरा कर लूँगा। पानसिंह और मातादीन पर डकैती का झूठा आरोप लगा दिया गया और उनको काफी परेशान किया गया। थानेदार ने उसको काफी परेशान किया, पुलिस अधिकारियों ने परेशान किया। परेशान होकर दोनों भाई एक महीने के लिये बाहर चले गये। जब वे बाहर थे उसी बीच पानसिंह की लड़की के साथ रेप कर दिया जाता है।

श्री रायसिंह भदौरिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि आप इनको आदेश दीजिए कि यह रिलेवेन्ट बोलें।

अध्यक्ष : मैंने बता दिया है उनका समय निश्चित कर दिया है। उसमें वे चाहे जो कुछ भी बोलें।

श्री रमाशंकर सिंह : श्रीमान्, में अपने समय में समाप्त कर दूँगा। इन दोनों को बन्दूक के लाइसेन्स के बारे में परेशान किया जाता है उनको डकैती में गिरफ्तार किया जाता है तरह-तरह से उनको परेशान किया जाता है। उनके जो भूमि के प्रकरण लम्बित हैं उनको नहीं निपटाया जाता है। जब वे देवी के दर्शन करके लौटते हैं तो उनकी लड़की के साथ बलात्कार कर दिया जाता है। श्रीमान्, इन परिस्थितियों में चम्बल में डाकू पैदा होते हैं। राजस्व प्रकरण जो 20-20, साल से 30-30 साल से लम्बित हैं। उन प्रकरणों का निपटारा नहीं होता है। एक साधारण व्यक्ति भी खीज जाता है और कुंठित हो जाता है और एक सामान्य व्यक्ति मजबूर होकर कानून की परिधि से बाहर निकलने की सोचता है। जो राजस्व प्रकरण हैं उनमें पटवारी का भ्रष्टाचार, तहसीलदार का भ्रष्टाचार, पुलिस का भ्रष्टाचार, थानेदार का भ्रष्टाचार। जो पैसे वाले लोग हैं पुलिस का उनके पक्ष में जाना। यही सब कारण हैं। उनके पक्ष में जाने अनजाने कार्यवाही करना। श्रीमान् चम्बल संभाग में आबादी के मामले में सबसे बड़ा मुरैना और भिण्ड का क्षेत्र है। वहाँ के लोगों को रोजगार के लिये कोई उद्योग नहीं है, कोई कारखाना नहीं है। जमीन पर ही सारा दबाव पड़ता है। इसके साथ-साथ कुछ राजनीतिक लोग और समाज के कुछ संभ्रान्त लोग जिनकी समाज में प्रतिष्ठा मानी जाती है उनके द्वारा इन गिरोहों को प्रश्रय ही नहीं देना बल्कि उनको राजनीतिक कहना और चम्बल संभाग में बोर्डर पर जो बार्डर सिक्यूरिटी फोर्स का मुख्यालय है और फौज के लोग वे और पुलिस मिलकर इन लोगों के हथियार और आर्म्स अमुनेशन सप्लाई करने का काम करते हैं।

श्री अजय नारायण मुश्रान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पानसिंह के बारे में जो कुछ बतलाया, वह ठीक हो सकता है। लेकिन बी.एस.एफ. और सिक्यूरिटी फोर्स के लोग और फौज के लोग क्या करते हैं, इसके लिए मेरा कहना है कि जिसके बारे में उनको जानकारी नहीं है उनके बारे में नहीं बोलना चाहिये और फौज में कोई ऐसा कानून लाईसेन्स देने का है, यह मुझे नहीं मालूम और यदि है तो वे मुझे बाहर बतलायें, मैं भी उनको बतला दूँगा। बच्चों को अपनी हैसियत से ही बात करना चाहिए।

श्री नगीन कोचर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि बच्चों को— तो क्या यहाँ सब

बच्चे हैं। क्या यह उचित है। यहाँ तो सभी माननीय सदस्य हैं?

श्री परशुराम भदौरिया : अध्यक्ष महोदय, जो बच्चों जैसी बातें करें वह बच्चा ही है। माननीय सदस्य दिल्ली में रहते हैं और चम्बल संभाग की बात कर रहे हैं।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस डाकू समस्या पर सभी को खुले दिमाग से विचार करना होगा। मैंने जो कहा है उसमें किसी पर आरोप नहीं लगाये हैं। लेकिन चाहे वह पुलिस हो, फौज हो या सिक्यूरिटी फोर्स हो चाहे कोई भी हो जो इन लोगों को अवैध आर्म्स एण्ड एम्युनेशन सप्लाई करते हैं क्या इसकी जानकारी शासन को नहीं है? तो अध्यक्ष महोदय, यह कारण है जिनके कारण से कि आज चम्बल संभाग में डाकुओं के मसले में एक विकट समस्या पैदा हो गई है। अध्यक्ष महोदय, ग्वालियर एवं चम्बल संभाग में वर्ष 1980-81 में 31-1-81 तक हत्या व डकैती वाले जिले एवं हत्या एवं अपहरणों की संख्या इस प्रकार है— ग्वालियर संभाग में ग्वालियर में हत्या 91, डकैती 30, अपहरण 37, शिवपुरी में 37 हत्या, डकैती 22 और अपहरण 29। गुना में हत्या 51, डकैती 25 तथा अपहरण 19। इसी तरह से चम्बल संभाग में भिण्ड में हत्या 88, डकैती 16, तथा अपहरण 65। मुरैना में हत्या 73, डकैती 20 तथा अपहरण 39, दतिया में हत्या 26, डकैती 10 तथा अपहरण 23। श्रीमान् वर्ष 1980 के अन्दर अकेले भिण्ड में 91 व्यक्तियों का अपहरण हुआ है और 604 चोरियाँ हुई हैं, 800 कत्ल के प्रकरण दर्ज हुए हैं और इनका कहना है कि अपराधों में इस वर्ष वृद्धि हुई है। यह 6 मार्च के प्रश्नों के उत्तर हैं। इसी प्रकार से श्रीमान् देखें कि अकेले माह जून से माह दिसम्बर के बीच में इसी संभाग के इसी क्षेत्र के बारे में माह जून में 1582 अपराध हुए हैं। जुलाई में 1605 अपराध हुए हैं। अगस्त में 1602 अपराध हुए हैं और सितम्बर में 1574 अपराध हुए हैं और यह बढ़कर के श्रीमान् 1500 अपराधों की स्थिति इस संभाग में रही है। हत्या का मामला अकेले माह जून में इस संभाग में 214 हत्याएँ हुई हैं। 73 डकैतियाँ हुई हैं और 2656 चोरियाँ हुई हैं और 139 व्यक्तियों का अपहरण किया गया है, 50 बलात्कार और अन्य प्रकार के प्रकरण हैं। श्रीमान् क्या यह सारी की सारी स्थिति आपको नहीं दर्शाती है कि वहाँ की हालात जो हम लोगों के घेरे हैं, जो मानसिक घेरे हैं उनसे ऊपर उठकर भी कोई ऐसा निराकरण और निदान सोचना चाहिये जिससे कि वहाँ की जनता सुख चैन से सो सके। डाकू अभियान में अकेले भिण्ड जिले में अगर मुख्यमंत्री जी का उत्तर सही है जो 17 मार्च को जवाब दिया है प्रश्न सं. 59 में कि वर्ष 1980-81 के बजट में 68 लाख खर्च करने का तय किया है। और अकेले भिण्ड जिले में प्रतिमाह तीस हजार रुपया खर्च हो रहा है और कई लाख रुपया खर्च हो चुका है। यह हमारे प्रदेश का पैसा है जनता की कमाई का पैसा है जो डाकू अभियान में खर्च हो रहा है। श्रीमान् आप दौरे पर गये थे आपने कहा था सरकार और यहाँ के जिम्मेदार विधायकों को बिठाकर गोल मेज सम्मेलन करेंगे कि कैसे इसका निराकरण हो सकता है। मुख्यमंत्री जी ने आज तक प्रयास नहीं किया। .....

अध्यक्ष : मैंने कहा था वह काम समाप्त नहीं हुआ है।

श्री रमाशंकर सिंह : आपने कहा था लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा भी नहीं और प्रयास भी नहीं किया। यह घटना पावा ग्राम की है.....

अध्यक्ष : इस घटना पर दो मिनट मिलेंगे।

श्री रमाशंकर सिंह : पाँच मिनट मेरा ये खा गये। श्रीमान् नगीन कोचर का अशासकीय संकल्प था, जब उस पर बहस हो रही थी तब तक शासन को नहीं मालूम था कि पावा ग्राम की झोपड़ियों में आग लगा दी गई, पाँच लोगों को मार डाला गया। पावटा के चार आदमियों को बाँधकर लाया गया और एक आदमी पावा में बाँधकर लाया गया। एक पिता भैरों सिंह और उसकी दो संतानों को बाँधकर पावा लाया गया और सबको गोली से भून दिया गया। आसपास की औरतें, बच्चे यह दृश्य देखते रहे।

श्री परशुरामसिंह भदौरिया : क्या माननीय सदस्य को कुछ भी बोलने की इजाजत है?

श्री रमाशंकर सिंह : झोपड़ियों में आग लगा दी गई, पावा गाँव जलता रहा और इसकी सूचना ग्वालियर में सुबह 9 बजे भागकर आये एक ग्रामीण ने दी कि इस प्रकार की घटना हुई है। वहाँ से पनिहार थाना चार

किलोमीटर पर है वहाँ से चार घण्टे में पुलिस आ पाई। मुख्यमंत्री वहाँ तक गये उस समय भी वहाँ की झोपड़ियों से धुआँ उठ रहा था। घटना होने के बाद क्या मरहम-पट्टी की गई? सवाल यह नहीं है कि ऐसी परिस्थिति क्यों बन रही है? जिस समय इस प्रकार की घटना हो रही है, सरकार प्रभावी काम नहीं कर रही है। मेरा आरोप है जब तक पुलिस में ईमानदार, कुशल और हिम्मती आदमी और तीनों में से एक भी घट जाएगा तो अभियान सफल नहीं होगा, तो ढूँढकर ईमानदार, कुशल और हिम्मती आदमी नहीं लगायेंगे जो मिशन मानकर इस काम को पूरा करें तब तक यह होता रहेगा।

अध्यक्ष : आप समाप्त करें।

श्री रमाशंकर सिंह : एक मिनिट में समाप्त कर रहा हूँ। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि वहाँ पर नकली पुलिस मुठभेड़ दिखाये जाते हैं, और निर्दोष आदमी मारे जाते हैं। यह समस्या का इलाज नहीं है। पुलिस के कुछ अफसर जिनका नाम लेना ठीक नहीं है, आज भी डाकुओं को आर्म्स सप्लाई करते हैं, बन्दूकें सप्लाई करते हैं लेकिन इसका सबूत नहीं दे सकता। ऐसे लोगों को बेनकाब करना होगा वर्ना समस्या का निदान नहीं हो सकेगा।

श्री मोतीलाल वोरा (दुर्ग) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रमाशंकर सिंह ने काम रोको प्रस्ताव को रखा जिस पर आपने चर्चा की अनुमति दी है। रमाशंकर सिंह ने अपने भाषण में क्या कहा है या पूरा इतिहास उन्होंने डाकुओं की उत्पत्ति का प्रस्तुत किया है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि ग्वालियर और चम्बल संभाग में डाकुओं का उत्पात पिछले दो-तीन वर्षों से काफी बढ़ा है। मैं इस बात से सहमत हूँ। ..... मैं इस बात से सहमत हूँ कि बेरोजगारी की समस्या जिसका चित्रण माननीय रमाशंकर सिंह जी ने किया है और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस बात को प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि 'वेरडिक्ट ऑन जनता' में इस बात का उल्लेख किया गया है।

"It laid so much importance to creating job opportunities that it regarded employment as a basic instrument rather than a distant objective of development and social justice." Great sentiments indeed.

But what has been the result of the Janata Government "full employment strategy."

As reveated by the Pioneer (June 2, 1979). the number of registered unemployed at 535 employment exchanges."

मैं बता रहा हूँ कि बेरोजगारों की स्थिति का जो वर्णन यहाँ माननीय सदस्य ने यहाँ किया है।

अध्यक्ष : यह कौन-सी किताब है, लेखक का क्या नाम है?

श्री मोतीलाल वोरा : 'वेरडिक्ट आन जनता' नामक पुस्तक है, यह एक अच्छे लेखक की पुस्तक है। लेखक का नाम है जगप्रवेशचन्द्र।

श्री रमाशंकर सिंह : जगप्रवेशचन्द्र कांग्रेस (आई) का सदस्य है।

श्री मोतीलाल वोरा : जनता शासन काल में बेरोजगारी दूर करने के विषय में जो घोषणा की गई थी .....

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, कोई ऐसा लेखक जिसका नाम न ले सकें और आपके पूछने पर डरते-डरते वोरा जी ने नाम लिया।

श्री मोतीलाल वोरा : न मेरे मन में डर है, न मेरे मन में भय है। मैं केवल इस बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि जो वादे जो प्रॉमिस 3 साल के अन्दर किये गये, उसकी परिणति बेरोजगारी में किस तरह से हुई है, उसका वर्णन एक प्रख्यात लेखक के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूँगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : ऐसे विख्यात हैं जिनका नाम ढूँढने के लिए वोरा जी को कई बार एं-एं करना पड़ा।

श्री मोतीलाल वोरा : वह मेरी बचपन की आदत है। मेरी उम्र पटवा जी से कुछ कम होगी। मुझे लगता है कि पटवा जी के अभी दूध के दाँत टूटे नहीं हैं। ये अपने दूध के दाँत तोड़कर किसी लेखक की किताब पढ़ने का साहस करें। इसमें उनको कटु लगेगा। डाकू समस्या की निर्मिति, उसकी उत्पत्ति उसमें जो बहुत से कारण हैं उसमें बेरोजगारी के भी बहुत कारण हैं।

"up to last December was 1.25 crores and the average growth of unemployed is ten lakhs a year.

अध्यक्ष : आपका बहुत समय इसी में निकल जायेगा।

श्री मोतीलाल वोरा : वह इसलिये कहना चाहता हूँ कि पानसिंह ने जो 5 गूजरों की हत्या की और जो बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण प्रस्तुत किया, उसमें से यह एक कारण हो सकता था। पिछली सरकार ने तीन साल तक लगातार उस स्थिति को कायम रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, चम्बल और ग्वालियर संभाग में डाकुओं की उत्पत्ति हुई। यह कहना सरासर अन्याय होगा, हमारे शासन के साथ में कि हमने डाकू समस्या समाधान की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। मैं पटवा जी और रमाशंकर सिंह जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूँगा कि 1972 में श्री प्रकाशचन्द सेठी, जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब ग्वालियर संभाग और चम्बल संभाग में डाकुओं का आत्मसमर्पण हुआ, डाकू उन्मूलन हुआ। उसके पश्चात् लगातार 5 वर्ष तक उस क्षेत्र के लोगों ने चैन की साँस ली और आराम से सोये। लेकिन पिछले तीन वर्षों में क्या कोई कदम उठाये गये? इन तीन वर्षों में डाकुओं की संख्या बढ़ी। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का निवेदन करना चाहूँगा कि भौगोलिक सीमा पुलिस की हो सकती है ..... लेकिन भौगोलिक सीमाओं में डाकुओं को बाँधकर नहीं रखा जा सकता, चाहे वह फूलन बाई हो, चाहे वह पानसिंह हो, चाहे अन्य कोई डाकू हो। जब कहीं कोई सीमाएँ इनको रोकने की नहीं हैं। इनको रोकने के लिये तीव्र गति से कदम उठाये जाने चाहिये। हमारी सरकार ने क्या कदम नहीं उठाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, इन्दौर, विदिशा, सतना, रतलाम और रीवा, जिलों में डाकुओं की संख्या इन 3 वर्षों में बढ़ी है। अध्यक्ष महोदय, जब 3 वर्षों में डाकुओं की संख्या बढ़ी तो वह डकैती एकाएक सरकार के आने के बाद समाप्त नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, ये गंभीर समस्या है और ये नहीं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने काम नहीं किया। हमने काम पूरा किया, लेकिन अध्यक्ष महोदय ये डाकुओं के गिरोह किस प्रकार पनप रहे हैं और इन गिरोहों को समाप्त करने की दिशा में अगर सरकार ने कदम उठाये हैं, 8 महीने के शासनकाल में। इनमें 3 पुलिस स्टेशन, 39 चौकियाँ स्थापित कीं और 50 उपनिरीक्षक। उनकी जितनी आवश्यकताएँ हो सकती थीं, उनको पूरा कर वहाँ पर नियुक्त किया गया और इसके साथ-साथ दस्यु-उन्मूलन के लिये प्रभावी कदम शासन ने उठाए। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ इस बात को भी देखेंगे कि पिछले 3-4 माह में 49 डाकू मारे गए। भिण्ड, मुरैना और दतिया में। अध्यक्ष महोदय, ये मुठभेड़ नकली मुठभेड़ हुई 6 डाकू मारे गए। अगर पानसिंह मारा जाये तब क्या भाई रमाशंकर जी कहेंगे कि नकली मुठभेड़ है। फूलन देवी मारी जाये तो क्या श्री रमाशंकर जी, पटवा जी कहेंगे कि नकली मुठभेड़ हुई। हमारा उद्देश्य डाकू समस्या उन्मूलन का है, चाहे वह मुठभेड़ में मारा जाये।.....

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, रौन थाने के गाँव मेहदा में जब गोकुल सिंह मारा जाये, तब मैं कहूँगा कि वह नकली मुठभेड़ थी। इन्हें उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। एक जंग लगी बंदूक रखकर आपने 6 निर्दोष लोगों को अक्टूबर 80 में मरवाया।

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, हम तो डाकू समस्या के उन्मूलन के लिये कदम उठायेंगे और शासन कदम उठा रहा है। इनको हमदर्दी क्या है, ये मैं नहीं जानता। डाकुओं के प्रति इनकी हमदर्दी नहीं हो सकती है, ये मैं समझता हूँ। जिस संवेदनशीलता से माननीय रमाशंकर जी ने ये काम रोको प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, इनकी हमदर्दी नहीं हो सकती। हमदर्दी पूरे संभाग की उन लोगों के प्रति, उन ग्रामवासियों के प्रति है, जिनकी हत्या निर्मर्मता से की गई है। मैं निवेदन कर रहा था, लेकिन दतिया, ग्वालियर संभाग में ग्वालियर शिवपुरी में 7 डाकू मारे गए और सागर संभाग में 12 डाकू मारे गए। इस प्रकार माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 महीने में 49 डाकुओं का सफाया यदि हुआ है और 759 डाकू यदि पकड़े गए तो अध्यक्ष महोदय, ये कहना सरासर अन्याय होगा, कि सरकार इस पूरे 8-9 महीने में पूरी तरह से सोती रही। पुलिस और फौज का भी उन्होंने जिक्र किया। पुलिस डाकुओं से मिली हुई है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर कहीं कोई आरोप सिद्ध न हो तो केवल ये आरोप लगा दिया जाये कि पुलिस मिली हुई है।

अध्यक्ष : डाकुओं के पास आटोमेटिक गन्स, गरीब आदमी के पास वे तो नहीं आते, वह कहाँ से आते हैं?

श्री मोतीलाल वोरा : डाकुओं के पास कहाँ से ..... सामंती प्रवृत्तियों..... (व्यवधान)।

श्री शीतला सहाय : माननीय वोराजी सही कह रहे हैं। इन 6 महीनों में जागीरदार, जमीदार और राजाओं ने समझ लिया है कि हमारी सरकार है। इसलिये जो करना चाहो कर लो और निरंकुश हो गए डर समाप्त हो गया है, इसलिये अध्यक्ष महोदय, डाकू बने हैं।

श्री मोतीलाल वोरा : माननीय सदस्य शीतला सहायजी को भ्रम हो गया है। सामंतवादी प्रवृत्तियों के लोग आपके साथ में रहे हैं। माननीय वित्तमंत्री जी श्री कृष्णपालसिंह जी का भाषण नहीं सुना। समाजवादी प्रवृत्ति के लोग हमारे साथ हैं। कहाँ से हथियार आए? यह जरूर चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह जो डाकुओं के पास ऑटोमेटिक गन आई, तो फौज से सम्भव नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं कि विदेशों से मँगा ली। अध्यक्ष महोदय, 3 साल के—

श्री कपूरचंद धुवारा : अध्यक्ष महोदय, इनमें वे लोग भी हैं, जिन्होंने गांधी जी को मारने के लिए हथियार दिए थे।

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की जानकारी दी कि वे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री पहाड़िया से मिलने के लिए जयपुर जा रहे हैं और उत्तरप्रदेश, राजस्थान और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री सभी चिंतित हैं कि जिस तीव्र गति से डाकू समस्या उत्पन्न हुई है, उसका समाधान किस प्रकार से खोजा जाये। केवल आलोचना करने से काम नहीं चलेगा, केवल पुलिस को गालियाँ देने से काम नहीं चलेगा, केवल यह कहने से काम नहीं चलेगा कि फौज से उनको बंदूकें और शस्त्र प्राप्त होते हैं। एक बात अच्छी है कि शासन सतर्क है कि डाकुओं का उन्मूलन कैसे हो। मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से श्री पी.सी. सेठी ने कहा था कि डाकुओं के दाँत तोड़ दिये जाएँगे, उनके बच्चों का अपहरण कर लिया जायेगा उसी सख्ती के साथ कदम आज मुख्यमंत्री उठा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि पानसिंह ने हिम्मत की, 5 गूजरों की हत्या करने की, वह भविष्य में इस प्रकार की हिम्मत कोई नहीं करेगा और निश्चित तौर से पुलिस की गिरफ्त में आयेंगे और शासन पूरे प्रदेश में शांति स्थापित कर सकेगा और इससे अच्छा भाई रमाशंकर जी के काम रोको प्रस्ताव का जवाब नहीं होगा।

श्री चौधरी दिलीप सिंह (भिण्ड) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय को बहुत ही अहम और प्रदेश के जनजीवन का महत्वपूर्ण विषय मानता हूँ। मैं महज आलोचना नहीं बल्कि आज इस रूप में सदन के सामने अर्ज करना चाहता हूँ कि वास्तव में समस्या का निदान हो। श्रीमान्, मानसिंह चम्बल संभाग में डाकू था वह इज्जत लेकर डाकू बना था, लेकिन आजकल डाकुओं का रवैया इंडस्ट्री हो गया है। आज वहाँ समाजवादी इंडस्ट्री डाकू चला रहे हैं, बड़े आदमी का पैसा लेकर। डाकुओं का आज का धंधा इंडस्ट्री टाइप हो गया है। जबकि चंबल संभाग में अहम जरूरी चीज है, डाकू समस्या, वे हुकूमत करना चाहते हैं। लोग डाकुओं की तरह जिंदगी बिताना चाहते हैं तो इस डाकू की इंडस्ट्री को बंद करके आप हेवी इंडस्ट्री वहाँ लगाइये, ताकि क्षेत्र के बेहतर आदमी बंदूक चलायें। दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, उसके साथ-साथ यह भी एक समस्या है कि बेरोजगारी बहुत है। आज पढ़े-लिखे नौजवान बी.एस.सी. एल.एल.बी. करके डाकू बनते हैं जो पकड़े गए हैं। किसी के यहाँ जमीन 5 बीघा है, 7 लड़के हैं, तो एक-एक बीघा भी हिस्से में नहीं पड़ती है। ऐसी समस्याएँ हैं, जिनके कारण जंगल की शरण लेना पड़ती है। इसमें पुलिस का भी बड़ा हाथ होता है। आप इतिहास देखें डाकू— मलखान सिंह डाकू कैसे बना। वहाँ के सरपंच ने गलत मुकदमा लगाकर गलत तरीके से फँसाया था। मलखानसिंह और पानसिंह दोनों पुलिस की हरकतों से डाकू बने। पुलिस को भी अपने में सुधार करना चाहिये। लेकिन हिन्दुस्तान की पुलिस समझे कि आज जनतंत्र की एक ऐसी कड़ी है, जो सही ढंग से जनतंत्र की रक्षा करने में सक्षम हो, ईमानदार हो उसमें कूबत हो और अन्याय के प्रति प्रतिकार की भावना हो। प्रदेश की ईमानदार पुलिस इस समस्या के समाधान में आगे बढ़े। हमारे प्रदेश की पुलिस उसमें पीछे नहीं है और चम्बल, भिंड और मुरैना जिलों के जवान उसमें पीछे नहीं रहे उन्होंने मानसिंह की संगीन से मुकाबला लिया। एक सिपाही ने मुकाबला लिया था। इसकी वजह से राजनैतिक हस्तक्षेप

[illegible]

[illegible]

[illegible]

में वह समस्या कुछ समय के लिये खत्म हो गई थी, लेकिन हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य रहा कि जनता शासन के आने पर वह समस्या फिर शुरू हो गई। अध्यक्ष महोदय, जो समस्या तीन साल में बढ़ी है वह तीन साल जनता पार्टी के शासन काल से ही संबंधित है।

अध्यक्ष : अब सब सदस्य 5-5 मिनिट से ज्यादा नहीं लेंगे।

श्री कमलापत आर्य : जनता शासनकाल के बाद हमारा शासनकाल आया।

श्री सुन्दरलाल पटवा : चौधरी दिलीपसिंह 8 मिनिट बोले हैं।

श्री कमलापत आर्य : जो समय मुझको दिया है कृपया उस समय में कोई बोलता है तो उस समय को बाद में काट लिया जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे 9 माह के समय में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चम्बल रेन्ज, पुलिस रेन्ज अलग से बना दिया है इसके महानिरीक्षक श्री एम.पी. शर्मा नियुक्त हुए हैं। अभी हाल में पावा ग्राम की समस्या है। 13-3-81 को डाकू पानसिंह ने प्रातः 7 30 बजे ग्राम पावा गाँव में जाकर जो अपने आपको उसके भाई मातादीन के मरवाने में शरीक समझते थे उन चार लोगों को बाँधकर पावा गाँव लाया। उस ग्राम के प्रहलाद नामक व्यक्ति को भी बाँधा और लगभग एक सौ मीटर दूर ले जाकर पाँचों को गोली से उड़ाया। लेकिन प्रहलाद नामक व्यक्ति उस समय नहीं मरा, रास्ते में अस्पताल ले जाते समय वह मर गया। वहाँ की जनता ने, वहाँ के लोगों ने 11.45 पर पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को सूचना दी। पुलिस अधीक्षक, भिण्ड दल-बल सहित 1.5 पर उस गाँव में पहुच गये। श्रीमान् मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी चौधरी दिलीपसिंह जी ने अपने भाषण में अलग से चम्बल प्रदेश बनाने की बात कही पर मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब शासन ने डाकू समस्या के उन्मूलन के लिये उस क्षेत्र के श्री जोशी को आय.जी. नियुक्त किया तो उसका उन्होंने विरोध किया। अब इनको चम्बल प्रदेश बनाने की माँग को रखने का हक नहीं है। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी और गृहमंत्री जी इतने सक्रिय हैं, इसका प्रमाण यह है कि मुख्यमंत्री जी स्वयं आय.जी. के साथ उस घटनास्थल पर पहुँचे जहाँ पानसिंह ने हत्याएँ की थीं और जिन परिवार के लोगों को मारा गया था उनको सांत्वना दी तथा उनके परिवार को आर्थिक मदद भी दी। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी शान्त नहीं बैठे। वह उसके बाद ही जयपुर और दिल्ली के लिये रवाना हुए। दिल्ली जाकर उन्होंने केन्द्र के गृहमंत्री श्री जेलसिंह से इस समस्या के संबंध में बातचीत की। अध्यक्ष महोदय, इस डाकू समस्या के उन्मूलन के लिये हमारे प्रदेश का शासन सक्रिय है, मुख्यमंत्री सक्रिय हैं, राज्य के गृहमंत्री तथा पुलिस भी सक्रिय है। सभी लोगों का कर्त्तव्य हो जाता है कि डाकू समस्या के उन्मूलन में अपना सहयोग दें। विपक्ष में जो महानुभाव बैठे हैं उनका भी कर्त्तव्य है यदि उनको इस संबंध में कोई सूचना मिलती है तो उसकी तत्काल सूचना मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी को दें। अगर उनकी सूचना के उपरांत भी मुख्यमंत्री जी अथवा गृहमंत्री जी कार्यवाही नहीं करते तो वह सदन में उसके संबंध में कह सकते हैं। पानसिंह गैंग का सफाया करने के लिये ग्वालियर रेंज की पुलिस सक्रिय है। हमें विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी तथा हमारी पुलिस डाकू पानसिंह को अधिक दिन तक जिन्दा नहीं रहने देगी।

{4.42 बजे सभापति महोदय (श्री मोतीलाल वोरा) पीठासीन हुए}

श्री हिम्मतसिंह कोठारी (रतलाम नगर) : सभापति महोदय, अभी 13 तारीख को जिस दिन अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किये गये थे भाई नगीन कोचर का एक अशासकीय संकल्प डाकू समस्या के संबंध में था और उस पर चर्चा हो रही थी और उसी दिन यह शर्मनाक घटना घटी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि शासन उस अशासकीय संकल्प को मंजूर कर लेता तो जनता में विश्वास फैलता कि यह सरकार इस समस्या के हल करने के लिये सचमुच में कुछ करना चाहती है परन्तु खेद की बात है कि शासन द्वारा उस दिन वह अशासकीय संकल्प स्वीकार नहीं किया गया और इस प्रकार उसने यह बता दिया कि वह डाकू समस्या के उन्मूलन के प्रति कितनी उदास है।

श्री हीरालाल सोनबोइर : माननीय सदस्य का यह कहना है कि उस दिन यदि अशासकीय संकल्प स्वीकार कर लिया जाता तो यह हत्याएँ नहीं होतीं? इन हत्याओं के लिए उत्तेजनाएँ तो आप फैलाते हैं .....

(व्यवधान)

श्री हिम्मतसिंह कोठारी : सभापति जी, जो आँकड़े प्रश्नों के जवाब में दिए गए हैं उसमें शासन ने यह स्वीकार किया है कि प्रदेश में डाकू समस्या बढ़ती जा रही है और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि चम्बल क्षेत्र तथा ग्वालियर संभाग में तो यह डाकू समस्या इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी अपने आपको असुरक्षित महसूस करता है और जब विरोधी दल द्वारा उस पर अशासकीय संकल्प लाया जाता है तो शासन द्वारा वह भी अस्वीकार कर दिया जाता है। इसमें तो यही दीखता है कि सरकार इसके लिये कुछ करना नहीं चाहती। पावा ग्राम में जो घटना घटी है वह बड़ी दर्दनाक और अमानवीय है और उस घटना से सारे प्रदेश में रोष और गुस्सा फैल गया और यह बात स्पष्ट हो गई कि यह सरकार डाकू समस्या के हल करने में कितनी उदासीन है। अगर ऐसा नहीं तो शासन इस दिन उस संकल्प को ग्राह्य करता। सभापति जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जो इस समस्या को पनपाती है। वहाँ बीहड़ें बनी हुई हैं। वह डाकुओं को पनाह देती हैं। इसलिये शासन को चाहिये कि जो योजनाएँ बीहड़ों को समतल बनाने की थीं उसको पूरी गति देना चाहिये। ऐसा करने से डाकू समस्या को हल करने में काफी मदद मिलेगी। दूसरी चीज मैं निवेदन करना चाहता था कि इस समस्या को हल करने के लिये हमें अपने पुलिस व सी.आई.डी. विभाग को सक्षम करना होगा और सक्रिय करना होगा। जिससे जो डाकुओं को मदद देते हैं, हथियार सप्लाई करते हैं उन पर निगाह रखी जा सके और जो राजनीतिक लोग डाकुओं को संरक्षण देते हैं उनके और डाकुओं के बीच के सम्पर्क को तोड़ा जाना जरूरी है तभी हम इस समस्या के हल की दशा में आगे बढ़ सकेंगे। बेरोजगारी की समस्या है उस क्षेत्र में बीहड़ों और जंगलों में सड़कें नहीं हैं पुलिस नहीं पहुँच पाती उसे हल करना होगा। पुलिस को आधुनिक उपकरणों से लेस करना होगा। केवल एन्काउन्टर अटेक से काम नहीं चलेगा। एक-दो डाकू जरूर एन्काउन्टर अटेक से मर जाते हैं पर इससे समस्या का समाधान नहीं होता। कुरीतियाँ समाज में फैली हैं उन्हें शासन को दूर करना होगा ताकि आने वाले समय में कोई डाकू न बन पाये। हमें इस ओर सक्रिय पहल करनी होगी। पुलिस बल जो वहाँ पर लगता है उसका सामना डाकुओं से होता है जब एन्काउन्टर होता है तो पुलिस व डाकू मर जाते हैं। पुलिस के जो व्यक्ति मर जाते हैं उनके परिवार को पूरा संरक्षण सरकार से नहीं मिला पाता इसलिए पुलिस का मनोबल नहीं बढ़ पाता। इसलिए मैं सरकार से माँग करूँगा कि वह सदन में घोषणा करे कि जो भी पुलिस दल डाकुओं से एन्काउन्टर में चाहे कर्मचारी हो या अधिकारी लड़ते हुए मारे जायेंगे उनके परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी राज्य शासन की होगी तब उनका मनोबल बढ़ेगा। डाकू समस्या केवल चम्बल संभाग की नहीं अब तो समतल क्षेत्रों में भी बढ़ती जा रही है। रतलाम में अभी एक रेल डकैती की घटना हुई, बड़ी वीभत्स घटना घटी। प्रदेश के हर कोने में इसी तरह की घटनाएँ बढ़ रही हैं। कंजरों का उत्पाद बढ़ रहा है वह डाकुओं से कम सिद्ध नहीं हुआ ये वारदातें चारों ओर फैल रही हैं लोगों को लगने लगा है कि हमारा क्षेत्र भी डाकूग्रस्त तो नहीं हो गया है। भोपाल में दो माह के अन्दर 17 डकैती हुई हैं और सरकार कहती है कि डाकुओं की घटनाएँ नहीं बढ़ रही हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बहस के माध्यम से माँग करूँगा कि पुलिस दल को सक्षम बनाया जावे, कड़ाई से काम लिया जावे राजनैतिक शरण को तोड़ा जावे, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जावे जो डाकुओं को राजनैतिक शरण देते हैं किन्तु ये सरकार इसे कार्यान्वित नहीं करेगी क्योंकि ठीक चुनाव के पूर्व इस सरकार ने उन्हें छुड़वाया उनकी मदद से कई विधानसभा सदस्य बनकर आये हैं इसलिए उनको राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है। अतः मुख्यमंत्री महोदय, इस दिशा में सक्रिय कार्यवाही करें।

श्री तनवंतसिंह कीर (नेपानगर) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो आँकड़े दिये और यह संदेश व्यक्त किया कि डाकू उन्मूलन की दिशा में ये सरकार कोई काम नहीं करेगी, तो मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूँ कि हम डाकुओं की खटिया खड़ी कर देंगे जो इनके जमाने में पैदा हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : कीर साहब को खटिया खड़ी करना है तो यहाँ से करें (मुख्यमंत्री की आसन्दी की ओर इशारा करते हुए)

श्री रामरतन चतुर्वेदी : पटवा जी की खटिया खड़ी हो जायेगी, पैसा नहीं लगेगा।

श्री तनवंतसिंह कीर : इतनी हृदय विदारक घटना घटी है, उसके बाद इतने व्यस्त होते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय घटनास्थल पर पहुँचे यह अपने आप में जाहिर करता है, कि यह शासन, यह सरकार प्रदेश में इस प्रकार के दानवों ने जो सिर उठाया है उसको कुचलने के लिए दृढ़ संकल्प है।

सभापति महोदय, मैं माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों को बताना चाहूँगा कि पानसिंह के गिरोह ने 5 गूजरों की हत्या कर दी, इसका दोष शासन पर मढ़ना कतई ठीक नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से सन् 76-77 में जनता पार्टी के एक घटक ने भोपाल में डाका पड़वाया। उधर ग्वालियर की महारानी सिंधिया वहाँ डाकुओं को पैदा करवा रही हैं। श्री प्रकाश चन्द जी सेठी और श्री जयप्रकाश जी ने उस समय किस तरह से डाकुओं का आत्म समर्पण करवाया था यह आपको याद होना चाहिये। सभापति महोदय, चाहे मलखान डाकू हो, फूलन हो या शिवसिंह डाकू हो, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उनको गाँवों में लोग किस तरह से प्रश्रय दे रहे हैं। इसको आप रामपुरा और दमोह पुलिस स्टेशन के आसपास के गाँव के लोग 3 वर्षों से डाकुओं को 10 रुपये किलो के हिसाब से रोटी खिला रहे हैं और हथियार सप्लाई कर रहे हैं। साथ ही लोग उनको आशीर्वाद भी देते हैं। यदि इसकी जाँच करायी जाये तो वास्तविकता क्या है यह सामने आ जायेगी। इसके साथ ही मध्यप्रदेश में नहीं, बल्कि यू.पी. के जालौन जिले में भी खेड़िया गाँव में डाकुओं को लोगों द्वारा प्रश्रय दिया जा रहा है। डबरा तहसील में एक डैम है और शिवपुर में एक नरवर गाँव है जहाँ पर डाकू लोग छिपते हैं। मैं शासन से निवेदन करूँगा कि वह इस प्रकार की कार्यवाही करे कि वहाँ पर डाकू लोग आश्रय न ले सकें।

सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूँगा। कुछ माननीय सदस्यों ने भी सुझाव दिये हैं। मेरा कहना है कि आवागमन के साधन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाये जावें, दूसरा रोजगार के द्वार खोले जायें। भाई रमाशंकर सिंह जी पहले राहतगढ़ से चुनकर आये और बाद में रौन से चुनकर आये लेकिन वे आज तक कभी भी अपने क्षेत्र में नहीं गये। इसलिये मैं अपने सभी जनप्रतिनिधि भाइयों से निवेदन करूँगा कि वे सभी अपने-अपने क्षेत्र में घूमें और लोगों को समझायें कि डाकुओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। खासकर मैं भाई रमाशंकर सिंह जी से कहूँगा कि वे अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर लोगों को समझायें और प्रचार करें कि डाकुओं से डरने की जरूरत नहीं है।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं शासन से निवेदन करूँगा कि वह जगह-जगह परमानेन्ट पुलिस चौकियाँ भी खोले। यह देखने में आया है कि पहले चौकियाँ तो खोल दी जाती हैं लेकिन बाद में वे हटा दी जाती हैं। इसके कारण गाँव के लोग निराश हो जाते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने डाकू उन्मूलन करने के सिलसिले में एक आई.जी. की नई पोस्ट भी कायम कर दी है।

सभापति : अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री तनवंतसिंह कीर : एक मिनिट और दीजिए मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि अर्जुन के तर्कश से निकला हुआ तीर आमतौर से कभी खाली नहीं जायेगा। वह डाकुओं का सफाया करके ही रहेगा। इस संदर्भ में मुझे एक कविता की पंक्ति याद आ रही है और वह यह है कि—

जब-जब इस धरती पर दानवों का भार बढ़ा है,
तब-तब धरा डगमगाई है और एक मूर्ति सामने आई है, उसे ही राम कहते हैं।

तो सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक पोस्ट आई.जी. की डाकू उन्मूलन के लिये कायम करके एक प्रभावशाली कदम इस दिशा में उठाया है। मुझे विश्वास है आने वाले वर्षों में डाकू नाममात्र को नहीं दिखाई देंगे और लोग चैन की बंशी बजाएँगे।

श्री कपूरचन्द धुवारा (मलेहरा) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पहली बार डाकू समस्या पर चर्चा के लिये स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करके सदन को चर्चा के लिये मौका दिया लेकिन मुझे खेद है इस बात का कि इस सदन के माननीय सदस्य इस डकैती समस्या पर गंभीरता से चर्चा न करके केवल राजनीति के आधार पर चर्चा करते हैं उनको चाहिये कि वे अच्छे से अच्छे सुझाव

दें। मैं काँग्रेस के ही माननीय सदस्य श्री हेतराम दुबे जी से पूछना चाहता हूँ कि उनके क्षेत्रों में डाकू समस्या किस प्रकार मुँह बाये खड़ी है। इसी तरह सुन्दरलाल जी उनके पन्ना क्षेत्र में जो डाकू समस्या विकराल रूप धारण किये हुए है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। न केवल एक दो क्षेत्र की ही यह समस्या है, न केवल बुंदेलखण्ड की ही यह समस्या है बल्कि यह पूरे प्रदेश की समस्या है।

(व्यवधान)

श्री उत्तमचन्द खटीक : मैं धुवारा जी को एक सलाह देना चाहता हूँ कि वे डाकू समस्या के साथ-साथ 75 किलो चाँदी का भी हिसाब दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री कपूरचन्द धुवारा : मैं माननीय सदस्य को और उनके पिताजी को भी चैलेंज देना चाहता हूँ अगर कोई आरोप लगाना है तो सदन के बाहर लगायें मैं उसको स्वीकार करने को तैयार हूँ और सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से (व्यवधान)

सभापति : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि मैंने जिन्हें बोलने के लिये कहा है सिर्फ वही बोलें।

श्री कपूरचन्द धुवारा : मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ, पहला सुझाव यह है कि डाकू समस्या के लिये मुख्यमंत्री जी महीने में एक बार डकैती क्षेत्र के विधायकों की एक बैठक अवश्य बुलायें और उनके सुझाव लें कि किस तरह से डाकू समस्या कम की जा सकती है। दूसरा सुझाव यह है कि डाकू समस्या के लिये अलग से पुलिस की भरती की जावे और जो लोग डाकुओं के द्वारा लड़ाई में मारे जाते हैं उनको विशेष सुविधा दी जाये जैसे कि हवाई जहाज और रेल में मरने वालों को दी जाती है मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस सदन के कुछ माननीय सदस्य और लोकसभा के कुछ सदस्य भी डाकुओं से संबंधित हैं, जितने भी सम्बन्धित हैं, उनके खिलाफ शिकायत है तो कार्यवाही की जाना चाहिये।

श्री उत्तमचन्द खटीक : नाम भी बता दें तो अच्छा रहेगा।

श्री कपूरचन्द धुवारा : मैं नाम भी बता दूँगा। मुझे 5 मिनिट बोलने दिया जाये। इसके साथ ही मैं ध्यान आकर्षित करूँगा कि शिकायतें होती हैं, जाँच होती है, जाँच में यह पाया जाता है कि पुलिस मिली हुई है। लेकिन इसके बाद भी सिर्फ उनका ट्रांसफर यहाँ से वहाँ कर दिया जाता है। वे वही काम दूसरी जगह करते हैं। बुन्देलखण्ड में एक आदमी डाकुओं से मिला हुआ है उसका ट्रांसफर चम्बल में कर दिया गया। इसलिये ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही होना चाहिये, ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिये जिनके खिलाफ डाकुओं से मिले रहने की शिकायत है। इस संबंध में वेदराम दुबे से भी पूछा जाये कि किस तरह से आतंक है। चंबल क्षेत्र में ही नहीं बुन्देलखण्ड में भी डाकू समस्या है। अभी फूलन देवी ने 20 ठाकुरों को कत्ल कर दिया है। इस समस्या का निकाल किया जाये।

श्री योगेन्द्रसिंह राणा (सुमावली) : आदरणीय सभापति महोदय, डाकू समस्या के बारे में जितनी बातें हुई आपने सुनीं। मैं मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जहाँ यह वारदात हुई है यह क्षेत्र गिर्द, जौरा, सबलगढ़ व मुरैना के क्षेत्र के मध्य में आता है। यह वह क्षेत्र है जहाँ पर डाकू प्रश्रय प्राप्त करते हैं। इसका विशेष कारण, अनेकों बार कहा गया है कि इस क्षेत्र में आवागमन के साधनों का अभाव है और यहाँ के आसपास के लोगों की अशिक्षा के कारण ये लोग यहाँ प्रश्रय पाते हैं। बाहर के बागी यहाँ आकर के भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाते रहते हैं और यहाँ के सीधे-सीधे इन्सानों को परेशान करते रहते हैं। यह परेशानी डाकुओं की ओर से भी और पुलिस की तरफ से भी रहती है। इसके कुछ राजनैतिक कारण भी हैं। मैं यहाँ पर किसी पर दोषारोपण करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। सुमावली जो नई कान्सटीटूएन्सी बनाई गई है जो कि बीस, तीस साल से उपेक्षित है। यह तीन कान्सटीटूएन्सी में से थोड़ा-थोड़ा वेल वाला हिस्सा काट कर बनाई गई है। जौरा, मुरैना और सबलगढ़ इन तीनों कान्सटीटूएन्सी में से कुछ हिस्सा काट कर एक नई सुमावली कान्सटीटूएन्सी बनाई गई है जिसमें चम्बल, आसन, क्वांरी यह तीन बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं और भी अन्यान्न नदिया हैं और चारों तरफ पहाड़ की रेन्ज है। इन नदियों और घाटियों के कछार में डाकू प्रश्रय पाते हैं। डाकू समस्या का निदान किस प्रकार से हो, इस पर कोई नहीं सोचता है। हर कोई दोषारोपण करते हैं। जब मुख्यमंत्री महोदय डिगरा गये थे वहाँ से 10 किलोमीटर दूर जौरा

एक स्थान है। जहाँ पर डाकुओं ने अपने को सरेन्डर किया था। वहाँ पर कोई रोड नहीं है, केवल 10 किलोमीटर "निखारा से जोश को" रोड से जोड़ दिया जाये, इसका मैंने पहले प्रस्ताव भी दिया था और स्वयं व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन किया था, लेकिन उसके बाद भी रोड नहीं डाला गया। वहाँ पर थानों की व्यवस्था भी नहीं है। इस संबंध में मैंने पुलिस विभाग में भी प्रस्ताव दिये, गृह मंत्री जी से स्वयं मिला था और प्रस्ताव दिये। आई.जी. कुकरेजा साहब, उनसे भी मिला था और सुझाव दिए थे, वहाँ पर डी.आई.जी. थे उनसे भी मिला था, उसके बाद जो डी.आई. पुरी थे उनसे भी मिला और अपने क्षेत्र की स्थिति के सम्बन्ध में बताया था। शासन चाहे तो यह ठीक हो सकता है लेकिन शासन बिल्कुल अक्षम है, अकर्मण्य हो गया है। वह कोई भी कार्य नहीं करना चाहता है। हमारी कान्सटीटूएन्सी की इस तरह की बनावट है कि वहाँ पर कोई रोड नहीं है, आवागमन के साधन नहीं हैं। ग्रामीण एरिया तीस साल से उपेक्षित है। उस क्षेत्र में विकास के लिये कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। जो ग्रामीण एरिया हैं वह बिल्कुल अविकसित हैं, उपेक्षित हैं। डाकू समस्या को हल करने के लिए शासन को सबसे पहले ग्रामीण एरिया को विकसित करना होगा। पी.डब्ल्यू.डी. को उसी प्रकार से रोड आदि बनाना होगा जिस प्रकार से आदिवासी एरिया में विकास कार्य किये जा रहे हैं। उसी प्रकार से डाकू ग्रस्त एरिया में भी समस्या मूलक क्षेत्र हैं, उनमें एक स्पेशल मद लेकर काम शुरू करना होगा और पुलिस व्यवस्था को ठीक करना होगा। दूसरा आधार यह है कि चम्बल संभाग में अशिक्षा है, और बहुत-सी जातिगत समस्याएँ हैं। यह जातिगत समस्याएँ बहुत पुराने जमाने से चली आ रही हैं जब से अँग्रेजी राज्य था या यूँ कहिए कि मुगलों के समय से चली आ रही हैं। इस एरिया के लोग जो देश भक्त थे वे यहाँ से जो काफले निकाला करते थे मुगलों के या अँग्रेजों के उनको लूट लिया करते थे क्योंकि उस समय देश गुलाम था लेकिन अब तो देश आजाद हो गया है। लेकिन उनकी लूटपाट करने की जातिगत आदत बनी हुई है लेकिन अब यह नहीं होना चाहिये। अब गरीब जनता को नहीं लूटा जाना चाहिये। जनता पार्टी के शासन पर आरोप लगाये गये हैं। आप स्वयं विचार करके देख लें कि वे कहाँ तक सत्य हैं। इसका आप खुद निर्णय कर लीजिये। पुलिस विभाग को सक्षम बनाने के लिये जो सामग्री लाई गई थी उसका उपयोग पुलिस के अधिकारियों के घरों पर हो रहा है। जो सामग्री ग्रामीण क्षेत्र के लिये लाई गई थी उसका शहरों में ही उपयोग हो रहा है। मेरा यह सुझाव है कि वहाँ पर रोड बनाये जायें, जहाँ थाने नहीं हैं वहाँ पर थानों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और जो अक्षम संभागीय पुलिस अधिकारी हैं उनको हटाया जाए। अगर ग्वालियर संभाग में डाकू समस्या नष्ट करनी है तो वहाँ के जितने अधिकारी हैं जब तक उनका तबादला नहीं किया जावेगा तब तक डाकू समस्या हल नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर जानबूझकर डाकुओं को प्रश्रय देने का काम भी किया जाता है। अगर नहीं तो फिर वहाँ पर तो विकास के काम होने हैं वे क्यों नहीं किये जाते हैं। इतना ही कहकर सभापति महोदय, मैंने जो सुझाव दिये हैं उन पर शासन से विचार करने के लिये निवेदन करता हूँ और इस डाकू समस्या पर चम्बल संभाग के लोगों को बुलाकर पूछा जावे उसके बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जावे तो उचित होगा।

श्री परशुराम धदौरिया (अटेर) : आदरणीय सभापति महोदय, डाकू समस्या के ऊपर माननीय सदस्य रमाशंकर सिंह जी ने जो प्रस्ताव रक्खा है, मैं सबसे पहले तो यह बतला देना चाहता हूँ कि डाकू समस्या क्या होती है? माननीय रमाशंकर सिंह यह जानते ही नहीं हैं। आपका जन्म भिण्ड में हुआ है और आप दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली वाले भिण्ड के बारे में कुछ नहीं बतला सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं डकैती, चोरी, बलात्कार की घटनाएँ जब सदन में आती हैं तो यदि हम पूर्व के इतिहास को देखें तो पता लगेगा कि हमारे क्षेत्र में मानसिंह, लाखनसिंह, रूपा, मलखानसिंह, जैसे बड़े-बड़े डाकू रहे हैं और जिस समय इन्होंने गाँव के गाँव जला डाले थे तब भी इतनी जोरदार आवाज सदन में नहीं गूँजी थी लेकिन आज यदि दो आदमी भी मार डाले गये तो उनको ढूँढ-ढूँढकर लाया जाता है। सभापति महोदय, हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है और यह जो यहाँ पर सदन में इस तरह की बातें की जाती हैं तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड़यंत्र है। चूँकि इनको श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कोई खराबी नजर नहीं आती है तो यह ढूँढने लगते हैं कि चोरियाँ कहाँ हुई और हत्या कहाँ हुई और डकैती कहाँ हुई और फिर उनको ढूँढ-ढूँढ कर यहाँ पर पेश करते हैं ताकि काँग्रेस के शासन को यह किसी भी तरह से बदनाम करें और काँग्रेस

के शासन को फैल करें। इस तरह के षड्यंत्रों से यह शासन कभी फेल नहीं हो सकता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब डाकुओं द्वारा गाँव के गाँव जला दिये गये तब कुछ नहीं और आज जरा कोई बात हुई कि कहने लगे कि इसमें राजनीति हस्तक्षेप है, अधिकारी मिले हैं। इनको बदला जाये। हमारे चौधरी साहब भिण्ड के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हाँ, इनके भाई जो काँग्रेसी थे जिनका कि मैं आज भी आदर करता हूँ जिनको कि बन्द किया गया था वे जरूर जानते थे कि राजनीतिक हस्तक्षेप क्या होता है और भिण्ड की समस्या क्या है। इस तरह से यदि आप पूर्व इतिहास को देखेंगे तो पता लगेगा कि आज डाकू समस्या कुछ भी नहीं है। यदि आप पूर्व के इतिहास की और आज की डाकू समस्या की तुलना करेंगे तो पता लगेगा कि आज डाकू समस्या है ही नहीं। इसके अलावा माननीय सदस्य ने अभी फौज की चर्चा की है और उस पर आरोप लगाया है तो इस तरह से यहाँ पर फौज के ऊपर आरोप लगाना निन्दनीय है। क्योंकि हमारी जो फौज है वह बड़ी बहादुर है उसके लिए आरोप लगाना उचित नहीं है। डाकुओं में जो छोटे-छोटे लोग बढ़े हैं। उसका कारण क्या है? कारण यही है कि जब से डाकुओं का सरेण्डर होना शुरू हुआ उससे लोगों के अन्दर एक ऐसी जन-भावना बनी कि डाका भी डाल लेते हैं और सरेण्डर भी हो जाते हैं और फिर भी हमें कोई भी सजा नहीं मिलती है। और उन लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई, ऐसी जन-भावना बनी। सरेंडर मेरी नजरों में बहुत गलत हुआ और समाज की नजरों में गलत रहा। डाकू गिरोह तो केवल मलखानसिंह का है, पानसिंह को मैं डाकू नहीं मानता, एक-दो की हत्या करके बन गया। हमने बड़े-बड़े डाकू देखे हैं जो यहाँ बैठे-बैठे कराह रहे हैं। इसके पीछे जो षड्यंत्र है उसके बारे में मुख्यमंत्री से निवेदन है। वह डाकू समस्या को खत्म कर लेंगे क्योंकि यह ज्यादा नहीं है, रात-दिन मेहनत करते हैं लेकिन यह षड्यंत्र नहीं खत्म कर पायेंगे। इसके लिये जरूरी है कि प्रतिपक्ष के चरित्र को देखें मुख्यमंत्री जी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 75 प्रतिशत डाकू समस्या हल हो सकती है। एक बात और है जैसा चौधरी दिलीपसिंह ने कहा कि हमारे यहाँ रोड्स की बहुत जरूरत है। आप नहीं जानते राजनीतिक प्रताड़ना जो मिली है, अभी तक अच्छी तरह से साँस नहीं ले पाये हैं। शासन से निवेदन है हमारे यहाँ बड़ा उद्योग चाहिए। जयहिन्द।

श्री प्रेमनारायण मिश्र (बन्डा) : सभापति महोदय, दल के सदस्यों ने पानी पी-पी कर हमारे शासन को कोसा और कहा कि काँग्रेस की सरकार ने डाकुओं की समस्या को बढ़ाया। कोई विरोधी सदस्य मेरे साथ चलता है तो मैं बताऊँ। मैं उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ डाकू समस्या सबसे ज्यादा विकराल रूप लिए है। 8 महीने हमारी सरकार को हुए, बण्डा तहसील में अभी तक 18 डाकू मारे गये हमारे मित्र कपूरचन्द धुवारा ने कहा डाकुओं की समस्या है। हम उनसे कहना चाहते हैं वे दोषारोपण करते हैं। डाकू कहाँ से आते हैं? आपके एरिया से आते हैं और हमारे यहाँ का एस.पी. किस ढंग से मारता है यह देखिए। हमारे गृह राज्यमंत्री ने बताया दो डाकू मारे गए, तीन मारे गए और उस क्षेत्र का दौरा किया। विरोधी सदस्य छींटाकशी करते हैं कि डाकुओं को संरक्षण मिलता है। मैं पुलिस अधिकारियों की वकालत नहीं कर रहा हूँ सचाई की वकालत कर रहा हूँ। डाकू उत्तरप्रदेश से आते हैं। उत्तरप्रदेश का पुलिस बल बहुत कमजोर है। हमारे क्षेत्र से 6 फर्लांग दूर उत्तरप्रदेश लगा है और जो डाकू मध्यप्रदेश में रहते हैं वह उत्तरप्रदेश में चले जाते हैं और हमारी पुलिस देखती रह जाती है?

श्री रायसिंह भदौरिया : पाइंट आफ ऑर्डर, यह काम रोको प्रस्ताव पर बहस हो रही है, या डाकू समस्या पर सामान्य चर्चा हो रही है?

श्री प्रेमनारायण मिश्र : मैं कहना चाहता हूँ शासन चाहे काँग्रेस का रहे या जनता का रहा हो, उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। डाकू ग्रस्त एरिया के लिए अभी हमें चार सड़कें मिली हैं। चाहे हमारा क्षेत्र हो, मलहरा या पन्ना का क्षेत्र हो वहाँ चौकियों पर वायरलेस दिया है, पुलिस बल दुगना किया है। मैं स्वयं परसों का उदाहरण देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी मेरे यहाँ बैंक के एक प्रोग्राम में भाग लेने वाले थे। जैसे इनको मालूम हुआ पावा में पाँच लोगों की हत्या डाकू पानसिंह के द्वारा की गई, वह प्रोग्राम कैंसिल किया और वे पावा ग्राम पहुँचे और 5 हत्याओं से सम्बन्धित परिवार के लिये कुछ हजार की राशि दी। मैं सिर्फ इसलिये कहना चाहता हूँ कि बात बहुत करते हैं लेकिन सत्यता कहाँ रहती है। जो कोई भी हमारे साथ चलना चाहें, विरोधी दल के एकमात्र सदस्य सागर

के हैं, हमारे साथ चलना चाहें, चलें और स्वयं देख लें कि सत्यता क्या है।

श्री कपूरचन्द धुवारा : अभी जो माननीय सदस्य ने कहा कि 11 या कितने डाकू मारे गये हैं, उसमें एक निर्दोष आदमी भी डाकू के नाम से मारा गया है। (व्यवधान)

सभापति : माननीय सदस्य आपस में चर्चा न करें।

श्री अजय नारायण मुशरान (नरसिंहपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बता देना चाहता हूँ कि इसमें दो राय नहीं है कि डाकू समस्या एक न्याय, कानून और व्यवस्था की समस्या है लेकिन यह मूलतः एक सामाजिक समस्या है। जैसा कि हमारे विपक्ष के सदस्यों ने कहा और जो पानसिंह का वर्णन माननीय रमाशंकर जी ने किया, उससे कुछ ऐसा आभास होता है कि उन डकैतों को समाज में महत्वपूर्ण दर्जा मिलता है और उनको एक तरह का रोबिनहुड बताया जाता है। मैं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति जो कानून को हाथ में लेता है उसको यह अधिकार नहीं मिल जाता है कि वह हत्या करें, लोगों के बीच में आतंक फैलाएँ और वह जनमानस में भय पैदा करें। मैं समझता हूँ कि पानसिंह न केवल सेना के लिए कलंक है वरन् समाज के लिय भी नासूर है। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूँगा कि वे उसको हिन्दुस्तानी रोबिनहुड बनाकर न दर्शाया करें। जहाँ तक इस प्रदेश की इस समस्या के प्रति जागरूक होने और उसके सुलझाने की सक्षमता का प्रश्न है— जैसा माननीय प्रेमनारायण जी मिश्र ने बताया और अन्य माननीय सदस्यों ने भी बताया— हमारा शासन उसके काबिल है कि हम इस समस्या को सब मिलकर हल कर सकें और एक शांति का वातावरण उन जिलों में पैदा कर सकें, जहाँ ऐसी डाकू समस्या है।

दूसरे हम राजनीतिक कीचड़ एक दूसरे पर उछालने पर इतने व्यस्त हो जाते हैं कि विपक्ष दल कहता है कि जो फलाँ विधायक के घर में एक डाकू छिपा था क्योंकि उनको मालूम है कि जो सदन में बोला जायेगा उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है अगर हम कहें कि जनता राज्य में कितने आर.एस.एस. के कार्यकर्त्ता थे उनको पुलिस में भर्ती किया गया और उनके माध्यम से ही डाकुओं को बल मिला। (तालियाँ) हमारे लिए यह बोलना आसान है, जिस प्रकार से आप बोलते हैं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता था कि इस प्रकार बोलने से कोई सामाजिक समस्या नहीं सुलझ सकती। आपने आर.एस.एस. के आदमी के लिये या नहीं, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। मैं इस समय स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा हूँ। मुझे तालियों की परवाह नहीं है। तालियाँ मेरे लिए फौज में बहुत बजती थीं।

श्री बाबूलाल गौर : प्रश्न यह था कि माननीय सदस्यों ने बिना कारण के तालियाँ बजा दीं।

सभापति : उन्होंने कहा कि ऐसा कह सकते हैं।

श्री अजय नारायण मुशरान : यह तो सामाजिक महत्व उनको दिया जाता है, नहीं दिया जाना चाहिये। हम सब जानते हैं कि बरसात के पहले डाकू लोग अपने खाने-पीने की व्यवस्था करते हैं और उस मौसम में ज्यादा से ज्यादा आतंक करते हैं समाज को हम इतना प्रगतिशील बनायें, इतना बहादुर बनायें कि वे डाकुओं का सामना कर सकें। इनके साथ किसी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। जो आदमी इतने मर्डर करते हैं उनके साथ सहानुभूति की, सामाजिक संवेदना की, सामाजिक सहानुभूति की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो इनके छिपने की जगह है उनको ढूँढकर नष्ट किया जाये। तीसरी बात यह है कि करीब 58-59 में उस वक्त जो कृषि मंत्री थे उन्होंने ये घोषणा की थी इस सदन में कि चंबल संभाग में बुल्डोजर के द्वारा चम्बल की जमीन को ज्यादा से ज्यादा जहाँ तक हो सकेगा समतल करके कृषि के लिये उपलब्ध किया जायेगा। मेरी समझ में माननीय मुख्यमंत्री जी यदि इस तरफ ज्यादा ध्यान दें और हम उस तरफ कदम उठावें। इनके विचरण करने की जगह है उसको हम नष्ट कर सकते हैं। आखिर जो मेरी राय है वह यह है कि पुलिस को न सिर्फ उनका नवीनीकरण करना चाहिये बल्कि पुलिस की भर्त्सना कम करना चाहिये। जैसा श्री रमाशंकर सिंह जी ने कहा हमको पुलिस में बहादुर और ईमानदार तथा साहसी लोगों को लेना चाहिये तो श्रीमान् जी ये तीनों विशेषताएँ लेकर कोई बच्चा पैदा नहीं होता है, ये विशेषताएँ प्रशिक्षण से और अनुशासन से पैदा होती हैं तो मेहरबानी करके एक बात हमारे पुलिस वालों को कही जाये ये जनता पार्टी की गीता छोड़कर अनुशासन की गीता पढ़ायी जाये। उनका प्रशिक्षण ठीक किया जाये। उनको नए वायरलेस सेट दिये जायें और उनको ऐसे हथियार दिये जायें जो कि डाकुओं से ज्यादा सक्षम हों। डाकुओं के पास हथियार कहाँ

से आते हैं। उसकी पकड़ यही है कि उनके पास जो हथियार हैं उनसे ज्यादा सक्षम हमारी पुलिस के पास होने चाहिए ताकि उनके जो छिपने के स्थान हैं उनमें जाकर उनको नष्ट कर सकें। ये सहानुभूति दिखाना कि बेचारे खाना खा रहे थे तो हमने उनको मारा। वे किसी सहानुभूति के लायक नहीं हैं। इन शब्दों को मैं फिर से दोहराता हूँ कि हमारी जो काँग्रेस सरकार है वह सक्षम है, सक्षम थी और सक्षम रहेगी.....

(मेजों की थपथपाहट)

श्री महाराज सिंह (मुरैना) : माननीय सभापति महोदय, ग्वालियर और चम्बल क्षेत्र में जो डाकू समस्या है यह एक गम्भीर समस्या है एक बड़ा तथ्य है। इस ग्राम में जो पाँच लोगों को मारा गया अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है। अध्यक्ष महोदय, पाँच लोगों को सरदार पानसिंह ने मारा और उनको बाँधकर मारा, निहत्थे लोगों को मारा। ये अपने आप में एक गम्भीर बात है, लेकिन इसके अलावा इसकी गंभीरता की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस डाकू पानसिंह ने उन लोगों को मारा है इनसे न कोई जमीन का झगड़ा था न कोई पुरानी रंजिश के कारण बल्कि उसका भाई डाकू मातादीन था उसको उन लोगों ने मुखबरी करके पुलिस से मरवाया। ये बदले की भावना से और इस प्रकार उस क्षेत्र में आतंक फैलाने की दृष्टि से डाकुओं के खिलाफ पुलिस को किसी प्रकार का सहयोग देकर डाकुओं को मरवाएगा उसकी यही दुर्गति होगी एक बहुत बड़े चैलेंज के रूप में आया। माननीय मुख्यमंत्री सारा प्रोग्राम स्थगित करके उस ग्राम में गए और वहाँ जाकर उनको क्षतिपूर्ति ही नहीं दी उनके दुःख-दर्द में सम्मिलित हुए। इतना ही नहीं आपने इस स्थगन को यहाँ स्वीकार करवाकर और सदन में जो चर्चा करने का समय दिया और सुझाव आमंत्रित किये उनका ये एक बहुत बड़ा कदम है वास्तव में वे बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं। सभापति महोदय, 72 के बाद मैं इसी सदन में मौजूद था सरेंडर के समय हमने यह समझा था कि शायद ये समस्या इस क्षेत्र से हमेशा के लिये समाप्त हो जायेगी। मैंने इस सदन में यह कहा था कि सरेंडर के बाद इस क्षेत्र में हमेशा के लिये यह समस्या हल हो जायेगी यह नहीं माना जाना चाहिये और इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिये। सभापति महोदय, समय कम है मैं इसलिये इसकी गहराई में मैं नहीं जा पाऊँगा। वैसे सुझाव के रूप में विचार रखना चाहूँगा।

सभापति महोदय, सन् 72 के बाद उस क्षेत्र की जो डाकू समस्या की योजनाएँ थीं वे स्थगित कर दी गईं या कम कर दी गईं। बीहड़ के समतलीकरण की जो योजना कम कर दी गई, मैं चाहूँगा कि डाकू ग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों की योजना कम कर दी गई, मैं चाहूँगा कि इन योजनाओं को पुनः चालू किया जाये, ताकि समस्या का समाधान हो। सभापति महोदय, हमारे यहाँ आर्म्स लायसेन्स पर प्रतिबंध है। 72 के बाद प्रतिबंध लगाया था, परन्तु जो व्यक्ति अपनी रक्षा करना चाहता है, उसको आर्म्स लायसेंस दिलाये जायें। पुलिस स्पेशल टुकड़ियाँ तैनात की जायें, ताकि वे पूर्ण रूप से डाकू समस्या में अपना योगदान दे सकें। मैं चाहूँगा कि पुलिस का कार्य सक्षमता से हो और गाँव में रक्षा समितियाँ बनाई जायें, ताकि समस्या में योगदान हो सके। पुलिस चौकियाँ, वायरलेस आदि कायम किये जायें, ताकि उस क्षेत्र में डाकू समस्या हल हो। माननीय मुख्यमंत्री जी जो इसके लिए सक्रिय कदम उठा रहे हैं, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं।

श्री रमाशंकर चौधरी (लहार) : सभापति महोदय, मैं इस स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूँ और आपके माध्यम से माननीय सदन का उन कारणों की ओर ध्यानाकर्षित करना चाहता हूँ जिनके कारण डाकुओं की समस्या बढ़ी हुई है। काँग्रेस के शासन में 72 के बाद पूर्ण रूप से सरेंडर होने के बाद रूपरेखा तय हुई थी कि इसके बाद डाकुओं को फरार नहीं होने दिया जायेगा और जो फरार हो जाये उसे पकड़ा जायेगा, या मारा जायेगा। आगे चलकर 77 में जनता पार्टी का शासन आया, जरा मुख्यमंत्री जी इधर मुखातिब हो जायें, उसके बाद यह हुआ कि वहाँ पर डकैत समस्या के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने वाले पुलिस अफसरों को दूर दराज के क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन गई थीं कि जितने राजनीतिक बंदी बंद हुए थे उन्होंने बदले के रूप में दूर दराज के स्थानों पर जानबूझकर स्थानांतरित करवाया। मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूँ कि इस पर मुख्यमंत्री महोदय गौर करें कि जिन लोगों ने उस समय डकैत समस्या के अभियान में सहयोग दिया था,

जिनके विभाग से सर्टिफिकेट हासिल कराये थे, ऐसे लोगों की सूची बनायें और उन्हें पदस्थ करने के संबंध में सोचेंगे। परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं और उसके अनुसार पहले तो निश्चित तौर से यह कह सकता हूँ कि जनता शासन काल में स्थिति यह बन गई थी कि जो भी अफसर डाकू समस्या के खिलाफ कार्यवाही करता था, उसके खिलाफ कुछ न कुछ कार्यवाही हो जाती थी। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वह धारणा पुलिस अफसरों में से निकली नहीं है, उसके संबंध में मुख्यमंत्री जी को निश्चित तौर से उन अफसरों को आश्वस्त करने की आवश्यकता है। यदि कोई कार्यवाही अमल में लाते हैं तो उनके खिलाफ जो भी पिछले वर्षों में होता रहा है, वह नहीं होगा और शासन का पूर्ण रूप से संरक्षण प्राप्त होगा। इसके साथ-साथ आप देखेंगे कि पिछले आँकड़े आज ही इस सदन में उत्तर के रूप में गृह विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, उनसे हम यह पाते हैं कि ढाई-पौने तीन साल में जनता पार्टी के शासन में केवल 9 डाकू मारे गए। जबकि हमारे शासन काल में जनवरी 1981 से लेकर अभी तक 24 डाकू मारे गए और 8 पकड़े गए। एक वर्ष में इतना प्रयास होने के बावजूद डकैती समस्या के पूर्ण रूप से उन्मूलन की ओर .....

{अध्यक्ष महोदय (श्री यज्ञदत्त शर्मा) पीठासीन हुए}

हमारे मुख्यमंत्री जी का पूर्ण रूप से प्रयास है उसके बाद भी प्रतिपक्ष की ओर से जितने चिल्लाते हैं और दूसरे-तीसरे दिन स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस विषय को लाते हैं, यह ठीक प्रतीत नहीं होता है। वहाँ पर पुलिस चौकियाँ हों, नई पुलिस स्टेशन हों और जिन पुलिस आफीसरों की सक्षम रिपोर्ट हो उनको रखा जावे। जो डकैतों के रिश्तेदार हैं, जो पुलिस कर्मचारी हैं, उनको वहाँ से हटाने की समस्या है, ये सब समस्याएँ मुख्यमंत्री जी से छिपी नहीं हैं। वे सेवढ़ा गये थे, उन्होंने लोगों से बातचीत की थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री सारे कारगर उपाय शांति व्यवस्था के लिये वहाँ करेंगे।

श्री सुन्दरलाल पटवा (सीहोर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस समस्या का गंभीरता से आकलन करके सदन में इस विषय पर चर्चा के लिए स्वीकृति देने का एक उपक्रम किया है। सबसे पहले मुझे इस बात से थोड़ी-सी निराशा हुई है कि जितनी गम्भीरता से मुख्यमंत्री जी ने समस्या को लिया उतनी ही गम्भीरता से सदन को भी लेना चाहिए वह नहीं लिया गया। इस प्रकार की बहस की अपेक्षा की जा रही थी जिस पर प्रदेश की जनता की आँखें लगी हुई थीं। मुझे यह कहते हुए दुख है कि हम उस स्तर तक नहीं पहुँच पाये, उठ नहीं पाये। बाकी के माननीय सदस्य कुछ भी कहें ठीक है परंतु सदन के बड़े वरिष्ठ और विद्वान सदस्य श्री मोतीलाल जी वोरा का भाषण मैंने बड़े ध्यान से सुना तथा उन्होंने पुस्तक उठा कर कह दिया कि तीन साल में जनता शासन के राज्य में बेरोजगारी बढ़ी, डकैती बढ़ी और जो कुछ हुआ वह जनता शासन के राज्य में हुआ, वे ही दोषी हैं उन्होंने प्रतिपादित करने में अपनी सारी बुद्धि और विद्वता का उपयोग किया। इस समस्या के विषय में उन्होंने अपना परिचय दिया जिस रूप में, उनसे इस बहस में जो सुनने की अपेक्षा थी वह नहीं सुन पाया।

अध्यक्ष महोदय, तर्क दिया जाता है कि किसी के साथ अन्याय हो गया, जमीन छीन ली और इसलिए उस क्षेत्र में यह समस्या बड़ा विकराल रूप धारण कर रही है। यह भी अपनी जगह सही है कि क्या प्रदेश के अन्य भागों में रामराज्य है। प्रदेश में और देश के अन्य राज्यों में इस प्रकार की घटनाएँ होती हैं। गरीबों के साथ ज्यादती, उत्पीड़न और शोषण होता है। कारण गहरे हैं। ऊपर-ऊपर देखने से वहाँ क्या मिलेगा यह विचार नहीं किया। पानसिंह को मार देने से समस्या खत्म हो जायेगी यदि इतने उथले स्तर पर विचार किया तो समस्या कदापि हल नहीं होगी। यह एक चेन है, सर्किल है। बंदूक कहाँ से आ जाती है? पैसा कहाँ से आ जाता है? जो हथियार आम जनता के हाथ में नहीं आते हैं, जो केवल सेना के हैं, सुरक्षा सेना के हैं, सुरक्षा सेवाओं के हैं वे उनके हाथ में कहाँ से आते हैं। इसकी चर्चा चलते हुए सेना से आये हुए नवजवान को बड़ा बुरा लगा और कहा कि फौज को बुरा कहने की आवश्यकता नहीं है। वे भी राजनीतिज्ञों की सोहबत में बैठे हैं उन्होंने उनसे सीख कर कहा कि 2 साल में सब आर.एस.एस. वाले भर लिये।

श्री अजय नारायण मुशरान : मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूँ कि मैंने उदाहरण दिया था। मेरे ऊपर

आपकी सोहबत का असर उतना नहीं हुआ है, आपकी सोहबत अच्छी है मगर हथियार सिर्फ सेना के पास नहीं होते हैं। इसलिए जहाँ हथियार बनते हैं वह सेना के अधीन फैक्टरी नहीं होती है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : जरूरत नहीं है जो आप बोले हैं।

श्री रामसिंह भदौरिया : पाइन्ट आफ इनफरमेशन तो नहीं पाइंट आफ आर्डर अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी पक्ष के नेता उस समय विराजमान नहीं थे। मैं बताना चाहता हूँ। (व्यवधान)

अध्यक्ष : अपनी एक परम्परा है। एक मिनिट सुन लीजिये। आप बैठ जायें। अपनी एक परम्परा है जब सदन के नेता या विरोधी दल के नेता बोलते हैं तो इंटरप्शन अलाउड नहीं करते बशर्ते कि वह स्वयं मंजूर न कर लें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : भदौरिया जी का आभारी रहूँगा। मेरी सहायता कर सकें तो सदन के बाहर मिल सकते हैं और बतायेंगे मैं उनका बहुत आभारी रहूँगा। मैं तो कहने जा रहा था कि एक संवेदनशील प्रश्न है, सामाजिक प्रश्न है और मैं कह सकता हूँ राजनैतिक प्रश्न भी है। यह प्रदेश जानना चाहता है अगर इस समस्या को हल करने के लिए कुछ काम हुआ हो। लोग मानते हैं। उन्हें बन्दूकें, शस्त्र और गोला बारूद कहाँ से सप्लाय होता है, उसको जानना होगा, उसे तोड़ना होगा। उनको संरक्षण कहाँ से मिलता है। इसका पता लगाना होगा, उसे तोड़ना होगा। इतना ही नहीं सूचना कहाँ से मिलती है उसका भी पता लगाना होगा, तोड़ना होगा। इसके अलावा निर्ममता के साथ जो भी आये उसी कठोरता के साथ कदम उठायेंगे। जब तक यह दृढ़ इच्छाशक्ति नहीं है तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। हम परस्पर कीचड़ उछालते रहें, अपनी जवाँ मर्दी करते रहें तो प्रदेश की जनता तो संतुलन नहीं कर पायेगी। इसलिये मेरा कहना है कि पूरा एक सर्किल है। इस सर्किल में, माफ कीजिये, जाने अनजाने में आरोप नहीं लगा रहा हूँ, क्षणिक लाभ के वशीभूत होकर अपने अंदर झाँककर देखें तो, मैं अपने मुँह से अपने बारे में मैं श्रेय नहीं लेना चाहता, सत्तापक्ष में हमारे प्रतिस्पर्धी बैठे हैं, उन पर कीचड़ नहीं उछालता। इस बात का आंकलन करने के लिये मुख्यमंत्री से और माननीय सदस्यों से आग्रह करूँगा कि एक प्रयोग किया गया था समर्पण का और उस प्रयोग में अध्यक्ष महोदय, उस समय लोक नायक जयप्रकाश का नाम लेकर अछूत मानते हैं तो कुछ कहना नहीं, सेठी जी ने इसमें क्या किया आपको मालूम है। दूसरा प्रयोग किया गया 1980 में, इस चुनाव के समय, सारे दरवाजे जेल के खोलकर उनको रिहा किया गया और राजनैतिक क्षणिक लाभ के लिये जो कुछ किया उसके परिणाम का दोष नहीं लगाया, आरोप नहीं लगाया परंतु आंकलन अपने आप स्वयं करें क्या उस समस्या को बढ़ाने से कहीं उसके सहयोग के नाम पर मुख्यमंत्री को विश्वास दिलाया है। अध्यक्ष महोदय, दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ इस समस्या का समाधान करने के लिये काम करना चाहिये। उसमें हमारे दल के किसी सदस्य के बारे में आपकी विश्वसनीय सूचना के अनुसार कोई बात पता लगती है। उसके कारण कहीं कोई बाधा पड़ती है, कोई राजनैतिक संरक्षण किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है। मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा। आप कृपा करके इसकी सूचना दीजिये, मेरा सहयोग लीजिये।

(व्यवधान)

मैं इसमें बिल्कुल गंभीरता के साथ सहयोग करना चाहता हूँ। बशर्ते आप हमें अछूत नहीं समझते हैं तो मैं आपको पूरी गम्भीरता के साथ आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप अगर इस मामले में कोई बाधा आपके सामने आती है तो आप हमारा सहयोग लीजिए। हम सहयोग के लिए सदैव तैयार हैं परन्तु उतने ही खुले दिल से आप अपने दल के बारे में भी सोचिए। हम कोई सूचना लाते हैं, कोई समस्या आपके सामने रखते हैं, केवल दलबन्दी की नहीं है। जो मारे गये, जो मारे जाते हैं, जो लूटते हैं, जो पिटते हैं वे किसी पार्टी विशेष के लोग मारे जाते हैं, ऐसा नहीं है। निरपराध, गरीब अबलाएँ उनके द्वारा सतायी जाती हैं। इसलिए इस समस्या को उतनी ही गम्भीरता के साथ लेंगे इस विश्वास के साथ मैं चाहता हूँ कि आप कार्यवाही करें। (व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी विरोधी पक्ष के माननीय नेता महोदय ने और सदन के कई माननीय सदस्यों ने इस गम्भीर विषय पर अपने विचार व्यक्त किये। मैं समझता हूँ कि उन सबके विचार निश्चित रूप से एक ही उद्देश्य से प्रेरित थे कि इस समस्या पर काबू पाने के लिये हमें पहले तो यह

वातावरण तैयार करना है कि जिस वातावरण में किसी प्रकार का संरक्षण या हस्तक्षेप उन लोगों को अपने पक्ष में न मिल सके, जो इस समस्या के समाधान में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस संबंध में, मैं अत्यन्त आभारी हूँ माननीय विरोध पक्ष के नेता ने इस प्रस्ताव को इस सदन में उठाया है। श्री रमाशंकर सिंह ने और प्रत्येक माननीय सदस्य ने जिन्होंने यहाँ पर अपने विचार व्यक्त किये यह इसलिये आवश्यक था कि यदि हम सचमुच में बिना किसी संकोच के और बिना किसी पूर्वाग्रह के ऐसी समस्या का मुकाबला करना चाहते हैं जो दल, विचार और भौगोलिक सीमाओं से परे हमें एक जैसे दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है और इस बात के महत्व को सदन ने समझा। मैं समझता हूँ कि इस दिशा में अपने आपमें एक बहुत महत्वपूर्ण हमारी उपलब्धि है। मैं आँकड़ों के संबंध में इसलिए नहीं कुछ कहना चाहता क्योंकि वे फिर से हमें उसी बात में उलझाने के लिए विवश करेंगी कि कब कितने डाकू पैदा हुए, कब कितने मारे गये, कौन उनको पैदा करने के लिए जिम्मेदार है और उनको मारने का श्रेय किसको है। यह विवाद मैं समझता हूँ, आज जो परिस्थिति है, मेरे मत में पूर्ण निरर्थक है आज हमें केवल दो-तीन बातों का ही ध्यान रखकर कार्यवाही करनी है। पहली बात तो यह कि मैं किसी भी प्रकार से इस समस्या की गम्भीरता को और जो कठिनाइयाँ डाकूग्रस्त क्षेत्रों में सामान्य नागरिकों को उठानी पड़ रही हैं, उनको किसी भी प्रकार से कम दिखाकर कोई अपनी भावना व्यक्त नहीं करना चाहता। चाहे अभी जितनी हो, या इसकी आधी हो, या चौथाई हो मैं समझता हूँ अपने आपमें शांतिप्रिय नागरिकों के लिए आतंक और चिन्ता का विषय बनी है और इसीलिए हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं किसी भी मात्रा में कठिनाई न हो उसे दूर करने के लिये हमें प्रयास करना चाहिये। जो विशेष परिस्थितियाँ वहाँ की हैं उनकी वजह से दो-तीन बातें सोचनी पड़ी हैं। पहली बात तो यह कि भौगोलिक स्थिति की वजह से न केवल हमारे प्रदेश के अन्दर बल्कि सभी पर्वतीय प्रदेश हैं उन सबकी भौगोलिक परिस्थिति की वजह से कुछ विशेष संरक्षण ऐसे तत्वों को वहाँ पर मिल जाता है जो न चाहते हुए भी उनको उपलब्ध होने पर हम कुछ रोक नहीं लगा सकते। इसलिए सबसे पहले आवश्यकता इस बात की थी कि सीमाओं का संरक्षण उन्हें न मिले, चाहे थाने की सीमाओं का संरक्षण हो, चाहे जिले की सीमाओं का संरक्षण हो, चाहे विभिन्न राज्यों की सीमाओं का संरक्षण हो, इसलिये सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश व राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के साथ जो पहल हमने प्रारम्भ की इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर कि इस प्रकार से जो संरक्षण डाकुओं को सीमाओं के कारण मिलता है वह समाप्त हो और डाकुओं के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए हम दोनों और तीनों राज्य मिलकर एकीकृत योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करने की दिशा में बढ़ने का संकल्प लें। मुझे सदन में इस बात से हर्ष है कि दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने इस समस्या की गम्भीरता को समझते हुए बहुत-सी छोटी-छोटी बातें जो सामान्य रूप से इस प्रदेश को जाने दीजिए छोटे-छोटे थाने विवाद का विषय बन जाते हैं ऐसी व्यवस्था का निर्देश उन्होंने दिया है। राजस्थान, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के उस क्षेत्र में जहाँ सामूहिक रूप से समस्या है, राज्यों की सीमाओं का किसी प्रकार का व्यवधान सामने नहीं आएगा और न ऐसे लोगों को संरक्षण मिल सकेगा।

(मेजों की थपथपाहट)

दूसरी बात पटवा जी ने कही, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि कानून-कायदे शासन तंत्र की कार्यवाही यह तो अविरल चलती रहती है और उसे चलाने के लिये कोई बहुत ज्यादा मेहनत या परेशानी की जरूरत नहीं होती है लेकिन किसी भी विषय को लेकर, किसी भी समस्या को लेकर जो सामान्य जन-जीवन से संबंधित है उसे क्रियान्वित करने के लिये, उसका समाधान ढूँढने के लिए जिस पोलिटिकल बिल की जरूरत होती है उसका बहुत स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना आवश्यक है वरना परिणाम में यही देखने को मिलेगा कि आँकड़े देते रहेंगे, बहुत से तर्क देते रहेंगे लेकिन समस्या वहीं की वहीं बनी रहेगी। इसीलिए हमारा दूसरा प्रयास था कि इन तीनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को एक साथ इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि इस समस्या का समाधान करने के लिए तीनों का पोलिटिकल बिल हर परिस्थिति में डाकू समस्या समाप्त करने के लिए तत्पर रहेगा। इस बात का प्रयत्न हमने मिलकर किया। तीसरी जो व्यवहारिक आवश्यकताएँ हैं समस्या के संबंध में वे हैं आवागमन की सुविधाएँ, जिसका उल्लेख कुछ माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में किया, बाधक होती हैं। जो सड़कें, बन रही

थी वे रोक दी गईं। कब रुकीं कैसे रुकीं, मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता किन्तु उन क्षेत्रों में जहाँ सड़कें बन जाना चाहिए थीं, सड़कें नहीं बनी हैं। मैंने आदेश दिये हैं जहाँ भी पुलिस को गश्त लगाने के लिए, समस्या के समाधान के लिए जिन स्रोतों से भी हो सड़कें बनाये जाने के लिये, प्राथमिकता के आधार पर धन का प्रबन्ध किया जाये।

(मेजों की थपथपाहट)

हमारे फोर्स की बात भी मैं कहना उपयुक्त समझूँगा। मध्यप्रदेश की पुलिस का गौरवमय इतिहास रहा है, इसकी ताईद हम सदन में करें यह तो उचित ही है उनके कारनामों का जो कि कश्मीर की घाटी से लेकर आसाम की घाटी तक इतिहास का एक अंग बन चुका है। सवाल केवल इतना है उन्हें पूरी तरह से काम करने के लिए सक्षम बनाया जा सके, जो बाधाएँ उत्पन्न होती हैं, उनको दूर किया जा सके, साथ ही साथ अनुशासन, जो किसी भी फोर्स का प्राण है उसे निरन्तर बनाये रखने के लिये सबकी ओर से बराबर प्रयास बने रहें। तीनों विषयों के बारे में फोर्स सक्षम बनाने का सवाल है। जो हथियार पुलिस के पास नहीं थे वे डाकुओं के पास कुछ ऐसे हथियार थे, यह सही है, इससे इन्कार करने से कोई बात नहीं बनेगी। मुझे सदन को सूचित करते हुए संतोष और हर्ष होता है। मैं न केवल उस प्रकार देने के लिए, डाकुओं का मुकाबला करने के लिये जो आवश्यक है, स्वयं प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने, कहा है कि आर्मी से भी यदि कोई हथियार देने की आवश्यकता होगी तो देंगे, इसकी आवश्यकता समझी है।

(मेजों की थपथपाहट)

साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, जो पुलिस को सक्षम बनाने की बात है वह हमारे कुछ फोर्स की संख्या की हमारे ऊपर सीमाएँ हैं। यह सिर्फ बिना किसी राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में कुछ कहे हुए मैं यह उल्लेख करना समीचीन समझता हूँ कि फोर्स की कमी मुख्य रूप से हमारे यहाँ इसलिये उपस्थित हो गई है क्योंकि सामान्य रूप से प्रदेश में स्थिति सामान्य रही है। कोई बड़ा बलवा नहीं हुआ, कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ जिसकी वजह से बहुत बड़ी फोर्स को कहीं लगाने की आवश्यकता नहीं हुई। इसी बीच में पड़ोसी राज्यों में कई स्थानों पर फोर्स की आवश्यकता हुई तो स्वाभाविक था कि वहाँ से माँग की गई और हमारे प्रदेश ने वहाँ पर अपनी फोर्स भेजी। इन सभी परिस्थितियों की वजह से आज जिस संख्या में पुलिस फोर्स की आवश्यकता है उस क्षेत्र में अपने अभियान को चलाने के लिये उसमें थोड़ी कमी रही। हम अपनी एक नई बटालियन खड़ी कर रहे हैं जिसमें मुख्य रूप से भूतपूर्व सेना के अवकाश लिये हुए सैनिक हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर भरती कर रहे हैं ताकि ट्रेनिंग के लिये जो सामान्य रूप से 8 और 9 महीने लगते हैं ऐसे लोगों को ट्रेण्ड करने के लिये हम 3, साढ़े तीन या 4 महीने का समय देकर उस बटालियन को खड़ा कर सकेंगे और जब तक हम इस बटालियन को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, मुझे सदन को यह सूचित करना है कि केन्द्रीय शासन ने बी.एस.एफ. की एक बटालियन इस प्रदेश को उपलब्ध कराने के आदेश दिये हैं।

तीसरी बात, अध्यक्ष महोदय, कानून के संबंध में है और उसको कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। माननीय विरोधी दल के नेता ने, माननीय अन्य सदस्यों ने उस श्रृंखला का जिक्र किया है जो निहित स्वार्थों की श्रृंखला है जो दल तक सीमित नहीं है, जो किसी उद्देश्य तक सीमित नहीं है, किसी बड़े उद्देश्य से परिमार्जित नहीं है, कोरी व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिये, निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिये आतंक का उपयोग, बल का उपयोग और ऐसे उपयोग करने वालों को स्वयं अपरोक्ष रूप से लाभ लेने का तरीका उस क्षेत्र में है। इसके लिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें कानूनों में कुछ आमूल परिवर्तन करने होंगे। मैं आपके माध्यम से, जिस बात का उल्लेख सदन के सदस्यों और विरोधी दल के नेता ने किया है, सदन के बाहर इस प्रदेश की जनता को और विशेष रूप से वहाँ पर प्रभावित नागरिकों को इस बात के लिये, आश्वस्त करना चाहता हूँ कि न किसी दल की सीमा, न किसी व्यक्ति की सीमा, न किसी अन्य बात की सीमा का ध्यान रखते हुए हम कानूनों को संशोधित करेंगे। नया कानून इसी विधानसभा सत्र में लाने का प्रयास करेंगे ताकि उन कानूनों को पास करके ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये जो इस आतंक द्वारा शोषण की श्रृंखला से अभी तक फायदा उठाते आये हैं और जो केवल अपना तथाकथित वर्चस्व कायम रखने के लिये शांति और व्यवस्था के लिये एक खतरा बने हैं, इस

खतरे को इस प्रदेश से निर्मूल होने के लिये समाप्त करने के लिये, इस सदन का मैं समर्थन चाहता हूँ, आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि इस समस्या का समाधान हम सबकी क्षमता के अंदर है।

अध्यक्ष : विधानसभा की कार्यवाही दिनांक 26-3-81 को दिन के 10.30 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/17 मार्च 1981, पृष्ठ/ 1464-1480)

राजस्व मंत्री डॉ. टुमनलाल ने मध्यप्रदेश अकृषिक जोत उच्चतम सीमा विधेयक 1981 सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया। प्रतिपक्ष के नेता श्री सुन्दरलाल पटवा ने इस विधेयक का यह कहते हुए विरोध किया कि यह काला कानून है और चंद राजा-महाराजाओं को लाभ पहुँचाने के लिये आदिवासियों के हितों की ओट लेकर लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने इसका तर्कपूर्ण प्रतिउत्तर दिया फिर भी विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। अन्ततः विधेयक पारित हुआ। चर्चा यहाँ दी जा रही है—

डॉ. टुमनलाल (राजस्व मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश अकृषिक जोत सीमा विधेयक, 1981 पर विचार किया जाये।

श्री रमाशंकर सिंह (रौन) : सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है और वह यह है कि एक पत्र डॉ. टुमनलालजी ने मुख्यमंत्री जी को लिखा था, ऐसा बताया जाता है, उसमें यह कहा गया है राजस्व मंत्री जी द्वारा कि मेरे पास यह राजस्व विभाग है, इससे मेरे मन पर और मस्तिष्क पर भारी असर पड़ रहा है, अतिरिक्त भार पड़ रहा है, इसलिये मुझे इस विभाग से मुक्ति दिलाई जाये। तो श्रीमान् जो आदमी मेंटैली स्वस्थ न हो और इस विभाग को सम्हालने के लिये तैयार ही नहीं है। अगर यह बात सही है तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का स्पष्टीकरण कर दें कि क्या उन्होंने कोई ऐसा पत्र आपको लिखा था विभाग से मुक्ति पाने के लिये? यह बात बाहर सुनने को मिल रही है और आपकी ही पार्टी के लोग ऐसा जोर दे रहे हैं तो इस पर स्पष्टीकरण देना आवश्यक है।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री रमाशंकर सिंह जी के मस्तिष्क की नई-नई उपजों के लिये उनको बधाई देना चाहता हूँ। और जो बात उन्होंने कही, उसके संबंध में कहीं भी कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। डॉ. टुमनलाल जी अपने विभाग को बहुत अच्छी तरह से सम्हाल रहे हैं। अगर माननीय सदस्य को यह पसंद नहीं है तो उसके लिये मुझे कुछ कहना नहीं है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप तो एक प्रस्ताव लाकर उनको गोल्ड मेडल दे दीजिए।

श्री अर्जुनसिंह : गोल्ड मेडल तो केवल श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा जी को ही दिया जा सकता है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मुख्यमंत्री जी गोल्ड मेडल आपकी सरकार को दिया जाता रहा है कि आप ऐसे-ऐसे काम करते जा रहे हैं कि आप सामंतों के हितों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस कानून के जरिये आप हजारों एकड़ जमीन सामंतों को देने जा रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : आप जब ढाई साल तक शासन में रहे तब आपने इसके खिलाफ कानून पास क्यों नहीं किया?

श्री सुन्दरलाल पटवा : मुझे खेद है कि जब लक्ष्मीनारायण जी शर्मा ने यहाँ पर एक जब विस्तृत भाषण दिया उस समय आप यहाँ उपस्थित नहीं थे। जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित थे तब हमने क्या-क्या किया, यह मुख्यमंत्री जी, जब तत्कालीन राजस्व मंत्री जी ने यहाँ विचार रखे, उनको सुनते तो मालूम पड़ता कि हमारी पार्टी के शासनकाल में कितने अच्छे काम हुए हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मैं तो आपसे एक ही बात जानना चाहता हूँ कि आपने अपने शासनकाल में इस संबंध में कोई कानून पास किया क्या?

श्री सुन्दरलाल पटवा : इस कानून को पास करने की आवश्यकता ही पैदा नहीं हुई थी। आवश्यकता तो आपको पैदा हुई जब राजस्व बोर्ड ने एक फैसला दिया, जिसमें वन भूमि को सीलिंग एक्ट के तहत सीमित किया गया। जब हमको आशंका हुई, तभी उसी समय तत्कालीन राजस्व मंत्री जी ने एडवोकेट जनरल से और लॉ डिपार्टमेंट

से राय माँगी थी। आर्डिनेंस जारी करने पर आशंका पैदा हुई। लेकिन आपने तो 100-100 एकड़ जमीन वन की सामंतों को देकर जघन्य अपराध किया है।

डॉ. टुमनलाल (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, अभी पिछले दिनों अकृषिक जोत उच्चतम सीमा अध्यादेश लाया गया था। उसके बाद अब उसके स्थान पर विधेयक के रूप में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : यह भी आप आधा लाये हैं, पूरा नहीं लाये हैं।

डॉ. टुमनलाल : सभापति महोदय, यह असल में जिस ढंग से बड़े-बड़े भूमिस्वामी लोग अकारण बहुत से जंगलों की जमीन में भूमि स्वामी का हक प्राप्त करके बहुत से जंगलों की अवैध कटाई करा लिया करते थे और उससे वनों की स्थिति भयावह होती जा रही है और उस जमीन की आड़ में वह शासकीय जंगलों में घुसपैठ करके वनोपज की यदाकदा चोरियाँ करते थे और नाना तरीके से जंगलों को उजाड़ रहे थे और विस्तृत क्षेत्रों में यही स्थिति निर्मित हो रही थी, ऐसी हालत में शासन ने यह आवश्यक समझा कि यह पर्यावरण और जंगल को उजड़ने से बचाने के लिए एक ऐसा कानून पास किया जाये, जिससे राज्य की सम्पत्ति भी बढ़े और वनोपज की चोरी में कमी आ जाये। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन यह विधेयक लाया है और इससे जो बड़े-बड़े भूमिस्वामी हैं, जो राजे-महाराजे हैं, उनकी जमीन को हम लेकर के राज्य में वेष्ठित कर रहे हैं। पटवाजी, शर्माजी, जैसे व्यक्ति यह कहते हैं कि हम राजे-महाराजाओं को प्रश्रय दे रहे हैं, जबकि स्थिति यह है कि हम ऐसे बड़े भूमिधारियों से जमीन छुड़ा करके राज्य की वास्तविक संपत्ति को बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं और इसके विपरीत यह दलील दी जाती है कि हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं। माननीय सदस्य ने अपने भाषण में कहा था कि उनके पास केवल राजे-महाराजाओं के पास 4-4 हजार एकड़ जमीन है और उस जमीन को हम ले रहे हैं, सिर्फ 54 एकड़ दे करके तो यह समाजवादी काम नहीं है तो क्या है?

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : यह जो एग्रीकल्चरल सीलिंग एक्ट प्रभावशील है उसमें 54 एकड़ लेवी बाकी वेष्ठित हो जायेगी।

डॉ. टुमनलाल : जैसा कि पहले मैंने बताया कि केवल राजे-महाराजाओं के पास ही भूमि नहीं है और कृषक हैं, जो आदिवासी हैं, जिनके लिए केवल आजीविका का साधन केवल यह भूमि है, क्या ऐसे लोगों को रास्ते में या चौराहे पर लाकर के खड़ा कर दें। उनकी आजीविका का प्रबन्ध करने के लिये ही आवश्यक समझकर 54 एकड़ उन्हें दें ताकि वे आजीविका का साधन बना सकें, इसी उद्देश्य से फलीभूत होकर के जो कानून ला रहे हैं, उससे समाजवादी कदम में क्रांतिकारी कदम साबित होगा और इससे जो हमें संपत्ति मिलेगी, उससे निश्चित रूप से मध्यप्रदेश और राष्ट्रीय निर्माण में हम अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर सकेंगे, इसलिये सदस्यों से दरख्वास्त है कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाये।

सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि म.प्र. अकृषिक जोत उच्चतम सीमा विधेयक, 1981 पर विचार किया जाये।

श्री शालिगराम श्रीवास्तव : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि म.प्र. अकृषिक जोत उच्चतम सीमा विधेयक, 1981 प्रवर समिति को सौंपा जाये, जिसके सदस्य होंगे श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, श्री निर्भयसिंह पटेल, श्री राधारमण भार्गव, श्री भूरेलाल फिरोजिया, श्री राणा नटवरसिंह, डॉ. राजेन्द्र जैन, श्री कन्हैयालाल दाँगी, श्रीमती जया बेन।

सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि— "म.प्र. अकृषिक जोत उच्चतम सीमा विधेयक, 1981 प्रस्थापनानुसार निर्मित प्रवर समिति को सौंपा जाये।"

श्री बाबूलाल गौर (गोविन्दपुरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सर्वसाधारण की राय दिनांक 31 जुलाई 1981 तक जानने के लिये म.प्र. अकृषिक जोत उच्चतम सीमा विधेयक, 1981 परिलक्षित किया जाये। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो विधेयक है, बहुत विवादित है, हमको जो प्रतिलिपि मिली है, उसमें संशोधित राज्यपाल महोदय का वित्तीय ज्ञापन है। ..... उसके संबंध में, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, मध्यप्रदेश के अंदर हजारों एकड़ ऐसी भूमि है, जहाँ कि वन खड़े हुए हैं और ये सारी सम्पत्ति जो है शासन की है। किसी राजा-महाराजाओं, जागीरदारों या जमींदारों ने वनों को उत्पन्न करने में किसी प्रकार

का परिश्रम नहीं किया, यह प्रकृति की कृपा से, ईश्वर की कृपा से ये सारे वन अपने आप उगे हुए है। न ही किसी प्रकार की खेती की गई है, लेकिन करोड़ों रुपयों का लाभ राजाओं को हो रहा है और वह भी हैरक राजा-महाराजा को जनता के खजानों से ही मुआवजा दिया जाये यह दुख की बात है। क्रमांक-1 में बताया गया है कि अधिक भूमि के अर्जन के लिये प्रतिकर के शोधन के रूप में व्यय, ब्याज सहित प्रतिकर की कुल राशि का अनुमान रु. 8 10 लाख होगा, परन्तु अर्जित की गई भूमि पर खड़े वृक्षों का मूल्य, जो शासन को प्राप्त होगा, इस राशि से बहुत अधिक होगा। जब शासन से यह स्वीकृति है कि करोड़ों रुपये की संपत्ति है, इस करोड़ों रुपये की संपत्ति को जनता को अंधकार में रखकर यह पूँजी राजा-महाराजा, बेगम इनको दी जा रही है। इसलिये मैं इस विधेयक को जनता की राय के लिये जिससे जनता को मालूम हो कि हमारी यह संपत्ति क्यों दी जा रही है, क्यों राजा को दी जा रही है, क्यों महाराजाओं को दी जा रही है? जनता को मालूम हो कि हमारे शासन ने स्वयं ही 54 एकड़ की औसत भूमि का नियम बनाया है और उसके बाद हमने एक बिल पास कर दिया है, अब 54 एकड़ और देकर बाकी का मुआवजा दिया जाये। यह एक समाजवादी शासन के अन्तर्गत समानता का विचार है यह अलग से इतना महत्वपूर्ण प्रश्न इतने वर्षों के बाद क्यों आया? यह इसलिये आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसे परिवार से संबंधित हैं, जिसके कारण इस प्रदेश के राजा-महाराजाओं को एक बड़ा भारी अवसर प्राप्त हो जायेगा, उनका कोई समर्थक या संरक्षक इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, इसलिये यह समय हमें प्राप्त हुआ है हमें फिर करोड़ों रुपये प्राप्त हो जायेंगे। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूँ कि जनता की राय के लिये इससे प्रसारित किया जावे।

सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "सर्वसाधारण की राय दिनांक 31 जुलाई, 1981 तक जानने के लिये मध्यप्रदेश अकृषिक जोत उच्चतम सीमा विधेयक, 1981 परिचालित किया जाये।"

श्री शालिगराम श्रीवास्तव (भोजपुर) : मैंने यह संशोधन रखा है कि इस बिल को प्रवर समिति को सौंपा जाये। यह बिल शासन ने बहुत ही हड़बड़ी में, जल्दी की स्थिति में रखा है। इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है, यह तो मैं नहीं कह सकता, परन्तु जैसा भाई बाबूलाल जी गौर ने माननीय मुख्यमंत्री जी पर जो आरोप लगाये हैं, इससे जरूर इस आरोप की पुष्टि होती है। क्योंकि सभापति जी, ज्यादातर वन भूमि सिर्फ राजा-महाराजाओं के पास है उन्हीं लोगों के पास वन भूमि है और जैसा कि हमारे राज्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों के पास है। आदिवासियों के पास कोई वन भूमि नहीं है, राजस्व भूमि है, जिस पर वे खेती नहीं कर पाते हैं। वन खड़े हुए हैं जिसमें यह भूमि सीलिंग के अन्तर्गत आयेगी और मुआवजा देना पड़ेगा और वृक्षों का मुआवजा राजा-महाराजाओं के लिये अरबों रुपया होगा। सभापति महोदय, यह बिल जल्दी में लाया गया है, इसमें शासन ने कोई केल्कूलेशन नहीं किया है कि कितनी आमदनी होगी और उसका क्या प्रभाव होगा। शासन ने यह स्वीकार किया है कि जिस भूमि पर पेड़ खड़े हुए हैं, उनसे अरबों रुपये की आमदनी होगी। यह जो वन भूमि 54 एकड़ रखी है, उसका भी कोई औचित्य उद्देश्यों में नहीं दिया गया है कि यह किस आधार पर रखी गई है। इसमें किसी राजस्व शास्त्री की भी बात नहीं कही गई है कि हमने किन शास्त्रियों की राय के आधार पर यह रखी गई है। राजस्व भूमि जो रखी गई थी, वह तो 54 एकड़ असिंचित भूमि रखी थी और सिंचित भूमि 27 एकड़ रखी थी, जिसमें एक परिवार का छः सात आदमियों के परिवार का गुजारा हो सकता है। लेकिन यह वन भूमि किस आधार पर 54 एकड़ रखी गई है, इसका कोई औचित्य नहीं दिया गया है। शासन इसको जल्दी-जल्दी में लाया है। इसलिये मेरा सदन से यह निवेदन है कि इसको पारित नहीं किया जाना चाहिए। इसको प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये जिससे इस बिल पर काफी गम्भीरता से विचार हो सके। मुझे विश्वास है कि सदन मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेगा और इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करेगा।

सभापति : आज इस विधेयक पर विचार हेतु सभा की बैठक का समय साढ़े छः बजे तक रखा गया था, अभी इस विधेयक पर काफी सदस्य बोलने वाले हैं और इस विधेयक को आज ही पारित किया जाना आवश्यक है। क्योंकि इसे राष्ट्रपति की अनुमति 7 अप्रैल के पूर्व मिलनी चाहिये। अतः सभा की बैठक के समय मैं इस विधेयक को आज पारित किये जाने तक जितना समय लगे उस समय तक वृद्धि की जाये। क्या सदन इसके लिये तैयार है?

(सदन द्वारा अनुमति प्रदान की गई)

श्री सुन्दरलाल पटवा : सभापति महोदय, बाकी समय कल के लिये रख दीजिये, एक घन्टा कल बैठ लेंगे, जैसा यह कानून है उसके लिये कल का दिन ही उपयुक्त है। इसको कल पारित किया जाये तो उचित रहेगा।

श्री माधवलाल दुबे (शिक्षामंत्री) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूँ कि अभी जो अनुमोदन संकल्प प्रस्तुत किया गया था उस समय इस बिल के समस्त विषय पर भी चर्चा हो गई थी। अब इसमें कोई नई बातें नहीं हैं, जिस पर चर्चा और की जाये। इसमें दो प्रश्न ही उठाये गये हैं— एक प्रश्न तो यह था कि इसको प्रवर समिति को सौंपा जाये और दूसरा प्रश्न यह है कि इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाये। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी बताया है कि इसको आज ही पास किया जाना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इसको 79-80 तक के लिये ही ठहराव रखा गया है। अगर यह आज पास नहीं किया गया तो इस बीच में वनों की अनाप-शनाप कटाई हो जायेगी और फिर बिल को लाने का मतलब ही डिफीट हो जायेगा। इसकी वजह से भी इसको आज ही पास करना आवश्यक है। जनमत तो उन बिलों पर जाना जाता है जिसमें जनता के बड़े भाग पर उसका प्रभाव होता हो यह बिल तो केवल कुछ परिवारों तक ही सीमित है। इसलिये इसको जनमत जानने के लिये भेजने की आवश्यकता नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। जिनके पास वन भूमि है, ऐसे लोगों पर असर होने वाला है। ऐसे सीमित लोगों के असर के लिए कोई औचित्य नहीं है कि हम इसको प्रसारित न करें और प्रवर समिति इसमें करने वाली क्या है। हमारा एक छोटा सा विधेयक कृषि जोत सीमा के बारे में था, उसमें इस प्रकार हमने 54 एकड़ का प्रावधान किया है। इस विधेयक द्वारा उठाए गए प्रस्ताव में कृषि जोत सीमा के तीन स्तर हमने रखे हैं— सिंचित भूमि, अर्द्ध सिंचित और शुष्क भूमि। सिंचित स्तर में शासकीय दरों से सिंचन होता है और दूसरा है अर्द्ध सिंचित। लेकिन वन भूमि को हमने शुष्क भूमि के समान क्यों रखा, इसमें तर्क है। चूँकि इसमें एक प्राकृतिक और नैसर्गिक धन लगा हुआ है, इसलिए इसको उस परिभाषा में लिया है और 54 एकड़ रखा है। रहा प्रश्न चर्चा का जो काफी विस्तार से हो चुकी है। सभापति महोदय, मेरा आग्रह है कि वे इसे उसी रूप में स्वीकार कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्री अर्जुनसिंह : मैं एक बात माननीय पटवा जी से निवेदन करूँगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा (सीहोर) : मैं बोलूँ उसके बाद आप बोलें तो ठीक रहेगा। सभापति महोदय, इस कानून को मैं काले कानून की संज्ञा दूँगा और मैं समझता हूँ कि काले कानून की संज्ञा के नाम पर जो हंस रहे हैं, वह मेरी समझ में आता है। इतनी हड़बड़ाहट में बिना विचार किए यह कानून लाया गया है। यह स्पष्ट करने की इसलिए भी जरूरत नहीं है कि अभी जिसका अनुमोदन करने का प्रस्ताव माननीय श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने रखा और अब जो विधेयक आप लाए हैं उसमें सौ एकड़ सौंपना चाहिए, फिर कुछ सद्‌बुद्धि आई तो 54 एकड़ पर पहुँच गए। यह परिचालित करते-करते या प्रवर समिति में जाते-जाते आपको सद्‌बुद्धि अगर आ जाये भगवान की कृपा से कि यह 54 एकड़ उनको न मिले जिनके पास 54 एकड़ भूमि है, 34 एकड़ या 18 एकड़ पैरेनियल भूमि है। यह स्पष्ट है कि जिस दिन आर्डिनेंस लाए उस दिन सौ एकड़ की वृद्धि थी। आधी तो आ गयी और जिस आर्डिनेंस पर चर्चा हुई है कि इसका अनुमोदन न किया जाए— यह कितना गलत है। आप बिना सोच-समझे आर्डिनेंस ले आए थे। आप इस बिल के अनुमान में लिख रहे हैं कि 8 करोड़ 10 लाख रुपया उस भूमि का मुआवजा देना पड़ेगा। यह 8 करोड़ 10 लाख किसको देंगे? आप पीने के पानी की दर को ड्योढ़ा कर रहे हैं, लेकिन किसान का सिंचाई हेतु बिजली पर एक पैसा बढ़ा रहे हैं और यह 8 करोड़ रुपये बेगम सुलताना को दे रहे हैं। यह राजा-महाराजा को दे रहे हैं। दुबे जी को बोलने दीजिए, मुख्यमंत्री जी ने शायद उनको एंडोर्स किया है।

सभापति : यदि मंत्री जी बोलना चाहें तो उन्हें बोलने दें।

श्री माधवलाल दुबे : आदरणीय सभापति महोदय, इस बात को स्पष्ट कर दूँ कि मैं यहाँ इसके पूर्व भी जब बोला हूँ और आज भी जो बोल रहा हूँ तो वह विधि मंत्री की हैसियत से बोल रहा हूँ मैं माननीय राजस्व मंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रहा हूँ। माननीय राजस्व मंत्री जी जब चाहें तब बोल सकते हैं। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि सबसे महत्व की बात यह है कि क्या हमारे पटवा जी यह चाहते हैं कि हम किसी

की मालिक मकबूजा भूमि चाहे वह जंगल की हो अधिग्रहण कर लें उनको भी न दें? तो क्या ऐसा कभी हुआ है और यदि आप इसको विधानसभा से सर्वसम्मति से पास भी कर लें तो क्या इसको हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करेगी? अब इसके बाद रहा प्रश्न दूसरा कि मुआवजा क्या दिया जाये? इसका कानून बनाना है। और तीसरी बात है कि 100 से उतर कर हम 54 एकड़ पर क्यों आये। आदरणीय सभापति महोदय, पटवा जी चाहते हैं कि एक एकड़ भी उनको न दिया जाये। आदरणीय सभापति महोदय, हमारे देश की परम्परा रही है। आपने देखा होगा कि हमने एकदम से राजघरानों को समाप्त नहीं किया है। पहले राजप्रमुख बनाया और उनकी निजी सम्पत्ति उनके ही पास रही। फिर धीरे-धीरे हमने उनको नागरिक बनाया। यही बात जागीरदारों और जमींदारों के साथ है तो यदि पटवा जी यह सोचें कि किसी आदिवासी परिवार के पास 54 एकड़ भूमि है और उसमें नैसर्गिक जंगल लगा हुआ है। तो क्या आप यह सोचते हैं कि उनको मुआवजा न दिया जावे। अकेले नवाब भोपाल पर यह लागू नहीं होगा, यह पूरे प्रदेश पर लागू होगा। तो उस समय क्या होगा जब कि आप कहते हैं कि आदिवासियों से 54 एकड़ भूमि भी छीन ली जावें, जिसके पास दूसरी कृषि भूमि भी नहीं है तो फिर कल क्या होगा। तो सभापति महोदय, शासन ने बहुत ही सोच समझ कर यह निर्णय दिया है कि सूखी भूमि पर जो हमने 54 एकड़ की लिमिट दी है, इसलिये वन भूमि पर भी 54 एकड़ की सीमा देना तर्कसंगत है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : सभापति महोदय, दुबे जी ने जो मुद्दा उठाया है वही मैं स्पष्ट करना चाहता था। शिकमी हो, मालिक मकबूजा हो, भूमि स्वामी राइट की हो, परन्तु उस पर जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वह सारे शासन में वेस्ट होंगे। यह मैं परिभाषित नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप भी मानते हैं नेचुरल रिसोर्सेस चाहे जमीन के अन्दर हो या जमीन के ऊपर हो, वह मालिक मकबूजा की अपनी नहीं है। यह अनेक केसेस में मान्य किया जा चुका है। जमीन के अन्दर कोई खनिज है, तो उसका मुआवजा पाने का हकदार नहीं है। पेड़ अपने आप बिना मेहनत के खड़ा होता है, तो वह उसकी निजी सम्पत्ति नहीं है, वह राज्य शासन की है। अगर किसी ने अपने प्रयत्न से कोई बगीचा लगाया है, कोई वृक्ष उगाया है, तो वह उसके परिश्रम से उपार्जित उसकी सम्पत्ति हो सकती है और उसका मुआवजा पा सकता है। सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत कई केसेस में यह निर्णीत हो चुका है। इस कानून के तहत जिन वृक्षों का मुआवजा देना चाहते हैं, वह नेचुरल रिसोर्सेस होने के कारण मालिक मकबूजा किसी प्रकार पात्रता नहीं रखता। इस प्रकार के कई केसेस और उदाहरण हैं, मुख्यमंत्री जी भी परिचित होंगे एक वरिष्ठ आई.एस. अधिकारी की तीन एकड़ जमीन राजसात हुई, उसका 45 हजार रुपया उनको दिया गया।

डॉ. राजेन्द्र जैन : प्वाइंट आफ आर्डर, माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसे बहुत से निर्णय हैं। क्या एक भी निर्णय सर्वोत्तम न्यायालय का हुआ हो तो सदन को बतायेंगे कि उनके पास जंगल हैं और वन उपज है, वह उनकी निजी सम्पत्ति नहीं सरकार की हो जायेगी?

श्री सुन्दरलाल पटवा : बिना किसी प्रकार के वैधानिक उपाय का अवलम्बन किये इस प्रकार की सम्पत्ति को शासन में वेस्ट किया जा सकता है। पहले आपने सौ एकड़ का रखा, फिर 54 एकड़ का रकवा रखा और मुआवजे का कोई हिसाब नहीं कि कितना देना चाहिये। आप एक भी प्रकरण बता दें, जहाँ नेचुरल रिसोर्सेस का एक्विजिशन करते समय मिल्कियत मानी हो किसी कोर्ट ने। तो आपकी बात मानने के लिये तैयार हो जाऊँगा। डॉ. जैन स्वयं विद्वान वकील हैं, कल उनको ऐसे केसेस बता सकते हैं। इसलिये आज हड़बड़ाहट में इसको पास न कीजिये, रात में विचार कीजिये। आपको कानूनी सहायता मिल सकती है, इसलिये इस प्रश्न पर और विचार कीजिये, और नेचुरल रिसोर्सेस के नाम पर इस सम्पत्ति को शासन की मानकर उनको मुआवजा देने से वंचित हो सकते हैं, और प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा राजा-महाराजाओं को लुटाने के लिये जो तत्पर है, इस अधूरे विचार के द्वारा लाये हुये कानून से, उसको क्या रोका जा सकता है? क्या आपने केल्कुलेशन किया है कि इस प्रदेश में ऐसी कितनी जमीन है और उसमें कितने वृक्ष हैं और किस-किस प्रकार के हैं? अधूरे विचार से, आंशिक रूप से यह कानून लाकर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और उस वर्ग की हिमायत कर रहे हैं, उस वर्ग की जेब में पैसा डाल रहे हैं, जिसका आप यहाँ प्रतिनिधित्व करते हुए बैठे हैं। मैं बार-बार दोहराना

चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी अपने राजस्व मंत्री को आदेश करें कि आज इसको स्थगित रखें या वापस ले लें। इस कानून पर पूर्ण विचार करके इस नुकसान से बचा जा सकता है। प्रदेश की जनता के पैसे को न लुटाइये जो जमींदार और राजे-महाराजाओं को लुटाने जा रहे हैं।

कोई कानून नहीं कहता लेकिन आप सन् 57 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हैं। बेगम नवाब के केस में यह होल्ड किया है कि यह उनको रखने का अधिकार नहीं है, यह उनकी निजी सम्पत्ति नहीं है। केवल आदिवासियों के घूंघट का झीना पर्दा डालकर आप बड़े पूँजीपतियों को लाभ देना चाहते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूँगा कि या तो इसे वापस लीजिये या माननीय सदस्य के प्रस्ताव को मानकर इसे प्रचारित कीजिये जनमत जानने के लिये या प्रवर समिति बना दीजिये, उसमें विचार हो जायेगा। मैं कतई समर्थन नहीं करता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : माननीय सभापति महोदय, बड़ी देर से पटवा जी को सुन रहा हूँ और उनकी पार्टी को मैं सुन रहा हूँ। राजे-महाराजाओं के प्रति और जमींदारों के प्रति आज उनके मन में जो भावना पैदा हुई है। क्या मैं पटवा जी से पूछ सकता हूँ कि सन् 77 में जिन लोगों ने राजा-महाराजाओं के प्रीवीपर्स की हिमायत की और उसी बिना पर चुनाव लड़ा गया और जनता ने अपना निर्णय दिया। किसके पक्ष में आप बोलते हैं और किसके पक्ष में आपकी पार्टी बोलती है? जितनी बातें हैं उनके बारे में ठंडे दिल से विचार कीजिये। आपने जो कह दिया जमीन के ऊपर जो खड़े वृक्ष हैं, उनके ऊपर किसी का स्वामित्व नहीं है। क्या यह जोर से भाषण दे देने से लैंड रेवेन्यू एक्ट अमेन्ड हो जायेगा? प्रत्येक पेड़ जिसकी जमीन पर खड़ा है, वह उसका है। उसके बारे में यदि किसी को भ्रम है तो उस भ्रम को दूर करने की क्षमता मुझमें नहीं है क्योंकि आपको भ्रम नहीं है, जान-बूझकर एक तर्क करना है। जहाँ तक इसे प्रवर समिति को क्यों नहीं सौंपा जाता, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं या जनमत जानने के लिये क्यों नहीं भेजा जा रहा है, उसका कारण यह है कि इसको एक अध्यादेश के रूप में लगाया गया है। अगर एक निश्चित अवधि के अन्दर इसको विधानसभा से पारित नहीं करवाया जाता तो वह अध्यादेश समाप्त हो जाता है, वह लैप्स माना जाता है। अगर आपने इसे प्रवर समिति को सौंप दिया या जनमत जानने के लिये भेज दिया तो वह लैप्स हो जायेगा। उसका नतीजा यह होगा कि 29 जनवरी से जो अधिग्रहण कर लिया गया है, वह अधिग्रहण समाप्त हो जायेगा। प्रवर समिति अगले सत्र में अपनी रिपोर्ट देगी, उसके पहले नहीं। जिनकी जमीन है और उन पर जो जंगल खड़े हैं, आप उनको उनके जंगल काटने के लिये देना चाहते हैं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस विधेयक को और इस आर्डीनेन्स को केवल इस दृष्टि से रखा गया है कि वनों के आधार पर जिनके पास वन भूमि है, उनकी सीमा को कम से कम करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया हमारे शासन के पास आये। आपने कहा कि 54 एकड़ क्यों करें। एक संशोधन 9 जून, 1980 का प्रभावशील कर रहे हैं। आपने एक बात उठा दी काल्पनिक रूप से इसलिये संदेह नहीं रहे, हमने 29 जनवरी के स्थान पर 9 जून 1980 कर दिया है जबकि उसके बाद मंत्रिमण्डल का गठन ही हुआ था, उसके पहले चर्चा ही नहीं थी इस विषय की, इसलिए उस दिनांक से प्रभावशील करके शंका को निर्मूल कर दिया गया है कि किसी के कहने से या किसी विशेष लॉबिंग के आधार पर किया गया है। यहाँ पर केवल राजे-महाराजे, सामन्त कहकर कर आप काँग्रेस पार्टी की नीतियों पर छींटाकशी नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जिस परिवार में मैं पैदा हुआ हूँ और पटवा जी जिस परिवार में पैदा हुए हैं, वे जानते हैं।

इसके बारे में चर्चा करके हम विधेयक के संबंध में विचार करें, में समझता हूँ कि न मुझे शोभा देता है और न पटवा जी को शोभा देता है। आपको ऐसी जानकारी है, जिस जानकारी के आधार पर ऐसी बातें कह सकते हैं तो निश्चित रूप से आरोप लगाएँ। उस आरोप को लगाने के बाद मुझमें क्षमता होगी तो मैं उत्तर दूँगा। यदि नहीं दे सकूँगा तो प्रजातंत्र में जो हाल होता है वह भुगतने को तैयार हूँ इस विधेयक के बारे में बार-बार यह दोहराकर कि यह विधेयक धनी व्यक्तियों की रक्षा करने के लिये लाया गया है। इसके पूर्व के नियम, कानून-कायदे हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को विशेष रूप से संरक्षण देने का प्रश्न नहीं उठता है।

सभापति : प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश अकृषिक जोत उच्चतम सीमा विधेयक, 1981 प्रस्थापनानुसार निर्मित

प्रवर समिति को सौंपा जाये।

(प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ)

सभापति : प्रश्न यह है कि सर्वसाधारण की राय दिनांक 31 जुलाई, 1981 तक जानने के लिये मध्यप्रदेश अकृषिक जोत उच्चतम सीमा विधेयक, 1981 परिचालित किया जाये।"

(प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ)

सभापति : प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश अकृषिक जोत उच्चतम सीमा विधेयक, 1981 पर विचार किया जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

सभापति : अब विधेयक के खण्ड पर विचार होगा। खण्ड तीन में एक संशोधन है।

खण्ड 3

डॉ. टुमनलाल (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खण्ड 3 में इस प्रकार संशोधन किया जाये— खण्ड 3 में शब्द "इक्तालीस" के स्थान पर '21.45' रखा जाये।

श्री सुन्दरलाल पटवा : क्या कारण बताएँगे, क्यों रखा जाये?

डॉ. टुमनलाल : जैसा कि मध्यप्रदेश सीलिंग एक्ट के तहत.....

सभापति : (पटवा जी की ओर इशारे करते हुए) उनका अधिकार है, यह बोल रहे हैं। आपके विवश करने पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : सभापति महोदय, हमारा अधिकार है पूछने का। हम पूछ सकते हैं।

सभापति : हाँ, पूछ सकते हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : सभापति महोदय, 41 के स्थान पर 21.45 क्यों रखा जाये? कम करने की क्यों सोची है? क्यों रखा है। 11 क्यों नहीं रखा है?

डॉ. टुमनलाल : मध्यप्रदेश सीलिंग एक्ट के तहत प्रावीजन है, जिसमें किसी धारक को सिर्फ 44 एकड़ रखने का अधिकार है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : 54 एकड़ का होता है?

डॉ. टुमनलाल : 54 ही है। 54 एकड़ ही उसकी संख्या होती है, चूँकि यह जो विधेयक उसके सामने लाया गया है। इसलिये उसकी अभी जो सीमा की है 54 एकड़ की है। इसलिये 21.45 रखा है।

सभापति : प्रश्न यह है कि— खण्ड तीन में इस प्रकार संशोधन किया जायेः— "खण्ड 3 में शब्द "इक्तालीस" के स्थान पर अंक "21.45" रखा जाये।"

"संशोधन स्वीकृत हुआ।"

सभापति : प्रश्न यह है कि "यथा संशोधन खण्ड 3 विधेयक का अंग बने"

यथा संशोधन खण्ड 3 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 4

डॉ. टुमनलाल : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खण्ड 4 में इस प्रकार संशोधन किया जाये—

उपखण्ड (1) में, निम्नलिखित शब्द अंत में जोड़े जायें, अर्थातः—

"और उक्त अधिनियम की धारा 9 में दूसरी बार आने वाले शब्द "नियत दिन" के प्रति किए गए निर्देश का यह अर्थ लगाया जाये कि यह इस अधिनियम के प्रारंभ को तारीख के प्रति निर्देशित है।"

श्री सुन्दरलाल पटवा : इस पर कुछ बोलें मंत्री जी। क्या संशोधन कर रहे हैं, हम समझें तो?

कु. विमला वर्मा : सभापति महोदय, पटवा जी विरोधी दल के नेता हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वे जल्दी समझें।

डॉ. टुमनलाल : मध्यप्रदेश सीलिंग एक्ट के प्रभावशील होने की सीमा 3 महीने से संबंधित है, उसी एक्ट के समकक्ष यह विधेयक लाया जा रहा है, इसलिए इसमें संशोधन की आवश्यकता है। दूसरा जो आर्डिनेंस जारी हुआ, उसका रिट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट भिन्न था।

सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में इस प्रकार संशोधन किया जाये : उप खण्ड (1) में, निम्नलिखित शब्द अन्त में जोड़े जायें अर्थात्—

"और उक्त अधिनियम की धारा में दूसरी बार आने वाले शब्द 'नियत दिन' के प्रति किए गए निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के प्रति निर्देश है।"

"संशोधन स्वीकृत हुआ"

सभापति : प्रश्न यह है कि यथा संशोधित खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।

"यथा संशोधन खण्ड 4 विधेयक का अंग बना।"

सभापति : खण्ड 4 इस खण्ड में एक संशोधन और है।

डॉ. टुमनलाल (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खण्ड 4 में इस प्रकार से संशोधन किया जाये—

नया खण्ड 4 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाये, अर्थात् —

"4—क (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि मेंअन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अकृषिक खाते के किसी ऐसे अन्तरण को जो 9 जून सन् 1980 के पश्चात् किन्तु नियत दिन के पूर्व किये गये अकृषिक खातों के कतिपय विक्रय बेनामी और शून्य होंगे। नियत दिन के पूर्व बाजार मूल्य से कम से कम प्रतिफल के लिये, विक्रय के तौर पर किया गया हो, बेनामी अन्तरण जायेगा, और वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये शून्य होगा।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित तारीख के सम्बन्ध में, मध्यप्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 (क्रमांक-20 सन् 1960) की धारा 4 के प्रयोजन के लिये, यह समझा जायेगा कि वह मध्यप्रदेश अकृषिक जोत उच्चतम सीमा विधेयक, 1981 (क्रमांक-10 सन् 1981) के प्रकाशन की तारीख है, और तदनुसार उक्त धारा की उपधारा (1) में शब्द और अंक "(1) जनवरी सन् 1971" के स्थान पर शब्द और अंक "9 जून सन् 1980" के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वे सदैव से स्थापित किये गये हैं।

स्पष्टीकरण : इस धारा में, बाजार मूल्य से अभिप्रेत है वह कीमत जो उस अकृषिक खाते के लिये उस दशा में, जबकि वह विक्रय की लिखत के निष्पादन की तारीख को बेचा गया हो तो, युक्तियुक्त रूप से प्राप्त होती"

सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

डॉ. राजेन्द्र जैन : सभापति महोदय, मैं दो मिनट का समय चाहूँगा।

श्री बाबूलाल गौर : सभापति महोदय, मंत्री महोदय, के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद सत्ताधारी दल के लोग नहीं बोल सकते हमें बोलने का मौका दीजिए लक्ष्मीनारायण शर्मा जी बोलना चाहते हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, जिस समय मैंने, बहस में भाग लिया था उस समय मुख्यमंत्री जी उपस्थित नहीं थे, इसलिये संक्षेप में, मैं कहूँगा कि सन् 1970 में एल.सी. गुप्ता, प्रेसीडेन्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का फैसला पढ़ लीजिये, जिसमें कहा गया है कि जंगल की भूमि जिस पर पेड़ खड़े हैं वह भी एग्रीकल्चर सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत आती है। सन् 71 में श्री नरोना प्रेसीडेंट बोर्ड आफ रेवेन्यू का फैसला है कि वे खातेदार जिसकी जमीन पर जंगल खड़े हैं, वह एग्रीकल्चर सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत कवर होती है। यह दो फैसले बोर्ड आफ रेवेन्यू के हैं। सभापति महोदय, राजस्व के जो इस समय सेक्रेट्री हैं, वे मेम्बर आफ बोर्ड रेवेन्यू के थे, उन्होंने जो फैसला किया था, उसको दरगुजर करके ही इसका अगर उन्होंने फैसला दिया था कि फारेस्ट लैंड .....।

श्री शिवकुमार श्रीवास्तव : ये सारे तथ्य और सारे तर्क कह चुके हैं, उसे दोहरा रहे हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : बिल पर बोल रहा हूँ, यह बात बिल पर नहीं कही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मार्च सन् 80 में मेम्बर आफ बोर्ड, रेवेन्यू, श्री सिंहदेव ने फैसला दे दिया कि जिस जमीन पर जंगल खड़े हैं वे एग्रीकल्चर सीलिंग एक्ट के अंदर नहीं आते हैं। उस फैसले को आधार मानकर यह अध्यादेश लाया गया है। यदि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का फैसला डिफर होता है तो .....।

सभापति : आप कोई नये तथ्य रखना चाहें तो कह दीजिये।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : सभापति महोदय, अंत में मेरा यही निवेदन है कि इस पर शासन पुनर्विचार कर ले। एक्ट में यदि संशोधन परिभाषा में करने की आवश्यकता पड़े तो संशोधन कर ले। मेहरबानी करके 54 एकड़ अतिरिक्त जमीन हर आदमी को रखने की पात्रता है, यह 54 एकड़ का फायदा केवल उन लोगों के लिए है, जिनकी जमीनें सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत कहीं न कहीं किसी कोर्ट में पेंडिंग हैं। ऐसी हजारों एकड़ राजा-महाराजाओं के पास हैं। कोई आदिवासी ऐसा नहीं है, जिसके पास 54 एकड़ से अधिक जमीन है।

डॉ. टुमनलाल : सभापति महोदय, यह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के बारे में है, काँग्रेस ने जून को शासन संभाला। जो हो चुका है, उस पर बोल रहे हैं।

डॉ. राजेन्द्र जैन (उज्जैन उत्तर) : सभापति महोदय, यह जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है और 9 जून से इस विधेयक को लागू किया गया है, उसका तात्पर्य यह है कि इस सदन और काँग्रेस की वर्तमान सरकार के बारे में बहुत-सी आलोचना करके जनता को यह बताने की कोशिश की है कि कोई एक बड़ा ट्रांसफर 2200 एकड़ जमीन का हुआ है, जिसमें कहा है कि काँग्रेस के मंत्रियों के संबंधी हैं, या प्रशासन के अधिकारी का हाथ है, इसलिए इन्होंने हस्तांतरण करवाया। वर्तमान सरकार इंदिरा गांधी के सेवकों की सरकार है, मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह की सरकार है। 9 जून का संशोधन इस बात का सबूत है कि आपने जितनी आलोचना की थी, वह निरर्थक आलोचना थी। अब आपको स्वीकार करना चाहिए कि आपने जो आरोप लगाया था कि 2200 एकड़ हस्तांतरण में मंत्रिमंडल के सदस्य का हाथ हो सकता है, कि अधिकारी का हाथ हो सकता है, यह संशोधन इसलिए लाया गया है कि आपके द्वारा प्रकट की गई सारी शंकाएँ, आलोचनाएँ, समाचार-पत्रों के माध्यम से काँग्रेस सरकार के ऊपर लगाए गए सारे लांछन समाप्त हो गए। इसलिए यह संशोधन लाया गया है। सभापति महोदय, यह वर्तमान सरकार ही है। केवल इससे इतना ही साबित नहीं होता है कि किसी मंत्री का या कि कर्मचारी का इसमें हाथ नहीं था, बल्कि यह भी साबित होता है कि जनता पार्टी की सरकार के समय में इस प्रकार की चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया है। यह संवेदनशील सरकार जो इस समय है, इसने एक ऐसा संशोधन प्रस्तुत किया है, उसको माननीय विरोधी पक्ष के नेता को स्वीकार करना चाहिए। अंत में यही कहना चाहूँगा कि यह कितना क्रांतिकारी समाजवादी अध्यादेश है, मैं तो यह मानता था कि विरोधी दल के लोग इसका स्वागत करेंगे। मैं जानता हूँ कि इन्होंने गांधीवादी समाजवाद को अंगीकार नहीं किया है। लेकिन अभी भी जनता पार्टी की मनोवृत्ति वही 1977 की है जैसा मुख्यमंत्री ने कहा। वही मनोवृत्ति है। ये इतनी दलीलें देकर इस विधेयक को पास नहीं होने देना चाहते थे ताकि सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रकरण पड़े हैं, वह जीत जावें और राजा-महाराजाओं की जमीन बच जाये।

श्री सुन्दरलाल पटवा (सीहोर) : सभापति महोदय, डॉ. राजेन्द्र जैन ने बड़े जोर से बोलकर इस संशोधन का समर्थन किया। बड़े जोर से बोलने से गलत बात सही हो जाती है तो उनकी बात सही है। परन्तु सारा जोर लगाने के बाद भी उन्हें मालूम होना चाहिए कि यहाँ एक सतर्क और सावधान विरोधी दल बैठा है और जितना भी झीना और मोटा घूंघटा निकाल कर.....।

डॉ. राजेन्द्र जैन : रेवेन्यू बोर्ड का निर्णय और उच्च न्यायालय के निर्णय देकर सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया, उससे ही मालूम हो गया कि कितना सतर्क और सावधान विरोधी दल है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : इतना फूहड़ तर्क निकाल कर एक वकील बहस कर सकता है क्या? 57 के फैसले के कारण सुप्रीम कोर्ट में अवैध नहीं हो सकता है। 57 के फैसले के बाद लैंड रेवेन्यू कोड बना, उसमें संशोधन आये, सीलिंग एक्ट बना, कई मामले चैलेन्ज हुए। यही मुकदमा हाई कोर्ट तक सरकार जीती। आप तर्क का खण्डन कर सकते हो? इसका कोई जवाब नहीं है। बड़ी क्रांतिकारी सरकार है। 9 जून, 1980 के पश्चात् के फैसलों को रद्द कर दिया। 9 जून के पश्चात् के अंतरण के लिए है। आप अपने कानूनी ज्ञान का सदुपयोग करके पहले संशोधन को पढ़िये। उसमें लिखा है कि 9 जून, 1980 के पश्चात् किन्तु नियत दिन के पूर्व किये गये अकृषिक खातों के कतिपय विक्रय बेनामी और शून्य होंगे और फिर उसका विवरण पढ़िये। 4-क (1) इस अधिनियम का तत्समय प्रस्तुत किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अकृषिक खाते के किसी ऐसे अंतरण

को जो 9 जून, 1980 के पश्चात् किन्तु नियत दिन के पूर्व बाजार मूल्य से कम प्रतिफल पर लिये हों। "बाजार मूल्य से विक्रय किया है तो वह अवैध नहीं होगा।" इसमें आपकी नेकनियती का सबूत पेश किया है। आप लिख सकते थे कि 9 जून, 1980 के बाद के तमाम अंतरण अवैध माने जावेंगे।

डॉ. राजेन्द्र जैन : वाजिब कीमत पर बेचा है तो प्रतिबंध लगायें तो गैर-वाजिब हो जाता है। कॉंग्रेस की सरकार अन्याय नहीं करना चाहती।

श्री सुन्दरलाल पटवा : वाह री हमारी सरकार, क्यों कहें, (हँसी)

श्री अर्जुनसिंह : अब लगता है कि पटवा जी के तर्क समाप्त हो गये हैं, अब सिर्फ लहजे रह गये हैं?

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप ही कृपा करके जवाब दे दीजिये। आपने 9 जून के बाद की तारीख दे दी है, यह कब, जब रहस्य से पर्दे को उठाकर बताया, इस प्रकरण पर केबिनेट में विचार किया, जब मंत्रिमंडल के सदस्य द्वारा बात लीक हुई, बेगम भोपाल ने अपना सारा अंतरण किया। यह सारा कृत्य प्रदेश की जनता के सामने आ चुका है। अपने चेहरे बचाने के लिये 9 जून की तारीख घोषित हुई है। उसके बाद ही बेगम भोपाल प्रकरण सामने आया है। उसके अंतरण को निरस्त करके लज्जा बचाना है, उसमें लिखा है कि बाजार मूल्य से कम पर अंतरण हुआ है, वह अवैध माना जायेगा। बाजार मूल्य पर रजिस्ट्री करवाते। एक-एक काम आप जल्दबाजी में कर रहे हैं, यह सब आपकी कारगुजारियाँ हैं। आपकी मंशा है, संशोधन और अध्यादेश, विधेयक द्वारा इसको आप छुपा नहीं पा रहे हैं। इसमें भी क्या है 9 जून के बाद किये गये अन्तरण जो बाजार भाव से कम मूल्य पर किये गये हैं। राजाओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। बेगम ने गलती यह की कि जिस भाव से बेचा रजिस्ट्री सवा सौ एकड़ पर करवाली, उसकी पोल खुल गई। आप कितने क्रान्तिकारी हैं, कितने गरीबों के हितचिन्तक हैं, हिमायती हैं, आपका एक-एक कदम एक-एक गलती को छुपाने के लिये सौ गलती करते जा रहे हैं। आपने सब अन्तरण रद्द नहीं किये हैं, केवल एक प्रकरण जो यहाँ उगागर कर दिया उसमें नाक बचाने के लिये वाह-वाही लूटना चाहते हैं।

श्री लरंगसाय : सभापति महोदय, इस विधेयक से मुझको ऐसा लग रहा था कि कम से कम आदिवासी नहीं घसीटे जायेंगे, लेकिन इस विधेयक से यदि हमें घसीटा जा रहा है और यह कहा जा रहा है तो, हो सकता है बस्तर के आदिवासी के पास, सरगुजा के आदिवासी के पास, कहीं-कहीं कुछ आदिवासियों के पास 54 एकड़ जमीन होगी। जंगल में होगी तो हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। यह कहा गया है कि बस्तर में भी किसी के पास 54 एकड़ से अधिक जमीन नहीं है। 54 एकड़ जमीन है कृषि की या रेवेन्यू की इसके अलावा जंगल की जमीन आती है सौ एकड़, पांच एकड़ उसको हम दावा करते हैं मध्यप्रदेश के लिये वह आदिवासी के पास 54 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो उसको समझाने का प्रयास करूँगा, मनाऊँगा कि प्रदेश के शासन के लिये छोड़ दें। मध्यप्रदेश में श्रीमान् सरगुजा में जागीरदार के पास, छोटे-छोटे राजा-महाराजाओं के पास जंगल की जमीन है। आज भी आदिवासी जंगल में महुआ बीनने जाता है, उसको मना किया जाता है उससे पैसा लेते हैं, उससे मुर्गा वसूल करते हैं, उससे शराब मंगवाते हैं और हमको घसीटा जा रहा है। एक-एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर यह बात है तो मैं वादा करता हूँ 54 एकड़ से ज्यादा किसी आदिवासी के पास जमीन है तो सरकार के लिये छोड़ने के लिये तैयार हैं। 54 एकड़ जमीन से आदिवासी का गुजारा चल रहा है। (व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : इसमें उन अंतरणों को निरस्त करने का प्रावधान है, जिसमें बाजार भाव से कम का अन्तरण किया गया।

डॉ. टुमनलाल : स्पष्टीकरण में स्पष्ट है। (व्यवधान)

सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड— (व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं मुख्यमंत्री जी से ज्ञान वृद्धि के लिये जानना चाहूँगा। बाजार भाव से कम वाले अंतरणों को निरस्त करने का प्रावधान आपने विशेष रूप से किया। समस्त अंतरणों को निरस्त करने का प्रावधान रखे जाने में आपत्ति थी या आप नहीं रखना चाहते थे? इस जिज्ञासा को शांत करने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र जैन : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी कानून बनाये जाते हैं, वे कानून

सामान्य तौर पर अगर किसी की सम्पत्ति अधिग्रहण करने के संबंध में या किसी फौजदारी हक आयत करने के संबंध में बनाए जाते हैं तो सामान्य तौर पर वह कानून जिस तारीख से घोषित किया जावे, उस तारीख से लागू किया जाता है। अब, सभापति महोदय, किसी अधिग्रहण करने के कानून को पुरानी तारीख से लागू करना चाहते हैं, तो उस पुरानी तारीख से लागू करने के लिए कोई विशेष कारण होना चाहिए। इस सदन के सामने कुछ प्रकरण ऐसे आये, जिसमें इस बात की शंका प्रकट की गई कि अध्यादेश जारी हुआ है, इसके प्रावधान की जानकारी लेकर कुछ लोगों ने कम कीमत पर हस्तांतरण कर दिया जब यह आरोप स्पेसिफिक तौर पर सदन में आया जब इसमें यह लिखा जाना संशोधन में अगर वाजिब कीमत से कम कीमत पर हस्तांतरण हुए हैं, तो शून्य माना जावे अवैध, माने जावेंगे। फिर शंका का क्या कारण है कि अगर कोई ट्रांसफर उचित मूल्य पर होता है तो क्या उसमें भी सरकार को आपत्ति है? इसलिए किसी के साथ अन्याय न हो जाये शंका प्रकट की गई दुरुस्त हो जावे, इसलिए रखा गया है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आपकी उस लीकेज का लाभ उठाने के लिए ..... (व्यवधान)

सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में इस प्रकार संशोधन किया जाये:— नया खण्ड 4 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाये अर्थात्:—

"4-क (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य बिधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अकृषिक खाते के किसी ऐसे अन्तरण को, जो 9 जून सन् 1980 के पश्चात् किन्तु नियत दिन के पूर्व बाजार मूल्य से कम प्रतिफल के लिये, विक्रय के तौर पर किया गया हो, बेनामी अन्तरण समझा जायेगा, और वह, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, शून्य होगा।" नियत दिन के पूर्व किए गए अकृषिक खातों के कतिपय विक्रय बेनामी और शून्य होंगे।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित तारीख के संबंध में मध्यप्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा अधिनियम, 1960 (क्रमांक-20 सन् 1960) की धारा 4 के प्रयोजन के लिए, यह समझा जायेगा कि वह मध्यप्रदेश अकृषिक जोत उच्चतम सीमा विधेयक, 1982 (क्रमांक-10 सन् 1981) के प्रकाशन की तारीख है, और तद्नुसार उक्त धारा की उपधारा (1) में शब्द और अंक '1 जनवरी सन् 1971' के स्थान पर शब्द और अंक '9 जून सन् 1980' के संबंध में यह समझा जायेगा कि वे सदैव से स्थापित किये गये हैं।

स्पष्टीकरण : इस धारा में "बाजार मूल्य" से अभिप्रेत है वह कीमत जो उस अकृषिक खाते के लिये उस दशा में, जबकि वह विक्रय की, लिखत के निष्पादन की तारीख को बेचा गया होता, युक्तियुक्त रूप से प्राप्त होती।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

सभापति : प्रश्न यह है कि नया खण्ड 4-क विधेयक का अंग बने।

नया खण्ड 4-क विधेयक का अंग बना।

खण्ड 2 व विधेयक का अंग बने।

खण्ड पूर्ण विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बना।

डॉ. दुमनलाल : सभापति महोदय, विधानसभा नियमावली के नियम 274 के अधीन, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश अकृषिक जोत उच्चतम सीमा विधेयक, 1981 (क्रमांक-10 सन् 1981) को पारित किये जाने का प्रस्ताव आज किये जाने के लिये नियम 88 का उप-नियम (2) निलंबित किया जाये।

श्री सुन्दरलाल पटवा : सभापति महोदय, यह तो आज हो नहीं सकता क्योंकि आज ही शासकीय संशोधन हुआ है, इसलिये पारित नहीं किया जा सकता।

श्री बाबूलाल गौर : कोई भी नियम जब सस्पेंड किया जाता है, तो उसके लिये कोई असाधारण कारण होता है। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति ही नहीं है, जिसके कारण से नियम को सस्पेंड किया जा सके। सस्पेंड करने का कोई कारण होना चाहिये।

सभापति : मैंने इसकी अनुमति दे दी है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप सदन में इस प्रश्न को रखें कि नियम निलंबन किया जा रहा है।

सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश अकृषिक जोत उच्चतम सीमा विधेयक, 1981 (क्रमांक-10 सन् 1981) को पारित किए जाने का प्रस्ताव आज किये जाने के लिये नियम 88 का उप-नियम (2) निलंबित किया गया।

सभापति : प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश अकृषिक जोत उच्चतम सीमा विधेयक, 1981 (क्रमांक-10, सन् 1981) को पारित किए जाने का प्रस्ताव आज किये जाने के लिए नियम 88 का उप-नियम (2) निलंबित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. दुमनलाल : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश अकृषिक जोत उच्चतम सीमा विधेयक 1981 (क्रमांक-10 सन् 1981) पारित किया जाये।

सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश अकृषिक जोत उच्चतम सीमा विधेयक, 1981 (क्रमांक-10, सन् 1981) पारित किया जाये।

बहिर्गमन

मध्यप्रदेश अकृषिक जोत उच्चतम सीमा विधेयक 1981 द्वारा बड़े जमीदारों को लाभ पहुँचाने की मंशा के खिलाफ असंतोष व्यक्त करने हेतु नेता विरोधी दल द्वारा अपने दल के साथ सदन से बहिर्गमन।

श्री सुन्दरलाल पटवा (सीहोर) : सभापति महोदय, पारित करने के पहले खंड पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, मैंने जो आशंका व्यक्त की थी, उसके बारे में शासन के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इतना ही नहीं, मेरी अपनी जानकारी है, मेरी अपनी आशंका है कि जिस एक मात्र नवाब बेगम की जमीनों के अंतरण के मामले को आप निष्प्रभावी करने के लिये यह जो संशोधन आज कर रहे हैं, आपका यह संशोधन इतना लचर है कि मुझे आशंका है कि यह भी हाईकोर्ट में चैलेंज होगा। बेगम नवाब की जमीन को आप छुड़ा ही नहीं पायेंगे। आप अपने संशोधन की शब्दावली को ही देखिये, बाजार भाव से कम मूल्य पर किये गये अंतरण को। बाजार भाव क्या होगा, यह सबूत करने का ऑनर है। यह साबित करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। इस केस में चैलेंज होगा तो आपका यह निष्प्रभावी करने का प्रावधान है। बाजार भाव का उसमें वे कहेंगे कि हमने बाजार भाव पर अंतरण किया है। अब आप साबित कीजिये कि उस दिन उस जमीन का बाजार भाव यह नहीं था और कोर्ट में यह आपका जो 9 जून वाला प्रावधान है, यह डिफीट होगा और अंततोगत्वा इस मिलीभगत से आप इस जमीन के अंतरण को निष्प्रभावी नहीं कर पायेंगे। आप इस बात को बताने में इसलिये असमर्थ हैं कि केवल बाजार भाव से कम मूल्य पर हुए अंतरण को निष्प्रभावी करने पर, के बजाये 9 जून के पहले समस्त अन्तरणों को निष्प्रभावी करके जिन्होंने आपकी केबीनेट के डिसीजन से लीक होने के बाद भी तमाम अंतरण किये हैं, उन सारे अंतरणों को सरकार द्वारा निष्प्रभावी करने के लिये प्रावधान न लाते हुए यह जो बाजार भाव का लिखा है, उसे भी स्पष्ट नहीं किया है कि बाजार मूल्य क्या होगा, किस आधार पर निर्धारण किया जावेगा? कैसा गणित किया जावेगा? इस सारे एक्ट में लचर और अधूरे प्रावधान के कारण यह जो संशोधन आप ला रहे हैं, यह डिफीट होगा और अंततोगत्वा आपकी मिलीभगत से हाईकोर्ट में बेगम जीतेंगी और आप इस सारी कार्यवाही में से कुछ नहीं निकाल पायेंगे। केवल आप आँसू पोंछने के लिये अपनी गलतियों को छिपाने का बहाना मात्र इस सदन में कर रहे हैं और ऐसा कानून पारित करवा रहे हैं कि जो इस प्रदेश की जनता के हितों के पूर्णतः विपरीत है। आदिवासियों के नाम पर आप बहाना बनाकर बड़े जमीदारों को लाभ पहुँचाना चाहते हैं। फिर से मैं अपने आरोप को दोहराते हुए इस काले कानून को पास होने में भागीदार नहीं बनना चाहता। हम आपकी इस कार्यवाही के विरोध में वाकआउट करते हैं।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : जाने के पहले सुनकर जाते तो अच्छा होता। मैं तो आपसे सिर्फ निवेदन कर सकता हूँ, उसके बाद आपकी इच्छा हो। हमारे विरोधी दल के नेता ने जो यह निश्चय कर लिया है कि किसी बात को बार-बार दोहराते जाना ही पर्याप्त तर्क होता है और उनकी यह नीति तभी सफल हो सकती है जबकि उनके सामने केवल वही लोग बैठे हों, जो वह कहते जायें उसमें सिर हिलाते जायें, लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह प्रावधान केवल कुछ कारणों से किया गया है। पहली बात तो यह है कि सीलिंग एक्ट का जिक्र किया पूर्व में अपने वक्तव्य में। शायद, आपको ज्ञात होगा कि सीलिंग एक्ट जो है वह

नाइन्थ शेड्यूल में शामिल कर लिया गया है। उसका तात्पर्य यह हुआ कि सीलिंग एक्ट को किसी अदालत में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती, वह सुरक्षित है। उसके बारे में, उसकी वैधता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। आज यह कानून नाइन्थ शेड्यूल में नहीं जा सकता। वह तो बाद में जायेगा। जिस वक्त पार्लियामेंट उसको ले और विधानसभाएँ उसको स्वीकृति देंगी, तभी वह नाइन्थ शेड्यूल में जा सकता है। लेकिन आज की स्थिति में यह कानून संविधान के उन सभी प्रावधानों के द्वारा प्रभावी होगा कि जो संविधान में नाइन्थ शेड्यूल के बाहर विधानसभा में प्रभावी होता है और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि संविधान की धारा 31-ए को देखें, जिसमें कंपनसेशन प्रापर्टी की मार्केट वेल्यू बढ़ा देने का प्रावधान है। मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता, आप स्वयं देख सकते हैं। जब तक संविधान का प्रावधान है, तब तक मार्केट वेल्यू पर सेल जो है उसको तत्काल केवल इसलिए कि सेल किया गया है, अप्रभावी नहीं किया जा सके। जब मार्केट वेल्यू से कम सेल हो तो निष्कर्ष यह निकाला कि उस प्रावधान से बचने के लिये मार्केट वेल्यू से कम सेल किया गया है, ऐसा माना जा सकेगा और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बात को यहाँ पर रखा गया है। जितने भी हस्तांतरण ऐसे हुए होंगे आरोप लगा रहे हैं आज आप ही कल्पना की बात कर रहे हैं हम लोगों पर, आपके पास क्या आधार है? केस ऐसे हो गये हैं, सिवाय इसके आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। इसलिये यह प्रावधान किया गया है कि मार्केट वेल्यू से कम पर जो सेल होंगे उस पर तत्काल प्रभाव लाया जाये। ऐसे प्रकरण जो सामने आयेंगे, जिनमें ऐसी बात होगी तो निश्चित रूप से गुणदोष के आधार पर इस विधेयक के जो नियम बनेंगे उनमें प्रावधान किया जायेगा कि इन नियमों से बचने के लिये जो भी काम किया गया है उन पर प्रभावी ढंग से रोक लगाई जाये।

श्री सुन्दरलाल पटवा (सीहोर) : सदन के नेता का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे द्वारा उठाये गये प्रश्न का उत्तर दिया परन्तु एक बात मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि कितना ही अच्छा वकील हो गलत केस की पैरवी करता है तो कहीं न कहीं तो एक गलती को छिपाने के लिए दूसरी गलती फिर करता है और इस प्रकार वह गलतियों के भ्रमजाल में फंस जाता है। मुख्यमंत्री जी ने जो आरगूमेंट्स दिये हैं, उन आरगूमेंट्स को देने के बाद हमारी बात की इतने जोर से पुष्टि होती है कि संदेह का रूप यहाँ बन जाता है। उनकी जानकारी में है और थोड़ा-सा मेरी भी जानकारी में है और वह बात कहते रहते हैं कि श्रीमान् जी अगर संशोधन लाना है तो सीलिंग एक्ट में लायें जो संविधान के नाइन्थ शेड्यूल में सुरक्षित हैं उसके कानूनी तर्कों को चुनौती नहीं दी जा सकती। संवैधानिकता को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसे एक्ट में संशोधन न लाकर आप इस विधेयक को पारित करवा रहे हैं जिसे संवैधानिक चुनौती दी जा सकती है। आप यह खतरा क्यों मोल ले रहे हैं? पूर्व राजस्व मंत्री ने जिस प्रकार की प्रक्रिया शुरू की थी या सीलिंग एक्ट में जो संशोधन अनुच्छेद—9 के अंतर्गत घोषित किया जाकर संवैधानिक चुनौती अदालतों के सामने देने के खतरे से सुरक्षित हैं ऐसा समझकर इसमें संशोधन न करते हुए आप ऐसा नया कानून बना रहे हैं। इसलिये तो हमारी बात की अपने तर्क की पुष्टि कर दी। आपका यह कदम गलत है, आपका कदम अव्यवहारिक है, आपका यह कदम जल्दबाजी में लाया गया है। यह चंद लोगों को फायदा पहुँचाने के लिये लाया गया है और आपने स्वयं अपने तर्क से पुष्टि कर दी है। आपके स्पष्टीकरण के प्रति धन्यवाद देता हूँ। आपके इस गलत काम में, मैं सहयोगी नहीं हो सकता, इसलिये मैं इस सदन से वाक आउट करता हूँ।

(नेता विरोधी दल द्वारा अपने दल के साथ बहिर्गमन किया गया)

सभापति : प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश अकृषिक जोत उच्चतम सीमा विधेयक, 1981 पारित किया जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

(विधेयक पारित हुआ)

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/31 मार्च 1981, पृष्ठ/ 2155-2165)

राज्य सरकार के कर्मचारियों को दी जाने वाली राहत में वृद्धि के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह का कथन—

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सदन को स्मरण होगा कि शासन ने 28-3-81 को अंतरिम राहत के विषय में एक सप्ताह में निर्णय लेने का आश्वासन दिया था। राज्य शासन के कर्मचारियों के हितों एवं कल्याण के बारे में माननीय सदन को आज एक सूचना देने में, मैं खुशी महसूस करता हूँ। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, प्रदेश शासन अपने कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहने के लिये प्रतिबद्ध है तथा विभिन्न प्रकार के लाभ एवं योजनाएँ समय-समय पर लागू की जा रही है। हमारा शासन पूरी ईमानदारी से अपने कर्मचारियों की स्थिति में सुधार लाना चाहता है यद्यपि जैसा कि आप सबको मालूम है हमारे सामने साधनों की मजबूरियाँ भी बनी हुई हैं।

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त वेतन आयोग की सिफारिशें अभी अपेक्षित हैं। इसके प्राप्त होने तथा इन पर निर्णय लिये जाने तक और गंभीर वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि कर्मचारियों को दी जा रही अंतरिम राहत में वृद्धि की जावे। हमने यह ध्यान में रखने का प्रयास किया है कि अलग-अलग वेतनमानों में कार्यरत कर्मचारियों को राहत मिले और मेरा ख्याल है कि समस्त कर्मचारियों को यह जानकर संतोष होगा कि जो राहत घोषित की गई है वह तत्काल प्रभाव से लागू होगी तथा उसका नगद भुगतान उन्हें किया जावेगा जिनका वेतन आयोग की सिफारिशों में समायोजन किया जायेगा। विस्तृत जानकारी इस प्रकार है—

1. ऐसे नियमित कर्मचारी जो रुपये 125-150, 131-164, रुपये 131-172 और रुपये 135-190 के वेतनमान में हैं उन्हें रुपये 5 की मासिक वृद्धि मिलेगी, जिससे राहत की दर रुपये 25/- प्रतिमाह हो जायेगी।

2. ऐसे नियमित कर्मचारी जो रुपये 139-200, रुपये 155-230 और रुपये 155-252 के वेतनमान में हैं, उन्हें रुपये 10/- प्रति माह की वृद्धि का लाभ होगा और राहत की कुल दर रुपये 30/- प्रति माह हो जावेगी।

3. ऐसे नियमित कर्मचारी जो रुपये 169-300, रुपये 195-330, रुपये 205-375, रुपये 220-375 और रुपये 246-460 के वेतनमानों में हैं, उन्हें रुपये 20/- मासिक वृद्धि मिलेगी जिससे राहत की दर रुपये 40/- प्रति माह हो जावेगी।

4. ऐसे नियमित कर्मचारी जो रुपये 280-480, रुपये 320-480 रुपये 320-480, रुपये 350-550, रुपये 350-600, रुपये 375-575, रुपये 400-675, रुपये 440-575, रुपये 350-650, रुपये 400-720 और रुपये 400-800 के वेतनमान में हैं उन्हें रुपये 40/- अथवा 35/- प्रति माह की वृद्धि मिलेगी, जिससे राहत की दर रुपये 60/- मासिक हो जावेगी।

5. राज्य के श्रेणी-2 तथा श्रेणी-1 के अधिकारी जिनका वेतन रुपये 2000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं है। उन्हें रुपये 75/- या रुपये 100/- मासिक की वृद्धि मिलेगी, जिससे राहत की दर रुपये 100/- प्रति माह हो जावेगी।

6. वे कर्मचारी जो कार्यभारित तथा आकस्मिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्य हैं जिनका वेतन रु. 50-90, रु., 60-120, रु., 75-140 रु., 85-150, रु., 90-170, रु. 105-200, है उन्हें रु. 5/- प्रतिमाह की वृद्धि मिलेगी जिससे राहत की दर रुपये 20/- मासिक हो जावेगी।

ऐसे कर्मचारी जिनका वेतन रु. 150-270, रु. 155-252 है उन्हें रु. 10 रु. मासिक वृद्धि मिलेगी जिससे राहत की दर रु. 30 मासिक हो जावेगी।

ऐसे कर्मचारियों जिनका वेतनमान रुपये 170-300 तथा रुपये 224-390 है उन्हें रुपये 15/- मासिक की वृद्धि मिलेगी जिससे राहत की दर रुपये 30/- मासिक हो जावेगी।

राज्य सरकार के इस फैसले से माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग रुपये 12.00 करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक व्यय अनुमानित है। अंतरिम राहत की पात्रता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों तथा राज्य सरकार के उन अधिकारियों को जो कि अखिल भारतीय सेवा के वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे हैं को नहीं होगी। अंतरिम राहत का लाभ उन कर्मचारियों को भी देय नहीं है जिनके वेतनमान विश्वविद्यालयीन अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) की अनुशंसाओं के आधार पर निर्धारित किये गये हैं। यह राहत उन कर्मचारियों को देय नहीं होगी जो कांट्रेक्ट सर्विस पर हैं अथवा

शासकीय सेवा में पुनर्नियुक्ति पर हैं। यांत्रिक विभागों के जिन कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 12-9-80 के अन्तर्गत तदर्थ वृद्धि देय है उन्हें भी राहत का लाभ नहीं मिलेगा।

मुझे विश्वास है कि माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद राज्य शासन ने अपने कर्मचारियों के हितों को देखते हुए जो निर्णय आज लिये हैं उसे सभी कर्मचारियों बंधु सही परिप्रेक्ष्य में लेंगे और सदैव की भाँति अपने कर्त्तव्य का पालन जनहित में करेंगे।

अध्यक्ष : सदन की आज्ञा से 5 मिनट बढ़ा रहा हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा (सीहोर) : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी गंभीरता के साथ माननीय मुख्यमंत्री के वक्तव्य को सुन रहा था और मेरी अपेक्षा थी कि वे जितनी गंभीर समस्या है उतना गंभीर निर्णय लेंगे, परन्तु माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य से मुझे निराशा हुई है। सभी कर्मचारियों की, जिस प्रकार की राहत उन्होंने घोषित की है आपके सत्ता में पदार्पण करने के साल सवा साल के बीच आज देश और प्रदेश की स्थिति, चीजों की उपलब्धि, महँगाई की स्थिति, अभाव की स्थिति बनकर के लोगों का जन-जीवन दूभर कर दिया है और एक निश्चित आय वर्ग जो है विशेष कर कर्मचारी वर्ग उनके लिये एक सवा साल के दौरान जो कठिनाइयाँ और संकट पैदा हुये हैं उनके लिये यह ऊँट के मुँह में जीरा है, यह उनके लिये अपर्याप्त है। इसके साथ ही साथ विशेष समस्या जो आज मौजूद है जिसके बारे में कल हमने गंभीरता के साथ, चिन्ता के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था उस समस्या को यह घोषणा छूती नहीं है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि चिकित्सा वर्ग के लोगों को, चिकित्सा विभाग कर्मचारियों, चिकित्सकों को जो यांत्रिकी का दर्जा दिया है, विशिष्ट दर्जा दिया है, आपने अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है, इंजीनियरों को अंतरिम राहत का लाभ आपने 77 से दिया है लेकिन चिकित्सकों को उनके समकक्ष मानते ये भी इस घोषणा में पूर्व के निर्णय का दिग्दर्शन नहीं होता। आज आपने सभी कर्मचारियों के लिये अंतरिम राहत की घोषणा की है परन्तु जो चिकित्सकों की मूल माँग है, और इसी के साथ-साथ मैंने आपका ध्यान दिलाया था ज्युडिशियल सर्विसेज के जो आफीसर्स हैं उनके संबंध में आल इंडिया कैडर बनने के कारण पिछले वित्त आयोग ने उनके वेतनमानों पर विचार नहीं किया था जिसके कारण उनको वेतन नहीं मिला और हानि हुई है। फकीरचंद कमेटी का मैंने अपने बजट भाषण में भी मामला उठाया था, ऑल इण्डिया सर्विसेज का गठन होने वाला है, हमारे ज्यूडिशियल आफीसर्स उसमें पिछड़ जायेंगे, उनका नुकसान होगा, उनके सर्विसेज और पे स्केल के बारे में आपने कुछ नहीं कहा है। चिकित्सकों की माँग है कि 77 से ही फकीरचन्द कमेटी के प्रतिवेदन के अनुसार 100/- रुपये मासिक की अन्तरिम वृद्धि दी जानी चाहिये। वह आपकी घोषणा में कहीं नहीं। इसलिये मुझे यह कहने पर विवश होना पड़ रहा है कि समस्या पर गम्भीरता से विचार करें। उनकी माँगें उचित हैं। जो दिया गया है वह अपर्याप्त है, मुझे दुख है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि कल भी मैंने स्पष्ट किया था कि इंजीनियर्स को जो 77 से लाभ दिया गया था उसके पीछे क्या पृष्ठभूमि थी। समकक्ष मानने का मतलब यह है कि जो लाभ उनको मिला है उस धनराशि के अनुपात में उनको लाभ मिलेगा। उसका समावेश इस घोषणा में है यदि उसको देखने की कोशिश करें। जहाँ तक कर्मचारियों की तकलीफ का सवाल है, आपके ढाई साल के शासन के दौरान कर्मचारियों ने तीन बार आन्दोलन करने की धमकी दी और एक बार आन्दोलन किया तो आपने विछिन्नता विधेयक पारित किया इस ओर भी सोचें हमारे शासन ने कर्मचारियों के हितों का ध्यान करते हुए डी.ए. की किश्तें बिना किसी प्रकार की माँग या आन्दोलन के जैसे ड्यू होती गईं, यह शासन देता चला गया और आप कहते हैं कि पर्याप्त नहीं है। कर्मचारियों के हितों का पूरा संरक्षण किया गया है, मैं अपेक्षा करता हूँ कि कर्मचारी अपनी गौरवमयी परम्पराओं को कायम रखते हुए, प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे उसमें किसी प्रकार की बाधा या व्यवधान नहीं आयेगा। ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संदर्भ दिया है उसे शायद मैं स्पष्ट नहीं कर पाया हूँ क्या आपकी जानकारी में यह बात है। इसको मैं कई बार दुहरा चुका हूँ कि पिछले वेतन आयोग ने इन लोगों के

वेतनमान पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया, आल इंडिया सर्विसेज का गठन नहीं हुआ, जिसके कारण पिछले वेतन आयोग का लाभ जो अन्य कर्मचारियों को मिला इनको नहीं मिला यह बात वित्तमंत्री जी और आप जानते हैं यह बात आपने कई बार उठाई है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वेतन आयोग के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में हम सब चीजों पर निर्णय करेंगे। वेतन आयोग बैठा है उसके सामने ये सब प्रश्न हैं जैसा मैंने इसमें कहा भी है कि वेतन आयोग का निर्णय जो भी होगा उसमें हम इनका समायोजन करेंगे चाहे वह पिछले साल का हो, चाहे आगे का हो।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अभी जो वेतन है इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इसके पूर्व के वेतन आयोग के समक्ष इन दोनों श्रेणी के कर्मचारियों और अधिकारियों का मामला था। उसमें इसलिये विचार नहीं किया गया कि आल इंडिया सर्विसेज का गठन होने वाला है। उसमें विचार होगा। जूडीशियल सर्विस तकनीकी सेवाओं के लोग इससे वंचित रहे हैं यह बात आपकी जानकारी में और विधिमंत्री की जानकारी में है इन सेवाओं के अधिकारियों के पद की गंभीरता और गरिमा को देखकर कि ये हड़ताल न करें, आंदोलन न करें जो कि आपकी जानकारी में है, क्या वह न्याय आपको इन्हें प्रदान नहीं करना चाहिये था।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/1 अप्रैल 1981, पृष्ठ/ 2249-2250)

मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने वर्ष 1981-82 के लिए अपने विभागों की अनुदान माँगें सदन में प्रस्तुत कीं। कटौती प्रस्ताव आये। माँगों और प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई। 6 अप्रैल को चर्चा की शुरुआत सदस्य श्री बाबूलाल गौर (गोविन्दपुरा) ने की। श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा सहित अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। चर्चा दो दिन चली। 7 अप्रैल को चर्चा का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने जनता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा— "आपने विद्यार्थियों, किसानों, शासकीय सेवकों को छिन्न-भिन्न कर दिया और फिर आपकी इन्हीं करतूतों की वजह से जनता ने आपको छिन्न-भिन्न करके वहाँ (प्रतिपक्ष में) भेज दिया। इसके पश्चात् भी आप यह चाहते हैं कि तत्काल रातों-रात कोई ऐसा करिश्मा हो जावे, जिसमें जितनी आपने लीपा-पोती की है, 6 महीने में सब ठीक हो जावे।" चर्चा के कुछ अंश यहाँ दिये जा रहे हैं—

...श्री बाबूलाल गौर : मैं तो केवल सामान्य प्रशासन विभाग पर बोला था .....

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : माननीय सखलेचा जी ने सभी विषय पर भाषण दिये अब हमें कुछ कहने का अवसर मिला है तो तकलीफ हो रही है।

श्री प्रेमनारायण मिश्रा : उसका जवाब दे रहा हूँ। एम.डी. ज्वाइंट रजिस्ट्रार उस संस्था का जहाँ पर हमारे विरोधी दल के नेता पटवा जी का मनोनयन हुआ वहीं सर्वेसर्वा ज्वाइंट रजिस्ट्रार को इस संस्था का अध्यक्ष बना दिया गया जो ..... (व्यवधान)

सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्रीमती देवेन्द्रकुमारी (बैकुण्ठपुर) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी की माँगों का समर्थन करती हूँ और कटौती प्रस्तावों का विरोध करती हूँ। मैं आपके माध्यम से शासन से निवेदन करना चाहती हूँ। मेरा क्षेत्र कोयला खदान क्षेत्र है। वहाँ के चिरमिरी क्षेत्र के लिये साडा की स्थापना हुई है वहाँ अभी तक कोई प्रशासक नियुक्त नहीं हुआ है और मेरा निवेदन है कि शीघ्र ही वहाँ व्यवस्था की जाये, जिससे वहाँ की प्रगति हो। एक और सुझाव मेरा है कि कोयला खदान क्षेत्र में जो भरती होती है मजदूरों की, उसमें स्थानीय लोगों को मौका नहीं दिया जाता है, बहुत कम लोगों को भरती किया जाता है इसलिये सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रदेश शासन द्वारा कुछ परसेंटेज बाँधकर वहाँ के स्थानीय लोगों को मौका देने के लिए कोई कमेटी नियुक्त की जाये जो कि स्क्रीनिंग कमेटी तरह उन कोयला क्षेत्र में काम करे। वहाँ के सब लोग यह चाहते हैं कि कम से कम 80 प्रतिशत स्थानीय लोगों को भर्ती दी जाये। और वहाँ

पर जो बाहर के लोग बसे हैं 15 वर्षों से या उससे अधिक से, उन लोगों को भी भर्ती कम से कम 15 प्रतिशत दी जाये। फिर उसके बाद जो 5 प्रतिशत बचते हैं, वे बाहर के प्रांतों के लोगों को स्क्रिनिंग के बाद एंटीसिडेंट करके भर्ती दी जाये, क्योंकि बाहर के लोगों की भर्ती की है, जो उड़ीसा और बिहार प्रांत से ऐसे असामाजिक तत्व भर्ती हुए हैं जो बहुत ही उपद्रव कर रहे हैं। कई लोग वहाँ के डोमीसाइल सर्टिफिकेट लेकर भर्ती हुए हैं, ऐसे लोगों की राज्य शासन जाँच कराये। दूसरे वहाँ के स्थानीय लोगों के क्वार्टर में बिजली का प्रावधान ठीक से नहीं किया गया है। बाहर के लोग जो बसे हैं, वे लोग बिजली वगैरा की व्यवस्था करवा देते हैं और सरगुजा के स्थानीय लोगों के यहाँ बिजली आदि नहीं मिलती है। उससे वहाँ के खदान मजदूरों में बहुत असंतोष व्याप्त है। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगी कि इस विषय पर खास ध्यान दिया जाये और जो भी सरगुजा के निवासी हैं, उसके खदान क्षेत्र में क्वार्टरों में बिजली की व्यवस्था शीघ्र की जाये। ये जो कम्पलेंट्स हैं ये चिरमिरी, कटकोनी, छरछा, झगराखांड, भटगाँव इत्यादि खदानों की हैं। और एक और निवेदन मेरा था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्यक्षेत्र में आता है, लेकिन राज्य शासन इस पर विचार कर सकता है, क्योंकि जो कोयले की आय होती है, उसमें से कुछ प्रतिशत राज्य शासन को भी मिलता है। हमारे यहाँ कोई खास अच्छी व्यवस्था न होने के कारण कोयले की बहुत चोरी हो रही है, और राज्य शासन को और राष्ट्र को भी करोड़ों रुपये की क्षति हो रही है। इसके लिये कोई खास व्यवस्था की जानी चाहिये, क्योंकि कोयला एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय राष्ट्र के लिये बन गया है। वैगनों की उपलब्धि कराना निहायत आवश्यक हो गया है क्योंकि आजकल ज्यादा ट्रकों से कोयला बाहर ले जाया जा रहा है, एक ऊर्जा बाहर से ले जाने के लिए दूसरी ऊर्जा याने डीजल का भारी दुरुपयोग हो रहा है। यदि डीजल बचाया जा सकता है, यदि वैगनों की व्यवस्था ठीक तरह से करवाई जा सके। दूसरे सरगुजा में जितने कोयला खदान क्षेत्र हैं, वहाँ पर कोल वेस्ट इंडस्ट्री के लिये शुरुआत है, उसके लिये राज्य शासन को केन्द्र शासन से व्यवस्था करानी होगी। दूसरा मैं संक्षिप्त में निवेदन करना चाहती हूँ कि बैकुण्ठपुर तहसील को एडीशनल कलेक्टर का दर्जा दिया गया है, उसी तरह से एडीशनल एस.पी. को पदस्थ किया जा सके तो कोयला खदान क्षेत्रों के लिये उपयोगी होगा, साथ ही चिरमिरी बहुत बड़ा कोयला खदान क्षेत्र है, वहाँ पर एक और थाना स्थापित कराया जाये। सरगुजा जिले में बाक्साइट का प्रचुर भंडार है उसके लिये वहाँ कारखाना स्थापित करने के लिये राज्य शासन पहल करे। इन सब बातों के लिये वहाँ पर रेल्वे लाइन होना अत्यन्त आवश्यक है और राज्य शासन केन्द्रीय सरकार से रेल्वे लाइन के लिये भी आग्रह करे। वहाँ पर आवागमन का कोई भी जरिया ठीक नहीं है, मध्यप्रदेश परिवहन की बसों की कमी के कारण बहुत असुविधा होती है। यही मेरे कुछ सुझाव हैं और यह कहते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : आदरणीय सभापति महोदय, गौर जी से प्रारम्भ कर सभी माननीय सदस्यों ने इन माँगों पर जो अपने विचार व्यक्त किये और जो उन्होंने सुझाव दिये मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। यह कहना मेरे लिये शायद उपयुक्त होगा कि यहाँ पर माननीय सदस्यों ने अपने विचारों को व्यक्त करने के दौरान मुख्य रूप से इस बात को सामान्य रूप से स्वीकार किया है कि आज की स्थिति में जो कुछ इस प्रदेश की राजनैतिक और प्रशासनिक स्थिति है वह निश्चित रूप से सामान्य है कुछ विकल्पों को छोड़कर जिनका विशिष्ट उल्लेख उन्होंने किया उनके संबंध में, मैं प्रयास करूँगा कि सदन के माननीय सदस्यों को सूचित कर सकूँ और उन्हें संतुष्ट कर सकूँ।

{अध्यक्ष महोदय (श्री यज्ञदत्त शर्मा) पीठासीन हुए}

अध्यक्ष महोदय, चूँकि इस बात का जिक्र सदन में पहले हो चुका है लेकिन फिर भी संदर्भ के रूप में यहाँ पर यह बताना उपयुक्त होगा कि 9 जून, 1980 को जब नये निर्वाचन के पश्चात् यह शासन इस प्रदेश के अन्दर पदारूढ़ हुआ उस समय से लेकर अब तक की स्थिति में जिन परिस्थितियों में यहाँ पर शासन निर्मित हुआ था उसके पूर्व की स्थिति का थोड़ा-सा दिग्दर्शन कराना आवश्यक होगा। यह बात मैं जनता पार्टी शासन के किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाने की दृष्टि से नहीं कर रहा हूँ और न व्यक्तिगत आरोप किसी पर लगाऊँगा लेकिन प्रजातांत्रिक पद्धति में जिन सामान्य आधारों पर कोई भी प्रशासन चलता है लोगों की आम सहमति को अपने अस्तित्व का मुख्य आधार मानता है और इस सहमति के माध्यम से प्रदेश की विभिन्न परिस्थितियों का किन्हीं निश्चित

माध्यम से मुकाबले करने का प्रयास करता है। मेरे मत से यही एकमात्र प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, आपके साथ-साथ इस सदन में उपस्थित कई माननीय सदस्यों और इस प्रदेश के सम्मानित नागरिक इस बात से भलीभाँति परिचित हैं कि चाहे किसानों को ले लीजिये, चाहे मजदूरों को ले लीजिये, चाहे शासकीय कर्मचारियों को ले लीजिये, चाहे विद्यार्थियों को ले लीजिये। ऐसा कौन-सा वर्ग था जिसके साथ जून, 1977 से फरवरी 1980 के बीच उस समय के शासन का सीधा टकराव न हुआ हो। किसानों को उनकी फसल की सही कीमत दिलाने की बात कहकर उन्हें मजबूर किया गया कि वह खेत में अपने गन्ने लकड़ी की तरह जलायें। मजदूरों की हड़तालें हुईं। अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों को फिर से कहकर दोहराना नहीं चाहता। कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ तत्कालीन मुख्यमंत्री विद्यार्थियों के बीच बिना पुलिस की संगीनों के जा सके हों। कर्मचारियों का ऐसा कोई अवसर नहीं आया जहाँ उनका शासन तन्त्र से या राजनैतिक तन्त्र से सीधा टकराव न हुआ हो। और अध्यक्ष महोदय, यह इतिहास की बात है कि जून, 1977 और फरवरी, 1980 के बीच प्रशासनिक तन्त्र द्वारा सबसे ज्यादा कर्मचारी गिरफ्तार हुए। एक नया कानून लाया गया। मैं केवल अध्यक्ष महोदय, इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि जब आपने समस्त मान्यताएँ ही समाप्त कर दीं, प्रशासनिक तन्त्र की प्रत्येक मापदण्ड का उल्लेख करके समूचे प्रदेश के अन्दर चाहे वह पुलिस हो, चाहे वह शासकीय कर्मचारी हो, चाहे और दूसरा वर्ग हो चाहे वह विद्यार्थी हो चाहे वह किसान हो या श्रमिक हो या भूमिहीन व्यक्ति हो जिसके ऊपर बहुत लम्बी दलीलें श्री सखलेचा जी ने यहाँ दीं। पर वह यह कहना भूल गये कि उन्होंने इस प्रदेश के अन्दर इतिहास में पहली बार सूदखोरों को क्या तकलीफें हैं उसके लिये जाँच आयोग स्थापित किया.....

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : और आपके शासनकाल में तो सूदखोरों द्वारा किसानों के बैल कुड़क किये जा रहे हैं

श्री अर्जुनसिंह : आप कृपया अब मेरी बात सुनने का कष्ट करें। जब आप जोर-जोर से बोलते रहे मैं शांति से सुनता रहा।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : सन्दर्भ की बात आयेगी तो कहना पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जाँच कमीशन बैठाया गया था वह सूदखोरों के बारे में नहीं था।

श्री अर्जुनसिंह : अब जब सन्दर्भ आ ही गया है इसलिये कहना पड़ेगा, सीधी बात कहना ही पड़ेगी। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के लिये बार-बार सखलेचा जी को स्मरण किया जावेगा। स्वाभाविक है उस कार्यक्रम ने उनको पैरोल पर रखा। अतः उसके प्रति वह वफादार हैं।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट बार-बार लिख रही थी। अगर आप में हिम्मत हो वह कारसपोन्डेंस यहाँ पटल पर रख दीजिये।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम आपकी समझ में इसलिये नहीं आ सकता, चाहे कितनी बार आप उसे पढ़ें। क्योंकि उसके पीछे जो भावना है, जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों और भावनाओं से आप कोसों दूर हैं। अतः उसके बारे में आप कभी भी नहीं समझ सकते। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ वह कार्यक्रम, इस शासन की समूची कार्यवाही का मुख्य आधार है और उसके आधार पर हम अपनी विभिन्न नीतियों को कार्यान्वित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न के उत्तर में आया कि 30 दिसम्बर तक केवल कुछ लोगों को जमीन बाँटी गई। आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को और प्रदेश के नागरिकों को सूचित करना चाहता हूँ कि क्योंकि 14 दिसम्बर को इन समितियों का कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ था इसलिए 30 दिसम्बर तक की ही जानकारी चाही गई थी। पर बाद में आप देखेंगे कि 1 जून से लेकर 30 मार्च तक इन तीन महीनों की अवधि में क्या किया। इस अवधि में 1-1-1981 से 31-3-1981 तक 10,194 व्यक्तियों को भूमि दी गई। 14,828 हेक्टेयर भूमि का बन्टन किया गया केवल यह तीन महीने की सूचना है और आप कहते हैं कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम में कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब तो पैरोल लेने का सवाल नहीं है और न इनके बारे में आपकी ओर बखान करने से कोई बात अलग से होने वाली है इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दल के साथियों का यह प्रयास है कि प्रदेश के उस नीचे से नीचे स्तर पर जहाँ शोषण के अंकुर फूटते हैं उन अंकुरों को फूटने से रोका जावे और सदैव

की तरह कॉंग्रेस पार्टी एक ऐसे प्रशासन तन्त्र के माध्यम से जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिये कृत संकल्प है जिससे समाजवादी समाज की रचना को दृढ़ता से आगे बढ़ा सकें। (सत्तापक्ष की ओर से तालियों की आवाजें)

श्री कैलाश जोशी : माननीय सदस्य बैरागी जी आपके बोलने पर तालियाँ नहीं बजा रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : आपने विद्यार्थियों, किसानों, शासकीय सेवकों को छिन्न-भिन्न कर दिया और फिर आपको इन्हीं करतूतों की वजह से जनता ने आपको छिन्न-भिन्न करके वहाँ भेज दिया, इसके पश्चात् भी आप यह चाहते हैं कि रातोंरात कोई ऐसा करिश्मा हो जावे जिसमें जितनी आपने लीपा-पोती की है, 6 महीने में सब ठीक हो जावे। अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद मैं आत्मविश्वास के साथ अपने मन्त्रिमण्डल के सहयोगियों की वजह से और दल के सभी माननीय सदस्यों की वजह से इस बात को सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि जून, 1980 से लेकर आज दिनांक 7-4-1981 तक न तो यह प्रदेश का शासन किसानों से और न विद्यार्थियों से और न श्रमिकों अथवा शासकीय सेवकों से टकराया। इसका एकमात्र कारण यह है कि हमने प्रत्येक वर्ग को उसकी आनुपातिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर अपने सीमित साधनों के द्वारा सभी को निष्ठा और ईमानदारी के साथ संतुष्ट किया। हम सफल हुए हों या न हुए हों लेकिन उनको इस बात का भरोसा है कि उनके हितों के साथ जानबूझकर कोई खिलवाड़ अथवा अनादर करने की चेष्टा यह शासन नहीं करेगा। और मैं जानता हूँ कि प्रशासनिक पद्धति में प्रशासन का काम करने का और कौन-सा आधार हो सकता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि कुछ स्थानों पर शांति और व्यवस्था के संबंध में अपेक्षाकृत सफलता हमें नहीं मिली लेकिन उस बात को हमने छिपाया नहीं, हमने आँकड़े बाँटे हैं उस बात को प्रदर्शित किया है, इसलिये नहीं कि आँकड़ों को आपके सामने रखकर हम भूल जाना चाहते हैं वे इस बात के प्रतीक हैं कि शासन अपनी सीमाओं से परिचित है, जो हमारी कमियाँ हैं उनको भी दूर करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपनी खामियों पर पर्दा डालना चाहते हैं। शांति व्यवस्था कोई एकांगी चीज नहीं है। किसी एक कमरे में बैठकर शांति और व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। शांति और व्यवस्था को बनाये रखने के लिये शासन के विभिन्न वर्ग के लोगों को समन्वित रूप से प्रयास करना पड़ेगा। उन्हें अपने ऊपर भी कुछ अंकुश लगाना पड़ेगा, कुछ मर्यादाओं को स्थापित करना पड़ेगा और साथ ही साथ जिनके ऊपर इस व्यवस्था को कायम रखने की प्रमुख जिम्मेदारी है उनके अंदर अनुशासन और निष्ठा की भावना को बलवती करना होगा और अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिये उन्हें पूरा-पूरा अवसर व अधिकार देना होगा इसके बाहर जाकर मैं नहीं समझता कि कोई तरीका निभाने के लिये उन्हें पूरा-पूरा अवसर व अधिकार देना होगा इसके बाहर जाकर मैं नहीं समझता कि कोई तरीका हो सकता है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक अवसर तो मुझे बताइये कि जहाँ पर किसी भी स्थान पर वहाँ के प्रशासनिक तन्त्र को उनकी जिम्मेदारियों को निभाने के लिये शासन की ओर से कोई रोड़ा अटकाया गया हो। बल्कि हमने न केवल अवसर दिया अधिकार भी दिया है और साथ में उत्तरदायित्व भी सौंपा है। कई ऐसे प्रकरण हैं जहाँ पर उत्तरदायित्व न निपटाने की वजह से हमने उनके खिलाफ कार्यवाही भी की है। जिन पुलिस कर्मियों को शासकीय सेवा से अलग किया गया, वह करने में मुझे कोई खुशी नहीं है। उनके परिवारों की और उनकी स्वयं की परिस्थिति को और उससे जो उनको तकलीफ पैदा हुई है उससे मैं भलीभाँति परिचित हूँ। लेकिन प्रशासनिक काम में, जनहित के प्रति न केवल अनुभूति बल्कि जनहित के प्रति समर्पित होकर काम करने की क्षमता यही एकमात्र मापदण्ड है जिसके द्वारा किसी भी शासन की सेवा की सार्थकता आँकी जा सकती है। मुझे दुख है कि उन्होंने जनहित और जनहित द्वारा बनी भावना के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा और यह कार्यवाही शासन को करनी पड़ी।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रदेश के उत्तरी भागों में, चम्बल ग्वालियर और सागर संभागों में जो डकैती समस्या के बारे में समस्या निर्मित है वह स्थिति भी हमारे लिये चिन्ताजनक है और उस स्थिति पर काबू पाने के लिए मुझे इस बात को कहते हुए हर्ष होता है कि इस सदन के सभी माननीय सदस्यों ने बड़ा ही सुन्दर दृष्टिकोण अपनाया है और सबका सहयोग और सबका मार्गदर्शन भी इस समस्या पर काबू पाने के लिये हमें मिल रहा है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यह कोई किसी व्यक्ति या

किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। आज यह यथार्थ है कि इन भागों में डकैती और उस पर आधारित लाभ और हानि यह माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि मैं व्यावहारिक न भी कहूँ तो व्यक्ति हानि-लाभ का भी मुद्दा बन गया है। यदि हम इस स्थिति पर काबू करना चाहते हैं तो बिना किसी हिचक के हमें कानून के जरिए, कानून में प्रशासनिक अधिकारों का उपयोग करके और ऐसी स्थिति निर्मित करनी पड़ेगी कि चाहे वह कोई भी हो, किसी भी राजनैतिक दल का हो, कोई भी व्यक्ति हो, डकैती के किसी भी अंग से संलग्न रहने से उसे नुकसान ही उठाना पड़ेगा। उसे फायदा उठाने का अवसर नहीं मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों के सहयोग से निकट भविष्य में ही प्रदेश में, निर्मित कर दी जायेगी और उस वक्त ऐसे असामाजिक तत्वों को जो अभी तक इन बातों पर अपने को आधारित रखकर शोषण करते थे, अपने व्यक्तिगत लाभ को उठाते थे, उन पर अंकुश लग सकेगा और निश्चित रूप से डाकू समस्या पर हम सब मिलकर काबू पा सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और सदन के माननीय सदस्य को यह बताना चाहूँगा कि आप सबके सुझाव पर इसी सदन में, इसी सत्र में, इसी विषय पर एक विशेष कानून पास करवाने के बारे में मैंने पहले सदन को सूचित किया था कि उस कानून का प्रारूप यहाँ से स्वीकृत होकर केन्द्रीय शासन के पास लेकर गया था और मुझे इस बात को कहते हुए हर्ष है और गौरव है कि इस प्रदेश की परिस्थिति को देखते हुए सामान्य रूप से जो विधेयक केन्द्र शासन के गृह और विधि मंत्रालय से कम से कम 3 महीने में स्वीकृत होकर आना था वह स्वयं विधिमंत्री ने गृह मंत्रालय के जो वरिष्ठ सचिव और अन्य लोगों ने मिलकर दो दिन के अंदर वह प्रारूप देखकर के स्वीकृत किया है और शायद वह अगले 9 या 10 तारीख को आपकी अनुमति से इस सदन में प्रस्तुत हो जावेगा। यह इस बात का द्योतक है कि हम इस परिस्थिति से बाहर निकल सकेंगे। हम इस परिस्थिति से किसी भी प्रकार से निपटने के लिये पूरी तरह से दृढ़ संकल्प हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रायवल वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में बात कही गई तो मैं उसके संबंध में आँकड़े देकर ही अपने उत्तर को समाप्त करूँगा लेकिन शायद वह उचित इसलिये नहीं होगा क्योंकि हमारे शासन ने इस प्रदेश के आदिवासी तथा हरिजन भाईयों के उत्थान के लिये सामाजिक और आर्थिक हितों के संरक्षण के लिये एक सुनिश्चित योजना बनाई है और उस योजना के संबंध में दो शब्द कहना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कोई भी इस बात से परिचित नहीं है कि किसी बड़ी विषम परिस्थितियों में हमारे उन भाईयों को आज ग्रामीण अंचल में रहना पड़ रहा है, जो उनके ऊपर ऋण का भार है, कभी-कभी प्रशासनिक ज्यादतियों का भी भार है उनकी जो सामाजिक स्थिति है उसका उनके ऊपर दबाव है। जो आर्थिक स्थिति उनकी है उसकी वजह से उनकी कुछ लाचारियाँ हैं, उन सबको एक दृष्टिकोण से देखकर हर स्तर पर उनको सहायता पहुँचाने के लिये हमें योजनाएँ बनानी पड़ेंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको विदित है हमने पहले काम यह किया कि इस प्रदेश के उन भागों में जहाँ आदिवासियों की जनसंख्या ज्यादा जहाँ हमें परियोजना क्षेत्र के माध्यम से काम करना था, उनके अधिकारों का सीमांकन, उनके अंदर एक प्रशासनिक तंत्र का निर्माण, ताकि अधिकारों का उपयोग सही समय पर हो सके, उसको प्रतिष्ठित किया है। इस प्रदेश में और उसके साथ ही इस तरह से 5 विकास प्राधिकरणों की स्थापना हुई है। इन प्राधिकरणों का अब पूरी तरह से सही उपयोग हो सकेगा और उनकी कार्यवाहियाँ भी मालूम हो सकेंगी। ये नीचे के स्तर पर काम करने में जो देरी हुआ करती थी, जिसकी वजह से आदिवासी परियोजना की आवंटित राशि का बहुत बड़ा भाग खर्च हुए बिना रह जाता था। मगर अब इसको व्यय करेंगे। इस वर्ष 1980-81 में जो आयोजना इस संबंध में थी उसका हमने 93 प्रतिशत व्यय इस वर्ष कर लिया है। इसके लिये न केवल प्रदेश के सभी माननीय आदिवासी और हरिजन विधायक जिन्होंने काफी जागरूकता प्रदर्शित की अपने उन साथियों की सहायता करने के लिये और समय-समय पर योजनाओं के बारे में हमेशा मिलते रहे। वित्तमंत्री से मिलते रहे, अन्य साथियों से मिलते रहे, इन योजनाओं को स्वीकृत कराया और साथ ही साथ प्रशासनिक तंत्र ने भी जो प्रयास किये उनकी वजह से जो पहले केवल 60-65 प्रतिशत खर्च होता था पिछले 8-9 महीने के अंदर ही हमने 93 प्रतिशत उस मद से खर्च किया है। इस संबंध में मैं आदरणीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि यह एक ऐसा काम

है जिसमें हमें कम से कम विवादास्पद परिस्थितियों को सामने लाना चाहिये। अभी तक यही स्थिति रही। मैं चाहूँगा कि माननीय विरोधी पक्ष के सभी सदस्य और सभी सदस्य मिलकर इस आयोजना को पूरी तरह से कार्यान्वित करने में इस तरह से मिलजुलकर काम करते रहें ताकि इस प्रदेश के गरीब और पिछड़े नागरिकों को जल्दी हम उस रेखा से ऊपर ला सकें, जो हमारा संकल्प है।

अध्यक्ष महोदय, प्रजातांत्रिक संदर्भ में समाचार-पत्र जगत को फोर्थ स्टेट कहा जाता है। उसमें जो होना चाहिए उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, उसका उल्लेख करना इसलिए आवश्यक है कि यदि हम सामंजस्य के साथ एक दूसरे को सबको भलीभाँति समझते हुए प्रशासन तंत्र में प्रत्येक को प्रदत्त अधिकार और उत्तरदायित्व को ध्यान में रखकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रशासनिक तंत्र जिनके माध्यम से जनमत को हम डालना चाहते हैं, जनमत से जो जनादेश मिला है उसको कार्यरूप में परिणित करेंगे और सक्षमता से उसको कर सकेंगे। मुझे इस बात को कहते हुए हर्ष है कि प्रदेश में पत्रकार जगत और प्रशासन तंत्र के बीच में अपनी-अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिये पूरा सामंजस्य है। एक दूसरे के प्रति हम अपने कर्त्तव्यों को समझते हैं और दूसरों के प्रति हममें आदर की भावना है। इसी भावना के तहत पालेकर अवार्ड को लागू करवाने के लिए शासन ने सक्रिय पहल की। इतना ही नहीं जिन किन्हीं परिस्थितियों से विवश होकर हमारे पत्रकार बंधुओं को विषम परिस्थितियों में पड़ना पड़ता है उसके लिए एक वेलफेयर फंड की स्थापना की गई है, इस फंड से जो भी व्यय होगा उसका निर्णय शासन नहीं करेगा स्वयं पत्रकार ही निर्णय करेंगे कि उस फंड का उपयोग किस तरह से हो ताकि लेशमात्र भी प्रशासनिक दबाव न पड़े। साथ ही साथ एक ऐसा भी विषय था, जो है तो छोटा मामला, लेकिन कभी-कभी उसका उपयोग हमारे पत्रकार बंधुओं को परेशान और जलील करने के लिए किया जाता था और वह था जिन आवासों में वे रह रहे हैं, उसके किराये से संबंधित। मैं इसमें केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि सभी पत्रकार बंधुओं की पहल पर एक मान्य सिद्धांत स्वीकार हो गया है, जिस सिद्धांत के आधार पर प्रत्येक पत्रकार बंधु से किराया लेने के लिए सहमति हो गई है। अब यह प्रश्न कभी भी विवाद का विषय नहीं बनेगा। ऐसी मेरी आशा है। अध्यक्ष महोदय, संस्कृति के विषय में भी यहाँ उल्लेख किया गया। हमारे बीच विषय के बहुत ही माननीय मर्मज्ञ सदस्य श्री रमाशंकर सिंह जी ने .....

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूँ कि अभी तक तो मुख्यमंत्री का भाषण थका और बुझा हुआ था, अब शुरूआत कर रहे हैं।

अध्यक्ष : इसमें तो आपको खुश होना चाहिये।

श्री अर्जुनसिंह : आप कितना ही कहें मैं उसको वापस नहीं लूँगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आपने उधर देखा, आपके आदेश के मुताबिक सब हंस दिये।

डॉ. राजेन्द्र जैन : पटवा जी भी उम्मीद कर रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा कि आज तीनों एक लाइन में बैठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, संस्कृति के बारे में, इसकी परिभाषा करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं तो एक साधारण सार्वजनिक कार्यकर्ता हूँ। जो कुछ थोड़ा बहुत जानता हूँ। संस्कृति अनुभव और कल्पना की मिश्रित अनुभूति है। आधुनिक युग का समावेश, किसी देश की संस्कृति को परिभाषित करता है। ऐसा मैं कह सकता हूँ, थोड़ी अपनी जानकारी के आधार पर। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मध्यप्रदेश में आवश्यक है संस्कृति को आगे बढ़ाने की पहले करना, न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी मध्यप्रदेश, भारतवर्ष में विभिन्न संस्कृतियों के मिलने का क्षेत्र रहा है। उत्तर से दक्षिण को जब-जब भी कोई गया है। या पूर्व से पश्चिम को जब-जब भी कोई गया है तो मध्यप्रदेश से गुजरा है। इस प्रदेश को इतनी प्रचुर मात्रा में संस्कृति विरासत में मिली है, जो अन्य कहीं देखने को नहीं आती है। इस संबंध में यह कहना कि कौन इस प्रदेश का है और कौन बाहर का है, यह संस्कृति क्षेत्र की बात नहीं है यह तो संस्कृति क्षेत्र से हट कर किसी दूसरी बात करने की बात है। ऐसी बातों से संस्कृति का कुछ भी लेना देना नहीं है। जो सर्वमान्य सिद्धान्त है, उसको मान्य किया जा रहा है। संस्कृति का उल्लेख करने के

लिये उसके ऊपर किसी प्रकार से अनुशासन कायम करने का प्रयास नहीं है। शासन तो केवल मंच प्रस्तुत कर रहा है। मंच पर जो कुछ कार्यक्रम करना है, वह लेखक करेंगे, कलाकार करेंगे, शासन तो मंच देगा। कलाकार की कलाकृति से किसी को क्या मिलेगा किसी को क्या नहीं मिलता है, यह तो व्यक्ति की अनुभूति की क्षमता पर है। उस पर कोई कुछ नहीं कर सकेगा। किस की कितनी सामर्थ्य है यह इस पर निर्भर है। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बात की घोषणा की थी कि साइंस और टेक्नालॉजी के क्षेत्र में शासन विशेष प्रयत्न करना चाहता है। वह इसलिए नहीं करना चाहेगा कि पहले कुछ नहीं किया गया लेकिन इसलिए करना चाहेगा कि जितना पहले किया जाना था उतना नहीं किया गया है। कौंसिल फॉर साइंस टेक्नॉलॉजी प्रदेश में गठित की जा रही है। उसमें न केवल इस प्रदेश के साइन्स के प्रकाण्ड विद्वान रहेंगे परन्तु भारतवर्ष के प्रमुख वैज्ञानिक और विचारक इसमें रहेंगे और अपने विचार प्रकट करते रहेंगे। जिससे हमारे प्रदेश में प्रकृति ने जो प्रचुर मात्रा में वैज्ञानिक साधन दिये हैं, उनकी प्रगति कर, सही रूप में उनका दोहन करने की नीति निर्धारित करने पर विचार करना चाहते हैं। उसके लिये यह शासन पूर्ण सामर्थ्य रखता है।

दूसरा विषय अध्यक्ष महोदय, जो कभी-कभी विचारों और हर प्रकार के मतभेदों को जन्म देता है, इस प्रदेश के अन्दर भिन्न-भिन्न धर्मों के अलग-अलग कार्यक्रम हैं। जो संपत्तियाँ हैं जिनके माध्यम से उन कार्यक्रमों को चलाने की चेष्टा की जाती है उसके सम्बन्ध में भी शासन ने निर्णय लिया है। इसके सम्बन्ध में पहले भी संकेत किया गया था कि धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व का एक विभाग बना। जितनी भी सम्पत्ति है इस प्रदेश में हमारे मन्दिरों की और जो ट्रस्ट हैं उनकी, जिनका सही रखरखाव नहीं हो पाता है या जिन कामों के लिये वे रखी गई हैं उन पर काम नहीं किया जाता है। इस विषय में अलग से शासन एक विधेयक अगले सत्र में सदन की सहमति से पास करने का प्रयास करेगा। माननीय सब ही सदस्य अपना सहयोग देंगे।

अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन भोपाल के अन्दर हमारे मुस्लिम भाइयों, हमारे इसाई भाइयों और कुछ हिन्दू भाइयों के लिये मंदिरों के बारे में शासन की ओर से काफी लम्बे समय से धनराशि दी जाती रही है। उनकी ओर से यह माँग की गई कि यह धनराशि आज की परिस्थिति में पूर्णतः अपर्याप्त है और उसे बढ़ाया जाना चाहिये। शासन ने इस औचित्य को स्वीकार किया है और अभी जो दो लाख दस हजार और कुछ राशि जो उनको मिलती है उसे शासन ने छैः लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा कि इस सदन में यातायात के सम्बन्ध में और इस प्रदेश की विशालता को देखते हुए यह विषय निश्चित रूप से जनहित के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इस सम्बन्ध में सभी माननीय विरोधी पक्ष के नेताओं के साथ हमने विचार-विमर्श किया है और उन लोगों के जो सुझाव आए हैं उस आधार पर कम-से-कम इस प्रदेश के जो प्रमुख नगर हैं उनकी यातायात की समस्याओं का शीघ्र सर्वेक्षण करने के लिये पूना की इंस्टीट्यूट को अधिकृत करने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ शहरों के अलावा जो यातायात की आवश्यकता और कठिनाइयाँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोर्ट एक्ट को संशोधित करने का शासन ने निर्णय लिया है और इस नई नीति के मुताबिक इस प्रदेश के कोने-कोने में यातायात सुविधाओं को विस्तारित करने के लिये हम पढ़े-लिखे बेरोजगार युवकों को जो और कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए एक योजना बनाकर उनको भी काम देने का अवसर देंगे। साथ ही साथ यातायात सुविधाओं का भी हम पूरा विस्तार कर सकेंगे। (मेजों की थपथपाहट)

इस सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी कानून-कायदे बनेंगे निश्चित रूप से उनका क्रियान्वयन हम सबके सहयोग और हम सबके स्वयं के योगदान पर निर्भर करेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि चूँकि यह एक ऐसा विषय है जिसकी वजह से हममें से प्रत्येक को कहीं-न-कहीं असुविधा होती है, सदन के सभी माननीय सदस्यों का इस मामले में हमें सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। अब अध्यक्ष महोदय मैं कुछ उन दो-तीन ऐसे विषयों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जिनके बारे में कुछ आरोपों के सम्बन्ध में हमारे माननीय विरोधी पक्ष के सदस्यों ने यहाँ पर विचार व्यक्त किये हैं। माननीय श्री रमाशंकर सिंह जी के जो आरोप हैं, वे आरोप तो स्वाभाविक रूप से उनसे निकलते रहते हैं, इसलिए मैं यही नहीं समझ पाता कि किसके बारे में उनको सही जानकारी है या किसके

बारे में उन्हें ऐसा कहना है, इसलिए सदन में कह रहे हैं। मैं अपनी ओर से मुझे निर्णय लेना पड़ा कि दो-एक बातें जो उन्होंने कही हैं वह निश्चित रूप से सदन में उसके बारे में कुछ सुनना चाहेंगे। पहली बात उन्होंने आय.पी.एस. आफिसर्स की इंक्वायरी के बारे में कही। मैं कहना चाहता हूँ कि किसी अधिकारी के विरुद्ध इंक्वायरी चल रही है तो इसका यह मतलब नहीं है कि शासन उससे काम लेना बंद कर दे। यदि वह निलम्बित है तो निलम्बित रहेगा। और यदि इन्क्वायरी चल रही है और फिर भी वह काम कर रहा है तो जिस अधिकारी से शासन यह महसूस करेगा कि उसकी क्षमता के अनुसार काम लिया जा सकता है। यदि शासन अपने विवेक से यह महसूस करता है कि उस अधिकारी से वह काम लिया जा सकता है और लेता है तो इसे मैं उचित मानता हूँ। जिस अधिकारी का आपने नाम लिया, डाकू उन्मूलन के लिए जो कार्यवाही करनी है उसमें हम उनकी क्षमता को स्वीकार करते हैं, इसलिए उनको कार्य सौंपा गया है। जहाँ इन्क्वायरी का सवाल है तो उसकी अपनी एक प्रक्रिया है।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी अधिकारी का नाम नहीं लिया था फिर भी आप जिन अधिकारी के बारे में कह रहे हैं उनके लिए भारत सरकार गुप्तचर ऐजेन्सी सी.बी.आई. के द्वारा कुछ आरोप उनके विरुद्ध सिद्ध होने के बाद भी क्या आप उसको साधारण बात मानते हैं और उससे काम लेना उचित मानते हैं। जबकि सी.बी.आई. ने अपनी रिपोर्ट में यह सिद्ध कर दिया है कि इस पर जो आरोप हैं उनमें दम है। इसके खिलाफ जो विभागीय जाँच चल रही है क्या उसके साथ इसको आप जोड़ नहीं सकते?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस समय सी.बी.आई. कहेगी कि हम मुकदमा चलाना चाहते हैं उस समय हम भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन अभी तो केवल इन्क्वायरी हो रही है उसके आधार पर यह कहना कि.....

श्री रमाशंकर सिंह : इन्क्वायरी हो चुकी है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि कोई नई प्रक्रिया विधिमंत्री जी निकालते हैं और आपको शासकीय अभिलेखों को देखने का मौका दिया जावे तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ समय सदन का बच जायेगा। अब आपने कहा कि 50 आई.पी.एस. के खिलाफ कार्यवाही हुई है जबकि वस्तुस्थिति यह है कि 5 के खिलाफ ही कार्यवाही चली है। अब मैं कहूँ तो आप मानेंगे नहीं। आप कहेंगे कि नहीं 55 के खिलाफ चली है। अभी तक अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी कहा जाता रहा, उसको मैं शांतिपूर्वक सुनता रहा हूँ और उसमें से मैंने एक-दो मुद्दों का ही उल्लेख किया है।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए यदि आप कहेंगे तो मैं फाइल की फोटोस्टेट कापी सदन में रखने के लिए तैयार हूँ। आपके प्रयास के बावजूद भी मैं कुछ फाइलों को देख लिया करता हूँ।

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे अन्तर्यामी माननीय सदस्य रमाशंकर सिंह जी के लिये क्या कहूँ, मैं केवल उन्हें प्रणाम करता हूँ।

श्री रमाशंकर सिंह : आपने अपने खुद के विभाग में घपला किया तो किया अब आप मुख्यमंत्री जी के विभाग के बारे में कुछ न कहें?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, भाई रमाशंकर सिंह जी की प्रतिभा की पूरी तरह से प्रशस्ति करने के बाद भी मैं यह कहूँगा कि यह जो लुकाछिपी वाली बात है, कहीं आप इसमें धोखा मत खा जाइयेगा। यह किसी दिन आपको खतरे में डाल सकती है।

श्री कृष्णपालसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इजाजत लेकर यह कहना चाहूँगा कि जिस समय माननीय सदस्य रमाशंकर जी मंत्री थे और सखलेचा जी मुख्यमंत्री थे, उस समय भी आपको फाइल देखने को नहीं मिलती थीं। तो अब कैसे मिल सकती है?

श्री रमाशंकर सिंह : आप बैठे रहिए आपकी भी फाइल बन रही है।

डॉ. राजेन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, जिस समय रमाशंकर सिंह जी मिनिस्टर थे उस समय उनके महकमे का संसदीय सचिव डिसमिस्ड पुलिस इन्सपेक्टर था?

श्री रमाशंकर सिंह : उसको हाईकोर्ट ने ससम्मान बरी किया था।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो इस विधानसभा में चुनकर आ जाते हैं, उसके संबंध में इस तरह की चर्चा करना, मैं उचित नहीं समझता हूँ। और यदि प्रजातंत्र में उनको मान्यता मिली हो तो क्या हर्ज है कि वह मन्त्री बन जाते हैं। इसमें आपके समाजवादी दृष्टिकोण को ठेस नहीं लगनी चाहिए। सामंतवादियों को ठेस लगे तो बात दूसरी है। दूसरी बात रमाशंकर सिंह ने कह दी, किस के लिए कहा यह नहीं जानता, लेकिन यहाँ कहा, इसलिए उल्लेख करना चाहता हूँ उन्होंने कहा मंत्रियों के फोटो ही नहीं निकलते, उनकी पत्नियों के भी निकलते हैं। अगर मंत्री के साथ मंत्री की पत्नी की फोटो निकलती है तो इसमें क्या एतराज है? क्या दूसरे को अपने साथ लाकर फोटो निकलवायें? मंत्रिमंडल के साथियों को ऐसी सलाह न दीजिये, यह मेरी प्रार्थना है और न कोई ऐसी सलाह मानने वाले हैं

माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री सखलेचा जी ने कुछ बातें यहाँ पर कहीं। एक तो मंत्रिमंडल किस स्तर पर चल रहा है उसके बारे में उल्लेख किया। मंत्रिमंडल कैसा चल रहा है इसके बारे में केवल सखलेचा जी के कह देने मात्र से वह स्थिति निर्मित नहीं होने वाली है, सबसे पहले वह इसके लिए आश्वस्त रहें। यह मंत्रिमंडल आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी के मार्गदर्शन में चल रहा है, पहली बात तो यह इस सदन में काँग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य, मंत्रिमंडल काँग्रेस पार्टी की नीतियों की ईमानदारी और निष्ठा से पूरा करने के लिए संकल्प लिए हुए हैं, दूसरी बात हमारा मतभेद किसी विषय पर हो सकता है लेकिन ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी, सखलेचा जी, जहाँ आपको अपने पक्ष के एक विधायक पर हत्या का कथित आरोप पंजीबद्ध करना पड़े, जो इस विधानसभा के इतिहास में हो चुका है। और फिर कहते हैं श्रीमती गांधी की बात यह लोग मानते हैं, तानाशाही की बात कही। इसके लिए मैं भी लाचार हूँ और आप भी लाचार हैं। यदि आपके पास श्रीमती इंदिरा गांधी के बराबरी का उनकी सूझबूझ का उनके जैसी संवेदनशीलता और सक्षम नेतृत्व का अभाव है तो इसकी जिम्मेदारी हम लोगों की नहीं है। यह हमारा सौभाग्य है, इस देश का सौभाग्य है कि हमें ऐसा नेतृत्व मिला है जो अपने उस पंजे, जिसके झपेटे में सखलेचा जी करीब-करीब आ गये थे, उस पंजे के आधार पर इस देश के अन्दर जनमत का प्रचण्ड बहुमत प्राप्त करके देश की जिम्मेदारी अपने सबल हाथों में लिये हैं जिनके मन में देश के उन करोड़ों इंसानों के लिए ममता और स्नेह है जिनकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। जिसमें कल्पना करने की शक्ति है कि भारत के समूचे भविष्य को कैसे बनाया जाये और उसको साकार रूप में परिणित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। ऐसे नेतृत्व के प्रति हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, इसमें सखलेचा जी को बुरा लगे तो लगे।

उन्होंने दूसरी बात बम्बई के फ्लैट के बारे में कही। मैं सोच रहा था किसी माननीय सदस्य ने उसके बारे में जिक्र नहीं किया, शायद मुझ पर मेहरबानी नहीं करने वाले हैं क्या? सखलेचा जी का यह कहना था कि यह निर्णय क्यों लिया गया? फिर पाँच लाख रुपये श्री खटाऊ मिल्स की ओर से जमा किये गये और 20 लाख का उनको पेमेंट किया गया और यह पेमेंट ड्राफ्ट के माध्यम से उनके नाम पर नहीं किया गया, ऐसा उनका सन्देह है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अगर खटाऊ मिल के नाम से ड्राफ्ट दिया गया तो वह सदन के टेबिल पर रख दें।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, बम्बई में एक इन्फार्मेशन सेन्टर खोलने का निर्णय शासन ने लिया। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि दिनांक 1-11-80 को इसे उदघाटित करना है। यह निर्णय शासन के विवेक का निर्णय है। इसके लिए कोई यह नहीं कह सकते कि यह निर्णय क्यों लिया गया। प्रश्न यह था कि इस थोड़ी-सी अवधि में कोई स्थान उपलब्ध कराया जाये, इसका प्रयास किया गया। आपने यह कह दिया कि एक सात मंजिला भवन बनाने का स्थान था, उसे सात मंजिला क्यों नहीं बना दिया गया। मैं समझता हूँ कि आप स्वयं महसूस करेंगे कि महीने दो महीने के अन्दर सात मंजिला मकान नहीं बन सकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। साथ ही साथ इस पूरे भवन को बनाने की जो योजना थी उसके लिए महाराष्ट्र सरकार से जिस रूप में अनुमति माँगी गई थी, उस रूप में अनुमति नहीं मिली। चूँकि बजट में इसका प्रावधान नहीं था तो मान्य परम्पराओं के अनुसार सिवाय कन्टेजेन्सी फण्ड से लेने के और कौन-सी प्रक्रिया हो सकती थी। कन्टेन्जेन्सी फण्ड से खर्च करने के बाद सप्लीमेन्टरी बजट के माध्यम से सदन से स्वीकृति ली गई। अब दूसरा प्रश्न जो आपका है कि 5 लाख सूचित किया गया और 20 लाख दिया गया उसका क्या मतलब है। अध्यक्ष महोदय, उस स्थान पर जितने प्रीमीसेज हैं वहाँ पर ओनरशिप

का अर्थ किराये को कम्पयूटर कर इकट्ठा किराये लेने की पद्धति से है। खटाऊ माकन जी से हमने जो खरीदी की, उसके आकार पर उन्होंने 5 लाख रुपया जो सोसायटी को दे रखे थे, सूचित किया कि उनके नाम के बजाय मध्यप्रदेश सरकार का नाम लिखा जाये। जहाँ तक ड्राफ्ट देने का सम्बन्ध है ड्राफ्ट नं. 000211 दिनांक 10-10-1980 जो मेसर्स खटाऊ माकन जी स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी मिल्स लि. बम्बई के नाम था। वह यहाँ से भेजा गया और उन्होंने जिसको रसीद क्रमांक 180 दिनांक 11-10-80 शासन के पास भेजी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे किसी निर्णय को उसके औचित्य को आप मान सकते हैं कि गलत है लेकिन इस प्रकार का संदेह साथ ही पैदा कर देना जिसके द्वारा आप हम सब लोगों की नीयत पर आघात कर दें, मैं उचित नहीं मानता।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : प्रश्न यह है कि खटाऊ माकन मिल्स से वह विश्वेश्वरैया सोसायटी को 5 लाख रुपया दिया गया। क्या इकट्ठा रेन्ट के अलावा और कोई रुपया दिया गया। और यदि कोई रुपया दिया गया, किस कम्पनी को रुपया दिया गया?

श्री अर्जुनसिंह : एडवांस रेन्टल ही ओनरशिप के बराबर है जिसके लिए 20 लाख रुपया खटाऊ माकन जी को दिया गया। अब कह रहे हैं कि किसको दिया, नहीं दिया।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : रेन्ट के अलावा क्या और सोसायटी को रुपया दिया गया है?

श्री अर्जुनसिंह : जितने का ड्राफ्ट है.....

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : 5 लाख रुपया कम्पनी को रेन्ट के लिए दिया है। ओनरशिप के लिए नहीं दिया है। उस सबके एवज में 5 लाख रुपया दिया है जिसके एवज में आप 20 लाख रुपये दे रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मैंने सब बता दिया। माननीय सखलेचा जी एक दुर्भावना से प्रेरित हैं। उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : खटाऊ मिल ने क्या 5 लाख के अलावा और कुछ रुपया दिया था?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मैं पहले ही कह चुका हूँ कि रेन्ट कम्प्यूट करके दिया गया है, ड्राफ्ट द्वारा दिया गया है। पूरी रसीद ली गई है। इसके पश्चात् भी माननीय सदस्य अन्य कोई सन्देह करते हैं जिसकी कि इस बारे में जानकारी ले रहा हूँ जिसको मैं स्वयं समझता हूँ कि अनुचित है। आप इस बात में विश्वास करें किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को संरक्षण देने का मेरी ओर से कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आम तौर से हम लोगों के लिए यह साधारण-सी बात हो गई है कि किसी भी इशारे पर, किसी भी तरह से आप कहीं पर कुछ कह दीजिए। इस तरह सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों की बात को कमजोर मत करिए। मैं समझता हूँ कि इस संबंध में और कोई आज कुछ कहे या नहीं कहे, कम से कम सखलेचा जी से यह आशा करता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि इतनी सब कुछ बातें होते हुए भी हमने माननीय अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक रूप से किसी भी प्रकार से उनकी इमेज को बिगाड़ने की बात आज तक नहीं की है। जो तथ्य कहीं पर रिकार्ड में होंगे, किसी अभिलेख में होंगे, उनकी जाँच होगी। यदि सामान्य कानून के अन्तर्गत कोई बात ऐसी आएगी, तो एक सामान्य कानून के अंतर्गत कार्यवाही होगी, नहीं आएगी तो कार्यवाही नहीं होगी। हम किसी मामले में जानबूझकर उनकी इमेज को डेस्ट्राय करने में विश्वास नहीं करते। मैं आशा करता हूँ कि सदन मेरे साथ सहमत होगा। यदि इस देश में प्रजातांत्रिक मान्यताएँ और प्रजातांत्रिक पद्धति को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें इस प्रकार की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। इसका दुष्परिणाम एक-दो व्यक्तियों के ऊपर आये या नहीं आये निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक पद्धति के ऊपर आएगा। इन शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से निवेदन करता हूँ इन माँगों को पास किया जाये। (तालियों की थपथपाहट)

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, सूचना केन्द्र चालू क्यों नहीं हो पाया?

श्री अर्जुनसिंह : हो गया है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : ड्राफ्ट का नंबर बता दिया। यह कितनी रकम का था?

श्री अर्जुनसिंह : 20 लाख कुछ का था।

अध्यक्ष : अब मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूँगा।

प्रश्न यह है कि माँग संख्या 1,2,3,4,12,25,26,31,32,33,35,37 तथा 41 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जावें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं माँगों पर मत लूँगा। प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष मे राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त—

अनुदान संख्या - 1 सामान्य प्रशासन के लिए चार करोड़ उन्तालिस लाख, पैंतीस हजार रुपये।

अनुदान संख्या - 2 सामान्य प्रशासन विभाग में संबंधित अन्य व्यय के लिए इकहत्तर लाख, बाइस हजार रुपये।

अनुदान संख्या - 3 पुलिस के लिए अड़सठ करोड़ चौरासी लाख, छियानवे हजार रुपये।

अनुदान संख्या - 4 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए आठ करोड़ पैंसठ लाख, अस्सी हजार रुपये।

अनुदान संख्या - 12 12 विद्युत के लिए एक अरब, अस्सी करोड़ उन्हत्तर लाख, छियानवे हजार रुपये।

अनुदान संख्या - 25 खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय के लिए चौबीस लाख, छिहत्तर हजार रुपये।

अनुदान संख्या - 26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय के लिए एक करोड़, पचपन लाख, बहात्तर हजार रुपये।

अनुदान संख्या - 31 योजना आर्थिकी तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय के लिए दो करोड़, पचहत्तर लाख, अठासी हजार रुपये।

अनुदान संख्या - 32 सूचना तथा प्रकाशन के लिए एक करोड़, बावन लाख, पैंतालीस हजार रुपये।

अनुदान संख्या - 33 आदिम जाति तथा हरिजन कल्याण के लिए इकतालिस करोड़ दो लाख चौहत्तर हजार रुपये।

अनुदान संख्या - 35 पुनर्वास के लिए एक करोड़, अस्सी लाख, तिरेसठ हजार रुपये।

अनुदान संख्या - 37 पर्यटन के लिए चौहत्तर लाख चालीस हजार रुपये।

अनुदान संख्या - 41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए एक अरब, तेईस करोड़, अड़तालीस लाख रुपये की राशि दी जाये।

माँगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमाशंकर सिंह : भाषण में तो जान रही नहीं आप शेर ही बोलिए।

श्री हाजी इनायत : अध्यक्ष महोदय, एक पेश है—

अब देखिये क्या होता है अंजामे सरे हस्, रहमत की कमी है न गुनाहों की कमी है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/7 अप्रैल 1981, पृष्ठ/ 2768-2775)

मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोक आयुक्त विधेयक 1980 विचारार्थ प्रस्तुत किया जिसका उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता स्थापित करने और जहाँ कहीं भी कदाचरण होता हो उसके संबंध में जाँच करके उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए प्रदेश में प्रभावी प्रक्रिया लागू करने का था। सदस्य श्री शीतला सहाय ने चर्चा की शुरूआत की। अन्य सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। चर्चा दो दिनों में पूरी हुई। दूसरे दिन 11 अप्रैल को श्री अर्जुनसिंह ने चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि सब लोग खराब हैं यह बात प्रजातंत्र के लिए खतरा है। यहाँ इस विधेयक पर हुई दिलचस्प चर्चा के कुछ अंश प्रस्तुत हैं।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोक आयुक्त विधेयक, 1980 पर विचार किया जावे।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन को स्मरण होगा कि पिछले वर्ष 1980 में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात का सदन को आश्वासन दिया गया था कि सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता स्थापित करने के

लिये जहाँ कदाचरण होता है, उसके संबंध में जाँच करके उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये प्रभावी प्रक्रिया इस प्रदेश में लागू की जाएगी। उसी के संदर्भ में इस विधेयक का जिक्र उस समय किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह विधेयक हमने पिछले ही साल पुरःस्थापित कर दिया था। पिछले अधिवेशन में ही रख दिया था। अब उसे सदन के सामने पारित करने के लिये प्रस्तुत किया गया है। मुझे विश्वास है कि सदन इस विधेयक को पारित कर इस प्रदेश के अंदर एक ऐसी प्रभावी प्रक्रिया को प्रतिस्थापित करे जो इस प्रदेश के अंदर स्वच्छ प्रशासन को चलाने में सहायक हो।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोक आयुक्त विधेयक, 1980 पर विचार किया जाये।

श्री शीतला सहाय (लश्कर पश्चिम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ म.प्र. पर लोक आयुक्त विधेयक प्रस्तुत किया गया है और उस पर विचार भी हो रहा है और इस सदन में उपाध्यक्ष महोदय, उसे पारित भी कर दिया जायेगा। इसके बाद यह लागू हो पायेगा या नहीं हो पायेगा आज भी इस पर बहुत शंका है। उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि इस पार्टी की जो सरकार इस प्रदेश में रही है और इस देश में रही है, उसके चरित्र में सदैव ही कथनी और करनी में अंतर रहा है। हम दुनिया से 25 साल पीछे हैं। 1955 में सबसे पहले उन देशों में जहाँ संसदीय प्रणाली लागू हुई है वहाँ पर सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता आये, इस दृष्टि से इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी और गौरव की बात है कि इस दुनिया में लीड स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क ने लिया उसके बाद नार्वे, न्यूजीलैंड व उसके बाद मारीशस जैसे छोटे देश, और पश्चिम जर्मन ने अपनी सेना में स्वच्छता लाने के लिये लागू किया और यह चलता चला गया। काँग्रेस की सरकार सन् 1947 में इस देश में बनाई गई। समय-समय पर इस देश में भी इस प्रकार की माँग आई लेकिन दुख की बात है कि अभी तक इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान् का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि 1963 में सिंधवी लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने सबसे पहले लोकसभा में इस प्रकार की माँग की कि इस प्रकार विधेयक बनना चाहिये। तत्कालीन वित्तमंत्री श्री ए.के. सेन ने यह कहकर टाल दिया कि हमारे प्राईम मिनिस्टर जानें, वह अगर चाहेंगे तो यह बन सकता है और अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं बन सकता। प्राईम मिनिस्टर से जब पूछा गया उपाध्यक्ष महोदय, तो स्पष्ट उत्तर तो नहीं मिला लेकिन एक बार जयपुर कांग्रेस अधिवेशन में 1963 में उन्होंने इस प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता प्रतिपादित की लेकिन कानून बनाने का सवाल आया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पीछे हट गये लेकिन में उस स्वर्गीय आत्मा को बधाई देना चाहता हूँ कि जिसने इस देश में सबसे पहले यह आवश्यकता महसूस की कि इस प्रकार का कानून बनना चाहिये और वह व्यक्ति थे तत्कालीन प्राईम मिनिस्टर श्री लालबहादुर शास्त्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनके द्वारा जो कमेटी नियुक्त की गई थी। मैं उस पत्र का छोटा-सा उद्धरण पढ़कर सुनाऊँगा जो इस तरह से है—

I feel that this matter should not be entirely left consideration in the hands of official. It is desirable there should be exchange of views between them and public men of experience. Perhaps, Hon. members might have read in the papers that I have suggested that a formal Committee should consider the important aspects of the evils of corruption. But I do not want to make it a formal Committee as such and waits for its report. Since we know most of the problems, the real point is to take remedial action. I therefore propose to request some members of Parliament and, if possible, other public men to sit with our own officer in order to review the problem of corruption and make suggestions."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक कमेटी भी बना दी जिस कमेटी ने आगे जाकर के चर्चा करना प्रारंभ की। उनके सामने प्राब्लम क्या थी उसका उद्धरण भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ—

"Whoever, being or expecting to be a public servant, accepts. or obtains, or agrees to accept, or attempts to obtain from any person, for himself or for any other person, any greatification what so ever, other than legal remuneration, as a motive or reward for

doing or for bearing to do any official act or for showing or for bearing to show, in the exercise of his official functions, favour or disfavour to any person, or for rendering or attempting to render any service or disservice to any person, with the Central or any State Government or Parliament or the Legislature of any State or with any public servant as such.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ ऐसा क्या महसूस हुआ उस पर जरा ध्यान देंगे मैं ए. संतानन्द का उद्धरण पढ़कर सुनाऊँगा। पृष्ठ 139 पर है—

"The intregity of Members of Parliament and of the Legislatures in the State will be a great factor in creating a favourable social climate against corruption. It has been talked about that some members use their good offices to obtain permits, Licences and easier access to Ministers and,officials of industrialists and business men"

उपाध्यक्ष महोदय, अगर यहाँ मैं इतना और जोड़ दूँ कि— 'And transfer of officers on the recommendation of the Legislators' तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

"In the case of Legislators who are in the employment of private undertaking for Legitimate work, it is desirable that such.

श्रीमान् इस पेसेज से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सन् 47 के बाद जो ऊँचे पदों पर बैठने वाले लोग थे उन लोगों के बीच में करप्शन बहुत बड़ी मात्रा में आगे बढ़ता चला गया और पहले किसी पार्टी के नाम से पैसा लिया, फिर कुछ लोगों ने पैसा लिया, फिर एक-दो-तीन ने पार्टी के नाम से पैसा लिया फिर कहीं तेंदू पत्ते के नाम से पैसा लिया तो कहीं फ्लैट खरीदने के नाम से पैसा लिया। इस तरह की प्रथाएँ बराबर इस देश में चलती रहीं और उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए आवश्यकता महसूस होती है कि इस प्रकार का कानून बनना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंघवी एवं गजेन्द्र गढ़कर ने जो कहा है उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता मेरे सामने कानून है और यह बिल के रूप में प्रस्तुत हो चुका है। एक थोड़ी-सी बात कहने के बाद अपने संदर्भ श्रीमान् के सामने प्रस्तुत करूँगा लेकिन जिस तरह से काँग्रेस की सरकार मध्यप्रदेश में भी इस कानून के बारे में सोचती है, अगर मैं प्रस्तुत करूँ तो श्रीमान् को आश्चर्य होगा, मुझे सौभाग्य मिला है इस सदन की एक महत्वपूर्ण कमेटी में सदस्य के रूप में काम करने का। प्रवर समिति जो मध्यप्रदेश में लोक आयुक्त एवं उप-लोक आयुक्त विधेयक 1974 (क्रमांक-18 सन् 1974) के संबंध में बनी थी। उपाध्यक्ष महोदय, पहले पहल उस समय विधेयक प्रस्तुत किया गया था और प्रस्तुत होने के बाद उसको प्रवर समिति को दे दिया गया और प्रवर समिति को देने के बाद बहुत मुश्किल से यह रिपोर्ट आ पाई वरना इस समिति में भी बहुत बार इस प्रकार के सजेशन हमारे सामने आ जाया करते थे कि इस समिति की रिपोर्ट देने के समय में वृद्धि की जाती रहे और जब किसी तरह से यह रिपोर्ट फाइनल करने का समय आया तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम सब लोगों का यह मत था कि अगर मुख्यमंत्री को इस कानून की परिधि में नहीं रखा गया तो इस क़ानून का सही-सही मकसद पूरा नहीं होगा और इसलिए मुख्यमंत्री को इसमें रखा ज़ाये। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मीटिंग बुलाई गई, इसके लिए चर्चाएँ हुईं, बड़े-बड़े पद पर बैठने वाले लोगों ने चर्चा की और जब हमको उन्होंने कनविन्स कर दिया कि मुख्यमंत्री को हर हालत में इस कानून में बंधना चाहिए, उसके बाद भी बहुमत के द्वारा हमारी बात नहीं मानी गई और मुख्यमंत्री को इस कानून के दायरे में नहीं रखा और श्रीमान् देखेंगे तो इस प्रवर समिति की रिपोर्ट के पृष्ठ 9 पर मेरी विमति टिप्पणी है— दिनांक 21-3-75 को प्रवर समिति की रिपोर्ट दी गई है। मैं विवरण से असहमत हूँ और निम्नलिखित प्रावधान न जोड़े जाने के कारण विमति प्रस्तुत करता हूँ—

"1. खंड 2 (ज) में "जो मुख्यमंत्री से भिन्न हो" लिखा गया है वह नहीं जोड़ा जाना चाहिए था चूँकि यह जोड़ा गया है इसलिए हम विमति प्रस्तुत करते हैं। इस विधान को मुख्यमंत्री पर लागू किया जाये।

2. मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोक आयुक्त विधेयक, 1974 के कार्यक्षेत्र में विधायकों को सम्मिलित

किया जाये चूँकि यह नहीं किया गया इसलिए हम विमति प्रस्तुत करते हैं।

3. खण्ड 9 (4) में दंड की व्यवस्था रु. 1,000 रखी है वह या तो निरस्त किया जावे या अलप्य रखी जाये।

4. खण्ड 12 की उपखंड (3) में जो विवरण लोक आयुक्त सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेगा सक्षम अधिकारी ऐसे विवरण को क्रियान्वित करने के लिए बाध्य होगा। इस प्रकार का प्रावधान उपखंड (4) में होना चाहिए या जो 12 (3) में लिखा है।" लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जब यह कानून यहाँ प्रस्तुत किया जाने वाला था तो मैंने सोचा कि अर्जुनसिंह सच में एक बड़े लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं और अपने चरित्र को सदैव सार्वजनिक स्वरूप देने के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने इस विधेयक में मुख्यमंत्री पर यह कानून लागू होगा यह बात मान ली है। मुझे इसकी प्रसन्नता है लेकिन आज सरकार वकील, डाक्टर जैन साहब का संशोधन प्राप्त हुआ है इससे शंकाएँ फिर से घर करने लगी हैं कि कदाचित् मुख्यमंत्री को इस कानून के परव्यू से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर मुख्यमंत्री को इसके परव्यू से बाहर निकाल दिया गया तो इस कानून को बनाने का कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि प्रमुख व्यक्ति जिसके नाम पर सभी कुछ होता है वही व्यक्ति जवाबदेही के लिए प्रस्तुत नहीं होगा तो मैं नहीं समझता कि इसके बाद कोई अच्छी स्थिति बन सकेगी। इसके बाद इस कानून में धारा-2 है उस धारा-2 में भी कुछ चीजें छोड़ दी गयी हैं। ये सारी एआरसी रिपोर्ट्स हैं, जितना भी एम्बट्स पर लिटरेचर उपलब्ध होता है उस सब पर माल-एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसे परव्यू में रखा गया है, लेकिन इस कानून में छोड़ दिया गया है कि कुप्रशासन के लिये जो व्यक्ति दोषी है उस व्यक्ति को इस एक्ट के बाहर कर दिया जाएगा इसके बाद मैं कुछ और निवेदन करना चाहूँगा, संशोधनों के अवसर पर निवेदन करूँगा, लेकिन एक बात यह कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य, जिसमें मंत्री से लेकर, यहाँ उप-मुख्यमंत्री सोलंकी जी भी बैठे हैं, वह नाराज हो जाएँगे क्योंकि वह सबसे पहले आदमी हैं। तो उप-मुख्यमंत्री से संसदीय सचिव तक को रखा गया लेकिन भूतपूर्व को भी यदि नहीं रखा गया तो इस कानून का ठीक-ठीक उपयोग नहीं हो पाएगा। इसके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कोटवार साहब से जब हम चर्चा करने लगे तो उन्होंने कहा कि जब तक आप भूतपूर्व पदाधिकारियों के नाम नहीं रखेंगे तब तक लोक आयुक्त ठीक-ठीक काम नहीं कर पाएगा। वहाँ के एक तत्कालीन राज्यमंत्री के खिलाफ सब प्रकार की जानकारी इकट्ठी करके इस आदमी ने भ्रष्टाचार किया है जिसमें उसके ऊपर एक्शन लिया जाने वाला था लेकिन उसने त्यागपत्र दे दिया। वह मंत्रिपरिषद के सदस्य की परिधि से निकल गया तो वह लोक आयुक्त के जुरिसडिक्शन से भी निकल गया और साफ बच गया। परन्तु कुछ समय के बाद उस आदमी को मंत्रिपरिषद में फिर सम्मिलित कर लिया गया। इसलिए भूतपूर्व मंत्रियों को इसमें नहीं रखेंगे तो जिस व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार के चार्जेज प्रमाणित हो जायेंगे वह व्यक्ति त्यागपत्र दे देगा और कुछ समय तक माननीय मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह उसे फिर मंत्रिपरिषद में रख लेंगे। यदि वह इस प्रकार भ्रष्टाचार करता है तो उसको किसी प्रकार का दण्ड नहीं मिलेगा और भेड़िया जैसे .....

श्री अर्जुनसिंह : क्या आप पूरे विधेयक को इसी मंत्रिमंडल के लिए समझ रहे हैं।

श्री शीतला सहाय : मेरा निवेदन है कि आपके पहले वाले मंत्रिमंडल के लिये भी इसे लागू रखें। आप तो कल की बात कर रहे हैं मैं तो भूतपूर्व की बात कर रहा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और वह बहुत इम्पोर्टेंट बात है। राजस्थान और महाराष्ट्र में लोक आयुक्त कानून के अन्तर्गत कार्य प्रारंभ करके जो अनुभव इन्होंने प्राप्त किये हैं उसके अधीन उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी जानकारी है, रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को दी जाएगी। यह सक्षम अधिकारी कौन होगा, मध्यप्रदेश सचिवालय में काम करने वाला एक अंडर सेक्रेटरी। उपाध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट के जज के बराबरी का कोई आदमी मेहनत और ईमानदारी के साथ दूध का दूध और पानी का पानी करके रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा उस रिपोर्ट को एक्जामिन करेगा वल्लभ भवन का अंडर सेक्रेटरी जो किसी क्लेरिकल पद से प्रमोट होता है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी व्यवस्था में फिर हुकुम किसका चलेगा। मुख्यमंत्री जिसके खिलाफ कार्यवाही करना चाहेंगे उसे प्रोसेक्यूट कर देंगे और जिसे नहीं चाहेंगे उसे प्रोसेक्यूट नहीं करने देंगे। मेरा श्रीमान् निवेदन यह है कि अगर इस कानून को ठीक से कार्यान्वित करना है तो हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि लोक आयुक्त को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऐसी मशीनरी दी जावे कि अगर वह

कि यह आदमी दोषी है तो उसको प्रोसीक्यूट करने की हमें कानून में इसे पावर देनी पड़ेगी। अगर अधिकारी के नाम पर ही यह अधिकार होगा तो मुख्यमंत्री जी द्वारा तय की गई मंत्रिपरिषद उनके खिलाफ करके उन्हें प्रासीक्यूट करे यह सम्भव नहीं होगा। इसलिए मुख्यमंत्री के लिए यह सक्षम अधिकारी हो और सके लिए यह लोक आयुक्त हो। यह नहीं होना चाहिये। यदि आप यह अधिकार हाईकोर्ट के किसी जज को देना चाहें तो फिर आपको उसके हाथ में पूरी मशीनरी देनी होगी ताकि वह अपने काम को सफलता कर सके। दूसरे उपाध्यक्ष महोदय, विधायकों को जो इसमें निकालने की बात कही गई है वह नहीं होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, विधायक होने के नाते से और मैं अपने अनुभव से यह बात कहता हूँ कि हमें अपनी छवि को बनाने के लिये कुछ सोचना चाहिये, कुछ समझना चाहिये और इसके लिए अपने आपको हमें प्रस्तुत करना चाहिये, इसके लिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं बी.बी. गढ़कर साहब का जो जनरल है उसके पेज 409 से एक पैसेज पढ़कर सुनाता हूँ.....

"It is, however, doubtful if the Vigilance Commission as it has been constituted at present, the limitation under which it has to function and the narrow sphere of its jurisdiction would make it half as effective as it is expected to be. I would,therefore earnestly request political thinkers and public workers to address themselves to the question as to whether it would not be desirable to evolve an institution like the Ombudsman in our country."

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है कि राजनैतिक लोगों की छवि दिन व दिन गिरती जा रही है इसलिए पोलिटिकल लोगों को सामने आना चाहिये और अपनी छवि को सुधारने की कोशिश करना चाहिये। तो इस विधेयक के अन्दर यदि विधायकों का नाम आता है तो उनको इससे घबराना नहीं चाहिये। क्योंकि जो बेईमानी करेंगे वही इसमें फँसेंगे और जो बेईमानी करते हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसमें से विधायकों और मुख्यमंत्री को निकालने की जरूरत नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूँ माननीय लालबहादुर शास्त्री जी ने इसके लाने की बात की थी उसके तुरन्त बाद वे चले भी गये और फिर जब से वे प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद फिर यही हुआ कि लोक आयुक्त बिल पास होगा। हमें यह बताया गया था उस समय कि प्रधानमंत्री दिल्ली में एक कानून लोक आयुक्त का पास करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद से उपाध्यक्ष महोदय, 71 निकल गया, 72 निकल गया, 73 निकल गया और 74 निकल गया लेकिन दिल्ली में वह लोक आयुक्त कानून नहीं बन पाया।

श्री कृष्णपालसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य शीतला सहाय जी ने कहा कि 71 निकल गया, 72 निकल गया, 73 निकल गया और 74 निकल गया लेकिन आपने यह नहीं बताया कि 77 निकल गया, 78 निकल गया और फिर उसके बाद 79 निकल गया और फिर भी आप नहीं कर पाये?

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, हमने कहा था कि हम लोक आयुक्त बिल पास करेंगे और इसकी घोषणा भी की थी लेकिन फिर सन् 1980 में जो आपने परम कृपा की, उसके कारण सरकार धराशायी हो गई वर्ना हम बतलाते और सही फार्म में प्रस्तुत करके, पारित कराकर बताते।

श्री कृष्णपालसिंह : आप कितने अच्छे दूरदर्शी हैं, आप जानते थे सन् 80 में गिर जायेंगे, इसलिए 80 में रखा।

श्री शीतला सहाय : मैं निवेदन कर रहा था इस प्रकार इस प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद यह कानून राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया, राष्ट्रपति ने अपनी एसेंट नहीं दी। भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार की सलाह से राष्ट्रपति काम करते हैं। अगर भारत सरकार चाहती है कि इसको स्वीकृति मिले तो इसको स्वीकृति मिलेगी और भारत सरकार नहीं चाहती तो स्वीकृति नहीं मिलेगी। वित्तमंत्री जी की जानकारी के लिए एक बात बता दूँ, हमारे समय में राष्ट्रपति के सामने इस प्रकार का प्रस्ताव भेजा गया था, अगर वह सरकार ज्यादा दिन रहती तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती। मैं अर्जुनसिंह जी से कहना चाहता हूँ कि जब वक्तव्य इस पर दिया तो इस बात के लिए आश्वस्त करें कि यह पारित करा लेंगे लेकिन इसके बाद स्वीकृति प्राप्त करने के लिए दिल्ली दरबार में अपनी सिफारिश पेश करेंगे और पास करायेंगे। मैंने विभिन्न प्रकार के संशोधन प्रस्तुत किये हैं, उनकी बात मैं अपने समय

पर कहूँगा। मैं आखिरी बात कह देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी अपने आपको इससे दूर न करें, विधायकों को इससे न निकाला जाये, रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत न किया जाये बल्कि जूरी को अधिकार दिये जायें जो प्रासीक्यूशन करने के लिये स्वतंत्र हो। अगर यह व्यवस्था होती है तो हिन्दुस्तान में राजनैतिक लोगों की जो छवि गिर रही है उसमें टेका लगा सकते हैं और उसको बढ़ाने में सफल हो सकेंगे वर्ना यहाँ बहुमत की आड़ में कुछ भी कहते रहें लेकिन गली-कूचे में जो इन राजनैतिक पार्टियों के लोगों की छवि बन रही है वह सुनते नहीं बनता है। संबंधित खण्डों पर अपनी बात उस समय कहूँगा जब संशोधन आयेंगे।

श्री मोतीलाल वोरा (दुर्ग) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त विधेयक, 1980 जो प्रस्तुत हुआ है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का सदन को स्मरण कराया कि वर्ष 80 में महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस बात को अपने भाषण में कहा था और वर्ष 81 में भी अपने भाषण में इस विधेयक के सम्बन्ध में बात कही थी। मुझे इस बात की खुशी है कि शीतला सहाय ने अपना बयान जो प्रारम्भ किया वह श्री लालबहादुर शास्त्री से किया और सचमुच यह देश उनके प्रति कृतज्ञ रहेगा, देश की विधानसभाएँ कृतज्ञ रहेंगी कि सार्वजनिक जीवन में निश्चित रूप से शुद्धता रहे। राजनीतिज्ञों पर आये दिन लगे आरोपों की जाँच कोई तंत्र करे तो कौन-सा तंत्र करे और हमें खुशी है हमारी सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत करके इस बात का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस बात का उदाहरण पेश किया कि देश के जिन अन्य प्रदेशों में लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक पारित हुए हैं, वहाँ वे जिस प्रकार कार्य कर रहे हैं और राजनैतिक जीवन में निश्चित रूप से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय शुद्धता आयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह Administration Reforms Commission की रिपोर्ट के पेज 2 पर जो डायरेक्टिव प्रिंसीपल दिए गये हैं, उनको आपके समक्ष रखना चाहूँगा।

"Directive Principles imbodied in our constitution though not justiciable or nevertheless fundamental in the government of the country and as establisment of the welfare states. We shall try to promote the welfare of the people by seccuring and protecting as effectively as it may be a social order in which justice, social economic and political shall inform all the institutions of the national life. Such state has to undertake function that infringe for all aspect of the citizen's life."

उपाध्यक्ष महोदय, यह पेज नम्बर 2 में कहा गया है। इसके आगे माननीय सदस्य शीतला सहाय जी ने न्यूजीलैंड की बात कही है। दुनिया के दूसरे देशों से करीब 25 साल पीछे हैं। यह पेज नम्बर 8 में है। इस बात का उल्लेख किया गया है कि—

"In the Common Wealth Newziland 1962 and the United Kingdom 1967 had established the offfice of Parliamentary commissioner as they have found by experience that available judicial and parliamentary remedies for administrative lapses and excess were not sufficient to secure speedy and effective redress of the grievances of the citizens particulary. The small man who is without influence and often ignorent as to whether any remedies are available. How to proceed to secure them without the means, to secure legal or other aid to set in motion, the authorities who could help him."

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ पेज नम्बर 9 की ओर भी माननीय सदस्य श्री शीतला सहाय जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा,

"The appointment of Vigilence Commission in 1964 was the last of the series of devises in Madhya Pradesh to tackle the problem of curruption but neither Vigilence Commission nor any of the previous devises like the anti-curruption department compelled those in district complaint committee consisted both official and non-official members may able to make any noticeable impact on the problem."

इसके आगे नहीं जाऊँगा। इसके साथ यह बात कहना चाहूँगा कि अक्सर शिकायतें उठती हैं और यह कहा जाता है कि राजनीतिक जीवन में जो लोग आए हैं, उनके पीछे भ्रष्टाचार के आरोप लगाना स्वाभाविक है प्रजातंत्र में और प्रजातंत्र में भ्रष्टाचार के आरोप लगें, आखिर उसकी जाँच कौन करे? कौन-सा तंत्र ऐसा स्थापित हो। जो इसकी जाँच करे और उस जाँच में ऐसे व्यक्ति रहें, जिनकी निष्पक्षता पर किसी प्रकार की संदिग्धता व्यक्त नहीं की जा सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ में माननीय सदस्य शीतला सहाय जी ने प्रवर समिति की रिपोर्ट का उल्लेख किया, उस बहस में अधिक पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने काफी खण्डों के बारे में जानकारी दी ही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक प्रस्तुत किया गया है और इस विधेयक में इस बात को स्पष्ट रूप से भाई शीतला सहाय जी ने कहा कि मुख्यमंत्री और विधायकों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए और मुख्यमंत्री को अगर शामिल नहीं किया गया तो वे निश्चित रूप से इसे प्रभावित करेंगे। अपनी जिनके खिलाफ रिपोर्ट करवाना हो, वह रिपोर्ट बराबर उनके माध्यम से होती रहेगी। मैं इनकी राय से नाइत्तफाकी व्यक्त करता हूँ।

श्री शीतला सहाय : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात शायद वोरा जी ठीक ढंग से नहीं समझे, मैंने नहीं कहा कि प्रभावित करेंगे। वह खुद भी सार्वजनिक जिंदगी में हैं। उनके खिलाफ भी इस प्रकार के आरोप आते हैं तो उनकी जाँच होनी चाहिए, जिससे वह पहले चित्र साफ कर सकें, तभी दूसरे अधिकारियों को अपना चित्र साफ करने को कह सकेंगे। केन्द्र सरकार आज तक ऐसा कानून बना नहीं पाई।

श्री मोतीलाल वोरा : उपाध्यक्ष महोदय, भाई शीतला सहाय जी केन्द्र के कानून की बराबर जानकारी रखते है। जो प्रारूप बनाया गया था उसमें मुख्यमंत्री को भी नहीं छोड़ा गया था। यह नहीं है कि केन्द्र के अन्दर कानून बनेगा ही नहीं और मुख्यमंत्री बचते ही रहेंगे अगर आप उसको देख लेते तो यह आशंका व्यक्त करने का अवसर आपको प्राप्त नहीं होता। बहरहाल मेरी अपनी राय है शीतला सहाय जी उससे सहमत हों या न हों मेरी राय में प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय विधायकों को इस कानून की परिधि से बाहर रखना नितान्त आवश्यक होगा। मुख्यमंत्री जो कि हेड आफ दी स्टेट हैं।

श्री शीतला सहाय : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री हेड आफ दी स्टेट नहीं हैं।

श्री मोतीलाल वोरा : मुझे मालूम है वे हेड आफ दी एडमिनिस्ट्रेशन हैं। मैं नहीं चाहता कि आप बार-बार छोटी-छोटी बातों पर खड़े हो जायें। "देट आई नो बैरी वेल, माय डियर फ्रेंड, यू नीड नाट प्राम्ट मी, यू नीड नाट इन्द्रप्ट मी।"

श्री शीतला सहाय : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तानी जब नाराज होता है तो अंग्रेजी में बोलने लगता है।

श्री बाबूलाल गौर : उपाध्यक्ष महोदय, विधानसभा की यह परम्परा है कि जब कोई सदस्य अंग्रेजी में बोले तो उसका हिन्दी में अनुवाद बताया जाता है।

श्री बालकवि बैरागी : उपाध्यक्ष महोदय, वे अंग्रेजी में इसलिये बोले कि शीतला सहाय जी इस देश की भाषा नहीं समझते, उनका दिल दिमाग बाहर से ही आता है। (हँसी)

श्री मोतीलाल वोरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मुख्यमंत्री और विधायकों को इसकी परिधि से बाहर रखा जाये। उपाध्यक्ष महोदय, लोक आयुक्त द्वारा जब सारे मामले की जाँच कर ली जायेगी और वह इस तरह संतुष्ट हो जाये, भाई शीतला सहाय जी ने संभवतः खंडों को सरसरी निगाह से ही देखा होगा सही तरीके से नहीं देखा गया, अगर वे सही तरह से देखते तो लोक आयुक्त को की जाने वाली शिकायतों की जाँच कर ली जायेगी और जब लोक आयुक्त संतुष्ट हो जायेगा तो राज्यपाल महोदय को प्रेषित की जायेगी, राज्यपाल जिसे प्रेषित करेगा अगर मुख्यमंत्री को स्वयं इसकी परिधि में ले लिया गया तो राज्यपाल महोदय के माध्यम से कोर्ट में देना है तो ऐसी ही विषम स्थिति पैदा हो जायेगी। मामले की जाँच कौन करेगा इसके बारे में कहा कि जो मामले की जाँच करेगा वह ऐसा व्यक्ति होगा जो आसानी से प्रभावित किया जा सकेगा, जाँच करने के बाद।

श्री शीतला सहाय : माननीय सदस्य वोरा साहब मैंने यह नहीं कहा कि वह व्यक्ति आसानी से प्रभावित किया जा सकेगा मैंने तो रिपोर्ट किसको प्रेषित की जायेगी और जाँच कौन करेगा इन दो बातों को बताया कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी सबार्डिनेट टू लोकायुक्त और अगर वह सी.जे या सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत रखता हो तो

वह जाँच के बाद सीधे अदालत में प्रासीक्यूट कर दे।

श्री मोतीलाल वोरा : माननीय सदस्य विधेयक की धारा 9 (2) को देखें जिसमें कहा गया है कि इस अधिनियम की धारा 10 या किसी अन्य उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो जानबूझकर या विद्वेषतः इस अधिनियम के अधीन कोई मिथ्या शिकायत करेगा, या झूठी शिकायत करेगा।.....

श्री शीतला सहाय : मैंने यह कहा था कि अगर मंत्री के खिलाफ शिकायत को आयुक्त सही मानता है तो राज्यपाल को प्रस्तुत न करते हुए यह व्यवस्था हो कि वह सीधे अदालत में दे। और प्रासीक्यूट करवाये और न्याय दिलवाये। अगर यह प्रावधान होता है तो मंत्री परिषद का प्रभाव क्रेपिंग नहीं होगा। नहीं तो इसका मतलब यह होगा कि अंडर सेक्रेटरी के पास जाएगा और अंडर सेक्रेटरी से वित्त मंत्री जी कह देंगे कि इसको ठंडे वस्ते में रख दो, वह ठंडे वस्ते में रख दिया जायेगा और फिर रिपोर्ट पर कुछ नहीं होगा और लोकायुक्त की स्थापना पर जो व्यय होगा, स्पष्ट रूप से वह निरर्थक जायेगा।

श्री कृष्णपालसिंह (वित्तमंत्री) : यानी लोकायुक्त अपने आप एक पार्टी न बन जाये। लोकायुक्त सिर्फ इंक्वायरी करे उसके बाद रिपोर्ट सबमिट कर दे और जो कार्यवाही इसमें शासन को करना है उसकी जानकारी विधानसभा को देगा। लोकायुक्त स्वयं एक पार्टी बन गया और प्रोसीक्यूट करने लगा तो क्या ये उपयुक्त होगा? मैं सिर्फ इस नजरिये से आपके सामने रखता हूँ कि लोकायुक्त सिर्फ इंक्वायरी बॉडी है जैसे शाह कमीशन बैठा था। उसने इंक्वायरी की और जो उसकी रिपोर्ट हुई वह दूसरी अथॉरिटी के पास भेज दी गयी फार नेसेसरी एक्शन। मैं समझता हूँ कि यदि आप प्रोसीक्यूट करने के अधिकार लोकायुक्त को देंगे तो लोकायुक्त की जो मर्यादा है, जो काम है उसकी गरिमा गिर जायेगी।

श्री शीतला सहाय : मैं वित्तमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि इस सदन की सम्मति के सदस्य के रूप में पूरी समिति के साथ जब मैं महाराष्ट्र और राजस्थान गया तो जस्टिस कोतवाल और दुआ का यह कहना था कि.....

श्री रमाशंकर चौधरी : मैं आपके माध्यम से यह व्यवस्था चाहता हूँ कि इस बीच के डिस्क्शन से कार्यवाही समझ में नहीं आ रही है पहले वोरा जी को बोलने दीजिये।

डॉ. राजेन्द्र जैन : मेरा निवेदन यह है कि जब माननीय सदस्य शीतला सहाय जी बोल रहे थे उस समय बहुत शांति के साथ सब लोगों ने उनको पौन घंटे तक सुना। वोरा जी बोल रहे हैं तो चार बार इन्टरप्शन हो चुका है, उसकी सीमा होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न मेरा यह है कि जब वोरा जी को अवसर मिला है तो उनको सुन लें। उसके लिये बीच में डिस्टर्व करने की कोशिश न करें।

श्री शीतला सहाय : माननीय सदस्य वोरा जी को आपत्ति होगी तो मैं जरूर डिस्टर्व नहीं करूँगा। डिबेट के सारे मसले सामने आ जायें इसके लिए मैं वोरा साहब और आपकी इजाजत से बोलना चाहूँगा। जस्टिस दुआ का यह कहना था कि जो रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को प्रस्तुत कीं वे रिपोर्ट सालों वहाँ पड़ी रहीं। बहुत सारी रिपोर्टों पर कार्यवाही नहीं हुई। ये तो मंत्रिपरिषद के लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं और उपाध्यक्ष महोदय, कौन, कब, कहाँ किस स्थान पर बैठेगा सबके लिये अच्छा और बुरा है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रकार की रिपोर्ट एक बार पहुँच जाये और उस रिपोर्ट को अगर वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग प्रोसीक्यूट होने से किसी प्रकार की बाधा करके रोक दें तो जिस अच्छे मतलब से इसको प्रस्तुत किया है वह पूरा नहीं हो पायेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप स्वयं भी पुरानी जानकारी प्राप्त कर लें और इस प्रकार का पता लगा लें। इस प्रकार के हस्तक्षेप रिपोर्ट में हुए हैं। इस व्यवस्था से जो हम काम निकालना चाहते हैं कि ये व्यवस्था ठीक रूप से काम करे.....।

डॉ. राजेन्द्र जैन : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरे रूप में इसे पढ़ा नहीं है। इसमें यह व्यवस्था है कि जब मंत्रिमंडल के पास रिपोर्ट जायेगी तो 3 महीने के अन्दर उसमें एक्शन लेना आवश्यक है। तीन महीने के अन्दर कार्यवाही करके वापस उनको सूचित किया जायेगा और सूचित करने के बाद भी अगर लोकायुक्त संतुष्ट नहीं होंगे तो अपनी रिपोर्ट सीधे राज्यपाल महोदय को देंगे। राज्यपाल महोदय हमारे प्रदेश में केन्द्र का नुमाइंदा होता है। इसलिये आपके माध्यम से निवेदन है कि बीच में डिस्टर्व न करें वोरा जी को बोलने दें।

श्री शीतला सहाय : राज्यपाल महोदय मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। यह संवैधानिक स्थिति है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की रिकमन्डेशन पर काम करेगा।

श्री विक्रम वर्मा : जो संशोधन रखा उसमें यह स्पष्ट कर दिया जायेगा कि कार्यवाही करना बंधनकारी होगा, इस बारे में संशोधन दिया है।

श्री मोतीलाल वोरा : उपाध्यक्ष महोदय, लोकायुक्त अपने को सेटिस्फाइड कर लेगा तो वह स्पेशिफिकली गवर्नर को भेजेगा और इस प्रकार लोक आयुक्त हर साल रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का निवेदन करने जा रहा था कि जहाँ तक शीतला सहाय जी ने विधायकों को इस परिधि से बाहर न रखने को कहा है इसमें विधायकों को शामिल किया जाना आवश्यक है, क्योंकि विधायक स्वतः कोई पद नहीं है। इसलिये भय की आवश्यकता नहीं है। मेरा कहना है कि आज वे विधायक हैं, और पूर्व में मंत्री थे, मंत्रिकाल में ये नहीं कहना चाहते कि जनता शासन काल में क्यों नहीं प्रस्तुत किया।

श्री राधारमण भार्गव : मैं ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ कि 4 बजे गए और अशासकीय संकल्प का समय हो गया।

उपाध्यक्ष : यह तय हो गया है कि सदन 7 बजे तक बैठे इसलिये मैं अनुरोध करूँगा कि सदन 7 बजे तक बैठे।

श्री रमाशंकर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यदि 7 बजे तक बैठना है तो भी पहले 2 आधा-आधा घंटे की चर्चाएँ हैं और अशासकीय संकल्प हैं, इसलिये अब शुरू हो जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष : नियम यह हैं कि अन्त में 2 घंटे अशासकीय कार्य के लिए होते हैं। इसमें 15-15 मिनट की दो चर्चाएँ हैं तथा 1.30 घंटे का अशासकीय संकल्प है, तो 5 से 7 बजे तक वह ले लेंगे, 5 बजे तक यह चलेगा।

श्री मोतीलाल वोरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि विधयाकों को इस विधेयक से अलग रखा जाये। इसके संबंध में आप भी इस बात से अच्छे तरीके से परिचित हैं कि विधायकों के हाथ में कौन-से अधिकार हैं? विधायक ऐसा व्यक्ति है, जिसके द्वारा दिए गए पत्र पर कार्यवाही होगी। अन्यथा स्थिति यह आ सकती है कि विधायक को शामिल किया और शीतला सहाय जी को कोई साथी मिल गया और झूठी सच्ची शिकायत कर दी तो वह विधायक या शीतला सहाय जी लोकायुक्त के घेरे में उलझे रहेंगे और उसके जो कांस्टीट्यूशनल राइट्स हैं, विधायक पद के जो अधिकार हैं, उसका निर्वहन करने के अधिकार से वंचित होना पड़ेगा। तो उसके दिल दिमाग में यह बात रहेगी कि उसके खिलाफ कोई झूठी शिकायत कर दी गई है, वह घेरे से बाहर नहीं निकल पायेगा।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : कोई चिंता की बात नहीं है, हम छाती ठोक कर कह सकेंगे कि हमने भ्रष्टाचार किया है, तो लोक आयुक्त के पास शिकायत कर दो।

श्री मोतीलाल वोरा : मैं शर्मा जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इतना ही दमखम था तो जब जनता शासन था, 28 महीने में ले आना था। मैं आपसे इस मामले में उलझना नहीं चाहता। इतना साहस था, इतनी संवेदनशीलता थी तो उस समय प्रस्तुत करके रखा जा सकता था। उसमें सखलेचा जी को रखा जा सकता था, जोशी जी को रखा जा सकता था, पटवा जी को रखा जा सकता था, विधायकों को शामिल किया जा सकता था, लेकिन आज "अंगूर खट्टे हैं", इसलिये मैं इस बात को प्रतिपादित कर रहा हूँ कि विधायकों को, मुख्यमंत्री को और एक निवेदन करना चाहूँगा कि विधानसभा के अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, और विपक्ष के नेता को भी इस परिधि से बाहर रखना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है। मंत्री शब्द से प्रेरित होगा वह उसकी परिधि में आयेगा तो उसके दायित्वों को निर्वहन करने में जो कठिनाइयाँ आयेंगी, मैं उसी निवेदन के साथ कहना चाहूँगा कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विपक्ष के नेता भी इस परिधि के बाहर रखे जाना चाहिए। उसकी जाँच की अवधि कम से कम 5 साल तक की रहनी चाहिए कोई पहले मंत्री था और आज विधायक हो गया है तो मंत्रि पद के कार्यकाल में किये गये कामों के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसके कारण 5 साल का समय होना चाहिये। शीतला सहाय जी के जो भी संशोधन आये हैं वे निश्चित रूप से उनका समर्थन करें और अपने सुझाव देवें लेकिन, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और विरोधी दल के नेता को भी शामिल करने का सुझाव हो तो उसे वापिस लें और इस विधेयक को पास करें। सार्वजनिक जीवन में नैतिक जीवन ऊँचा रहे। मध्यप्रदेश सरकार ने विधेयक प्रस्तुत कर इस स्थिति को जाहिर करने की दिशा में कदम उठाया है।

श्री शीतला सहाय : उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि विधायकों को क्यों सम्मिलित किया जाये इसके को में तर्क नहीं दिये। मैंने के. संथानम की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई है। रिपोर्ट में पृष्ठ 139 पर लिखा है कि "दी इंटेग्रिटी आफ मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट एण्ड आफ दी लेजिस्लेचर्स इन दी स्टेट्स विल बी ए ग्रेट फेक्टर क्रियेटिव फेक्टर्विल सोशल क्लाईमेट अगेन्स्ट करप्शन।" किस तरह से लोकसभा और विधानसभाओं के सदस्य प्रभावित करते हैं, कोटा दिलाते हैं, लायसेंस दिलाते हैं, यह पेसेज कोट किया था। यह पढ़कर सुनाया था, आप यह कैसे कहते हैं कि तर्क प्रस्तुत नहीं किया।

श्री कपूरचन्द धुवारा : काँग्रेस के विधायकों के शामिल न करने के कारण विधायक अभी से रो रहे हैं।

डॉ. राजेन्द्र जैन (उज्जैन-उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त विधेयक, 1980 का समर्थन करता हूँ। मैं समर्थन ही नहीं करता इसका हृदय से स्वागत करता हूँ। अपने यहाँ जो विभिन्न राजनैतिक दल के विधायक बैठे हैं उनसे भी उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अपेक्षा करता हूँ कि वे अपने-अपने सुझाव दें, आलोचना करें, लेकिन उस काम को जो वर्षों से नहीं हो रहा था कब से पड़ा था। 1963 में पंडित जवाहर लाल नेहरू और काँग्रेस के लोगों की भावना थी, 1964 में श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कांक्रीट उत्तर दिया, उसके बीच में जनता सरकार भी बनी। दो बार उनको मौका मिला। पहली बार संविद सरकार 1968, 1969 में बनी थी और संविद की सरकार में उपमुख्यमंत्री सखलेचा जीं थे, गृह विभाग उनके पास था उनके मन में ठोस भावना होती तो सार्वजनिक जो लोग हैं, मुख्य लोग हैं उनके बारे में जनता को जाँच का अधिकार दिया होता कि कोई प्रक्रिया निर्धारित हो, बड़े-बड़े पदों पर जो अधिकारी हैं उनकी जाँच की प्रक्रिया निर्धारित होती। आपने संविद सरकार में 18 माह में विचार नहीं किया। उन्होंने इसका हल्ला देश में और हमारे प्रदेश में किया और कांग्रेस के लोग जो ऊँचे पदों पर बैठे थे उनके ऊपर आरोप लगाये भ्रष्टाचार के इतने सारे आरोप लगाने के बाद 18 महीने की सरकार कोई बात साबित नहीं कर पाई। जनता का 200 करोड़ रुपया जाँच कमीशनों पर ढाई साल में खर्च कर दिया लेकिन एक भी काँग्रेस नेता, भूतपूर्व मंत्री, पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप साबित नहीं कर पाये कि उन्होंने किस प्रकार का कोई गड़बड़ घोटाला किया है। शीतला सहाय जी ने भाषण करते हुए आरोप लगाये वे राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर लगाये। एक दोहा याद आया अध्यक्ष महोदय,

"जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।"

उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की सरकार ढाई साल बनी रही उस समय यह विधेयक बना हुआ तैयार शासन के पास था। हमारे भूतपूर्व काँग्रेस के मुख्यमंत्री श्री प्रकाशचन्द्र सेठी ने तैयार कराया था। केवल विधानसभा में एक दिन पहले विधेयक रखना था, दूसरे दिन पुरःस्थापित करना था और चाहते तो पास किया जा सकता था। जो तैयार विधेयक इस सरकार के पास हमारे मुख्यमंत्री छोड़कर गये, ढाई साल जनता पार्टी बैठी रही लेकिन उस समय उनको नहीं सूझी कि हमारे मंत्री, विधायक यह विधेयक तैयार रखा है काँग्रेस के मुख्यमंत्री और काँग्रेस की सरकार ने रखा है उसको भी कम से कम पारित करा लें। आपको तो जल्दी थी विद्युत बोर्ड के लिये मिनी मीसा कानून लाने की। आपको किसने रोका था अगर आप इसका महत्व समझते। आपको सार्वजनिक जीवन को निष्कलंक साबित करने के लिये किसने रोका था, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। वास्तविकता यह है कि इनकी कथनी और करनी में अन्तर रहा है। काँग्रेस की सरकार में कथनी और करनी में अन्तर नहीं है। मध्यप्रदेश में काँग्रेस की सरकार बनी और अर्जुनसिंह मुख्यमंत्री बने। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पहली बार, पहले पृष्ठ पर पहली बात देखी कि स्वच्छ प्रशासन के लिये हम एक विधेयक लायेंगे। लोकायुक्त का यह विधेयक सदन के सामने आ गया और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसकी घोषणा की गई थी। आज उस घोषणा को मूर्त रूप दिया जा रहा है। लेकिन इस बात को अगर आप मानते हैं, मध्यप्रदेश के विरोधी दल में कुछ नैतिकता है तो अर्जुनसिंह की सरकार की सराहना करते। जो वर्षों से होना चाहिये था वह नहीं हो पाया। आपको दूसरा मौका मिला, सरकार बनाने का। जनता पार्टी की सरकार के ढाई साल निकल गये आप विधेयक नहीं ला पाये लेकिन पहली बार मध्यप्रदेश के इतिहास में अर्जुनसिंह की सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कितना भी

अच्छा विधेयक रखा जाये आलोचना आती है। आलोचना कहीं न कहीं बनी रहेगी लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, कानून मूर्त रूप ले रहा है। उसमें आगे जाकर क्या दिशा चाहिये, कितना संशोधन चाहिए अलग बात है। मैं संशोधन प्रस्तुत किया है उसमें यह भी रखा है। मुझे लगा कि उसमें मंत्री के समकक्ष दर्जा उसमें आता है। उपाध्यक्ष महोदय, स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर ऐसे सब लोग हैं। हमारी भावना यह है कि वर्षों से काम पेन्डिंग पड़ा है वह विधेयक की नीतियाँ इस प्रदेश में लागू हो सकती हैं, कुछ विरोधी दल के नेता सुझाव देंगे, जनता के बीच में कानून जायेगा, जनता के लोग सुझाव दे सकते हैं, उसका परीक्षण किया जायेगा लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मूल बात यह है आज इस सदन में पहली बार इस प्रकार का कानून लाया गया है। आज विरोधी दल यदि अपने आपको सक्षम विरोधी दल मानते हैं तो उसका स्वागत करना चाहिये। दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि इन्होंने अंग्रेजी में बोलकर बताया कि कितनी सारी मान्यताएँ थीं। अगर माननीय सदस्य हिन्दी का विधेयक है अगर पढ़ लेते तो उनकी सारी शंकाएँ निर्मूल साबित होतीं। मैं पढ़कर आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ—

"ऐसे लोक सेवक ने अपने स्वयं के लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई अधिलाभ या अनुग्रह अभिप्राप्त करने के लिये या किसी व्यक्ति को असम्यक अपहानि पहुँचाने के लिए अपने पद का उस पद की हैसियत से दुरुपयोग किया है। ऐसा लोक सेवक के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अनुचित या भ्रष्ट हेतु से प्रेरित हुआ था। ऐसा लोक सेवक, भ्रष्टाचार का दोषी है, या ऐसे लोक सेवक के कब्जे में धन सम्बन्धी ऐसे संसाधन हैं या ऐसी संपत्ति है जो कि आय के उसके ज्ञात स्त्रोत के अनुपात में नहीं हैं और धन संबंधी ऐसा संसाधन या ऐसी संपत्ति लोक सेवक द्वारा वैयक्तिक रूप से या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित है।" उपाध्यक्ष महोदय, कितना व्यापक रूप इस विधेयक को दिया गया है। केवल वह व्यक्ति ही नहीं जो पद पर रहा हो, अगर यह मालूम पड़े कि उसके परिवार का भी कोई व्यक्ति है या दूसरा ही कोई आदमी है जिसने इनके नाम से संपत्ति अर्जित की है उसके ऊपर भी कार्यवाही की जा सके इसका प्रावधान इसमें है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ एक शंका प्रकट की गई। मेरा निवेदन है कि हर विधेयक की एक प्रणाली होती है। यह विधेयक उन लोगों के लिये है जो जनता के उच्च पदों पर जैसे मंत्रीगणों के पद पर बैठे हैं अथवा उच्च अधिकारी हैं। उन लोगों की जाँच के लिये लोक आयुक्त नियुक्त होगा। और वह व्यक्ति कौन होगा? वह होगा किसी प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हुआ व्यक्ति अथवा वह व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के जज के पद पर रह चुका होगा। इतने ऊँचे दर्जे के व्यक्ति की नियुक्ति का इसमें प्रावधान है। ऐसे व्यक्ति से जाँच कराई जायेगी। अतः शंका का कोई स्थान इसमें नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आगे इसमें जिक्र किया है उसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ इसमें स्पष्ट किया है कि "यह जो नियुक्ति होगी वह विधानसभा के विरोधी दल के नेता के परामर्श से होगी और यदि कोई नेता न रहा हो तो ऐसे व्यक्ति से जिसे कि उस सदन में विरोधी दल के सदस्यों द्वारा ऐसी रीति में जैसी कि अध्यक्ष निर्देशित करें, के द्वारा की जावे" उपाध्यक्ष महोदय, इससे यह स्पष्ट कि सरकार ने यह अपने हाथ में नहीं रखा कि वह अपनी मर्जी से लोकायुक्त की नियुक्ति कर लेगी। उसको यह नियुक्ति विधानसभा में विरोध दल के नेता के परामर्श से करनी होगी। अतः इसमें शंका का कोई कारण नहीं रहता।

उपाध्यक्ष महोदय, एक शंका यह व्यक्त की गई कि रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद कहीं वह दो-तीन साल तक सरकार के पास गट्टे में न पड़ी रह जाये, अमर ऐसा हुआ तो क्या होगा? इसके लिये भी प्रावधान रखा गया है कि लोकायुक्त जो रिपोर्ट भेजेंगे उस पर मंत्री मंडल द्वारा कार्यवाही की जावेगी और उसकी जानकारी पुनः लोकायुक्त को शासन द्वारा दी जावेगी। उस पर यदि लोकायुक्त सन्तुष्ट होते हैं तो मामला समाप्त हो जावेगा और नहीं तो वह अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देगा। और यदि ऐसा लगा कि गड़बड़ी है, भ्रष्टाचार हुआ है और शासन अथवा मंडल द्वारा समुचित कार्यवाही नहीं की गई तो वह रिपोर्ट विधानसभा की टेबिल पर आयेगी और विधानसभा में उस पर चर्चा होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के मामले में एक बार रिपोर्ट ऐसे व्यक्ति के द्वारा आ गई जो कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो अथवा सुप्रीम कोर्ट

का जज रह चुका हो तो फिर वह व्यक्ति जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले होंगे, पावर में बैठा नहीं रह सकता।

इसके अलावा दूसरा निवेदन यह है कि वह राज्यपाल को भेज सकता है। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति उठाई कि राज्यपाल वही काम कर सकता है जिसके लिये उसे मंत्रिमंडल से परामर्श मिलता है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे संविधान में दोनों तरह की व्यवस्था है। यह व्यवस्था भी है कि वह मंत्रिमंडल को परामर्श भी देता है और उसके निर्णय के अनुसार काम करता है लेकिन साथ में संविधान में उसको अधिकार है कि वह इसके अलावा अपने स्वयं की रिपोर्ट को केन्द्र शासन अथवा राष्ट्रपति को भेज सकता है। इसके लिये भी वह संविधान की धाराओं के अन्तर्गत सक्षम है। इसलिये दोनों तरह से व्यवस्था की गई। सदन में भी राज्यपाल की रिपोर्ट आयेगी राष्ट्रपति और केन्द्र शासन भी देखेगा कि किसी प्रदेश की स्पष्ट रिपोर्ट लोकायुक्त को आई है जो सुप्रीम कोर्ट का कोई जस्टिस रहा है इसका किस प्रकार निराकरण किया जावे। इससे शासकीय कर्मचारियों तथा अधिकारियों के बारे में उल्लेख है वह इसलिए जरूरी है रिपोर्ट आने की शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों के नियम बने हुए हैं उन्होंने किस दर्जे का अपराध किया है मुअत्तिल किया जावे, सस्पेण्ड किया जावे, डिसमिस किया जावे। अगर उन्होंने सम्पत्ति अर्जित की है तो सम्पत्ति जप्त की जावे, यह महसूस किया जावे कि इस इस प्रकार का कानून का उल्लंघन किया है तो प्रावेन्शन आफ करप्शन एक्ट है, इतना अधिकार है कि जब मंत्रिमंडल एक बार यह तय कर ले कि गड़बड़ी हुई है कानूनी कार्यवाही करना जरूरी है बहुत से नियम व प्रावधान हैं। फौजदारी की कार्यवाही की जा सकती है। दो-तीन पाइंट उठाये थे विधायक, मुख्यमंत्री, विरोधी दल के नेता तथा स्पीकर डिप्टी स्पीकर के बारे में तो हाउस की परम्परा है चर्चा नहीं हो सकती। जहाँ तक लीडर को छोड़ने का प्रश्न है जरूरी है जिस मंत्रिमंडल का हेड होता है उसके सामने जब रिपोर्ट जायेगी वह स्वयं उसमें शामिल माना जायेगा। तो वह न्याय के सामान्य सिद्धांतों के विपरीत है वह क्या निर्णय मंत्रिमण्डल करेगा। जिस मंत्रिमंडल में रिपोर्ट प्रस्तुत होना है उसका हेड कभी भी इस प्रकार के कानून के अन्तर्गत न आना चाहिये अगर उसके अन्तर्गत कानून बनाना है तो वह दूसरा कानून होगा प्रक्रिया में लोकायुक्त का प्रावधान नहीं होगा बल्कि न्याय का अलग से प्रावधान होगा या केन्द्र की ओर से बनाया हुआ नियम होगा उसके अन्तर्गत रखा जा सकता है इस कानून के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। विधायक के बारे में निवेदन है पूरे देश में चर्चा चल रही है कि विधायकों को शामिल होना चाहिये कि नहीं देश में दो राय हैं चूँकि हमारे प्रदेश में इसकी शुरूआत कर रहे हैं और अभी इसका परीक्षण करना चाहते हैं कि किस हद तक कामयाबी मिलेगी जरूरी नहीं है कि अभी उसे शामिल किया जावे। विधायक को एडमिनिस्ट्रेशन पावर क्या हैं वह तो सिफारिश कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, अनुशंसा कर सकते हैं। अनुशासन मानना या न मानना, पत्र पर कार्यवाही करना या न करना मंत्री व उच्चाधिकारियों को अधिकार है। विधायकों को कोई नियम व अधिकार विधान में नहीं हैं इसलिए स्पेशल बात आती है तो दूसरा कानून प्रचलित है जिसके तहत विधायक हो या नागरिक कोई भी गड़बड़ी करेगा चीटिंग करेगा, कई तरह के प्रावधान नियम में हैं जिसके अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

श्री कृष्णपालसिंह : (श्री रमाशंकर सिंह से) न पढ़ा हो तो पढ़कर बाद में बोल दीजिएगा।

श्री रमाशंकर सिंह (रोन) : मैं अभी भी बोल सकता हूँ, बाद में भी बोल सकता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, यह मध्यप्रदेश लोकायुक्त व उप-लोकायुक्त विधेयक इसके बारे में सबसे पहले जब सरकार बनी थी और इसके पूर्व में भी सरकारें आई हैं, श्रीमान बिडम्बना यही है अब तक ऐसे तमाम मामलों में जिसकी वजह से सरकार का प्रमुख होता है, मंत्रिगण होते हैं, सरकार व प्रशासन के लोकसेवक होते हैं जैसा कि सभी ने कहा, सदस्यों ने राय रखी है कि उन सबके बारे में जनता में खराब छवि प्रकट हो रही है तथा हो चुकी है। लोगों में आम धारणा बन चुकी है उसका आधार मजबूत है जो भी व्यक्ति सत्ता में जाता है और लोकसेवक जैसे पदों पर पहुँचता है जिनके द्वारा सही अर्थों में होना चाहिए लोकसेवा लेकिन अब तक बहुत से मामलों में अधिकांश मामलों में हुआ कि मंत्रिगण, मुख्यमंत्रीगण अन्य लोकसेवक उनकी संपत्ति में अचानक उछाल आ जाया करता है जब वे सत्ता में पहुँच जाते हैं। क्या कारण होता है कि जो विधानसभा के सदस्य बनने के पहले उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं रहती है और जितने भी बाद में चुनकर आते हैं उनकी अचानक 5 साल के दौरान की अवधि में न जाने कहा

से उनकी आर्थिक स्थिति का स्रोत जो लीगल और वैध है, उसके अतिरिक्त इस प्रकार से उछाल आ जाता है कि वे काफी पैसे वाले बन जाते हैं। इस प्रकार से जनता में एक बड़ा भारी भ्रम हो जाता है और उनकी छवि खराब हो जाती है। यही हम लोगों और अन्य लोकसेवक के बारे में है। अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं केवल एक महीने पहले ही भारत की प्रधानमंत्री ने भी भाषण दिया है। हालांकि भ्रष्टाचार के मामले में कम बोला है लेकिन उपदेश हुआ है वह पहले कभी सुनने को नहीं मिला। उनका कहना है कि अभी-अभी कुछ दिन पहले अपने हिन्दुस्तान में भ्रष्टाचार इस सीमा तक बढ़ गया है कि आये दिन शिकायतें होने लगी हैं। उनका कहना है कि अब इस भ्रष्टाचार के राक्षस को खत्म नहीं किया तो विकास के कार्य रुक जायेंगे। इस पर और भी बड़े-बड़े राजनैतिक और गांधीजी भी काफी कुछ कह चुके हैं।.....

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/10 अप्रैल 1981, पृष्ठ- 3151-3159)

श्री कपूरचन्द धुवारा (मलेहरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून के बनाने के पहले अच्छा तो यह होता कि विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री सभी की उनकी सम्पत्ति की घोषणा करवाते कि आपके पास कितनी सम्पत्ति है और इसके बाद कानून बनाते तो आज फिट होता। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री को इस कानून से बाहर रखना इस बात से साफ जाहिर है कि किसी आदमी के हाथ हैं, पाँव हैं, दिल हो, दिमाग हो लेकिन आँखें निकाल दी जाये तो उसका उपयोग नहीं होगा। इसलिए मुख्यमंत्री को बाहर रखने के बाद यह बिल पूरा नहीं होगा। कानून का कानून अंधा हो जायेगा। इस मामले में गले में घंटी बाँधकर चुप हैं इससे जाहिर है ये भ्रष्ट हैं आम जनता जानती है कि विधायक लोग कितने भ्रष्ट हैं। मंत्रियों को दबाव डालते हैं।

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि माननीय कपूरचंद धुवारा का कहना है कि विधायक लोग भ्रष्ट हैं। एक दो उदाहरण तो रखें। सारे विधायक यहाँ बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री कपूरचंद धुवारा : एक नहीं 10 उदाहरण दे सकता हूँ।

श्री मोतीलाल वोरा : भ्रष्टाचार किया है इस प्रकार माननीय अध्यक्ष महोदय, शीतला सहाय के इशारे पर भ्रष्टाचार किया तो उसकी भी जाँच हो जायेगी।

श्री शीतला सहाय : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट के तहत मेरी और वोरा जी की जाँच हो जाये। हम दोनों आफर करते हैं।

श्री मोतीलाल वोरा : अगर शीतला सहाय तैयार न हों मैं तो तैयार हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : कोई जाँच नहीं होगी। कहीं धुवारा जी विधायक हैं या नहीं (व्यवधान) क्या आप भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

(हँसी)

श्री कपूरचंद धुवारा : मैं अगर लिप्त हूँ तो मेरे खिलाफ जाँच होनी चाहिये। मैं जो कहना चाहता हूँ कहने दिया जाये। मेरा समय बर्बाद न करें। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो, उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक कितने मुख्यमंत्रियों के उदाहरण दिये जायें जिन्होंने भ्रष्टाचार किया और उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मैं कहना चाहूँगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी इस परिधि में शामिल करना चाहिये। श्री यशवंत शर्मा ने एक शिकायत की थी इन्दौर की पेयजल योजना की उसके बाद उसमें घपले पाये गये 11 करोड़ के और ..... (व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, कुछ तो संयम होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्या बात है? यह विधानसभा है। धुवारा जी यह पब्लिक मीटिंग नहीं हो रही है।

डॉ. राजेन्द्र जैन : जो बातें कहीं गई हैं कार्यवाही से निकाली जाना चाहिये।

डॉ. राजेन्द्र जैन : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय, डिप्टी स्पीकर के बारे में सदन में चर्चा नहीं हो सकती, उनके आचरण के बारे में, विधयाकों के आचरण के बारे में, जनरल रिमार्क्स नहीं हो सकते अतः ये शब्द विलोपित किये जावें।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के बारे में एलीगेशन लगाया है दुख ने शिकायत की थी और जिस पर से घपले पकड़े गये थे।

श्री अर्जुनसिंह : बहुत अच्छी बात कर रहे हैं शीतला सहाय जी।

उपाध्यक्ष : संबंधों की चर्चा को मैं निकालता हूँ। धुवारा जी अब आपका बोलने का समय नहीं है।

श्री कपूरचंद धुवारा : मेरा समय है रमाशंकर सिंह को 20 मिनट दिये गये और मेरे दो सदस्य हैं मैं 40 मिनट का समय लेना चाहूँगा मेरा कहना है कि ..... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष : मैं आपको निर्देश देता हूँ आप बैठ जावें अब मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं देता।

श्री कपूरचंद धुवारा : विधायकों, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को सभी को इस परिधि में रखा जाना चाहिए किसी को छूट नहीं मिलना चाहिये।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय धुवारा जी के द्वारा उठाई गई बातों का तो कोई उत्तर देना आवश्यक नहीं समझता हूँ। यहाँ पर बात कुछ इस लहजे से हुई कि जैसे यह विधेयक सदन में प्रस्तुत करने के पीछे हम सभी की कोई विशेष मंशा है और उस विशेष मंशा को इस प्रकार से निरूपित किया गया कि भ्रष्टाचारी को बचाने की मंशा से यह प्रावधान इसमें किये गये हैं। सर्वप्रथम तो आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन से नम्रता से और बिना किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी को ध्यान में रखते हुए यह निवेदन करना चाहूँगा कि हम सब इस प्रकार की चर्चा या इस प्रकार के मत व्यक्त न करें तो शायद प्रजातंत्र के लिए हितकारी होगा कि जैसे भ्रष्टाचार का पूरा समुद्र है और उसमें दो-चार द्वीप हैं और इन द्वीपों पर हममें से कुछ बैठे हैं बाकी सब भ्रष्टाचार के समुद्र में गोते लगा रहे हैं। यह दृष्टिकोण कहिए या अभिव्यक्ति कहिए मेरे मत में किसी भी राजनैतिक दल के लिए और निश्चित रूप से प्रजातंत्र को मजबूत करने की दिशा में सहायक नहीं हो सकती। हम यह मानने के लिये तैयार हैं कि यदि कहीं पर कोई ऐसे विशेष ---- स्पष्ट रूप से सामने आये, निश्चित रूप से अंतिम रूप में उसका निराकरण होना चाहिए, किसी प्रकार का संरक्षण या लिहाज नहीं होना चाहिए लेकिन यह कहना कि सभी लोग खराब होते हैं इसलिए सभी के गले में फंदा डालकर रखना चाहिए, मैं नहीं समझता कि आज के जनमत को व्यक्त करता है और न प्रजातंत्र के लिए खतरा हो सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब अपने भाषण में हमारे आदरणीय शीतला सहाय जी ने अपने स्वयं की विमत टिप्पणी से सदन को सूचित किया उस दिन मैं विमत टिप्पणी की तारीख जल्दी-जल्दी में नहीं सुन पाया था यह विमत टिप्पणी माननीय शीतला सहाय जी ने 21-3-75 को लिखी है। उस समय माननीय शीतला सहाय जी केवल टिप्पणी ही लिख सकते थे यह भी मैं मानने के लिए तैयार हूँ और उन्होंने उस समय जो कुछ कर सकते थे किया .....

शायद आज शीतला सहाय जी संयोग से, पटवा जी का तो प्रश्न आता ही नहीं क्योंकि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में कोई विधानसभा की बैठक हुई नहीं, मैं उनसे कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन माननीय कैलाश जोशी, माननीय श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों के समय में 3 विधानसभा की बैठकें हुईं और उन तीन विधानसभा की बैठकों में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ। मैंने बहुत बारीकी से उन भाषणों को देखा है। किसी भी अभिभाषण में लोक आयुक्त विधेयक को प्रस्तुत करने की मंशा है इसका भी कहीं पर उल्लेख नहीं मिला। और हमारे माननीय शीतला सहाय जो जून 1977 को एक वरिष्ठ मंत्री के रूप में इस प्रदेश में पदासीन हुए उन्होंने भी यह कष्ट नहीं किया। जबकि सन् 75 में उन्होंने काफी प्रभावशाली विमति टिप्पणी लगाई थी किन्तु जब सहमति टिप्पणी का पहला अवसर मिला तो वे मौन रहे, इसकी मुझे जानकारी थी। बात यह है कि विधेयक को 29 अक्टूबर 80 में पहली बार सदन में पुरःस्थापित किया गया जनता पार्टी गवर्नमेंट द्वारा। और भी कई विधेयकों के बारे में इस सभा को याद है कि 12-12 बजे और 1-1 बजे रात तक उन विधेयकों को पास कराया गया। मैं

नहीं जानता कि इस लोक आयुक्त विधेयक को उस समय ज्यादा समय बैठकर पास क्यों नहीं करवाया, यह मेरी समझ में कुछ नहीं आता। इस परिस्थिति में जब यहाँ पर यह लांछन लगाया गया कि इस विधेयक को हमने किसी दूसरे उद्देश्य से यहाँ पर पेश किया है, शायद यह उपयुक्त नहीं है। एक संकेत जरूर मिलता है और वह संकेत आपके दृष्टिकोण का द्योतक है। किस हद तक आप पक्ष और विपक्ष में सत्ता पार्टी और विरोधी पक्ष में सामंजस्य कुछ मामलों में रखना चाहते हैं या नहीं उसकी स्पष्ट झलक उससे मिलती है। इसी तरह से सन् 74 में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया था उसमें लोक आयुक्त की नियुक्ति के लिये प्रावधान किये गये थे कि उनकी नियुक्ति सदन में विरोधी पक्ष के नेता की सहमति और उनकी सलाह मशविरे से की जावेगी। लेकिन सखलेचा जी ने जो यहाँ पर प्रस्तुत किया उसमें से यह निकाल दिया और विरोधी पक्ष की वजह से हो सकता है हम लोगों को देखकर निकाल दिया हो, यह तो नहीं जानता, लेकिन बात स्पष्ट है क्योंकि वह विधेयक का एक अंग है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं लगाई गई। जो यथार्थ है उसका ही उल्लेख केवल मैं कर रहा हूँ। जब हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि कुछ ऐसे सर्वमान्य व्यक्ति हैं जिनका पक्ष और विपक्ष में होने का सवाल नहीं है, सर्वसम्मति से हम एक दृष्टिकोण प्रदर्शित करना चाहते तो यह उचित नहीं था कि उस प्रावधान को कायम रखते और विरोधी पक्ष के नेता से सलाह के बाद ही लोक आयुक्त की बात रखते।

उपाध्यक्ष महोदय, अब हमने पुनः जो प्रावधान रखा है उसमें इस सदन के माननीय विरोधी दल के नेता की सहमति से ही लोक आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। यह आपके कहने से कोई लांछन लगाने का नहीं है। यह केवल इस बात का द्योतक है कि ऐसे मसलों को भी आप देखें कि क्या इसमें कोई राजनीति या दलीय दृष्टिकोण तो नहीं है। आप इसको राजनीति या दलीय दृष्टिकोण से न देखें। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह विधेयक सन् 80 जुलाई में इस शासन के राज्यपाल के अभिभाषण के द्वारा जो सदन को एक वचन दिया गया, एक नीति विषयक निर्णय लेकर उसकी घोषणा की गई, उसको ही कार्यरूप में परिणित करने के लिये ही आज इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया गया है और इस विधेयक के माध्यम से हम ऐसे प्रावधान कर रहे हैं जिनसे यदि कोई कदाचरण की बात होती है तो प्रभावी ढंग से उसका निपटारा किया जा सके।

श्री रमाशंकर सिंह : अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बोल सकता हूँ।

डॉ. राजेन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, जब सदन के नेता बोल रहे हों और आपने आदेश दे रखा है कि विरोधी दल के नेता या सदन के नेता बोल रहे हों तो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं हम लोग तो अनुशासन का पालन करते हैं लेकिन बाकी लोगों को भी इसका पालन करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री रमाशंकर सिंह : मेरा संक्षेप में निवेदन यह है कि अधिकांश सदस्यों ने मुख्यमंत्री की सरकार द्वारा बिल को पास किया है उसका समर्थन किया है सिर्फ विरोध इस बात का है कि डॉ. जैन द्वारा जो संशोधन रखा गया है श्रीमान् हम उसका विरोध कर रहे हैं। आप भारसाधक सदस्य हैं आपने जो बिल पेश किया है उसको मंजूर करता हूँ लेकिन डॉ. जैन बिल को क्यों नहीं संशोधन करना चाहते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझा था कि कोई नये विषय पर माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं मुझे क्या मालूम था कि वे फिर उसी पर आ जायेंगे।

श्री रमाशंकर सिंह : यह स्टाईल अब पुरानी हो गयी है अब उसमें कोई दम नहीं रह गया।

श्री अर्जुनसिंह : किस स्टाईल में दम नहीं रह गया है, आप वाली स्टाइल में। मैं कोई कठोर बात नहीं कह सकता तो इसके लिये लाचारी है। उपाध्यक्ष महोदय, विधायकों को इसकी परिधि से बाहर रखने के लिये मेरे मत में यह कारण पर्याप्त है। सभी विधायक इस सदन के सदस्य के रूप में अनेकों विषयों पर कितने भाषण करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और कई प्रकार से अपने वाणी की स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। यह संभव है कि किसी ऐसे विषय पर जो माननीय विधायक के द्वारा अपने अधिकारों को उपयोग में लाने के लिये इस सदन में विचार के लिये या अन्य किसी विषय के लिये वह ऐसा समझता है। जहाँ परस्पर हितों की टकराहट होती है तो आसान है किसी

व्यक्ति के लिये उसी विषय पर एक संभावित शिकायत भ्रष्टाचार के नाम पर करके और विधायक को पूरी तरह से यह करने से प्रभावित किया जा सके। मैं समझता हूँ कि प्रजातन्त्र में अंतिम फैसला किसी न किसी को सार्थक रूप में काम करने का या न करने का जनमत के आधार पर होता है और कम से कम विधायकों के ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से वे अपने को ऐसा महसूस करें कि किसी विषय पर वे इस सदन में चर्चा करें या न करें। इसलिये उन्हें इस परिधि से बाहर रखा गया है। अब रमाशंकर सिंह जी का दूसरा प्रश्न है कि मुख्यमंत्री को क्यों इससे अलग रखें।

उपाध्यक्ष : अब मुझे विवश होकर माननीय शीतला सहाय जी से अपील करनी पड़ेगी क्योंकि वे ही पूरी तरह से काबू में रख सकते हैं मैं तो हार गया।

श्री विक्रम वर्मा : आपने कोशिश करी थी, मैं समझा अलग भी कहीं और करी हो।

श्री अर्जुनसिंह : वह तो मैंने आप पर करी थी लेकिन उसमें भी सफल नहीं हुआ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अभी तो कृष्णपालसिंह जी को काबू में कर लीजिये।

श्री कृष्णपालसिंह : मैं पूरी तरह से उनके काबू में हूँ।

श्री रमाशंकर सिंह : जब तक केबिनेट में हैं तब तक बोलेंगे जब केबिनेट एक्सपंज हो जायेगी तब दूसरी बात बोलेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : वैसे रमाशंकर सिंह को हमारी केबिनेट ज्वाइन करना हो तो पूरी छूट है।

श्री रमाशंकर सिंह : आपके पास मुझे फटकना ही नहीं है।

श्री प्रेमनारायण मिश्र : आपकी ईमानदारी का नतीजा पहले ही दिख चुका है।

श्री अर्जुनसिंह : उस टेलीफोन की बात मत करिए, वे तो कई जगह किये। मैं बात पूरी कर पाऊँ तब न, शीतला सहाय जी सहायता करते हैं, वे तो करने से दूर रहे।

श्री शीतला सहाय : इस एक्ट के लिए तो मैं पूरी सहायता करने के लिये तैयार हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : शीतला सहाय तो इस हद तक सहयोग कर रहे हैं जैसा आपने इसे विधानसभा में प्रस्तुत किया, अक्षरशः सहायता करने के लिये तैयार हैं। आपके इस कानून का विरोध तो राजेन्द्र जैन कर रहे हैं। वे काबू में नहीं हैं, वे संशोधन कर रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : इसमें मुख्यमंत्री को इसकी परिधि में क्यों नहीं रखा गया। स्वाभाविक है कि मैं जो कुछ कहूँगा उसका शायद संभावित दूसरा मतलब भी निकाला जा सकता है। मैं तो नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रावधान को रखा ही गया था। विधेयक में स्पष्ट है लेकिन इसमें संशोधन लाने के पूर्व जो विचार विमर्श हुआ, जो तर्क सामने आये। मैं केवल एक ही से प्रभावित हूँ और जिसकी वजह से मैंने इस संशोधन को स्वीकार कर लिया और वह यह था कि प्रदेश में इसमें कोई मेरा सवाल नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति का सवाल नहीं है और इसे व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखना उपयुक्त नहीं होगा। प्रदेश के अंदर जो राजनैतिक एक्जीक्यूटिव है, पोलिटिकल एक्जीक्यूटिव है उसके प्रमुख के रूप में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को अधिकार रहते हैं और उन अधिकारों के उपयोग के लिए उसके पास कानून-कायदों को प्रयोग में लाने का अवसर रहता है और सही माने में पूछा जाये तो प्रजातांत्रिक मान्यताओं के मुताबिक पोलिटिकल एक्जीक्यूटिव का जो हेड है वह जनमत के आधार पर विधानसभा के अंदर या बाहर अपने दल का प्रतिनिधित्व करता है और उस राजनीतिक शक्ति का उपयोग करता है जो संविधान ने प्रदत्त की है। संविधान के अंदर प्रदत्त किए गए हैं ऐसी व्यवस्था में मैं यह तो मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि कहीं भी किसी प्रकार के मुख्यमंत्री के आचरण के बारे में जाँच करने का, विचार करने का उसके कदाचरण के प्रकरणों पर पूरी तरह से छानबीन करने का कोई दूसरा अवसर या मौका नहीं होना चाहिए। ऐसी मेरी मान्यता है, ऐसा होना चाहिए इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। प्रश्न केवल यह है कि क्या उस प्रावधान को हम प्रदेश के अंदर रखें। जहाँ उन बहुत से प्रकरणों पर इस विधेयक के मुताबिक जाँच के पश्चात् कार्यवाही करने का मुख्यमंत्री का दायित्व है और उसे अधिकार है अगर प्रदेश के अंदर भी वह भी इस परिधि में आ जायेगा तो जो तर्क दिया गया है उसकी कार्यवाही करने की सक्षमता पर कुछ थोड़ी कमी आ सकती है इसलिए प्रदेश के अंदर

होने वाले इस प्रकार के विधेयक के अंदर ऐसा प्रावधान नहीं रहना चाहिए। यह प्रावधान निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर ही होना चाहिए।

श्री शीतला सहाय : मुख्यमंत्री आधा मिनिट देंगे मुझे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी की भावना का बड़ा सम्मान करता हूँ कि कहीं-न-कहीं ऐसा प्रावधान होना चाहिए और कदाचित केन्द्रीय सरकार जाग जाए और वहाँ इस प्रकार का प्रावधान हो जाएगा तो इस भावना की पूर्ति हो जायेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इसमें मुख्यमंत्री सम्मिलित नहीं होता तो इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई एक्शन ही नहीं लिया जा सकता। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कोई मंत्रिपरिषद का सदस्य अन्यथा न समझे को-आर्डिनेंस में अधिकांश फाइल्स जिसमें बड़े मुद्दे का निर्णय करना होता है, मुख्यमंत्री के पास जाती है। आप मान लीजिए कि शराब का मामला है। सेपरेट रेवेन्यू के मिनिस्टर के ऊपर मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। दूसरा उदाहरण कोई डीन का मामला आया और तत्संबंधी मिनिस्टर इंचार्ज ने उस पर निर्णय करके मुख्यमंत्री को भेजी और मुख्यमंत्री अपने दस्तखत इसीलिए बना दिए करते हैं कि उनके एक प्रमुख व्यक्ति ने उसका पूरी तरह से परीक्षण कर लिया है। अब कुछ समय पश्चात् यह मालूम होगा कि उसमें बदनीयती थी, तो इस मंत्री के खिलाफ इस कानून को नहीं ले सकते क्योंकि जैसे ही एक्शन लेने का सवाल आएगा वह कहेगा कि निर्णय मैंने जरूर किया है लेकिन यह निर्णय चूँकि मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुमोदित है इसलिए मुख्यमंत्री जी द्वारा एप्रूव हो चुका है। इसलिए इस कानून के परव्यू के बाहर की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को जानते हैं कि बहुत सारे केसेज कोआर्डिनेशन में उनके पास आते हैं। बहुत सारे केसेज में मन्त्री लोग चर्चा करके उस चर्चा को फाइल रिकार्ड करके निर्णय लिया करते हैं। इस प्रकार से अधिकांश केसेज इस कानून की परव्यू के बाहर निकल गए तो हमारा इस कानून बनाने का मंतव्य नहीं रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जो एक अच्छा काम करना चाहते हैं उसका मंतव्य समाप्त हो जाएगा। इस दृष्टि से मुख्यमंत्री का रहना इस कानून में बहुत जरूरी है।

Book No.....
Date
26924

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है और मैं और कुछ कहना उपयुक्त नहीं समझता क्योंकि इस प्रावधान का सक्षम रूप से उपयोग हो तो वही अपने आप में बहुत बड़ा कदम होगा। आपका यह संदेह कि मैं इस विधेयक को पास करके फिर ठंडे बस्ते में डालने वाला हूँ, ऐसी हमारी कदापि मंशा नहीं है। हमारे दल ने सोच समझकर यह निर्णय लिया है और उस निर्णय को कार्यरूप में परिणित हो जाने के बाद विधानसभा द्वारा पास हो जाने के बाद हम प्रभाव में लाने के लिए केन्द्रीय शासन के समक्ष जाएँगे और मुझे पूरा भरोसा है कि हमें अनुमति मिलेगी। जहाँ तक शीतला सहाय जी ने कोआर्डिनेशन की बात कही यह नीति विषयक केसेज हैं। ये केसेज उन प्रकरणों में नहीं आते। जो प्रकरण किसी भी माननीय मंत्री के कार्यक्षेत्र में पूरी तरह से होता है इसलिए किसी नीति विषयक प्रश्न पर औचित्य और अनौचित्य के बारे में विचार करने का लोक आयुक्त को वैसे भी अधिकार नहीं होना चाहिए। यदि नीतियों के बारे में वह विचार करने लगेंगे तो फिर विधानसभा किस बात के लिये है। नीतियों के बारे में रिजेक्ट करने या एक्सेप्ट करने का अधिकार तो विधानसभा को होना चाहिये। यदि कोई ऐसा प्रकरण आयेगा जहाँ पर किसी माननीय मंत्री महोदय के द्वारा या किसी अन्य सदस्य द्वारा उसके कार्य के बारे में समीक्षा करनी है वही मैं कह रहा हूँ, यदि मुख्यमंत्री उसके बाहर रहेगा तो वह यह कह सकता है कि उसके बावजूद भी इस पर कार्यवाही होनी चाहिए और इसलिए मैं कहता हूँ कि .....

श्री शीतला सहाय : सवाल इस बात का है कि प्रभावी बनाना है तो आप ही आदरणीय नहीं सुनेंगे तो आगे कहाँ सुनवाई होगी। अब वह शराब के मामले में तो आपके पास भी रही है और वित्तमंत्री जी के पास भी रही है।

श्री अर्जुनसिंह : आप तो शराब के मामले में आ गए। शराब से आपको इतना मोह क्यों है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूँ कि इस पृष्ठभूमि से इस विधेयक को पारित करके इस प्रदेश को स्वच्छ प्रशासन देने की जो कॉंग्रेस पार्टी की मंशा है उसको यह सदन स्वीकार करेगा।

उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोक आयुक्त विधेयक 1980 पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

खण्ड 2

श्री राधारमण भार्गव (सिरोंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खण्ड 2 में इस प्रकार संशोधन किया जावे— (एक) पद (ख) के उप पद (चार) में (क) शब्द "वैयक्तिक रूप से या" के पश्चात् शब्द "उसकी ओर से" स्थापित किये जायें।

(ख) शब्द "उसकी ओर से" का लोप किया जाये।

(ग) स्पष्टीकरण में शब्द "पुत्रियाँ" स्थान पर शब्द "अविवाहित पुत्रियाँ" रखे जायें एवं अन्त में शब्द "जो उसके साथ संयुक्त रूप से निवास करते हैं" जोड़े जायें।

(दो) पद दो के उप पद (छ) की मद (दो) के पश्चात् निम्नलिखित शब्द स्थापित किये जायें—

(तीन) मध्यप्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों के उपकुलपति, सचिव तथा तकनीकी संस्थाओं के प्राचार्य।

उपाध्यक्ष महोदय, जो मूल विधेयक है उसमें जिसकी कि गाँव में धन सम्पत्ति या संसाधन हैं या उसके कुटुम्बी में धन संपत्ति संसाधन हैं इसमें उसकी ओर से जो शब्द लिखा गया है वह बाद में लिखा गया वह पहले होना चाहिये। इससे जो परिवार का अर्थ निकलता है उसके द्वारा अन्य व्यक्ति के लिए जो कुटुम्ब का सदस्य है उसके लिए नहीं है। तो यह छोटा-सा संशोधन है इसको मुख्यमंत्री जी को स्वीकार कर लेना चाहिये। फिर उसके बाद स्पष्टीकरण में पुत्रियों के स्थान पर शब्द अविवाहित पुत्रियाँ रक्खे जावें क्योंकि पहले तो वे पुत्रियाँ रहीं तो शरीक रहीं और बाद में पत्नी हो गईं तो भी शरीक रहीं। इसलिए मैंने यह किया है इसमें कि पुत्रियों के स्थान पर अविवाहित पुत्रियाँ शब्द रक्खा जावे। इसके अलावा मध्यप्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों के उपकुलपति तथा तकनीकी संस्थाओं के प्राचार्य, संशोधन (तीन) में किया गया है। क्योंकि देखने में यह आया है कि विदिशा में वहाँ के प्राचार्य को समिति ने हटा दिया लेकिन फिर भी वे बने रहे। इसलिए यह जो संशोधन मैंने रक्खा है इसको जोड़ा जावे तो अनुचित न होगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि यह जो मैंने खण्ड दो में संशोधन प्रस्तुत किया है इसको वे स्वीकार करेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तावित किया है उसमें जो (ग) में स्पष्टीकरण का संशोधन किया है कि पुत्रियाँ के स्थान पर शब्द अविवाहित पुत्रियाँ और अन्त में शब्द जो उसके साथ संयुक्त रूप से निवास करते हैं— इसको स्वीकार करने में मुझे कोई एतराज नहीं है।

उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में इस प्रकार संशोधन किया जाये। (एक) पद (ख) के उप पद (चार) में (क) शब्द "वैयक्तिक रूप से या" के पश्चात् शब्द " उसकी ओर से" स्थापित किये जायें। (ख) शब्द "उसकी ओर से" का लोप किया जाये।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में इस प्रकार संशोधन किया जाये—

(ग) स्पष्टीकरण में शब्द "पुत्रियाँ" के स्थान पर शब्द "अविवाहित पुत्रियाँ" रखे जायें एवं अन्त में शब्द "जो उसके साथ संयुक्त रूप से निवास करते हैं" जोड़े जायें।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में इस प्रकार संशोधन किया जाये—

(दो) पद 2 के उप पद (छह) की मद (दो) के पश्चात् निम्नलिखित शब्द स्थापित किये जायें—

"(तीन) मध्यप्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों के उपकुलपति, सचिव तथा तकनीकी संस्थाओं के प्राचार्य।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

श्री शीतला सहाय (लश्कर पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खण्ड 2 में इस प्रकार संशोधन किया जाये—

उपधारा (ख) में— (1) पद (चार) के उपरान्त निम्नलिखित पद अन्तः स्थापित किया जाये, अर्थात्—

(पाँच) ऐसा लोक सेवक जो कुप्रशासन का दोषी हो।

(2) उपधारा (ङ) के अन्त में निम्नलिखित शब्द अन्तःस्थापित किये जायें अर्थात्—
"एवं पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, पूर्व राज्यमंत्री, पूर्व उपमंत्री एवं पूर्व संसदीय सचिव।"
(3) उपधारा (झ) के अन्त में शब्द आता है के पूर्व निम्नलिखित शब्द अन्तःस्थापित किये जायें, अर्थात्—
"पूर्व मुख्य सचिव, पूर्व अपर मुख्य सचिव, पूर्व सचिव और उसके अन्तर्गत कोई पूर्व अपर सचिव तथा विशेष सचिव।"

मैंने अपने भाषण में उस समय यह बात बहुत स्पष्ट नहीं की थी लेकिन मैं श्रीमान् के सामने अब यह निवेदन करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के जो लोक आयुक्त जस्टिस कोतवाल थे उनसे मेरी चर्चा हुई थी जब प्रवर समिति के सदस्य के रूप में गया था और उन्होंने बताया था उस समय उनके कानून में इस प्रकार के कई प्रावधान थे जिससे लोग बच सकते थे और बच सकने में एक यह भी प्रावधान था कि जिन पदों को इस कानून के अन्तर्गत लिया गया था उनमें पूर्व शब्द निरूपित नहीं किया गया था और जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया था कि राज्यमंत्री के खिलाफ शिकायत आई, शिकायत की जाँच हुई, जाँच करने के बाद शिकायत सही पाई गई और जब लोक आयुक्त एक्शन लेने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बढ़े तो उस राज्यमंत्री ने अपना त्याग-पत्र दे दिया, वह पूर्व राज्यमंत्री हो गया इसलिए उसकी जाँच नहीं की जा सकती है। इसलिए लोक आयुक्त के कार्यक्षेत्र के बाहर चले जाने के कारण वह पूर्व राज्यमंत्री बच गया और जब इस प्रकार की जाँच समाप्त हो गई तो वह पूर्व राज्यमंत्री फिर से मंत्रिपरिषद में आ गया तो उस जाँच से बचने के लिए रास्ता हो सकता है। कोई आदमी अपने पद से त्याग-पत्र देकर मंत्री पद छोड़ दे और कार्यक्षेत्र के बाहर चला जाये।

श्री बालकवि बैरागी (खाद्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं शीतला सहाय जी से पूछना चाहूँगा कि वे कौन से देश की बात कर रहे हैं, इसी देश की कर रहे हैं?

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, मैं तो काँग्रेसी राज्य की बात कर रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आप 12 बजे की बात न देखें तो नाम भी मालूम पड़ जायेगा। बैरागी जी अभी 20 अप्रैल में देर है फिर हम आप देखेंगे।

(व्यवधान)

श्री शिवकुमार श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय, शीतला सहाय जी ने कल इस विधेयक पर बोलते हुए समय शब्दशः यही बात कह चुके हैं, उन्हीं बातों और तथ्यों को वे पुनः दोहरा रहे हैं तो वे कौन-सी बात करना चाहते हैं। अगर उनको यह बात बोलना थी तो उनको कल संयम रखना था सदन का समय दो-दो बार खराब कर रहे हैं। शीतला सहाय जी जैसे विद्वान, सम्मानीय सदस्य के लिये यह बात उचित नहीं है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/11 अप्रैल 1981, पृष्ठ/ 3360-3365)

विधानसभा का पावस सत्र 27 अगस्त 1981 को प्रारम्भ हुआ। अध्यक्ष श्री यज्ञदत्त शर्मा पीठासीन हुए। 29 जून 81 को मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो चुका था। कुछ नये मंत्री शामिल हुए। कुछ के विभागों में परिवर्तन हुआ। कुछ उपमंत्री और संसदीय सचिव जोड़े गये और कुछ को मंत्रि मंडल से जुदा कर दिया गया।

पहले ही दिन अध्यक्ष ने सदन को सूचना दी— "मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यन्त दुख हो रहा है कि 14 मई 1981 को वर्तमान विधानसभा के सदस्य श्री जोगैया मुका का तथा 11 दिसम्बर 1980 को सी.पी. एण्ड बरार विधानसभा परिषद के भूतपूर्व सदस्य श्री झुन्नीलाल वर्मा तथा 6 अगस्त 1981 को प्रमुख कम्युनिस्ट नेता श्री भूपेश गुप्त का मास्को में तथा 21 अगस्त 1981 को गांधी विचारधारा के प्रमुख व्याख्याता वयोवृद्ध अनुयायी काका साहेब कालेलकर का 96 वर्ष की आयु में देहावसान हो गया है।"

मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित की—

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज हम इस विधानसभा के पहले दिन एक अत्यंत शोकमय वातावरण में अपना कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। विधि के विधान के समक्ष हममें से किसी का कोई वश नहीं है। हमारे इस विधानसभा के एक अत्यंत जीवंत कार्यकर्त्ता विधायक और आदिवासियों के हितों के लिये सतत् संघर्ष करने वाले व्यक्तित्व का अभाव हमें अखरेगा। श्री जोगैया, को विधायक के रूप में जल्दी पहचानने में लोगों को दिक्कतें होती थीं। उनके रहन-सहन और स्वभाव की वजह से, लेकिन इससे भी बढ़कर क्षेत्र की राजनीतिक, आर्थिक गतिविधियों को जानने वाले रहे हैं व इस बात से हम सभी भलीभांति परिचित हैं। एक कर्मठ और शांत तरीके से काम करने वाले व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपने क्षेत्र की सेवा की है। आज उनके निधन पर हम सब न केवल दुख व्यक्त करते हैं बल्कि कर्मठ साथी अपने बीच में न रहने से हम एक कमी महसूस करते हैं।

दमोह के भूतपूर्व माननीय सदस्य श्री झुन्नीलाल वर्मा के संबंध में आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने जो विचार रखे हैं वे पूर्णतः इस सदन की भावना को व्यक्त करते हैं। हममें से कुछ लोगों को उनसे मिलने के अवसर मिले हैं और हम जानते हैं कि किस तरह से सामान्य जनों के बीच में वे रहे हैं और उन विशेष मुद्दों को जो सबके जीवन को छूते हैं, वही उनके कार्यक्रम थे।

इस देश के अत्यंत ओजस्वी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों में से एक सांसद श्री भूपेश गुप्त का निधन राष्ट्रीय क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्तित्व का अवसान है जिसने अपने जीवन काल में, आजादी के संघर्ष से लेकर देश को गणतंत्र के रूप में, विश्व पटल पर लाने के लिए और गणतंत्र की स्थापना के बाद एक अत्यंत ओजस्वी सांसद के रूप में अपनी अमिट छाप इस देश के इतिहास पर छोड़ी है। भूपेश गुप्त जी अपने अंतिम क्षणों में भी अपने देश के लिये चिंतित थे, यह देश के समाचार-पत्रों से हम सबको मालूम हुआ, उसके दूसरे दिन ही उनका दुखद निधन हुआ।

पूर्व रात्रि को उन्होंने देश की प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जिसे वे भेज नहीं सके। वह इस बात का द्योतक है कि गुप्त जी किसी दल विशेष से जुड़े होते हुए भी एक विशाल, राष्ट्रीय दृष्टिकोण और राष्ट्रीय दायित्वों की प्राप्ति के लिए सदैव सजग और सतर्क रहे और उन्होंने सदैव अपने दायित्व को निभाया।

आदरणीय काका साहेब कालेलकर के संबंध में सही पूछा जाये तो हममें से शायद कोई इस बात के लिये स्वयं को इतना सक्षम नहीं मानेगा कि काका साहेब कालेलकर के व्यक्तित्व के बारे में कुछ कह सके। जो सदियों को लाँघने वाले व्यक्तित्व होते हैं वे समय, क्षेत्र और विचारों की परिधि के ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए चिंतन का जो महान काम करते हैं, उनमें से एक व्यक्ति काका साहेब कालेलकर थे।

स्वर्गीय बापू ने जिन कुछ विशिष्ट लोगों पर हाथ रखकर, प्रेरणा देकर, जमीन से ऊपर उठकर, आसमान तक पहुँचाने की कल्पना और शक्ति प्रदान की थी, उनमें से एक प्रमुख काका साहेब कालेलकर थे। यह देश, जिसे सौभाग्य मिला है कि केवल अपने देश के ही नहीं विश्व के महान व्यक्तियों की यह जन्मभूमि है इस कड़ी में भारतवर्ष ने अपने को जोड़ा है और उसने एक श्रृंखला बनाई है जिसमें काका साहब कालेलकर का स्थान अग्रणी रहेगा और यह कृतज्ञ राष्ट्र उनके प्रति न केवल अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है बल्कि उनके सिद्धांतों, उनके चिंतन और उनके मार्गदर्शन पर चलने का संकल्प भी लेता है।

इस भावना के साथ मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा यहाँ पर जो विचार व्यक्त किये गये हैं, उनके साथ अपने को, अपने दल के सभी साथियों को, इस सदन के सभी साथियों को जोड़ना चाहता हूँ।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/27 अगस्त, 1981 पृष्ठ/3)

25 अगस्त 1981 को राष्ट्रपति के समक्ष प्रतिपक्ष के नेता श्री सुन्दरलाल पटवा और कुछ अन्य सदस्यों ने मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों का ज्ञापन प्रस्तुत किया और जाँच की माँग की। इस पर 28 अगस्त 1981 को श्री अर्जुनसिंह ने विधानसभा में जो वक्तव्य दिया वह उनकी सार्वजनिक जीवन में निष्ठा और साहस का प्रमाण प्रस्तुत करता है। श्री अर्जुनसिंह ने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को अपना इस्तीफा भेजते हुए यह आग्रह किया कि यदि उनके विरुद्ध कोई भी आरोप सत्य पाया जाये तो उनका त्यागपत्र तुरन्त स्वीकार

करें। उन्होंने सदन की सदस्यता से भी अग्रिम त्यागपत्र भेज दिया। यह मर्मस्पर्शी वक्तव्य और थोड़ी-सी चर्चा यहाँ प्रकाशित है—

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्माननीय सदन का कुछ समय और सादर आपकी अनुमति, सार्वजनिक महत्व के एक विषय पर एक वक्तव्य देने के लिए चाहता हूँ।

25 अगस्त को प्रतिपक्ष के माननीय नेता श्री पटवा अपने दल के कुछ अन्य सदस्यों के साथ भारत के माननीय राष्ट्रपति से मिले और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मेरे और मेरी सरकार के कुछ अन्य माननीय सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों का एक ज्ञापन उनके समक्ष प्रस्तुत किया। यह सही है कि प्रतिपक्ष को, जैसा कि इस देश के किसी भी नागरिक को यह अधिकार है, कि वह किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगा सकता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यह सदन मुझसे सहमत होगा कि इस तरह के आरोप लगाने का कोई तथ्य पुष्ट आधार होना चाहिये क्योंकि अन्ततः इस तरह के आरोप प्रजातांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को ही प्रभावित करते हैं। दूसरी ओर मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारी प्रजातांत्रिक संस्थाओं की निष्ठा और विश्वसनीयता बनाये रखने की बुनियादी जिम्मेदारी उन पर है जो हर स्तर पर अधिकार और विश्वास के पदों पर बैठे हैं।

श्री कैलाश जोशी : यह तो ऐसा लग रहा है जैसे शैतान बाइबिल पढ़ रहा हो।

श्री अर्जुनसिंह : शैतान तो किसी वक्त आपके सिर पर सवार हो गया था।

श्री कैलाश जोशी : मैं शैतान से निपटना चाहता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : उस शैतान से निपटने में थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी मदद की थी।

सार्वजनिक जीवन में निःसंदेह यह मुश्किल है कि कोई संघर्ष और झूठे आरोपों की खरोंचों से बचा रहे, लेकिन हरेक को यह अवसर भी मिलता है कि वह सही मार्ग अपनाने की दिशा में ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक प्रयत्न करे। इस प्रयत्न में हमारा एक साथ कवच के चलना बहुत ही अविवेकपूर्ण होगा क्योंकि बहुधा हमारी आशाओं की विफलता हमारा उपहास करती है, पर इस कवच के साथ किस्मत कोई भी करवट क्यों न ले, हम हमेशा ईमान के सम्मान की पंक्ति में चल सकेंगे। मुझे यह अनुमति दी जाए अध्यक्ष महोदय, कि मैं पूरी विनम्रता से कह सकूँ कि मुझे इस सम्माननीय सदन में बैठने और काम करने का सौभाग्य 25 वर्षों पहले से अर्थात उसकी स्थापना के समय से ही मिला है। ये 25 वर्ष मेरे वयस्क जीवन का प्रायः पूरा अंश हैं। ईश्वर की कृपा और देश की नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी की अनुकम्पा से इस अवधि में एक साधारण सदस्य के रूप में, लब्ध प्रतिष्ठित मुख्यमंत्रियों की कैबिनेट के सदस्य के रूप में, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में और अब इस सदन और इस राज्य के लोगों के विनम्र सेवक के रूप में मुझे अपने दायित्वों का निर्वहन करने का सुअवसर मिला है।

मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने इस दौरान गलतियाँ की होंगी, निर्णय की ऐसी त्रुटियाँ हुई होंगी जिनसे किसी को आहत हुआ होगा लेकिन विनम्रता से किंतु ऊँची आवाज और दृढ़ मन से मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैंने इस सदन द्वारा प्रदत्त किसी भी अवसर या विशेषाधिकार का उपयोग सार्वजनिक हित के प्रतिकूल किसी निजी उद्देश्य की पूर्ति के लिये कभी नहीं किया है। इसलिए जब इस तरह का आरोप लगाया गया है तो न केवल मैं आहत हुआ हूँ बल्कि मेरा कर्त्तव्य मुझे विवश करता है कि मैं स्वयं इन आरोपों की जाँच के लिए प्रथम पहल करूँ। मैं इस संसार में जो मिला है उसमें सबसे मूल्यवान जीवन है पर उस जीवन का भी मेरे लिए कोई मूल्य नहीं अगर हमारे सम्मान पर धब्बा लगता है।

इसलिए मैं इस सदन को यह सूचित करना चाहता हूँ कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री और इस राष्ट्र की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखकर उनसे यह निवेदन किया है कि वे इन आरोपों की ऐसी विधि से और ऐसे रूप में जैसी कि वे उचित समझें जाँच करवाएँ अगर मेरे सहयोगियों में से किसी के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध किया गया तो इस बारे में उसके निर्देशानुसार उपयुक्त कार्यवाही की जावेगी।

जहाँ तक मेरा संबंध है, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री को अपने पद से अपना त्यागपत्र आज भेज दिया है और

उनसे निवेदन किया है कि जैसे ही किसी निजी लाभ के लिये अपने पद का दुरुपयोग करने का कोई मामला माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कराई गई जाँच से प्रगट हो, मेरा त्याग पत्र तुरन्त स्वीकार कर लिया जाए। इस सम्मानित सदन की सदस्यता से भी मैंने अपना त्यागपत्र उनके पास भेजा है और उनसे विनयपूर्वक यह निवेदन किया है कि इस सदन से त्यागपत्र भी कृपापूर्वक अपने पास रखें और ज्यों ही वे मेरे वर्तमान इस पद से मेरा त्यागपत्र मंजूर करती हैं इस सदन की सदस्यता से मेरा त्यागपत्र माननीय अध्यक्ष महोदय के पास स्वीकार करने के लिए अग्रेषित करने का कष्ट करें।

मैं प्रतिपक्ष के नेता और उन सब लोगों को जो इस मामले में दिलचस्पी रखते हों यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैंने यह कदम निरी साहसिकतावश नहीं उठाया है और न ही किसी को मैं चुनौती दे रहा हूँ। मैंने यह कदम सिर्फ इस वजह से उठाया है कि मैं इस देश के दूसरे करोड़ों देशवासियों के समान श्रीमती इंदिरा गांधी का एक विनम्र सैनिक माने जाने में गर्व और सौभाग्य महसूस करता हूँ। देश की सेवा में जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और नेहरू परिवार का एक सैनिक होना कोई साधारण बात नहीं है और जीवन में कुछ भी बिना दिये हम कुछ नहीं पा सकते हैं। इस सौभाग्य के लिये मूल्य चुकाना होगा और यह मूल्य खून पसीना बहाकर, परिश्रम ईमानदारी और निष्ठा से जनसेवा और कोई भी बलिदान कर सकने के लिए निरन्तर तत्परता के रूप में ही हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी जो कदम उठाने की घोषणा की है उनके माध्यम से मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जरूरत पड़ेगी तो पूरी विनम्रता के साथ विपुल मात्रा में, मैं अन्तिम मूल्य चुकाने को तैयार हूँ ताकि श्रीमती इन्दिरा गांधी के गतिशील और प्रेणादायी नेतृत्व में लोगों का एक विनम्र सेवक कहलाने के अपने विशेष अधिकार को सुरक्षित रख सकूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा (सीहोर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तत्परता से यह वक्तव्य दिया है और वक्तव्य देने में जिस साहस का प्रदर्शन किया है मैं उसकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय..... (व्यवधान)

श्री विक्रम वर्मा : यह साहस नहीं है, नाटक है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा-सा संकुचित इसलिए हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है उसमें जो वाक्य लिखा है उसके लिये मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका और सदन का और इस प्रदेश की 5 करोड़ जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सचमुच में यह प्रशंसा का पत्र होता यदि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते कि इस समूचे मामले की निष्पक्ष जाँच किसी सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाई जावे, ऐसा आग्रह करते तो कुछ समझ में भी आता।

श्री अर्जुनसिंह : मैं जरा-सा निवेदन कर दूँ कि आपका 'स्वदेश' जो पत्र निकलता है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मेरा कोई पत्र नहीं निकलता है।

श्री अर्जुनसिंह : जरा सुन लीजिए। आपका 'स्वदेश' जो पत्र निकलता है उसके आधार पर यह कहना चाहूँगा कि आप तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास से केवल जाँच के आश्वासन से ही सन्तुष्ट होकर लौट आये थे, लेकिन हमने तो प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर यह आग्रह किया है कि वे चाहे जिस तरह से इसकी जाँच करवा लें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप चतुराई से गली-कूचों से निकलकर इस तरह से प्रशंसा अर्जित करने की कोशिश न करें, हमने महामहिम से इसकी जाँच के लिए गृहमंत्री महोदय को भेजने के लिए यह आग्रह किया है। अध्यक्ष महोदय, संथानम कमेटी जो पं. जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मुकर्रर की गई थी उसकी यह सिफारिश है कि यदि किसी मामले में 10 सदस्य जाँच चाहते हैं तो उस मामले की जाँच की जानी चाहिये। हमने जो महामहिम को कहा है उसके अनुसार वे उसको गृहमंत्री जी को जाँच के लिए कह सकते हैं। हमने महामहिम से केवल यही कहा है कि आप विवश नहीं हैं, आप संविधान की रक्षा के लिए वचनबद्ध हैं इसके लिए आप केन्द्र शासन को सलाह दे सकते हैं कि इसकी जाँच की जाये, और आपकी सलाह इतना वजन रखती है कि यदि वे आपकी सलाह को नहीं मानते हैं तो उसके परिणाम उनको भुगतना होंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए श्री अर्जुनसिंह जी इतने नादान नहीं हैं कि वे इस बात को समझते न हों।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा है जरा इस पर ध्यान दीजिए। मैंने कहा है कि जिस विधि

से भी जाँच करवाना हमारी प्रधानमंत्री उचित समझें उस तरह से वे उसकी जाँच करवायें। अध्यक्ष महोदय, उनके विवेक पर हमने कोई अंकुश नहीं लगाया है। हमने प्रधानमंत्री के हाथ में पूरा मामला सौंपा है। हमें श्रीमती इन्दिरा गांधी पर विश्वास है, आपको भले ही न हो लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों को उन पर विश्वास है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं यही निवेदन कर रहा था कि यह सब प्रधानमंत्री को भेजा है। यह जाँच आप करवायें जैसा प्रधानमंत्री ने आपको कहा है। मैं आपकी बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र माँगा नहीं, आपने स्वयं त्यागपत्र भेज दिया है। वैसे ही आप स्वप्रेरणा से यह लिख करके भेजें कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश से आप न्यायिक जाँच करायें, फिर प्रधानमंत्री जाँच करायें या न करायें।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय पटवा जी, मुझे इस देश की प्रधानमंत्री और देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी के विवेक और न्यायप्रियता पर पूरा-पूरा भरोसा है।

श्री विक्रम वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी पर विश्वास है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : उसी बात को मैं फिर से आग्रह करके कहना चाहता हूँ। आप फिर भूल गये कि इसे अमेण्ड करना है। इसी सब को लेकर कहना चाहता हूँ कि इनको समझ लिया जाये। आपने उसको क्या अमेण्ड किया है। नेहरू परिवार के प्रति वफादारी, उनके प्रति निष्ठा उसके अन्दर सब लिखा गया है, वर्तमान और भावी पीढ़ी के प्रति आगे जो राजनीतिक जीवन शुरू किया है वह तो आपने इधर बैठकर ही शुरू किया है। मैं 1957 से यहीं बैठा हूँ। आपने उधर जाने के बाद ही वफादारी शुरू की, प्रारंभ से नहीं।

मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ने आपसे माँगा नहीं तलब नहीं किया है न ही आपसे इस्तीफा माँगा है आपने ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। त्यागपत्र देकर करवाइये जाँच। वैसे यह आग्रह प्रदेश की 5 करोड़ जनता का है इसके लिए आपको उनका आदर करना चाहिए। इसकी आप प्रधान न्यायाधीश द्वारा जाँच करवायें। आपने स्वप्रेरणा से जितने कदम उठाये हैं, जितने आग्रह किए हैं, उसमें इस आग्रह को आप क्यों दबा गये और क्यों छिपा गये।

मैं कहना चाहता हूँ कि आप प्रधानमंत्री को लिखिए इस बारे में कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आरोपों की जाँच करें, जो आरोप आरोप-पत्र में महामहिम को लिखे गये— एक-एक को साबित करने के लिए हम तैयार हैं। (मेजों की थपथपाहट) जो गुनाह हमने किये हैं वह सब भुगतने के लिए भी हम तैयार हैं परन्तु आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखिए हम एक-एक आरोप को साबित करके बतायेंगे और इस सदन में उठवायेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : यही बात आपने सखलेचा जी के कार्यकाल में कही होती।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/28 अगस्त, 1981, पृष्ठ/ 199-202)

29 अगस्त 1981 को ग्वालियर प्रवास के दौरान हैलीकाप्टर में आयी खराबी के कारण एक दुर्घटना टल गई। इस हैलीकाप्टर में अपने सहयोगियों के साथ मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह भी थे। वे हरिजन परिवारों के सदस्यों को सान्त्वना देने गाजीगढ़ जा रहे थे। यह घटना श्री अर्जुनसिंह के आत्मसंयम और साहसी व्यक्तित्व को प्रकाशित करती है। सदन में अध्यक्ष सहित अनेक सदस्यों ने इस घटना के सन्दर्भ में अपने विचार प्रकट किये और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट की—

अध्यक्ष : सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना से सदन के नेता मुख्यमंत्री जी, अन्य मन्त्रीगण एवं विधायकगण बच गए। वैसे यह बातें बहुत ही ऑकेजनल होती हैं जबकि व्यक्ति के ऊपर मौत नाच रही हो और वह व्यक्ति अपने विश्वास पर कायम रहे, उसका आत्मविश्वास कायम रहे, खासतौर से इस घटना में जबकि ऐसा लग रहा था कि हैलीकाप्टर पर कन्ट्रोल समाप्त हो चुका है और कभी भी वह गिर सकता है। ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना आत्मबल कायम रखा। यदि हैलीकाप्टर के अन्दर भगदड़ होती तो शायद कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। अपने आत्मसंयम से सबको बचा लिया और खुद भी बच गये। यह

प्रदेश की जनता का सौभाग्य है और यह सिद्ध होता है कि भविष्य उज्जवल है ऐसी विषम स्थिति में भी
नेता ने बहुत ही संयम से काम लेकर उचित कदम उठाया और पायलॅट को भी हिम्मत बँधाई और यान को
ग्रस्त होने से बचा लिया। एक बार पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अन्य मंत्रीगण एवं विधायकगण सभी
की कामना करता हूँ और ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ।

श्री दिनेश मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक संकल्प आपको दिया था और उसके तहत मैं
आप मुझे दो शब्द संदर्भ में बोलने की अनुमति देने का कष्ट करें।

अध्यक्ष : आप संकल्प पढ़ लें।

श्री दिनेश मिश्र (जबलपुर केन्टोनमेन्ट) : (डा. लालताप्रसाद खरे, श्री विनय दुबे, श्रीमती
श्री रामकिशन अहिरवार) यह सदन परमपिता परमेश्वर की विशेष अनुकंपा का आभारी है कि दिनांक 29
ग्वालियर प्रवास के दौरान, हैलीकाप्टर में आई यांत्रिक खराबी के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह
मन्त्रिपरिषद के सदस्य डॉ. टुमनलाल, श्री दिग्विजय सिंह, विधायक श्री हनुमंत सिंह, श्री हरिवल्लभ शुक्ल
श्री पुराणिक एवं यंत्री श्री उप्पल बाल-बाल बचे।

यह सचमुच हमारे प्रदेश का सौभाग्य था और हम सबके लिए भगवान का वरदान था कि मुख्यमंत्री
अर्जुनसिंह के अदम्य साहस एवं सूझबूझ ने पायलॅट का मनोबल बनाए रखा और एक अनहोनी घटना टल
सदन के लिये यह अत्यन्त हर्ष का विषय है कि मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह आज हमारे बीच में हैं और अपने
का निर्वहन कर रहे हैं। कर्त्तव्य परायणता की यह बेजोड़ मिसाल है कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी अपने
स्थान गाजीगढ़ में मृतक हरिजन परिवार के सदस्यों को सान्त्वना देने पहुँचे। भगवान से हमारी कामना है कि
दीर्घायु हों और मध्यप्रदेश के बहुमुखी विकास की दिशा में आपके कुशल नेतृत्व का लाभ निरन्तर मिलता रहे।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा (जावद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने यहाँ पर जो भावनाएँ
कीं, उन भावनाओं में हम पूरी तरह आपके साथ हैं कि ईश्वर ने बहुत बड़ी कृपा की और इस प्रकार की दुर्घटना
टल गई, अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री जी, किस प्रकार यह दुर्घटना हुई, इस प्रकार की
स्थिति क्यों हुई इसके बारे में एक विषद विवरण सदन के अन्दर दें तो उचित होगा, आखिर यह परिस्थिति क्यों
पैदा हुई, यह फेल्योर किस प्रकार से हुआ, हैलीकाप्टर में क्या खराबी आई? जैसा कि आप जानते हैं, अध्यक्ष
महोदय, कि स्टेट गवर्नमेंट के जितने एरोप्लेन्स हैं या हैलीकाप्टर हैं, वे सब फ्लाइट्स के पहले पूरी टेक्निकल चेक
होने के बाद ही ये रवाना किए जाते हैं। पूरा चैकअप होने के बाद जब रवाना होते हैं तो फिर इस प्रकार
फेल्योर कैसे हुआ यह भी इस सदन को जानने की उत्सुकता का विषय है कि इस प्रकार की दुर्घटना के अन्य
हमारे मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मंत्रिमंडल के सदस्यगण, विधानसभा के कई सदस्य थे, कैसे निर्माण हुई इस त्रुटि
हमारे यहाँ स्टेट के जो प्लेन्स और हेलीकाप्टर्स हैं इनके बारे में बराबर चैकअप के बारे में, उनकी ठीक व्यवस्था
या नहीं, आपको याद होगा कि इस स्थिति के अंदर अनेक बार फ्लाइंग क्लब जिसको कि मेंटेनेंस की सारी जिम्मेदारी
दी हुई होती है, उसके बारे में चर्चा होती रही है। इस स्थिति को देखते हुए और इस नाते से आवश्यक है
विवरण आना चाहिए सदन के अन्दर, इससे सदन के सभी सदस्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। हमारा प्रदेश एक
बड़ा प्रदेश है और इसके एक कोने से दूसरे कोने में बहुत दूरी का अंतर है और वहाँ पहुँचने के लिए इस प्रकार
के द्रुतगति के विमान आवश्यक हैं। आप जानते हैं कि इस प्रदेश के दूर-दूर के भाग तक पहुँचने के लिए
को केबिनेट के सदस्यों को जाने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो जाता है
यह जो दुर्घटना हुई उस पर इस सदन को माहिती मुख्यमंत्री जी दें।

जो संकल्प प्रस्तुत हुआ है हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनके हम अनुगृहीत हैं कि इस प्रकार
की दुर्घटना से मुख्यमंत्री जी, मंत्रिगण, विधायक पायलॅट तथा यंत्री बच गए, साथ ही पायलॅट के प्रति जिसने अपने
धैर्य और साहस को बनाये रखा और ठीक प्रकार से लैंडिंग कर सका, यह पायलॅट की कुशलता का द्योतक है
इसकी तारीफ हमें करनी पड़ेगी। उस हैलीकाप्टर में मुख्यमंत्री जी, मंत्रिगण, विधायकगण आदि सभी ने अपना

कर रखा। ईश्वर ने हम पर अनुकम्पा कर उस दुर्घटना से इनको बचा लिया। इसके लिये हम सभी अनुगृहीत हैं।

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, 29 अगस्त को ग्वालियर प्रवास के दौरान जो हैलीकाप्टर दुर्घटना होते-होते बची, उसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय श्री अर्जुनसिंह जी ने जिस आत्मबल का परिचय दिया वह वस्तुत: प्रशंसनीय है। यह प्रदेश का बड़ा सौभाग्य है कि उनका कुशल नेतृत्व हमें बराबर प्राप्त होता रहेगा। इसके साथ में मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रिगण थे, विधायकगण भी थे, उन्होंने भी अपना आत्मबल बनाये रखा, मैं विशेष रूप से पायलेट पुराणिक और यंत्री को भी इस बात के लिये बधाई दूँगा कि उन्होंने उस वक्त अपने संतुलन को कायम रखा। और उसी का यह निष्कर्ष निकला कि आज हम अपने बीच में मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्रिगणों और विधायकों को उपस्थित देख रहे हैं। मैं उनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ और परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनका कुशल नेतृत्व प्रदेश में इसी प्रकार बना रहे।

चौधरी दिलीप सिंह (भिंड) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ईश्वर की असीम अनुकम्पा से और हमारे इस प्रदेश के सौभाग्य से यह दुर्घटना नहीं घटी। इस संबंध में मैं आपके माध्यम से सुझाव देता हूँ कि वह पायलॅट जिसने वफादारी और जिम्मेदारी से ऐसी दुर्घटना के वक्त अपना दिमागी संतुलन बनाये रखा उसको अनुशंसा पत्र मिलना चाहिए कि उसने ऐसा काबिले तारीफ काम किया। यह बहुत आवश्यक है। दूसरे यह भी जरूरी है कि जैन सखलेचा जी ने कहा कि इस दुर्घटना की नौबत क्यों आई, इसकी जाँच केबिनेट स्तर की कमेटी के द्वारा होनी चाहिये और तथ्य विधानसभा के समक्ष आने चाहिये। हम सभी भगवान के आभारी हैं और उन बजरंगबली के जिनका पाठ किया गया जिनकी कृपा से हमारे मुख्यमंत्री जी, मंत्रिगण और विधायकगण इस दुर्घटना से बच गए।

श्री तनवन्त सिंह कीर (उपमंत्री, सहकारिता, पच्चीस सूत्रीय क्रियान्वयन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, बजरंगबली का नाम लिया और कीर साहब खड़े हो गए।

श्री तनवंत सिंह कीर : अध्यक्ष महोदय, परमपिता परमेश्वर ने इस दुर्घटना के समय आगे आकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिगण और विधायकों के जीवन की रक्षा की, इसके लिए हम सब उसके कृतज्ञ हैं और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी कठिन परिस्थिति में जबकि जिंदगी और मृत्यु का प्रश्न खड़ा होता है, जिस धैर्य और आत्मविश्वास का उदाहरण प्रस्तुत किया उससे हमें एक मार्गदर्शन मिलता रहेगा। अगले इतवार को प्रदेश के समस्त गुरुद्वारों में सब के दीर्घायु के लिए प्रार्थना की जायेगी।

श्री नर्मदाप्रसाद किंकर (खातेगाँव) : अध्यक्ष महोदय, "तुलसी अपने राम को, रीझ भजो चाहे खीज। उल्टे पड़े पर जामिहैं। उल्टी सुल्टी बीज।" इसी आधार पर उस समय जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी, मन्त्रिगण और विधायक एक भारी विपत्ति में थे श्री दिग्विजय सिंह जी द्वारा मारूति तनय का आव्हान किया गया। ऐसे मारुति नंदन जो कि हवा में झूमने वाले और उसी के वेग से चलने वाले हैं उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री, मन्त्रियों और विधायकों के जीवन की रक्षा की। ऐसे प्रभु के सामने हम नतमस्तक हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी, मंत्रिगण और सदस्यों की दीर्घायु की कामना करते हैं। जिन अंजनि पुत्र की कृपा से आपका जीवन बच गया है इसलिए उनमें पूर्ण विश्वास भाव के साथ उनके दर्शन नित्य किया करें, यही मेरा निवेदन है।

श्री हाजी इनायत मोहम्मद (मंत्री, जेल, वक्फ, उर्दू अकादमी) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम उस रब के शुक्रगुजार हैं जिसने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, साथी मंत्रियों और विधायकों को एक बहुत बड़े बवाल से निजात दी। हाजा मिन मुत्जमे रूबा थे, मेरे रब का इनाम और इमरान है। ये दोनों साथ-साथ चलते हैं। मगर हादसों में बच जाना खुदा के करम की निशानी है, "फानूस बनके जिनकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे"। हम शुक्रगुजार हैं कि अल्लाहताला ने इस शमा को रोशन रखा। शुक्रिया।

श्री कपूरचन्द धुवारा (मलेहरा) : अध्यक्ष महोदय, 29 तारीख को जो दुर्घटना होते-होते बची मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जी और बाकी मन्त्रिगण और सदस्यगण जो कि हरिजनों की रक्षा की सद्भावना लेकर वहाँ जा रहे थे और इसी सद्भावना के फलस्वरूप यह दुर्घटना होते-होते टली। भाई मिश्र जी ने जो संकल्प रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ।

श्रीमती चन्द्रकांता खोड़े (खरगोन) : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मन्त्रिगण एवं विपक्ष के ऊपर से जिस तरह दुर्घटना टली और ईश्वर ने उस समय जो हमारे मुख्यमंत्री जी को इस प्रकार से [illegible] दिया कि उन्होंने पायलॅट का मनोबल बनाये रखा और पायलॅट ने अपनी कर्त्तव्यपरायणता के साथ अपने को [illegible] करके जिस प्रकार से संभावित दुर्घटना से हमारे मुख्यमंत्री जी बचे उसके लिए ईश्वर को तो हम धन्यवाद देते ही साथ ही हम विश्वास करते हैं कि हैलीकाप्टर को सही तरीके से उतारने में मुख्यमंत्री ने धैर्य बनाये रखा, [illegible] बनाये रखा उसी प्रकार प्रदेश की डगमगाती नौका को स्थिर बनाये रखने में अपना विश्वास व्यक्त करते हुये [illegible] वर्ग की सहायता के लिए वे गए थे पूरा-पूरा संरक्षण प्रदान करके प्रगति की ओर अग्रसर करेंगे।

अध्यक्ष : क्या मुख्यमंत्री जी कुछ बोलना चाहेंगे?

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर कुछ कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि सभी भावनाओं को शब्द व्यक्त कर सकें यह सम्भव नहीं होता है। केवल इतना ही मैं निवेदन करूँगा कि सदन के सभी आदरणीय सदस्यों और इस सदन के प्रमुख रूप में आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके [illegible] विश्वास ने निश्चित ही हम सबको उस कठिनाई की घड़ी में सम्बल प्रदान किया है। आदरणीय सखलेचा जी ने जो यहाँ पर सुझाव दिये हैं और जो मंशा जाहिर की है मैं उससे पूर्णतः सहमत हूँ और मैं इसके द्वारा सदन की अनुमति से इस सम्बन्ध में कल एक विस्तृत वक्तव्य सदन में प्रस्तुत किया जायेगा।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/31 अगस्त 1981, पृष्ठ/ 231-233)

25 अगस्त 1981 को प्रतिपक्ष के नेता श्री सुन्दरलाल पटवा और उनके अन्य सहयोगियों ने राष्ट्रपति को श्री अर्जुनसिंह मंत्रिमंडल के विरुद्ध एक आरोप-पत्र सौंपकर जाँच की माँग की थी। मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को सशर्त अग्रिम इस्तीफा भेजते हुए यह आग्रह किया था कि यदि उनके विरुद्ध कोई भी आरोप सत्य निकले तो बिना देर किए उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाये। मुख्यमंत्री ने यह सूचना सदन को भी दी थी। इस पर प्रतिपक्ष के नेता श्री सुन्दरलाल पटवा ने 31 अगस्त 81 को संवैधानिक संकट का प्रश्न उठाया। सदन में यह चर्चा 1 सितंबर को भी चली। 31 अगस्त और 1 सितंबर को हुई यह दिलचस्प चर्चा यहाँ प्रस्तुत है—

श्री सुन्दरलाल पटवा (सीहोर) : श्रीमान् मैं एक वैधानिक संकट के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। मध्यप्रदेश विधानसभा में दिनांक 28 अगस्त 81, को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस सदन में अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। मैं उस वाक्य को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। "आई हैव टुडे सेंड माई रिजिग्नेशन फ्राम दिस ऑफिस टु दी आनरेबुल प्राइम मिनिस्टर।"

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने पद से अपना त्याग-पत्र दे दिया है और इसकी घोषणा उन्होंने इस सदन में कर दी है। अब यह उनके और प्रधानमंत्री के बीच का निजी पत्र व्यवहार का मामला नहीं रह गया है। घोषणा सदन में की जा चुकी है, सदन की यह सम्पत्ति है। मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 190 (3) (बी) की और आकर्षित करना चाहता हूँ।

इसमें आगे मुख्यमंत्री ने विधानसभा की सदस्यता से त्याग-पत्र देने की भी घोषणा की है। श्रीमान् संविधान का अनुच्छेद 190 (3) (बी) यह कहता है कि—

190 (3) (b) resigns by his seat by writing under his hand addressed to the Speaker or the Chairman, as the case may be and his resignation is accepted by the Speaker or the Chairman, as the case may.''

his seat shall thereupon become vacant.

अर्थात् अगर मुख्यमंत्री आपको अपने पद से त्याग-पत्र सौंप दें तो उनका त्याग-पत्र स्वीकार होने पर उनका पद खाली हो जायेगा। सब क्लाज (बी) का परन्तुक इस तरह से है—

"Provided that in the case of any resignation referred to in sub clause (b), if from information received or otherwise and after making such inquiry,as he thinks fit, the Speaker or the Chairman, as the case may be, is satisfied that such resgnation is not volunatry or genuine, he shall not accept such resignation."

अगर किसी दूसरे माध्यम से त्याग-पत्र मिलता है तो यह आश्वस्त होने की आवश्यकता हो सकती है कि अथवा वह त्याग-पत्र है अथवा नहीं। लेकिन श्रीमान्, यहाँ किसी दूसरे के माध्यम का प्रश्न नहीं है। आपके द्वारा इस सदन में अध्यक्षता करते हुए जबकि आप स्वयं इस अध्यक्ष की आसंदी पर विराजमान थे, उस समय आपको मुख्यमंत्री ने यह घोषणा पढ़कर सुनाई है कि "मैंने आदरणीया प्रधानमंत्री को अपने पद से अपना त्याग-पत्र आज दे दिया है" श्रीमान् उन्होंने यह भी इस सदन को बताया है कि "इस सम्मानित सदन की सदस्यता से भी मैंने अपना त्याग-पत्र उनके पास भेज दिया है।" उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से भी त्याग-पत्र दे दिया है। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मुख्यमंत्री पद से त्याग-पत्र देने का प्रश्न है और उससे जो स्थिति बन गई है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, कामेंट्री आन दि कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया बाई दुर्गादास बसु फिफ्थ एडीशन, के पृष्ठ 451 पर जो उल्लेख है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

"While the resignation of other ministers merely creates a vacancy, his resignation or death dissolves the Cabinet. It follows that the Prime Minister can, by a personal resignation, force a dissolution of the Government."

अर्थात् प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के बाद कैबिनेट अपने आप डिजाल्व हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 164 (2) की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसमें लिखा है—

"164 (2) The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State."

मुख्यमंत्री अपनी परिषद के साथ इस सदन के प्रति उत्तरदायी हैं। इस सदन से इनके त्याग-पत्र देने की स्थिति में वे अपने पद पर बने रह सकते हैं जबकि इस सदन का बहुमत उनके पास हो और इस सदन की स्वीकृति है। वे इस सदन के प्रति उत्तरदायी हैं। हमारे संविधान के अनुसार उनको प्रधानमंत्री सिलेक्ट करता है और न अप्वाइंट करता है। प्रधानमंत्री का इस सारी प्रक्रिया में कहीं भी दखल नहीं है। और न प्रधानमंत्री इसके लिए कहीं भी रेस्पोंसिबिल है।

अध्यक्ष : आप कितना समय लेंगे?

श्री सुन्दरलाल पटवा : 10 मिनिट।

अध्यक्ष : ठीक है सदन का समय 10 मिनिट बढ़ाया जाता है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : जब तक मुख्यमंत्री जी इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक ही वे इस सदन के प्रति उत्तरदायी हैं और वे मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं।

अध्यक्ष : क्या इस पर और भी माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे?

श्री शीतला सहाय : हाँ।

अध्यक्ष : तब क्या यह उचित नहीं होगा कि इस मैटर को डिसकस करने के लिए कल के लिए रख दिया जावे?

श्री सुन्दरलाल पटवा : मुझे सुनने के बाद आप इसको कल के लिए रख दीजिये।

अध्यक्ष : ठीक है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा किसको भेजना चाहिए था? इसके लिए संविधान में कोई निश्चित उल्लेख न होते हुए भी प्रधानमंत्री यदि अपना इस्तीफा देंगी तो राष्ट्रपति को देंगी और मुख्यमंत्री यदि अपना इस्तीफा देना चाहेंगे तो राज्यपाल को देंगे। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने बिना संविधान का ध्यान रक्खे हुए अपना इस्तीफा राज्यपाल को न देते हुए प्रधानमंत्री को भेज दिया है और उसमें यह कहा है कि यदि आप उचित समझें तो इसको आप राज्यपाल महोदय को भेज दें। यदि प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री महोदय का कोई निजी पत्र

व्यवहार हुआ होता तो तब कोई बात नहीं थी।

वह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का निजी पत्र-व्यवहार होता लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 28-8-81 को अपने इस्तीफे की घोषणा सदन में भी कर दी है कि मैंने मुख्यमंत्री पद से अपना त्याग-पत्र प्रधानमंत्री को भेज दिया है। इस स्पष्ट घोषणा के बाद मैंने श्रीमान् का ध्यान आकृष्ट किया है। कांस्टीट्यूशनली मुख्यमंत्री जी जिस सदन के प्रति उत्तरदायी हैं उस सदन में उन्होंने कहा है कि मैंने अपना त्याग-पत्र प्रधानमंत्री को भेज दिया है।

अब यदि वे अपना त्याग-पत्र राज्यपाल महोदय को दे देते तो क्या होता? राज्यपाल मुख्यमंत्री जी से कहते कि आप जब तक संविधान के तहत अन्य व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक आप मुख्यमंत्री बने रहिए और काम चलाऊ सरकार के रूप में काम करते रहिए। परन्तु यह स्थिति नहीं है। माननीय राज्यपाल महोदय ने उनको काम चलाऊ सरकार के रूप में मान्यता नहीं दी है।

अध्यक्ष महोदय, आज सारे प्रदेश को इस बात की जानकारी हो चुकी है कि माननीय अर्जुनसिंह जी ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इस समय मध्यप्रदेश में एक संवैधानिक संकट है जिसके बारे में हमारा संविधान मौन है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसको आपके सामने पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि माननीय प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री का निजी पत्र-व्यवहार हुआ होता तो बात दूसरी होती। उस पर कोई कागनीजेन्स लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस सदन में कहा है कि मैंने अपना मुख्यमंत्री पद से त्याग-पत्र प्रधानमंत्री को भेज दिया है। इसलिए अब वे न तो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर सकते हैं और न ही संविधान में इस स्थिति में उनको मुख्यमंत्री के रूप में काम करने की अनुमति दी गई है।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, आप आगे इस सदन की कार्यवाही को जारी रखें इसके पूर्व में आपसे आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि आज स्थिति यह है कि इस सदन में उनके त्याग-पत्र दे देने की घोषणा करने के बाद, प्रशासन को सूचित करने के बाद, वे संवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री नहीं हैं। उनके नेतृत्व में चलने वाली मन्त्रिपरिषद अस्तित्व में नहीं है। अब वे इस विधानसभा में वे कोई कार्यवाही नहीं करेंगे।

मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि पहले इस पर निर्णय करें और बाद में सदन की कार्यवाही जारी रखें। यह संवैधानिक संकट मेरे मत में है इसलिए मैं प्रार्थना करूँगा कि सदन को स्थगित न किया जाकर सरकार की वैधानिक स्थिति के बारे में पहले निर्णय लें और उसके बाद सदन की कार्यवाही आगे जारी रखें, इस बात की मैं अनुमति चाहूँगा।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/31 अगस्त 1981, पृष्ठ/ 428-430)

अध्यक्ष : अब आप थोड़ा शांति से बैठ जाइये। अब साढ़े तीन बजे से चर्चा प्रारम्भ होने को है, इसलिए अब मैं पुनः उस चर्चा को प्रारंभ करता हूँ।

श्री चित्रकांत जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, सभाप्रति महोदय ने मुझे व्यवस्था के प्रश्न पर बोलने की अनुमति दी थी।

अध्यक्ष : अब साढ़े तीन बजे हैं और साढ़े तीन बजे से व्यवस्था के प्रश्न पर चर्चा चलेगी।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि अभी जिनका ध्यानाकर्षण है वे तो बोल ही नहीं पाये हैं, अतः इस पर 5-10 मिनिट का समय यदि बढ़ा दिया जाये तो आपकी महानता होगी।

अध्यक्ष : रमाशंकर सिंह जी। मेरी बात मानने में आपकी महानता है।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप की बात मानने के लिये तो हम मजबूर हैं। लेकिन जिन लोगों ने ध्यानाकर्षण दिया है, वे तो अपना प्रश्न अभी पूछ ही नहीं पाये हैं, इसलिये इस पर 5 मिनिट का समय बढ़ा दिया जाये तो एक-एक सवाल हो जायेगा।

अध्यक्ष : मैं इसको इक्जामिन कर लूँगा कि क्या पोजीशन है। यदि आवश्यक हुई तो मैं कल आप दोनों को खड़ा करके फिर से सुन लूँगा।

श्री चित्रकांत जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के प्रश्न पर माननीय सभापति जी ने मुझे इजाजत दे दी थी। तो मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि दिनेश मिश्र जब अपना भाषण कर रहे थे तो माननीय सदस्य

श्री रमाशंकर सिंह ने यह कहा कि माननीय सदस्य (×××) के द्वारा मेरी आवाज को नहीं दबा सकते हैं। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

अध्यक्ष : यदि माननीय सदस्य ने यह शब्द कहा है तो मैं उसको एक्सपंज करता हूँ।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा मेरे लिये (××) शब्द का प्रयोग किया गया है जरा उसको भी देख लें।

अध्यक्ष : मैं पूरी प्रोसीडिंग को देख लूँगा। (व्यवधान) आप सुन लीजिये। आपने जितने-जितने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, मैं सबको देख लूँगा, उनका उपयुक्त इलाज कर दूँगा।

चौधरी दिलीपसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहाँ पर गोली चलाई गई वहाँ पर नागरिकों का जीवन सुरक्षित नहीं है।

अध्यक्ष : यदि आवश्यक हुआ तो मैं इसको कंटीन्यू करूँगा और आपसे राय ले लूँगा। आप मेरे कक्ष में आकर बता दीजिए मैं आपकी सब बात सुन लूँगा।

श्री शीतला सहाय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षिप्त .....

श्री कृष्णपालसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि श्री शीतला सहाय जी, आगे बोलें, किताबें बहुत देख रहे हैं, मामला कमजोर है।

श्री शीतला सहाय : जिसके सम्बन्ध में मुझे तर्क प्रस्तुत करना है, वहाँ अध्यक्ष महोदय, किताब काम नहीं करती है, तर्क भी काम नहीं करता है, केवल लाठी काम करती है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : कभी-कभी आप इसी बात के लिए बहुत कमजोर रहे हैं।

श्री बालकवि बैरागी : वैसे भी शीतला सहाय जी, आज कम बोलेंगे क्योंकि आज उनका हरतालिका तीज का व्रत है।

श्री शीतला सहाय (लश्कर पश्चिम) : यह तो माननीय अध्यक्ष महोदय, अपना सैक्स चैंज कर बैठे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बहुत योग्य मित्र डा. राजेन्द्र जी इस समय विधि राज्यमंत्री के रूप में सुशोभित है। उन्होंने जो कहा है, उस पर मैं विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के प्रश्न उपस्थित किये जायें और वे कम पढ़े हों, लेकिन सदन को गुमराह करने का कोई सवाल नहीं होता है। मेरे मित्र नये आये हैं। यहाँ आते ही गुमराह करने के लिए विशेषाधिकार भंग की सूचना देना शुरू कर दिया था, वे इस प्रकार से सदन को गुमराह करने के पक्ष में हैं। मेरा विश्वास है कि इस सदन में बैठे हुए लोग बहुत समझदार हैं और अपने क्षेत्र से चुनकर आये हैं, वे गुमराह नहीं होंगे और फिर अध्यक्ष के रूप में सुप्रसिद्ध .....

अध्यक्ष : आप तथ्य पर आइये।

श्री शीतला सहाय : राजेन्द्र जी ने नियमावली के नियम 263 की तरफ ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने नियम 263 का हवाला अनुचित दिया है, उस पर यदि कोई वक्तव्य दिया जाए तो उस वक्तव्य में जो संलग्न पत्र है उद्धरण-पत्र हैं या जिसका उल्लेख किया गया है, उसको प्रस्तुत करने का कोई सवाल नहीं आता है और न ही माना जा सकता है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा 263 (क) की ओर, "यदि कोई मन्त्री सभा में किसी ऐसे प्रेषण पत्र या अन्य राज्य पत्र को उद्धृत करे जो सभा के समक्ष नहीं रखा गया हो, तो वह संगत पत्र को पटल पर रखेगा।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा जा सकता है कि वह पत्र तो प्राइम मिनिस्टर के पास भेज दिया गया, अब कहाँ है। अध्यक्ष महोदय, मेरा फिर यह निवेदन है कि सदन के सामने कि ऐसी स्थितियों में पत्र का मतलब उसकी प्रतिलिपि से भी होता है। मान लीजिए कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने यहाँ राष्ट्र के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है और उसका उद्धरण अपने वक्तव्य में दिया है और सदन यह चाहता है कि वह पत्र प्रस्तुत किया जाये। तो अध्यक्ष महोदय, वह पत्र तो चला गया, उसकी प्रतिलिपि हर तात्पर्य के लिए है।.....

अध्यक्ष : आप यह चाहते हैं कि त्याग-पत्र सदन में पेश हो जाए? जब वे नहीं पेश करना चाहते हैं, तो क्या आप जबरन पेश करवाना चाहते हैं?

श्री शीतला सहाय : इस सरकार पर जबरन का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा तर्क यह है कि ऐसे पत्र में प्रतिलिपि सम्मिलित की जा सकती है और जब इसका उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में किया है। तो स्वाभाविक रूप से उस पत्र को जिसकी प्रतिलिपि उनके पास मौजूद है। वह यहाँ प्रस्तुत करना चाहिये।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, मस्तिष्क साफ करने के लिए कि यह सौभाग्य की बात होगी या दुर्भाग्य की बात होगी मैं उस पर नहीं जाता। आज काँग्रेस (आई) की अध्यक्ष और प्राइम मिनिस्टर एक ही व्यक्ति हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह एक व्यक्ति दो पदों पर अलग-अलग काम कर रही हैं। अध्यक्ष के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई दलीय बात कही होती तो वह, अध्यक्ष महोदय, दल के अध्यक्ष के पास जाती। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो एक बात कही है और यह कहना इसलिये लाजिमी होगा अध्यक्ष महोदय, कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राष्ट्रपति महोदय को अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया।

राष्ट्रपति भारत सरकार की सलाह पर काम करते हैं। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री पिक्चर में आते हैं और ऐसा पद जो पिक्चर में आता था, उस पद को संबोधित कर मुख्यमंत्री जी ने जब अपना त्याग-पत्र दिया तो स्वाभाविक रूप से, अध्यक्ष महोदय, वह त्याग-पत्र सार्वजनिक रूप से दिया हुआ त्याग-पत्र माना जाएगा। तब वह दलीय आधार पर दिया हुआ त्याग-पत्र नहीं माना जाएगा। आपसी सम्बन्धों में जो पत्र व्यवहार हुआ है, वह नहीं माना जाएगा। यह भी मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, इसके बाद एक और कौन-सी स्थिति निर्मित हो जाती है कि एज ए रूल स्पीकर के पास में त्याग-पत्र जाना चाहिये। .....

अध्यक्ष : स्पीकर के सामने मुख्यमंत्री अपना त्याग-पत्र दें, इसका कोई उल्लेख है। सदन के सामने का तो है।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, दोनों का ही है। सदन की सदस्यता का त्याग-पत्र, स्पीकर के पास आना चाहिये, स्पीकर के पास लिखित में आना चाहिये या मौखिक आना चाहिये। जब इस प्रकार का प्रावधान स्पष्ट न हो तो व्यवस्था करने की जरूरत है। और उसमें स्पष्ट यह है कि लिखित में आना चाहिये।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब मुख्यमंत्री जी आपकी अदालत के सामने यह बात कह रहे हैं कि मैं त्याग-पत्र इसका भी दे रहा हूँ, तो श्रीमान, आप उसका कागनीजेन्स भी ले सकते हैं, ऐसी स्थिति बन सकती है। इसके बाद मुख्यमंत्री के रूप में गवर्नर को त्याग-पत्र देना चाहिये। विपक्ष के नेता ने स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी। यह नाटक है, स्वाभाविक रूप से और कोई बात नहीं है और इसमें मुख्यमंत्री जी फँस गये हैं।

मैंने नाटक इसलिए कहा है इस शब्द का प्रयोग करते हुए मुझे बहुत दुःख हो रहा है, इस प्रदेश की करोड़ जनता जिसके सामने चार्जेज पहुँच गये। उन चार्जेज पर एक बार पर्दा डालने की दृष्टि से यह लिफाफा अग्रसर मिनिस्टर के नाम से डालकर यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि मैं त्याग-पत्र देना भी चाहता हूँ और मेरा त्याग-पत्र मंजूर भी न हो। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इस सदन के सामने यह बात आ गई कि मुख्यमंत्री जी ने त्याग-पत्र प्रस्तुत कर दिया तो, अध्यक्ष महोदय, यह सदन सर्वोपरि है। और यह सरकार और यह मुख्यमंत्री इस सदन के प्रति उत्तरदायी हैं।

जिस सदन के प्रति उत्तरदायी यह मुख्यमन्त्री और इनकी सरकार है, उस मालिक के सामने खड़े हो करके जब यह कहते हैं कि हमने त्याग-पत्र दे दिया, उसका कागनीजेंस यह मालिक ले सकता है और यह सदन आपके द्वारा काम करता है, उसका कागनीजेंस लेकर इस सरकार को आप यह मान कर चलते हैं कि काम करने का अब कोई अधिकार नहीं है। त्याग-पत्र दे देने के बाद विधिवत् यह काम ही होता तो यह कहा जा सकता था कि जब तक दूसरा कोई मुख्यमंत्री न बने, मेरी बात से कृष्णपालसिंह जी अपनी भौहें न चढ़ावें, यह काम चला सकते हैं।

लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसा संवैधानिक संकट उत्पन्न कर दिया जिसमें मुख्यमंत्री अब मुख्यमंत्री नहीं हैं और गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिये निवेदन है कि इस संवैधानिक स्थिति पर अपनी व्यवस्था दें और मुझे विश्वास है कि श्रीमान् इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और सदन में जिस प्रकार की सूचना मुख्यमंत्री ने दी और उस पर उनकी पार्टी के लोग कहने लगे कि उन्होंने घोषणा नहीं की। घोषणा वह होती है जिसको क्रियान्वित करना होता है। यह क्रियान्वित करने के मंतव्य से मुख्यमंत्री ने नहीं किया है लेकिन जब सूचना दे दी

गई तो उसका कान्फ्रिडेंस लेना बहुत जरूरी है।

उस दिन के बाद से इस प्रदेश में सरकार ने जो काम किए हैं, सब अवैधानिक हैं। ऐसी स्थिति में सदन स्थगित होना चाहिए और दूसरा नेता कांग्रेस पक्ष चुने, दूसरा नेता शपथ ले, जब तक यह विधि नहीं होती तब तक यह सरकार काम नहीं कर सकती और जो भी काम इस सरकार ने किये हैं ये अवैधानिक हैं, यही मेरा निवेदन है।

श्री मोतीलाल वोरा (उच्च शिक्षामंत्री) : अध्यक्ष महोदय, एक शेखचिल्ली था, उसने बैठे-बैठे सोचा कि मैं शादी करूँगा बच्चे होंगे दुकानदारी करूँगा और उसके बाद में उसका परिवार होगा। मैं कहना तो नहीं चाहता था पटवा जी शेखचिल्ली की तरह सोचते रहे, न कोई संकट उत्पन्न हुआ है न मुख्यमंत्री जी ने कोई त्याग-पत्र अध्यक्ष महोदय को दिया, न गवर्नर साहब को दिया है। सारी स्थितियों काफी स्पष्ट हैं। त्याग-पत्र प्रधानमंत्री को भेजा है, उसको स्पष्ट रूप से देख लें। मैं कहना चाहूँगा कि माननीय पटवा जी ने .....

श्री शीतला सहाय : जिसके तरकस में तीर नहीं होते तो वह मुँह से गालियाँ देने लगता है।

श्री मोतीलाल वोरा : मेरी स्थिति शेखचिल्ली जैसी नहीं है। आपकी स्थिति शेखचिल्ली की है। संवैधानिक संकट का नाटक जिस ढंग से रचकर पटवा जी ने कल विधानसभा में यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया और उठाने के बाद उनका यह भाषण तो माननीय जैन साहब ने पढ़ा, उसका एक छोटा-सा अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूँ—

"मुख्यमंत्री जी ने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया है और इसकी घोषणा उन्होंने इस सदन में कर दी है। अब यह उनके बीच का निजी पत्र व्यवहार का मामला नहीं रहा, घोषणा सदन में की जा चुकी है सदन की यह सहमति है। मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 190 (3) की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, उसमें आगे मुख्यमंत्री ने विधानसभा की सदस्यता से त्याग-पत्र देने की घोषणा कर दी है।"

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में माननीय पटवा जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य पर जो विचार रखे उस पर जो विचार रखे उस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। माननीय जैन साहब ने उसमें केवल एक ही उद्धरण दिया है कि मेरा त्याग-पत्र तुरन्त स्वीकार कर लिया जाये। किस संदर्भ में कहा है यह मैं बताना चाहता हूँ—

"जहाँ तक मेरा संबंध है, मैंने आदरणीया प्रधानमंत्री को अपने पद से अपना त्याग-पत्र आज भेज दिया है और उनसे निवेदन किया है कि जैसे ही किसी निजी लाभ के लिये अपने पद का दुरुपयोग करने का कोई मामला माननीय प्रधानमन्त्री जी द्वारा कराई गई जाँच से प्रकट हो, मेरा त्याग-पत्र तुरन्त स्वीकार कर लिया जाये।

इस सम्माननीय सदन के सदस्यों से भी मैंने अपना त्याग-पत्र उनके पास भेजा है और उनसे विनयपूर्वक यह निवेदन किया है कि मेरा इस सदन से त्याग-पत्र भी कृपापूर्वक अपने पास रखें और ज्यों ही मेरे वर्तमान इस पद से मेरा त्याग-पत्र मंजूर करती हैं इस सदन की सदस्यता से मेरा त्याग-पत्र माननीय अध्यक्ष महोदय, के पास स्वीकार करने के लिए अग्रेषित करने का कष्ट करें।" माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कौन-सा संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है?.....

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, कोई संकट उपस्थित हुआ है या नहीं और स्थिति बने चाहे न बने, लेकिन अगर यह त्याग-पत्र दरअसल मंजूर हो गया तो वोरा जी बाल विधवा हो जायेंगे। (हँसी)

श्री मोतीलाल वोरा : आप तो जन्म-जन्म के लिये विधवा हो गये हैं, आप मेरी फिक्र क्यों करते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह ए.आई.आर. में लिखा है.....

अध्यक्ष : यहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं।

श्री मोतीलाल वोरा : यह इलाहाबाद हाईकोर्ट ए.आई.आर. 1965 के पेज 451 (7) में लिखा है कि "रेजीग्नेशन विकम्स इफेक्टिव ओनली वेन इट इज रिसीव्ड बाय द स्पीकर।"

जब ऐसी कोई बात उत्पन्न नहीं हुई तब यह बार-बार कहना कि एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है कि मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री नहीं रहे, इस प्रदेश में दूसरी सरकार बनना चाहिए.....

श्री सुन्दरलाल पटवा : इसमें त्याग-पत्र का कोई प्रिसक्राइब्ड फार्म है क्या?

श्री मोतीलाल वोरा : माननीय पटवाजी अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है.....

श्री सुन्दरलाल पटवा : मुख्यमंत्री पद से त्याग-पत्र देने का .....

श्री मोतीलाल वोरा : सदन के सदस्य अगर स्पीकर साहब के पास त्याग-पत्र भेजें, उसका एक प्रिसक्राइब्ड फार्म होता है।

श्री विक्रम वर्मा : यह बात थी तो इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री जी त्याग-पत्र देना नहीं चाहते थे, केवल नाटक किया है।

श्री मोतीलाल वोरा : जो मनगढ़ंत आरोप आपने लगाये थे, जो राष्ट्रपति जी को आपने ज्ञापन दिया था और यह सोचा था कि हमने जिस प्रकार के आरोप लगाये हैं, वे ऐसे आरोप हैं जिसमें इस प्रदेश के अन्दर एक अजीब-सी स्थिति हो जायेगी, आपका मनसूबा पूरा नहीं हुआ। उसमें कोई भी आरोप ऐसे नहीं थे जिनमें आप कह सकते थे कि यह सही है। लेकिन आपकी आदत आरोप लगाने की है, इसलिये आपने आरोप लगा दिये। मेरी राय है कि यहाँ किसी भी प्रकार के संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है जिसके कारण पटवा जी ने प्वाइंट आफ आर्डर उठाया है, इसको यहीं समाप्त किया जाये।

श्री सुन्दरलाल पटवा : माननीय वोरा जी के कथन के अनुसार क्या मुझे अपने आपको संशोधन करना पड़ेगा। मैं तो समझा था मुख्यमंत्री जी ने सचमुच में अच्छे इरादे से और दृढ़तापूर्वक सूझबूझ से कदम उठाया है, इसलिये मैंने उठकर उन्हें कहा था कि शाबाश क्षत्रीय वीर डटे रहना, पीछे मत हटना, नहीं तो मुझे कहना पड़ेगा कि नाटक है। पर वोरा जी तो कह रहे हैं कि इस्तीफा ही नहीं दिया।

श्री मोतीलाल वोरा : मुझे यह समझ में नहीं आया कि पटवा जी कह रहे हैं कि इस्तीफा भेजा है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है और वोरा जी कह रहे हैं कि इस्तीफा दिया ही नहीं है।

श्री मोतीलाल वोरा : मुझे समझ में नहीं आया कि पटवा जी इतने बड़े संसदीय ज्ञाता हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि त्याग-पत्र देने का फार्म कौन-सा है, और कौन-सा फार्म आता है। प्रधानमन्त्री जी को और हमारे काँग्रेस (आई) के अध्यक्ष को उन्होंने भेजा है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं संशोधन कर लेता हूँ।

श्री मोतीलाल वोरा : आप संशोधन करते रहें।

श्री रमाशंकर सिंह (रौन) : त्याग-पत्र का पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश की प्रधानमंत्री को भेजा है, वह कैसा है और उसमें क्या लिखा है, यह तो सदन के सामने आना ही चाहिये, क्योंकि इस सदन के सामने उन्होंने त्याग-पत्र की इच्छा व्यक्त की है और यह कहा है कि मैंने इस प्रकार का एक पत्र श्रीमती इन्दिरा गांधी के पास भेज दिया है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में यह जो संसदीय परम्परा बनी है यह एक संवैधानिक स्थिति है। उसमें भी राज्य और केन्द्र का जो मामला है, जो संविधान में वर्णित है और कौन-कौन-सी और किस किसकी क्या सीमाएँ हैं, प्रशासकीय सीमाएँ क्या हैं, जिनका संविधान से सम्बन्ध है, यह सब स्पष्ट दिया गया है। श्रीमान् यदि आप कौल एण्ड शकधर की संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार नाम की पुस्तक के पृष्ठ 428 में देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा।

अध्यक्ष : रमाशंकरसिंह जी, जिस तरह से आज आप कौल एण्ड शकधर को साइट कर रहे हैं, अक्सर इसका उल्लेख किया करें तो कुछ काम बनेगा।

श्री रमाशंकरसिंह : इसमें जो उल्लेख किया है उससे स्पष्ट होगा कि—

"राज्यों के मन्त्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के सम्बन्ध में"

शीर्षक के तहत दिया गया है कि— "राज्य सरकारों के मन्त्रियों के विरुद्ध अगर भ्रष्टाचार के आरोप हों तो उसके सम्बन्ध में जाँच की क्या प्रक्रिया है और श्रीमान् लोकसभा में भी इस प्रकार प्रश्न हो सकते हैं या नहीं इसके सम्बन्ध में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि— "यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई आरोप लगाये गये हों तो उसके सम्बन्ध में भी जाँच की क्या प्रक्रिया हो तथा लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर इसकी जाँच की रिपोर्ट सदन में दे सकती है।"

मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, उससे स्पष्ट हो जायेगा। मुख्यमंत्री जी के खिलाफ भाजपा के द्वारा एक आरोप-पत्र प्रेसीडेन्ट को दिया गया है। उसके जवाब में सदन के सामने जो जानकारी अपने त्याग-पत्र के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखी है, वह किसी प्रकार से असंवैधानिक नहीं कही जा सकती। यहाँ पर यह कहा गया कि उन्होंने असंवैधानिक काम किया और जानबूझकर भारत की जो संसदीय परम्पराएँ हैं उनका उल्लंघन किया

है। आगे पृष्ठ 428 पर स्पष्ट बताया गया है कि—

"ऐसे लोक-महत्व के विषय के बारे में हो, जिसके सम्बन्ध में प्रशासकीय जिम्मेदारी मुख्य रूप से भारत सरकार की हो। संविधान में संघ तथा राज्य सरकारों के प्रशासकीय अधिकार-क्षेत्र की परिभाषा की गई है और उनका मुख्य रूप से परिसीमन किया गया है। ऐसे विषय हैं जहाँ केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र की स्पष्ट रूप से परिभाषा नहीं की गई या कोई ऐसा विषय हो सकता है कि उसमें दोनों की मिली-जुली जिम्मेदारी हो, राज्य सरकारों के मन्त्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के सम्बन्ध में प्रश्नों को निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। ऐसे प्रश्न, जो राज्य के मुख्यमंत्रियों के अतिरिक्त अन्य मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के सम्बन्ध में हो।" आगे इसके सम्बन्ध में लिखा है कि—

"मंत्रियों के लिये जो आचरण संहिता बनी है उसका पालन करवाना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है और मुख्यमंत्री राज्य विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी है।" आरोप-पत्र जो राष्ट्रपति जी को दिया है, उसमें मुख्यमंत्री के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से याने श्री अर्जुनसिंह जी के विरुद्ध और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध अलग-अलग आरोप हैं।

श्री कृष्णपालसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है। चर्चा तो बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन आरोप-पत्र के मेरिट के आधार पर बहस होने का सवाल नहीं उठता। जो पाइंट आफ आर्डर उठा है वह माननीय मुख्यमंत्री जी की सूचना पर कि उन्होंने इस्तीफा भेजा। वे आरोप क्या हैं और उनके बारे में प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, इसके बारे में, मैं निवेदन करूँगा कि सारी चर्चा को विषय के अन्तर्गत ही केन्द्रित रखी जाये।

श्री रमाशंकरसिंह : मैं मेरिट पर बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, उन्होंने अपने पद के प्रभाव का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार किये हैं।

अध्यक्ष : प्रेसीडेन्ट को भाजपा द्वारा जो आरोप-पत्र का मेमोरेण्डम दिया है और मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री को जो त्याग-पत्र भेजा है, इसका क्या सम्बन्ध है?

श्री रमाशंकरसिंह : उसके जवाब में ही तो यह सब कुछ हुआ है। मेरा कहना है कि आरोप-पत्र आने के पहले ही मुख्यमंत्री जी यह नौटंकी कर रहे हैं। यह नौटंकी करने की क्या आवश्यकता थी? आपने अखबारों से उसकी कागनीजेंस ले ली, नोटिस ले ली और उसके जवाब में अपना इस्तीफा भी दे दिया।

अध्यक्ष : इस्तीफा क्यों दिया, क्यों नहीं दिया, इसके सम्बन्ध में चर्चा नहीं हो रही है। सवाल यह है कि नौटंकी जो आप कह रहे हैं, तो फिर संवैधानिक संकट ही नहीं पैदा होता। फिर यह कैसे संवैधानिक प्रश्न हो सकता है? आप जो बहस कर रहे हैं, वह यह है कि वास्तव में उसकी आवश्यकता थी क्या।

श्री रमाशंकरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो विशुद्ध रूप से कानूनी स्थिति क्या बनती है, उसी पर कह रहा हूँ। माननीय राष्ट्रपति महोदय को जो आरोप-पत्र दिया गया, उसका श्रीमान् जो नोटिस लिया, जब वह उसका कागनीजेंस ले चुके हैं और उसके जवाब में इस्तीफा भेज चुके हैं, उसकी सदन में घोषणा हो चुकी है तभी इस आरोप-पत्र में जो दो प्रकार के आरोप लगाये हैं, सिर्फ उसका ही मैं वर्गीकरण कर रहा हूँ।

अध्यक्ष : आरोप-पत्र का इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसलिए वर्गीकरण कर रहा हूँ संविधान में दोनों प्रकार के आरोपों की जाँच के बारे में अलग-अलग व्यवस्था है।

अध्यक्ष : संविधान में है, यह आपने बता दिया। पर इससे हमारे मध्यप्रदेश में क्या संवैधानिक संकट है, वह मैं जानना चाहता हूँ?

श्री रमाशंकर सिंह : परंतु श्रीमान् यदि राज्य सरकार के किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के विरुद्ध केन्द्रीय जाँच या विशेष पुलिस विभाग द्वारा जाँच की जा रही है, तब तो बात दूसरी है। यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या ऐसी स्थिति है कि क्या ऐसे किसी भी आरोप पर केन्द्रीय पुलिस विभाग या जो सी.बी.आई. है उसके द्वारा यह जाँच हो रही है। तब तो समूचे आरोप-पत्र को केन्द्र के पास भेजा जा सकता था। लेकिन संसदीय परम्पराओं में स्पष्ट है कि मन्त्री

के विरुद्ध आरोपों की जाँच मुख्यमंत्री को ही करनी चाहिए।

अध्यक्ष : श्री रमाशंकरसिंह जी, मैं समझ रहा हूँ कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ।

श्री रमाशंकरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ।

अध्यक्ष : आरोप-पत्र और आपके जवाब, इसमें कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रमाशंकरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूँ।

श्री परशुराम सिंह भदौरिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना ठीक उसी तरह से है जिस तरह से कि कुरान शरीफ में एक जगह लिखा है कि नवाज मत पढ़ो। तो उसने कहा कि दूसरा हाथ उठाकर फिर कहा कि नवाइज मत करो। हमारे विपक्ष के नेता ने जो आरोप-पत्र प्रधानमंत्री को दिया है। इसमें कौन-सी संवैधानिक गड़बड़ी आ गई है।

अध्यक्ष : यह अगर भिण्ड का कोई झगड़ा हो, तो बात अलग है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप बैठ जाइये।

श्री रमाशंकर सिंह : इसका डॉ. जैन के द्वारा हवाला दिया गया है। भारत के संविधान के आर्टिकल 190-तीन-बी के द्वारा कोई भी सीट इस प्रकार वैकेंट होती है तो उसकी व्यवस्था है—

"Resigns his seat by writing under his hand address at to the Speaker or the Chairman, as the case may be, and his resignation is accepted by the Speaker or the Chairman, as there may be, his seat thereupon becomes vacant."

इसमें श्रीमान् परन्तुक है—

Provided that in the case of any resignation referred to in Sub-clause (b), if from information received or otherwise and after making such inquiry as he thinks fit the Speaker or the Chairman, as the case may be, is satisfied that such resignation is not voluntary or genuine he shall not accept on the resignation"

अध्यक्ष महोदय, रैजिगनेशन स्वतः ही आ गया है और जेन्यूइन है या नहीं है इसकी जाँच करने के लिये आपको अधिकार है। वक्तव्य में अनलेखे हैं, लिखित रूप से इस्तीफा दिया गया है। सदन में घोषणा की गई है, इस्तीफा देने की।

अध्यक्ष : आप देख लीजिये न तो मुझे ऐसा कहा है कि आपको लिखकर दे रहे हैं और न मेरे पास आया।

श्री रमाशंकरसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस्तीफा लिखने की अलग-अलग आदमी की अपनी-अपनी शैली होती है।

अध्यक्ष : जहाँ तक संविधान का सवाल है वहाँ पर अलग-अलग शैली नहीं चलती है।

श्री रमाशंकरसिंह : इसमें मजबूरी है अर्जुनसिंह जी की, यह तो इस्तीफा माना जाएगा, लिखित रूप में है, उनके दस्तखत हैं, स्पीकर साहेब को एड्रेस किया गया है, स्पीकर साहेब आश्वस्त हैं, जेनाइन है, वालेंटरी है, मैं कहता हूँ कि.....

अध्यक्ष : इसमें से एक भी बात पूरी होती है?

श्री रमाशंकरसिंह : सभी पूरी हो रही हैं। उन्होंने वक्तव्य दिया, आपको एड्रेस किया कि मैं वक्तव्य देना चाहता हूँ.....

अध्यक्ष : मुझे नहीं कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, न लेखी में, न मुँह जुबानी।

श्री रमाशंकर सिंह : जो वक्तव्य दिया गया, वह आपको एड्रेस किया, लिखित रूप से दिया, उसके नीचे दस्तखत थे, स्वतः सदन में कहा, जेनाइन है, मैं आपसे कहता हूँ.....

श्री विक्रम वर्मा : राज्यपाल जी से कह दीजिए कि दूसरे मुख्यमंत्री को शपथ दिला दें।

अध्यक्ष : मैं आपका नाम लूँ कि अपना लूँ, यह बता दें।

श्री विक्रम वर्मा : हमारा सवाल आयेगा तब हम आपस में तय कर लेंगे, आप कार्यवाही तो पूरी कर लीजिए।

श्री रमाशंकरसिंह : आप भी यही मानते हैं, सदन मानता है कि मुख्यमंत्री व राज्य मंत्रिमंडल सिर्फ इस सदन के प्रति उत्तरदायी है। अगर सदन के सामने कोई वक्तव्य दिया गया तो, सदन की प्रापर्टी है। जितना पत्र व्यवहार उसके सम्बन्ध में है, नियम 263 के तहत सम्पूर्ण पत्र व्यवहार यहाँ आना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट नहीं होता है कि मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री को आरोपों की जाँच के लिए जो अनुरोध किया है उसी में एड्रेस है या अलग से त्याग-पत्र प्रेषित किया है।

यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि यदि मैं आपसे श्रीमान् प्रश्न करना चाहता हूँ कि आरोपों की जाँच में यदि साबित हो गया कि दोषी है, इन्होंने अलग से त्याग-पत्र नहीं दिया तो क्या वही पत्र जिसमें आरोपों की जाँच के लिए सशर्त त्याग-पत्र भेजा गया, उसी को त्याग-पत्र मानकर इस्तीफा मंजूर करेंगे?

इसलिये इस नौटंकी का एक्सपोज होना जरूरी है। पोलिटिकल जगलरी कर रहे हैं, इसका एक्सपोज होना जरूरी है। इसके साथ-साथ श्रीमान्, चूँकि आप अध्यक्ष हैं, प्रत्येक सदस्य सदन से इस्तीफा देने के लिए आपको रिक्वेस्ट करेगा, इसलिए आप इतना तो कर सकते हैं, सदन की सदस्यता से उनके अनुरोध को स्वीकार कर लें। यह जो इस्तीफा है, यह जैनाइन है, वास्तविक है कि पालिटिकल जगलरी है, दोनों में से आप क्या समझ रहे हैं?

अध्यक्ष :

श्री रमाशंकर सिंह : मैं तो स्वयं कह रहा हूँ कि स्वतः दिया गया है।

अध्यक्ष : आपका कहना है कि जैनाइन है, स्वप्रेरणा से दिया गया है। नौटंकी है कि वास्तविक है?

श्री रमाशंकर सिंह : वास्तव में इस्तीफा दिया गया है, इसे मान लेना चाहिए।

श्री कृष्णपालसिंह : भाई रमाशंकर सिंह जी को गलतफहमी है, ये समझते हैं कि मुस्लिम लॉ में जैसे किसी महिला ने तीन बार कह दिया तलाक, तलाक, तलाक तो तलाक हो गया, वैसा यह इस्तीफा नहीं है, इस्तीफे की एक प्रक्रिया है।

श्री रमाशंकरसिंह : की तो थी नौटंकी, लेकिन फँस गये। इंदिराजी सभी का इस्तीफा मंजूर करती हैं, जो इनके पास जाते हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आर्टिकल 190 के तहत वह जैनाइन है कि नहीं, यह तय करना आपका जूरिडिक्शन है, रमाशंकरसिंह जी का नहीं।

अध्यक्ष : उनका क्या स्टैण्ड है?

श्री रमाशंकर सिंह : जैनाइन है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में आपको सम्बोधित करते हुए कहा है कि मैंने सदन की सदस्यता से भी अपना त्याग-पत्र दे दिया। इसलिए आपको तो काग्रीजेन्स हो गया, न लेने का प्रश्न नहीं। आर्टिकल 103 लागू हो गया, आप जाँच करेंगे कि रजामंदी से दिया गया या जोर जबर्दस्ती से दिया गया।

आप अभी उन्हें उठाकर उनसे पूछ लीजिये कि उन्होंने इस्तीफा रजामंदी से दिया था या जोर जबर्दस्ती से? एक मिनिट में फैसला हो जावेगा। संविधान का जो 190 आर्टिकल है उसके अन्तर्गत आपके सामने लिखकर दिया जाता है। पर उन्होंने खड़े होकर 320 सदस्यों के सामने अपना जवानी निवेदन कर दिया कि श्रीमान् मैंने अपना त्याग-पत्र दिया है इतना ही नहीं सदन की सदस्यता से भी त्याग-पत्र दिया। और अब यह जुरिडिक्शन आपके हाथ में आ जाता है। अब उनके हाथ में डिसीजन नहीं है। सदन के मेम्बर्स निर्णय दे सकेंगे जब आप यह कहें कि इन्होंने इस्तीफा रजामंदी से नहीं दिया और जोर जबर्दस्ती से इन्होंने अपनी मर्जी के खिलाफ दिया है।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है। मैं निवेदन करूँगा कि अब मैं दो मिनिट इस पर कहकर चर्चा समाप्त करूँ और आप अपनी रूलिंग इस पर दें।

अध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि इस पर पर्याप्त चर्चा हो गई। अब मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहूँगा।

श्री रमाशंकरसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे थे कि आप सभी सदस्यों को सुनेंगे।

अध्यक्ष : (श्री दिनेश मिश्र से) मैंने आपका नाम पुकारा था पर आप गुमराह थे। (हँसी) आप राज्यमंत्री जी के पास बैठे थे इसलिए आपकी स्थिति ऊँची है। (हँसी)

श्री दिनेश मिश्र (जबलपुर केन्टोनमेंट) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज चार दिन से गूंगों के रुदाप की तरह, जिस तरह गूंगे विलाप करती हैं, उसी तरह विरोधी पक्ष के सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी की मर्दानगी पर विलाप कर रहे हैं। आज 4 दिन से शुद्ध हिन्दी में कहना चाहता हूँ कि—

"A blind man observing a black cat in a dark room"

"एक अंधा आदमी अंधेरे कमरे में काली बिल्ली देख रहा है।" कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया।.....

एक माननीय सदस्य : आर्टिकल भी देखिये।

श्री दिनेश मिश्र : अभी आप ठहरिये। आर्टिकल भी बताऊँगा। एक लॉयर होने के नाते कह रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय,

Every offence needs to pass three stages. First is intention second is preparation and third is attempt. There must be some intention on which Chief Minister committed to give his resignation statement in this House."

पहले तो यह समझना चाहिए कि विरोधी दल के नेता और सदस्यों को कि वह कौन से परिस्थिति कौन-सी परिस्थितियाँ थीं, जिनके कारण एक आदमी को इतना जलील किया, इतना धिक्कारा है कि क्रोध में प्रसन्न होते हैं तो मैं अपना वक्तव्य दे देता हूँ। पर वह यह भूल गये कि जिस आदमी ने इस्तीफे का ऐलान दिया, वह अपनी तीन हैसियत रखता है।

एक तो वह अर्जुनसिंह की हैसियत रखता है, दूसरे वह कांग्रेस का सदस्य है और कांग्रेस के आदर्श के नाते वह अपने देश की नेता को सर्वोपरि मानता है और अनुशासन की यह एक बेमिसाल नजीर है कि विरोधी दल के सदस्य भी उस अनुशासन का पालन करें। दूसरी श्रेणी में, अध्यक्ष महोदय, वह इस सदन के नेता हैं। सदन के नेता होने के कारण वह इस्तीफा यदि देंगे तो उनको इस बात का प्राथमिक ज्ञान है कि इस्तीफा किसको दिया जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नर ही राज्य का हैड होता है और उसी को त्याग-पत्र देना, यह फर्ज होता है, कर्तव्य होता है।

दूसरी ओर, अध्यक्ष महोदय, बड़े जोर-जोर से प्रचार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि जब इस्तीफा कन्डीशनल दिया जाता है तो वह इस्तीफा नहीं माना जाता। इस बारे में एक नहीं हाईकोर्ट की तथा सुप्रीम कोर्ट की सैकड़ों रूलिंग हैं, जिनके अनुसार जो भी रेजिग्नेशन कन्डीशनल दिया जाता है वह रेजिग्नेशन नहीं माना जाता।.....

अध्यक्ष : आप यह कहना चाहते हैं कि उनका इस्तीफा था ही नहीं?

श्री दिनेश मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने इस्तीफा दिया पर विथ सर्टेन कन्डीशन्स।..... अध्यक्ष महोदय, वह इस्तीफा है ही नहीं, इस्तीफे के स्टेटमेंट पर यह लफ्जों के रहे हैं। आखिर इस्तीफा दिया किसने है सदन के अन्दर जो स्टेटमेंट दिया, उसी पर यह बेहोश हुए जा रहे हैं माथे से सिन्दूर पोंछ लिया और उनकी हालत मंथरा की हो रही है "कोई नृप होय हमें का हानि, चेरी छोड़ कि होइ को रानी।"

यह क्यों अपनी चूड़ियाँ फोड़ रहे हैं। (हँसी) अगर मुख्यमंत्री दूसरे कोई बनेंगे तो हममें से बनेंगे, आखिर क्यों रंडापे को रो रहे हैं। दूसरे के नाम पर भी सुहाग लेने को बेकरार हो रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि.....

अध्यक्ष : इस्तीफा तो है, लेकिन सशर्त है। यह इस्तीफा नहीं है, यह तो मुख्यमंत्री से पूछ लीजिये?

श्री दिनेश मिश्र : सदन में वक्तव्य दिया है। इस्तीफा अपनी जगह है। प्रधानमंत्री को, अपने नेता को इस्तीफा दिया।

अध्यक्ष : आप यह कहिये कि सदन में रिपरकेशन्स नहीं हो सकते।

श्री दिनेश मिश्र : अध्यक्ष महोदय, यह मध्यप्रदेश में दूसरा मामला है। पहले मैंने इस्तीफा दिया था। सूप बोले सेट और मेरे ऊपर जुल्म किये, तब मैंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा भेजा था कि यहाँ पर ज्यादतियाँ हो रही हैं, झूठों सितम किया गया। आप मुझे इजाजत दें कि मैं इस्तीफा दे दूँ। कोहैशन के तहत, ग्रेडेशन के तहत इस्तीफे होते हैं, हमारे मुख्यमंत्री में नैतिकता है, हमारी कॉंग्रेस पार्टी में इतनी नैतिकता है कि मुख्यमंत्री ने अपनी मैडम को, प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे दिया, अपने व्यक्ति को दिया है। सखलेचा जी के ऊपर भी आरोप लगे थे, राष्ट्रपति ने शासन भी किया था। वे यहाँ बैठे रहे चरित्र हत्या की बेमिसाल नजीर है। "सूप बोले तो बोले छलनी क्या बोले, जिसमें हजारों छेद हों।

इस्तीफा किन परिस्थितियों में दिया, आप यह देखें? इस्तीफे के पीछे क्या कारण है? शर्तों के साथ इस्तीफा है, कंडीशनल रेजिग्नेशन्स है। सदन में वक्तव्य दिया तो आप कहेंगे कि सदन की विषय वस्तु हो गई। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर सदन में बलात्कार के बारे में सैकड़ों चर्चाएँ होती हैं। अध्यक्ष महोदय, (××).....

अध्यक्ष : मैं दलीलों की इज्जत करता हूँ। पर सदन में सोचना चाहिये, ऐसे उदाहरण रखना उचित नहीं।

श्री दिनेश मिश्र : प्रधानमंत्री को इस्तीफा भेज दिया है।

अध्यक्ष : आप स्पेसिफिक तुलना बलात्कार से करना चाहते हैं, यह उचित नहीं है। यह चर्चा आप बाहर करें।

श्री कृष्णपालसिंह : अध्यक्ष महोदय, उतने पोर्शन को निकाल दें तो उचित होगा।

अध्यक्ष : वही मैं कह रहा हूँ।

श्री दिनेश मिश्र : जैसा वक्तव्य दिया गया है कि ऐसा ऐसा डाका डाला तो माननीय विरोधी दल के नेता यह न कहने लग जावें कि डाका शब्द सदन में आ गया है, डकैती शब्द आ गया है, गोली रिवाल्वर शब्द आ गया है अतः यह इस सदन की विषयवस्तु हो गई। वक्तव्य के माध्यम से मुख्यमंत्री कहना क्या चाहते हैं, उसे जानबूझ कर नजरअंदाज करना चाहते हैं और सदन में एक नया शिगूफा छोड़ना चाहते हैं।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस्तीफा देते हैं तो आपके पास प्रस्तुत होना चाहिये। इस्तीफे के बारे में कोई वक्तव्य यहाँ दिया गया है, कंडीशन पूरी नहीं हुई है, जिस समय कंडीशन पूरी हो जायेगी मैं तो क्या, अर्जुनसिंह जी भी क्या, सभी उस कुर्सी को छोड़कर अलग हो जायेंगे।

जो घिनौने और गंदे आरोप लगाये हैं राष्ट्रपति और इंदिरा जी को गुमराह करने की कोशिश की गई है उसके लिये हमारा यह फर्ज होता है, हमारी पार्टी के सदस्यों का और मुख्यमंत्री का कि सही तस्वीर राज्य को सौंपें और मुख्यमंत्री ने जो किया उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं।

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सही अर्थों में तो मैं इस विषय पर कुछ बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरी ओर से यह धृष्टता होगी कि जिस विषय को देश की प्रधानमंत्री के हाथों में सौंपा है, उस बारे में अब मैं कोई टिप्पणी करूँ हमें इसलिये आपकी अनुमति लेना पड़ी क्योंकि संवैधानिक संकट की बात कहकर जो हमारे दल पर और मुझ पर इस प्रशासन को संवैधानिक रूप से चलाने का दायित्व है, उसके बारे में प्रश्नचिन्ह उपस्थित किया गया। केवल इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि वह मेरा कर्त्तव्य है कि इस प्रकार का भ्रम किसी के मन में न रहे और इस प्रदेश के शासन को संचालन करने में किसी को भी लेशमात्र शंका न हो।

जहाँ तक किसी व्यक्ति के या जिन लोगों ने यहाँ विचार व्यक्त किए, मैं उनके मंतव्य की ओर नहीं जाता हूँ और न मैं कोई बहुत बड़ा कानूनदां हूँ, इसलिये हो सकता है मैं बार-बार संविधान की धाराओं और अलग-अलग चीजों का उल्लेख न कर सकूँ। लेकिन जो कुछ इस देश में गणतन्त्र के गठन के बाद इस देश के अन्दर अलग-अलग प्रांतों में, विभिन्न परिस्थितियों में, अजीबोगरीब परिस्थितियों में, कभी-कभी जो निर्णय लिये गये, जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं, जिनके आधार पर कार्यवाही की गई, मैं आपकी अनुमति से सदन का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट दिलाना चाहता हूँ।

अपने गणतन्त्र का जो विधान है, वह फेडरल स्ट्रक्चर का विधान है और मोटे तौर से मैं जो उसकी परिधि और व्याख्या जानता हूँ न केवल कानून के आधार पर, लेकिन अब तो इस संविधान को देश में लागू हुए कई दशक हो गये हैं और अलग-अलग समय पर इसी विधान के अन्तर्गत कार्यवाहियाँ हुई हैं। इसलिये एक बात तो स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं कि किसी भी प्रदेश के सम्बन्ध में केन्द्रीय शासन को, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, किसी मन्त्री या मुख्यमंत्री या शासन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जाँच बिठाने की कार्यवाही करने का संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार का उपयोग संविधान के लागू होने के बाद से एक दफा नहीं कई दफा इसमें किया गया है। मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता, यह सर्वविदित बात है कि.....

श्री रमाशंकरसिंह : जम्मू-कश्मीर जैसे राज्य के लिए प्रधानमंत्री के पास क्या अधिकार है?

अध्यक्ष : जम्मू-कश्मीर का मामला कहाँ बीच में आ गया?

श्री रमाशंकरसिंह : उसके लिये स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यदि राज्यों के मन्त्रियों के विरुद्ध पुलिस की या सी.बी.आई. की जाँच चल रही है तो वह मामला वहाँ जायेगा, लेकिन राज्य के प्रशासन क्षेत्र के बारे में सीधी जाँच नहीं हो सकती।

अध्यक्ष : जब जम्मू-कश्मीर का प्रश्न आया नहीं है, तो वहाँ क्यों जायें।

श्री रमाशंकरसिंह : अध्यक्ष महोदय, कोई भी आदमी 'स्वीपिंग रिमार्क' कर दे और हम.....

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं रमाशंकर जी को संतोष देने के लिए अपने को सुधार लेता हूँ। लेकिन शायद ऐसी नौबत नहीं आयेगी कि वे मध्यप्रदेश को भी बाहर ले जायें। मैं यह कह रहा हूँ कि वे अधिकार केन्द्र शासन को प्राप्त हैं और उनका उपयोग प्रधानमन्त्री ही कर सकती हैं। यहाँ पर स्थिति यह थी कि हमारे विरोधी दल के नेता ने देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक आरोप-पत्र दिया जो मेरे और मेरे शासन के विरुद्ध था।

मैं समझता हूँ कि वह आरोप-पत्र केवल समाचार-पत्रों में छपवाने के लिये तो नहीं दिया गया था, केवल विधानसभा में कीचड़ उछालने के लिए तो नहीं दिया गया था, मैं माननीय विरोधी दल के नेता और उनके साथियों की मंशा पर विश्वास करता हूँ कि उन आरोप-पत्रों के माध्यम से उन आरोपों की जाँच करवाना ही उनका उद्देश्य था। यदि यह उद्देश्य था तो निश्चित रूप से जाँच की कोई प्रक्रिया तो निर्धारित होगी, जाँच हवा में तो नहीं होगी। उस प्रक्रिया के निर्धारण के लिये कौन जवाबदार होगा?

राष्ट्रपति महोदय को आरोप-पत्र दिया गया है, उन्होंने स्वयं विरोधी दल के नेता से कहा कि गृहमंत्री के माध्यम से मैं इसकी जाँच करवाऊँगा। उन्होंने इसको इतना गम्भीर समझा जैसा कि विरोधी पक्ष के नेता ने स्वयं सदन में बताया। गृहमन्त्री अपनी कोई अलग इकाई नहीं रखता, गृहमन्त्री मतलब केन्द्रीय शासन और केन्द्रीय शासन की मुखिया प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाधी के रूप में है।

प्रधानमन्त्री के ही द्वारा राष्ट्रपति महोदय जाँच करवाना चाहते थे, ऐसी मंशा विरोधी दल के नेता ने जाहिर की। हमारी गलती सिर्फ इतनी हुई, अध्यक्ष महोदय, कि जिस प्रकार का बयान किसी दूसरे समय पर यहाँ दिया गया था कि आरोप-पत्र दिया गया है वहाँ से आयेगा, डाक के द्वारा सूचना दी जायेगी तो फिर उसके बारे में विचार व्यक्त करूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता था। इस बात को कहने के लिये, इस बात को कहकर इस विधानसभा के सत्र तक चुपचाप बचा रहता। ऐसा कह सकता था कि मुझे अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, मिलेगी तो उत्तर दूँगा।

मैंने इतनी ही गलती की कि अपनी ओर से मैंने मामला जाँच के लिये प्रधानमंत्री के पास पहुँचा दिया, क्योंकि यह राज्य का मामला था इसलिए राज्य की तरफ से हम किसी प्रकार की जाँच में रुकावट पैदा नहीं करना चाहते थे। कई राज्यों द्वारा रुकावटें पैदा की गई हैं, डिस्प्यूट हुए हैं।

सहकारिया कमीशन को ही लीजिये लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह तय हुआ है कि केन्द्रीय शासन को अधिकार है, वह संवैधानिक रूप से किसी भी राज्य सरकार के लिए जाँच बिठा सकती है इस प्रकार प्रधानमंत्री के हाथ में राष्ट्रपति के द्वारा जाँच का कार्य दिया गया है, तो मैं उस जाँच का स्वागत करता हूँ।

रही प्रक्रिया की बात तो मैं समझता हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री का इससे बड़ा अपमान और कोई नहीं हो सकता कि उनको हम यह सुझायें कि हम जाँच के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया चाहते हैं। प्रक्रिया का निर्णय वे अपने विवेक से करें और उनका वह निर्णय हमें शिरोधार्य होगा। रही बात यह कि संवैधानिक संकट किस प्रकार उपस्थित हुआ?

तो अध्यक्ष महोदय, संकट संवैधानिक नहीं है संकट धर्म संकट का है, क्योंकि जिस नाटक-वाटक की बात यहाँ की जा रही है, उस नाटक का सूत्रधार जब तक परदा उठता है, गिरता है फिर उठता है गिरता है तब तक तो माथ्य करता रहता लेकिन जब अन्तिम रूप से परदा गिरता है तो उस सूत्रधार को उस जमीन पर आकर खड़ा होना पड़ता है।

(मेजों की थपथपाहट)

अब भाषणों से नहीं विरोधी दल के नेता महोदय, प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकाल कर, जैसा आपने कहा है, आप चाहते हैं कि प्रमाणों के आधार पर जाँच हो तो जो पहल हमारी ओर से की गई है, उस पहल को आप खुले मन से स्वीकार कीजिए। वह तो आप कर नहीं सकते हैं जिस तरह से आरोप आपने लगाये थे उसके लिये जब आप चोर दरवाजा ढूँढना चाहते हैं और विधानसभा मे उठा कर विवाद खड़ा करना चाहते हैं।

अगर आप में जाँच की हिम्मत नहीं है तो आपको विधानसभा में इस तरह का भी अधिकार नहीं है। आपने जो आरोप-पत्र दिया है, उसकी जाँच के लिये मै तैयार हूँ, मैंने आपका मार्ग प्रशस्त किया है, यदि आपको इससे कोई संकट हुआ है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मै यह संकट, संकट नहीं इस बात का अवसर मानता हूँ कि हमारे दल ने, इस प्रदेश की जनता ने जो विश्वास और बहुमत के आधार पर देश की नेता प्रधानमन्त्री

मे आस्था व्यक्त की है, उसकी वजह से हम यहाँ आये हैं, उससे चोर दरवाजा ढूँढ कर हम नहीं निकलना चाहते है खुले रूप से सामने आना चाहते हैं।

आरोप जो आपने लगाये हैं, उनकी जाँच हो और उन जाँच के परिणामों के आधार पर जो भी हमको सहना पड़ेगा, उसको हम सहने को तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूँगा कि जितनी भी चीजें यहाँ उठाई गई हैं, उसमे से संवैधानिक कोई भी नहीं है, ये सदन के सामने ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ा संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। यहाँ कोई बात संविधान के आधार पर नहीं की गई है। हमारे कई सदस्यों ने स्पष्ट रूप से नियम कायदों की बाद भी बताई है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आपने चुनौती दी है और आप अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। आप कल का मेरा वक्तव्य भूल गए। आपने 28 तारीख को वक्तव्य दिया था।

श्री अर्जुनसिंह : आप तो रोज नया वक्तव्य देते हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : जाँच करने के लिये न्यायिक जाँच आयोग गठित हो, हम पूरी प्रामाणिकता के साथ, ताकत के साथ, पूरे विश्वास के साथ इन एक-एक आरोपों को प्रमाणित करेंगे। (विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

धर्म संकट किसके लिये पैदा हुआ है, यह तो वक्त बतायेगा। आप जोर से बोलकर अपनी बहादुरी प्रमाणित करना चाहते हैं। इससे सफाई नहीं होगी। यदि आप न्यायिक जाँच आयोग गठित करने का आग्रह करते तो श्रेय की बात होती। मैं फिर अपनी चुनौती पूरी ताकत के साथ स्वीकार करता हूँ। मैं प्रमाणित .....

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय.....

(व्यवधान)

श्री विक्रम वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके कहने से बैठ जाऊँगा।

अध्यक्ष : आप बैठ जायें।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये धर्म संकट में हैं। इस बात का निर्णय कि जाँच की प्रक्रिया क्या होगी यह निर्णय न तो आप कर सकते हैं, न मैं कर सकता हूँ। इस निर्णय का पूरा अधिकार प्रधानमन्त्री को है। शायद उनके पास जाने में आपको कोई कठिनाई महसूस हो रही है। आप उन्हें जाकर संतुष्ट कराइए। इस बात के बारे में आश्वस्त कराइए.....

(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : आरोप हमारे आरोप-पत्र में है.....(व्यवधान) आपके कहने से गलत नहीं है।

श्री रमाशंकरसिंह : अध्यक्ष महोदय, (××)

अध्यक्ष : अब आप बैठ जायें।.....(व्यवधान) आप सुन तो लीजिए। मुझे सुनना नहीं चाहेंगे आप?

श्री शीतला सहाय : स्टेटमेंट से साबित हो गया है कि (.....)

अध्यक्ष : आप सब पहले मुझे सुन लीजिये।

श्री रमाशंकरसिंह : अध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के .....

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सदन की परम्परा रखने के लिए यह आवश्यक है कि इन सब विवादों को सदन की कार्यवाही से निकाला जाए।

(व्यवधान)

श्री रमाशंकरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मुझे इस बात का सचमुच बहुत दुःख है कि चर्चा किस विषय पर हो रही है और हम लोग

चर्चा में कहाँ पर पहुँच गये। निश्चय ही आपने जितनी दलीलें दी हैं, उसको मैं स्वीकार करूँगा, उस पर विचार करूँगा। निश्चय ही किसी अच्छे निर्णय पर पहुँचने का हम प्रयत्न करेंगे।

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष : वर्मा जी आप सुनें।

(व्यवधान)

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रमाशंकरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष : मैं दोनों को सुनूँगा। अभी आप बैठें।

पाइंट आफ आर्डर का यह मतलब नहीं है कि मैं आपके लिए बैठ जाऊँ।

यहाँ पर जो नाम, जिस प्रकार के आरोप प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी को लेकर लगाये गये हैं, आपके द्वारा (श्री विक्रम वर्मा और श्री रमाशंकर सिंह जी की ओर इशारे करते हुए) तथा शीतला सहाय जी के द्वारा उसको सदन की कार्यवाही से एक्सपंज करता हूँ।

श्री रमाशंकरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल यह है कि ऐसा व्यक्ति आरोपों की जाँच की रूपरेखा तथा विधि के बारे में निर्णय नहीं ले सकता जिसके बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री रमाशंकरसिंह जी, आपने कहा था कि "मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूँ।"

श्री रमाशंकरसिंह : अध्यक्ष महोदय, वही तो उठा रहा हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : रमाशंकरसिंह जी आप बैठ जाइये।

श्री रमाशंकरसिंह : मेरा पाइंट आफ आर्डर आपने नहीं सुना।

अध्यक्ष : आप बैठिये। मैंने आपका पाइंट आफ आर्डर सुन लिया है।

श्री रमाशंकरसिंह : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर आपने नहीं सुना।

अध्यक्ष : मैंने सुन लिया है। आप बाहर जाइये तीन दिन के लिए।

(व्यवधान)

(अध्यक्ष महोदय के आदेश के बाद भी श्री रमाशंकरसिंह सदन से बाहर नहीं गये। मार्शल द्वारा श्री रमाशंकर सिंह जी को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। श्री रमाशंकरसिंह जी अध्यक्ष-आसन्दी की ओर से निकलते हुए अध्यक्ष-आसन्दी के पास जाकर अध्यक्ष महोदय से बोलने लगे (शब्द अश्रव्य) मार्शल ने उन्हें कुछ अन्य सुरक्षा सैनिकों की सहायता से सदन के बाहर किया।)

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो बात जिस संदर्भ में कही थी, मुख्यमंत्री जी ने अपना त्याग-पत्र प्रधानमंत्री को भेजा है, हमारी तरफ से जो आरोप-पत्र राष्ट्रपति को दिया गया है, उसकी कंडिका में एक आरोप है कि भोपाल के अन्दर .....

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : आरोप-पत्र में क्या है उसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं होगी, यह आपने ही (विरोधी पक्ष ने) कहा है।

अध्यक्ष : (श्री विक्रम वर्मा से) आपका प्वाइंट आफ आर्डर क्या है?

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी को जो ज्ञापन दिया है, उसमें एक आइटम है कि भोपाल में 10 लाख रुपये की जमीन नेशनल हेराल्ड को एक लाख रुपये में दी गई।

अध्यक्ष : आपका प्वाइंट आफ आर्डर क्या है, बताइये?

श्री विक्रम वर्मा : मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा।

अध्यक्ष : चार्जशीट जो आपकी होगी, आप सदन में रख सकते हैं। आपका संवैधानिक अधिकार है, आप

पूरे आरोप लगा सकते हैं। आप नियमानुसार सूचना देकर आरोप लगाइये। आप सूचना दे दीजिये।

श्री विक्रम वर्मा : मैं उसके मेरिट पर नहीं बोल रहा हूँ। मैंने एक घटना बतलाई और जो बात की जा रही है कि हमने जाँच के लिए प्रधानमंत्री को भेजा है तो जिस अखबार को जमीन दी है, उसमें प्रधानमंत्री की भागीदारी है, इसलिए यह जाँच का नाटक बिल्कुल गलत है। इसलिये हमारा यह कहना है कि यह भ्रष्टाचार है। इसलिए उन शब्दों को नहीं निकाला जाये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जितना आपके अधिकारों के प्रति सजग हूँ, उतना विरोधी दल के अधिकारों के प्रति सजग हूँ। यदि कुछ दुरुपयोग होगा तो वाच करूँगा। जो बातें हमारी सीमाओं के बाहर होंगी, उसको एक्सपंज कर दूँगा। आप यह नहीं मानें कि चिल्लायेंगे तभी जग जाऊँगा। मैं सबको सुनने के लिए तैयार हूँ।

श्री शीतला सहाय : प्वाइंट आफ आर्डर, मुख्यमंत्री जी, ने इन आरोप-पत्रों पर विचार हो सके, इसके लिये मा. प्रधानमंत्री के पास अपना त्याग-पत्र भेजकर उनसे कहा है कि जिस विधि से वह चाहें उस विधि से जाँच करा लें।

अध्यक्ष : आप किस तथ्य पर बोल रहे हैं, मैंने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उसको समाप्त कर दिया है।

श्री शीतला सहाय : जिन आरोपों की जाँच कराने के लिये मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री को लिखा है, अध्यक्ष महोदय, उस आरोप-पत्र में जिन-जिन लोगों पर हमने आरोप लगाये हैं, क्या वे लोग आरोप-पत्र की जाँच करा सकते हैं? स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री को हमने आरोपों के घेरे में रखा है, और जब उनको आरोपों के घेरे में रखा है, तो वे कैसे जाँच करा सकती हैं यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष : जो भी त्याग-पत्र के साथ कंडीशंस भेजी गई है या जो भी आरोप-पत्र राष्ट्रपति को दिया है, जिसकी जाँच की बात आपने की है कि सब पर मैं अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधानसभा अपनी कोई रूलिंग नहीं दे सकता। यह उनके अधिकार की बात है। आप मुझसे यह कैसे चाह रहे हैं? यदि मेरे पास कोई चीज पेश की जाये तो उसकी प्रक्रिया के मुताबिक कह सकता हूँ। इसलिये वह प्रक्रिया सही है या गलत है, मैं क्या कह सकता हूँ।

इसलिये आपने वहाँ कौन-सी प्रक्रिया तय की जाये, इसको मुद्दा बनाकर जो प्वाइंट उठाया है इस विषय में मेरी व्यवस्था है कि वह हमारी विधानसभा के जुरिस्डिक्शन के बाहर की बात है। इसलिए उस प्वाइंट आफ आर्डर के तहत जो भी आरोप लगाये हैं, मैं उसको एक्सपंज करता हूँ।

श्री शीतला सहाय : प्रधानमंत्री दोषी हैं, हमने आरोप लगाया है। हम इसकी जुडीशियल इंक्वायरी की माँग कर सकते हैं।

अध्यक्ष : मैं क्या कर सकता हूँ यह तो बतलाइए?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, कांस्टीट्यूशनल ब्रेक डाउन हो गया है, यह जो कहा गया है, इस पर तो कोई बोल ही नहीं रहा है, न आपने ही उस पर कोई निर्णय दिया है।

अध्यक्ष : कांस्टीट्यूशनल ब्रेक डाउन हो गया है, इस पर मैंने दोनों पक्षों को सुन लिया है। इस पर मैंने अपनी व्यवस्था को रिजर्व रखा है। इसलिए अब यह मामला यहीं समाप्त हो जाता है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही कहना है कि इस मामले में स्वयं मुख्यमंत्री जी ने उत्तेजित होकर यह स्थिति पैदा की है। अब साफ कौन है यह तो आप भी नहीं कह सकते हैं, मैं भी नहीं कह सकता हूँ। यहाँ पर आप कुछ भी एक्सपंज करवा दीजिये। लेकिन हमने जो राष्ट्रपति के यहाँ दिया है लिखकर के, वह तो एक्सपंज करना आपके अधिकार के बाहर की बात है। यह एक्सपंज करवाने की बात वहाँ नहीं चलेगी। यह सारा मामला पूरे देश के अखबारों की सुर्खियों में आया है कि मध्यप्रदेश में क्या हुआ है और अब यह तो आने वाला समय ही बतायेगा कि क्या हुआ है। महाराष्ट्र के सारे अखबारों में, मध्यप्रदेश के भी सारे अखबारों में यह मसला आया है।.....

श्री अर्जुनसिंह : आने वाले समय का इन्तजार कीजिये, क्या समय आने वाला है।

अध्यक्ष : अब यह प्रकरण समाप्त हो गया है।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/1 सितंबर, 1981, पृष्ठ/ 600-616)

14 सितंबर को अध्यक्ष महोदय के पास नियम 143 के अंतर्गत मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रकट करने के प्रस्ताव की सदस्य श्री रमाशंकर सिंह और श्री कपूरचन्द धुवारा की सूचनाएँ आयीं। इनके बाद मुरैना जिले की श्योपुर तहसील के थाना ढोढर के ग्राम खोजीपुरा में पुलिस कर्मियों द्वारा हरिजनों पर अत्याचार विषयक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने आरोप-पत्र भी इसके साथ दिया है। आरंभ में प्रस्ताव पढ़कर सुनाया जाता है, कुछ लोग आरोप-पत्र सुनकर ही खड़े हो सकते हैं।

अध्यक्ष : ये सभी सूचनाएँ नियमानुकूल हैं। सूचनाएँ जिस क्रम में सचिवालय में प्राप्त हुई हैं, मैं उसी क्रम के अनुसार सदन की अनुमति के लिए लूँगा। सबसे पहले श्री रमाशंकर सिंह की सूचना को लेता हूँ—

"यह सदन वर्तमान मंत्रीपरिषद् के प्रति अविश्वास व्यक्त करता है" जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति दिए जाने के पक्ष में हों, वे कृपया खड़े हो जायें।

अध्यक्ष : क्योंकि इस सूचना को अनुमति दिए जाने के लिए 32 से कम सदस्य खड़े हुए हैं, अतः इस प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी गई। अब मैं दूसरी सूचना जो श्री कपूरचंद धुवारा, सदस्य की है, को लेता हूँ—

"यह सदन मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह सरकार के प्रति अविश्वास व्यक्त करता है" जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के प्रस्तुत किए जाने की अनुमति दिए जाने के पक्ष में हों, वे कृपया खड़े हो जायें।

क्योंकि इस सूचना को अनुमति दिए जाने के लिए 32 से कम सदस्य खड़े हुए हैं, अतः इस प्रस्ताव को भी अनुमति नहीं दी गई।

श्री रमाशंकर सिंह : हमारे प्रस्ताव के पक्ष में चाहे पटवा जी खड़े हों या न हों हम उनके प्रस्ताव के पक्ष में जरूर खड़े होंगे।

अध्यक्ष : आपकी शिकायत मंत्रिमंडल से है या पटवा जी से?

श्री रमाशंकर सिंह : देर-अबेर अक्ल आनी चाहिए।

अध्यक्ष : मेरे पास शिवपुरी तहसील.....

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लेकर माननीय सदस्य ने कुछ कहा है। मैं तो आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैंने पिछले समय रखा, श्रीमान् को सूचित किया था कि इस मंत्रिपरिषद् के सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दे रहा हूँ, मुझे ज्ञात हुआ है कि कुछ सूचनाएँ आपके पास पहुँच गई हैं, इसलिये सोचा कि पहले उनका निराकरण हो जावे, फिर अपनी सूचना प्रस्तुत करूँ। मैं अपनी सूचना दे रहा हूँ।

अध्यक्ष : सदन द्वारा अनुमति दिए जाने से तात्पर्य है सदन ने अनुमति नहीं दी।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अब मैं अपनी सूचना दे रहा हूँ। मैं आपसे इतना और निवेदन करना चाहूँगा कि उस दिन मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं थे, आज मुख्यमंत्री जी सदन में विराजमान हैं, कम-से-कम उनसे यह आश्वासन दिला दीजिये कि 18 तारीख तक विधानसभा चलेगी हाउस समापन की गड़बड़ी तो नहीं करेंगे? (व्यवधान)

श्री उत्तमचन्द खटीक : अध्यक्ष महोदय, कैलाश जी का असर पटवाजी पर हो गया है।

(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : हम पर तो आपका भी असर है, ऐसी क्या बात है।

(हँसी)

श्री उत्तमचन्द खटीक : आप पर अपने बाजू वालों का असर हो गया।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप अपने को गैर क्यों समझते है।

श्री उत्तमचन्द खटीक : गैर नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आप अपने बाजू वाले। (व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : हम सब मिलाकर एक है, आप चिन्ता न करें।

श्री उत्तमचन्द खटीक : आपके लिये हम अपने पक्ष के ही काफी है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मुख्यमंत्री जी को चेतावनी दे रहे है, वह सुन लें, वह कह रहे है कि हम ही काफी है (व्यवधान)

श्री उत्तमचन्द खटीक : हम कह रहे हैं कि विरोधी पक्ष के लिये काँग्रेस पक्ष के लोग काफी हैं।

श्री विक्रम वर्मा : मुख्यमंत्री जी के इतने अच्छे दोस्त हैं कि उनको दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती।

अध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि कौन किसके लिये काफी है और कौन कम है, इसका फैसला मैं कर दूँगा, आप मुझसे बोलिये। जहाँ तक 18 तारीख तक सदन चलने का प्रश्न है आपने पहले जब यह बात उठाई थी, उस समय भी उपमुख्यमंत्री ने कह दिया था। मैं नहीं समझता कि आज कोई दूसरी स्थिति है। अभी आपका प्रस्ताव है नहीं आया। उससे पहले आप इस बात को बार-बार दोहरा रहे हैं।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी में ही श्री अर्जुनसिंह जी के खिलाफ प्रस्ताव पास होने वाला है।

अध्यक्ष : आप उनकी पार्टी की जितनी फिकर करते हैं उतनी अपनी जिम्मेदारी की फिकर करें तो बहुत काम हो जावें....

श्री रमाशंकर सिंह : हम अपनी जिम्मेदारी के लिये फिक्रमन्द हैं।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि विरोधी दल के नेता या कोई भी सदस्य को कल्पना लोक में विचरण करने में खुशी होती है तो हमें और आपको क्या एतराज होना चाहिए। (हँसी)

स्थगन प्रस्ताव

मुरैना जिले की श्योपुर तहसील के थाना ढोढर के ग्राम खोजीपुरा में पुलिस कर्मियों द्वारा हरिजनों पर अत्याचार।

अध्यक्ष : मेरे पास श्योपुर तहसील में पुलिस कर्मियों द्वारा अत्याचार के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्तावों की तीन सूचनाएँ आयी हैं। पहली सूचना श्री मुन्शीलाल, श्री पुरुषोत्तमराव विपट, श्री भूरेलाल फिरोजिया, श्री श्रीराम जाटव की, दूसरी सूचना श्री रमाशंकर सिंह की और तीसरी सूचना श्री कपूरचन्द धुवारा की है।

चूँकि सर्वश्री मुन्शीलाल आदि सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचना पहले प्राप्त हुई है, अतः उसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ—

"मुरैना जिले की श्योपुर तहसील के थाना ढोढर के अन्तर्गत ग्राम खोजीपुरा में दिनांक 10-8-81 को एक चोरी प्रकरण की तफ्तीश में गये दो पुलिस कर्मियों द्वारा (1) सूखा पुत्र कलुआ जाटवा, (2) झिगुरिया पुत्र कोफटू जाटवा, (3) लखन पुत्र सुखी जाटव, (4) रतनी पत्नी सूखा जाटव, (5) सरवन पुत्र सूखा जाटव, (6) रामपती पत्नी झिगुरिया जाटव हरिजनों पर पाश्विक अत्याचार किये। उन्हें बेरहमी से पीटा गया तथा उपरोक्त महिलाओं के गुप्तांगों में गोबर का कीड़ा गोरीला डाला गया। सभी हरिजनों को गाँव में भी पीटा गया तथा थाने पर लाकर भी पीटा गया तथा श्रीमती रामपती झिगुरिया के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा बलात्कार भी किया गया तथा बाद में छोड़ दिया। उसके बाद चोरी का माल फरियादी के भाई के मकान से बरामद होने के बाद पुनः उपरोक्त हरिजनों को व महिलाओं को थाने पर ले जाकर भयंकर मारपीट की गई उनसे 500 रुपये रिश्वत थानेदार ने लेकर उन्हें छोड़ दिया गया है। इस संबंध में हरिजनों ने एस.पी. मुरैना को भी स्वयं जाकर सारे तथ्य बताये और शिकायत की, किन्तु आज तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाने से पुलिस कर्मी जो इस प्रकरण में दोषी हैं, के हौंसले बुलन्द होकर अपराधी तत्व आतंक जमाकर, प्रकरण की साक्ष्य नष्ट करने तथा प्रकरण को दबाने के प्रयास में हैं। सम्पूर्ण मुरैना जिले के हरिजन आतंकित होकर उक्त हरिजन तथा उनके रिश्तेदार पुलिस के डर से अपनी खेती को छोड़कर छुपते हुए भागते फिर रहे हैं। उनकी खेती-बाड़ी व फसलें नष्ट हो रही हैं, चूँकि सम्भाग के हरिजनों में इस घटना से शोक एवं रोष व्याप्त है। अतः सदन की कार्यवाही रोककर इस गम्भीर घटना पर चर्चा की जावे।"

इसके संबंध में शासन का क्या कहना है।

श्री रमाशंकर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्र के प्रारम्भ ही से हरिजनों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, शर्म आनी चाहिये।

श्री हजारीलाल रघुवंशी (राज्य मंत्री, गृह) : शर्म तो आपको आनी चाहिए।

अध्यक्ष : जरा उन्हें बोलने दीजिये।

श्री हजारीलाल रघुवंशी : अध्यक्ष महोदय, प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 9 अगस्त 1981 को मूला जाटव, निवासी खोजीपुरा ने थाना ढोढर में गृहभेदन व चोरी की रिपोर्ट की, जिस पर से अपराध धारा 454/380 भा.द.वि. कायम किया गया। विवेचना प्रधान आरक्षक द्वारा मौके पर जाकर की गई। मुद्दई ने अपना शक रामपती पत्नी झिगुरिया जाटव तथा सरमन पुत्र सूखा जाटव पर बताया, इस पर सन्देहियों से पूछताछ की गई। थाना प्रभारी ने दौरे से वापिस आने पर दिनांक 11-8-81 को इस प्रकरण का अनुसंधान अपने हाथ में लिया। मुसम्मात रामपती पत्नी झिगुरिया ने गाँव के सम्भ्रान्त व्यक्तियों के सामने अपराध करना कबूल किया।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आपने कहा ग्रामीण सम्भ्रांतों के सामने अपराध करना कबूल किया है। क्या उनके नाम बतायेंगे?

श्री हजारीलाल रघुवंशी : नाम इस प्रकार हैं— वंशीधर, रामदयाल, छोटेलाल यादव इसके नाम हैं।

श्री विक्रम वर्मा : सम्भ्रांतों के सम्बन्ध में जिन लोगों के नाम गिनाये हैं, बताइये वे किसी ग्राम पंचायत के सरपंच हैं या पंच हैं?

श्री हजारीलाल रघुवंशी : फिर तो आप यह पूछने लगेंगे कि बताइये उनके पास कितनी जमीन है।

(व्यवधान)

श्री रमाशंकर सिंह : पुलिस के मुखबिरों को ही सम्भ्रांत नागरिक मानते हैं।

अध्यक्ष : अब आप थोड़ा बैठ जाइये। पहली बात तो यह है कि अपराध किसी के सामने भी किया जाये, कानून इनएडमिसीबल है।

श्री परशुराम सिंह भदौरिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय पटवा जी ने कहा क्या सरपंच या पंच किसी पंचायत के ही सम्भ्रांत नागरिक होते हैं, अन्य नागरिक सम्भ्रांत की कसौटी पर नहीं आते?

अध्यक्ष : नाम पूछ रहे हैं, नाम आ गये, नाम बता दिये।

श्री परशुराम सिंह भदौरिया : सम्भ्रांत नागरिकों की परिभाषा पूछ रहे हैं। क्या पंच, सरपंच ही उसके अन्तर्गत आते हैं?

श्री विक्रम वर्मा : लिस्ट में उनका नाम नहीं है।

श्री परशुराम सिंह भदौरिया : मेरा तो है, लेकिन आपका नहीं है, श्रीमान्।

अध्यक्ष महोदय : सम्भ्रांत नागरिक के मुत्तल्लिक अपनी व्यवस्था दे रहा हूँ। माननीय सभी सदस्यों के नाम सूची में हैं। आप डाउट न करें।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, परशुराम सिंह की जो योग्यता है, अगर उस योग्यता का आदमी सम्भ्रान्त बन गया तो निवेदन है कि मेरा नाम काट दीजिये।

श्री परशुराम सिंह भदौरिया : मैट्रन रो रही है, आप कहें तो दस्तावेज पेश कर दूँ?

अध्यक्ष : आप सभी सम्भ्रान्त नागरिक हैं। मैं दोनों को सम्भ्रान्त मानता हूँ।

श्री हजारीलाल रघुवंशी : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 14-8-81 को सूखा जाटव ने पुलिस अधीक्षक के पास मुरैना में हमराह रामपती झिगुरिया और रतनी ने आकर शिकायत की कि थाना ढोढर के थाना प्रभारी तथा 2 आरक्षक महेश तथा रशीद खाँ ने मूला जाटव को चोरी के सिलसिले में पूछताछ के लिये बुलाया तथा उनके द्वारा चोरी करने से इन्कार करने पर उनके साथ मारपीट कर रामपती तथा रतनी के गुप्तांग में गोबर का कीड़ा भर दिया तथा 500 रुपये रिश्वत देने पर थाना प्रभारी ने उन्हें छोड़ा। उक्त शिकायत की जाँच तत्काल मण्डल निरीक्षक, वीरपुर द्वारा कराई गई। जाँच में आरोप प्रमाणित नहीं हुए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुरैना द्वारा की गई तस्दीक में भी आरोप की पुष्टि नहीं हुई। महिलाओं के मेडीकल परीक्षण पर उनके शरीर पर बलात्कार, मारपीट या गुबरेला के काटने के कोई निशान नहीं पाये गये। रिश्वत की शिकायत भी जाँच पर सिद्ध नहीं पाई गई। पुलिस अधीक्षक ने भी शिकायत रिपोर्ट की तस्दीक की। बलात्कार, गोबरीला कीड़ा चलाने तथा रिश्वत का आरोप सही नहीं पाया गया।

श्री रमाशंकर सिंह : मेडीकल जाँच कौन-सी तारीख को कराई गई?

अध्यक्ष : मैं आपको भी मौका दूँगा, आपका नाम है। अभी पूछेंगे तो क्या बाद में आपका नाम काट दूँ।

पहले मुंशीलाल जी को पूछ लेने दीजिये।

श्री मुंशीलाल : अध्यक्ष महोदय, राज्यमंत्री, गृह द्वारा जो वक्तव्य दिया है, वह बिल्कुल असत्य है। मैं इस घटना के बारे में दिनांक 23-8-81 को ग्राम खोजीपुरा में तथ्यों की जानकारी लेने गया था, मेरे पास सही प्रमाण है। अध्यक्ष महोदय, दिनांक 10-8-81 को हरिजन महिला, सूखा जाटव, रामपती रतनी को थाने में बुलाया गया, दो दिन थाने में बन्द रखा, यातनाएँ दी गईं। महिलाओं के गुप्तांग में गोबर का कीड़ा डाला गया, निर्वस्त्र करके इसके साथ बारी-बारी से बलात्कार किया गया। जब वे महिलाएँ यहाँ से चलकर मुरैना एस.पी. के पास अपनी फरियाद लेकर गईं और एस.पी. से घटना की बात कही तो एस.पी. की गर्दन शर्म से नीचे झुक गई। एस.पी. मुरैना ने उसी दिनांक को क्यों नहीं उसकी डाक्टरी मुरैना में कराई? सही बात को छिपाने के लिए 12 दिन के बाद सबलगढ़ में कराई गई।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : (श्री परशुरामसिंह भदौरिया के खड़े होने पर) भदौरिया जी आप सुन तो लीजिये। भदौरिया जी क्या आप सुनना नहीं चाहते? यदि आप इस प्रकरण के बारे में अपने विचार रखना चाहेंगे और चाहेंगे कि क्यों ग्राह्य किया जावे या क्यों ग्राह्य न किया जावे, इस पर कहना चाहेंगे तो माननीय सदस्य के पहले तो मौका नहीं दिया जायेगा (व्यवधान) अब आप बैठें। यदि अब भी बोलेंगे तो उसको कार्यवाही से निकाल दूँगा (मेजों की थपथपाहट)

श्री मुंशीलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सही प्रमाण हैं और मैं आपकी अनुमति से आपके सामने और सदन के सामने पढ़कर सुनाता हूँ। जो उसी थाना ढोढर के एक सिपाही कृष्णपालसिंह घटना के समय वहीं पर मौजूद था, उसके सामने हरिजन महिलाओं के साथ और हरिजनों के साथ अत्याचार हुआ है। उसने 1-9-81 को मुरैना आकर अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ जो शपथ-पत्र दिया है, उस शपथ-पत्र को मैं आपके आदेश से सदन में पढ़कर सुनाता हूँ।

अध्यक्ष : किसका शपथ-पत्र है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : जिस थाने का केस है, उसी थाने का कान्स्टेबिल उस घटना के समय मौजूद था, उसका शपथ-पत्र है।

अध्यक्ष : आप नाम तो बतायें।

श्री मुंशीलाल : उसका नाम कृष्णपाल सिंह है। आरक्षक नं. 1071।

अध्यक्ष : आप केवल मुद्दे की बात पढ़ दीजिए।

श्री रमाशंकर सिंह : आरक्षक का नाम कृष्णपाल सिंह है।

अध्यक्ष : केवल रिलेवंट पोर्शन पढ़िए।

श्री मुंशीलाल : इसमें लिखा है कि मैं शपथपूर्वक निम्नलिखित सत्य-सत्य कथन करता हूँ कि—

1. यह कि दिनाँक 10-8-81 के शाम 7 बजे की घटना है कि ढोढर के थानेदार श्री आर.बी. दीक्षित ने महेशचंद व रसीद आरक्षक द्वारा ग्राम खोजीपुरा की रामपती पत्नी झींगुरिया व रतनी पत्नी सूखा, कौम जाट को थाने पर बुलाया था और उन्हें 24 घंटे से अधिक समय तक थाने में बन्द रखा था।

2. यह कि थानेदार दीक्षित ने झींगुरिया, सूखा व सरमन को भी बुलाया था इनको भी थाने में दो दिन से अधिक समय तक बन्द रखा व तीनों की भयंकर मारपीट की गई।

3. यह कि झींगुरिया, सूखा व सरमन को बाद में थाने से भगा दिया गया और कहा कि 500 रुपये लाकर दो तब तुम्हें व तुम्हारी औरतों को हम पुलिस की बन्दिश से रिहा करेंगे।

4. यह कि थानेदार श्री आर.बी. दीक्षित ने रामपती व रतनी की बुरी तरह से मारपीट की व पहले रामपती के साथ थानेदार दीक्षित ने मेरे समक्ष बलात्कार किया व थानेदार दीक्षित ने मुझ से भी बलात्कार करने को कहा, तो मैंने मना कर दिया और कहा कि ये मेरी माता और बहिन हैं, मैं बलात्कार नहीं करूँगा।

अध्यक्ष : अब आप शपथ-पत्र पटल पर रख दें।

(श्री मुंशीलाल, सदस्य द्वारा शपथ-पत्र पटल पर रखा गया) (व्यवधान)

श्री मुंशीलाल : अध्यक्ष महोदय, आज भी दोषी पुलिसकर्मी थाना ढोढर में बने हुए हैं, उन्हें हटाया नहीं गया है। हरिजन महिलाएँ आतंकित हैं। उनको तत्काल निलम्बित कर न्यायिक जाँच की जाये। थानेदार पर 100 रुपये जुर्माना करें। उसका वहीं पर रहना हरिजनों के व आम जनता के हित में न्यायसंगत नहीं है।

श्री हजारीलाल रघुवंशी : अध्यक्ष महोदय, शपथ-पत्र के बारे में मुंशीलाल जी ने निवेदन किया और आपने उसे पटल पर रखने की अनुमति दी। मेरा निवेदन है कि माननीय विरोधी दल के नेता पटवा जी ने कहा कि यह आरक्षक उसी थाने में है। अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि यह आरक्षक काफी लम्बे अरसे से उस थाने में नहीं था और मुरैना में लाइन अटैच था। दिनांक 6-8-81 से 12-8-81 तक यह मुल्जिमों को लेकर भिण्ड गया था और वहाँ उसने 12 तारीख को आकर अपनी वापसी दिखाई है। जो आरोप-पत्र इन्होंने दिया है, जनता पार्टी के भूतपूर्व संसद सदस्य (× × ×)

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, (× × ×) इस घटना के बारे में शपथ-पत्र देने के बाद से वह कान्स्टेबिल भागा-भागा फिर रहा है, उसको एनकाउन्टर मानकर गोली मार देने की और उसकी हत्या कर देने की बात की जा रही है।

श्री हजारीलाल रघुवंशी : यह बिल्कुल असत्य आरोप है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अरे सुन तो लीजिए महाराज।

श्री हजारीलाल रघुवंशी : सुन रहा हूँ, महाराज।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल के नेता से इतना ही निवेदन करूँगा कि इस प्रकार की घटना की कोई सचाई है या नहीं, यह तो निश्चित रूप से जाँच के बाद साबित हो सकती है। श्री छविराम ने क्या किया, क्या नहीं किया, यह विषय नहीं है। विषय तो यह था कि चूँकि पटल पर एक शपथ-पत्र आया, तो उसकी पृष्ठभूमि में जो सामान्य परिस्थिति है, उस सन्दर्भ में राज्यमंत्री जी ने यह बताया कि उन दिनों में जबकि यह घटना हुई, तब वह कांस्टेबिल जिसके बारे में कहा जाता है, शपथ-पत्र दिया है, वह कैदियों को लेकर भिण्ड गया हुआ था और आमद और रवानगी दोनों थानों पर पड़ती है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि वह वहाँ पर नहीं था, इसलिए शपथ-पत्र के बारे में प्रत्यक्षदर्शी के रूप में शपथ-पत्र दिया है, उसको उस सन्दर्भ में देखा जाए।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री के बयान के बाद इतना ही कहना चाहूँगा कि यह जो शपथ-पत्र उस थाने के कान्स्टेबिल ने दिया है, उससे सरकार और थाने के अफसरों, जिले के अफसरों को कितनी परेशानी हो सकती है, यह आप, मैं और मुख्यमंत्री जी समझ सकते हैं, और इस परेशानी से बचने के लिए पुलिस रिकार्ड में उसकी आमद-रवानगी की आमद, रवानगी कैसे हो सकती है? यह कोई बहुत बड़े ताज्जुब का विषय नहीं है। मैं तो चाहता था कि इतने तथ्य सदन के सामने आ गए हैं.....

श्री हजारीलाल रघुवंशी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वह कान्स्टेबिल मुरैना में लाइन अटैच था।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मंत्री महोदय, हम समझ गये कि वह लाइन अटैच था।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, इनके जमाने में भी ऐसा होता था।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं आपकी अक्ल की दाद देता हूँ।

श्री देवेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, शपथ-पत्र में कहा गया है कि बलात्कार पहले किया गया और नंगा बाद में किया गया, इसी बात में एफिडेविट की सच्चाई दिख जाती है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर विषय है, न तो हम इसको हँसी का विषय बनाना चाहते हैं न हल्के-फुल्के तरीके से लेना चाहते हैं और न ही इसको हम विवाद का विषय बनाना चाहते हैं। मैं तो निवेदन करूँगा कि मुख्यमंत्री जी पार्टी से ऊपर उठकर इसको देखें।

श्री अर्जुनसिंह : मैं तो पार्टी से ऊपर उठकर देखने को तैयार हूँ। जब आप उसे राजनैतिक रंग देते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं बना रहे हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप चाहते हैं कि बने। मैंने कहा कि किसी कॉंग्रेस पार्टी के व्यक्ति को इन्वाल्व किया है, क्या राजनैतिक कलर दिया है, जो घटना घटी है आपके राज्य मंत्री स्वयं लाए बीच में श्री छविराम अर्गल को, आप उन्हें उपदेश दीजिए, मैं तो अपेक्षा आपसे करता हूँ कि अगर आप इन्साफ करना चाहते हैं।

अध्यक्ष : श्री छविराम अर्गल के सम्बन्ध में अभी जो कुछ कहा गया है, वह मैं कार्यवाही से निकालता हूँ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, अगर आप चाहते हैं कि उनके साथ इन्साफ हो उनमें विश्वास जगे उनकी इज्जत और जानमाल की हिफाजत हो, तो क्यों नहीं आप एक क्षण भी देरी न करते हुए न्यायिक जाँच की घोषणा करते हैं, आपको कहना चाहिये, आप कहिये?

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : क्या मैं विरोधी दल के नेता से यह अपेक्षा कर नहीं सकता कि एफिडेविट यहाँ प्रस्तुत करने के पहले उनके दल द्वारा क्या यह उनका दायित्व नहीं था कि उसकी पृष्ठभूमि पर जाते कि एफिडेविट का महत्व क्या है, किसने दिया है, किस सन्दर्भ में दिया है, वो कौन है, वह वहाँ पर था कि नहीं लेकिन क्या सदन में लाकर आपके कह देने मात्र से हम विश्वास करलें कि यह बात सही है और उस पर हम आगे बढ़ें, क्या यह आपका दायित्व नहीं था? जिस तरह से यहाँ पर प्रस्तुत किया मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि तथ्यों को प्रस्तुत करने के पूर्व प्रत्येक माननीय सदस्य का दायित्व है कि पूरे परिप्रेक्ष्य में देखकर जब तक वह उससे संतुष्ट न हो और कोई संदेह न रहे तब सदन में लाएँ, चर्चा हो, कार्यवाही हो और जाँच हो लेकिन केवल घटना को अतिरंजित रूप से प्रस्तुत करके वातावरण बनाने का प्रयास हो, इसको मैं राजनैतिक स्वरूप देने की बात कहता हूँ। एक विशेष घटना की बात नहीं है आपने अगर इस बात को देख लिया होता कि यह व्यक्ति कौन है, किस थाने पर था, वहाँ मौजूद था कि नहीं, कुछ तो देखा होता। अब अगर इसके विपरीत तथ्य आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि न्यायिक जाँच करवाई जाये, आखिर जाँच के आधार पर ही तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अभी जो हमारे सामने प्रकरण है उससे स्पष्ट है कि वह व्यक्ति वहाँ नहीं था इसलिए उसका तथ्यों के बारे में एफिडेविट देने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता।

अध्यक्ष : मैं ऐसा मानता हूँ कि ..... (व्यवधान) चूँकि इस विषय पर दोनों पक्षों की ओर से सदन के नेता और विरोधी दल के नेता के द्वारा पूरे विचार रख दिये गये हैं, इसलिए मैं अन्य के विचार सुनने की स्थिति में नहीं हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : (मुंशीलाल जी के खड़े होने पर) मुंशीलाल जी आप तो एफिडेविट लेकर आए हैं फिर भी इतने परेशान हैं। अब आप मुझे सुनने को तैयार हैं या नहीं। आप बैठ जाइये। यदि किसी स्थगन प्रस्ताव पर मान लीजिये 25 माननीय विधायकों के हस्ताक्षर होंगे तो मैं 25 को आज्ञा नहीं दूँगा। मैं उसमें देख लूँगा कि कितना इस विषय पर बोला जा चुका है और कितना बोलने की गुंजाइश है। मैं ऐसा चाहूँगा कि आप आपस में तय करके यदि एक माननीय सदस्य बोलना चाहें तो बोलें। श्री शीतला सहाय जी, आप जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें बता दीजिये। श्री रमाशंकर सिंह जी मैं आपको भी समय दूँगा।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री मुंशीलाल जी मौके पर आ गये.....

श्री रमाशंकर चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के स्थाई आदेश नियम 74-ग (1) एवं (2) की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। अभी माननीय सदस्य ने एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है, क्या माननीय सदस्य ने इसकी प्रति पूर्व में आपको दे दी थी? और उसका परीक्षण कराकर आपने अनुमति दे दी है और यदि नहीं दी है, तो माननीय सदस्य जो इसे अब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो 74-ग (2) के अन्तर्गत उसका परीक्षण करायेंगे और उसकी अनुमति देंगे। क्या इन दस्तावेजों का आप परीक्षण करायेंगे इस संबंध में व्यवस्था देने की कृपा करें।

अध्यक्ष : पटल पर रखने की अनुमति मैंने दे दी है। अब वह वापस नहीं ली जायेगी। अब आप बैठ जाएँ।

श्री रमाशंकर चौधरी : अध्यक्ष महोदय, नियम 74-ग (2) (एक) में यह उल्लेख है कि "यदि कोई

सदस्य अपने भाषण के मध्य अध्यक्ष को किसी पत्र अथवा दस्तावेज की प्रति देने के पूर्व ही उसे सभा पटल पर रखना चाहे, तो वह उसे पटल पर दे सकता है किन्तु वह तब तक पटल पर रखी गई नहीं समझी जायेगी, जब तक अध्यक्ष उसकी परीक्षा करने के बाद आवश्यक अनुमति न दे दें।"

अध्यक्ष : मैंने सुन लिया था और सुनकर अनुमति दे दी है।

श्री शीतला सहाय : श्री मुंशीलाल जी स्वयं मौके पर गए और सब लोगों से उन्होंने सम्पर्क स्थापित किया और सम्पर्क स्थापित करने के बाद ये तथ्य सामने आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह कहना कि एक बार औचित्य के ऊपर विचार कर लिया गया होता, तो उपयुक्त होता। मैं मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आपके जैसी प्रकरण प्रस्तुत करने की प्रथा हमारी नहीं है। जब तक हम पूरा पता नहीं लगा लेते तब तक प्रकरण प्रस्तुत नहीं करते। मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं अभी जब दो दिन पहले ग्वालियर गया था उस समय कुछ लोग आकर मुझसे मिले और उन्होंने बताया कि मुरैना की पुलिस 10-12 दिन से यह पता लगाती फिर रही है कि ये आरक्षक जिसने एफिडेविट दिया है वह ग्वालियर में कहाँ है? उसे जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले जाना चाहती है। श्री शर्मा, जो ग्वालियर में एडवोकेट हैं उन्होंने जाँच पड़ताल की है, ने मुझसे संपर्क स्थापित किया और बताया कि उस आरक्षक के ऊपर डकैती का केस लगाना चाहते हैं और डाकुओं के साथ एनकाउन्टर बताकर उसे गोली से मारना चाहते हैं। अगर ये स्थिति है तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार कर लें कि जिस सरपंच ने शिकायत की है संभ्रांत नागरिकों के सामने जाँच करवा लें। क्या शिकायतकर्ता व्यक्ति को आपने मौका दिया ताकि वह तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर सके? ये मौका आपने नहीं दिया। श्रीमान् यदि यहाँ 2-3 सदस्यों की समिति बनायें तो ये प्रमाणित करने के लिये तैयार हूँ कि उसका जिला प्रशासन किस प्रकार राजनीतिक दबाव डाल रहा था कि इस प्रकार का एफिडेविट यहाँ प्रस्तुत न हो। इस प्रकार की कोशिश की जा रही है कि उस व्यक्ति को पकड़कर यहाँ जब मामला आए तो उसके पहले एक काउन्टर एफिडेविट दिला दिया जाये। मैं मुख्यमंत्री जी से बता देना चाहता हूँ कि ये साफ था कि इस प्रकार की कार्यवाही जिला प्रशासन ने की। ऐसा कौन-सा अपराध उस व्यक्ति ने किया था कि उसे आप थाने में पकड़कर बन्द करना चाहते हैं। ये सारी बातें जाँच का विषय हैं। माननीय गृह राज्य मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है वह तो और प्रमाणित करता है कि उन्होंने जो तथ्य प्रस्तुत किये हैं, वह असत्य प्रस्तुत किये हैं इसलिये इसमें जाँच होना जरूरी है। अगर श्रीमान् उचित समझें तो 10 लोगों की समिति इस सदन में बना दें जो जाँच करके रिपोर्ट श्रीमान् को प्रस्तुत कर देगी। सरकार का इन सब बातों पर परदा डालना और राजनीतिक मामला बतलाना और भी बुरी बात है। इसलिए स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य किया जाये।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को पुनः सदन के सामने कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार के अत्याचार इस सरकार के शासन में इस समय जगह-जगह खासतौर से चम्बल संभाग, भिण्ड-मुरैना में पुलिस के द्वारा गरीब हरिजन, महिलाओं और अन्य गरीब वर्ग के लोगों पर हो रहे हैं, वह मध्ययुग की याद को ताजा कर रहे हैं। ढोढर की घटना के संबंध में गृह राज्यमंत्री ने बयान दिया यह बयान एक आफ्टर थाट है। जब कृष्णपाल सिंह का एफिडेविट आ गया है और एफिडेविट में उसने वहाँ बताया है कि मैंने घटना को स्वयं देखा है। उसके बाद वहाँ का जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ है और यहाँ पर जो रिपोर्ट दी है, मैं बताना चाहता हूँ पुलिस के द्वारा दी गई हर रिपोर्ट को सदन में सच माना जाये? आखिर पुलिस एक पार्टी है, अपराध किया है, उनके लोगों ने किया है, उसको बचाने के लिए वहाँ का सम्पूर्ण पुलिस प्रशासन इस समय यह कोशिश कर रहा है। जिसका नतीजा यह हुआ कि सदन के सामने गृह राज्यमंत्री जी द्वारा पुलिस ने यह बयान दिलवाया है। अध्यक्ष महोदय, यह जो परिस्थितियाँ है उसके पीछे की पृष्ठभूमि गलत है। यह कहना सही नहीं है कि वह वहाँ मौजूद था उसकी आमद और रवानगी श्रीमान् बाद में जोड़ी गई है। यह तथ्य सदन के सामने जाहिर तब होंगे जबकि सम्पूर्ण मामले की न्यायिक जाँच हो जायेगी और न्यायिक जाँच में यह आएगा कि रिकार्ड में हेरा-फेरी की गई, नाम काटे गए है और किसी के नाम के आगे कृष्णपाल का नाम जोड़ गया है, जो भिण्ड में कैदियों को लेकर गया। यह सारे तथ्य तब जाहिर होंगे जब कोई निष्पक्ष रूप से जुडीशियल जाँच इसकी हो जाये अन्यथा

अर्जुनसिंह जी की सरकार में इस प्रकार की घटना बढ़ती रहेंगी और उनके माथे में कलंक का टीका लगता रहेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यों के विचार .....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आधा मिनट लूँगा।

अध्यक्ष : आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री मुंशीलाल : अध्यक्ष महोदय, 14 तारीख को.....

अध्यक्ष : मुंशीलाल जी अब आप जिद न करें। मैंने आपको पूरा मौका दिया था।

श्री मुंशीलाल : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : आप जो भी कहेंगे रिकॉर्ड में नहीं आएगा।

(बहिर्गमन)

(विरोधीदल के नेता द्वारा अपने दल के साथ तथा श्री रमाशंकर सिंह व श्री कपूरचन्द धुवारा द्वारा हरिजनों पर होने वाले अत्याचार पर शासन के उपेक्षापूर्ण रुख के खिलाफ)

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या यह चाहते हैं कि यह कांस्टेबिल जो एफिडेविट पर बयान करे तो भी वह कहते हैं गलत है। उनकी पार्टी के एक एम.एल.ए. श्री हरिवल्लभ शुक्ला जी लिखकर उनको दें कि पुलिस इस प्रकार अत्याचार कर रही है, वहाँ पर उनको गलत समझते हैं। हम राजनीतिक रंग देकर यह घटना यहाँ पर लाए हैं क्या? क्या इस प्रकार की घोषणा करने पर आप संकोच करते हैं उस पुलिस कांस्टेबिल को भोपाल में पुलिस के एनकाउन्टर और उसकी हत्या से बचाकर संरक्षण दें, यहाँ रखें तथा इस घटना की न्यायिक जाँच की घोषणा करें ताकि सच्चाई और लीपा-पोती करने की कौन बात सही है, उसका परदा उठाकर सच्चाई सामने आ जायेगी। आप उठकर के इतनी घोषणा करने में संकोच कर रहे हैं?

माननीय मुख्यमंत्री जी न्यायिक जाँच करने पर तैयार नहीं हैं। शासन के बेरहमी रुख के खिलाफ, हरिजनों पर होनेवाले अत्याचारों के खिलाफ, शासन के उपेक्षापूर्ण रुख के खिलाफ हम बहिगर्मन करते हैं।

(विरोधी दल के नेता द्वारा अपने दल के साथ तथा माननीय सदस्य श्री रमाशंकर सिंह व श्री कपूरचंद धुवारा द्वारा बहिर्गमन किया गया)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यों के विचार और शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् मैं इसको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/14 सितंबर 1981, पृष्ठ/1622-1629)

ग्वालियर रेल्वे स्टेशन पर हुई घटना में एक महिला को निर्वस्त्र किये जाने की जानकारी और जाँच रिपोर्ट के सम्बन्ध में श्री सुन्दरलाल पटवा, श्री कपूरचन्द धुवारा और श्री रमाशंकर सिंह की विशेषाधिकार भंग सूचनाओं पर चर्चा—

अध्यक्ष : सदन के विशेषाधिकार भंग के संबंध में मुझे तीन सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, जिनका विचार एक साथ करना उचित होगा क्योंकि तीनों सूचनाएँ एक ही विषय से संबंधित हैं।

प्रथम सूचना श्री सुन्दरलाल पटवा नेता विरोधी दल की है, दूसरी सूचना श्री कपूरचन्द धुवारा की है तथा तीसरी सूचना श्री रमाशंकर सिंह की है।

ये तीनों सूचनाएँ गत सत्र के पूर्व ग्वालियर रेल्वे स्टेशन पर जो घटना हुई थी, उससे संबंधित है। इनमें कहा गया है कि गत सत्र में दिनांक 5-3-81 की कार्यवाही में लिखे अनुसार तत्कालीन गृह राज्यमंत्री श्री मुनिप्रसाद शुक्ल द्वारा सदन में यह कथन दिया गया था कि "महिला के निर्वस्त्र करने वाली बात गलत है", साथ ही, मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने उसी दिन सदन में यह कहा था— "दूसरी बात कहता हूँ कि सी.आर.पी.,एस.आर.पी., इन्दौर के बारे में उनकी रिपोर्ट में उल्लेख है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उस रिपोर्ट में ऐसा उल्लेख नहीं है कि किसी महिला को निर्वस्त्र किया गया।"

इन सूचनाओं में यह भी कहा गया है कि शासन द्वारा उपरोक्त कांड की जाँच करने के लिए कुमारी ताजवर रहमान की नियुक्ति की गई थी और जाँच करके उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार यह बात सत्य पाई गई कि ग्वालियर कांड की रात को ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर किसी महिला को निर्वस्त्र किया गया था।

इन तीनों विशेषाधिकार भंग सूचनाओं में यह बात भी उठाई गई है कि गृह राज्यमंत्री ने तथा मुख्यमंत्री ने इस संबंध में सदन में दिनांक 5-3-81 को जो कथन दिये थे, वह गलत दिये थे। इस कारण सदन की अवमानना हुई है।

उपरोक्त प्रश्न के अतिरिक्त श्री सुन्दरलाल पटवा ने इसी सूचना में दो और प्रश्न उपस्थित किये हैं। उनका कहना है कि कुमारी ताजवर रहमान की रिपोर्ट दिनांक 1-4-81 को शासन को प्राप्त हो गई थी। गत सत्र में विधानसभा का सत्र दिनांक 11-4-81 तक जारी था फिर भी सदन से सत्य छिपाने की नीयत से गृह राज्यमंत्री ने सदन को दिनांक 11-4-81 तक नहीं बताया कि ताजवर रहमान की रिपोर्ट में क्या लिखा है और पूर्व में उन्होंने सदन में जो कथन दिया था वह सत्य है अथवा नहीं। इस आधार पर श्री सुन्दरलाल पटवा का यह कहना है कि गृह राज्यमंत्री ने तथा मुख्यमंत्री ने सदन की अवमानना की है।

तीसरा प्रश्न श्री सुन्दरलाल पटवा ने यह उठाया है कि कुमारी ताजवर रहमान की रिपोर्ट दिनांक 1-4-81 को प्राप्त होने के पश्चात् वह रिपोर्ट दिनाँक 3-8-81 को मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रकाशित की गई। दिनांक 22-6-81 को महामहिम राज्यपाल द्वारा विधानसभा का यह सत्र दिनांक 27-8-81 से आमंत्रित करने की स्वीकृति दी जा चुकी थी तथा दिनांक 4-7-81 को यह सत्र-आहूत करने की अधिसूचना जारी की जा चुकी थी, फिर भी कुमारी ताजवर रहमान की रिपोर्ट पहले विधानसभा में प्रस्तुत न करते हुए सत्र के प्रारम्भ होने के पूर्व ही सार्वजनिक रूप से प्रकाशित की गई। इस प्रकार सदन की अवहेलना तथा अवमानना की गई है।

इन तीनों विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं के संबंध में शासन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रस्तुत किया है। अपने उत्तर में उन्होंने यह बताया है कि दिनांक 5-3-81 को सदन में दिनाँक 25-26 जनवरी, 81 को जो घटनाएँ ग्वालियर में हुई थीं उन पर ध्यानाकर्षण की सूचना पर सदन में चर्चा हुई थी और उस दिन गृह राज्यमंत्री श्री मुनिप्रसाद शुक्ल ने एक वक्तव्य सदन में दिया था तथा मेरे द्वारा (अर्थात् मा. मुख्यमंत्री द्वारा) भी चर्चा में भाग लिया गया था। उनका यह कहना है कि सदन में गृह राज्यमंत्री ने तथा मा. मुख्यमंत्री ने जो जानकारी दी थी, उस पर से यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं है कि सदन को गुमराह किया गया था उनका कहना है कि "आरोप इस संदर्भ में लगाया जा रहा है कि कु. ताजवर रहमान ने जो प्रतिवेदन ग्वालियर की घटनाओं पर दिया, उसमें तथ्य कुछ भिन्न निकले। यह स्वयं स्पष्ट है कि उस समय संबंधित घटनाओं की जो जानकारी मेरे या मेरे सहायक मंत्री ने सदन को दी, वह उस समय उपलब्ध तथ्यों पर आधारित थी— "उन्होंने सदन में उस रोज हुई चर्चा के कुछ अंश उद्धृत करके यह बताने का प्रयत्न किया है; यदि दिये हुए कथनों को पूरे संदर्भ के साथ पढ़ा जायेगा तो ऐसा आशय नहीं निकाला जा सकता कि सदन को गुमराह करने का प्रयत्न किया गया था। चर्चा में के जो अंश उन्होंने उद्धृत किये है, वह निम्न प्रकार है—

(क) गृह राज्यमंत्री श्री मुनिप्रसाद शुक्ला ने अपने वक्तव्य में यह स्पष्ट कहा है कि "अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि किसी महिला को निर्वस्त्र किया गया।"

(ख) इस वक्तव्य के अंत में कहा गया कि "इस घटना के तथ्य ज्ञात करने हेतु शासन द्वारा एक महिला अधिकारी को प्रशासनिक जाँच करने के आदेश दिये और जाँच चल रही है।"

स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा था उसमें से उन्होंने निम्न उदाहरण दिये हैं—

(क) "इस घटना के बारे में जो तथ्य आये उनको देखते हुए शासन ने यह व्यवस्था की है कि कोई भी तथ्य छिपाये नहीं जायें और यह केस एक महिला से भी संबंधित है इसलिए एक महिला अधिकारी को वहाँ पर भेजा है और उस महिला अधिकारी ने अपना काम भी शुरू कर दिया है और कुछ समय में वह जाँच पूरी भी हो जायेगी।"

(ख) "इसके लिए अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के सथन को महत्व देते हुए अभी डाक्यूमेन्ट्री इवीडेन्स होने के बावजूद यह उचित समझा कि तथ्यात्मक रूप से तथ्यों की और जानकारी ली जावे और इसलिए कुमारी ताजबुर रहमान को वहीं जाँच के लिये भेजा। अध्यक्ष महोदय, जहाँ पर स्वयं तथ्य की जानकारी लेने के लिए आपके कहने से अपने आप भी सतत् प्रयत्न कर रहा हूँ, पर आप केवल अपने पक्ष के बारे में बयान देकर कथन करके यह कहना चाहते हैं कि अब वह तथ्य सामने न आ सके, वह आपकी मन्शा न होगी, ऐसा मैं मानता हूँ।"

(ग) "मुझे ताजबुर रहमान की इन्टीग्रिटी पर पूरा भरोसा है और वे निश्चित रूप से सही जाँच करके रिपोर्ट देंगी।"

उन्होंने यह भी बताया है कि कु. ताजबुर रहमान का प्रतिवेदन दिनांक 1-4-81 का शासन का प्राप्त हो गया था तथा विधानसभा सत्र दिनांक 11-4-81 तक चलता रहा, परन्तु उस प्रतिवेदन पर आधारित जानकारी शासन द्वारा सदन में इसलिये नहीं दी गई कि ऐसे प्रतिवेदनों का परीक्षण करने की एक प्रक्रिया होती है और उसमें कुछ समय लगता है। यह भी बताया गया है कि कमीशन आफ इन्कवायरी एक्ट के अधीन प्रतिवेदनों के संबंध में उक्त कानून में प्रावधान यही है कि शासन अपना प्रतिवेदन छः माह की अवधि में अपने निष्कर्षों के साथ प्रस्तुत करेगा, इसलिये यह अपेक्षा करना उचित नहीं था कि शासन इस प्रतिवेदन पर दस दिन में विचार करके सदन के समक्ष रखे, ऐसा करना संभव नहीं था और इस कारण से प्रतिवेदन की जानकारी सदन में प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

तीसरे तथ्य के संबंध में यह स्वीकार किया है कि विधानसभा का वर्तमान सत्र दिनांक 27-8-81 से प्रारम्भ होने की सूचना दिनांक 27-7-81 को जारी हो चुकी थी और शासन ने कु. ताजबुर रहमान के प्रतिवेदन पर अपना निर्णय तथा उससे संबंधित जानकारी दि. 4-8-81 को ही जारी की और इस प्रतिवेदन को विधानसभा के समक्ष नहीं रखा। आगे यह भी लिखा है कि ग्वालियर की घटनाओं संबंधी मामला एक विवादास्पद सार्वजनिक हित का मामला था और इस पर शासन का निर्णय जैसे ही हो जाये इसको सार्वजनिक रूप से बताना जनहित में था और यह सामान्य प्रक्रिया का एक अंग है। ऐसा करने से किसी नियम या विधि का उल्लंघन नहीं हुआ है और न ही सदन की अवमानना हुई है। श्री मुनिप्रसाद शुक्ल, तत्कालीन गृह राज्यमंत्री द्वारा भी इसी आशय का उत्तर प्रस्तुत किया गया है और उत्तर में वही तथ्य बताये गये हैं, जो मा. मुख्यमंत्री ने अपने उत्तर में बताये हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा (सीहोर) : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक तथ्यों का सवाल है, इस विशेषाधिकार भंग के प्रश्न में जो उल्लेख किया है, जिन तथ्यों का उन तथ्यों को मुख्यमंत्री ने और तत्कालीन गृह राज्यमंत्री ने इंकार नहीं किया है। तथ्य निर्विवाद हैं, मैं संक्षेप में 1-2-3 करके उनको आपके सामने रखूँगा। प्रथम घटना में विवादास्पद जो मुद्दे थे, जिस पर हमारे कथन में उस समय उस घटना को प्रस्तुत करने वाले हमारे दल के माननीय सदस्य शीतला सहाय के कथन में और मुख्यमंत्री तथा शुक्ला जी, दोनों के कथन में विवाद इस बिन्दु पर था कि क्या ग्वालियर रेल्वे स्टेशन पर एक घटना घटी उसमें किसी महिला को वहाँ गुंडों और असामाजिक तत्वों के द्वारा नंगा करके उसकी बेइज्जती की गई। माननीय मुख्यमंत्री और शुक्ला जी का यह स्टेटमेंट था कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। यह मैंने उनके स्टेटमेंट में से कोट किया है कि यह उन्होंने लिखा है, ऐसी वहाँ कोई घटना नहीं हुई, फिर उन्होंने कहा कि इस घटना के होने की कोई रिपोर्ट नहीं है, पुष्टि भी नहीं है, दोनों बातें मुख्यमंत्री जी द्वारा कही गई। शीतला सहाय जी ने बार-बार कहा कि यह घटना हुई है और मेरी निजी जानकारी के आधार पर कह सकता हूँ। उसके आधार पर सारी जो घटना-दुर्घटना यहाँ पर हुई और विधानसभा में शीतला सहाय के साथ जो कुछ भी दुर्व्यवहार हुआ मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता और उसके विवाद में भी नहीं पड़ता, परंतु वह कारण था जिस पर विवाद था और उस विवाद के समय मुख्यमंत्री ने यह कहा कि हमने कु. ताजबुर रहमान को इसकी जाँच के लिए नियुक्त किया है और उनकी इंटीग्रिटी में मुझे पूरा भरोसा है और वह शीघ्र रिपोर्ट देंगी और हम सदन से कोई

तथ्य छुपाना नहीं चाहेंगे। यह शब्द माननीय मुख्यमंत्री के हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी और उनका प्रशासन इस बात को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं था कि हमारी सरकार की, हमारे शासन-प्रशासन की बदनामी करने वाला यह घटना-प्रसंग जनता के सामने आये। बड़ी असुविधाजनक स्थिति उनके सामने थी, इसलिए बार-बार इंकार करते रहे, परंतु इस सब के बावजूद भी कु. ताजबुर रहमान ने जाँच की और जाँच के बाद अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट इस विधानसभा सत्र के चलते ही इस सरकार को सौंप दी। उन्होंने पहली बार सदन को असत्य बताया कि आपकी जानकारी का स्रोत क्या था, इससे कोई मतलब नहीं, आप इस सदन के प्रति जिम्मेदार हैं। आपके एस.पी. ने गलत जानकारी दी, आई.जी. ने गलत जानकारी दी, हेड कांस्टेबल ने गलत जानकारी दी, इससे सदन को मतलब नहीं है। इस सदन के प्रति पूरी-पूरी जानकारी देने के लिए जिम्मेदार आप हैं और आपके गृह मंत्री। इसलिए आपकी जानकारी का स्त्रोत गलत रहा हो और आपके किसी अधिकारी ने गलती करके गलत जानकारी दी हो, तो आप उसको चाहे जो दंड दो, इस सदन में कोई अफसर जवाबदार नहीं है, इस सदन में आप जवाबदार हैं, उसकी सजा आपको भुगंतना होगी।

अध्यक्ष : क्या इस प्रकार के विशेषाधिकार भंग के मामलों में अधिकारी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए क्या मंत्री महोदय को हम जिम्मेदार मान सकते हैं? मैं रिफ्रेन्सेस देखना चाहूँगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : पूरी तरह से 100 प्रतिशत अधिकारी द्वारा गलत जानकारी दी जाती है, उससे इस सदन को कोई मतलब नहीं। मुझे समय दें, मुझे पूर्व सूचना नहीं थी।

अध्यक्ष : मैंने आपको कहा था कि मैं आज इसको लेने वाला हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : परंतु इस सदन में कोई आई.जी., एस.पी., हेड कांस्टेबिल, इस सदन के प्रति जिम्मेदार नहीं है उनकी जिम्मेदारी शासन के प्रति है, मुख्यमंत्री और उनकी सरकार के प्रति है, हमें उनसे जवाब तलब करने का अधिकार नहीं है। हम इस सरकार से जवाब तलब करने के अधिकारी हैं और संविधान और परंपराएँ सब इस प्रकार की हैं। मैं श्रीमान् की सेवा में प्रस्तुत भी कर सकता हूँ, उन्होंने हमें गलत बता दिया इसलिये उनका दोष है, हमारा दोष नहीं है, यह कहकर सरकार को बचने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय गृह राज्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने जो शब्द इस सदन में कहे हैं, वह वाक्यांश मैंने अपने पत्र में लिखे हैं और उस बात को भी लिखा है।

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल (सहकारिता मंत्री) : उसके अंश लिखे हैं और उस अंश से ही भ्रम पैदा होता है।

अध्यक्ष : वह भी रिकार्ड पर ही है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : श्रीमान् मैं अपना दृष्टिकोण ही बोलूँगा, आपका दृष्टिकोण कैसे बोलूँगा?

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ न्याय करना चाहिये था। आपने जो ऊपर उच्चारण करके और फिर अपने दृष्किोण से तथ्य कहने की बात तो अच्छी थी लेकिन मैं आपके दृष्टिकोण कहाँ से लाऊँ? मेरा दृष्टिकोण आपके सामने आयेगा। अभी तो आप अपने दृष्टिकोण से बात करें, लेकिन ऐसे विषयों पर जो विशेषाधिकार के हैं, मुझे जो कहना है वह मैं सदन से कहूँगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप यहाँ विरोधी दल के नेता के रूप में बैठकर जिस दृष्टि से देखा करते थे वह दृष्टि शायद खो दी है, आपने कोई रंगीन चश्मा चढ़ा लिया है। यहाँ बैठकर, वह अर्जुनसिंह कोई और ही था, वहाँ बैठने वाला अर्जुनसिंह कोई और ही है।

श्री अर्जुनसिंह : इसका प्रत्युत्तर में, मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, यदि आप इजाजत दें तो स्थगन प्रस्ताव पर नहीं, प्रिविलेज मोशन के ऊपर श्री अर्जुनसिंह जी के जो भाषण है, इस सदन में, विरोधी दल के नेता के रूप में यहाँ बैठकर, श्री अर्जुनसिंह के मुख से जो उच्चारण हुए हैं, वह मैं आपके सामने उपस्थित कर सकता हूँ।

अध्यक्ष : यह अथारिटी है?

श्री अर्जुनसिंह : यह तो इनका मोशन है, उस मुख से निकला है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अथॉरिटी तो नहीं, मेरा निवेदन है। आपका निर्णय हमारे लिये अथॉरिटी है। मैं तो

उनके विवेक को जगाना चाहता हूँ कि उन्हीं के मुँह से यह जानना चाहता हूँ कि मोशन पर आप यहाँ बोलें, इसलिये मैंने निवेदन किया कि आप बोलें, इस प्रकार के तथ्यों को यहाँ बैठकर जो आप बोले हैं, आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि यह सरकार जिम्मेदार है। पहली बार वह बोली है, कि ऐसी घटना घटी है यह बात है। दूसरी बात कही है कि कुमारी ताजबुर रहमान को जाँच के लिये मुकर्रर कर दिया गया है, शीघ्र ही सदन को जानकारी हो जायेगी और हम इस सदन से कोई तथ्य छिपाना नहीं चाहते। यह कथन है, शीघ्र रिपोर्ट आयेगी। एक अप्रैल को रिपोर्ट आ गई, जैसा अखबारों में छपा, मैंने आपके सचिव को पत्र लिखकर पूछा, मैंने इसी बात पर विश्वास करना ठीक नहीं समझा। मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मैंने यह जानना चाहा कि जाँच अधिकारी कुमारी ताजबुर रहमान ने अपनी रिपोर्ट शासन को कब सौंपी? मुख्य सचिव, गृह सचिव को सूचित किया, गृह सचिव ने मुझे सूचित किया कि 1 अप्रैल को रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा चुकी है। श्रीमान् आपने इस सदन में बयान दिया कि उनकी इंटीग्रिटी पर भरोसा है, हम तथ्यों को सदन से छिपाना नहीं चाहते। क्या 1 के बाद 2, 3, 5 तारीख 7, तारीख 10 दिन तक सदन चलता रहा? क्या आप इस घटना का इतना सार्वजनिक महत्व नहीं समझते थे? शीतला सहाय जी ने आग्रह भी किया था कि एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया उसको स्वीकारें, परन्तु कु. रहमान ने जो अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि 3 महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ। तथ्यों में श्री शीतला सहाय जी ने एक की बात की थी जो सौ प्रतिशत सही थी, जैसा कि हुआ है, जो उन्होंने कहा है, आप इंकार कर रहे हैं। उस समय तो नकारने का अधिकार था, परंतु जब रिपोर्ट आ गई है, आपको उसकी इंटीग्रिटी पर भरोसा है? उसके बाद आपने कहा था कि हम सदन से तथ्यों को छिपाना नहीं चाहते, उसके बाद आप 10 दिन तक उस रिपोर्ट को दबाकर क्यों बैठे रहे? क्यों इस सदन को आपने सूचित नहीं किया। क्योंकि आपके लिये उस रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया था वह बहुत ही असुविधाजनक बात थी आपको वह गंभीर परिस्थिति में डालने वाली थी, आपके मत के विपरीत थी, आपके पक्ष को गलत साबित करने वाली थी। अध्यक्ष महोदय, ये तथ्य साफ जाहिर करते हैं। उस घटनाक्रम को वैसा का वैसा ही स्वीकार किया है, जो कुछ उन्होंने सदन में बयान दिये थे उस दिन, कुमारी ताजबुर रहमान की जाँच ने उस बयान को गलत साबित किया कि घटना के तथ्य कुछ और थे और जानकारी मिलने के बाद भी एक बार तो कुछ अपनी चमड़ी को बचाने के लिये कह सकते हैं कि उस समय हमें पूरी सूचना नहीं मिली थी, जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन आपने कुमारी ताजबुर रहमान की इंटीग्रिटी पर भरोसा किया, उसी के तहत उन्होंने सूचना दी कि घटना के ये-ये तथ्य हैं और बाद में आपने उन तथ्यों को स्वीकार किया। इतना सब होने के बाद भी आपको सदन से छिपाने की कौन-सी मजबूरी थी? इसके विपरीत आप कहते हैं कि प्रक्रिया का सवाल है, प्रक्रिया ऐसी है कि प्रोसीजर में जाना पड़ता है, इतना समय लगता है। इस सारी घटना को कवर करने के लिये या उस पर पर्दा डालने के लिये, आप जैसा चाहें बहाना ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, घटना पर निर्णय हो जाने के बाद प्रिविलेज नहीं बनता है यह बताने के लिये जरूरी है कि हमारे मुख्यमंत्री और गृह राज्यमंत्री ने इरादतन सदन से सही तथ्यों को छिपाया है और सदन को गुमराह करने के लिये यह सब किया है। इरादा कैसे जाहिर होगा यह देखने के लिये कोई थर्मामीटर तो है नहीं। वहाँ भी मेडीकल इंस्टीट्यूट में नहीं रहता है, जहाँ अभी मुख्यमंत्री जी गये हुए थे, वहाँ भी सूचना भेजते कि थर्मामीटर लेकर इरादे की जाँच की जाये, लेकिन वहाँ इरादा जाँचने का भी कोई थर्मामीटर नहीं है। मेरा कहना है कि सरकम्स्टांसेज क्या कहते हैं? डायरेक्ट एवीडेन्स जहाँ नहीं है वहाँ तो सरकम्स्टांसेज एवीडेन्स के लिये रिलाई करना पड़ता है। सरकम्स्टांसेज क्या कहते हैं कि पहले के बयान से साबित है कि इस मामले में सरकम्स्टांसेज को ही रिलायेबल एवीडेन्स मानकर उनका इरादतन सदन को गुमराह करने के लिये गलत जानकारी देने के प्रयास के कारण ही विशेषाधिकार बनता है, कौन-कौन से मामले विशेषाधिकार के बनते हैं इस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के निर्णय हैं और अपने यहाँ की लोकसभा के भी निर्णय हैं। प्रोफ्यूमो केस है और दूसरे साइन्टिस्ट भी हैं जिन्हें मैं श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करूँगा।

अध्यक्ष महोदय, फिर तीसरी बात आती है सदन की अवमानना करने का या सदन से जी चुराने का है, मुँह चुराने का, इसके बाद बात आती है सदन की बैठक बुलाने की। सदन की बैठक बुलाने के लिये सूचना जारी की

जा चुकी थी और उसके बाद में रिपोर्ट को सदन में न रखकर और चूँकि जनहित में हमें ऐसा करना आवश्यक था, जनहित में चार-चार महीने तक आपका विवेक नहीं जागा। मुख्यमंत्री जी जनहित में सदन की बैठक आहूत कर लेने के बाद आपका विवेक ऐसा जाग्रत हो गया कि आप पहले इस सदन के सामने उस रिपोर्ट को न रखकर और सदन में दिये गये अपने गलत बयानों पर गलती का प्रकाशन न कर सदन के प्रति अवमानना कर आप पहले प्रेस में चले गये, सार्वजनिक रूप से आपने रिपोर्ट का प्रकाशन कर दिया। यह भी सदन के प्रति अवहेलना का और अवमानना का अपराध किया है।

अध्यक्ष महोदय, घटना एक है कि ग्वालियर स्टेशन के प्लेटफार्म पर महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया और उस पर गृहमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी बार-बार उस घटना पर अपना स्टैंड बदलते रहे और सदन से तथ्यों को छिपाने के लिये, सदन को गुमराह करने के लिये, सदन को इससे वंचित रखा गया। तो यह निश्चित रूप से गलत मेडीसियस इन्टेशन और मेलाफाइडली इन्टेनशन से जानबूझकर उन्होंने सदन का अपराध किया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रकरण को निश्चित ही विशेषाधिकार समिति को भेजा जाये। क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी कटघरे में खड़े हैं। मैं चाहूँगा कि ..... (व्यवधान)

भले ही आप हँसें लेकिन मुझे तो आप लोगों के विवेक पर भी तरस आता है, इसलिये मेरा अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि निश्चित रूप से इस प्रकरण को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये। आपने जैसा मुझे आदेश दिया है साइंटेशन प्रस्तुत करने के लिये तो मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करूँगा।

श्री रमाशंकर सिंह (रौन) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है, जैसा कि यहाँ सदन में बताया गया था कि कुमारी ताजबुर्रहमान की रिपोर्ट को सदन में रखा जाएगा, लेकिन जाँच रिपोर्ट सदन में रखने के पहले बाहर दे दी गयी, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभी तक संपूर्ण जाँच रिपोर्ट सदन के सामने नहीं आ पायी है, सिर्फ जाँच का "जिस्ट" ही सामने आया है। जब तक जाँच रिपोर्ट का सारांश है और पूरी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक सदन संपूर्ण प्रकरण पर विचार करने के लिए सक्षम नहीं है।

अध्यक्ष : श्री रमाशंकर सिंह जी, न तो आज रिपोर्ट पर विचार हो रहा है, दूसरी बात कोई भी रिपोर्ट सदन में पूरी आनी चाहिए, ऐसा न तो नियमों में, न संविधान में और न विधान में ही है, फिर भी जब उस रिपोर्ट पर विचार होगा, ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी, उस समय आप आपत्ति उठाएँगे तब मैं आपकी व्यवस्था दूँगा।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने चर्चा स्वीकार कर ली है?

अध्यक्ष : उस रिपोर्ट पर चर्चा नहीं है।

श्री रमाशंकर सिंह : लेकिन जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि कुमारी ताजबुर्रहमान की इंटीग्रिटी पर, विवेक पर उनका शब्द था, विवेक पर हमें पूरा भरोसा है तो जब तक रिपोर्ट सदन में नहीं आ जाती, जाँच से पूर्व कुछ और बात बताई गई थी लेकिन जाँच रिपोर्ट में दूसरे तथ्य सामने आए हैं तो जब तक पूरी रिपोर्ट सदन के सामने नहीं आती तब तक सदन कैसे विचार कर सकता है। मेरा निवेदन यह है कि जाँच रिपोर्ट यदि पूरी नहीं आ पाएगी तो अच्छा विचार नहीं हो पाएगा।

अध्यक्ष : रमाशंकर सिंह जी, जब चर्चा का मौका आएगा और आप प्रश्न उठाएँगे तो मैं चर्चा का मौका दूँगा। मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह जी।

श्री सुन्दरलाल पटवा : माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ बोलें उसके पूर्व मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : इसमें आगे पीछे का कोई सवाल नहीं है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं तो आपके .....

श्री अर्जुनसिंह : मेरे प्रिविलेज का आप ख्याल न रखें तो अच्छा है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मुझसे आपको कबसे खतरा हो गया।

श्री अर्जुनसिंह : मुझे तो किसी से भी खतरा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन में जो विचार हो रहा है वह प्रिविलेज के इश्यू पर हो रहा है। उस घटना पर और उस रिपोर्ट से उद्भूत

तथ्यों की बात अलग है, इस समय तो प्रिविलेज बनता है कि नहीं, यह आप सुनना चाहेंगे और वह भी डिबेट सीमित है, इसलिए मैं सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि.....

अध्यक्ष : आप सबकी आज्ञा से 15 मिनट का समय बढ़ाता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह घटना 25 जनवरी की रात को घटी और पहले दफे जैसा कि विरोधी दल के नेता ने उसी लहजे में बोला कि तथ्य निर्विवाद है तो यह भी निर्विवाद है कि 5 मार्च को सदन के विचार के लिए वह बात आई जिसके ऊपर से शीतला सहाय जी और सबने कहा। इसके पहले जो एक और बात थी वह यह है कि 25 जनवरी को जो घटना हुई उसके संबंध में सभी परिस्थितियों को देखते हुए दिनांक 31-1-81 को कुमारी ताजबुर्रहमान की नियुक्ति तथ्यात्मक जाँच के लिए की गयी। पाँच मार्च को सदन के सामने यह प्रश्न आया और उस पर माननीय विरोधी दल के नेता और अन्य सदस्यों ने अपनी जानकारी के अनुसार सदन को सूचित किया। हमारी ओर से यह बात कही गयी, जैसी कि हमारे कथन से सदन में और जो मैंने लिखकर दिया है उससे भी स्पष्ट होगा कि उस समय तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर जो तथ्य सामने आए हैं वो यह हैं कि यदि कुमारी रहमान की रिपोर्ट जिसमें उन्होंने जो तथ्य सामने लाए हैं, पाँच मिनिट के पहले हमारे जेहन में होती तथा उसकी जानकारी मुझे होती और फिर मैं बयान में इस बात को कहता कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है तब मैं जान-बूझकर विलफुली, डेलिबरेटली और नोइंगली जो कृत्य हैं पूरे इश्यू पर जो कि लोकसभा की अनेकों रूलिंग में और डिबेट में दिए गए हैं उसका दोषी होता। उस समय जो भी प्रक्रिया से जाँच हुई थी चाहे एस.आर.पी. की रही हो या पुलिस की रही हो जिसकी भी रही हो, उस आधार पर इस प्रकार की किसी घटना की रिपोर्ट हमारे पास नहीं थी और तभी मैंने सदन में यह कहा कि रिपोर्ट आने के बाद अब मैं सदन को इसके बारे में कोई छिपाना नहीं चाहता और शीघ्र उनकी रिपोर्ट आयेगी और उनकी रिपोर्ट एक को आई, इसमें भी कोई शक नहीं, अब पहली और दस के बीच में न उपस्थित करना, सदन में यदि यह प्रिविलेज बनता है तो अध्यक्ष महोदय, आप डिसाइड करें, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन किसी भी रिपोर्ट के ऊपर विचार करने में कुछ समय लगता है, यही मैंने आपसे निवेदन किया है, जहाँ तक सवाल यह है कि हम सदन में दी गयी बातों के बारे में बाद में अपने को पीछे ले जाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि स्वयं माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि कुमारी ताजबुर्रहमान ने जो कुछ भी रिपोर्ट दी हमने उसे शब्दशः माना और उस पर हमने कार्यवाही भी की। जहाँ तक रह गया प्रश्न यहाँ पर सदन के सामने 27 अगस्त के बजाय 4 अगस्त को निर्णय की घोषणा करने का मैं समझता हूँ कि एक नहीं अनेकों बार इस बात को यहाँ प्रिविलेज के माध्यम से लाया गया है और कई चेयर्स की रूलिंग यहाँ हुई है, कि वह प्रिविलेज का विषय नहीं बनता है। सार्वजनिक महत्व का यह विषय था उस पर जैसे ही निर्णय हुआ उसको हमने इस प्रदेश की जनता के सामने रख दिया जिसके बारे में मिस रहमान ने कहा, उनके खिलाफ कार्यवाही की। अब इससे ज्यादा शासन की ओर से इस प्रदेश की जनता के प्रति, इस सदन के प्रति हम और क्या कर सकते थे, यह मैं नहीं समझ पाता। यह मैं कहना चाहता हूँ कि जो घटनाक्रम को आगे-पीछे करके इस तर्क को विल्डअप न करें, घटनाक्रम के अनुसार जो तर्क सामने आए उस आधार पर यदि हमने या हमारे राज्यमंत्री महोदय, ने विलफुली, डेलिबरेटली और नोइंगली इस सदन को किसी बात से अवगत नहीं कराया है, तो बात अलग है। यदि इसके बाद कोई तर्क सामने आए हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : विलफुली, डेलिबरेटली और नोइंगली शब्द कौल और शकधर जो किताब अध्यक्ष ने दी है, शायद उसी में से रटकर आए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ विलफुली, डेलिबरेटली और नोइंगली में इसके बारे में अब कोई संदेह रह जाता है कि आपने एक बात सदन के सामने कही और वह जिस पर आप विश्वास करते है वह आपको एक तारीख को पता लग गयी, दस तारीख तक क्या आपने इस बात की आवश्यकता नहीं समझी कि सदन में कम-से-कम इतना तो सदन के प्रति सम्मान प्रकट करके आप बता देते कि हमें रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है, उसमें हमने जो तथ्य सदन में बयान किए हैं उसके विपरीत कुछ बातें सामने आई हैं और हम उन पर विचार कर रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मैं विरोधी दल के नेता से एक ही निवेदन करूँगा कि सदन में जो कुछ कहा जाएगा

उसके ऊपर से प्रिविलेज आएगा सदन में जो कुछ कहा नहीं जाएगा वह विलफुली, डेलिबरेटली और फाल्स है, यह परिभाषा तो मैंने आज तक नहीं सुनी।

श्री सुन्दरलाल पटवा : सदन में आपने नहीं कहा यही विलफुली, डेलिबरेटली और नोइंगली सदन से आपने छिपाई स्टेटमेंट है, एक तारीख से।

श्री अर्जुनसिंह : आप जरा दिमाग खोलकर सुन लीजिए। जो स्टेटमेंट हाउस में किया जायेगा बात यह है कि हमारे पास तो थर्मामीटर हो सकता है लेकिन आपके लिए तो थर्मामीटर भी नहीं ढूँढ सकते। मैं अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूँ कि प्रिविलेज का इश्यू बनेगा उस स्टेटमेंट पर जो हाउस में दिया जाएगा जिसमें कि विलफुली, डेलिबरेटली और नोइंगली कोई चीज छिपाएँगे। हमने यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं दिया उसके लिए मैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का दोषी हूँ, यहा परिभाषा यदि आपने की है तो अध्यक्ष के सामने रखिए।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक तारीख तक.....

अध्यक्ष : मैं शीतला सहाय जी को मौका दे रहा हूँ।

श्री महेन्द्र कर्मा : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ आर्डर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन में जो स्टेटमेंट दिया है, सदन को अधिकार है कि तथ्यों से संबंधित जानकारी को सही रूप में प्रकट नहीं करते हैं, तो क्या सदन की अवमानना नहीं है।

अध्यक्ष : आप जब बोल रहे थे तभी मैंने कह दिया था कि पाइन्ट ऑफ आर्डर क्या होता है, समझ लीजिए। उसके बाद भी आप जिद करते हैं, पाइन्ट ऑफ आर्डर कहने का तो मतलब होगा कि मुझे पाइन्ट ऑफ आर्डर के लिए माननीय सदस्यों की क्लास लगाना पड़ेगी, समझाना पड़ेगा कि पाइन्ट ऑफ आर्डर क्या होता है, बार-बार कहने के बाद आप सुनने को तैयार नहीं हैं।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ कि यह प्रकरण विशेषाधिकार का क्यों बनता है और मैं मुख्यमंत्री जी से पूरी तरह सहमत हूँ कि इस सदन में जो बात कही जाये और अगर वह गलत है, गुमराह करने वाली है, जानबूझ कर कही है तो विशेषाधिकार बनता है। और बाहर भी कही गई हो तो विशेषाधिकार बनता है, बशर्ते यदि किसी माननीय सदस्य या सदन या हमारी किसी समिति की अवमानना होती है। इस तरह से बाहर भी बन सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का आशय इस बात से था कि जो कुछ उन्होंने कहा है केवल उस पर से विशेषाधिकार बन सकता है। इससे मैं सहमत हूँ कि डेलिबरेटली, विलफुली यह बात नोइंगली कही गई थी तो भी बनता है। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा कि 5 मार्च का उन्हें तथ्य मालूम नहीं थे। अगर तथ्य मालूम होते तो वह इस प्रकार गलत तथ्य इस सदन के सामने प्रस्तुत नहीं करते। पहले तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राज्यमंत्री श्री मुनिप्रसाद शुक्ल के वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें इन्डिपेंडेंटली उन्होंने यह कहा है कि जो कुछ तथ्य स्थगन प्रस्ताव में प्रस्तुत किये गये थे, वह असत्य हैं, महिला को निर्वस्त्र नहीं किया गया.....

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे मौका दीजिये, मैंने यह नहीं कहा जो अभी शीतला सहाय जी कह रहे हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि महिला को निर्वस्त्र नहीं किया गया। बयान में यह कहा गया था कि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई। हमने गलत बात नहीं कही (व्यवधान)

श्री रमाशंकर सिंह : इसके बाद वक्तव्य में कहा गया कि महिला को निर्वस्त्र किये जाने की बात एकदम गलत है। आपके बयान प्रोसीडिंग निकलवाकर देख लीजिए..... (व्यवधान)

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : मेरे पास प्रतिवेदन की कॉपी है।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से मैंने पाइन्ट नोट किये है मंत्रीजी भी नोट करलें और उसके बाद अपनी बात कहें, तो ज्यादा अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, अपना वक्तव्य समाप्त होने के 15 मिनिट में आपका वह वक्तव्य प्रस्तुत कर दूँगा जिसमें माननीय मुनिप्रसाद शुक्ल ने यह कहा है कि यह तथ्य सही नहीं है और अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार भंग की जो सूचना दी है उसमें स्पष्ट रूप से वाक्य कोट किये गये हैं। मैं

अपनी बात आगे बढ़ाकर यह कहना चाहता हूँ।

श्री प्रेमनारायण मिश्र : अध्यक्ष महोदय, 5-6 दिन पहले शीतला सहाय जी ने प्रश्न पूछा था, उसमें उन्होंने कहा कि यह शब्द नहीं दर्शाये हैं, कार्यवाही में यह छपा है.....

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने जब 28 जनवरी 1981 को, मैं उनसे मिला था और मैंने उनसे कहा था कि प्रशासन का जो तरीका है उसके हिसाब से आपके पास रिपोर्ट आ गई होगी। मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया था कि रिपोर्ट उनके पास आ गई है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि 28 जनवरी, 1981 को मुख्यमंत्री जी के पास रिपोर्ट थी, दूसरी बात कौन-सी रिपोर्ट कि ग्वालियर में इस प्रकार की घटना घटी है। मैं मिस रहमान की रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा.....

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, शीतला सहाय जी ने इसको सीमित कर दिया, इसके लिये मैं इनका आभारी हूँ। कम-से-कम आपने पटवा जी को थोड़ा मोडीफॉय तो किया, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि 28 तारीख को जो रिपोर्ट मेरे पास आई उनके तथ्यों को देखते हुए ही मैंने मिस रहमान की नियुक्ति जाँच के लिये की और मिस रहमान की नियुक्ति के बाद उनका जो प्रतिवेदन आया यदि उसके पहले जो मेरे पास उपलब्ध तथ्य थे उनके आधार पर सदन में कोई बयान दिया तो मैंने विलफुली मिस रहमान के निष्कर्षों से सदन को वंचित किया, सदन को गलत जानकारी दी, यह निष्कर्ष कैसे निकाल सकेंगे। आप तो एक अच्छे वकील हैं।

अध्यक्ष : ताजबुर्रहमान की रिपोर्ट 1-4-81 को आ गई।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मुख्यमंत्री जी, अगर अपने को करैक्ट करना चाहें तो थोड़ी-सी सूक्ष्म जानकारी मैं बताना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विलफुली, डेलिबरेटली, नोइंगली सदन में असत्य जानकारी देना यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है और विलफुली, नोइंगली, डेलिबरेटली सदन से सत्य जानकारी छिपाना यह भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। एक से दस तारीख तक विलफुली, डेलिबरेटली, नोइंगली सदन से सत्य जानकारी छिपाना उसके बाद असत्य जानकारी देना दोनों घटनाएँ हैं। आप करेक्ट कर लें।

श्री अर्जुनसिंह : पहली बात तो मैंने अध्यक्ष जी पर छोड़ दी है।

श्री शीतला सहाय : तो श्रीमान् मैं निवेदन कर रहा हूँ, जब मैं 28 तारीख को मिला, इसके बाद तारीख मुझे ठीक याद नहीं, हो सकता है 31 जनवरी हो या 1 फरवरी हो, कमिश्नर, ग्वालियर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें इन्दौर के अधिकारी भी पहुँचे, उस मीटिंग में अध्यक्ष महोदय, यह निरूपित किया गया कि इस प्रकार की घटना घटी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका प्रेस में उल्लेख हुआ है। आप समाचार-पत्र तो उठाकर देखें तो इस प्रकार का उल्लेख हुआ है। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और तार दिया। बहरहाल उसको छोड़ दिया है लेकिन श्रीमान मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पाँच तारीख को जब सरकार का वक्तव्य आया था और अगर यह मान भी लिया जाये कि घटना सही है, इस प्रकार का निर्णय करने की स्थिति में नहीं थे, तो यह घटना पूर्ण रूप से गलत है, उनको यह कहना था कि जाँच की जा रही है, तथ्य आने पर प्रस्तुत किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, लेकिन चूँकि ऐसी घटना थी जिससे सरकार की छवि बिगड़ने का सवाल था इसलिये जिला प्रशासन पर दबाव डालकर 3-4 फरवरी को यह डिनाय निकलवाया कि इस प्रकार की घटना नहीं घटी। उस पर से अध्यक्ष महोदय, मुझे बताया कि चर्चा इस तरह से हुई और दूसरी, तरफ यह बात हुई इस प्रकार घटी, इससे स्पष्ट होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पाँच तारीख को कैटेगरीकली यह कहा गया कि यह तथ्य नहीं है, कैटेगरीकली यह सत्य नहीं है। इसमें इन्टेन्शन देखना पड़ेगा कि क्या विशेषाधिकार भंग का प्रश्न बनता है या नहीं बनता है यह देख लें। तथ्यों के साथ इन्टेन्शन देखना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार का इन्टेन्शन ठीक नहीं तो 5 मार्च का स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट में बहुत स्पष्ट रूप से तथ्य गलत बताये गये यह बात नहीं कही गई है। उसके बाद एक घटना और घटी जो प्रमाणित करती है कि तथ्यों को छिपाने की कोशिश की है। ताजबुर्रहमान की रिपोर्ट आई। इस प्रकार का सजेस्ट करते रहे कि इस रिपोर्ट को किसी तरह रोका जाये जिससे तथ्य जनता में

न आने पावें और जनता में इस प्रकार की असत्य छवि न बनी रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कारण थे जिनके कारण माननीय मुख्यमंत्री ने और गृह राज्यमंत्री ने इस सदन को गुमराह करने के लिये जानबूझकर गलत तथ्य प्रस्तुत किये। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह विशेषाधिकार भंग का प्रश्न है और इसे स्वीकार किया जाये।

अध्यक्ष : सदन की आज्ञा से 15 मिनिट और बढ़ाये जाते हैं।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलना चाहिये।

अध्यक्ष : पाँच मिनिट मिलेंगे। रिपीटीशन नहीं होगा।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, श्री मुनिप्रसाद शुक्ल द्वारा उस समय जो बयान दिया गया था आप श्रीमान् उसकी पूरी प्रोसीडिंग देख लें। प्रोसीडिंग में एक वाक्य पूरा-पूरा यह है—

"महिला को निर्वस्त्र करने की बात एकदम गलत है।"

अध्यक्ष : आप पढ़कर बतायें कि किस पेज पर है, मुझे आप फिर बता दीजिये।

श्री रमाशंकर सिंह : यह कहा था कि महिला को निर्वस्त्र करने की बात एकदम गलत है। इसी प्रकार का बयान था कि महिला निर्वस्त्र नहीं हुई है। यह प्रश्न किया था कि क्या जी.आर.पी. हैड क्वार्टर इन्दौर के क्षेत्र के अन्दर ग्वालियर जी.आर.पी. थाना आता है, इस इन्दौर हैड क्वार्टर में महिला को निर्वस्त्र करने की रिपोर्ट है, इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री और शुक्ला जी ने दिया है उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि यह भी एकदम गलत है। ग्वालियर, इन्दौर में ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

अध्यक्ष : यह मानते हैं, फिर भी विशेषाधिकार कैसे बनता है, यह बतायें?

श्री रमाशंकर सिंह : डेलिबरेटली किया है। मिस ताजबुर्रहमान के द्वारा जाँच की घोषणा की गई। जब मुख्यमंत्री ने बयान दिया उसके पूर्व घोषणा की जा चुकी थी कि इस केस की जाँच अधिकारी मिस ताजबुर्रहमान होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विवेक के ऊपर पूरा भरोसा है और सरकार ने उस रिपोर्ट को स्वीकार भी कर लिया है। जिस दिन सदन में घोषणा की गई दोनों मंत्रियों द्वारा कहा गया कि निर्वस्त्र करने की बात गलत है। पूर्व में जाँच प्रारम्भ हो चुकी थी। स्थानीय प्रशासन के बारे में और लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाये थे कि स्थानीय प्रशासन जानबूझकर गलत तथ्य बता रहा है और मुख्यमंत्री जी को यह जानकारी पूर्व में प्राप्त हो चुकी थी कि ऐसी घटना ग्वालियर में घट चुकी है, स्थानीय प्रशासन से मुख्यमंत्री को मालूम हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन द्वारा ही सही रिपोर्ट यहाँ पर आ चुकी है। सार्वजनिक रूप से स्थानीय प्रशासन ने यह बयान दिया था।

अध्यक्ष : आप तो उस रात को प्लेटफार्म पर हाजिर थे और उसके बाद बयान भी दिया था।

श्री रमाशंकररसिंह : मैंने यह बयान दिया था कि कई सूत्रों के अनुसार महिला निर्वस्त्र की गई है।

अध्यक्ष : क्या आपके देखने में ऐसी बात आई थी?

श्री रमाशंकर सिंह : सिच्युएशन इतनी डिसऑर्डर में थी कि कहाँ आग लग रही है, कहाँ लूट हो रही है, अध्यक्ष महोदय, आप भी वहाँ होते तो सारी घटनाएँ वहाँ नहीं देख पाते।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी कहिये, मेरी छोड़िये।

श्री रमाशंकर सिंह : लोकसभा और विभिन्न विधानसभा के अध्यक्षों ने ऐसे मामले विशेषाधिकार समिति को सौंप दिये हैं।

अध्यक्ष : आप बता दीजिये।

श्री रमाशंकर सिंह : हाउस ऑफ कॉमन्स की क्या याद दिलाऊँ, वहाँ की परम्पराएँ यहाँ निभा पायेंगे? अध्यक्ष महोदय, जान फूमो का केस है हाउस ऑफ कॉमन, 22 मार्च, 1963.....

अध्यक्ष : वह तो उनके साथ घटना घटी थी और सदन में मना कर दिया, ऐसा नहीं हुआ।

श्री रमाशंकर सिंह : जान फूमो के साथ घटना घटी, सदन में बयान है कि धोखा हुआ है, सदन में जो जानकारी दी वह गलत है।

अध्यक्ष : मुझे मालूम है आप पृष्ठ बता दीजिये। सदन का कीमती समय बच जायेगा।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने तारीख बता दी है, 22 मार्च, 1963, व्हा. 674 पेज 809.

दूसरा है आंध्रप्रदेश लेजिस्लेटिव असेम्बली का केस, इसमें अलेस फाल्स इन्फोरमेशन का मामला था। इस पर भी वहाँ मिनिस्टर सा. द्वारा माफी माँगी गई इसलिए सदन में कोई कार्यवाही नहीं की।

एक माननीय सदस्य : माफी नहीं माँगेंगे।

श्री रमाशंकर सिंह : माफी नहीं माँग सकते, माफी माँगना पड़ेगी, नाक घिसवाकर माफी मंगवाएँगे, असत्य बोला है तो। इसी प्रकार उड़ीसा विधानसभा का 6 अप्रेल 1972 का केस है। इसमें भी ऐसा ही मामला था। अलेस मिस लीडिंग स्टेटमेंट बाई चीफ मिनिस्टर इन दी हाउस। आई सिन्सियरली रिग्रेट फार दी सेम। उन्होंने माफी माँगी। तब सदन ने मामला खत्म किया। इसी प्रकार लोकसभा का 13 दिसम्बर, 1973 की डिबेट में, है। अलेज्ड इन इन्फार्मेशन गिवन बाई दी मिनिस्टर इन दी हाउस। इनएक्युरेसी के संबंध में मिनिस्टर कन्सर्न ने लिखा है कि उस समय के.आर. गणेश थे, जिन्होंने सदन के समक्ष माफी माँगी, तब मामला क्लोज हुआ।

अध्यक्ष : "केन यू. डिस्टिंग्विस दी क्वेश्चन ऑफ प्रोप्रायटी एण्ड क्वेश्चन ऑफ प्रीवेलेज?"

श्री रमाशंकर सिंह : मैं डिटिंग्वस कर रहा हूँ। यह प्रश्न तो मुख्यमंत्री के बयान के बाद खड़ा होता है। उनको जानकारी होते हुए, भी, उनके द्वारा नियुक्त जाँच अधिकारी जिसके विवेक पर उनको भरोसा था, उसे सरकार ने स्वीकार किया, तब भी सरकार ने यह नहीं कहा कि जो बयान मैंने पहले दिया था, उसके लिए माफी माँगता हूँ। श्रीमान् इसी प्रकार एक और लोकसभा की प्रोसीडिंग है, जो श्री अटल बिहारी बाजपेयी का केस है, उस समय लोकसभा अध्यक्ष श्री नीलम संजीव रेड्डी ने केस में 1967 में एक फैसला किया—

On the 1st August, 1967 Shri Atal Bihari Vajpayee, a member, complained that in the light of the following remarks contained in a note written by a Deputy Secretary of the Madhya Pradesh Government in a file, the Minister of Home Affairs (Shri Y.B. Chavan.). by his statement in the House on the 28th and 31st July, 1967 denying any information, or issue of any directions by the Central Government, about the printing of Madhya Pradesh Budget, for presentation to Lok Sabha, had misled the House:

इसके बारे में अध्यक्ष महोदय, ने बगैर वाय.वी. चव्हाण को सुने, फैक्ट ऑफ दी केस देखते हुए सदन की अनुमति इस विषय पर ली जाये। इसी प्रकार एक और लोकसभा का मामला है। एलेसमिसलीडिंग केस 1968 लोकसभा।

4. The Speaker (Dr. N. Sanjiva Reddy) permitted Shri Rabi Ray to ask for leave of the House, which he did. As more than 25 members rose in favour, the leave was granted.

मिनिस्टर का बयान देखकर लीव ऑफ दी हाउस कहा है। वैसे सैकड़ों केस सामने आते हैं, तथ्य तो एक ही रहते हैं।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिये।

श्री रमाशंकर सिंह : श्री शुक्ल ने जो बयान दिया उसके बाद 1-4-81 को रिपोर्ट शासन के समक्ष आ गई। उसके तीसरे दिन मैंने वह मामला सदन में पुनः उठाया तो उस पर शुक्ल जी ने इस बात को सदन में कहा था कि इस प्रकार की कोई रिपोर्ट शासन के समक्ष नहीं आई है। उसके अगले दिन मैंने पुनः कहा कि रिपोर्ट आपके समक्ष आ चुकी है, उस पर श्री शुक्ल ने कहा अध्यक्ष महोदय, आप उस समय थे आखरी दिन अप्रैल सत्र जिस दिन समाप्त होने वाला था मैंने पुनः पूछा तो शुक्ल जी ने कहा कि हाँ, इसी सत्र में आ जायेगी, यह इनका बयान है। मैं आपके समक्ष प्रोसीडिंग रख दूँगा। अध्यक्ष महोदय, तीन दिन तक लगातार कहते रहे कि रिपोर्ट नहीं आई है और अन्तिम दिन इन्होंने कहा कि इसी सत्र में रिपोर्ट रख दी जायेगी लेकिन अध्यक्ष महोदय, शासन की जैसी मंशा थी इनके बयान को झुठलाने वाली। जब जाँच रिपोर्ट आ गई तो भी उस रिपोर्ट को सदन के सामने, जो शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी थी, नहीं रखा इस प्रकार से.....

अध्यक्ष : आपके अनुसार श्री मुनिप्रसाद शुक्ल को रिपोर्ट मिल चुकी थी और आपने पूछा फिर भी गलत बयानी की और इस प्रकार से यह विशेषाधिकार भंग का मामला है?

श्री रमाशंकर सिंह : जी हाँ।

अध्यक्ष : क्या आपने अपनी सूचना में ऐसा जिक्र किया है?

(व्यवधान)

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब सरकार स्वीकार कर चुकी है कि 1-4-81 को रिपोर्ट आई है (व्यवधान)

अध्यक्ष : क्या आप मेरी बात सुनने को तैयार हैं। आप विशेषाधिकार भंग स्पेसिफिक बता रहे हैं इसकी सूचना आपने दी है क्या? जिसका मैंने उनसे जवाब लिया हो, आप नई बात बताएँगे तो मुश्किल पड़ जाएगी। आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने तीनों प्रस्तावों पर साथ-साथ चर्चा करवाई।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपके प्रस्ताव में यह बात नहीं है कि आपने पूछा और उन्होंने मना किया?

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, नहीं है तो पहले कहा वही काफी है कि यह मामला प्रिविलेज कमेटी को सौंपा जाये।

श्री कपूरचन्द धुवारा : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय शीतला सहाय जी ने जब मुख्यमंत्री जी से कहा कि 28 जनवरी को जब मैं आपसे मिला था, तो उस समय मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि मुझे प्रशासनिक रिपोर्ट मिल चुकी है और उस रिपोर्ट से मैं सन्तुष्ट नहीं हूँ। तभी मैंने मिस ताजबुर्रहमान को जाँच रिपोर्ट सौंपी। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि जब 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को यह जानकारी प्राप्त हो गई कि रिपोर्ट गलत है और 5 मार्च को जान-बूझकर गृहमंत्री जी ने सदन में रिपोर्ट दी कि इस तरह की घटना नहीं घटी है।

अध्यक्ष : आपका कहना है कि जो कुछ इनको इनके अफसरों के द्वारा रिपोर्ट मिली थी उसके खिलाफ यह बयान यहाँ दिया यह कहना है आपका?

श्री कपूरचन्द धुवारा : जी नहीं, मेरा कहना यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को 28 तारीख को यह जानकारी हो चुकी थी कि इस तरह की घटना घटी है।

अध्यक्ष : यह आपने अपने उसमें लिखा है क्या, किस सोर्स से उनको मिला?

श्री कपूरचन्द धुवारा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने शीतला सहाय जी को बताया कि 28 तारीख को उनको रिपोर्ट मिली थी और उससे वे सन्तुष्ट नहीं हुए, घटना घटी है ऐसा इनके मन में था इसलिये ताजबुर्रहमान की जाँच रिपोर्ट बिठाई। मेरा कहना है कि जब 28 तारीख को मुख्यमंत्री जी सन्तुष्ट नहीं थे, तो पाँच मार्च को सदन में गलत बयान कैसे दे दिया कि घटना घटी ही नहीं है और किसी को निर्वस्त्र नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, इनके एक मंत्री के द्वारा फोन किया गया था कि इनको छोड़ो। अध्यक्ष महोदय, काँग्रेस (आई.) के लोगों द्वारा यह घटना घटाई थी उनको बचाने के लिये इस तरह की झूठी रिपोर्ट सदन में दी है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सर्वथा गलत है। आप एक ऐसे विषय पर बोलते हुए इस तरह की बात न करें। धुवारा जी, मैं निवेदन करूँगा कि इसमें न तो काँग्रेस (आई) का सवाल है और न ही किसी मिनिस्टर ने फोन किया, खामोखाँ आप एक नई चीज इसमें बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, यह अनुचित है। (व्यवधान)

श्री रमाशंकर सिंह : (व्यवधान के बीच) अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट जो शासन को दी गई है उसमें इस बात का जिक्र नहीं है कि जो लोग हुल्लड़ कर रहे थे, वे अर्जुनसिंह जिन्दाबाद का नारा लगा रहे थे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : धुवारा जी मेहरबानी करके आपने जो विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया है उस पर बोलें।

श्री कपूरचंद धुवारा : मैं तथ्यों का वर्णन .....

अध्यक्ष : ये तथ्य नहीं आयेंगे।

श्री कपूरचन्द धुवारा : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यही है कि सदन से तथ्य क्यों छिपाए। मैं इसलिये कह रहा हूँ, उस दिन की कार्यवाही श्रीमान् आपको दिखाई जा सकती है कि गृहमंत्री जी ने कहा कि घटना नहीं घटी और न ही किसी को निर्वस्त्र किया गया और न ही लूट-पाट की गई। ऐसी स्थिति में यह विशेषाधिकार भंग

का मामला बनता है इसलिये इसको विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये।

अध्यक्ष महोदय : सदन की अनुमति से सभा की कार्यवाही 15 के लिये बढ़ायी जाती है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा (जावद) : अध्यक्ष महोदय, ग्वालियर की घटना के बारे में श्री शीतला सहाय जी की डिमांड आई थी, मैंने उस मोशन पर उस कार्रवाई के अंदर भाग लिया था। इसलिये अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ये है कि क्या शासन के पास ये जानकारी थी, शासन के पास उनके अधिकारियों ने जो रिपोर्ट भेजी, जो कुछ डाक्यूमेंट उनके पास पजेशन में था, उनके अंदर इस प्रकार की कोई बात थी या नहीं। ताजबुर्रहमान की रिपोर्ट में बाद में स्वीकार किया गया है कि इस प्रकार की घटना स्टेशन पर घटित हुई। आखिर वह भी इस निर्णय पर पहुँची तो कोई डाक्यूमेंटरी एवीडेंस इस प्रकार का है या नहीं। उस समय प्रश्न किया गया था कि एस.आर.पी. इंदौर को जी.आर.पी. ग्वालियर ने ग्वालियर स्टेशन की घटना के बारे में जो रिपोर्ट भेजी है क्या वह रिपोर्ट उसके पास है? मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया था कि वह रिपोर्ट है। हम बार-बार कह रहे थे कि उस रिपोर्ट के अंदर स्टेशन पर महिलाओं को निर्वस्त्र किये जाने की बात दर्ज है, यह रिपोर्ट जी.आर.पी. वालों ने स्वयं दर्ज की है। आप उसे मँगाकर देख लें। शासन के पास जवाब देने के लिये जो दस्तावेज थे उसमें जी.आर.पी. की रिपोर्ट थी उसमें यह लिखा हुआ था कि वहाँ स्टेशन पर महिलाओं को निर्वस्त्र करने की घटनाएँ घटित हुई हैं, ये उनकी स्वयं की रिपोर्ट के अंदर दर्ज है। उस दस्तावेज के इनके पास होते हुए भी सदन को जानकारी नहीं दी है कि निर्वस्त्र करने की कोई घटना नहीं घटी तो डेलिबरेटली, नोइंगली सारी कंडीशन उसमें पूरी हो जाती हैं, इसलिये मेरा यह निवेदन है कि उस रोज जो स्वीकार किया है कि जी.आर.पी. ग्वालियर ने एस.आर.पी. इंदौर को जो रिपोर्ट भेजी है, वह रिपोर्ट हमारे पास है, कृपया उसे बुलाकर आप देख लें तो आप कन्विन्स्ड हो जायेंगे कि नोइंगली डेलिबरेटली इस प्रकार की बात पजेशन में डाक्यूमेंट होने के बाद जिसके अंदर निर्वस्त्र किये जाने की घटना इंगित है, सदन को सही सूचना दी या नहीं।

डॉ. राजेन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि.....

श्री सुन्दरलाल पटवा : लॉ मिनिस्टर साहब ने मुख्यमंत्री जी के केस को लेने से इंकार कर दिया है या लॉ मिनिस्ट्र के ऊपर उन्हें भरोसा नहीं है।

श्री कृष्णपालसिंह (विधिमंत्री) : पहले आप राज्यमंत्री से मुकाबला कीजिये।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : विरोधी दल के नेता की ओर से गहरी बात आना चाहिये हल्की बात शोभा नहीं देती।

श्रीमती जयाबेन : विरोधी दल के नेता हमारी पार्टी की चिन्ता में दिनों दिन दुबले होते जा रहे हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : जया बेन मैं तो हमेशा कमजोर रहने वाला हूँ।

डॉ. राजेन्द्र जैन (राज्यमंत्री, विधि) : अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक दृष्टि से यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है। विरोधी दल के नेता पटवाजी, श्री शीतला सहाय जी, रमाशंकर सिंह जी ने और सखलेचा जी ने इंटरप्शन में ये कहा था कि एक महिला को निर्वस्त्र किया गया जबकि जाँच में यह आया है कि दो महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया है, तो उनका कथन भी अवमानना की परिधि में आ जायेगा एक वाक्य के बारे में, वह भी कहा गया या नहीं कहा गया.....

अध्यक्ष : और क्या अवमानना की परिधि में आ जायेगा, इस पर चर्चा नहीं हो रही है।

डॉ. राजेन्द्र जैन : श्री शीतला सहाय जी का ये कहना कि एक महिला को निर्वस्त्र किया गया जाँच रिपोर्ट में दो महिलाओं का बताया गया और भी बहुत-सी चीजें आई हैं। उन्होंने जो बात कही थी वह तथ्य के विपरीत थी। इन्होंने जिस प्रकार से तर्क दिये हैं वह अवमानना के नियम में आते हैं। अवमानना का एक विशेष प्रकरण होता है वह इसमें कहीं नहीं है। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि.....

एक बात यह कही गई है कि 1.4 की रिपोर्ट सदन में 10 दिन तक पेश नहीं की है, इसलिए अवमानना है। दूसरे उसमें यह कहा गया है कि 4 अगस्त को घोषणा कर दी है। अध्यक्ष महोदय, देर होती है, तो इनका कहना होता है, प्रिवीलेज बनता है, यदि जल्दी करते हैं तो इनका कहना होता है, प्रिवीलेज बनता है। यह दोनों बातें एक-दूसरे के विपरीत हैं। तीसरा निवेदन यह है कि इन्होंने लोक सभा तथा राज्यसभा की 67 व 73 की बात

बताते हैं, मैं सन् 80 के कुछ नतीजे बताना चाहता हूँ। कौल एण्ड शकधर की किताब में है। जिसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे, वह रिफरेंस देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, डायजेस्ट का केस है, प्रसिद्ध केस है, जो अखबारों में काफी छपा है। एन.के. सिंह के बारे में पूछा गया था कि क्या उनको गिरफ्तार किया गया था? स्पेसिफिक मंत्री जी ने कहा था कि गिरफ्तार नहीं किया गया। दूसरे सदस्यों ने पूछा तो बताया गया कि गिरफ्तार नहीं किया गया। बाद में मालूम हुआ कि गिरफ्तार किया गया है। मंत्री जी ने जो जानकारी दी थी वह गलत थी। अध्यक्ष महोदय, उसमें विशेषाधिकार उठाया था, श्री सत्यपाल मलिक ने तथा और कई लोग शामिल थे। उस अध्यक्ष ने व्यवस्था दी थी.....

"I do not dare, therefore to give my consent to the matter being raised on a question of Privilege under Rule 222."

यहाँ उसको उठाने की इजाजत अध्यक्ष महोदय ने नहीं दी। दूसरा प्रकरण मैं सिमिलर बताना चाहता हूँ 1980 का, अध्यक्ष महोदय, श्री ज्ञानी जेलसिंह होम मिनिस्टर के संबंध में था राज्य सभा का। यह अखबारों में बहुत छपा है। हमारे सदस्यों को मालूम होगा। एक महिला का मामला था। एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछा गया था कि उस महिला के साथ बलात्कार किया गया या नहीं? विरोधी पक्ष के सदस्यों ने कहा उस महिला के साथ बलात्कार किया गया तथा माननीय गृह मंत्री ने कहा कि नहीं किया गया। इसके बाद यह मालूम हुआ कि उसके साथ बलात्कार हुआ था। उसके संबंध में विशेषाधिकार का प्रश्न आया। उसमें रूलिंग दी गई थी कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता। इसी प्रकार हाउस ऑफ कॉमन्स, हमारे पार्लियामेंट और विधानसभा में वह जो प्रिंसीपल्स ले डाउन किए गए हैं। कौल एण्ड शकधर की बुक पेज 234.....

श्री राधारमण भार्गव : व्यवस्था का प्रश्न अध्यक्ष महोदय, क्या इसीलिए जानकारी गलत दी जाती है कि प्रिवीलेज नहीं बनता, क्या इसीलिए सत्तापक्ष गलत जानकारी देता है कि बलात्कार नहीं किए जा रहे हैं?

डॉ. राजेन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीगण जो जानकारी सदन को देते हैं, उनके पास रोज जितने प्रश्न जवाब देने के लिए आते हैं, उनके पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर देते हैं। अगर यह सिद्धांत मान लिया जाये कि गलत जानकारी के आधार पर विशेषाधिकार बन जाएगा तो वह अध्यक्ष महोदय, सदन का काम नहीं चल सकता। इसलिए इस प्रकार की गलती भी हो जाये तो वह भी विशेषाधिकार की परिधि में नहीं आता। यह मेरा निवेदन है कि .....

"Incorrect statement made by a Minister can not make any basis for a breach of Privilege, It is only a delebrate lie, if it can be substantiated."

अध्यक्ष : (सब्स्टेंशिएट) करने का क्या मतलब था कि उसकी बात करें।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर।

अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने यह प्रश्न नहीं उठाया था कि उनका कहना गलत था या नहीं था। हमारा कहना यह है कि जानबूझकर हाउस को मिसलीड करने का इरादा था। इनकरेक्ट और मिसलीडिंग में फर्क होता है।

डॉ. राजेन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं जो उदाहरण देना चाहता हूँ, मिसलीडिंग के बारे में देना चाहता हूँ। उसमें इजहार है.....

अध्यक्ष : सिर्फ गलत बयानी विशेषाधिकार की सीमा में उस समय आएगी जब मिसलीडिंग के इरादे से की जाये।

श्री रमाशंकर सिंह : वही तो मैं कह रहा हूँ।

डॉ. राजेन्द्र जैन : Other lapses, other mistakes do not come under this category, because every day we find that Minister, make their statements in which they make mistakes and which they correct afterwards.

दूसरे इन्होंने कहा है कि सदन का नोटिस चला गया था। सदन में रिपोर्ट आने के पहले समाचार-पत्रों में रिपोर्ट प्रकाशित करा दी गई। इसके बारे में भी कौल एण्ड शकधर में बताया गया है।

"No privilege of Parliament is involed if statements on matter of public interest

are not first made in the House and are made outside."

इसके अलावा एक और कानूनी मुद्दा माननीय रमाशंकर सिंह जी ने उठाने का प्रयास किया है। उसके बारे में भी है:—

It is for the Government to decide whether a report of a department committee, or any particular report, should be laid on the table. The Speaker has declined to give any directions to the Government whenever reques: by members suggesting the laying of such a report has been made to him.

मेरा निवेदन यह है कि यह सामान्य प्रक्रिया है जब कभी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के तहत जाँच की जाती है तो उसमें यह है कि उसकी रिपोर्ट 6 महीने में प्रस्तुत की जा सकती है। यह कमीशन ऑफ इंक्वायरी के तहत रिपोर्ट नहीं है। इसमें शासन क अधिकार है, वह जब चाहे रिपोर्ट्स प्रस्तुत करे या न करे। जब कमीशन ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट मे ही यह प्रावधान है क्योंकि कोई भी रिपोर्ट आने पर शासन उसका परीक्षण करेगा, परीक्षण रिपोर्ट पर निर्णय करेगा अगर आवश्यक हुआ तो कोई केस चलेगा, नहीं आवश्यक हुआ तो नहीं चलेगा जो भी कार्यवाही उचित समझेगा करेगा। उसको आउट करना जनहित में है या नहीं इसलिये शासन को अधिकार है कि जब 6 महीने का कमीशन ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट में है तो शासकीय जाँच का जो प्रतिवेदन है, उसके बारे में यह कहना कि 10 दिन में दे देना चाहिये था, उचित नहीं है।

श्री राधारमण भार्गव : अध्यक्ष महोदय, स्थायी आदेश के 11-क में यह बताया गया है कि जिस प्रश्न के उत्तर में मंत्री द्वारा यह जानकारी दी जाये कि किसी अधिकारी के विरुद्ध जाँच जारी है तो संबंधित मंत्री उस सत्र के अंतिम बैठक के पूर्व सदन को जाँच के पूर्ण हो जाने पर जाँच का परिणाम या जाँच के अपूर्ण होने की दशा में लंबित जाँच की स्थिति से अवगत करायेगा।

अध्यक्ष : वह अधिकारी की जाँच से संबंधित आपने बताया।

डॉ. राजेन्द्र जैन : यह इतना स्पष्ट प्रकरण है कि इससे स्पष्ट प्रकरण हो नहीं सकता। जनवरी में यह प्रश्न आया, विधानसभा में किसी ने नहीं उठाया, शासन ने आवश्यक समझा कि इस प्रकार की घटना ग्वालियर में हुई है जिसमें हो सकता है कि जो स्थानीय अधिकारियों ने काम किया है, उससे पूरे तथ्य सामने न आ सके हों इसलिए शासन ने एक अधिकारी को जाँच का काम सौंप दिया। उस समय आदरणीय शुक्ल जी ने और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा कोई इरादा सदन से छिपाने का नहीं है, जाँच के लिये हम स्वयं चाहते हैं, वास्तविकता का पता लगाने के लिये शासन ने एक जाँच अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। जब जाँच अधिकारी की नियुक्ति कर दी जाये तो उसके बारे में कहना कि अंधेरे में रखा गया गलत है। जाँच क्यों नियुक्ति की गई थी तथ्यों का पता लगाने के लिये, तथ्यों का अन्वेषण करने के लिये जाँच नियुक्त की गई थी। अगर शासन को भरोसा होता कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह गलत है या शासन को विश्वास होता कि जो हम कह रहे हैं वह सही है तो जाँच करने की आवश्यकता क्यों होती? जाँच की घोषणा मुख्यमंत्री की, सदन में प्रश्न आने के पहले की गई। वह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि शासन की मंशा यह थी कि तथ्यों का पता लगाया जाये, सही तथ्य जनता के सामने आयें और जब सही तथ्य जनता के सामने आयें और जैसे ही विभाग और शासन का परीक्षण पूरा हुआ, बिना इस बात के रुके हुए कि हम पच्चीस दिन और ठहरें, उसका पहले प्रकाशन हुआ, वह जनहित में था। जो पहले प्रकाशन हुआ वह जनहित में है, यह विरोधी सदस्यों ने माना है। इसलिए उसका प्रकाशन होना जरूरी था। इसलिये इस प्रस्ताव को अग्राह्य किया जावे।

अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण सूचनाएँ अब दोपहर के पूर्व ही ली जायेंगी, दोपहर बाद नहीं।
इस पर चूँकि मैंने दोनों पक्षों को सुना है इसलिए इस पर अपना निर्णय सुरक्षित रखता हूँ।

अध्यक्ष : सदन की बैठक 3-15 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(2-47 से 3-15 बजे तक अन्तराल)

{सभापति महोदय (श्री बाबूलाल गौर) पीठासीन हुए}

श्री रमाशंकर सिंह : माननीय सभापति महोदय, आज के एजेन्डे में तीन-तीन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं .....

सभापति महोदय : वे कल लिये जायेंगे, इस समय आगे का कार्य होगा।

श्री नगीन कोचर : अध्यक्ष महोदय, अभी विशेषाधिकार के बारे में चर्चा चली थी, मैंने भी एक विशेषाधिकार दिया है। खाद्य मंत्री जी ने यहाँ कहा था कि दाल की निकासी में लेव्ही नहीं ली गई लेकिन अनापत्ति प्रमाण-पत्र में स्पष्ट है कि दाल की निकासी पर गेहूँ की लेव्ही ली गई है।

सभापति : कल जब पेश करेंगे तब यह विषय उठाया जायेगा।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/14 सितंबर 1981, पृष्ठ/ 1633-1647)

14 सितंबर 1981 को प्रदेश में सूखे की स्थिति और उससे निबटने के लिए शासन के निर्णयों के बारे में मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने विस्तृत वक्तव्य दिया। उसके बाद मध्यप्रदेश डकैती प्रभावित अध्यादेश 1981 के अनुमोदन के संकल्प पर चर्चा प्रारंभ हुई जिसमें प्रमुख रूप से श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा और श्री रमाशंकर सिंह ने हिस्सा लिया—

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राज्य शासन द्वारा इस वर्ष अब तक हुई वर्षा तथा फसल की स्थिति का जायजा लिया गया तथा स्थिति निम्नवत पाई गई—

राज्य शासन में 15 जिलों में (सरगुजा, रायगढ़, सीधी, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, रतलाम, उज्जैन, खरगौन, खंडवा, इंदौर, धार, शाजापुर एवं रीवा) सामान्य से अधिक अथवा सामान्य अथवा केवल 10 प्रतिशत वर्षा कम हुई है। राज्य के 11 जिले (बस्तर, बिलासपुर, सतना, बालाघाट, टीकमगढ़, छतरपुर होशंगाबाद, देवास, झाबुआ, विदिशा तथा पन्ना) ऐसे हैं जिनमें औसत से 10 से 20 प्रतिशत तक कम वर्षा हुई है। राज्य के 9 जिले (राजनादगाँव, भोपाल, सीहोर, रायसेन, बैतूल, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, एवं मन्दसौर) ऐसे हैं जिनमें औसत से 20 से 30 प्रतिशत तक कम वर्षा हुई है। राज्य के 6 जिले (रायपुर, शहडोल, दमोह, राजगढ़, गुना, एवं ग्वालियर ऐसे हैं जिनमें औसत से 30 से 40 प्रतिशत तक कम वर्षा हुई है तथा राज्य के 4 जिले (दुर्ग, भिण्ड, जबलपुर एवं सागर) ऐसे हैं जहाँ 40 प्रतिशत या उससे अधिक कम वर्षा हुई है।

संभागवार फसल की स्थिति निम्नानुसार है—

रायपुर संभाग में रायपुर एवं राजनाँदगाँव में लगभग 24 तथा 20 प्रतिशत क्षेत्र में धान की व्यासी नहीं हुई है तथा दुर्ग जिले में केवल 60 प्रतिशत क्षेत्र में व्यासी हो सकी है। इस संभाग में 708 ग्राम रायपुर के 222 ग्राम राजनाँदगाँव के तथा 357 ग्राम दुर्ग जिले के प्रभावित हुए हैं। दुर्ग जिले में कीट प्रकोप पाया गया है तथा 12 विकासखंड संक्रामक घोषित किये गये हैं।

बस्तर, होशंगाबाद एवं उज्जैन संभागों में फसल की स्थिति सामान्य अथवा अच्छी है, बिलासपुर संभाग के सभी जिलों में यद्यपि गत वर्ष की तुलना में कम वर्षा हुई है लेकिन वर्षा का वितरण अच्छा होने से धान की फसल में व्यासी एवं रोपाई में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई है। केवल बिलासपुर जिले के तखतपुर, पथरिया, जैजैपुर, कटघोरा, एवं डभरा विकासखंडों में 50 प्रतिशत क्षेत्र में धान की व्यासी की जा सकी है। बिलासपुर जिले के कुछ क्षेत्रों में कीट व्याधि देखी गई है तथा दवाइयों का हवाई छिड़काव, दिनांक 21-9-81 से प्रारंभ होने की संभावना है। जबलपुर संभाग में मण्डला एवं नरसिंहपुर जिलों में अच्छी वर्षा होने से फसल की स्थिति अच्छी है। सिवनी जिले के लखनादौन तहसील, बालाघाट जिले के कटंगी एवं लॉजी विकासखंड तथा छिन्दवाड़ा जिले के पांढुर्ना क्षेत्र में कम वर्षा के कारण फसलें प्रभावित हुई हैं। जबलपुर जिले में सामान्य से 50 प्रतिशत वर्षा कम होने से खरीफ फसलें प्रभावित हुई हैं तथा खरीफ क्षेत्र 20 प्रतिशत कम बोये गये हैं।

सागर संभाग में सागर जिले में सामान्य से 61 प्रतिशत कम वर्षा हुई है; परन्तु फिर भी खरीफ फसलों की स्थिति सामान्य है। सागर जिले में केवल 25 प्रतिशत के लगभग रकबा खरीफ फसलों के अन्तर्गत बोया जाता है। खरीफ में ज्यादा रकबा ज्वार, मक्का सोयाबीन फसलों का है जिनकी वर्तमान स्थिति संतोषजनक है। सागर संभाग के अन्य

जिलों में भी कम वर्षा हुई है लेकिन फसल की स्थिति संतोषप्रद है। यदि अगले 10 दिनों में वर्षा न हुई तो सागर जिलों की खरीफ फसलों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार दमोह जिले में धान की फसल पर 40 प्रतिशत प्रभाव पड़ने की आशंका है।

रीवा संभाग में सामान्य से कुछ कम वर्षा होने के कारण 10 प्रतिशत धान क्षेत्र कम बोया गया है। यदि वर्षा एक हफ्ते में न हुई तो हल्की भूमि में बोई गई फसलें 10 प्रतिशत प्रभावित होने की संभावना है।

भोपाल संभाग में फसल की स्थिति अच्छी है, लेकिन विदिशा एवं राजगढ़ जिले के कुछ क्षेत्र में वर्षा देर से प्रारंभ होने से 22 हजार हेक्टेयर एक फसलीय खरीफ क्षेत्र नहीं बोया जा सकता है। इसमें रबी फसलें बोई जायेंगी।

इन्दौर संभाग में सामान्य से 20-25 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है। निमाड़ क्षेत्र में फसलों की स्थिति अच्छी है, परन्तु मालवा की 10 प्रतिशत क्षेत्र की फसलें अधिक वर्षा से प्रभावित हुई हैं।

ग्वालियर एवं गुना जिले में ज्वार फसल कम वर्षा के कारण 70 प्रतिशत प्रभावित हुई है। शिवपुरी जिले की खरीफ फसलें झुलसने की स्थिति में हैं।

चम्बल संभाग में 10 से 25 प्रतिशत सामान्य से कम वर्षा हुई है। जिससे खरीफ फसल की बोआई पर प्रतिकूल असर पड़ा है। धान के क्षेत्र में कमी हुई है। 30 से 40 प्रतिशत फसल प्रभावित हुई है। फसल को बचाने हेतु नहर से पानी देने की व्यवस्था की जा रही है।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुए राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि—

1. सिंचाई विभाग ने गत वर्ष सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये अनेक कार्य चालू किये थे। उक्त कार्य इस वर्ष की आयोजना में सम्मिलित किये गये हैं। इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर इस वर्ष पूर्ण किया जाये ताकि पर्याप्त मात्रा में रोजगार उपलब्ध हो सके।

2. पेयजल के सम्बन्ध में कुछ कठिनाई होने की संभावना को देखते हुए नाले बाँधने का कार्य ऐसे क्षेत्र में तत्काल किया जाये जहाँ पीने के पानी की कमी रहने की संभावना है। इस हेतु राज्य शासन द्वारा संभागीय आयुक्तों को 30 लाख रुपये उपलब्ध किये जा रहे हैं।

3. राज्य शासन ने सभी आयुक्तों को यह भी निर्देश देने का निर्णय लिया है कि प्रत्येक जिले के ऐसे क्षेत्र में जहाँ वर्षा की कमी के कारण अथवा फसल को नुकसान होने के कारण मजदूर अपने क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में जाने की संभावना है, उस क्षेत्र के लिये योजनाएँ बनाई जायें ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल राहत कार्य चालू किये जा सकेंगे।

4. केन्द्र शासन से भी निवेदन किया जा रहा है कि एक केन्द्रीय निरीक्षण टीम अक्टूबर 1981 में राज्य में भेजी जावे ताकि केन्द्र शासन को सूखे के बारे में स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त हो सकेगी है।

श्री डी.एम. जगताप : सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रायगढ़ जिले की स्थिति बताई है, उससे कहीं भयंकर स्थिति है, वहाँ पर पीने के पानी की भी बड़ी दिक्कत है। पीने का पानी भी दूसरे जिले से लाना पड़ रहा है। वहाँ की मुख्य फसल ज्वार है। पानी नहीं बरसने के कारण उसमें इल्ली लग गई है, और पानी नहीं बरसने के कारण वहाँ पर चना और गेहूँ की फसल का तो प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री रमाशंकर सिंह : सभापति महोदय, शासन की ओर से जो अभी जिले प्रदेश भर में जिलेवार वर्षा की स्थिति बताई गई है। उसमें 40 प्रतिशत से अधिक में पानी नहीं वर्षा है। मेरा यह निवेदन है कि अगर जिले के बजाये तहसील के आधार पर वर्षा की जानकारी एकत्रित की जाये कि हर तहसील में कितनी वर्षा हुई है, तो उससे वर्षा के आँकड़े अधिक सही मिल सकें और शासन को भी स्थिति का आंकलन करने में अधिक सुविधा होगी।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह बिल्कुल सही है। इसलिये शासन तहसीलवार वर्षा की जानकारी मँगाने का प्रयास कर रहा है ताकि जहाँ की स्थिति खराब हो वहाँ पर तत्काल राहत कार्य खोले जा सकें।

श्री कैलाश जोशी : सभापति महोदय, सदन में जो मुख्यमंत्री ने वर्षा की और फसलों की जानकारी पूरे

प्रदेश की प्रस्तुत की है, वह शासन द्वारा एकत्रित आँकड़ों के आधार पर की है। अतः वह वस्तुस्थिति के आसपास ही होगी। सदन में अनेकों सदस्यों ने भी अपने-अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी दी है कि वर्षा न होने के कारण स्थिति खराब है। हम लोगों ने इस पर 2 घण्टे की चर्चा भी माँगी है। अगर इस पर विस्तृत चर्चा हो जाये तो ठीक रहेगा। अतः चर्चा कराई जाये।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर विचार करलें, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति : इस पर कल माननीय अध्यक्ष महोदय, विचार कर लेंगे।

श्री राधारमण भार्गव : सभापति महोदय, मैंने एक प्रस्ताव की सूचना दिनांक 28-8-81 को दी थी, मुरैना जिले में औरतों के क्रय-विक्रय के संबंध में।

सभापति : उसके सम्बन्ध में आप कल माननीय अध्यक्ष महोदय से उनके कक्ष में चर्चा कर लीजिये।

श्री सखाराम पटेल : सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जब श्रीमान् सभापति तालिका के अनुसार सभापति की आसंदी पर बैठे हैं तो उसके ऊपर भी अध्यक्ष महोदय ही निर्णय देंगे जबकि प्रश्न आपके सामने रखा है।

सभापति : मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि अगर कोई मामला पहले से चल रहा है और उस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने कोई निर्णय दे दिया है तो उस पर मैं व्यवस्था देने में समर्थ नहीं हूँ।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/14 सितंबर 1981,. पृष्ठ/ 1648-1650)

अध्यादेश के अनुमोदन का संकल्प

मध्यप्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश, 1981 (क्रमांक-5 सन् 1981)

श्री रमाशंकर सिंह (रोन) : (श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा, श्री चौधरी दिलीपसिंह, डा. परशुराम साहू, श्री कैलाश जोशी) अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "यह सदन म.प्र. के राज्यपाल द्वारा बनाये गये म.प्र. डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश 1981 (क्रमांक-5 सन् 1981) का अनुमोदन करता है।"

सभापति : संकल्प प्रस्तुत हुआ कि "यह सदन म.प्र. के राज्यपाल द्वारा बनाये गये म.प्र. डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश, 1981, (क्रमांक-5 सन् 1981) का अनुमोदन करता है।"

श्री रमाशंकर सिंह : सभापति जी, ये अध्यादेश विधेयक के रूप में इस सदन में पुरःस्थापित हुआ था, उस समय कुछ संवैधानिक बिंदुओं की तरफ ध्यान दिलाया गया था और इसके साथ-साथ इसके ऊपर जो चर्चा हुई थी उसमें लोगों ने कई प्रकार की आशंकाएँ भी व्यक्त कीं लेकिन पिछले सत्र में विधिवत् व्यापक चर्चा विधेयक के ऊपर नहीं हो पायी और सरकार अपनी मंशा के मुताबिक अध्यादेश के रूप में इसको लाई लेकिन अध्यादेश लागू होने के तुरंत बाद म.प्र. में क्या स्थिति बनी है उसको यदि शासन भी निष्पक्ष रूप से देखे और विचार करे तो उसको स्वयं इस अध्यादेश की कई गलतियों और इसका जो दुरुपयोग हुआ है उसमें बड़े पैमाने पर पुलिस के जो छोटे अधिकारी हैं उन्होंने उसका जो दुरुपयोग किया उसकी तरफ और इस अध्यादेश के कारण पुलिस अधिकारियों को जो शक्तियाँ और अधिकार प्राप्त हुए हैं वे इतने व्यापक हो गये हैं और उनके हाथ इतने लंबे हो गये हैं कि अगर निर्दोष व्यक्ति है, तो उसको जो नागरिक आजादी है, उसका भी हनन कई क्षेत्रों में हुआ लेकिन जो उद्देश्य था अध्यादेश का वह पूरा नहीं हुआ है और इस प्रकार से शासन ने अधिकार तो दे दिये, पुलिस अधिकारियों के हाथ में, शक्तियाँ भी दे दीं उनका जो बहाना है, वह भी पूरा हो गया लेकिन वांछित परिणाम इससे नहीं निकलेगा। आप देखेंगे कि अध्यादेश जब से लागू हुआ है तब से आज तक सूचीबद्ध डाकू गिरोहों की संख्या बढ़ी है। होना तो यह चाहिए था कि इस अध्यादेश के लागू होने के बाद सूचीबद्ध गिरोहों की संख्या घटती लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले 56 थी जो आज बढ़कर 70 से ऊपर हो गई है। इसके साथ-साथ अध्यादेश लागू होने के बाद यह कहा जा रहा है कि अध्यादेश लागू होने के पहले 4 महीने में अपराध कम हुए हैं। जो भी आदमी या जो भी सरकारी या पुलिस का आफीसर है, अपराध चार्ट को सब जानते हैं और उन 11 जिलों में जहाँ इस अध्यादेश के

लागू होने की अधिसूचना जारी हुई है, वहाँ खासतौर से चंबल और ग्वालियर संभाग का अपराध चार्ट देखा जाये तो कुछ विशेष महीने होते हैं, कुछ विशेष समय होता है जबकि एक साथ अपराधों में वृद्धि हो जाती है और कुछ समय ऐसा होता है जबकि अपराधों की संख्या में गिरावट आ जाती है। क्राइम चार्ट में देखेंगे तो पिछले कई वर्षों से यह आ रहा है कि अप्रैल-मई-जून के महीनों में अपराध पूरे साल की तुलना में बहुत कम होते हैं।

लेकिन अभी जब पिछले महीने में, जुलाई महीने में श्रीमती इंदिरा गांधी का यहाँ दौरा हुआ और उस समय सरकार ने उनको एक डाक्यूमेंट पेश किया। यह अध्यादेश के अनुमोदन का प्रश्न है। श्रीमती इंदिरा गांधी को जो डाक्यूमेंट दिया है उसमें दिया गया है कि अध्यादेश लागू होने के बाद गलत कार्यवाही के कारण ही मुठभेड़ हुई, जो लोग फरार थे, जो लोग क्रीमीनल्स थे पिछले साल के हमले 80 के हमले से सरेण्डर डैकॉयट्स की संख्या घटी है। सरकार सिद्ध करने जा रही थी कि जो पुलिस के लोग हैं वहाँ डकैतों के गिरोह और बढ़े हैं लेकिन आप देखेंगे कि मैं आपको बताऊँ कि अकेला एक जिला है भिण्ड, भिण्ड जिले में ही इस अध्यादेश को लागू करने के बाद श्रीमान् ढाई-सौ से ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया है। ढाई-सौ से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है, अध्यादेश के तहत। इसमें से बहुत से लोगों की जमानत हो चुकी है। आखिर इस अध्यादेश में प्रावधान तो यह था कि जमानत नहीं होगी, लेकिन अध्यादेश में ऐसे लोगों की मंजूर की गई है जिनके विरुद्ध प्रमाण स्वरूप यह आरोप थे कि वह या तो अपराधियों से मिले हुए थे या ऐसे लोगों के जिक्र इस सदन में आयेंगे, इस प्रकार के केसों का जब सभापति जी आपको मालूम होगा कि किसी तरह से जमानत न होने देने का प्रावधान है वह गलत लोगों पर इस्तेमाल नहीं हुआ है और निर्दोष लोगों पर ही हुआ है। अकेले भिंड जिले के असने गाँव में वहाँ के सरपंच रघुवीर सिंह जब से पंचायत राज कायम हुआ है जब से सरपंच बने चले आ रहे थे, उनके खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं था लेकिन डी.एस.पी. से उनका वाद-विवाद हो गया तो डी.एस.पी. ने पार्टीबंदी का रास्ता अपनाकर 14 लोगों को गिरफ्तार करने के आदेश दिये, वह आदमी जिसके खिलाफ कहीं कोई शिकायत या मुकदमा नहीं है उसको गिरफ्तार किया गया। अंत में श्रीमान् यह शिकायत मुख्यमंत्री जी को भी दी गई और आई.जी. को भी दी गई। इसी प्रकार से एक गाँव है गमारा, गमारा थाने में मलखानसिंह पुलिस से मुठभेड़ करता हुआ भागता हुआ निकला उस गाँव में 24 छोटे घर हैं। उन 24 घरों से रोटी छीनी खाई लेकिन जितने लोगों से जबरन खाना खाकर गया था उन्हीं लोगों पर अध्यादेश लागू हुआ और कई महत्वपूर्ण बातें रोशनी में आईं, एस.पी. साहब को बताया गया तब जाकर कुछ लोगों की जमानतें हुईं, कुछ की नहीं हुईं। इस तरह से जमानत की सरकार की यह नीयत थी कि डैकॉयटी कम करें तो उस समय प्रदेश के अन्दर डकैतों ने कई डकैतियाँ करके बताईं, अपहरण के काम हुए। इस अध्यादेश में आता है, इसका कहीं जिक्र नहीं था, अपहरण करने वाले लोग छूट गये, ढाई हजार से अधिक लोग जेलों में बंद हैं तो इस अध्यादेश का जो संकल्प हमने प्रस्तुत किया है सदन में, 3-4 महीने देखने के बाद इसके इम्पलीमेंटेशन इस प्रकार हुए हैं कि इसका बड़े व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है। सदन के सामने जो संकल्प प्रस्तुत हुआ है उस संकल्प को पारित करें।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा (जावद) : सभापति महोदय, यहाँ डकैती उन्मूलन के बारे में एक विशेष कानून गये सत्र में पुरःस्थापन करने के लिये लाये थे। अध्यक्ष महोदय, आर्डीनेंस प्रस्तुत करने के बारे में एक विचित्र उदाहरण है। बिल को इंट्रोड्यूज किया था, उसके बाद यहाँ आर्डिनेंस इश्यू कर दिया गया।

यह हमारी परम्पराओं के जो आर्डिनेंस इश्यू किया जाता है उसका प्रावधान कांस्टीट्यूशन में दिया गया है, विपरीत है। माननीय सभापति महोदय, आपको स्मरण होगा कि इंट्रोडक्शन के बाद इस सदन की बैठक 13 तारीख तक थी, उसके बावजूद भी दो दिन पहले आपने हाउस एडजर्न कर दिया। अगर शासन यह आवश्यक समझता था तो सदन को 13 तारीख तक बैठना चाहिए था और आगे भी बैठना चाहिए था। अगर इतना जरूरी था तो शासन को इसे कानूनी रूप दे देना था सदन की बैठक और बढ़ाकर।

श्री अर्जुनसिंह : सखलेचा जी? मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ जो मैं अपने स्मरण से कह रहा हूँ कि हम कोई आपसे छुपाकर हाउस को दो दिन पहले एडजर्न नहीं करना चाहते थे। जो कुछ हुआ, है वह

आपकी सहमति से ही हुआ है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : हमारी उसमें कोई सहमति नहीं थी। मेरा कहना है कि सहमति और असहमति का सवाल नहीं है, आपने क्यों सहमति दी? अगर आपको ऐसा लगता था कि यह बहुत ही आवश्यक है तो आपको इसे पारित करवाना था। इसलिये मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि संविधान में आर्डिनेंस इश्यू करने के जो पावर्स हैं, जो मूलभूत भावना है, उसके अंतर्गत आप विधानसभा का सत्र बुला करके पारित भी करवा सकते थे। इस प्रकार के मामलों में जब आप ला चुके हों विधानसभा के अंदर तो फिर आपने एडजर्न करने की सहमति क्यों दी? आपको इसे पास करवाना चाहिये था हाउस से। आपने जो इसे पास करवाने के लिये सदन में इंट्रोड्यूस किया तो आपको इसे पास भी करवाना चाहिये था, लेकिन आपने ऐसा न करके 11 तारीख को ही सदन एडजर्न कर दिया, यह उचित नहीं है। मेरा यह सब कुछ कहने का आधार यह है कि जिस समय यह पुरःस्थापन हुआ और इसके संबंध में जो संवैधानिक आपत्तियाँ की गईं फिर भी आपने इसे पेश किया।

माननीय सभापति महोदय, आप स्पष्टतया देखेंगे कि उस समय जो चर्चाएँ हुई थीं उसमें अपराधों का भी जिक्र किया गया था। अपराधों की सूची की धारा दो (च) के अंदर उसका अवलोकन करें और विशेषकर (चार) के अन्तर्गत जो इबारत दी है उसे देखें। अनुसूची-धारा 2 (च) (चार)—

"डकैती की जाने के लिये आयुध या गोल-बारूद या विस्फोटक पदार्थ बनाना, प्रसंस्कृत करना या उनके बनाये जाने या प्रसंस्कृत किये जाने की प्रक्रिया का कोई भाग पूरा करना, उनका क्रय करना, विक्रय करना, व्ययन करना या उन्हें ले जाना या कब्जे में रखना।"

तो यह आर्म्स एण्ड एक्सप्लेजिव के बारे में प्रावीजन स्पष्ट रूप से किया गया है। अभी भी मेरी आपत्ति है। पुरःस्थापन के समय तो इस विधानसभा में इसके कांपीटेन्स को ही मैं चैलेन्ज कर रहा हूँ। विधानसभा को इसके अंतर्गत ही कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है। हम तो सभी स्टेज पर इसका विरोध कर रहे हैं कि विधानसभा को अधिकार ही नहीं इसका कानून बनाने का। यदि कोई लॉ बनाया जाता है इस संबंध में तो वह अन-कांस्टीट्यूशनल होगा। इस प्रकार के प्रावधान करना उचित नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से आर्म्स एण्ड एक्सप्लेजिव्स के बारे में प्रावधान किया गया है, इस सूची की धारा दो में इसे अपराध कहा गया है। एक रेसुडिअरी प्रोसीजर किया हुआ है। इस बिल के सेक्शन में स्पष्ट दिया है कि "कोई डाकू, जो कोई विर्निदिष्ट अपराध करेगा, वह, यदि उस कार्य के लिये भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का सं. 45) में कोई विर्निदष्ट दंड उपबंधित नहीं है यदि वह कार्य धारा 9 के अधीन भी दंडनीय नहीं है, कारावास से, जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से दंडित किया जायेगा।"

सभापति महोदय, इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट में आर्म्स इम्युनिशिन रखने के बारे में, बनाने के बारे में, मूव करने के बारे में प्रावधान किया गया है। उसके उपरान्त हम शेडयूल में सम्मिलित करके एक और प्रोवीजन कर रहे हैं कि यदि कोई दण्ड का प्रावधान नहीं है तो दस वर्ष के लिए, विनिर्दिष्ट अपराध होने के कारण, दण्डित किया जा सकेगा।

सभापति : दो मिनिट में आप पूरा करें।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : सभापति महोदय, इसमें तो समय की सीमा बन्धन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें हर सेक्शन के ऊपर विशेष चर्चा होगी। अतः मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का समय का प्रतिबन्ध न लगाया जाए।

श्री उत्तमचन्द खटीक : सभापति महोदय, सारे समय में खुद सखलेचा जी ही बोलना चाहते हैं।

सभापति : बिल पर बोलने के लिए पुनः समय मिलेगा। आप संक्षिप्त रूप में अनुमोदन पर चर्चा करें तो उत्तम रहेगा।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि संविधान के आर्टिकल 246 में और एन्ट्री 22 में जो यूनियन लिस्ट है जिसके बारे में पार्लियामेंट कानून बना सकती है। उसके मुताबिक आर्म्स एम्युनिशन और एक्सप्लोजिव्स के बारे में पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है और यह उसका जुरिडिक्शन है और स्टेट्स द्वारा इसके अधिकारों का प्रयोग गैर-कानूनी होगा। यह प्रावधान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि हमें इस प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हैं। यूनियन लिस्ट के बारे में हम कानून नहीं बना सकते। लेकिन वह कानून इस बिल के

अदर शामिल किए गए हैं। इन कानूनों का ठीक प्रकार से परीक्षण किए बिना ही इस बिल को जल्दी में पारित कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि इसे प्रवर समिति को भेजकर पुनः इसका परीक्षण कराया जाए, तो उचित होगा। मुझे नहीं लगता कि इस आर्डिनेंस को लागू करने के बाद अपराधों में कौन-सी कमी आएगी।

सभापति : श्री दिलीप सिंह चौधरी।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : सभापति महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इस प्रकार के बिल्स के बारे में समय सीमा आब्जर्व की जा रही है।

सभापति : बिल पर चर्चा करने के लिये काफी समय मिलेगा। यदि आपके पक्ष के सदस्य बोलने की अनुमति दें तो उनके समय में से आप बोल सकते हैं।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : सभापति महोदय, यह अनुमोदन का संकल्प और उसके बारे में जो कुछ कहना है वह पूरा कहा जाएगा। सभापति महोदय, इसमें इतनी उत्सुकता दिखाकर आपने आर्डिनेंस बनाकर इसे लागू किया जबकि यह कान्स्टीट्यूशन की मंशा नहीं है और उसमें आपने पुलिस अधिकारियों को जो अधिकार दिए हैं उनका किस प्रकार दुरुपयोग किया गया है। योगेन्द्रसिंह राणा के क्षेत्र के सरपंच एवल सिंह को गिरफ्तार किया गया जो कि कांस्टीट्यूशन के खिलाफ है। आप जूडिशियरी से उसके अधिकार छीनकर पुलिस वालों को दे रहे हैं। एस.पी. के ऑफिस में बैठकर इस बात का फैसला करते हैं कि किस की जमानत मंजूर करें और किसकी जमानत का विरोध करें। क्या यह जुडिशियरी के प्रिंसीपल्स के खिलाफ नहीं है। छतरपुर के मातादीन चौरसिया.....

सभापति : चार बजे तक आप अपनी बात रख सकते हैं, माननीय सदस्य डॉ. परशुराम साहू ने अपना समय आपको दिया है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : सभापति महोदय, बिल के सेक्शन-5 में दिया गया है "संहिता में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी न्यायालय किसी डाकू के बारे में गिरफ्तारी पूर्व जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) के लिए कोई आवेदन ग्रहण नहीं करेगा"।

अब सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी मुख्यमंत्री जी जिन्होंने प्रस्ताव किया है इसमें डाकू की कोई डेफिनीशन नहीं दी है? इस कानून में क्या कहीं पर भी आपने इसकी व्याख्या की है कि डाकू कौन होगा? इस कानून में कहीं नहीं है। किसी कानून में डाकू की व्याख्या नहीं है। इसका अर्थ केवल यह होगा कि डकैती के सेक्शन में 395-96 में जिसको सजा हो जाये उसी को केवल डाकू कहा जा सकता है। कोई भी आदमी जिसके ऊपर डाकू होने की आपको शंका हो या तो आप डेफिनीशन देते कि डाकू किसको कहें, डाकू शब्द का कई सेक्शन में प्रयोग किया होता। किस व्यक्ति को डाकू कहा जाएगा इसकी डिफीनीशन नहीं है और सभापति महोदय, इस प्रकार से बिना किसी आधार के हर किसी को डाकू कहकर और गिरफ्तार करके उसके बारे में और पुलिस को अधिकार दे दिया जाये कि वह विरोध करे तो उसकी जमानत नहीं होगी। सभापति महोदय, अब यह मेरा निवेदन है कि अल्ट्रावायरसऔर संविधान के विपरीत प्रावधान है। यह प्रावधान टिकेगा नहीं। आर्टिकल 226 कांस्टीट्यूशन के अन्तर्गत किसी ने भी हाईकोर्ट में चैलेंज किया तो यह कानून टिकने वाला नहीं है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणदास अहिरवार : सखलेचा जी ने जो मातादीन चौरसिया के बारे में कहा है यह है मातादीन चौरसिया डाकू (व्यवधान)....

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : सभापति महोदय, यह अधिकार क्यों लेना चाहते हैं। आवश्यकता यही है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो उम्मीदवार रहे हैं उनके बारे में झूठे आरोप लगाकर आप पुलिस को अधिकार दिलाना चाहते हैं कि अगर पुलिस का विरोध किया तो उसकी जमानत नहीं होगी। यह बिलकुल असंवैधानिक और सर्वथा हमारे जुडिशियल प्रिंसीपल का जो सिद्धांत है जो प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, न्यायपालिका के अधिकारों में विश्वास करते हैं, हम न्यायपालिका का सम्मान करने की बात कहते हैं, यहाँ पर न्यायपालिक का यह अधिकार छीनकर, कि मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट जज यह अधिकार निर्णय न करे कि किसको जमानत पर छोड़ना चाहिए। पुलिस विरोध करेगी या एस.पी. विरोध करेगा तो उसकी जमानत नहीं होगी। यह बिल्कुल अन-कांस्टीट्यूशनल प्रोवीजन है। जूडिशियल

प्रिंसीपल के खिलाफ है और इस प्रकार के प्रावधानों का कानून पारित करना चाहते हैं यह सर्वथा उचित नहीं है। इसका इसी कारण दुरुपयोग हो रहा है। जो एस.पी. आफिस में लाइन लगती है और मुझे सूचना है कि आज शिवपुरी जिले के अन्दर, ग्वालियर जिले के अन्दर लोग एस.पी. कार्यालय में जाकर पूरी जमानत का विरोध न करें, इसके कारण भयंकर भ्रष्टाचार चला हुआ है। इस प्रकार के प्रावधानों से आप डकैती की समस्या पर नियंत्रण पा सकेंगे, उसको कम कर सकेंगे? आप खुद अपने इस बिल में लिखते हैं कि अपहरण की घटनाएँ निरन्तर बढ़ रही है। जब आपके आर्डिनेंस इश्यू करने के बाद भी अपहरण की घटनाएँ बढ़ रही हैं, डकैती की घटनाएँ बढ़ रही हैं और उसके बजाय दुरुपयोग की घटनाएँ बढ़ रही हैं। फर्क यही है कि डाकुओं को प्रश्रय देकर डाकू को खाने की सामग्री दे दी। अब सभापति महोदय, गाँव के लोगों की हालत सोचिए या तो उनको दोनों तरफ से कठिनाइयाँ हैं— डाकू को खाने को न दिया तो वह गोली मारता है और दे दिया तो डाकुओं को संरक्षण देते हैं, पुलिस इस आधार पर बंद कर देगी और न्यायालय में भी उसको न्याय नहीं मिल सकेगा और जमानत न हो सकेगी। यह प्रावधान बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसके कारण डकैती की और अपहरण की जो समस्या है, हमारे उत्तरी क्षेत्र के अंदर इस पर हम कोई नियंत्रण स्थापित कर सकेंगे और जिस जल्दी के साथ बिना इसका पूरा परीक्षण कराए। इस बिल को आप एम.एल.एज. को बुलाकर कानून के बारे में क्या स्थिति है पूछें। पूरा परीक्षण कराकर कि इससे लाभ होने वाला है डकैती की समस्या पर काबू पाएँ, इसके लिए पुलिस सक्षमता के साथ कार्यवाही करे, इसका तो हम समर्थन करते हैं इस आधार पर हम चाहते हैं कि पुलिस का नियंत्रण स्थापित हो। लेकिन मौजूदा कानून के अन्तर्गत इसको इतने अधिकार हैं कि वह इस समस्या पर नियंत्रण पाने के लिये पूरा प्रयास कर सकते हैं ठीक इसी प्रकार से हम पुलिस बल का प्रयोग करें, अपनी शक्तियों का प्रयोग करें तो जो यह अधिकार इस कानून में जो आपने प्राप्त किया है वह प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है कि इस प्रकार का इस विधान सभा को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। ऐसे प्रावधान जुडिशियली प्रिंसिपल के बिल्कुल विपरीत हैं और जिनके प्रयोग के बाद हम अनुभव कर चुके हैं कि इस कानून के कारण डकैती या अपहरण की समस्या में कोई कमी नहीं कर पाए। तो ऐसे कानून को पारित नहीं करेंगे तो उचित होगा।

श्री सखाराम पटेल : सभापतिजी, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। हमारे गृह राज्यमंत्री श्री रघुवंशी जी और शिक्षा मंत्री जी क्या एम.एल.ए. हैं, जो बैज लगाकर आये हैं? क्या पुलिस उनको घुसने नहीं देती? क्या यह मध्यप्रदेश के रंगा-बिल्ला हैं, जरा आप बता दीजिये। पुलिस इनको क्यों रोकती है?

श्री हजारीलाल रघुवंशी (राज्यमंत्री गृह) : सभापति जी, यह बैज सभी विधायकों और मंत्रियों को भी दिये गये हैं। सभापतिजी, आप आसन्दी पर बैठे हैं, आप भी लगाये हुए हैं.....

चौधरी दिलीप सिंह (भिंड) : सभापति महोदय, यह कानून जो प्रस्तुत किया गया है यह ब्लेक लॉ ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट है। "इट इज क्लीनली ब्लेक लॉ" और यह अध्यादेश के रूप में जनतंत्री हुकूमत द्वारा बैक डोर से लाया गया है। यह बिल्कुल न्यायसंगत नहीं है। सबसे पहले सभापति जी, मैं भारतीय संविधान के 19वें आर्टिकल की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, उसमें बहुत स्पष्ट है "इट इज ए राइट ऑफ पर्सन इन ए फ्री इण्डिया विच इज डिवार्ड वाई दिज लॉ" श्रीमान् यह बहुत स्पष्ट है। हमारी आजादी के लिए महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू तथा श्री लोहिया जी ने कुर्बानियाँ कीं, उस आजादी को खत्म करने के लिए हमारी संवेदनशील सरकार एक ब्लेक कानून बनाकर जो बैक डोर से लाया गया है, उनको बंधक बनाकर रखना चाहती है।

दूसरा प्वाइण्ट श्रीमान् द्वारा यह है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का यह सिद्धान्त है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को अलग-अलग रखें। लेकिन अब इस कानून के द्वारा वही पुलिस गिरफ्तार करेगी, वही मुल्जिम को जमानत दे या न दे यह भी उसी को पावर दे दी। क्या ऐसी स्थिति में जनता को न्याय मिलने की कोई उम्मीद है? मैं श्रीमान् से मिसाल के तौर पर अर्ज करना चाहता हूँ, न्यायपालिका को यह डिस्क्रेशन ऑफ लॉ है, उनको लॉ का इण्टर्प्रिटेशन करने का अधिकार है कि जमानत दी जावे अथवा नहीं, यह अधिकार एक जज को है लेकिन अब इस कानून के द्वारा पुलिस को यह अधिकार दिया जा रहा है कि अगर प्रोसीक्यूशन और पुलिस किसी अपराधी को जमानत देने के लिए अपनी कन्सेप्ट नहीं देती, राय नहीं देती तो जज को जमानत लेने का अधिकार नहीं है। श्रीमान्

दुनिया के डेमोक्रेटिक इतिहास में यह पहला ऐसा कानून है कि जज की पावर को लिमिट करके पुलिस को जो मुल्जिम बनाती है, उसको जमानत देने या न देने का अधिकार हो। श्रीमान् आपके द्वारा मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रावधान की आड़ में बहुत से एस.पी. और कलेक्टरों ने बड़ी-बड़ी रकमें हड़पी हैं। उन्होंने लिख दिया कि हम स्वीकृति देते हैं और दो-दो, चार-चार रुपये लेकर लिखना शुरू कर दिया और इस प्रकार बहुत से अधिकारियों के ऐसे धंधे चल गये तथा भ्रष्टाचार फैल गया और इस प्रकार श्रीमान् से अर्ज करना चाहता हूँ कि इस कानून के कारण जुडिशियरी की जो गरिमा डेमोक्रेसी में होती है, उसका हनन हो रहा है। तीसरा प्वाइंट यह अर्ज करना चाहता हूँ मिसाल के तौर पर भिण्ड जिले में अभी स्पेशल जज ने इस कानून के तहत जो 25 फैसले दिये हैं, जिसमें 25 लोग 120 दिन से बन्द थे, उनको निर्दोष साबित करके बरी किया। क्या श्रीमान् इस जनतंत्र की हुकूमत में बिना चार्ज लगाये किसी व्यक्ति को 120 दिन बन्द रखना बिना किसी कानूनी सहायता के जायज है? और 120 दिन के बाद अदालत से जो निर्दोष साबित होकर छूटता है, तो क्या एस.पी. और हुकूमत के अधिकारी ने जिन्होंने बन्द किया था, क्या उनको इस कानून में उनको पनिश करने का प्रावधान है? मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन डेमोक्रेटिक स्टेट में अगर किसी व्यक्ति को अवैधानिक रूप से निरोध में लिया गया है और अगर वह यह साबित नहीं कर पाते, तो वह पनिशमेंट के काबिल होता है। मैं अर्ज करूँ कि हमारे जाप्ता फौजदारी कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर 90 दिन के अन्दर कतल और डकैती 396 के अपराधियों का चालान पेश नहीं होता, तो मुल्जिम को जमानत पर आजाद कर दिया जाता है, लेकिन श्रीमान् इस कानून में 120 दिन रोकने का जो प्रोवीजन रखा है, वह जाप्ता फौजदारी कानून की धारा के खिलाफ़ है। इतना ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के जो कानून हैं उसके यह आपका कानून कन्फ्लिक्ट पैदा करता है और इस प्रकार यह कानून सेन्ट्रल गवर्नमेंट के कानून के खिलाफ खड़ा किया है जो किसी भी प्रकार से न्यायसंगत नहीं है। इसके साथ ही श्रीमान् इस कानून में जो मेन प्वाइण्ट है, वह यह है कि इस कानून के तहत जिस डाकू समस्या का हल आप करना चाहते हैं, उसमें कोई राहत मिलने वाली नहीं है। इस भिण्ड जिले का कोई भी नामजद डाकू आज तक इस कानून के अन्दर मार नहीं पाये हैं पर यह जरूर हुआ है कि बहुत से सम्भ्रान्त नागरिक जो शांतिप्रिय जीवन व्यतीत करते थे, उनको 212 और 216 लगाकर जेलों में सड़ाया गया है। मैं आपको बताऊँ कि नामी मानसिंह डाकू को 15 दिन के अन्दर एलान करके धराशायी कर दिया गया था बिना ऐसे कोई कानून की मदद के। प्रश्न मारलिटी, ईमानदारी, कर्त्तव्यनिष्ठा का है। कानून तो मैं कहता हूँ कि आज देश-दुनिया से जा रहे हैं और हमारे यहाँ हर बार कानून बनाये जाते हैं। इस तरह से कानून बनाये जाते हैं कि कोई भी देश के प्रदेश के इंसान अपनी आजादी के ढंग से रह नहीं सकते हैं। इसलिये कानून के ऊपर मैं अर्ज करूँगा कि यह ब्लेक कानून इस डेमोक्रेसी के लिये अभिशाप है। इसके साथ-साथ प्रावधान थे, जो 412 आय.पी.सी. में हैं, श्रीमान नहीं हैं। 395 के साथ अगर किसी को कोई डाकू मारता है, डाका डालता है 396 बन जाता है, लेकिन 325 का सेक्शन इन्ट्रोड्यूस करना कानून से परे है बल्कि डाकुओं को पनाह देने के लिये था 412, यह नहीं है। इन सब बातों से, इसके साथ-ही-साथ मैं श्रीमान् से अर्ज करूँ कि वास्तव में इस कानून से पुलिस को निरंकुश बना दिया है और पुलिस अपनी मनमानी से क्या नहीं कर सकती। अगर मैं कहूँ कि एक तरह से पुलिस ही कानून है, पुलिस ही न्याय और व्यवस्था है और पुलिस ही विधान है,, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं श्रीमान् से अर्ज करता हूँ कि यह कानून जिस ढंग से लाया गया है, यह कानून इस प्रदेश की जनता के लिये, जो जनता डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है और कान्स्टीट्यूशन के मुताबिक अपनी आजादी से रहना चाहती है, उसके लिये पुरानी इमरजेंसी का ब्लेक लॉ मध्यप्रदेश में पास किया जा रहा है। इसके साथ ही मैं यह भी अर्ज कर रहा हूँ कि यह विधानसभा कानून को पास करने के लिये सक्षम नहीं है। यह विषय श्रीमान् पार्लियामेंट का है। यह केन्द्र शासन का विषय है। मैं श्रीमान् के माध्यम से अर्ज करना चाहता हूँ कि यह विधान इस विधानसभा में लाकर कम-से-कम डेमोक्रेसी को कलंक न लगाया जाये।

सभापति महोदय : सदन इस समय गम्भीर चर्चा में पहुँच रहा है, ऐसे समय में मुख्यमंत्री जी का रहना आवश्यक है, ताकि माननीय सदस्यों के विचारों को सुनें।

श्री कैलाश जोशी (बागली) : माननीय सभापति महोदय, कुछ माह से इस प्रदेश में डाकू समस्या फिर से अनेक जिलों में बढ़ती जा रही है और इस समस्या पर नियंत्रण पाया जाये, इससे इस सदन का कोई सदस्य असहमत नहीं हो सकता। हम सब चाहेंगे कि डाकू समस्या से प्रभावी ढंग से निबटा जावे, किन्तु जिस ढंग से यह विधेयक यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, इसके संबंध में भी हम लोगों को दो विसंगतियाँ दिखाई दी थीं या जो कुछ देखा था, उन्हीं को आधार बनाकर चर्चा की थी। परन्तु वह पिछले सत्र में पारित नहीं हो पाया और बाद में अध्यादेश के रूप में प्रख्यापित किया गया। इसी अध्यादेश में विरोध स्वरूप अनुमोदन का संकल्प दिया गया है जिसके माध्यम से मैं अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ। जब हम इस अध्यादेश का अनुमोदन करते हैं तो इसका कदापि अर्थ नहीं है कि इस राज्य की डाकू समस्या पर नियंत्रण पाने के लिये शासन जो प्रयत्न करना चाहता है उसमें हम सहयोग नहीं करना चाहते हैं। हम निश्चित रूप से सहयोग करना चाहते हैं। परन्तु हम एक समस्या पर नियंत्रण करने के लिये कोई ऐसी व्यवस्था निर्माण करते हैं, जिसका सारे समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वह हमारे लिये एक विवेक की बात होगी, उचित बात होगी। वह हमारे लिये उचित होगा कि हम परिणामों का बिना विचार किये जल्दबाजी में यहाँ कानून उपस्थित कर दें। सभापति महोदय, यह बात कही कि पिछले सत्र में विधेयक प्रस्तुत हुआ था और 13 के बजाय 11 को विधान सभा स्थगित हो गई और आपके लोग भी सहमत हो गये। इसका कारण तो यह है कि जब कभी आप धर्मसंकट में पड़ जाते हैं, तो हमें ढील देनी पड़ती है।

श्री उत्तमचन्द खटीक : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि श्री रमाशंकर पाँव ऊपर रखकर बोले थे तो आपने कहा कि पाँव नीचे रखें। माननीय सदस्य वैसे ही पाँव ऊपर रखकर बोल रहे हैं, उनको भी पाँव ऊपर रखकर नहीं बोलना चाहिये।

सभापति : सभी माननीय सदस्य इस आसन पर पाँव रखकर न बोलें।

श्री कैलाश जोशी : आपने कह दिया कि.....।

श्री अर्जुनसिंह : मैंने कोई कारण नहीं बताया। सब लोगों ने बैठकर निर्णय लिया था। आपको जो कहना हो वह जोशी जी कहें।

श्री कैलाश जोशी : बिल्कुल यह निर्णय नहीं हुआ था कि सदन स्थगित हो। यह तो आपका काम था। सदन को आपत्ति नहीं थी, न उस पक्ष को थी और न इस पक्ष को थी। शासकीय कार्य पूरे हों यह दायित्व शासन का है। शासन पक्ष गम्भीरता से नहीं लेना चाहता है, तो हम क्यों चिंता करें। 6 महीने से यह देखा जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश की समस्याओं को सुलझाने में कोई गम्भीर नहीं हैं, मुख्यमंत्री जी प्रदेश की समस्याओं को सुलझाना नहीं चाहते हैं। उनका पिछले 6 माह से एक ही दृष्टिकोण है कि वे कैसे मुख्यमंत्री बने रहें, इसी दृष्टि से काम कर रहे हैं। अनेक प्रश्न ऐसे हैं जिनको शासन की सुलझाने की मंशा हो तो सदन के प्रत्येक सदस्य का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है लेकिन सामान्य परम्परायें हैं, सहज परम्परायें हैं, उनका पालन करना चाहिये। यह एक सर्वथा नया कानून बना रहे हैं, जिसकी कोई व्यवस्था पूर्व से इस प्रदेश में नहीं है, पहली बार आप यह विधेयक ला रहे हैं, आप भी वर्षों तक सदन के सदस्य रहे हैं, अनेक विभागों के मंत्री रहे हैं। जब कोई मॉडल अधिनियम बनाया जाता था तो सदन की समिति बनती थी, सभी पक्षों के सदस्यों के विचार जाने जाते थे और गम्भीरता से विचार जानने के बाद में विधेयक प्रस्तुत किया जाता था और पारित कराया जाता था। साढ़े पाँच करोड़ जनता से जिस अधिनियम का संबंध है, उसे मुख्यमंत्री गम्भीरता से लेना नहीं चाहते, वे अपनी सुविधा और असुविधा की दृष्टि से निर्णय लेते हैं यह उचित नहीं है, इसी दृष्टि से अनुमोदन का संकल्प प्रस्तुत हुआ है। इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके संबंध में जो विधेयक प्रस्तुत किया था वह पारित कराया जाता, जो अध्यादेश प्रख्यापित किया है वह अनुचित है इस दृष्टि से यह अनुमोदन संकल्प सदन को पारित करना चाहिए।

श्री रमाशंकर सिंह : सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि प्रस्तावित विधेयक के बारे में प्रतिपक्ष के नेता से बात होने के बाद ही यहाँ यह अध्यादेश लाये हैं?

श्री अर्जुनसिंह : मैंने यह नहीं कहा है, अध्यादेश के संबंध में नहीं कहा, सदन की बैठक के बारे में कहा था।

सभापति : (कपूरचन्द धुवारा के बोलने के लिए खड़े होने पर) कपूरचन्द जी इस संकल्प में आपका नाम नहीं है। नियम के अनुसार आप नहीं बोल सकते फिर भी दो मिनिट दिये जाते हैं।

श्री कपूरचन्द धुवारा (मलेहरा) : सभापति महोदय, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई थी उस बैठक में सभी लोगों की राय ली थी कि इस तरह का कानून बनाना चाहिये जिससे डाकुओं का दमन किया जावे। विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री कानून के रूप में उसे बना सकते थे लेकिन जिस तरह से अध्यादेश का रूप दिया गया, उससे बहुत-सा दुरुपयोग हुआ। सभापति महोदय, देहात, में जितने भी लोग रहते हैं, उन्हें चाहे-अनचाहे डाकुओं की मदद करना पड़ती है। कुछ लोग खाना प्राण बचाने के लिये देते हैं, कुछ लोग जानबूझकर मदद करते हैं। इस अध्यादेश के साथ जितने लोगों की गिरफ्तारियाँ की गई हैं, 90 प्रतिशत डाकुओं की गठरी ढोया करते थे, अभी तो वास्तविक गुनाहगारों पर हाथ नहीं डाला है। सभापति महोदय, थाना घतई, जिला छतरपुर में लुटुराम नाम के व्यक्ति को आँखों से दिखता नहीं है, 90 साल की उम्र है, उस आदमी को अध्यादेश में बन्द किया गया। जब शिकायत की गई तो 60 वर्ष उम्र का सर्टिफिकेट दिया गया। जब एस.पी. ने जाँच कराई तो पाया गया कि गलत पकड़ लिया, उसे छोड़ना पड़ा। इसी प्रकार से भगवा थाने के लक्ष्मण साहू से पहले 3 हजार लिए गए, फिर 10 हजार माँगे..... ।

सभापति : किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने के पूर्व अनुमति लें। जो व्यक्ति इस माननीय सदन का सदस्य नहीं है, उसके प्रति किसी प्रकार का आरोप न लगाएँ।

श्री कपूरचंद धुवारा : मैं किसी तरह का आरोप नहीं लगा रहा हूँ।

श्री रमाशंकर सिंह : किसी बाहरी व्यक्ति की प्रशंसा भी नहीं हो सकती।

सभापति : जो यहाँ उपस्थित नहीं है।

श्री रमाशंकर सिंह : सारी बहस में जो नाम आ रहे हैं, वे लिये जायेंगे।

श्री कपूरचन्द धुवारा : इसी तरह दरयाव यादव ने रिपोर्ट की, डाकुओं को थाने ले गए। उस आदमी को बन्द कर दिया गया। हम चाहते हैं कि सख्ती से कार्यवाही हो, लेकिन वास्तविक गुनाहगार कौन है, डर के कारण कौन पनाह दे रहा है, यह स्पष्ट होना चाहिये। वास्तविक गुनाहगार के खिलाफ, तो अभी तक हाथ ही नहीं डाला। यह बताया गया है कि इस समय अध्यादेश के कारण अपराधों में कमी आई है, बरसात में कमी वैसे ही आती है। बरसात के बाद अक्टूबर या नवम्बर में प्रभाव कायम हो, तो समझ में आयेगा। ये जिस प्रकार से अध्यादेश लाये हैं, उसे पास नहीं होना चाहिये। वास्तव में पास करना चाहते हैं, तो सदन के सामने लायें और जो संशोधन और सुझाव हों, उसके बाद पास करायें।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : सभापति महोदय, मैं धुवारा जी से आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यह अध्यादेश सदन में आया है, इसी सदन में विधेयक के रूप में आया है, जिस प्रकार से संशोधन देना चाहें, दे दें।

श्री कपूरचंद धुवारा : सभापति महोदय, विधेयक पर चर्चा नहीं हो रही, राज्यपाल के अध्यादेश पर चर्चा हो रही है।

श्री अर्जुनसिंह : उन्होंने कहा कि सदन में लाकर पास करवायें, इसलिये कहा कि आया है। मैं विधेयक के संबंध में जब वह सदन में आयेगा, चर्चा करूँगा। यदि इस संकल्प को सदन अस्वीकार कर देता है, जैसी मैं अपेक्षा करता हूँ, तो उस समय विस्तार से बोलना चाहूँगा। अभी तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक इसकी वैधता का सवाल है, माननीय सखलेचा जी ने जो एक प्रश्न उठाया है, कॉनकरेंट, स्टेट और सेन्ट्रल की लेजिस्लेशन लिस्ट के बारे में, इस अध्यादेश की अनुमति लेने के पूर्व प्रसारित करने के पूर्व चूँकि कॉनकरेंट, स्टेट दोनों लिस्टों में इसके प्रावधानों का समावेश है। एक्सप्लोजिव एक्ट का आपने इसलिये बताया कि वह सेन्ट्रल लिस्ट में है। इस अध्यादेश को प्रसारित करने के पूर्व केन्द्रीय शासन की अनुमति प्रत्येक सेक्शंस और इसके लिये ली और केन्द्रीय शासन ने हमें अनुमति दी, तभी प्रसारित किया। दूसरी बात यह, जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आर्म्स एक्ट का जो मूल स्वरूप है, उसके उपबंधों के संबंध में इस अध्यादेश द्वारा सीधे हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं है, डाकुओं से संबंधित जो एक्सप्लोजिव और आर्म्स का उपयोग और दुरुपयोग होता है यह उससे संबंधित है, इसलिये इसके असंवैधानिक होने का सवाल नहीं है। जहाँ तक सैद्धान्तिक विरोध है कि यह अधिनियम

बनाने के पूर्व अध्यादेश के रूप में इसका दुरुपयोग हुआ, इसलिये इसको अनुमति नहीं दी जाना चाहिये, तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि असाधारण परिस्थितियों में असाधारण प्रयोग के रूप में ही इस अध्यादेश को लागू किया गया और मैं यह नहीं कहता कि उसके अंतर्गत कोई गलती नहीं हुई है या इसको जो अमल में लाते हैं, उनसे कोई गलती नहीं हुई। गलती संभव है, यह भी संभव है कि इससे आपके मत में कोई व्यापक प्रभाव न पड़ा हो लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता, हो सकता है कि सदन में रमाशंकर सिंह जी इसकी पुष्टि न करें, लेकिन यह बात निश्चित है कि उन तत्वों पर जो डाकुओं से मिलकर उनको परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सहायता पहुँचाते हैं उनके लिये इससे विकराल स्थिति उत्पन्न हुई है और उन पर अध्यादेश का अंकुश लगा है इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते।

श्री रमाशंकर सिंह : सूचीबद्ध गिरोहों की संख्या इस अध्यादेश के बाद क्यों बढ़ी है?

श्री अर्जुनसिंह : सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि जिन असाधारण परिस्थितियों में इसको प्रयोग में लाया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए इस अनुमोदन के संकल्प को अस्वीकृत करें और मूल विधेयक को विचार के लिये ग्राह्य करें।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, इस अध्यादेश का सबसे अधिक असर माननीय रमाशंकर सिंह जी पर हुआ है।

सभापति : प्रश्न यह है कि यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाये गये मध्यप्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश 1981 (क्रमांक-5, 1981) का अनुमोदन करता है।

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

शासकीय विधि विषयक कार्य

म.प्र. डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1981 (क्रमांक-40, सन् 1981)

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1981 पर विचार किया जावे।

सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश डकैती औरव्यपहरणप्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1981 पर विचार किया जाये।

श्री रमाशंकर सिंह : सभापति महोदय, अध्यादेश के रूप में लागू करने के बाद अब विधेयक के रूप में इसमें काफी फर्क आ गया है, इसमें काफी संशोधन किये गये हैं, क्या इसका जवाब मुख्यमंत्री महोदय देंगे कि इन संशोधनों की आवश्यकता क्यों पड़ी?

श्री अर्जुनसिंह : मैं सदन के सामने ही तो जवाब दूँगा। आपके कमरे में थोड़े ही दूँगा। (हँसी) । आप जरा चर्चा तो होने दीजिये। चर्चा तो हो, उसके बाद जवाब दूँगा। मेरी इतनी बुद्धि नहीं है, कि मैं पहले कुछ कह सकूँ आपको सुनकर कहने की कोशिश करूँगा।

सभापति : माननीय सत्तापक्ष के लोग जो इस पर बोलना चाहते हैं, उनके नामों की लिस्ट अभी तक नहीं आई है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा (जावद) : माननीय सभापति महोदय, जैसा कि इस कानून के बारे में हमने आपत्ति उठायी है, उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा। जो आपत्ति उठायी है, वह कोई कॉनकरेंट लिस्ट के बारे में नहीं है और न कोई स्टेट लिस्ट के बारे में है। आर्टिकल 246 के अन्तर्गत जो आपत्ति उठायी है, उसके बारे में मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि हमने केन्द्रीय शासन से स्वीकृति ली है। इसलिये उस आर्डिनेंस के बारे में केन्द्रीय शासन से स्वीकृति लेने से क्या आर्टिकल 246 के प्रोवीजन नलीफाइड नहीं हो जाते हैं। उसके कारण आपको जो अधिकार प्राप्त नहीं है, वह प्राप्त नहीं हो जाता है। आप आर्टिकल 246 को देखेंगे तो स्पष्ट हो जायेगा। शासन ने प्रावधानों पर विचार करके ही आर्डिनेन्स के रूप में जारी किया गया होगा। हमने गत सत्र में भी आपत्ति उठायी थी, उसके बाद भी इसके प्रावधानों को नहीं देखा है और न ही इन्हें एग्जामिन किया है। आर्टिकल 246 क्लाज 2 Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in list I in the seventh schedule (in this Constitution referred to as the

"Union List")

यूनियन लिस्ट में एक्सप्लोसिव के बारे में ज्यूरिसडिक्शन केवल पार्लियामेंट को प्राप्त है और किसी को नहीं। केन्द्रीय शासन की स्वीकृति लेने से इनको अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। वह प्रावधान अलग है, जहाँ कॉनकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट में सेन्ट्रल ने कानून बनाया है और स्टेट ने भी कानून बनाया है, उसमें स्टेट लेजिस्लेचर को पावर है, पार्लियामेंट को भी पावर है। पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया और स्टेट भी कानून बनाना चाहता है, तो उसके लिये हमारे कान्स्टीट्यूशन में यह प्रावधान किया गया है कि उस कानून के ऊपर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी याने केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। यह इसलिये किया गया है ताकि पार्लियामेंट जो कानून बनाये और स्टेट जो कानून बनाये उनमें कान्फिलिक्ट न हो, इसलिये यह प्रावधान संविधान में किया गया है। कॉनकरेंट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है, स्टेट कानून बनाता है और पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है उसमें राष्ट्रपति की एसेंट लेना आवश्यक होगा। यह प्रावधान जिस प्रकार से मैंने बताया एन्ट्री 5 आर्म्स एण्ड एक्सप्लोजिव एक्ट के ज्यूरिडिक्शन का जो सब्जेक्ट है, उस पर आप राष्ट्रपति की या सेन्ट्रल गवर्नमेंट की सेंक्शन ले लें, इससे आपको लेजिस्लेटिव पावर प्राप्त नहीं होता। आर्टिकल 246 के अर्न्तगत केवल पार्लियामेंट को एक्सप्लोजिव पावर है। मुख्यमंत्री जो दलील दे रहे हैं कि केन्द्र की स्वीकृति प्राप्त हो गयी थी, इससे किसी प्रकार का ज्यूरिसडिक्शन प्राप्त नहीं हो जाता। दूसरी बात इस कानून के बारे में यह कहते हैं कि इस कानून का प्रयोग करने के बाद डकैती क्षेत्र के अन्दर डकैती की जो समस्याएँ हैं, उन पर नियंत्रण पाने में हमको सुविधा होगी, कठिनाइयाँ दूर होंगी। आप यह कहते कि एक, दो, चार केस में इसका दुरुपयोग हुआ होगा, यह हो सकता है, हम एग्जामिन करेंगे। हम केवल एक दो केस के आधार पर इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम इसका विरोध इसलिये कर रहे हैं कि इसके प्रावधान अनकान्स्टीट्यूशनल, अनज्युडिशियल हैं। संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी को जो अलग-अलग पावर दिये गये हैं उसमें इन्क्रोचमेंट है। इससे आप ज्युडिशियरी के अधिकारों में इन्क्रोचमेंट करने जा रहे हैं, इसलिये इसका विरोध कर रहे हैं, संबंधित प्रावधान का विरोध कर रहे हैं। पुलिस किसी को गिरफ्तार कर सकती है और उसे गिरफ्तार करने के लिये आरोप लगा सकती है, प्रोसीक्यूट कर सकती है, लेकिन पुलिस को यह अधिकार कभी नहीं दिया जा सकता कि वह ये निर्णय करे कि ये आदमी जमानत पर रहे या न रहे। इस प्रकार का प्रावधान करके बेल के प्रावधान को खत्म करके उसे पुलिस के ऊपर रख दें कि वह चाहे किसी को गिरफ्तार करके रखे चाहे छोड़ दे। इसे पुलिस की कृपा पर छोड़ने का क्या सवाल है फिर यह बेल का कोर्ट में जो प्रावधान है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो प्रावधान किया है, उसको समाप्त करें। माननीय सभापति महोदय, कांस्टीट्यूशन के तहत इस प्रकार के हम जुडीशियरी के अधिकारों का इन्क्रोचमेंट नहीं कर सकते हैं। केवल कितनी भी गंभीर समस्याएँ हों, जो बेसिकली प्रावधान हैं, हमारे कांस्टीट्यूशन के प्रति तथा प्रजातंत्र के प्रति हमारी जो आस्था है, उसके सर्वथा विपरीत प्रावधान किया गया है। इसके कारण हम इसका विरोध कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रावधान कि पुलिस अगर विरोध करेगी तो, उसकी जमानत नहीं होगी, यह हमारे संविधान का जो मूलभूत सिद्धांत है, उसके विपरीत है। "संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी डाकू की जमानत के लिये कोई आवेदन उस दशा में मंजूर नहीं किया जाएगा जबकि पुलिस द्वारा या अभियोजन पक्ष द्वारा उसका विरोध किया गया हो।" अब सभापति महोदय, इसके प्रावधानों को जरा बारीकी से देखें। इसके अंतर्गत आई.पी.सी. की धारा 325, 326, 327 को भी शामिल किया गया है। आप जानते हैं आई.पी.सी. की धारा 325 में ग्रीवियस इंज्यूरी तथा सिम्पल इंज्यूरी आता है। कहीं 325 का आफेंस हो जाए, सिम्पल इंज्यूरी का आफेंस हो जाये तो डाकू वाली संहिता के अंदर 325 का आफेंस, मारपीट का आफेंस भी इनकी परिभाषा में डाकू होगा। डाकू की जो परिभाषा दी है, "किसी डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र के संबंध में "डाकू" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसा अपराध, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अधीन दंडनीय है, या कोई विनिर्दिष्ट अपराध करता है या जिसने कोई ऐसा अपराध किया है या यथास्थिति कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर किसी ऐसे अपराध किए जाने का अभियोग लगाया गया है।" माननीय सभापति महोदय, हमारा जो जुडीशियल प्रिन्सीपल है, किसी के

ऊपर केवल आरोप लगा दें, पुलिस ने उनके खिलाफ 395 के अंदर चालान पेश कर दिया है वह डाकू होगा। इस कानून के आधार पर 325 में साधारण मार-पीट का अभियोग उस क्षेत्र में किसी के ऊपर लगा दिया है, उस कानून के आधार पर डाकू है, सभापति महोदय, इसकी धारा 5 के अंदर जमानत नहीं हो सकेगी। साधारण मारपीट भिण्ड जिले मे, मुरैना जिले में, ग्वालियर जिले में तथा गुना जिले में, हो तो घटना पर 325 का चालान पेश होगा और पुलिस विरोध करे तो न्यायालय में जमानत नहीं हो सकेगी; क्योंकि इस कानून के अधीन वह डाकू है। धारा 395 डाकू के अपराध के बारे में है, इसमें 325, 326, 327 के अंतर्गत कोई चार्ज है या बंदूक का लाइसेंस है और माननीय सभापति महोदय, निश्चित तिथि के अंदर रिन्यूवल नहीं कराया है, कुछ दिन ज्यादा निकल गए हैं, तो सभापति महोदय, इस कानून की परिभाषा के अनुसार वह डाकू की परिभाषा में आ जाएगा। निश्चित तारीख पर रिन्यूवल न कर पाये, पुलिस अगर विरोध करे तो उसकी जमानत नहीं होगी। न्यायालय के अधिकार छिन रहे है, उसे जमानत लेने का अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार के प्रावधानों का कानून जिसके द्वारा हम पुलिस अधिकारियों या एक्जीक्यूटिव सर्विसेज को इतने अधिक अधिकार देने जा रहे हैं, जिसका परिणाम खतरनाक होगा। माननीय सभापति महोदय, यह हमारा मूलभूत सिद्धांत है कि जब तक किसी आदमी के खिलाफ अपराध सिद्ध न कर दें, तब तक वह अपराधी नहीं होता। यह जो प्रजातंत्र का हमारा जुडीशियल का मूलभूत सिद्धांत है, उसके विपरीत है, यह सभापति महोदय, मुझे नहीं लगता कि डाकू प्रभावित क्षेत्र के अंदर डाकू की समस्या या अपहरण की समस्या को रोकने में कोई सहायक हो सकेगा, इस प्रकार से यह जनता के मूलभूत अधिकारों को छीनने में सहायक होगा। इस विधेयक के भारसाधक सदस्य ने स्वयं स्वीकार किया है कि इस आर्डिनेंस के लागू होने के बाद भी फिरौती के व्यपहरणों पर काबू नहीं पाया जा सका। विधेयक के पृष्ठ 7 में उद्देश्य एवं कारणों का विवरण देते हुए कहा है कि "फिरौती के व्यपहरण को डकैती से भिन्न अपराध के रूप में इस उद्देश्य से सम्मिलित किया गया है कि फिरौती के लिए किये जाने वाले व्यपहरण जो गढ़ते जा रहे हैं, के खतरे पर काबू पाया जा सके।" किस तरह से इन अपराधों पर कमी की जा सकेगी यह इससे स्पष्ट नहीं होता। डकैती प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत डकैती विरोधी अभियान की आप बात करते हैं, उसके संचालन का कार्यभार किसको सौंपा गया है। आपने उस क्षेत्र के लिए इन्सपेक्टर जनरल बनाया है। आपने इस प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य सचिव को सस्पेण्ड किया, उसके कारण हैं, बहुत से अन्य कारण भी हो सकते हैं। आपने उनको क्यों सस्पेण्ड किया यह मैं नहीं कहना चाहता लेकिन आपने उनको सस्पेण्ड किया। उनके खिलाफ आरोप है कि उनके विरुद्ध 7-8 साल पहले से आदिम जाति कल्याण विभाग में कोई इंक्वायरी पेण्डिंग है, इसलिये अभी उनको सस्पेण्ड किया। मैं जानना चाहता हूँ डकैती विरोधी अभियान के अन्तर्गत जिनको इंचार्ज बनाया गया है, क्या उनके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं है। सी.बी.आई. ने जाँच करके रिपोर्ट दी है। उनकी इंक्वायरी के लिए कमीशन नियुक्त किया गया था। आप उनके बारे में सस्पेण्ड करने की क्यों नहीं सोचते। आपने जिस चार्ज पर मुख्य सचिव को सस्पेण्ड किया उसी चार्ज पर इनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते? इनके खिलाफ विभागीय इंक्वायरी होते हुए आपने सस्पेण्ड नहीं किया, आपने 6-7-8 साल तक काम करने दिया उसके बाद सस्पेण्ड करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस कानून को प्रभावित करने के बाद भी आप इस गंभीर समस्या से कैसे मुक्ति दिला सकेंगे। मेरे लिए इस तरह के असंवैधानिक कानून का समर्थन करना संभव नहीं है।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/14 सितंबर 1981, पृष्ठ/1651-1659)

14 सितंबर को अध्यक्ष महोदय के पास मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएँ आयी थीं। अविश्वास प्रस्ताव की प्रस्तुति के संबंध मे व्यवस्था के प्रश्न पर सभापति ने व्यवस्था दी। उसके बाद मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र विधेयक 1981 पर चर्चा क्रमशः आगे बढ़ी। विधेयक पारित हुआ।

मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की प्रस्तुति के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न पर सभापति-व्यवस्था—

सभापति : आज जिस समय विरोधी दल के नेता श्री सुन्दरलाल पटवा द्वारा प्रस्तुत मध्यप्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 143 के अन्तर्गत माननीय श्री अर्जुनसिंह के मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर सदन की अनुमति ली जाने वाली थी, उस समय मा. विधिमंत्री ने नियम 241 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए आपत्ति उठाई कि नियम के अन्तर्गत किसी प्रस्ताव में कोई प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिये, जो सारतः उस प्रश्न के समान हो, जिस पर सभा उसी सत्र में विनिश्चय कर चुकी हो। चूँकि इस प्रश्न पर कल विधानसभा सदस्य सर्वश्री रमाशंकर सिंह तथा कपूरचन्द धुवारा द्वारा प्रस्तुत वर्तमान मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव को सदन द्वारा उठाने की अनुमति नहीं दी गई है, अतः आज यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

इस संबंध में मैंने मा. विधिमंत्री तथा विरोधी दल के कई सदस्यों को सुना। अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए मा. विधिमंत्री श्री कृष्णपालसिंह ने मेरा ध्यान कौल एंड शकधर की पुस्तक प्रेक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, वाल्यूम दो पृष्ठ 590 पैरा 2 की ओर भी आकर्षित किया, जिसमें लिखा है कि—

"When a number of notices of no-confidence motion are received for the same sitting, and if two or more are held to be in order, they are taken up one by one in the order of their receipt in point of time."

मा. विधिमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि चूँकि कल एक नहीं बल्कि दो अविश्वास के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की सदन द्वारा अनुमति नहीं दी गई है, अतएव आज तीसरे प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी जाना चाहिए।

मैं इस संबंध में सदन को बताना चाहूँगा कि—

'Leave of the House to a motion' की स्थिति 'motion passed by the House or rejected by the House'. से भिन्न है। लीव ऑफ द हाउस केवल एक प्रारम्भिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा विषय को सदन में उठाने की अनुमति दी जाये अथवा नहीं। इसके लिए प्रक्रियाएँ बनी हुई हैं कि यदि कोरम से अधिक संख्या पक्ष में हो, तो अनुमति दी जायेगी अन्यथा नहीं। जहाँ तक किसी प्रस्ताव को सदन द्वारा पारित अथवा अस्वीकृत होने का प्रश्न है, उसके अन्दर सर्वप्रथम सदन में चर्चा होने का प्रावधान है। चर्चा के पश्चात् सदन का मत जाना जाता है कि सदन प्रस्ताव से सहमत है अथवा नहीं और इसका निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है इसी परिप्रेक्ष्य में यह बताना भी आवश्यक है कि आज का जो अविश्वास का प्रस्ताव वर्तमान मंत्रिमंडल के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है उसके सम्बन्ध में कल जो दो इसी प्रकार के प्रस्तावों का उल्लेख किया गया है, वह इसमें बिल्कुल लागू नहीं होता क्योंकि जैसा कि ऊपर बताया गया है यह स्टेज सदन द्वारा प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए अनुमति दिये जाने सम्बन्धी थी। यदि कल किसी एक प्रस्ताव को अनुमति दे दी गई होती और उस पर सदन में चर्चा के पश्चात् अपना मत व्यक्त कर दिया होता, उस समय स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, जिसका हवाला माननीय विधिमंत्री ने दिया है। इस संदर्भ में, मैं कौल एण्ड शकधर की पुस्तक प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, वाल्यूम 2, पृष्ट 589 की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक समझता हूँ, जो इस प्रकार है—

"No conditions of admissibility of a motion of no-confidence are laid down in the Rules, execpt that once a decision, after discussion, is taken by the House on such a motion, no motion raising an identical matter can be moved in the same session."

संसदीय प्रणाली में तो एक प्रस्ताव पर सदन द्वारा निर्णय होने के पश्चात् दूसरे अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है, बशर्ते कि उसमें वे प्वाइण्ट्स हों, जो पूर्व के प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं थे, यद्यपि ऐसा बहुत ही कम होता है। इस सम्बन्ध में कौल एण्ड शकधर की पुस्तक प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट वाल्यूम 2 के पृष्ट 591 की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो इस प्रकार है—

"There is no restriction on the moving of more than one no-confidence motion in a session, although this has not been done so far, but the second motion is admissible only if it raises new matters not covered by the discussion on the previous motion."

अतएव माननीय विधिमंत्री की आपत्ति निरस्त की जाती है।

श्री रमाशंकर सिंह : विधिमंत्री जी मुकदमा हार गये हैं।

श्री कृष्णपाल सिंह : सभापति महोदय, आपका आदेश सर-आँखों पर, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। सेकण्ड मोशन का है निकल गया है। दो मोशन कल आ गये। सेकण्ड वे दे सकते थे। बड़ी मुश्किल से सेकण्ड की अनुमति दी जानी चाहिए। थर्ड मोशन की बिल्कुल नहीं देना चाहिए, फिर भी आपने मंजूरी दे दी। मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे एतराज है, एक पाइन्ट पर सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा, जैसे ही आप इस प्रश्न पर सदस्यों से खड़े होने के लिए कह रहे थे। कई बहुत से कांग्रेसी विधायक उनमें ऐसे थे कि जो पाइंट ऑफ आर्डर रेज करने खड़े हुए थे और पाइन्ट ऑफ आर्डर रेज करने के कारण बहुत से माननीय सदस्य दूसरे पक्ष के खड़े थे, कितने लोग खड़े हुए, 32 हुए या नहीं, उस समय जितने लोग खड़े हुए थे, काग्रीजेन्स न करते हुए 32 सदस्य आते हैं, तो ही विचार करें।

श्री रमाशंकर सिंह : सभापति महोदय, पहले इसकी व्यवस्था दें। विधिमंत्री द्वारा गलत केस प्लीड करने के लिए कान पकड़कर उन्हें खड़ा करवा दीजिए।

सभापति : और चूँकि 32 सदस्य से अधिक प्रस्ताव को अनुमति दिये जाने के प्रस्ताव पर सदन में खड़े हो चुके थे। मैं घोषित करता हूँ कि अनुमति प्रदान की गई।

श्री कृष्णपालसिंह : सभापति महोदय, कोई बात नहीं। आपने इसे अनुमति दे दी। आपके अविश्वास प्रस्ताव को, सारे चार्जेज का मुँहतोड़ जवाब देंगे और कल पूरी तरह से फेल करके दिखाएँगे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : सभापति महोदय, आपके पहले डोज के बाद भी मोशन उनको मंजूर नहीं हुआ। आपके दूसरे डोज के बाद भी मोशन नहीं हुआ। आपको मोशन मंजूर कराने के लिए तीसरा डोज देना पड़ा। मुँहतोड़ जवाब देंगे, यह विधानसभा में बता देंगे, फिर भी आपको फाइनेंस व सेपरेट रेवेन्यू मिलने वाला नहीं है।

सभापति : इस पर चर्चा के लिए मैं दिनांक 17-9-81 नियत करता हूँ। आरोपों की सूची आज सायंकाल 7-30 बजे तक विधानसभा सचिवालय में दी जा सकती है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : सभापति महोदय, मैं एक ही निवेदन करूँगा। इस प्रक्रिया में काफी समय लग गया है। 6 बजे तक हम आरोपों की सूची दे देंगे। काफी लम्बी सूची है दिन भर से टाइप करा रहे हैं। एडिशनल सूची शाम 6 बजे के बाद जो बचेगी.....

(व्यवधान)

श्री कृष्णपालसिंह (विधिमंत्री) : सभापति महोदय, इनके पास कोई सूची तैयार नहीं है। परसों तक टाइम लेकर इधर-उधर से कुछ एकत्रित कर तैयार करेंगे।

सभापति : पहले आपको सायंकाल 6 बजे तक टाइम दिया था अब 7-30 बजे तक कर दिया है। आपको 1½ घण्टा और मिल जावेगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं सभापति जी, इतना ही और निवेदन करना चाहूँगा कि अगर कुछ रह जाता है वह हम कल सबेरे 8 बजे तक सप्लीमेंट्री के रूप में प्रस्तुत कर देंगे। दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता था कि आरोपों की सूची इतनी लम्बी है कि यदि हम दो-दो मिनिट की चर्चा करेंगे, तो भी 4 घण्टे बहस के लिये इन आरोपों को पुट अप करने के लिये ही लग जावेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इसके लिये दो दिन 17 और 18 का समय निर्धारित करने का कष्ट करें।

सभापति : 17 तारीख का पूरा दिन रखा है। और मैं अध्यक्ष महोदय से इस सम्बन्ध में चर्चा कर लूँगा।

शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1981

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : आदरणीय सभापति महोदय, इस विधेयक के संबंध में सदन में सम्माननीय सदस्यों ने अपने मत व्यक्त किये और मैं जो समझ सका उसके अनुसार इस विधेयक की मूल भावना से माननीय सदस्यों

को कोई एतराज नहीं है। सामान्य रूप से केवल एतराज है तो प्रक्रिया से जिसकी वजह से यह आशंका है कि शायद अनावश्यक रूप से कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है या कि कुछ लोगों को किसी प्रकार से कठिनाई उत्पन्न हो सकती है और इस संबंध में कुछ माननीय सदस्यों ने अपने अनुभवों की बात भी सदन को बताई। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को निवेदन करना चाहूँगा कि अपने आप में यह बहुत बड़ी बात है कि माननीय सदस्य इस विधेयक की मूल भावना से सहमत हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ कार्य और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो सीधे समाज.....।

एक माननीय सदस्य : मुख्यमंत्री जी की आवाज नहीं आ रही है।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : सभापति जी मेरी आवाज अपनी है मैं किसी अन्य की आवाज से नहीं बोलूँगा। इसके लिये मुझे क्षमा किया जावे। मैं यह कह रहा था कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो समाज के व्यापक हितों से जुड़े रहते हैं जिनमें ऐसी बातों का समावेश होता है। किसी भी परिस्थिति में उन्हें किसी एकांगी दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। डाकू समस्या पर इस सदन में न जाने कितनी बार चर्चा हुई है अलग-अलग सन्दर्भों में और उसमें कई माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। मैं उन सब सन्दर्भों का उल्लेख इसलिये नहीं करना चाहता कि जब सदन में चर्चा हुई तो मैं यह मानकर चलता हूँ कि वह इस समस्या के समाधान हेतु और उसकी जड़ की खोज करने के लिये हुई है उसे उग्र करने के लिये नहीं हुई लेकिन तथ्य जो प्रकट हुए सदन में तथा सदन के बाहर भी उनमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आयी है कि चम्बल बीहड़ हो या बुन्देलखण्ड की घाटियाँ, वहाँ के जंगलों और बीहड़ों में बन्दूक चलाकर, अत्याचार करके आतंक पैदा करके जो अपराध करते हैं, वह उस श्रृंखला की अन्तिम कड़ी हैं जो उस शोषण और आतंक को जन्म देती है।

यदि हमने उस अंतिम कड़ी को ध्यान में रखकर सब कुछ काम किया तो यह संभव है थोड़े समय पहले जितने भी सूचीबद्ध डाकू हैं, वे डाकू पकड़े जायें या मारे जायें या आत्मसमर्पण कर दें यदि हमने इन्हें अस्त-व्यस्त नहीं किया। इस बात को न केवल अपने भाषणों से, अपने विचारों से बल्कि कानून के कठोर प्रावधानों को इस बात से सुस्थापित नहीं किया, तो डाका डालने वाले लोग, उनको सहायता करने वाले लोग, उनकी लूट के माल का फायदा उठाने वाले लोग, उनके नाम पर रोजगार व धंधा करने वाले लोगों को समाज डाकुओं की संज्ञा में मानता है। मैं विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूँ इस कानून को बनाने की बात मैंने अपनी ओर से सोची हो ऐसी बात नहीं। माननीय विधानसभा के सदस्यों के साथ अलग-अलग विचार-विमर्श करके यह मैं नहीं कहता प्रत्येक माननीय सदस्यों ने जो जितने प्रावधान हैं उन सबका समर्थन किया। कई सदस्यों ने ठीक नहीं माना। बहुतों ने ठीक माना है। लेकिन सामूहिक रूप से जो चीज सामने आई उसको ध्यान में रखकर उस आर्डिनेंस को लागू किया गया और उसके माध्यम से मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि अमल में ला सकते हैं तो निश्चित रूप से डाकूग्रस्त क्षेत्र में व्यापक आतंक जोर है, जाल है उसको हम तोड़ सकेंगे और लोगों को सामान्य जीवन बिताने का अवसर दे सकेंगे। जहाँ तक उन घटनाओं का सवाल है जिनकी वजह से आपके मन में शंकाएँ उत्पन्न हुई हैं मैं आदरणीय सदन से केवल इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि किसी एक-दो-चार घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में समूचे विधेयक को देखने की कोशिश करेंगे, तो इस समस्या के प्रति न्याय नहीं करेंगे न समाधान के खोजने के सही दृष्टिकोण को सामने लायेंगे जैसी मेरी मान्यता है, सही रूप में सदन में या उसके बाहर प्रस्तुत नहीं करेंगे। मैं मानता हूँ कि अधिकार जब कुछ लोगों को दिये जाते हैं तो लोगों के अपने-अपने अधिकारों को उपयोग करने का अलग-अलग तरीका होता है, जो अवसर मिलता है, उस अवसर पर कौन क्या काम करता है, उसमें हुई गलती को हमने स्वीकार किया। मैं सदन की इस मंशा को कि इस विधेयक के द्वारा जो प्रदत्त अधिकार हैं उन पर सही रूप में अंकुश भी रहे और यदि कहीं पर ऐसी कोई बात हुई है तो उसके लिये भी समुचित प्रावधान हो, नियमों में इस बात को ध्यान में रखकर निश्चित रूप से बाद में सलाह मशविरा लेकर उन प्रावधानों को रखा जायेगा। कारगर ढंग से उस क्षेत्र के अंदर इस विधेयक का उपयोग किया जा सके जिस रूप में उपयोग के लिये इस सम्माननीय सदन के सदस्य सहमत हों यह मेरा प्रयास रहेगा और मैं अपेक्षा करूँगा आप सबकी सद्भावना से विधेयक की सहायता से क्षेत्र का वातावरण

निर्मित होगा। न इसमें दल का सवाल है न व्यक्ति का और न किसी राजनैतिक पार्टी का। जो भी व्यक्ति इस आतंक, शोषण और डकैती की श्रृंखला से संबद्ध होगा वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जायेगा। इसी भावना से उस प्रभावित क्षेत्र में, प्रभावी तरीके से इस कानून के माध्यम से आपके उद्देश्यों को सफल बना सकेंगे ऐसा मेरा विश्वास है।

(मेजों की थपथपाहट)

सभापति : चौधरी दिलीपसिंह द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर मैं मतदान ले रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि सर्व-साधारण की राय जानने के लिये मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1981 परिचालित किया जाये।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति : प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1981 पर विचार किया जावे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति : अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

खण्ड 3

सभापति : खण्ड 3 में कुछ संशोधन हैं।

श्री रमाशंकर सिंह (रौन) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खण्ड 3 में इस प्रकार संशोधन किया जावे— शब्द 'पुलिस अधिकारी' के स्थान पर शब्द 'पुलिस अधीक्षक की सिफारिश पर उप-पुलिस महानिरीक्षक' स्थापित किया जाये।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/15 सितंबर 1981, पृष्ठ/ 1822-1825)

सभापति : प्रश्न यह है कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

सभापति : प्रश्न यह है कि खंड 2,7,10,11,13,16,18,21 से 23 इस विधेयक का अंग बनें।

खंड 2,7,10,11,13,16,18,21 से 23 विधेयक का अंग बने।

खंड एक विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल (सहकारिता मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र विधेयक को आज पारित किया जाने के लिये नियमावली के नियम 274 के अन्तर्गत आपको जो अधिकार हैं उसके तहत नियम 88 (2) को शिथिल कर दिया जाये।

नियम 88 (2) शिथिल किया गया।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1981 पारित किया जाये।

सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1981 पारित किया जाये।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : सभापति महोदय, अब तक बिल के सभी क्लॉजेज पर विचार होने के बाद इतना ही कहना चाहूँगा कि इस बिल की जो आलोचना की गई इसके ऊपर.....

श्री रमाशंकर सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभापति महोदय, माननीय मंत्री श्री मुनिप्रसाद शुक्ल जी ने जो प्रस्ताव किया है वह प्रस्ताव क्या है, क्या मामला है श्रीमान् यह बताएँ। वे किस चीज को सस्पेंड कर रहे हैं और उसकी जरूरत क्यों पड़ी?

श्री मुनिप्रसाद शुक्ल : सभापति महोदय, मैंने जो प्रस्ताव किया था उसको मै वापिस लेता हूँ।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : सभापति महोदय, इस बिल की जो आलोचना की गई कि इसमें अन-

कॉन्स्टीट्यूशनल प्रावीजन्स शामिल किए गए हैं, आर्म्स और एक्सप्लोसिव के बारे में अन-ज्युडिशियल प्रिंसीपल्स के बारे में शासन की ओर न उस पर विचार किया गया न उसका कोई जवाब दिया गया और न ही क्लॉजेज के बारे में कोई जवाब दिया या फिर शासन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और सिर्फ बहुमत के आधार पर इसको पारित कराना चाहता है। सभापति महोदय, इन्हीं प्रावधानों का जब इनके आदमियों के खिलाफ प्रयोग होगा तो मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से अन-ज्युडिशियल प्रिंसीपल्स का कानून बनाने का क्या परिणाम होता है।

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय सभापति महोदय, मैं बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन सखलेचा जी ने अपनी असली मंशा जिस तरह से वे काम करते हैं, बता दी है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अभी आपके शासन के चलते हुए जब आपके आदमियों के खिलाफ इसका प्रयोग होगा तो मालूम होगा।

श्री अर्जुनसिंह : किसी के आदमियों के खिलाफ इसको प्रयोग करने का सवाल नहीं है। अगर कोई आदमी है और वह डकैतों से मिला हुआ है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ इसका प्रयोग होगा।

सभापति : प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र विधेयक, 1981 पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/15 सितंबर 1981, पृष्ठ/1846-1847)

17 सितंबर 1981 को श्री अर्जुनसिंह मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर प्रतिपक्ष के नेता श्री सुन्दरलाल पटवा ने चर्चा प्रारंभ की। व्यापक चर्चा के अंश और मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह का दो टूक उत्तर यहाँ दिया जा रहा है—

मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

डॉ. राजेन्द्र जैन (विधि राज्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। गम्भीर प्रश्न यह है कि माननीय विरोधी दल के नेता श्री सुन्दरलाल पटवा ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचना के सम्बन्ध में शुक्रवार को हाउस में कहा था कि सोमवार को प्रस्तुत करेंगे। सोमवार को प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सदन में टाइम नियत करने के लिये कहा, कि कितने बजे तक दे देंगे, चार्जेज के बारे में जिसके लिए अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था। अध्यक्ष महोदय ने साढ़े सात बजे तक का समय निश्चित किया.....

अध्यक्ष : पहले प्रस्ताव प्रस्तुत हो जाये, फिर आपत्ति सुनता हूँ। आपका मतलब चार्जेज से है। वह बात मैं सुनूँगा। प्रस्ताव प्रस्तुत न हो इस पर आपत्ति तो नहीं है?

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि जो प्रस्ताव यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है जिसका आधार बताया गया है.....

अध्यक्ष : अभी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ है, आ जाने दीजिये फिर अपनी बात रखियेगा।

श्री शिवभानु सोलंकी (उपमुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अविश्वास प्रस्ताव के समय पूर्व अध्यक्ष नेवालकर जी ने बहुत-सी बातों पर कहा कि एफिडेविट नहीं है, इनके साथ एफिडेविट चाहिये और एफिडेविट नहीं होने के कारण उनको नहीं लिया था इसलिये आप इस प्रस्ताव के साथ एफिडेविट जरूर दीजियेगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप लगा दीजिये अपना एफिडेविट कि इनको हटा दीजिये।

डॉ. राजेन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं जो बात कह रहा हूँ उसके सम्बन्ध में बाद में यह तकनीकी बात नहीं आना चाहिये कि उस समय आपने आपत्ति नहीं उठाई थी।

अध्यक्ष : क्या प्रस्ताव के प्रस्तुत होने में ही आपकी आपत्ति है। यदि प्रस्तुत होने में ही है तो अभी आप अपनी आपत्ति उठा लीजिये और यदि चार्जेज के सम्बन्ध में है तो आप प्रस्तुत होने के बाद उठाइयेगा।

डॉ. राजेन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, अगर प्रस्ताव से तात्पर्य सिर्फ यह है कि वे एक लाइन पढ़ें तो ठीक है लेकिन अगर वह अविश्वास की लाइन पढ़ने के बाद कुछ बोलते हैं तो उस पर मेरी आपत्ति है।

श्री तनवंतसिंह कीर (सहकारिता उपमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है?

अध्यक्ष : आपने प्रश्न किया और मैंने एकदम घड़ी देखी।

(हंसी)

श्री तनवंतसिंह कीर : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जब पटवा जी अविश्वास का प्रस्ताव रखें उसके पूर्व एक लोटा और गिलास उनके सामने अवश्य रखवा दें क्योंकि जब आदमी (* *) बोलता है तो उसको प्यास ज्यादा लगती है और जब प्यास लगती है उस समय पानी न हो तो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(हंसी)

श्री बाबूलाल गौर : अध्यक्ष महोदय, यह (**) शब्द असंसदीय है।

अध्यक्ष : कीर साहब ने जो झूठ शब्द का प्रयोग किया है उसको कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री तनवंतसिंह कीर : अध्यक्ष महोदय, (**) नहीं तो असत्य मान लीजिये।

श्री चित्रकान्त जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, लोटा और गिलास के बारे में इसलिए किया कि अगर अविश्वास प्रस्ताव के समय इनको लूज मोशन हो जाये तो लोटा यहाँ रखा रहे।

अध्यक्ष : न तो यहाँ लोटा और गिलास की आवश्यकता है और न ही चमचों की जरूरत है।

श्री कपूरचन्द धुवारा : अध्यक्ष महोदय, अभी 12 बजने में 20 मिनट की देरी है और सरदार जी अभी से खड़े हो रहे हैं।

(हंसी)

श्री तनवंतसिंह कीर : इसका मतलब यह हुआ कि आप 11 बजकर 40 मिनट पर ही चालू हो जाते हैं।

अध्यक्ष : धुवारा जी और कीर जी में सिर्फ फेंटे का फर्क है बाकी सब ठीक है। (हँसी)

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ कि यह सदन मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह के मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रकट करता है।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह सदन मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह के मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रकट करता है।

अध्यक्ष : मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर आज जो चर्चा होने वाली है, उसके लिये मैंने साढ़े पाँच घंटे का समय रखा है जिसमें से (1) काँग्रेस (इ) पार्टी के लिये 3 घंटे का समय (जिसमें शासन के लिये उत्तर देने का समय भी सम्मिलित है) तथा (2) विरोधी पक्ष के लिये 2 घंटे 30 मिनिट का समय रखा है।

श्री शिवभानु सोलंकी : अध्यक्ष महोदय, पार्टियों की संख्या को देखते हुए समय मिलना चाहिये। विरोधी पक्ष को ढाई घंटे का समय दिया गया है जबकि हमारे सदस्यों की संख्या 246 है हमको उस हिसाब से समय मिलना चाहिये।

श्री कृष्णपाल सिंह (विधिमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इस बात पर विचार करें। पार्टी के सदस्यों की संख्या के हिसाब से टाइम निर्धारित होना चाहिये और अभी तक यह परम्परा रही पिछले सत्रों में भी अविश्वास प्रस्ताव आये। अध्यक्ष महोदय, 1:3 का रेशो आता है उनका एक सदस्य 5 मिनट बोलेगा तो हमारे 3 सदस्य 15 मिनट बोलेंगे अगर उनका कोई खास सदस्य बोलना चाहता है और नेताजी उनको अनुमति दे दें या आपकी किसी सदस्य पर विशेष कृपा हो जाये तो वो बात अलग है लेकिन पार्टी के सदस्यों की स्ट्रेन्थ के हिसाब से ही समय मिलना चाहिये।

अध्यक्ष : आपके सुझाव पर मैं विचार करूँगा।

डॉ. राजेन्द्र जैन (विधि राज्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम 143 (2) (3-ए) की ओर दिलाना चाहता हूँ इसमें कहा गया है कि—

"The mover of the motion shall communicate, in writing to the Secretary before the appointed time, the charges to be levelled during the course of discussion by the Member or Members who gave the notice of the motion, as the case may be."

आज की चर्चा में केवल वही विषय लिये जा सकते हैं जो कि लिखित में निर्धारित समय में प्रस्तुत कर दिये है इसके अलावा उन्होंने कोई अलग आवेदन देकर उसमें आरोप दिये हैं तो वे नहीं आ सकते हैं। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जैसी कि मुझे जानकारी मिली है कि एक माननीय सदस्य जिनका अविश्वास के बारे में एक प्रस्ताव था उसको हाउस ने मंजूरी नहीं दी। उन्होंने क्या किया कि 143 के प्रस्ताव की सूचना लिखित में 252 में आपको दी। जब 143 में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो उस समय कोई भी लिखित चार्जेज 252 के अन्दर देकर 143 मे उसका लाभ नहीं लिया जा सकता। मेरा यह निवेदन है कि 143 में जब प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उस समय 252 का लाभ नहीं लिया जा सकता, तीसरा मेरा निवेदन यह है कि 252 में माननीय सदस्यों ने कुछ सदस्यों के बारे में स्पेसिफिक कोई आरोप लगाने के लिये कोई सूचना आपको दी है तो आप यह देखेंगे कि आप उनको अनुमति भी दें लेकिन वे किसी व्यक्ति के खिलाफ स्पेसिफिक आरोप नहीं लगा सकते हैं। मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। चौथा मेरा निवेदन यह है कि जो चार्जेज जनता पार्टी की ओर से लिखकर के समय में ही आपको दिये गये हैं और उन चार्जेज में यदि ऐसे आरोप हैं, जिन पर इस माननीय सदन में इसी सत्र में चर्चा हो चुकी है और चर्चा के बाद वे चार्जेज सामप्त हो गये हैं, वे दुबारा इसमें नहीं आएँ। ये मेरा आपसे निवेदन है।

अध्यक्ष : आपका पहला प्रश्न है। हमारे नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी निश्चित समय तक चार्जेज की सूची मिल जाना चाहिये तो जो समय निश्चित कर दिया गया था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समय चेयर पर थे उस समय तक जितने भी चार्जेज आए हैं मैं उन्हीं को सुनूँगा, उनके अलावा नहीं सुनूँगा। दूसरी बात जहाँ तक नियम 252 का प्रश्न है निश्चय ही हर माननीय सदस्य को अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन 252 को आप अविश्वास प्रस्ताव के तहत इनक्लूड करके उस अधिकार को आप बाहर नहीं कर सकते। यदि कोई माननीय सदस्य उसी मुद्दे पर बोलना चाहेंगे तो उनको उस मुद्दे पर बोलने से इसलिये रोक दिया जायेगा क्योंकि उन्होंने पूर्व सूचना नहीं दी है। यदि उन्होंने पहले सूचना दी है तो मैं उनको उनके अधिकार से वंचित नहीं करूँगा। तीसरी बात का जहाँ तक प्रश्न था .....

डॉ. राजेन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, नियम 130 में यह उल्लिखित है कि एक बार सदन में.....

अध्यक्ष : जहाँ तक नियमों के तहत चार्जेज पर विचार विनिमय का प्रश्न है, ऐसा मैं मानता हूँ कि एक बार यदि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो जाये तो उसी सत्र में फिर नहीं आता। उस सत्र में उन चार्जेज पर विचार नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अन्य सत्र में इस प्रकार का प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार हो सकेगा।

श्री अच्युतानन्द मिश्र (मऊगंज) : अध्यक्ष महदोय, माननीय विरोधी दल के नेता ने अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा जो चार्जेज प्रस्तुत किये हैं वे पूरे चार्जेज बेबुनियाद हैं। उन्होंने जितने भी चार्जेज लगाये हैं यदि शुरू से आखिर तक आप देखें तो उन्होंने एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दिया है कि किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ।

अध्यक्ष : आप मुझे सुनेंगे। वह बोलें उसके पहले आप कह रहे हैं। जिस समय पर आपको जवाब का मौका दूँगा, आप कहें यह चार्जेज बेसलेस हैं।

श्री अच्युतानन्द मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि अभी चार्जेज की सूची विरोधी दल के नेता ने दी है, उस पर बहस नहीं हो सकती है।

अध्यक्ष : जब तक विरोधी दल के नेता पटवा जी ने नहीं लगाए हैं.....

श्री अच्युतानन्द मिश्र : अध्यक्ष महोदय मेरा आपसे निवेदन है कि आप उन्हें डिलीट करें, जिन पर स्पेसिफिक नहीं दिये है। चार्ज और एलीगेशन में फर्क है। माननीय विरोधी दल के नेता द्वारा एलीगेशन लगाया जा सकता है कि सरकार भ्रष्ट है। आरोप पत्र जो है, वह सकारात्मक होगा, सटीक होगा तथा जो चार्जेज होंगे, उसके सपोर्ट में इसका (स्पेसिफिक) उल्लेख किया जाना चाहिये। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि पूरी तरह से माननीय पटवा जी

की चार्ज शीट को पढ़िए।

अध्यक्ष : आप ही बता दीजिए कि क्या नियम में ऐसा कोई प्रावधान है कि चार्ज स्पेसिफिक न हो तो मैं यहीं डिलीट कर दूं।

श्री अच्युतानन्द मिश्र : अध्यक्ष महोदय, यह माननीय अध्यक्ष महोदय, के विवेक पर निर्भर करता है।

अध्यक्ष : मैंने विवेक का उपयोग कर लिया है, आप नियम बता दीजिए।

श्री अच्युतानन्द मिश्र : आपका निर्णय शिरोधार्य होगा। जब उन्होंने स्पेसिफिक चार्जेज नहीं दिये हैं। आगेप पत्र के साथ इस बात का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे चार्जेज पर बहस नहीं हो सकती है।

अध्यक्ष : जो भी चार्जेज लगाए हैं, चार्ज शीट मौजूद है। उनको मौका मिलेगा कि अपने चार्ज में स्पेसिफिक तथ्य प्रस्तुत करें। निश्चित तौर पर विचार करूँगा कि चार्जेज पर कितना वजन देते हैं।

श्री रमाशंकर सिंह (रौन) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान कौल एण्ड शकधर— संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार, के पेज 658 पर दिलाना चाहता हूँ। इसमें लिखा है कि— "अध्यक्ष चाहे, तो अपने विवेकाधिकार से, अविश्वास प्रस्ताव में दिये गये कारण सभा को बता सकता है।" श्रीमान् लोकसभा का वाद-विवाद, 9-11-62 का. 359 से 60 में दिया है तथा 13-8-1963 की डिबेट, का. 169, मेरा, अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि अविश्वास प्रस्ताव के साथ ही या उसके बाद सभा के द्वारा अनुमति मिल गई और श्रीमान् ने उसके लिये समय निर्धारित कर दिया। इस समय तक इस अविश्वास प्रस्ताव के कारणों को बताया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष ने निर्धारित समयावधि में वह सारे चार्ज आपको दे दिए हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि उन सब आधारों, को जिसके आधार पर यह अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है, आपको अधिकार है कि आप अपने विवेक का उपयोग करते हुए सदन को उसको पूरा पढ़कर सुना सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप पूरे कारणों को सदन के समक्ष रख दें।

अध्यक्ष : मैंने पटवा जी को आज्ञा दे दी है वह सदन में रख दें।

श्री कृष्णपाल सिंह (विधिमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि आपने अभी आदेश दिया है कि श्री रमाशंकर सिंह जी द्वारा 252 के तहत जो एलीगेशन के कुछ चार्ज दिए गए हैं और उन्हें आप चर्चा करने का मौका देंगे। वह तो उनको मौका चर्चा के समय 252 के आधार पर मिलता है। मेरा निवेदन है कि इस पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाये कि यह चार्ज शीट है, उसके वह भाग नहीं होंगे। मेरा निवेदन यह है कि जो 252 के अधीन एलीगेशन दिये हैं, वह और जो चार्जशीट दी जा रही या जो चार्ज शीट प्रस्तुत की जाये माननीय विरोधी दल के नेता की तरफ से, उसके हिस्सा नहीं बन सकते। उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ।

अध्यक्ष : उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, पर बोलने के अधिकार से नहीं रोका जा सकता है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (चन्दला) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि "प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम" की धारा 132 के उपनियम 6 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि उसमें ऐसे विषय पर फिर से चर्चा (नहीं चलाई जायेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा) हो चुकी है। मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि जो चार्ज शीट है उसमें 30, 31, 39 पाइंट वह सभी उन विषयों से सम्बन्धित हैं, जिन पर चर्चा इसी सत्र में, इसी सदन में हो चुकी है।

अध्यक्ष : आप ऐसा करें कि जब ऐसा मौका आये, तब बतायें कि इस नियम के तहत इसकी चर्चा हो चुकी है। आप बोलने तो दीजिये। आप बताइयेगा कि इस दिन इस विषय पर चर्चा हो चुकी है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अभी माननीय अच्युतानन्द जी स्पष्ट कर रहे थे.....

अध्यक्ष : मैंने उस पर अपनी व्यवस्था दे दी है। अब आप उसी बात को फिर से उठायें, यह उचित नहीं है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, अगर आप समझते है कि प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं है तो आप उसे अग्राह्य कर सकते हैं। उसके अंशों को बाहर निकाल सकते है।

अध्यक्ष : जो अंश इरिलेवेन्ट या असंसदीय हो, वह निकाला जा सकता है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, आपको यह शक्ति दी गई है कि यदि वह प्रस्ताव नियमानुकूल न

हो, आप यदि चाहें तो ऐसी सूचना को सदन के सामने न लायें।

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है। अविश्वास प्रस्ताव नियमानुकूल ही लिया गया है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, नियमानुकूल इसलिये नहीं है कि इसमें जो आधार रखे गये हैं, वे नियमानुकूल नहीं हैं।

अध्यक्ष : प्रस्ताव अलग हो, चर्चा अलग हो, तब मुझे बताइयेगा।

श्री हीरालाल सोनबोइर : अध्यक्ष महोदय, पहले रमाशंकर सिंह जी ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था, सदन का अनुमोदन न मिलने से उनका प्रस्ताव अग्राह्य हो गया।

अध्यक्ष : प्रस्ताव अग्राह्य नहीं हुआ। अग्राह्य अलग बात है, उनको प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं मिली।

श्री हीरालाल सोनबोइर : माननीय पटवा जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसमें रमाशंकर सिंह जी को बोलने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिये, वे डिफाल्टर हो चुके हैं।

अध्यक्ष : मैं आपका आभारी हूँ कि आपने यह नहीं कहा कि उनको बाहर कर दिया जाये।

श्रीमती माया शालवार : अध्यक्ष महोदय, आज चर्चा तो इस बात की होनी चाहिये कि जनता पार्टी के समय में जो जमशेदपुर में सांप्रदायिक दंगा कराया गया था और जिसकी अध्यक्षता बाला साहब देवरस ने की थी, जिसमें 108 आदमी मारे गये थे अगर आपकी अनुमति हो तो यह आज का अखबार मैं आपके सामने रख दूँ।

श्री विक्रम वर्मा : आप उस पर भी बहस करवा लीजिये, हम चर्चा के लिये तैयार हैं। आज हिन्दुस्तान में जितने भी दंगे हुए हैं..... (व्यवधान)

अध्यक्ष : आप सब बैठ जायें। वैसे लगता यह है कि इसके पहले कि अविश्वास प्रस्ताव पर कुछ कह सकें, आप कुछ ऐसा मुद्दा उठाना चाहती हैं कि वह अपने मुद्दे को भूल जायें। आप चाहें तो जवाब में कह सकती हैं। यह उचित समय नहीं है जब इस प्रकार के मुद्दे उठायें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अभी उनको संतोष नहीं हुआ।

डॉ. राजेन्द्र जैन : जो प्रकरण उठाया गया है वह बहुत गम्भीर है। 108 व्यक्ति जमशेदपुर में मरे हैं और जनता पार्टी ने न्यायिक जाँच बिठाई थी।

अध्यक्ष : विधि मंत्री बोल रहे हैं या उनके वकील बोल रहे हैं?

श्रीमती माया शालवार : यह पूरे देश की बात है।

अध्यक्ष : अभी हम प्रदेश की बात कर रहे हैं। देश की बात नहीं कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह : प्वाइंट आफ आर्डर, अभी मंत्री जी ने जैसा कहा कि पटवा जी एफीडेविट दें जो उन्होंने आरोप लगाये हैं। मैं निवेदन करूँगा कि इतना सारे देने के बजाय एक छोटा-सा एफीडेविट दे दें कि जो अविश्वास प्रस्ताव पढ़ रहे हैं वह वही सुन्दरलाल पटवा हैं? पुस्तकों को देखकर लगता है कि आज पुस्तकलाल पटवा आये हैं।

श्री कृष्णपाल सिंह : क्या वह चार्जेज को सदन में प्रस्तुत करेंगे या चार्जेज को पढ़ेंगे?

अध्यक्ष : जो चार्जेज लिखकर दे दिये हैं, उन पर बोलेंगे।

श्री राजमणि पटेल : प्वाइंट आफ आर्डर, जिन मुद्दों पर सदन में चर्चा हो चुकी है और जवाब आ गये हैं, उस पर चर्चा नहीं होगी, इसका उल्लेख वाइलाज में किया गया है।

अध्यक्ष : इस पर व्यवस्था दे चुका हूँ।

श्री राजमणि पटेल : जो चार्जशीट दी गई है उसमें से उन मुद्दों को हटा देना चाहिए, क्योंकि चार्जशीट के आधार पर विपक्ष के नेता बोलेंगे?

अध्यक्ष : बार-बार एक ही बात उठाने से कोई फायदा नहीं है।

डॉ. राजेन्द्र जैन : कानूनी मामले में श्रीमान् को मालूम है, पटवा जी 12 लाख लोगों की याचिका लेकर आये थे उसमें नियमों से काम नहीं हुआ था। अध्यक्ष महोदय, ने कृपावन्त होकर सारे नियमों को तोड़कर इजाजत दी थी। मैं नियम बताऊँगा तो चर्चा नहीं हो सकती।

अध्यक्ष : नियमों को तोड़कर इजाजत नहीं दी, आवश्यकतानुसार नियमों को शिथिल करके इजाजत दी थी।

श्री राजेन्द्र सिंह : पटवा जी जो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं, लगता है उस पर उन्हें खुद ही विश्वास नहीं है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अभी तो मैंने प्रस्तुत नहीं किया है, उसके पहले ही हलचल देख लीजिये।

श्री उत्तमचन्द खटीक : इन्हें तो 19 दिन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

अध्यक्ष : पटवा जी बोलें, उसके पहले अपनी आपत्ति उठा लें। उनके बोलने के बीच में आपत्ति नहीं उठाने दूँगा।

श्री राजेन्द्रसिंह : पटवा जी ऊपर से तो सज-धज कर आये हैं लेकिन दिल से सज-धज कर नहीं आये हैं। बार-बार खड़े होते हैं और बैठ जाते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मेरा निवेदन है कि पटवा उवाच शुरू होना चाहिए।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अब समय हो गया है, मैं प्रारंभ करता हूँ।

श्री चन्द्रकुमार भानोत : पटवा जी 12 बजे प्रस्ताव रख रहे हैं, इनके बारह न बज जायें।

अध्यक्ष : अगर 12 बजे बहुत टची हैं तो क्या एक मिनट के लिये सभा को एडजर्न कर दूँ।

श्री बालकवि बैरागी (मनासा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि पटवा जी कुछ कहे मैं उसके पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ कि एक गम्भीर क्षण हमारे समक्ष उपस्थित है और अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं और इस प्रस्ताव पर साढ़े पाँच घंटे बहस भी करेंगे और सारा सदन व सारा प्रदेश देखेगा। इस अविश्वास के प्रस्ताव के उपयोग की सफलता तो यह है कि यदि वे अविश्वास प्रस्ताव यहाँ न लाते तो पार्टी में उनके खिलाफ का अविश्वास का प्रस्ताव आ जाता। यह अविश्वास का प्रस्ताव लाकर वे अपने आपको बचा रहे हैं मैं उनका अभिवादन करता हूँ।

श्री सत्यनारायण सत्तन : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री पटवा जी जो हमारे विरोधी दल के नेता हैं, जो वह अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसमें हमें श्री बालकवि बैरागी व सुरेश सेठ का गोपनीय रूप से सहयोग प्राप्त है.....

अध्यक्ष : तो आप इस प्रकार से विश्वासघात कर रहे हैं। यह सब बात कह कर आप मुखरित हो रहे हैं?

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, अभी सत्तन जी ने जो बात कही मैं एक बात कह दूँ कि सारी जिन्दगी हमको एक झण्डे के नीचे एक नेता के नेतृत्व में काम करते हो गई लेकिन हमने इनकी तरह किसी की पीठ में छुरा भोंकना नहीं सीखा और न किसी के प्रति अविश्वास ही करना सीखा है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ करते हुए कौल एण्ड शकधर की.....

श्री प्रेम नारायण मिश्र : अध्यक्ष महोदय, एक गिलास पानी.....

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूँगा कि मुझे मेरी बात कहने का अवसर मिले। अध्यक्ष महोदय, मैं कौल एण्ड शकधर के वाल्यूम 1 के पृष्ठ 115, 116 और 117 पर आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। अध्यक्ष महोदय, हमें प्रदेश की जनता ने एक विशिष्ट जिम्मेदारी देकर यहाँ भेजा है और इन्हें बहुमत देकर सत्ता करने की जिम्मेदारी सौंपी है। आपका बड़ा पक्ष है। आपके हाथ में सत्ता है और विरोधी दल के नेता की हैसियत से आपके कार्यकलापों को देखने की जिम्मेदारी, आपके उन गलत कामों पर निगरानी करने का उत्तरदायित्व जनता ने हमें सौंपा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान पहले पृष्ठ 115 पर आकर्षित करूँगा कि—

"In any system of Government there will always be a struggle for power. Those who are not in Office will constantly try to onset those who form the Government for the time being. Such struggle can take place in various ways by forcible seizure of power, revolution, or elective process. The Parliamentary system of Government makes it obligatory for the opposing forces to struggle for power on the floor of the House by recognized Parliamentary methods. One of the biggest Parliamentary achievements of the present century is that the role of the opposition has been formally

recognized and is given a due place in the Parliamentary system."

जहाँ तक इस मान्यता का प्रश्न है मैं अगर यह दावा करूँ तो गलत नहीं होगा कि जनता पार्टी का शासन जो 77 में शुरू हुआ और मध्यप्रदेश में जब जनता पार्टी की सरकार थी, जो दर्जा आज मुझे विरोधी दल के नेता को प्राप्त है, वह दर्जा हमारी सरकार ने विपक्ष के नेता को प्रदान करने का प्रयास किया था.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, काफी समय इस चुहुलबाजी में व्यतीत हो गया है। अब भी इस प्रकार टोका-टाकी होगी तो कैसे होगा? इसमें आगे है, कि—

"The Leader of the Opposition is thus an important person. He is a shadow Prime Minister and he has to be prepared to take up the resposibility of forming a Government if his party secures a majority at an election or if the Government resigns or is defeated. He has, therefore, to measure carefully his words and action, and on a matter of national interest to act with as much responsibility as is expected of the Prime Minister. Though he may criticize the Government vehemently on the floor of the House and outside in his country, but abroad he should eschew party politics.

The process of Parliamentary Government is based on mutual forbearance between the Opposition and the Government. If the Leader of the Opposition lets the Prime Minister Govern, he in turn is permitted to oppose. On certain matters. such as foreign relations. defence policy etc. the Prime Minister may at times consult the leader of the Opposition before making a commitment. And in times of grave national crises. the Leader of the Opposition usually underlines the unity of the nation on a particular issue by openly identifying himself with the Government policy.

The Prime Minister and the Leader of the Opposition try to meet each other's convenience as far as possible, consistent with their basic policies. While eschewing obstructionism as such. the Leader of the Opposition, if he feels that Government is trying to slide over an important issue and shunning Parliamentary criticism, can rightfully demand debate on that issue.

The Leader of the Opposition is the official spokesman of the minority or minorities and to that end he zealously watches any encroachment on their rights. His task, though not so difficult as that of the Prime Minister, is or sufficiently great public importance because he has to maintain a team a 'shadow cabinet' ready to take over administration. In performing his duties and obligations, the Leader of the Opposition has to take into account not only what he is today but what he hopes to be tomorrow.

The Leader of the Opposition must himself be a skilled Parliamentarian and familiar with the tricky situations. He should be fully conversant with the rules of the House so that he might utilise the opportunities provided thereunder. Vigilance is his hallmark and he must, therefore, be in his place constantly.

The position and responsibility of the Leader of the Opposition has been summed up by the British Prime Minister, Mr. Harold Macmillan as under:

There is, I suppose, no position more difficult and in some ways more unrewarding than that of a Leader of an Opposition to criticise, to find fault, and at the same time, of course. to develop his own proposals and policies without the power to implement them. It is in a sense unrewarding, because any man who is conscious of administrative capacity and the desire to operate his own plans must feel all the time a sense of frustration.

He further added:

Equally, under our almost unique system of Government the Leader of an Opposition has a very special responsibility to Parliament and to the Nation. At moments of danger, moments specially of foreign danger, and particularly also in matters affecting the security and safety of the real, while he remains a critic he must in a sense be a partner and even a buttress of the Government to which he is opposed This deal responsibility he must discharge with fidelity.

अब अध्यक्ष महोदय, मैं पेज 117 के कुछ शब्द और पढ़कर सुनाना चाहता हूँ।

श्री कृष्णपाल सिंह : यह जो आपने पढ़ा इसकी रेलीवेन्सी इसमें कहाँ से आ गई?

श्री सुन्दरलाल पटवा : जरा सुन लीजिये—

The Page Committee recommended that the Leader of the largest recognized Opposition Party (whether a regular party or a party composed of different parties or groups) should be recognized as the Leader of the Opposition. According to the Committee, it would be a healthy parliamentary convention if the Leader of the Opposition is invited by the Chief Minister before the latters makes any policy statement in the House and is given a copy of the statement in advance, and his suggestions for fixing any particular business on a particular day are, as far as possible, accepted by the Speaker and the Leader of the House. The Committee further suggested that the Leader of the Opposition should be paid a salary, and provided with office as well as residential accommodation and some secretariat staff

अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिये इसके लिये पेज कमेटी ने कुछ कहा है। इसको मैं अपनी जिम्मेदारी समझकर बोलूँ। इसके पूर्व प्रदेश के मुख्य सचिव को एक-दो-तीन पत्र लिखे। जैसे ही आपके पत्र की सूचना आए मैंने तेंदू पत्ता कांड के बारे में तथ्यों की जानकारी माँगते हुए पत्र लिखा, आयातित तेल के घपले के बारे में मुझे जानकारी मिली मैंने उनके तथ्यों के बारे में सही जानकारी लेने के लिये पत्र लिखा। शराब के ठेके देने के बारे में, शराब के दाम बढ़ने के कारणों की जानकारी मिली। ऐसे कई तथ्य हैं जिनके बारे में मैंने लिखा था और उन पत्रों का यहाँ पर जवाब मिल गया और तथ्य सदन में पेश हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार प्रतिपक्ष के रिकॉग्नाइज्ड अपोजीशन के पत्रों के उत्तर देने को तैयार नहीं हैं। यह प्रतिपक्ष के साथ व्यवहार है। मैंने स्टेटमेंट दिया कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गुजरात राज्य के साथ नर्मदा समझौता किया है। इस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ समझौते और इस देश की जनता के हित के लिये किये। मैंने घोषणाओं में बोलने दिया। पेज कमेटी ने प्रदेश के हितों को ध्यान में रखकर समझौता आगामी पीढ़ियों के लिए किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का औचित्य समझना था कि वह इसकी जानकारी दे देते हमारे सुझाव ले लेते। आजकल आप वहाँ पर बैठे हैं कल हम वहाँ पर बैठ सकते हैं और आप इधर बैठ सकते हैं परन्तु यह प्रदेश यहीं रहने वाला है और इसके हितों से सम्बन्धित अगर कोई हम समझौता कर रहे हैं, तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि प्रदेश के रिकॉग्नाइज्ड अपोजीशन को इसकी जानकारी दी जाए। पत्रकारों ने जब माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा कि आपने प्रतिपक्ष के नेता से सलाह नहीं ली तो उन्होंने कहा कि ऐसी सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब है। आज प्रतिपक्ष के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए इस बारे में अगर सोचें और कुछ विचार करें कि ऐसे मामलों में जहाँ प्रदेश के सामूहिक हित का इन्वाल्वमेंट करने के बाद कुछ करते हैं, वह यह प्रदेश के लिये हितकर होगा। यह शासन माननीय मुख्यमंत्री जी या उनके मंत्रिमंडल की निजी जागीर या पर्सनल प्रापर्टी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज 16 माह के शासन में इस प्रदेश की जनता को क्या दिया? आप हमको कहते थे कि आपने प्रदेश का खजाना खाली कर दिया, अनाज के गोदामों के भण्डार पूरे खाली कर दिये। विदेशी मुद्रा कम प्राप्त की। श्री शीतला सहाय जी के एक प्रश्न के जवाब में वित्तमंत्री श्री सोलंकी साहब ने कहा कि

इस समय प्रदेश के ऊपर 134 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट है। अध्यक्ष महोदय, जब हमने इनकी शासन की बागडोर ली तो एक धेला भी इस प्रदेश के ऊपर ओवर ड्राफ्ट नहीं था एक पैसे का भी ओवर ड्राफ्ट नहीं था। जनता पार्टी ने जिस समय सत्ता सम्हाली थी उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री श्यामाचरण शुक्ल 80 करोड़ रुपये का डेफीसिट छोड़कर के गये। अध्यक्ष महोदय, 134 करोड़ रुपये का ओवर ड्राफ्ट इस प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक होगा। हमने एक नया पैसा भी जनता का इम्पोज नहीं किया। विकास कार्य लगे हुए थे, किसानों के ऊपर, उसकी हमने छूट दी थी और उसके बावजूद 80 करोड़ रुपये के डेफीसिट से शुरू करने के बाद में एक धेला भी इस प्रदेश के ऊपर ओवर ड्राफ्ट नहीं था। इस प्रदेश के ऊपर 134 करोड़ रुपये का हाइएस्ट ओवर ड्राफ्ट इस प्रकार से हमने किया कि विकास फाइव ईयर प्लान को फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में पूरा ओवर ड्राफ्ट अगेन्स्ट लिखकर के बराबर कर दिया हालाँकि नये काम नहीं लिये होंगे। इन्होंने 15 महीने के शासनकाल में इस प्रदेश को दिवालिएपन के कगार पर ला दिया यह आपकी वित्तीय बदइन्तजामी है। यह आपकी गलत फाइनेन्शल प्रायरटीज है। आपके प्रयत्नों के द्वारा जो शासकीय कोष में करोड़ों रुपया आने वाला था वह आपने ठेकेदारों, उद्योगपतियों और बड़े पूँजीपतियों और राजनीतिक नेताओं की जेब में डाल करके इस प्रदेश के लिये 15 वर्ष की दुरावस्था में पहुँचा दिया है। अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश की हालत यह है कि ग्रामीण विकास पूरी तरह से ठप्प है। कोटा, परमिट, लाइसेन्स, कृत्रिम कतारें, अभाव, बदइन्तजामी, महँगाई, मोहताजी, इन सब का राज पुनः आपने शुरू कर दिया है। जनता पार्टी के ढाई वर्ष के शासन काल में कृत्रिम गायब हो गये, कतारें नदारत हो गईं, अभाव मिट गया, मोहताजी खतम हो गई, महँगाई मिटाई गई, चीजों के लिये लोगों को कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं थी।

श्री अर्जुनसिंह : संक्षेप में कहा जाये तो राम राज्य आ गया था।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप कभी नहीं कहेंगे, जरा गाँवों में जाकर लोगों से पूछिये।

श्री अर्जुनसिंह : इसीलिये इस प्रदेश के गाँवों के लोगों ने जो वे समझते थे, ठीक किया।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, वही नजारे जो आपके पिछले शासन के समय थे आज फिर से लौट आये हैं मध्यप्रदेश में। आज ग्रामीण जनता बेचैन है, आप इस बात की खिल्ली उड़ा रहे हैं प्रजातन्त्र के प्रति आपको कटाक्ष होना चाहिये उसका एप्रीसिएशन आपको होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, आप गवाह हैं विश्व के इतिहास में सबसे बड़ी पिटीशन जिसमें 12 लाख ग्रामीणजनों के हस्ताक्षर की। आज तक दुनिया के इतिहास में, किसी संसद या पार्लियामेंट में पेश नहीं हुई। हम ले आये। लोगों की बेचैनी उससे जाहिर हुई। गाँव के गाँव रुके हैं विकास ठप्प है। महँगाई के कारण लोग परेशान हैं। पर अध्यक्ष महोदय, इसका एप्रीसिएशन यह था कि इस प्रदेश के कानून मंत्री ने 12 लाख लोगों की निवेदन याचिका यहाँ पेश न हो इसके लिये डेढ़ घण्टे बहस की। बहस हो और आपका श्रीमान्.....

श्री कृष्णपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर आप उस बहस को चालू करना चाहें तो मुझे तो केवल इतना कहना था कि जो प्रक्रिया है वह पूरी करवा लीजिए और यह पता लग जाने दीजिये कि उन 12 लाख हस्ताक्षरों में से कितने जाली हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : यही एप्रीप्रिएशन है सामन्ती लोगों का। राजमहलों में बैठ करके जिस प्रकार का निजाम होता है, उनको सड़क पर चलने वाले लोगों के दर्द का एहसास नहीं होता। आप उसी अपने महल में विराजे हैं।

श्री महेश जोशी : .....

अध्यक्ष : मैं महेश जी, आपको बिल्कुल इजाजत नहीं दूँगा, आप बैठें। मैं आपके लिये अलग से मौका दूँगा। आपकी बात रिकार्ड में नहीं आयेगी।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, जब श्रीमान् ने आदेश दिया कि नियम-कानून प्रक्रियाएँ जनता को नहीं, उन्हें पुकार करने का अधिकार है, देने के लिये होती है, जनता कानून के लिये नहीं। मैं उस बात को याद दिलाना चाहता हूँ महापालिका के बाद एक जिम्मेदार विरोधी दल होने के नाते सरकार को चेतावनी देने के लिये दूसरा दिवस है।

महायाचिका के बाद महाभियान और महा अभियान से भी नहीं रुके कदम इनके, यह नहीं चैते तो फिर हम महाभियोग लेकर महामहिम राष्ट्रपति के पास गये। महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास हमारा महाअभियोग पेंडिंग है। मैं यहाँ पर अपनी बात को दोहराते हुए चुनौती देना चाहूँगा कि न्यायिक आयोग से जाँच की माँग की अगर आपमें सामर्थ्य है तो स्वीकार कर लीजिये। हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं एक-एक आरोप को सिद्ध करने की। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सौंपे गये उन मुद्दों को मैंने अपने अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा का मुद्दा इसलिये नहीं बनाया कि एक महाअभियोग महामहिम के सामने हमने उपस्थित किया महान भ्रष्टाचारों के खिलाफ। हम इस फ्रेम से इस बात को कहने के लिये तैयार हैं। परन्तु इस अविश्वास प्रस्ताव के मामले में चर्चा के लिये नहीं वह कुछ मुद्दे जरूर छुए हैं कि श्रीमान् जो हमने इस आरोप-पत्र की चर्चा की है उनमें से कई मामले ऐसे हैं जो आपके श्रीमुख से यहाँ पर कबूले जा चुके हैं। हमने आरोप लगाया था कि शराब के दाम आपने बढ़ाकर 80 लाख रुपया प्रदेश के खजाने का लुटाया, आपने कबूल किया है। यहाँ पर 2 रुपये 51 पैसे से 4 रुपये बढ़ाकर 80 लाख रुपये खजाने से ज्यादा दिया। रेपसीड आइल के बारे में कहा था कि आपने रेपसीड आइल मिल वालों से मिल करके खुले बाजार में दुगुने भाव पर बेचने की छूट दी और भ्रष्टाचार किया। अपने श्रीमुख से दुबे जी ने कल-परसों कबूल किया 5 हजार टन से ज्यादा तेल 5 करोड़ से ज्यादा कीमत का इस प्रदेश की गरीब जनता को जो 8 रुपये प्रति किलो मिलने वाला था वह आपने 14-15 रुपये किलो खुले बाजार में बेचकर 5 करोड़ रुपया रिफाइनरी वालों को जनता से लूटने की छूट दी। कुछ चन्द टुकड़े आपने अपनी जेब में डाल लिए। चावल की लेवी चुराकर कर के शासन को 60 प्रतिशत लेवी दी, आपके राइस किंग ने वोगस फार्मों के नाम पर व्यापार किया। उसकी जाँच के लिए आर्थिक अपराध शाखा को नियुक्त किया गया है। सिनेमा की फिल्मों की कर मुक्ति का मामला, इस म.प्र. के मुख्यमंत्री बड़े रंगीले दिल के हैं जो फिल्म पसन्द आ गई उसे टैक्स माफ कर दिया। हमने 12 फिल्मों का नाम दिया है आपने एक करोड़ से ज्यादा रुपया जो खजाने में आने वाला था आपने नहीं आने दिया। श्री भार्गव के सवाल के जवाब में आपने कबूल किया है। 6-8 महीनों में प्रमुख 6 फिल्मों को कर मुक्त कर दिया उसमें 30 लाख रुपये आने वाला था उसकी हानि हुई। बम्बई के सूचना केन्द्र का मामला है, मेरे मित्र उस पर प्रकाश डालेंगे। इन्दौर की जमीनों की अफरा-तफरी का ऐतिहासिक कांड हमें कहने की जरूरत नहीं, मुख्यमंत्री जी अब आपने कबूल कर लिया है। हमने कहा था कि इन्दौर के करोड़पति विमल पोद्दार को 12 करोड़ की जमीन दी। अब आपने तत्कालीन सुरेश सेठ के अधिकार छीन लिए और अपने हाथ में ले लिए। उसके बाद भी चुप बैठे रहे। अब 9 महीने के बाद आपने एक आर्डर तो कैंसिल कर दिया। 14 एकड़ सतीश सांघी को दे दी उसका कैंसिल क्यों नहीं किया। यह आपका आचरण संदेह प्रकट करता है। चिकलौद कांड, बेगम का मामला विधानसभा के हर सत्र में कहीं न कहीं आ जाता है। इसमें एक फार्म भोपाल का और नया जुड़ गया। पहले जंगल का मामला था अब घोड़े पालने वाली जमीन का मामला आ गया। हमारे मित्र उस पर विस्तृत प्रकाश डालेंगे। पहले जंगल का मामला था अब निगम कांड श्री दुबे को मालूम होगा। तृप्ति इंटरप्राइजेस कहाँ है, त्रिमूर्ति इंटरप्राइजेस कहाँ है उनका इससे क्या वास्ता है, विक्रम वर्मा उस पर प्रकाश डालेंगे।

श्री माधवलाल दुबे (खाद्यमंत्री) : मैं पटवा जी को स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि इसी सदन में श्रीमान् आपके सामने मैंने यह घोषणा की थी। आपने और आपके भाइयों ने जो अंट-शंट कहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है उसमें की एक बात भी सिद्ध कर दें तो मैं यहाँ इसी सदन में इस्तीफा देने को तैयार हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप न्यायिक जाँच बैठायें। एक-एक सिद्ध कर देंगे।

श्री माधवलाल दुबे : चार्ज लगाने वाले की ड्यूटी है कि वह जाँच बिठाये, हम तो निर्दोष हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : कहाँ सिद्ध करें।

श्री माधवलाल दुबे : कोर्ट में करें, इस सम्माननीय सदन में करें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मुझे सफाई मत दीजिये, अब आपके नेता मुख्यमंत्री ने पाठ्य पुस्तक निगम के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा की जाँच बिठाई।

श्री माधवलाल दुबे : आर्थिक अपराध शाखा को मामला सौंप दिया। किसी न्यायाधीश को सौंप दें, और जाँच करवा लें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : ग्वालियर में मोती तबेला भवन।

श्री महेश जोशी : आपने शीतला सहाय को मौका दिया जब वे स्वास्थ्य मंत्री थे, हमने बोगस कारखाने की जाँच करवायी, वे अपराधी थे उनको आर्थिक दंड देकर वापस बुलाया गया।

श्री सुन्दरलाल पटवा : ग्वालियर के मोती महल तबेला भवन का कांड है, शीतला सहाय बतायेंगे, उसके बाद सरकार जवाब दे। फ्री-सेल की शक्कर के परिवहन का घोटाला हुआ। अभी भार्गव जी कहेंगे उस निगम के अध्यक्ष थे तब उनके खिलाफ आर्थिक अपराध जाँच के लिये मुख्यमंत्री ने नहीं सौंपा उस वस्तु व्यापार निगम में ९ करोड़ का घोटाला नहीं हुआ। मैंने जाँच बिठाई उस पर क्या आपके नेता ने जाँच बिठाई और आज आप वहाँ क्यों विराजे हैं श्रीमान, आप बोल रहे थे, मेरे को याद दिला रहे थे कि अपने मंत्री पद से हटने के बाद लेख लिखा "शंवासन कर रहा हूँ" उसके बाद एक 'अधबीच' प्रसंग लिखा था, आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा था बैरागी जी को याद दिलाऊँ कि 'अधबीच' प्रसंग में लिखा कि एक वेश्या का अड्डा था, एक संत रास्ते पर जा रहा था, चलते-चलते लोगों ने कहा कि इस वेश्या का भी उद्धार करें, संत वेश्या के कोठे पर चढ़ गये, वेश्या में भजन करने लगी (व्यवस्था) वेश्या के सब पाप कर्म दूर हो गये और भजन में लीन हो गई उसके जो दलाल थे वह भूखों मरने लगे, उन्होंने मिलकर संत को पीटा और कहा कि यह यहाँ रात को रंगरेलियाँ मनाता है ऐसा कहकर बाबा जी को उठा दिया।

श्री बालकवि बैरागी (मनासा) : चूँकि मेरी बोध कथा पर एक बात कही है, मैं यहाँ आग्रह करूँगा कि मेरी जितनी किताबें छपी हैं और जितने लेख हैं यदि पटवा जी उस हिसाब से बात करते रहे तो बहुत जल्दी उन्हें पी.एच.डी. मिल जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता जब बोलने की बात नहीं होती है तो पराये हथियारों का इस्तेमाल करने लगते हैं! उनकी जिन्दगी आज भी मेरे सिक्कों से चल रही है।

अध्यक्ष : मन्दसौर का अपना इतिहास कुछ अलग है।

श्री बालकवि बैरागी : अविश्वास प्रस्ताव समाप्त होने के अन्त तक यह युद्ध बालकवि बैरागी और सुन्दरलाल पटवा के बीच में ही केन्द्रित हो जायेगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं उनसे युद्ध नहीं करना चाहता मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि उनसे युद्ध करूँ। आगे उन्होंने कहा कि संत मजबूर था चलते-चलते वेश्या के कोठे पर चढ़ गये और मंत्रिमंडल में घुस गये।

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति है कि अगर इन्होंने ऐसी चन्द कविताएँ पढ़ीं और लेख पढ़े और मंत्रिमंडल को वेश्या करके कहा है तो वह भी उस पर बैठ चुके हैं तो वहाँ क्या समझकर बैठ गये थे?

श्री सुन्दरलाल पटवा : वेश्या छोड़कर पतिव्रता को पढ़ देता हूँ।

श्री अच्युतानन्द मिश्र : अध्यक्ष महोदय, क्या कोई माननीय सदस्य अखबार लाकर उसको यहाँ पढ़ सकता है मुझे प्रतिपक्ष के नेता से यह आशा थी कि विधानसभा में अखबार पढ़ना उचित नहीं है। इसमें मैं आपकी व्यवस्था चाहूँगा।

अध्यक्ष : मैं अभी पार्लियामेंट गया था मैंने देखा कि क्वेश्चन भी अखबार में से पढ़कर किये जा रहे थे।

श्री अच्युतानन्द मिश्र : क्या आपने देखा? क्या आपने सुना उन नियमों में क्या ऐसी व्यवस्था है कि कोई माननीय सदस्य अखबार के माध्यम से अखबार में छपी छपाई बातों को आधारित मानकर प्रश्न या स्थगन कर सकता है किसी चीज को आधार मानकर प्रश्न कर सकता है।

अध्यक्ष : यदि अध्यक्ष आज्ञा दे तो कर सकता है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं तो जितने रिफरेंस देना चाहता हूँ, मैं इस सरकार की आलोचना करूँ, उसके कुछ प्रभावकारी या उसके विरुद्ध— यह बताना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी के लोग आपकी सरकार के बारे में क्या कहते हैं इसका मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। मन्त्रिमंडल से हटने के बाद एक पतिव्रता.....

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, मेरी कविता पढ़ी जा रही है, उसमें किसी पार्टी या सत्ता का नाम हो, तो यूँ बोलना मेरी जान ऐसा क्यों कह रहे हो

श्री सुन्दरलाल पटवा : समझदार हो तो समझ लीजिये।

श्री सत्यनारायण सत्तन : इसमें कविता का प्रसंग है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि .....

श्री महेश जोशी : पतिव्रता की बात कर रहे हैं तो मालवी में एक कहावत है कि .....

(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : इस पतिव्रता का कहना है कि..... तो

पतिव्रता का शाप

आपकी मंडियों में काम जब चल जाए, खोटे सिक्कों से,
तब खरे सिक्कों को रहने दीजिये बाजी जब जीत सकते हों गुलाम
तब तुरुप के इक्कों को रहने दीजिए।
चिन्ता आप उसकी कीजिए जो निष्ठा और ईमान को
कपड़ों की तरह बदल लेते हैं, चौकसी कीजिए उन चापलूसों की,
जो किसी भी चक्की पर अपनी दाल दल लेते हैं।
हिमालय को न सूरज गला पाया न आंधी हिला पाई,
कल्पवृक्ष पर धतूरे का फूल कौनसी ऋतु खिला पाई?
चापलूस और अनुयायी में बड़ा फर्क है भाई।
चापलूस चिल्ला सकता है, दिन में माँ और रात में बाप बदल सकता है।
पर अनुयायी? वह अमर चूड़ा पहने अपने सुहाग की परछाईं होता है।
अपमान, अनादर और उलाहनों को वह वंश-वेल की मंगल कामना में
हंसकर सहता है। लोक लाज और कुल मर्यादा के कारण वह रखैल को भी
बड़ी बी कहता है। क्योंकि उसका गठबंधन सिद्धांत से होता है।
बेशक खो तो देता है वह अवसर पर अपनी साख नहीं खोता है।
इसीलिए कहता हूँ कि आपकी मंडियों में जब काम चल जाए खोटे सिक्कों से
तब खरे सिक्कों को रहने दीजिये/बाजी जब जीत सकते हों गुलाम
तो तुरुप के इक्कों को रहने दीजिए। पर अपनी लाड़ली रखैलों की कलाइयों पर
गोद दीजिए एक पंक्तिः पतिव्रताओं को स्वधर्म का सुपाठ
यह बदचलन बाजारू बैड़नियाँ नहीं पढ़ा सकतीं और रखैलें रति-रस बढ़ा सकतीं, वंश नहीं बढ़ा सकतीं।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय,.....

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, आजकल मुख्यमंत्री जी रखैलों के चक्कर में पड़ गये हैं।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पटवा जी ने अखबार पढ़ना शुरू किया तो हमारी तरफ से अचम्भा हुआ। ज्यों-ज्यों आप एक-एक लाइन पढ़ते गये मेरे दिमाग में एक संदर्भ पूरी तरह से आ गया। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भी कुछ गुजारिश कर दूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस अखबार से कविता पढ़ी है वह न जाने कहाँ से पढ़ी लेकिन हमारे बैरागी जी भी एक प्रख्यात कवि हैं। उनकी कविता से अच्छा अर्थ निकला हो लेकिन सखलेचा जी और पटवा जी के सम्बन्धों को तो जरूर उजागर करती है। (हंसी) सखलेचा जी यहाँ ढाई साल बैठे रहे आप वहाँ पर टकटकी लगाये रहे तो वह चुभन है आपको जो आप मुझ पर डाल रहे हैं। (हँसी)

श्री बालकवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष महोदय,.....

अध्यक्ष : मेरी राय है कि आप तो चुप ही बैठे रहें, होने दीजिये दोनों की आपस में आप इस झगड़े में क्यों पड़ रहे हैं।

श्री बालकवि बैरागी : मेरे नेता ने एक बहुत गम्भीर बात कही है। हमारी हमेशा चलती रहती है। मैं इनको करीब से जानता हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो.....

अध्यक्ष : आखिर बैरागी जी को कुछ रास्ता तो मिल ही गया।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी इस पतिव्रता बहिन से पूछना चाहता हूँ कि .....

श्री बालकवि बैरागी : मैं आपकी पतिव्रता नहीं हूँ, सुन्दरलाल पटवा की पतिव्रता नहीं हूँ मैं तो माननीय अर्जुनसिंह जी की पतिव्रता हूँ, (हँसी)

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, अब मामला बहुत साफ हो गया है। अब मैं माननीय अर्जुनसिंह जी की पतिव्रता से पूछना चाहता हूँ कि हे पतिव्रता जी जब आप अपने पति के घर पर बैठी थीं तब इनने नहीं देखा कि पति एक रखैल से खेल खेल रहे हैं? (हंसी)। जब पति ने लात मारकर घर से निकाल दिया तब आपको याद आई।

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष : मेरी राय है कि आप तो चुप बैठे रहें तो अच्छा होगा।

श्री बालकवि बैरागी : यह बहुत गम्भीर बात है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि वह बड़े पार्लियामेंटेरियन हैं लेकिन मेरा निवेदन है कि पतिव्रता वहीं की वहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह पलंग पर सोए या चटाई पर इससे दूरी नहीं बदल जाती।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, पूरा भाषण हो रहा है। इन्हें अलग से मौका दे दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं की पार्टी के लोग दूसरे से क्या कहते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने रविवार में आपके एक भूतपूर्व सहयोगी मंत्री का बयान पढ़ा है, और क्या उसके बाद भी हमें कुछ कहना बाकी रह जाता है। नये धनाढ्य करोड़पतियों से आपके रिश्ते क्या हैं, आपके साथी प्रश्न करते हैं कि नव धनाढ्य करोड़पतियों को आप अपने साथ सरकारी हवाई जहाज में क्यों घुमाते हैं। नव धनाढ्य करोड़पतियों की नयी चमचमाती कारों में आप क्यों घूमते हैं, यह आपके साथी प्रश्न पूछते हैं। उनकी तेल की मिलें हैं, दो लाख रुपया रोज कमायें, इसमें आप क्यों दिलचस्पी लेते हैं। हमें कहने की कोई जरूरत बचती है? आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का दौरा भोपाल में हुआ। मैं भी उनसे मिलने गया, उन्होंने समय दिया। मैंने प्रदेश की स्थिति के बारे में चर्चा की। सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रदेश की स्थिति से माननीया प्रधानमंत्री को निवेदन किया। मुख्यमंत्री जी यह पुस्तक का आपको स्मरण है? "मध्यप्रदेश परफारमेंस एंड प्रॉबलम्ब" जो आपने माननीय प्रधानमंत्री को सौंपी है। आपने इसके पृष्ठ 31 से पढ़ा है? आपने अपने साथियों से चतुराई करते-करते अपनी नेता और देश की प्रधानमंत्री से भी आप कितनी चतुराई कर सकते हैं? कितने असत्य चित्र उनके सामने रख सकते हैं, आप अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये, वह मैं सदन के सामने उजागर करना चाहता हूँ। पृष्ठ 31 पर श्रीमान् मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के परफारमेंस के बारे में उल्लेख किया गया था— प्लांट, लोड, फैक्टर परसेन्टेज, इन्स्टाल्ड कैपिसिटी और जनरेशन कितना हुआ है। इसमें आप 1979-80 के फिगर देते हैं, मध्यप्रदेश में 53 परसेंट। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 10 अप्रैल के प्रश्नोत्तरकाल में माननीय सदस्य श्री चन्द्रदर्शन गौड़ के प्रश्न क्रमांक— 7, मुख्यमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80 में प्रदेश में विद्युत उत्पादन कितना हुआ और यह कुल उत्पादन कितने प्रतिशत था? आप उत्तर देते हैं 1979-80 में प्रदेश में स्थापित समस्त विद्युत गृहों से 7699 लाख यूनिट हुआ। यह कुल उत्पादन क्षमता का 60 प्रतिशत था 10 अप्रेल को आप सदस्य को उत्तर में कहते हैं कि 1979-80 का जो उत्पादन है वह स्थापित क्षमता का 60 प्रतिशत था परंतु आप अपने प्रधानमंत्री महोदय को लिखकर देते हैं कि यह 53 प्रतिशत था। आपने ऐसा क्यों लिखा। श्रीमान् आपने ऐसा इसलिए लिखा कि क्योंकि 1979-80 में जनता पार्टी की सरकार का स्थापित क्षमता का उत्पादन अधिक था। यह आप कैसे कबूल करेंगे, आपकी नाक नीची नहीं हो जायेगी। जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल की उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत से प्रदेश में बिजली की उत्पादन क्षमता 53 प्रतिशत कर डाली। परन्तु अपनी चमड़ी बचाने के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपनी नेता को यह लिखकर दे रहे हैं कि 53 प्रतिशत थी और चन्द्रदर्शन गौड़ को उनके प्रश्न के उत्तर में 60 प्रतिशत बता रहे हैं।

आपने आगे और प्रधानमंत्री से क्या कहा अपनी असफलता छिपाने के लिए कितना असत्य भाषण और

कहाँ-कहाँ किसके सामने कर सकते हैं, कहाँ तक आप जा सकते हैं और देखिए पृष्ठ 2 पर आप अपने दस्तखत से लिखकर दे रहे हैं—

This consistent trend was kept up in 1980-81 as well, during which year the budgetted additional resources were Rs. 19.8 Cr. whereas the actuals are likely to be Rs. 25.2 Cr. that is up by 27 percent.

प्रदेश के अतिरिक्त साधन आपने कितने जुटाये इसके बारे में आपने 27 प्रतिशत बढ़ाकर बताया। इसी बात पर अपने मित्र वित्तमंत्री जी का बजट भाषण देखिये। कृष्णपाल सिंह जी, आपने जिस समय बजट भाषण किया अपने बजट भाषण में कहा है कि इस प्रदेश में अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए हमने 5.60 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया। आप 5.60 करोड़ अतिरिक्त वित्तीय साधन जुटाने की बजट में घोषणा करते हैं। आपके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को लिखकर दे रहे हैं कि हमने 19 करोड़ अतिरिक्त साधन जुटाने का प्रयास किया। जो पुराने ड्यूज थे उनकी रिकबरी को आप अतिरिक्त साधन जुटाने का प्रयास बताकर कौन-सा सेहरा अपने सिर पर बँधवाना चाहते हैं। मौजूदा करों की बकाया वसूली हुई और आप वाहवाही लूटने के लिये असत्य भाषण अपने नेता से करना चाहते हैं। पृष्ठ 45 और निकालें। मुख्यमंत्री ट्राइवल एण्ड हरिजन वेलफेयर डिपार्टमेंट आपके पास है आपके भाषण का उद्धरण सुनें-एक-मिनिट-पहले आप ट्राइवल वेलफेयर और हरिजन वेलफेयर के बारे में क्या-क्या कहा परन्तु आपने माननीय प्रधानमंत्री को लिखकर दिया—

Whereas in the previous years exercise was limited to providing funds, the emphasis 1980-81 was on proper utilisation of the funds as a result a record 93% of the amount allotted to tribal areas was utilised,

93 प्रतिशत अलाटेड बजट आपने युटिलाइज किया है यह आपने लिखकर दिया है। बजट प्रावधान आपने देखा? जो आपके मित्र कृष्णपाल सिंह जी ने रखा था वह 118½ करोड़ रुपये और 63.46 लाख का उपयोग हुआ है? हिसाब लगायें कि 54 प्रतिशत होता है? आप अपने नेता को लिखकर दे रहे हैं 93 प्रतिशत युटिलाइजेशन किया। आदिवासियों के लिये जो रकम रखी गई उसका 54 प्रतिशत युटिलाइज किया और अपने नेता को लिखकर दे रहे हैं 93 प्रतिशत युटिलाइज किया। इसमें भी असत्य भाषण किया और हद हो गई। पृष्ठ 46 पर—

Special Component Plan was prepared for the first time providing for allocation of about Rs. 50 Cr. for Harijans.

50 करोड़ रुपया आपने प्रोवाइड किया, आपका बजट भाषण उठाकर देख लीजिए। हरिजन कल्याण के लिए आपने बजट का प्रावधान किया है वह 5.60 करोड़ का कुल है और 50 करोड़ रुपये आप कहाँ करके रखे हैं और कहाँ से आए। इस पुस्तक में लिखा है आप इसको प्रमाणित करें और अपने नेता को भी असत्य भाषण करके, प्रतिष्ठा करके वाहवाही लूटने में भी चूके नहीं हैं। इतना ही नहीं यह जो 93 प्रतिशत का आदिवासी ट्राइवल वेलफेयर का युटिलाइजेशन दिखाया है इसमें भी जगलरी बताई है इसका जवाब भंवरसिंह जी पोर्ते देंगे। 31 मार्च के आखिरी दिनों में 18 करोड़ रुपया आपने ड्रा करके रख लिये खर्च नहीं हुआ परन्तु आपने ड्रा करके डिपाजिट रख लिए अगले वर्ष खर्च करने के लिए और इस वर्ष आदिवासी कल्याण में खर्च कर दिया, बधाई। उसका प्रतिशत बढ़ाकर बता रहे हैं, फाइनेंसियल डिसिप्लिन आपने इस प्रदेश में बिल्कुल सारा तबाह करके रख दिया। मार्च के अन्तिम सप्ताह में इस सरकार ने 50 करोड़ रुपये बिना खर्च करके केवल ड्रा करके रख लिये दिखाने के लिये अगले साल में खर्च करेंगे और अध्यक्ष महोदय यह 50 करोड़ जब ड्रा किये तब 134 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट आप भुगत चुके थे। इस प्रदेश के वित्तीय साधन को इस प्रदेश की गरीब जनता की कमाई के एक-एक पैसे को जिस बेदर्दी से खिलवाड़ किया उसके कारण इस प्रदेश की दुर्दशा हुई है और आप इसके लिए जिम्मेदार हैं श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, आय.आर.पी. आपने प्रावधान किया 13 करोड़ 99 लाख का और खर्च बताया है 13 करोड़ 56 लाख का। हाल यह है कि 13 करोड़ 56 लाख की पूरी रकम 31 मार्च को ड्रा करके डिपाजिट करी गई, एक धेला भी खर्च नहीं किया। आप कृपा करके कौन-सी वाहवाही लूटना चाहते हैं। दूसरी किताब 25 सूत्रीय कार्यक्रम के

कार्यान्वयन की दी। राशन दुकानों में 58 हजार की वृद्धि की है। गेहूँ की लेव्ही उन्होंने लगा रखी है और लेव्ही के नाम पर इस प्रदेश के किसानों, दलहनों के व्यापारियों, मजदूरों को जो कारखाने में काम करते हैं उनकी आपने किस तरह तबाही की है वह मध्यप्रदेश का इतिहास पिछले 6-8 महीने का गवाह है। अध्यक्ष महोदय, आपने तीर यह मारा कि जितना लक्ष्य था उसका एक तिहाई नहीं किया, जबरिया डेढ़ लाख टन तक पहुँचाने की कोशिश की गई। माननीय दिग्विजय सिंह जी सर हिला रहे हैं तो क्या, तीन लाख टन चावल उत्पन्न करने का दावा तत्कालीन मंत्री करते थे परंतु पौने छः लाख टन ही की है। सामान्य रूप से जो 60 परसेन्ट लेवी आने वाली थी वह राइस मिल्स को भुगतना पड़ी। लेव्ही न चुकाते हुए यह मुख्यमंत्री उवाच— पेज नं. 1 "संवेदनशील प्रशासन" आप ही ने लिखा है—

पिछले दिनों ऊपर से नीचे तक सबको अपनों और गैरों में बाँटकर सिर्फ अपनों के लिये शासन करने की जो दुर्भाग्यपूर्ण परिपाटी बनी, उसे हम तुरन्त समाप्त करना चाहते हैं।" अरे, आज भी प्रशासन संवेदनशील और सामंत के आगे झुका है और आप कहते हैं—

"आज हमें ऐसे प्रशासन की जरूरत है, जो शक्तिशाली और सम्पन्न के आगे झुके नहीं और जिनके दरवाजे और दिल-दिमाग गरीब और शोषित के लिये हमेशा खुले हों"। क्या कहना है। हमारे प्रदेश का विकास तब तक नहीं होगा जब तक आदिवासी और हरिजनों का विकास नहीं होगा। "हमारे प्रदेश में विकास का केन्द्र बिन्दु हरिजन और आदिवासियों का विकास है और मेरी सरकार उनके उत्थान के लिये सभी संभव प्रयत्न इस कार्य को प्राथमिकता देकर करेगी। इसी दृष्टि से मैंने यह निश्चय किया है कि आदिमजाति और हरिजन कल्याण विभाग मैं स्वयं अपने पास रखूँगा।" इस प्रदेश में हरिजनों पर एक-एक साल में इतने अत्याचार किये हैं जिसमें, 20 साल के इतिहास को मात कर दिया। मैं उनके कारण बताऊँगा अध्यक्ष महोदय, पृष्ठ पाँच पर आप कहते हैं—

"संस्कृति और कलाओं में मध्यप्रदेश की प्रतिभाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।" विट्ठलभाई कहाँ हैं? "हमारा प्रयत्न होगा कि कलाकर्मियों को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ अभिव्यक्ति के नये अवसर मिलें और नागरिकों को रसास्वादन हो"। विट्ठलभाई रसास्वादन हो रहा है। यह आपके उवाच हैं मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं भी उस दिन मौजूद था। इस विधानसभा के विधायकों ने कैसे रसास्वादन किया और उसकी चर्चा इस सदन में हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा ही रसास्वादन आप सामन्तों का तरीका है और उनका शासन जनता द्वारा अब दिये गये जनादेश का पालन करते हुए प्रशासन को विनाश के उस कगार पर से वापस लाने का प्रयास करेगा, जहाँ उसे जनता पार्टी ने पहुँचा दिया था। अरे महाराज, वल्लभ भवन में बैठे हुए मुख्य सचिव को एक धक्का मारकर निकाल दिया, पुलिस के आय.जी. को डण्डा मार कर निकाल दिया, मध्यप्रदेश सचिवालय में आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। शासन अच्छा प्रशासन लाने का दावा करता है। मध्यप्रदेश के वल्लभ भवन में एक भी सेक्रेटरी ऐसा नहीं जिनका एक साल में एक बार ट्रांसफर न हुआ हो। थोड़े से ऐसे सेक्रेटरीज हैं जिनका एक नहीं दो बार ट्रांसफर हुआ है और कुछ ऐसे हैं जिनका साल में तीन बार ट्रांसफर हुआ है। छत्तीसगढ़ में सिंचाई विभाग के इंजीनियर में दो सौ का ट्रांसफर हुआ है। सवा सौ का ट्रांसफर केंसल हुआ, दूसरी बार केंसल हुआ तीसरी बार हुआ। आप प्रशासन को किस कगार पर ले गये। इस किताब में आप हमें कोसते रहे हैं कि जनता पार्टी के प्रशासन ने विनाश के कगार पर पहुँचा दिया। आपकी आस्था जनतंत्र से उठ चुकी है। आप तंत्र, मंत्र और षड्यंत्र में विश्वास करके उसके बल पर प्रशासन चला रहे हैं। श्री माधवलाल दुबे किसी तांत्रिक को हवाई जहाज में बैठाल कर ले आये और श्री शिवभानु सोलंकी ने उसको दो मिनट को बुला लिया तो आप रुष्ट हो गये और कहने लगे कि इस मंत्री को निकाल दो।

श्री शिवभानु सोलंकी : वह खुद ही मिलने आये थे, मैंने नहीं बुलाया।

श्री माधवलाल दुबे : तांत्रिक तो पटवा जी के पीछे लगे हैं (व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : (चोर की दाढ़ी में तिनका) (हंसी) आपके नेता को कहिये कि वे तांत्रिक में विश्वास कर रहे हैं। श्री शिवभानु सोलंकी बयान देंगे कि मैंने नहीं बुलाया, माफ करो भगवान, मैंने नहीं बुलाया।

(हंसी)

अध्यक्ष : (श्री महेश जोशी से) आप बैठें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, एक ज्योतिषी ने मुख्यमंत्री की जन्म पत्री देख ली, दो-चार अफसरों ने बातचीत कर ली तो क्या हो गया? पर आपने राजोरिया को बुलाकर तुरन्त हुक्म दिया कि तुरन्त हवाई जहाज से जाओ और उससे मिल कर आओ। कहो, जन्म पत्री के बारे में बातचीत क्यों नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री जी आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं फिर आपका दिल इतना कमजोर क्यों है कि दो लोगों ने बैठकर आपके बारे में चर्चा कर ली तो आपकी नींद हराम होने लगी। क्या आपका जनसमर्थन का विश्वास डिग गया है? आपने संवेदनशील प्रशासन में पृष्ठ 7 पर कहा है कि जनता द्वारा अब दिये गये जनादेश का पालन करते हुए प्रशासन को विनाश के उस कगार से वापस लाने का प्रयास करेगा जहाँ उसे जनता पार्टी ने पहुँचा दिया था। आपने आगे पृष्ठ 8 पर कहा है कि "प्रजातांत्रिक मान्यताओं को बहाल करते हुए हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना नहीं है, हम तो जनकल्याण के कार्यों में विरोधियों से भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं।" आप विरोधियों को प्रताड़ित न करने की घोषणा कर रहे हैं और आपके आचरण क्या-क्या कह रहे हैं? मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूँ। आप सखलेचा जी और हमारी पार्टी के एक-एक सदस्य के घर पर थानेदार, जमादार, सिपाही और जो चाहे उसको भेज दीजिए। आपने जोशी जी के घर पर हैड कांस्टेबिल को जाँच करने के लिए भेजा। सखलेचा जी के पिताजी पर आपने स्यूमोटो केस रजिस्टर कर दायर किया आप हमारी पार्टी के एक-एक सदस्य की जाँच करा लीजिये पर आपके समधी श्री दिग्विजय सिंह जी जो आपके पीछे बैठे हैं उन्होंने सन् 1972 में 160 रुपया एकड़ पर 325 एकड़ जमीन का ट्रांसफर किया और यहाँ यह दिग्विजय करके आये हैं। सीलिंग से बचा कर जमीन का ट्रांसफर किया। मेरे पास इसके प्रमाण हैं। भाई इनको बता देना। सखलेचा जी, जोशी जी और पटवा जी के लिये आपके कानून और मापदण्ड अलग हैं और आप अपने समधी को सीलिंग से जमीन बचा कर जमीन बेचने की इजाजत देते हैं। उनके लिए अलग कानून है, अलग पैमाना है। उन्होंने कम रकम पर जमीन बेच कर स्टेम्प ड्यूटी चुराकर सेल डीड किया। आप कहते हैं हम पर 420 का मुकदमा दायर हो और सीलिंग से बचा कर 25 हजार की जमीन बेची, स्टेम्प ड्यूटी की चोरी की तो आपने समधी पर स्यू मोटो का मुकदमा दायर करने का मापदण्ड लागू नहीं होता? आपके समधी आपके पीछे बैठे हैं। कानून सख्ती से लागू किया जावे। आप हमें जवाब दीजिये। सखलेचा जी अकेले नहीं हैं, जोशी जी अकेले नहीं हैं, पटवा जी अकेले नहीं हैं। हम आपकी मेहरबानी पर चुनकर यहाँ नहीं आये हैं। वक्त बतायेगा इन कार्यवाहियों का नतीजा क्या होता है? जो कानून हम पर लागू हो रहा है वह आपके समधी पर, साथियों पर लागू क्यों नहीं हो रहा है। सीलिंग एक्ट का उल्लंघन करके उन्होंने जमीन ली, 25 हजार में जो जमीन बेची, उस जमीन में लकड़ी काटी, अध्यक्ष महोदय, एक लाख छप्पन हजार, उसमें से केवल लकड़ी के निकालकर कलेक्टर ने नीलामी बताया। आप इस तरह यहाँ भाषण देते हैं और आचरण उसके प्रतिकूल करते हैं। आगे चलिए श्रीमान् पेज 9 पर "मैं राज्य की जनता को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि मेरे शासन काल में हरिजन, आदिवासियों, कमजोर वर्ग आदि व्यक्तियों की समस्या, सुरक्षा तथा सुविधा का पूरा ध्यान रखा जायेगा। मेरी सरकार सर्वहारा वर्ग की भलाई के लिए कार्य करेगी। यदि राज्य के किसी भी ग्राम में कनाड़िया जैसी घटना हुई तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी उस संभाग के कमिश्नर यदि राज्य के किसी भी ग्राम में कनाड़िया जैसी घटना हुई, याद आ रहा है तथा जिले के कलेक्टर की होगी।" गाजीगढ़ में घटना हुई, तो ग्वालियर के कमिश्नर और शिवपुरी के कलेक्टर जिम्मेदार नहीं होंगे। कनाड़िया में आपका सारा दर्द उमड़ पड़ा हरिजनों के लिए और गाजीगढ़ में आपको जाने की फुरसत नहीं मिली। आपके समधी वहाँ पहुँचे, मा. दिग्विजय सिंह जी राजाजी और एक-एक हरिजन की मौत पर एक-एक हजार रुपये की कीमत चुका आए और जब मा. शीतला सहाय जी हमारे दल के सदस्य गए, तब मजबूर होकर वहाँ गए और दुबारा 5-5 हजार रुपये कीमत चुकाई। आप भी हेलीकाप्टर लेकर गए, अब वह पंखा टूट गया, मैं उसके लिए जरूर सहानुभूति व्यक्त करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सुरक्षित रखे, स्वास्थ रखे और इस प्रदेश की जनता की सेवा करने की ताकत दे। परन्तु आपने यह जो कनाड़िया पर मगरमच्छ के आँसू बहाने की सहानुभूतिपूर्वक जो घोषणा की है, वह गाजीगढ़ में कहाँ चली गई, शिवपुरी जिले के पोहरी में कहाँ चली गई, डोडर में कहाँ चली गई? क्या हम शिकायत करें, मुख्यमंत्री जी को उसका इन्तजार करना चाहिये। यह आपकी

पार्टी के सदस्य श्री हरिवल्लभ शुक्ला बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या हुआ वहाँ पर, हरिजन महिलाओं के साथ पुलिस ने अत्याचार किए हैं। आपकी पुलिस का एक सिपाही एफीडेविट करता है कि हरिजन महिलाओं के साथ पुलिस ने बलात्कार किया, इस पर आपकी संवेदना नहीं जागती है। कनाडिया में आपको राजनैतिक रोटियाँ सेकना थीं, इसलिए आप मगरमच्छ के आँसू बहाने चले गए। श्रीमान् कनाड़िया की घटना से आपका सिर शर्म से झुक गया, परन्तु गाजीगढ़ की घटना से आपका सिर गर्व से तन गया, धन्य हो। अध्यक्ष महोदय, आगे आप कहते है, पेज 10 पर— आपने कबूल किया है कि "ढाई साल सत्ता से बाहर रहने के कारण हमने बहुत सबक सीखे है, सत्ता की सीमाएँ पहचानी हैं और उसके उपयोग और दुरुपयोग के बारे में हमें जानकारी मिली है।" आपने सबक सीखा होता तो जो कारनामे आप 16 महीने से कर रहे हैं, यह नहीं होते। कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने मे किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाये और न ही इन मामलों में किसी का गलत हस्तक्षेप सहन किया जायेगा यदि अधिकारी नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं, तो सरकार उन्हें आवश्यक सुरक्षा प्रदान करेगी। कानून का पालन कैसे हो रहा है एक आपके पुलिस विभाग को संभालने वाले आपके लाजवाब मंत्री पीछे बैठे हैं। मैं इनकी कारगुजारियाँ आपको बताना चाहता हूँ। सावधान हो जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : वे परेशान थे कि आपने अब तक उनका नाम क्यों नहीं लिया।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं सोच रहा था कि दो मिनट रुककर लूँ। ढाई बजे से शुरू करूँ।

श्री हजारीलाल रघुवंशी : अध्यक्ष महोदय, इनको ढाई महीने में ही परेशानी हो गई, पूरा बरस तो अभी हुआ नहीं है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : माननीय रघुवंशी जी, आपकी परसों रात को पार्टी मीटिंग हुई, दीवारों के भी कान होते हैं। खबरें हम तक भी पहुँचती हैं। आपको क्या-क्या पुरस्कार आपकी पार्टी के लोगों ने दिए हैं, यह तो उन्हीं से पूछ लीजिए, मैं आता हूँ ढाई बजे बाद आपसे मुलाकात करने।

कु. विमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, अभी समय बढ़ाकर पटवाजी का भाषण अभी समाप्त करा दीजिए।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप ऐसा क्यों करती हैं। मेरे ऊपर क्या नाराजी है। शीतला सहाय जी को भी समय मिलेगा। थोड़ी मेहरबानी मेरे ऊपर भी कर दीजिए।

श्री बालकवि बैरागी : पटवाजी आप पर मेहरबानी करने के लिए हमने जयाबेन को यहाँ रखा है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अरे जया बेन तो मेरी दीदी हैं, मेरे पर हमेशा खुश रहती हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने म.प्र. में एक नई स्टाइल शुरू की है.....

अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 2-30 बजे तक स्थगित।

(1.00 से 2.30 बजे तक अन्तराल)

{अध्यक्ष महोदय (श्री यज्ञदत्त शर्मा) पीठासीन हुए}

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, कुछ महिलाएँ उधर लाबी में खड़ी हैं। उनको देखने के लिए आप कोई व्यवस्था कर दें क्योंकि यह आपके अधीनस्थ हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सदन की चर्चा करें लाबी की चर्चा आप क्यों कर रहे हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात गृह राज्यमंत्री हजारीलाल रघुवंशी तक ले जाऊँ, उसके पहले एक और घटना की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहूँगा।

अध्यक्ष : आप तो वहाँ तक पहुँच गए थे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण बात रह गयी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी सारे मध्यप्रदेश के ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान के अखबारों में बड़े जोर-शोर से विज्ञापन छापे हैं, शेखर जी बैठे है पीछे। भोपाल में एक ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, यह पत्रिका, आपके ध्यान में होगी, शायद इंवायरमेन्ट प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट इन्स्टीट्यूट यूनिवर्सिटी आफ भोपाल, प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन करवाया। उद्घाटन का काम हो गया और वे पीठ फेर कर दिल्ली गईं, इसके समारोह का भी काम कर डाला।

क्या हाल किया इस इंस्टीट्यूट का और इंस्टीट्यूट को जिन भोपाल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. रविप्रकाश माथुर के प्रयास से एक विश्वविख्यात, दुनिया में जिसका कि सम्मान है, अपने विषय में, ऐसा एक व्यक्ति अपने यहाँ पर डा. वी.डी. नाग चौधरी को उस काम के लिए बुलाया। उनको यहाँ पर आमंत्रित करके नियुक्ति दी। माननीय मुख्यमंत्री जी आप शायद इस चेहरे से परिचित होंगे, भूले नहीं होंगे। (मुख्यमंत्री महोदय की ओर एक फोटो दिखाते हुए) आप अपने भाषण में इस बारे में जो कुछ कहा है, उसकी तरफ आपका ध्यान अभी शायद विस्मृत नहीं हुआ होगा और अगर विस्मरण हो गया हो तो मेहरबानी करके इसके सब पृष्ठ एक बार उलट डालिए। आपने यहाँ पर कोर्सेस प्रारम्भ कर दिए। आपने यहाँ पर विद्यार्थियों को प्रवेश दे दिया। यह इंस्टीट्यूट प्रारम्भ कर दी और उसके बाद पता नहीं आपकी किन कारणों से डा. रविप्रकाश से नाराजी हो गई। अप्रैल में उन्होंने छुट्टी का आवेदन आपको दिया और आपने तत्काल उसे स्वीकार कर लिया और उनको छुट्टी पर भेज दिया, उनके स्थान पर माननीय बैजनाथ जी शर्मा को कुलपति पद पर नियुक्त कर दिया। बड़े घरों की बड़ी बातें होती हैं। डॉ. रविप्रकाश जी ने बड़े आदमियों की बात मान करके एक नियुक्ति वहाँ पर दे दी थी। बड़े व्यक्ति उस नियुक्ति से नाराज हो गये, उनको निकालने का हुक्म दिया, नहीं निकाला तो डा. रविप्रकाश जी को यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बाँधकर निकलना पड़ा और नये सज्जन जो आए हैं, उन्होंने, आपके सब प्रकाशन और कोर्स प्रारम्भ करने, इंस्टीट्यूट स्थापित करने और विद्यार्थियों को प्रवेश देने के बाद अब शर्मा जी उन विद्यार्थियों से कह रहे हैं, यहाँ इस प्रकार का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, इस प्रकार का कोई कोर्स नहीं है। आप अपना विषय बदल दीजिए। जिस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन प्रधानमंत्री महोदय ने किया और लाखों रुपया खर्च किया। हिन्दुस्तान में इस प्रकार का पहला इंस्टीट्यूट प्रारम्भ किया, इस बात का सेहरा आपने बाँध लिया तथा एक बरसात में ही तालाब में बहा दिया। श्री शर्मा यहाँ आकर कह रहे हैं, इस प्रकार का कोई कोर्स नहीं है। किसने प्रारम्भ किया है? इतना ही नहीं आने के बाद उन्होंने अपने हिसाब से डा. वी.डी. नाग चौधरी, बिग्रेडियर पाण्डे, जो यहाँ डिफेंस स्टडी के विजीटिंग प्रोफेसर थे, डा. रागनेकर, हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, आर.सी. सक्सेना, चीफ इंजीनियर, पी.डब्लू.डी., डा. ए.एन. गुप्ता, श्रीमती मंगला शर्मा, आदि जो लोग वहाँ पर नियुक्त थे, इनको अपने बोरिया-बिस्तर बँधवाकर के आपने घर भेज दिया। जो राज्य शासन के डेपुटेशन पर थे, उनको भी कह दिया आप भी जाइये। यहाँ कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। यह तमाशा क्यों करवाया? आप प्रधानमंत्री की खुशी के लिए और अपनी वाहवाही के लिए एक प्रकार का तमाशा करवा रहे हैं और इस इंस्टीट्यूट के साथ मजाक कर रहे हैं और जो लोग यहाँ चुनकर आए थे, यू.एन.ओ. से जिनका सम्बन्ध है। यू.एन.ओ. से इंस्टीट्यूट के लिए सहायता करवा सकते थे, क्योंकि उनसे उनके सम्बन्ध थे। उनके आश्वासन पर आए, मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर आए, उनकी जो कुछ दुर्गति आपने की है, वह आपकी अच्छी प्लानिंग का जीता-जागता उदाहरण है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री किसी प्रकार शासन चला रहे हैं? कैसी उनकी सरकार है? कैसे उसके साथी सहयोगी हैं? इनका एक-एक वर्णन करूँ तो पूरी किताब मुझे तोता-मैना के किस्से की छपानी पड़ेगी।

अध्यक्ष : उसकी रायल्टी क्या होगी?

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश की सुरक्षा का भार जिनके कन्धों पर दिया है, उनके बारे में उन्हीं से उनका इतिहास पूछना चाहूँगा। गंगूसिंह-नन्हें सिंह फर्म का प्रोप्राइटर कौन है?

श्री हजारीलाल रघुवंशी (राज्यमंत्री गृह) : मैं इसका समुचित उत्तर दूँगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप खड़े हो गये।

श्री हजारीलाल रघुवंशी : मैं इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि आप मुझसे पूछते हैं कि प्रोप्राइटर कौन था। पन्द्रह साल की हो गई, कृष्णपाल सिंह की मेहरबानी से।

श्री सुन्दरलाल पटवा : जो इस फर्म के प्रोप्राइटर थे, उनके ऊपर 23 हजार 500 रुपया सेल्सटैक्स का बकाया था। अब इस फर्म का नाम बदलकर श्री राम रघुवंशी कर दिया गया। इस 23 हजार 500 की किश्त

श्री हजारीलाल रघुवंशी : मैं इसका मुँहतोड़ जवाब दूँगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : रघुवंशी जी, वाहन क्रमांक सी.पी.डी. 9676 ट्रेक्टर नई गाड़ी, एम.पी.डी. 5260

बुलेट नई गाड़ी, सी.पी.वी. 9129 ट्रक पुराना, एम.बी.वी. 137 जीप, एम.वी.बी. 139 जीप, सी.पी.डी. 7226 जीप, आर.जे.वाय. 3088 जीप पुरानी ये कितने मंत्री बने उसके बाद की हैं और कितने मंत्री बनने के पहले के हैं?

श्री हजारीलाल रघुवंशी : एक-एक बात का समुचित उत्तर दूँगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अच्छा चलिये, इस बात का जवाब दीजिये। अध्यक्ष महोदय, यह एक चित्र है, फोटो है आपकी अनुमति से मैं इसे पटल पर रखना चाहता हूँ। इस चित्र में जो बलवंतसिंह हैं, उनको आप पहचानते हैं? इसमें जो गज्जू नामक नौजवान है, उसको आप पहचानते हैं? इस चित्र में जो पुराने पब्लिक प्रॉसीक्यूटर हैं, आपके पास बैठे हुए हैं, उनको आप पहचानते हैं? बलवंतसिंह कौन है, उसको आप पहचानते हैं?

श्री हजारीलाल रघुवंशी : अगर हमारे पास भेजवा देंगे तो पहचान लेंगे। एक दिन पहले भेजना चाहिये था।

श्री सुन्दरलाल पटवा : एक दिन पहले अध्यक्ष महोदय को भेजवा दिया। गज्जू, जो डकैती में पकड़ा गया, उसको आप पहचानते हैं। श्रीमान् मैं आपसे अनुमति चाहूँगा, मैं इसे सदन के पटल पर रख रहा हूँ। गृह मंत्री जी कैसे-कैसे लोगों से आपका ताल्लुक है? उस दिन आपने मना कर दिया था जो हरदा में शराब ठेकेदारों ने बलात्कार किया। मेरे पास कापी है। कापी आफ दि कोर्ट श्री देवरस दिनांक 7 अगस्त, 1981 क्रमांक 431, वेदप्रकाश अरेरा कालोनी भोपाल, एट होशंगाबाद रामचन्द्र पांडे आत्मज रामनारायण पांडे वर्सेस स्टेट, दिनांक 7-8-81 को बलात्कार के केस में चालान हुआ। कोर्ट ने आर्डर किया इशू नोटिस टू पी.पी. पुटअप दि केस 10.8.81 .....10 तारीख को केस पुटअप किया जाये, उसके बाद —

At the request of the Public Prosecutor this case was taken up. Shri Koranne stated that he has instructions not to oppose the bail application. Applicant are therefore released on bail on executing a personal bond for Rs. 5000/- each and furnishing one surety each in like amount to the satisfaction of the lower Court.

Shri Tiwari made an application requesting that copy of order be given to him as Humdast. Application allowed. it will be given to him as Humdast.

अध्यक्ष महोदय, 10 तारीख की पेशी लगती है, बलात्कार के आरोपी सर्किल इंस्पेक्टर, बलात्कार के आरोपी शराब के ठेकेदार, अपने पेशी पर जाते हैं, कुराने, पब्लिक प्रॉसीक्यूटर कहते हैं— "ही हैड इन्स्टरक्शंश नाट टु अपोज दि बेल" किस के इन्स्टरक्शंस पर? किसी कांस्टेबल का इन्स्टरक्शन कुराने ने माना? किसी हेड कांस्टेबल का इंस्ट्रक्शन कुराने ने माना? मुख्यमंत्री ने उसको कवर-अप करने के लिए बाद में आदेश दिया कि बेल कैंसिल करने के लिए अप्लीकेशन लगायें। गृह राज्य मंत्री के मुँह पर जो कालिख लगी है, जमानत का विरोध न करने का निर्देश देकर, उसको बाद के आदेश देकर दुरुस्त नहीं किया जा सकता और उसके उस एप्लीकेशन को कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। आज वह बलात्कार का आरोपी सर्किल इंस्पेक्टर और शराब का ठेकेदार आपके निर्देश पर जमानत पर छूटा हुआ है। ऐसे लोगों को आप शह देते हैं। रन्डाल के डकैती के आरोपी आपके बाजू में बैठे हैं। बासनिया के भीमसिंह भाटी के यहाँ डाका पड़ा.....

अध्यक्ष : आपका समय हो चुका है, आप कितना समय और लेंगे, यह आपकी पार्टी के समय में से जायेगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं 15 मिनट का समय और लूँगा।

डॉ. राजेन्द्र जैन : पहली बात यह कि हमारे सदन के नियमों के अनुसार एक चौथाई हिस्सा समय का इनको मिलना था। आपने विशेष कृपा करके अधिक समय दिया.....

अध्यक्ष : जितना समय अधिक लेंगे उतना इनकी पार्टी के समय में से कम हो जायेगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : 67-68 में डकैती पड़ी थी.....

श्री हजारीलाल रघुवंशी : 67-68 में सखलेचा जी गृहमंत्री थे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मालूम है। जिनके यहाँ डाका पड़ा था उस भीमसिंह ने हलफनामा दिया था। आपने केवल नत्थू को फंसवाया था और उसकी पत्नी से वादा किया कि था जब तक नत्थू जेल में रहेगा, तीन सौ रुपया हर महीना देंगे। वह हलफनामा और कहने वाली वह महिला मौजूद है और जिसके सामने, रामहित गुप्त के सामने

बयान दिया था वह भी मौजूद है। सिंचाई मंत्री बनने के बाद बनापुरा में चार पक्की दुकानें बन गईं। 307 का मुकदमा किस पर चला था? आप पर चला था जिसने पिस्तौल से दो फायर किसी को मारने के लिये किये हों, वह आज मध्यप्रदेश के पुलिस मंत्री हैं.....

श्री कृष्णपाल सिंह : एक बार इस सदन के माननीय सदस्य पर प्रदेश में 302 का मामला चला था और वह सखलेचा जी बरी हो चुके हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 307 से 302 का मुकदमा कहीं रघुवंशी जी पर चलेगा तो और आगे उठ जायेंगे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : जिनके ऊपर 302 का मुकदमा चला है उस पर सदन में बहस हो चुकी है और जवाब भी दे चुके हैं कोर्ट का आर्डर है। आत्मरक्षा में सखलेचा जी ने जो कुछ किया है उस पर से कोर्ट ने ससम्मान उन्हें बरी किया है। कोर्ट ने आपके गृह मंत्री को ससम्मान बरी नहीं किया है। जिस पर पिस्तौल चलाई थी उसको मुख्यमंत्री ने बुलाकर राजीनामा कराया था दोस्ती कराई थी।.....

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो चाहता था कि सबसे बाद में बोलूँ, लेकिन पटवा जी ऐसा न समझें कि चूँकि वे विरोधी दल के नेता हैं, इसलिए चाहे जो मन में आए बोलते जायें। मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन जिस गहरे दायित्व और अच्छे भविष्य की कल्पना उन्होंने की थी, उसकी याद दिलाकर में उनसे संयम बरतने का निवेदन करूँगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। आप चूके और मैं सलाह दूँ तो कृपया उसे भी आप मान लिया करें। अगर नेक सलाह होगी तो मैं भी सर झुका कर मानूँगा। यदि नेक सलाह होगी तो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि क्या मुख्यमंत्री जी इस बात से इंकार कर सकते हैं कि जिसके लड़के पर पिस्तौल से गोली चलाने का मुकदमा हमारे एक हजार एक रघुवंशी जी पर चला उस लड़के के पिता श्री जस्वीर सिंह जी के साथ दोस्ताना समझौता आपकी मौजूदगी में आपके सामने हुआ?.....

श्री अर्जुनसिंह : हमारे पास तो जो भी आएगा..... इससे इसका क्या मतलब.....

श्री सुन्दरलाल पटवा : हमारे मंत्रीजी जनपद के अध्यक्ष थे.....

श्री मोतीलाल वोरा : हम मिलाने पर विश्वास करते हैं और आप बिगाड़ने में विश्वास करते हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, आज के गृह मंत्री जी उस समय जनपद के अध्यक्ष थे और आप ही की पार्टी की सरकार थी। उस जनपद को भंग करके इन्हें बर्खास्त किया गया क्योंकि उस जनपद में बड़े घोटाले किये गये, अध्यक्ष महोदय, आज वही बर्खास्तशुदा जनपद अध्यक्ष मध्यप्रदेश का गृह मंत्री है। अच्छा चुनाव है माननीय मुख्यमंत्री जी आपका? इनकी होशंगाबाद में आढ़त की दुकान थी, नोटिस मिला दुकान बंद हो गई, जब मंत्री बन गए तो दुकान फिर चालू हो गई। कृषि उपज मण्डी समिति को नोटिस मिला कि दुकान किसके हुकुम से चालू हुई? अब कृषि उपज मण्डी समिति वाले माननीय दिग्विजय सिंह जी के डायरेक्टोरेट में रोज पेशियाँ कर रहे हैं पर आपकी दुकान चल रही है।

एक अध्यक्ष महोदय, गीता चित्र मंदिर सिनेमा है। उस सिनेमा में मंत्री जी के परिवार वाले सिनेमा देखने गए, सिनेमा वालों की इतनी गुस्ताखी हुई कि मंत्री जी के परिवार वालों को चाय क्यों नहीं पिलाई। इंटरवल में मंत्री जी के साथ थानेदार शाहजाद सिंह भी आए और उस सिनेमा मालिक सुरेन्द्र जैन को इसलिए पीटा और बुरी तरह पीटा कि इनके परिवार वालों को चाय नहीं पिलाई। आपके भाई साहब श्रीराम रघुवंशी ने चतरखेड़ा सरपंच रामचंद्र पालीवाल ने बनापुरा रेल्वे स्टेशन पर मास्टर को दो-दो बार मारा, वहाँ के माल बाबू को मारा, उन पर मुकदमा चल रहा है, सारे ऑफिस में उसने ऊधम मचाया हुआ है— उसको संरक्षण होम मिनिस्टर का है।.....

श्री हजारीलाल रघुवंशी : जब मुकदमा चल रहा है तो होम मिनिस्टर का संरक्षण कैसे मिल रहा है?

श्री सुन्दरलाल पटवा : आपके भाई साहब के घर के सामने से एक शिवनारायण मोदी दो बार अपनी मोटर सायकल से निकल गया तो उसे भी पकड़कर मारा कि हमारे सामने हमारे घर के सामने से निकलता है। उसकी थाने में रिपोर्ट है।

श्री हजारीलाल रघुवंशी : (हसते हुए) अध्यक्ष महोदय,.....

श्री सुन्दरलाल पटवा : यह हें हें करके हंसने से आपको कोई नहीं बचा सकता। थाने में उसकी रिपोर्ट है।

श्री हजारीलाल रघुवंशी : पटवा जी, यह नौटंकी का खेल नहीं है। आप ठीक से आरोप लगाइये।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, पगढाल के हरदेव तिवारी बीस सूत्री समिति के मेम्बर हैं। जीरा के पटेल बद्रीप्रसाद जो ग्राम सरपंच थे उन पर भी पाँच सौ का गबन का मामला है। इनमें कुछ आपके रिश्तेदार है। हरनखेड़ा के सरपंच पर भी गबन का मामला है लेकिन मंत्री जी के कृपापात्र हैं। वे भी बीस सूत्री समिति के मेम्बर है इन पर मामला पेंडिंग है। अध्यक्ष महोदय, डोलग्यारस के पर्व पर गत वर्ष नृत्य करने के लिए एक नृत्यांगना को बुलाया— अध्यक्ष महोदय, सैकड़ों लोगों के बीच में जब वह नृत्यांगना नृत्य कर रही थी आपके भाई का दिल मचल गया— उठाई, पकड़कर जीप में डाला और फिर उसको सबेरे छोड़ा। कौन बोल सकता है? जाँच करवाइये। हंसने से काम नहीं चलेगा। आपने होशंगाबाद जिले में जिस तरह से आतंक का ताण्डव मचा रक्खा है उसके प्रति कोई बोल नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास अभी ऐसे-ऐसे मामले हैं जिन पर मैं सब पर बोल नहीं सकता हूँ। अगर मुख्यमंत्री जी चाहें तो वे सारी की सारी ये पूरी लिस्ट ले लें और जाँच करवायें क्योंकि इनका अब अगर मैं बहुत ज्यादा वर्णन करूँगा तो वह शोभाजनक नहीं होगा। ये चार्जेज ऐसे-ऐसे काण्डों से सम्बन्धित हैं, आप इसको लेकर इसकी जाँच करवा लें और अगर आपको लगे कि मध्यप्रदेश के लिए ऐसे ही गृहमंत्री की जरूरत है तो फिर आप उनको तरक्की देकर राज्यमन्त्री से मंत्री बनाइये। अध्यक्ष महोदय, ये देखिये क्या-क्या अखबारों में छपा है। हजारीलाल रघुवंशी डाके भी डलवाते हैं। ये सारा सामान मेरे पास मुख्यमंत्री जो को पेश करने के लिए मेरी टेबिल पर रक्खा है। आप कानून की बात करते हैं। आपके स्टाइल में और कानून के शासन में अन्तर है। आपका स्टाइल क्या है वह मैं बतलाना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, दिए हुए अधिकारों की एक सीमा होती है लेकिन आपका सामन्ती शासन है। आप जवान से लेव्ही वसूल कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र के चार स्तम्भ होते हैं। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस। इन चारों को आप अपने पैर के अंगूठे के नीचे दबाने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, घटना मेरे पास पचासों हैं, किस सीमा तक नीचे आप जा सकते हैं। अपने प्रदेश के सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट की नियुक्ति का मामला है, आपके यहाँ भर्ती के लिये पांच ऐडहॉक जजेज है। आप हाईकोर्ट के 5 एडहॉक जजों से दस्तखत करवाना चाहते हैं कि जहाँ भेजोगे जायेंगे। यह हाईकोर्ट के जजेज की स्वतंत्रता पर आप किस तरह से चोट कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अपने प्रदेश के सुप्रीम कोर्ट में अभिभाषक की नियुक्ति का मामला है यह बड़ा सेन्सीटिव मामला है। इसलिए मैं नाम लेकर नहीं कहना चाहता हूँ यदि मुख्यमंत्री जी मुझे चुनौती देंगे तो मैं नाम पते सब दे दूँगा। माननीय विधि मंत्री जी आप नोट करिये। आपने जिस व्यक्ति को नियुक्त करवाया श्रौफ एण्ड कम्पनी को जिसको आपने नियुक्ति दी है, जिसने अपनी नियुक्ति के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसको कि आप 7000 रुपये महीना फीस देते हैं, जिस एडवोकेट फर्म को आपने नियुक्ति दी है उसकी क्वालीफिकेशन क्या है? बम्बई से आये और मध्यप्रदेश का जो फर्म काम करती थी सुप्रीम कोर्ट में उसको ड्रॉप्ट लिया। जिसने खरीदा वह सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश का दामाद है और वह अपनी कतई कोई व्कालीफिकेशन नहीं रखता है। आपके द्वारा नियुक्ति देने के पहले उसने कभी सुप्रीम कोर्ट में कोई पैरवी नहीं की है और न ही उसने आपकी नियुक्ति देने के बाद ही कोई केस में पैरवी की है। मध्यप्रदेश का पैसा आप अपने स्वार्थों के लिए बरबाद कर रहे हैं। पूर्व में पांच एडहाक जजों के लिए.....

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एतराज तो नहीं करूँगा, जैसा मैंने कहा, इन बातों को स्वयं विरोधी दल के नेता उसके औचित्य को समझते हैं, उसके सम्बन्धों को समझते है, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि किसी भी माननीय हाईकोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज पर परोक्ष या प्रत्यक्ष किसी प्रकार का उनके सम्मान के प्रति संदेह उत्पन्न करना या लांछन लगाना क्या इस विधानसभा के अंदर चर्चा में कार्यवाही हो सकती है इसको आप ही तय करें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजेज के ऊपर लांछन नहीं लगाए है मैंने प्रेस के ऊपर जो

चर्चा की है। आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मामला सौंप दें इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस मामले की शिकायत आपके पास न हो कि शहडोल के मिशन हास्पिटल में डाक्टर रानीबाई है उसको वहाँ रखने में कौन इन्ट्रेस्टेड है कि रानीबाई शहडोल में रहे कि न रहे आप क्यों पूछेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक प्रकरण में कि मायापाल शहडोल में रहें कि सीधी में रहें अब इस मामले में फैसला भी हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश की जनता पर क्या प्रभाव होगा? अध्यक्ष महोदय, प्रेस का सवाल है नेशनल हेराल्ड पर आपकी मेहरबानी कहिए कि 40 लाख रुपये की जमीन एक लाख रुपये में दे दी और उस जमीन का पजेशन भी दे दिया। सामाचार-पत्रों को आप अपने पंजे के नीचे रखना चाहते हैं। दूसरे अखबारों को छूट क्यों नहीं दी। वह छूट गये। पाँच लाख रुपये एक समाचार सेवा समिति को दिया उसके बाद आपके एक वर्ष के कार्यकाल जो सात टेलीप्रिन्टर पन्द्रह हजार रुपये महीने एक समाचार सेवा समिति को दिये जबकि यहाँ पर चारं समाचार सेवा समितियाँ काम कर रही हैं। एक पर ही आपकी कृपा क्यों है? केवल आपकी प्रशस्ति जो करे उसी प्रेस को आप सुविधाएँ देते हैं। नेशनल हेराल्ड पर ही आपकी कृपा क्यों है? मध्यप्रदेश के वल्लभ भवन में आपने जिस प्रकार का आतंक मचा रखा है, कहने को मुख्य सचिव वहाँ पर हैं परन्तु मध्यप्रदेश के वल्लभ भवन का शासन एक सामन्त के हाथ में है। पुलिस मुख्यालय में भी कहने को आई.जी. हैं, वहाँ पर भी इनका सामन्ती प्रशासन है। आपके रिश्तेदारों को आप कहा-कहाँ नियुक्ति देकर मध्यप्रदेश का शासन चलायेंगे? अध्यक्ष महोदय, ये जो सामन्ती सिस्टम आपने चला रखा है, सामन्तीवाद का परिणाम श्री चनेश्वर राठिया को पहुँचा है। श्री क्लासिएस एक्का उसके शिकार हो गए, उनको आपने मंत्रिमंडल से भी निकाल दिया और वह सामन्त वहाँ क्या कर रहा है, एक सामन्त और आपके मंत्रिमंडल में जुड़ा है। उस बारे में चनेश्वर राठिया के प्रकरण को मैंने सदन के टेबल पर दिया है। विधानसभा के सदस्य और एक आई.एस.एस. अधिकारी द्वारा किस प्रकार से जंगलों का सर्वनाश किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, दो मामले और रखूँगा।

डॉ. राजेन्द्र जैन : श्रीमान् आपने जो आदेश दिए थे कि अलग से समय नहीं देंगे। यहाँ पर एक बहुत इरिलीवेन्ट बात कही गई आज की कार्यवाही से उसे निकाल दें।

अध्यक्ष : मैं देख लूँगा।

डॉ. राजेन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि उनके पास समय था उनको जो चार्चेज लगाना था तो वे आपको तो देना चाहिये थे। क्या वे यहाँ पर चाहें जो पढ़ते चले जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, बलात्कार के केस में जमानत हो जाये इसका आप विरोध नहीं करते हैं। हाईकोर्ट ने जिसको सजा दी आजन्म कारावास की और जो कि मर्डरर था उसको आप पैरोल पर छुड़ाते हैं। एक महीने के लिये नहीं दो महीने के लिये नहीं चार महीने के लिये नहीं आपने उसको 6 महीने के लिये पैरोल पर रखा है। अध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट के वकील को जो पत्र लिखा गया था उसको मैं पढ़कर सुनाता हूँ—

"मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग

क्रमांक-8951-10235-654/00/21 बीपी भोपाल, 18 अगस्त 1980

प्रति,
महाधिवक्ता,
मध्यप्रदेश जबलपुर

विषयः— अप अपील 1044/79 गयवेन्द्रसिंह हजारी आदि

आदेशानुसार निवेदन है कि श्री हजारी की जमानत की दरख्वास्त पर मानवीय आधार पर विरोध न करें।

म.प्र. राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
जी.ए. पटेल,
अपर सचिव,
विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल

प्रति,

1. जिलाध्यक्ष दमोह

2. आयुक्त, सागर संभाग, सागर''

इसके के लिए आप ऐसे मर्डरर के लिये मानवीयता के आधार पर जमानत करा रहे हैं, जिसको हाईकोर्ट ने आजन्म कारावास की सजा दी है। आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह व्यक्ति आपकी पार्टी की एक महिला सदस्या के पति हैं। सहकारिता विभाग अपने मुनिप्रसाद जी शुक्ला को सौंपा है, जो पीछे बैठे हुए हैं शुक्ला जी की जय। सहकारिता विभाग में आपके विरुद्ध कितने चार्जेज हैं? ऐसे व्यक्ति को सहकारिता विभाग दिया गया है उनको उसका मंत्री बनाया गया है?.....

श्री मुनिप्रसाद शुक्ला : कितने केसेज हैं बताइये। कौन से सन् के हैं, बताइये।

श्री सुन्दरलाल पटवा : श्री मुनिप्रसाद शुक्ला भूतपूर्व अध्यक्ष के ऊपर वर्ष 64-65 के अंकेक्षण दौरान संस्था की निधि मु. 17972.90 का दुरुपयोग कर संस्था को आर्थिक हानि पहुँचाने का अधिभार प्रकरण क्रमांक 12/67 म.प्र. सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 (17/61) की धारा 63 (2) के तहत दायर था, जिसमें आदेश क्रमांक 12/67 26-10-77 को उप पंजीयक सहकारी समितियाँ रीवा संभाग रीवा ने मु. 1571.63 पैसे अधिभार बकाया जानबूझकर संस्था को आर्थिक हानि पहुँचाया जाना श्री शुक्ल के ऊपर प्रमाणित मानकर डिग्री दिया, जो अभी तक वसूल नहीं हुआ। इसी प्रकार से 9023.50 का सरचार्ज प्रकरण है, 2980 रु. पेशगी के बाकी हैं, 16-5-81 150.00 रुपया उधारी का बाकी है। ऐसे व्यक्ति को आपने मंत्री बनाया है.....

डॉ. राजेन्द्र जैन (राज्यमंत्री विधि) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि इस प्रकार से चाहे जिस पर यह आरोप लगाते रहेंगे.....

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट निवेदन किया है कि ऐसे व्यक्तियों को जिन पर मुकदमे चले हैं उनको उसी विभाग का मंत्री बना दिया है।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : श्रीमान् इस विषय पर आपके कोई आदेश होंगे या नहीं होंगे।

डॉ. राजेन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, इनके पास इतना समय था यह सारे आरोपों को अपने आरोप-पत्र में जोड़ सकते थे.....

(व्यवधान)

आप जो भी बोलना चाहते हैं बोलिये, लेकिन जवाब भी यहीं बैठकर सुनने के लिये तैयार रहिये।

अध्यक्ष : मैं देख लूँगा।

श्री प्रेमनारायण मिश्र : अध्यक्ष महोदय, हमारे पटवा जी अच्छी तरह से जानते हैं कि सरचार्ज में क्या होता है.....

अध्यक्ष : मैं देख लूँगा और जो संबंधित नहीं होंगे उनको निकाल दूँगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैंने आरोप-पत्र में दिया है कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसे व्यक्तियों को मंत्री बनाया है कि जिन पर मुकदमे चले हैं।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि आप चार्जेज लगाइये लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ नियम हैं, प्रक्रिया है, उसको तो मत तोड़िये। चार्जेज लगाइये, हमें कोई एतराज नहीं है। वरना चाहे जो सदस्य उठकर चाहे जिस मंत्री पर चाहे जो आरोप लगा दिया करेगा। हमारे दल की ओर से भी कोई सदस्य अगर कुछ बोलेंगे तो मैं उनको कैसे रोकूँगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी धमकी दे रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ मैं तो यह कह रहा हूँ कि नियमों का भी हमको ध्यान रखना चाहिये।

श्री उत्तमचन्द खटीक : पटवा जी एकआध बार सखलेचा जी का भी नाम ले लो।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अभी मैंने यह तो नहीं बताया है कि आपका भतीजा डकैती काण्ड में पकड़ा गया है.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मैंने जैसा कहा है कि मैं देख लूँगा वे सब चार्जेज जो कि आपने लिखित में दिये हैं, उससे बाहर जो भी होगा उसको मैं कार्यवाही से निकाल दूँगा फिर आपसे भी अपेक्षा करता हूँ कि पटवा जी कुछ कहना चाहते हैं तो आप भी यह न कहें कि बताइये क्या कहना चाहते हैं, तो आप तो अपनी तरफ से कह रहे हैं। दोनों को नियंत्रित रहना चाहिये।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैंने निवेदन किया कि विरोधी दल के नेता के नाते मैंने शिकायतें की हैं, आपसे पूछा कि गलत तो नहीं है। आप पत्र का उत्तर ही नहीं देते तो मैंने यहाँ पूछा।

श्री अर्जुनसिंह : आप सब कुछ कहें लेकिन नियमों के अन्दर पूछिये। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मत पूछिए। आप 252 में 101 लोगों के बारे में पूछ रहे हैं लेकिन विरोधी दल के नेता पर क्या विधानसभा की कार्यवाही के संचालन में प्रक्रिया का कोई नियम लागू नहीं होता? या अध्यक्ष महोदय, ऐसे निर्देश दें, मैं उनको भी मानने को तैयार हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : नाराजी है तो मैं आपकी भृकुटि देखकर ही बात करूँगा। आप बात को गलत समझ रहे हैं। आप तो बस मुस्कराकर सुनते रहिए।

श्री अर्जुनसिंह : मैं जब बोलूँगा तब देखूँगा कितने लोग मुस्करायेंगे।

श्री विक्रम वर्मा : हम तो आपके खड़े होने से ही मुस्करा दिए।

श्री सुन्दरलाल पटवा : कितने विभागों के बारे में बताऊँ, वन विभाग की छपाई का मामला सूचित किया है उसमें 30-40 लाख का घोटाला किया है।

अध्यक्ष : आप अपने साथियों के लिए भी कुछ छोड़ें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : छोड़ दिया साहब, मुख्यमंत्री से इतना ही कहना चाहूँगा कि डेढ़ वर्ष के शासन में साथियों से बड़े-बड़े काण्ड करवाए इतनी थैली भर गई, अब भी सबर नहीं हुआ या घर के लोगों की खोज खबर नहीं लेते। मजबूर होकर केन्द्रीय लेदर मैन्युफैक्चरिंग को-आपरेटिव सोसायटी रीवा का गठन करना पड़ा। (**)

श्री कृष्णपाल सिंह : इसके लिए उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : नहीं है तो निकाल दीजिए।

श्री राजेन्द्र जैन : पटवा जी सदन की मान्य परम्पराओं से आगे जा कर बोल रहे हैं जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, चूँकि इसका सम्बन्ध मुझसे है तो मैं विशेष अनुमति आपसे चाहूँगा कि आप पटवा जी को इस बारे में पूरी तरह बोलने की अनुमति दें लेकिन साथ ही साथ मैं अनुरोध करूँ कि यदि सचमुच में यदि इस डिबेट को कुछ सीमा में बांधकर रखना है तो नियमों-प्रक्रियाओं का पालन सदस्यों को करना होगा अन्यथा डिबेट अनियंत्रित होगी और जिस उद्देश्य से अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाता है, वह पूरा नहीं होगा। ऐसा निवेदन करूँ कि इस प्रकरण को चूँकि मुझसे सम्बन्धित है मैं विशेष अनुरोध करूँगा कि उन्होंने नोटिस नहीं दिया है कहीं, उल्लेख नहीं किया है फिर भी मेरे विशेष अनुरोध पर पटवा जी को कहने दीजिए।

अध्यक्ष : आपके अनुरोध से नियम क्यों टूटने दूँ।

श्री अर्जुनसिंह : वैसे ही टूट रहा है तो मेरे विनम्र अनुरोध पर एक बार और टूट जाने दीजिए।

अध्यक्ष : डॉ. राजेन्द्र जैन से अभी मैंने कहा है कि जो-जो असम्बन्धित मुद्दे होंगे तो मैं उनको निकाल दूँगा और तदनुसार यदि यह भी उसमें नहीं होगा तो इसको भी निकाल दूँगा।

श्री अर्जुनसिंह : मैं फिर से अनुरोध करता हूँ कि आप पूरा कहें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूँ।

अध्यक्ष : मेरी मुश्किल है आप कहते हैं कि चार्जेज से हट कर बोल रहे हैं और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पूरा बोलें। यदि आप इस तरह इनवाइट करेंगे तो मेरी मुश्किल हो जाएगी।

श्री अर्जुनसिंह : चूँकि शुरू से वही प्रक्रिया चल रही थी कितने मामले आ गए हमने बार-बार निवेदन किया लेकिन जब मेरे बारे में बात है तो मैं उसको कैसे रोकूँ.....

श्री सुन्दरलाल पटवा : हम यहाँ आरोपों को नहीं लगायें, मामलों को नहीं बतायें?

श्री अर्जुनसिंह : आरोप लगायें, मामले बतायें लेकिन नियम और प्रक्रिया के अनुसार।

अध्यक्ष : आपने इसकी सूचना दी है तो मैं रिकार्ड में रखूँगा अन्यथा रिकार्ड से बाहर कर दूँगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आपने ऐसे मंत्रियों को बनाया है जिनके खिलाफ उस विभाग के मुकदमे चल रहे हैं।

अध्यक्ष : आपको डिटेल लिखकर देना चाहिये।

श्री सुन्दरलाल पटवा : इसका मतलब यह है कि आरोप-पत्र में मैं भाषण लिखकर भेजूँ।

अध्यक्ष : आरोप-पत्र का मतलब यह होता है.....

श्री सुन्दरलाल पटवा : मंत्रिमंडल में ऐसे मंत्री हैं जिनके विरुद्ध मुकदमे चल रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, 252 की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जनरल चार्जेज का सवाल नहीं है किसी सदस्य द्वारा वाद-विवाद में किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराध रोचक, आरोप नहीं लगाया जाएगा जब कब कि वाद-विवाद में भाग लेने के एक दिन पूर्व उस सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मंत्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जाँच कर सके। अध्यक्ष महोदय, तथाकथित मात्र भी पूर्व सूचना नहीं दी गई है कि वह विषय की जाँच कर सके। अब इससे ज्यादा स्पष्ट नियम तो नहीं हो सकता।

श्री शीतला सहाय : यह अविश्वास प्रस्ताव के अतिरिक्त बात है। श्रीमान् आप पिछली परम्पराओं को उठाकर देख लें.....

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : इस नियमावली में वह कौन-सा नियम है जो इस प्रकार प्रस्थापित करता है तो यह नियम अविश्वास के प्रस्ताव में लागू नहीं होगा।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी जब विरोधी दल के नेता थे तब उन्होंने जिस तरह का आरोप-पत्र दिया था उसको देख लें उसमें सिद्धांत बतलाया है डिटेल नहीं बताया है 45 आरोपों का अगर डिटेल बताया गया होता.....

अध्यक्ष : नियम 143 में अविश्वास के प्रस्ताव की प्रक्रिया दी है उस प्रक्रिया में यह दिया है कि आपको जो भी चार्ज लगाना होंगे उसकी पहले सूचना देना होगी, 252 और 143 के तहत है। 252 में यह है कि जिस व्यक्ति पर मानहानिकारक या अपराध रोचक आरोप नहीं लगाया जावेगा जिस व्यक्ति पर आरोप लगाना होगा उसका नाम देना होगा जैसे आप मुनिप्रसाद शुक्ल, हजारीलाल रघुवंशी पर लगाना है तो 252 के तहत आरोप लिखकर देना चाहिये और प्रक्रिया यह है कि जो आरोप लगाना है उसकी सूची आपको देना चाहिए।

श्री शीतला सहाय : अभी तक की जो परिपाटी है उसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो माननीय अर्जुनसिंह.....

अध्यक्ष : आरोप लगाना है तो उसकी नियमानुसार पूर्व सूचना देना चाहिए।

श्री अर्जुनसिंह : जितने चार्जेज के बारे में आप बात कर रहे हैं, पढ़कर बता दें मालूम हो जायेगा।

अध्यक्ष : अभी आपने हजारीलाल जी के बारे में चर्चा की। अब चर्चा उनके भतीजे के पास पहुँच गई, मुझे भी सोचना यह है कि मंत्रियों के साथ-साथ सम्बन्धी, भाई, बन्धुओं तक ले गये हैं।

श्री शीतला सहाय : मैं मंत्री हूँ तो क्या मेरे कारण मेरे सम्बन्धी लाभ उठायेंगे।

अध्यक्ष : आप अगर भाई बन्धु के खिलाफ बोलना चाहेंगे तो.....

श्री सुन्दरलाल पटवा : अविश्वास का प्रस्ताव लायेंगे तो क्या पूरा-पूरा नाम, पता, जन्मतिथि सब देना पड़ेगा।

अध्यक्ष : जिस तरह के आरोप हैं उनमें तो दे सकते हैं।

श्री शीतला सहाय : माननीय गृह राज्यमंत्री श्री हजारीलाल रघुवंशी द्वारा असामाजिक तत्वों व अन्य अपराधों के साथ कितने मिले जुले अपराध हैं, उनका नाम बताना पड़ेगा, संगठित आतंकपूर्ण, बदले की कार्यवाही की जा रही है। श्री रघुवंशी और उनके परिवार के लोगों द्वारा अनियमित उपायों से पद का दुरुपयोग किया जा रहा है।

अध्यक्ष : क्या परिवार में कितने लोग हैं उनके नाम बतायेंगे?

श्री हजारीलाल रघुवंशी : मेरे परिवार की परिभाषा बताऊँगा तो 500 लोग हैं मेरे परिवार में। सिवनी मालवा

में 40 प्रतिशत से अधिक लोग जमीन जायदाद वाले हैं।

अध्यक्ष : आप 500 परिवारों की चर्चा करेंगे तो 365 दिन इसमें बीत जायेंगे।

श्री हजारीलाल रघुवंशी : अध्यक्ष महोदय, मेरे परिवार में तो 500 लोग हैं और वे कुल मिलाकर 35 गांवों में रहते हैं। 35 गांवों में रघुवंशी ही रघुवंशी हैं। सिवनी-मालवा तहसील में उनकी बहुत-सी जमीनें भी हैं।

अध्यक्ष : अगर आपके परिवार के 500 लोगों की यहाँ पर चर्चा की जायेगी तो 365 दिन उसी में लग जायेंगे और चर्चा पूरी नहीं हो सकेगी।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि आरोपों का उत्तर देने के बजाय माननीय मुख्यमंत्री जी नाराज हो रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : नाराज बिल्कुल नहीं हो रहा हूँ। आप मुझे गलत न समझें। आप स्पेशल डिबेट माँग लीजिये। मैं आपकी बातों का जवाब दूँगा। लेकिन मुझे आपका संरक्षण नहीं चाहिये। (थपथपाहट) सवाल सिर्फ इतना है कि नियमों और प्रक्रिया का मैंने उल्लेख किया है। उसके बाद भी अध्यक्ष महोदय से मैंने निवेदन किया है कि यदि पटवा जी को कुछ कहना ही है तो वे स्पेशल डिबेट माँग लें।

अध्यक्ष : बस, आपका भाषण समाप्त। श्री मथुराप्रसाद दुबे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : शायद मुख्यमंत्री जी को गलतफहमी हो गई है।

श्री अर्जुनसिंह : हम उनकी मेहरबानी से यहाँ नहीं बैठे हैं। मुझे तो कोई गलतफहमी नहीं है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मेरा निवेदन है कि गलतफहमी दोनों तरफ से दूर होनी चाहिये। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 15-16 महीनों के कार्यकाल में इस सरकार ने विधि सम्मत कानूनों का उल्लंघन करके इस प्रदेश में सामंती तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, आतंक से गरीबों को कुचलने का, भ्रष्टाचार के रिकार्ड तोड़कर अर्जुनसिंह जी और उनके मंत्रिमंडलीय साथियों ने इस प्रदेश को तबाह कर दिया, दिवालियेपन के कगार पर पहुँचा दिया है। इस सरकार को एक मिनट भी इस प्रदेश की सत्ता की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। मैं सदन से बड़ी विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ कि वह इस अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करके इस सरकार को यहाँ से हटाये और इस प्रदेश की रक्षा की जाये।

अध्यक्ष : श्री मथुराप्रसाद दुबे।

श्री मथुराप्रसाद दुबे : अध्यक्ष महोदय,.....

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है और वह यह है कि चर्चा शुरू होने से पहले मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि ऐसे विषय पर जो इस सदन में पहले चर्चा हो चुकी है, उन पर चर्चा सदन में आज के अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं की जा सकती है। श्रीमान् आपने ऐसी व्यवस्था दी थी, फिर भी ऐसे विषय पर चर्चा हो रही है, इसलिए आप इस पर समुचित कार्यवाही करें यही मेरा निवेदन है।

अध्यक्ष : आप किस नियम के आधार पर कह रहे हैं?

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मैं 132 के उप नियम (6) के आधार पर कह रहा हूँ। इसमें स्पष्ट दिया है कि— 'उसमें ऐसे विषय पर फिर से चर्चा नहीं चलाई जायेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो।'

अध्यक्ष : क्या आपने कौल एंड शकधर को देख लिया है, उसमें व्यवस्था दी है। पेज 590 पर दिया है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर आयातित तेल, गाजीगढ़ आदि तीन मामलों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है।

अध्यक्ष : वे कौन-से मामले हैं?

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्यवाही/17 सितंबर 1981, पृष्ठ/2079-2103)

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर विरोधी दल के नेता आदरणीय पटवाजी ने अविश्वास का प्रस्ताव लाकर अपने अधिकार का तो निश्चित रूप से उपयोग किया है, लेकिन अधिकार के साथ अपने दायित्व

को भी निभाया है, इसमें मुझे शंका है और इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं और कुछ कहूँ, इस विधानसभा की दिनांक 27 अक्टूबर, 1979 की कार्यवाही का एक उद्धरण आपके समक्ष पढ़ना चाहूँगा। मैंने पूर्व आपसे निवेदन किया था कि श्री पटवा उवाच होने देना चाहिये और मैं भी अपना भाषण उनके ही उवाच से प्रारम्भ कर रहा हूँ। संदर्भ कुछ दूसरा था, अविश्वास का प्रस्ताव आया था और उस पर पटवाजी ने जो कहा— "मैं अध्यक्ष महोदय, बहुत जिम्मेदारी से, बड़ी विनम्रता से साहित्य के सारे शब्दकोष खोजकर जो नम्र से नम्र ढूँढ पाया हूँ वह कह रहा हूँ। इस अपोजीशन को, प्रतिपक्ष को गैर जिम्मेदार, निकम्मा और नाकाम, इससे ज्यादा और शब्द नहीं दे सकता"..... अध्यक्ष महोदय, मुझे यह मालूम नहीं कि उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसे रिकार्ड से निकाला या नहीं और शायद यह एक वाक्य ही आज के इस समूचे अविश्वास प्रस्ताव का पर्याप्त उत्तर है (मेजों की थपथपाहट) लेकिन माननीय विरोधी दल के नेता ने अपने दायित्व का निर्वहन भले ही न किया हो, मैं जो समझता हूँ इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से इस सदन के अन्दर और इस प्रदेश के अन्दर जो भ्रम का वातावरण पैदा करने का प्रयास किया गया है, उसे दूर करना मेरा दायित्व है, और यह भ्रम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कोई संयोगवश नहीं होगा। यह भ्रम इस महान् प्रयास का, और महान इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कुछ दिनों से महा शब्द हमारे पटवा जी के दिमाग पर चढ़ा हुआ है, महाभियोग, महायाचिका और महाभियान। कहाँ से कौन शुरू होता है, कहाँ पर कौन अन्त होता है, इस बात की जानकारी शायद महान् पटवाजी को नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो महाप्रयास हो रहा है, वह प्रयास केवल मेरे लिये नहीं हो रहा है और न इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार के लिये हो रहा है, यह महाप्रयास जिस दल के माननीय पटवा जी सदस्य हैं, उस दल के द्वारा इस देश के अन्दर स्थायित्व को, नेतृत्व के प्रति आस्था को, उन प्रजातांत्रिक मूल्यों को अपने पैरों तले ढाई वर्ष के शासन में रौंदा है और जिनको पुनर्स्थापित करने के लिये कांग्रेस पार्टी में ढाई साल तक सतत् संघर्ष किया और जनता की आस्था और आशीर्वाद से पुनः स्थापित किया है, उसके बारे में भ्रम फैलाने का प्रयास करना चाहते हैं। पटवा जी ने विरोधी दल के नेता के महत्व और दायित्व का उल्लेख कौल एण्ड शकधर की किताब को पढ़कर किया मैं विनम्रता से पटवा जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि दायित्व और अधिकार किसी किताब से नहीं निकलते जो दायित्व और अधिकार किताब के पन्नों से निकलते हैं वे किताब के पन्नों में फंसकर रह जाते हैं और जो अधिकार और दायित्व जनता के विश्वास और आस्था और आशीर्वाद से बनते हैं वह आस्था और दायित्व प्रजातंत्र में स्थाई हो सकते हैं और उनको आधार बनाकर कोई भी आगे बढ़ सकता है। आपने शैडो प्राइम मिनिस्टर और शैडो चीफ मिनिस्टर की बात कही, यह तो सही है कि प्रजातंत्र में वैकल्पिक अवसर आते हैं और यह तो भारत की प्रजातांत्रिक प्रणाली की विलक्षणता है कि जिनको सपने में भी कभी अन्दाजा नहीं था, शैडो की बात को छोड़ दीजिये, शैडो तो स्थाई चीज पर पड़ेगी, लेकिन जहाँ परछाई भी नहीं पड़ती थी, ऐसे लोगों को प्रजातांत्रिक प्रणाली ने सत्ता की कुर्सी पर लाकर बिठा दिया, आपने उस समय कितने दायित्वों को निभाया? वहाँ पहुँचने पर भी आगे का शैडो आया या क्या आया यह तो ईश्वर जाने लेकिन जब शैडो यथार्थ में परिणित हो गया तो आप भूल गए कि इस देश में उस समय भी विरोधी पक्ष था और उसकी एकमात्र नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी वे संसद में हों या न हों लेकिन आपने बहुत बड़े और बहुत सभ्य और बहुत ही प्रजातंत्र के सिद्धांतों में बंधे रहकर विरोध पक्ष की एकमात्र नेता के साथ जो व्यवहार किया शायद वही कल्पना आपको अभी भी सता रही होगी लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि उन अनेक यातनाओं के बावजूद, आपकी प्रताड़नाओं के बावजूद, अनेकों कमीशन एवं न जाने किस प्रकार के प्रयासों के बावजूद, जब इस देश की नेता के ऊपर उंगली भी उठाने का साहस नहीं हुआ और देश की जनता ने देश की बागडोर फिर से उनके हाथों सौंप दी तो उन्होंने पहला भाषण दिया था वह यह नहीं था कि जिन लोगों ने उनको दर-दर भटकाया, गिरफ्तार किया, परिवार के लोगों को परेशान किया, जेल में बन्द किया, उनके खिलाफ अब अवसर आया है और उनके बारे में कुछ करूँगी, यदि आपको स्मरण न हो तो मैं स्मरण दिलाना चाहूँगा कि उनका पहला भाषण यह था कि यह पद जिसे आज देश की जनता ने अपने विश्वास और आस्था के साथ मुझे विनम्र सेवा करने के लिये दिया है इसका उपयोग किसी व्यक्ति या

पार्टी से बदला लेने के लिये नहीं किया जायेगा। इसका उपयोग देश की सेवा के लिये होगा। मैं आवाहन करती हूँ उन लोगों को या हम सबको एक साथ मिलकर देश की सेवा करने का अवसर है। यह दल जो आज प्रदेश में शासन पर बैठा है उसी नेतृत्व और मार्गदर्शन की कृपा से बैठा है। ये आपकी कोई मेहरबानी नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि जिस भावना से हमारी प्रधानमंत्री ने इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था को समझकर अपने को प्रतिबद्ध किया है हम भी इसी से बंधे हुए हैं और किसी भी हालत में कोई भी ओछी हरकत करने के लिये तैयार नहीं हैं और यदि आप केवल शासन के द्वारा उपलब्ध साधनों, अवसरों का उल्लेख करना चाहें तो जैसा आपने कहा कि मैंने सबको सहूलियतें दीं, विरोधी पक्ष को .....

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैंने नहीं जनता पार्टी की सरकार ने।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1956 से नई मध्यप्रदेश विधानसभा गठित हुई और विरोधी पक्ष के नेता होते ही रहे। यह मैं अपने मत के आधार पर नहीं कह रहा हूँ जो यथार्थ है, उसके आधार पर कह रहा हूँ। 1-2-73 को विधेयक क्रमांक-7 सात, सन् 1973 के द्वारा उस समय के तत्कालीन कांग्रेस के शासन ने विरोधी पक्ष के नेता को कुछ सुविधाएँ प्रदान कीं और उन सुविधाओं के अन्दर जो कुछ भी प्रावधान हैं, कोई भी देख सकता है, यह भी यथार्थ है, वे सुविधाएँ इस प्रदेश में 8-2-80 तक प्रभावशील थीं और यदि मैं भूल नहीं रहा हूँ जनता पार्टी का शासनकाल जून 1977 में आया। जून 1977 से लेकर फरवरी 1980 तक जो काँग्रेस पार्टी ने पूर्व में सुविधाएँ दी थीं या अधिकार दिये थे, जो कुछ भी दिया था वही प्रभावशील रहा आपकी ओर से कुछ नहीं किया गया। 8-2-80 को जब 28 दिन के लिए पटवा जी का मुख्यमंत्रित्व काल आया तो इन्होंने आर्डिनेन्स निकाला वह आर्डिनेन्स 8-2-80 को निकाला। 1-3-1980 को पटवा जी की कच्ची छोटी सरकार थी वह इतने थोड़े दिन रही 19 दिन के बाद वह प्रभावशील नहीं रही।

श्री शीतला सहाय : इंदिराजी ने तलवार चला दी।

श्री अर्जुनसिंह : हमने नहीं चलाई आपकी करतूतों ने चलाई और अध्यक्ष महोदय, यह भी यथार्थ है कि 19-8-80 को वर्तमान शासन ने नया विधेयक प्रस्तुत करके और जो अधिकार और सुविधायें पटवा जी को उपलब्ध हैं वह मेरी वजह से नही हैं न मेरे शासन की वजह से हैं। उन मान्तयाओं की वजह से हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन उसका सेहरा आप अपने सिर पर न बाँधें, चूँकि अविश्वास प्रस्ताव कुछ सही, कुछ गलत, कुछ पूरी, कुछ आधी बातें जोड़कर बनाया गया है तो आपके यह कह देने में कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। आपने बहुत-सी बातें यहाँ पर कहीं, शायद इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी होगी, यदि नहीं है तो मैं देना चाहता हूँ। दिनांक 25 अगस्त को जब महाभियोग लगाया गया, जब आप इस राष्ट्र के महामहिम राष्ट्रपति के पास पधारे थे, उस समय आपके महामहिम मण्डित मस्तिष्क में (हंसी) जितने भी मर्मभेदी विचार थे, उनका पूरा-पूरा उपयोग करके आपने एक आरोप-पत्र प्रस्तुत किया। उस आरोप-पत्र के बारे में, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि उसके सम्बन्ध में एक अपना स्टेण्ड लिया हुआ है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ जैसा मैंने पहले कहा कि अधिकार का उपयोग और दायित्व का वहन— दोनों साथ-साथ चला करते हैं, अलग-अलग नहीं हो सकते। जब अधिकार दायित्व से परे हो जाता है तो केवल अधिकार का दुरुपयोग हो सकता है, उसका उपयोग नहीं हो सकता, मैं कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के विरोधी दल के नेता ने इस राष्ट्र के महामहिम राष्ट्रपति को भ्रमित करने के लिये गलत जानकारी देकर इस महाभियोग को प्रस्तुत किया और यह बात शायद बाद में आपको पता चली, इसलिये आज अविश्वास के प्रस्ताव में उस विषय को बड़ी सफाई से छोड़ दिया लेकिन यह सदन में कलाबाजियाँ, यह कविताये और यह लच्छेदार बातें, हम लोगों पर फब्ती कसने की आपकी आदतें, यथार्थ को इस प्रदेश की जनता से छिपाया नहीं जा सकता। आपने मुझ पर यह आरोप लगाया, जो महाभियोग महामहिम राष्ट्रपति को दिया कि इस प्रदेश के डिस्टलरीज के टेण्डर्स को हमने रद्द करके बिना टेण्डर बुलाये ऐसे लोगों को टेण्डर दिये, जिनसे इस प्रदेश के हितों पर आघात पहुँचा, करोड़ों रुपये भ्रष्टाचार हुआ, नुकसान हुआ और उसमें मैं और हमारे वित्तमंत्री सभी एक साथ लिप्त थे। यह आपके महाभियोग का एक महाअंग है। आपका

महाभियोग महामहिम राष्ट्रपति को 25 अगस्त को प्रस्तुत किया गया था। शायद आप इस बात को जानते हुए भी नजरअंदाज करना चाहते थे कि इसी विषय पर इस प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका प्राय: उन्हीं मुद्दों पर, जो महामहिम राष्ट्रपति को दिये गये उस आरोप-पत्र में है, दायर की गई और 20 अगस्त, 1981 को इस प्रदेश के उच्च न्यायालय ने उसके बारे में निर्णय लिया है, वह निर्णय मैं पूरा तो नहीं पढ़ूँगा, उसका जो सम्बन्धित अंश है, वही आपके सामने पढ़ना चाहूँगा—

"The learned council has also not disputed the authority of the Chief Minister to call for the case and to reject all the tenders. The Government has issued directions under the Business Rules which authorise the Chief Minister to call any case which has then to be submitted to him by the Secretary after consideration by the Minister in charge but before issue of orders. It was this power that the Chief Minister excercised, Further, the petitioner submitted tenders in response to fresh tender notice and he can not now complain that the case should have been dealt with in accordance with the approval of the Finance Minister. Invitation of fresh tenders was in public interest as it has saved the State from loss of several lakhs."

क्या मैं पूछ सकता हूँ माननीय पटवा जी से क्या आपके लिये यह आवश्यक नहीं था, आपके इस सदन के विरोधी दल के नेता होने के दायित्व के अनुरूप नहीं था इसके पहले कि महामहिम राष्ट्रपति को महाभियोग दें, कम से कम जानकारी इस बात की ले लेते कि इस सम्बन्ध में हाईकोर्ट का क्या निर्णय हुआ है। उस अभियोग के अंश यहाँ पूरी-पूरी तरह से नहीं लाये गये हैं, फिर भी आपने सदन में उस बात को दोहराया। महामहिम को दिया, समाचार, पत्रों को दिया। क्या उसी आधार पर प्रदेश की जनता के सामने यह चित्र प्रस्तुत करना चाहते हैं कि शासन और मंत्रिमंडल के साथी और काँग्रेस जन भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? क्या यही है आपका व्यवहार, लेकिन मैं आपसे अपेक्षा नहीं करूँगा क्योंकि आप एक सीमित दायरे में काम कर रहे हैं। जिस संकीर्ण परिस्थिति में आप काम कर रहे हैं उस परिस्थिति में आपका विवेक न जगे, तो उसमें मुझे आश्चर्य नहीं है। मैं इस प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति इस देश के महामहिम राष्ट्रपति को गुमराह कर सकता है, वह इस प्रदेश की जनता को गुमराह कैसे नहीं कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो, तो बहुत-सी चीजें पटल पर आई हैं, वैसे ही मैं भी इसे पटल पर रख दूँ।

श्री शीतला सहाय : यह जो तर्क आपने प्रस्तुत किया, सही नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस महाअभियोग के बाद अब मैं महाभियान पर आना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा कि महाभियोग कहाँ से शुरू होता है और कहाँ अंत होता है, उसी तरह से महाभियान कहाँ से शुरू होता है और कहाँ अन्त होता है, उसकी सीमा आपने ही अन्त कर दी। महाभियोग, जन जागृति करने के लिये है। शासन की किसी ऐसी नीति का विरोध करने के लिये है जो जनहित के विपरीत हो। आपने जो महाभियान चलाया; वह एक मुद्दे पर चलाया। पहले छत्तीसगढ़ की जो चावल वसूली होने लगी तब लम्बे-लम्बे वक्तव्य निकले, आपके दल के नेता और कुछ और दलों के नेता भी कि धान की वसूली के भाव बढ़ाये जायें वरना हम धान वसूली होने नहीं देंगे, घेराव कर देंगे, कलेक्टर्स का। उस समय इस बात की जानकारी आपको थी या नहीं कि आपने ढाई साल तक जब आपने राज्य किया, 10 पैसे भी किसान के खुद उपयोग की चीज की कीमत नहीं बढ़ाई। आपने सेल्सटैक्स कम कर दिया, आपने छूट दे दी, मण्डी टैक्स घटा दिया लेकिन किसान को 10 पैसे कीमत ज्यादा आपने नहीं दी। अध्यक्ष महोदय, अपने सीमित साधनों के अन्दर छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही देने के लिये शासन ने यह योजना बनाई 105 रुपये कीमत में 10 रुपये बढ़ाकर 115 रुपये किया तो आपका महा अभियान शुरू हो गया कि मंडियाँ बन्द कर देंगे लेकिन मैं कहना चाहता हूँ.....

श्री रमाशंकर सिंह : उस समय एग्रीकल्चरल इम्पुट्स क्या थे और अब क्या दर है।

श्री अर्जुनसिंह : भाई रमाशंकर सिंह जी, आपने अपने आदरणीय महान नेता चरणसिंह जी को यह पाठ क्यों नहीं पढ़ाया?

श्री रमाशंकर सिंह : 30 रुपये प्रतिबोरी सबसिडी हम लोगों ने दी थी।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस महाअभियान के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जिन राइस किंगों की बात कहकर आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि लाखों रुपये कमाये वे, सब महाअभियान में आपके साथ थे क्योंकि वे जानते थे कि अगर छत्तीसगढ़ का किसान अपने हितों को उन साहूकारों के हितों से भिन्न समझने लगेगा उस दिन आप जैसे नेताओं को उनकी आवश्यकता नहीं होगी और मुझे गर्व है उस क्षेत्र के हमारे सभी काँग्रेस के माननीय विधायक, हमारे सभी काँग्रेस के साथी, चाहे वह किसी पद पर रहे हों, उन्होंने आपकी चुनौती को सही परिप्रेक्ष्य में समझा और आपके महाअभियान, आपके सेठ साहूकारों के सतत् प्रयत्न के बावजूद हमने वहाँ पर साढ़े तीन लाख टन अनाज इकट्ठा किया जिस पर चार करोड़ रुपये का शासकीय कोष पर भार आया। इनके साथियों ने मण्डी में माल खरीदना बन्द कर दिया, यह सोचकर कि शासन कितनी दूर तक खरीद करेगा। मैं बताना चाहता हूँ हमें सफलता केवल एक बात पर मिली कि जब हम सब लोगों ने मिलकर आदरणीया प्रधानमंत्री के सामने पूरी स्थिति को रखा, आपके महाअभियान की चुनौती को सही संदर्भ में बताया और यह निवेदन किया कि मध्यप्रदेश के अन्दर हम भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और आर.एस.एस. की चुनौती का सामना भाषण से नहीं आर्थिक रूप से करना चाहते हैं हमें यह कहते हुए गर्व है जो फाइनेंसिंग आपने कभी उन संस्थाओं को उपलब्ध नहीं कराया जिसके द्वारा किसानों से सीधा सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है, उनको हमने उपलब्ध कराया। इसलिये सेठ-साहूकारों और आपके महाअभियान का मुकाबला करने में सफलता पा सके।

दूसरे महाअभियान का मुद्दा— जब उत्तरी मध्यप्रदेश में गन्ने की फसल की बात आई, तीस रु. क्विंटल कर दो उससे कम पर किसान नहीं देगा, फैक्टरी पर हड़ताल हो जायेगी, फैक्टरी का घेराव करेंगे, एक क्विंटल गन्ना नहीं पहुँचने पायेगा। वह भी इतिहास की बात है। अध्यक्ष महोदय, आपके क्षेत्र में एक फैक्टरी है। हमने कहा अच्छी बात है, हम किसान भाई के घर से कुछ नहीं ले रहे हैं कम-से-कम किसान भाई के पास जाकर अपनी बात को कह सकते हैं और पुनः मुझे इस बात को कहते हुए गर्व है हमारे सभी काँग्रेस के साथियों ने एकजुट होकर इस राजनैतिक चुनौती का मुकाबला किया और प्रदेश में किसानों को वह कीमत गन्ने की दी गई जो आज तक कभी नहीं दी गई और आपने जितनी कोशिश की, किसी ने एक भी बात नहीं सुनी।

तीसरा महाअभियान— गेहूँ की लेव्ही पर शुरू हुआ। बैरागी जी के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से कि यह बैरागी जी लगा रहे हैं और इतना ही नहीं जैसे ही यह घोषणा इस सदन में हुई, मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश की जनता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए यदि आपके सही चेहरों को पहचानने की कोशिश करनी है, जैसे ही इस विधानसभा में इस बात की घोषणा हुई गेहूँ लेव्ही किसानों पर नहीं, व्यापारियों पर लगेगी, आपका महाअभियान और तेजी से चलने लगा। आपने कहा किसानों पर लगाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। वक्तव्य निकल रहे हैं, एसोसिएशन के प्रस्ताव निकल रहे हैं, न जाने कितना बड़ा आतंक हो गया। फिर घोषणा आन्दोलन की हो गई। छत्तीसगढ़ में आन्दोलन इसलिए नहीं किया कि वहाँ आपके कहने से पचास लोग भी जेल नहीं जाते।

(व्यवधान)

श्री लरंग साय : अध्यक्ष महोदय,.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब आप बैठिये।

श्री विक्रम वर्मा : मुख्यमंत्री जी जरा यूरिया के बारे में भी तो बता दें?

श्री अर्जुनसिंह : मैं आपसे और आपके पक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि श्री लरंग साय जी अकेले चुनकर आये हैं और यहाँ आकर वे अपनी बात भी न कह सके यह उचित नहीं है। वे बेचारे केन्द्र में राज्यमंत्री थे और अब राज्यमंत्री रहने और फिर न रहने का सदमा तो होता ही है। उन्होंने जो कुछ भी मेरे लिए कहा हो मैं सिर झुका कर उसको स्वीकार करता हूँ। सवाल अध्यक्ष महोदय, इतना ही है कि जब गेहूँ की लेव्ही का मसला चला तो उन्हें इस बात की याद आई होगी कि जिस प्रकार से एक बार भ्रम का वातावरण लेव्ही के

बारे में फैलाया था, वह शायद हम फिर से फैलाने में सफल हो जायेंगे लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब से तो बहुत सा पानी चम्बल और बेतवा में बह चुका है। शायद आपको इस बात का स्मरण नहीं होगा कि किसान अब वह बैल नहीं रह गया है कि जिसे चाहे जहाँ हाँक कर ले जाओ और चाहे जिस घाट में पानी पिला कर ले आओ। अब किसान अपने हित और अहित को सोचने में सक्षम हो गया है और उसने इस बात को स्वीकार किया है कि इस देश के करोड़ों-करोड़ों किसानों का हित श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथों में सुरक्षित है। इसीलिए किसान रैली में तीस लाख से ज्यादा किसान सम्मिलित हुए। वहाँ इन्हें इसीलिए अपना महाअभियान जो ये चलाने वाले थे, पोस्टपोन करना पड़ा, बिना ही कोई घोषणा किये। अध्यक्ष महोदय, मैं तो कहता हूँ कि जिन लोगों ने दिल्ली में उमड़ती हुई आशाओं को देखा होगा उन लोगों ने यह अहसास अवश्य किया होगा कि वे भारतमाता के दर्शन करने आये हैं।

श्री विक्रम वर्मा : जरा यह तो बता दीजिये कि यूरिया 121 रुपया दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप सब बैठ जाइये।

श्री परशुराम सिंह भदौरिया : अध्यक्ष महोदय, आपने आदेश दिया था कि जब नेता बोलेंगे तो कोई बीच में नहीं बोलेगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं किसी माननीय सदस्य को अपने भाषण के बीच में सुनना चाहेंगे तो सुन सकते हैं यह तरीका उचित नहीं है कि आप उन्हें किसी को सुनने भी न दें। आप यह परम्परा न डालें कि सबको चिल्ला-चिल्ला कर बैठायें।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार माननीय लरंग साय जी के लिए तो बैठ सकता हूँ लेकिन भाई विक्रम वर्मा के लिये नहीं बैठूँगा और इसका कारण अलग से बता दूँगा।

श्री विक्रम वर्मा : मैं आपके पास कभी भी आना पसन्द ही नहीं करता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो लेव्ही के खिलाफ एक महाअभियान चलाया गया उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है और यह राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में है, उसको मैं बतलाना चाहता हूँ। जो पुराना मध्य भारत का क्षेत्र है जिसको कि उत्तरी मध्यप्रदेश कहते हैं वहाँ पर भारतीय जनसंघ जो कि अब भारतीय जनता पार्टी है, ने कई प्रकार की बातों को फैलाया और किसानों को इस हद तक अपने प्रभाव में ले लिया कि जो सेठ हैं और साहूकार हैं और व्यापारी हैं वे ही उन किसानों के प्रतिनिधि हैं और रक्षक हैं। इस प्रकार से इनका यह राजनीतिक चक्कर बहुत मजबूत हो गया और इस तरह से जब इन्होंने इसका असर छत्तीसगढ़ में होते देखा तो ये यहाँ पर जेल भरो आन्दोलन के लिये भी तैयार हो गये, हालांकि इन्होंने जेल भरो आन्दोलन छत्तीसगढ़, में तो नहीं चलाया लेकिन यहाँ करने के लिये तैयार हो गये। अध्यक्ष महोदय, ये लेव्ही प्रकरण को सफल नहीं होने देना चाहते थे। लेव्ही वसूली में शासकीय मशीनरी का जो दायित्व था, लेव्ही जो व्यापारियों पर लगाई उसको वसूल करने का दायित्व था। समर्थन मूल्य पर जो गेहूँ खरीदने की बात थी उसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं आया बल्कि यह आदेश था कि जो हमारी 20 सूत्रीय समिति के सदस्य और विधायक जो इसमें मदद करना चाहते हैं वे ही किसानों के पास जाकर निवेदन करेंगे कि आपकी सहायता और हित साधन सेठ साहूकारों से ज्यादा नहीं हो सकता है, वे और आप परस्पर विरोधी हैं। (व्यवधान) और मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन सारे विरोधों के बावजूद एक लाख साठ हजार मीटरिक टन गेहूँ वसूल हुआ। जो कि किसानों ने अपनी स्वेच्छा से समर्थन मूल्य पर दिया। इसमें आपको क्या एतराज है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जाइये। मैं आपसे पुनः निवेदन करूँगा कि जिस तरह से मैंने इनसे निवेदन किया कि आपको किसी को चिल्लाकर बैठाने का अधिकार नहीं है उसी तरह से वह अधिकार आपको भी नहीं है। यह कोई तरीका नहीं है। जिस तरह से मैंने पटवा जी के भाषण के बीच में किसी को नहीं बोलने दिया उसी तरह से मुख्यमंत्री के बीच में, मैं आपको भी नहीं बोलने दूँगा। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ऐसी स्थिति नहीं आयेगी जिससे कि सदन की परम्परा टूटे।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो आरोप-पत्र दिया गया है उस पूरे आरोप-पत्र में जो आपका 39वाँ आरोप है। उसमें आपने यह शिकायत की कि किसानों को सीमेन्ट, चीनी देकर कालाबाजारी करवाई। तो मैं कहना

चाहता हूँ कि अरे वे किसान जो व्यापारियों की कालाबाजारी के कारण कभी सीमेन्ट और शक्कर देख नहीं पाते थे आज उनके दरवाजे पर सीमेन्ट और शक्कर पहुँच गई, उसके लिए यह आपका आरोप है और अगर किसानों को सीमेन्ट और शक्कर देने का आप आरोप लगाते हैं तो इस पूरे आरोप पत्र में से मैं केवल इस आरोप को ही स्वीकार करने के लिये तैयार हूँ। लेकिन सवाल यह नहीं है कि अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि इस प्रदेश के चहुँमुखी विकास के लिए इस प्रदेश के अन्दर जो आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियाँ हैं हम उन सब को अपने सही परिप्रेक्ष्य में देखकर ही कोई नीति निर्धारित कर सकते हैं, कोई कार्यक्रम हाथ में ले सकते हैं और उसको चलाने की प्राथमिकताएँ बना सकते हैं। यह जनता पार्टी की सरकार तो है नहीं। कोई सोशलिस्ट पार्टी से चला आ रहा है कोई लोकदल से चला आ रहा है अपने-अपने झण्डे लिए, केवल बताते हैं कि हम एक हैं।

(व्यवधान)

अब आपको उसमें बैठने में दिक्कत हुई तो अपने-अपने झण्डे लेकर फिर चल दिये। यह पार्टी कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, जिससे इस देश के निर्माण के लिये कुछ योजनाएँ प्राथमिकताओं के आधार पर बनाईं, इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये पंचवर्षीय योजना की कल्पना की, उन योजनाओं के माध्यम से इस देश को विकास के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया जो शायद इस दुनिया के इतिहास में दूसरा कोई उदाहरण नहीं होगा, भारतवर्ष आज दुनिया के अन्दर अग्रणी देशों में है, कुछ योजनाएँ शुरू की गई हैं। उन योजनाओं से प्राथमिकता के आधार पर हम इस प्रदेश के अन्दर निर्माण करना चाहते हैं। हम तो यह अपेक्षा करते हैं कि हमसे जो गलतियाँ हों, जो भूलें हों, इसके लिये कोई कड़ी से कड़ी आलोचना का कोई आधार नहीं है। जहाँ सिर्फ संदेह आधार हो और आरोप मात्र प्रमाण हो, ऐसी परिस्थितियों में बचाव क्या हो सकता है? आपने संदेह कर लिया उसे आधार बनाकर आरोप लगा दिए उसके बाद किसको सफाई पेश हो, किससे इन्क्वायरी करायें, इस आधार पर सफाई दें किसे? मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस प्रकार संदेह को आधार बनाकर, आरोप को आधार बनाकर आप प्रजातांत्रिक जड़ों को क्या कमजोर नहीं कर रहे हैं? कई परिस्थिति में न हुआ हो लेकिन कुछ तो आधार होना चाहिए जिसके बारे में कोई चीज सामने दिखे। लेकिन यह तो गोविल का एक पुराना सिद्धांत था। गोविल क्या थे कौन थे यह तो मैं नहीं बताऊँगा लेकिन एक बात को पांच दफे, दस दफे, 15 दफे अगर कहें और सोलहवीं दफे उसको दोहरायेंगे तो सब कहेंगे कि सच्चाई यही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कई सदस्यों के अलग-अलग मुद्दों पर, विषयों पर आपको बताया है। मैं भी कुछ बातें अगर आपकी अनुमति हो तो कहना चाहूँगा। अखबार में छप गया, अग्रवाल साहब कौन हैं, क्या हैं मुझे नहीं मालूम मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन आपने लिखा तो सुनने को मिल गया कि 20 करोड़ का मुनाफा हो गया, आप उनके शायद प्रतिनिधि हों।

श्री शीतला सहाय : मैं अग्रवाल का केस लेकर आपके पास नहीं आया था।

श्री अर्जुनसिंह : आप किसका केस लेकर आये थे, यह तो मैं सदन में नहीं बताऊँगा।

श्री शीतला सहाय : यह इसलिए नहीं बतायेंगे कि मैं किसी के केस को लेकर नहीं गया था।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, 20 करोड़ रुपये का उनको मुनाफा हुआ है और वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। डाक्टर राजेन्द्र जैन के तथ्य के आधार पर जो बात बताई गई है, मैं सदन के विरोधी दल के नेता से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपा करके आप उसके लिये देख लें कि एक टन बाक्साइट निकला हो तो एक टन में जितना मुनाफा हुआ? एक टन बाक्साइट निकला ही न हो और 20 करोड़ रुपये का मुनाफा हो गया तो यह मेरी समझ में नहीं आता, अध्यक्ष महोदय, डाक्टर राजेन्द्र जैन ने इस बात को स्पष्ट किया था कि अनुमति शासन ने नहीं दी है। फिर एक टन बाक्साइट निकालने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जब बाक्साइट निकला ही नहीं तो फिर भ्रष्टाचार करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। फिर कहा यह गया हमारी आदरणीया प्रधानमंत्री जी के बारे में। हमारे विरोधी दल के नेता इस बात में तो माहिर हैं कि अगर कोई अखबार होगा तो उसको आसमान में पहुँचा देंगे। अगर कोई पैम्फलेट निकलेगा तो उसको आसमान में पहुँचा देंगे। पता नहीं आप वहाँ गए थे या नहीं गए थे.....

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप जहाँ बुलाएँगे मैं वहाँ जाऊँगा, बिना बुलाये तो कहीं नहीं जाऊँगा।

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अगर यह बात प्रदेश के दूर अंचलों की होती तो मान भी मान ली जाती। हम आपसे कहते हैं कि आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगी। हम देख लेंगे, उसको वैरीफाइड करायेंगे। यह बात बता रहे हैं इस प्रदेश की राजधानी की। उस रोज आप यहाँ उपस्थित थे यह तो आपने स्वयं कहा है। जिसका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है वह इन्वायरन्मेन्टल काम्प्लेक्स, लेकिन आप कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय की बात। यह स्कीम विश्वविद्यालय में है लेकिन अभी तो उसका कुछ भी नहीं किया गया है। पम्फलेट निकला था 5 जून को और आदरणीया प्रधानमंत्री भोपाल आई थीं 20 जुलाई को। आप हैं कि 5 जून के पम्फलेट को 20 जुलाई की घटना से जोड़ रहे हैं और उसको यहाँ सदन में रख रहे हैं इनके पास और कुछ भी नहीं है। संदेह और आरोप आगे न तो स्वयं देखते हैं और न ही दूसरों को देखने देना चाहते हैं, फिर आपने यहाँ पर शासकीय सेवाओं के बारे में उल्लेख किया, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि किसी भी प्रदेश के शासकीय सेवकों को शासकीय सेवाओं को निश्चिंतता, निश्चित अधिकार, निश्चित जिम्मेदारी यह तीनों बराबर आवश्यक हैं। इन तीनों का सामन्जस्य होना बहुत आवश्यक है। जब ही वे जनता के हितों में कार्य कर सकते हैं। अगर इनमें से एक भी चीज की कमी होती है तो जन प्रतिनिधि शिकायत करते हैं कि काम नहीं हो रहा है। आम जनता शिकायत करती है शासकीय सेवा काम ठीक से नहीं कर रही है। मेरा यह नम्र निवेदन है कि जनता पार्टी ने सबसे बड़ी भूल की थी तो वह यह की थी कि शासकीय तन्त्र को जिम्मेदारी से काम नहीं करने दिया था। अपने-अपने दल के अनुसार आपने इस प्रदेश की शासकीय सेवाओं को प्रभावित करने का प्रयास किया था। निश्चिंतता मिली अधिकारियों के बारे में उनको काफी आश्वस्त होने का अवसर मिले और जिम्मेदारी निभाने का और जिम्मेदारी महसूस करने का तो प्रश्न ही नहीं आता क्योंकि आपके पास कार्यक्रम ही नहीं था जिसको वे क्रियान्वित करने के लिये जुटते। कभी किसी कलेक्टर ने साबुन नहीं रखा, तौलिया नहीं रखा तो उसका ट्रांसफर यह है आधार जिसके आधार पर सेवाओं का मूल्यांकन होता था। मैं बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कहना चाहता हूँ कि कोई भी सेवा किसी विभाग की हो कोई भी अधिकारी किसी भी सेवा का हो उसकी जिम्मेदारी और उसके अधिकार इस शासन की ओर से सुरक्षित हैं, उसको इस बात की निश्चिंतता है कि वह अपने विवेक से उस जिम्मेदारी को समझे और अपने अधिकार का उपयोग करे और यदि वह अधिकारी इस प्रदेश की जनता के हित में अधिकारों का उपयोग करता है तो हर सम्भव परिस्थिति में, मैं और हमारा शासन उसका समर्थन और सहायता के लिये पीछे नहीं रहेगा। यदि उस अधिकार का उपयोग आम जनता के हितों के विपरीत होता है तो चाहे वह छोटा हो या बड़ा अधिकारी हो, जनहित के अनुरूप जो आवश्यक होगा उस प्रकार की कार्यवाही की जाएगी। मैं व्यक्तियों में इसलिये नहीं जाना चाहता क्योंकि व्यक्तियों का उल्लेख भी सदन में करना, मैं समझता हूँ कि अधिकारियों के साथ न्याय नहीं है क्योंकि वे यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। उनके पक्ष-विपक्ष में कोई बात करे कम से कम मेरे दृष्टिकोण में औचित्यपूर्ण नहीं है लेकिन सामान्य रूप से हम इसी आधार पर विचार करके और इतना ही नहीं मैं सदन और आपके माध्यम से इस प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि कम से कम मैं और हमारे साथी इस बात के लिए बहुत ही सतर्क हैं कि किसी भी अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिये, अपना मत देने के लिये किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं किया जाये, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमें कुछ नियम, कानून-कायदे सभी हर तरह से मालूम नहीं हो सकते, सामान्य रूप से जानते हैं क्योंकि हम सार्वजनिक कार्यकर्त्ता हैं रोज नियम, कानून-कायदे प्रशासनिक ढाँचे में बनते हैं और तब्दील होते हैं हमने अपनी ओर से एक स्थाई आदेश निकाल रखा है कि यदि मेरा कोई भी आदेश किसी भी अधिकारी के पास जाये तो वह अधिकारी इस बात को देखें कि वह आदेश किसी वर्तमान नियम-कानून के साथ फिट बैठता है या नहीं केवल इसलिये कि मैंने वह आदेश दिया है उसके लिए अनिवार्य नहीं है कि उसका पालन करें और हमारे पास उस बात को भेजें कि अमुक-अमुक नियम-कानून की वजह से उस पर पुनर्विचार होना चाहिये उसके बाद हम सोच सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इससे ज्यादा स्वतंत्रता और काम करने का अवसर और किसी शासन ने मध्यप्रदेश में दिया है, मुझे मालूम है कि कई प्रकरण, जिनमें छोटी-छोटी बातों को लेकर क्या-क्या हुआ है, इसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। माननीय

पटवाजी ने राजनीतिक शब्दकोश में एक नया शब्द जोड़ दिया जंत्र-मंत्र और षड्यंत्र। मैं एक ही बात इसके जवाब में कहना चाहता हूँ कि ये चारों चीज आपकी मनगढ़ंत हैं इसके अलावा और उसमें कोई सत्यता नहीं है। सचं कोई भी समझ में न आया तो जंत्र-तंत्र-मंत्र और षड्यंत्र में चले गये आपको इन बातों की किसी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है और .....

एक माननीय सदस्य : सचिवालय में क्या हुआ था?

श्री अर्जुनसिंह : सचिवालय में क्या हुआ, स्पष्ट बताना चाहता हूँ। किसी भी शासकीय कर्मचारी का केवल शासकीय कार्य करने का कर्त्तव्य है, अन्य बातों के सम्बन्ध में विचार करना, विचार-विमर्श करने का वह अधिकारी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक कला की बात है वैसे तो सदन में माननीय विरोधी पक्ष के नेता ने काफी कला दिखा दी है।

श्री विट्ठलभाई पटेल : अध्यक्ष महोदय, इस पक्ष को रहने ही दीजिये।

श्री अर्जुनसिंह : किसी तथ्य को रहने नहीं दिया जायेगा इसलिए नहीं रहने दिया जाएगा कि कोई एक विशिष्ट घटना और कला के विषय को जोड़ने में आपका समाधान नहीं किया जा सकता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कला के क्षेत्र में मध्यप्रदेश के अन्दर जो कुछ भी प्रयास हो रहा है वह प्रयास मौलिक और अत्यन्त उत्साहवर्धक प्रयास है। मैं उस बात को कभी भी स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप बैठ जायें।

श्री विक्रम वर्मा : आप आज्ञा देंगे तो मैं बैठ जाऊँगा इनके कहने से नहीं बैठ सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ऐसा लगता है कि शायद विरोधी दल के नेता आपको अधिकार दे चुके हैं? एक बार नहीं दस बार मैं देख चुका हूँ। मैं आपको कई बार कह भी चुका हूँ फिर भी आप बैठने को तैयार नहीं हैं, तो इसका मतलब यह है कि .....

श्री विक्रम वर्मा : इनके भाषण में कुछ ऐसी बातें आती हैं, वहाँ उनको इस सदन में तथ्य लाना आवश्यक है। इसलिये मैंने इस बात को उठाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : यदि आप यह समझते हैं कि उनके भाषण में कुछ तथ्य लाना आवश्यक है तो मेरे लिये भी कुछ करना आवश्यक हो जाएगा और आपके खिलाफ, कदम उठाना होगा, आप सुन रहे हैं, सक्सेना जी, मैं आपको बहुत देर से सुन चुका हूँ। आप बैठे-बैठे बोलते हैं? आप नियम भंग कर रहे हैं सदन के।

श्री अर्जुनसिंह : मैं यह कह रहा था कि न केवल मध्यप्रदेश में बल्कि कहीं भी यदि कला को राष्ट्रीय विचारधारा या अन्य प्रकार की सीमाओं में बांधने का प्रयास होगा तो कोई उससे असहमत नहीं होगा। मुझे तो कहना है कि उस परिस्थिति में कला का विकास नहीं हो सकता और कम से कम भारतवर्ष में ही इतनी उदार परम्पराएँ हैं कि सदियों से विश्व में न जाने कितनी कला की धाराएँ इस देश में आई हैं, न कहीं धर्म की जरूरत है, न राष्ट्रीय विचारधारा की जरूरत है, न उसकी शैली की जरूरत है। इस महान देश में ही सबको आत्मसात करके अपनी स्वयं की कला का प्रादुर्भाव किया। इस देश में यदि कला को संकुचित भावना से संकीर्ण विचारों में बांधने की कोशिश की जायेगी मैं निश्चित रूप से इसका विरोध करूँगा, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : यह क्या जरूरी है कि रमाशंकर सिंह जब खड़े हों तो आप भी खड़े होंगे। आप जरा शांति बनायें रखें।

श्री अर्जुनसिंह : मैं क्या व्यक्तिगत पसंदगी बताऊँगा? माननीय रमाशंकर जी मुझसे ज्यादा तो आप घूमते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात आई आयातित तेल की। इस शब्द को तो मैं नहीं समझ पाया लेकिन जो हिंदी के जानने वाले मित्र हैं मैंने उनसे पूछा कि इस शब्द का अर्थ क्या है तो इसका सीधा अर्थ है इम्पोर्टेड आयल। लेकिन इसका अगर अपभ्रंश होता है तो वह हुआ "आया" और तीत। आ गया इसलिए सभी को तीत लगा।

श्री शीतला सहाय : मुख्यमंत्री जी उसको यह कहें कि आया और तीत हो गये।

श्री अर्जुनसिंह : आया कहाँ से और किसको दिया या और कब कितना दिया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सहयोगी खाद्य मंत्री जी ने एक वक्तव्य सदन में पढ़कर सुनाया। मैं उसे यहाँ कहकर आपका समय लेना नहीं चाहता क्योंकि उसी चीज को यहाँ दोहराना उचित नहीं है। केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसमें आरोप मुख्य रूप से दो हैं। एक आरोप यह है कि आयातित जो तेल था, उसका बंटवारा किस आधार पर हुआ। आक्षेप यह है कि वह बंटवारा उस आधार पर हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था और किसी व्यक्ति विशेष को ज्यादा फायदा देने के लिये उसका बंटवारा किया गया। दूसरा आरोप यह है कि उस आधार पर जो बंटवारा हुआ.....

अध्यक्ष : आप अब और कितना समय लेंगे?

श्री अर्जुनसिंह : मैं 15-20 मिनट और लूँगा।

अध्यक्ष : क्या सदन इस बात के लिये सहमत है कि सदन की कार्यवाही 9 बजकर 20 मिनट तक और चले।

(अनुमति प्रदान की गई)

श्री शीतला सहाय : मुख्यमंत्री जी ने 20 मिनट चाहे हैं इसलिये 20 मिनट तक ही रहना चाहिये।

अध्यक्ष : इतनी जल्दी क्या है? सदन की कार्यवाही 9.30 तक चलेगी?

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि दुबे जी ने बताया है कि जहाँ तक इस तेल के बंटवारे का आधार है वह तो निश्चित किए गए थे अगस्त, सन् 1977 में यदि मैं सही हूँ तो अगस्त 1977 में वह आधार निश्चित किया गया था। जिस आधार पर आयातित तेल का बंटवारा विभिन्न लोगों के पास हुआ था वह सदन को मालूम है कि उस आधार को आज तक बदला नहीं गया है। उसी आधार पर जो आधार 1977 अगस्त में तय हुआ था, आज भी वह तेल बांटा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा आक्षेप यह है कि जैसा भाई रमाशंकर सिंह जी ने कहा कि आपने फ्री सेल कर दिया, ज्यादा दे दिया है। अब फ्री सेल का वर्ड तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब है तो अच्छा लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, फ्री सेल का मतलब यह नहीं है जो आप उसका लगा रहे हैं। फ्री सेल का मतलब यह है कि कलेक्टर के अनुदेश के आधार पर तेल लायसेंस होल्डर फर्म्स को दिया जायेगा। उसके बाद जो बच रहता है उसको लायसेंस वाली दुकानों को ही बेचा जाएगा उसकी सूचना सम्बन्धित कलेक्टर के पास जाएगी और उसकी निर्धारित कीमत की जानकारी भी जाएगी। केवल इतना ही फर्क है कि पहले जो कलेक्टर के आदेश से दिया जाएगा उस आदेश के मुताबिक ही सेल होगा। दूसरा उसमें यह शर्त रहेगी कि वह लायसेंस होल्डर यहाँ का हो। या फिर जैसा कलेक्टर द्वारा तय किया जाये। लेकिन जहाँ का लायसेंस होल्डर है वह वहाँ के कलेक्टर को सूचना देगा। और जो कीमत है वह वही तय रहेगी जो कन्ट्रोल प्राइस की है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब सवाल आता है हमारे 20 साल के मित्र को क्यों दे दिया गया? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मित्र चाहे 5 साल का हो या 10 साल का हो या 15-20 साल का हो, विवाद इसमें नहीं है। वैसे तो हम सभी को अपना मित्र मानते हैं, जब तक कि हमारे साथी दुश्मनी करना शुरू न कर दें, हमारे सभी मित्र हैं, अगर कोई दुश्मनी पर उतारू न हो जाये तो हम बंटवारा करेंगे। यदि अनुमति दें तो मैं आपको बताऊँ कि 1977 मार्च से लेकर जून 1980 तक जो फ्री सेल जिसकी संज्ञा हमारे माननीय भाई जी ने दी, 47.44 प्रतिशत फ्री सेल में तेल दिया गया था उसमें इन दो फर्म्स के बारे में जिसके बारे में यह विवाद है क्योंकि केवल आयातित तेल से किसी को क्या मतलब है।

श्री रमाशंकर सिंह : खूब कही। अगर उन फर्मों का नाम नहीं आता तो हम लोगों का मुख्य प्रश्न यह है कि खाद्य तेल के दाम बढ़े, उनका अभाव पैदा हुआ।

श्री अर्जुनसिंह : मैं उसके परे हूँ। आप भरोसा कीजिए। मुझे उसका जवाब भी तो देने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मार्च 1977 से जून, 1980 तक 47.44 प्रतिशत फ्री सेल में दिया गया और जुलाई 1980 से अगस्त 1981 तक 35.07 प्रतिशत दिया गया। फिर सवाल आया कि आपने पत्र लिख दिया, टैलेक्स दे दिया। तो क्या मैंने कोई चोरी-चोरी पत्र लिखा है या टैलेक्स दिया है। टैलेक्स तो गवर्नमेंट के टैलेक्स से गया है और हमारा

आफिशियल लेटर गया है। आपको मैं दिखा सकता हूँ।

श्री रमाशंकर सिंह : आपके फूड सेक्रेटरी ने फरवरी 1981 में बात कर ली तो क्या एक ही शासन दो प्रकार के स्टेण्ड लेता है?

श्री अर्जुनसिंह : फूड सेक्रेटरी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। फूड सेक्रेटरी ने यह कहा कि आप रिफाइन्ड तेल देना चाहते हैं तो हमारे स्टेट में डिपो खोलकर दीजिए और यह बात आफीशियल रिकार्ड्स में है। जब ढाई-तीन महीने तक यहाँ डिपोज नहीं खुले और सही बात तो यह है अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सचाई से कह रहा हूँ कि यह पूरा प्रश्न मेरी नॉलेज में तब आया जब तेलों के भावों को कम करने की बात सामने लायी गयी और तथ्य लाए गए कि जो निर्णय हो गया कि हम रिफाइण्ड तेल देंगे और रिफाइण्ड तेल के डिपो खोले नहीं, उसके अभाव में तेल आया नहीं और भाव बढ़े और विभाग से जानकारी मिली तो मैंने कहा कि पुरानी प्रथा को चलाने में क्या दिक्कत है। वह प्रथा भी आप लोगों द्वारा ही चलायी गयी थी। उसको चालू करने के लिये मैंने पत्र लिखा ताकि तेल का आना शुरू हो जाए और तेल के भाव गिरें। कोई एक व्यक्ति को तो तेल नहीं मिलता है बल्कि रिफाइन करने की जितनी 14-15 यूनिट्स हैं, सबको मिलता है। यह आरोप एक ही दृष्टिकोण से लगाया है कि कहीं-कहीं व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर सार्वजनिक रूप से बात आ जाए। आपने अपनी बात कर ली। अब थोड़ी ईमान धर्म की बात मेरी भी है। यह जनता का उत्तरदायित्व है कि वह क्या गलत मानती है और क्या सही मानती है। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, कही गयी फ्री ट्रांजिस्ट आफ शुगर के बारे में। यह कहा गया कि इंक्वायरी हुई, जाँच हुई और लोग दोषी पाये गए। जी हाँ, इन्क्वायरी हुई, जाँच हुई, लोग दोषी पाए गए लेकिन क्या जाँच के आदेश पटवा जी ने दिए थे ।जाँच के आदेश तो इसी शासन ने दिए थे और मैं बहुत साफ तौर से इस बात को कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का जो भ्रम पैदा किया जा रहा है कि इस फ्रीसेल शुगर के प्रकरण में किसी भी प्रकार से श्री बालकवि बैरागी जी का सम्बन्ध है तो वह सर्वथा गलत है और मैंने लिखित रूप से उन्हें आश्वासन दिया है। लेकिन यदि कहीं गलती हुई है तो जिसकी गलती है उसको पकड़ा जाएगा और उसको सजा मिलेगी। दूसरी बात राइस एक्सपोर्ट के बारे में कही गयी। मैं फिर पूछना चाहता हूँ कि यह इंक्वायरी करने के आदेश किसने दिए थे। क्या विरोधी दल की ओर से बात आई थी। सही बात तो यह है कि इसकी प्रारंभिक सूचना हमें श्री बालकवि बैरागी ने ही दी और उनकी उस सूचना पर मैंने अनुसंधान शाखा को सौंपा क्योंकि उसकी व्यापकता इतनी थी कि एक एजेन्सी सभी जगह जाकर इंक्वायरी नहीं कर सकती थी। मैं यह कह सकता हूँ, अभी इंक्वायरी हो रही है। मैं विस्तार मैं नहीं जाना चाहता लेकिन निश्चित रूप से इस प्रकरण में जिन लोगों ने भी गलत कार्यवाही की है, उनमें से किसी को बख्शा नहीं जायेगा, चाहे राइसकिंग हों चाहे राइसक्विन हों, चाहे राइसप्रिंस हों। फिर टैक्सट बुक की बात आई। जी हाँ, इंक्वायरी हो रही है, और आपको सुनकर ताज्जुब हो, अच्छा न लगे, यह इंक्वायरी तत्कालीन शिक्षा मंत्री के ही आग्रह पर की जा रही है। अब आपको लगेगा कि आपका पूरा मामला ही खिसक गया। दो चीजें थीं आप आशा लगाए थे कि एक इंक्वायरी करवा लेते किसी तरह शिक्षा मंत्री फंस जाएँगे।

श्री शीतला सहाय : हमको अच्छा लग रहा है हमारा कहना ये है कि इंक्वायरी के नाम पर जैसी आपकी आदत प्रोलांग करने की है, दबा देने की है, दबा न दी जावे।

श्री अर्जुनसिंह : आपकी ऐसी बात नहीं है, जो-जो आप कहते रहे हैं, करवाता ही रहा हूँ।

श्री शीतला सहाय : जिन मामलों में आप करते रहे हैं सदन में भी कहलवा दें तो मैं कहने के लिये तैयार हूँ, जिनमें आपने किया है, ठीक है, ग्वालियर काण्ड में क्या हुआ?.....

(व्यवधान)

श्री रमाशंकर सिंह : बार-बार थोड़ा-सा हर जगह किया इस थोड़ा-सा, थोड़ा-सा का क्या मतलब है?

श्री अर्जुनसिंह : यह हम और शीतला सहाय जी समझते हैं।

श्री शीतला सहाय : मैं सदन में कहे देता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : नहीं-नहीं.....बाकी सभी विषयों की माननीय सदस्यों ने चर्चा की है, केवल ही, एक रह

गया बाम्बे फ्लेट काण्ड, अब ध्यान तो आपने ऐसी-ऐसी जगह केन्द्रित किया है। एक सात्विक रूप से अनुमति लेना है उस पर आता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय कहा गया बाम्बे फ्लेट का बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। न जाने कितना लम्बा-चौड़ा अखबारों में छपा बाकी हमारे कुछ सदस्य बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा जानकारी दे दी। बात केवल इतनी है कि बाम्बे में एक केन्द्र खोलने का शासन ने निर्णय लिया। चूँकि बजट में प्रावधान नहीं था इसलिये जो सामान्य प्रक्रिया है कन्टिनजेन्सी फण्ड से एडवांस लिया गया, इस बात की चर्चा भी कैबिनेट में हुई, रेकार्ड में, फाइल पर है, कीमत जो दी गई वह मैं पहले ही बता चुका हूँ वह ड्राफ्ट द्वारा दी गई, उसकी रसीद भी आ गई। अब इनका कहना है कि कीमत ज्यादा दी गई, ऐसा कहना है। आप इंक्वायरी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, ज्यादा दी है सो देखेंगे लेकिन साथ ही साथ इसमें भ्रष्टाचार भी घुस गया, किस आधार पर? केवल इसलिए कि आपको कहना है, जो कीमत दी गई वह ड्राफ्ट से दी गई, उसकी रसीद उपलब्ध है, यदि आपका कहना है हमने पैसा लिया है या और किसी ने पैसा लिया है तो उसका कुछ आधार तो हो? जो मैंने शुरू में कहा संदेह आधार है और आरोप प्रमाण। मैं उसके आगे कुछ नहीं कह सकता। जो सार्वजनिक रूप से अनुमति लेना चाहता हूँ विरोधी दल के नेता से वह है जो मेरे सामने थोड़ी परेशानी है परेशानी ऐसी होती है कि मैं आदतन कुछ मामलों में माननीय अध्यक्ष महोदय, कड़ा रुख नहीं अपना पाता हूँ खासतौर पर राजनैतिक काम करने वाले साथियों के बारे में, केवल जब कर्त्तव्य और तथ्य हैं वे विवश कर दें उस बात को छोड़कर समस्या यह है पटवा जी को आपके मंत्रिमंडल की बात तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि वह बेचारा बहुत थोड़े दिन रहा लेकिन जो आपके अन्य जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके मंत्रिमंडल के 25 में से 23 माननीय भूतपूर्व मंत्रियों ने जो मीसाबन्दी के नाम से ऋण लिया मैं केवल आपसे यह जानना चाहता हूँ कि हमारे सामने बहुत बड़ा धर्म संकट है। इन 25 में से, शायद यह संख्या और बढ़ गई हो, 25 में से 23 लोगों ने उपयोगिता प्रमाण-पत्र इस कर्ज को लेने के बाद देना चाहिये था वह अभी तक नहीं दिया है। अब हम क्या करें? माननीय अध्यक्ष महोदय, पांच या पच्चीस लोगों की बात छोड़ दीजिये। आपने बहुत चर्चा की, भ्रष्टाचार के आरोप लगाये, इन्होंने यह कर लिया, उन्होंने वह कर लिया इन्होंने ऐसा कर दिया लेकिन जो शासकीय कोष में से पाँच करोड़ के ऊपर की रकम आपने इस प्रदेश के लोगों को दिलाई इस प्रदेश के मंत्रिमंडल के लोगों ने ली, यदि उन लोगों ने नियम का पालन नहीं किया है तो उस पर क्या कार्यवाही की जाये यह मार्गदर्शन इस विधानसभा के विरोधी दल के नेता से चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आपने लिया ही नहीं तो आप क्यों परेशान हैं।

श्री शीतला सहाय : ऋण दिया है। आपने जैसी रेवेन्यु कमेटी बना दी है, जबर्दस्ती पैसा तो न बांटें।

श्री बालकवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्जुनसिंह से कहना चाहूँगा यह तो वही कहावत है जनता पार्टी क्या चली गई बन्दर भी गया सांकल भी साथ ले गया, अध्यक्ष महोदय।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और जानकारी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मिली नहीं शायद उसके ऊपर भी कुछ प्रकाश माननीय विरोधी दल के नेता डाल सकें। एक अमृत कोष का यहाँ गठन हुआ था और उसमें इस प्रदेश से एकत्र करने के लिये 11 लाख का टारगेट फिक्स किया था। मेरा लेन-देन नहीं रहता सामान्य रूप से लेकिन चूँकि उसको एकत्र करने के लिये सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक परिपत्र जारी हुआ था। यह परिपत्र क्रमांक एम 15/92/77/4/1 भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 1977। इस परिपत्र में विषय यह है "जयप्रकाश अमृत महोत्सव के लिए धन संग्रह के सम्बन्ध में।"

श्री जयप्रकाश नारायण के अमृत महोत्सव के निमित्त उनको सम्पूर्ण क्रांति के काम के लिये 75 लाख रुपयों का कोष 26 जनवरी, 1978 को समर्पित किया जायेगा। इस कोष के लिये मध्यप्रदेश की अमृत-महोत्सव समिति ने राज्य में 11 लाख रुपये एकत्र करने का लक्ष्य रखा है।

इस अच्छे कार्य में यदि राज्य की नगरपालिकाएँ, नगर निगम, जनपद, पंचायत, सहकारी समितियाँ और कृषि उपज मंडियाँ जयप्रकाश अमृत महोत्सव समिति को नियमों के अंतर्गत अनुदान दें तो उसमें राज्य शासन को कोई आपत्ति नहीं है। अतएव शासन उपरोक्त संस्थाओं को इस कार्य के लिए नियमों के अन्तर्गत यथासमय अंशदान देने के लिये

26924

अधिकृत करता है।

यह अपने आप में ठीक है जब अधिकृत कर दिया नियमों के अन्तर्गत लेकिन शिकायतें आ रही हैं जबरदस्ती लिया है, प्रभाव डालकर लिया है। इसको भी नज़रअंदाज करने के लिये तैयार हूँ लेकिन चूँकि इस परिपत्र के माध्यम से कोष इकट्ठा करने का प्रयास और सहायता की गई है और कम से कम इस प्रदेश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि इतना पैसा इकट्ठा हुआ, किसके पास इकट्ठा किया, क्या खर्च हुआ इतनी ही जानकारी दे दीजिये मुझे और कोई बात जानने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रमाशंकर सिंह : केन्द्रीय शासन जाँच कर रहा है।

श्री अर्जुनसिंह : यहाँ का जिन लोगों ने इकट्ठा किया वे बता दें।

श्री चित्रकांत जायसवाल : जो मीसाबंदियों को कर्ज दिया गया है क्या वह कुछ वर्षों के लिए इंटरेस्ट फ्री है?

अध्यक्ष : अभी तो दूसरे प्रश्न पर चर्चा चल रही है।

श्री अर्जुनसिंह : जब उनका मार्गदर्शन मिल जावे तब आपसे सलाह मशविरा करेंगे और पता लगाने के लिये, अभी उनका जवाब तो आने दीजिये। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दूसरे सभी मुद्दों का हमारे साथियों ने जवाब दिया है मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। एक सामान्य बात जरूर अत्यन्त विनम्रता के साथ आपके माध्यम से विरोधी दल के नेता, सभी विरोधी दल के माननीय सदस्यों से और इस प्रदेश के सभी सामान्य नागरिकों से कहना चाहता हूँ कि आज देश एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ हमें परवश इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी व्यक्तिगत आवश्यकता, आकांक्षाएँ, राग-द्वेष के होते हुए भी हमारा एक दूसरा हित भी है जिसके साधन की जिम्मेदारी हममें से प्रत्येक के ऊपर है, जो जिस स्थिति में है किसी न किसी अंश में वह हमारे सिर पर है और सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि जिस प्रजातांत्रिक पौधे को हमने इस देश में अपने पूर्वजों के बलिदान द्वारा रोपित किया है, इस देश के हजारों-लाखों मजदूर, श्रमिकों, डाक्टरों और इंजीनियरों ने अपने श्रम और शक्ति से सींचकर बड़ा किया है, उस पौधे को हम उन थपेड़ों से बचाने का प्रयास कर सकते, जो थपेड़े हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग पर, हमारी भावनाओं पर काबू पाकर दूसरों के साथ लगने के लिए प्रेरित करते हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो किसी न किसी रूप से गलती नहीं कर, कोई त्रुटि न हो, कोई ज्यादती अनजाने में न हो जावे लेकिन यदि प्रजातांत्रिक परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक भूल को भ्रष्टाचार की संज्ञा देंगे, यदि प्रत्येक त्रुटि को पूर्वाग्रह की संज्ञा देंगे, यदि हम प्रत्येक प्रयास भले ही वह असफल प्रयास रहा हो जानबूझकर भ्रष्टाचार की संज्ञा देंगे तो शायद हम इस पौधे को बजाय सींचकर और बड़ा करने में नहीं बल्कि मुरझाने मे सहायता दे रहे हैं। आज इस देश को इतिहास का वरदान मिला है, आज इस देश को ऐसा नेतृत्व मिला है जो नेतृत्व इतिहास को गति देने की क्षमता रखता है (मेजों की थपथपाहट) आज इस गति में हमें मार्ग अवरोधक के रूप में खड़ा नहीं होना चाहिये और अपनी क्षमता और शक्ति के मुताबिक इस इतिहास को गति देना चाहते हैं यह प्रश्न मध्यप्रदेश विधानसभा के सामने है। इस विधानसभा में ऐसा अविश्वास का प्रस्ताव जिस ध्वनि और जिस शक्ति के साथ नामंजूर हो वह इस बात को स्थापित करेगा कि मध्यप्रदेश की जनता इतिहास के साथ कदम के कदम मिलाकर आगे जाना चाहती है। लेकिन इनके इस प्रस्ताव की जनता को कोई परवाह नहीं है।

अध्यक्ष : सदन की अनुमति से 9.40 तक समय बढ़ाया जाता है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैंने पूरा भाषण ध्यान से सुना। मैंने अपेक्षा यह की थी कि अपने भाषण में मैंने जिन मुद्दों को उठाया है, उनका वे युक्तिसंगत और ठीक-ठीक जवाब इस सदन के सामने रखेंगे। पर ये जो विधानसभा में विरोधी दल के नेता को कुछ सुविधाएँ हैं, उसका श्रेय मुझे नहीं, इनको है, और मेरी पार्टी जब सत्ता में थी, तब हमने क्या किया, क्या नहीं किया, श्रीमती गांधी को, उनके परिवार को यातनाएँ दीं, उसका कारुणिक वर्णन करने में इन्होंने अपनी जितनी शक्ति खर्च की है, मैंने प्रस्ताव को जिम्मेदारना तरीके से नहीं रखा, और कुछ ऐसा भाषण दिया, कुछ लच्छेदार शब्द, न जाने क्या-क्या विशेषण देने में मुख्यमंत्री ने समय और शक्ति लगाई है। अच्छा होता मुख्यमंत्री जी आज के संदर्भ में प्रस्ताव पर विचार करके उसका जवाब देते। मैंने बीच में जानबूझ कर इसलिए नहीं छेड़ा था कि जनता पार्टी की सरकार ने जो कुछ किया

है नहीं किया है, आपने सबने देखा है, परन्तु उसके पूर्व जनता पार्टी की सरकार आई, आपकी सरकार आई, आपने जो कुछ किया, सब देख रहे हैं। आप उस दर्दनाक इतिहास को उस पर पानी फेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें लाखों परिवार तबाह हो गए, आज भी उनके दर्द और घाव हरे हैं। आप इस बात का दावा करते हैं कि आप यहाँ हमारी मेहरबानी से हैं, तो मैं दावा नहीं करता परन्तु आपके दिमाग से यह गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ, इस प्रदेश की जनता ने सन् 77 में आपको भी सबक सिखाया, सन् 80 में हमसे कुछ गलतियाँ हुईं, हमको भी सबक सिखाया। इसलिए इस बात की गलतफहमी आपके दिमाग में रहे, परन्तु हमें इस बात की गलतफहमी नहीं है। यह वक्त बतायेगा मुख्यमंत्री जी, आप गलतफहमी में हैं। आपने मुझे कहा है कि मैंने गैर-जिम्मेदाराना तरीके से आरोप लगाए हैं। इसलिए मैंने जानबूझकर कोल एण्ड शकधर की किताब में से वह प्रसंग पढ़ा कि क्या जिम्मेदारियाँ हैं। क्या करना चाहिये और मेरा क्या उत्तरदायित्व है। मुख्यमंत्री जी, आप कृपा करके सुन लें, आपने कुछ कमाया है, आप कुछ खाते-पीते परिवार से हैं, तो मैं भी आपकी मेहरबानी से सड़क पर खड़े परिवार से नहीं हूँ। मैं भी दाल रोटी खा लेता हूँ। मुझे सन् 47 से भगवान ने इस रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी है, 17 साल की उम्र से स्वाभिमान के साथ हूँ। उसी को मस्तक पर रखकर मैं भी चलते आया हूँ और उसने मुझे सही सलामत रखा, इस बात का सर्टिफिकेट किसी और से नहीं अपने आप से सुबह शाम लेता हूँ और उसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे भी ठीक रखे। इसलिये आप यह चाहते हैं कि मैं अपने कर्त्तव्य से विमुख होकर उसे पूरा नहीं करूँगा, आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिये। इसलिये मैंने आपको सूचित किया, आपने कोर्ट का जजमेंट लाकर पढ़ा, यह 20 अगस्त का है और मैंने भाषण प्रारम्भ करने के पूर्व यह बताया कि चीफ सेक्रेटरी साहब को एक अगस्त 1981 को यह चिट्ठी लिखी है इसमें डिस्टलरीज को ठेके पर देने और भाव बढ़ाने के सम्बन्ध में 8 प्रश्नों की जानकारी चाही गई है कृपया मुख्यमंत्री जी जानकारी देने का कष्ट करें तो अगर मुझे कोई गलतफहमी हो तो मैं उनको दुरुस्त कर लूँ। आपने महायाचिका, महाअभियान महाअभियोग.....

श्री अर्जुनसिंह : ये मेरे शब्द नहीं हैं, आपके ही हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : जी हाँ, मेरे हैं, और मुझे उन शब्दों पर गर्व है..... (मेजों की थपथपाहट)..... हम तो अभियान चला रहे हैं और आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, मैं कहना नहीं चाहता, आपको बुरा लगेगा लेकिन वह रास्ता आपके लिये महानिर्माण का रास्ता है। हमारा अन्तिम अभियान जब होगा तो 1985 में इसका फैसला होगा आज न आप दावा करें और न मैं दावा करूँ, हम आपको चेतायेंगे, सावधान करेंगे, रोकेंगे लेकिन अगर आप नहीं रुके तो आपको महानिर्माण से कोई ताकत नहीं रोक सकती आप दिल्ली के दरवाजे पर कितनी ही दस्तक लगाएँ, आपने अर्जी भेज दी कि मेरी जाँच करवा लीजिये मैं तो आपका खानदानी वफादार हूँ, वाह, इस तरह, आपकी जान बचने वाली है?

श्री अर्जुनसिंह : कम से कम देवरस का वफादार तो नहीं हूँ, उनका तो हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : रहिये, पर कब से हुए? मैंने उस दिन भी आपसे पूछा था श्रीमान? सन् 57 में दीक्षा तो हमारे साथ यहाँ ली.....(हंसी)..... यह चोला बदल कर आप चले गये हमें छोड़कर, हम तो अपनी जगह पर हैं। इसलिए आप हमें इस बात का उपदेश देने की कृपा न करें, हम आपके आभारी रहेंगे हम अपना ज्ञानवर्धन कर सकें परन्तु कम से कम मेरी बात सुनने के बाद आप कहते हैं कि गैर-जिम्मेदाराना तरीके की बात है। आपके शासन की जिम्मेदारी है कि सदन में किसी भी सदस्य के प्रश्नों का उत्तर देने की। आपने उत्तर दिये है इस पर आपके चीफ सेक्रेट्री विरोधी दल के नेता की चिट्ठी का जवाब भी न दें..... (शेम-शेम) ..... और उस पर आप मुझे कह रहे हैं कि मैं गैर-जिम्मेदाराना आरोप लगा रहा हूँ और आप यह हाईकोर्ट का सर्टिफिकेट ले आये, श्रीमान् मुख्यमंत्री जी, जजमेन्ट को आप सर्टिफिकेट मानकर इसकी तस्वीर मढ़वा कर अपने बंगले में लगवा लीजिये कि इसने आपका दामन साफ कर दिया।

श्री अर्जुनसिंह : पटवा जी, आप भी कैसी बात करते हैं। यह भी कोई तस्वीर में लगाने वाली चीज है। जजमेंट वगैरह तो वकील लोग लगाते हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अच्छी बात है। आप इस तरह कहते हैं कि हाईकोर्ट ने आपको बचवा दिया कि इस कार्यवाही में हम सबका दामन साफ है। मुख्यमंत्री महोदय, आप तो बहुत पढ़े लिखे होंगे, मैं भी थोड़ा-बहुत पढ़ा लिखा हूँ, इसमें क्या लिखा है, जजमेंट में इतना ही कहा गया है कि आपके वित्तमंत्री जी द्वारा स्वयं अनुमोदित टेण्डर्स को निरस्त करके दुबारा टेन्डर्स करने की जो कार्यवाही की है वह मुख्यमंत्री के नाते आपने अधिकार क्षेत्र में की है। आपको अधिकार है और उस अधिकार के द्वारा ही आपने दुबारा टेण्डर्स आमंत्रित किये हैं और उसमें आपने सबको ओपन काम्पीटीशन का अवसर दिया है और उस पर जो उसने क्लेम किया था कि पुराने टेन्डर्स के आधार पर उसको मिलना चाहिये उसका क्लेम नहीं बना, आपने न ही हमें यह जजमेंट दिया और न ही हमारी चिट्ठी का जवाब दिया.....

श्री अर्जुनसिंह : मैं पढ़कर सुना दूँ, अगर आपको तकलीफ होती हो तो?

(मेजों की थपथपाहट)

श्री सुन्दरलाल पटवा : वही पढ़िएगा।

श्री अर्जुनसिंह : जो इसमें होगा वही तो पढ़ूँगा। मुझे भी भरोसा था कि आप उसको पूरा पढ़ेंगे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आपने दिया ही नहीं तो क्या पढ़ूँ।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यहाँ तक आकर उन्होंने अपनी बात को रोक दिया कि

"It was this power that the Chief Minister exercised, Further the petitioner submitted tender in response to fresh tender notice and he can not now complaint that the case should have been dealt with in accordance with the approval of the Finance Minister."

यहाँ पर फुल स्टाप तो है लेकिन एक सेन्टेन्स इसके आगे भी है जो इस प्रकार है—

Inivitation of fresh tender was in public interest as it has saved the State from loss of several lakhs,"

अध्यक्ष : ऐसे मौके बहुत कम आते हैं कि एक कागज आपके सामने होकर कई बार इधर-उधर जाये।

श्री अर्जुनसिंह : पटवा जी दूसरी बात पर आ जायें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : इसकी कापी करवाकर मुझे दे दीजिये मैं अगली बार इसको चर्चा के लिये ले आऊँगा। अध्यक्ष महोदय, जिन मुद्दों को मैंने अपने भाषण में उठाया उनका आपने कितना जवाब दिया इसका फैसला तो सुनने वाले करेंगे, मैं और आप नहीं करेंगे आपने फिर तेलों के बारे में जवाब दे दिया उसका फैसला किया कहाँ। फैसला मैं बताता हूँ। 5 हजार टन तेल खुले बाजार में बेचने के लिये रिफाइनरीज से समय पर नहीं उठाया इसलिये छूट मिली। आपने वह क्लाज पढ़कर बताया है कि रिफाइनरीज को खुले बाजार में बेचने के लिये उसमें यह शर्त लगायी गयी थी कि उसे निर्धारित भाव पर बेचें यही पढ़ा है आपने। मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूँगा कि यह जो आपके इन्दौर वाली फर्म के बजाय नाम पता नहीं लगा वह तो हम खोज कर बतायेंगे तो पता लगेगा परन्तु दूसरी बात अन्ततोगत्वा हमारी दोस्ती किसी को महँगी नहीं पड़ी है। सच्चाई के ऊपर डटे रहिये आखिर जीत सत्य की होती है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी जो फर्म है इसके बाद नम्बर दो की के.एन. इन्डस्ट्री, महासमुन्द की स्वस्तिक इन्डस्ट्री महासमुन्द हमारी नहीं है, आपकी है।

श्री अर्जुनसिंह : पटवाजी इन्दौर से रायपुर तो पहुँचें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं तो सारे प्रदेश में हूँ। बीस साल की उनकी दोस्ती होगी। इनकी 2-5 साल की आपसे होगी।

श्री अर्जुनसिंह : मेरी दोस्ती तो सभी से है सिवाय उनके जो दुश्मनी मुझसे रखते हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं भी आपसे दोस्ती रखता हूँ, सन् 1957 से। महासमुन्द रायपुर की फर्म सेठ नेमीचन्द जैन की है उन्होंने कितना फ्री सेल में मार्केट में बेचा, इसका दुबे जी, हिसाब पूछ लें, मैं पूछता हूँ कि इस कंडीशन का पालन करने के लिये क्या किया। एक फर्म और बनायी नेमीचन्द दुलीचन्द गड़ियारी।

श्री अर्जुनसिंह : इतने दिनों तक इन्दौर में रहे अब इन्दौर में कुछ नहीं मिला तो सीधे रायपुर पहुँच गये।

श्री सुन्दरलाल पटवा : महामहिम राष्ट्रपति को महाभियोग-पत्र दिया है उसमें यह भी है श्रीमान।

श्री अर्जुनसिंह : वह दूसरे सन्दर्भ में हैं श्रीमान् (हंसी)

अध्यक्ष : रायपुर, भोपाल, इन्दौर इन तीनों के बीच में भोपाल भी है श्रीमान्।

श्री अर्जुनसिंह : 9 बजकर चालीस मिनट हो रहे हैं आदरणीय श्रीमान्।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप दस मिनट और बढ़ा दीजिये श्रीमान्। एक फर्म बनी इसने क्या किया? रिफाइनरीज ने आइल खरीदा.....

एक माननीय सदस्य : इसका जवाब नहीं दे सकते हैं श्रीमान्।

अध्यक्ष : आप बाहर जा सकते हैं, श्रीमान्।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, भूख लगी है श्रीमान्।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, ऐसा इन सब रिफायनरीज ने किया। इस आइल को उस निर्धारित भाव पर बेचने के लिए एक-एक फर्म बनायी। निर्धारित भाव में उसको बेचा, दूसरी किश्त खरीदा, किसे बेचा, कुछ व्यापार नहीं किया, उसकी कोई उम्र थी। उसी क्रम में बनी, जैसे खत्म हुई, फर्म खत्म हुई। एक कदम आगे बढ़ाया। तेल में शायद आप फिसल जाते हैं। फिसलें, परन्तु सच यह है कि इन सब रिफायनरीज की एक फर्म बन गई।

श्री अर्जुनसिंह : इस अवसर के लिए धन्यवाद देता हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : इस तथ्य को आप अगर पता लगाने की कोशिश करेंगे, पता तो है पता लगाने की कोशिश करना.....

श्री अर्जुनसिंह : धन्यवाद दे दिया दूसरा पाइन्ट आ जाये।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अब आपने कह दिया। वह जो पाठ्य पुस्तक की जाँच की सूचना तत्कालीन शिक्षामंत्री ने दी थी? अभी तक आपने नहीं कहा। आप फिर न कहिए।

श्री अर्जुनसिंह : क्या यह जरूरी है कि जब जो आप चाहें, वही कहूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आज आपने यह भी कह दिया वस्तु व्यापार निगम शक्कर परिवहन में जो गड़बड़ी हुई है उसकी जानकारी माननीय सदस्य श्री बैरागी जी ने दी.....

श्री अर्जुनसिंह : मैंने यह नहीं कहा। मैंने कहा है कि उस जाँच में किसी भी प्रकार से माननीय बैरागी जी का कहीं कोई हाथ नहीं है। उनको लिख कर बहुत पहले बतला दिया है। चावल मिल की प्रथम सूचना इनसे मिली।

श्री सुन्दरलाल पटवा : शक्कर की नहीं दी। इतना और कह दें चाहे तो। आप आखिर में फिर भी नहीं पसीजे। "खुद तो हुए बदनाम सांवरिए तेरे लिए"।

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, पटवा जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ जो आप चाहते थे, वह भी कुछ निकाला नहीं है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : शक्कर मैं आपको सर्टीफिकेट नहीं मिला।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महामहिम चलता रहे माननीय पटवा जी का तांडव नृत्य, फिर कहीं यहाँ पर कत्थक नृत्य न शुरू हो जाए। जब काफी बात हो गई, इसके मुद्दे ले लीजिए।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, अभी शुरू नहीं हुआ। इसे पढ़ी पुस्तकें, ऊँचे-ऊँचे हाथ करके बताया इंस्टीट्यूट आफ इन्वायरनमेन्ट यूनिवर्सिटी आफ भोपाल के पेज तीन पर लिखा है, पढ़ देता हूँ—

"The exercise council of the Bhopal University in its meeting held on 26th March 1881 resolved to establish the "Institute of Environment", and in the instance, Start M.Phil, programme from July, 1981. In the meantime Prof. B.D. Nag Chaudhary, an eminent environmentalist, who was formarly the Vice Chancellor of the Jawaharlal Nehru University, New Delhi, has also joined the Bhopal University as Visiting professor."

यह किताबें मैं श्रीमान् प्रधानमंत्री के आशीर्वचन और उनका चित्र, आपके आशीर्वचन तथा आपका चित्र और इसके बाद राज्यपाल महोदय का चित्र फिर अनेक-अनेक.....

श्री अर्जुनसिंह : आपका था कि नहीं?

मैं पटवा जी से यह निवेदन कर रहा हूँ इस इंस्टीट्यूट से और प्रधानमंत्री के आने से कोई मतलब नहीं है। इस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ कहा नहीं है, वह तो अलग चीज है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : इसकी शुरूआत नहीं हुई है।

श्री अर्जुनसिंह : इस विवाद में नहीं जाना चाहता। यह एक एकेडेमिक क्षेत्र की बात है और उसे विवाद का विषय नहीं बनना चाहता। इससे उससे कोई महत्व नहीं है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, आप न कहें तो हम सांस्कृतिक विभाग में न जायें, आप न कहें तो इंस्टीट्यूट के बारे में न जायें, आप जिसमें न कहें, न जायें, परन्तु .....

श्री अर्जुनसिंह : आप कभी भूल कर सखलेचा जी की गली में मत जाइए।

श्री विक्रम वर्मा : क्योंकि एक बार आप (श्री अर्जुनसिंह) वहाँ चले गए थे तो भुगत रहे हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरा अध्ययन करके और एक-एक बात का जितना प्रयास कर सकते थे, उसकी सच्चाई जानकर, उसका प्रयास करने के बाद राष्ट्रपति महोदय को जो अभियोग-पत्र दिया उसके जो-जो चार्जेस् इस शासन ने स्वीकृत कर लिए प्रश्नों के जवाब में उनकी जोरदार हम आपसे सफाई चाहते थे। माननीय विद्वान मुख्यमंत्री जी आपने हमारी आलोचना की। मुझे दो बातों का जवाब, सवाल पूछा है। मुझसे पूछने की जरूरत है?

श्री अर्जुनसिंह : नहीं, न देना चाहते हैं तो न दें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं दूँगा। पूरी तरह से जवाब दूँगा। नियम, कानून, विधि-विधान और आपकी सरकार और बाद में आपकी सरकार की परम्पराएँ पूरी तरह से आपको अधिकार देते हैं आपकी सरकार और आपकी पार्टी को मैं बार-बार कहता हूँ कि हमारी पार्टी में जो डिफाल्टर हों उनके खिलाफ आप जो भी कार्यवाही करना उचित समझें, कीजिये, मुझे इसमें कतई गुरेज नहीं होगा। मैं इस बात के लिए कतई बुरा नहीं मानूँगा आप हो अमृतकोष की बात ले आये। मैंने तो महाराष्ट्र की किसी बात की चर्चा नहीं की।

श्री अर्जुनसिंह : मैं अपने यहाँ की बात कहता हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : जिन-जिन लोगों ने चन्दा दिया, उनके पास रसीदें हैं। क्या कलेक्शन हुआ। मैं तो पहली बार अवगत हुआ।

श्री अर्जुनसिंह : मैं भी आज ही अवगत हुआ।

अध्यक्ष : सदन भी आज ही अवगत हुआ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : इसमें कोई सलाह-मशविरा की जरूरत नहीं है। अगर अच्छे काम के लिए कोई संग्रह हुआ है तो उसका सही और ईमानदारी से उपयोग होना चाहिये और अगर उसमें कोई बेईमानी होती है, उसके लिए आप सजा देना चाहें तो मैं उसमें आपके साथ हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश से, आपसे और सभा भवन के सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमने जिस आशय से यहाँ प्रस्ताव रखा था— कैसी आपकी सरकार है— हमने तथ्यों को उजागर करने का प्रयास किया है। हो सकता है आपकी इच्छा के अनुसार उसकी प्रक्रिया न पूरी हुई हो किन्तु हमारी जो पहुँच है उसके अनुसार हमने प्रयास किया है। आपने देखा होगा और आपकी पार्टी के सदस्यों ने देखा होगा कि इस प्रदेश का पुलिस प्रशासन आपने किसके हाथों में दिया है, यह बात प्रदेश की जनता जान गई है। हमें खुशी है, हमें प्रसन्नता है इस बात से, कोई बुरा नहीं है। हमारी सरकार के मुख्यमंत्री को कोई नालायक कहे, निकम्मा कहे।

श्री अर्जुनसिंह : आपने कोटेशन नहीं सुना जो मैंने पहले ही कहा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, मैं अपनी ओर से ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं कर सकता। आपको और प्रदेश की जनता को स्वयं महसूस हुआ होगा कि आपने कैसा गृह मंत्री चुना है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपको और आपकी सरकार को इस प्रदेश में राज्य करने का हक नहीं है। आपको कुर्सी से हट जाना चाहिये।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि "यह सदन मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह के मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रकट करता है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/17 सितंबर 1981, पृष्ठ/2145-2160)

मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने भारत की लोकतांत्रिक परम्परा का पवित्र स्मरण करते हुए मध्यप्रदेश विधानसभा की रजत जयंती के उपलक्ष्य में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव पर हुई चर्चा यहाँ दी जा रही है जो एक विशेष सत्र में की गयी—

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सदन में जिस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाना है, मैं यदि विनम्रता से निवेदन करूँ और आपकी अनुमति और सदन के माननीय सदस्यों की अनुमति से, उस प्रस्ताव मे यह सभी भावनाएँ निहित हैं, वे सभी संकल्प निहित हैं जिन्हें हमारे देश के संविधान में इस देश के सम्मानित नागरिकों ने अपने आपको संविधान समर्पित करते समय व्यक्त की हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली के माध्यम से दुनिया के इतिहास में भारतवर्ष में किये जा रहे कार्य न केवल अपने आप में अलौकिक प्रयोग हैं बल्कि मैं यह कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विश्व के अन्दर प्रजातंत्र की सर्वोच्चता को प्रस्थापित करने के लिये निहित भूमिका अदा करता है। ऐसे ऐतिहासिक सन्दर्भ में यह हम सबके लिये आवश्यक और अनिवार्य है कि इस प्रक्रिया के अन्दर कार्य करते समय हम अपने उन समस्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जो हमें प्रदत्त हैं, अपने उन सभी इरादों को व्यक्त करते हुए जो हमारे विवेक की देन हैं, हम एक मूलभूत सिद्धांत को सदैव सामने रखें कि इसकी सर्वोच्चता हम सब अपने कार्यकलापों से ही देश के अन्दर साबित कर सकते हैं। मध्यप्रदेश में पिछले 25 वर्षों में इस विधानसभा में अनेकों महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है.....

इस विधानसभा में और यहाँ पर समवेत सदस्यों ने कई ऐसे विषयों पर निर्णायक फैसले किये हैं वे सभी इस मध्यप्रदेश विधानसभा के इतिहास के अंग हैं। वे सम्मिलित रूप से इस प्रदेश की जनता के लिये इस मध्यप्रदेश विधानसभा के द्वारा उनके हितों में संपादित कार्यों की समीक्षा भी है और वायदा भी। हम जानते हैं कि जो दबाव सामाजिक आर्थिक आज की परिस्थिति में देश के अन्दर हैं, उन दबावों की इसी प्रक्रिया के माध्यम से आस्था और विश्वास न कि अनास्था और अविश्वास के माध्यम से ही यदि हम हल कर सकते हैं तो वह इस देश की प्रजातन्त्र की जड़ों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह बहुत आसान है, अध्यक्ष महोदय, किन्हीं भी सन्दर्भों में अतिशयोक्ति की ओर बढ़ना लेकिन यह बड़ा कठिन है उस बढ़ाये हुए कदम को फिर वापस लेना। लेकिन यह भी इस प्रणाली का एक अद्भुत गुण है कि ऐसा करने के लिये भी इस प्रणाली के अन्दर पर्याप्त स्थान है, समय है और लोगों को विश्वास में लेकर ऐसा करके दिखाने के लिये भी अवसर है।

श्री शीतला सहाय : परिवर्तन की बात तो अब नहीं होना चाहिये जब मुख्यमंत्री जी स्वीकार करते हैं और इसी में आस्था है।

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय शीतला सहाय जी, वैसे तो भय करना ही बुरी बात है लेकिन आशंका के ऊपर भय आधारित है वह मन के अन्दर के बहुत ही बड़े भय को व्यक्त करता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ.....

श्री शीतला सहाय : आशांकित नहीं है। आपकी कथनी और करनी पर भरोसा है कि आप कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और इसीलिये पूछ लेते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मैं समझता था कि आज के इस अवसर पर हम अपने बीच के सम्बन्धों पर चर्चा न करें तो अच्छा हो। वैसे आप मुझे विवश न करें.....

श्री शीतला सहाय : आपसे मेरा मतलब कांग्रेस पार्टी से है।

श्री अर्जुनसिंह : कांग्रेस पार्टी का भी जिक्र हम नहीं करना चाहते।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आपके और इनके सम्बन्धों के बीच में कोई गड़बड़ नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : यहाँ दल का प्रश्न नहीं है और न मैं दलीय आधार पर बोल रहा हूँ। लेकिन इतिहास झुठलाया नहीं जा सकता। इतिहास अपनी जगह स्थापित है कि किन लोगों ने प्रजातन्त्र की नींव इस देश में रखी है किन लोगों ने खून और पसीने से उसको सींचा है, बलिदान और उत्सर्ग किया है। वे कौन लोग हैं, क्या इतिहास उसे भुला सकता है? क्या हमारे और आपके कहने मात्र से उस पर पर्दा डल जावेंगा? गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम की अगवाही की और करोड़ों लोगों ने उनके साथ चलकर देश को आजादी दिलाई। राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश में प्रजातंत्र की आधारशिला रखी और उस आधारशिला पर एक के बाद एक ईंट रखकर इन 34 सालों में एक इमारत खड़ी की। वह इमारत भव्य दीखती है या नहीं, वह शानदार दीखती है या नहीं लेकिन इस इमारत में इस देश के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक धर्म को मानने वाले व्यक्ति विभिन्न भाषा बोलने वाले व्यक्ति का, प्रांत के रहने वाले व्यक्ति का, उसमें रहने का अधिकार है और उस पर पूरा-पूरा विश्वास आज इस देश के प्रत्येक नागरिक को है।

यह देश को एक बहुत मजबूत धरातल को खड़ा करके आगे चलाने के लिए सक्षम बनाने वाली बात है। आज हमें इसकी पुष्टि करना है। हमें उस विश्वास को कमजोर करने के बजाय मजबूत करना है। हमें उन आकांक्षाओं को जिन आकांक्षाओं ने आजादी को जन्म दिया और देश के नवनिर्माण की लम्बी मंजिल तय करते समय उनको रूप दिया उन आकांक्षाओं को कुण्ठित नहीं होने देना है, उन आकांक्षाओं को बलवती बनाना है और साथ ही साथ उन्हें संतोष भी कराना है। यह जिम्मेदारियाँ आधुनिक संदर्भ में प्रजातांत्रिक प्रणाली में काम करने वाले सभी आदरणीय साथियों की हैं। हम यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य इस विधानसभा के पिछले 25 वर्ष के इतिहास पर गर्व कर सकते हैं, संतोष कर सकते हैं और भविष्य के लिए यह आशा कर सकते हैं कि इस ऐतिहासिक दायित्व को निभाने के लिए हममें से प्रत्येक अपने विवेक के अनुसार हर सम्भव प्रयास करके इस इतिहास में कुछ और वृद्धि करेगा। यह विधानसभा इस प्रदेश के करोड़ों नागरिकों की आशाओं व आकांक्षाओं को मूर्तरूप देने का सशक्त माध्यम बन सके और इस ओर योगदान देगा.....

(व्यवधान)

(लाबी प्रतिष्ठित दीर्घा से दो व्यक्तियों द्वारा नारेबाजी गांधी जी की यह ललकार बदलो-बदलो यह सरकार)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सम्मानित सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि इस प्रदेश को अपनी भावनाओं से अवगत कराते हुए अपने संकल्पों को और दृढ़ और पवित्र रूप से प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत करने का जो अवसर आज हमें माननीय अध्यक्ष महोदय ने दिया है उसका उपयोग करके यह विधानसभा फिर से इस प्रदेश के नागरिकों के हितों का संरक्षण, उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम और भविष्य के निर्माण करने का मार्गदर्शक बनकर अपने ऐतिहासिक दायित्व को सदियों-सदियों तक निभाती रहे इसी कामना के साथ मैं सदन से निवेदन करूँगा कि इस प्रस्ताव को सदन पारित करे।

श्री शीतला सहाय : ऊपर से जब यह आवाज आई कि "गांधी जी की यह ललकार बदलो-बदलो यह सरकार" तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इन्हीं शब्दों के साथ.... तो क्या ये अपने शब्द कह रहे थे?

अध्यक्ष : ऊपर के शब्दों की चर्चा मैं यहाँ नहीं करूँगा फिर मुझे सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा कि ऊपर वालों में और शीतला सहाय जी में कुछ संबंध है क्या?

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि इनके संबंध कहाँ हैं।

अध्यक्ष : मैंने यह नहीं कहा आपका संबंध कहाँ है।

श्री सुन्दरलाल पटवा (सीहोर) : इनका जहाँ संबंध है वे फिर नदारद हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र और उसकी मान्यताओं तथा परम्पराओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने का यह प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के नेता के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव की भाषा का जहाँ तक सवाल है उसमें लेटर एण्ड स्प्रिट पूरी तौर से हमारे भी हृदय की भावना को अभिव्यक्त करता है.....

हम इसके प्रति असंदिग्ध रूप से पूरी प्रतिबद्धता के साथ, संकल्प के साथ अपनी अभिव्यक्ति करते हैं।

मध्यप्रदेश की इस विधानसभा को इस रूप में कार्य करते 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कल समारोह के अन्दर अध्यक्ष महोदय, मैं उन शब्दों की ओर आपके माध्यम से सभा भवन के सभी माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो हमें सम्बोधित करते हुए इस समारोह में हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय पंडित भगवत दयाल जी शर्मा ने कहे। आपने भी सुना है, अध्यक्ष महोदय, जब उन्होंने कहा गांधी को हमने खा लिया, पुरखों के पुण्यों को हमने बेच दिया। आज हम कहाँ खड़े हैं। इस बात पर आत्मचिन्तन और आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है। पिछले 25 वर्षों में प्रदेश की 4-5 करोड़ जनता ने जो आशाएँ, जो अपेक्षाएँ, जो जिम्मेदारियाँ जो उत्तरदायित्व हमारे ऊपर इस विधानसभा के सदस्यों के रूप में सौंपी हैं, आत्मचिन्तन हम करें कि क्या हमने उन आशाओं, अपेक्षाओं के अनुरूप उन्हें मूर्तरूप देने का और हममें जो विश्वास प्रदेश की जनता ने प्रकट किया था, हमें जो जिम्मेदारी, थाती सौंपी थी उसको पूरा करने का हमने किस हद तक प्रयास किया है और कहाँ तक हम सफल हुए हैं श्रीमान् कल भी मैंने समारोह में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि यह बात सही है कि हमने कुछ चार कदम आगे बढ़ाए हैं। 25 वर्षों में अगर हमने कुछ नहीं किया, यहाँ कुछ नहीं किया और यहाँ कुछ नहीं हुआ, यह कहना एक प्रकार की कृतघ्नता होगी। परन्तु मैंने यह भी कहा था और आज फिर दोहराता हूँ कि जो कुछ चार कदम इस प्रदेश ने आगे बढ़ाये हैं उसका श्रेय लेने का अधिकार विधानसभा के अन्दर बैठे हुए हम सदस्य या केवल राजनीतिक नेता लेने का अधिकार नहीं रखते बल्कि जो कुछ यहाँ हुआ है, इस प्रदेश में जो कुछ दिखाई दे रहा है, हमने जो चार कदम आगे बढ़ाए हैं तो उसका श्रेय इस विधानसभा के अन्दर बैठे हुए माननीय सदस्यों के साथ-साथ इस प्रदेश के प्रशासन में लगे हुए अधिकारियों/कर्मचारियों/कार्यकर्त्ताओं के साथ-साथ इस प्रदेश की उस करोड़-करोड़ जनता को भी है जिसके सहयोग के बल पर, जिसके प्रयत्नों और पुरुषार्थ के बल पर हम कुछ हद तक कुछ पा सके हैं। परन्तु आज हमें यह विचार करने को विवश होना पड़ रहा है, विचार करें, यह हमारा फर्ज है, कर्त्तव्य है कि क्या जो हम कर सकते थे, उसे पूरा करने में हम सफल हुए हैं।

लोकसभा अध्यक्ष, आदरणीय जाखड़ साहब ने कल कहा, महामहिम राज्यपाल ने कहा यह हमारा प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, हृदय स्थल है, बीच में स्थित है। एक समुद्र के कोने को छोड़कर कुदरत ने कौन सी ऐसी चीज है जो हमें नहीं दी है। दुनिया की जो भी नियामत हो सकती है, दौलत हो सकती है, जो कुदरत हमें दे सकती है, वह सब उसने हमें भरे पूरे तौर से मुक्तहस्त से इस प्रदेश में बिखेरी है, हम इस प्रदेश को ऐसा बना सकते थे कि आज हमें यह कहने कि आवश्यकता नहीं होती कि मध्यप्रदेश एक पिछड़ा प्रदेश है, एक-तिहाई आबादी हरिजन आदिवासी की है, पिछड़ी हुई है, वह आज भी जंगलों में रहती है। आज भी उनके गाँवों में, झोपड़ें में जाकर हम देखें तो ऐसा लगेगा कि आदिम युग आज भी जिंदा है। तो यह जो प्रश्न हमारे सामने खड़े हैं, मैं चाहूँगा कि पिछले पच्चीस वर्षों में लगभग चार वर्ष का कार्यकाल छोड़कर इक्कीस वर्ष प्रदेश की हुकूमत की बागडोर आपके, आपके दल के हाथों में रही है।

मैं इस या उस पक्ष के बारे में उसकी सफलता या असफलता का दावा करने की बात आज यहाँ नहीं छेड़ूंगा और छेड़ने का उपयुक्त अवसर भी नहीं है परन्तु चिन्तन के लिये और अपने आपसे जवाब पूछे प्रश्न का। अध्यक्ष महोदय, आपके सामने मैं कुछ अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहता हूँ जिसका कि आज अवसर है जिन्हें हमें करना चाहिये। 25 वर्ष में कभी अंदर कभी बाहर गुजारते हुए हमारी इस पीढ़ी ने एक बड़ा काल-खण्ड पूरा किया है और जैसा मैंने कल संकेत दिया था कि हमारी पीढ़ी अब जाने वाली है, नौजवान प्रदेश में और देश में आने वाले हैं। हमारे बुजुर्गों ने जिन्होंने अपनी जिंदगियाँ खपाकर न मालूम क्या-क्या परेशानियाँ झेलकर और जो आजादी जो देश की थाती है और जो संसदीय व्यवस्था है उसको हमें सौंपा है जिसे प्रदेश और देश की जनता को सर्वोच्च स्थान दिया है, उसे स्वीकार किया है, उस थाती को हमने कहाँ ले जाकर छोड़ा है और आने वाली पीढ़ी को किस रूप में सौंपने वाले हैं, यह हमारी पीढ़ी वालों के लिये आत्मचिंतन का विषय है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख हुआ, एक प्रकार का जबरदस्त आघात लगा और मैं उस आघात से अभी तक ग्रस्त हूँ, मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ कि जब आज सबेरे-सबेरे मैंने यह सुना कि कल मैंने विधिमंत्री श्री कृष्णपाल

सिंह जी की सफेदी की ओर संकेत दिया था तो मेरे उस छोटे-से संकेत पर श्रीमती सिंह रात को ही उनको छोड़कर चली गईं। (हँसी)

श्री शीतला सहाय : मैं श्री पटवा जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर श्रीमती सिंह भले ही छोड़कर चली गईं तो उससे सिंह साहब बिल्कुल परेशान न हों। आपके लिये व्यवस्था हो जायेगी।

श्री कृष्णपाल सिंह : इसके लिये पटवा जी चिन्ता न करें अगर मेरी पत्नी चली गई तो जैसा अभी शीतला सहाय जी ने कहा कि वे मेरे लिये व्यवस्था कर देंगे। (हँसी)

अध्यक्ष : शर्त यह है कि यह व्यवस्था सदन के बाहर होगी।

श्री शीतला सहाय : व्यवस्था की बात इसलिये कही क्योंकि उसकी पूरी सूची मेरे पास है।

श्री कृष्णपाल सिंह : यह व्यवस्था तो बाहर करवा लें लेकिन वादा तो यहाँ पर कर जाइये।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैंने विनोद करते हुए उनकी सफेदी की ओर इशारा किया था जो उनको बुरी लग गई और वे कहने लगे कि उम्र में वे मुझसे 7 साल छोटे हैं।

श्री कृष्णपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा करेंगे कि थोड़ा मैं पटवा जी को एक बार फिर छेड़ने की कोशिश करूँगा।

श्री शीतला सहाय : नियम सस्पेंड हो गया है।

अध्यक्ष : मुझे ऐसा लगता है कि छेड़ने का अधिकार सिर्फ शीतला सहाय जी को ही है।

श्री कृष्णपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये जीवन भर केवल छेड़ते ही रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री कृष्णपाल सिंह : पटवा जी आज चाहे जितने ही अच्छे हो जायें लेकिन इनका बालापन अभी तक गया नहीं। मस्तिष्क में अभी परिपक्वता आई नहीं। इतना ही मेरा कहना है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपका आभारी हूँ कि आप खुदा से यही दुआ करते रहें कि यह जो मेरा बालापन है वह बदस्तूर कायम रहे।

श्री कृष्णपाल सिंह : इसका क्रेडिट तो मिसेज पटवा को जाता है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस पीढ़ी की ओर इशारा कर बतलाया था कि हमारे लिये इस समय चिन्तन का विषय है कि हम प्रदेश और देश को किस प्रकार की व्यवस्था आने वाली पीढ़ी को सौंपकर जाने वाले हैं। वर्षों हो गये कि हम वहाँ बैठे तो आप कभी यहाँ बैठे। इस तरह से हमने समय-समय पर क्या-क्या कार्य किये, यह बात महत्व की है। हम इस बात के लिये कदापि लालायित नहीं हैं और न होंगे, हमारी आकांक्षा केवल यही है कि जिन मूल्यों के लिये हम यहाँ आते हैं उनको हम कहाँ तक पूरा कर पाते हैं इसकी ओर ही हमारे कदम बढ़ने चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने अभी शब्दों के द्वारा अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की। शब्दों के लिये तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं उनका आभारी हूँ। मैं सदन के नेता से यदि वे जो कुछ कागजों को देख रहे हैं उनको छोड़कर मेरी बातों पर ध्यान दें तो अच्छा होगा।

श्री अर्जुनसिंह : पूरी तरह से आपकी बातों की तरफ ध्यान दे रहा हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या केवल शब्दों से प्रतिबद्धता प्रकट करने से काम चल जायेगा?

आखिर शब्दों के पीछे हमारी क्रियाएँ, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, यह कैसा है, प्रजातंत्र के प्रति जो मान्यताएँ हैं जिनके आधार पर प्रजातंत्र चलता है, कैसा है। आज हमें इस बात को तय करना है कि हमारी प्रतिबद्धता कैसी है, हम कितने संगठित हैं, इन मान्यताओं की रक्षा के लिये, मुझे विवश होकर खेदपूर्वक यह कहना पड़ रहा है कि इन मान्यताओं को आघात पहुँचाने का काम सबसे अधिक मात्रा में किसी के द्वारा हुआ है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपके द्वारा हुआ है, आपके द्वारा आज हो रहा है। मैं दो-चार चंद नमूने का उल्लेख करना चाहता हूँ और उन्हीं से सवाल करूँगा आरोप नहीं लगाता, परन्तु कुछ प्रश्न उनके लिये छोड़ता हूँ आप विचार करें कि

क्या हमारे क्रियाकलाप ऐसे हैं और हम प्रतिबद्धता प्रकट करने के लिये यह संकल्प पारित करवा लें। इससे इस प्रदेश की पाँच करोड़ जनता में विश्वास आस्था हम पायेंगे? आज सबसे बड़ा संकट इस बात का है। आप भी काफी कहते हैं यां करते हैं हम सब लोगों को भिन्न-भिन्न स्थानों पर लोगों से मिलने का अवसर मिलता है, कभी अपरिचित होकर बस में बैठ जाइये, रेल के द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में बैठ जाइये, कहीं अपरिचित के रूप में चाय की दुकान पर, होटल पर खड़े हो जाइये, आज के राजनीतिज्ञों के बारे में आम जनता बच्चे से लगाकर बूढ़े, जवान तक जिस तरह के विचार व्यक्त करते हैं, जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं, उनके विचार एक बार सुन लें और उसके बाद हम तय करें, लोगों में हम राजनीतिज्ञों के प्रति, राजनीति के क्षेत्र में काम करने वालों के प्रति, निर्वाचित सदस्यों के प्रति किस तरह का विचार है किस तरह से लोग हमारे बारे में सोचते हैं। हम अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा लें और यहाँ बहुमत के आधार पर जो चाहें पारित करवा लें। बहुमत का तकाजा अगर यह है कि दिन को रात कहें या रात को दिन कहें, इसको बहुमत कहते हैं, इसको मैं नहीं मानता।

श्री कृष्णपाल सिंह : जब आप बहुमत में थे तो क्या आपने ऐसे नियम बनाये जिसका अच्छी तरह से पालन किया जा सके।

श्री शीतला सहाय : कक्ष में आ जाइये, समझा देंगे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : इन 25 सालों में चार साल हम भी वहाँ बैठने के भागीदार थे इस जिम्मेदारी से मैं इंकार नहीं करता। मैं यह भी दावा नहीं करता कि हम बिल्कुल परमहंस और देवता हो गये थे कि हमारे हाथ से कोई गलती नहीं हुई, परन्तु तुलना के रूप में आप अगर बहस करना चाहें तो मैं बहस के लिये तैयार हूँ एक दावा करने की स्थिति में भी तैयार हूँ उस बहस में पूर्वाग्रह, दुराग्रह छोड़कर इस बहस को सुनेंगे, इसमें सम्मिलित होंगे तो आपके मुँह से यह कहलवा दूँगा कि छोटी-मोटी गल्तियों को छोड़कर कुल मिलाकर हमने इस प्रदेश की जनता के हित में काम करने का प्रयास किया है। इसमें हम कितने सफल हुए, कितने असफल हुए हैं इसका श्रेय लेने के लिये अपने हाथ से पीठ नहीं थपथपायेंगे इसका निर्णय प्रदेश की जनता करेगी, नहीं तो सोलंकी जी कहेंगे कि आपने गलतियाँ कीं इसलिये जनता ने हरा दिया, यही उनका जवाब होगा।

श्री शिवभानु सोलंकी : आपने जो गलतियाँ की हैं उनको सुधारने में चौगुना समय लगेगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि आखिर हम अपने कार्यकलापों की ओर देखें उसके बाद निर्णय करें। इस प्रदेश में प्रजातंत्र के आधार पर संस्था, स्वायत्त संस्थान, स्थानीय संस्थान, नगरपालिका, नगर निगम, पंचायत, सहकारी मण्डी कमेटियाँ आपके राज में किस तरह से फंक्शन कर रही हैं। कल आपने जो नगरपालिका के चुनाव के आदेश दिए थे वे स्थगित कर दिये गये हैं। कल आपका तार गया है। नगरपालिका के चुनाव स्थगित कर दिये। कितनी बार स्थगित कर चुके हैं और प्रदेश की अनेकों दर्जनों स्वायत्त संस्थाओं और सहकारी संस्थाओं के नाम गिना सकता हूँ। जिसमें केवल राजनीतिक विद्वेष के आधार पर बदले की भावना से कार्यवाही की, सत्ता आपके हाथ में है परन्तु आपका यह कार्य उन आस्थाओं को दृढ़िभूत नहीं करते और जो कथन है इसकी विश्वसनीयता नहीं बनाते। चूँकि लोकतंत्र का सवाल है लोकतंत्री मान्यताओं, परंपराओं का सवाल है, यह एक दूसरे को खुले रूप से कार्य करने का अवसर देने का एक तरीका है। लोकतंत्र बात से है। कुछ कहने की आजादी अगर कुंठित हो जाती है तो लोकतंत्र नहीं चल सकता। आपने सत्ता में आने के बाद अपने से भिन्न मत रखने वाले विरोधियों के लिए सत्ता के अधिकार और पद का दुरुपयोग करके जो कार्यवाहियाँ की हैं उनके मैं अनेक उदाहरण गिना सकता हूँ राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश में बन्द करने का प्रयास किया, अदालतों ने उनको छोड़ दिया। डाकू विरोधी अध्यादेशों में हमारे प्रमुख कार्यकर्त्ताओं को बन्द करके महीनों जेल में रखा बाद में अदालत ने उन्हें ससम्मान निर्दोष साबित कर दिया। क्या ये कार्यवाहियाँ इस प्रकार से हमारे आचरण और व्यवहार इन शब्दों को जो संकल्प में प्रकट किए हैं उनके प्रति आस्था और विश्वास दिलाता है। प्रदेश में आज 2 उप चुनाव हो रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि पिछले 3 सप्ताह से लगातार शासकीय वायुयान, हेलीकाप्टर और वाहनों का.....

श्री के.पी. सिंह : ये तो चुनावी भाषण हैं वहाँ मैदान में दीजिये वहाँ ज्यादा अच्छा रहेगा। चुनाव के विषय में सारी चर्चाएँ मैं समझता हूँ कि वहाँ होना चाहिये।

अध्यक्ष : वैसे प्रस्तुत विषय सदन की परम्पराओं से संबंधित है उस पर भी भाषण दें तो अच्छा होगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : सदन की परम्पराएँ लोकतंत्र की परम्पराओं से मेल रखती हैं।

श्री के.पी. सिंह : लोकतन्त्र पर आधारित है लेकिन चुनाव पर जो चर्चा कर रहे हैं यह अनुचित है।

श्री शीतला सहाय : इनका मतलब है कि चुनाव में जो कर रहे हैं वह करने दीजिये।

लोकतंत्र की परम्पराओं का निर्वाह करते हुए मध्यप्रदेश विधानसभा के 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं ठीक है, अतः इस पुनीत अवसर पर यह सदन उन सभी प्रजातांत्रिक मान्यताओं के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करता है जिनके प्रकाश पिछले 25 वर्षों तक सदन ने .....

अध्यक्ष : हाँ सदन, में बाहर नहीं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : सदन ने कभी सरकार को यह अनुमति नहीं दी है कि सरकारी वाहनों का चुनाव में उपयोग करें।

श्री कृष्णपाल सिंह : जब आप चुनाव हार जायेंगे तो चुनाव याचिका कोर्ट में प्रस्तुत कर दीजिये तो वहाँ इस पाइंट को रखेंगे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : खुशफहमी के लिये ख्याल अच्छा है, बनाए रखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप यह उत्तर दे सकते हैं कि इसका किराया कांग्रेस पार्टी दे देगी। जितने दिन कांग्रेस पार्टी को हेलीकाप्टर किराये पर दिया है उतने दिन मुझे देने की कृपा करेंगे। यह जो कार्य है, चुनाव जीते, सरकार बना लें, विरोधी दल में आ जाइये यह सब होगा आप इसको ज्यादा महत्व देंगे। सत्ता में बने रहना किसी भी प्रकार, अगर यही हमारी प्राथमिकता है तो इस संकल्प के भीतर प्रकट किये गये भावों को, और लिखे गये शब्दों का कोई महत्व नहीं है। और अगर हमारी प्राथमिकता यह नहीं है, हमारी प्राथमिकता यह है कि इस प्रदेश की 5 करोड़ जनता के सर्वोच्च हितों के लिये कार्य करें और कार्य उस पद्धति से करें, उस पद्धति के जिसके प्रति हम वफादार हैं जिस संविधान ने हमको यह पद्धति दी है और उस संविधान के प्रति वफादारी की शपथ लेकर हम चुनाव में खड़े हुए हैं और सदन में आकर भी हमने उसके प्रति वफादारी की शपथ उठाई है। उसके प्रति किसी भी प्रकार की शंका-कुशंका संसदीय प्रणाली उपयोगी है अथवा नहीं है सरकार को कोई शंका उठाना हमारी संविधान के प्रति ली गई उस शपथ के प्रति और इस सदन में सदस्य के रूप में जो शपथ खाई है उसके प्रति विश्वासघात होगा। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए मुख्यमंत्री महोदय से इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ और वित्तमंत्री जी से कुछ निवेदन करना चाहूँगा दो-चार मिनिट और लूँगा। अध्यक्ष महोदय, आप जिन मान्यताओं पर सरकार चला रहे हैं, जिन कार्यकलापों के आधार पर आप काम कर रहे हैं, माननीय सदस्यों ने यहाँ पर कहा। मैं अपने विरोधी दल के सदस्यों की बात नहीं करता, आपके दल के सदस्य आपसे कह रहे हैं, मेरी जान को खतरा है, आपके दल के सदस्य आपकी सरकार से कह रहे हैं कि मुझे पुलिस से खतरा है। मैं आगे और बढ़कर भी कि आपके बाजू में बैठे हुए माननीय शिवभानु सोलंकी जी कह रहे हैं कि आपने उनके पीछे जासूसी करने के लिये जासूस लगाये हैं। इस प्रकार की सरकार चलाकर आप कौन-सी आशा व्यक्त कर रहे हैं। आपने जासूस पकड़ा, धन्यवाद है आपकी सतर्कता के लिये और बहादुरी के लिए। चार महीने रहा आपके यहाँ पर वह जासूस। चार महीने तक आपने वाच किया जादूगर की तरह कि किसी दिन यह पंछी मेरे जाल में फंस जाये और एक दिन आपने उसको पकड़ लिया। यह आपके पास में बैठे हुए आपके नेता हैं जो अपने साथी उप मुख्यमंत्री या जासूसी करवा सकते हैं जो अपने दल के सदस्यों के साथ में इस प्रकार का व्यवहार करें कि उन्हें यह कहना पड़े कि हमारी जान को खतरा है, महाराज बचाइये। हम तो बहुत दूर हैं और हमारे साथ यह व्यवहार आप करेंगे और करते आये हैं और हम उसे बर्दाश्त करने की और उसको उठाने की क्षमता रखते हैं। परन्तु आज इस अवसर पर मैं यह सवाल आपके लिये छोड़ना चाहता हूँ। बिना किसी प्रकार का आरोप लगाये जो घटना घटी है उसको मैं सदन के सामने लाना चाहता हूँ कि इस प्रकार हम क्रियाकलाप आचरण करके प्रजातंत्र के प्रति कौन-सी आस्था प्रकट कर रहे हैं, कौन-सा संकल्प प्रकट कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख है यह कहते हुए कि कल समारोह में आपने आमंत्रित किया, हम आभारी हैं, हमने आपके आमन्त्रण का सम्मान किया, समारोह में शिरकत की, सभी उन महानुभावों का आभारी हूँ.....

अध्यक्ष : वह तो करना ही था समारोह तो आपका ही था। सदन का था।

श्री सुन्दरलाल पटवा : जी हाँ, वह समारोह विधानसभा के द्वारा आयोजित किया गया था। मुझे अत्यन्त खेदपूर्वक यह कहने के लिये बाध्य होना पड़ रहा है कि समारोह की सारी गरिमा को, उसकी मर्यादा को, उसकी भव्यता को भंग करने के दोषी उपमुख्यमंत्री श्री शिवभानु जी सोलंकी हैं। उन्होंने अपने पद की गरिमा और मर्यादा के अनुकूल आचरण नहीं किया। उन्होंने समारोह की भव्यता और गरिमा के अनुकूल आचरण नहीं किया। क्या आपको कहीं और जगह नहीं मिल सकती थी, आपको कहीं और मंच नहीं था, जो आप अपने गले में 20 सूत्री कार्यक्रम और अपनी नेता का ढोल बांधकर वहीं बजाने लगे। हम भी कह सकते थे।

श्री कृष्णपाल सिंह : वहाँ पर ऐसी कौन-सी बात हुई .....

श्री बाबूलाल गौर : वहाँ पर कोई कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम नहीं था।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सच कहता हूँ मुझे उस समय इतनी घिन आ रही थी कि मैं वहाँ से उठकर चल दूँ। हम भी अपनी बात कह सकते थे। हम भी जवाब दे सकते थे आप जिनका बखान कर रहे हैं। 1967 से 1977 तक देश का नेतृत्व करने के बाद उन्होंने देश को आपातकाल की अंधेरी कोठरी में ले जाकर धकेला हम यह कह सकते थे परन्तु वह असर नहीं था। हमारा वहाँ पर कहना भी उपयुक्त नहीं था..... हम कह सकते हैं कि श्रीमान् दो वर्ष अभी और देश का नेतृत्व करने के बाद आई.एम.एफ. से पांच हजार करोड़ रुपये का लोन लेकर देश की आजादी और आर्थिक आजादी की इज्जत को वहाँ गिरवीं रख दिया। मैं यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता इस बहस को नहीं छेड़ना चाहता परन्तु आपने .....

श्री कृष्णपाल सिंह : लेकिन आप छेड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं छेड़ रहा हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आपको तो नहीं छेड़ रहा हूँ, आपकी कोई उम्र है छेड़े जाने की। हैं किस ख्वाब में आप? अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस पद पर आज वे विराजमान हैं, अध्यक्ष महोदय, आपने जो स्मारक ग्रन्थ प्रकाशित कर हम सबके विचार आमंत्रित किये। मुख्यमंत्री जी ने जो लेख उसमें लिखा है पृष्ठ 12-13 और 14 पर मैं उसको पढ़कर ज्यादा समय तो नहीं लूँगा आपका परन्तु आपका और मुख्यमंत्री जी का इस सदन के नेता का ध्यान उस ओर आकर्षित करूँगा। आपने अपनी आत्मप्रशंसा के पुल उसमें बांधने के लिए और जनता पार्टी के शासन को उसमें धिक्कारने के लिए इस ग्रन्थ का उपयोग किया।

"देश की राजनीति ने करवट बदली और सन् 1977 में जनता शासन आया। जनता सरकार के शासन काल में प्रजातांत्रिक मान्यताओं का न केवल उल्लंघन किया गया वरन् उच्छृंखलता की सीमा पर पहुँच उन मान्यताओं को ही समाप्त करने का प्रयास किया गया उन दिनों की विधानसभा में जनता पार्टी के सदस्य ही इतना गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार करते थे कि जनकल्याण के दायित्व को पूरा करने की ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया था। इसी विसंगति के कारण जनता ने सन् 1980 के मध्यावधि चुनाव में प्रजातांत्रिक मान्यताओं को समाप्त करने वाले लोगों को एक कोने में बैठाकर विधानसभा में बहुमत इन्दिरा कांग्रेस के लोगों को दिया। हमने इस जिम्मेदारी को अनुभव किया और जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है उसके अनुरूप व्यवहार करने की शपथ ली है।"

जनता पार्टी के शासन को कोसने के लिए आपको यह किताब मिली? पर इस किताब में आपने अपने अनुभव के बारे में लिखा है। जिन-जिन सरकारों में आप शामिल रहे उनकी तो आपने बड़ी दरियादिली से तारीफ रखी है और आपको जिन-जिन मुख्यमंत्रियों की सरकार ने शामिल नहीं किया उस कार्यकाल को आपने धिक्कारा है। आप कृपा करके इस किताब को तो मेहरबानी करके सदन के नेता के नाते इस किताब में ऐसा अनुभव लिख करके इस किताब की शोभा बढ़ाते हैं, अब मैं उनको हाथी-घोड़ा नहीं कहूँगा अन्त में मैं विधिमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कल के समारोह के कार्यक्रम का मर्यादा और गरिमा के साथ संचालन किया। इस किताब में भी मैं उनके लेख से बहुत प्रभावित हूँ। उन्होंने हमको चिन्तन के लिए कुछ सामग्री दी है वह हैडिंग है कि "क्या कानून मर गया है" इस हैडिंग पर मैं उनको बधाई देता हूँ, पर अध्यक्ष महोदय, मैं, उपमुख्यमंत्री जी

के कल के समारोह में किये गये आचरण के प्रति अपना विरोध प्रकट करता हूँ और मैं घोर विरोध प्रकट करता हूँ। उन्होंने अपनी मर्यादा और पद की मर्यादा इस ग्रंथ की मर्यादा के प्रतिकूल आचरण किया। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपनी बात समाप्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के नेता से बिना किसी प्रकार से पूर्वाग्रह और दुराग्रह के बिना ईर्ष्या द्वेष के इस अवसर को गरिमा का अवसर मानते हैं गलतियाँ हमसे हुई होंगी, हम साधारण मनुष्य हैं, कोई देवता और फरिश्ते बनने का दावा न कीजिए, चिन्तन कीजिए कि इन शब्दों के बाद जो आचरण चाहिए जो व्यवहार चाहिए क्या वह हमने किया है और क्या वह हम कर रहे हैं और क्या हम वह आने वाले कल को करने का संकल्प करते हैं। हम वह आचरण करेंगे हमारा यह सारा कार्यक्रम यह उत्सव और आपका संकल्प सफल होगा। भगवान हम सबको शक्ति दे कि इस प्रदेश की पांच करोड़ जनता को देश के सर्वोच्च हितों को और देश की जनता के सर्वोच्च हितों को ध्यान में रखते हुए पूरा कर सकें और जनता में जो राजनीति और राजनीतिज्ञों के प्रति अनास्था और जो संकट पैदा हो रहा है इसको दूर करने में भी हमारी पीढ़ी कुछ मात्रा में भी सफल हो सके तो हम अपना अहोभाग्य समझेंगे। धन्यवाद।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जो मैं कहूँगा उसके लिये मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। मैंने शुरू में ही आपसे निवेदन किया था, मुझे ऐसा प्रतीत होता है अध्यक्ष महोदय, और बहुत ही दुखी हृदय से मैं कहना चाहता हूँ कि जो पिछला पाठ हम लोगों को दिया गया, मैं नहीं समझता था कि इस प्रस्ताव की बहस में अविश्वास प्रस्ताव की बहस हो और सदन में माननीय सदस्य और विरोधी दल के नेता जो भी कहना चाहेंगे वह कहेंगे। मैं उन सभी बातों का जिनका यहाँ उल्लेख किया गया है, जिनका कोई मतलब नहीं है, जो कटाक्ष किये गये हैं, हमारे दल और हमारे नेता के प्रति, उनका मैं उत्तर देना चाहूँगा। लेकिन मैं और मेरा दल मर्यादा के वचन से बंधा है, इसका यह मतलब नहीं कोई भी हमारे दल या हमारी नेता के प्रति कुछ भी कहे। अध्यक्ष महोदय, हम यहाँ एक विशिष्ट संदर्भ में इकट्ठा हुए हैं और हम उत्तर देंगे यहाँ इन आरोपों का और हमें मर्यादा में रहकर काम करने की बात की जायेगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मर्यादा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं की जाती है। प्रजातंत्र में मर्यादा सबके लिए की जाती है। उसका पालन यदि एक पक्षीय होगा तो वह मर्यादा सर्वमान्य नहीं रहेगी। मुझे दुःख है इस बात का और मुझे उन सबके बारे में कहना है, बहुत बड़ी इच्छा है, लेकिन हम, हमारा दल, हमारे साथी, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, जिन मर्यादाओं से बांधने वाली बात कही गई है उसका पालन हम करेंगे।

(व्यवधान)

श्री रमाशंकर सिंह : क्या उसी मर्यादा का पालन कल सोलंकी जी ने किया था?

अध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री अर्जुनसिंह : मैं उस विरोधी दल के नेता से और जो भी उनके दल की विचारधारा के रहे होंगे आज मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसका मैंने पूरा वचन दिया है लेकिन आपने जो बातें यहाँ पर कही हैं उनका उचित अवसर आने पर सदन में उत्तर दूँगा और यह सिद्ध करूँगा कि इसी प्रकार की मान्तयाओं का उल्लंघन किसके द्वारा और कब हुआ है और किसके द्वारा नहीं हुआ है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : हम आपके इस कथन का स्वागत करेंगे।

श्री रामचरण लाल मिश्र (जौरा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज जो आपने मुझे बोलने का समय दिया है उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र प्रणाली जो रहती है उसमें बदलाव आता है। इसके लिये मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि मैं भूतपूर्व ग्वालियर राज्य का रहने वाला हूँ और ग्वालियर रियासत 75 लाख की थी और उस समय ग्वालियर राज्य में जागीरदारी प्रथा थी और जमींदारी प्रथा थी और उस समय किसानों को कोई भी ऐसा अधिकार नहीं मिला था कि जिससे वह अपने खेत का मालिक बन जाये लेकिन इस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमने जो-जो वादे किये थे कि हम भारत स्वतंत्र कराएँगे और जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद सबसे पहले ग्वालियर राज्य ने यह प्रस्ताव पारित किया कि हम मध्यभारत में मिलना चाहते हैं तब हम जमींदारी और जागीरदारी प्रथा को समाप्त करके मध्यभारत में मिल गए..... मध्यभारत में मिलने

के बाद हालांकि हमारे ग्वालियर राज्य की स्थिति बड़ी अच्छी थी हमारे पास करोड़ों रुपया था उस करोड़ों रुपयों के छजाने के साथ हम मध्यभारत में मिले और यह तय हुआ कि सात महीने राजधानी ग्वालियर रहेगी और पांच महीने इंदौर रहेगी इसी तरह से वहाँ काम चलता रहा बड़े अच्छे-अच्छे काम हुए मध्यभारत में हमने जमींदारी उन्मूलन, जागीरदारी उन्मूलन एक्ट पास किया और किसानों को वे अधिकार दिये जो प्रजातंत्र में देने चाहिए। इसके बाद मध्यप्रदेश बना। ग्वालियर राज्य में दो सभाएँ थीं— लोअर हाउस था और अपर हाउस भी था, सबको हटाकर एक मध्यभारत बना और मध्यभारत बनने के बाद एक प्रस्ताव पास किया गया कि नया मध्यप्रदेश बनाया जाये। मध्यप्रदेश बना और हम सब लोग यहाँ भोपाल को राजधानी बना कर आ गए। आप देखते हैं कि जब हम यहाँ आये तो हमारे रहने के लिए स्थान भी नहीं था। हम लोगों को बैरागढ़ में ठहराया गया था। ग्वालियर राज्य की प्रतिभा थी और जिन बैंचों पर आप आज बैठे हुए हैं वे और ग्वालियर राज्य का अन्य फर्नीचर तथा अन्य सुख सुविधाओं के साथ हम यहाँ आये थे। आज आप देखते हैं कि 25 वर्ष में कितनी तरक्की हो गई है। जब आए थे तो ठहरने को भी जगह नहीं थी और आज इस भोपाल में जब कि पांच लाख की आबादी हो गई है, कितनी उन्नति हो गई है, कितने साधन जुटा दिए गए हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। हमारे पटवा जी ने जो कुछ कहा है मैं श्रीमान् जी, याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम राजनीतिक का कार्यक्रम किया। महात्मा गांधी जी ने नारा लगाया— 'करो या मरो' हिन्दुस्थान को स्वतंत्र बनाया। देश को आजादी मिली और आजादी मिलने के बाद जिस वक्त राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया तो यूनियन जेक उतारकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि जवाहर के हाथों में राष्ट्र सुरक्षित है ये शब्द महात्मा गांधी ने कहे थे। इसी के तहत मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी पटवा जी ने कुछ शब्द कहे और महामहिम राष्ट्रपिता की बात का उन्होंने उद्‌बोधन किया। मैं निवेदन करूंगा कि श्रीमानजी, जब लोकसभा बनी, हम तो पहले भी महात्मा गाँधी जी, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनके बताए मार्ग पर चलते थे और अभी भी चलते हैं परन्तु आप सब दलों ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर प्रतिज्ञा की थी उसके लिए आज भी आप प्रतिज्ञाबद्ध हों। आज अगर कुछ होता है तो ऐसा नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। राष्ट्रपिता की जहाँ समाधि बनी हुई है, लोकसभा सदस्यों ने और दिल्ली में सारे दलों ने एक होकर अपने-अपने झंडे हटा दिए थे और जनसंघ ने भी अपना झंडा हटा दिया था और राष्ट्रपिता की समाधि पर प्रतिज्ञा की थी। आज आवश्यकता है कि हम सब उस प्रतिज्ञा पर विचार करें। इसके साथ ही एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि श्रवण कुमार को मारा गया और उनके माँ और बाप अन्धे और अन्धे एक भूमि पर पहुँचे और वहाँ उनको ज्ञान हो गया, पर आपकी जो कुर्सी है वह कुर्सी ही ऐसी है कि चाहे कितने भी अच्छे कार्यकलाप हों, पर आप तो विरोध ही करेंगे। मुख्यमंत्री चाहे जो कुछ करें हम जो भी कुछ करें आपको उस नजरिए से नहीं देखिये। इस वक्त समय ऐसा है और हमारे नेता जी का ऐसा हुक्म है कि कोई ऐसी बात नहीं कहें। मैं केवल इतना इशारा करना चाहता हूँ कि जब आप मौजूद थे तो सहकारिता के चुनाव हुए उसमें किस तरह से लोगों को लाया गया। इसके कागजात मौजूद हैं, देखे जा सकते हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाए हैं, उनसे इंकार करते हैं। उपमुख्यमंत्री मध्यभारत से हमारे साथ हैं, हर चुनाव में आते रहे हैं, जनता उनका साथ दे रही है। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है मध्यप्रदेश इतना बड़ा देश है, मैं महसूस करता हूँ वह अर्जुनसिंह के हाथों में सुरक्षित है। हम सबका कर्त्तव्य है कि पच्चीस वर्ष तो बीत गए। जो आने वाला समय है उसमें लगन के साथ प्रदेश की समृद्धि के लिए प्रयत्न करें। अभी हमारे यहाँ सूखा पड़ा, वहाँ मुख्यमंत्री ने सिंचाई की बड़ी व्यवस्था की और सूखे की स्थिति टल गई। प्रदेश की समृद्धि में अधिकारी, कर्मचारी सभी शामिल हैं, मैं उनको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जनता जनार्दन ने चुनकर हमको यहाँ भेजा, उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रदेश के विकास में हम सब सहयोग देंगे ऐसी अपेक्षा है।

श्री बाबूलाल गौर (गोविन्दपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव और संकल्प का हृदय से समर्थन करता हूँ। इस देश में प्रजातंत्र की जड़ें प्राचीन काल से स्थापित हैं। देश में प्रजातंत्र का बहुमूल्य स्थान रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अनेकों लोगों का नाम लेकर स्मरण किया, उन्हें

हृदय से बधाई देता हूँ। दुःख का क्षण तब आता है जब प्रजातंत्र के ऊपर आक्रमण करके लीक से हटकर काम होता है, जब देश में मूलभूत अधिकारों का हनन होता है, संविधान प्रदत्त अधिकारों को छीना जाता है। देश की न्यायपालिका को पंगु बनाया जाता है तब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे लोग लोगों में जाग्रति पैदा करते हैं। आपातकाल में आपने लोगों को बन्द किया, इस पवित्र सदन में आने से विधायकों को मना कर दिया। हमारे कैलाश जोशी को विधानसभा के गेट से ले जाकर जेल के अन्दर सींखचों में बन्द कर दिया। यह इनको भूल सकता है। प्रदेश में ऐसा अवसर आया था जब इस विधानसभा के अन्दर उनके प्रतिनिधि कोई भावना नहीं व्यक्त कर सकते थे, यह नहीं कह सकता था कि इनको क्यों बन्द किया, इनका क्या अपराध है? क्या उन महान देश भक्तों की भावनाओं को याद रखा था? क्या महात्मा गांधी और राष्ट्रनायक जवाहर लाल नेहरू ने यही विचार रखा था? बाबू जयप्रकाश नारायण ने आवाज उठाई थी कि तानाशाही समाप्त की जानी चाहिए और उसके लिए जनता को जाग्रत किया था। करोड़ों लोगों ने उन भावनाओं का आदर करते हुए सन् 77 में अपना आक्रोश व्यक्त किया था और तानाशाही प्रवृत्ति समाप्त हुई थी। यह गौरव की बात है कि आपकी अध्यक्षता में रजत जयंती मन रही है, यह स्वर्ण जयन्ती तक चले, प्रदेश में प्रजातंत्र की नींव गहरी हो और गरिमा से स्थापित हो। कल उपमुख्यमंत्री ने ऐसी बात कही.....

श्री शिवभानु सोलंकी (उपमुख्यमंत्री) : मैं अपने नेता का नाम हर वक्त लूँगा, उसमें आपको क्या आपत्ति है?

श्री बाबूलाल गौर : आप हर वक्त नाम लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, लोकसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय, और हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय भी उनका नाम ले सकते थे, किन्तु उन्होंने उसे उचित नहीं समझा। मैं आपके दिमाग की वाहवाही से परिचित हूँ, आप उनका नाम लीजिए, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद ही देता हूँ। आप अपनी योग्यता प्रदर्शित करें।

श्री कृष्णपाल सिंह : वे आज इस देश की प्रधानमंत्री हैं। सारा देश जानता है कि इस देश में प्रजातंत्र को कायम रखने के लिये प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिये वे दूसरे देशों का भी दौरा कर रही हैं। मैं इसे बहुत अच्छा समझता हूँ कि उन्होंने इंदिरा जी का नाम लिया। उन्होंने बहुत अच्छा किया।

अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा गांधी से संबंधित जो चर्चा है, उसको आगे न बढ़ायें।

श्री शीतला सहाय : विधिमंत्री जी और सिंचाई मंत्रीजी एक माला लेकर उनका नाम लेते रहें, हम मना नहीं करेंगे।

श्री कृष्णपाल सिंह : देश की लाखों जनता माला लेकर उनका नाम जपेगी। मैं आपके नेता अटल बिहारी वाजपेयी का नाम नहीं लूँगा।

श्री शीतला सहाय : आप उस योग्य नहीं हैं कि उस महापुरुष का नाम लें। आप तो चारण और भाट हैं।

श्री कृष्णपाल सिंह : मुझे इस पर आपत्ति है। अगर आप हमको चारण और भाट कहेंगे तो हम इससे भी भद्दा शब्द आपके लिये कह सकते हैं। जब आपके नेता अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए तो हमको चारण और भाट कहने लगे। आप अपने नेता का नाम लीजिए, हमें उस पर आपत्ति नहीं है।

श्री शीतला सहाय : जब उचित होगा तब नाम लेंगे। हम हर वक्त नाम नहीं लेंगे।

श्री कृष्णपाल सिंह : जिस समय उचित होगा हम उनका नाम लेंगे। आप अपने नेता का नाम लें, हमें आपत्ति नहीं है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : विधिमंत्री जी उनका नाम लें, हमें आपत्ति नहीं है। अब वे सुधर गये हैं। पहले थोड़ा बिगड़ गए थे। हमें इतना ही कहना है कि आप विवेकशील हैं, आपने उस विवेक का परिचय दिया है। आप अपने सिंचाई मंत्री जी को समझा दीजिए कि कौन-से समय/कौन-सा कार्य करें। भोजनालय में कौन-सा कार्य करें, शौचालय में जाने पर कौन-सा कार्य करें।

श्री कृष्णपाल सिंह : कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यवाही हो रही थी। उपमुख्यमंत्री जी ने इंदिरा जी का नाम लेकर अच्छा कार्य किया है। हम सब कांग्रेस वालों को उसके लिए गर्व है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप उनको समझा दीजिए कि भोजनालय में जायें तो कौन-सा कार्य करें, शौचालय में जायें तो कौन-सा कार्य करें।

अध्यक्ष : एक बार ही कहें।

श्री बाबूलाल गौर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के प्रजातंत्र के इतिहास में और मध्यप्रदेश की विधानसभा के माननीय सदस्यों ने और भूतपूर्व सदस्यों ने जो एक आदर्श प्रजातांत्रिक परम्परा स्थापित की है, उससे हमारा सिर ऊपर उठा है किन्तु बीच के काल में हमने देखा है कि जो इस विधानसभा के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए किस तरह से विधानसभा के दरवाजे बन्द कर दिए गए, उनको किस तरह से विधानसभा के अन्दर आने से रोका गया। उसके पहले और उसके बाद का समय तो अच्छा रहा। अध्यक्ष महोदय, आप इस आसन्दी पर विराजमान हैं, इसलिए ऐसा अवसर अब नहीं आयेगा कि जन प्रतिनिधियों को रोका जाये। इस देश में प्रजातंत्र सुरक्षित रहेगा। अध्यक्ष महोदय, इन भावनाओं के साथ इस संकल्प का हृदय से स्वागत करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रजातंत्र हमारे देश में सुरक्षित रहे।

श्री शालिगराम श्रीवास्तव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव था माननीय दुबे जी के बारे में।

अध्यक्ष : आपका प्रस्ताव मैंने देख लिया है।

श्री शालिगराम श्रीवास्तव : आप कृपा कर अनुमति दें।

अध्यक्ष : मैंने अनुमति कब दी?

श्री शालिगराम श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि दुबे जी को मध्यप्रदेश के मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया जाये।

अध्यक्ष : आपने बिना अनुमति के प्रस्ताव कर दिया।

श्री शालिगराम श्रीवास्तव : अध्यक्ष महोदय, सभी नियम शिथिल हो गए हैं। आज अशासकीय संकल्प का दिन है।

श्री कृष्णपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, श्री पटवा, श्री मथुरा प्रसाद जी दुबे को जो विधान पुरुष का खिताब मिला है, उसकी आप कुछ व्याख्या करना चाहते हैं।

श्री मथुरा प्रसाद दुबे (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हम लोग नागपुर की पुरानी विधानसभा में थे, तब यह मध्यप्रदेश बना। तब बड़ी-बड़ी आकांक्षायें लोगों के मन में उठीं। विशाल प्रदेश बनेगा। ग्वालियर से लेकर उड़ीसा, बिहार आदि चार-पांच प्रदेश के बीच में मध्यप्रदेश बनेगा। अध्यक्ष महोदय, उस वक्त यह शंका की गई थी कि प्रदेश बहुत बड़ा बनेगा। यह सोचा गया था कि इसका प्रशासन कैसे चलेगा मगर जैसे कल कहा गया था कि इस प्रदेश में अतुल सम्पन्नता है आज पुनः दुहराता हूँ कि यहाँ इतनी संपन्नता है, इतना वैभव है, यहाँ के लोगों ने सोचा इस प्रदेश को अच्छा बनाना है। यह संकल्प जाग्रत उस समय हुआ नागपुर में और जब रिपोर्ट मिली, उसके बाद यह निर्णय हुआ। लोगों को बड़ी खुशी हुई हम नयी विधानसभा में एक हो गए। उस वक्त पं. रविशंकर शुक्ल इसके नेता थे, वह बहुत आशान्वित थे। उनसे मैंने कहा कि हमें आगे कैसे जाना होगा। अलग-अलग विचारधाराओं के लोग फैले हुए हैं, रियासतें हैं, पूँजीपतियों का साम्राज्य है। दीगर अन्य प्रकार के लोग फैले हुए हैं। इन सबका संकलन करने के लिए बड़ी कठिनाई होगी। यातायात के साधन नहीं दिखते। हर व्यक्ति को भोपाल तक आने में दिक्कत होगी। उन्होंने कहा— यह अच्छा प्रदेश बनेगा। सब मिलकर विरोधी पक्ष व सत्तापक्ष हमारे पक्ष वाले इस प्रदेश को जरूर अच्छा बनायेंगे। एक बड़ा उज्जवल और ऐतिहासिक प्रदेश बनेगा। सुरक्षा की दृष्टि से मध्यप्रदेश को देखें बार्डर दूर पड़ेगी। जो डिफेंस की आवश्यकता चाहिए, यह मध्यप्रदेश को मिलेगी। वह बहुत खुश थे। पर यह हमारा दुर्भाग्य था कि उनका अल्पावधि में स्वर्गवास हो गया। उसके बाद हमारे काटजू जी आए। हमें एक महान व्यक्ति मिले, जिन्होंने पांच साल तक अच्छी तरह से शासन चलाया। उसके बाद यहाँ पं. मिश्र जी आए, वह भी हमारे यहाँ होम मिनिस्टिर थे। अध्यक्ष महोदय, एडमिनिस्ट्रेशन पर उनकी पकड़ थी। उनका एक नाम था। वह सारी चीजों को जानते थे, कहाँ कैसे हो रहा है। मगर अध्यक्ष महोदय, जहाँ यह सब संभावनाएँ थीं, किसी ने सोचा नहीं था दल-बदल के बारे में, कुछ लोग इतने नाराज हो गए 45-50 आदमी, कुछ लालच से, प्रलोभन से, इधर से उधर भाग कर चले गए तथा एक संविद शासन बना। संविद शासन में जो लोग थे, उनमें कुछ लोग अच्छे रहे होंगे। उस विधानसभा में एकदम उनका बहुमत हो गया। जो आदमी विरोधी हो गए, उन

आदमियों की शक्ल सामने आती है। किस तरह से दल-बदल किया था लोगों ने, यह दृश्य मैंने देखा। उस गेट से भीतर आए, जो पार्टी के लिए थे, वह भी वहीं से आये। ऐसा एक वातावरण अध्यक्ष महोदय, हुआ और बहुत-सी ऐसी बातें होती रहीं जो अशोभनीय थीं वह भी पीरियड निकल गया। उस वक्त संविद शासन में क्या हुआ? एक बड़ी धरपकड़ दिल्ली तक चली कहीं पैसे कें दबाव में, कहीं बंदूक का डर और कहीं महलों में ठहराकर उनकी आवभगत की जाती थी, जो आज इस प्रजातंत्र के हामी बनते हैं उस समय अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। उसके बाद का पीरियड चला श्यामाचरण शुक्ल जी आए, प्रकाशचन्द जी सेठी आए और फिर श्यामाचरण शुक्ल जी आए और इस प्रकार प्रदेश की गतिविधि चलती रही। मगर एक बात सच है कि इस प्रदेश की जनता प्रजातंत्र में विश्वास करती है। कभी इधर-उधर के प्रलोभनों में आ जाये या फंस जाये तो अलग बात है, लेकिन आम तौर से शांति चाहते हैं और सेक्युलर स्टेट चाहते हैं और यह चाहते हैं कि शासन निष्पक्षता और ईमानदारी से काम करे। इस प्रदेश के 25 सालों का बड़ा महान इतिहास है। आपने रजत जयंती का इतिहास लिखकर दिया है। मुझे खुशी है कि ये सारे कार्यक्रम आपके नेतृत्व में अच्छी तरह से संपन्न हो रहे हैं। 2-3 रोज में ये समाप्त होगा। अध्यक्ष महोदय, इस बात की रिसर्च की जानी चाहिए कि यह इतिहास ठीक से लिखा जाए। इसमें यह भी लिखा जाए कि कौन-कौन से लेजिस्लेशन से क्या हुआ, उसके परिणाम क्या हुए, जनता को सुविधाएँ कितनी हुईं, त्रुटियाँ कहाँ रहीं। सबसे बड़ा हिस्टोरिकल लेजिस्लेशन बना लैंड रेवेन्यु कोड। सब रियासतों के लैंड रेवेन्यु कोड अलग-अलग थे जो आपस में कान्फिलिक्ट करते थे, इन्ट्रीगेशन आफ दि लाज का प्रश्न था। इन सबको एकजाई करने का काम था, इंट्रीगेशन आफ दि सर्विसेज, लैंड रेवेन्यु कोड इत्यादि। तो अध्यक्ष महोदय, यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ के नेताओं ने, यहाँ प्रजातंत्र में काम करने वाले मँत्रियों ने और विरोधी पक्ष ने ऐसा मानूँगा थोड़ी देर के लिये इन सबने जो सहयोग दिया उसके कारण लैंड रेवेन्यु कोड का निर्माण हुआ जो आज भी कायम है। आवश्यकता के मुताबिक कुछ अमेण्डमेंट आते रहते हैं क्योंकि कोई ला हमेशा के लिए नहीं बन सकता। परिस्थितियाँ बदलती हैं और उसके मुताबिक उसमें अमेण्डमेंट करना जरूरी हो जाता है। उस ख्याल से बड़ा कठिन काम था यह क्योंकि कई स्टेटों में उर्दू में लिखे रहते थे उनका ट्रांसलेशन कराना, कई जगह पन्ने गायब थे उनको निकालकर ठीक करना बड़ा कठिन काम था। इसी प्रकार सर्विसेज के बारे में भी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग व्यवस्था थी, अलग-अलग नियम थे। सबको एक-सा करने में 4-5 साल निकल गए। आज हम देखते हैं यही मिंटो हाल कहलाता था। लार्ड मिंटो जब यहाँ आये थे उनके आनर में यह हाल बना था। 25 साल पहले जब हम यहाँ भोपाल में आए यहाँ गर्दा, परदा और जर्दा ऐसी कई चीजें मशहूर थीं। आज हम यहाँ बैठकर देख रहे हैं यहाँ के इंजीनियरों ने और मंत्रियों ने उस वक्त इसको फिर बनाया तब यह इस हालत में पहुँचा कि हम आज यहाँ बैठ सकते हैं, काम कर सकते हैं। इस प्रकार कितने ही परिवर्तन आए। भोपाल पहले क्रिमनल्स का अड्डा था। इंटरनेशनल क्रिमिनल्स और स्मगलर्स का यह हेड क्वार्टर था। यहाँ टैक्स नहीं लगते थे एक्साइज ड्यूटी कम थी, सेल्स टैक्स नहीं था। बड़ी मुश्किल से पकड़ में आते थे। जब मध्यप्रदेश राज्य बना, ये सब यहाँ से भाग खड़े हुए। पता नहीं 2-4 कहीं छिपे होंगे। सभी के सहयोग से पकड़ में आ जाएँगे। जो लोग भोपाल में 25 साल पहले आए होंगे तो वे सोचते होंगे कि हम किस शहर में आए थे। अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में यह कहना चाहूँगा कि उस वक्त जो विधायक थे, वे बड़े उच्चकोटि के नेता थे, मंडलोई, तामस्कर, प्यारेलाल और उनके सहयोगी साथी ऊँचे स्टेट्स के लोग यहाँ सदस्य हो गये थे तो उनका कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत बड़ा था और उससे बड़ी प्रगति हुई। आज भी हम देखते हैं कि विधानसभा में हमारे पक्ष से विरोधी पक्ष के कुछ आदमी बराबर एक ठीक हैसियत से काम करते हैं।

यह अलग बात है कि राजनैतिक दृष्टिकोण को दबा नहीं सकते, सत्तापक्ष को दबाने की प्रवृत्ति विपक्ष में होती है। मैं आशा करता हूँ कि इस रजत जयंती के अवसर पर फिर से चिंतन करेंगे और सब मिलकर एक टारगेट बनाएँ और छठवें पंचवर्षीय प्लान को सुधारें ताकि प्रदेश में सुख और समृद्धि फैले। एक समय था जब कर्मचारी भिण्ड और मुरैना में जाने से डरते थे, डाकू समस्या के कारण लेकिन आज शासन ने अपने कानूनों से उसको अपने काबू में किया है और ऐसी आशा है कि आने वाले एक दो वर्ष में डाकू समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी।

छत्तू समस्या का एक कारण पूर्व में उनको दिया जाने वाला राजनैतिक संरक्षण भी था। राजा महाराजा चुनावों आदि में उनसे फायदा उठाते थे लेकिन अब कानून ऐसे बनते जा रहे हैं कि बदमाशों में डर रहेगा। हमारे प्लान में पटवा जी का भी सहयोग हो, पटवा जी कभी-कभी नाराज हो जाते हैं, उनके ऊपर पार्टी का भी प्रेशर रहता है, इसलिये इच्छा के विपरीत भी काम करना होता है और इसलिये उनको कभी-कभी कलाकारपन दिखाना पड़ता है और हैं भी नामी कलाकार, भगवान ने अच्छी बोलने की शक्ति दी है, अच्छा बोलते हैं, कंठ भी अच्छा है, बहुत माहिर हैं।

अध्यक्ष : दुबे जी क्या आप चाहते हैं कि पटवा जी अपने जवाब में बोलें कि दुबे जी बोलने में काफी माहिर हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, दुबे जी का मुझको आशीर्वाद है, वे काफी बुजुर्ग हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। शालिगराम जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके बारे में मुख्यमंत्री जी गंभीरता से विचार करें।

अध्यक्ष : अगर वे खुद प्रस्ताव रखते तो विचार कर सकते थे।

श्री मथुराप्रसाद दुबे : अध्यक्ष महोदय, विपक्षी सदस्यों की योग्यता के बारे में कोई सन्देह मुझे नहीं है। राजनैतिक दृष्टिकोण प्रतिकूल होते हैं तो सारी बीमारी शुरू होती है। मैं आशा करता हूँ कि जैसा कि पटवाजी ने कहा था कि वे प्रदेश के बनाने में सहयोग देंगे, उस पर कायम रहेंगे। प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करने में हम सबको सहयोग दें। प्रजातंत्र में विपक्ष का भी अच्छा होना आवश्यक है लेकिन मुझे दुख है कि विपक्ष नेकनीयती से नहीं चलता है। उनका दृष्टिकोण भ्रमित रहता है।

श्री विक्रम वर्मा : मेरा सुझाव है दुबे जी को कि वे विपक्ष में बैठकर अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाएँ।

अध्यक्ष : यह सब तो जनता के हाथ में है।

श्री मथुराप्रसाद दुबे : मैं मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करता हूँ कि वे अच्छे ढंग से प्रदेश चलायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने ठीक ढंग से कार्य का संचालन किया पुनः आपको बधाई।

अध्यक्ष : दुबे जी लगे हाथ आपने मुझे भी निपटा दिया।

(हँसी)

श्री लरंग साय (सामरी, संरक्षित स्थान) : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के 25 वर्ष पूरे हुए हैं, जिसकी खुशी में हम सब सदस्यों को खुशी जाहिर करने का यहाँ मौका मिला है। अध्यक्ष महोदय, जब मैं इस कार्यक्रम के लिये अपने क्षेत्र से चला तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप विधानसभा जा रहे हैं और इस बार वहाँ क्या होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मैंने लोगों से कहा कि हम मध्यप्रदेश के विधानसभा की रजत जयंती मनाने जा रहे हैं और यह इस प्रदेश की जनता के लिए और राजनीति के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए एक प्रसन्नता का विषय है परन्तु अध्यक्ष महोदय, सरगुजा जिले से जब मैं चला था तो मुझे दुख हुआ कि यहाँ पर हम यह खुशी मना रहे हैं और सरगुजा जिले के सैकड़ों गांवों के आदिवासी लोग बिहार को पलायन कर गये हैं ऐसी स्थिति बगीचा विकास खंड में, जशपुर तहसील के कई गांवों में है, कई गाँवों में लोगों को काम नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है और उनको काम के लिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़ा। मेरा मन पशोपेश में पड़ा कि हम इस अवसर पर खुशी मनायें, जब आदिवासी अपने प्रदेश को छोड़कर जहाँ पर अपार संपत्ति है, जहाँ पर बहुत सारे काम हैं और इसमें संदेह नहीं है कि हमारे यहाँ विकास के दरवाजे हैं अगर काश हमारे प्रदेश के प्रत्येक गाँव को सड़क से जोड़ सकते, प्रत्येक गाँव को बिजली पहुँचा सकते और इस प्रदेश के सारे नदी और नालों का सारा पानी खेतों में चढ़ा सकते तो हम विकास के तीनों दरवाजों को खोल देते। आज हम हरियाणा और पंजाब की बात करते हैं। हरियाणा और पंजाब में प्रत्येक गाँव सड़कों से जुड़ा है, प्रत्येक गाँव में बिजली गई है और प्रत्येक खेत को सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। हमारे प्रदेश में पानी की कमी नहीं है लेकिन वह पानी खेतों में नहीं पहुँचा पाये। आदिवासी इलाकों के, जंगली इलाकों के सैकड़ों गाँव तहसील मुख्यालय से नहीं जुड़े हैं। सरगुजा जिले में रामानुजगंज से न्यायालय हटा दिया गया है। वहाँ के आदिवासियों को 3 दिन चलकर छोटी-सी पेशी के लिए अंबिकापुर जाना पड़ता है। 25 साल में हम यह व्यवस्था नहीं कर पाये हैं तो अध्यक्ष महोदय, हमें खुशी मनाने में अटपटा लगता है। दूसरी ओर खण्डवा जिले में

कुछ आदिवासियों ने कब्जा करके?

अध्यक्ष : आप विषय को देख लें। यह शासन से सम्बन्धित कार्यवाही नहीं है।

श्री लरंग साय : अध्यक्ष महोदय, 25 साल में लड़का जवान हो जाता है। वह जवानी की अवस्था में इस बात का भी अहसास नहीं कर पाया। गांधी जी समानता के लिए लड़े, आदिवासी, हरिजन और पिछड़े वर्ग की समानता के लिए लड़े, 25 साल में हम इस बात का ध्यान नहीं रख सके तो मुझे लगता है कि हम खुशी मनायें या गम मनायें, इन्हीं शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री हीरालाल सोनबोईर (बालोद) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक ऐतिहासिक और गौरवमय इस प्रदेश के लिए रजत जयंती का संकल्प प्रस्तुत किया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूँ। रजत जयंती उत्सव वैसा ही है जैसा मुसलमान भाई अपना ईद का उत्सव मनाते हैं। हमारे क्रिश्चियन भाई जिस तरह से 25 दिसम्बर का त्यौहार मनाते हैं, हमारे हिन्दू भाई दिवाली और होली का त्यौहार मनाते हैं और उन दिनों में वैमनस्यता को दूर कर आपस में गले मिलते हैं और क्षमायाचना करते हैं, इसी तरह से अपने 25 वर्षों में अपने प्रदेश की खुशहाली को जानने का रजत जयन्ती का समारोह है। वह केवल कांग्रेस पार्टी का ही नहीं बल्कि इस प्रदेश के अन्दर 1956 से 1981 तक जिस-जिस पार्टी का शासन रहा है उन सभी पार्टियों के सहयोग से हमने अपने 25 वर्षों में इस प्रदेश में क्या पाया और क्या खोया यह देखने का समारोह है, यह देखने का दिन है और कल जैसे यहाँ बताया गया है यह जो नया मध्यप्रदेश है, पांच प्रदेशों से मिलकर बनाया गया, पंच परमेश्वर के रूप में यह कहा गया है—

क्षिति, जल, गगन, धरा, समीरा,
पांच तत्वों से बना शरीरा।

यह पांच तत्वों से बना हुआ प्रदेश है। इस रजत जयंती के अवसर पर केवल कांग्रेस पार्टी ने क्या किया और संबिद शासन और जनता पार्टी ने क्या नहीं किया, हम सभी को मिलकर इस विधानसभा के अन्दर अपने प्रदेश की खुशहाली के लिये क्या-क्या किया और क्या-क्या करना है अगले 25 वर्षों में यह सोचना है। यह रजत जयन्ती विधानसभा के अन्दर और भोपाल के लिये नहीं है बल्कि यह रजत जयन्ती हमारे 70 हजार गांवों में भी मनाई जाये। यह योजना भी बनायें कि हम 70 हजार गांवों में रजत जयंती का असर देख सकें, लोग महसूस करें, आगे आने वाली पीढ़ी यह कहे कि पिछले 25 वर्षों में 1956 से 1981 में इस प्रदेश ने क्या-क्या किया। यह उनका भी समारोह है। रजत जयन्ती का समारोह इस प्रदेश के गांवों में भी मनाया जाये इसके लिये शासन प्रयास करे और विचार करे, यह आपसे निवेदन है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जैसे ही इस रजत जयन्ती के संकल्प को बोलने खड़े हुए, हमारे कुछ भाई खड़े हो गये और माने नहीं, सागर का नाम लिया तो मैं उस सागर में डूबा कि जिस सागर में—

अहि, मणि, रम्भा, वारुणी,
अमिय, शंख, गजराज,
धन्वन्तरि, धनु, धेनु, राशि,
कल्पद्रुम विश्वास।

14 रत्न निकले। मैं सोच रहा था विरोधी पक्ष के भाई कहाँ जा रहे हैं। यह वह सागर नहीं है जिसके अन्दर 14 रत्न होते हैं, यह वह सागर है जहाँ 25 वर्षों में इन भाइयों ने कितने गोते लगाये, कहाँ-कहाँ गोते लगाये इस प्रदेश के हित में, प्रदेश की जनता के हित में, प्रदेश के पिछड़े वर्ग के हित में, क्या-क्या रत्न निकाल कर दिखाये हैं इस पर चर्चा करेंगे ऐसा मैं सोच रहा था लेकिन ये उस सागर की बात करने लगे जो सागर सी.पी. के अन्दर है। बल्कि मैं चाहता था कि हृदय सागर और विचार सागर उस तरह से होना चाहिये जहाँ 25 वर्षों में प्रदेश के अन्दर गोता लगाया गया। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ यह जो इतिहास कल जो कल नहीं है वह कल नहीं रहेगा, हमने 25 वर्षों के अन्दर क्या इतिहास बनाया और आगे हम लोग 25 वर्ष में हम सब मिल कर अपने प्रदेश के लिये एक नया इतिहास बनावें। माननीय हमारे विरोधी पक्ष के सदस्यों ने.....

अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री हीरालाल सोनबोईर : माननीय पटवा जी ने कल बताया। मैं तो चाहता था और सोचता था कि यह जो विधानसभा का सत्र है साधारण नहीं असाधारण सत्र है और इसका इतिहास स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाये, इस पर चर्चा होगी, ऐसा मैं समझता था।

अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री हीरालाल सोनबोईर : जी, मैं समाप्त करता हूँ। मैं चाहूँगा कि जैसा मैंने रजत जयंती के अवसर पर अपने क्षेत्र में 25 वर्षों में कितनी सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ी हैं कितनी सड़कें बनी हैं, कितने नये स्कूल खुले हैं, कितने अध्यापकों की नियुक्तियाँ हुई हैं, कितने नये उद्योग खुले हैं उन सब बातों की जानकारी शासन से माँगी है, उसे मैं एक पुस्तक के रूप में एकत्रित करूँगा व अपने क्षेत्र में उसका वितरण करूँगा ताकि जनता यह जान सके कि इन 25 वर्षों में कितनी उन्नति हुई है। यदि हर विधायक अपने क्षेत्र की जानकारी इसी प्रकार एकत्रित करें और उसे अपने क्षेत्र की जनता में बटवायें ऐसा करने से पूरे प्रदेश की जनता को आभास हो जावेगा कि इन 25 वर्षों में 1 नवम्बर 56 से नवम्बर 81 तक क्या-क्या विकास के कार्य हमारे प्रदेश में हुए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो संकल्प मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूँ।

श्री हिम्मत सिंह कोठारी (रतलाम नगर) : माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अन्दर जो प्रजातांत्रिक परम्पराओं के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिये जो संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ, अध्यक्ष महोदय, इस देश की कोटि-कोटि जनता ने प्रजातंत्र की मान्यताओं के प्रति अपनी आस्था और विश्वास व्यक्त किया है और देश की आजादी की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तब हमारे नेता गांधी जी ने कहा था कि आजादी मिलने के बाद प्रजातंत्र के माध्यम से ही देश की गरीबी दूर की जावेगी तथा इस देश के पिछड़े वर्ग के उत्थान का कार्य किया जावेगा और इसलिये इस देश की कोटि-कोटि जनता ने उस आजादी की लड़ाई लड़ी और उसे जीत कर प्रजातंत्र में अपनी आस्था और मान्यता व्यक्त की।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मौका हमें तब देखने को मिला जब वर्ष 77 में आया तब पुनः जनता के प्रजातंत्र में पूरी तरह से अपनी आस्था दुहराई और सिद्ध किया कि हमारी पूरी आस्था लोकतंत्र में है। परन्तु इस सदन के माध्यम से प्रजातंत्र की मान्यताओं की पुष्टि करने के लिये जब जनता के प्रतिनिधि अपनी बात रखना चाहते थे तो उनको उसके लिये रोका गया और दुर्लक्ष्य किया गया तथा देश में आपात स्थिति लागू करके विरोधी दल के सदस्यों को जेलों में बन्द कर दिया गया। जेल के सींखचों में बन्द, जब उन्होंने आम जनता की सुख और सुविधाओं तथा अधिकारों से संबंधित प्रश्न भेजे तो उन प्रश्नों को विधानसभा के अन्दर नहीं आने दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सदन के माध्यम से आज इस बात की प्रतिज्ञा करें कि देश में फिर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो, न ऐसा मौका आवे। हमें यह भी देखना होगा कि क्या केवल प्रजातंत्र में मान्यता और आस्था व्यक्त करने से ही सारी बात हो जाती है? प्रजातंत्र के तरीके की जब बात उठाई जाती और जब अधिकार प्राप्त करने के लिये आन्दोलन चलाया जाता है, उसकी पहल की जाती है तो उनको भी हम पूरा करेंगे इसका भी फैसला करना होगा। इस प्रदेश के नौजवान काम करना चाहते हैं, इस प्रदेश की उन्नति के लिये काम करना चाहते हैं पर स्थिति यह है कि हम उनके हाथों को काम नहीं दे पा रहे हैं और जब काम मिलने के लिये वह आन्दोलन करते हैं और उसके कारण कभी-कभी इस प्रदेश के नौजवान प्रजातंत्र के विरोध में चले जाते हैं, हमें यह भी समझ लेना चाहिये, प्रजातंत्र का अधिकार प्रदेश की जनता को प्राप्त है और उसी के माध्यम से जब यह अधिकार प्राप्त करने का जनता प्रयास करती है तो वह अधिकतर उसको देना होगा पर अभी तो यह स्थिति हुई है कि जो कार्य हुआ है उसके द्वारा गरीब आदमी और गरीब हुआ है और अमीर और अमीर बन गये हैं यह एक कटु सत्य है जब आम आदमी पूरी मेहनत करता है, मशक्कत करता है और उसके बाद भी दो टाइम रोटी नहीं मिलती जब उसकी आस्था हमसे तो डिगती ही है लोकतंत्र व प्रजातंत्र के अन्दर से भी डिग जाती है। इसलिये आज आवश्यकता है कि प्रजातंत्र की नींव को पुख्ता करने के लिये हमें आम आदमी के लिये, आम आदमी की खुशहाली के लिये काम करना होगा और आज हमको शपथ लेनी होगी कि आम आदमी के लिये और गति से काम करेंगे, दृढ़ता से काम

करेंगे इसके साथ ही मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री रमाशंकर चौधरी (लहार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत 25 वर्ष में इस सम्मानित सदन ने अपनी उन परम्पराओं को कायम रखते हुए इस सम्पूर्ण प्रदेश के सर्वांगीण विकास और यहाँ के सभी नागरिकों के उत्थान के लिये जो कार्य किया है वह बहुत ही अद्वितीय है। यहाँ सम्माननीय सदन की अपनी कुछ निजी परम्पराएँ रही हैं जैसे कि नागरिकों के कल्याण के लिये अपने कानूनों को बनाना, हरिजन आदिवासी व पिछड़े वर्गों की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों तक पहुँचाना, प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये एक विस्तृत हमारी योजना, उसके क्रियान्वयन के तरीके के प्रति शासन को लगाना। अध्यक्ष महोदय, आज जब हम रजत जयंती इस शुभ अवसर पर मनाने जा रहे हैं। सम्मानित सदन की स्वर्ण जयंती भी मनेगी, इस रजत जयंती के शुभ अवसर पर जितने भी सम्मानीय सदन के सदस्य पिछले वर्षों में और वर्तमान में चुनकर आये हैं उन्होंने जो कार्य इस सम्मानित सदन की मान्यताओं को कायम रखते हुए प्रदेश के कल्याण के लिये किया है, उन्हें हम भुला नहीं सकते। आज इस बात की आवश्यकता है कि आगे नवीन पीढ़ी के लिये हम क्या देने जा रहे हैं, आगे इस सम्मानित सदन की मान्यताएँ किस प्रकार की होनी चाहिये। वर्तमान परम्पराओं में क्या सुधार चाहते हैं— इत्यादि विषयों पर हमारे इस सम्मानित सदन के सदस्यों का चिन्तन होना स्वाभाविक है। जिस स्थिति में यह मध्यप्रदेश था इस बात को हमारे पक्ष और विपक्ष के सारे सम्मानित सदस्य इस बात से सहमत हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि विधिमंत्री व उप मुख्यमंत्री पता नहीं क्या सलाह कर रहे हैं। उन्हें कुछ पता चल गया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अंतुले साहेब का इस्तीफा मंजूर हो गया है, अब अर्जुनसिंह का भी होने वाला है, दोनों में से कौन बनेगा क्या यही सलाह कर रहे हैं?

श्री कृष्णपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम दोनों मिलकर आपके सम्मानित सदस्य श्री कोठारी जी के भाषण की प्रशंसा कर रहे हैं। मैं सच में सोच रहा था कि कोठारी जी जिस अच्छे तरीके से बोले हैं आपकी लाइन के विपरीत बोले हैं। मैं जानता हूँ.....

श्री सुन्दरलाल पटवा : अनुकूल हो या विपरीत हो आप अपनी निपटाओ कि कौन बनेगा, यह भी होने वाला है।

श्री कृष्णपाल सिंह : पटवा जी को बहुत से लोग उनके दल के लोग ज्यादा समर्थन नहीं दे रहे हैं। बात क्या है?

श्री शीतला सहाय : कुछ भी हो, दोनों के मुँह पर आज रौनक आ गई है।

अध्यक्ष : मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ की चिन्ता उधर ज्यादा और उधर की यहाँ पर ज्यादा हो रही है दोनों अपनी-अपनी करलें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप हम दोनों की चिन्ता कर रहे हैं।

अध्यक्ष : मुझे तो आपकी विशेष तौर पर करनी पड़ती है।

श्री रमाशंकर सिंह : पिछले 25 वर्षों में काफी कुछ विकास किया है जिस स्थिति में हमने इस प्रदेश का निर्माण किया था उस स्थिति का और आज की स्थिति का जब आप मुकाबला करेंगे तो यहाँ का संपूर्ण प्रदेश का नागरिक कोई भी सद्‌बुद्धि का नागरिक इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि आमूलचूल परिवर्तन हुये हैं, काफी कुछ विकास इस सम्माननीय सदन के द्वारा इस प्रदेश का हुआ है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के विकास के लिए तमाम सारी योजनाएँ इस सम्मानित सदन के पास हैं अध्यक्ष महोदय, इस सम्मानित सदन का यह चिंतन है कि इस प्रदेश के हर नागरिक को खुशहाली, हर नागरिक को कानून और व्यवस्था की एक ठीक स्थिति उसकी सुरक्षा की स्थिति प्रदान करना यह सदन चाहता है।

श्री कृष्णपाल सिंह (विधिमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अंतुले जी के इस्तीफे की खबर फैलाकर यह ट्रेजरी बेंचेज की ओर आ गये हैं।

श्री रमाशंकर चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस सम्मानीय सदन की परम्पराओं का निर्वहन करने में कर्मचारियों और हमारे लोक प्रशासन के अधिकारियों ने जो सहयोग दिया, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जैसे सुयोग्य अध्यक्ष ने इस रजत जयन्ती पर्व को मनाने का अवसर दिया इसके साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का हार्दिक स्वागत करता हूँ।

श्री विनय दुबे (बोहानी) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल का दिन 17 दिसम्बर मध्यप्रदेश के इतिहास में एक अविस्मरणीय दिन बनेगा। अध्यक्ष महोदय, रजत जयंतियाँ मनाई जा रही हैं, लेकिन जिस ध्येय से कल के समारोह ने अपना स्वरूप लिया वह निश्चय ही अद्वितीय बनेगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन में, किसी भी समाज के जीवन में या किसी भी प्रदेश के जीवन में आत्मचिंतन बेहद महत्वपूर्ण क्षण हुआ करते हैं। मुझसे पहले जिन वरिष्ठ सम्माननीय सदस्यों ने कहा, इस बात को सबने महसूस कर लिया है कि यह पर्व, यह सत्र आत्मचिंतन का सत्र है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल जिस तरह बेवाक बातें हुईं, वह समारोह एक छोटा समारोह था लेकिन वह बेहद बड़ा बन बैठा। जिस बात की ओर हमारे राज्यपाल महामहिम शर्मा जी ने इंगित किया था कि कहीं यह डेमोक्रेसी हिपोक्रेसी न बन जाये। अध्यक्ष महोदय, हम नये विधायक हैं, जो परम्पराओं में बंधे हैं, जो अपने वरिष्ठ से देखते हैं उसी का अनुसमर्थन करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि प्रतिपक्ष के नेता ने अभी कहा था, माननीय नेता सदन में नहीं हैं, मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसका आधार बताया था राजनीतिक चरित्र का पतन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गूढ़ बात है मुख्य मुद्दा है कि आम जनता में राजनेताओं के ह्रास या जिस तरह से अवमूल्यन हुआ उसका क्या कारण है। मैं आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं वाद-विवाद, में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन कुछ प्रश्न उनकी ओर फेंकता हूँ, उन्हें सोचने के लिये देता हूँ कि कहीं यह राजनीतिक पतन उस समय तो शुरू नहीं हुआ जब इस गरीब जनता का करोड़ों रुपया राजनेताओं को मीसाबन्दियों के नाम पर अपने उपयोग के लिये दिया गया।

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो एक मुख्यमंत्री का इस्तीफा आया है, वही सारे राजनीतिक चरित्र के पतन का कारण है। अब वह कहाँ से प्रारम्भ हुआ यह देखा जाये तो बात दिल्ली तक जायेगी।

श्री विनय दुबे : अध्यक्ष महोदय, कहीं यह पतन उन मंत्रियों ने जिन्होंने कि सर्किट हाउस में एक टाबिल के ऊपर उच्चाधिकारियों से लड़ाई की, शुरू तो नहीं किया, कहीं यह राजनीतिक पतन महज कुर्सी के लिये जैसा कि प्रतिपक्ष के नेता ने कहा था जिन्होंने कि बिना किसी योजना के, बिना किसी बजट के चुनाव को मद्देनजर रखकर घोषणाएँ की थीं, कहीं उनसे राजनीतिक पतन तो प्रारंभ नहीं हुआ? कहीं जयप्रकाश नारायण का नाम लेने वाले आर.एस.एस. के पिट्ठुओं ने उनकी जीतेजी मृत्यु की घोषणा कर दी थी। कहीं यही तो पतन का कारण नहीं है? (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष : दुबेजी? आपने यह प्रस्ताव तो पढ़ लिया है न?

श्री विनय दुबे : मैं मानता हूँ कि विश्व में कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अल्प समय में अधिक प्रगति कर ली है लेकिन हम उतनी प्रगति नहीं कर पाये हैं। यह न कर पाने की जिम्मेदारी जैसा कि प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि सिर्फ इसके लिये राजनेता ही नहीं बल्कि यहाँ के कर्मचारी, कार्यपालिका और आम जनता की जिम्मेदारी है। सम्मिलित रूप से सभी इसके लिये दोषी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो प्रगति की गति में अव्यवस्था रही है जिसके कारण गति मंद रही है उसकी तरफ हमें विचार करते हुए उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः इस बेहद महत्वपूर्ण सत्र को बुलाने के लिये आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ।.....

अध्यक्ष : मुन्शीलाल जी, आप बोलें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आपने पंडित दुबेजी को पुकारते समय उन्हें "विधान पुरुष पंडित दुबेजी" कहकर संबोधित किया और पुकारा उसी तरह से मैं चाहूँगा कि मुन्शीलाल जी को भी पुकारते समय उन्हें "एक सजग विधायक" कहकर पुकारते तो अच्छा रहता।

अध्यक्ष : मैं अपने को करेक्ट कर रहा हूँ और उन्हें सजग विधायक श्री मुन्शीलाल जी कहता हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी विधायक सजग नहीं रहते।

श्री मुन्शीलाल (दिमनी, संरक्षित स्थान) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र का जो प्रस्ताव लाया गया है रजत जयंती के अवसर पर, मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 वर्ष पूर्ण होने के

उपलक्ष्य में जो विधानसभा की रजत जयंती मनाई जा रही है, प्रजातंत्र की उन्नति के लिये गांधी जी ने इस देश की बेहबूदी के लिये लड़ाई लड़ी थी उस लड़ाई में इस देश की जनता की उन्नति के लिये लड़ी थी। अध्यक्ष महोदय, यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लड़ी गई थी उन्होंने कहा था कि इस लड़ाई के माध्यम से इस देश की जनता को स्वतंत्रता दिलाकर, हम इस देश की गरीबी और बेरोजगारी को दूर करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आज 34 वर्ष हो गये आजादी को मिले हुए, इसके संबंध में कल महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा था कि एक बार उन्होंने मीटिंग बुलाकर अपने बंगले पर कुछ सवाल छेड़े थे। उनमें मुख्य सवाल यह था कि आज इस देश का नौजवान, शिक्षित बेरोजगार, नौजवान, अनुशासन में रहकर इस देश की तरक्की के लिये कार्य करें लेकिन स्थिति इसके विपरीत निर्माण हुई।

अध्यक्ष महोदय, आज देश और प्रदेश का नौजवान हताश-सा फिर रहा है। आज शिक्षित बेरोजगार नौजवान रोजगार की तलाश में मारा-मारा फिर रहा है, आजादी मिले हुये आज 34 वर्ष बीत चुके हैं लेकिन इस समस्या को हम हल नहीं कर पाये हैं। दिन-ब-दिन यह समस्या और बढ़ती जा रही है। इसलिये हमें सबको इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार कर इस समस्या का हल ढूँढना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, इस देश की आर्थिक उन्नति के लिए सिंचाई के माध्यम से नदियों का पानी उपयोग में लाकर ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ाना चाहिए। इस सिंचाई के माध्यम से पैदावार दुगुनी की जा सकती है और देश की तरक्की की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय, देश की गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने पर विचार नहीं किया तो यह देश पिछड़ा ही रह जायेगा। जैसा कि कल लोकसभा के अध्यक्ष श्री जाखड़जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आज 14 प्रतिशत लोग 86 प्रतिशत लोगों का, गाँवों में रहने वाले गरीब किसानों और मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, वह होता ही रहेगा। पिछड़े वर्गों की कभी बेहबूदी नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, आपने रजत जयंती पर्व मनाने के लिये सन् 56 से आज तक चुने गये विधायकों को बुलाकर उनके सामने प्रजातंत्र को और अधिक उन्नतशील बनाने के लिये विवश किया है। आपने इस तरह से एक नई श्रृंखला की शुरूआत की है। मैं इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं अपनी शुभकामनाएँ व्यक्त करते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। लेकिन जो प्रस्ताव लाया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से तो यह प्रस्ताव लाने वालों की नीयत पर मुझे शंका है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि—

"प्रजातांत्रिक परम्पराओं का निर्वाह करते हुए, मध्यप्रदेश विधानसभा के गौरवमय 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, जिसके फलस्वरूप रजत जयन्ती पर्व मनाने का आयोजन किया गया है, अतः इस पुनीत अवसर पर सदन उन सभी प्रजातांत्रिक मान्यताओं के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करता है जिसके प्रकाश में पिछले 25 वर्षों तक सदन ने प्रदेश के नागरिकों की आकांक्षाओं और संकल्पों को प्रतिबिम्बित किया है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

1.03 बजे विधानसभा अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हुई।

(मध्यप्रदेश विधानसभा/18 दिसंबर 1981, पृष्ठ/ 39-55)

प्रजातंत्र एक ऐसा पौधा है, जिससे जो हम चाहते हैं; निकाल सकते हैं। यह वह पौधा है जिस पौधे को रोपने के लिए इस देश के हजारों लाखों लोगों ने त्याग और बलिदान किया है। पहली वाली पीढ़ियों ने जिसको खून से सींचा है और अपने बलिदान दिये हैं और जिसकी रक्षा करने का दायित्व इस प्रदेश के, देश के प्रत्येक नागरिक के कंधों पर है।

— मध्यप्रदेश विधानसभा में अर्जुनसिंह
25 फरवरी 1982



1982

1982 का बजट सत्र 15 फरवरी को प्रारम्भ हुआ। अध्यक्ष श्री यज्ञदत्त शर्मा पीठासीन हुए। राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर प्रतिपक्ष के नेता श्री सुन्दरलाल पटवा ने अपने दल के सदस्यों के साथ यह कहते हुए बहिर्गमन किया— "अध्यक्ष महोदय, मैं विवश हूँ, माननीय राज्यपाल महोदय से जो अभिभाषण करवा रहे हैं, वह तथ्यों के विपरीत है, तथ्यों को छिपाने वाला है, उस भाषण को सुनने के लिए हम यहाँ बैठे नहीं रह सकते हैं।" सदस्य श्री रमाशंकरसिंह ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया। श्री रमाशंकरसिंह के अलावा श्री कपूरचन्द धुवारा ने यह नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया— "राज्यपाल की झूठी शान भूखों मरता है इंसान" इसके पश्चात् राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ। सदस्य श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सदस्य श्री भुरसूराम नाग ने कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव का समर्थन किया।

23 फरवरी को अध्यक्ष महोदय ने कहा— "राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव में मेरे पास 30 सदस्यों के संशोधनों की सूचनाएँ आयी हैं। उनमें से जो संशोधन नियमानुसार नहीं थे, उन्हें अग्राह्य कर दिया है। संशोधन बहुत बड़े-बड़े हैं, मैं पूरे संशोधनों को नहीं पढ़ूँगा, केवल उनके प्रस्तावक के नाम और संशोधन क्रमांक पढ़ूँगा। जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित होंगे उनके संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे जाएँगे।" कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई। प्रतिपक्ष की ओर से श्री सुन्दरलाल पटवा ने चर्चा की शुरूआत की। चर्चा तीन दिन चली। 25 फरवरी को मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह ने समुचित उत्तर दिया—

श्री सुन्दरलाल पटवा (सीहोर) : माननीय सभापति महोदय, कृतज्ञताज्ञापन के प्रस्ताव पर लगभग सवा घंटे का भाषण मैंने ध्यानपूर्वक सुना। यह बीस पेज की लम्बी किताब में महामहिम राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है, मैंने बहुत बारीक नजर से पढ़ा। उप मुख्यमंत्री महोदय, यहाँ मौजूद नहीं हैं, बहस शुरू होते ही उन्होंने जब कटौती प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष महोदय, रख रहे थे, तब उन्होंने एक सवाल उठाया था कि अभिभाषण हम लोगों ने सुना नहीं, कटौती प्रस्ताव किस प्रकार रख रहे हैं। आवश्यकता नहीं थी अभिभाषण सुनने की.....

श्री शिवकुमार श्रीवास्तव : पटवा जी कटौती नहीं संशोधन।

श्री सुन्दरलाल पटवा : संशोधन प्रस्ताव। आपको मेरी गलती के सुधार के लिए धन्यवाद, आभारी हूँ। यह मैं उनसे पूछना चाहता था कि यह जो तथ्यों के विपरीत इतना बोगस भाषण था कि इसको सुनने की कतई आवश्यकता हमने महसूस नहीं की और पढ़ने के बाद भी सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि वे यहाँ मौजूद हैं, इस बीस पेज के लम्बे अभिभाषण में मुख्यमंत्री जी ने यह कतई जरूरत नहीं समझी कि इस प्रदेश में गोलियागढ़ में आदिवासियों के जघन्य हत्याकाण्ड की घटना हो जाये, केसतरा में जघन्य हत्याकांड हो जाए, इस प्रदेश के शिवपुरी जिले की गाजीगढ़ जैसी जघन्य हत्याकाण्ड की घटना हो जाये, झाबुआ के आमुआ थाने में हरिजनों की हत्या हो जाए। इस प्रदेश की एक तिहाई आबादी अपने जीवन की सुरक्षा के लिये आश्वस्त नहीं है, इतने अहम् सवाल के संबंधी बीस पेज के अभिभाषण में एक शब्द भी नहीं दिया जाये।

इससे निकम्मा भाषण क्या हो सकता है। हम सुनने के लिए क्यों उपस्थित होते? सभापति महोदय, मैंने इस पूरे अभिभाषण को पढ़ा बीस पेज में एक शब्द इस प्रश्न की आश्वस्ति के लिए राज्य शासन ने नहीं कहा। इस प्रदेश की एक तिहाई, डेढ़ करोड़ पिछड़े हुए हरिजन आदिवासी और उनके ऊपर डेढ़ साल के श्रीमान् अर्जुनसिंह जी की सरकार के पदार्पण के बाद जघन्य अपराध होना प्रारम्भ हुए, उनसे उनके जीवन के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इसके बारे में दो शब्द आपके पास कहने को नहीं हैं। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय, के पास सुझाव लेकर गया था, यह पत्र राज्यपाल महोदय, को दिया है। प्रदेश में घटने वाली इन जघन्य हत्याकाण्ड की घटनाओं का आप अपने अभिभाषण में उल्लेख करें, उनके जीवन के अस्तित्व की सुरक्षा का आश्वासन दीजिए, हिन्दुस्तान, के भारत के सारे अखबार इन घटनाओं से रंगे जा चुके हैं पर हमारी सरकार की लेशमात्र संवेदना इन सारी घटनाओं के बारे में नहीं है।

सभापति महोदय, होना तो यह चाहिये था कि अभिभाषण राज्यपाल महोदय के पास पहुँचने के बाद, महामहिम यहाँ आते और उनका अभिभाषण केवल डेढ़ लकीर का होना चाहिये था कि श्री अर्जुनसिंह की सरकार ने मध्यप्रदेश में जिस प्रकार से शासन किया है, उस शासन में प्रदेश की कानून और व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, प्रदेश की सार्वजनिक सेवाएँ पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो चुकी हैं, प्रदेश की आर्थिक स्थिति दिवालियेपन की स्थिति में पहुँच रही है। यह सरकार भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हुई है। इस सरकार ने सारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से हटकर अपने राजनैतिक कार्यों के द्वारा प्रजातंत्र का गला घोंटने की कोशिश की है। इसलिए महामहिम राज्यपाल महोदय यह कहते हैं कि हम राष्ट्रपति जी से यह सिफारिश कर रहे हैं कि इस सरकार को तुरन्त बरखास्त कर दिया जाये।

तथ्यों का सही निरूपण करने वाला भाषण तो यह होता है। सभापति महोदय शायद कांग्रेस के हमारे मित्र माननीय सदस्य जो बैठे हैं, उन्हें ऐसा लगता हो कि मैं कड़वी और कठोर बात कहकर अपने भाषण में कोई सनसनी पैदा करूँ किन्तु मैं इसकी आवश्यकता महसूस नहीं करता। वस्तुस्थिति क्या है, मैं ऐसा क्यों कहना चाहता हूँ, क्यों राज्यपाल महोदय को ऐसा कहना चाहिये, इस मध्यप्रदेश के 30 साल के इतिहास में इस डेढ़ वर्ष में जो घटनाएँ घटी हैं ऐसी घटनाओं का क्या कोई उदाहरण मिलता है, ये घटनाएँ क्यों घटीं? आपने विधानसभा सत्र के प्रारम्भ के ठीक एक दिन पहले केसतरा हरिजन हत्याकाण्ड की जाँच के लिए न्यायिक जाँच की घोषणा की। मुझे पता नहीं उसका क्या कारण है। चूँकि विधानसभा में उसकी बहस न हो, सबजुडिस हो जाये इसलिये एक दिन पहले न्यायिक जाँच की घोषणा कर दी।

आलोट के पास कनाड़िया ग्राम में जमीन के झगड़े को लेकर चार हरिजनों की हत्या हो गई, उस समय जनता पार्टी का शासन था। आज के प्रदेश के मुख्यमंत्री उस समय विरोधी दल के नेता थे। आप भरी बरसात में कनाड़िया पहुँचे परन्तु आज 14-14 हरिजनों की हत्या हुई। सामन्ती लोगों ने, बड़े लोगों ने उनको मारकर, काटकर, आग में झोंककर उनकी हत्या कर दी।

तीन-तीन साल के बच्चों को आग में झोंक दिया। एक गर्भवती महिला का आठ महीने का गर्भ आग में जलते हुए पेट फाड़कर बाहर निकल आया। ऐसा हत्याकाण्ड हुआ, फिर भी आपको वहाँ जाने की फुरसत नहीं मिली। इतना ही नहीं आपने घोषणा की, अपनी घोषणा को किताबों के रूप में छपवाकर प्रकाशित करवाया कि जिस जिले में हरिजन-आदिवासियों पर अत्याचार होंगे, हत्याकांड होंगे, उस जिले के कलेक्टर और एस.पी. उसके लिए जिम्मेदार होंगे। आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। आपको जानकारी है या नहीं, उस घटना के तीसरे दिन जब मैं वहाँ पहुँचा और वापस वहाँ से लौटा, उसके बाद तक आपके जिलाधिकारी क्या कर रहे थे? जिस केदार सतनामी के घर के 14 लोगों की हत्या हुई, उस केदार सतनामी के मुँह से यह कहलवा दिया कि उसके चार जवान बेटे जो मारे गये, वे गुण्डे थे।

यह आपके जिलाधिकारी कह रहे हैं। आप बहुत देर से पहुँचे, लेकिन घटना के 24 घंटे बाद तक उन्हें इस बात का पता नहीं चला कि 14 लोगों को मार दिया गया है। इससे बढ़कर प्रशासन का उदाहरण या नमूना आप क्या सामने रखना चाहते हैं। हिन्दुस्तान के नहीं, दुनिया के अखबारों में गोलियागढ़ की घटना प्रकाशित हुई। गोलियागढ़

में पुलिस ने क्या किया? आपकी पुलिस ने गोलियागढ़ गाँव को घेरकर, स्कूल की छुट्टी कर दी, स्कूल को यातना शिविर बना दिया। एक आदिवासी को गुनाह कबूल करने के लिए पकड़कर बुलाया गया उसको बांध दिया, उसकी पत्नी को बुलाया गया। वहाँ पर एक तीसरे आदमी से कहा गया कि इसके पति के सामने इसकी पत्नी के साथ व्यभिचार करो। इतने पर आपकी पुलिस को संतोष नहीं हुआ, उस आदमी की पत्नी गुहरबाई के गुप्तांग के केश माचिस से जलाये गये। यह नृशंस अत्याचार आपके शासन में हो रहा है और आप इस पद पर बैठे हैं?

नैतिकता का तकाजा है कि इसी क्षण इस पद को छोड़ कर इस्तीफा दे दें। ये घटनाएँ आपके शासन में घटित हो रही हैं। जबलपुर जिले के, सागर जिले के सेमाढाना गाँव के हरिजनों पर हमला करने के लिए कौन गया? वही गांव के सामंत, वही गाँव के जमींदार। एक हरिजन नौजवान को जान से मार डाला, अनेकों को घायल कर दिया। कल मैं झाबुआ जिले के दौरे से लौटा, झाबुआ के आमुआ थाने में एक आदिवासी को पुलिस पकड़ कर लाई और पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी, वह आदिवासी मर गया। चार दिन तक उसकी हत्या की खबर बाहर नहीं फैली। भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्ञानचन्द और बोहरा मुहम्मद हुसैन इस घटना को आगे लाये। उनके खिलाफ 151 दफा में मामला दर्ज कराया और हथकड़ी पहनाकर पूरे जोवट में घुमाया। यह प्रशासन, यह शासन ऐसा क्यों कर रहा है?

क्या प्रशासन में बैठे लोग ही इसके लिये दोषी हैं? उनका दोष शायद कम है, आपका दोष ज्यादा है। आपने शासन की एक नई प्रणाली जो डेवलप की है, अर्जुनसिंह जी ने की है, वह कारण इसका मूल कारण है। सारे प्रशासन का पार्टीकरण किस प्रकार से किया जाए, सारे अपराधी तत्वों को वोट की खातिर अपने संरक्षण में लेकर उनके द्वारा सारे प्रशासन का मनोबल किस प्रकार से गिराया जाये, उसके लिये आप दोषी हैं जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं आप पर आरोप लगाता हूँ, सीधी के कलेक्टर को आपने फोर्स लीव पर जाने के लिए क्यों मजबूर किया?

क्या इस घटना से इंकार करते हैं? आपके कट्टर हिमायती कलेक्टर की श्रीमती के साथ टेलीफोन पर दुर्व्यवहार करता था। गंदी बातें करता था, कलेक्टर ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। अपने दफ्तर में अपनी पत्नी और उस नेता को सामने बिठाकर कहा, अब बात कहें, दफा 151 में उस व्यक्ति को बन्द किया। आपने उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए सिफारिश की, कलेक्टर को आदेश दिया। उसने छोड़ने से इंकार किया तो आपने उसको फोर्स लीव पर जाने के लिये मजबूर किया। इस तरह से क्या काम कर सकते हैं? आपकी सरकार में किस तरह से लोग बैठे हैं? जिन लोगों के नाम विलेज क्राइम बुक में दर्ज हैं वह सरकार में मंत्री हैं। पुलिस रिकार्ड में जिन लोगों के नाम तस्करी में दर्ज हैं, वह आपके मंत्री हैं।

जिन लोगों के सहारे आप शासन चला रहे हैं। आपके मंत्रिमंडल में जो सदस्य बैठे हैं। वह नामजद घोषित हैं जिनके ऊपर इनाम है, जो डाकुओं को पनाह देते हैं। यह पुलिस रिकार्ड में मौजूद है, आपकी जानकारी में होना चाहिए। अगर इस प्रकार के तंत्र को लेकर बैठे हैं तो इस प्रदेश की यही स्थिति होने वाली है।

आपने लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को ताक पर रखकर, मिट्टी में मिलाकर वल्लभ भवन सचिवालय में आपने कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं की, अपनी पार्टी की मीटिंग आपने अपने दफ्तर में बुलवाई और इस तरह से आपके उद्घाटन से यह एक नया अध्याय शुरू हुआ और उनसे आपने कहा कि पुलिस को दरगुजर करो। कानून को दरगुजर करके अहिंसक, शांतिपूर्ण सत्याग्रह को खत्म करो और जब भी किसानों का शांतिपूर्ण आंदोलन हो आमने-सामने आ जाओ और लाठी पत्थर से उनके आंदोलन को कुचल दो। क्या हमारा जो शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार है उसको भी बर्बरतापूर्वक आपने कुचलने का फैसला किया है? आपके प्रशासन में जिस तरह से पिछले डेढ़ वर्षों से चल रहा है। जिस तरह से सेमाढाना में हुआ। जिस तरह से आमुआ में हुआ, केसतर में हुआ, शिवपुरी में हुआ और गाजीगढ़ में हुआ और सभापति महोदय, ऐसे अनेकों स्थान हैं जहाँ कि आज भी हरिजन-आदिवासियों का जीवन असुरक्षित है। मैं सभापति महोदय, इस पर चर्चा क्या करूँ मैं तो यह कहता हूँ कि यह रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक दस्तावेज है।

सभापति महोदय, कानून व्यवस्था के बाद इस विद्युत की यूटिलिटी का जिक्र किया गया है। उसके लिए

कर्नल साहब ने बयान दिया है कि हमने अब 1 हजार मेगावाट विद्युत फिर से उत्पन्न कर ली हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी अर्जुनसिंह जी जो उस समय दिल्ली में बिराजे थे उस बयान के अगले दिन दिल्ली से उन्होंने भी कहा कि अब बिजली के संकट पर हमने काबू पा लिया है। जिस दिन हमने उनका बयान पढ़ा उस दिन हम और विक्रम वर्मा अलीराजपुर में थे, उस दिन अलीराजपुर में अंधेरा, जो वहाँ मीटिंग हो रही थी उसमें अंधेरा, वहाँ गैस जल रहे थे। झाबुआ में अंधेरा, वहाँ भी गैस जल रहे थे। जोबट में अंधेरा वहाँ भी गैस जल रहे थे। फिर 21 तारीख को हम धार आये वहाँ भी अंधेरा गुप। अब पता नहीं हमारे कर्नल साहब कहाँ बैठकर विद्युत का संकट हल कर रहे हैं।

श्री अजय नारायण मुशरान : श्रीमान जी। आप जहाँ भी जायेंगे वहाँ अंधेरा ही रहेगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आपने देवरी में कोशिश की थी पंजे की रोशनी लाने की लेकिन जहाँ हम होंगे वहाँ हम आपके लिए अंधेरा ही अंधेरा लायेंगे।

श्री दिनेश मिश्र : सभापति महोदय, मैं इस सदन को साक्षी करके कहता हूँ कि यदि हमने सागर का बदला जबलपुर में नहीं लिया तो मैं विधानसभा छोड़ दूँगा।

श्री विक्रम वर्मा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री विद्याचरण शुक्ल से हाथ मिलाकर आये हैं इसीलिये ये माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ हाथ करके कह रहे हैं। इनके तेवर इधर ही हैं।

(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : सभापति महोदय, सागर और बीना का जैसे ही मैंने नाम लिया। माननीय सदस्य प्रेमनारायण मिश्र जी कूद पड़े। बैठिये-बैठिये हमें कह तो लेने दीजिए। सभापति महोदय, आज इस प्रदेश में एक नया स्टाइल माननीय अर्जुनसिंह जी ने राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के दबाने के लिए शुरू किया है। आपने गाड़ियों में कांग्रेस के पंजा छाप का प्रचार करने के लिये कौन बैठा रखे थे, डाकू गब्बरसिंह और डाकू पूजा बाबा।

श्री प्रेमनारायण मिश्र : माननीय पटवा जी, यदि आप इस बात को प्रूफ कर देंगे तो मैं इसके लिए इस्तीफा दे दूँगा और प्रूफ नहीं हुआ तो आप इस्तीफा दे दीजिए।

श्री दिनेश मिश्र : सभापति महोदय, माननीय पटवा जी का जो मारल बोलता है उसके अनुसार उनको ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिये।

श्री सुन्दरलाल पटवा : डेढ़ घंटे का भाषण अभी मैंने आप लोगों का सुना है और अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है और आप बहस करने के लिए बीच में खड़े हो गये।

श्री विक्रम वर्मा : माननीय सभापति महोदय, हम जानते हैं कि कटु सत्य बहुत बुरा होता है।

श्री दिनेश मिश्र : माननीय सभापति जी, माननीय पटवा जी से इस संदर्भ में निवेदन करना चाहूँगा कि इन्होंने डाकू गब्बरसिंह का नाम लिया है। एक गर्भवती महिला ने मुझे शिकायत की कि जब उसको बच्चा पैदा हुआ तो पटवा जी की तरह उसने गब्बरसिंह का डायलाग बोला कि कितने आदमी हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं तो समझता था कि आप .....।

श्री मोहरसिंह : अभी आपने गब्बरसिंह का नाम सुना है मेरा तो साक्षात नाम मोहरसिंह है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन में एक नई स्टाइल शुरू की है। एक नई स्टाइल अपनाई है। बीना में माननीय कृषि मंत्री जी ने क्या किया? वहाँ गुना से बेड़नियाँ लाकर के नचवाईं।

श्री दिनेश मिश्र : माननीय सभापति जी, एक लोकोक्ति है कि (×××)

(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : पिछले डेढ़ साल में जो इस प्रदेश में प्रारम्भ हुआ है वह इस अभिभाषण में नहीं है। आजकल मुख्यमंत्री जी बहुत ट्रिक करने लगे हैं।

श्री शिवकुमार श्रीवास्तव : माननीय सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय दिनेश जी ने जो लोकोक्ति कही है वह सौजन्यपूर्ण नहीं है इसलिए उसे सभा की कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री दिनेश मिश्र : अध्यक्ष महोदय, अगर मैं लोकोक्ति दिखा दूँ तो श्री शिवकुमार श्रीवास्तव को आपत्ति होना उचित है।

श्री शिवकुमार श्रीवास्तव : सभापति महोदय ऐसी लोकोक्तियाँ बहुत हैं लेकिन गंदी लोकोक्ति विधानसभा में कही जाये यह उचित नहीं होगा। कुछ लोकोक्ति मैं भी कह सकता हूँ। मैं इस पर प्रोस्टेट करता हूँ। मैं इसको पसन्द नहीं करता हूँ। इसको वापिस लिया जाना चाहिये। यह मेरा निवेदन है।

श्री दिनेश मिश्र : सभापति महोदय, अगर यह सांस्कृतिक शब्द न हो तो निकाला जाये। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब यह लोकोक्ति है और हम इस हिन्दोस्तान में रहते हैं और सागर उसके अन्दर है तो मैं नहीं समझता कि इन्हें आपत्ति होना चाहिये।

श्री शिवकुमार श्रीवास्तव : सभापति महोदय, अगर यह लोकोक्ति है तो इसको इस प्रकार लिखा जाये कि (×××)

सभापति महोदय : शिवकुमार जी, इसे देख लिया जायेगा और वैसी व्यवस्था हो जायेगी। पटवा जी आप अपना भाषण शुरू करें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : सभापति महोदय, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के बाईपास करने के लिए जो ट्रिक्स प्रारम्भ की है। विधानसभा का अधिवेशन प्रारम्भ हो उसके पहले बिजली के रेट्स बढ़ गये है। ठीक एक दिन पूर्व एक तरह की घटना पर न्यायिक जाँच आपने बैठा दी। उसके ठीक एक दिन पूर्व आपने बड़े-बड़े अक्षरों में सारे प्रदेश के अखबारों में छपवाया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद ने महामहिम राष्ट्रपति को जो ज्ञापन सौंपा था आपकी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए, उसकी जाँच हो चुकी है और गृह मंत्री जी ने आपको निर्देश दिये हैं सब आरोपों से मुक्त, और बरी करते हुए।

कोई चिट्ठी लिखी है कि आपका दामन बड़ा साफ है, आप पाक हैं, बेदाग हैं। यह आपने एक दिन पहले छपवाया है। हमारे ज्ञापन के ऊपर आप इस विधानसभा में वक्तव्य देने के लिए आये थे मुख्यमंत्री जी, कि मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि वे जाँच करवा लें और अपना इस्तीफा भी उसके साथ भेज दिया था। अगर आपको ऐसा कोई पत्र मिला था कि जिसमें उसकी जाँच हो गई और आप बरी पाये गये तो क्या आपको एक दिन रुककर विधानसभा में वह बात कहने का इन्तजार नहीं था। अपने इस्तीफे की चर्चा तो आप अपने वक्तव्य में लेकर विधानसभा में आते हैं और एक दिन बाद जब विधानसभा का सत्र प्रारम्भ हो रहा है तब आप अखबारों में खबर करवाते हैं कि गृह मंत्री ने उसकी जाँच करके उसको फायल कर दिया है।

सब आरोप मिथ्या पाये गये। आपने परसों का अखबार पढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी बाजपेई के नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल महामहिम राष्ट्रपति जी को मिला। महामहिम राष्ट्रपति जी से उन्होंने सवाल पूछा कि हिन्दोस्तान के गृह मंत्री ज्ञानी जेल सिंह जी बुरहानपुर आये थे खंडवा में भी और बुरहानपुर में भी ऐसी ही बात कह गये हैं कि उसमें कोई तथ्य नहीं है और उसको हमने फाइल कर दिया है और फिर यह आज अखबारों में छपा हुआ है। तो महामहिम राष्ट्रपति जी ने शिष्ट मण्डल को जवाब देते हुए कहा कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उस आरोप-पत्र पर जाँच हो गई है और उसमें कोई सत्यता नहीं पाई है और उसको फाइल कर दिया गया है।

राष्ट्रपति जी को जिनको हमने आरोप-पत्र सौंपा और जिन से जाँच और इन्साफ की माँग की, उनको पता नहीं। जिन्होंने आरोप लगाये, हम यहाँ खड़े हैं। हमसे किसी ने एक शब्द आकर पूछा नहीं कि आपने क्या आरोप लगाये हैं, आपके पास क्या प्रमाण है और गृहमंत्री जी और आपके बीच में यह प्रेस पत्र का व्यवहार कब हो गया? आपके खिलाफ दस्तावेज दिया है राष्ट्रपति जी को उसमें हमने यह आरोप लगाया है कि तेंदूपत्ता कांड, शराब कोंड जितने यह आरोप हैं, 14 आरोप हमने लगाए हैं, उन सबमें जो करोड़ों रुपयों का घपला हुआ है उसमें केवल प्रान्त की सरकार और आप लोग ही नहीं परन्तु आपके हाइकमाण्ड के लोग भी उस भ्रष्टाचार में शरीक हैं, शिरकत करते हैं।

जिन पर हमने आरोप लगाया है कि वे इस सारे भ्रष्टाचार के काण्ड में शरीक हैं। उन्होंने क्या पत्र लिखा है आप जरा सदन के पटल पर तो रखिये हम भी देखें। हमें पता नहीं है। राष्ट्रपति जी को पता नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि यह आपके और उनके बीच का मामला नहीं है। यह पार्टी का मामला नहीं है यह मध्यप्रदेश की पांच करोड़ जनता के हितों से सम्बन्धित प्रश्न है और इस प्रश्न

को हम जब तक पूरा न्याय पूरी जाँच नहीं करा लेंगे, तब तक छोड़ेंगे नहीं। इतना ही नहीं आपकी सरकार के खिलाफ इस एक वर्ष में और जो भ्रष्टाचारों की हमें शिकायतें मिली हैं उन शिकायतों को लेकर नये आरोप और नये चार्जेज को लेकर हम लोग राष्ट्रपति के पास फिर से जायेंगे और फिर आपकी सरकार के खिलाफ जाँच की माँग करने वाले हैं।

इस तरह से ज्ञानी जी से आप प्रमाण-पत्र ले लें और उसको मढ़ा करके अपने गले में टांगते फिरें और अखबारों में नाम छपाते रहें उससे आपका दामन बेदाग नहीं होगा। मैं फिर आपको चुनौती देता हूँ कि यदि साहस है तो प्रधानमंत्री जी को कहें कि कोई न्यायिक जाँच बिठायें। हम आरोप-पत्र के एक-एक शब्द को साबित करने के लिए जिम्मेदार हैं, इतना ही नहीं नये आरोप जो इसी सदन में हम देने वाले हैं उनको भी। लेकिन विधानसभा में न कहते हुए और अखबारों में कहें कि आरोपों से मुक्ति पा ली तो मुक्ति नहीं पाने वाले। सभापति महोदय, प्रदेश की बड़ी सफलता के पेज के पेज इसमें भरे हैं।

1650 मेगावाट की हमारी स्थापित क्षमता और 300-350 मेगावाट का उत्पादन 20 प्रतिशत, 25 प्रतिशत। म.प्र. के 30 साल के इतिहास में किसी सरकार के कार्यकाल में आप बता दीजिए कि स्थापित क्षमता का यह प्रतिशत कभी भी रहा हो।

श्री अजय नारायण मुशरान : अगर पटवा जी की इजाजत हो तो मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : इजाजत है।

श्री अजय नारायण मुशरान : सभापति महोदय, विद्युत के बारे में जब मैं अपना उत्तर दे रहा था तो पटवा जी ने उसको सुनना जरूरी नहीं समझा। मैंने प्रतिदिन के हिसाब से कहा था कि किस दिन कितने मेगावाट दरअसल उत्पादन हुआ है अगर आपको 5 बजे के बाद समय हो तो आप देखने का कष्ट करेंगे और उसके बाद कल जो आप आज बोल रहे हों उसमें संशोधन करेंगे। अगर आप अभी 10 मिनिट बाद देखना चाहें तो देख लें कि कितने-कितने दिन 900 से 800 के बीच, 700 से 600 के बीच, 600 से 500 के बीच में हुआ। 350 मेगावाट मुश्किल से एक दिन हुआ है और उस एक दिन को आप कृपा करके यह नहीं बतायें कि लगातार 350 मेगावाट होता रहा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आपने कम से कम एक दिन हुआ यह तो कबूल किया, इतना और कबूल कर लें कि टोटल फैल्युर.....?

श्री अजय नारायण मुशरान : टोटल फैल्युर सिर्फ कुछ ही घंटे हुआ है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : म.प्र. के बिजली उत्पादन के 30 वर्ष के इतिहास में इस प्रकार की घटना निकाल कर बता दीजिये।

श्री अजय नारायण मुशरान : 30 वर्ष में ढाई साल आपका राज रहा यह भी एक घटना है। घटनाएँ तो होती हैं। कभी-कभी यंत्र खराब हो जाते हैं। यह एक तकनीकी बात है। आप मेरी बात मान लें। मेरी मजाक को बुरा न मानें। आप कहें तो मैं माफी माँग लेता हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : यह भी एक दुर्घटना है कि आप बंदूक छोड़कर राजनीति करने लगे। आप पधारे, आपके चरण पड़े और यह सब बण्टाढार हो रहा है। अब इसको दुर्घटना कहें, घटना कहें, तथ्य कहें, टोटल फैल्युर हुआ है। मुझे इसका रंज नहीं है। एक दिन हुआ दस दिन हुआ इससे मतलब नहीं है। आपकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई। आपके पास इसका क्या जवाब है। आपके मंत्रीमंडल ने फैसला किया था कि साढ़े बीस घंटे रोज किसानों को बिजली देंगे लेकिन नहीं दे पाये। प्रदेश के लाखों मजदूरों की क्या स्थिति है इस पर आपका क्या जवाब है, क्यों अंधेरा हो गया?

लेकिन इसका क्या प्रभाव हुआ है। आपके अंदाज से भी बाहर की बात है। सभापति महोदय, मैं जिस नई टेक्नीक की बात कर रहा हूँ, आपने जो तरक्की की बातें की हैं, राज्यपाल महोदय से अपने अभिभाषण में कहलवाई हैं, उसमें कानून व्यवस्था के बारे में प्रभावी ढंग से लोगों की जान माल की सुरक्षा और आश्वासन के बारे में एक शब्द नहीं है। प्रदेश के विकास का आपने बड़ा जिक्र किया है। आप स्वयं कबूल करते है।

प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में नर्मदा घाटी विकास योजना के संबंध में इस प्रदेश की विधानसभा का सर्वसम्मति का प्रस्ताव आपने स्वयं स्वीकार किया। वार्षिक आयोजना के बारे में आपने स्वीकार किया। 725 करोड़ रुपया वार्षिक आयोजना का इस प्रदेश के अगले वर्ष के लिये स्वीकृत कराया है। श्री मथुराप्रसाद दुबे जो भाषण कर रहे थे, यह वार्षिक आयोजना किसकी है, इसको जारी करवाने का आपने कभी प्रयास नहीं किया, किन्तु योजना

बनाने के लिये आपकी प्रॉयरटी क्या है, उस पर विधानसभा में कभी विचार नहीं हुआ। आपने 13 प्रतिशत वृद्धि करके उन आंकड़ों को बताने की कोशिश की है, मूल्य वृद्धि कितनी बढ़ गई है, आपको अंदाजा है।

गत वर्ष भी मैंने फिगर दिये थे 25 प्रतिशत हमारी वार्षिक योजना के नाम पर किया गया है, मूल्य वृद्धि का लगाइये तो इस वर्ष भी गत वर्ष की तुलना में हमारी योजना का जो भौतिक मूल्य है, भौतिक उपलब्धियाँ हैं वह पीछे रह गई हैं। जहाँ तक नर्मदा घाटी के विकास का सवाल है, नर्मदा घाटी के विकास की ओर भी शासन ने ध्यान दिया है और विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं और बेसिन प्लानिंग एजेन्सी के गठन पर विचार किया जा रहा है। अभी तो बेसिन प्लानिंग को गठित होना है, यह कब गठित होगी? विश्व बैंक के सामने कब जायेगा और कब काम शुरू होगा? आप तुलनात्मक दृष्टि से नजर उठायें। गुजरात के काम की तरफ। गुजरात ने एक्चुअल वर्क शुरू कर दिया, हमारे हिस्से का जितना पानी देना है वह भी हम समय पर युटिलाईज नहीं कर पायेंगे, वह भी गुजरात ले जायेगा।

आपने मुझसे परामर्श करने की बात कही। मैंने जो फिगर दिये थे उससे भी आप नीचे चले गये, गुजरात और बिहार के साथ जितने शिलान्यास किये और उन समझौतों का जितना कटु अनुभव है उन सबको ध्यान में न रखते हुए भी समझौता किया है। विकास के इस एक वर्ष में मध्यप्रदेश को इतना पीछे धकेल दिया है कि उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। आपका सारा समय तो अपने अस्तित्व की रक्षा में चला जा रहा है, आपकी पार्टी जिस प्रकार से चल रही है, आपकी सरकार जिस प्रकार से चल रही है, आपका समय जिस तरह से जा रहा है उससे प्रदेश के विकास की तरफ और इस प्रदेश की पाँच करोड़ जनता के जीवन को आश्वस्त करने की तरफ कितना समय है? एकीकृत ग्रामीण विकास सारा ठप्प पड़ा है।

ओला वृष्टि पर बहस हुई। आपके राजस्वमंत्री ने जो आंकड़े दिये उससे वस्तुस्थिति सामने आ गई। 12 करोड़ रुपया आपने इसके लिये रखा था, इसमें से 9 करोड़ रुपया खर्च होना शेष है। 3 करोड़ रुपया खर्च कर पाये हैं साल भर में और 9 करोड़ खर्च करेंगे। 31 मार्च के पहले यह राजस्व मंत्री कहते हैं। एक महीने में कितना खर्च करेंगे किस मद में करेंगे? सारे ग्रामीण विकास के कार्यक्रम ठप्प पड़े हैं। आप पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, पैसा खजाने में नहीं है। आज भी ओव्हर ड्राफ्ट में सरकार चल रही है, टैक्स बढ़ाने के बाद भी रेव्हन्यू बढ़ाने के बाद भी ओव्हर ड्राफ्ट में चल रही है, सारा खजाना जा रहा है, भ्रष्टाचार में लुटा रहे हैं।

तेंदू पत्ता कांड की स्याही सूखी नहीं थी, वेदराम जी नहीं हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, हर्रा कांड हो गया। 12 वर्ष के लिये इस प्रदेश का सारा हर्रा जितने हमारे पास टेण्डर आये, कोटेशन आए जितनी प्राइज मिलने वाली थी उसका एक तिहाई से भी कम कीमत में 12 वर्ष के लिये कलकत्ता की एक फर्म को लुटा दिया। अब वह कलकत्ता की फर्म के पीछे कौन है? आपकी पार्टी में बड़े नेता, एम.पी. साहेब युवा नेता सब कुछ थे? आपकी मजबूरियाँ थीं, यह मैं जानता हूँ। परन्तु आपकी पार्टी में आपकी कुर्सी बनी रहे, इस मजबूरी के कारण आप इस प्रदेश के सारे हितों को गिरवी रख दें, लुटा दें, और भ्रष्टाचार में बरबाद कर दें इसकी इजाजत प्रदेश की 5 करोड़ जनता कभी नहीं दे सकती। मुख्यमंत्री जी, मैं इस फेल्योर के ऊपर जिस बात की चर्चा कर रहा हूँ अभी माननीय सदस्य श्री चतुर्वेदी जी ने हमारे बारे में कुछ आरोप किये।

आपकी सारी तरक्की के कदम उस ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप जो यह कह रहे हैं कि हम आपकी तरक्की में बाधा कर रहे हैं तो हम पूछना चाहते हैं कि हमने कहाँ बाधा पहुँचाई है, यह बताया जाये आपकी सरकार में व्यापारियों से लेवी लेने के नाम पर किसानों के घरों में घुसकर 130 रुपये क्विंटल के भाव से जबरन गेहूँ वसूल किया। यह फिगर्स बता रहे हैं। व्यापारियों से जितनी लेवी लेना थी वह उनसे नहीं ली गई। आपने बाई फोर्स बाई प्रेशर किसानों से गेहूँ वसूल किया। आपका वह 130 रुपये वाला गेहूँ आज बाजार में किस भाव के बिक रहा है? अभी आप चक्का जाम आन्दोलन की बात कर रहे थे।

चक्का जाम आंदोलन हम करें तो वह समाज विरोधी कार्य हो जाता है और आप जब मेरी जगह बैठे थे और हम आपकी जगह बैठे थे तब नर्मदा न्यायाधिकरण जब भोपाल आया था तब आप उस वक्त खलघाटा जाम

करने गये थे तब मैं आप से पूछना चाहता हूँ, कि क्या वह आपका कार्य समाज के हित में था या समाज विरोधी था? आपने बसों के टायर फोड़े, कांच फोड़े और बसों में आग लगा दी, तब आपका काम क्या समाज हित का था? आपकी पार्टी बंगाल में मोटर किराया बढ़ाये जाने पर आंदोलन कर रही थी उस पर से उसने बस को आग लगा दी और जिसमें 8 लोग जिन्दा जल मरे तो क्या यह आन्दोलन समाज के हित में था? हम तो शांतिपूर्ण तरीके से निहत्थे होकर सड़क पर धरना देकर बैठे तो वह समाज विरोधी कार्य हो गया। आपके पास फौजदारी कानून है, आपके पास पुलिस है वह आये और हमें पकड़ ले व गिरफ्तार कर ले जेल में डाल दें।

हम पर मुकदमा चला दीजिये, सजा करवाइये हम कानून को तोड़ने के लिये ही आन्दोलन करते हैं तो आप कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं करते? लेकिन सभापति महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो अब एक नई स्टाईल शुरू कर दी है। एक नई टेकनीक निकाली है। वल्लभ भवन में बुलाकर बैठक कर ली जाती है, और निर्देश दिये जाते हैं कि टूट पड़ो, कुचल दो। आपकी पार्टी के एक नेता नीमच में किस बात के लिये आंदोलन को कुचलने गये थे?

श्री रघुनंदन प्रसाद वर्मा : गलत, बिल्कुल गलत है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अभी तो आप ब्लड प्रेशर को देखें।

(सभापति जी द्वारा समाप्ति की घंटी बजाये जाने पर) सभापति महोदय आपने सवा घंटे के लिये इनीशिएट करने के लिये समय दिया था और आप मुझे बार-बार मना कर रहे हैं। चार बार आप मुझे मना कर चुके हैं। यदि आप मना करते हैं तो मैं बैठ जाता हूँ।

सभापति महोदय : मैं तो आपको समय पर ध्यान रखने के लिये कह रहा हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : 15 मिनट तो मेरे इन्टरप्शन में ही निकल गये। फिर भी मैं संक्षेप में और थोड़े से समय में अपनी बात समाप्त कर दूँगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि मुख्यमंत्री जी के उकसावे के कारण ही उनकी पार्टी के लोगों ने जगह-जगह पर हमले किये। नीमच में किसान मोर्चे पर हमले किये गये और हमारी पार्टी के श्री खुमानसिंह जी शिवाजी की आँख को चोट पहुँची है जो इंदौर के एम.वाय. हास्पिटल में इलाज करवा रहे हैं। इस घटना में आपकी पार्टी के लोगों का हाथ था। आपकी पार्टी के जो एक नेता थे जिसको सरकार ने जिलाबदर कर रखा था। उसे आंदोलन को कुचलने के लिये एक सिपाही नेता बनाकर भेजा था। ऐसी हालत में मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी के माननीय सदस्य इस प्रदेश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? आपकी सरकार ने उस व्यक्ति को मंदसौर से जिलाबदर किया। श्री देवेन्द्र परिहार को जिलाबदर किया। उसके बाद वह व्यक्ति कहाँ गया, वह नीमच से भोपाल में आता है और भोपाल में आपकी पार्टी के जो एक माननीय सदस्य कह रहे थे उनके घर में, बंगले में निवास करता है। (शेम शेम)

सुनिये। सुनिये, जरा ध्यान से सुनिये। उनके बंगले में निवास करता है वह जिलाबदर व्यक्ति। मैंने जिला बदर नहीं किया। आप उस पर जिलाबदर का मुकदमा चलाइये, जेल में डालिये। एक नेता के घर में 6 महीने तक रहकर वेश्याओं के डेरे में; घुसकर बलात्कार करवाता है।

श्री रघुनन्दन प्रसाद वर्मा : सरासर असत्य है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : वह व्यक्ति आपके द्वारा दिए हुए माननीय सदस्य के बंगले पर विराजमान है। यहाँ से कलेक्टर के जिलाबदर के आदेश को स्टे किया गया। उसका भी जुडिसियरी एक्जीक्यूटिव प्रोसीजर है, परन्तु उसको कैसे स्टे किया, मुझे पता नहीं? उसके बाद उसको नीमच विदा करना था, तो आप महाशय रोडवेज के चेयरमेन हैं और वह व्यक्ति पैदल चल कर बस स्टेंड जाए इतना आपको गंवारा कैसे हों, इसलिए भोपाल-नीमच बस में उस जिलाबदर गुण्डे को बैठाने के लिए आपके बंगले पर आपकी पार्टी के नेता उस बस में तिलक लगाकर उस बहादुर आदमी को विदा कर रहे हैं और ऐसे तत्वों को आप संरक्षण देकर अपनी पार्टी को कहाँ ले जा रहे हैं? ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। नीमच में शिवाजी के साथ, रतलाम में श्री हिम्मत कोठारी की जान लेने के लिए हमला किया, लवेड़ में रोडवेज की एक बस चढ़ाकर उनकी जान लेने का प्रयास किया गया, सागर में हमारी पार्टी के महेन्द्र कुमार मलैया के घर पर सैकड़ों लोगों ने हमला किया।

श्री प्रेम नारायण मिश्र : यह कहाँ तक सच है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : और इस सबके बाद मुकदमे उन्हीं पर चलाए जा रहे हैं जिन पर हमले हुए। किसान आंदोलन गौरी पलासा से शुरू हुआ गोलीकाण्ड यहाँ पर हुआ, उसके बाद मुकदमा देवीलाल पाटीदार पर, उनकी जान लेने की कोशिश की गयी। सभापति महोदय, इन्होंने अपने भाषण में उत्पादन वर्ष का उल्लेख किया। लेकिन यह बिजली की व्यवस्था करके कितना उत्पादन बढ़ाएँगे।

इस वर्ष उज्जैन के विनोद मिल और विमल मिल तथा होप टैक्सटाइल मिल भी बंद हो गए उस मिल को बंद करवा के उत्पादन करवा रहे हैं? लोकसभा सदस्य श्री सत्यनारायण जटिया द्वारा दस हजार लोगों की गुहार लेकर आंदोलन किया गया— रेलें रुकीं, सत्याग्रह आंदोलन समाप्त हो गया और सब लोग बिखर गए। तब वह वापिस आ रहे थे तो उज्जैन के एस.पी. अपने पुलिस कर्मचारियों के साथ उन पर टूट पड़े। पाँच घन्टे तक उन्हें पुलिस वालों ने मारा और लोकसभा की विशेषाधिकार भंग समिति को विचार के लिए वह मामला चला गया।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : सभापति महोदय, जब माननीय विरोधी दल के नेता यह स्वयं कह रहे हैं कि लोकसभा में विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव रखा गया और वह मामला लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के विचाराधीन है, तो फिर उसके मेरिट्स पर यहाँ विचार करना कहाँ तक औचित्यपूर्ण है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं तो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि गृह मंत्री जी ने लोकसभा में कहा है.....

श्री अर्जुनसिंह : वह तो जब रिपोर्ट आ जाएगी तब मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : गृह मंत्री जी ने लोकसभा में कहा है कि हम मध्यप्रदेश की सरकार से न्यायिक जाँच कराने के लिए अनुरोध करेंगे। परन्तु उसके बाद आपकी सरकार न्यायिक जाँच तो दूर उस मामले पर कुछ भी एक्शन लेने को तैयार नहीं हैं। सागर में विद्यार्थी, छात्राएँ आए, वे आपको ज्ञापन देना चाहते थे लेकिन आपने उन पर गोलियाँ चलवाईं। लोकतांत्रिक तरीके से लोग अपनी बात कह सकें, यह भी आपको गवारा नहीं है। इस सरकार को आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। विनोद और विमल टैक्सटाइल मिल बंद हैं।

जिस समय जनता सरकार सत्तारूढ़ हुई उस समय इंदौर की टैक्सटाइल मिल महीनों से बंद थी। लेकिन जनता सरकार ने डेढ़ महीने के भीतर 60 लाख रुपये की राज्य के खजाने से व्यवस्था की। सेन्ट्रल गवर्नमेंट इसको टेकओवर करेगी या नहीं इसकी बिना चिंता किए डेढ़ माह के भीतर स्टेट टैक्सटाइल मिल को टेकओवर किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जनता सरकार ने उस मिल को चलाया और एक लाख रुपये प्रति माह का मुनाफा दिया। डा. राजेन्द्र जैन साहेब यहाँ पर बैठे हैं, महीनों हो गए इन दोनों मिलों को बंद हुए 19 करोड़ रुपया उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। विमल मिल लेटेस्ट यूनिट है, पूरा आटोमाइजेशन उसमें है। एक्सपोर्ट क्वालिटी उसमें तैयार होती है वह भी आज बंद है।

19 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट तो पता नहीं कहाँ गया पर साढ़े तीन करोड़ रुपया मजदूरों का जो प्रावीडेन्ट फण्ड व ग्रेच्युटी का पैसा है वह भी हजम करके उसके मालिक चले गए हैं। मिल बंद है और मुझे पता नहीं कौन-सा कानून किसके खिलाफ लागू हो रहा है। प्रॉवीडेन्ट का पैसा अगर मालिक खा जायें तो फौजदारी कार्यवाही उसके ऊपर होनी चाहिये। अब यह सरकार कहाँ बैठी है, क्या कार्यवाही कर रही है?

इन्दौर के होप टैक्सटाइल की बात आपने कही, एक नये समझौते का बयान आपने पढ़ा है, बिल्ली फिर से थैले के बाहर हो गई, सुरेश सेठ साहब जब मिनिस्टर थे और उन्होंने होप टैक्सटाइल के आसपास की जो जमीन है, उस यूनिट के आसपास की वह भी उनको दे दी। हमने यह सवाल उठाया था कि जमीन देने की जरूरत नहीं करोड़ों की जमीन थी, आपने उसको कैंसिल कर दिया। यह नहीं शायद लेनदेन का क्या झगड़ा हुआ। बंटवारा ठीक से हुआ कि नहीं हुआ कि अकेले अकेले मामला हो गया। पूरा समझौता ठीक ठाक नहीं हुआ, अब समझौता हो गया, यहाँ भी हो गया, दिल्ली में भी हो गया, सब जगह हो गया। अब उस मिल को बन्द करवाकर सब दूर बेकार न हो यह बहाना लेकर इस पर्दे के पीछे आप फिर से वही शिकार खेलना चाहते हैं। वह करोड़ों की जमीन जो केवल इण्डस्ट्रियल उपयोग के लिए उस कम्पनी को दी गई है।

अगर उस परपज में नहीं ले रहे है, आप अधिग्रहण कर सकते हैं आप ले सकते हैं परन्तु 60 और 40 के बेसिस पर वह जमीन मिलकियत में उसको दे दी जावे जबकि 200/- 300/-रु. स्क्वायर फीट में उस जमीन का कोई भी आँख मींचकर दे सकता है, करोड़ों की वह जमीन आपको जितनी मिलने वाली है यह पार्क व रोड्स में आप डेवलप करेंगे उनको जितनी मिलने वाली है वह करोड़ों रुपया उसमें कमाकर कितना उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और कितना नहीं करेंगे यह तो बाद की बात है। मुख्यमंत्री जी आपके उद्योग मंत्री के बयान में यह आया है कि मेजोरिटी डायरेक्टर्स उसमें गवर्नमेंट के रहेंगे। और आपको पता है शायद कि नहीं है कि जितने रुपये में बिक्री हुई है एक्चुअल कितना कन्सीडरेशन है कितना रजिस्ट्रेशन का होता है यह आप भी जानते हैं।

मैं भी जानता हूँ, डाक्टर राजेन्द्र जैन भी जानते हैं, भेड़िया साहेब भी जानते हैं। वह जो ऊपर का कन्सीडरेशन है वह इसकी जेब में जाएगा और उसमें से कितना कहाँ-कहाँ बंटेगा इसका हिसाब आप इस सदन को बता सकते है, प्रदेश की जनता को बता सकते हैं और यह जो आपने फिर से दुबारा वही खेल खेलने की कोशिश की है इसमें भ्रष्टाचार, घोटाले और इस प्रकार के धन्धे आपने करके सारे प्रदेश का खजाना खाली कर दिया है। और ये जितने आपने विकास के काम के लिए 20 पन्ने रंगे हैं उसमें आंकड़ों की जगलरी के सिवाय और कुछ नहीं है। अब वे हमारे मित्र बड़े उछल रहे थे। सभापति महोदय, केवल पांच मिनिट में अपनी बात कहकर समाप्त करना चाहता हूँ।

वाट इस दी टेस्ट? मापदण्ड क्या है? हमारे मित्र चतुर्वेदी जी भाषण करके कह रहे थे जनता ने इनके सब आन्दोलनों को फैल कर दिया, नकार दिया, पता नहीं अपने हाथ से अपने सिर पर सेहरा बांधते थे, किस जनता ने नकार दिया? आसमान की जनता ने?

श्री रामरतन चतुर्वेदी : प्रदेश की जनता ने पटवा जी।

श्री सुन्दरलाल पटवा : और छतरपुर के पास सागर है, टीकमगढ़ के पास सागर है, एकाध जगह खाली करवा दें तो वहाँ भी बता दें। किस जनता ने किया है। सभापति महोदय, किस जनता की बात कर रहे हैं, किस हवा की बात कर रहे हैं। सागर में आपने क्या नहीं किया। कोन्टा में आपने क्या नहीं किया? गये साल इन्दौर में आपने क्या नहीं किया? सत्तन जी बैठे हैं यहाँ। कोन्टा में 103 वोट से हम हारे। हारे नहीं हराये गये आपकी पार्टी का केन्डीडेट तय करने वाली मीटिंग में शरीक हुए सागर के डी.आई.जी.। सभापति महोदय, बिना किसी प्रमाण के कभी इस प्रकार का आरोप करने की मेरी आदत नहीं है परन्तु जब मैंने स्वयं जाकर देखा (व्यवधान) आप जिस तहसील के लिये कूद रहे हैं, उस वण्डा थाने में, अरे सुनिये महाराज। (व्यवधान)

श्री विक्रम वर्मा : जहाँ कांग्रेस के लोगों ने भोजन किया वहाँ जो डी.आई.जी. मौजूद थे। जिनका नाम यहाँ लिया गया, उनका नाम लेते ही मिश्रा जी खड़े हो गये। दो महीने तक वह एस.पी. थे उनका प्रमोशन हुआ और जब उनका प्रमोशन हुआ तो रैली निकली। हरेक थाने के दरोगा से कहा गया वह सब आयें और इस प्रकार उनके स्वागत में रैली निकली। (व्यवधान) और इनके ऊपर रैली का भूत चढ़ गया। सभापति महोदय, सागर के चुनाव के सम्बन्ध में नई दुनिया में जो टिप्पणी छपी वह बताना चाहता हूँ। वहाँ के रेस्ट हाउस वाले ने बताया की ये लोग वहाँ एक दो महीने और रह जाते तो सागर से मुर्गे की नस्ल खत्म हो जाती।

(व्यवधान)

श्री प्रेमनारायण मिश्र : सभापति महोदय, माननीय सदस्य अखबार के आधार पर कह रहे हैं। .....(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : सभापति जी किस प्रकार से इन्होंने अपनी सारी सरकार को चुनाव में झोंक दिया। शासन तंत्र का, प्रशासन के साधनों का असामाजिक तत्वों का, अफसर और कर्मचारियों का, बुरी तरह से यूटीलाईजेशन और मिसयूज किया और इस प्रकार सभापति जी, इन्होंने प्रजातंत्र के नाम पर कालिख पोती और उसके बाद भी वहाँ की जनता ने जो कुछ जवाब दिया उससे चतुर्वेदी जी अपनी आँखें खोले और उस जवाब को देखे और अपने मुख्यमंत्री जी को वह जवाब बतायें और यहाँ बैठे हुए बंडा से चुनकर आये, कूदने वाले महानुभाव से फिर कहूँगा कि वह सेहरा अपने सिर बांधे बंडा के डाक बंगले में हमारे प्रदेश के गृह राज्य मंत्री स्वनाम धन्य यहाँ बिराजे हैं रात के 12 बजे वहाँ बैठक की जिसमें डी.आई.जी. श्री पाठक को बुलाया और बरायठा के ग्राम पंचायत के पंच

हमारी पार्टी के कार्यकर्त्ता श्री इंदरसिंह बुंदेला को बुलाया। (व्यवधान)

श्री प्रेमनारायण मिश्र : सागर से बुलाकर देख लें, माननीय पटवा जी सत्य तो बोलें, ... (व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : सभापति जी अगर अबकी बार मिश्रा जी मेरे भाषण को डिस्टर्ब करने को खड़े हुए तो मैं मुख्यमंत्री जी के भाषण का एक शब्द भी सदन में सुनने नहीं दूँगा। यह कोई तरीका है? इस तरह क्या मुझे 25 बार टोकेंगे? (व्यवधान)

श्री प्रेमनारायण मिश्र : आप इस प्रकार धमकी देकर हमें डराना चाहते हैं। (व्यवधान)

सभापति : माननीय सदस्य इस तरह आपस में कृपया बात न करें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : सभापति जी, मैं पूरी ताकत के साथ यहाँ जवाब दूँगा यह मेरा अधिकार है.....

सभापति : (श्री प्रेमनारायण मिश्र के खड़े होने पर) माननीय सदस्य कृपया बैठें और पटवा जी को अपना भाषण देने दें।

श्री विक्रम वर्मा : सभापति जी, और कोई वरिष्ठ सदस्य तो बोल नहीं सकता केवल यही इनके पक्ष में बोलने के लिये रह गये हैं। .... (व्यवधान) सभापति जी यह तो बैंक की गाड़ी और भत्ता बोल रहा है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : क्या यही तरीका है। मुझे बोलने का पूरा अधिकार है। और बंडा में मैंने जो कुछ देखा उसके सम्बन्ध में मैं पूरी ताकत के साथ बोलूँगा भले ही यह कितना भी चिल्लायें। यह मेरी आवाज दवा नहीं सकते।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : आपको बोलने का पूरा अधिकार है। आप बोलें इससे कोई इन्कार नहीं करता।

श्री विक्रम वर्मा : कैसे बोलें? आपने यहाँ अपने सिपहसालारों की फौज एकत्र कर ली है। आप उनको समझा लीजिये।

श्री अर्जुनसिंह : आपकी तरफ ही यह दक्ष और सिपहसालार है। यहाँ हमारे यहाँ सब साथी हैं।

डॉ. गौरीशंकर शेजवार : माफ करना (××)

श्री विक्रम वर्मा : हम तो जानते हैं। (××) रचनात्मक दिशा तो है ही नहीं आपके तौर तरीके चल रहे हैं वे इसी प्रकार की हरकतें कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

सभापति : वर्मा जी बैठिए।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि कोई भी किसी सदस्य के संबंध में डायरेक्टली कोई बात कहेगा क्योंकि वह उनका निर्वाचन क्षेत्र है और जब यह आरोप लगाया जाये कि डाकुओं की मदद उन्होंने ली तो क्या माननीय सदस्य को उसका खण्डन करने का अधिकार नहीं है? मैं यह मानता हूँ।

श्री विक्रम वर्मा : अपने वक्तव्य में बोल लीजियेगा यहाँ बचकर आप कहाँ जावेंगे?

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : मैं जो बोलूँगा परसों सुन लीजिये।

श्री विक्रम वर्मा : स्पष्टीकरण के लिये समय मिलेगा?

श्री अर्जुनसिंह : एक बार नहीं दस बार।

श्री विक्रम वर्मा : लेकिन यह कोई तरीका है? एक बात कही जा रही है उसमें हर मिनिट पर इन्टरप्शन।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : जहाँ तक आपकी कृपा का सवाल है आपकी कृपा न हो तो अच्छा है।

श्री विक्रम वर्मा : बिना तथ्यों के बीच में नहीं बोलता। सारे तथ्यों के साथ बात रखता हूँ।

डॉ. राजेन्द्र जैन : पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आपका संरक्षण चाहता हूँ और उनका ध्यान नियम 251 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि नियम में स्पष्ट है कि जब कोई विधायक या सम्माननीय सदस्य बोलेगा तो व्यक्तिगत आरोप नहीं लगायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूँ कि प्रतिपक्ष के नेता जिनका हम सम्मान करते हैं कम से कम उनसे नियमों का पालन करा सकेंगे तो यह स्थिति नहीं आयेगी।

श्रीमती जया बेन : अध्यक्ष महोदय, (× ×) इन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

सभापति : असंसदीय होगा तो निकाल दिया जायेगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : सभापति महोदय, विधि राज्यमंत्री ने मुझे नियम बता दिया, नियम की ओर ध्यान दिलाया उसके लिये उनका बहुत धन्यवाद। जब कोई सदस्य बोलता है और जब तक वह इजाजत न दे या न बैठे तब तक इन्टरप्शन नहीं किया जायेगा यह नियम अपने माननीय सदस्यों को बता दें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। जब इंदरसिंह बुन्देला को डी.आय.जी. ने बुलाया, बैठक में स्वयं यह कहा गया है, देखो, प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर हैं इन्दरसिंह तुम भी ठाकुर हो। तो उन्होंने कहा तो क्या लड़के-लड़की के संबंध का मामला है? क्यों ठाकुर की बात कर रहे हैं, गृह राज्यमंत्री वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि तुम कांग्रेस में शामिल हो जाओ, नहीं तो इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। यह सुनने के पश्चात.....

श्री हजारीलाल रघुवंशी : यह असत्य बयान है। बण्डा रेस्ट हाउस में मैं उपस्थित नहीं था।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप तो यह कहोगे ही। अब एक और प्रकरण है धार के सत्र न्यायालय का। धार के सत्र न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 183/81 के फैसले की प्रतिलिपि पेश कर रहा हूँ, सदन के पटल पर रखता हूँ। उसका एक पैरा पढ़कर सुनाता हूँ। आप देखें पैरा 19 कहता है कि उपनिरीक्षक जे.एस. गंभीर, उप निरीक्षक भूपेन्द्र सिसोदिया, कोकसिंह, शंभूसिंह, राजेन्द्र सिंह तथा मेरू के उपरोक्त कथनों से स्पष्ट हो जाता है कि अभियोगी शंभूसिंह तथा कोक सिंह आपराधिक प्रवृत्ति के शराबी, झगड़ालू, गुण्डे हैं और उनको विधायक श्री माथुर और उनके भतीजे विजय माथुर का संरक्षण प्राप्त है और विधायक श्री माथुर विजय माथुर तथा कोकसिंह एक ऐसी राजनैतिक पार्टी के सदस्य हैं जिसका मध्यप्रदेश में शासन है इसलिए पुलिस वाले उनसे डरते हैं और प्रशासन में उनके भ्रष्ट हस्तक्षेप को डर के कारण बर्दाश्त करते हैं।

मेरी राय में यदि सत्ताधारी पार्टी के लोगों के इस प्रकार भ्रष्ट हस्तक्षेप को बरदाश्त करके पुलिस अधिकारियों को ईमानदारी से काम करने का मनोबल गिराया जाता है तो एक दिन वह आएगा जब अधिकतर पुलिस अधिकारी डर के कारण भ्रष्ट हो जावेंगे और ईमानदारी से कार्य नहीं कर सकेंगे और फिर जनता का पुलिस तथा प्रशासन से विश्वास समाप्त हो जावेगा और फिर गुण्डों के द्वारा सताये गये लोग सहायता के लिए पुलिस के पास नहीं जायेंगे और स्वयं गुण्डों से बदला लेंगे और समाज में तनाव पैदा होगा और ऐसी स्थितियाँ मध्यप्रदेश में भी पैदा हो जावेंगी कि यहाँ उत्तरप्रदेश के देवली तथा साधुपुर जैसे हत्याकाण्ड होना प्रारम्भ हो जावेंगे। मेरी राय में मध्यप्रदेश शासन को शीघ्र ही सचेत हो जाना चाहिये और यह देखना चाहिए कि राजनैतिक नेता पुलिस प्रशासन में हस्तक्षेप करके पुलिस अधिकारियों का ईमानदारी से काम करने का मनोबल न गिराने पावें।

पैरा 20, यह बड़े दुख की बात है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उप निरीक्षक पुलिस जे.एस. गंभीर को राजनैतिक नेताओं के हस्तक्षेप से नहीं बचाया और उसको ईमानदारी से काम करने के लिए राजनैतिक प्रभाव में आकर निलंबित किया और उसके विरुद्ध झूठी विभागीय जाँच चला उसको परेशान कर रखा है।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/13 फरवरी 1982, पृष्ठ/ 304-315)

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर आज विशेष परिस्थिति में हमारे विरोधी पक्ष के नेता अनुपस्थित हैं, और उन्होंने यहाँ पर अनुपस्थित रहने के बारे में हम सबको जानकारी भी दी है इसलिए इस सम्बन्ध में, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। उनके अनिवार्य कारण से यहाँ न रहने के, लेकिन थोड़ा-सा हमें कुछ बोलने में हिचकिचाहट इसलिए हो गई, जो बातें उन्होंने सीधे तौर से कही हैं, अब मैं किसे सम्बोधित करके कहूँ।

श्री बाबूलाल गौर : माननीय जोशी जी को संबोधित कर कह सकते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मैं माननीय बाबूलाल गौर जी का अत्यधिक सम्मान करता हूँ, उन्होंने कहा भाई कैलाश जी को संबोधित करूँ, आपकी अनुमति से उन्हें इस वक्त विरोधी दल का नेता मानते हुए कहता हूँ।

श्री बालकवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय का सवाल नहीं है, मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि उन्हें हमेशा के लिए कैलाश जोशी जी को नेता मानना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : आपके मानने से क्या होगा?

श्री विक्रम वर्मा : बैरागी जी बहुत बढ़िया बात बोली। कैलाश जोशी जी को हम सब लोगों को नेता मानना पड़ेगा, मैं स्वागत करता हूँ।

एक माननीय सदस्य : मैं समर्थन करता हूँ।

श्री बालकवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल में ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं कि कैलाश जोशी जी को इस दल का नेता मानना पड़ेगा।

श्रीमती चन्द्रकांता खोड़े : अध्यक्ष महोदय, जोशी जी सो तो नहीं रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय विक्रम महाजन, विरोधी पक्ष के नेता का फैसला कर लीजिए, इधर नहीं उधर भेजिए।

श्री बाबूलाल गौर : माननीय मुख्यमंत्री जी वर्मा महाजन नहीं हैं, विक्रम वर्मा हैं, आप महाजन कहते हैं तो हमें दुविधा होती है।

श्री अर्जुनसिंह : महाजन एक विशेष संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है और जिसका हमारे भाई साहब ने सुन्दर विश्लेषण किया था, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं इस बात पर अपनी आपत्ति जाहिर करना चाहता हूँ कि विरोधी पक्ष ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का बहिष्कार किया, बिना इस बात की जानकारी लिए हुए कि उस अभिभाषण में क्या लिखा हुआ है। इतना ही नहीं राज्यपाल महोदय, से मिलकर उनसे यह आग्रह भी किया गया कि इस अभिभाषण में अमुक-अमुक बातों का उल्लेख करें और वे यदि उल्लेख नहीं करते हैं तो फिर उनके अभिभाषण का बहिष्कार किया जाएगा। वैसे आपकी पार्टी कुछ भी करने का निर्णय ले ले वह तो आपका अपना अंदरूनी मामला है।

श्री शीतला सहाय : हाथी-घोड़ा लाने का निर्णय नहीं करेंगे, आपको आश्वस्त करना चाहूँगा।

श्री अर्जुनसिंह : आपको हाथी-घोड़ा मिलेंगे कहाँ?

श्री शीतला सहाय : जागीरदारों के बहुत बिक रहे हैं आजकल।

श्री अर्जुनसिंह : वह आपको नहीं मिलेंगे, कोई दूसरा सरदार ले जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान में, जिसे इस देश के लोगों ने, सार्वभौमिक सत्ता, जिनके हाथ में है, इस देश के नागरिकों ने स्वीकार किया है, अंगीकार किया है, उसमें प्रत्येक अंग को, प्रत्येक तंत्र को, जिसके द्वारा हम इस देश में प्रजातंत्र का संचालन करना चाहते हैं, उसको निर्दिष्ट किया गया है, उसके अधिकार बताए गए हैं, और उसकी सीमाएँ बताई गई हैं और जब एक ऐसा दल, जो कभी शासन पर बैठ चुका है,वह जाकर राज्यपाल महोदय के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करे कि वे अभिभाषण में अमुक चीज डालें और उसको पढ़ें, तब मुझे संदेह होना स्वाभाविक है कि क्या सचमुच में वे संवैधानिक तरीके में काम करना चाहते हैं या उसके ऊपर निकलकर काम करना चाहते हैं। इसके अलावा वह बात तो अलग है कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को कितना मूल्य यह दल देता है, उसका विश्लेषण आगे चलकर करूँगा लेकिन संवैधानिक आपत्ति यह है कि आपको कोई अधिकार नहीं है यह कहने का कि अमुक बात अभिभाषण में लिखें या कहें क्योंकि आपने भी 3 अभिभाषण राज्यापल के इस सदन को सुनवाये हैं। यदि आपकी स्मरणशक्ति पूरी तरह से क्षीण नहीं हो गई है तो आपको स्मरण होगा कि उस समय की कौन-कौन घटनाओं का उल्लेख होना चाहिये था, किन-किन बातों का उल्लेख करवाना चाहिये था, लेकिन हम यह नहीं कह सकते थे क्योंकि संविधान के अनुसार राज्यपाल के अभिभाषण में शासन के द्वारा निर्धारित नीतियों का उल्लेख किया जाता है और उन नीतियों का निर्धारण चुनी हुई सरकार करती है और वह नीति प्रदेश में लागू होती है। इसके अलावा जहाँ तक राज्यपाल के अभिषण की गरिमा और उसके औचित्य को यह दल स्वीकारता और कायम रखता है, उसकी अपनी दूसरी कहानी है। लेकिन मात्र शिगूफेबाजी राज्यपाल के भाषण में न तो लिखी जा सकती है और न पढ़ी जा सकती है। उसकी संवैधानिक परम्परा है। इस सदन में उसी के अनुसार

पढ़ना पड़ता है, इसके हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं। वर्ना बहुत से काम इन्होंने ऐसे किये हैं जिनके बारे में किसी को कोई ध्यान नहीं है। 1977 में राज्यपाल से कहलवाया गया, तीन महत्वपूर्ण नीति-विषयक घोषणाएँ की गईं उनमें से एक यह है—

"मेरा शासन प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए कारगर कार्यवाही करेगा। केन्द्रीय लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक, 1971, के आधार पर मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त विधेयक, 1974 विधानसभा द्वारा पारित किया गया था जो अभी राष्ट्रपति की अनुमति के लिए विचाराधीन है। लोकसभा के हाल के चुनाव के बाद केन्द्र की नयी सरकार ने लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक को नये रूप में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। मेरा शासन इसी के अनुरूप राज्य के लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त विधेयक को भी यथासमय संशोधित करेगा।"

यह इनकी घोषणा थी। अब आपकी अनुमति ने इस घोषणा के बाद क्या हुआ वह प्राप्त अभिलेखों के आधार पर बताता हूँ। शीतला सहाय जी की स्मरण शक्ति धीरे-धीरे आ रही है कि राज्यपाल के द्वारा क्या भाषण दिलवाया था?

श्री शीतला सहाय : यथासमय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : यथासमय आपकी ओर से अनावश्यक था। 15 जुलाई 77 को राज्यपाल का भाषण हुआ। केन्द्र सरकार ने जो निर्णय लिया उसके सम्बन्ध में दिनांक 18-8-77 को तत्कालीन शासन के पास पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने उस विधेयक के बारे में इनकी राय माँगी। चूँकि इतने महत्व का विषय था, सार्वजनिक महत्व का विषय था और राज्यपाल महोदय के द्वारा सदन में घोषणा की गई थी इसलिए केवल उस पत्र का, जिसको केन्द्र सरकार ने 17-8-77 को लिखा था, उत्तर दिनांक 17-1-78 को दिया गया और उसमें यह लिखा गया कि हमें अपनी ओर से कोई सुझाव नहीं देना, जो आपने वहाँ अपना निर्णय कर लिया है वह हमें स्वीकार है और उस प्रावधान को लागू कर दीजिये। उसके 15 दिन बाद हमारे रमाशंकरसिंह जी ने कुछ गड़बड़ की होगी या तो इन्होंने कुछ उथल-पुथल मचाने की कोशिश की होगी या जिस विषकन्या की बात कहते हैं उसके स्वरूप के दर्शन किये होंगे.....

श्री रमाशंकरसिंह : साक्षात् दर्शन तो मैं अभी भी कर रहा हूँ।

श्रीमती चन्द्रकान्ता खोड़े : मोहनी है, विषकन्या नहीं है।

श्री रमाशंकरसिंह : विषकन्या भी मोहनी होती है, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले विषकन्या शत्रुओं में भेजी जाती थी लेकिन अब अपनी पार्टी वालों के पास भेजी जाती है।

श्री अर्जुनसिंह : 30-1-78 को मध्यप्रदेश शासन ने लिखा है कि कृपा करके उस विधेयक को अभी महामहिम राष्ट्रपति की कंसेंट न दी जाये, हमें पुनर्विचार करना है, वापस कर दिया जाये। वह वहाँ से वापस आ गया इसके पुनर्विचार के लिए 7-3-78 को। 7-3-78 से इस महत्वपूर्ण विषय जिसके बारे में राज्यपाल महोदय से अभिभाषण में कहलवाया था— यथासमय 16-10-79 को। मंत्रिमंडल की निद्रा टूटी और विचार किया गया, क्योंकि विधानसभा का सेशन आने वाला था 25 तारीख से और इसके पहले मंजूरी ले ली जाये पेश करने के लिए, बाद में नहीं जायेगा। पहले ले लिया जाये क्योंकि इरादा तो था नहीं लेकिन यहाँ दिखाना भी था तो 25-10-79 को विधानसभा को नोटिस दिया गया कि यह विधेयक यहाँ लाना है, जिस दिन विधानसभा की बैठक प्रारम्भ होनी थी और उस दिन केन्द्र सरकार को लिखा गया कि इसकी पूर्व स्वीकृति दी जाए। 29-10 को विधानसभा में प्रस्तुत भी कर दिया गया और गजट में पब्लिश भी कर दिया गया। विधानसभा की उस बैठक का हम सब लोगों को स्मरण है और वह रिकार्ड आपके अन्तर्गत है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए उसमें हेराफेरी नहीं कर सकते। तथ्य यह है कि उस विधानसभा में यह विधेयक पारित नहीं हुआ। यदि राज्य शासन को राज्यपाल के शब्दों को महत्व देना था एकदफा विधानसभा में बिल लाकर उसकी प्राथमिकता को स्वीकार करने के बाद अन्य बिलों की तुलना में उसको महत्व क्यों नहीं दिया गया और पारित नहीं कराया गया? इस समय जो विरोधी दल के नेता हैं और पहले मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने विधानसभा का मुँह नहीं देखा; क्योंकि तब तक विधानसभा भंग हो गई, इसके साथ वह विधेयक लैप्स हो गया। यह है राज्यपाल महोदय द्वारा अपने द्वारा दिये गये वचन की कहानी.....

श्री कैलाश जोशी : इसके पहले प्रकाशचन्द सेठी मुख्यमंत्री थे तो पूरे चार साल आपने भी पटक रखा

था। मुख्यमंत्री जी अधूरा तथ्य सदन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। केन्द्र की जो अड़चन थी जिसके कारण उस समय भी चार साल का विलम्ब हुआ और हमारे समय में जो विलम्ब हुआ वह भी केन्द्र के कारण। मैं भी पुराना रिकॉर्ड निकाल सकता हूँ। आपके शासन में चार साल तक पड़ा रहा।

श्री अर्जुनसिंह : तत्काल इस समय जो विरोधी दल के नेता हैं उनकी बात मान लेता हूँ। लोकायुक्त की बात छोड़िए जिस बात को सेठी जी ने नहीं कहा था किसी पूर्व कांग्रेसी मंत्री ने नहीं कहा था जिसके बारे में आपने घोषणा की थी उसको सुनिए। दूसरी जो नीति विषयक घोषणा थी कि निष्पक्ष चुनाव करने के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया जायेगा जो लोक सेवा आयोग की परम्पराओं के अनुसार काम करेगा। स्थानीय संस्थाओं के चुनाव निष्पक्षता के साथ और समय पर हो सकें इसको सुनिश्चित करने के लिए एक प्रादेशिक चुनाव आयोग का गठन करेगा.....

श्री कैलाश जोशी : उसमें तिथि निर्धारित नहीं की थी। अगर आप हमारी जवानी में हत्या न करवाते तो यह करके रहते।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई किसी की हत्या नहीं करवाता अपने-अपने कर्मों से सब जाते हैं।

श्री शीतला सहाय : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बहुत ही औचित्यपूर्ण बात कही है। कि कोई किसी को नहीं मारता और अपने-अपने कर्मों से ही सब जाते हैं और वे लक्षण हमको दिखाई दे रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस पीड़ा का अनुभव हमारे जोशी जी कर रहे हैं, कहानी वह नहीं है। सन् 1979 में जो राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ था उसमें तत्कालिक मुख्यमंत्री ने यह कहलवाया था— "लगभग दो साल पहले जब मेरे शासन ने कार्यभार संभाला तब उसने जो संकल्प किये थे उन्हें पूरा करने की दिशा में तेजी से कदम उठाये गये हैं और यह हुई तेजी से उठाये कदमों की प्रक्रिया। आपको दो साल मिले थे लेकिन आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को भी नागपुर से आया कोई फतवा ही समझ बैठे। अतः यदि अब आपने महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण का बायकाट किया, तो वह आपकी मनोदशा का ही परिचायक है। हम समझते है कि आपकी मनोदशा क्या है? आप उन्हें कोई महत्व ही नहीं देते हैं। उनको सुनना या न सुनना आपके लिए कोई महत्व की बात नहीं है। आप उसके लिए कोई महत्व ही नहीं देते हैं। जो शासन इस समय स्थापित है, एक नीति निर्धारण का, अपने संकल्पों को पूरा करके सदन के सामने आकर फिर से देखने का एक माध्यम होना चाहिए और यही अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र की आधारशिला है। यदि आज कोई भी चुना हुआ शासन राज्यपाल के माध्यम से अपनी नीतियों को रखता है, तो यहीतो प्रजातंत्रकी आधारशिला है। आपने जो नीतियाँ तत्कालीन राज्यपाल महोदय के माध्यम से रखी थीं आपका शासन दो-ढाई साल तक रहा उसमें उनको पूरा किया होता, आपको समय मिला था।

श्री शीतला सहाय : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस शासन ने बजट में रिलीफ देने के लिए सदन में घोषणाएँ कीं जो आज तक पूरी नहीं की हैं, फिर किस मुँह से ये कह रहे हैं?

श्री अर्जुनसिंह : मैं कोई सीख देने के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूँ लेकिन यह भावना स्वाभाविक है कि प्रजातंत्र एक ऐसा पौधा है, जिससे जो हम चाहते हैं निकाल सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह वह पौधा है जिस पौधे को रोपने के लिए इस देश के हजारों-लाखों लोगों ने त्याग और बलिदान किया है। पहले वाली पीढ़ियों ने जिसको खून से सींचा है और अपने बलिदान दिये हैं। और जिसकी रक्षा करने का दायित्व इस प्रदेश के देश के प्रत्येक नागरिक के कंधे पर है और इसीलिये यदि विधानसभा के अन्दर यदि उस उत्तरदायित्व को नहीं निभा सकते हैं तो हम उस मूल दायित्व से अलग होते हैं, ऐसी मेरी मान्यता है। 1980 में जब माननीय राज्यपाल महोदय ने नीति निर्धारित करवाके मुख्य मुद्दों पर यह भाषण दिया गया। 1981-82 में उन घोषणाओं के बारे में शासन की ओर से क्या करना संभव हो सका और क्या करना संभव नहीं हो सका इसका क्रमवार उल्लेख माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में है। यदि इन बातों को हम जवाब में भी लिखते हैं तो यह भी कोई पुरानी चली आ रही परम्परा से हटने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर उत्तरदायित्व को न केवल दिखाना है, बल्कि सदस्यों का भी उत्तरदायित्व होना चाहिये। इसलिए वह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दिखलाया गया है कि कितने काम

लिये गये हैं और जो लिये गये हैं उनमें से कितने हो गये हैं? अध्यक्ष महोदय, हमने लोकायुक्त के बारे में घोषणा की और 1981 में उसका विधेयक आया और इस वर्ष हमने लोक आयुक्त की नियुक्ति भी कर दी है।

श्री रमाशंकर सिंह : माननीय मुख्यमंत्री उसकी परिधि से आप बाहर हो गये हैं।

श्री अर्जुनसिंह : जरा-सा धैर्य रखें, आपने काफी विशेषण लगाये हैं।

अध्यक्ष : रमाशंकर जी जाँच से आप भी बाहर हैं।

श्री रमाशंकर सिंह : यह भी गलत है।

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा मानता हूँ कि जहाँ तक हमें इस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, उस हद तक हमें अपनी विधानसभा के अधिकार, न्यायपालिका के अधिकार और कार्यपालिका के अधिकारों का जो संतुलन संविधान में दिखाई देता है, उसको पूरा करने का हमारा दायित्व है। उसके लिए हमने शपथ ली है। क्या मैं पूछ सकता हूँ यह मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। 25 वर्षों से लगातार इस सदन का सेवक रहने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि इस सदन की जो समितियाँ हैं, क्या उन समितियों को पूरी तरह से सक्षम बनाने के लिये आपने कोई काम किये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं दो वर्ष तक लोक लेखा समिति का सभापति रहा हूँ। मैं विश्वास के साथ यह कह सकता हूँ कि जो सहयोग मुझे आपकी सरकार से उस समय मिलना चाहिये था वह नहीं मिला है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमने अपने सभी मंत्रिमंडल के साथियों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कोई जवानी नहीं किया है उसका जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। वह हमारी विधायिका को मजबूत करने के लिये आवश्यक है और उसमें हम से यदि कहीं गफलत हो तो उसको भी कह सकें, तो यह बात सदन के रिकॉर्ड में आ जाये, दिनांक 5 मई को मैंने अपने साथियों को पत्र लिखा था— "प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण प्रजातंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिये बुनियादी महत्व का है। भले ही विभिन्न स्तरों पर ऐसी प्रवृत्तियाँ आ गई हैं, जो विधायिका के विशेषतः सार्वजनिक खर्च पर नियंत्रण करने के प्रयत्नों को टालना या कमतर करना चाहती हैं, हमारी यह बुनियादी जिम्मेदारी है कि उन प्रतिनिधियों के रूप में हम देखें कि इस तरह के सभी प्रयत्न निष्फल हों। यह करने का सबसे प्रभावी तरीका यही है कि विधानसभा की विभिन्न समितियों— जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और आश्वासन समिति की विभिन्न रिपोर्टों को महत्व दिया जाये। ये समितियाँ विधानसभा के महत्वपूर्ण अंग हैं जिनके द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखा जाता है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है, पर सच्चाई जरूर है कि पिछले कुछ वर्षों में सदन की इन समितियों की ओर वैसा ध्यान और महत्व नहीं दिया गया जैसा कि उन्हें दिया जाना चाहिए। इसलिये मैंने यह निश्चय किया है कि इन मामलों में विधायिका के नियंत्रण को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सदन में 27 अगस्त 1981 को जब उसका नया सत्र आरम्भ होगा। तब संबंधित विभागों द्वारा इन समितियों के सुझावों, सिफारिशों और निर्देशों पर जो कार्यवाही की गई है उनकी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये।" मुझे खुशी है इस बात की सदन को सूचित करते हुए कि मंत्रिमंडल के सभी साथियों ने उसको गहराई से लिया और उसके परिणाम अच्छे निकले।

श्री रमाशंकर सिंह : किस तारीख को पत्र लिखा था जरा वह तारीख बता दीजिये?

श्री अर्जुनसिंह : 5 मई 1981 को पत्र लिखा था।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसा कि अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उनको सरकार का सहयोग नहीं मिला, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह बहुत गम्भीर बात है। क्या इन तथ्यों को वे तत्कालीन स्पीकर के नोटिस में लाये थे?

श्री अर्जुनसिंह : अगर आपको शंका हो, तो आप तत्कालीन स्पीकर से मेरे साथ चल कर मिल लीजिये।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, शंका की बात नहीं है, मुझे आपकी बात पर विश्वास है। मैं यह जानता हूँ कि क्या आपने जब आप विरोधी पक्ष के नेता थे, आपकी यह जिम्मेदारी थी कि आप उस बात को स्पीकर के नोटिस में लाते।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र की यही तो खूबी है.....

श्री शीतला सहाय : क्या आपने लिखकर तत्कालीन स्पीकर को दिया था?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ चल कर उनसे पूछ लीजिये।

श्री शीतला सहाय : मैं तो आपसे ही यह जानना चाहता हूँ कि आपने स्पीकर को लिखकर दिया था या नहीं?

अध्यक्ष : क्या यह आवश्यक है कि लिखकर दिया जाये क्या व्यक्तिगत चर्चा के माध्यम से नहीं निपटाया जा सकता है?

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मालूम यह कर रहे हैं कि उन्होंने स्पीकर को लिखकर दिया था या नहीं?

अध्यक्ष : लिखकर देना आवश्यक नहीं है। बहुत से मामले आप मुझसे कहते हैं और व्यक्तिगत चर्चा से निपट जाते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कह रहा था कि जनतंत्र में चाहे वह किसी भी दल के हों उनको अवसर मिलता है कि वे सत्तापक्ष में आयें, वे विरोध पक्ष में आयें। वे जहाँ भी जायें मार्गदर्शक सिद्धांत बनायें। जब भी अवसर आये उनका उदाहरण दिया जाये। आपको भी ऐसा अवसर मिला था, आपने जो कुछ किया है उसके बारे में, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं इसलिये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप यह न समझें कि मैं अपने बचाव करने के लिये उनको कह रहा हूँ। जब भी प्रजातंत्र में ऐसे अवसर आते हैं उस समय ऐसे मापदण्डों का निर्वाह किया जाता है। उनके परिप्रेक्ष्य में ही प्रजातंत्र को अच्छी या बुरी दृष्टि में रखा जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्युडिशियरी के बारे में लम्बी-चौड़ी बातें कही गईं हैं और न जाने कितनी बातें पटवा जी ने कही हैं। मुझे ऐसा लगता था कि पटवा जी का उस दिन का भाषण तथ्यों पर आधारित नहीं था, जिसका मुझे आभास भी हो गया था, उनका भाषण जिस लिये दिया गया था। पटवा जी का लक्ष्य स्पष्ट था कि मुख्यमंत्री पर इतना प्रहार कर दो कि वे उत्तेजित होकर कुछ कहने खड़े हों और हंगामा खड़ा हो जाये। लेकिन मैं क्या कहूँ, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। मैं दूसरे के उकसाने पर कभी उकसा नहीं हूँ। मुझे जो सही मालूम पड़ता है वही करता हूँ। भले ही कोई मुझे बेवकूफ समझे लेकिन दूसरे के उकसाने पर उकसावे में आ जाऊँगा इसकी आप कभी कल्पना न करें।

श्री कैलाश जोशी : आपको अपने वाले उकसाते हैं तभी आप उकसावे में आते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : न्यायपालिका के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया। शायद बहुत-सी बातें उनको मालूम नहीं होंगी या उनको स्मरण नहीं होगा क्योंकि हमारे न तो कैलाश जोशी ने जो जनता पार्टी के प्रथम मुख्यमंत्री थे, न सखलेचा जी ने, जो द्वितीय मुख्यमंत्री थे, हमारे विरोधी दल के नेता को इस लायक नहीं समझा कि मंत्रिमंडल में रखें, इसलिए जो अन्दर की बातें थीं वह उनको नहीं मालूम। लेकिन इससे तो इंकार नहीं कर सकते कि आपने बहुत से आयोग हम सब लोगों पर जाँच-पड़ताल करने के लिये नियुक्त किए थे और उसका भी उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में कराया गया था कि बहुत-सी ज्यादतियाँ हुई थीं इसलिए आयोगों का गठन किया है और जो आयोग युग शुरू हो गया था, पूरे मध्यप्रदेश में और देश में। आयोग युग में जो कुछ निकला सारा देश और प्रदेश जानता है लेकिन किस स्तर में जाकर उन आयोगों में जबरन रिपोर्ट्स लिखवाने की कोशिश की गई, जो एक निष्पक्षता लोगों को दिखाने की बात थी, उसका मैं यहाँ पर आपकी अनुमति से एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उस पत्र की सत्य प्रतिलिपि भी मुझे आपके ही सचिवालय से ही प्राप्त हुई, जो आपके रिकार्ड में भी है। जो श्री राममूर्ति रस्तोगी कमीशन था, बहुत से हमारे साथियों की जाँच-पड़ताल उन्होंने की। 4 फरवरी 1980 को तंग आकर, विवश होकर उस समय आपका ही शासन था, उन्होंने तात्कालिक मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा और जो पत्र है वह उस भारतीय जनता पार्टी, जो जनता पार्टी का मुखौटा उस समय लगाये थी, उसके सही आचरण और सही केरेक्टर का एक प्रतिबिंब है, जो चाहे जुडिशियल हो, चाहे एक्जीक्यूटिव, कोई भी अथॉरिटी हो इस प्रकार उसका राजनीतिक उपयोग अपने दल के लिए करने का नंगा नाच, उसका यह प्रमाण (शेम-शेम की आवाजें) उन्होंने पत्र लिखा है श्री के.एल. पसरीचा को नंबर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ से ही लिया है—

"Because of my inability to see your line of thinking in writing up my reports, this Commission incurred your displeasure."

It is, therefore, requested that my annual confidential report may not kindly be written by you. With kind regards.

Yours Sincerely,
(Sd)/Ram Murti Rastogi,

और इसकी कॉपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी है। (शेम-शेम की आवाजें), जिस कमीशन को आपने नियुक्त किया है उसके जज ने विवश होकर मुख्य सचिव को पत्र लिखा कि आप हमारी गोपनीय चरित्रावली इसलिए न लिखें कि आपके चाहे अनुसार रिपोर्ट नहीं लिखी है इसलिए आप वह हाईकोर्ट के जज के पास भेज दीजिये, इससे बढ़कर और क्या अविश्वसनीयता हो सकती है?

श्री कैलाश जोशी : इस पत्र से हमारा क्या संबंध है?

श्री अर्जुनसिंह : नहीं, आपसे क्या संबंध होगा।

श्री शीतला सहाय : जीप् कांड में आपको दोषी पाया है जब उन्होंने सही तरीके से दोषी पाया तो क्या मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछ सकता हूँ कि जीप कांड की रिपोर्ट को सदन में रखकर आप उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : वह तो आपके सामने आ जायेगी।

श्री कैलाश जोशी : आप तो अपने मतलब की बात बोल देंगे, बाकी उस कमीशन ने क्या किया वह नहीं बतायेंगे। अभी आपने जो पत्र पढ़ा उसमें हम कहीं बीच में नहीं आते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मैं जोशी जी अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि आपको तो उस समय क्या हो रहा था, उसकी जानकारी ही नहीं थी, तो इसकी जानकारी कहाँ से होगी?

श्री के.एन. प्रधान : ऐसे अंवसर पर कोई फिल्म खींचने की व्यवस्था नहीं हो सकती।

श्री अर्जुनसिंह : डिस्ट्रिक्ट जज की कंपलेंट पर एक बात कही गई और पटवा जी ने उसकी खिंचाई की, यह फर्क होता है दृष्टिकोण का। किन्तु आप किसी वस्तु को या किसी घटना को केवल राजनीति परिलक्ष्य में देखकर इस्तेमाल करना चाहते हैं या कोई स्वस्थ परम्परा को कायम करने का प्रयास करना चाहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ इस समय न सखलेचा जी हैं न पटवा जी हैं क्योंकि उनके ही जिले की बात है। हमारे सम्मानित सदस्य श्री पाटीदार जी यहाँ बैठे हुए हैं। 24 जनवरी 1978 को मन्दसौर जिले में जिला सत्र न्यायाधीश ने एक फैसला किया जो हमारी विधानसभा की प्रोसीडिंग में भी है। उसी प्रोसीडिंग से निकालकर ही मैं पढ़ रहा हूँ। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने लिखा है कि "अनुसंधानकर्त्ता ठाकुर द्वारा बिना किसी स्पष्ट पुरावे के षड्यंत्र के बाबत कोई बात कही जाती है और कोई निश्चित और स्पष्ट साक्ष्य नहीं होते हुए भी काल्पनिक तथ्यों पर झूठे बयान कराकर आरोपी बंसीनाथ और सुभाष के विरुद्ध अकारण ही झूठी साक्ष्य तैयार की गई। प्रकरण को राजनीतिक रूप देने की साजिश की है, कानून का संरक्षण करने वाले अधिकारी यदि इस तरह से तथ्यों को गढ़कर किसी व्यक्ति को फंसाने की गर्ज से अपने अधिकारों का दुरुपयोग करें, साक्ष्यों को पूरा कर किसी का जीवन नष्ट करता है, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही होना चाहिये।"

श्री कैलाश जोशी : ठीक किया।

श्री अर्जुनसिंह : यह तो मानवीय स्वभाव है। आदरणीय जोशी जी, मैंने आपको विरोधी दल का नेता बनाने के लिये इसलिये कहा है कि आप चुपचाप बैठें, बातचीत तो शीतला सहाय जी को करने दीजिये, आप तो गरिमा के साथ बिराजे रहिये। अध्यक्ष महोदय, इस जजमेन्ट के बाद कोई कार्यवाही शासन ने नहीं की। इतना ही नहीं बाद में जब हाईकोर्ट में इस जजमेंट के खिलाफ अपील की गई, शासन ने की, और इस अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर इस रिमार्क को बरकरार रखा। मैं कहना चाहता हूँ कि अगस्त 1978 में अपील हाईकोर्ट ने खारिज की, 20 फरवरी, 1982 तक जनता शासन ने उंगली नहीं उठाई, उन लोगों के खिलाफ, जिनके बारे में हाईकोर्ट ने रिमार्क किया और आप कहते हैं कि अपील का फैसला हो जाता है आप लोग सुनते नहीं। धार का फैसला है हमने अपील पहले की है लेकिन चूँकि डी.जे. ने अपने जजमेन्ट में कहा है कि हमने उन लोगों के खिलाफ पुलिस वालों के खिलाफ कार्यवाही कर दी गई थी, उनको सस्पेण्ड कर दिया था, बहाल कर दिया। अपील में जो निर्णय होगा वह अपनी जगह है। एस.पी. की बात कर रहे थे चूँकि एस.पी. का रोल इसमें स्पष्ट नहीं था, चूँकि उनको अपने बारे में कुछ कहने का मौका नहीं मिला था, इसलिये पहले उनका स्थानान्तर करने की बात रोकी गई। मैंने स्वयं उस केस को देखा है और समझा है। उनकी बात हाईकोर्ट में जाकर ही स्पष्ट होगी। इसलिये उनके ट्रान्सफर को

नहीं रोका जाना चाहिये। एक तरफ तो यह काम किया है और दो साल तक आप जजमेंट पर बैठे रहे, और यहाँ उंगली उठा रहे हैं हमारे खिलाफ कि राजनीतिक संरक्षण दे रहे हैं। कृपा करके पहले अपने आचरण को देखें फिर किसी दूसरे पर इशारा कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रशासनिक तंत्र को राजनीतिक तंत्र कहा गया: मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रशासनिक तंत्र एक अराजनैतिक संस्था है, उसे संविधान ने कुछ अधिकार दिये हैं। संविधान के अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत प्रदेश में और देश में कार्यरत प्रत्येक सार्वजनिक कर्मचारियों को अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि मैं इस सारे सदन के मत को और सदन के मत को ही नहीं समूचे प्रदेश के नागरिकों के मत को प्रतिबिंबित करूँगा यदि मैं यह कहूँ कि वह अधिकार स्वयं प्राप्त नहीं है, उन अधिकारों का सदैव तुलनात्मक परीक्षण इस बात से ही किया जाना चाहिये कि जिस कार्य के लिये वे अधिकार दिये गये हैं उन कार्यों को करने की क्षमता, सार्थकता सरकारी कर्मचारियों को कितनी है। यह भी अधिकार नहीं है कि जो विरासत में मिलते चले आये हैं क्योंकि मैं सदन को स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि जिस समय आजादी के बाद हमारे संविधान की रचना हो रही थी उस समय एक समूचे प्रशासन तंत्र को अचानक एक साम्राज्यशाही पद्धति से निकालकर एक लोकशाही शासन के अन्दर काम करने की स्थिति निर्मित हुई। बहुत-सी शंकाएँ और कुशंकाएँ लोगों के मन में थीं और अधिकारी समझते थे कि आज तक जिन लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, प्रताड़ित किया है, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा आदेश देने के बाद आज इनके साथ बरताव किया है। लोगों के मन में शंकाएँ थीं कि हमारे साथ बदला लिया जायेगा, हम सही तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। मैं यह कहूँगा आदरणीय अध्यक्ष महोदय कि दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है कि बिना किसी कंट्राडिक्शन के खतरे से मैं कह रहा हूँ कि जहाँ सत्ता परिवर्तन के इतने व्यापक स्वरूप में हमारी उदारता और निष्ठा को नई सत्ता में आने वाले लोगों ने बरताव किया हो? यह इसलिए हुआ कि क्योंकि गांधी जी, नेहरू जी और सरदार वल्लभ पटेल।

श्री शीतला सहाय : इंदिरा गांधी का नाम भी ले लीजिए।

श्री अर्जुनसिंह : शीतला सहाय जी, हर चीज को कहने का समय होता है। जिस समय इंदिरा गांधी का नाम लेना होगा उस समय मैं अवश्य लूँगा, इसमें आपकी सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस बात को आज मैं इसलिये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों के दिमाग में यह भ्रम है कि शायद हम उन अधिकारों की विरासत के हकदार हैं जो हमारे स्वयं सिद्ध अधिकार थे या जिनसे हमने परम्परागत प्राप्त किये हैं जो नहीं थे, वे अधिकार संविधान के बनाने वाले स्वतंत्र भारत के जनप्रतिनिधियों ने इस देश के शासकीय कर्मचारियों को दिये हैं। इसलिये कि वे ईमानदारी से, निष्ठा से जनहित के कामों को कर सकें और उन कामों को करते हुए किसी प्रकार के भेदभाव या किसी लोभ या अन्य चीजों के प्रभाव में न आवें। उस चीज को अक्षुण्ण बनाये रखने का काम हमारा है और इसलिये जो घोषित हमारी नीतियाँ हैं, जो घोषित हमारे कार्यक्रम हैं या जो जनहित की परिभाषा स्पष्ट रूप से एक चुनी हुई सरकार ही कर सकती है, अगर उस परिभाषा के विपरीत नहीं कोई आचरण होता है तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि उन परिस्थितियों में कोई भी कार्यवाही करने के लिये कोई भी कदम उठाने के लिये उस चुनी हुई सरकार के विवेक से ही काम किया जायेगा। किसी दूसरे के दबाव से या कहने से काम नहीं चलेगा। (हियर, हियर) फिर आपका यह कहना मैं समझता हूँ अन्याय है। इस प्रदेश के हजारों-हजारों निष्ठावान शासकीय कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनको अनेकों विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने इस प्रदेश को एक प्रशासनिक तंत्र में अच्छी परम्पराएँ दी हैं। सेवाओं के कीर्तिमान स्थापित किये हैं और उन कर्मचारियों में थोड़े से अपवादों को छोड़कर अधिकांश कर्मचारियों ने इस प्रदेश के हित साधनों को ध्यान में रखकर ही काम किया है और करते हैं। इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को और इस प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को इस बात के लिये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो नीतियाँ हमने निर्धारित की हैं जिनको जनादेश प्राप्त करने के बाद सोच-विचार कर देश के अन्दर लागू किया गया है, उन नीतियों और कार्यक्रमों को पालन करने में इस प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को खुला अवसर साधन और अधिकार सब कुछ देने के लिए हम तत्पर हैं। लेकिन सही मायनों में उनको कार्यरूप में परिणित करने की जिम्मेदारी भी

उन्हीं के कंधों पर होगी और उसे पूरा करने में वे हमारी बधाई के पात्र होंगे। जो लोग जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते हैं, उन पर नियम और कानून के मुताबिक कार्यवाही की जावेगी।

श्री शीतला सहाय : इस परिधि में सीधी के कलेक्टर तो नहीं आते होंगे न?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो समझता था कि आपके दिमाग में कुछ मापदण्डों का आधार होगा। सीधी के कलेक्टर की बात आप पूछना चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूँ, मुझे दुःख है और कोई उसमें प्रसन्नता नहीं है, लेकिन स्थिति यह थी कि कुछ को-आपरेटिव डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को गलतफहमी में ही क्यों न हो, उनको पकड़कर और कोतवाली में लाकर मारपीट की गयी, वह अस्पताल में भरती हैं, इन्ज्युरीज उनके बदन पर हैं। यह संयोग की बात है कि आपका जो बंद का कार्यक्रम था, उस संबंध में मैं कई जगह गया था , सीधी भी गया था, लेकिन उस घटना की कोई जानकारी उन्होंने मुझे नहीं दी जिनकी यह प्राथमिक जिम्मेदारी थी कि मुझे इस घटना से अवगत कराते। इस घटना को यहाँ तक गोपनीय रखा गया कि वहाँ के स्थानीय लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं मिल पायी और जब मैं यहाँ लौटकर आया तो उस वक्त मुझे वहाँ के सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं ने सूचना दी। उसकी वजह से वहाँ उत्तेजना थी, लोगों में काफी तनाव था। दूसरे दिन आपका आयोजन अलग से था। मैंने अपने विवेक से यह उचित समझा कि जाँच पड़ताल तो मैं बाद में करूँगा लेकिन इस समय तत्काल इस बात का लोगों को भान हो जाना चाहिये कि इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिये किसी को छूट नहीं है और इस संबंध में उनके ट्रांसफर का आर्डर दिया गया। लेकिन चूँकि जाँच मैं उनके सामने नहीं करना चाहता था इसलिये उस स्थानांतर आदेश को कार्यान्वित किया गया। अब उस घटना की जाँच की जा रही है और उस जाँच के परिणाम जो कुछ सामने आयेंगे उसके अनुरूप कार्यवाही की जावेगी, भले ही आपको यह बात पसंद हो या न हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है अध्यक्ष महोदय।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, रात को ग्यारह बजे चार्जशीट बनवाकर बगैर रिलीवर के आए उसको वहाँ से रिलीव किया गया, ऐसी क्या अर्जेन्सी आ गयी थी।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, अर्जेन्सी तो मैंने बता दी। अब आपने नहीं सुना तो मैं क्या करूँ।

श्री शीतला सहाय : सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं ने उसके घर जो टेलीफोन किया.....

श्री अर्जुनसिंह : उनका इस मारपीट से कोई मतलब नहीं है।

श्री शीतला सहाय : माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ऊपर प्रदेश की सुरक्षा का भार है। किसी कलेक्टर के घर पर टेलीफोन करके कोई बदतमीजी करे यह कोई एक्शन के लायक चीज नहीं है?

श्री अर्जुनसिंह : एक्शन करे, कौन मना कर रहा है।

श्री रमाशंकर सिंह : बगैर जाँच के फैसला ले लिया। केसतरा कांड में आपने क्या निर्णय लिया तो एक केस में कुछ निर्णय और दूसरे केस में कुछ और निर्णय।

अध्यक्ष : छोटा-मोटा इन्ट्रप्शन तो आ सकता है लेकिन आप नये सिरे से भाषणबाजी तो नहीं कर सकते। मैं आप ही से नहीं कहता पटवा जी को भी कह देता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की बात कही गयी और हमारे पटवा जी ने यही कह दिया कि विधानसभा में चर्चा न हो सके इसके लिये मैंने एक दिन पहले नोटिफिकेशन निकलवा दिया। अध्यक्ष महोदय, बात सही यह है कि 24 को घटना हुई, मैं इसके पहले मेरिट्स पर नहीं जाना चाहता, 27 जनवरी को ही यह निर्णय ले लिया गया कि वहाँ जूडिशियल इन्क्वायरी करवाई जायेगी। समाचार-पत्रों के प्रेस नोट निकाल दिए गए, उसके बाद जूडिशियल इन्क्वायरी की जो रूपरेखा दी जाती है उसके लिए कार्यवाही होती रही। हाईकोर्ट से अन्तिम रूप से अनुमति आ गई, इनवेस्टीगेशन कर दिया गया। मैंने 15 की बैठक के लिये 13-14 को निर्णय लिया, यह सत्य के विपरीत है और सत्य के विपरीत बात करके आप कुछ यहाँ पर नई बात करना चाहते हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिये जो कुछ कार्यक्रम इस सदन की मन्जूरी से बनाया गया है वह कार्यक्रम पिछले वर्ष में हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथियों ने निष्ठा से, तत्परता से लागू करने का प्रयास किया है और सिंचाई के क्षेत्र में जो हमारा लक्ष्य था 1,65,000 हेक्टेयर का, सिंचाई क्षमता पैदा करने

का पिछले वर्ष उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे ऐसी पूरी आशा हमें है। नर्मदा के बारे में यहाँ पर चर्चा की गयी कि शायद हम केवल उस पर बात ही बात करना चाहते हैं ऐसी बात नहीं है। नर्मदा विकास के लिए एक अलग विभाग खोला गया है। बहन विमला जी उसकी प्रभारी हैं और समूचे नर्मदा सागर डेवलपमेंट के लिए केवल नर्मदा सागर ही नहीं जितना भी नर्मदा वेली का डेवलपमेंट है सिंचाई का, उद्योग का, खेती का सबकी एक व्यापक योजना बनाकर काम करने की पहल हो रही है। विश्व बैंक ने इस योजना को मदद करने का संकेत दिया है। कुछ प्रारंभिक जानकारी विश्व बैंक चाहता है उस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए तंत्र स्थापित करने की बात कही है, उसे भी हमने सिद्धांत रूप से मान लिया है, स्वरूप भी निश्चित कर दिया जाएगा। अभी कुछ दिन पूर्व केन्द्र शासन से चर्चा के समय नर्मदा के विकास के लिए विशेष रूप से आयोजना मिलने के लिए निवेदन किया गया है और मुझे भरोसा है कि नर्मदा के विकास, जिससे इस प्रदेश का भविष्य जुड़ा हुआ है, उसके लिए सशक्त रूप से काम करने के लिए हम सब संयंत्र व साधन उपस्थित कर सकेंगे, जिनकी आवश्यकता है। इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट के लिए, एकीकृत ग्रामीण विकास, योजना, पटवा जी ने न जाने कहाँ से कह दिया कि 12 करोड़ का प्रावधान था व 3 करोड़ खर्च हुआ।

श्री विक्रम वर्मा : माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस दिन ओलावृष्टि पर चर्चा चल रही थी आपके राजस्व मंत्री ने जवाब देते हुए सदन में यह बात कही थी कि 12 करोड़ केन्द्र से आया था 3 करोड़ खर्च कर पाए हैं, 9 करोड़ का मार्च तक उपयोग करेंगे। 11 महीने में आप 11 करोड़ खर्च नहीं कर पाए केवल 3 करोड़ खर्च किए।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थिति ये है कि वह आपको समझने में गलती हुई होगी। एकीकृत ग्रामीण योजना एक चीज है और एन.आर.यू.पी. रूरल एम्प्लायमेंट योजना अलग चीज है। उन्होंने तो ठीक बात कही है आपने उल्टा समझा तो टुमनलाल जी क्या करें। एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत जो 13 करोड़ का प्रावधान था उसमें साढ़े 11 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और मुझे पूरी आशा है कि बजट सत्र के, बजट वर्ष के समाप्त होने तक बाकी पैसे का भी उपयोग किया जा सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिसका संकेत हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने किया, इस प्रदेश में औद्योगीकरण, सिंचाई, विकास की अन्य सम्भावनाओं को मूर्तरूप देने के लिए हमारा जो कुछ भी प्रयास है उन प्रयासों का ज्यादा से ज्यादा लाभ इस प्रदेश के नौजवानों को मिले, नागरिकों को मिले यह देखना हमारा प्रथम कर्त्तव्य है। मैं यह तो नहीं कहता कि इस दिशा में कोई पहले काम नहीं हुआ है। जरूर यहाँ प्रत्येक शासन ने इस इस ओर ध्यान रखा है, लेकिन यह बात सही है कि समूचे विकास के बाद अवसर उपलब्ध होंगे, रोजगार के लिए बिजनिस के लिए, अन्य प्रकार के कामों के लिए। जब तक इनका नियोजित रूप से आंकलन करके और उन अवसरों के अनुपात में पूरी तरह से प्रशिक्षित टीम खड़ी करने की कोशिश नहीं की जायेगी तो हरदम, अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष : सवा 5 बजे तक होगा न आपका?

श्री अर्जुनसिंह : जी हाँ, जब तक एक प्रशिक्षित टीम नहीं बनाई जाएगी तब तक यह विरोधाभास लगा रहेगा कि फैक्टरी मध्यप्रदेश में लगेगी यहाँ पर रोजगार के साधन होंगे, लेकिन चूँकि प्रदेश के नागरिक प्रशिक्षित नहीं हैं, उनकी योग्यता नहीं है इसलिये उस फैक्टरी को चलाने के लिये विवश होकर बाहर से कुछ लोगों को लाना पड़ेगा और इस बात को ध्यान में रखते हुए जैसा कि पिछले वर्ष राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा था कि मैन पावर प्लानिंग नियोजन करने के लिए एक विभाग की स्थापना की गयी है। जिस विभाग में सभी तकनीकी शिक्षा के जितने साधन हैं, पोलिटेकिनिक कॉलेज हैं आय.टी.आय और भी आगे बना सकते हैं उन सभी में लाकर इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जायेगी ताकि जो भी प्रशिक्षण प्रदेश में दिया जाय उसका ज्यादा लाभ इस प्रदेश के नव जवानों को मिले और जब भी अवसर उपलब्ध हो रोजगार के, इसके लिए प्रशिक्षित हों। प्रदेश के नवयुवकों को रोजगार के अवसर मिलें यह काम बहुत आसान नहीं है। मैं चाहूँगा कि सभी माननीय सदस्य इसमें सहयोग करें क्योंकि यह इस प्रदेश के भविष्य का सवाल है। यदि हमने देश में ऐसे साधन उपलब्ध कर दिए जिनके माध्यम से प्रदेश में आनेवाली पीढ़ी को प्रशिक्षण देकर रोजगार, नौकरी, खेती, बाड़ी की नई तकनीक, व्यापार

के अन्य स्त्रोतों के लिये उनको लायक बना सकें तो इसमें सभी का सहयोग लगेगा। इस दिशा में यह पहला कदम है एवं सभी माननीय सदस्यों का सहयोग होगा उनसे तभी सफलता मिल सकती है। मैं आशा करता हूँ कि सदन इसको सर्वोपरि स्थान देते हुए इस दिशा में हमारी सहायता करने का प्रयास करेगा।

जहाँ तक उद्योग का सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कई दफे कह चुका हूँ प्रदेश में उद्योग की स्थापना कई कारणों पर निर्भर करती है। आज उद्योगों की स्थापना कहाँ कैसे हो, इस पर हमारा कोई ज्यादा अंकुश नहीं है, दो कारणों से पहला कारण तो यह है कि प्राथमिक आवश्यकताएँ हैं उद्योंगों की सफलता के लिए जिसे इन्फ्रास्ट्रक्चर कहते हैं उस संबंध में एक बहुत व्यापक फील्ड को जमाने की हम कोई व्यवस्था नहीं कर पाये हैं। इसको हमें स्वीकार करना चाहिये और वह व्यवस्था अभी नहीं हो सकती है, उसमें समय भी लगता है उस दिशा में हमें बढ़ने के लिए कुछ ऐसे अधिकारों को केन्द्रित करने की आवश्यकता थी। उद्योग विभाग ने समूचे प्रदेश को 4-5 इकाइयों में बाँटकर व प्राथमिक आवश्यकताओं के निर्धारण के लिये अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया है। प्रदेश में खनिजों पर आधारित उद्योग, एग्रो इण्डस्ट्रीज या अन्य किसी चीज पर आधारित उद्योग की कल्पना हो सकती है। प्रदेश के अन्दर उनके बारे में एक रूपरेखा बनी है। यहाँ यह कहने में मुझे हर्ष हो रहा है कि मध्यप्रदेश में औद्योगीकरण के लिये तेजी से बढ़ने का अवसर आया है और आप सबके सहयोग से इस दिशा में.....

डॉ. परशुराम साहू : सागर जिले में रॉक फॉस्फेट मिल रहा है जो कि सौ साल के लिए है, तो क्या आप हीरापुर में कारखाना खोलेंगे?

श्री अर्जुनसिंह : सागर जिले में जो रॉक फास्फेट मिल रहा है उसके लिये एक पार्टी से काफी बातचीत बढ़ चुकी है और निकट भविष्य में सागर में वह उद्योग स्थापित हो जावेगा।

जहाँ तक बीस सूत्रीय कार्यक्रम का सवाल है, यह कहा गया कि बीस सूत्र कहाँ के हैं, पहले के हैं या बाद के हैं या आगे के हैं, वही लोग कहते हैं कि हमें इसमें भी भाग लेने दीजिये, काम करने के लिये।

श्री कैलाश जोशी : ऐसा कभी नहीं कहा।

श्री विक्रम वर्मा : उसमें हमको क्यों जोड़ रहे हैं?

श्री अर्जुनसिंह : पटवा जी के यहाँ न रहने पर क्या हालत हो गई? पटवा जी ने कहा कि हम भी भाग लेना चाहते हैं, हम लोगों को क्यों सम्मिलित नहीं किया जाता है?

श्री शीतला सहाय : मुख्यमंत्री जी, आप संशोधन कर लीजिये। हमने कहा है कि आप सदन के बाकी सदस्यों को सम्मिलित नहीं करेंगे, यह एक मनोवृत्ति का परिचायक है। हम आपको देख रहे हैं। क्या हम उत्सुक हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं उसका प्रतिफल तो आपको मिलेगा।

श्री अर्जुनसिंह : मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपकी उसमें रुचि नहीं है। आप अपनी शक्ति और समय बरबाद न करें लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम में न कहीं भ्रम रहता है, न कहीं पर विरोधाभास है और न कहीं लक्ष्यों को दुर्लक्ष्य करने की भावना है। फर्क इतना ही है कि कुछ लोग छिद्रान्वेषी होते हैं, वे उनको कुछ निजी दृष्टिकोण से देखेंगे। प्रधानमंत्री ने 1975 में जो 20 सूत्र प्रतिपादित किये हैं उसमें से कई पूरे किये जा चुके हैं और इसलिये उनको फिर से गिने जाने की आवश्यकता नहीं है। जो नये संदर्भ में कुछ प्राथमिकताएँ निर्धारित करना आवश्यक था और इसलिए प्राथमिकताएँ निर्धारित करके जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित की गई है, उस दिशा में कुल 20 सूत्रीय कार्यक्रम की कुछ प्राथमिकताएँ निर्धारित की गई हैं। उन प्राथमिकताओं को एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरा करने का संकल्प शासन ने लिया है और उस कार्यक्रम को पूरा करने के लिये प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह पीने के पानी की बात हो, चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे वह अन्य क्षेत्र के गरीब वर्ग को सहायता देने की बात हो, हम समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार उसे पूरा करेंगे, भले ही आपको उसमें रुचि हो या नहीं हो। आप हाईकोर्ट में रिट कर चुके हैं कि सब खारिज कर दीजिये लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कि आपकी रुचि हो या नहीं हो इस प्रदेश की ही नहीं समूचे देश के करोड़ों नागरिकों को श्रीमती इंदिरा गांधी के इस कार्यक्रम में भरोसा है और इस फर्ज को बराबर उनकी आशाओं के अनुरूप साकार

रूप में परिणित करने के लिये हम सबका प्रमुख और प्रथम कर्त्तव्य है और उसका पालन हम सब लोग साथ-साथ करेंगे। आप विरोध करेंगे। आप विरोध करें तो, न विरोध करें तो भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर चर्चा की गई किसानों की। पटवा जी ने तो चक्का ही जाम कर दिया, अब पता नहीं कि जाम था कि जेम था, जेम वो चीज होती है जिसके ऊपर मक्खियाँ बहुत आती हैं और चक्के की परिभाषा वे ही जानें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के किसानों की समस्याओं को देखने की आपने कभी कोशिश की? आपने कभी इस बात को सोचने की कोशिश की कि किसानों को दुखाने वाली चीजें कौन-सी हैं? क्या मण्डियों में व्यापारियों पर टैक्स लगाकर ही किसानों को लाभ पहुँचाया जा सकता है? मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के अनुसार इस प्रदेश के अलग-अलग स्थानों के किसानों की अलग-अलग समस्याएँ हैं और हमें उस रूप में उन समस्याओं को समझकर उनके निदान के लिए काम करना होगा, यदि आप चाहते हैं कि एक ही मानदण्ड से समूचे प्रदेश के किसानों की बात सुझाई जाये तो वह संभव नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के किसानों की अपनी समस्याएँ हैं, किस प्रकार की वहाँ खेती होती है, किस प्रकार की कीमत उनको उनकी उपज की मिलती है, मिलती है कि नहीं? इन्दौर, ग्वालियर की परिस्थितियाँ अलग हैं लेकिन हमें सभी के हितों को देखना पड़ेगा, आपका मतलब किसानों के हितों के समाधान से न होकर चक्का जाम से है। अध्यक्ष महोदय, यदि आपने कुछ किया होता तो चक्का ज़ाम करते। मैं पूछना चाहता हूँ कि सन् 77 से फरवरी 80 तक आपने किसानों को कितनी बिजली दी? आपने कितने लोगों को उत्पादन की कीमत दी? भाषण तो आप देते थे कि कीमत कम दी गई लेकिन क्या शासकीय मूल्य से बढ़कर या कोष पैदा करके कभी किसानों को दस पैसे भी कीमत ज्यादा देने की कोशिश आपने की? चाहे गन्ने की कीमत हो, धान की हो, चाहे गेहूँ की, कभी आपने 10 पैसे बढ़ाकर तो कीमत नहीं दी लेकिन अगर अब प्रयास किये जा रहे हैं, तो उनसे आप कहते हैं कि चक्का जाम कर दो।

श्री शीतला सहाय : आपके जमाने में 74 रुपये गेहूँ की कीमत थी, जिसको हमने बढ़ाकर 105 रुपये किया फिर 110 रुपये किया और उसके बाद 112 और 117 रुपये तक बढ़ा दिया। हमने उनको समुचित मात्रा में बिजली दी, आपके जैसा भाषण मैं भी दे सकता तथ्यों के साथ।

श्री अर्जुनसिंह : संयोग है कि आप राज्यपाल महोदय के कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव पर तो बोल नहीं रहे हैं, आप तो विरोध में बोल रहे हैं। जहाँ तक किसानों की पैदावार की बात है, उसका उनको उचित मूल्य दिलाने के लिये शासन ने पूरे सामर्थ्य से कदम उठाये हैं और इसी बजह से इस प्रदेश के किसानों में आपके चक्का जाम का चक्का एक तरफ रह गया, जाम एक तरफ रह गया और किसान बीच से आगे निकल गया। हम तो किसानों की प्रगति के पोषक हैं, उनके मार्ग में अवरोध पैदा करने के पक्षधर नहीं हैं, यदि कोई विरोध भी करना है तो किसानों के हित को देखते हुए, बिजली की कमी है या और कोई दिक्कत है तो क्या हड़ताल के द्वारा ही बिजली पैदा होगी, क्या अवरोध पैदा करने से ही किसानों को लाभ पहुँचेगा? अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह प्रक्रिया अचानक या संयोगवश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने, और मैं नाम लेकर इसलिये कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तथ्य हैं, ऐसा नीति विषयक निर्णय लिया है कि जब तक प्रदेश के अंदर व्यवस्था को भंग करके, अवरोध पैदा करके वे परिस्थिति का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक किसी प्रकार से उनको अपनी राजनैतिक साख को मजबूत करने का मौका नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष : सदन की अनुमति से 10 मिनट का समय बढ़ाया जाता है।

श्री अर्जुनसिंह : इसी वजह से सुनियोजित ढंग से छत्तीसगढ़ में किसानों का आंदोलन होगा, तो यहाँ से वक्तव्य निकल गया वहाँ पर आंदोलन करने की दृष्टि से, लेकिन वहाँ उनकी कोई सुनता नहीं है इसलिये वक्तव्य छप कर रह जाता है। फिर यहाँ किसानों को कहा जाता है कि मंडियों में काम बंद कर दिया जावेगा। फिर यहाँ से वक्तव्य निकल जाता है कि जेल भरेंगे। तो यहाँ 2-4 हजार आदमी मिल जाते हैं, लेकिन अधिकांश इनमें वे हैं जिन्हें खेती किसानी से मतलब नहीं है। अब इस प्रकार से आप प्रदेश के अंदर किसानों के नाम पर कृपा करके अपनी राजनैतिक रोटी सेंकने का काम नहीं करें, यदि उनकी भलाई करना है। उनके लिये हम योजनाएँ बनाना चाहते

हैं, तो इसमें हम आपका सहयोग चाहते हैं। जहाँ तक उत्पादन का सवाल है, इसके बावजूद भी कि कीमतें बढ़ी हैं, जैसा कि रमाशंकर सिंह जी ने कहा कि इन-पुट्स की। इसके बावजूद मध्यप्रदेश के अंदर फर्टिलाइजर की खपत बढ़ी है जबकि और प्रदेशों में फर्टिलाइजर की खपत में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि लोगों को फर्टिलाइजर की उपलब्धता सहकारिता के माध्यम से सुगम बनाई और उसकी वजह से उपलब्धता बढ़ी और इसीलिये उसका उपयोग भी बढ़ा और यही कारण है कि जो हमारे लक्ष्य थे 1980-81 में एक लाख छः हजार मैट्रिक टन, 1981-82 में बढ़कर दो लाख तीस हजार मैट्रिक टन हुआ। हाइब्रिड ज्वार सीड 1980-81 में 4 हजार क्विंटल से बढ़कर 1981-82 में 12 हजार क्विंटल। सोयाबीन जो मेरे मत में मध्यप्रदेश के किसानों के भावी भविष्य की रेखा है, सोयाबीन की खेती 1980-81 में साढ़े-चार लाख हेक्टेयर में थी, जो 1981-82 में 6.28 लाख हैक्टेयर में हुई, जबकि लक्ष्य केन्द्रीय शासन ने निर्धारित किया था, वह केवल छः लाख हैक्टेयर था और मैं यह कहना चाहता हूँ कि हर क्षेत्र में किसानों ने क्षमता दिखायी है। इस बात की वे नए उपकरणों का, नए साधनों का उपयोग करके और प्रदेश के अंदर उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, प्रदेश की खुशहाली को बढ़ाना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन से सदन की बैठक प्रारंभ हुई उस दिन से अत्याचारों के बारे में बहुत हरिजनों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, उसकी चर्चा सदन में होती रही है। मैं किसी घटना को कम करके बताने का प्रयत्न तो नहीं करना चाहता और जहाँ कहीं भी इस प्रकार की कोई घटना हुई है, उसकी अहमियत को और उस अहमियत के संदर्भ में, उसमें की जाने वाली कार्रवाई को कहीं भी कमजोर नहीं करने देने की मेरी ये मान्यता है कि आज जो भी दोषी है, इस परिस्थिति में उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिये। मैं यह निष्ठापूर्वक इस बात को कह सकता हूँ, जितनी भी घटनाएँ जहाँ हुई हैं, कहीं भी किसी को संरक्षण देने का सवाल नहीं उठता है, चाहे वह शासकीय कर्मचारी रहा हो, चाहे शासकीय कर्मचारी न रहा हो, हमने दृढ़ता से कदम उठाया है और इस बात को स्पष्ट किया है कि शासन का जितना अमला है, शासन का जितना तंत्र है, उसके अधिकारी और उसमें निहित जितने भी उसके साधन हैं, उन सब का उपयोग इस प्रदेश के अंदर हरिजन, आदिवासी और कमजोर वर्ग के लोगों की रक्षा करने के लिये उपयोग में आयेंगे। उनके खिलाफ उनका उपयोग नहीं किया जायेगा। लेकिन जहाँ तक विकास का सवाल है, मैं कह सकता हूँ कि पिछले दो वर्षों में आदिवासी विकास के क्षेत्र में, हरिजनों के विकास के क्षेत्र में जो निर्णय लिए गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं, वह मूलभूत कदम हैं। उन लोगों को एक नयी जिंदगी देने के लिये चाहे वह अधिकारों का विकेन्द्रीकरण हो, चाहे वह उनकी आर्थिक समस्या को समाधान करने की प्रक्रिया का निर्धारण हो, चाहे वह उनको उनके क्षेत्र में उनको साधन उपलब्ध कराने की बात हो, मेडीकल कालेज हो या कोई अन्य प्रकार के साधन हों, चाहे उनके भूमि संबंधी या अन्य किसी प्रकार के अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात हो, मैं समझता हूँ, यह सदन साक्षी है, प्रत्येक निर्णय उनके हितों को ध्यान में रखकर किए गए हैं, उन निर्णयों को कार्यान्वित करने में हमारा प्रयास लगातार रहा है। ऐसा संभव है कि किसी स्थान पर उस गति से, उस प्रकार से उस निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया गया हो, जैसी हमारी आप सबकी मंशा है लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि हम इस बात को नजरअंदाज कर दें, हमने प्रयास किए हैं या नहीं। यदि कोई खामी है, उस खामी को दूर करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। जो विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं, आदिवासी क्षेत्रों में, उनके सभी माननीय विधानसभा के सदस्य और संसद सदस्य बिना किसी पार्टी भेदभाव के, उनके कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए समितियाँ हैं, उनमें सभी लोग सदस्य हैं। मैं यह चाहूँगा कि आज जो अधिकार, साधन उपलब्ध कराए गए हैं, वे सही मायने में सभी के पास तक पहुँच सकें। उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। यह एक ऐसा विषय है, जिसे हमें राजनीति से ऊपर उठकर देखना पड़ेगा यदि हम सचमुच निष्ठा से उन अधिकारों, साधनों को उन तक पहुँचाना चाहते हैं। मुझे भरोसा है कि यह सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य, किसी भी राजनीतिक दल का हो, इस विषय में कोई मतभेद नहीं होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। साथ-ही-साथ, अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी आबादी पिछड़े वर्ग के लोगों की है, जो अनेक विषमताओं के शिकार हैं, जो कई प्रकार के साधनों से वंचित हैं, जिनको कम आशा नहीं है, पूरे समाज के सहायता की, सहयोग की और शासन के संरक्षण को, हम चाहते हैं,

हमारे साथी सभी लोग चाहते हैं, इस प्रदेश में उस वर्ग को भी आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करने के लिये कुछ ठोस कदम उठाए जायें। इस दिशा में एक आयोग का गठन किया गया है। जैसे हमको आयोग की रिपोर्ट आती है सबसे विचार-विमर्श करके निर्णय लेंगे, जिसके द्वारा इस प्रदेश के पिछड़े वर्ग को भी सहायता दे सकें, जो सहायता का पात्र हो, अध्यक्ष महोदय, श्रमिक वर्ग जिसके ऊपर उत्पादन को बढ़ाने का सबसे बड़ा भार है, मुझे यह कहते हुए बहुत हर्ष है कि मध्यप्रदेश का श्रमिक वर्ग अपनी जिम्मेदारियों से भलीभांति परिचित है और न केवल परिचित है बल्कि मेहनत करके, काम करके उसको निभा सकता है, इसका एक प्रमाण भी पिछले एक वर्ष में प्रदेश के श्रमिक वर्ग ने दिया है। आपको, सदन को जानकर प्रसन्नता होगी कि 1980 में जो मानव दिनों की हानि हुई थी, उसमें 26 प्रतिशत की गिरावट 1981-82 में आई है, जिसका पूरा-पूरा श्रेय इस प्रदेश के श्रमिक वर्ग को है। हम उनसे यह निवेदन करना चाहते हैं, उन श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, उनके काम करने के तौर-तरीकों के लिए संरक्षण श्रम विभाग की जो नीति निर्धारित की गई है, पूरा-पूरा ख्याल करके की गई है ताकि उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन आज देश में उत्पादन की प्राथमिकता है, जिस प्रकार देश के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन किया है, उसी प्रकार आगे निर्वहन करें। समूचा देश उनकी नींव पर खड़ा है। मैं सदन के अंदर कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थी वर्ग, युवा वर्ग जो प्रत्येक युग में क्रान्ति का अग्रदूत बनता है, संरक्षण का सूत्रधार बनता है, वह वर्ग इस प्रदेश में इन सब लोगों के अथक प्रयास के बावजूद— मुझे यह कहते हुए हर्ष और गौरव दोनों हैं कि प्रदेश का युवा वर्ग, छात्र वर्ग अपने कार्य को शांति से कर रहा है, वह शांतिपूर्वक शिक्षा ग्रहण कर रहा है।

श्री शीतला सहाय : चाहे बाहर लोग भूख-हड़ताल में बैठे हों।

श्री अर्जुनसिंह : लाखों छात्र और युवा वर्ग शांति से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

श्री शीतला सहाय : सागर विश्वविद्यालय आपकी याद करता है।

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की एक बात कहना चाहता हूँ, इसलिये कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब इस प्रकार की बात की जाती है, तो उसके पीछे कोई आधार होना चाहिये। आये दिन यहाँ सदन में सामन्तवाद, जातिवाद और न जाने कौन-कौन से वाद के विश्लेषण हमको दिये जाते हैं। मै बड़ी विनम्रता से आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भारत में प्रजातंत्र किसी भी अतिवादी कड़ी के ऊपर आधारित होकर नहीं चल सकता है। आपने प्रयोग किया और उस प्रयोग की वजह से आपको लेने के देने के पड़ गये। यह इतिहास इस बात का साक्षी है, जहाँ तक मेरा सवाल है, पहले तो जातिवाद का तोहफा मेरे सिर लादा गया कि समूचे प्रदेश में मैंने जातिवाद फैला दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस सदन के पटल पर वैसे यह स्वीकृत डाकूमेन्ट नहीं है लेकिन शायद किसी माननीय सदस्य को न मिले, इस प्रदेश के एस.पी. कलेक्टर से लेकर चीफ सेक्रेटरी और जितने विभागाध्यक्ष होते हैं, उनकी सूची सदन के पटल पर रखता हूँ। यदि हमारे सम्मानित सदस्य किसी प्रकार का आरोप लगाते हैं, तो 5 मिनट का समय नष्ट करके सूची देख लें।

श्री शीतला सहाय : फिर हम जो सूची पेश करेंगे, उसको कृपा करके आप देख लें। आपके मुरैना में कौन है, दूसरी जगह कौन है।

श्री अर्जुनसिंह : कोई नहीं है। शीतला सहाय जी जिस तरह चाहें समझें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है मैं उन लोगों में से हूँ जो यह विश्वास करते हैं कि सार्वजनिक जीवन में अपने नेता के पीछे चलना चाहिये। अपने दल के सिद्धान्त को मान्य करना चाहिये। अपने आचरण की रक्षा अपने स्वयं के कार्य से करना चाहिये और यदि आप इस प्रकार का लांछन लगाते हैं, तो आपका कर्त्तव्य है कि आप एक भी प्रकरण इस प्रकार का सदन के सामने प्रस्तुत करें, जहाँ मैंने किसी प्रकरण में ऐसा कार्य किया हो जो जातीयता के आधार पर या किसी अन्य आधार पर, जो अधिकार है उससे ज्यादा किया हो, उस पर मैं सफाई देने को तैयार हूँ। लेकिन ऐसा करना कि चलते-चलते कुछ कहना है, कीचड़ उछालना है, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आप कहेंगे और मैं यह कहना चाहता हूँ कि उससे आप मेरा

उतना नुकसान नहीं करेंगे। मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ आपके बीच का हूँ, आप सब जानते हैं, जो नहीं जानते, कह सकते हैं, जब जानेंगे तब महसूस करेंगे, लेकिन नुकसान प्रजातंत्र में उन पद्धतियों का, उन तंत्रों का, जिनके सहारे प्रजातंत्र चलाया जाता है, यदि उसकी जड़ में पलीता हम सब मिलकर कोई डालेंगे, जानबूझकर राजनैतिक भावना से प्रेरित होकर तो उसका परिणाम अर्जुनसिंह को नहीं, शीतला सहाय को नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं समूचे प्रजातंत्र को भुगतना पड़ेगा। कृपा करके इतनी मेहरबानी कीजिए। जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, हमारे पटवा जी ने सदन के बाहर और बाहर कई दल हैं उसके एक प्रतिनिधि यहाँ विराजे हैं, मुश्किल से आये हैं.....

श्री रमाशंकर सिंह : आप अपने मंत्रियों से और बहुत से लोगों से इसी प्रकार करवाते रहे, तो अगली बार आपके लिए मुश्किल होगा।

श्री अर्जुनसिंह : किसी प्रकार अबकी बार विधानसभा में बचकर निकल आये, ऐसा करिए ताकि आप दुबारा लौटकर आयें, आपके साथ कोई आने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार के मामले में, मैं कुछ इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि एक ऐसा अस्त्र है, जिसको इस्तेमाल करने के लिए सामने किसी की जरूरत नहीं है। अस्त्र दूसरे पर चलाया जाता है, यह ऐसा अस्त्र है कि बहुत से लोग वैसे ही पैंतरा भाँजते रहते हैं, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है और गले तक डूबे हैं। सिर से डूबकर पैर से निकल आये हैं। सदन में कहते हैं, जो लोग सदन में नहीं पहुँचे वह सदन के बाहर, वह सदन में हैं इसलिए उनका नाम नहीं लेता हूँ। यह प्रजातंत्र है, यह किसी प्रणाली पर आधारित है, किसी माध्यम से काम करेगा या हमारे कह देने से आप भ्रष्टाचारी हो जायेंगे या आपके कह देने से मैं भ्रष्टाचारी हो जाऊँगा? अगर इतना पर्याप्त है, तो यह होली का त्यौहार हुआ, भ्रष्टाचार मिटाने का नहीं। मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार आप मिटाना चाहते हैं, मैं भी मिटाना चाहता हूँ, हमारे साथी भी भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं। आखिर कौन-सा तरीका अख्तयार करें? माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास जाकर 25-30 पन्ने का प्रतिवेदन प्रस्तुत करके वहाँ के प्रेस को रिलीज करके दूसरे दिन मोटी-मोटी लाइन में निकले भा.ज.पा. ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, पच्चीस सूत्री भ्रष्टाचार के बारे में। पच्चीस सूत्री भ्रष्टाचार की रूपरेखा अखबारों में छपने के बाद आप संतुष्ट हो जायें, अच्छी बात है, भ्रष्टाचार मिट जाये, अच्छी बात है लेकिन आप संतुष्ट न होंगे क्योंकि कहते हैं दुबारा ज्ञापन देंगे.....

श्री विक्रम वर्मा : हम जो देकर आये हमसे पूछा नहीं और प्रधानमंत्री आने वाली थीं उसके एक दिन पहले अखबारों में छपवा दिया कि गृह मंत्री का पत्र आया है कि आरोप फाइल कर दिया गया है।

श्री अर्जुनसिंह : भाई साहब ने जैसा कहा.....

श्री विक्रम वर्मा : आज सुबह से सुनने को बार-बार मिल रहा है, जैसा भाई साहब कहेंगे वैसा बोलेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : जिन लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, वह सब जगह शंका उठाते हैं। यह हमारे सब दिन से भाई साहब हैं, रहेंगे।

श्री शीतला सहाय : जब वह सारी जाँच आपने करा ली और आपके अनुसार यह सही नहीं है तो हाईकोर्ट जज से इसकी जाँच करालें। एक बार वहाँ जाँच कराकर क्यों नहीं श्रेय प्राप्त करते? हम प्रस्तुत मुद्दे को सदन के सामने प्रमाणित करने के लिए तैयार हैं, अगर सिद्ध नहीं कर सके तो मुख्यमंत्री जी जो सजा देंगे, वह हम भुगतने के लिए तैयार हैं।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय शीतला सहाय जी की इस हल्केपन से दी हुई चुनौती को.....

श्री शीतला सहाय : हल्केपन से नहीं पूरी वजनदारी के साथ मैं फिर से दोहराता हूँ कि आप हाईकोर्ट के जज से जाँच करा लें। हम जिम्मेदार हैं, आप जो कहेंगे, अगर हमारी गल्ती होगी तो हम सजा भुगतेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : इस सदन में अपनी समझ और विवेक को इस्तेमाल करके निर्णय लिये हैं और इस सदन से लोकायुक्त को नियुक्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की है कि लोकायुक्त की नियुक्ति विरोधी दल के नेता और चीफ जस्टिस की सहमति से की जायेगी और अध्यक्ष महोदय, चीफ जस्टिस और विरोधी दल के नेता की सहमति से लोकायुक्त की नियुक्ति की जा चुकी है।

श्री विक्रम वर्मा : अपने स्वयं को बचाकर आप औरों को फंसवाना चाहते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : विक्रम जी, अभी आपको बहुत कुछ खेलना है।

श्री विक्रम वर्मा : मैं तो केवल यह कह रहा हूँ कि कितनी तरकीब से आप खुद को बचा रहे हैं और दूसरों को फंसा रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विक्रम जी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसी सत्र में लोकायुक्त संशोधन विधेयक विचारार्थ आयेगा, मैं उसमें संशोधन रख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री को भी जाँच की परिधि में रखा जाये।

श्री रघुनन्दन वर्मा : विपक्षी दल के नेता को भी इसमें शामिल किया जाये।

श्री रमाशंकर सिंह : बिल्कुल आ जाये।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय रमाशंकर जी, मैंने पूर्व में ही कहा है कि किसी दूसरे के आवेश दिलाने पर मैं आवेश मे नहीं आता हूँ, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ कि इस तरह के संशोधन करने हेतु मैंने विधानसभा सचिवालय को लिखकर दे दिया है।

श्री शीतला सहाय : यह एक स्वागत-योग्य काम किया है, आपने।

श्री अर्जुनसिंह : उपस्थित विरोधी दल के नेता माननीय कैलाश जोशी जी और अनुपस्थित विरोधी दल के नेता तथा जितने भी आदरणीय विरोधी पक्ष के सदस्य हैं और जो इस सदन के बाहर सम्मानीय लोग हैं, जो भ्रष्टाचार की गाथा गाते नहीं थकते हैं, अब सबके लिए यह खुला अवसर है, इस लोकायुक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जाँच करवायें, जहाँ भी उन्हें कोई शिकायत नजर आती है और अब कृपा करके माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास लेकर न जायें क्योंकि अब अधिकार आपके पास है।

मेरा विनम्र निवेदन है कि प्रजातंत्र में हर चीज की प्रक्रिया निर्धारित होती है, संविधान के मुताबिक संसदीय दल परम्परा के अनुसार विधानसभा और लोकसभा में प्रक्रिया निर्धारित करते हैं और एक दफे विधानसभा प्रक्रिया निर्धारित हो जाने के बाद उसके बाहर जाकर मैं राज्यपाल महोदय से प्रार्थना करूँगा कि आप केवल राजनीतिक दृष्टि से जो आक्षेप किये जाते हैं, उनको बेतरजीह न दें। यदि आपने कोई थोथा प्रचार किया, मैं जानता हूँ यह सदन उन सभी परम्पराओं को जिनके जरिये आपने इस सदन का रजत जयन्ती पर्व मनाया है, उन जिम्मेदारियों के साथ आप काम करेंगे, जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी का सवाल है, हम प्रयत्नशील हैं, इस प्रदेश के योजनाबद्ध विकास के लिए।

श्री रमाशंकर सिंह : यदि आप आज्ञा दें तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि .....

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, अब मैं बैठ नहीं रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके मार्गदर्शन में यह सदन उन परम्पराओं को पूरा कर सके और उन संकल्पों और उन वायदों को जिन्हें अक्षुण्ण बनाये रखने की जिम्मेदारी हमारे देश के नेता पर है, उनको पूरा करने के लिये यह शासन, यह दल, हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी उसको पूरा करेंगे और उसमें हमें आपकी और आपके इस प्रदेश के सभी नागरिकों के सहयोग की आकांक्षा है।

अध्यक्ष : अब मैं समस्त संशोधनों पर एक साथ मत लूँगा।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत समस्त संशोधनों को स्वीकृत किया जाये।

(समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी सदस्य द्वारा दिनांक 15 फरवरी 1982 को प्रस्तुत प्रस्ताव कि "राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए मध्यप्रदेश की विधानसभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।" स्वीकृत किया जाये।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/25 फरवरी 1982/पृष्ठ/ 518-536)

नियम 138 (1) के अधीन सदस्य श्री शैल कुमार शर्मा ने देवास जिले के भोरासा थाने के अन्तर्गत ग्राम शबरसी में एक हरिजन महिला के साथ हैड कान्स्टेबल द्वारा बलात्कार किये जाने संबंधी विषय पर धनाकर्षण सूचना। प्रतिपक्ष के नेता श्री सुन्दरलाल पटवा की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री

श्री अर्जुनसिंह ने यह प्रश्न सहज ही उठाया कि क्या किसी एक पुलिस कर्मचारी के कदाचरण के आधार पर समूचे पुलिस फोर्स को लांछित किया जाना चाहिए? उनका उत्तर भी यहाँ प्रस्तुत है—

डॉ. शैल कुमार शर्मा (शुजालपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है—

दिनांक 12 फरवरी 1982 को देवास जिले के भोरासा थाने के अन्तर्गत ग्राम शबरसी में एक हरिजन महिला पेपूबाई जो कि किसी अपने निजी काम से गाँव की एक शराब की दुकान पर गई थी वहीं पर हैड कांस्टेबल भंवरसिंह ने जो कि शराब पिये हुए था पेपूबाई को जबरन पकड़ लिया व उसके साथ खुलेआम बलात्कार किया। पेपूबाई के जोर से चिल्लाने पर वहाँ पर ग्रामीण लोग एकत्र हो गये व हवलदार को रंगे हाथ पकड़ लिया तथा दीपूबाई को छुड़ाया। उपरोक्त घटना से गरीब तथा निर्धन हरिजन व मजदूर महिला में जिनका की व्यवसाय ही मजदूरी है तथा काम के लिये व सामान खरीदने के लिए बाजार जाना होता है उनमें भय का वातावरण बना हुआ है तथा हरिजनों में रोष व्याप्त है। इसलिये इस अविलम्बनीय घटना पर चर्चा की जाये।

श्री हजारीलाल रघुवंशी (राज्यमंत्री, गृह) : उपाध्यक्ष महोदय, प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 13-2-82 को श्रीमती पेपूबाई पत्नी शंकर बलाई, निवासी ग्राम शबरसी ने थाना भोरासा में रिपोर्ट की कि दिनांक 13-2-82 को वह चौकीदार मांगीलाल की पत्नी के साथ उसके घर के सामने बैठी थी। लगभग 1 बजे दिन थाना भोरासा का प्रधान आरक्षक भगवंत सिंह जो अवकाश पर था। गाँव में आया, उसने चौकीदार के बारे में पूछा तो चौकीदार की पत्नी ने बताया कि वह घर पर नहीं हैं तो प्रधान आरक्षक यह कह कर कि वह थक गया है, चौकीदार घर में सो गया। चौकीदार की पत्नी के कहीं काम पर जाने के बाद प्रधान आरक्षक ने पेपूबाई से पानी माँगा जब वह पानी देने गई तो प्रधान आरक्षक ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ धमकी देकर बलात्कार किया। इसी समय पेपूबाई का भाई धूल जी एवं नाथूलाल वहाँ पहुँच गये। रिपोर्ट पर से थाना प्रभारी ने अप. धारा 376/342/34 भा.द.वि. कायम किया। दिनांक 13-2-82 को प्रधान आरक्षक भगवंतसिंह एवं पेपूबाई का मेडीकल परीक्षण कराया गया। डाक्टर ने महिला के साथ बलात्कार के संबंध में कोई स्पष्ट राय नहीं दी है। प्रधान आरक्षक को दिनांक 13-2-82 की शाम 6 बजे गिरफ्तार कर निलम्बित किया गया है।

हरिजनों में कोई रोष व्याप्त नहीं है।

श्री शैल कुमार शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अभी उत्तर दिया उसके आधार पर मैं यह जानना चाहूँगा कि ग्राम शबरसी थाने के अन्तर्गत एक महिला के साथ बलात्कार किया गया हो, तो यह शासन किस प्रकार से हरिजनों की रक्षा कर सकेगा?

श्री हजारीलाल रघुवंशी : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा शासन निश्चित रूप से हरिजन-आदिवासियों की रक्षा के लिए तत्पर है और सतर्क है।

श्री श्रीराम जाटव : उपाध्यक्ष महोदय, हरिजन-आदिवासी गरीब तबके की महिलाएँ अधिकांशतः अपने पेट की पूर्ति के लिए मजदूरी करने बाहर जाती हैं। लेकिन यह वर्तमान शासन इस प्रकार की घोषणा करता है कि हरिजन-आदिवासियों की वह पूरी-पूरी रक्षा के लिए कदम उठा रहा है। इसके बावजूद भी सरेआम उनकी महिलाओं की इज्जत इस तरह से लूटी जा रही है, लेकिन शासन कुछ नहीं कर पा रहा है। समाज के धनाढ्य एवं जबरदस्त वर्ग के लोग इन गरीब हरिजन-आदिवासी महिलाओं के साथ जबरदस्ती बलात्कार करते हैं मेरा प्रश्न यह है कि जब एक हैड कांस्टेबल ने इस प्रकार से बलात्कार किया तो उसके खिलाफ किस तारीख को अपराध दर्ज किया गया, किस तारीख को उसकी जाँच की गई तथा उसे किस दिन गिरफ्तार किया गया?

श्री हजारीलाल रघुवंशी : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी रिपोर्ट 13-2-82 को 15 बजकर 30 मिनिट पर रिपोर्ट की गई और यह उस महिला के पति मांगीलाल ने की और उसके बाद 13-2-82 को शाम 6 बजे अरेस्ट किया गया।

श्री शैल कुमार शर्मा : उसकी मेडिकल जाँच कब कराई गई?

श्री हजारीलाल रघुवंशी : 13-2-82 को कराई गई।

श्री शैल कुमार शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आज हरिजनों और आदिवासियों की किसी प्रकार से सुरक्षा ही नहीं हो रही है। हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाता है और यह सरकार चुपचाप बैठी रहती है। थानों पर बलात्कार हो रहे हैं, हैड कांस्टेबल कर रहे हैं। इन लोगों की किसी भी हालत में सुरक्षा नहीं हो रही।

श्री हजारीलाल रघुवंशी : इस प्रकरण के बारे में तुरन्त कार्यवाही की है और प्रधान आरक्षक को अरैस्ट करके निलम्बित कर दिया गया है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : उपाध्यक्ष महोदय, एक हरिजन महिला के साथ पुलिस कर्मी बलात्कार करता है और उसे आपने गिरफ्तार कर लिया, क्या इसी से आपको संतोष हो गया? (विरोधी बैंचों से शेम-शेम की आवाज)

श्री हजारीलाल रघुवंशी : हमने उसे निलम्बित तो कर दिया है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : जो रक्षक हैं उनकी आज इस प्रकार की मनोवृत्ति क्यों बढ़ रही है? इसके लिये आप जिम्मेदार हैं या नहीं? कौन जिम्मेदार है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इस घटना को लाइटली लेकर ढिलाई क्यों बरती जा रही है?

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल के नेता से यह चाहूँगा कि वे किसी विशिष्ट घटना के संदर्भ में एक व्यापक आक्षेप न लगायें तो उचित होगा। व्यक्तिगत जो विशिष्ट घटनाएँ हों, चाहे वह किसी के द्वारा की गई हों, चाहे वह पुलिस कर्मचारी के द्वारा हों, अन्य किसी के द्वारा हों उसमें कहीं पर कोई तत्परता नहीं दिखाई जाये, पूरी तरह से कानून के तहत कार्यवाही न की जाये, कहीं किसी को बचाने की कोशिश की जाये ढिलाई बरती जाये, वहाँ तक तो आप एक आरोप लगा सकते हैं और यह बात समझ में आ सकती है लेकिन यह प्रश्न जानकारी के बाद ही सक्षम कार्यवाही कानून के तहत हो सकती है, वह की गई हो, वहाँ पर आपका यह कहना कि आप इसे लाइटली ले रहे हैं। इसमें कुछ कर नहीं रहे हैं और इस तरह से एक व्यापक आक्षेप इसमें जोड़ना शायद उचित नहीं है, इसलिये ऐसी मेरी मान्यता है। जहाँ तक पुलिस के द्वारा किसी भी स्तर पर इस प्रकार की घटना में संलग्न होने का सवाल है तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इस घटना की वजह से इस प्रदेश के समूचे पुलिस फोर्स पर यह लांछन लगाना कदापि उचित नहीं है कि सब पुलिस के लोगों की इस प्रकार की घटनाओं में रुचि बढ़ती जा रही है। हर समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामाजिक और अन्य प्रकार के नियमों को तोड़कर कुछ काम कर बैठते हैं और यदि वह समाज उन लोगों को संरक्षण दे, उनको सम्बल दे, तो पूरे समाज के ऊपर लांछन लगाया जा सकता है। लेकिन उसके विपरीत यदि इस काम के लिए उनके खिलाफ कार्यवाही हो, कठोर-से-कठोर दण्ड दिया जाये तब शायद उस वर्ग के प्रति इस प्रकार के लांछन लगाना उपयुक्त नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के सामान्य पुलिस-जन अपने कर्त्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वाह कर रहे हैं लेकिन यदि उनके अन्तर्गत कोई व्यक्ति अपने कर्त्तव्य से च्युत होकर कोई काम करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी-से-कड़ी कार्यवाही की जावेगी और इस प्रकार की कोई चीज बर्दाश्त नहीं की जायेगी। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसलिये नहीं कि आप यहाँ पर इन विषयों को उठाते हैं, इसलिए हम उनकी वजह से ऐसी बात कह रहे हैं कि इतने बड़े प्रदेश में घटनाएँ होती हैं। उन घटनाओं का इस सदन में उल्लेख करना निश्चित रूप से आपका हक है और आपका कर्त्तव्य है लेकिन जिन घटनाओं का उल्लेख करके एक व्यापक भूमिका पैदा करके यह वातावरण निर्मित करने की जो कोशिश है कि अमुक वर्ग को संरक्षण दिया जा रहा है, अमुक वर्ग के खिलाफ वर्ग आधार पर कार्यवाही हो रही है। सार्वजनिक रूप से इन बातों का कहना अपने समाज के मनोबल को कमजोर करना है। मैं निवेदन कर सकता हूँ। मेरा कोई आग्रह नहीं है। आप स्वयं सोचें, इतने बड़े प्रदेश में सामान्य रूप से शांति और व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है। मैं मानता हूँ कि कहीं-कहीं गलतियाँ हो सकती हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : कहीं नहीं?

श्री अर्जुनसिंह : आप न मानिए। मैं आपकी सहमति नहीं चाहता। जब हम एक संपूर्ण संदर्भ में बात करें तो उस संदर्भ में थोड़ा-बहुत सोच-समझ कर बात करें। यदि किसी घटना विशेष के बारे में आपकी नाराजगी है

तो उस विशेष घटना के तथ्यों के आधार पर, आप अपनी नाराजगी और रोष व्यक्त करें और जहाँ गड़बड़ी होगी, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे और यदि कोई गड़बड़ी नहीं होगी तो उस प्रकार से सदन को सूचित करेंगे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं वहाँ बैठे माननीय अर्जुनसिंह जी को और यहाँ बैठे माननीय अर्जुनसिंह जी को सुनता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है। मुझे आश्चर्य होता है कि इतना कांट्रेडिक्शन, इतना विरोधाभास किसी आदमी में हो सकता है। आज वहाँ बैठे माननीय अर्जुनसिंह जी उपदेश दे रहे हैं कि इसको सामान्य मत लीजिए, इसका प्रचार मत कीजिए, इसको लेकर ऐसे आधार मत बनाइये। उस समय को शायद वे भूल गए जब हमारे कार्यकाल की एक कनाड़िया की घटना को लेकर उन्होंने कितना रोष व्यक्त किया था। लेकिन आज माननीय अर्जुनसिंह अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि कानून की व्यवस्था अच्छी है, कितने गुलियाजान, केसतरा, सेमाढाना, गाजीगढ़ की घटनाएँ हुई हैं और कितनी माँ-बहिनों की अस्मत से खेलना चाहते हैं। हम इन घटनाओं के प्रति इस सामंती सरकार के उपेक्षापूर्ण व्यवहार के लिए बहिर्गमन करते हैं।

(धिक्कार है, धिक्कार है के नारों के साथ विरोध पक्ष द्वारा बहिर्गमन)

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/3 मार्च 1982, पृष्ठ/ 920-931)

संसद सदस्य श्री गुफराने आजम पर चल रहे मुकदमे (जो उनके छात्रजीवन से संबंधित था) को वापस लिये जाने के संबंध में स्थगन प्रस्ताव आया। इसके लिए चार सूचनाएँ अध्यक्ष को प्राप्त हुई। इस प्रस्ताव की ग्राह्यता-अग्राह्यता को लेकर सदन में अभूतपूर्व शोरगुल हुआ। असंसदीय शब्दों का प्रयोग भी हुआ; जिन्हें विलोपित किया गया। चर्चा में एक समय ऐसा आया जब प्रतिपक्ष के नेता श्री सुन्दरलाल पटवा द्वारा इस बहस में श्रीमती इंदिरा गांधी का नामोल्लेख भी किया गया तब मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह को बोलना पड़ा। चर्चा के कुछ अंश ही यहाँ दिये जा रहे हैं—

उपाध्यक्ष : मेरे पास श्री गुफराने आजम, संसद सदस्य पर चल रहे मुकदमे को वापस लिये जाने के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की चार सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं।

पहली सूचना : श्री राधारमण भार्गव, श्री कैलाश पंडित, श्री योगेन्द्र सिंह राणा, श्री बाबूलाल गौर की है। दूसरी सूचना : डॉ. परशुराम साहू, श्री बृजमोहन माहेश्वरी, श्री श्रीराम जाटव, श्री देवलाल रैकवाल, श्री बाबूलाल गौर, श्री मुन्शीलाल की है। तीसरी सूचना : श्री चौधरी दिलीप सिंह की है। चौथी सूचना : श्री नगीन कोचर, डॉ. शैलकुमार शर्मा, श्री बाबूलाल गौर व श्री फूलचंद वर्मा की है।

श्री नगीन कोचर की सूचना में तथ्य स्पष्ट रूप से दिये गये हैं, अतः मैं उसे पढ़कर सुनाता हूँ—

"मध्यप्रदेश सरकार ने 2 मार्च, 82 को भोपाल निवासी गुफराने आजम और कुछ उनके साथियों पर से अपराधिक प्रकरणों को न्यायालय से वापस ले लिया है। अभियुक्त गुफराने आजम तथा उनके साथियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 348, 149, 365, 332 न्यायालय में सुनवाई जारी थी। गुफराने आजम ने वर्ष 74 में मेडिकल कालेज भोपाल के डाक्टर सक्सेना को मारा था तथा शासकीय कार्य में बाधा उपस्थित की थी। बड़ी संख्या में गुण्डों को साथ लेकर मेडिकल कालेज के छात्रों पर हमला बोलकर बलवा किया था। इस बलवे में पुलिस के अनेक आरक्षक तथा अधिकारी घायल हुये थे। न्यायालय बराबर इस प्रकरण की सुनवाई करने के लिये अभियुक्त गुफराने आजम को वारन्ट भेजता रहा लेकिन सरकारी सहयोग न होने के कारण इस वारन्ट की तामील समय से न हो सकी। अदालत ने शासन की निष्क्रियता पर रोष प्रकट करते हुए मुख्य सचिव तथा आय.जी. को वारंट तामील कराने के निर्देश दिये थे। इन निर्देशों पर गुफराने आजम ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कौन व्यक्ति वारंट की तामील करता है उसे देखने की धमकी भी दी थी। प्रकरण में प्रस्तुत परिस्थितियों से न्यायालय अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन न कर पाये ऐसी स्थिति बना दी थी। सरकार के सामर्थ्य और कर्त्तव्यपरायणता को भी चुनौती दी थी। प्रकरण

ऐसी स्थिति में पहुँच जाने के बाद चाहिए यह था कि अभियुक्तों को कटघरे में खड़ा करके सरकार आदर्श उपस्थित करती किन्तु खेद है कि सरकार ने ऐसे अपराधी और आतंकों पर से मुकदमे वापस ले लिये हैं, इससे न्यायालय और सरकार की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है। सरकार के इस कार्य से जनता में रोष है, विशेषकर डाक्टरों एवं पुलिस कर्मचारियों में। अतः इस सार्वजनिक महत्व के विषय को देखते हुए आज सदन की कार्रवाई रोककर इस पर चर्चा की जावे।"

चूँकि प्रकरण न्यायालय के आदेश से वापिस किया गया है, इसलिये मैं इसको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/5 मार्च 1982, पृष्ठ/ 138-139)

उपाध्यक्ष : अब मैं अपनी व्यवस्था दूँगा।

मैंने माननीय सदस्यों के कथन को सुनने के पश्चात् इस स्थगन प्रस्ताव को अपनी अनुमति नहीं दी और मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

(कांग्रेस बैंचेज की तरफ से मेजों की थपथपाहट)

श्री सुन्दरलाल पटवा (सीहोर) : उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दे रहे हैं और दे भी दी और इस तरह से पहले भी व्यवस्थाएँ दी हैं। परन्तु उसके बाद आपने हमको सुना है। आपको ग्राह्य करने या न करने का पूरा अधिकार है। लेकिन कम से कम हमको कहने का अवसर तो दिया जाता क्योंकि हमें भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। आपने इतनी चर्चा सुनी और सुनने के बाद, माननीय विधिमंत्री ने भी कुछ मुद्दे उठाये और उन्होंने कुछ शब्दों पर आपत्ति उठाई है और उन शब्दों के बारे में, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक माननीय सदस्य ने उत्तेजित होकर उन माननीय सदस्य को गुंडा कह दिया तो आपने (××) कह दिया। यह बात उनको शोभा देती है, वे कहें, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परन्तु जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि क्या किसी सदस्य के प्रीवियस आचरण के बारे में मात्र वह किसी पार्टी के टिकिट पर संसद सदस्य हो गया हो तो क्या उसको पवित्रता का तमगा लग जाता है? इज्जत तो हम सबकी करना चाहते हैं लेकिन हम तो उस परम्परा के हैं जहाँ दुर्योधन और सुयोधन कहकर पुकारा है और हम पुकारना चाहते हैं : परन्तु मैं विधि मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूँ कि वे इस बात पर विचार करें कि क्या हम अकेले इस प्रकार की बात को कहने वाले हैं? आपके केन्द्र के मंत्री श्री साठे जी द्वारा विनोबा जी से मुलाकात समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई है, जिसे आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को (××) कहकर पुकारा है और यह सारे देश के अखबारों में छपा है (××) किसको कहते हैं इसको आप जानते हैं?

डॉ. राजेन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह इंदिरा जी बीच में कहाँ से आ गयीं।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता था कि माननीय विरोधी दल के नेता किस संदर्भ में बात कर रहे हैं। आपने अपनी परम्पराओं की समूची दुहाई दी, लेकिन उसके अनुरूप जहाँ बात करने की बात आई तो आपकी असली परम्परा और असली संदर्भ समझ में आ गया।

श्री शीतला सहाय : यह (××) शब्द आपकी परम्परा है?

श्री अर्जुनसिंह : आपने यहाँ पर न जाने क्या-क्या कह दिया। मैं चुपचाप सुनता रहा। आप समझते हैं आपको वह कहने की जरूरत थी?

श्री शीतला सहाय : मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के शब्द कहने की जरूरत केवल आपको नहीं है?

श्री अर्जुनसिंह : मैं यह कहता हूँ कि किसी के खिलाफ कुछ कहना बहुत आसान होता है।

श्री शीतला सहाय : यह आप अपने वालों से कहिए न।

श्री अर्जुनसिंह : आपने तो कुछ कहा ही नहीं।

श्री शीतला सहाय : माननीय विधिमंत्री जी ने जब हमको (××) बनाना आरम्भ कर दिया, तब मैंने कहा.....

श्री अर्जुनसिंह : मैं तो नहीं समझता कि उनके बनाने से आप बन जाएँगे।

श्री शीतला सहाय : तो प्रत्युत्तर में यदि मैंने यह कह दिया कि मैंने अपनी मर्दानगी जाहिर कर दी तो क्या गलत कह दिया?

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में आप निर्धारित नियम और प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लें। आपने एक निर्णय लिया है और सदन जो जानकारी चाहता है उसके लिए अलग प्रतिक्रियाएँ हैं और सदन से कोई जानकारी छिपाने का सवाल ही नहीं उठता लेकिन हठवादिता के आधार पर अमुक प्रकरण के माध्यम से कोई जानकारी आनी चाहिए, यदि माननीय विरोधी दल के नेता प्रतिपादित करते हैं.....

श्री सुन्दरलाल पटवा : नहीं-नहीं।

श्री अर्जुनसिंह : वे स्वयं जानें, मैं तो कह नहीं सकता, लेकिन चूँकि आपको सदन में बोलने की स्वतंत्रता है इसलिए क्या आप चाहते हैं कि जहाँ-जहाँ अखबारों में जो कुछ छपा है, उसका उल्लेख करते जाएँ?

श्री सुन्दरलाल पटवा : नहीं करें?

श्री अर्जुनसिंह : मैं क्यों ऐसा कहूँ। लेकिन यहाँ जो चर्चा हो रही है उसमें विनोबा जी ने साठे जी से इन्दिरा जी के बारे में क्या कहा, उसका क्या संदर्भ आज की इस चर्चा से है। क्या आप विरोधी दल के नेता हैं इसलिए किसी का नाम लेकर किसी के बारे में किसी ने क्या कुछ कहा यह आप यहाँ कह सकते हैं? यह न तो आपका अधिकार है और न यह मेरा अधिकार है। उस परम्परा का पालन आपको भी करना होगा और मुझे भी करना होगा। यदि आप परम्पराओं से हटकर, मर्यादाओं से हटकर कुछ कहें और हम लोग चुपचाप सुनते रहें, तो यह तो संभव नहीं होगा। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक आपसे प्रार्थना करूँगा कि संदर्भ के बाहर जाकर किन बातों का उल्लेख किया है, उसे कार्यवाही से विलोपित किया जाए।

उपाध्यक्ष : मैं देखकर उसके बारे में निर्णय लूँगा। अब यह समय तो अभी हो चुका है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : उपाध्यक्ष महोदय, समय कहाँ समाप्त हुआ, समय तो अभी बाकी है।

उपाध्यक्ष : तीन बजे से अशासकीय संकल्प लिए जाने थे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : बाद में समय बढ़ा दीजिए, अभी दो मिनिट का समय मुझे दे दीजिये।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्यवाई/5 मार्च 1982, पृष्ठ/ 176-179)

मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह से संबंधित वर्ष 1982-83 की अनुदान माँगों को राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन श्री चन्द्र प्रभाष शेखर ने प्रस्तुत किया। माँगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। माँगों और कटौती प्रस्तावों पर चर्चा की शुरूआत सदस्य श्री कैलाश जोशी ने की—

श्री कैलाश जोशी (बागली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से सम्बन्धित विभागों के ऊपर चर्चा में अपने विचार प्रकट करने के लिये उपस्थित हुआ हूँ। मुख्यमंत्री जी का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है सामान्य प्रशासन विभाग जो पिछले कुछ महीनों से अत्यन्त असामान्य बना हुआ है। यह बात तो सच है कि कांग्रेस दल में हमेशा गुट रहे हैं और अगर कांग्रेस में गुट न रहें तो कांग्रेस दल ही नहीं रह सकता। यह इतिहास है कांग्रेस का और इसलिए कांग्रेस में हमेशा गुट रहते आए हैं और मैंने पिछले बीस वर्षों में कांग्रेस की कई सरकारों को देखा है परन्तु गुटबाजी के होते हुए भी इतनी दयनीय स्थिति किसी सत्ताधारी दल की हमने इस विधानसभा के अंदर कभी नहीं देखी। जहाँ तक मंत्रिमंडल का सवाल है पहले भी हमने देखा है कि मंत्रिमंडल में कुछ मंत्री मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं होते थे और उसके कारण उनमें असंतोष बना रहता था परंतु इस सरकार की एक नई विशेषता हमको देखने को मिली है और वह यह कि इस सरकार के मंत्रिमंडल के अनेक सदस्य मंत्री भी बने हुए हैं और कोप भवन में भी बैठे हुए हैं। मंत्रिमंडल में अपने विभाग का काम भी देख रहे हैं। यह लोगों को दिखाई भी देता है परन्तु अपने दायित्व से वे संतुष्ट नहीं हैं। वे हमेशा कोप भवन में बैठे रहते हैं और इस मंत्रिमंडल की एक और विशेषता मैंने

देखी है कि हमेशा मंत्रिमंडल में जो नम्बर 2 होते हैं उन पर मुख्यमंत्री बहुत विश्वास करते हैं अधिक विश्वास करते हैं परन्तु श्री अर्जुनसिंह जी की सरकार की एक असामान्य बात देख रहे हैं यहाँ उनको न नम्बर 2 पर भरोसा है न नम्बर 3 पर उसके बजाय 6-7-8-11-15-17 पर ज्यादा विश्वास करते हैं। यह इस बात को प्रकट करता है कि सामान्य रूप से अर्जुनसिंह की सरकार का प्रशासन किस प्रकार चल रहा है जैसा कि स्थिति मंत्रियों की है, विधायकों की स्थिति उससे भी ज्यादा खराब है विधायक भी वही बात है कि माननीय अर्जुनसिंह का एक ही प्रश्न है एक ही उनका दृष्टिकोण है। उनके यहाँ विधायकों की योग्यता के आधार पर विचार नहीं किया जाता, विधायकों की जिले और क्षेत्र में क्या स्थिति है उस पर विचार नहीं किया जाता उनके सामने तो एक ही दृष्टिकोण है कुछ विधायक उनके चहेते हैं और कुछ अनचहेते हैं। जो चहेते विधायक हैं वह प्रशासन में चाहे जो काम करा सकते है, वे जैसा कहें वैसा प्रशासन को सुनना चाहिये। प्रशासन के अधिकारी बेचारे नहीं सुनते हैं तो उनकी शामत आ जाती है।

श्री हीरालाल सोनबोइर : हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने विधायकों से कहा है कि अपने को मुख्यमंत्री मानकर ही काम करो और सभी काम अच्छी तरह हो रहे हैं। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हो रहा है।

श्री कैलाश जोशी : सोनबोइर जी मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उसका उपयोग आप से जैसे सज्जन विधायक करते तो हमें बिल्कुल दुख नहीं होता लेकिन आप जैसे सज्जन विधायक जो हैं वे उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हैं लेकिन जो उनके चहेते हैं वही उसका उपयोग कर रहे हैं। अतः उपयोग नहीं हो रहा है बल्कि दुरुपयोग हो रहा है।

श्री हीरालाल सोनबोइर : सन 67 से मैं विधायक हूँ। मैंने अपनी इच्छा पूरी कर ली अब जो नव जवान आए हैं उनकी इच्छा को हमारे मुख्यमंत्री पूरा कर रहे हैं।

श्री कैलाश जोशी : वैसी स्थिति विधायकों की है, विधायकों पर अपने दल के नेता का कोई नियंत्रण नहीं है। पिछले वर्ष भर में अनेक विधायकों के बारे में गंभीर शिकायतें आई हैं और उनमें से कुछ शिकायतों पर प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यवाही भी चल रही है। यह बात भी मैं स्वीकार करता हूँ, परन्तु हमने कभी नहीं सुना कि दल के नेता के नाते किसी विधायक के आचरण के बारे में नेता ने किसी प्रकार का कदम उठाया हो। लगभग एक दर्जन विधायकों के बारे में इस प्रकार की बातें सुनने को मिली हैं। अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने की एक विधायक के बारे में 26 जनवरी को एक अशोभनीय घटना की शिकायत प्राप्त हुई है कि वे 26 जनवरी को एक स्थान पर ध्वजारोहण के लिये गये देर से पहुँचे इसलिए अधिकारियों ने कहा कि ध्वजारोहण हो गया तो उन्होंने कहा कि हम मुख्य अतिथि हैं मेरी अनुपस्थिति में कैसा होगा फिर से करें तो उन्होंने कहा कि दो बार नहीं होगा तो उन्होंने कहा कि कैसे नहीं होगा मैं तो अब आया हूँ। दोबारा हुआ, सभी बच्चों से फिर परेड कराई गई और जब प्रधान अध्यापक ने उनका विरोध किया तो विधायक महोदय ने उन्हें थप्पड़ मारना शुरू कर दिया इस प्रकार की अनेक विधायकों के आचरण की शिकायतें मिली हैं।

श्री विजय मोहन तिवारी : यह सारे विधायकों को जलील करना चाहते हैं। इनके पास कोई सर्टिफिकेट हो तो विधानसभा के सामने लाएँ अन्यथा इस प्रकार विधायकों की आजादी का दुरुपयोग करके, राजनीति का उपयोग करके विधायकों का अपमान करना चाहते हैं "कातिल तुझे कहूँ या कहूँ खुदा, हैरत में पड़ गया हूँ कि तुझे क्या कहूँ।"

श्री कैलाश जोशी : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूँगा कि जब तक मैं न बैठूँ आप खड़े न हों। वैसे स्थिति प्रदेश की है मुझे तो दुःख इस बात का है कि अभी तक अनेक मुख्यमंत्री हमने देखे बड़े कठोर निर्णय वाले, निपुण अनुशासन वाले मुख्यमंत्री भी देखे परन्तु वर्तमान मुख्यमंत्री की हालत ऐसी है, दिखावा तो ऐसा करता हैं कि मैं बड़ा मृदु व्यवहार वाला हूँ, अत्यंत संवेदनशील हूँ, प्रशासन को अच्छी तरह से चलाना चाहते हैं। दिखावे के लिए उन्होंने परिपत्र निकाल दिये कि मेरे नाम का दुरुपयोग न होने पाए, मेरे नाम पर कोई सिफारिश नहीं होना चाहिये कोई गलत काम नहीं होना चाहिये, परन्तु जितने गलत काम आज मुख्यमंत्री के नाम का दुरुपयोग करके और उनके कार्यकाल में हुए हैं मैं नहीं समझता कि इससे अधिक अन्य समय में हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय पिछले एक साल के अन्दर प्रशासन की स्थिति बहुत बिगड़ी है।

(व्यवधान)

प्रशासन में आय.ए.एस. अधिकारी कितने विशेष कार्य करने वाले हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं होना चाहिये ऐसा तो मैं नहीं कहता वे अगर कोई प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अगर इस प्रदेश के हित में काम नहीं कर रहे हैं उनका कार्य-व्यवहार अच्छा नहीं है तो उनके विरुद्ध निश्चय कार्यवाही होना चाहिये परन्तु दुख तब होता है कि यहाँ जिन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं उसमें आपके सामने उसका कितना दोष नहीं है उसका हित और अहित है यह दृष्टिकोण नहीं है आप तो अपनी व्यक्तिगत सुविधा को ध्यान में रखकर यहाँ सारी कठिनाई बताते है पिछले दिनों आपने एक अधिकारी को निलम्बित किया, निलम्बित करने के बाद आज तक क्या कार्यवाही शासन की ओर से उसके विरुद्ध की गई। प्रदेश की जनता ने और सदन के माननीय सदस्यों को इसकी कुछ जानकारी नहीं है आपने उस अधिकारी पर आरोप लगाया कि उनके खिलाफ दस वर्ष पहले के प्रकरण थे, उसके लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, परन्तु उस अधिकारी को लम्बे समय तक सफाई का मौका नहीं दिया गया अब तो उनका उत्तर आपके पास आया हुआ है और उस उत्तर में उन्होंने स्पष्ट रूप से सार्वजनिक रूप से कहा है कि मेरे कार्यकाल में कोई अनियमितता और गलती नहीं है। पर कैसे भी उस पर आरोप लगाया गया। लेकिन वह किसी भी प्रकार से लिप्त नहीं पाया गया ऐसी उस अधिकारी की ओर से यह बात आई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह शासन का दायित्व नहीं था कि शासन तत्काल इस प्रदेश की जनता को और सदन को इस बात से अवगत कराता कि वास्तव में इस अधिकारी का यह दोष है और यह दोष नहीं है। बिना किसी सत्यता के उस पर आरोप लगा दिये गये उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है इसका कोई ख्याल नहीं रखा गया। उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं निश्चित तौर से यह कहने की स्थिति में हूँ कि श्री अर्जुनसिंह ने उस अधिकारी को अपने मार्ग का कांटा समझकर हटाने का प्रयत्न किया है। वह अधिकारी राष्ट्रपति शासन में लाया गया था। आपकी निष्ठा के विपरीत वह आपको दिखाई दिया था और इसलिए आपने उनको हटाने के लिये यह एक तरीका अपनाया और आरोप लगाकर के उसको निलंबित कर दो ताकि मामला दो-तीन साल तक चलता रहेगा तब तक अपना निष्कंटक राज्य चलता रहेगा। अपने चहेते अधिकारी को लाकर यहाँ पर बैठायेंगे और वह अधिकारी वहाँ पर रहेगा नहीं तो हमारी मर्जी से सारा काम चलता रहेगा। इस तरह से एक अधिकारी नहीं, आपने 3-4 अधिकारियों के साथ ऐसा किया है। एक और दूसरा अधिकारी है जिसको आपने हटाया। इसके बारे में कहा तो यह गया कि उन्होंने कहीं रेल में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया। अगर वास्तव में कोई दुर्व्यवहार किया है तो उसको दंड मिलना चाहिये। परन्तु इस सरकार का तरीका बड़ा अजीब है। शिकायत आई तो उनको कहा गया कि तुम छुट्टी पर जाओ। एक महीने और सवा महीने के, बाद कहा कि वापस आ जाओ। अपना चार्ज ले लो और उसके बाद फिर कहा गया कि तुम्हारी फिर से छुट्टी की जाती है। आखिर यह कौन-सा मापदंड है? अगर आपने पहले उनको छुट्टी पर जाने को कहा था तो आपके पास उस घटना के बारे में कोई सुस्पष्ट प्रमाण थे कि जिस महिला सदस्य के साथ उनकी चर्चा हुई, क्या उनकी कोई शिकायत आपके पास थी? किस-किस एजेन्सी के द्वारा आपको जानकारी मिली? आपकी जब मर्जी आती है तब आप कहते हैं कि छुट्टी पर चले जाओ और जब मर्जी आती है कह देते हैं कि वापस आ जाओ। आपके ही गृह जिले के जिलाध्यक्ष की एक घटना है। पिछले समय में हमने स्वयं बीच में टोककर कहा कि आखिर क्या मामला है, आप जरा हमको बताईये कि जो कलेक्टर मेहरा हैं उनकी क्या घटना है? तो आपने स्वयं ने सदन में उठकर बताया कि कोई बात नहीं है। उन्होंने कोई सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ अच्छा बरताव नहीं किया इसलिए ऐसे आदेश दिये थे। बाद में मुझे मालूम हुआ तो उसको रोक दिया गया। यह आपकी कैसी जानकारी है? क्या इसी जानकारी के आधार पर इस प्रदेश का शासन और प्रशासन चल सकता है? एकाध घटना इस तरह की हो जाये तो मान भी लिया जायेगा। लेकिन सभी अधिकारियों के मामले में यही होता है। आप कभी कहते हैं कि मुझे यह जानकारी मिली, इसलिये मैंने आदेश दे दिया। बाद में आप कहते हैं कि उसको मैंने ठीक कर लिया।

उपाध्यक्ष महोदय, आज भी प्रदेश की जनता और सदन के सदस्यगण उस रहस्य को जानने में असमर्थ हैं कि जिन रहस्यमय परिस्थितियों से मुख्यमंत्री के गृह जिले के जिलाध्यक्ष श्री मेहरा को हटाया गया था और फिर से

उनको वहाँ पर रख लिया गया, इससे आपने इस सदन को आज तक अवगत नहीं कराया। आपने कभी भी पूरी जानकारी नहीं दी कि जिसके आधार पर यह सारा किस्सा हुआ। यह सारा किस्सा समाचार- पत्रों से लोगों को मालूम हुआ या वहाँ से आने वाले लोगों से पता लगा। एक घटना अभी-अभी पिछले माह में हुई है। एक जिले के अधिकारी को अपने यहाँ बुलाया भोपाल में और यहाँ बुलाकर आपने उनको कहा कि ऐसा-ऐसा काम क्यों नहीं हुआ। इनकी बात क्यों नहीं सुनी गई? यह सामान्य प्रशासन को स्वच्छता के साथ चलाने का तरीका है आपका जिसे आप बराबर दुहाई देते रहते हैं। आप लोगों से ही नहीं बोलते हैं बल्कि सदन में भी कई बार यहाँ भी दुहाई देते हैं। आपने परिपत्र जारी कर दिया कि कोई किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। मेरे नाम का कोई उपयोग नहीं करेगा और किसी अधिकारी को यह सुनना चाहिये। यह आपका प्रशासन चलाने का तरीका है तो फिर क्या कारण है कि पिछले डेढ़ साल में वल्लभ भवन में एक-एक हफ्ते में अधिकारी बदल जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले 25 वर्षों में यह कभी नहीं देखा कि किसी संभागीय आयुक्त को डेढ़-दो माह में हटाया गया हो। वल्लभ भवन में जब हमारी मुश्किल हो जाती है जब हम एक बार फोन करके एक विभाग के सचिव को कुछ घटनाओं की जानकारी बताते हैं तो वह कहते हैं कि पाँच दिन बाद बता देंगे। लेकिन पाँच दिन बाद वहाँ दूसरे सज्जन विराजमान दिखाई देते हैं और पता चलता है कि वह चले गये हैं मैं आ गया हूँ। ठीक है साहब मैं तो तीन दिन में बता दूँगा। आजकल तो वल्लभ भवन में अधिकारी यह भी बोलते सुने गये हैं कि साहब, अगर इस कुर्सी पर रहा तो तीन दिन बाद बता दूँगा, मुझे भरोसा नहीं कि कल ग्यारह बजे मैं यहाँ आऊँगा या नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थिति है प्रशासन की और आप अपने संवेदनशील प्रशासन की दुहाई देते नहीं थकते। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार संवेदनशीलता से नहीं चलती है। सरकार व्यवहारिक दृष्टिकोण लेकर चलती है। शासन अपने चहेतों से नहीं चलाया जा सकता। शासन को लोकतांत्रिक सिद्धांतों और आदर्शों के आधार पर चलाया जाता है। परन्तु हमको वह आपके प्रशासन में कहीं भी दिखाई नहीं देता है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले प्रशासन की बात बार-बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आपकी सरकार ने और आपके सारे प्रशासन को खराब कर दिया है, लेकिन बताते कभी नहीं हैं कि हमने क्या खराब कर दिया है। हम लोगों ने जब बार-बार सुना तो कहा कि हम लोगों ने क्या-क्या खराब किया है, आप या तो जाँच बैठा दीजिये, जाँच करवा लीजिये। सारे कागज और फाइल्स आपके पास हैं। परन्तु आज तक आपको दो वर्ष के कार्यकाल में (कल परसों पूरे हो जायेंगे) आपने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन अपनी असफलता को छिपाने के लिए बार-बार कहने के लिए एक ऐसी ढाल आपको मिल गई कि जहाँ आप जाएँ वहाँ पर जनता को बोलें कि जनता सरकार में सारा प्रशासन अस्त-व्यस्त हो गया था। मैं उसको ठीक करने में लगा हूँ।

श्री कृष्णपाल सिंह (विधि मंत्री) : यह एक अच्छा प्रश्न आपने उठाया कि क्या-क्या खराबी थी। सही बात तो यह है कि हम यह ढूँढते रहे हैं कि आपमें अच्छाई क्या थी?

श्री कैलाश जोशी : आपकी सरकार का यही तरीका है कि आप जोर-जोर से बोलते रहते हैं। आपने दो साल में कुछ नहीं किया है। जनता से जाकर चाहे जो बोलना आपका धर्म बना हुआ है। मैं फिर से दोहराता हूँ कि हमारे शासन में यदि खराबी थी तो निश्चित रूप से आपको कार्यवाही करनी चाहिये। उसका उत्तर देने के लिए हम उद्यत हैं, तत्पर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यही स्थिति पुलिस प्रशासन की है। पिछले दिनों पुलिस प्रशासन के अनेक अधिकारी छुट्टी पर चले गये। कुछ लोगों को आउट आफ टर्न प्रमोशन किए जा रहे हैं। मगर कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी को उसकी चिन्ता नहीं है। मुख्यमंत्री जी का एक मापदण्ड है कि जो भी हमारा चहेता हो, फिर चाहे वह योग्य हो चाहे अयोग्य हो। योग्यता की इनके पास एक ही कसौटी है। और आजकल तो मजे की बात यह है कि केवल हम ही नहीं कहते, हम कहें तो ठीक है, विपक्षी दल के लोग हैं, मगर अभी पिछले दिनों हमने समाचार- पत्रों में पढ़ा कि आपके दल की बैठक में आपके दल के विधायकों ने कहा है कि मध्यप्रदेश में एक मुख्यमंत्री नहीं है, मध्यप्रदेश में चार मुख्यमंत्री हैं और अखबारों में आया है कि विधायकों के अर्जुनसिंह, वल्लभ भवन के और कोई सिंह, पुलिस विभाग में और अलग कोई सिंह। मुझे याद भी है। लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। यह आपके दल के ही विधायक कहते हैं।

(व्यवधान)

श्री बाबूलाल गौर : सक्सेना साहब को बैठे-बैठे मिरगी का दौरा आता है।

श्री कैलाश जोशी : कांग्रेस के अनेक विधायक तो यह भी कहते हैं कि सार्वजनिक रूप से कि अर्जुनसिंह की प्रशासन से पकड़ समाप्त हो गई है। मैं तो उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। ये बात सच है कि शुरू-शुरू में आपने कुछ ऐसा दिखाया था हमको भी लगता था कि निश्चित रूप से प्रशासन में नई प्रणाली लायेंगे आप एक नई पीढ़ी के कार्यकर्त्ता मुख्यमंत्री के पद पर आये थे तो हम सोचते थे कि जैसा बोल रहे हैं कोई नई प्रणाली लायेंगे। हमारे समय में गलतियाँ हुई होंगी मैं नहीं कहता कि हमसे गलतियाँ नहीं हुई होंगी आप गलतियों को सुधारते तो हमको कोई संकोच नहीं होता। आप अपने हृदय पर हाथ रखकर कहें दो-डेढ़ वर्ष के पहले जिन बातों को आप बोला करते थे जो करना चाहते थे, क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है तो धीरे-धीरे मेरा मत है कि यह वातावरण बनता जा रहा आपके दल में, आपके दल के विधायकों में कि अर्जुनसिंह जी की प्रशासन पर से पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। आपको इसके कारणों की खोज करनी होगी। और करना चाहिए इस स्थिति में सुधार की आवश्यकता है इसे आपको उन्मुक्त रूप से स्वीकार करना चाहिए मेहरबानी करके बाकी सब कीजिए एक बात जरूर बंद कीजिए। असफलता आपको महसूस हो रही है अगर जनता के बीच सार्वजनिक रूप से असफलता पर नहीं बोलना चाहते तथा कारणों पर नहीं जाते आप सारा दोष हम पर लाद देते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे साल भर तक आपने जो कहा वह चलता रहा लेकिन बहुत लम्बे समय तक हम पर सब बात ढालकर आप अपनी छवि अच्छी नहीं बना पायेंगे। दो वर्ष आपके बीत चुके हैं और इन दो वर्षों में जिस प्रकार की परिस्थितियाँ रहीं हैं उनको ध्यान में रखकर आपको प्रशासन के सारे तौर तरीके में परिवर्तन लाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय मैं इसके बाद एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी लोक सेवा आयोग में एक सदस्य की नियुक्ति हुई है। आपने एक अल्प समुदाय के व्यक्ति को उसमें नामजद किया मुझे कोई आपत्ति नहीं है वे महिला हैं उस पर भी कोई आपत्ति नहीं पहले से यह परिपाटी पड़ चुकी थी। श्री श्यामाचरण शुक्ल ने हरिजन सदस्य को उसमें नामजद किया था जब उनका कार्यकाल पूरा होने को आया तो हमने एक आदिवासी सदस्य को भी मनोनीत किया था आपने एक अल्प संख्यक वर्ग की महिला को मनोनीत किया तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है मगर मैं जानना चाहता हूँ जिनको मनोनीत किया है उसकी कसौटी क्या है क्या लोक सेवा आयोग को इस प्रकार का स्थान बनाना चाहते हैं जहाँ केवल हम राजनैतिक दृष्टिकोण से किसी व्यक्ति को बैठा दें योग्यता को न देखें जिन सेवाओं के चयन के लिये उनको हम सदस्य मनोनीत कर रहे हैं वहाँ क्या वे चयन में शासन को या लोक सेवा आयोग को योग्य सलाह दे सकेंगी।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कुछ कहना नहीं चाहता था मैं उनसे निवेदन करूँगा कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के या किसी सदस्य की क्वालीफिकेशन या कार्य क्षमता या उसके बारे में यहाँ इस प्रकार से टिप्पणी करना क्या उचित होगा? मैं उनसे ही निवेदन करता हूँ कि इस पर विचार कर लें।

श्री कैलाश जोशी : जो नहीं बोलना चाहिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। अगर आप गलत काम करेंगे और मुझे यह कहकर चुप करना चाहते हैं कि लोक सेवा आयोग मसला है तो यह नहीं हो सकता। मैं तो आपके गुणगान गा रहा हूँ न मुझे लोक सेवा आयोग की कार्य प्रणाली से वास्ता है न मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं तो आपके गुणगान गा रहा हूँ। पिछले दिनों इस प्रदेश में अनेक बार यह चर्चा चली है कि अर्जुनसिंह सामन्तवाद के पोषक हैं और जितने जोर से यह बात कहते हैं केवल विपक्ष कहता है ऐसा नहीं है अनेक अधिकारी भी आजकल कहते हैं। जो आपके विश्वसनीय लोग होते हैं वह किसी न किसी रूप से सामन्तवाद से जुड़े होते हैं। इसी प्रकार आपको नम्बर दो के मन्त्री पसन्द नहीं आते क्योंकि वह सामंतवादी नहीं हैं और फिर आपको नम्बर 7,8,9 के जो मंत्री हैं वह सामन्तवाद से जुड़े हुए हैं अतः वह आपको पसन्द आते हैं। जहाँ तक शासकीय अधिकारियों में आपकी रुचि का सवाल है वह भी इसी पर निर्भर है। जो अधिकारी सामंतवाद से जुड़े हैं वह आपके चहेते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार के कार्यकलाप हमारे मुख्यमंत्री जी के हैं। इस बात के बहुत से उदाहरण हैं पर मैं केवल दो उदाहरण देना चाहता हूँ। खिलचीपुर के भूतपूर्व शासक का वहाँ एक मकान बहुत खस्ता हालत में पड़ा हुआ था।

एक विभाग के कार्यालय के लिए उसकी माँग की गई। विभागीय अधिकारी उसको देखने गये और यही रिपोर्ट दी कि उक्त मकान बहुत जीर्ण-शीर्ण स्थिति में पड़ा है और यदि शासन इसको किराये पर लेना चाहे तो 250 रुपये माहवार पर किराये पर ले सकता है। मगर बाद में इस आधार पर नस्ती पर आदेश दिये गये कि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि उक्त मकान किराये पर अवश्य लिया जावे और इसी कारण वह मकान किराये पर लिया गया और बहुत अधिक किराये पर लिया गया। । अगर मुख्यमंत्री जी चाहें तो उक्त प्रकरण से संबंधित पूरी जानकारी मैं दे सकता हूँ। पर मेरा तो यही कहना है कि अकलमंद को इशारा ही काफी होता है। इसलिए उनकी जानकारी के लिए यह बात कही है। इसी प्रकार की जानकारी झाबुआ के संबंध में मिली है। वहाँ के जो भूतपूर्व नरेश हैं उनकी प्रॉपर्टी संपत्ति कर से बच जावे। रजिस्ट्रेशन फीस कम लगे। उनको संपत्ति कर देने में आसानी हो जावे। मुख्यमंत्री ने रुचि लेकर अपने पसन्द का एक अधिकारी वहाँ भेजा और वह अधिकारी भी सामन्तवादी खेमे का था उसको इस कार्य को करने के लिये वहाँ स्थानांतरित किया गया ताकि वह उनके चाहे अनुसार काम कर दे। उपाध्यक्ष जी, यह सारा मामला इस बात को बतलाता है कि आपके कार्य करने की जो क्रिया है वह अपने आप में सामन्तवादी है। थोड़े समय के लिए एक अधिकारी को भेजा जावे और ऐसे अधिकारी को जो स्वयं सामन्तवादी घराने का हो और वह काम कराकर उसको पुनः वहाँ से हटा दिया जावे। तो इस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रशासन चलाने का तौर तरीका है। इस विशाल और गरीब प्रदेश को इस संवेदनशील प्रशासन से भगवान बचाये यही हम चाहते हैं। इसमें परिवर्तन हो और आपसे हमें मुक्ति मिले इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है।

वल्लभ भवन से कोई अधिकारी स्थानांतरित कर दिये जाते हैं और पीछे थोड़े से समय के पश्चात् पुनः उन्हें उसी स्थान पर बुला लिया जाता है। संभाग आयुक्त जैसे बड़े अधिकारी का स्थानांतर 3 महीने के अंदर एक महीने के अंदर कर दिया दिया जाता है। सीधी के कलेक्टर श्री मेहरा जी की नाराजी हो गई। तुरन्त मुख्य सचिव को आदेश दिया उनको वहाँ से तुरन्त हटा दिया जावे। बिना किसी चार्ज के उनको हटा दिया गया। पर इसके तुरन्त बाद 10 दिन के बाद उनको पुनः वहीं पोस्ट कर दिया। जो पहले बुरे लग रहे थे 10 दिन बाद मुख्यमंत्री जी को अच्छे लगने लगे। क्या यही एक सामान्य तरीका है प्रशासन के चलाने का। इसी प्रकार की स्थिति प्रशासन में सारे प्रदेश में बनी हुई है जिसका दुष्परिणाम इस प्रदेश की 6, साढ़े 6 करोड़ जनता को भुगतना पड़ रहा है। यह आखिर कौन-सा तौर तरीका मुख्यमंत्री जी का प्रशासन चलाने का है। आप अपने इस सामन्तवादी तौर तरीके हैं उनको बदलिये। ठीक है जो आपके विश्वसनीय अधिकारी हैं उनको रखिये उनका सहयोग लीजिये। पर यह भी देखिये कि प्रदेश का प्रशासन सामान्य तरीके से चले इसी की ओर मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

जहाँ तक भ्रष्टाचार का मामला है उपाध्यक्ष जी उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार के संबंध में मुख्यमंत्री जी ने खरगौन में कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप राजनैतिक उद्देश्य से नहीं लगाये जाना चाहिये। आप जानते ही हैं कि हम यहाँ एक राजनैतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं। हमारा राजनैतिक उद्देश्य नहीं होगा तो दूसरा क्या उद्देश्य होगा। अगर हम भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं तो आपको चाहिये कि आप अपनी सफाई दें। जब हमारे शासन पर आरोप लगाते थे तो उसकी आपको पर्याप्त छूट दी आपको पूरा अधिकार था। आपने उसका उपयोग भी किया है। आप याद कीजिये आपने आरोप मुझ पर भी लगाया सात साल पुराना था जिसका कोई मतलब नहीं था, मुकदमा चल रहा था बाद में, मैं बरी भी हो गया लेकिन आपने इतने जोर शोर से उठाया कि एक दिन फर्श पर बैठकर रघुपति राघव राजाराम गाने लगे थे। और आप हमको तो कहने लगे। हम साधु सन्यासी की टोली में तो बैठे नहीं हैं। आप अगर साधु हो जायें तो हम भी राजनीति छोड़ दें।

श्री अर्जुनसिंह : जोशी जी के लिये मैं कहूँगा—

"रघुपति राघव राजाराम, जोशी जी का हो कल्याण"

उपाध्यक्ष : अभी आप समय लेंगे?

श्री कैलाश जोशी : जी हाँ।

उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही ढाई बजे तक के लिये स्थगित।

(1.01 से 2.30 बजे तक के लिये अंतराल)

{उपाध्यक्ष महोदय (श्री रामकशोर शुक्ल) पीठासीन हुए}

श्री कैलाश जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, अवकाश के पूर्व मैं अपने भाषण में माननीय मुख्यमंत्री पर मेरे द्वारा लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों और उनके द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में चर्चा कर रहा था। उनका जो कुछ इसमें रवैया रहा है उसको देख कर मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार एक बच्चा अपनी माँ के साथ बाजार जा रहा था। साथ में चलते-चलते उसने एक दुकान से एक चाकलेट अपने मुँह में रख ली। जब दुकानदार ने देखा कि बच्चे ने चाकलेट उठाई तो तुरन्त उसने उसकी माँ से कहा कि बच्चे ने चाकलेट उठा ली है। बच्चा माँ के पीछे जाकर छुप गया माँ ने भी समझ लिया कि जरूर बच्चे ने कुछ न कुछ गड़बड़ी की है इसलिये माँ ने दुकानदार से कहा कि अभी तो मैं जल्दी में हूँ, बाद में आकर बात करूँगी। बाद में माँ ने आकर कहा कि चाहो तो मेरे बच्चे का पेट चीरकर देख लो। क्योंकि वह जानती थी कि अब उसके पेट में अब वह है नहीं भ्रष्टाचार के बारे में भी यही बात है। जिस समय हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया और उसकी कापी आपको दी तत्काल आप घोषणा कर देते कि इसकी जाँच के लिये हाईकोर्ट का जज नियुक्त कर रहे हैं। हमारे नेता ने कहा था कि जो आरोप हम लगा रहे हैं अगर हम उनको सिद्ध न कर पाये तो हम उसकी सजा भुगतने को तैयार हैं। 6 महीने 9 महीने तक आप चुपचाप बैठे रहे, अब आप मुँह धोकर-साफ होकर आ गये हैं, अब कह रहे हैं कि लोकायुक्त से जाँच करवा लो। उस समय आपको माँ की आड़ लेने की जरूरत नहीं थी, आप तत्काल घोषणा करते कि अमुक हाईकोर्ट का जज जाँच के लिये नियुक्त किया जाता है, तब हम मान लेते कि आप ईमानदारी से ऐसा कह रहे हैं। अब आपने कहा कि हमने लोकायुक्त बना दिया, आप चाहें तो उससे जाँच करा लें। अगर लोकायुक्त के सामने सिद्ध भी हो जायेगा तो उसकी रिपोर्ट आपके पास आयेगी। आपके पास आने के बाद हम क्या आशा करेंगे कि आप उस पर कार्यवाही करेंगे। इसीलिये हमने माँग की है कि लोकायुक्त को अधिकार दिया जाये कि वह दोषी पाये व्यक्ति के विरुद्ध वह उसको ताड़ना दे सके, दण्ड दे सके। आप कहते हैं कि मंत्रिमंडल में आयेगा। जो आपकी मर्जी का होगा, उस पर तुरन्त कार्यवाही नहीं करेंगे और जो आपकी मर्जी का नहीं होगा उस पर कार्यवाही करेंगे। आपने हमारे साथी सखलेचा साहब के ऊपर बड़े जोर शोर से आरोप लगाये। दो साल हो गये आपका मंत्रिमंडल बने हुये, क्या किया। लेकिन उसकी गंभीरता बनी रहे इसलिए कहते हैं कि सी.बी.आई. को दे दिया है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं आपका संकेत समझ गया। जैसा आप चाहते हैं, वैसा ही होगा

श्री कैलाश जोशी : हम जानते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा क्या होगा? आप जो चाहते हैं वैसा अपने दल से ही नहीं करा पाते बाकी क्या करायेंगे परन्तु हम जो चाहेंगे वह निश्चित रूप से होगा, इसलिये होगा कि हम जो कह रहे हैं वह उचित बात है। आपने सी.बी.आई. को भेज दिया, कौन-सी बड़ी बात है, इससे बड़े-बड़े मामले हैं लेकिन उनकी जाँच सी.बी.आई. से कराने के लिये तैयार नहीं हैं, जबरदस्ती एक हव्वा खड़ा करके रखे हैं कि कोई कहे कि क्या कर रहे हैं तो कहेंगे कि हमने केश सी.बी.आई. को दे दिया। आप इस तरह से प्रशासन तंत्र को ठीक नहीं कर सकते।

इसके बाद थोड़ा-सा उपचुनाव के बारे में कहना है। आप अच्छा प्रशासन चलाने की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी लोकतांत्रिक परंपरा की याद दिलाते हैं, राष्ट्रीय नेताओं की विरासत की याद दिलाते हैं। सागर और कोटा के उपचुनाव में जो काम किया है क्या वह उन नेताओं ने विरासत के अनुकूल है। आपने आज ही एक प्रश्न का उत्तर दिया है कि 22 मंत्री उपचुनाव में गये थे। लोकसभा में इतना बड़ा बहुमत है फिर क्या जरूरत थी इतना पैसा फूँकने की, सारे मंत्रिमंडल की फौज ले जाने की, आपने सारे ठेकेदारों की जीप लगाई थीं। इतनी जीपों का काफिला और इतने मंत्रिगण वहाँ गये थे। ये मंत्रिगण उपचुनाव का प्रचार करने गये थे या खाने पीने गये थे क्योंकि एक पत्र में छपा था कि ये मंत्रिगण एकाध हफ्ता और ठहर गये होते तो वहाँ कई प्रकार के जीव जन्तु के वंश ही समाप्त हो जायेंगे। यह लोगों का कहना था। क्या यह लोकतंत्र के अनुरूप आचरण है, क्या इसी लोकतंत्र का प्रचार करने के लिए वहाँ गए थे? वहाँ शराब की दावतें हुई थी मुझे शर्म आई सुनकर एक मंत्री जी ने एक शाम

को सांस्कृतिक कार्यक्रम करा लिया क्या इस प्रकार से लोकतंत्र को नई दिशा देंगे? लोकतंत्र को नई दिशा देने के लिये हमें अपने चरित्र में सारी चीजें लानी पड़ेंगी आचरण में लाना पड़ेगा तभी नई पीढ़ी को प्रेरणा दे सकेंगे वर्ना विरासत में नई पीढ़ी को कुछ नहीं दे सकेंगे इन उपचुनावों में आपने जो कुछ किया वह आपकी व्यक्तिगत गरिमा के अनुरूप भी नहीं है। सागर की सीट चली जाती तो क्या लोकसभा में बहुमत समाप्त हो रहा था, लेकिन आपने सारे उचित-अनुचित हथकंडे अपनाये, इसके बावजूद जनता ने जो निर्णय दिया वह अलग प्रकार से दिया, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

इसके बाद मुख्यमंत्री जी का सांस्कृतिक विभाग है, उसके बारे में कहना चाहता हूँ। अर्जुनसिंह जी ने इस नये विभाग की स्थापना की, बहुत अच्छा है इस विभाग में गतिविधि शुरू की है, अच्छा है लेकिन इसके साथ-साथ यह कहने को बाध्य हूँ कि यह काम लीक वाला नहीं होना चाहिये। आपने कालीदास पुरस्कार की घोषणा की है, इसके बारे में मैं अपनी ओर से प्रतिक्रिया या निर्णय नहीं देता हूँ लेकिन देश के अनेक विद्वानों से चर्चा हुई है उनका कहना है कालिदास पुरस्कार जो मध्यप्रदेश शासन ने देना प्रारंभ किया है वह गौरव के अनुरूप नहीं किया जा रहा है, इसको सुधारना चाहिये। यह प्रदेश के सांस्कृतिक गौरव के प्रतिकूल हो रहा है। उस पर नियंत्रण होना चाहिये, विभाग के एक-एक पैसे का सदुपयोग हो और कालिदास पुरस्कार का नाम गौरव के अनुरूप ख्याति हो इस दिशा में सोचना होगा। इसको केवल अधिकारियों पर न छोड़कर, उसमें सुधार किया जाना चाहिए, यह अपेक्षा है। मुख्यमंत्री जी का एक और विभाग है, वह बीस सूत्रीय कार्यक्रम संबंधी है। मैं चाहूँगा कि इस बीस सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में एक बार चाहे तो सदन में या इसके बाहर राजनैतिक आधार पर बहस कर लें। मैं इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस करता हूँ कि इसके बारे में आपकी तरफ एक भ्रम है हमारे लिए। हम कई बार बोले हैं।

जब भी किसी संदर्भ में हम बोलते हैं तो सदस्य भी खड़े हो जाते हैं और मंत्री गण भी खड़े हो जाते हैं और हम कहते हैं कि आपको तो बीस सूत्रीय कार्यक्रम में विश्वास ही नहीं है। हम कहते हैं कि तो कहते हैं कि है तो आपने विरोध क्यों किया था? अच्छा हो कि आप भी बैठ जाइये और हम भी बैठ जाते हैं और जो भ्रांतियाँ इस संबंध में हैं, उन्हे दूर कर लीजिये। जहाँ तक बीस सूत्री कार्यक्रम के जो अंग हैं, मैं समझता हूँ कि किसी भी समझदार व्यक्ति को उनसे विरोध नहीं हो सकता और न हमारा ही विरोध हुआ। आपातकाल में जब हम बन्दी थे तब भी हमने कहा था कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के जो अंग हैं सभी अच्छे हैं लेकिन इनको जब राजनैतिक आधार दिया जाता है तो विरोध होता है वरना सभी कार्यक्रम के अंग प्रदेश के विकास से संबंधित हैं, सभी सूत्र मानवीय समस्याओं के निराकरण से संबंधित हैं परन्तु जब राजनैतिक आधार लेकर इस काम को किया जाता है तो इसका परिणाम यह होता है कि आप बुरी तरह से असफल होते हैं। इसके कारण जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है। आपने बीस सूत्री समितियाँ बनाईं हम नहीं चाहते थे कि हम उसमें आवें मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर आपने इस विधानसभा के द्वारा बीस सूत्री कानून पारित करवाया और उसके बाद यहाँ की जनता के धन का व्यय इस तरीके से किया कि इसको राजनैतिक दल का आधार बनाया— क्या यह उचित है? मैं नहीं समझता कि आप स्वयं भी उसको उचित समझते होंगे या आपके पास स्वयं के लिये भी कोई उत्तर इसका है? यदि आप इसमें समाज के सभी अंगों से सहयोग लेंगे तो अच्छा होगा।

उपाध्यक्ष : आपको चालीस मिनट हो गये हैं।

श्री कैलाश जोशी : अभी पाँच मिनट में समाप्त करता हूँ। मैं यह कह रहा था कि बीस सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की दिशा में हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन करने नहीं दिया जा रहा है। हो यह रहा है कि इन बीस सूत्री समितियों में अपराधी लोग भी भरे हुए हैं और इसकी आपको स्वयं को जानकारी है कि इनमें अच्छे लोग नहीं हैं और वे बराबर हस्तक्षेप करते हैं यहाँ सदन में तो आप कह देते हैं कि आप कार्यवाही कर रहे हैं लेकिन जब आपको स्वयं को जानकारी है कि अच्छे लोग नहीं हैं। तब भी आप कार्यवाही नहीं करते हैं होशंगाबाद जिले में एक सदस्य जो कि बीस सूत्री समिति में था एक हैड कांस्टेबिल को मार डाला।

श्री हजारीलाल रघुवंशी : किसी हैड कांस्टेबिल को नहीं मारा।

श्री कैलाश जोशी : मुझे आपकी भी जानकारी है।

श्री हजारीलाल रघुवंशी : तो निश्चित रूप से बता दीजिये।

श्री कैलाश जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं इनके संबंध में तो चर्चा ही नहीं करना चाहता था। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह जी को मध्यप्रदेश में अपने शासन काल में अगर कोई उपलब्धि हुई है तो वह एक ही है और वह है मध्यप्रदेश गृह राज्य मंत्री को ढूँढ निकालना।

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि इस बीस सूत्री कार्यक्रम की तमाम उपलब्धियों को वे प्रकाशित करें और फिर इसके बारे में फिर से चर्चा की जावे अगर आप हठ के कारण ऐसा नहीं करते तो यह अच्छी बात प्रदेश के हित में नहीं होगी। आपने बिजली की वृद्धि के लिये एक समिति को काम दिया यह समिति बिजली की वृद्धि कैसे करेगी। भूमि वितरण का कार्य आपने समिति को दिया इनमें समितियाँ क्या करेंगी? भूमि वितरण का काम तो हम राजस्व अधिकारियों से भी करा सकते हैं। किंतु आप तो सुनने को ही तैयार नहीं हैं। इसलिये मेरी सरकार से यह माँग है कि इस बीस सूत्री समिति के कार्यकलाप के बारे में शीघ्र एक श्वेत पत्र प्रकाशित करें और पर इस सदन में फिर से बहस हो तथा इस कानून को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जाये। इसमें करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया गया है।

इसके बाद में एक बार ऊर्जा के बारे में आपसे कहना चाहता हूँ— मैंने विद्युत मण्डल की चर्चा में भी कहा था— मैं केवल दो बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूँगा और उनमें एक तो यह है कि आपको सिंगरौली में अपने यहाँ विद्युत गृह लाने की इजाजत नहीं मिली— वह एक अच्छी बात नहीं है। सुपर थर्मल उत्तरप्रदेश में लग रहा है जबकि हमारे प्रदेश में कोयले का भण्डार भरा पड़ा है। हमारे मुख्यमंत्री जी यदि प्रयत्न कर दें तो सिंगरौली में विद्युत गृह लग सकता है।

सब सरकारों ने उसमें प्रयत्न किये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी यह अपेक्षा है कि सिंगरोली में एक विद्युत गृह लगे। उपाध्यक्ष महोदय, गुजरात के लिये मेरा कहना यह है कि कहीं आपका शिलालेख लगा ही न रह जाए क्योंकि आपने वहाँ पर भूमिपूजन करवाया है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी मिली है वहाँ पर अब तक कुछ भी प्रगति नहीं हुई है। हमारा कहना यह है कि आप जनता को यह मत कहने दीजिये भूमिपूजन तो हो गया है लेकिन और कोई प्रगति नहीं हुई तो इस ओर भी आप ध्यान दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी उपयोजना के संबंध में मेरा कहना यह है कि जब माननीय अर्जुनसिंह जी जब विपक्ष में थे तो इन्होंने यह कहा था कि सरकार आदिवासी उपयोजना का पैसा खर्च नहीं कर पाई है और उस समय हम सरकार में थे और हमने कहा था कि अभी तक जो आदिवासी उपयोजना का पैसा खर्च नहीं हो पाया है तो हम इसके लिये आगे सावधानी बरतेंगे। अब आप स्वयं सरकार में आ गये हैं और आपने घोषणा भी की थी कि आदिवासी उपयोजना का पैसा बेकार नहीं पड़े रहने दिया जायेगा। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी यह है कि विगत तीन वर्षों की राशि जिन आदिवासी उपयोजनाओं के लिये हमने रक्खी थी उसका उपयोग नहीं हुआ है। अन्त में मैं मुख्यमंत्री कोष की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहताहूँ कि आप सबकुछ करिये लेकिन उसे आप अपनी जागीर मत समझिए। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि उसको आप किसी की जागीर की खैरात की तरह से बाँट रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके हिसाब की हमें जानकारी मिलनी चाहिये और सदन में इस सबका हिसाब देना चाहिये अभी आप जिस तरह से मुख्यमंत्री कोष का उपयोग कर रहे हैं वह आपकी गरिमा के लिये उपयुक्त नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, सूचना प्रकाशन का मामला ठीक नहीं है। लोग कहते हैं आप अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिये सूचना प्रकाशन विभाग का उपयोग करते हैं। करें आप अपने दल के हित में काम करने के लिये इसका उपयोग करते हैं, करिए।

श्री अर्जुनसिंह : जोशी जी आप लोगों के कहने सुनने की बातों में आ जाते हैं।

श्री कैलाश जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, सूचना प्रकाशन के संबंध में पिछले दिनों जो बातें हुई हैं वे ठीक नहीं हैं। मुझे आशा है कि आप इस पर विचार करेंगे और मैंने जो सुझाव दिये हैं यदि उन पर आप विचार करेंगे तो भगवान आपका कल्याण करेगा।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/23 मार्च 1981, पृष्ठ/ 98-104)

मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक 1982 विचारार्थ प्रस्तुत किया। संशोधन और उसके औचित्य के प्रश्न पर सदन में भारी व्यवधान के बीच बहस हुई। श्री अर्जुनसिंह का भाषण और चर्चा के अंश यहाँ दिये जा रहे हैं—

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक 1982 पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि म.प्र. लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक 1982 पर विचार किया जाये।

श्री शीतला सहाय (लश्कर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वॉइन्ट आफ आर्डर यह है कि मैंने 26-2-82 को संशोधन प्रस्तुत किया था जैसे कि धारा 2 का संशोधन—

(क) शब्द अर्थात् के पश्चात् शब्द 'मुख्यमंत्री' अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष मध्यप्रदेश विधानसभा प्रतिपक्ष नेता तथा मध्यप्रदेश विधानसभा के सदस्य अन्तः स्थापित किये जायें और

(ख) शब्द किंतु उसके अन्तर्गत मुख्यमंत्री, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष तथा म.प्र. विधानसभा के सदस्य। लोप किया जाए। निम्नलिखित उपधारा अन्तः स्थापित की जाए—

2. (क) यदि मुख्यमंत्री को स्वयं के विरुद्ध की गई किसी शिकायत के संबंध में लोकायुक्त की रिपोर्ट प्राप्त होती है तो वह उसे अविलम्ब राज्य के उच्च न्यायालय के समक्ष रखवायेगा तथा आग्रह करेगा कि वह उचित कार्यवाही करें।

अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन सचिवालय से सरक्यूलेट किये गये हैं उनमें हैं कि धारा 2 (क) नया खंड 2 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तः स्थापित किया जाये अर्थात्।

मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ड) में शब्द 'अर्थात' के पश्चात् शब्द मुख्यमंत्री तथा प्रतिपक्ष के नेता अन्तः स्थापित किये जायें। जब कि श्रीमान मैंने खण्ड 2 में मुख्यमंत्री म.प्र. विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता तथा म.प्र. विधानसभा के सदस्य लिखा था इसमें से मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तो मान लिया गया है।

अध्यक्ष इसमें से हटा दिया उपाध्यक्ष हटा दिया म.प्र. विधानसभा का सदस्य इसमें से हटा दिया था। इसी तरह से जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया था वह एक-सी भाषा में था उसमें से 3 पद हटा दिये हैं केवल दो पद रखे हैं।

अध्यक्ष : यह संशोधन आपने किसमें दिया है?

श्री शीतला सहाय : मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक डिब्बे में अगर यात्रा कर रहे हैं और बंबई की ट्रेन जाने वाली है तो सारे यात्री बंबई की यात्रा करेंगे और अगर ट्रेन दिल्ली जा रही है तो सारे यात्री दिल्ली की यात्रा करेंगे।

अध्यक्ष : शीतला सहाय जी, इंदौर से जो ट्रेन रतलाम जाती है उसमें दिल्ली के भी यात्री जाते हैं और बम्बई के भी जाते हैं।

श्री शीतला सहाय : इंदौर जाते हैं तो अपनी कार से जाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि एक ही प्रकार से एक खण्ड में आधा खण्ड अवैधानिक हो गया और आधा खण्ड वैधानिक हो गया यह मुझे समझ में नहीं आया। मैं निवेदन करूँगा कि कदाचित क्लेरिकल मिस्टेक से दो पदों का लिखना रह गया है। इसी प्रकार क्लेरिकल मिस्टेक से ही एक उपबंध इसमें शामिल नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया था उनको सबको स्वीकार करके सदन के सामने रखा जाये और उन पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष : आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत है उसमें दिये हैं या मूल विधेयक में संशोधन दिए हैं।

श्री शीतला सहाय : इसका जवाब यह है कि जहाँ मैंने मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता प्रस्थापित करने का लिखा है वहीं अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य प्रस्थापित करने का लिखा है। अगर प्रतिपक्ष के नेता उसी भाषा में स्वीकार किया जा सके तो कोई कारण नहीं है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष डिलिट किया जावे।

अध्यक्ष : किसको स्वीकार किया जा सकता है किसको नहीं किया जा सकता यह तो मैं बाद में चर्चा कर लूँगा। आप यह तो बता दीजिये कि आपने संशोधन किसमें प्रस्थापित किया है?

श्री शीतला सहाय : मैंने जो संशोधन प्रस्थापित किया है वह वैधानिक हो गया है। मैं इसलिये कह रहा हूँ कि आपके सचिवालय के आचरण से यह वैधानिक सिद्ध हो गया है।

अध्यक्ष : आपका प्रस्ताव वैधानिक है यह बाद की बात है।

श्री शीतला सहाय : मैंने जो लिखा है उसमें से दो पदों को स्वीकार करना ही इसका वैधानिक सिद्ध हो जाना है।

अध्यक्ष : आप मेरे प्रश्न का जवाब देना चाहें तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं।

श्री शीतला सहाय : मेरा तो कहना यह है कि जो मूल पत्र प्रस्तुत किया है उसमें (क) शब्द "अर्थात्" के पश्चात् शब्द मुख्यमंत्री अध्यक्ष, उपाध्यक्ष प्रतिपक्ष के नेता.....

अध्यक्ष : शीतला सहाय जी, आप इसको बार-बार कह रहे हैं मैंने सुन लिया।

श्री शीतला सहाय : इसमें इस प्रकार के संशोधन में से जब दो पदों को लिया जा सकता है वैधानिक रूप से तो बाकी तीन बचे अवैधानिक कैसे हो गये हैं।

अध्यक्ष : यह मैं आपको बताऊँगा।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस समय हमारे सामने विचारार्थ म.प्र. लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त (संशोधन) विधेयक 1982 है.....

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैं जानना चाह रहा था।

श्री रमाशंकर सिंह : हमारे सामने विचारार्थ है संशोधन विधेयक लेकिन आप देखेंगे कि जो हम लोगों को मुख्यमंत्री जी का संशोधन सरकुलेट हुआ है वह विधेयक के बारे में है जो कि हमारे सामने विचारार्थ नहीं है। मूल विधेयक में इस प्रकार से मान लिया जाये कि माननीय मुख्यमंत्री ने संशोधन दिया है वह उनकी मंशा को जाहिर नहीं करता कि क्या वह संशोधन विधेयक में संशोधन नहीं रख रहे हैं मूल विधेयक में रख रहे हैं।

अध्यक्ष : तो आपका कहना है कि उनका संशोधन अवैधानिक है।

श्री रमाशंकर सिंह : मेरा निवेदन है कि विचारार्थ क्या है मूल विधेयक या संशोधन विधेयक।

अध्यक्ष : यही मैं जानना चाहता हूँ।

श्री रमाशंकर सिंह : यदि संशोधन विधेयक विचारार्थ है तो मूल विधेयक के बारे में संशोधन नहीं हो सकता।

श्री राजेन्द्र जैन (राज्यमंत्री विधि) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान के.....

श्री शीतला सहाय : पूरी व्यवस्था के लिये उसकी भी जानकारी चाहें तो उसके लिये .....

अध्यक्ष : मैंने तो कहा था अब आप जवाब नहीं दे रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ।

श्री राजेन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, म.प्र. लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ है मेरा निवेदन यह है कि यह जो संशोधन माननीय शीतला सहाय जी ने बताया है कि यह संशोधन मूल अधिनियम में करना चाहते हैं और मूल अधिनियम में संशोधन करने के संबंध में मैं आपका ध्यान नियम 79 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री रमाशंकर सिंह : जो संशोधन दिया है वह भी मूल अधिनियम में दिया है।

श्री राजेन्द्र जैन : मेरा निवेदन है कि मूल अधिनियम में कोई संशोधन करना हो तो वह नहीं किया जा सकता क्योंकि 79 में है कि यह संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध होगा उसके विषय में संगत होगा। यह बात सही है कि जब तक श्रीमान की अनुमति नहीं मिल जाए कि इस धारा 79 के संबंध में श्रीमान ने सुधार करना चाहिए के आदेश दिये हों श्रीमान के आदेश हो जायें तो ही मूल अधिनियम में कोई संशोधन विधेयक आ सकता है। जब तक इसको सुधार करने के आदेश नहीं देते तब तक कोई भी मूल अधिनियम में संशोधन सम्मिलित नहीं हो सकता यह वैधानिक स्थिति है। मेरा निवेदन यह है कि इसलिये संशोधन के साथ में पूर्व में यह निवेदन किया था कि जब इसमें मूल संशोधन दिया था कि 79 में इसको सुधार करके संशोधन को स्वीकृत करें यह मुख्यमंत्री जी से संबंधित था और प्रतिपक्ष के नेता से संबंधित था। अब

निवेदन यह है कि सदन के सामने अगर श्रीमान इसको ठीक समझें तो मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि यह जो मुख्यमंत्री जी से और प्रतिपक्ष के नेता से इन दोनों ने अपनी स्वेच्छा से यह कहा कि उनको इसमें सम्मिलित कर लिया जाये और ऐसा प्रश्न आ जाये कि.....

श्री शीतला सहाय : आपका तात्पर्य यह है कि उपाध्यक्ष आसंदी से कहें कि मुझे सम्मिलित कर लिया जाये।

श्री राजेन्द्र जैन : मेरी बात तो सुनिये आप, मेरी बात तो यह है कि 79 (1) के अधीन मेरे संशोधन में जो संशोधन प्रस्तुत किया है सामान्य तौर पर लागू नहीं किया जा सकता लेकिन चूँकि सदन के नेता ने सर्वप्रथम हिम्मत से घोषणा की कि वह स्वयं सम्मिलित होना चाहते हैं और उसके पश्चात् प्रतिपक्ष के नेता ने भी यह चाहा है कि उनको भी सम्मिलित किया जाये। इस विशेष परिस्थिति में 79 (1) के अधीन सुधार करते हुये दोनों संशोधन कर लिये जायें इससे संशोधनों में मूल संशोधन की आवश्यकता नहीं है। कोई माननीय सदस्य आपत्ति या चर्चा करेंगे।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : स्वेच्छा से स्वागत करते हैं।

अध्यक्ष : सदन को रिप्रजेंट कर रहे हैं क्या?

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, हम सदस्य होने के नाते राजेन्द्र जी ने तो तर्क दिया कि मुख्यमंत्री ने हारकर डर के मारे संशोधन में अपने आप को मिलाया इस तरह से सदन के सदस्य होने के नाते हम सदस्य भी ऐसी माँग करते हैं सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाये और इस प्रकार के संशोधनों में किसी को आपत्ति होगी तो वह मतदान में आ जायेगा कि कौन-कौन बचना चाहता है और कौन जाँच की परिधि में आना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र जैन : इतना नहीं है तो एक बात सामने आई थी दूसरी बात तो रखूँगा जैसे एक संशोधन दिया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी उसमें रखा जाये अब आप बताईये उनके पदाधिकारियों के बारे, में उनके स्टाफ के बारे में वहाँ पर क्या यह होता है उसमें वोटिंग नहीं होती उनकी जो तनख्वाह होती है, खर्चे होते हैं उनको विधानसभा में कैसे ले आयेंगे।

दूसरा भी तर्क है अगर चर्चा होगी तो उनके लिये भी मुझे एलाऊ करेंगे। नियम शिथिल करने की जहाँ तक बात है तो दोनों नेताओं ने अपनी इच्छा व्यक्त की है तो नियम शिथिल किया जाये।

श्री बाबूलाल गौर : माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय राजेन्द्र जी को बता रहे हैं इसके पूर्व जब यहाँ लोकायुक्त बिल आया था उसमें अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता और विधायक सभी लोग शामिल थे लेकिन आपने बड़ी बहादुरी करके यह संशोधन रखा कि इनको माईनस कर दिया जावे। मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता के बारे में उस रोज यह बात कर रहे थे और आज फिर कह रहे हैं कि इनको शामिल कर दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, अब राजेन्द्र जी ने स्वयं मुख्य रूप से संशोधन रखा था।

अध्यक्ष : जो कुछ समय उन्होंने रखा था वही बात वे आज भी कह रहे हैं।

श्री बाबूलाल गौर : मंत्री जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने साहस करके मुख्यमंत्री को रखने की बात कही है। यह बात मुख्यमंत्री जी ने नहीं कही है यह तो मंत्री जी अपनी तरफ से कह रहे हैं उनके लिये।

श्री बाबूलाल गौर : मंत्री जी का हाल तो उस वकील के समान है जो कभी वादी की तरफ से कहते हैं कि बात गलत है और कभी प्रतिवादी की तरफ से कहते हैं कि बात सही है। इस तरह से वे दोनों तरफ विधानसभा के दोनों सत्रों में कही हैं। नियम 79 के तहत यदि कोई भी संशोधन आता है तो विधानसभा के अन्दर उसको पूरा का पूरा जैसा कि प्रस्तावक की मर्जी है वह पेश होना चाहिए। आपके कक्ष में यदि संशोधन काट दिया जाये तो यह नियमों के अंतर्गत सही नहीं होगा।

अध्यक्ष : मुझको अधिकार नहीं है कि जो नियम के विरुद्ध संशोधन आये हैं उनको अग्राह्य कर दूँ?

श्री बाबूलाल गौर : आपको अधिकार है। लेकिन यदि नियम के खिलाफ आप कोई निर्णय देते हैं तो.....

अध्यक्ष : नहीं नहीं आप अध्यक्ष के खिलाफ नो कांफिडेंस मोशन ला सकते हैं लेकिन रूलिंग के खिलाफ नहीं ला सकते।

श्री बाबूलाल गौर : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आपको भी अधिकार है लेकिन वह इस नियम के अंतर्गत ही है। धारा 79 में यह बताया गया है कि— संशोधनों की ग्राह्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी—

संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबन्ध हो उसके विषय से संगत होगा।

अभी श्री शीतला सहाय जी ने जो विषय से सम्बंधित बात कही है।

अध्यक्ष : क्या आपने पढ़ा है उनके संशोधन को? मूल अधिनियम को पढ़ तो लीजिये पहले? आप कभी विना पढ़े बोलते नहीं लेकिन आज पहली बार बोल रहे हैं बिना पढ़े।

श्री बाबूलाल गौर : नियम 79 के नम्बर 2 में यह लिखा है कि—

संशोधन की प्रगति के दौरान सभा द्वारा किये गये किसी पूर्व विनिश्चय से असंगत नहीं होगा। इसके बाद इसके नम्बर 6 में जो आपको अधिकार दिया है उसे देख लीजिये?

अध्यक्ष : आप क्लाज वन पर आ जाइये?

श्री बाबूलाल गौर : नम्बर 6 में यह दिया है कि— अध्यक्ष ऐसे संशोधन को प्रस्थापित करने से इंकार कर सकेगा जो उसकी राय में तुच्छ या अर्थहीन होगा।

अध्यक्ष : आप तो क्लाज वन पर आ जाइये। इसके तहत आपका क्या कहना है।

श्री बाबूलाल गौर : क्लाज वन के तहत जैसा मूल अधिनियम में आशय है।

अध्यक्ष : आशय नहीं है हकीकत है।

श्री बाबूलाल गौर : पूरा डिस एलाऊ होना चाहिये। (पार्टली) एलाऊ मत कीजिये।

अध्यक्ष : यदि सभी सदन के सदस्य आते हैं तो ही होना चाहिये?

श्री बाबूलाल गौर : पार्टली अलाउड या डिस एलाऊ नहीं होना चाहिये।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है। अभी जो डा. जैन साहब ने तर्क दिया है उसके बारे में मेरा कहना है कि उनका कहना था कि आपको इस आधार पर स्वयं मुख्यमंत्री और स्वयं प्रतिपक्ष के नेता ने अपने को इस संशोधन के तहत रखना चाहा है तो इन दोनों को शामिल किया जाये। बाकी का अस्वीकार किया जाये इस पर मेरा औचित्य का प्रश्न है कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि वे भी चाहते हैं कि उन्हें भी लोक आयुक्त के दायरे के भीतर रखा जाये।

अध्यक्ष : क्या इसमें अलग से एक-एक सदस्य के चाहने पर एक-एक आ सकता है।

श्री रमाशंकर सिंह : एक मिनट। जब माननीय सदस्य ने संशोधन रख दिया तब जब तक उस पर मतदान द्वारा यह सिद्ध न हो जाए कि अधिक सदस्य यह नहीं चाहते और उस संशोधन को जो मूव किया गया है उसके बारे में अगर मेजोरिटी से डिसीजन हो जाए तब तो बात दीगर है लेकिन संशोधन विधेयक रखने के बाद और मतदान के पहले यह निर्णय नहीं लिया जा सकता कि सदन के अधिकांश सदस्य या सदन यह नहीं चाहता कि विधानसभा के माननीय सदस्य उस परिधि में आएँ जब तक कि मतदान न हो जाए। किसके जरिए यह साबित हो सकता है कि वास्तव में विधानसभा सदस्य या समूचा सदन यह चाहता है?

अध्यक्ष : आप सब सदस्यों की तरफ से लिखकर दे सकते हैं? यह मान लिया जाये कि सभी ने चाहा है? यही बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ?

श्री रमाशंकर सिंह : एक संशोधन भी आता है तब भी माना जाता है कि सदन का संशोधन है। अध्यक्ष महोदय, आप पूर्व में यह निर्णय नहीं ले सकते कि सदन सचमुच में इस संशोधन के पक्ष में है या नहीं।

अध्यक्ष : निर्णय मैं नहीं ले सकता ऐसा नहीं कहा जाना चाहिये।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप पूर्ण रूप से विचार कर लें फिर एक व्यवस्था दें।

अध्यक्ष : मैं आपको सुनूँगा और आपको सुनकर आगे को करेक्ट करने को तैयार हूँ अगर आप कनविन्स कर दें तो?

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, विधायकों के बाबत जो संशोधन रखे हैं हमें उम्मीद है कि वह वोटिंग के बाद पढ़ेंगे।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, मैं आसन्दी का यह भ्रम निवारण करना चाहता हूँ.....

अध्यक्ष : शीतला सहाय जी यह अच्छी टर्मिनोलोजी नहीं है।

श्री शीतला सहाय : श्रीमान् जिस बारे में श्रीमान् को जो गलतफहमी है मैं उसको दूर करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष : आप अपनी तरफ से जो बोलना हो बोलें यह मेरा प्रश्न नहीं है।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, मैंने जिसको संशोधित किया है?

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके बाद मैं भी दो मिनिट बोलना चाहूँगा।

श्री शीतला सहाय : माननीय अध्यक्ष महोदय अभी आसन्दी से यह कहा गया कि मैंने मूल विधेयक में संशोधन किया है इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ। अगर इस तरह से प्रस्तुत करूँ तो श्रीमान् को स्वीकार होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना पत्र पढ़ रहा हूँ— म.प्र. लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1982 विधानसभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है। मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत स्पष्ट हो गया कि जो यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है.....

अध्यक्ष : अब आप आगे पढ़िये। आप किसमें से कम कर रहे हैं। जो संशोधन विधेयक में आपने कम करना लिखा है वह संशोधन विधेयक में लिखा है? आधा काम नहीं चलेगा।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर श्रीमान् के पास समय हो, सदन के पास समय हो तो मेरी पूरी बात सुन लीजिये।

अध्यक्ष : आप पूरा पढ़ दें। आपने कहा है कि संशोधन विधेयक में यह-यह जोड़ा जाये, कम किया जाये?

श्री शीतला सहाय : मैं पढ़ रहा हूँ। अगर बीच-बीच में इस तरह से। मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1982 विधानसभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है। मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूँ धारा— 2 का संशोधन (क) शब्द अर्थात के पश्चात् शब्द मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता तथा मध्यप्रदेश विधानसभा के सदस्य, अंतः स्थापित किया जाए।

अध्यक्ष : मुझे क्षमा करें। अच्छी बात है आप बोल लीजिये।

श्री शीतला सहाय : एक वाक्य आप बोलेंगे एक वाक्य मैं बोलूँगा जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है, उसके अनुरूप सचिवालय ने यह सूची क्रमांक— 2 मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1982 क्रमांक-4 सन् 1982 में प्रस्तावित संशोधन श्री शीतला सहाय नया खण्ड-2 (क) खण्ड 2 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाये। खण्ड-2 (क) धारा 2 का संशोधन मूल अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (ङ) में शब्द अर्थात के पश्चात् शब्द मुख्यमंत्री तथा प्रतिपक्ष के नेता अंतःस्थापित किये जाएँ।

श्रीमान् इस तरह से मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह संशोधन पूर्ण रूप से विधिवत है। अब श्रीमान् यह बात प्रस्तुत कर देने के पश्चात् कि म.प्र. लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त संशोधन विधेयक 1982 में मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है वही संशोधन आधा सचिवालय के द्वारा जारी किया गया है शेष भाग अभी तक मेरी धारणा यह थी कि क्लेरिकल मिस्टेक के कारण रह गया है। अब मुझे अन्दाज लग रहा है कि इसे अमान्य कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में जो नियम है बहुत स्पष्ट है। संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा, मेरा संशोधन प्रस्ताव पूर्णरूपेण स्कोप के अन्दर है। दूसरा नियम संशोधन विधेयक की प्रगति के दौरान में सभा द्वारा किये गये किसी पूर्ण विनिश्चय से असंगत नहीं होगा तो पहले वाला विनिश्चय से असंगत नहीं है। तीसरा संशोधन ऐसा नहीं होगा कि जिससे वह खण्ड जिसे संशोधन करने की उसमें प्रस्तावना हो दुर्बाध या व्याकरण के अनुसार अशुद्ध हो जाये यह बात भी नहीं है। यह स्पष्ट हो चुका है। यदि संशोधन में बाद के किसी संशोधन या अनुसूची की ओर निर्देश किया जाये या उसके बिना वह बोधगम्य न हो, तो प्रथम संशोधन का प्रस्ताव करने से पहले बाद के संशोधन या अनुसूची की सूचना दी जायेगी जिसमें कि संशोधन माला पूर्ण रूप से बोधगम्य हो जाये यह मेरे ऊपर लागू नहीं होता। अध्यक्ष यह निर्धारित करेगा कि संशोधन किस स्थान पर प्रस्तुत किया जायेगा इसका सवाल उत्पन्न नहीं होता। छठवाँ है अध्यक्ष ऐसे संशोधन को प्रस्तावित करने से इन्कार कर सकेगा जो उसकी राय में तुच्छ या अर्थहीन हो। छठवें में आपका ध्यान अंग्रेजी की ओर भी आकर्षित करना चाहूँगा।

(vi) The Speaker May refuse to propose an amendment which is, in his opinion

frivolus or meaningless.

श्रीमान् मेरा यह प्रस्ताव तुच्छ नहीं है। इस प्रस्ताव के पारित हो जाने पर इसका प्रभाव दूरगामी होगा और इस प्रदेश में सही प्रकार की व्यवस्था कायम करने में मदद करने वाला होगा। इसे तुच्छ नहीं कहा जा सकता। इसका अर्थ है, अर्थहीन नहीं कहा जा सकता और सातवां उप नियम मेरी और मदद करता है जिसमें लिखा है जो संशोधन अध्यक्ष द्वारा पहले ही प्रस्थापित किया जा चुका हो उसमें संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री जी ने संशोधन प्रस्तुत किया है यह उपनियम सात के अंतर्गत विधिवत है यह मेरा निवेदन है और इस तरह से जो संशोधन का मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह सौ फीसदी विधिवत है। माननीय राज्यमंत्री विधि ने जो बात कही मुझे बिल्कुल यह बात समझ में नहीं आती। बड़े लोगों की बड़ी बात। आजकल राज्यमंत्री बहुत विचार कर रहे हैं। श्रीमान अगर मैं यह कह दूँ कि मुझे इस अधिनियम में रख लिया जावे इसलिये वह वैधानिक हो जायेगा और मैं कह दूँ कि मुझे न रखा जावे तो वह संशोधन अवैधानिक हो जायेगा यह बात मेरी बुद्धि के भीतर की बात है। यह भी बुद्धि से बाहर की बात है कि माननीय मंत्री जी ने खड़े होकर कह दिया कि मुझे सम्मिलित कर लिया जावे और सम्मिलित कर लिया, तो विधिवत हो जायेगा। अदना सदस्य सदन में अगर कोई संशोधन प्रस्तुत करना चाहे तो संशोधन में जब तक अध्यक्ष पद पर काम करने वाला स्वीकार नहीं करता तब तक वह विधिवत नहीं होगा यह कल्पना भी मुझे समझ में नहीं आती। मेरा निवेदन है कि इस तरह से जो माननीय राज्यमंत्री विधि ने कहा है कानूनों से परे है विधि मंत्री के दायरे के हो सकते हैं लेकिन विधियों से परे हैं। एक बात जो मैं कह चुका हूँ उसको थोड़ा सुस्पष्ट करना चाहता हूँ ताकि श्रीमान् विचार कर सकें। बात यह है कि जिस प्रकार के संशोधन को प्रस्तुत मैंने एक उपधारा में एक लाइन में किया है उसकी बात वैधानिक है और आधी अवैधानिक है यह बात भी नहीं हो सकती लेकिन परिपत्र में मुख्यमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता यह संशोधन उसमें जारी कर दिया इसका मतलब दोनों बातों को सम्मिलित करने वाला संशोधन विधिवत हो गया। जो नहीं है वह अवैधानिक हो गया यह बात किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं है। इसी प्रकार अगली धारा में विलोप करने का प्रस्ताव किया है वह सम्मिलित नहीं किया गया। मेरे द्वारा प्रस्तुत संशोधन पूर्ण रूप से विधिवत है, अतः उसे श्रीमान् ग्राह्य करें। एक बात का और मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि जो सदस्य संशोधन प्रस्तुत करता है उसको मूल रूप से सदन के समक्ष लाना चाहिये। अगर बाद में प्रस्तावक सदस्य उसको वापस लेना चाहे तो वापस हो जावेगा। अन्यथा माननीय सदन उसको अमान्य कर देगा। माननीय अध्यक्ष या उनका सचिवालय कमरे में बैठकर अमान्य कर दे तो मैं कहना चाहूँगा कि यह उनका जूरीस्डिक्शन नहीं है उसके तुच्छ और अर्थहीन न होने पर यह पावर एक्साइज की जा सकती है और किसी धारा पर प्रस्तावित संशोधन सदन के समक्ष आना चाहिये। उस पर बहस होना चाहिये। बाद में चाहे सदन उसे मान्य करे अथवा अमान्य करे।

श्री सुन्दरलाल पटवा (सीहोर) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार शीतला सहाय जी के संशोधन को प्रस्तुत करने में त्रुटि हुई है वैसी ही त्रुटि मेरे संशोधन को प्रस्तुत करने में हुई है। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक नियम 79 का सवाल है माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संशोधन सरक्यूलेट किया है वह विधेयक के खण्ड दो व खण्ड 12 में संशोधन किया है वह किस प्रकार से नियमानुकूल है मैंने जो संशोधन दिया था वह मेरे पत्र की धारा 1, 2, 3, 4.....

अध्यक्ष : आप उसको पढ़ दीजिये।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 (क्रमांक-37 सन् 1981) में मैं निम्नलिखित संशोधन की सूचना प्रेषित कर रहा हूँ।

अध्यक्ष : आप मूल अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं यह तो आपने खुद कह दिया। आपने स्वतः लिख दिया कि आप मूल अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : यह जो संशोधन हैं या जो विचारार्थ खण्ड में दिये हैं उन्हीं को मैंने संशोधन में दिया है। यदि पत्र में मैंने वही लिखा जो संशोधन प्रस्ताव में प्रस्तुत हैं उसका सन्दर्भ मैं दे रहा हूँ। यह पत्र में उल्लेख करना जिस प्रकार से संशोधन विधेयक शीतला सहाय जी ने लिखा है उस अधिनियम के खण्ड में, मैं

संशोधन कर रहा हूँ, इस बात का पत्र में उल्लेख करना विस्मरण हो गया है, यह बात स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु जो संशोधन प्रस्ताव मैंने दिया है वह उन्हीं खण्डों में है जिनमें मुख्यमंत्री जी ने संशोधन दिया है और इसलिए मैंने जो संशोधन सरक्यूलेट किया वह धारा दो के खण्ड 9 में मुख्यमंत्री जी नहीं आयेंगे विलोपित करने वाली बात मेरे संशोधन में सरक्यूलेट कर दी। मुख्यमंत्री जी जोड़े जाएँ यह तो सरक्यूलेट कर दिया पर उसी खण्ड में मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रतिपक्ष के नेता उसमें आयेंगे यह भी विलोपित करने को दिया है पर उसे सरक्यूलेट नहीं किया और वही खण्ड है, नियमानुसार संशोधन दे सकते हैं जब ऐसा कोई कारण नहीं है कि खण्ड दो के संशोधन के एक पोरशन को सरक्यूलेट करें और बाकी को नहीं करें आप इसमें 79 का खण्ड 2 इस प्रकार है—

संशोधन विधेयक की प्रगति के दौरान में सभा द्वारा किये गये किसी पूर्व विनिश्चय से असंगत नहीं होगा।

अगर सशोधन पर विचार चल रहा है या कर चुके हैं। उस प्रगति के दौरान प्रगति के विपरीत कोई खण्ड का संशोधन नहीं आयेगा। मुख्यमंत्री से नहीं आयेगा, प्रतिपक्ष से नहीं आयेगा। आज उसमें दूसरा संशोधन नहीं हो सकता है ऐसा कोई कारण नहीं है। और इसलिए 79 रूल का जो उपखण्ड (2) है उसके अनुसार अग्राह्य करने का कोई कारण नहीं है। रूल 79 के अंतर्गत उस खण्ड में संशोधन पूरे खण्ड में, जो विचाराधीन है उस खण्ड में सुसंगत सारे संशोधन दिये जा सकेंगे। अब उसमें, मूल विधेयक में खण्ड दो हैं उसी में 7 क्लाज है उसी में संशोधन दिया है। उसमें परंतुक दिया है इसको मैं विलोपित करना चाहता हूँ इसमें धारा 2 (क) (ड) के बाद खण्ड 3 के पहले विधानसभा का सदस्य मैं जोड़ना चाहता हूँ तथा आगे के खण्डों के अनुसार अनुकरण किया गया है। अधिनियम की धारा 2 (ख) खण्ड (ज) में विलोपित करना चाहता हूँ। यह खण्ड दो में है इसलिए नियमानुकूल है। आगे एक मेरा संशोधन धारा 12 में है वह आपने सरक्यूलेट किया है। जो मुख्यमंत्री ने जिस खण्ड में संशोधन किया है उसी धारा 12 का मेरा संशोधन पूरा सरक्यूलेट किया है। इसमें श्रीमान् धारा 12 (2) (12) (3) विलोपित की जाये, यह मैंने संशोधन दिया है। उसको पूरा सरक्यूलेट किया है तो इस प्रकार खण्ड दो में मेरे दिए गये संशोधन के एक भाग को सरक्यूलेट करें और दो, तीन और चार भाग को सरक्यूलेट न करें इसका कोई कारण नहीं दिखता और मैं श्रीमान् से निवेदन करूँगा कि मेरे संशोधन को यथावत् सरक्यूलेट किया जाये और सदन के सामने विचारार्थ लिया जाये।

डॉ. राजेन्द्र जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि हमारे सम्माननीय सदस्य यदि धारा 79 को इस रूप में विचार करेंगे कि जितने भी उसमें संशोधन प्रतिपक्ष के नेता या मुख्यमंत्री के संबंध में भी दिये गये हैं वह समस्त 79 के अंतर्गत नहीं आते हैं, उसके विपरीत हैं। उसमें जब तक श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, यह सदन अनुमति नहीं देता है तब तक अध्यक्ष महोदय, ये नहीं जा सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : जब तक रूल्स रेलेक्स नहीं किये जाते संशोधन नहीं आयेगा, यह भी नहीं आयेगा।

डॉ. राजेन्द्र जैन : अब आप इस तरह से विचार करें, 79 में यदि श्रीमान् किसी भी हिस्से में, कहीं भी इस प्रकार के अमेन्डमेंट में शिथिल करके इजाजत नहीं दें तो मुख्यमंत्री वाला अमेंडमेंट या प्रतिपक्ष वाला अमेंडमेंट दोनों चूँकि मूल अधिनियम के विपरीत हैं, नहीं आ सकते। दूसरा मेरा निवेदन है जो 79 (2) में कहा है—

(ii) An amendment shall not be inconsistent with any previous decision taken by the House during the progress of the bill.

अध्यक्ष महोदय, पहले जो मूल अधिनियम है उसके विपरीत संशोधन प्रस्तुत किया गया है जो श्रीमान् ने निरस्त किया है। जब तक धारा 79 को शिथिल करने का श्रीमान् आदेश नहीं देते उस समय तक सारे संशोधन चूँकि मूल अधिनयम जो आपने खण्ड दो बनाया था संशोधन में इसमें आदेश है उसके संबंध में क, ख, ग, दी गई है इसमें कोई पैरा ही नहीं है इसलिए यह स्वीकार करना चाहते हैं लेकिन जो संशोधन हैं वह मूल अधिनियम के बारे में हैं, मूल अधिनियम में संशोधन बिना श्रीमान् की अनुमति और सदन की अनुमति से नहीं हो सकता, इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर उसको लिया जाता है तो उस नियम को शिथिल करके लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय, चूँकि हमारे दो महत्वपूर्ण नेताओं ने घोषणा की है, पहले मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन यह उसका कारण नहीं है कि उसको एडमिट किया जाये, वह तो अलग बात है, लेकिन अगर धारा 79 के विषय में कोई भी संशोधन मूल अधिनियम में दिया जाये.....

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाईंट आफ आर्डर है, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि मंत्री जो बार-बार यह कह रहे हैं कि नेताओं ने घोषणा कर दी है और अपने आपको सम्मिलित कर लिया है इस तरह से कहकर वे आसन्दी को एम्बरेस करना चाहते हैं कि आप भी ऐसी घोषणा कर दें तो मेरी आपत्ति यह है कि क्या इस तरह का वक्तव्य विधि मंत्री दे सकते हैं?

डॉ. राजेन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, अगर आप घोषणा कर भी दें तो भी शामिल नहीं हो सकते। यह भारतीय संविधान की कई धाराओं के विपरीत होगा इसलिए अगर अध्यक्ष घोषणा भी कर दें तो भी नहीं आ सकते।

श्री सुन्दरलाल पटवा : डा. साहब जरा यह बता दें कि इनकन्सिसटेन्सी किस तरह है।

डॉ. राजेन्द्र जैन : इनकन्सिसटेन्सी इस तरह है कि संशोधन किसमें दिया जा रहा है। क, ख, ग में नहीं हैं, आप धारा 12 में संशोधन दे रहे हैं आपने स्वयं अभी पढ़कर सुनाया है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, नियम 79 में है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो उसके विषय से संगत होगा। मेरा संशोधन खण्ड 2 में है।

डॉ. राजेन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसमें लिखा है कि उन्होंने लोक आयुक्त अधिनियम 1981 में संशोधन दिया है। उसके बाद अब क्या बात रह गई है।

अध्यक्ष महोदय : (श्री सुन्दरलाल पटवा से) उनका कहना है कि मूल विधेयक में यह है कि मुख्यमंत्री नहीं होगा और संशोधन यह है कि मुख्यमंत्री होगा। इसलिए जो भी सदस्य अपना संशोधन देना चाहता है वह देगा लेकिन वह मूल अधिनियम से इनकन्सिसटेन्ट नहीं होगा आपने मूल अधिनियम में संशोधन दिया है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मुख्यमंत्री ने धारा दो में दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मूल अधिनियम की धारा 2 में दिया है वो विचारार्थ यहाँ नहीं है, संशोधन विधेयक विचारार्थ है, और आपने संशोधन जो दिया है वह मूल अधिनियम में दिया है।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, मैं कौल एण्ड शकधर के पेज 383 का एक पैरा यहाँ पढ़ना चाहूँगा।

The Speaker may also waive the notice period for an amendment provided the House is agreed upon it. Government amendments may be moved even without notice unless public interest is votally affected in any way. Where Government amendments are allowed to be moved at short notice amendment for these amendment have also been permitted at short notice. A last-minute amendment to a bill may also be admitted, if agreed to and accepted by the mover of the bill.

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/23 मार्च 1982, पृष्ठ/ 123-131)

अध्यक्ष : मैं इस पर विचार कर लूँगा। सैद्धांतिक रूप से जो प्रश्न यहाँ उठाये गये हैं चूँकि मुझे मालूम था कि यह महत्वपूर्ण मसला है इसलिए मैंने इसके सभी पक्षों पर विचार किया और बहुत से संदर्भ देखे। उसके पश्चात् मैं अपनी व्यवस्था इस प्रकार से दे रहा हूँ कि :—

मध्यप्रदेश विधानसभा का, मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोकायुक्त, अधिनियम, 1981 (क्रमांक-37 सन् 1981) गत वर्ष पारित किया गया था। इसमें संशोधन करने हेतु, मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक 1982 (क्रमांक-4 सन् 1982) सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। इस संशोधन विधेयक के द्वारा मूल अधिनियम की विभिन्न धाराओं में संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं।

(1) उपरोक्त संशोधन विधेयक में निम्नानुसार संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं—

(क) प्रथम संशोधन मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसकी जाँच की परिधि में मुख्यमंत्री का नाम जोड़े जाने का प्रस्ताव है।

(ख) दूसरा संशोधन श्री शीतला सहाय द्वारा प्रस्तुत किया गया है इस संशोधन के माध्यम से जाँच की परिधि में मुख्यमंत्री के अलावा विधानसभा के समस्त सदस्य, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रतिपक्ष के नेता को लाने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) तीसरा संशोधन श्री रमाशंकर चौधरी का है जिसके द्वारा जाँच की परिधि में, मुख्यमंत्री तथा प्रतिपक्ष के नेता को रखने का प्रस्ताव है।

(घ) चौथा संशोधन श्री सुन्दरलाल पटवा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार जाँच की परिधि में मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा के सदस्य, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा स्वतः प्रतिपक्ष के नेता को रखे जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) पाँचवां तथा अंतिम संशोधन श्री बाबूलाल गौर द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष तथा विधानसभा सदस्यों को जाँच की परिधि में लाने का प्रस्ताव किया है।

(2) उपरोक्त सभी संशोधनों के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सभी संशोधन मूल अधिनियम क्रमांक— 37 सन् 1981 की कतिपय धाराओं को संशोधित करने हेतु प्रस्तावित किये गये हैं। इनमें से कोई भी संशोधन सदन के समक्ष विचाराधीन, संशोधन विधेयक क्रमांक-4 सन् 1982 में संशोधन करने हेतु प्रस्तावित नहीं किया गया है और न इसमें कोई संशोधन सुझाया गया है।

(3) संशोधनों की ग्राह्यता के विषय में मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों में नियम क्रमांक-79 में कुछ शर्तों का उल्लेख किया गया है। ये नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 208 (1) के तहत बताये गये हैं

नियम 79 इस प्रकार है—

संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका सम्बन्ध हो उसके विषय से संबद्ध होगा तथा पूर्व विनिश्चय से असंगत नहीं होगा। (इत्यादि)

(4) सदन के समक्ष प्रस्तुत संशोधन विधेयक क्रमांक-4 सन् 1982 में मूल अधिनियम की धारा दो में सिर्फ लम्बे नाम का संशोधन प्रस्तावित किया गया है। मूल अधिनियम की धारा 2 के तहत (ड़) तथा (छ) में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया गया है। लेकिन माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संशोधन विधेयक में कोई संशोधन प्रस्तुत करने के मूल अधिनियम की धारा 2 का (ड़) (छ) तथा अन्य धाराओं में संशोधन प्रस्तुत कर दिये हैं जो कि विधानसभा संचालन सम्बन्धी नियमों के प्रतिकूल है।

(5) यहाँ यह स्पष्ट किया जाना भी आवश्यक है कि जरूरत के अनुसार विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों को निलंबित भी किया जा सकता है। चूँकि सदन के नेता मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह जी स्वतः के पद को जाँच परिधि में लाना चाहते हैं साथ ही प्रतिपक्ष के नेता भी चाहते हैं कि उनका पद भी जाँच परिधि में रखा जावे। अतः मैं नियम 27 के तहत सदन से जानना चाहूँगा कि क्या वे नियम 79 का निलंबन करके इन दोनों संशोधनों पर विचार करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो कह दीजिये कि हाँ और नहीं चाहते तो कह दीजिये कि नहीं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : केवल मुख्यमंत्री जी ने जो संशोधन दिया है उसके लिए नहीं होगा और मुख्यमंत्री के साथ हमने जो संशोधन दिये हैं उसका .....

अध्यक्ष : जो उन्होंने रखे हैं वह बहुमत के निर्णय के आधार पर हैं.....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बहुमत का कैसे पता चलेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप एक अशासकीय प्रस्ताव रखकर भी सदन में बहुमत ले सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : जब आप किसी एक माननीय सदस्य को चाहे वह सदन का नेता हो चाहे वह

प्रतिपक्ष का सदस्य हो कोई संशोधन प्रस्तुत करने के लिए किसी नियम को शिथिल करें और आप सदन से आदेश प्राप्त कर रहे हैं उसके लिए।

अध्यक्ष : मैंने नियम को शिथिल करने का सदन से.....

श्री सुन्दरलाल पटवा : माननीय मुख्यमन्त्री जी ने धारा दो में जो संशोधन रखे उसके लिए आपने नियम को शिथिल कर दिया और हमने भी उसी धारा में संशोधन रखे तो उसके लिए अलग से नियम लाना पड़ेगा।

अध्यक्ष : मैंने कहा न कि मैंने आपको सुन लिया है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : क्या आप फैसला देने जा रहे हैं? मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह प्रक्रिया कौन-सा औचित्य रखती है कि जब मुख्यमंत्री धारा 2 में संशोधन पेश करते हैं तो सदन में नियम शिथिल करने की अनुमति प्राप्त हुई है और धारा 2 में हमने भी संशोधन दिये हैं उनको आपने अधूरे लिये हैं।

अध्यक्ष : यह निश्चित ही मैंने मान लिया.....

(7) भारतीय संविधान के अंतर्गत संसदीय प्रणाली के तीन अंग होते हैं....

(1) कार्यपालिका

(2) विधायिका

(3) न्यायपालिका

किसी भी सफल लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि उसकी तीन शाखाएँ स्वतंत्र हैं तथा अस्तित्व सार्वभौमिक हों। यदि किसी भी एक शाखा का वर्चस्व अथवा अतिक्रमण दूसरी शाखा पर होगा तो यह लोकतंत्र का मूल ढांचा चरमराकर गिर जावेगा। अतः संविधान की मूल आत्मा को जिंदा रखने के लिए यह आवश्यक होगा कि तीनों शाखाओं को बिना किसी बाधा अथवा दबाव के कार्य करने दिया जावे।

(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : यह तो सदन का अधिकार है कि वह इसको रिजेक्ट कर दे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप मुझे सुनना चाहेंगे या नहीं। मुझे बोलने दें। आप मुझे बोलने से रोक नहीं सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप हमें सुन तो लीजिये कि आप ही बोले जायेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप मुझे नहीं बोलने दें यह अच्छा नहीं है। मैं यह कह रहा हूँ कि मैं आपको सुनूँगा, पटवा जी को भी सुनूँगा। सबको सुनूँगा फिर भी आप बोलने नहीं दे रहे हैं।

यह निर्विवाद होकर पूर्णतया सत्य है कि विधायिका सार्वभौमिक संस्था होकर आवश्यक निर्णय लेने में सक्षम है। वह जरूरत के अनुसार यदि कार्यपालिका के अधिकारों पर अंकुश रखती है तो विशिष्ट परिस्थितियों में पीनल अधिकारों का उपयोग करते हुए दोषी व्यक्तियों को जेल की सजा भी दे सकती है। यहाँ तक कि अपने ही सदस्यों के अनुचित कार्यों के लिए उन्हें सजा दे सकती है व उसकी सदस्यता समाप्त कर सकती है। अतः विधायिका को अपने कार्य में किसी प्रकार का अंकुश रखने के लिए किसी बाहरी संस्था अथवा व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। अतएव यदि विधायिका के किसी भी सदस्य को अपने कार्यों का लेखा जोखा देने अथवा उसके किसी भी कार्यों का स्पष्टीकरण देने के लिए, उसे सदन के बाहर किसी व्यक्ति के समक्ष खड़ा होना पड़े तो यह लोकतंत्र के मान्य सिद्धांतों का स्पष्टतया उल्लंघन होगा। यदि और स्पष्ट करके मैं कहना चाहूँगा कि जिस लोक आयुक्त को अपने पद से हटाने की शक्ति जिस विधायिका के पास है उसके सदस्यों को यदि किसी कानून के द्वारा उसी लोक आयुक्त के समक्ष कटघरे में खड़ा रहना पड़े तो यह हमारे संविधान के मान्य सिद्धांतों की खुली अवहेलना होगी और प्रतिकूल परिस्थितियों के वातावरण में इस प्रकार का अंकुश हमारे सदस्यों को स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने देने में बाधक होगा व समय-समय पर इस कानून का भय बताकर उन्हें अपने विवेक से कार्य करने देने में भारी रुकावटें पैदा होंगी।

जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ लोक आयुक्त विधेयक का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में स्वच्छता तथा कसावट लाना है लेकिन विधायिका को स्वच्छ रखने या उसमें कसावट लाने की जिम्मेदारी किसी कानून के द्वारा कार्यपालिका कैसे प्राप्त करना चाहती है तथा उसके माध्यम से विधायिका पर अपना प्रभुत्व क्यों कर कायम करना चाहती है जब विधायिका स्वतः यह सब करने में समर्थ है।

(व्यवधान)

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, खण्ड 8 (क) में मूल अधिनियम की धारा 12 कैसे आ सकती है। उसका अर्थ नहीं बैठ रहा है।

अध्यक्ष : उस पर अभी विचार नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपकी व्यवस्था के प्रश्न पर विचार कर रहा हूँ।

श्री रमाशंकर सिंह : संशोधन जो प्रस्तुत हुआ है जो सर्कुलेट हुआ है वह अर्थहीन है। खण्ड 8 (क) और संशोधन अलग-अलग मालूम हो रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी के संशोधन के बारे में कह रहा हूँ।

अध्यक्ष : उन्होंने विधेयक में संशोधन दिया है।

श्री रमाशंकर सिंह : उन्होंने कहा है कि खण्ड 8 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाये। धारा 7 में है कि मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर नवीन धारा स्थापित की जाये। उसके बाद धारा 11 आती है। उसके बीच में अगर मान लिया जाये तो धारा 12 का संशोधन कैसे हो सकता है। संशोधन जो मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित किया गया है उसी सम्बन्ध में नया खण्ड- 8 (क) नया बनाया गया है। खण्ड 8 उन मामलों के सम्बन्ध में है जो लोकायुक्त के अध्ययीन नहीं होंगे क्या खण्ड 8 के बाद धारा 12 का संशोधन हो सकता है।

अध्यक्ष : ठीक है मैं उसको देखता हूँ। जब उस पर चर्चा होगी तब मैं उस पर व्यवस्था दूँगा। आपके औचित्य प्रश्न पर विचार करूँगा।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर माननीय सदस्य शीतला सहाय जी ने और माननीय विरोधी दल के नेता ने औचित्य का प्रश्न उठाया है जिस पर आप माननीय सदस्यों के विचार सुन रहे हैं। आप अपनी रूलिंग देंगे और उस आधार पर सदन की कार्यवाही आगे चलेगी। वैसे मैं समझता हूँ कि जहाँ तक सदन का प्रश्न है हमें तो उन्हीं संशोधनों के बारे में यहाँ चर्चा करने या कुछ भी कहने का सवाल हो सकता है जो आपकी अनुमति से माननीय सदस्यों को सर्कुलेट किये गये हैं। जो चीज सर्कुलेट नहीं की गई है, जो सदस्यों की जानकारी में नहीं है, कम से कम मैं तो अनभिज्ञ हूँ और चर्चा करने में असमर्थ हूँ। जहाँ तक यह प्रश्न एक ऐसे संदर्भ से उठाया गया है जैसे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष का पद माननीय उपाध्यक्ष का पद और इस सदन के माननीय सदस्यों को उसकी परिधि में लेना या नहीं लेना इसके औचित्य पर चर्चा इस सन्दर्भ में उठाई गई है। इसलिये आपकी अनुमति से मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह दोनों बातें एक भूल से हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरी यह मान्यता है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की यह मान्यता होगी कि जहाँ तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद है वह एक विधायिका के सर्वोच्च आसन पर बैठे हुए व्यक्ति का पद है जो इस विधानसभा की प्रक्रिया और उसकी नियमावली और उसकी जो सार्वभौमिकता है, उसके बाहर जाकर किसी भी संस्था या किसी भी व्यक्ति के अधीन नहीं किया जा सकता है और न उसके किसी कार्य की किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार से जाँच की जा सकती है या टिप्पणी की जा सकती है। माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सम्बन्ध में जो कुछ भी कार्यवाही की जा सकती है वह संविधान की धारा 179 के तहत इसी विधानसभा की प्रक्रिया के तहत की जा सकती है जहाँ हम अविश्वास का प्रस्ताव लाकर इन लोगों के प्रति अपना मत व्यक्त करके सदन की सहमति के बाद उनको अपने पद से हटा सकते हैं। किसी प्रदेश में कोई दूसरी प्रक्रिया निर्धारित की हो, ऐसी जानकारी मुझे नहीं है। इसलिए जहाँ तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का सवाल है किसी भी हालत में उन्हें इसकी परिधि में कोई औचित्य नहीं है न संवैधानिक औचित्य है, न प्रजातांत्रिक संदर्भ में व्यवहारिक है। जहाँ तक माननीय सदस्यों का सवाल है, वहाँ भी एक बहुत विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। इस सदन के सभी माननीय सदस्य चाहे किसी भी दल के हों, यह दलगत विषय नहीं है इसलिए दलगत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए।

सभी माननीय सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं विधानसभा का सदस्य होने के बाद सदन में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए शपथ लेते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। कुछ उनकी कार्यवाही सदन के अन्दर होती है, कुछ सदन के बाहर होती है। संवैधानिक स्थिति यही है कि प्रत्येक सदस्य के पास अलग से कोई पद नहीं है सिवाय इसके कि विधानसभा का सदस्य है, कोई दूसरा आफिस होल्ड नहीं करता जिससे कोई आदेश देता हो या निर्णय देता हो। जो सामान्य नियम कानून कायदे देश में हैं चाहे सिविल प्रोसीजर कोड हो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वह सब पर लागू होगा, उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता लेकिन जो विशेष प्रक्रिया बनाई जावेगी वह माननीय सदस्यों पर इसलिए लागू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर लागू होने के बाद मेरे मत में सदन की सार्वभौमिकता पर असर पड़ेगा और किसी सदस्य का आचरण, उसका कार्य सदन की मर्यादा या गरिमा के प्रतिकूल है या सदस्य के नाते उसको ऐसा नहीं करना चाहिए तो मैं समझता हूँ सदन की नियमावली में ऐसी प्रक्रिया विद्यमान है जिससे सदन उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही कर सकता है, जेल भेज सकता है, निष्कासित कर सकता है। सदन के पास यदि बहस के लिए इस प्रकार के कानून को संविधान के उद्देश्यों के अनुकूल पाया जावे तो क्या इस विधेयक में ऐसा भी संशोधन लाया जा सकता है कि इसकी परिधि में महामहिम राज्यपाल तथा माननीय हाईकोर्ट के न्यायमूर्तिगणों को भी सम्मिलित किया जावे जबकि मेरे विचार में इस प्रकार का प्रयास संवैधानिक दृष्टि से विवेकपूर्ण नहीं कहा जा सकता है।

यहाँ यह कहा जाना भी उपयुक्त होगा कि इन तीनों शाखाओं की स्वतंत्रता कायम रखने के लिए हमारे संविधान मे स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि शाखाओं के प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति अथवा महामहिम राज्यपाल केन्द्र तथा प्रांतों के दोनों सदनों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तिगणों को दिये जा रहे वेतन पर मतदान नहीं किया जाता है जबकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों के वेतनों पर सदनों में मतदान किया जाता है। देखें संविधान के अनुच्छेद 112, 113, 202 तथा 203।

श्री रमाशंकर सिंह : एम.एल.एल. की माँगों पर वोटिंग हुआ है।

अध्यक्ष : (11)इन प्रमुखों को हटाने के लिये भी संसद अथवा विधानसभाओं में महाभियोग अथवा अविश्वास का प्रस्ताव ही लाया जाता है। यही कारण है कि उक्त स्थिति के अभाव में संसद या विधानसभा में अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के आदेशों को चैलेंज नहीं किया जा सकता और न उस पर किसी भी प्रकार चर्चा हो सकती है। इस विषय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 179 तथा 183 विषय के कानूनी पक्ष को स्पष्ट करते हैं।

(व्यवधान)

(12) हमारे देश में कुछ प्रांतों में भी अभी तक इस विषयक कानून बनाये गये हैं उदाहरणार्थ— (क) दी महाराष्ट्र लोक आयुक्त एक्ट सन 1971 (ख) दी राजस्थान लोक आयुक्त एंड उप लोक आयुक्त एक्ट 1973 इत्यादि।

(13) उपरोक्त अधिनियमों को मैंने ध्यानपूर्वक देखा है। इनमें वर्णित उद्देश्यों में स्पष्टतया बताया गया है कि इस कानून को बनाने का उद्देश्य मंत्रियों, अधिकारियों तथा निगमों के अध्यक्षों की जाँच करना है। आज तक बने किसी भी कानून ने सदन के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को सदन के बाहर किसी भी व्यक्ति के समक्ष अपना स्पष्टीकरण देने को बाध्य नहीं किया है बल्कि उनके भविष्य का निर्णय लेने के लिए सदन को ही सार्वभौमिक एवं सर्वशक्तिमान संस्था के रूप में स्थापित किया है। महाराष्ट्र के अधिनियम की धारा 21 में यह प्रावधान भी है कि लोक आयुक्त द्वारा ऐसे किसी भी कार्य की जाँच नहीं की जावेगी जो विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा अथवा उसके निर्देश पर दिया गया हो। साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98 तथा 187 के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि विधायिका का एक स्वतंत्र अस्तित्व है, उसके सचिवालय भी शासन के सचिवालयों से भिन्न एवं स्वतंत्र है। इन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत हमने भी अपना स्वतंत्र कानून मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय सेवा विधेयक 1982 बनाया है।

(14) ऐसे ही एक संदर्भ में दिनांक 8 मार्च 1948 को कांस्टिटुवेन्ट एसेम्बली आफ इंडिया में स्वर्गीय श्री विट्ठल भाई पटेल के चित्र का अनावरण करते समय प्रधानमंत्री स्व. जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष पद की गरिमा बताते हुए कहा था—

"Now, Sir specially on behalf of the Government, may I say that we would like the distinguished occupant of this Chair now and always to guard the freedom and way to liberties or the House from every possible danger. even from the danger of executive intrusion. There is always that danger even from a National Government that it may choose to ride roughshod over others, and it is there that the Speaker comes in to protect each single Member or each single protect up from any such unjust activity by a dominant Government".

(व्यवधान)

अध्यक्ष : वर्मा जी मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप मुझे सुन नहीं रहे हैं।

श्री विक्रम वर्मा : आप से ज्यादा दुःख मुझे हो रहा है कि मुझे इस सदन में बैठना पड़ रहा है जहाँ सारे लोग भ्रष्टाचार की परिधि से दूर हो रहे हैं।

अध्यक्ष : आप मुझे सुन लीजिए।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, हम आपकी रूलिंग सुनना चाहते हैं लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय वर्मा जी का यह कहना है कि सदन के सभी लोग भ्रष्टाचार की परिधि से दूर जाना चाहते हैं। यह सदन की अवमानना है, कृपा करके इसे सदन की कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री विक्रम वर्मा : हम बार-बार कह रहे हैं कि आप हमें भी परिधि में लीजिए। आप क्यों नहीं लेना चाहते। सारे देश की जनता प्रदेश के विधायकों पर उंगली उठायेगी।

श्री शीतला सहाय : मुख्यमंत्री जी बहुत दूर की लाये हैं किस तरह से विधायक इसका उपयोग करेंगे इसका अंदाज लगा लें।

अध्यक्ष : आप अपने शब्दों का ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो फिर इधर से भी आयेगा तो आप आपत्ति करेंगे।

श्री विक्रम वर्मा : हम तैयार हैं।

श्री शीतला सहाय : हम अपने आपको जाँच कराने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।

अध्यक्ष : इसके आगे पंडित नेहरू ने कहा कि—

the position of the Speaker is not an individual's position or an honour done to an individual. The Speaker represents the dignity of the House, the freedom of the House and because the House represents the nation in a particular way, the Speaker becomes the symbol of the nation's freedom and liberty. Therefore, it is right that, that should be an honoured positoin, a free postion and should be occupied always by men of out standing ability and impartiality.

(15) केन्द्रीय शासन द्वारा निर्मित एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की अनुशंसा के अनुसार सन् 1971 (बिल क्रमांक-111) सन् 1971 प्रस्तुत किया गया था जो लोकसभा भंग होने पर विलुप्त हो गया। उक्त विधेयक पर चर्चा के समय यह प्रश्न उठाया गया था कि लोकसभा के सदस्यों को भी इस विधेयक के अंतर्गत लाना उचित होगा तब शासन की ओर से सम्बन्धित मंत्री ने सदन को बताया था कि ज्वाइंट कमेटी ने इस प्रश्न पर विचार किया है और यह ठहराया है कि सदन के सदस्यों को इस विधेयक के अंतर्गत लाना उचित नहीं होगा यही कारण था कि पूर्व के लोकसभा ने सदस्य श्री एस.जी. मुदगल के कदाचरण की जाँच के लिए एक समिति बनाई थी तथा जाँच रिपोर्ट पर आवश्यक निर्णय लिया था।

(16) उपरोक्त तथ्यों तथा विचारों के आधार पर मेरी व्यवस्था है कि—

(क) सदन के माननीय सदस्यों, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की जाँच, लोक आयुक्त के दायरे में लाने हेतु प्रस्तुत सभी संशोधन विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के विपरीत हैं तथा

(ख) उपरोक्त (क) में उल्लिखित सभी संशोधन लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के अनुकूल न होकर विधायिका

के अधिकारों पर कार्यपालिका का अतिक्रमण है।

अतएव इन सभी संशोधनों को मैं निरस्त करता हूँ।

अध्यक्ष : मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं एक रूलिंग पढ़ रहा था और आप सुनना नहीं चाहते थे।

(व्यवधान)

श्री हिम्मत कोठारी : आप इतनी जोर से बोलेंगे हम उससे ज्यादा बोल सकते हैं।

अध्यक्ष : जब स्पीकर बोल रहा हो.....

श्री देवीलाल रैकवाल : आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे पुलिस वाले बात कर रहे हों।

श्री राधारमण भार्गव : आप जब बात कर रहे हों तो ऐसा उसमें नहीं है कि हम व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते हैं।

अध्यक्ष : जी, नहीं उठा सकते, अध्यक्ष बोल रहा हो तो नहीं उठा सकते।

श्री राधारमण भार्गव : आपने जो व्यवस्था दी है मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उस पर पुनर्विचार करें। नियम 79

अध्यक्ष : यह बात बाद में बोल सकते थे बीच में क्यों बोले मैं जानना चाहता हूँ मुझे पूरी रूलिंग पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या।

श्री राधारमण भार्गव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न आप बीच में नहीं उठा सकते।

श्री राधारमण भार्गव : आपने, रूल शिथिल करने के बाद मुख्यमंत्री जी ने संशोधन दिया था उसे स्वीकार कर लिया उसके बाद व्यवस्था का प्रश्न था।

अध्यक्ष : उसको स्वीकार किया है मैंने।

श्री राधारमण भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संशोधन स्वीकार किया गया है और पटवा जी का एक संशोधन '2-क' में स्वीकार किया यदि कोई भी इस प्रकार का संशोधन मन्त्री या विधायक प्रस्तुत करता है इसे संशोधन के बाद में प्रस्तुत करता है तो हमारे भी अधिकार थे कि हम '2-क' में संशोधन कर सकते थे अब हमारी स्थिति क्या बना दी।

अध्यक्ष : सदन में प्रस्तुत कर सकते थे और आपको नियम मालूम हैं कि 24 घंटे पहले संशोधन आना चाहिये था।

श्री राधारमण भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कथन तो सुन लें।

अध्यक्ष : आप नियम देखकर बतायें। नियम पढ़ दीजिये?

श्री राधारमण भार्गव : आपने नियम शिथिल कर दिया।

अध्यक्ष : मैंने शिथिल नहीं किया यह तो सदन ने किया है।

श्री राधारमण भार्गव : हमें अधिकार तो होना चाहिये कि हम संशोधन पेश कर सकें?

अध्यक्ष : आप नियम तो बता दीजिये कि सदन में पेश कर सकते हैं क्या?

श्री राधारमण भार्गव : इसका मतलब यह हुआ कि जो विधि की परंपरा है, नैसर्गिक न्याय मिलना चाहिये, उसके विरुद्ध यह कार्य हुआ है।

अध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर दूँ कि चूँकि मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है और इसके पश्चात यदि आपको मेरी व्यवस्था के खिलाफ असंतोष है तो आपका अधिकार है कि आप दूसरी प्रक्रिया अपनायें, दूसरी कार्यवाही जो आप करना चाहें वह करें। मैं वह जरूर सुनूँगा। मैंने उसको निरस्त कर दिया और अब यदि चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा करें।

श्री राधारमण भार्गव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये। आपने जो आदेश दिया, निर्णय दिया, उस पर मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूँ और उसके आधार बताना चाहता हूँ।

अध्यक्ष : आप नियम बता दें आप मेरी व्यवस्था पर कोई व्यवस्था उठा सकते है?

श्री राधारमण भार्गव : पुनर्विचार किया जा सकता है।

अध्यक्ष : बिल्कुल नहीं।

श्री शीतला सहाय : मेरा पाइंट आफ आर्डर है कि श्रीमान जब बोल रहे थे तो माननीय सदस्य ने पाइंट

आफ आर्डर उठाया तो आपने उनको रोक दिया और कहा कि पहले मुझे पढ़ लेने दीजिये उसके बाद आप सुनेंगे जब आपकी रूलिंग पूरी हो गई तब श्रीमान यह कह सकते थे कि चूँकि मेरी रूलिंग हो चुकी है और इसके विपरीत मैं नहीं सुनूँगा।

अध्यक्ष : शीतला सहाय जी, आप जरा मुझे सुन लीजिये। मैंने बहुत समय आपको दिया है तो क्या आपको हर बात पर बोलने का समय दिया जाये?

श्री शीतला सहाय : हम लोगों के कोई अधिकार नहीं हैं, मेरा यह निवेदन है कि जब माननीय सदस्य एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे थे.....

अध्यक्ष : नहीं उठा सकते।

श्री शीतला सहाय : आप यह कहकर उन्हें चुप कर देते कि चूँकि मेरी रूलिंग हो गई है इसलिए आपका प्रश्न उपस्थित नहीं हो सकता। मतलब आप कोई दूसरी बात कह देते।

अध्यक्ष : आप वही बात कह रहे हैं। आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप चर्चा शुरू कर सकते हैं।

श्री रमाशंकर सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या आपकी व्यवस्था पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता?

अध्यक्ष : जब मैं अपनी रूलिंग दे रहा था तब आप भी बीच में बार-बार इंटरप्ट कर रहे थे। क्या आप मुझे सुन नहीं सकते थे?

श्री रमाशंकर सिंह : जब आप अपनी व्यवस्था दे रहे थे तो हम अपनी भावना को रोक नहीं सके, इसलिए मुझे खेद है।

अध्यक्ष : अब आप आराम से बोलिए जितना बोलना है उतना।

श्री रमाशंकर सिंह : मेरा व्यवस्था का सवाल यह है कि मैंने जब मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित संशोधन के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया था तब अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि जब इस पर चर्चा होगी तब उस समय मैं विचार करूँगा। अभी आपने रूलिंग दी और मुख्यमंत्री जी के और पटवा जी के संशोधनों को मंजूर किया तब मैंने अपनी व्यवस्था का प्रश्न रेज किया वह अभी तक अनुत्तरित है कि संशोधन प्रस्तावित है मुख्यमंत्री द्वारा, कृपया दूसरे संशोधनों को देखें। नया खण्ड 8 (क) खण्ड 8 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् 8 (क) में कहा गया है मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 12 का संशोधन (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाये, अर्थात....

अब अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि खण्ड 8 के मूल अधिनियम में जिस मामले के संबंध में संशोधन नहीं है और संशोधन विधेयक में खण्ड 8 जो है उसमें मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये याने पहले की धारा 10।

अध्यक्ष : मैं आपको सुन रहा हूँ। जो मैंने शिथिल कर दिया है, वह नियम यही तो था न कि यह जो अंडर कंसिडरेशन एक्ट है उसमें संशोधन किया जाये, वह शिथिल कर दिया। अब मूल अधिनियम में आ गये हैं।

श्री रमाशंकर सिंह : मैं उसी पाइन्ट को रेज नहीं कर रहा हूँ। आप विसंगति की ओर देखें मूल खण्ड (क) 8-क में प्रस्तावित संशोधन देखें।

अध्यक्ष : खण्ड 8 इसमें नहीं लिया है। 8 के पश्चात् जोड़ा जाये।

श्री रमाशंकर सिंह : मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। 8 के पश्चात 8-क जोड़ा गया। अब आप देखें। इसकी धारा-9 संशोधन विधेयक के मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 2 में शब्द अंक धारा 63 के पश्चात् अंक धारा 228 अंतःस्थापित की जाए। धारा 11 के पूर्व ही धारा 12 का संशोधन हो जाए और खण्ड (ख) में 10 और 11 के बीच में 12 हो, यह संभव है?

अध्यक्ष : हो सकता है कि मिस प्रिंट हो।

मैं औरिजनल में पढ़ रहा हूँ। उसमें करेक्ट भाग 2 इस प्रकार है खण्ड 8 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाए अर्थात 8-क मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 12 का संशोधन दो के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित किया जाए। अर्थात 2-क यदि मुख्यमंत्री को स्वयं अपने विरुद्ध की गई किसी

शिकायत के विरुद्ध में लोकायुक्त को कोई रिपोर्ट प्राप्त होती है तो वह अविलम्ब उसे राज्य की परिषद के समक्ष रख पायेगा। यह है क्या?

श्री रमाशंकर सिंह : यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद संशोधन विधेयक की धारा 9 पढ़ें मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 2 में शब्द और अंक 113 के पश्चात् शब्द और अंक तथा धारा 228 अंतःस्थापित की जाए।

अध्यक्ष : आप कौन-सी धारा 9 पढ़ रहे हैं?

श्री रमाशंकर सिंह : संशोधित विधेयक के मूल अधिनियम की धारा-11

अध्यक्ष : यह नहीं पढ़ रहे हैं। संशोधित मध्यप्रदेश लोक आयुक्त उप लोक आयुक्त, इनसे किया जाता है यह है? आप इसमें से देखिए—

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके द्वारा छपा हुआ पढ़ रहा हूँ।

अध्यक्ष : संशोधित विधेयक पढ़िए।

श्री रमाशंकर सिंह : पृष्ठ 29 है।

अध्यक्ष : पेज 2 नम्बर उपधारा 9 शायद आप गलती से पुराना ले आए हैं। अब तो ठीक है। अब तो कोई भ्रांति नहीं रही न।

श्री सुन्दरलाल पटवा : पाइन्ट ऑफ आर्डर।

अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है। मैं अब इस पर चर्चा नहीं सुनूँगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आपने व्यवस्था दे दी। इस पर कोई आपत्ति या चर्चा नहीं होती है। वह जो कुछ आपने दे दी है, वह सदन को आदेश है परन्तु मैं श्रीमान से आपकी व्यवस्था के बारे में और व्यवस्था चाहता हूँ कि रूल 79 के तहत जो आपने संशोधन डिसएलाऊ किए हैं।

अध्यक्ष : मैं उस पर कोई बहस नहीं सुनूँगा। जो मैंने आदेश दिये हैं, उस पर मैं कोई बहस नहीं सुनूँगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आपका आदेश हमें मान्य है।

अध्यक्ष : मैं पहले आपको सुन चुका हूँ, उसके पश्चात् ही मैंने आदेश दिए हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद है।

अध्यक्ष : आप नियम बता दीजिये कि अध्यक्ष की रूलिंग के पश्चात् भी पाइन्ट आफ आर्डर उठाये जा सकते हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, खेद है।

अध्यक्ष : खेद मैं प्रकट कर दूँगा नियम में व्यवस्था है तो?

श्री सुन्दरलाल पटवा : नियम 79 रेफर किया है आपने संशोधन एलाऊ किया है।

अध्यक्ष : पहले उसका अलग सैद्धांतिक पक्ष बताता है वह नहीं देखा?

श्री सुन्दरलाल पटवा : सैद्धांतिक पक्ष से आज तक रूलिंग नहीं दी जाती। मैंने कान्सटीट्यूशनल आधार पर.....

अध्यक्ष : आप मुझे चैलेंज दे रहे हैं?

श्री सुन्दरलाल पटवा : यह संवैधानिक है कि नहीं सदन तय करेगा।

अध्यक्ष : सदन नहीं करेगा चेयर तय करेगी।

(व्यवधान)

आपने यहाँ चैलेंज किया था कि सरकार संवैधानिक ही है मैंने डिसाइड किया था सदन ने नहीं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : यह कोई कानून—

अध्यक्ष : आपने मुद्दा उठाया था मैंने निर्णय दिया था।

(व्यवधान)

संविधान का किसी प्रकार का इन्टरप्रेटेशन सदन नहीं करता है उसका निर्णय मैं दे सकता हूँ। मैं नहीं बता पाता हूँ तो मुश्किल हो जायेगी। सदन इन्टरप्रेटेशन करेगा सदन फैसला ले—

श्री सुन्दरलाल पटवा : कोई कानून विचारार्थ होता है वह कान्सटीट्यूशन —

अध्यक्ष : कोई भी संशोधन नियमानुकूल नहीं होगा संविधान के विरुद्ध होगा, अवैध होगा, विधान के खिलाफ होगा मुझे पूरा अधिकार है मैंने इसका उपयोग किया है अब जो चाहे कर सकते हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं यही ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। कोई भी कानून सदन में विचारार्थ आया है कान्सटीट्यूशन के खिलाफ है कन्वेन्शन करता है या नहीं, आज तक हिन्दुस्तान की किसी स्पीकर ने पार्लियामेंट में रूलिंग देकर नहीं रोका। कोर्ट डिसाइड करेगा, सदन तय करता है कि नहीं—

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कोल एण्ड शकधर की किताब है आप बता दें संविधान के इंटरप्रेटेशन का अधिकार सी.एम. को नहीं है आपको है। (व्यवधान) मैं जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ सुनना चाहता हूँ आप बता तो दें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं एक वाक्य बोलता हूँ आप सवाल करते हैं।

अध्यक्ष : आप मुझसे एक बार फैसला ले लेते हैं संवैधानिक है आप कहते हैं अधिकार नहीं दो-दो बातें कैसे कर रहे हैं?

श्री सुन्दरलाल पटवा : दो बात नहीं कर रहा हूँ।

श्री शीतला सहाय : पूरी सभा की आपत्ति आती है ऐसा एक भी नियम संविधान (व्यवधान) हम लोगों की बात सुनाई नहीं देती है। मैं पूछता हूँ जब पुरःस्थापन किया जाता है संवैधानिक आपत्ति होती है तो सदन तय करता है कि आप कहते हैं?

अध्यक्ष : आप इस पर भी कहना चाहेंगे तो भी सुन लूँगा मैंने कह दिया कि सुनने को तैयार हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : सदन में कौन-सा कानून विचारार्थ आये या कान्सटीट्यूशन के प्रावधान के अंतर्गत है या विपरीत इस आधार पर किसी भी कानून को रोकने का निर्णय आज तक मेरी जानकारी में छोटी-सी बुद्धि में कमी भी स्पीकर ने न ही पार्लियामेंट के स्पीकर ने दिया। अनेक उदाहरण पहले के हैं कांस्टीट्यूशन की वेलेडिटी को चैलेंज दिया गया है और प्रावधानों के तहत प्रस्तावित विधेयक और संशोधन की रूलिंग है। मैं कोल एण्ड शकधर की पार्लियामेंट की, लोकसभा की, राज्यों की व्यवस्थाओं के अनेकों उद्धरण निकालकर अभी बता सकता हूँ मुझे पाँच मिनट का समय दें। इस प्रकार के आधार पर चर्चा करने से न रोकें। सदन पास करे या नहीं। मुझे खेद इस बात का है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, को माननीय सदस्यों को इसके परव्यू में रखा जाये या नहीं यह निर्णय करना कानून बनाने वाले का काम है आप अपना मत व्यक्त करें यह चेयर का काम नहीं है।

अध्यक्ष : भारत की जितनी विधानसभाओं ने पास किया है, नहीं रखा है आप रख लीजिए।

श्री सुन्दरलाल पटवा : उन्होंने किया है या नहीं मैं भारत की विधानसभाओं—

अध्यक्ष : हमारे विरोधी पक्ष के नेता सारी विधानसभा के मुकाबले अलग से विचार रखना चाहते हैं?

श्री सुन्दरलाल पटवा : हमारा काम है।

अध्यक्ष : मैंने राजस्थान विधानसभा व महाराष्ट्र विधानसभा का बताया नहीं है आप रखना चाहते हैं तो रख लीजिये मैं सूनूँगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : बड़ी मुश्किल है— (व्यवधान)
मुझे दुःख इस बात का है जो रूलिंग नियम के अंतर्गत आना चाहिये वह आपने दी (व्यवधान)

अध्यक्ष : जब मैंने व्यवस्था दे दी। क्या मेरी व्यवस्था देने के पश्चात् उस व्यवस्था को चैलेंज किया जा सकता है?

(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : श्रीमान मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ परन्तु मुझे खेद इस बात का है कि किस चीज को कानून के अंतर्गत रखना है। कौन-सा संशोधन आना चाहिये (व्यवधान) कौन-सा नहीं आना चाहिये किस दायरे में रखना यह सदन मन्जूर करे न करे यह अलग बात है परन्तु इस प्रकार का संशोधन विधानसभा में विचारार्थ न आये (व्यवधान) यह जो रूलिंग है उसकी वेलेडिटी है या नहीं वह कान्सटीट्यूशन के किसी प्रोवीजन को कन्ट्रवेन्शन करता है इसलिए क्या यह नहीं आ सकता (व्यवधान) मेरा आपसे निवेदन है इस आधार पर कोई कानूनी संशोधन सदन में लाने से रोका नहीं गया और वह जो श्रीमान ने आधार दिया है मुझे खेद के साथ निवेदन

करना पड़ रहा है कि किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए इसका औचित्य क्या इस बात का जो प्रतिपादन श्रीमान ने किया, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आसन्दी पर पूरी विनम्रता प्रकट करते हुए बहुत खेद के साथ यह कहना चाहूँगा कि यह चेयर का काम नहीं है। इसका कौन-सा औचित्य है यह सदन विचार करेगा..... (व्यवधान) यह सदन का अधिकार है। श्रीमान की आसन्दी और कार्यक्षेत्र इतना है कि वह विधि-विधान और नियम के अन्तर्गत हो तो आप परमिट कीजिए अगर औचित्य नहीं है तो सदन रिजेक्ट कर दे (व्यवधान) और यदि औचित्य है तो सदन स्वीकार कर ले.....: (भारी व्यवधान)

अध्यक्ष : क्या मुझे औचित्य का निर्णय लेने का अधिकार नहीं है (व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : विधि-विधान से सम्बद्ध है यही निर्णय लेना है और जो निर्णय लेना है क्या वह लोकतन्त्र विरोधी है। ऐसा अगर एमेन्डमेंट हम ले आयें जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आ गये विधानसभा के सदस्य ..... (भारी व्यवधान)

अध्यक्ष : आप गवर्नर को ले आयें, हाईकोर्ट जज ले आये, कौन रोकता है? (व्यवधान) पर क्या आप ला सकते हैं आप यह सोचिये कि लाना आसान है, पर संभव है क्या (व्यवधान) मैं नहीं चाहता कि हमारे कानून को हाईकोर्ट में भी चैलेंज करें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आपके चाहने न चाहने से नहीं होगा। हरेक नागरिक का हक है..... (व्यवधान) (तानाशाही नहीं चलेगी के नारे)

श्री हिम्मत कोठारी : हमें बोलने का अधिकार है..... (व्यवधान) हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते।

श्री शीतला सहाय : (रिकार्ड नहीं किया)

अध्यक्ष : यह रिकार्ड में नहीं आयेगा.....

(भारी व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : ठीक है आप हमें बाहर निकलवा दीजिये और कृपा करके उसके बाद विधानसभा चलाते रहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : पटवा जी बाहर निकलवाने की परम्परा हमने देखी है। हम नहीं चाहते (व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : आपको अधिकार है आप अपने अधिकारों का पूरा प्रयोग कीजिये..... (व्यवधान)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : यहाँ कानून बनाने की परंपरा हमने देखी है।

(व्यवधान)

जूते चप्पल फेंके जायें, ऐसी परंपरा नहीं बनेगी।

(व्यवधान)

पटवा जी क्या कहकर डराना चाहते हैं।

(व्यवधान)

वह धौंस दपट दे सकते।

(व्यवधान)

श्री शीतला सहाय : इस तरह के संशोधन से कुछ लोगों के काले कारनामे सामने आ जायेंगे इसलिए यह संशोधन नहीं लिये गये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : यदि आपने यह सोचा है अधिकार से लाना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं।

(व्यवधान)

श्री शीतला सहाय : भ्रष्टाचार सामने आये यह कौन-सी गलत बात हो गई।

अध्यक्ष : तो फिर क्या गलत है उसमें।

श्री विक्रम वर्मा : — ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष : वर्मा जी, आप जो कुछ कह रहे हैं वह रिकार्ड में नहीं आयेगा (व्यवधान) यहाँ धौंस दपट नहीं चल सकती है यह कोई तरीका नहीं है। नियम हैं, प्रक्रिया है, उसके आधार पर काम कीजिये आप बताइये किसने भ्रष्टाचार किया है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : एक माननीय सदस्य विधानसभा में हैं, उनके खिलाफ 32-32 चार्जेज लगे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मेरे पास भी विरोधी पार्टी के बहुत से कारनामों का चिट्ठा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : विधानसभा की कार्यवाही 15 मिनिट के लिए स्थगित।

(6.53 से 7.14 बजे तक अन्तराल)

{अध्यक्ष महोदय (श्री यज्ञदत्त शर्मा) पीठासीन हुए}

रेकार्ड नहीं किया गया।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे निर्देश दिया था— मैं आपका ध्यान कौल एंड शकधर के प्रेक्टिस एंड प्रोसीजर आफ पार्लियामेंट पार्ट 2 के पृष्ठ 463 की ओर आकर्षित करना चाहूँगा—

A question relating to the legislativecompetenceof the assembly which may often involve much difficulty and complexity should not be summerily settled by the Chair on a point of order in fact, the federal court has been established for the very purpose of dealing with these questions and the chair has really not the facilities or the time and the material on which to come to a satisfactory conclusion on a point of this character so as to be able to hold finally whether the assembly should or should not consider the particular legislative proposal, therefore hold that this is not a question which should be settled by a ruling of the chair on a point or order.

अध्यक्ष : ऐसे केसेज हो सकते हैं जिन्हें स्पीकर चाहें तो सदन पर छोड़ सकता है यह नहीं कि वह बन्धन कारक है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : श्रीमान आपने आदेश दिया है।

अध्यक्ष : अच्छा ठीक है मैंने इसको नोट कर लिया है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैंने श्रीमान् से यह कहा है कि नहीं किया जा सकता। लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार इसका कोई औचित्य है या नहीं वह श्रीमान् के निर्णय का आधार नहीं बनना चाहिए।

अध्यक्ष : आपकी ओपिनियन नहीं आयेगी। यदि आयेगी तो मैं उसको प्रोसीडिंग से हटा दूँगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, आपको प्रोसीडिंग से हटाने का अधिकार है और मुझे भी यहाँ से हटाने का अधिकार है।

अध्यक्ष : अब आप चाहें तो और भी इसमें 10 बातें जोड़ दीजिए।

श्री सुन्दरलाल पटवा : चूँकि इसमें संशोधन में आपका नाम आया है इसलिए आपको दुःख हुआ है।

अध्यक्ष : पटवा जी मुझे आपसे यह अपेक्षा नहीं थी। अगर और कोई दूसरा यह कहता तो दूसरी बात थी।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, आपके व्यक्तित्व के बारे में एक शब्द भी मैंने नहीं कहा है। यदि उसमें एक शब्द भी निकलेगा तो मैं एक बार नहीं सौ बार आपसे क्षमा माँगूगा।

अध्यक्ष : ठीक है, मैं प्रोसीडिंग देख लूँगा यदि आपके अपमान के बारे में कुछ होगा तो मैं उसको वापस ले लूँगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आपने जिस आधार पर धारा 2 में संशोधन स्वीकार किये हैं उसी आधार पर हमारे संशोधन लेने की कृपा करें।

श्री रमाशंकर सिंह : प्वाइंट आफ आर्डर अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश के द्वारा जब विधानसभा 15 मिनट के लिए स्थगित की गई तो आपके श्रीमुख से यह वाक्य आये थे कि आपने अपने जमाने में मामलों को.....

अध्यक्ष : अब मैं सुनूँगा नहीं। आप यदि नियम में बतला देंगे कि ऐसा कहीं भी प्वाइंट आफ आर्डर है जो स्पीकर पर आता हो।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने जो कुछ भी कहा है उससे उस समय के स्पीकर की अवमानना हुई है।

अध्यक्ष : सुन लीजिये रमाशंकर सिंह जी। आप सुन लीजिये। यदि अवमानना हुई है तब भी आप अविश्वास प्रस्ताव लाकर के ही चर्चा कर सकते हैं। वर्ना नहीं कर सकते हैं।

श्री रमाशंकर सिंह : श्रीमान मेरा निवेदन यह है कि—

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइये। अब आप नई स्थिति पैदा करना चाहते हैं, मैं समझ रहा हूँ इस बात को।

श्री रमाशंकर सिंह : आप इस पर विचार करेंगे क्या?

अध्यक्ष : मैंने पूरा विचार किया है। अब आप कोई प्रश्न करेंगे क्या?

श्री रमाशंकर सिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान) स्पीकर के नाम से.....

अध्यक्ष : मैंने जो कुछ कहा है उससे अलग बोलिए आप।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। एक बार भी माननीय अध्यक्ष कोई रूलिंग दे दें और बाद में कोई विशेष मुद्दा जो रूलिंग में नहीं आ पाया हो इस प्रकार की कोई जानकारी माननीय सदस्य से प्राप्त करें जैसी कि श्रीमान ने पटवा जी से प्राप्त की है तो फिर क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, रूलिंग पर पुनर्विचार .....

अध्यक्ष : पटवा जी का अपना एक अलग स्थान है। इस स्थान को जितनी इज्जत मैं देता हूँ वह हरेक को नहीं दे सकता।

श्री शीतला सहाय : आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है।

अध्यक्ष : मैंने जो उनको इज्जत दी वह आपको नहीं दे सकता।

श्री शीतला सहाय : श्रीमान मैंने कब कहा कि आप मुझे पटवा जी के समान इज्जत दें। आपकी मध्यप्रदेश में बहुत है, मैं भी आपकी इज्जत के विपरीत कुछ नहीं कहना चाहता।

अध्यक्ष : जो मैंने कहा है उस पर आप ज्यादा ध्यान नहीं दें। अब आप इससे हट करके बोलिए।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक बार जब आपसे किसी प्रकार का प्रावधान चाहते थे उस प्रकार का प्रावधान श्रीमान के सामने प्रस्तुत करते हैं तो क्या आप अपनी रूलिंग पर पुनर्विचार नहीं करेंगे। इसके लिए मैं व्यवस्था चाहता हूँ।

अध्यक्ष : मैंने जो रूलिंग दी है वह उचित है, न्याय संगत है, विधि और विधान के अनुकूल है। (व्यवधान)

श्री रमाशंकर सिंह : मेरा औचित्य का सवाल है अध्यक्ष महोदय।

श्री कैलाश जोशी : आपके निर्णय के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं केवल एक बात आपसे कहना चाहता हूँ सदन का कोई भी माननीय सदस्य कोई प्रस्ताव सदन के सामने लाता है एक बात आपके सामने लाता है तो इसको एक बार नहीं सैकड़ों बार देखा गया है कि आपके दो वर्ष के अध्यक्ष के कार्यकाल में आप उनको अपने कक्ष में बुला करके कहते हैं यह इस प्रकार से ठीक नहीं है इसको ठीक किया जाये अन्यथा इसको अस्वीकार कर देंगे या इस प्रकार से अड़चन थी। इस समय आपको जो संशोधन दिये गये उन संशोधनों में अगर आपको लगता है कि इसमें वैधानिक त्रुटि है, व्यवहारिक त्रुटि है तो आप अपने कक्ष में उन सदस्यों को बुलाकर बता सकते थे ताकि यह सब बातें भी माननीय सदस्यों को, जिन्होंने उस प्रकार के संशोधन दिये हैं तो उसकी जानकारी उन्हें हो जाती है। वह न होकर के आपने कुछ संशोधनों को स्वीकार कर लिया और कुछ को अस्वीकृत कर दिया। अतः ऐसी कौन-सी कठिनाई थी आपके सामने जिससे आपने चर्चा का भी अवसर नहीं दिया अगर इन्हें अस्वीकृत कर दिया.....

अध्यक्ष : देखिए अभी तो आपने कहा था कि उस पर नहीं बोलूँगा लेकिन सब कुछ आप उसी पर बोले।

श्री कैलाश जोशी : मैं निर्णय के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, निर्णय आप.....

अध्यक्ष : आपने कहा कि संशोधन आपके क्यों लिये मैंने सदन की राय ली। सदन ने मन्जूर किया आपने जो कुछ कहा है उसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ।

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय शीतला सहाय जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किये थे उनको लिया ही अगर सदन उनको रिजेक्ट कर देता तो कोई आपत्ति की बात नहीं थी। लेकिन सदन में तो हमारे संशोधन प्रस्तुत ही नहीं हुए और इसलिए यह जो सारी बात है कि सदन के अंदर वे संशोधन आ जाएँ। केवल मात्र यह प्रश्न था कि जो संशोधन प्रस्तुत किये गये थे और माननीय शीतला सहाय जी का जो संशोधन दिया गया था।

अध्यक्ष : मैंने संशोधन पढ़कर सुना दिया था। फिर भी आप कह रहे हैं। आप खुद तो पढ़ लीजिए कि वह नियम के तहत है, या नहीं है।

श्री राधारमण भार्गव : .....

अध्यक्ष : आप जो कुछ कह रहे हैं वह रिकार्ड में नहीं आयेगा। (व्यवधान)

श्री राधारमण भार्गव : मैं औचित्य के प्रश्न की बात कर रहा हूँ अगर एक भी बात उसमें अनुचित हो तो उसको रिकार्ड में मत लाइये। आपने जो डिसाइड कर दिया है मैं उस सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ।

श्री कैलाश जोशी : आप हमें संतुष्ट भी नहीं करना चाहेंगे।

अध्यक्ष : यह कोई तरीका नहीं है।

श्री कैलाश जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपके हाथ में हमारा संरक्षण है क्या आप हमारा संरक्षण नहीं करेंगे।

अध्यक्ष : मैंने उस पर अपनी व्यवस्था दे दी है क्या आप चाहते हैं कि फिर से सुनकर उनको फिर से संतुष्ट करूँ।

श्री कैलाश जोशी : आप हर बात में कहते हैं कि यह रिकार्ड में नहीं आयेगा।

रिकार्ड नहीं किया गया।

अध्यक्ष : बिल्कुल नहीं आयेगा। मैंने अपनी व्यवस्था देने के पहले सबको पूरा-पूरा सुना है उसके बाद मैंने अपनी व्यवस्था दी है। आप जिद्द तो नहीं कर सकते हैं।

श्री राधारमण भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने मुझे पूरा सुना ही नहीं है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने जो व्यवस्था दे दी है उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। आपने आज नियमों को शिथिल करके माननीय मुख्यमंत्री और माननीय पटवा जी के दो संशोधनों को स्वीकार कर लिया।

अध्यक्ष : मैंने स्वीकार नहीं किया है आप बार-बार यही कह रहे हैं।

श्री राधारमण भार्गव : सदन ने स्वीकार कर लिया अब स्थिति क्या हो गई है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संशोधन था वह आज की तारीख में पेश हुआ समझा जायेगा अब माननीय अध्यक्ष महोदय, अब माननीय शीतला सहाय जी ने संशोधन एन्टीसिपेट्री दे दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी यह संशोधन कर रहे हैं। हमारे पास कब टाइम है कि जो मूल विधेयक में जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संशोधन कर दिया गया अब हम उसे कब संशोधन कर सकते हैं इसलिये इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ। सिविल प्रोसीजर कोड का जो मूल सिद्धांत है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करूँगा।

अध्यक्ष : आपने जो प्रश्न उठाया है उसमें वजन इसलिए है कि आपको संशोधन का समय नहीं मिला। संशोधन का समय किसके लिए चाहा? जो यहाँ पर संशोधन विधेयक विचाराधीन है उसके लिये। अगर आप संशोधन उसमें दें तो मैं उस पर विचार करूँगा।

श्री राधारमण भार्गव : मैं अभी नियम पढ़े देता हूँ। उसे भी क्लियर कर देता।

अध्यक्ष : नियम पढ़ दीजिये किसी भी विधेयक में जो माननीय सदस्य संशोधन करें उस संशोधन का एक रीजन बता देना चाहिये। (व्यवधान)

श्री शीतला सहाय : यदि एक संशोधन लाये हैं तो उसमें एक और आ सकता है। मैं विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 79 का उप नियम 7 पढ़ रहा हूँ जो संशोधन अध्यक्ष द्वारा पहले ही प्रस्तावित किया जा चुका हो उसमें संशोधन प्रस्तुत किया जा सकेगा अब श्रीमान ने यह संशोधन प्रस्तुत हो गया है.....

अध्यक्ष : प्रस्तावित नहीं हुआ है सदन अनुमति देगा तब होगा।

श्री शीतला सहाय : सदन ने इसको प्रस्तुत करने का निर्णय नहीं दिया है सदन ने नियम शिथिल करने

का निर्णय दिया है। नियम शिथिल हो जाने के बाद आपने यह निर्णय किया है।

अध्यक्ष : आप मुझे तो प्रस्तुत करने दीजिये।

श्री शीतला सहाय : आप पहले मेरी बात सुन लें उसके बाद प्रस्तुत हो।

अध्यक्ष : मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप मुझे सुन लीजिए।

शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः) मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक 1982

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक 1982 पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा नया खण्ड 2—

अध्यक्ष : नया खण्ड 2-क इस खण्ड में संशोधन है श्री शीतला सहाय। शीतला सहाय जी आपका संशोधन है क्या आप पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जावे अर्थात— मूल अधिनियम की धारा 2 के खंड (ङ) में शब्द अर्थात अर्थात मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ङ) में, शब्द अर्थात के पश्चात् शब्द 'मुख्यमंत्री तथा प्रतिपक्ष के नेता अंतःस्थापित किया जावे।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : दूसरा संशोधन है श्री बाबूलाल गौर का। गौर जी आप भी अपना संशोधन नहीं पढ़ेंगे।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड दो के पश्चात् निम्नलिखित खंड 2 (क) स्थापित किया जाये— 2 (क) मूल अधिनियम की धारा 2 (ङ) में शब्द किंतु उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री नहीं आयेगा विलोपित किया जाये तथा शब्द 'अर्थात कोई' के आगे मुख्यमंत्री जोड़ा जाए।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : पटवा जी मैं अब आपका संशोधन पढ़ रहा हूँ तब भी आपका कहना कि गलत है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड 2-क अंतःस्थापित किया जाए अर्थात मूल अधिनियम की धारा 2 में (क) खण्ड (ङ) में शब्द किंतु उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री नहीं आयेगा का लोप किया जाए तथा 'शब्द' अर्थात कोई के आगे शब्द मुख्यमंत्री जोड़ा जाए (ख) खंड (ज) का लोप किया जाए।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : खण्ड 2 में ही एक संशोधन है श्री रमाशंकर चौधरी का।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड दो के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड 2 (क) अंतःस्थापित किया जाए अर्थात 2-क मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ङ) में से शब्द किंतु उसके अंतर्गत 'मुख्यमंत्री नहीं आयेगा' का लोप किया जाये और उसमें शब्द; और उसके अंतर्गत मध्यप्रदेश विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम 1980 (क्रमांक-8 सन् 1980) की धारा 2 के खंड (क) में तथा परिभाषित नेता प्रतिपक्ष आयेगा' जोड़े जाएँ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खंड 2 के पश्चात, निम्नलिखित नया खण्ड 2 (क) अंतःस्थापित किया जाए 2 (क) अर्थात् धारा 2 का संशोधन मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ङ) में (क) शब्द अर्थात के पश्चात् शब्द मुख्यमंत्री अन्तः स्थापित किये जाए और (ख) शब्द किंतु उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री नहीं आयेगा' का लोप किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड 2 के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड 2-क अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात— मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ङ) में—

(क) शब्द 'अर्थात' के पश्चात् शब्द 'मुख्यमंत्री'

अन्तः स्थापित किये जाये और (ख) शब्द किन्तु उसके अन्तर्गत मुख्यमंत्री नहीं आयेगा का लोप किया जाये।
संशोधन स्वीकृत हुआ।
अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि नया खण्ड 2-क विधेयक का अंग बने।
नया खण्ड 2-क विधेयक का अंग बना।

(व्यवधान)

(श्री रमाशंकर सिंह द्वारा विधेयक की प्रतियाँ फाड़कर सदन में फेंकी गईं)

अध्यक्ष : मिस्टर रमाशंकर सिंह आप क्या कर रहे हैं महसूस कर रहे हैं इस बात को।

नया खण्ड 8-क

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड 8 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए अर्थात 8-क के मूल अधिनियम की 12 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाए अर्थात (2-क) यदि मुख्यमंत्री को स्वयं अपने विरुद्ध की गई किसी शिकायत के संबंध में लोकायुक्त की रिपोर्ट प्राप्त होती है तो वह उसे अविलम्ब राज्य के उच्च न्यायालय के समक्ष रखवायेगा तथा आग्रह करेगा कि वह उचित कार्यवाही करे।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 8 के पश्चात् निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाये अर्थात 8-क मूल अधिनियम की धारा 12 में (क) उपधारा (1) में शब्द 'तो यह सुसंगत दस्तावेजों, सामग्री तथा अन्य साक्ष्य के साथ अपने निष्कर्ष तथा सिफारिशें लिखित रिपोर्ट द्वारा सक्षम प्राधिकारी को संसूचित करेगा' के स्थान पर शब्द तो वह सक्षम न्यायालयों में दोषी व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दायर करने की कार्यवाही करेगा प्रतिस्थापित किये जाएँ।

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाये।

(ग) उपधारा (3) का लोप किया जाए।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि खंड 8 के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड 8 (क) अंतःस्थापित किया जाए अर्थात् (8- क धारा) 12 का संशोधन 8 मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाये अर्थात—

(2- क) यदि मुख्यमंत्री को, स्वयं अपने विरुद्ध की गई किसी शिकायत के संबंध में लोकायुक्त की कोई रिपोर्ट प्राप्त होती है वह उसे अविलंब राज्य की मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवायेगा।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 8 के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड 8 (क) अंतःस्थापित किया जाये अर्थात—

8-क 12 का संशोधन मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाये अर्थात—

(2-क) यदि मुख्यमंत्री को, स्वयं अपने विरुद्ध की गई शिकायत के संबंध में लोकायुक्त की कोई रिपोर्ट प्राप्त होती है तो वह उसे अविलम्ब राज्य की मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवायेगा।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि नया खण्ड 8 (क) विधेयक का अंग बने।

नया खण्ड 8-क विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 9 इस विधेयक के अंग बनें।

खण्ड 2 से 9 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने—

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप

लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विधेयक पारित हुआ

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/23 मार्च 1982, पृष्ठ/ 133-148)

23 मार्च 1981 को सदन की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने और सदन की अवमानना करने के संबंध में राज्य विधिमंत्री डॉ. राजेन्द्र जैन ने सदस्य श्री कैलाश पंडित, श्री निर्भय सिंह पटेल और श्री रमाशंकर सिंह के निलम्बन का प्रस्ताव सत्रावसान तक के लिए किया। तीनों ही सदस्यों ने बिना शर्त सदन में खेद व्यक्त किया। स्वयं प्रतिपक्ष के नेता श्री सुन्दरलाल पटवा ने भी खेद प्रकट किया। अन्त में मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह के आग्रह पर प्रस्ताव वापस ले लिया गया। चर्चा के कुछ अंश प्रस्तुत हैं—

अध्यक्ष : डॉक्टर राजेन्द्र जैन ने जो प्रस्ताव किया है कि श्री रमाशंकर सिंह, कैलाश पण्डित और निर्भय सिंह पटेल ने जो कल सदन की अवमानना की उस पर चर्चा हो जाये, इस चर्चा को रोक करके।

श्री बाबूलाल गौर : अध्यक्ष महोदय, इस पर से मैंने आपको एक लिखित प्रस्ताव दिया था तो मैं उस पर एक मिनिट बोलना चाहता हूँ।

अध्यक्ष : आपने लिखा था कि आज की बात को कल पर रखा जाये, मैं उसको परमीशन नहीं देना चाहता। क्या आप चाहते हैं कि इस मामले को आगे ले जायें।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने ध्यानाकर्षण की एक सूचना ली है और उस पर चर्चा भी हो गई अभी दो ध्यानाकर्षण की सूचनाएँ बाकी हैं क्या इस बीच में.....

अध्यक्ष : ले सकता हूँ मैं।

श्री राधारमण भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि यह जो संकल्प विधि मंत्री डॉ. राजेन्द्र जैन द्वारा रखा गया है यह कौन से नियम के तहत रखा गया है। जहाँ तक मैंने मध्यप्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया देखी तो उसमें 117 नियम मुझे ऐसा लगा कि इसमें कई संकल्प प्रस्तुत किये जा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 117 में भी जो संकल्प प्रस्तुत किये जा सकते हैं उन पर आज ही यह रखेंगे तो आज ही चर्चा नहीं हो सकती है। मैं आपका ध्यान 117 की ओर दिलाऊँगा उसका जो प्रॉवीजन है उसकी ओर दिलाऊँगा, साथ ही 119 की ओर दिलाऊँगा जिसमें यह प्रॉवीजन है कि जो संकल्प के अनुबंध हैं वह सब पर लागू होंगे और संकल्प के जो अनुबन्ध लागू होंगे तो क्या प्रक्रिया होगी। अगर दैनिक कार्य-सूची संकल्प नहीं आया है तो उस पर विचार नहीं किया जा सकता। आज उन्होंने रखा है तो कल इस पर विचार हो सकता है। 15 दिन का समय न भी दिया जाये तो वे कल रख सकते हैं।

अध्यक्ष : जो भी संकल्प आये हैं आपकी तरफ से अशासकीय और शासकीय संकल्पों के लिए इस प्रकार के नियम लागू नहीं हैं।.....

श्री राधारमण भार्गव : शासकीय संकल्प कभी भी आ सकते हैं उसमें 15 और 3 दिन का बन्धन नहीं हो सकता है। लेकिन दैनिक कार्य-सूची में उसका आना आवश्यक है। 119 में यह बताया है।

अध्यक्ष : यदि आप यह चाहेंगे तो मैं उस नियम को निलम्बित कर दूँगा। फायदा कुछ होगा नहीं, आप चाहते हैं मामला लम्बा करना।

श्री निर्भय सिंह पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय,.....

अध्यक्ष : बिना किसी भाषण के यदि आप चाहते हैं कि कोई रास्ता निकल जाये तो आप कहिएगा

अनकन्डीशनल यदि आप और कोई नई बात करना चाहेंगे तो आपकी इच्छा।

श्री निर्भय सिंह पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल सदन में लोक आयुक्त विधेयक पर चर्चा हो रही थी और उस पर कुछ नियम मुख्यमंत्री जी ने अमेण्डमेंट पेश किये थे और माननीय शीतला सहाय जी ने, माननीय पटवा जी ने और रमाशंकर सिंह जी ने भी पेश किये थे। उन अमेण्ड को लेकर सदन में इतनी गरमागरम बहस चल गई थी। तब फिर पक्ष और विपक्ष की तरफ से कई तरह के तर्क प्रस्तुत किए गए थे जिस तरह यहाँ पर एक गरमागरम वातावरण बन गया। उसको लेकर अगर अनजाने में हमसे कोई भूल हुई है।

अध्यक्ष : अनजाने में हुई है।

श्री निर्भय सिंह पटेल : जी हाँ, अध्यक्ष महोदय, हमारी कोई नीयत ऐसी नहीं थी कि सदन के अन्दर कोई ऐसा कार्य करें, जिससे कि हमारी पार्टी को या हमको नीचा देखना पड़े। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस पर माननीय सदस्य राजेन्द्र जैन ने विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव लाकर के हम पर जो कृपा की उस पर मैं खेद प्रकट करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष : आपने जो कृत्य किया है उसके लिए आप बिना शर्त क्षमा याचना करते हैं क्या?

श्री निर्भय सिंह : करने के लिये तैयार हूँ अगर आपका आदेश हो।

अध्यक्ष : आदेश नहीं इसके लिए आप क्षमा याचना बिना शर्त करते हैं क्या?

श्री निर्भय सिंह पटेल : जी हाँ खेद प्रकट करता हैं।

श्री कैलाश पण्डित : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो घटना हुई उस पर मैं खेद प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष : बिना शर्त याचना।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपका संरक्षण चाहूँगा।

अध्यक्ष : संरक्षण तो मैं शुरू से दे रहा हूँ।

श्री रमाशंकर सिंह : रहा है और रहेगा यह विश्वास है। मैं संक्षेप में निवेदन करूँगा। लेकिन मैं पूरी बात कह सकूँगा तब ही इसका सही-सही मतलब अध्यक्ष महोदय निकलेगा और आधी बात शोरगुल में डूब जायेगी तो संदर्भ के बाहर हो जायेगी।

अध्यक्ष : दोनों माननीय सदस्यों ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है इस मामले में आपकी स्थिति को मैं सुनना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास संकल्प का प्रस्ताव आ चुका है। यदि आप उसको किसी और ढंग से सोचना चाहें तो बजाये इसके कि और कोई जस्टीफिकेशन में जायें, आप ने जो कुछ किया है या चाहे जो बात सामने रखके किया हो। लेकिन जो कार्य आपने किया है, उस कार्य के लिए अगर आप बिना शर्त क्षमा याचना करते हैं तो ठीक है वरना आपकी इच्छा।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप हमारे बारे में पहले से मान कर मत चलिए कि हम ऐसा करना चाहते हैं। हम आपकी भावना समझते हैं मेरे बारे में पूर्व से ऐसा मानकर न चलें। मैंने कल जो कुछ कहा था उसके बारे में आप मेरी बात सुनें फिर आप जैसा निर्णय लेना चाहें लें कल जो कुछ हुआ उसके संबंध में आज सुबह आपसे मेरी चर्चा हुई, आपने उसका बहुत बुरा माना है।

अध्यक्ष : मेरे बुरा मानने का सवाल है। सदन की परंपराओं का प्रश्न है। आप सोचिए वह क्या अच्छा था, सदन के और माननीय सदस्य हैं, पटवाजी हैं, उन्होंने क्या इसको अच्छा माना है।

श्री रमाशंकर सिंह : अच्छा कोई नहीं मान रहा है। जो घटना थी वह दुखद घटना थी वह किन कारणों से हुई या हो पाई.....

अध्यक्ष : आप जस्टीफिकेशन पर जा रहे हैं।

श्री रमाशंकर सिंह : मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, आप मुझे सुनें, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने भी अभी प्रश्न काल के दौरान आपने स्वयं, जो कुछ कल हुआ, आप इतने महान हैं कि आपने स्वयं उसको वापस लिया और नेता प्रतिपक्ष ने भी वापस लिया.....।

अध्यक्ष : आप अपनी बात न कह कर दूसरों की बात कह रहे हैं तो समझ लीजिए आप साइट्रेक कर रहे हैं।

श्री रमाशंकर सिंह : नहीं कर रहा हूँ। कल मेरे द्वारा जिनको मैं उचित समझता था उस समय उन कारणों

को मैं स्वयं मानता हूँ....

अध्यक्ष : आप में भी सद्‌बुद्धि है। आप सोचिए कि आपने अच्छा काम नहीं किया।

श्री रमाशंकर सिंह : मैं आवेश में आकर के विरोध प्रकट करने के लिए आसंदी तक गया और प्रति को फाड़ा भी। मैं स्वयं इसको उचित नहीं मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी भावनाओं को, सदन की परंपराओं को नहीं मानता हूँ। आसंदी का सम्मान होना चाहिए और सदस्यों द्वारा कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जो अशोभनीय हो। इसलिए आपको जो भी दुख पहुँचा हो..... ....

अध्यक्ष : मेरे दुःख का प्रश्न नहीं है, सदन का प्रश्न है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कल जो कुछ आपने कहा उसके लिए क्या आप बिना शर्त क्षमा याचना करते हैं।

श्री रमाशंकर सिंह : मैं सीधे सवाल का सीधा ही जवाब देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष : मुझे भी सीधे सवाल का सीधा जवाब चाहिए।

(व्यवधान)

श्री रमाशंकर सिंह : मैं वाक्य पूरा कर लूँ। इस तरह से हल्ले में अपनी बात नहीं कह सकता। मैं तो एक वाक्य में अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष : आप मेरी बात का स्पष्ट जवाब देना चाहते हैं?

श्री रमाशंकर सिंह : बिल्कुल देना चाहता हूँ। उसका स्पष्ट जवाब यह है कि डॉ. राजेन्द्र जैन द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया है तो प्रस्तावों से तो बिल्कुल नहीं डरता लेकिन मैंने जो कुछ कहा या किया उसके लिए बिना शर्त खेद व्यक्त करता हूँ लेकिन सत्ता पार्टी से मुझे निकालने के प्रस्ताव से मुझे कोई डरा नहीं सकता लेकिन जैसा कि आपने कहा मैं भी मानता हूँ कि शोभनीय व्यवहार होना चाहिए और हमारा अगर होना चाहिए तो मंत्रियों का भी होना चाहिए।

श्री सुन्दरलाल पटवा : कल जो कुछ घटना सदन में घटी है उसके आप, मैं और सभी माननीय सदस्य प्रत्यक्ष गवाह हैं, मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता पर इतना जरूर निवेदन करूँगा कि सदन में अगर अपनी भावनाओं को व्यक्त न कर पाये, अपने वैध अधिकारों का उपयोग न कर सके तो उस पर हमें रोष व्यक्त करने का पूरा-पूरा अधिकार है। उसके बारे में किसी को बुरा मानने अथवा अन्यथा सोचने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उत्तमचन्द खटीक : तो क्या आप सदन में आग लगायेंगे?

अध्यक्ष : रोष प्रकट करने का कहा है, आग लगाने का नहीं।

श्री उत्तमचन्द खटीक : आग लगाई गई है, पूरा लकड़ी का सामान है तो क्या आप विधानसभा में आग लगाना चाहते थे?

श्री सुन्दरलाल पटवा : बहुत जोश में आ रहे हैं?

श्री उत्तमचन्द खटीक : आपको माननीय सदस्यों को समझने चाहिए पटवा जी। पूरे सदन में आग लग सकती थी।

श्री रमाशंकर सिंह : इनके दल के सदस्य श्री सुरेश सेठ ने आसंदी पर आकर थूक दिया था, मुख्यमंत्री आकर लेट गए थे। इसके बाद भी आप शोभनीयता का पाठ पढ़ा रहे हैं।

श्री विनय दुबे : इनकी आशा है कि इनको भी वैसी सजा दी जानी चाहिए।

श्री सुन्दरलाल पटवा : बाकी के लोगों से विधानसभा में कैसे आचरण करना चाहिए या नहीं करना चाहिये, ये सिखाने की आवश्यकता नहीं है। जो माननीय सदस्य उत्तेजित होकर मुझे उपदेश देना चाहते हैं उनसे सीखने की मुझे आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि कल हमारे रोष का इजहार करने में जो कुछ घटना घटी, आप स्वयं प्रत्यक्षदर्शी गवाह हमारे दल के माननीय सदस्य ने आवेश में आकर कागज फाड़ डाले, मैंने और जोशी जी ने तुरन्त रोका, एक माननीय सदस्य ने उसमें माचिस से आग लगा दी। मैंने व जोशी जी ने तुरन्त मना किया उन्होंने हमारे आग्रह को तुरन्त माना, अपनी गलती को स्वीकार किया और इतना ही नहीं आपने सारे समाचार-पत्रों में देखा होगा कि सदन की बैठक स्थगित होने के पश्चात् जितने पत्रकारों ने आकर मुझसे पूछा मैंने उनसे बहुत खुले शब्दों में बिना किसी शर्त के साफ शब्दों में कहा और मेहरबानी में आपको भी कहना चाहता हूँ दूसरा चाहे करें न करें, हमने तो स्वयं आचरण संहिता पर बंदिश लगाई है। और हम उसका

पूरा-पूरा पालन करते हैं। अगर आवेश में कोई गलती हो जाये तो खेद प्रकट करना चाहिये जो दो माननीय सदस्यों से गलती हुई है, उसको मैं अनुचित मानता हूँ और बिना शर्त खेद व्यक्त करता हूँ। सदन में व्यवहार की एक निश्चित प्रक्रिया हमने स्वयं स्वीकार की है और अगर उससे भटक जाते हैं तो उसमें भूल स्वीकार करने में किंचित भी थोड़ा-सा भी संकोच नहीं है परन्तु कम से कम अपना व्यवहार भी देखें। हमें उपदेश देने के बजाय हमें ठीक चलाना चाहते हो, तो कम से कम अपने आगे का पीछे का सारा इतिहास आप भी देखें और उसके बाद उपदेश दें। मैं, इन घटनाओं में जाना नहीं चाहता। माननीय सदस्यों ने और मैंने जो भावनाएँ अभिव्यक्त की थीं उसी के अनुरूप माननीय सदस्यों ने आज भी आपके सामने कहा है। यद्यपि उस घटना से काफी रोष था। हमने अपने रोष का इजहार भी किया परन्तु हम सभी सदन की मान-मर्यादा का पालन करने में किसी भी प्रकार का ऐसा कृत्य नहीं करेंगे। आसंदी की गरिमा के विपरीत किसी भी प्रकार का कृत्य नहीं करेंगे परन्तु यह भी अपेक्षा रखेंगे कि यह 'वन वे ट्राफिक' नहीं रखा जाये। हम भी मनुष्य हैं, कोई देवता या फरिश्ते नहीं हैं हमने बिना शर्त खेद व्यक्त किया है। पूरी सद्भावना के साथ खेद व्यक्त किया है। सदन में हम बहस के द्वारा काम चलायें, बहस करें, हमें वह मौका उपलब्ध हो। कम से कम सत्तापक्ष से आग्रह करूँगा कि मौका उपलब्ध कराने में किसी भी प्रश्न में कोई बाधा न करें। हम यहाँ बहस के लिए बैठे हैं हम कोई बात रखें तो बहुमत से मंजूर या नामंजूर कर सकते हैं परन्तु हमारा कहना है कि हमारा जो हक है उस हक का संरक्षण करें न करें परन्तु मैं आसंदी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा संरक्षण करते समय इन विशेष परिस्थितियों का अवश्य ख्याल रखेंगे। कल की घटना के लिए मैंने स्वयं ने खेद व्यक्त किया, सदस्यों ने किया है पुनः करना चाहता हूँ। डिसआनर नहीं लेना चाहता उसका कोई डिकेड नहीं करना चाहता।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय को किसी विवाद का विषय बनाने का इस सदन के किसी माननीय सदस्य का इरादा नहीं हो सकता है और माननीय सदस्यों की मंशा के अनुसार ही आगे कार्य करना चाहेंगे। कल की बात चूँकि सदन के समक्ष घटित हुई इसलिए उसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ हुआ, वह सदन में हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय के अथक प्रयास के बावजूद भी शायद कुछ लोग इस बात को नहीं समझ सके कि हमारी विधानसभा के निर्णय की भी एक सीमा होती है। यह सीमा जरूरी नहीं है कि किसी विधि-विधान में प्रस्तावित की जाये, रेखांकित की जाये। यह जरूरी नहीं है कि उसके बारे में किसी पुस्तक में उल्लेख हों। क्योंकि विधानसभाओं और संसद भवन के सदस्यों की जो परिपाटी है जो इनका एक इतिहास है वह सब विकसित हो रहा है। बदलता हुआ इतिहास है। इसे किसी भी काल में बांधकर मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है इसकी विलक्षण प्रतिभा है क्योंकि बदलते हुए परिवेश में प्रजातांत्रिक प्रणाली के अन्दर इन सार्वभौमिक संस्थाओं को काम करने के लिए, सार्थकता प्रतिपादित करने का अवसर मिलता है और वह करती आई हैं। इसलिए उस संदर्भ में माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो कल बात कही, वह कही। कोई इसमें व्यक्तिगत, न आपका सवाल था, न मेरा सवाल था और मैं समझता हूँ कि जैसा विरोधी दल के नेता कहते हैं, मैं उसी को ही माने लेता हूँ कि रोष की अत्यधिक सीमा बढ़ जाने के बाद कार्यरूप में किस प्रकार से उसको परिणित किया जाये, उसमें कभी-कभी गलती हो जाया करती है, सभी से हो सकती है, उसको उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। सदन की कार्यवाही अच्छी तरह से चल सके, यहाँ पर नियमों और प्रक्रिया के मुताबिक कहने का अवसर मिल सके यह हम सभी के देखने का काम है और चूँकि माननीय विरोधी दल के नेता ने और संबंधित माननीय सदस्यों ने जो सीधे रूप से कल की घटना से सम्बन्धित हैं, उन्होंने बिना किसी शर्त के यहाँ पर खेद व्यक्त कर दिया है सदन के हित में और हमारे कार्य के हित में तो यह उचित होगा कि इस मामले को यहीं पर समाप्त किया जाए और अध्यक्ष महोदय, यदि अनुमति दें तो यह प्रस्ताव वापिस ले लिया जाए।

श्री राजेन्द्र जैन (राज्य विधिमंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के सम्माननीय नेता एवं अन्य संबंधित सम्माननीय सदस्यों ने जिस भावना का अभी यहाँ प्रदर्शन किया है मैं यह मानता हूँ कि सदन की गौरवमय परम्परा के अनुरूप ही है। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इस सदन में अच्छा रोल होगा, इस भावना के

साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है, उसे वापस लेने की अनुमति दी जाये।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/24 मार्च 1982, पृष्ठ/ 101-105)

23 मार्च 1982 को सदस्य श्री कैलाश जोशी ने मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह से संबंधित विभागों के अनुदान प्रस्तावों पर चर्चा प्रारम्भ की थी। 24 मार्च को मुख्यमंत्री ने चर्चा का तर्क-संगत उत्तर दिया। कुछ रोचक बातचीत भी हुई यहाँ श्री अर्जुनसिंह के उत्तर से चर्चा की शुरूआत कर रहे हैं—

श्री अर्जुनसिंह : माननीय विरोधी दल के नेता की बहस का सबसे मजबूत तरीका यही है, यह जानकर हमें प्रसन्नता भी हुई और थोड़ा दुःख भी हुआ।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे माननीय जोशी जी ने यह डिबेट शुरू की थी और उन्होंने एक अच्छे पहलवान की तरह, क्योंकि पहलवानी करते हैं। मुझे मालूम है, पकड़ की बात से शुरू की, हमारे भाई रमाशंकर सिंह जी जो हैं, वे तो दूसरी तरह की पकड़ की बात करते हैं। अब इन दो पकड़ों के बीच हमें निर्णय लेना है कि किसकी पकड़ से पहले बचें। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय जोशी जी से और इस सदन के सभी सम्माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे मत में शासन की पकड़ या कि शासन के काम करने के तौर तरीके का निश्चित रूप से मूल्यांकन होना चाहिए। लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में आप करना चाहते हैं यह पहले आप अपने विभाग में तय कर लीजिए, यदि आपका तात्पर्य यह है कि हर बात पर मुख्यमंत्री जी की पकड़ होनी चाहिए; मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप होना चाहिए, हर क्षेत्र में मुझे अपनी राय मनवानी चाहिए सब लोगों को इस बात के लिए मजबूर करना चाहिये, कि जो मैं कहूँ वैसा ही होना चाहिये तो क्षमा करेंगे, यह मेरी परिभाषा शासन पर पकड़ की नहीं है। हमारी प्रजातांत्रिक पद्धति में— कैबिनेट सिस्टम आफ गवर्नमेंट में मैं कोई सब लोगों से बड़ा हूँ ऐसा नहीं है। सब लोगों के बीच में प्रमुख हूँ, यह बात सही है, दिमाग की यह उपज हो सकती है कि मुख्यमंत्री हो जाने से उसके हाथ में सब सत्ता की पकड़ आ जाती है और चाहे जो कुछ करे उसके सब खून माफ हैं। आप माफ करेंगे, शायद आपको ऐसे ही भ्रम में लोगों ने डाल दिया था और उस भ्रम का नतीजा जो आपको भुगतना पड़ा वह आप ही जानते हैं। हमारे मंत्रिमंडल के साथी हैं हमने आपस में काम का बंटवारा किया है। उस काम के बंटवारे के अनुसार हमारे प्रत्येक साथी अपने क्षेत्र में निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जो नीति, विषयक निर्णय होंगे, वे मन्त्रिपरिषद में होंगे उनमें हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। जो विभागीय निर्णय होंगे वे विभाग में होंगे उनकी भी जिम्मेदारी सामूहिक है। लेकिन कहना कि मेरी पकड़ इसलिए नहीं है कि हर पकड़ को मैं नहीं करता। यह मैं स्वीकार नहीं करूँगा। कम से कम मेरे काम करने का यह तरीका बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात आखिर प्रजातंत्र में पकड़ किसकी होनी चाहिए। मेरा मत है उपाध्यक्ष महोदय, और इस मामले में शायद विरोधी दल से लेकर भाई रमाशंकर सिंह जी सहमत होंगे कि हमने संविधान के अंतर्गत अलग-अलग संस्थाएँ बनाई हैं। हर संस्था को अधिकार दिये हैं और उस अधिकार के अन्दर उनके कार्यक्षेत्र का बंटवारा है और उस कार्यक्षेत्र के अन्दर पूरा अवसर और अधिकार दिया है। मेरे मत में उनकी सबकी सामूहिक रूप से पकड़ होना जरूरी है। एक की पकड़ होना मेरे मत में खतरनाक होगी। इस विधानसभा के अन्दर हम सबका उत्तरदायित्व है, आपकी पकड़ हमारे ऊपर होनी चाहिए। चाहे वह किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से क्यों न हो। प्रशासन के द्वारा व्यय किए जाते हैं उस पर पकड़ विधानसभा की समितियों की होनी चाहिए और मैं आदरणीय विरोधी दल के नेता को स्मरण दिलाना चाहूँगा क्योंकि एक दो बार इस विषय पर उन्होंने मुझे लिखा है और मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया जहाँ लोक लेखा समिति के सभापति के नाते उनको कठिनाई महसूस हुई पूरी तरह से समिति के कार्य सम्पादित करने के लिए अधिकारियों की वजह से और मैंने उनके प्रति अपना अनुग्रह व्यक्त करते हुए उस पर तत्काल कार्यवाही की ताकि लोक लेखा समिति जो इस सदन की सबसे महत्वपूर्ण समिति है जो समूचे शासन

के व्यय पर अंकुश रखती है, वह सक्षमता से काम कर सके और हमारे अधिकारी इस बात को महसूस करें। विधानसभा की पकड़ शासन के व्यय पर लोक लेखा समिति के माध्यम से होती है। आपकी इस्टीमेट्स कमेटी है अश्योरेंस कमेटी है, अन्य समितियाँ हैं, ये हैं विधानसभा की प्रशासन पर पकड़ मजबूत करने की प्रक्रियाएँ। मैं पूछना चाहता हूँ जोशी जी से, एक उदाहरण इस तरह का देने के लिए तैयार हैं जहाँ मैंने विधानसभा में इन प्रक्रियाओं को कमजोर करने के लिए कोई कोशिश की हो? किसी प्रकार से विधानसभा की समितियों के माध्यम से प्रशासन की पकड़ कमजोर करने का प्रयास किया हो? मैं कह सकता हूँ इसके विपरीत जो पहले कभी नहीं किया गया था। मैंने अपने आदरणीय मंत्रियों को निवेदन किया है इसके बारे में और उन्होंने इसके महत्व को स्वीकार करते हुए इन समितियों के दायित्वों और अपने विभाग के दायित्वों को विवेचित करके सदन के पास जानकारी भेजने की जिम्मेदारी उठाई है ताकि इस सदन की शासन पर पकड़ मजबूत हो। सदन से मेरा मतलब जनप्रतिनिधियों से है और आप कहते हैं पकड़ कमजोर हो रही है। इतना ही नहीं उन्होंने एक उदाहरण दे दिया है। मैं व्यक्तिगत केस के बारे में नहीं कहना चाहता जोशी जी पर क्योंकि वह इतने आदरणीय हैं कि उनके बारे में मैं कुछ कहना ठीक नहीं समझता हूँ। किसी भी प्रकार से किसी ने कुछ कह दिया होगा क्योंकि कल का भाषण कहा-सुनी का था, तोता, मैंना के किस्से तक कि मैं यह कह रहा हूँ। उन्होंने कहा श्री बी.के. दुबे जो पूर्व में मुख्य सचिव थे, उनके व्यक्तिगत विरोध के कारण उन पर एक पुराना केस लगा दिया और सस्पेंड कर दिया। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ बी.के. दुबे पर केस मैंने नहीं निकाला था। यह प्रकरण इसी विधानसभा की पब्लिक अन्डरटेंकिंग कमेटी की तीसरी रिपोर्ट में 14 मार्च 75 को सदन में प्रस्तुत किया गया था। उस समय श्री प्रकाशचन्द सेठी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस रिपोर्ट में जो कुछ लिखा गया व उसको तत्कालीन शासन ने बहुत गम्भीरता से लिया और 5 अप्रैल 1975 को मन्त्रिमंडल की एक बैठक में उस रिपोर्ट पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया कि केबिनेट की एक सब कमेटी बनाई जावे जो उस प्रकरण के ऊपर पूरी तरह से विचार करके अपना सुझाव दे। कैबिनेट की सब कमेटी ने उस पर विचार किया। अन्य सुझावों के साथ उसमें यह भी लिखा गया इसमें पर्याप्त कारण हैं जिनके आधार पर बी.के. दुबे के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। नवम्बर 75 में इस प्रकार की सिफारिश उस सब कमेटी ने की। नवम्बर 75 से लेकर अगस्त 81 तक वह फाइल किन्हीं कारणों से कहीं दबी पड़ी रही या दबाकर रखी गई और किसी कारण से हमारे आपके सामने आई हो और कुछ न किया हो तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। मई 81 में मैंने अपने मन्त्रिमण्डल के साथियों से निवेदन किया, जिस पत्र का उद्धरण अपने पिछले भाषण में पढ़कर सुनाया था। जब सब विभागों की रिपोर्टों के बारे में पी.ए.सी. इस्टीमेट्स अश्योरेंस कमेटी ने जो-जो लिखा था उसका पुनरावलोकन किया गया था उसमें जी.ए.डी. के सामने पब्लिक अण्डरटेकिंग की रिपोर्ट लाई गई। तो 8 महीने पहले बी.के. दुबे चीफ सेक्रेटरी नहीं थे, दूसरे पद पर भेज दिये गये थे। अगर उनके खिलाफ व्यक्तिगत आधार पर करना था तो जिस समय चीफ सेक्रेटरी के पद से हटाया था उस समय उसको करता। लेकिन जब सब विभागों की रिपोर्ट आई तो यह मामला भी आया। केबिनेट की सब कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पूरे पाँच साल तक कार्यवाही नहीं की गई तो मैं क्या करता। इस विधानसभा की एक माननीय समिति के द्वारा जो स्पष्ट निर्देश थे मंत्रिमंडल की उपसमिति के जो स्पष्ट निर्देश थे या तो मैं उनको नजरअन्दाज करता या वह पकड़ जिसका जिक्र माननीय जोशी जी ने किया है, उस पकड़ को मजबूत करने के लिए विधानसभा की एक समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों के आधार पर इस प्रदेश का वह व्यक्ति जो सिविल सर्विस वे, सर्वोच्च पद का हकदार था ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वह समिति जो विधानसभा की समिति है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर मैंने कार्यवाही की। उसमें मैंने प्रजातंत्र को कमजोर किया और विधानसभा की पकड़ को कमजोर किया? मैं एक बात यह कहना चाहता हूँ कि यह मेरी कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, यह रिपोर्ट जिसके आधार पर कार्यवाही की गई है और आगे जो कार्यवाही होगी, वह कानून, नियम और प्रक्रिया के मुताबिक ही होगी। इसमें व्यक्तिगत रागद्वेष का सवाल नहीं है। कोई अगर यह समझे कि वह मुख्य सचिव हैं या यहाँ का आई.जी.पी. है और अन्य कोई सर्वोच्च पद पर है इसलिए उसको ऐसा विशेषाधिकार प्राप्त है कि हम उस पर कुछ न करें तो क्षमा कीजिये, यह सोच सकते हैं।

श्री रमाशंकर सिंह : यह कहते हुए आप कुछ गुस्से में आ गये।

श्री अर्जुनसिंह : पहले आप सुझाते हैं और फिर यह भी कहते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो यहाँ जोशी जी ने कही थी, वह यह कि बीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में जोशी जी बोलते हैं तो अनायास हमारा दिमाग कुछ वर्ष पहले चला जाता है, जब यहाँ लच्छेदार भाषण इधर से हुए थे और हम लोग उधर से सुन रहे थे किंतु जब अचानक इतना परिवर्तन हो गया है उपाध्यक्ष महोदय, बहुत खुशी की बात है कि बीस सूत्री कार्यक्रम का समर्थन आप करते हैं। जोशी जी, यह तो बहुत अच्छी बात है .....।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : जिस समय बीस सूत्री संबंधी एक्ट आया था हमने उस समय भी समर्थन किया था। जो व्यक्तिगत आधार पर पार्टियों के लोगों को, प्रशासनिक लोगों को अधिकार दिए थे उसका विरोध किया था।

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय शर्माजी, जो कुछ आपने किया, उसके लिए धन्यवाद। सवाल यह नहीं है, हम भी जानते हैं कि जो आर्थिक कार्यक्रम श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दिया है, उसके बारे में कोई भी मतभेद नहीं रख सकता लेकिन प्रश्न यह है और उस प्रश्न का उत्तर जोशी जी आप नहीं देंगे। अगर देंगे तो शायद आपके लिए अपने आपको कठिनाई में डालना होगा। वह प्रश्न यह है कि क्या आज ऐसे वातावरण का इस देश में और इस प्रदेश में निर्माण नहीं किया जा रहा है कि जिस कार्यक्रम को आप इतना महत्व दे रहे हैं उस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संपादन नहीं किया जा सके? और जब ऐसी बात है तो क्यों मुँह से कहकर इस कार्यक्रम की सफलता के लिए उसमें सहयोग देने के लिए समर्थन की बात आप करें?

श्री कैलाश जोशी : ऐसा एक भी उदाहरण आप नहीं दे सकते। चाहे बिजली के संबंध में हो, चाहे भूमि के आवंटन के संबंध में हो। यह असत्य आरोप है।

डॉ. शैलकुमार शर्मा : विरोध इस बात का है कि इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को एक व्यक्ति के नाम से चलाया जा रहा है।

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दल के एक महान व्यक्ति ने इस कार्यक्रम को लाकर देश के सामने रखा है। आपके दल के व्यक्ति को अपने जिले का ही कार्यक्रम समझ में न आये तो इसमें मेरी क्या गलती है। उपाध्यक्ष महोदय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम को राष्ट्रीय कार्यक्रम में लाकर रक्खा है, अब यह बात आपकी समझ में न आये तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ।

श्री मुंशीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय कार्यक्रम में 5 सूत्रों का समावेश कहाँ है?

श्री अर्जुनसिंह : माननीय सजग विधायक, पाँच सूत्रों का परिवर्तन किया गया है और उनका समावेश है। इसके लिए मैं माननीय कीर साहब से निवेदन करूँगा कि वे उसको पढ़ने के लिए एक कापी आपके पास भेज दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ पर पुलिस के बारे में कई.....

श्री सुन्दरलाल पटवा : इन सूत्रों में जो कार्यक्रम लिखा है वह सही है, गलत है क्या है इस पर तो जोशी जी ने कहा है लेकिन उस कार्यक्रम के संचालन करने के जो प्रशासनिक अधिकार आप पार्टी के लोगों को सौंप रहे हैं जिसका कि कोई वैधानिक आधार नहीं है जो कि चुने हुए नहीं हैं हम प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : वैधानिक आधार नहीं है यह तो आप गलत कह रहे हैं। इस विधानसभा ने ही एक विधेयक पास करके उन्हें वैधानिक अधिकार दिया है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : यदि आप विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं तो करिए। लेकिन उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है कि आप उन अधिकारों को चुने हुए लोगों के हाथों में ही सौंपें तब तो कुछ समझ में आता है। नहीं तो आपने नॉमिनेट करने का अधिकार विधानसभा से ले लिया है और आप उसमें अपने ही लोगों को बैठाना चाहते हैं जिनकी कि आपके पास पूरी वंशावली है।

श्री अर्जुनसिंह : जिनके नाम बीस सूत्री समिति में दिए गए हैं और उनके बारे में यदि कभी भी कोई जानकारी मिली है तो पूरी कार्यवाही की गई। जहाँ तक इन अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करने का सवाल है वह विकेन्द्रीकरण का काम तो शासन अपने सामने रखकर करने वाला है। पंचायतों के चुनावों आदि में वह करने वाले हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : 20 सूत्रीय समिति के कार्यक्रम का संचालन पार्टी के लोग कर रहे हैं जो कि

उनके अधिकार में नहीं है इसका विरोध किया था।

श्री अर्जुनसिंह : (डॉ. परशुराम साहू के खड़े होने पर) साहू जी, आपको जो कष्ट हो रहा है वह मैं समझ रहा हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ पर प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप की बात कही गई है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ऐसे आधुनिक संदर्भ में प्रशासन को चलाना कोई साधारण काम नहीं है और वह भी पूरी तरह से प्रजातांत्रिक पद्धति में अनेक मानों में उसका संचालन बहुत कठिन होता है। इसमें दो राय नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से कुछ बातों के बारे में अपने आचार-विचार और अपनी प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज भी दोहरा रहा हूँ। यदि कोई किसी तथ्य के अभाव में एक सीवियर एलीगेशन लगा दें कि राजनीतिकरण किया जा रहा है। एक प्राईवेट कम्पनी में माननीय चौधरी दिलीप सिंह जी भी भागीदार होने के इच्छुक थे। उनको उसमें शामिल नहीं किया गया शायद वे इसीलिए नाराज होंगे। अभी तो वे इस सदन मे हैं नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से हमको प्रशासनिक स्तर पर अलग-अलग समय, सन्दर्भ और परिस्थिति में निर्णय लेने पड़े हैं। चाहे वह किसी जिले में उठती हुई शान्ति और व्यवस्था का प्रश्न हो, चाहे वह किसी आकस्मिक विपदा का सवाल हो, चाहे किसी गम्भीर समस्या के निराकरण का सवाल हो इन सब पर निर्णय लिए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को कहना चाहता हूँ कि किसी स्तर पर किसी भी अधिकारी को अपने स्वविवेक से काम करने में न मैंने कभी अड़चन डाली है और न डालने का इरादा रखता हूँ। शायद कुछ लोगों को यह भ्रम है कि लोगों को जो मैं लिखकर देता हूँ वह प्रशासन में हस्तक्षेप है। फर्क इतना ही है कि कुछ लोग प्रस्तावित के परदे की आड़ में सदा अपने निर्णयों को छिपाकर रखना चाहते हैं या जो हाथ-पाँव जोड़ करके कर्मचारियों से निवेदन करके फाइलों पर लिखवा लेते हैं उस पर मैंने कभी कोई विश्वास नहीं किया। मैं इस सदन के प्रति उत्तरदायी होने के नाते कहना चाहता हूँ कि मुझसे भले ही एक नहीं अनेक गलती हो सकती हैं। लेकिन कभी किसी कर्मचारी को चाहे वह छोटा हो चाहे वह प्रदेश का मुखबिर हो एक आर्डर ऐसा लिखने का दिया कि आप अपने पद के मुताबिक अपनी राय लिखकर दे दें यदि उसमें अपना विवेक का इस्तेमाल करने की क्षमता है, जो उनकी राय है वह लिखकर के लेंगे और शासन के निर्णय करने के बाद यदि उसमें कोई गलती होगी तो वह कोर्ट में जाएगा। इस तरह कोई भ्रष्टाचार होगा, ऐसी कोई बात होगी तो वह प्रक्रिया में जाएगा। प्रक्रिया में कोई गलती होगी तो वह इस सदन के नोटिस में लायेंगे। निर्णय तक की शायद और जिम्मेदारी किसी और के सिर पर मड़ दें। जो उत्तरदायी सदस्य हैं वे आजकल सदन में आते ही नहीं हैं शायद जोशी जी या पटवा जी ने कुछ कह दिया होगा। शायद कुछ लोग स्पष्ट करने में लगे हुए हैं यह उनकी प्रक्रिया थी। इस प्रदेश में मंत्री की हैसियत से सेवा करने का मुझे अवसर मिला और आप सब के सहयोग और सद्भावना से आपके स्वयं सेवक के रूप में सेवा कर रहा हूँ। मैंने अभी कहा कि किसी अधिकारी को निवेदन नहीं किया कि आप लिख करके दें फिर मैं दस्तखत कर दूँगा। शासकीय प्रशासन तंत्र का मामला जिसमें सचिव, मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं यहाँ पर वे अपने विवेक से राय दें। जो शासन को निर्णय देना होगा वह देगा और शासन के निर्णय को बिना किसी हिचक के क्रियान्वित करें। अगर क्रियान्वित करने में किसी प्रकार की गलती होती है, उनकी राय शासन के निर्णय से भिन्न है तो उसके लिए कोई अधिकार नहीं है कि वे किसी प्रकार के पूर्वाग्रह को देखने का शासन को कहें। किसी प्रकार के पूर्वाग्रह को किसी प्रकरण में दिया जाये। अनेक संवैधानिक अधिकार हैं ऐसे प्रकरणों के लिए। ऐसे प्रकरण में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी..... मेजों की थपथपाहट।

जहाँ तक सामान्य अधिकारों का सवाल है प्रत्येक स्थिति में मैं यह कह सकता हूँ कि शान्ति व्यवस्था कायम करने में हमें सफलता मिली है। हमने श्रमिक क्षेत्र में श्रमिक संस्थाओं में शान्ति बनाई है। हमने किसानों के क्षेत्र में विद्यार्थियों के क्षेत्रों में शांति बनाई है। इसका एक बड़ा श्रेय उन हजारों कर्मचारियों को है चाहे वे छोटे हों, चाहे वे बड़े हों कि उन्होंने सही नीतियों को पूरा करने में अपना पूरा-पूरा योगदान दिया है और उनको पूरा-पूरा शासन का समर्थन भी मिला है। मैं यह कह सकता हूँ कि हमारे देश की सामान्य स्थिति बहुत अच्छी है .....।

श्री सुन्दरलाल पटवा : दिल के बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है।

श्री अर्जुनसिंह : यह तो आप अपने दिल से पूछिए।

श्री सुन्दरलाल पटवा : किसान के लिये आपने क्या किया। विद्यार्थियों के लिये आपने क्या किया है। आपने क्या किया है, आपने क्या काम किये हैं।

श्री अर्जुनसिंह : आपने तो चक्का जाम किया था तो चक्का तो था नहीं केवल जाम ही हाथ लगा है। उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के सम्बन्ध में जोशी जी ने भी कहा था। भाई रमाशंकर सिंह जी ने भी कहा। यहाँ तक कह डाला कि आई.जी. और शासन का कोई तालमेल ही नहीं है। मेरा उन पर कोई विश्वास ही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आई.जी. की नियुक्ति शासन द्वारा की जाती है और उसमें मेरा भी सहयोग रहता है। हमने जिस व्यक्ति को नियुक्त किया आई.जी. के पद पर, उन पर पूरा विश्वास है, हम उनसे पूरी तरह से आश्वस्त हैं। वे एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हैं। यह प्रश्न ही नहीं उठता कि हमारा उन पर विश्वास नहीं है। अगर उन पर विश्वास नहीं होगा तो वे आई.जी. रह ही नहीं सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा पूरा विश्वास है। हमने एक बात जरूर नहीं की है कि जनता शासन काल में एक जूनियर व्यक्ति को आई.जी. बनाने के लिए 5 एडीशनल आई.जी. और बनाना पड़े। उनके ऐसा करने से अन्य पुलिस कर्मियों पर क्या असर पड़ा होगा उन पर क्या बीती होगी। पता नहीं रमाशंकर सिंह जी उस समय मंत्रिमण्डल में थे या बाहर हो गये थे। एक बात यह भी कही गई है कि किसी का प्रमोशन हो गया है, दो-तीन लोगों को सुपरसीड करके किसी का प्रमोशन हो गया है प्रमोशन के लिए कमेटी बनी हुई है उसने जो रिकमण्डेशन की होगी उस आधार पर प्रमोशन हुआ है। अगर किसी को उससे दुख हुआ है या कोई नाराजगी है तो उसके दूसरे रास्ते हैं। लेकिन इस प्रकार से पूरे पुलिस बल के लिये यह कह दिया जाए, यह उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि समस्त पुलिस फोर्स ने आज नहीं बल्कि मध्यप्रदेश के गठन से 25 वर्षों से अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सर्व उत्कृष्ट कीर्तिमान स्थापित किया है। ऐसे पुलिस बल के लिये अगर सामान्य रूप से एक ही रिमार्क दे देंगे तो उचित नहीं होगा। कुछ अधिकारियों की यह परम्परा रही होगी कि वे समाचार-पत्रों में खबरें छपवाकर या अन्य माध्यम से शासन पर दबाव डालकर अपना काम करा सकते हैं तो यह उनकी भूल है, न मालूम मुझे संवेदनशील किसने कह दिया, मैं तो ठेठ एक किसान हूँ। अगर वे दबाव का मार्ग अपना रहे हैं तो मुझे अलग रखकर अपनायें मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूँ। और इसमें सहायक जो हैं यह वह जानें कि क्या करना चाहते हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप यह शिवभानु सोलंकी जी को कह रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : नहीं मैं सामने कह रहा हूँ। आपकी यह पुरानी चाल रही उसी में तो आप इतने दिनों बहाल रहे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : जासूस आपने उनके यहाँ लगाये।

श्री अर्जुनसिंह : यह बिल्कुल गलत है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : यह आप उनसे कहलवायें। उन्होंने अभी तक इसका खंडन नहीं किया है। उन्होंने जासूस पकड़ा।

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो पटवा जी से पूछो कि काफी दिनों तक वे यहाँ रहे। क्या कारण है कि उनको केवल एक महीने तक श्रीखंड चखने के लिये मिला। यह मैं नहीं जानता।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैंने तो चखा ही नहीं, मुझे तो आज मालूम पड़ा कि जो मुख्यमंत्री बनता है वह श्रीखंड चखता है। आपने चखा होगा, मैंने बिल्कुल नहीं चखा, आज भी कह रहा हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : आपको एक-महीने के लिये मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। जब पूरी तरह से आपकी पार्टी के लोग हतोत्साहित होकर, निराश होकर बैठ गये तो उन्होंने कहा कि बलि का बकरा बनने लायक है तो वह सिर्फ सुन्दरलाल पटवा और इसीलिए.....

श्री बालकवि बैरागी : पटवा जी पर तो वही कहावत लागू होगी कि खोटा पैसा और कपूत बेटा वक्त बेवक्त काम आता है।

श्री शीतला सहाय : एक बात और नोट कर लें कि जो पतिव्रता पत्नी होती है वह भी समय पर काम आती है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं शीतला सहाय जी का आभारी हूँ कि वे सदन में आ गये और हम लोग मनोरंजन के

दौर से गुजरे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के अन्दर इसकी विशालता को देखते हुए यह उचित होगा कि हम ऐसे स्रोतों की भी खोज करें जो सामान्य स्रोतों से बनी हो और तभी हम प्रदेश की ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस प्रदेश के अन्दर जो सामान्य स्रोत हैं, कोयला व अन्य चीजें। इनके अतिरिक्त भी छोटे-छोटे हाइडल प्रोजेक्ट, माइक्रो प्रोजेक्ट, अन्य रीजनेबल प्रोजेक्ट इनके माध्यम से काफी बड़े पैमाने पर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है और चूँकि एम.पी.ई.बी. बहुत बड़े पैमाने पर ऊर्जा के उत्पादन में संलग्न है इसलिए शासन ने यह निर्णय लिया है कि इन स्रोतों के आधार पर ऊर्जा के उत्पादन के लिए एक अलग संस्थान की स्थापना की जाये और उसके माध्यम से इस ऊर्जा के क्षेत्र में हम और उत्पादन कर सकें यह प्रयास किया जायेगा।

श्री रमाशंकर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी का ध्यान सिर्फ एक बात की ओर दिलाना चाहता हूँ। उससे मदद मिलेगी पूरे प्रशासन को। पूरे हिन्दुस्तान में मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी पावर का ट्रांसमीशन लॉसेस बहुत हाईएस्ट है। इसकी ओर आपका ध्यान जाये यह बहुत जरूरी है।

श्री अर्जुनसिंह : कुछ मामलों में आप जो कह रहे हैं वह सही है। उसका कारण यह है कि बहुत लंबे क्षेत्रों से ट्रांसमीशन लाइन को ले जाना पड़ता है इसलिये मैंने कहा कि इतने बड़े प्रदेश के अन्दर हम ट्रांसमीशन लॉसेस जो हो रहे हैं वह अन्य प्रदेशों के अनुपात में इसलिए ज्यादा हो रहे हैं कि बड़ी लंबी दूरी से ले जाना पड़ता है। यदि हम छोटे-छोटे प्रोजेक्ट का विकास कर लेते हैं तो हमें उसी जगह ऊर्जा मिल जायेगी और दूर तक नहीं ले जाना पड़ेगा और जो बात आप कह रहे हैं उससे आपको संतोष होगा। अभी केवल 2-3 जिलों का सर्वेक्षण किया गया। प्रमाणिक सर्वेक्षण नहीं है और माइक्रो हायडल एनर्जी के लिए लगभग 400 मेगावाट की क्षमता के इन 3-4 जिलों में परिलक्षित हैं। इस प्रकार का सर्वेक्षण धीरे-धीरे पूरे प्रदेश में करके निश्चित रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रयास कर सकेंगे और सदन इसका समर्थन करेगा ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।

श्री शीतला सहाय : पूरे मध्यप्रदेश का या कुछ जिलों का। उत्तरी-पूर्वी का।

श्री अर्जुनसिंह : सभी जिले हैं, उत्तरी-पूर्वी नहीं हैं। मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, टॉक्सीसियन नहीं हूँ लेकिन पॉजीटिव, निगेटिव होते हैं। आप पॉजीटिव हों, निगेटिव हों मुझे मालूम नहीं है।

श्री बालकवि बैरागी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे शीतला सहाय जी न तो निगेटिव हैं न पॉजीटिव हैं यह तो न्यूट्रल हैं।

उपाध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री का जवाब और उनकी माँगों के मतदान तक मैं समझता हूँ सदन बैठेगा।

श्री अर्जुनसिंह : प्रदेश के अन्दर शासकीय कर्मचारियों का चयन सामान्यतः समय-समय पर काफी जरूरी होता रहा है और यह आवश्यक है कि ये चयन प्रक्रिया न केवल संदेह से परे ही बल्कि साथ ही साथ स्पष्ट भी है। ताकि प्रत्येक व्यक्ति को उस प्रक्रिया के माध्यम से निश्चित रूप से शासकीय सेवा में आने का एक अवसर मिल सके। हमारे जोशी ने जो 1977 में मुख्यमंत्री बने थे कई घोषणाएँ उन्होंने कर दी थीं या करवा दी गई होंगी उसमें एक घोषणा जूनियर पब्लिक सर्विस कमीशन को दूसरे विधानसभा के बजट सत्र में आई थी। जो-जो घोषणाएँ जोशी जी ने की थीं। सखलेचा जी तो उनको पूरा करने से रहे क्योंकि वह कारण तो शीतला सहाय जी या शर्मा जी और पटवा जी के बीच के चार को नहीं मालूम लेकिन मैं समझता हूँ कि जोशी जी की बहुत अच्छी घोषणा थी और शायद कुछ दिन और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते तो शायद उस घोषणा को पूरी करवा देते मैं यह मानकर चलता हूँ लेकिन चूँकि नहीं कर सके इसलिए उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जूनियर पब्लिक सर्विस कमीशन को नियुक्त करेगा हमारा शासन। दूसरा सवाल उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अन्दर काफी दिनों से सदन में भी हमारे कुछ सदस्यों ने माननीय भोपाल के श्री रसूल अहमद सिद्दीकी ने और कई साथियों ने यहाँ पर समय-समय पर उठाया है। प्रदेश के अन्दर अल्पसंख्यकों की समस्याओं को लेकर बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है और उनकी सुविधाओं के लिये उनकी आवश्यकताओं को नजदीक से देखकर हम अपनी प्रक्रियाओं के मुताबिक क्या कर सकते हैं यह सोचना चाहिए। इसके महत्व को देखते हुए शासन ने यह निर्णय लिया है कि हम प्रदेश स्तर पर एक

माइनर्टीज कमीशन नियुक्त करेंगे जो समस्त विषयों पर चर्चा करके शासन को अपना प्रतिवेदन देगा। जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जायेगी।

श्री सुन्दरलाल पटवा : यह कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा?

श्री अर्जुनसिंह : एक वर्ष के अन्दर।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप कमीशन की नियुक्ति कर रहे हैं तो केवल मायनोरिटीज के साथ में जो ज्यादतियाँ या उनके कानूनी हक हैं उन्हें प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इसको देखने के लिए ह्यूमन राइट कमीशन हरिजन-आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब तबके के लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन-यापन कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ ज्यादती होती है तो उसकी भी जाँच करें और उसको इन्साफ और न्याय उपलब्ध करावें। इस प्रकार का एक ह्यूमन राइट कमीशन आप नियुक्त करें जिससे हरिजन-आदिवासी आदि सभी प्रकार के शोषित-पीड़ित लोगों को इन्क्लूड किया जाये।

श्री अर्जुनसिंह : मैं श्री पटवा जी को सूचित करना चाहता हूँ कि उनको शायद जानकारी होगी नहीं कि जहाँ तक इस तरह के सिविल लिबर्टीज का प्रश्न है, एक समिति पहले से ही है जो कि प्रदेश के लेबल पर है और उसमें आपके सदस्य भी हैं, विधानसभा के और बाहर के लोग भी सदस्य हैं। ऐसा पहले से विद्यमान है। इसलिए इसकी आवश्यकता मैं नहीं समझता। बैकवर्ड कमीशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सिविल राइट्स के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँगा शायद आपको जानकारी नहीं है। वह तो आलरेडी है ही।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिये हैं शासन के ऊपर जनप्रतिनिधियों के नियंत्रण के बारे में। श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी जी ने कुछ यहाँ पर जिक्र किया, जिसे मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ। मेरी शुरू से यह मान्यता रही है और सदन इस बात से सहमत होगा कि यह दल का विषय नहीं हो सकता। प्रजातांत्रिक पद्धति में जनप्रतिनिधियों का सदन के अन्दर, उनका क्या दायित्व है तो सदन के अन्दर सभी को मालूम है और उसके अनुसार सभी माननीय सदस्य इस सदन के अंदर अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं लेकिन सदन के बाहर जहाँ वे एक जनप्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं वहाँ पर उनका दायित्व और उनकी जिम्मेदारी और उनका कर्त्तव्य और अधिकार किस हद तक है मेरी समझ में अभी सामान्य रूप से यह क्षेत्र उस प्रक्रिया से पूरी तरह से दूर ही है। उसकी व्यवस्था नहीं की गई है जैसा कि होना चाहिए और यही कारण है कि समय-समय पर कुछ अति सामने आती है। अभी माननीय सदस्य ऐसा समझते हैं कि जनता के प्रतिनिधि होने के नाते, उन्हें अधिकार है। जानकारी लेने का और वे पहले से ही प्रावधानित किये जा चुके हैं कि उन्हें सामान्य रूप से पूरी जानकारी दी जानी चाहिये लेकिन जानकारी मिलने के बाद अगर वह यह सोचें कि जानकारी के आधार पर अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का जिसका कि आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किन्हीं विशेश परिस्थितियों में कुछ और सेवा करना चाहते हैं तो इसके लिये भी निश्चित रूप से कोई न कोई मापदण्ड होना चाहिए। कभी इसी प्रयास में ऐसी स्थिति का निर्माण हो जाता है कि जहाँ जनप्रतिनिधि यह महसूस करते हैं कि जानबूझकर उनके उन दायित्वों के प्रति उनके कर्त्तव्यों के प्रति उनकी तरफ से शासकीय मशीनरी अवरोध पैदा करती है, सहयोग नहीं कर रही है। उनका अधिकार है, लेकिन उनको पूरी तरह से सम्मान नहीं दिया जाता है। यह इसलिए एक ऐसा विवाद है उपाध्यक्ष महोदय, जो अभी तक कई मामलों में अनिर्णीत है और मैं समझता हूँ कि हमारे दल के सभी सम्माननीय सदस्य जिन्होंने प्रजातांत्रिक पद्धति के इस महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करने के लिए हमारी पार्टी की बैठक में मुद्दा उठाया। न केवल वे बधाई के पात्र हैं बल्कि मैं कहूँगा कि उन्होंने एक ऐसी दिशा की ओर सोचने के लिये सबको प्रेरित किया है जैसा कि अभी इस देश में और किसी प्रदेश में नहीं हुआ है और इसलिए इसे राजनीति के झमेले में लपेटकर जो प्रयास किया जा रहा है, मैं समझता हूँ सम्मानित सदस्यों के सभी उनके अधिकारों के सही दिशा में निर्वहन में व्यवधान पैदा करेगा। इसलिए आप कृपा करके इसे उस रूप में न देखें और जो समिति की रिपोर्ट आएगी और वह जो सदस्यों ने बनाई।

श्री रमाशंकर सिंह : आपने अपनी पार्टी के सदस्यों की समिति बना ली?

श्री अर्जुनसिंह : आप जरा सुन लीजिए।

श्री कैलाश जोशी : आप किस संबन्ध में कह रहे हैं। हमने तो केवल समाचार-पत्र में एक समाचार पढ़ा है, उसके बारे में.....

श्री अर्जुनसिंह : जोशी जी आज तो आपकी तरफ से भाषण हो गया, आप थे ही नहीं। अब जोशी जी क्या बताऊँ। मैं इसे दलगत विषय नहीं मानता। हमारे दल के सदस्यों ने पहल प्रारम्भ की है। मैंने उनको बधाई दी है, जो बात सामने आएगी वह निश्चित रूप से दलगत आधार पर नहीं होगी जो भी कदम उठाए जाएँगे वह सभी संसद सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों के अधिकारों के निर्वहन में सहायक होंगे।

श्री शीतला सहाय : क्या विचार-विमर्श की प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे?

श्री अर्जुनसिंह : उसका भी इस्तेमाल करेंगे। एक रिपोर्ट तो आने दीजिए।

श्री शीतला सहाय : माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक समिति की तरफ संकेत किया है। उसकी सूचना वे यहाँ पर करें। आप पूरी बात बताइये, यह समिति कब नियुक्त की गई, कौन-कौन सदस्य हैं और उसके विचारणीय मुद्दे क्या हैं?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर में बता दिया है। समिति के संयोजक इस सदन के सबसे बड़े सम्मानित विधायक श्री मथुरा प्रसाद दुबे हैं।

ACC No.....
Book No.....
Date.....
26924

श्री सुन्दरलाल पटवा : वह तो आपके दल के सदस्य हैं।

श्री अर्जुनसिंह : पटवा जी, यह दल का भूत आपके सिर पर सवार है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मेरे सिर पर सवार नहीं है। आप जिस प्रकार के कदम उठा रहे हैं, उससे सारे प्रशासन का आप राजनीतिकरण कर रहे हैं— इस समिति को आपने दलीय बनाया, बीस सूत्रीय समिति को दलीय बनाया। सारी सत्ता में आप दलीय राजनीति को रखना चाहते हैं और भाषण इस प्रकार का करने जा रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय पटवा जी, यदि आपको इस बात की तकलीफ है कि मध्यप्रदेश की जनता ने हमारे दल को समर्थन देकर शासन में बैठाया है, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है और अगर कोई कार्यक्रम यहाँ से भी प्रारम्भ किया जाएगा तो वह हमारे दल के माध्यम से प्रारम्भ किया जाएगा।

श्री शीतला सहाय : इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप अपने दल में जो निर्णय करेंगे वह सरकार का निर्णय हो जाएगा।

श्री अर्जुनसिंह : यदि आपके प्रजातंत्र में कोई दूसरी प्रक्रिया होती तो आप जानें। कैबिनेट सिस्टम आफ गवर्नमेंट में तो यही है कि पार्टी के अन्दर डिस्कसन के जो डिसीजन होंगे वह कैबिनेट इम्प्लीमेंट करेगी। आपके डिसीजन नागपुर में होते हैं तो आप जानें।

श्री शीतला सहाय : हम दिल्ली में जाकर किसी के पैर नहीं छूते।

श्री अर्जुनसिंह : आप संयम से मेरी बात को समझकर उसका उत्तर दीजिए। मेरा निवेदन यह है कि दल में अगर कोई सुझाव आए। सरकार के स्तर पर अगर उसको प्रोसेस कर के सरकार ने कोई निर्णय किया है तो वह प्रदेश की सरकार का निर्णय नहीं होगा और यदि वहाँ आपने किसी समिति की घोषणा कर दी है, तो वह दल की घोषणा होगी।

श्री शीतला सहाय : माननीय मुख्यमंत्री जी यही तो दुख की बात है कि आप दल को और सरकार को इस तरह से मिलाकर चल रहे हैं कि आज पुलिस प्रशासन का, सबका राजनीतिकरण हो गया है।

श्री अर्जुनसिंह : बोलिए, आपको यह बात दोहराने का मौका मिल गया। कहते रहिए। साफ बात यह है कि हमारे दल की ओर से यह सुझाव आया कि इस दिशा में हमें विचार करना चाहिए। एक विचार करने के लिये मैंने कुछ लोगों से कहा है, समिति बनाई है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही उनके सुझाव आते हैं, उसे हम व्यापक तौर से प्रदेश के अन्दर लागू करने के लिए सभी से विचार-विमर्श करके उसको लागू करने की कोशिश करेंगे। अब इसके बावजूद आप कहते हैं कि दल की बात है तो निश्चित रूप से मेरे दल की बात है लेकिन सुझाव इस प्रदेश के सार्वजनिक लोगों के काम-काज के तरीके निश्चित रूप से मार्गदर्शक सिद्धांत निर्मित करने के लिये हैं और इसलिए दल के सुझाव को मैं किसी प्रकार से अनदेखा नहीं कर सकता।

श्री रमाशंकर सिंह : सदन का विचार एकपक्षीय नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद लागू करने के लिये विचार करेंगे। रिपोर्ट आये सदन में, बहस हो बातचीत हो उसके बाद लागू किया जावे

यह बात नहीं कही गई। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि लागू करने के लिए विचार विमर्श करेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : रमाशंकर सिंह जी, आप सुबह से प्राप्ति भ्रमित से दिखते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ शुरू से मैंने कहा है कि यह विचार हमारे दल से उद्‌भूत हुआ कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं। सुझावों के आधार पर मैंने प्रारूप तैयार करने के लिए निवेदन किया है। मैं उसके बारे में जिक्र न भी करता तो कोई बात नहीं थी, मैं उसके महत्व.....

श्री शीतला सहाय : कल आपने कोई बात की और वहाँ पर रेफर की तो हम तो चर्चा नहीं कर पाएँगे।

श्री अर्जुनसिंह : मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ यह प्रस्ताव हमारे दल से उदभूत हुआ उस प्रस्ताव पर विचार हो रहा है जिस समय प्रारूप तैयार हो जाएगा सदन में सभी सम्मानित सदस्य की अपनी राय देने का, अंतिम रूप से निर्णय लेने के लिए आमंत्रित करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मार्गदर्शक सिद्धांत दलीय आधार पर न बने। प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिक लोगों को काम करने की दिशा में बनाया जावे। आपको कोई एतराज हो तो आप सहयोग न दीजिए आपकी मंशा कुछ और हो तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ.....

डॉ. परशुराम साहू : सहयोग-असहयोग की बात कहाँ से खड़ी हो गई?

श्री शीतला सहाय : इस सदन की समितियाँ बनाएँ हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। आपके दल में जाकर कैसे सहयोग देंगे यह स्पष्टीकरण दे दें।

श्री अर्जुनसिंह : आप तो वैसे ही मेरे कक्ष में दस मिनट बाद आ रहे हैं।

श्री शीतला सहाय : आपके कक्ष में आने से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता।

श्री सुन्दरलाल पटवा : कृष्णपाल सिंह जी के कक्ष में जाने से डर लगता है।

श्री अर्जुनसिंह : अब मैं केवल दो शब्द नर्मदा विकास के संबंध में कहना चाहूँगा।

श्री शीतला सहाय : नर्मदा माँ कहते तो उसके लिए तो ठीक है, पोर्टफोलियो उनके पास है, मुख्यमंत्री जी सभी पोर्टफोलियो पर छा जाना चाहते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय शीतला सहाय जी का यह कष्ट—

श्री विट्ठल भाई पटेल : माँ-बेटे को बात कर लेने दीजिए।

श्री अर्जुनसिंह : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि नर्मदा घाटी के डेवलपमेंट के बारे में एक अलग विभाग बनाने की जो प्रक्रिया की गई है उसके पीछे जो हमारा उद्देश्य है कि यह विषय इतना महत्वपूर्ण है सदन के सामने इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, यह न केवल अपने प्रदेश के लिए बल्कि समूचे मध्यभारत के लिए भारत के मध्य में जितना भी प्रदेश स्थित है उन सभी के लिए ही जीवनदायी योजना है और इसके विकास के बारे में प्रयास में केवल सिंचाई ही नहीं उसके समग्र विकास की बात सोचने के लिए हमें तत्पर होना पड़ेगा और उस दिशा में यह विभाग तैयार करके प्रारूप तैयार किया गया है। विस्तार में माननीय कु. विमला वर्मा जो कुछ कहना चाहेंगी तो कहेंगी, शायद आप कह चुकी हैं। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमें विशेष रूप से इस दिशा में प्रयास करना होगा। मैं चाहूँगा जैसा कि एक दिन मैंने पहले भी कहा था कुछ ऐसे विषय हैं जिनके बारे में हमें दलगत दृष्टिकोण से अलग हटकर विचार करना होगा।

मैं विरोधी दल के नेता से आग्रह करूँगा कि तीन विषय ऐसे हैं जिन पर हमें पूरी तरह से विचार-विमर्श करके एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है जो समूचे प्रदेश के हित में हो। पहला तो है नर्मदा दूसरा है वन तथा तीसरा विषय है ऊर्जा यह तीनों विषय ऐसे हैं जिन पर हमें विचार-विमर्श करके जिनका स्वागत पटवा जी ने उस दिन किया था हम अगले सप्ताह आपको तथा अन्य जो दलों के प्रतिनिधि हैं उनको आमन्त्रित करेंगे ताकि उन नीतियों पर हम बैठकर अपने प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए एक सुनियोजित स्कीम बना सकें और उसको क्रियान्वित करने के लिये प्रदेश के सभी सम्माननीय नागरिकों का सहयोग प्राप्त हो सके।

श्री सुन्दरलाल पटवा : दो वर्ष तो आपने गंवा दिये, गलत धीम लेकर। खैर अब देर आये दुरुस्त आयद। अभी भी आप इसमें जल्दी करते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि सलाह के लिये बुलाकर कुछ स्थायी उपकरण

रूप से इसके बारे में आप स्थायी रूप से सोचेंगे तो बेहतर होगा।

श्री अर्जुनसिंह : मैं समझता हूँ कि बैठक में जब हम लोग बैठेंगे उस समय आप कोई सुझाव देंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं है उस पर विचार करके कोई स्थाई कुछ बन सके वह प्रदेश के हित में होगा इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री कैलाश जोशी : संस्कृति विभाग के विषय में आपकी बड़ी प्रशंसा हुई उसके बारे में दो शब्द कहिए— (हँसी) **श्री अर्जुनसिंह :** आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय—

श्री शीतला सहाय : वह तो इनकी दुखती नस है उसको मत दबाइए— (हँसी)

श्री अर्जुनसिंह : मुझे नहीं मालूम कि संस्कृति आपकी नस है - - - (हँसी)

श्री शीतला सहाय : लेकिन श्रीमान इस समय तो आपकी बात हो रही है मेरी नहीं हो रही है।

श्री अर्जुनसिंह : दुखती नस आपको मुबारिक हो। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि संस्कृति के क्षेत्र में चाहे आप सबके सहयोग के बिना यह सब संभव नहीं था लेकिन सबके सहयोग के वजह से कुछ इस दिशा में काम हो सका जो शायद इस कला, संस्कृति के क्षेत्र में जो पारखी लोग हैं, वह लोग शायद इसे अच्छा मानते हैं इतना तो मैं कह सकता हूँ। मैं तो इसमें बिल्कुल कुछ नहीं समझता। शीतला सहाय जी की रग दुखती है और उसी से प्रेरणा निकलती है लेकिन मैं कह सकता हूँ कि संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ किया जा रहा है उसके लिए किसी भी प्रकार से अन्य किसी के प्रभाव में आकर कोई काम नहीं हो रहा है क्योंकि बार-बार यह कहा जाता है कि अमुक इसको प्रभावित करता या यह करता है, वह करता है। जो माननीय सदस्य जानना चाहें सदन का समय मैं इस बात पर अभी नहीं लेना चाहता लेकिन प्रत्येक निर्णय चाहे वह कला परिषद के लिए हो चाहे संस्कृति विभाग सलाहकार मंडल के माध्यम से हो मैंने अपनी ओर से स्पष्ट कर दिया है कि भले ही मुख्यमंत्री होने के नाते मैं उसका अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं अपने को उन सभी निर्णयों से बंधा मानूँगा जो सलाहकार समिति लेगी। इसमें 99 प्रतिशत लोग कलाकार हैं वह जो निर्णय लेंगे वही निर्णय कला के क्षेत्र में सर्वमान्य होगा। यह अत्यंत नाजुक क्षेत्र है और उस पर ऐसा अक्सर देखा गया है कि लोगों को इस क्षेत्र में एकाधिकार या अपना वर्चस्व बनाने के लिए कभी-कभी प्रेरणा मिलती है और खासतौर से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी शासन के लिए बहुत आवश्यक है कि वह इस क्षेत्र को प्रभावित करने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ, हमारे भारत में यह अलौकिक परंपरा है कि कभी-कभी आज ही नहीं पूर्व में भी सही माने में कला के प्रेमी थे। उन्होंने कभी भी इस क्षेत्र को अन्य विषयों से प्रभावित नहीं होने दिया, वही प्रयास हमारा भी है। यदि उसमें कहीं गलती है, उसके लिए निश्चित रूप से मैं माननीय सदस्यों का, अन्य लोगों का, सुझावों का, उनके मार्गदर्शन का आभारी रहूँगा। लेकिन यदि प्रदेश में कुछ हो सका है, यदि हम उसके लिए थोड़ा-सा संतोष महसूस करें तो एतराज नहीं होना चाहिए, इतना तो मैं जरूर कह सकता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन मांगों को मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ.....!

श्री रमाशंकर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, विस्तृत जानकारी इस विधानसभा के सदस्यों को हो सके इसके लिए.....।

श्री अर्जुनसिंह : आपकी यह आज्ञा शिरोधार्य है पूरी तरह से। निश्चित रूप से पूरी रिपोर्ट दी जाएगी। कोई जानकारी छिपाकर रखने का सवाल ही नहीं उठता।

श्री रमाशंकर सिंह : जानकारी के लिए आग्रहपूर्वक निवेदन है, आज्ञावाचक नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री अर्जुनसिंह : पूरी जानकारी दी जाएगी।

श्री चन्द्रदर्शन गौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिलों के संबंध में निवेदन किया था उसके बारे में कोई विचार नहीं आया।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहने जा रहा था। वह यह न समझें कि नजरअन्दाज कर रहा हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन माँगों को रखते हुए सदन को इस ओर आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस प्रदेश को एक सक्षम और स्वस्थ प्रशासन देने के लिए सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से, समर्थन से, निष्ठापूर्वक मैं और हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथी काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं। इस प्रदेश के प्रशासन को

चलाने के लिए जिन कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ रहा है, विकेन्द्रीकरण के क्षेत्र में जिले का जिक्र सदन में किया गया। उस दिशा में भी हमने कदम उठाया है। प्रत्येक ब्लाक को तहसील का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। कुछ सुझाव आये हैं कुछ बड़े जिलों को व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से छोटे में परिणित किया जाये। उस दिशा में भी शासन विचार करेगा और जनप्रतिनिधियों के सलाह मशविरा के बाद जो सब लोगों की राय सामान्य रूप से एक मत होकर सामने आयेंगे उस आधार पर जिलों का पुनर्विभाजन की बात भी विचार में ली जाएगी और उस पर भी कार्यान्वयन करने की दिशा में हम कोशिश करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे पास या किसी के पास जो प्रशासन में होगा, जादू की लकड़ी नहीं हो सकती। हम केवल एक ही बात कह सकते हैं कि प्रशासनिक तन्त्र को निर्भीकता से अपने विवेक से अपने से काम करने के लिए हम पूरी छूट दें। हर प्रकार से परिस्थितियों का सामना करने के लिए उनकी सहायता करें। अधिकारों का अतिक्रमण अगर कहीं किसी के द्वारा भी होता है तो बिना किसी हिचक के उस अतिक्रमण को बन्धित करें, रोकें, कार्यवाही करें, और जो काम इस प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हाथ में लिया गया है उसमें जनप्रतिनिधियों की भावना, सहयोग और मार्गदर्शन से हम पूरा कर सकें। यह एक महान लक्ष्य इस शासन का है और उस लक्ष्य की पूर्ति में हमें कदापि संदेह नहीं है क्योंकि हमारे दल के लोग और इस प्रदेश के नागरिक, हम सब मिलकर उन लक्ष्यों की पूर्ति करेंगे और प्रदेश को विकास के एक नये आयाम की ओर ले जायेंगे फिर भले ही कुछ विघ्नसंतोषी तत्वों का सहयोग हमें न मिले लेकिन मुझे विश्वास है कि अन्ततः उन लोगों को भी समझ में आ जायेगा कि जहाँ तक विकास का सवाल है विकास का काम अलग है और चक्का जाम और सिर के बल खड़ा होने की बात अलग है। इन्हीं शब्दों के साथ में निवेदन करूँगा कि माँगों के प्रस्ताव को पारित करें।

श्री रमाशंकर सिंह : विघ्नसंतोषी तत्व कौन से हैं। जरा पिन प्वाइंट कर दें।

श्री शीतला सहाय : पिन प्वाइंट की बात होगी तो आपसे ही लाइन शुरू होगी। पहले नम्बर पर शिवभानु सोलंकी, दूसरे नम्बर पर कृष्णपालसिंह, तो सबसे पहले तो उधर से ही निपटना पड़ेगा।

श्री चन्द्रदर्शन गौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में केवल कटनी ऐसा क्षेत्र है जहाँ से निरन्तर इस तरह की माँग की जा रही है कि उसको जिले का दर्जा दिया जाये, दूसरे किसी भी क्षेत्र के सम्बन्ध में सार्वजनिक तौर पर माँग नहीं आई है इसलिए मेरा मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि अगर कटनी के सम्बन्ध में वे कुछ निश्चित आश्वासन दे दें तो मैं उनका आभारी रहूँगा।

श्री कृष्णपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, शीतला सहाय जी ने हर बार सिर्फ शिवभानु सोलंकी जी और मेरा नाम लिया मेरे पास विमला जी बैठी हैं उनका नाम नहीं लिया।

श्री शीतला सहाय : मैं तो सिर्फ विघ्नसंतोषी तत्वों का नाम ले रहा हूँ।

(हंसी)

श्री कृष्णपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस बारे में आप निर्णय लें कि सिर्फ दोनों का ही नाम क्यों लेते हैं क्या कोई परम्परा ....

उपाध्यक्ष : इसको आप दोनों मिलकर ही सुलझा लें।

(हंसी)

उपाध्यक्ष : अब मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूँगा।

उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माँग संख्या 1, 2, 3, 4, 12, 26, 31, 32, 41, 46, 49 तथा 50 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष : अब मैं माँगों पर मत लूँगा।

उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तुत नियम के निमित्त राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धन राशि के अतिरिक्त.....

अनुदान संख्या 1- सामान्य प्रशासन के लिए पाँच करोड़, तीन लाख छियालीस हजार रुपये।
अनुदान संख्या 2- सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय के लिए बासठ लाख, चौदह हजार रुपये।
अनुदान संख्या 3- पुलिस के लिए तिरासी करोड़, तिरेपन लाख सत्तासी हजार रुपये।
अनुदान संख्या 4- गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिए अट्ठाईस लाख, बत्तीस हजार रुपये।
अनुदान संख्या 12- ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित व्यय के लिए एक अरब, सत्तावन करोड़, दस लाख ग्यारह हजार रुपये।
अनुदान संख्या 26- संस्कृति विभाग से सम्बन्धित व्यय के लिए एक करोड़ एकहत्तर लाख, बहत्तर हजार रुपये।
अनुदान संख्या 31- योजना, आर्थिकी तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बन्धित व्यय के लिए दो करोड़, तिरसठ लाख, पाँच हजार रुपये।
अनुदान संख्या 32- सूचना तथा प्रकाशन के लिए एक करोड़, चौरानवे लाख, पंचानवे हजार रुपये।
अनुदान संख्या 41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए एक अरब, अट्ठाईस करोड़, छियालीस लाख, इक्तीस हजार रुपये।
अनुदान संख्या 46- विज्ञान और टेक्नालाजी के लिए सात लाख तैतीस हजार रुपए।
अनुदान संख्या 49- हरिजन कल्याण के लिए सात करोड़ अट्ठासी लाख, अठहत्तर हजार रुपए।
अनुदान संख्या 50- पच्चीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय के लिए छियालीस लाख, तिरसठ हजार रुपए।
अनुदान संख्या 64- हरिजन विशेषांश योजना के लिए सात करोड़, अड़तीस लाख, एक हजार रुपए तक की राशि दी जाए।

माँगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5 बजकर 29 मिनिट पर विधानसभा गुरुवार, दिनांक 25 मार्च 1982 (4 चैत्र शक संवत् 1904) के पूर्वान्ह 10.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/24 मार्च 1982, पृष्ठ/ 125-137)

विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र प्रारंभ हुआ। अध्यक्ष श्री यज्ञदत्त शर्मा ने सदन को सूचित किया— "मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि भारत के भूतपूर्व उप-राष्ट्रपति श्री गोपाल स्वरूप पाठक का दिनांक 31 अगस्त 1982 को, जम्मू एवं काश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री श्री शेख अब्दुल्ला का दिनांक 9 सितंबर 1982 को, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व राज्यपाल श्री त्रिभुवन नारायण सिंह का दिनांक 4 अगस्त 1982 को, विधानसभा के भूतपूर्व छह सदस्य राजा विजयभूषण सिंह देव, श्री जगदीश नारायण अवस्थी, श्री चतुर्भुज मौर्य, श्री बनवारी लाल, श्री विजयदत्त झा का तथा श्री रामचन्द्र बड़े का देहावसान हो गया है।"

मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की—

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सत्र के प्रथम दिन हमें एक शोक संतप्त वातावरण में इस देश के कुछ महान नेताओं और अपने इस विधानसभा के कुछ सम्मानित सदस्यों को, उनके देहावसान पर श्रद्धांजलि अर्पित करना है। आदरणीय पाठक जी जो इस देश के उप-राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर चुके हैं, उनके देहावसान के सन्दर्भ में आपने जो विचार व्यक्त किये हैं, वे उनके व्यक्तित्व और समूचे जीवन में जो उन्होंने हर क्षेत्र में देश की सेवा की, उसके सर्वथा अनुकूल है। पाठक जी इलाहाबाद के प्रतिष्ठित नागरिक थे, सर्वोच्च स्तर के वकील थे और इन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, वह एक बहुत ही मानवतावादी व्यक्ति थे। व्यक्तिगत स्तर पर भी उनके सम्पर्क में, सानिध्य में आने का मुझे अवसर मिला। थोड़े समय के लिए उनके साथ वकालत के काम को सीखने का मुझे अनुभव मिला और मैं यह कह सकता हूँ कि भावी पीढ़ी के प्रति जो अगाध विश्वास उनके मन में थे और उनके व्यक्तित्व में जो सरलता और सभी को स्नेह देने की एक उत्कण्ठा थी, यह मैंने

कम लोगों में देखी। इतने बड़े वकील होने के बावजूद प्रत्येक दिन उनकी डायरी में ऐसे दो-तीन मुकदमे हुआ करते थे जो वे निःशुल्क इलाहाबाद हाईकोर्ट में लड़ा करते थे और इसे उन्होंने अपनी एक तरह से दिनचर्या बना कर रखी थी। जो मैं समझता हूँ बहुत कम इस स्तर के वकील कर पाते हैं। जिस विधिक सहायता की योजना आज समूचे देश में लागू की गई है, वे इस योजना के सूत्रधारों में से एक थे। देश के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर जो उनका योगदान रहा, उससे सदन भी अवगत है। अध्यक्ष महोदय, आपने उसका उल्लेख किया है, मैं आपकी उन समस्त भावनाओं से अपने दल और अपने को जोड़ना चाहता हूँ।

जम्मू-काश्मीर का एक ऐसा नेता जो जम्मू-काश्मीर को केवल भारतवर्ष के नक्शे में उभारकर ही सामने नहीं लाया, बल्कि यदि मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि परस्पर सिद्धांतों की तकरार में जिसने व्यक्तिगत जोखिम उठाकर सिद्धांतों के प्रति अपनी अडिग आस्था को व्यक्त करते हुए काश्मीर के विलय को भारत के साथ उस समय करने का निर्णय लिया जब समूचे देश का वातावरण साम्प्रदायिक ताकतों के ताण्डव नृत्यों से विषाक्त था, उस अवसर पर वह निर्णय केवल एक आस्था से भरपूर, सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह समर्पित और कोई दिलेर व्यक्ति ही ले सकता था। आज हम भारत के जितने भी लोग हैं शेख साहब को उनकी अन्य बहुत-सी बातों के लिये याद करते हैं, जिस निर्णय के माध्यम से उन्होंने हमारे देश के उन तमाम शहीदों के, जिन्होंने आजादी के लिये संघर्ष किया, उनके बलिदान को देश की अखंडता को सामने रखते हुए सार्थक बनाया, ऐसे व्यक्ति का हमारे बीच से चला जाना निश्चय रूप से भारतवर्ष के सभी लोगों के लिए एक अपूरणीय क्षति है और अध्यक्ष महोदय, आपने जो भावना व्यक्त की है उससे हम सब अपने को सम्बद्ध करते हैं।

माननीय त्रिभुवन नारायण सिंह जी ने अत्यन्त साधारण परिवार में जन्म लेकर और आजादी की लड़ाई से लेकर आजादी की प्राप्ति के बाद भी जिस अनवरत ढंग से कुछ शाश्वत मान्यताओं को सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में निभाने का प्रयास किया, मैं समझता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिये कम संभव होता है और इसलिए उन्होंने जो कुछ भी पद प्राप्त किये और जो कुछ भी जिम्मेदारियाँ उठाईं, वे स्वाभाविक रूप से उनके पास आई हैं और यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश के अंदर इस प्रकार की हस्तियाँ जो सभी प्रकार के झंझावातों के बीच से अपने आदर्शों को अक्षुण्ण बनाये रखकर हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत करती हैं, अध्यक्ष महोदय, उनके संबंध में आपने जो विचार व्यक्त किये हम सब आपके उन विचारों से अपने को संबद्ध करते हैं।

हमारी इस विधानसभा के माननीय सदस्य श्री विजय भूषण सिंह जी एक सुदूरपूर्व अंचल के एक विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इस विधानसभा में करते थे। बहुत ही मिलनसार और बाहर से साधारण दिखने वाले व्यक्ति, जिन्होंने अपने क्षेत्र की जन समस्याओं के निराकरण के लिये सदैव इस विधानसभा के अंदर और बाहर प्रयास किये जिनसे हम सब लोग परिचित हैं, ऐसे चिर-परिचित व्यक्ति का हमारे बीच से चले जाना हम सबके लिए अत्यन्त दुख का विषय है।

हमारे आदरणीय जगदीश नारायण जी अवस्थी जो इस सदन में हर प्रकार से अपने व्यक्तित्व की छाप रखते थे, लोगों से उनकी मिलनसारिता और कांग्रेस के सिपाही के नाते सदैव संघर्ष के लिये तत्पर रहना और मंत्री के पद पर रहकर भी सब लोगों की बात को सुनकर काम करने की कोशिश करना, हमारे अवस्थी जी का यह एक विशेष गुण था। हममें से बहुत से लोग उनके सानिध्य में आये और सबके साथ उन्होंने अत्यन्त आत्मीयता का व्यवहार किया। उनके देहावसान से एक रिक्तता का अनुभव हम सब लोग कर रहे हैं।

माननीय चतुर्भुज मौर्य इस विधानसभा के विद्रोही सदस्यों में से एक रहे हैं। कई लोगों का उनसे परिचय हुआ है जो पहले की विधानसभा के यहाँ सदस्य रहे हैं और मुझे ऐसे कई क्षण इस विधानसभा के अंदर स्मरण हैं जब मौर्य जी ने अपने आपको कुछ विलक्षण तरीके से इस सदन में प्रस्तुत किया और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उन्होंने कई विषयों पर जिनका सीधा जनता से जनहित से संबंध था, उन पर बहुत ही प्रभावी ढंग से अपने विचार व्यक्त करके पार्टी को उस ओर उन्मुख करने का प्रयास किया। वे अनसूचित जाति के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन अपनी स्वयं की प्रतिभा की वजह से उन्होंने न केवल अपने क्षेत्र की सेवा की बल्कि साथ-साथ इस सदन के सदस्य न रहते हुए भी कई ऊँचे पदों पर रहकर अनेक क्षेत्रों में प्रदेश के बाहर भी

एक अहम् भूमिका निभाई। हम सब उनके देहावसान दे दुखी हैं और अध्यक्ष महोदय, द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से अपने को सहमत पाते हैं।

माननीय श्री बनवारी लाल जी जो सबसे कंधे पर हाथ रखकर जयरामजी की करके बात शुरू करते थे, जय बजरंगबली कहकर बात शुरू किया करते थे, एक अत्यन्त हंसमुख और सब लोगों से जो जिस मुद्रा में हो उससे उस मुद्रा में ही चर्चा करने का जो उनका अनोखा ढंग था। वह इस बात का द्योतक था कि वे समाज के हर स्तर पर लोगों की कठिनाइयों से भिज्ञ थे और उसे दूर करने के प्रयासों से पूरी तरह से हम अवगत थे। कोई बहुत लंबे चौड़े विचार उन्होंने इस विधानसभा के अंदर शायद व्यक्त न किये हों, लेकिन बिलासपुर क्षेत्र में और अपने साथियों के बीच में श्री बनवारी लाल जी का विशेष महत्वपूर्ण स्थान रहा और उनका देहावसान उन सब सदस्यों के लिये और उस क्षेत्र के सभी नागरिकों के लिये एक अपूर्णीय क्षति है और इस संबंध में अध्यक्ष महोदय, आपने जो विचार व्यक्त किये हम सब उनके साथ अपने को सहमत पाते हैं।

अभी कुछ दिन पहले आदरणीय बड़े जी के देहावसान का समाचार सबको आश्चर्य के साथ सुनने को मिला। श्री बड़े जी ने छोटे कार्यकर्त्ता के रूप में अपना जीवन प्रारंभ करके लोगों के बीच में निश्चल रूप से किस तरह काम किया जाता है इसका अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया और व्यापक जनहित का सदैव पोषण करते हुए अपने राजनैतिक जीवन को ढालने का अनोखा उदाहरण देखने को मिला। बड़े जी के विचारों से राजनैतिक रूप से हम सहमत भले ही न हों लेकिन उनकी ईमानदारी और निष्ठा पर कभी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा, यह उनके व्यक्तित्व की महानता है। हमारे बीच से उनका जाना एक अच्छे और सच्चे जनसेवक का जाना है, इसलिए उनके सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, आपने जो भी विचार प्रकट किये उनसे अपने आपको भी संबद्ध करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।

दो अन्य सदस्य श्री जोहन एक्का और श्री बाबूराव पटेल हमारे बीच नहीं रहे। श्री जोहन एक्का, इस विधानसभा के सदस्य थे जिनसे अनेक लोग परिचित हैं। रायगढ़ जिले का जीवट से भरा हुआ कार्यकर्त्ता जिसने उस आदिवासी बाहुल्य जिले के विकास के लिये, उनको न्याय दिलाने के लिये, हर कठिनाई में उनकी हर संभव सहायता करने के लिये अनेक प्रयास किये। हम सब उनकी इन सेवाओं से भलीभाँति परिचित हैं। विशालकाय काया के साथ और उतनी ही नम्रता के साथ सदैव उन्होंने जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उनके देहावसान से न केवल रायगढ़ जिला बल्कि पूरा प्रदेश अपने आपको वंचित पाता है, हम सब श्री जोहन एक्का के परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं।

श्री बाबूराव पटेल, संसद सदस्य थे। वे एक लेखक, वक्ता और आलोचक थे। इस प्रदेश से उनका लोकसभा में चुना जाना प्रदेश के महत्व को बढ़ाता ही है। उनका देहावसान न केवल इस प्रदेश के लिये बल्कि पत्रकारिता जगत के लिये, आलोचक जगत और विचारकों के जगत में भी रिक्तता पैदा करता है। इसलिये हम सब अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करना चाहते हैं और आपके आभारी हैं कि हम सबकी ओर से आपने हमारी भावनाओं को यहाँ पर मुखर किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और सदस्य श्री विजयदत्त झा, मंडला जिले से सन् 77 में विधानसभा में चुनकर आये लेकिन इस विधानसभा के बाहर उनका जीवन बहुत संघर्षमय रहा और मंडला जिले के लिये सार्वजनिक रूप में जो कार्य उन्होंने किया है वह महत्वपूर्ण रहा है और स्वतंत्रता संग्राम सैनिक के नाते देश की आजादी में उनका योगदान रहा। उनके निधन पर भी हम सब संवेदना प्रकट करते हैं।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/20 सितम्बर 1982, पृष्ठ/ 4-5)

प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह का वक्तव्य और प्रतिपक्ष के नेता श्री सुन्दरलाल पटवा से तकरार—

अध्यक्ष : अब प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में मुख्यमंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे।

श्री सुन्दरलाल पटवा (सीहोर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि उससे पूर्व मुझको सुन लिया जावे।

अध्यक्ष : मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य के बाद आप बोलिए, मैं आपको समय दूँगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, अगर मुख्यमंत्री जी वक्तव्य देने के बजाय जैसी मुख्यमंत्री जी ने एक प्रक्रिया पहले अपनाई थी, सदन में हरिजन, आदिवासियों तथा कमजोर वर्ग को सुरक्षा प्रदान करने के प्रति सदन की प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिये हम सब लोगों को बुलाकर सामूहिक प्रस्ताव उन्होंने सदन के माध्यम से रखकर और पारित करवा कर उस घोषणा को सदन में आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री जी वही प्रक्रिया अपनायें और इस सदन की प्रतिबद्धता प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति व्यक्त करने के लिए अगर हम सबका कोई सामूहिक बयान या प्रस्ताव इस सदन के माध्यम से जाये तो ज्यादा प्रभावशाली और ज्यादा उपयोगी भी होगा और हम सब उसके प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिये बाध्य भी होंगे। मेरी उनसे प्रार्थना है कि वह वक्तव्य देने के बजाय उस प्रक्रिया को अपनायें तो ज्यादा उचित होगा। आगे जैसा वह करना चाहें, उनकी मर्जी।

श्री कपूरचन्द धुवारा : मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा बंगाल विधानसभा में एक प्रस्ताव पास करके, बिहार में प्रेस के विरुद्ध जो बिल पास हुआ वह केन्द्र शासन को भेजा है, उसी तरह से मध्यप्रदेश शासन भी विधानसभा से एक प्रस्ताव पास करके केन्द्र शासन भो भेजे तो उत्तम होगा। अध्यक्ष महोदय, बिहार विधानसभा के खिलाफ यह विधानसभा प्रस्ताव पास करे? (व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में प्रेस की गतिविधियों के बारे में राज्य शासन के दृष्टिकोण को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयत्न किया गया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति हमारी वचनबद्धता बिना किसी हिचक और संकोच के है और मैं यह कह सकता हूँ कि हम इस वचनबद्धता के अनुरूप निरंतर कार्य करते रहे हैं।

शासन और समाज में प्रजातांत्रिक व्यवस्था सुप्रतिष्ठित अधिकारों और दायित्वों पर आधारित होती और चलती है। उन सभी अंगों के बीच, जो समाज के कल्याण में अपना योगदान देते हैं, ये अधिकार और दायित्व एक दूसरे के प्रति सन्तुलित रहते हैं। यह एक सुप्रतिष्ठित सिद्धांत है कि अगर एक वास्तविक प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अविरत रखना है तो समाज के किसी अंग के बारे में कोई अलग-थलग दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता। इस देश का पिछला 100 वर्षों का इतिहास यह सिद्ध करता है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और उसके बाद इस सन्तुलन को बनाये रखने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया गया है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने समय-समय पर इस दृष्टिकोण को रेखांकित किया है। हम इस दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं और इसकी रोशनी में काम करने के सभी प्रयत्न कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश में इस सन्दर्भ में हमारे कार्य किसी कथन की अपेक्षा अधिक मुखर हैं। अभी तक एक भी ऐसा अवसर नहीं आया जब वर्तमान शासन की ओर से प्रेस की गतिविधि को प्रभावित करने के उद्देश्य से कोई काम किया गया हो। दूसरी ओर छतरपुर घटना की न्यायिक जाँच करा के पत्रकार कल्याण को स्थापित कर सैद्धांतिक मानदण्ड के आधार पर सभी अखबारों की विज्ञापन दरें बढ़ाकर और छोटे और मध्यम समाचार-पत्रों की कठिनाइयों का हल खोजने के लिए मंत्रिपरिषद की उप-समिति गठित कर हमने अपनी सीमाओं में ऊपर जिस वचनबद्धता का उल्लेख किया गया है उसे दृढ़ आकार देने की ईमानदार कोशिश की है। मैं आश्वस्त हूँ कि यह माननीय सदन और इस प्रदेश के समस्त नागरिक मेरे दृष्टिकोण का पूरा समर्थन करेंगे।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी ने अभी वक्तव्य दिया है वह कल जो विधिमंत्री जी ने सदन में बात कही उसके कान्ट्रेडिक्ट्री है.....(व्यवधान) मुख्यमंत्री जी दूसरी बात कह रहे हैं.....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। मुख्यमंत्री जी के बयान पर चर्चा नहीं होती।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के बयान में और विधिमंत्री जी ने सदन में जो कुछ कहा बहुत कान्ट्रेडिक्ट्री है।

श्री परशुराम सिंह भदौरिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का विवेक काम नहीं कर रहा है तो हमारे स्कूल में आयें मैं समझा दूँगा, पढ़ा दूँगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात पर गम्भीरता से विचार करते परन्तु शायद उन्होंने उसका नोटिस लेने की इसलिए आवश्यकता नहीं समझी कि मेरी बात अगर वे मानते और सदन का सामूहिक संकल्प यहाँ पारित करवाकर घोषणा करने का प्रयास करते तो संकट में पड़ सकते थे। पहले से ही मुख्यमंत्री जी बहुत संकट में हैं ऊपर का संकट, भीतर का संकट है आजू-बाजू का संकट है, सामने संकट है, अन्य प्रकार के संकट उपस्थित हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। श्रीमान, इस दल के, भा.ज.पा. के विधायकों ने एक संकल्प श्रीमान के समक्ष विधानसभा के विचारार्थ प्रस्तुत किया। अनुमति होने पर प्रेषित किया था और उस संकल्प में हमने आग्रह किया था माननीय सदस्य कैलाश जोशी, वीरेन्द्र कुमार सखलेचा, शीतला सहाय जी व श्री बाबूलाल गौर ने कि हम इस विधानसभा में एक संकल्प पारित करके भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से आग्रह करें कि बिहार प्रेस विधेयक को अपनी स्वीकृति न दें क्योंकि वह लोकतन्त्र के सिद्धांतों और प्रेस की स्वतंत्रता है का हनन करने वाला है। वह संकल्प अभी सदन के समक्ष विचाराधीन नहीं है। कल अकस्मात् बिल्ली थैले में से बाहर आ गई। माननीय विधिमंत्री श्री कृष्णपाल सिंह जी जो कि राज्य के जिम्मेदार विधिमंत्री हैं, ने कुछ ऐसी बातें कहीं, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में प्रतिबद्धता के प्रश्न खड़े हो गए हैं। मैं श्रीमान का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। प्रेस की कितनी स्वतंत्रता है कि कल इस सदन में इतनी बड़ी घटना घटी सारे पत्रकारों ने उसका कुछ रोष व्यक्त किया। सदन में हमने आधे घण्टे तक चर्चा की व अपना रोष व्यक्त किया और उस रोज की कार्यवाही पर दुख की अभिव्यक्ति हेतु आधे घण्टे कार्यवाही से अपने को अनुपस्थित रखा। 7 बजकर 5 मिनट पर मैंने जब सरकार के द्वारा नियंत्रित आकाशवाणी से समाचार सुने, सारे समाचार में एक भी शब्द इस संबंध में सुनाई नहीं दिया (विपक्षी बैंच से शेम-शेम की आवाजें) यह प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है, जिसका नाम लेकर आपने अपने बयान में सौगन्ध खाई है। मुख्यमंत्री जी आप कोई बयान दें, आप कोई भाषण दें, आप कोई कानून लाएँ, आप कुछ भी करें, सबेरे से शाम तक आपको 101 बार श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम लेना जरूरी होता है, नहीं तो आप खतरे में पड़ जाते हैं। इस वक्तव्य में भी आपने जो शब्द कहे हैं प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण से आप सहमत हैं। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री जी सहमत हैं। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण क्या है? कि बिहार के प्रेस बिल पर कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। दिस इज हर ऑफिशियल वर्सन फ्राम दी होर्सेज माऊथ। प्रधानमंत्री ने अपना जो—।

डॉ. राजेन्द्र जैन (राज्य मंत्री विधि) : मेरा आपसे निवेदन है कि हम इस सदन में उसके बारे में मध्यप्रदेश के बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने प्रेस बिल पर क्या कहा है उसकी आलोचना या उसके बारे में डिस्क्शन हाउस के समक्ष विचाराधीन नहीं है। श्रीमान के समक्ष जो विचाराधीन है उस पर चर्चा मध्यप्रदेश की सीमा में रहे तो ठीक है। कुछ सदस्यों ने उठकर उनके गुरूजी के बारे में कुछ कहना शुरू कर दिया, उनकी मान्यता के बारे में शुरू कर दिया, फिर झगड़े वाली बात खड़ी होगी कहेंगे कि मान-मर्यादा नहीं रखते हैं। उनके गुरूजी की मान्यताएँ क्या हैं और प्रदेश के बारे में, जनता के बारे में क्या हैं—।

श्री सुन्दरलाल पटवा : यह किस पर भाषण हो रहा है? अध्यक्ष महोदय, जो बात सदन के सामने रखी गई है उसके बाहर मैं एक इंच भी नहीं जाऊँगा। मैं डॉ. जैन से निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे जो कुछ कहना है उसका मुझे अच्छी प्रकार से ज्ञान है और वह उपदेश यदि किसी को देना चाहे तो कृपा करके दें। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बड़े साफ तौर पर इस बात की घोषणा की है कि हम प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण से सहमत हैं और मैं उनका दृष्टिकोण सदन के सामने ला रहा हूँ। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, दोहराया है कि जो प्रेस बिल पारित किया गया है, उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। यही आपका दृष्टिकोण है। इसी को आप प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता निरूपित करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लच्छेदार शब्दों में किसी बात को कह देना अलग बात है।

(मेजों की थपथपाहट)

आपका यह जो शब्दाडम्बर है, यह आपकी मनोवृत्ति पर परदा नहीं डाल सकता और मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इस मनोवृत्ति को छोड़िए। आप पता नहीं कितने दिन रहने वाले हैं, उस कुर्सी पर, कौन आएगा, कौन जाएगा, यह बहुत छोटी बात है।

(व्यवधान)

डॉ. राजेन्द्र जैन (विधि राज्य मंत्री) : आपके ढाई साल के जनता शासनकाल में कितने मुख्यमंत्री बदले।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैं बैठ नहीं रहा हूँ, उसके बाद भी विधि राज्य मंत्री या उत्तमचन्दजी कहें तो अलग बात है। लेकिन जिनके हाथ में कानून की बागडोर दी है, क्या कहूँ मैं श्रीमान।

डॉ. राजेन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि सदन के नेता ने एक वक्तव्य यहाँ पर दिया, उसके ऊपर चर्चा करना या उसके मामले में अगर आपका कोई आदेश हो कि इस मामले में कोई चर्चा आप ग्राह्य कर रहे है, वह एक अलग बात है या मान लें कि प्रतिपक्ष के नेता कोई बात अपनी कहना चाहें तो कह देते लेकिन इस वक्तव्य को लेकर इस सदन में बिना किसी प्रस्ताव के आए हुए और बिना किसी नियम के अनुसार, यहाँ का, दिल्ली का, सारे देश का संदर्भ देकर जो कि तथ्यों से संबंधित नहीं हैं, वह सब बातें प्रतिपक्ष के नेता यहाँ बोलना चाहते हैं।

अध्यक्ष : नियमानुसार मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य पर चर्चा नहीं होती है लेकिन हमारी परम्परा है कि मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य के बाद कुछ शब्दों में केवल प्रतिपक्ष के नेता को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की अनुमति दी जाती है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की अनुमति दी है।

अध्यक्ष : उसे आप संक्षिप्त में कह दें।

डॉ. राजेन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीन मिनिट में जो अपनी बात कही है, उस पर आधे घंटे तक क्या वे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहेंगे।

श्री कृष्णपाल सिंह (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि श्री सुन्दरलाल जी पटवा विपक्ष के नेता हैं, उनको अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की अनुमति आप दीजिए किन्तु इस सम्बन्ध में प्रतिक्रियावादी शक्तियों का प्रतिनिधित्व तो वही करते हैं। इसलिए प्रतिक्रिया व्यक्त भी उन्हीं को करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष : कल आपने क्रिया तो शुरू कर ही दी है, अब प्रतिक्रिया हो तो.....

श्री कृष्णपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, वे प्रतिक्रियावादी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए साफ है कि उनको प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए।

श्री सुन्दरलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी को यह चेतवानी दे चुका हूँ कि महाभारत की कथा आपने पढ़ी है, उस महाभारत के युद्ध में तत्कालीन अर्जुन के रथ का संचालन कृष्ण ने किया था तो वह तो उनको महाभारत से बचाकर ले गए लेकिन आज का जो कृष्ण है वह आपके रथ को कहाँ ले जाकर गिराएगा, कहाँ आपको डुबाएगा, इससे आप सावधान रहिए। कल ये आपको गड्ढे में डालने वाले यही महाशय हैं। आपका वक्तव्य आपके गले का हार बनकर रह जायेगा। जो सारी क्रिया और प्रतिक्रिया हुई है। वह इन्हीं से हुई है। मैं फिर आपको समाधान किये देता हूँ कि ये कलयुगी कृष्ण जो हैं इनसे सावधान रहें, नहीं तो ये आपको मंझदार में डुबा देंगे।

श्री परशुराम भदौरिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय पटवा जी.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जायें। पटवा जी आप जरा संक्षिप्त करें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : केवल एक मिनट में समाप्त करता हूँ। जहाँ मैं मुख्यमंत्री जी आपको कलयुगी कृष्ण से सावधान करा रहा हूँ वहीं इन परशुराम जी, से भी सावधान रहें। कहीं ये अपना फरशा लेकर आपका गला न काट दें। यों ही इन्होंने निगम का काम तमाम कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में अपनी बात समाप्त करने के पूर्व इतना ही कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी असंदिग्ध शब्दों में और उसे शब्दों में ही नहीं, अपने कार्यकलापों के द्वारा प्रकट कीजिए इस सदन में असंदिग्ध शब्दों में घोषित कीजिये कि बिहार जैसा प्रेस बिल, प्रेस पर अंकुश लगाने वाला

मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कृत्य करने वाली पार्टी उसके आप वरिष्ठ सदस्य थे आपके अन्तःकरण की आवाज उस समय क्या कैलाश जोशी के बेडरूम में सो रही थी। क्या आपको उस वक्त अपने विवेक को जगाने का अवसर नहीं मिला। उस समय आपके पास सत्ता की आवाज थी वह सुनाई नहीं पड़ी। उस वक्त शायद जिस लाईन में आप हमारे साथियों पर अनेक लांछन लगा रहे थे उस वक्त आपके मुँह पर ताला बन्द रहा। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, किस तरह से व्यक्तिगत स्तर पर, उनके बाद के जो मुख्यमंत्री सखलेचा जी हुये उन्होंने पत्रकारों को व्यक्तिगत स्तर पर प्रताड़ित किया। उसकी कहानी उस समय सदन में कही जा चुकी है। उस समय आप भी अध्यक्ष महोदय, सदस्य की हैसियत से उसका उल्लेख कर चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उस समय आपका विवेक कहाँ गया था। उस समय नहीं समझते थे कि पत्रकारों को इस तरह से प्रताड़ित करना एक प्रकार से प्रेस पर दबाव डालने की प्रक्रिया है। आज जिस क्रिया का उल्लेख कर रहे हैं आपके जनसंघ के लोग आज भारतीय जनता पार्टी का मानस और उसकी सीमित विचारधारा उस क्रिया और प्रतिक्रिया के अन्दर बंधी हुई है और आज दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। हम मानते हैं कि हम प्रधानमंत्री के सिद्धांतों का और विचारों का समर्थन करते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर उसका समर्थन करते हैं। बिहार प्रेस बिल के बारे में जो उन्होंने कहा है, आपने भी पढ़ा होगा। मैं समझता हूँ कि आप स्वयं इतना कहकर यह सोचते हों कि आवेश में आकर मैं कोई आपके सुझावों पर चलने लगूँगा तो कृपा करके आप अपने सुझाव के मायाजाल से हट जाइये। जब यहाँ बैठा करते थे और आपके दल का एक बड़ा काफिला यहाँ बैठा करता था उस समय आपके ये उपदेश चाहे महाभारत के लिये हों, चाहे सदन के लिये हों, चाहे इस प्रदेश की जनता के लिए हों, उससे आप मुकर गये थे। आज आप प्रतिपक्ष के नेता हैं उस हिसाब से तो कुछ भी कहेंगे जो कह सकते हैं। जरा दिल पर हाथ रखकर देखिये आपके सदस्य और आप स्वयं नैतिक अधिकार नहीं रखते। जब स्वयं कुछ न कर सके तो प्रेस की स्वतंत्रता की दुहाई दे दी। उस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि "पर उपदेश कुशल बहुतेरे'। मुझे न कोई संकट आपकी वजह से न आपके साथियों की वजह से, न किसी की तरफ से है। हम यहाँ पर जनता की सेवा करने के लिए, अपने साथियों के सहयोग और अपने नेता के आशीर्वाद से हैं। उनका सहयोग और उनका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। आपकी तरफ से वार हो, न हो, आप जो कुछ करना चाहें स्वतंत्र हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इस प्रदेश के अन्दर बिहार जैसे प्रेस कानून की तरह कोई कानून बनाने का प्रश्न नहीं है। इसके बाद आप अपने मन से जो कुछ कहना चाहें कहते रहें। लेकिन आज सदन के माध्यम से मैं जरूर इस प्रदेश के सभी समाचार-पत्रों के संपादकों को कहूँगा कि कृपा करके आप अपने सभी हितैषियों को पहचानने की क्षमता रखें नहीं तो ये लोग कहाँ ले जाकर खड़ा करेंगे, इसका मैं अंदाज नहीं लगा सकता।

श्री सुन्दरलाल पटवा : प्रेस वाले आपके उपदेश के प्रति आभार व्यक्त करेंगे।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/1 अक्टूबर 1982, पृष्ठ/ 90-93)

संस्कृति धर्मी राजनीतिज्ञ श्री अर्जुनसिंह ने मध्यप्रदेश की विधानसभा में ऐतिहासिक भारत भवन न्यास विधेयक 1982 सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जिसकी सभी ने मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की—

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत भवन न्यास विधेयक, 1982 पर विचार किया जावे।

सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि भारत भवन न्यास विधेयक, 1982 पर विचार किया जाये।

श्री नागेन्द्र सिंह (नागोद) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भारत भवन न्यास विधेयक 1982 जो प्रस्तुत किया गया है उसके संबंध में मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। सभापति महोदय, आज प्रदेश में कई चीजों की आवश्यकता है लेकिन प्राथमिकता किसको दी जावे यह तो सत्ता में जो बैठे हैं उनके विवेक पर निर्भर है। सभापति महोदय, पूर्व की अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए अभी हमें भारत भवन की आवश्यकता नहीं थी लेकिन जब भारत भवन बन ही गया है तो फिर हमारी जिम्मेदारी यह हो जाती है कि वह सुचारु रूप

बिल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह सरकार नहीं लायेगी। क्योंकि हम प्रतिबद्ध हैं इस बात के लिये कि लोकतंत्र में स्वतंत्र प्रेस का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। उस स्वरूप को स्वीकार करते हुए आप उसका पालन करें। आप इन शब्दों में न तो बात कह रहे हैं और.....

श्री अर्जुनसिंह : यदि आप अपनी बात कह चुके हैं तो ठीक है। यदि कोई बात बाकी रह गई हो तो वह भी कह डालिए उसके बाद मैं बोलूँगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बिहार प्रेस बिल के बारे में जब-जब आपसे सवाल किये गये तब-तब आपने अन-कंडीशनल कोई उत्तर नहीं दिया। सारी बातें जो आपने कहीं वे कंडीशनल कहीं हैं कि अभी मध्यप्रदेश में इस प्रकार के कानून की जरूरत नहीं है मतलब कभी न कभी इसे लाने की बात आपके दिमाग में है। पहले आप दूसरे कानून का प्रयोग करेंगे जब जाकर बिहार जैसा कानून बनाने के बारे में सोचेंगे। याने आपके दिमाग में कहीं न कहीं कोई तंतु है जो काम कर रहा है। यह जो आपका दृष्टिकोण है प्रेस के बारे में, मैं साफ तौर से आपसे कह चुका हूँ कि प्रेस एक जिम्मेदार संस्था है। यह प्रजातंत्र में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है। अगर उसमें कोई गैर-जिम्मेदार लोग हैं जो प्रेस के नाम पर धब्बा लगाते हैं तो उन पर नियंत्रित करने की जिम्मेदारी प्रेस चलाने वाले लोगों को ही सौंपिये। आप ऐसे आपकी पार्टी के राजनीतिज्ञों को जो निहायत गैर-जिम्मेदार हैं, जो गले तक करप्शन में डूबे हुए हैं, उनमें से किसी को भी नियंत्रित करने का अधिकार कदापि नहीं दीजिये। जब तक आप इस असंदिग्ध रूप को अपने आचरण में लाकर प्रकट नहीं करते तब तक आपका यह शब्दाडम्बर भ्रम में ही डाले रहेगा।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक साधारण से तरीके से एक महत्वपूर्ण विषय पर, जिस पर सदन में चर्चा हुई थी और मुझे ऐसा आभास हुआ कि जितना जो कुछ कहा गया उससे भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, मैंने एक वक्तव्य दिया। हमारे प्रतिपक्ष के नेता उपदेश देने में, चेतावनी देने में, सलाह देने में और भविष्यवाणी करने में शायद उनसे अग्रणी इस प्रदेश में कोई दूसरा नहीं है। (मेजों की थपथपाहट) उनको ये सब गुण मुबारक हों। वे किसके लिये क्या भविष्यवाणी करना चाहते हैं, यह मैं उनके विवेक पर छोड़ता हूँ। लेकिन उनके इर्द-गिर्द बैठे हुए लोगों के बारे में कहना चाहता हूँ कि नेता जी उसके प्रति चिंतित अवश्य रहें। ऐसा मैं उनसे आग्रह करता हूँ। यहाँ सवाल किसी व्यक्ति का नहीं है। सवाल है कुछ सिद्धांतों का और उन सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करने का। जितने भी आपने यहाँ पर आक्षेप बहुत तीखे तेवर से लगाये हैं, उन सभी को मैं स्वीकार करता यदि आपकी जगह पर बैठे हुए व्यक्ति पर दल के लोगों ने उस प्रकार का आचरण किया होता। (शेम-शेम) मैं इसे राजनीतिक विवाद में लाना नहीं चाहता। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता मुझे विवश कर रहे हैं और मैं आपके स्वरूप को, आपकी पार्टी के स्वरूप को सही रूप में सदन के सामने और प्रदेश की जनता के सामने रखूँ कि किस प्रकार से इन लोगों ने पिछले समय में काम किया है। 1977 में 13 या 14 जून को जनता पार्टी प्रदेश में चुनकर सत्तारूढ़ हुई और दस दिन के अन्दर ये भी नहीं कि कोई आपातकाल आ गया हो या बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई हो, कोई ऐसा प्रकरण सामने आ गया हो, दस दिन सत्तारूढ़ होने के पश्चात् कैलाश जोशी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, पटवा जी उनके सहयोग से उस समय नहीं पहुँच पाए, उसके लिये हम दोषी नहीं हैं शायद उनकी भविष्यवाणी गलत निकल गई होगी, इतना ही नहीं एक एकांगी आदेश से इस प्रदेश के एक नहीं दैनिक हितवाद भोपाल, दैनिक नदीम भोपाल, दैनिक इन्दौर समाचार, इन्दौर, दैनिक प्रजादूत उज्जैन, दैनिक विक्रम दर्शन उज्जैन, दैनिक मध्य भारत प्रभाष ग्वालियर, दैनिक जन उत्थान ग्वालियर, दैनिक बान्धवीय समाचार गोवा, दैनिक जनबोध शहडोल, दैनिक महाकौशल रायपुर, साप्ताहिक चेतना भोपाल, साप्ताहिक पंचायत राज्य भोपाल, साप्ताहिक मालव टाइम्स उज्जैन, साप्ताहिक जनप्रवाह ग्वालियर, साप्ताहिक अग्रदूत रायपुर, के विज्ञापनों की दरें कम कर दी गईं। इसका कोई औचित्य नहीं उसके बारे में किसी प्रकार की कोई घटना नहीं। केवल इसलिए कि यही समाचार-पत्र भारतीय जनता पार्टी जो आज है उस समय जनता पार्टी के अंग थे, आर.एस.एस. और जनसंघ के खिलाफ सतत् प्रयास करते रहे, लिखते रहे इस वजह से दस दिन के अन्दर उनको आदेश देकर उनके विज्ञापन की दरें कम कर दीं।

से चले। सभापति महोदय, मैंने इस विधेयक के उद्देश्य एवं कारणों को देखा है इससे ऐसा लगता है कि इस विधेयक के द्वारा यह भारत भवन ठीक तरीके से नहीं चला सकते हैं। सभापति महोदय, मैं कुछ तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सभापति महोदय, खण्ड चार में कहा गया है कि इसकी न्यासी समिति के सदस्य रूपंकर कलाओं, प्रदर्शनकारी कलाओं तथा साहित्य के क्षेत्रों से लिया गया राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ऐसा व्यक्ति होगा जो विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं के समकालीन परिदृश्य में गहन रुचि रखता हो। अब राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति का इसमें कहीं उल्लेख नहीं है और इनका सिलेक्शन निष्पक्ष होगा इसका भी कहीं उल्लेख नहीं है। यदि हमने किसी एक स्पेसिफिक घराने के व्यक्ति को इसका सदस्य बना दिया तो वह अपनी बात वहाँ पर करवाना चाहेगा और बाकी लोगों की उपेक्षा होगी तो इस विधेयक में स्पेसिफिक मेंशन होना चाहिये। सभापति महोदय, यह जो भारत भवन के नाम से किया गया है और सारे देश की कलाओं को इसमें स्थान देना है लेकिन सभापति महोदय, इसमें प्रादेशिक कलाओं का कहीं जिक्र नहीं है। मेरा मत है कि प्रादेशिक व्यक्ति को भी जो इसमें रुचि रखता हो उसको भी इसमें सम्मिलित किया जावे। जो लोकल टेलेन्ट हैं उनको हम मंच तक कैसे पहुँचा सकते हैं इसका कहीं भी इस विधेयक में उल्लेख नहीं है। प्रादेशिक कलाओं को कैसे प्रोत्साहन देना है इसका भी कहीं उल्लेख नहीं है। सभापति महोदय, इसमें कहा गया है कि समकालीन परिदृश्य में गहन रुचि रखने वाला व्यक्ति। तो अब समकालीन परिदृश्य में गहन रुचि रखने वाला व्यक्ति कौन होगा इसका कहीं उल्लेख नहीं है और जो पुराने स्कूलों वाले हों उनके लिए भी इसमें ध्यान दिया जावे। ट्रॉयबल कलाओं को भी इसमें स्थान नहीं दिया गया है। इसके साथ-साथ कहा गया है कि इनके राजनीतिक हस्तक्षेप को बचाने के लिए यह अध्यादेश लाया गया था और अब यह विधेयक लाया गया है। कला और संस्कृति को राजनीतिक चालों से भी हमें बचाना पड़ेगा। इसलिए यदि कोई ऐसे घराने का स्पेसिफिक व्यक्ति इसका सदस्य हो गया तो वह अपनी मनमानी ही चलायेगा और दूसरों की बात नहीं सुनेगा। इस ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सभापति महोदय, अंतिम बात यह है कि भारत भवन का एक दृष्टिकोण यह भी होना चाहिये कि अपने देश की जो कलाएँ आज हैं वे ग्रामों में भी घर-घर तक पहुँचें इसका इस विधेयक में कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसमें केवल बड़ी-बड़ी बातों का ही जिक्र किया गया है। तो अपने देश की कला ग्रामों में घर-घर तक पहुँचे यही बात मैं कहना चाहता हूँ।

श्री विजयमोहन तिवारी (मंझोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की और खासकर मध्यप्रदेश की तमाम हस्तियों को, रचनात्मक प्रवृत्तियों को और हिन्दुस्तान के प्रजातांत्रिक चरित्र को आन्दोलन करने वाले और उसको आन्दोलित करने वालों को संवारता हुआ शिलालेख यह एक भारत भवन है जिसके बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसके बारे में जब मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूँ तो अपने को बहुत नाचीज महसूस करता हूँ। क्षमा करेंगे, कला की कोई जुबान नहीं होती। जिस वक्त कला एक जुबान हो जायेगी और लोग इसे जुबान देना शुरू कर देंगे तो उस जुबान पर झगड़े होंगे। उस वक्त अपने-अपने दृष्टिकोण से इतिहास लिखा जायेगा, उस वक्त यदि गुनाह भी कर देंगे, जीभ भी काट लेंगे कलाकार की तो वह जिन्दा रहेगा। कलाकार की जिन्दगी में जुबान नहीं होती। उसकी जिन्दगी कर्मों में होती है। कर्म में जो आनन्द है, उसके जो संस्कार हैं, उससे होती है उसकी जो रचना और धर्मिता है, उससे कला जन्म लेती है और कलाकार जन्म लेता है। इस वास्ते मैं पूरी विनम्रता के साथ यह दोहराना चाहता हूँ कि जब भारत भवन, उससे संबंधित किसी भी सवाल पर अलाप करता हूँ तो मुक्तिबोध के शब्दों में यह महसूस करता हूँ कि कला पर उठाई हुई हमारी कोई भी उंगली उस चींटी की तरह है जो हमारे पुरातन शिलालेख हैं, बिगड़े हुए अक्षरों में अपने आपको गुमा हुआ पाता हूँ। शिलालेखों पर अशोक के जमाने से जो लिखा हुआ है वही शिलालेख है भारत भवन। मैं यों अर्ज करूँ—

"सूरज पर लगे धब्बा, फितरत के करिश्मे हैं,
बुत हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है।"

अध्यक्ष महोदय, भारत भवन की तीन चीजों से मैं प्रशंसा करता हूँ। आंकड़े वालों को तो आंकड़े चाहिए।

उनको कला से कला की आत्मा से, उसकी परिभाषा से कोई सरोकार नहीं। यह भारत भवन किसी न्यास के साथ, रहे, हम कोई इमारत नहीं चाहते, हम कोई जमीन नहीं चाहते। हम माँ को मानते हैं माँ से हम जमीन नहीं चाहते। हम अपने उन संस्कारों को सौंप रहे हैं, जिन संस्कारों ने हमको यह सिखाया है कि कला के क्षेत्र में जो भी हो वह सिर्फ पिता है, मुख्यमंत्री बाद में है। भारत के कलाकार का भीष्मपितामह है। जब वह दान कर रहा है तो यह जानकर दान कर रहा है कि उन संस्कारों को दान कर रहा है जिनमें आने वाली पीढ़ियों को पलना है, जन्म लेना है, बढ़ना है और विकसित होना है। इन्हीं संस्कारों की वजह से यह दिखा दिया है कि आज हम भोपाल में हैं आज हम भारत भवन का जो गुल खिला रहे हैं, पुष्प खिला रहे हैं वह न केवल दिल्ली में हो बल्कि हमारे देश की हर राजधानी में प्रतिबिम्बित हो। यह हमारे यहाँ बहुत नायाब चीज हुई है। हमारे यहाँ हिन्दुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि जब किसी प्रशासनिक विभाग ने अपने हाथों से अपनी बनाई हुई चीज को जनता के बीच में एक गुलाब के फूल की तरह सौंप दिया है मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जहाँ तक अशोक बाजपेयी का सवाल है वह आदमी जिम्मेदार है और मुक्तिबोध के शब्दों में कहा जाये तो मध्यप्रदेश को गुलाब का फूल देने वाले अशोक बाजपेयी हैं। मैं एक शेर में कहना चाहता हूँ। अशोक बाजपेयी मध्यप्रदेश से कह रहा है— "तुम मेरे हाथ के फूल को पत्थर न बना देना, वह जिनको मैं देकर आया था गुलाब के फूल उन्हीं के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है।" मध्यप्रदेश गर्व करता है इस बात पर और हम सब एक होकर, हमारे तमाम मेम्बरान विधानसभा के इस बात को महसूस करें कि जो भारत भवन की नींव है वह संस्कारों की नींव है, प्रजातंत्र की नींव है और एक ऐसे आलीशान आने वाले सूरज की नींव है जिसकी पहली किरण अर्जुनसिंह के हाथ में है। मैं अपनी बात खत्म यूँ करूँगा—

"सरकती जाये है रुख से नकाब आहिस्ता-आहिस्ता
निकलता आ रहा है आफताब आहिस्ता-आहिस्ता।"

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ।

श्री रमाशंकर सिंह (रोन) : सभापति महोदय, यह मध्यप्रदेश के लिए एक दुःख का विषय ही होना चाहिए या हम लोगों के लिए दुःख का विषय होना चाहिए कि कुछ ऐसे सवाल जिनमें राजनीति बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, उन सवालों पर भी थोड़ा बहुत राजनीतिक दृष्टिकोण सामने आता है किसी खास व्यक्ति को लेकर राग-द्वेष के झगड़े हो सकते हैं उनको विषयों में लाकर स्वयं को भ्रमित कर लेते हैं और असल विषय पर गम्भीर विचार-विमर्श नहीं हो पाता है। विधेयक का उद्देश्य अच्छा है और इसके पीछे सही नीयत भी होगी, शंका करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में किसी भी शासन के द्वारा जो प्रदेश की, देश की, समाज की संस्कृति का विस्तार करना चाहता है या समाज की जो सृजनात्मक शक्ति है उसको और बढ़ाना चाहता है, उसका प्रथम उद्देश्य होना चाहिये कि वह कला और संस्कृति के उन क्षेत्रों में जहाँ सृजनात्मक शक्ति सम्भव हो सके, जहाँ उनकी क्षमता हो, राजकीय संरक्षण अवश्य दे, लेकिन दखल उसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह बहस की बात हो सकती है कि राजकीय दखल कितना हो लेकिन एक आदर्श शासन की नीति वही मानी जायेगी जिसमें कला और संस्कृति के मामले में उनसे संबंधित जितने क्षेत्र हैं, प्रतिष्ठान हैं उसमें दखल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं सोचता हूँ भारत भवन न्यास विधेयक इसी उद्देश्य से लाया गया है और उसके उद्देश्य की पूर्ति तभी संभव हो सकेगी जब उसमें अफसराशाही की दखलंदाजी और ब्यूरोक्रेसी के कारण जो स्वाभाविक देरी होती है वह इस विराट कार्य को प्रभावित नहीं कर पायेगी। सभापति महोदय, इस लिहाज से विधेयक का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। यह विधेयक स्वागत योग्य है लेकिन सभापति महोदय, मध्यप्रदेश सरकार ने अभी अपनी सांस्कृतिक नीति की घोषणा कुछ महीने पूर्व की है। बहुत स्पष्ट रूप से तो नहीं या विस्तृत रूप से तो नहीं लेकिन मोटे तौर पर सिद्धान्त के स्तर पर नीति के रूप में घोषणा की है। उसको अगर हम लोग देखें तो एक निंदा के रूप में नहीं अगर एक आत्मालोचना करें या समालोचना करें तो आपकी सांस्कृतिक नीति इस प्रदेश के बहुत छोटे नागरिकों के लिए है। होना यह चाहिए कि हमारे समाज के, प्रदेश के जितने भी बड़े नागरिक वर्ग उससे जुड़ सकते हों उसको जोड़ने का प्रयास करना चाहिये। इस प्रदेश के

जितने बड़े साहित्यकार और कवि हैं, दूसरी विधाओं के लोग हैं, उनका अधिकतम उसमें जुड़ाव होना चाहिये और उनका सहयोग लिया जाना चाहिये लेकिन दुखद स्थिति यह है कि अभी मध्यप्रदेश में एक ऐसा वर्ग है साहित्यकार, लेखक या अन्य विधाओं का, जिनके ये विशेषज्ञ हैं, वे किसी न किसी कारण—उसके क्या कारण हैं, मुझे नहीं मालूम हैं और अगर मालूम भी हों तो यहाँ कहने की क्या जरूरत है— एक वर्ग है जो उसमें अपने आपको सम्मिलित नहीं कर पाता है। सांस्कृतिक विधाओं, कलाओं के रसास्वादन के लिए जितने विकास की संभावनायें हैं या जितने प्रमुख समारोह हैं, उनको भोपाल के दायरे से बाहर निकालना आवश्यक है। इस बाबत कुछ काम हुए हैं, कुछ स्थानों में काम हुए हैं, उससे लोगों में रुचि भी विकसित हुई है लेकिन उसको आगे चलाने में ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा राजधानी में सिमट रहा है। प्रयास यह होना चाहिये कि शासन की सांस्कृतिक नीति ऐसी हो जिसमें व्यक्तिगत लोग जिनमें प्रतिभायें हैं, चाहे वे प्रतिभाएँ उनमें कहीं से भी आई हों वंशगत कारणों से आई हों या परिवेश से आई हों या किसी भी पृष्ठभूमि से आई हों— वे रुचि ले सकें। प्रदेश में, समाज में, देश में संस्कृति के प्रति रुचि रखने के लिए एक सामूहिक प्रतिभा का विकास होना चाहिए लेकिन एकाध लोग संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, नाच-गाने के क्षेत्र में मात्र एक प्रतीक रह जाते हैं। कई हजार साल पहले संस्कृति के क्षेत्र में भारत बहुत आगे था, उस स्थिति में अगर लौटना है तो समाज की सामूहिक प्रतिभा का विकास होना चाहिये वह विकास कैसे हो इसके लिए गंभीर विचार-विमर्श आवश्यक है।

एक बात विधेयक के बारे में कहना चाहता हूँ। विधेयक की धारा 4 की उपधारा (4) में स्पष्ट किया गया है कि न्यासी समिति के सदस्य कैसे लोग हों। धारा 4 की उपधारा (2) में स्पष्ट किया गया है कि 10 में से 9 सदस्य राज्य सरकार द्वारा नॉमिनेट होंगे और एक केन्द्र सरकार द्वारा नॉमिनेट होगा। राज्य सरकार द्वारा जो नॉमिनेट किये जायेंगे— रूपंकर कलाओं, प्रदर्शनकारी कलाओं तथा साहित्य के क्षेत्रों से लिया गया राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ऐसा व्यक्ति होगा जो विभिन्नि सांस्कृतिक विधाओं के समकालीन परिदृश्य में गहन रुचि रखता हो। लेकिन, सभापति महोदय, शासन की इस बात की मंशा होनी चाहिये कि यह 9 सदस्य जो हैं इसमें कम से कम 6 या 7 सदस्य ऐसे होंगे, जिनके बारे में स्पष्ट रूप से जो राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति होंगे जिनको देश की समकालीन संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में रुचि हो। इसमें भी भारत भवन न्यास में कुछ ऐसे लोग पार्टी के या किसी को खुश करना चाहते हैं, रखने का प्रयास हुआ तो आपका उद्देश्य खत्म हो जाएगा। जो बड़ा काम करने के बारे में सोचा जा रहा है उसके लिए आपका हृदय विशाल हो तथा जिन व्यक्तियों के बारे में किसी के मन में किसी प्रकार की शंका नहीं है, कुछ ऐसे व्यक्तियों को रखें जिससे प्रदेश में व देश में व विश्व में हमारा नाम ऊँचा हो सकता है। उनके लिए छोटी-मोटी बातों को भुला कर सोचना होगा ताकि भविष्य की पीढ़ियों और समय को सार्थक चीजें देकर जाएँ।

श्री परशुराम सिंह भदौरिया: सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि सुबह निवेदन किया था तो आपने आश्वासन दिया था कि मैं आपको बोलने दूँगा और आपके लिए निवेदन कर रहा हूँ यह विधेयक में फिर से चर्चा हो रही है। मैं आशा करता हूँ कि मेरा नाम बुलाएँगे बोलने के लिए।

सभापति : माननीय सदस्य जब सदन शुरू हुआ आप अनुपस्थित थे। इस विधेयक के बाद इस संबंध में विचार कर लेते हैं।

श्री कपूरचंद धुवारा : माननीय सभापति महोदय, ये दो घंटे पीकर सो गए थे, इसलिए नहीं आ पाए।

श्री बाबूलाल गौर (गोविन्दपुरा) : माननीय सभापति जी, भारत भवन न्यास विधेयक का हार्दिक स्वागत और समर्थन करता हूँ। हमारे देश की संस्कृति तथा कला जो पिछले सैकड़ों साल से विदेशी तत्वों द्वारा इस देश में समाप्त करने का, कुचलने का सैकड़ों साल तक मुगलों ने तथा दो सौ साल तक अंग्रेजों के राज्य में इस प्रकार की संस्कृति नष्ट हो गई, शायद दूसरा देश होता तो उस देश की संस्कृति नष्ट हो जाती। उन्होंने हजारों मंदिरों की मूर्तियाँ तोड़ीं तथा संस्कृति व कला नष्ट की गई। देश की संस्कृति साधन को संरक्षण देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। राजा-महाराजाओं और जागीरदारों का शासन समाप्त हो गया। इस देश की कला और संस्कृति का संरक्षण करने का दायित्व शासन पर आ गया है। इस देश की संस्कृति जीवित नहीं रहेगी तो भारत भारत नहीं रहेगा। भारत

अमेरिका नहीं बनना चाहता है, भारत इंगलैण्ड नहीं बनना चाहता है, भारत रूस नहीं बनना चाहता है। यह इस देश की संस्कृति तथा कला का प्रश्न है। इस देश की संस्कृति व कला को ऊँचा उठाने में लाखों या करोड़ों रुपया खर्च करना हो तो भी दिल खोलकर करना चाहिए। इस भारत भवन का हार्दिक रूप से स्वागत करते हुए इस क्षेत्र में हमारे देश में मध्यप्रदेश का नाम सबसे आगे हो। संस्कृति व कला के क्षेत्र में मध्यप्रदेश का नाम भारत में ही नहीं वरन् सारे विश्व में गूँजे। इस प्रकार की हमारी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हमारे देश का नाम आगे बढ़े और इस देश की संस्कृति और भारत की संस्कृति सारे संसार में आगे बढ़े।

श्री परशुराम सिंह भदौरिया : माननीय गौर साहब, निवेदन करना चाहूँगा जहाँ उन्होंने कहा कि प्रतिमा तोड़ दी गई, मंदिरों में कुछ नहीं हुआ तो मंदिरों में मास फेंकने का प्रस्ताव छोड़ दें।

सभापति : भदौरिया जी बैठें।

श्री रमाशंकर सिंह : सभापति महोदय, लक्ष्मण मंदिर देखिए जाकर।

श्री कपूरचंद धुवारा : सभापति महोदय, इनका पेंच कसना पड़ेगा।

श्री बाबूलाल गौर : सभापति महोदय, इसकी अनुसूची में धारा 2 के अंदर जो सीमाबद्ध है और जिसमें रूपंकर, कला संग्रहालय, मध्यप्रदेश रंगमंडल वागर्थ, भारतीय काव्य पुस्तकालय, अनहद, संगीत पुस्तकालय रखा है। इसमें मेरा अनुरोध है कि मध्यप्रदेश के कलाकारों को प्रथम स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि मध्यप्रदेश क्षेत्रफल में इस भारत के अन्दर सबसे बड़ा स्थान रखता है और यहाँ प्राचीन कला और आदिवासी कलाओं की इतनी अधिक संख्या है कि उनको प्रथम स्थान पर रखा जाना चाहिये। जहाँ हमने ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को स्थान दिया है वहाँ हम मध्यप्रदेश के प्रादेशिक स्तर के ख्याति प्राप्त कलाकार संगीतकारों और अनुभवी घरानों को विशेष स्थान इसलिए दिया जाना चाहिये क्योंकि मध्यप्रदेश के द्वारा इस कार्य को दिया जा रहा है, जिसमें मध्यप्रदेश के लोगों का सहयोग और उनका पूर्ण रूप से समर्थन है। इसलिये इसमें जो छोटी-छोटी धाराएँ विभिन्न प्रकार की रखी हैं उस पर न जाकर मैं विस्तृत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूँगा कि राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों के साथ मध्यप्रदेश के जो ख्याति प्राप्त कलाकार हैं उनको भी प्रमुख रूप से इसमें स्थान दिया जाना चाहिये क्योंकि इस कार्य में पैसा इस प्रदेश के खजाने से खर्च होगा। इसी भावना के साथ में इसका हार्दिक स्वागत और समर्थन करता हूँ।

श्री प्रेमनारायण मिश्र (बण्डा) : माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय गौर साहब ने संस्कृति और कला के संबंध में निष्कपट, निसंदेह और किसी दुष्प्रेरणा से उद्भूत न होकर आज जो संस्कृति के ऊपर उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है, वह अवश्य ही स्वागत योग्य है। इसलिए स्वागत योग्य है, सभापति महोदय, जहाँ हमारे देश की नेता और इस देश की प्रधानमंत्री इस भोपाल के लिये ये शब्द कहे कि कला की राजधानी भोपाल है। कहीं ये भारत भवन जबलपुर में होता या रायपुर में होता या कहीं सागर में होता, किंतु हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे इस प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में जहाँ हम उनको देखने के लिये नहीं पहुँच पाते हैं, भले ही हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, उस दूरदराज की संस्कृति से ओतप्रोत हम भारत भवन में पहुँच जाते हैं तो हम कल्पना करते हैं कि हम पूरे मध्यप्रदेश की संस्कृति के पास पहुँच गए। मैंने बस्तर में जाकर उस आदिवासी संस्कृति को देखा है और उन भोले-भाले आदिवासी लोगों की संस्कृति और पहनावे को देखकर मन में ऐसा लगा कि आज हमारा प्रदेश संस्कृति के मामले में काफी धनी है। जहाँ आज हम दूसरे देशों की नकल की ओर बढ़ते जा रहे हैं हमारे देश की नेता प्रधानमंत्री ये कहें कि स्विटजरलैंड के प्रधानमंत्री पति पत्नी जब आये थे वे अपने देश की वेशभूषा में आए तो हमारे देश की नेता ने उनकी प्रशंसा की। हम भारत देश के हैं हमारी संस्कृति क्या है और हमारी कला क्या है यदि हम इसे किसी विशेष विचारधारा से जोड़ते हैं तो यह अच्छा नहीं होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी को आज मैं इसलिये उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं भारत भवन देखने गया और वहाँ मैंने बुन्देलखण्ड की संस्कृति से उसे ओतप्रोत देखा। इस प्रकार से संस्कृति विभाग ने सांस्कृतिक कार्यक्रम इस प्रदेश के जनमानस के लिये पेश किये हैं वे अवश्य ही प्रशंसनीय हैं। भाई रमाशंकर सिंह जी ने कहा कि इस न्यास में सदस्यों का समावेश जिस प्रकार से किया है इसमें यह होता है। वह होता है। कहने को तो वे कुछ भी कह सकते हैं

क्योंकि उनकी विचारधारा दूसरी है लेकिन खुले मन-मस्तिष्क से उनको स्वागत करना चाहिये। जिन्होंने भारत की संस्कृति और कला में ख्याति अर्जित की है ऐसे लोगों की जो प्रशंसा की है, मैं भी कहता हूँ कि यदि इस तरह की भावना बनी रहे तो स्वागत योग्य है। हमें इस देश और प्रदेश की संस्कृति को अवश्य बढ़ावा देना चाहिये। मैं इंदिरा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जिन प्रेरणाओं के तहत यह कदम उठाया यह स्वागत योग्य है और इसे दुगनी गति से ज्यादा राशि और सहयोग देकर शासन को बढ़ाना चाहिये।

श्री कपूरचन्द धुवारा (मलेहरा) : माननीय सभापति जी, भारत भवन न्यास विधेयक का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। सभापति जी, भारत भवन भोपाल में रहे इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इस संस्कृति के बारे में संभाग स्तर पर और यदि संभव हो तो जिला स्तर पर भी इस तरह के भारत भवन बनाकर वहाँ की संस्कृति को उजागर किया जाना चाहिये और मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी गाँवों में जो प्रचलित नाटक हैं, ड्रामे हैं, गरीबी और दहेज की विभीषिका है, शहीदों आदि की कहानियाँ हैं उन्हें जन-जन तक प्रचारित करने के लिये कार्यक्रम बनाया जाये। इसी तरह से गाँव के कलाकारों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये मात्र भोपाल या अपने लोगों तक ही नहीं सिमटना चाहिये, इसी भावना के साथ मैं आशा करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम को जन-जन तक पहुँचाने के लिये कार्यवाही करेंगे ताकि गरीब जन भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा (बैरसिया) : सभापति जी, सदन के समक्ष जो भारत भवन न्यास विधेयक पेश हुआ है मैं उसका समर्थन करता हूँ, किन्तु अपने मन की जो पीड़ा है उसको भी मैं जरूर व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे देश की संस्कृति सुरक्षित रहे इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन क्या हम कुछ प्राथमिकताओं और जरूरतों को नजरअंदाज करके ऐसे आलीशान भवन बनाएँगे और उसमें अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखेंगे इसके प्रति हमें विचार करना पड़ेगा। क्या हम मध्यप्रदेश में प्राइमरी स्कूलों, मिडिल स्कूलों को, हायर सेकेण्डरी स्कूलों को बन्द करके भारत भवन बनाएँगे? अगर हम ये सब प्राथमिक कार्य न कर डेढ़-दो करोड़ इसके लिये खर्च करेंगे तो शायद मन को तकलीफ हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अभी दो दिन पहले ही एक प्रश्न के उत्तर में हमें जानकारी दी गई कि वर्ष 82-83 में एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं खोला जा रहा है।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : सभापति जी, मैं समझता हूँ कि उन्हें जानकारी पूरी नहीं मिली है, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि खोले जा रहे हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : शिक्षामंत्री ने यही जानकारी दी थी उसके बाद वित्तमंत्री जी ने यह जानकारी दी थी सभापति महोदय, केवल स्कूल वाली बात नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने घोषणा की है कि हम माइनर इरिगेशन को प्राथमिकता देंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि जो बजट प्रावधान माइनर इरिगेशन के लिये हैं, वे वही नहीं दे पा रहे हैं। खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ये दो बुनियादी बातें हैं इन पर ध्यान देंगे। इसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, लेकिन हम प्राथमिकताओं को भूलकर करेंगे, तो गलती करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूँ कि राजनैतिक दृष्टिकोण से परे सबने इस विधेयक का समर्थन किया और सब की अपनी जो अपेक्षाएँ हैं, उनको यहाँ पर व्यक्त करके सही माने में इस न्यास के भावी कार्यक्रम को परिभाषित करने की कृपा की है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस न्यास के गठन के वही उद्देश्य हैं, जिनका यहाँ पर प्रत्येक माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। यथार्थ यह है और कहते हुए मुझे गर्व है कि इस न्यास की स्थापना का विचार कल्पना और करीब-करीब स्वरूप भी और किसी व्यक्ति का नहीं, हमारी देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की है और उनके ही विचारों को उनकी ही प्रेरणा से इस प्रदेश के पिछले एक दशक से विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास किया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यकलापों का एक स्थाई स्वरूप निर्मित करने के लिए और एक ऐसा मंच बनाने के लिए जो न केवल प्रदेश का बल्कि समूचे राष्ट्र के सांस्कृतिक कार्यकलापों का स्थाई मंच बन सके, इस उद्देश्य से इस न्यास की स्थापना की

जा रही है, इसलिए मुझे पूरा-पूरा भरोसा है, जिन माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं और जिन्होंने नहीं भी किए और उनकी सद्भावना और सहयोग से देश की आदरणीया प्रधानमंत्री की कल्पना को साकार करते हुए अपने देश के उत्कृष्ट स्वरूप का एक न्यास बनाकर उन गतिविधियों को आगे बढ़ा सकेंगे। कला के क्षेत्र में अलग-अलग विचारधाराएँ होना न केवल स्वाभाविक है, बल्कि मैं समझता हूँ कि स्वागत योग्य है। साथ ही साथ आधुनिक परिवेश में यह भी अवश्यम्भावी होगा कि इन विचारों का टकराव भी ऐसा स्वरूप ग्रहण करें, जिन पर लोगों को सोचने समझने और निर्णय लेने की आवश्यकता हो। इन सब के बावजूद हम साहित्य और कला को सही परिवेश में तभी देख सकते हैं, जब इन परस्पर विरोधी विचारधाराओं को सोचने के लिए किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर प्रयास न करें और अगर सामान्य जनों की ओर से प्रयास होता रहेगा तो कोई शक नहीं है कि हमारी संस्कृति जो हमारी अपूर्व धरोहर है, उसको और उत्कृष्ट बनाने में सफल होंगे। यहाँ पर प्रदेश के कलाकारों के प्रतिनिधित्व की बात कही गई, मैं समझता हूँ कि इस सब का पर्याप्त ध्यान सदैव रखा गया है। अभी तक जो विभिन्न समितियाँ हैं, जिनमें कि कलाकारों का समावेश किया गया है लगभग 210 व्यक्ति ऐसी समितियों के सदस्य हैं जिनमें से 148 लोग मध्यप्रदेश के हैं। प्रायः इन सब समितियों में कलाकारों का, साहित्यकारों का बाहुल्य है। जितने भी नीति विषयक निर्णय हैं, कार्यक्रमों के स्वरूप के निर्णय हैं उन सब में अंतिम रूप से उनका मत न्यायिक रहेगा। किसी भी तरह से राजनैतिक हस्तक्षेप से बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। जो सलाहकार मण्डल है उसे शासन की ओर से आश्वासन दिया गया है कि जो भी निर्णय या जो भी निष्कर्ष पर इन समितियों द्वारा पहुँचा जायेगा शासन अपने को उस बात के लिए बाध्य मानेगा, उनके निर्णय को स्वीकार कर अपनी ओर से कोई रद्दोबदल करने वाला नहीं है। इस प्रदेश के सभी नागरिकगण, विधायकगण इस नीति को कार्यान्वित करने में सदैव सहयोग देंगे।

यहाँ पर यह बात कही गई कि आज के संदर्भ में हम कला को सीमित तो नहीं करते हैं, कहीं थोड़े से लोगों के लिये ये गतिविधियाँ तो नहीं होती हैं। आपको इस बात की जानकारी होगी कि मध्यप्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ प्रत्येक जिले में संगीत के कार्यक्रम प्रदेश की कला परिषद के तत्वावधान में आयोजित किये जा चुके हैं। आगे भी हमारा यही प्रयास है कि प्रदेश के कोने-कोने में जो अपार सम्पत्ति छिपी है कलाकृतियों के बारे में, साहित्य के बारे में, नृत्य के बारे में उन सबको संजोकर सुरक्षित रखें ताकि स्थानीय लोगों की उपलब्धि पर उनको गर्व हो सके और जिसकी जानकारी प्रदेश के सब लोगों को मिल सके, उससे सब प्रेरणा भी प्राप्त कर सकते हैं।

मैं एक अद्भुत बात की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जिस समय भारत की प्रधानमंत्री यहाँ भारत भवन का उद्घाटन करने के लिए पधारी थीं, अखबार में वह छपा है आप लोगों ने पढ़ा होगा उस समय प्रदेश के जितने कलाकारों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था उनमें एक ओर उत्कृष्ट गायक कुमार गंधर्व जैसी हस्ती थी वहीं एक हस्ती ऐसी भी है जो बिलासपुर के एक गाँव की रहने वाली साधारण महिला है उसका नाम है मिट्टी बाई है, जो मिट्टी पर कलाकृतियाँ बनाती है। मिट्टी बाई ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और प्रधानमंत्री को इस बात का धन्यवाद देती है कि अपने गाँव में मिट्टी से बनाने वाली कलाओं को भारत के प्रधानमंत्री के सामने प्रदर्शित करने का उसे गौरव प्राप्त हुआ। इस समूचे भारत भवन की परिकल्पना का एक व्यापक स्वरूप है, जहाँ मिट्टी बाई जैसी कला कृतियाँ बनाने वाली, रविशंकर जैसे गायक, कुमार गंधर्व जैसे संगीतकार वहाँ रहेंगे। प्रदेश की आदिवासी लोक कलाएँ, लोक संगीत का दिग्दर्शन भी होगा। मुझे इस बात को कहते हुए हर्ष के साथ आप सबके साथ संतोष अनुभव हो रहा है कि इस प्रदेश के कोने-कोने से हर प्रकार के लोगों ने कलाकारों को समर्थन दिया है, संबल दिया है या सहायता दी है। शायद इन सबके सहयोग के बिना हम उस कल्पना को साकार नहीं बना सकते हैं। यह कल्पना कर इसे मूर्तरूप दिया है और अब न्यास का गठन किया जायेगा। न्यास के गठन में कलाकारों को प्राथमिकता दी जावेगी, उनको मुख्य रूप से जिम्मेदारी दी जायेगी और उस उद्देश्य की पूर्ति की जायेगी यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ और आपके सबके सहयोग से इसके नाम के अनुरूप सही रूप से भारत भवन के रूप में विस्तृत करने के लिये हम सब सहयोग देंगे और मैं आशा करता हूँ और चाहूँगा इस विधेयक को आप पारित करने की कृपा करें।

सभापति : प्रश्न यह है कि भारत भवन न्यास विधेयक, 1982 पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति : अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 12 तथा अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 12 तथा अनुसूची विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत भवन न्यास विधेयक, 1982 पारित किया जाये।

सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि भारत भवन न्यास विधेयक, 1982 पारित किया जाये।

सभापति : प्रश्न यह है कि भारत भवन न्यास विधेयक, 1982 पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/1 अक्टूबर 1982, पृष्ठ/ 107-112)

प्रतिपक्ष के नेता श्री सुन्दरलाल पटवा ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री अर्जुनसिंह मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। श्री पटवा के अलावा श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा और अन्य सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। हम यहाँ श्री सुन्दरलाल पटवा का भाषण, चर्चा के अंश और श्री अर्जुनसिंह का प्रतिउत्तर प्रकाशित कर रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ—

अध्यक्ष : मेरे पास विधानसभा नियमावली के नियम 143 के अंतर्गत मंत्रिमंडल में अविश्वास प्रकट करने के प्रस्ताव की सूचना सर्वश्री रमाशंकर सिंह, कपूरचंद धुवारा, शंभु नायक सदस्यगण विधानसभा की ओर से आई है जो इस प्रकार है— ''यह सदन मौजूदा मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है'' जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के .....

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव की सूचना श्रीमान् के सामने आई है, हम उसी में सम्मिलित अपने आपको मानते हैं। एक ही प्रस्ताव समूचे विपक्ष की ओर से आदरणीय पटवा जी ने रखा है।

अध्यक्ष : आप क्या इसे वापस लेते हैं?

श्री रमाशंकर सिंह : जी हाँ।

अध्यक्ष : बस ठीक है।

श्री कपूरचंद धुवारा : अध्यक्ष महोदय, यह इसलिये दे दिया था कि शायद कहीं पटवा जी की ओर से अविश्वास का प्रस्ताव न आ पाये इसलिये यह प्रस्तुत किया था। हम इसे वापस लेते हैं।

अध्यक्ष : आपकी शंका दोनों तरफ से है।

डॉ. राजेन्द्र जैन (राज्य विधिमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, श्री रमाशंकर सिंह जी ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी। अब उन्होंने कहा है कि प्रतिपक्ष के नेता ने जो अविश्वास की सूचना दी है उसमें सम्मिलित होने को कहा है। क्या उन्होंने सम्मिलित कर लिया है?

अध्यक्ष : श्री रमाशंकर सिंह का प्रस्ताव वापस हो गया है।

(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, आपको तसल्ली चाहिये तो मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें वे सम्मिलित हैं।

डॉ. राजेन्द्र जैन : आपके प्रस्ताव में वे सम्मिलित नहीं हैं, उनके प्रस्ताव में आप सम्मिलित हैं।

श्री कृष्णपाल सिंह (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव वापस ले लिया गया है, वह प्रस्ताव किसी में सम्मिलित कैसे हो सकता है।

श्री सत्यनारायण सत्तन : अध्यक्ष महोदय, क्या आपकी तरफ से जवाब देने की ठेकेदारी माननीय मंत्री महोदय ने ले ली है।

अध्यक्ष : मेरे पास विधानसभा नियमावली के नियम 143 के अन्तर्गत मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रकट कर के प्रस्ताव की एक और सूचना सुन्दरलाल पटवा, नेता प्रतिपक्ष की ओर से आई है जो इस प्रकार है—

"यह सदन मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह के मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास करता है।" जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दिये जाने के पक्ष में हों, वे कृपया खड़े हो जायें।

(विराम के बाद)

क्योंकि 32 से अधिक माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में खड़े हुए हैं, इसलिये इस प्रस्ताव को अनुमति दी गई।

(अनुमति प्रदान की गई) (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष : इस प्रस्ताव पर चर्चा दोपहर ढाई बजे से प्रारंभ होगी जो सायंकाल 6 बजे तक, पश्चात् एक घंटा चर्चा कल होगी।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, 9 बजे तक आज सबको आना है, चर्चा 9 बजे तक आज ही रख लीजिये।

अध्यक्ष : यदि सदन चाहेगा तो समय बढ़ा दिया जायेगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से ही समय बढ़ सकेगा, आपको ही इसके लिये समय निश्चित करना है इसलिये मेरा निवेदन था।

अध्यक्ष : 6 बजे तक का समय रखा है, माननीय सदस्य और अधिक बोलना चाहेंगे तो समय बढ़ जायेगा।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, चर्चा के लिये साढ़े चार घंटे का समय है, आरोप काफी है। चार्ज शीट आपको दी है कम से कम इस पर 10 घंटे का समय हो तभी तो ठीक से आरोप रखे जा सकेंगे।

अध्यक्ष : बहुत-सी बातें तो आप इशारे में ही कर लेते हैं, आधा समय उसमें ही निपटा दीजियेगा।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/5 अक्टूबर 1982, पृष्ठ/-96-97)

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैं मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 143 के अधीन मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत करता हूँ प्रस्ताव इस प्रकार है—

"यह सदन मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह के मंत्रिमण्डल के प्रति अविश्वास प्रकट करता है।"

यह आरोप पत्र श्रीमान पूरा बोलकर प्रस्तुत करूँ या पढ़ा हुआ मानकर आगे बढ़ूँ।

अध्यक्ष : पढ़ा हुआ मानकर आगे बढ़िए जिन-जिन आरोपों पर आप बोलना चाहें उन पर आप शुरू कर दीजिये इसको कार्यवाही का भाग माना जायेगा।

श्री वासुदेव चन्द्राकर : अध्यक्ष महोदय, इसकी कापी नहीं मिली है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जायेगा तो आपको दे देंगे।

श्री विक्रम वर्मा : मुख्यमंत्री के कक्ष में मिलेगा या 1— सफ़दरगंज में मिलेगा।

डॉ. राजेन्द्र जैन : पाइंट ऑफ आर्डर अध्यक्ष महोदय, जैसा पटवा जी ने कहा कि जो चार्जेज हैं वह इसका भाग माना जाये। मेरा निवेदन है कि अविश्वास प्रस्ताव में कोई भी चार्ज हिस्सा नहीं बन सकते। इसलिए वह अपने भाषण में जो चाहें कहें लेकिन.....

अध्यक्ष : उसके साथ चार्ज शीट दे दी है जो मेरे ऑफिस में आ चुकी है अब उन पर भी बोलना है, उसके बाहर नहीं जायेंगे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं श्रीमान् आपके माध्यम से सभा भवन के सभी माननीय सदस्यों का ध्यान इस

सदन की कार्यवाही दिनाँक 4 अप्रैल 1977 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। उससे मैं अपनी बात प्रारम्भ करना चाहता हूँ। 4 अप्रेल 1977 को लोक सभा के चुनाव हो चुके थे। केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी, मध्यप्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उस समय विधानसभा का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के उस अधिवेशन में एक अत्यन्त जिम्मेदार और उस अनुभवी माननीय सदस्य ने जो भाषण दिया उनके शब्दों की ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस चल रही थी और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए माननीय सदस्य ने कहा कि "अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि माननीय राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण में भारतीय प्रजातंत्र के इतिहास में जो घटना घटी उन्होंने कहीं उल्लेख नहीं किया सिवाय इसके कि लोकसभा के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो गये। इस देश एवं प्रदेश की जनता ने प्रजातंत्र में अपने अधिकारों का प्रयोग करके कुछ मौलिक निर्णय लिये हैं, वर्तमान में कुछ कार्यों के सम्बन्ध में अपना स्पष्ट मत व्यक्त किया है और भविष्य के बारे में अपनी अपेक्षाओं की ओर संकेत किया है। मैं पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि क्या हम उन परिस्थितियों से अनभिज्ञ हैं , मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस जनमत के माध्यम से जिन विचारों को, जिन आशाओं को जनमत ने अपने निर्णय में प्रतिबिम्बित किया है क्या हम उनको अनदेखी करना चाहते हैं? मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि जनतंत्र में जनमत का आदर कर हम अपने कार्यकलापों, कार्यविधि एवं कार्यक्रमों को संशोधित करने के लिये तत्पर हैं या नहीं? यह कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो दल से परे हैं। यह कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो राग-द्वेष से परे हैं और जो देश में प्रजातंत्र कायम रखने के लिए आवश्यक हैं। मैं अपेक्षा करता था कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कुछ इन बातों की ओर संकेत होगा। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि देश का कांग्रेस दल ही ऐसा दल है जिसने इस देश में प्रजातंत्र की नींव रखी और उसे दृढ़ किया। वह दल इस प्रक्रिया से कदापि सहमत नहीं होगा इन चुनावों में अन्धे के हाथ बटेर लग गई। यथार्थ की खोज और उसके प्रकाश में काम करने की क्षमता के आधार पर ही देश में प्रजातंत्र जीवित रखा जा सकता है। हमें निर्णय करना पड़ेगा कि क्या हम खोज करने के लिए तैयार हैं? हमें यह भी निर्णय करना पड़ेगा कि क्या हम यथार्थ र्थ के दर्शन करने के लिये तैयार हैं। हमें यह भी निर्णय करना पड़ेगा कि दर्शन करने के बाद उसके प्रकाश में आचरण करने के लिये तैयार हैं।" यह उस भाषण के शब्द हैं जो 4 अप्रैल 1977 को कांग्रेस पार्टी के एक अत्यन्त जिम्मेदार अनुभवी और वरिष्ठ सदस्य ने इस सदन में कहे थे और वह वरिष्ठ सदस्य हैं आज के मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह। मैं उन्हीं के शब्दों में उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि सागर और जबलपुर के लोकसभा उप चुनावों में प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया वह जो गीता ज्ञान जो 4 अप्रैल 77 को इस सदन में आपने अपने श्रीमुख से उद्धरित किये थे क्या सागर और जबलपुर के उप चुनावों के जनादेश के परिप्रेक्ष्य में क्या इन शब्दों पर अमल करने के लिए आप तैयार हैं? अगर यह वही अर्जुनसिंह हैं जो 4 अप्रैल 1977 को थे तो मैं कहना चाहूँगा कि सागर और जबलपुर के उप चुनाव में इस प्रदेश और उस क्षेत्र की जनता ने आपके ढाई वर्ष के कार्यकाल पर निर्णय दिया उसके बाद एक क्षण भी आपको मंत्री और मुख्यमंत्री बनकर बैठने का अधिकार नहीं है। उस समय आप एक साधारण सदस्य थे और इसलिए आपका गीता ज्ञान सहज में उमड़ पड़ा। आज आप मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हैं। इस जनादेश की चपत के बाद भी आपका विवेक जाग्रत नहीं हो रहा है यह मेरे लिये एक आश्चर्य का विषय है।

अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने परसों इस सदन में प्रेस की स्वतंत्रता को अपने से प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिये एक बयान दिया और उन्होंने हम पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 77 में 13 या 14 जून को जनता पार्टी प्रदेश में चुनकर सत्तारूढ़ हुई और 10 दिन के अन्दर और उस समय न कोई आपात काल ही था, न कोई समस्या खड़ी थी। 10 दिन पहले सत्तारूढ़ होने के बाद जब माननीय कैलाश जोशी उस समय मुख्यमंत्री के पद पर थे। पटवा जी उनके सहयोग से उस समय नहीं पहुँच पाये उसके लिये हम दोषी नहीं हैं। इस प्रदेश के एक नहीं 10, 12 समाचार-पत्रों के मैं नाम गिना दूँ और उनकी विज्ञापन दरें एक आदेश से कम कर दी गईं। इसका कोई औचित्य नहीं है केवल इसलिये कि यही समाचार-पत्र भारतीय जनता पार्टी उस समय की जनता पार्टी

और उसके अंग आर.एस.एस. तथा जनसंघ के खिलाफ लिखते रहे सतत् प्रयास करते। इस तरह से 10 दिन के अन्दर मुख्यमंत्री जी से इतना ही सवाल मुझे पूछना था कि इस तरह आदेश देकर उन्होंने 10 दिन के अन्दर उनकी विज्ञापन दरें कम कर दीं। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा करने वाले पार्टी के वरिष्ठ सदस्य थे, आपके अन्तःकरण की आवाज उस समय क्या कैलाश जोशी जी के बेडरूम में सो रही थी क्या उस समय आपको अपना विवेक जगाने का अवसर नहीं मिला। यह मुख्यमंत्री जी का भाषण है।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : पटवा जी चाहते हैं कि सखलेचा जी का नाम दुरुस्त किया जावे। मैं उनसे सहमत हूँ। आप कैलाश जोशी के बेडरूम में नहीं आपका विवेक सखलेचा जी के बेडरूम में रहा होगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : कैलाश जोशी के बेडरूम से सखलेचा जी के बेडरूम में आ गए। जब आप भाषण दे रहे थे तो श्रीमान मैंने निकालकर देखा.....

श्री अर्जुनसिंह : अगर सखलेचा जी ने आदेश नहीं दिए हैं तो कह दीजिए।

श्री सुन्दरलाल पटवा : कहते हैं, कहते हैं।

अध्यक्ष : ड्राइंग रूम से काम चल जावे तो अच्छा है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : उस समय मैं स्तब्ध रह गया।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अर्जुनसिंह बेडरूम से आदेश पारित करने के आदी दिखते हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैंने बजट नोटिफिकेशन देखा मैं स्तब्ध रह गया। कुर्सी पर बैठते ही हमने आदेश निकाल दिए, 22 जून को आदेश जारी किया, 23 जून को कैलाश जोशी ने.....

श्री अर्जुनसिंह : मैंने सुधार दिया है, अब रखने से क्या फायदा? इनको (सखलेचा जी को) डिफेण्ड करना है तो आ जाइए इस पर।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आपको, अपने आपको बहुत सुधारना बाकी है।

श्री अर्जुनसिंह : ये तो समय बताएगा, कौन सुधरेगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : जब आप विरोधी दल में बैठे थे, सुधरे हुए थे जबसे वहाँ गए, बहुत आदतें बिगड़ गई हैं। मुझे तो आपने कह दिया पर श्रीमान् आप जिस समय यह बयान दे रहे थे आपकी आत्मा उस समय कहाँ थी? क्या सफदरगंज रोड पर एक बेडरूम सुनिश्चित कर रखा था? वहाँ आपका मानस था। जब आदेश निकालते हैं तो स्टेप डाउन आजकल आप अपसेट माइन्डेड हैं या तो आपकी आत्मा वहाँ सो रही होगी या आपके साथी आरिस्टोक्रेट की बोतल में बंद होंगे। आप भाषण दे रहे थे, मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार आदमी आरोप लगाएँ 10 दिन में सत्ता में आने पर ऐसा कर दिया। आप तो प्रेस स्वतंत्रता पर बड़ी ऊँची बातें कर रहे थे, परन्तु आपका आचरण क्या है, मैंने उसी दिन चुनौती देते हुए कहा था शब्दाडम्बर से काम नहीं चलेगा। आचरण करके बताइए। आपने कहा था हमें उपदेश की जरूरत नहीं। दो दिन में आपके कारनामे प्रकट हो गए। एक व्यंग्य लेखक श्री हरि जोशी आपके द्वारा खरीदे नहीं जा सकते। आप उनकी जान के ग्राहक बन बैठे हैं। आपकी पार्टी के विधायक व आप उस व्यंग्य लेखन को सहन नहीं कर पा रहे हैं। पहले ट्रांसफर करने की कोशिश की पर जब हाईकोर्ट से स्थगन आदेश मिला पर आपको चैन कहाँ। आपने परसों उस व्यंग्य लेखक की कलम तोड़कर उनको निलम्बित करने का पाप, घृणित पाप किया है। प्रेस की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता के नाम पर ऊँचे-ऊँचे शब्दों के आडम्बर लगाने वाले मुख्यमंत्री मैं आपको धिक्कार भेजता हूँ। आपकी विरोधाभासी कथनी और करनी पर। अध्यक्ष महोदय, प्रेस के सदस्यों का उस दिन का विरोध आपके प्रति व्यवहारिक था। आपकी करनी ने दो दिन में सही साबित कर दिया। हमारे आरोप को भी दो दिन में सही साबित कर दिया। एक तरफ तो आप एक व्यंग्य लेखक का गला घोंटना चाहते हैं दूसरी तरफ आप मध्यप्रदेश को हिन्दुस्तान की सांस्कृतिक राजधानी बनाने पर तुले हुए हैं। सामंत की ओर क्या अभिरुचि होगी? इस प्रदेश में कोई स्कूल पाठशाला, प्राथमिक शाला खोलें बजट नहीं है आपके पास। इस प्रदेश को सांस्कृतिक राजधानी बनाने पर तुले हुए हैं यह आपकी साहित्यिक परिषद जिसके आप प्रभारी मंत्री हैं, उस साहित्यिक परिषद् की प्रमुख पत्रिका है साक्षात्कार इसमें मध्यप्रदेश का साक्षात्कार आप देश

के साहित्यिक जगत से किस प्रकार करवाना चाहते हैं जो छपा है यह आपके आदिम युग की सामन्त की अभिरुचि हो सकती है, पर आपके परिष्कृत समाज की यह अभिरुचि हो सकेगी मैं सोच भी नहीं सकता। इतनी गन्दी, सड़ी, अश्लील गटर की भाषा, आप अपनी साहित्यिक पुस्तकों में प्रकाशित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय महिला सदस्याएँ यहाँ हैं, कुछ विवेकवान माननीय सदस्य इस सदन में हैं और आप बिराजे हैं, मैं तो पढ़ भी नहीं सकता इस भाषा को और इसलिए मैं आग्रह करूँगा माननीय सदन के सभी सदस्यों को और विशेषकर साहित्यकार जो हैं उनसे अपील करूँगा— विट्ठल भाई पटेल, मैं आप की ओर देख रहा हूँ, श्री शिवकुमार श्रीवास्तव, मैं आपकी ओर देख रहा हूँ, बालकवि बैरागी और सत्यनारायण सत्तन, मैं प्रदेश की इन साहित्यिक प्रतिभाओं को देख रहा हूँ और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार की इस मुख पत्रिका को पढ़कर, मैं कैसे पढ़ूँ, इसे आप तक पहुँचाना चाहता हूँ।

(सचिव महोदय द्वारा उक्त पत्रिका अध्यक्ष महोदय को दी गई)

इस पत्रिका के प्रथम दो-तीन-चार पेज अन्डरलाइन करके मैंने रखे हैं, अगर आप उसे पढ़ लेंगे तो प्रत्येक सदस्य का सिर शर्म से झुक जाएगा।

(शेम-शेम)

माननीय मुख्यमंत्री जी, आप आपकी पसंद या नापसंद से प्रदेश चलाना चाहते हैं। इस देश में, प्रदेश में लोकतंत्र है। कुंवर साहब, राजा साहब, सामंत— इनकी पसंद अपनी हो सकती है, उससे हमें एतराज नहीं है, पर मेहरबानी करके आप उसे अपने घर के भीतर तक सीमित रखिए, अपने बेडरूम तक सीमित रखिए। परन्तु आप बातें लोकतंत्र की करते हैं, पर आप के मन में सामंतवाद बैठा हुआ है। लोकतंत्र कुछ नियमों और कानूनों से चलता है, मर्यादाओं और परंपराओं से चलता है। विभिन्न लोकतंत्र की विभिन्न संस्थाओं के पीछे एक नाजुक संतुलन होता है। लोकतंत्र में कोई सर्वोपरि नहीं होता है पर सामंतवाद को यह बंधन बर्दाश्त नहीं है। सामंतवाद हावी होना चाहता है, अपना हुक्म, कानून मनवाना चाहते हैं और उस मनोवृत्ति के आप शिकार हैं यह मेरा आरोप है। अध्यक्ष महोदय, यह मंत्रिपरिषद पर और इसके माननीय सदस्यों पर, माननीय मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप मेरे पास हैं, परंतु अब मुझे उनको बहुत ज्यादा प्रमुखता के साथ प्रसारित करने की आवश्यकता इसलिए नहीं बचती कि सारे प्रदेश का एक-एक बच्चा इस सरकार के मंत्रियों के भ्रष्टाचार के कारनामों से वाकिफ है। भ्रष्टाचार की बात की तो मंत्रिमंडल के सदस्य मानो ऐसे हो गये कि जैसे संज्ञासून्य हो गये हों, सेंसलेस हों, कोई स्पंदन नहीं होता। पैसा आपने खाया, ढेर सारा बनाया, कैसे हजम होगा, कहाँ से निकलेगा यह अलग बात है। वेदराम जी मेरी तरफ देख रहे हैं।

(हँसी)

मैं आता हूँ आपके पास, परन्तु उससे भी बड़ी चिंता अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे कोई है, तो वह हमारे साथियों की है तो इस बात के लिए लोकतंत्र के कांस्टीट्यूशनल फंक्शन्स को, संस्थागत संचालन को, उसकी मर्यादाओं को, उसके कानून को, उसकी प्रतिमूर्ति को आपने अपने ढाई वर्ष में सामंती मनोवृत्ति से जो आहत किया है, वह इर्रेपरेबल है, उसका सुधार करना मुश्किल है। मुख्यमंत्री जी आप तो चले जायेंगे, यह कुर्सी ऐसी है आपके और हमारे जैसे अनेकों आए और अनेकों चले गए। परंतु इस प्रदेश के भविष्य के लिये, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिये लोकतंत्र का जो नाजुक संतुलन होता है, वह कायम रहना चाहिये और इस बात की चिंता हमें, अगर आपको भी हो तो मैं सोचूँगा कि यह प्रदेश बड़ा भाग्यशाली है। आपने क्या किया है आप बात लोकतंत्र की करते हैं। आपने कुर्सी पर बैठने के बाद इस प्रदेश के लोकतंत्र के एक-एक जोड़ के ऊपर प्रहार किया है— पंचायत से लगाकर नगरपालिकाएँ, नगर निगम, 17 हजार सहकारी संस्थाएँ, मण्डी कमेटियाँ और जितनी स्थानीय संस्थाएँ हैं, उन पर आपने प्रहार किये हैं। क्या इसी प्रकार से आप लोकतंत्र चलाना चाहते हैं? कितनी बार आपने चुनाव के वायदे किये। जबलपुर और सागर के उपचुनाव हारने के बाद, इस प्रदेश की जनता ने इस शासन पर जो करारी चपत लगाई है, उस कारण से अब आप सारी संस्थाओं का चुनाव कराने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। आप गाँव की पंचायत और सहकारी समितियों तक आपके पिट्ठुओं द्वारा लोकतंत्र का गला घोंटकर आप कितनी संस्थाओं को चलाना चाहते हैं? आपने सारे प्रदेश में लोकतंत्र को समाप्त करके इंडिविजुअल सत्ता की स्थापना करने का प्रयास किया है। यह

पाप आपने किया है। विभाजित करके सारे प्रशासन का ढांचा अस्त-व्यस्त और तहस-नहस कर दिया है। पहले मुख्यमंत्री जी कहते थे कि यह हमारा शासन बड़ा संवेदनशील है आप संवेदनशीलता से एक कदम आगे बढ़ गए है, अब उनका शासन पारदर्शी प्रशासन हो गया है आर-पार देख लें, कोई पर्दा नहीं, खुला खेल है। पारदर्शी प्रशासन हो गया है। सभी दिखाई देता है डंके की चोट के साथ कहते हैं, डंके की चोट के साथ लिखा-पढ़ी करके लौट आते हैं। बैरागी जी कहते है कि जो करना है कर लो यह कहना है तो उधर नहीं जिसके आप शिकार है अध्यक्ष महोदय, वल्लभ भवन में पार्टी की मीटिंग करते हैं आपने उसको पार्टी कार्यालय बना डाला है। वायरलेस का कहाँ-कहाँ उपयोग करते हैं राजनीतिक चुनाव के लिये उस समय के उम्मीदवार कांग्रेस (आई) के चर्चा करने के लिये भोपाल आ रहे हैं, कलेक्टर शहडोल को वायरलेस संदेश भेजते हैं कि—

"PLEASE INFORM IN WRITING TO ALL M.L. A'S. OF CONGRES WITHIN YOUR JURISDICTION TO REACH BHOPAL BY 28TH MARCH 82 POSITIVELY AND CONTACT THE CHIEF MINISTER IN CONNECTION WITH THE RAJYA SABHA ELECTIONS STOP

Sd
Dy. Collector
for collector
Shahdol"

कांग्रेस (आई) के उम्मीदवारों को वायरलेस से सूचना दी जाती है। उस वायरलेस की प्रति मैं पटल पर रखना चाहूँगा। राष्ट्रपति जी का चुनाव हो रहा था, तहसीलदार कसरावद की एक ओरिजनल चिट्ठी मेरे पास है। प्रति श्री सुभाष यादव संसद सदस्य खरगौन रमेशचन्द्र मंडलोई, अनुविभागीय अधिकारी महोदय मंडलेश्वर से अभी दूरभाष पर प्राप्त सूचना के अनुसार ज्ञानी जैल सिंह 4-7-82 को भोपाल पधार रहे हैं तहसीलदार, नायब तहसीलदार पार्टी का काम करते हैं ओरिजनल कापी मैं सदन के पटल पर पेश करता हूँ मेरे खिलाफ जबलपुर में एक चुनाव याचिका चल रही थी उसका फैसला हो चुका है। मुख्यमंत्री जी क्या चाहते थे यह उन्होंने पता नहीं क्या किया, होम अनुष्ठान जाप करके रखा था। एक अध्यापक कैलाश नारायण तिवारी मेरे खिलाफ हाईकोर्ट में जो याचिका है उसमें गवाही देने के लिये आये। कोर्ट के बयान की सर्टीफाइड कॉपी है।

"I myself do not reside at Bhopal and I reside at kulas kalan where I am posted as a teacher. The information for Coming here as a witness was given to me on wireless from Bhopal by the Public Health Engineering Department and it was on that basis that I went to Bhopal where my parents reside and it was there that I got the rail ticket for coming here."

चुनाव याचिका में किसी गवाह को बुलाने के लिये पी.एच.ई. से वायरलेस संदेश दिया जाता है। आपने पार्टी को और निजी जायदाद सरकारी संपत्ति को बना डाला है। ये व्यंग्यकार लेखक हरि जोशी के बारे में आपकी पार्टी के जो विधायक पत्र लिख रहे हैं उनके मकान के ऊपर नजर है सीताराम साधो विधानसभा सदस्य का आपके निरीक्षण के लिये मैं पटल पर रखता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश यात्रा पर गये, राजनीति किस तरह उनके दिमाग पर हावी है उसका मैं नमूना बताना चाहता हूँ। मध्यप्रदेश संदेश का अंक है 25 सितम्बर का साक्षात्कार मुख्यमंत्री से प्रश्न हाल ही में जब विदेश यात्रा पर गये थे, तब एक असम्माननीय घटना घटी। राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की उसके संबंध में क्या प्रतिक्रिया रही तो मुख्यमंत्री जी ने उत्तर दिया है उस पर हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी उससे समय-असमय ही अलग प्रसंग पर कहना मुख्यमंत्री जी कहते है कि अनेक ऐसी बातें है जिनसे केवल राज्यपाल की हैसियत से नहीं, वरन् राजनीतिज्ञ की हैसियत से भी उनका सीधा संबंध है। अब राज्यपाल भी राजनीतिज्ञ की हैसियत से देखकर सीधा संबंध देखते हैं यह आपका मध्यप्रदेश संदेश कहता है। गवर्नर की इन्स्टीट्यूशन को भी आपने राजनीति में घसीटने से पीछे नहीं छोड़ा। कैबिनेट की फिक्सिंग कुछ नियमों के अधीन होती है पर आप उन नियमों से बंधे नहीं हैं। मुख्य सचिव, जगतपति, रिटायर हो गये।

मुख्य मंत्री ने उनको सलाहकार नियुक्त कर दिया किसको सलाह देंगे, किस केपिसिटी में सलाह देंगे क्या वे फाइल बुला सकते हैं? क्या फाइल पर नोटिस कर सकते हैं और अगर नोटिस कर सकते हैं तो मुख्य सचिव हैं, विभाग के सचिव हैं उनकी संवैधानिक स्थिति क्या होगी? आखिर इन बातों पर विचार किया? आप क्या एक्स्टरा एडवाइजर अथॉरिटी बनाना चाहते हैं? क्या यह चुरहट की जागीर है कि आप चाहे जिसे कुछ भी बना दें? आप इतना तो ख्याल करें कि आप चुरहट की राजभवन में नहीं, मध्यप्रदेश के वल्लभ भवन में बैठे हैं, श्यामला हिल पर रहते हैं। आप लोकतांत्रिक सरकार के मुखिया हैं पर आपने जगतपति साहब को नियुक्त कर दिया। उनकी योग्यता, अयोग्यता पर मुझे इस समय कुछ नहीं कहना। उनकी योग्यता बिजली बोर्ड के चैयरमैन के रूप में विख्यात हो चुकी है। पता नहीं आप उनसे कौन-सी सलाह लेना चाहते हैं। मैं यह पहली बार देख रहा हूँ। सन् 1975 के बाद 25 वर्षों में मैंने कभी नहीं देखा कि मध्यप्रदेश में 6 मुख्य सचिव, 20 आई.जी. रहे हों। बलवीर साहब क्या करेंगे?. कई आई.ए.एस सीनियर और मुख्य सचिव की रेंक के हैं पर आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं। 20 आई.जी. क्यों बनाये? अरे आपके ससुर को आई.जी. बनाना था तो 10 को बाई पास करके उन्हीं को बना देते पर 10 के नीचे ग्यारहवें पर उनका नाम है इसलिए हुकुम दे दिया चुरहट के राजा ने और 11 आई.जी. हो गये। क्या यह पैसा चुरहट के खजाने से आ रहा है या शहडोल से आ रहा है या मनावर से आ रहा है? विधिमंत्री जी मंत्रिमंडल से आप इन बातों पर विचार कर सकते थे।

श्री कृष्णपाल सिंह : मैं पटवाजी से कहूँ कि यह पैसा शहडोल से भी नहीं आ रहा है, मनासा से भी नहीं आ रहा है, यह पैसा सब जगह से आ रहा है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आपकी संयुक्त जवाबदारी है, आप इन नियुक्तियों का .....।

श्री परशुराम सिंह भदौरिया : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यदि ये फिल्म इंडस्ट्री में चले जायें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

अध्यक्ष : जब अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा होती है और सदन के नेता बोल रहे हों तो बीच में इंटरफियर नहीं करना चाहिए।

श्री परशुराम सिंह भदौरिया : कोई चुरहट का राजा नहीं कह सकता। कौन है चुरहट का राजा क्या पटवाजी बता सकते हैं?

अध्यक्ष : यदि असंसदीय होगा तो मैं निकाल दूँगा। पर इस तरह से इन्टरफियर नहीं होगा वरना मुख्यमंत्री के भाषण में भी इंटरफियर होगा।

श्री परशुराम सिंह भदौरिया : यह शब्द कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री सुन्दरलाल पटवा : यह बड़ा मुश्किल है। कैसे समझाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं विधि मंत्री जी को पूछ रहा था आप तो कानून के ज्ञाता हैं। क्या कोई औचित्य है इस नियुक्ति का इजर एक्सट्रा एडवाइजर अथारिटी की क्या हैसियत है उनको कहाँ बिठाया है? मंत्रिमंडल में आपकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आपने क्या इस पर कभी प्रश्न किया? पर आप तो अपने दर्द में खोए थे, आप क्या प्रश्न करेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह सदन कितना विभाजित है? और इससे हम अपेक्षा करें कि यह शासन चलायेंगे। प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जायेंगे। हम कई दिनों से सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हफ्ते भर तक दिल्ली में डेरा डाले रहे। रिशफलिंग होता है नहीं होता है, पुनर्गठन होता है नहीं होता है दिल्ली में पत्रकार मुख्यमंत्री से पूछते हैं, भोपाल में पत्रकार मुख्यमंत्री से पूछते हैं क्या हुआ रिशफलिंग का तो मुख्यमंत्री का उत्तर है, वह अखबारों में छपा है, इससे वे इंकार नहीं कर सकते। दि मैटर इज इन पाईप लाइन तो वह पाईप लाइन क्या दोनों तरफ से बन्द हो गई? उसको निकालिए न। वल्लभ भवन में हमारा काम हो रहा है। मंत्रिमंडल में इतना काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था। पत्रकारों ने पूछा श्री वेदराम जी के रिश्वत खाने के बारे में, मुख्यमंत्री जी ने कहा मुझे शिकायत प्राप्त हुई है। मैं जाँच कर रहा हूँ। दूसरे दि. डा. दुमनलाल खड़े होते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। यह आचार संहिता के खिलाफ है। उस मंत्री को चेतावनी मिली दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी ग्वालियर में जाकर के कहते हैं कोई शिकायत वेदराम जी के खिलाफ नहीं है। यह आप राज चला रहे हैं या तमाशा कर रहे

है। अध्यक्ष महोदय, एक समय था जब मुख्यमंत्री जी को हम आप प्यारे थे। पंच प्यारे नहीं बन सके तो उन्होंने एक गेन्ग आफ फोर्स बनाई। छत्तीसगढ़ का सामना करना है साढ़े छः फीट के आदमी से इसलिए उन्होंने एक साढ़े छः फीट, पाँच फीट साढ़े पाँच फीट की एक गेंग बनाई। अब क्या करें मुख्यमंत्री जी को 20 साल की लड़की नहीं मिली शादी के लिए इसलिए उन्होंने पाँच-पाँच साल की चार इकट्ठी कर लीं। गेन्ग आफ फोर्स का निर्माण किया और अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग किया। झुमुकलाल भेड़िया जी बयान देने के लिए खड़े हुए। शायद वे भूल गये कि साढ़े छः फीट की और साढ़े चार फीट की कोई लड़की हो सकती है। भेड़िया जी चुपचाप अपने घर में आकर बैठ गये गेन्ग आफ फोर्स अब क्या कर रही है। जिनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए अखबार में छपता है मुख्यमंत्री जी द्वारा उनके खिलाफ बयान दिये जाते हैं और अखबारों में छपवा रहे हैं। आजकल इन्दौर के विधायकों को मुख्यमंत्री जी ने पकड़ा है। इन्दौर के एक विधायक को इन्दौर से भोपाल आने और भोपाल से इन्दौर जाने का किराया मुफ्त। दिल्ली के नोटियाल साहब को मध्यप्रदेश में बुलाये जाने के लिए उनको कहा गया फिर आप गुना में घूमिए, शिवपुरी में घूमिए इन्दौर में घूमिए कलेक्टर आपकी खातिरदारी करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी यह आप कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जिनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए छप जाये उनकी झूठी आलोचना उनका खण्डन करना मुख्यमंत्री जी का अधिकांश वक्त इसी में जाता है। इन्दौर के विधायकों के ऊपर बहुत मेहरबान हैं, आजकल वे मेहरबानी के दावे कर रहे हैं इसके लिए आप समाचार-पत्रों के हिमायती हैं भोपाल के कांग्रेस (आई) के हिमायती पत्रकार बनकर कितने लोग आपके पास हैं जो असामाजिक तत्व हैं पत्रकारों के नाम पर। वे पत्रकारों के नाम पर एक कलंक हैं। उनको मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार लोगों के खण्डन देने के खिलाफ सुर्खियाँ देनी पड़ी थीं। कितने लोगों को मकान दे रहे हैं। आप उन पत्रकारों के नाम बता दें तो आपकी कलई खुल जायेगी। अभी दो महीने में कभी मलखान सिंह, कभी भ्रष्टाचार निवारण अध्यादेश और भ्रष्टाचार निवारण अध्यादेश पर एक पत्र लिखा खबरदार अब तक तो लिखा अब लिखा तो यह देख लिया अध्यादेश ले लिया है। विधायकों को तो यह ऐसा लिखते हैं खबरदार और सिंचाई विभाग में 30 अधिकारी का स्थानांतरण इन्होंने एक झटके में किये और ये विभाग के मंत्री जी और उनके सारे विभाग का अमला बैठा है यहाँ पर अध्यक्ष महोदय, पिछले ढाई सालों में मेरा यह आरोप है कि इस सरकार ने पी.एस.सी. के सारे विज्ञापन सारी प्रक्रियाएँ और सारी योग्यताएँ सबको दुर्लक्ष्य करके सबको लात मारकर हजारों की तादाद में एडहॉक नियुक्तियाँ करके रक्खी हैं। क्या ग्राम सेवक पद के लिए गुना, राघोगढ़ तहसील में ही 55 लोग योग्य निकले और मध्यप्रदेश में कहीं कोई योग्य नहीं है। अहिरवार जी शिक्षा विभाग में कितने लोगों की नियुक्तियाँ की हैं, आपने? सतना के नगर निगम को म्युनिसिपेल्टी में किसको नाकेदार रखा जाये, किसको चपरासी रखा जाये ताकि नियुक्ति का आदेश आप प्राप्त कर सकें। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह लैटर की कापी है मुख्यमंत्री जी के पत्र की कापी है जिसमें लिखा है कि—

"Application of Shri Rangdev Singh Parihar, village Kolho (Sirmor) is sent here with, He may please be considered for appointment on a suitable post.

C.M.O. Satna

(Arjun Singh)

नगर निगम को, उसके सी.एम.ओ. को आप चिट्ठी लिख रहे हैं। उसके बाद हमारे धर्म धुरन्धर ज्ञानी जिनके बारे में मेरा बड़ा अच्छा भाव है वे तो कम से कम इस तरह के गलत काम नहीं करेंगे। मैं स्थानीय शासन मन्त्री जी माननीय कन्हैयालाल शर्मा जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितनी अर्जियों पर आपने इन पदों पर नियुक्ति की है नाकेदार के पद पर? 1-2-3-4-5 मेरे पास आधा दर्जन एप्लीकेशन हैं। अध्यक्ष महोदय, जिसमें स्थानीय शासनमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी को नाकेदार किसी को कुछ बनाने की सिफारिश की है। आदेश देते हैं पत्र में। और आश्चर्य इस बात का मानता हूँ श्रीमान् कि सतना के नगर निगम के प्रशासक ने गलत गैर-कानूनी तरीके से नियुक्तियाँ नहीं कीं और कानूनी तौर पर चयन कर जितनी नियुक्तियाँ की थीं उनको माननीय मंत्री जी ने एक कलम के झटके से यानी नियुक्तियों को बरखास्त कर दिया। एक आवेदक का नाम है जिला सतना के, वह पुरैनी बाशिन्दा है और दो व्यक्ति हायर सेकेन्ड्री द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हैं और वे शिक्षित बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं।

ये दोनों परिवारों के लोगों ने मेरे चुनाव में काफी मदद की थी। इनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त खराब है, इसलिये इनको नियुक्ति दी जावे और लिखने वाले रामाश्रयप्रसाद विधायक, श्रीमान ये आपके दल के हैं। चुनाव में मदद की थी इसलिए नियुक्ति दी है और उस पर सिफारिश कर रहे हैं स्थानीय शासन मंत्री और मुख्यमंत्री। यह आपकी नियुक्ति करने का तरीका है। इस प्रकार के कर्मचारियों की आप भरती करना चाहते हैं। जब आप यहाँ पर बैठे थे तो आपने आसमान अपने सिर पर उठा लिया था कि सारी सेवाओं में पुलिस में आर.एस.एस. के लोग भरे गये हैं, जनसंघी भरे गये हैं और अमका भर गया और ढमका भर गया। आप एक भी उदाहरण लेकर के नहीं आये जो नियम और प्रक्रिया को चैलेंज करते कि प्रक्रियाओं से हटकर के जनता शासन में एक भी नियुक्ति ढाई वर्ष के शासन काल में हुई हो। ये आप के कारनामे हैं और अध्यक्ष महोदय, इसके बाद और आगे लीजिये, मैं यह सदन के पटल पर रख रहा हूँ आपकी पार्टी के सांसद श्रीमान सुभाष यादव का यह पत्र है। यह उसकी कापी है, उसमें लिखा है— "कृषि महाविद्यालय इन्दौर। 142 नार्थ ऐवेन्यु नई दिल्ली, दिनांक 27-8-80। आदरणीय गौड़ साहब, सादर प्रणाम दिनांक 27-8-80 को फोन पर हुई चर्चानुसार प्रत्याशी अशोक कुमार शर्मा इन्दौर को आपके पास भेज रहा हूँ। कृपया इन्हें फील्ड असिस्टेंट के पद की सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। आपका सुभाष यादव।" यह फील्ड असिस्टेंट आपके पार्लियामेंट के मेम्बर हुकुम देकर वहाँ से बना रहे हैं। क्या यह चयन का तरीका है? क्या यह नियुक्ति का तरीका है? अध्यक्ष महोदय, उत्तमचन्द जी सदन के माननीय सदस्य हैं। युवक कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष हैं। उनका एक पत्र है।—

"मध्यप्रदेश युवक कांग्रेस (ई)
शिवाजी नगर, भोपाल, (म.प्र.)

पत्रांक 4394/82 दिनांक 6-7-82/14

गोपनीय

माननीय श्री अर्जुनसिंह जी,
मुख्यमंत्री,
मध्यप्रदेश शासन भोपाल

श्रद्धेय श्रीमती इन्दिरा गांधी को समर्पित तथा संकट के समय जेल जाने वाले युवा जनों को रोजगार में वरीयता देने के सम्बन्ध में।

इनको प्राथमिकता दीजिये।

प्रस्तुत श्रीमान मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह

दस्तखत उत्तमचन्द खटीक"

श्री उत्तमचन्द खटीक : अध्यक्ष महोदय, माननीय पटवा जी ने पत्र तो पढ़ दिया उसमें किसी की सिफारिश लिखी है क्या यह और पढ़ दें?

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिये।

श्री उत्तमचन्द खटीक : आप उसको पटल पर रख दीजिये।

श्री सुन्दरलाल पटवा : इसमें लिखा है। "मेरा इस सम्बन्ध में आपसे विनम्र आग्रह है कि ऐसे बेरोजगार युवकों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु आप निश्चित मापदण्ड अपनाकर समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्देश जारी करने की कृपा करें। प्रदेश के सैकड़ों युवा इंका कार्यकर्त्ता जो कि जननेत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को समर्पित हैं वे लाभान्वित हो सकेंगे। शुभकामनाओं सहित।

विनम्र
(उत्तमचन्द खटीक)
अध्यक्ष

श्री उत्तमचन्द खटीक : आप पटल पर रख दीजिये लेकिन मैंने किसी की सिफारिश की है क्या? अगर

की है तो यह आप पढ़ दें।

अध्यक्ष : आपको भी जवाब का मौका मिलेगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : दूसरा पत्र है श्रीमान शिक्षामंत्री माननीय माधवलाल दुबे का। एक अध्यापक के स्थानान्तर के बाबत यह विषय है। इसमें लिखा है कि "निवेदन है कि जिन अध्यापकों ने चुनाव में मेरे खिलाफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य किया है, उनकी सूचियाँ संलग्न हैं। अतः इनका स्थानांतर शीघ्र ही अन्यत्र करने की कृपा करें। आदर सहित सेवा में प्रस्तुत है"।

भवदीय

अमरचंद रोहिला"

संलग्न :—

"माननीय दुबे जी साहब

पिटीशन दाखिल करने को जबलपुर जा रहा हूँ स्वयं उपस्थित नहीं हो रहा हूँ। बीच में आया था आपकी तबियत खराब थी इसलिए मुलाकात न हो सकी। कृपया लिस्ट के अनुसार अध्यापकों का स्थानान्तर करने की कृपा करें।" और अध्यक्ष महोदय, यह लिस्ट 21 की एक है दूसरी 18 की है और तीसरी 40 की है जो अमरचन्द रोहिला मेरे खिलाफ लड़ा था, यह उनकी लिस्ट है।

श्री माधवलाल दुबे : इस पर मेरा कोई आदेश हुआ क्या? अगर हुआ तो वह भी बता दीजिये।

श्री सुन्दरलाल पटवा : द्वितीय पेज की सूची में क्रमांक-7 नंबर पर घनश्याम सिंह का आपने ट्रांसफर किया।

श्री माधवलाल दुबे : केवल एक।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अभी तो आप सौगंध खा रहे थे कि एक भी नहीं।

श्री माधवलाल दुबे : क्या आप यह अपेक्षा करते हैं कि कोई शिक्षक आपकी तरफ से काम करे?

श्री सुन्दरलाल पटवा : .चाहे आपकी तरफ से हो या हमारी तरफ से हो यदि किसी ने काम किया है तो ऐसा नहीं होना चाहिये। यह जो पत्र में लिखा हुआ है, क्या ये सत्यवादी हरिश्चन्द्र के पुत्र हैं। सत्यवादी हरिश्चन्द्र रोहिला जी हैं या आप हैं? (व्यवधान)

अध्यक्ष : अगर हर चार्ज पर माननीय सदस्य इस प्रकार से बोलेंगे तो यह अच्छी बात न होगी। कृष्णपाल सिंह जी की बाद दूसरी है। वातावरण में जोश पैदा करने की बात हो सकती है लेकिन बीच में 2 में इस प्रकार से हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, रायपुर के पी.डब्ल्यू.डी. के अभियंता के कार्यालय में आपकी पार्टी के विधायक पहुँचे और उनको देख लेने की धमकी दी, जिसके कारण उसका वहीं प्राणांत हो गया। उसकी मेरे पास यह फोटो स्टेट कॉपी और चिट्ठी है। इसी प्रकार से मई में रामरतन चतुर्वेदी की चिट्ठी जो मुख्यमंत्री को लिखी गई है यह भी मैं सदन के पटल पर रख रहा हूँ।

श्री कृष्णपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अविश्वास का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के खिलाफ है या सम्माननीय विधायकों के खिलाफ है?

श्री सुन्दरलाल पटवा : यह आपकी पूरी पार्टी का चरित्र है। आप हमें कहने का मौका तो दीजिये। आप तो कर गुजरते हैं और हम कह भर देते हैं तो इसमें भी आपको एतराज होता है।

श्री कृष्णपाल सिंह : सिर्फ प्रश्न एक है, अविश्वास का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के खिलाफ है या विधायकों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाये हैं?

अध्यक्ष : यह मुद्दा निश्चित महत्वपूर्ण है क्योंकि समय कम है और मंत्रिमंडल के खिलाफ कहना है। विधायकों की बात लेंगे तो वह निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में नहीं है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : छोड़िये उस मुद्दे को। मुख्यमंत्री जी ने हरिजन-आदिवासियों की हिमायत में कल ही एक बयान दिया। एक सूची है हेड कांस्टेबल चयन परीक्षा की। एक बुद्धराम नाम का एम.ए. हरिजन चार साल से लगातार चार बार बैठा लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। पैसा नहीं था मिडिल पास हरिजनेत्तर है, उनके पास

सिफारिश है, पैसा है पास हो गये। मैं सूची श्रीमान् के निरीक्षण के लिए सदन के पटल पर रखता हूँ। ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण दिये जा सकते हैं। मा. मुख्यमंत्री जी, जबलपुर के चुनाव में जनता ने सबक सिखा दिया, आप भोपाल नहीं आये, दुर्देव से आप अस्वस्थ हो गये, दिल्ली पहुँचे। इंतजार करते रहे भोपाल जाऊँ कि न जाऊँ। मेरा क्या भविष्य है, मैं मार दिया जाऊँगा कि छोड़ दिया जाऊँगा एक सफदरगंज पर चक्कर काटते रहे। वहाँ से हुक्म हो गया जाओ, गो बैक। आप भोपाल चले आये। आपको विदेश यात्रा पर जाना था। जबलपुर की हार की झेंप मिटाने के लिये कुछ न कुछ एकाध तुर्रा अपनी टोपी में लगाना था, आपको मलखानसिंह नजर आया। अब अर्जुनसिंह जी को मलखानसिंह नजर नहीं आयेंगे तो क्या सुन्दरलाल पटवा नजर आयेंगे.....

श्री अर्जुनसिंह : मा. पटवा जी के इस रिमार्क का मैं अर्थ नहीं समझ सका।

श्री सुन्दरलाल पटवा : सिंह की मित्रता सिंह से होगी।

श्री अर्जुनसिंह : मलखानसिंह से आपका कोई सम्बन्ध नहीं है आप और कोई तुलना देते तो मैं समझ सकता था।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मलखानसिंह ने आपके सामने मुख्यमंत्री जी मंच पर चढ़कर भाषण दिया, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं जनता की सेवा करने के लिये बागी बना, बीहड़ों में रहकर जनता की सेवा करता था। अब मुझे लगता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी की नीतियाँ भी मेरी तरह सेवा करने के लिये उपयोगी हैं। उनकी पार्टी में शरीक होकर अब जनता की सेवा करूँगा, यह आपने उसका भाषण मंच पर बैठकर सुना। मुख्यमंत्री जी, आप डाकुओं का समर्पण कराने गये थे या स्वयं समर्पण करने गये थे। आपके समर्पण में सीक्रेट फण्ड से कितना रुपया खर्च किया? डायरेक्टर जनरल को मालूम नहीं कि आप समर्पण करा रहे हैं? आपके आई.जी. इंचार्ज डकैती आपरेशन को मालूम है कि समर्पण करा रहे हैं? मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आपने इतना बड़ा पाप किया है कि मलखानसिंह की शर्त के सामने सिर झुका करके विजय रमन सरीखे एक नेक और ईमानदार पुलिस अफसर को शर्त के अनुसार ट्रांसफर करके सारे पुलिस का मनोबल गिराने का प्रयास किया है, पाप किया है। आपके नेता श्री राजीव गांधी के स्वागत की चिट्ठी, एक डाकू जिसने सौ हत्याएँ कर डालीं, एक लाख 70 हजार रु. जिसके सिर पर इनाम है, उसके स्वागत करने के लिए आपके नेता चिट्ठी भेजते हैं, आप तीस हजार जनता के बीच मंच सजाते हैं, हीरो जैसा स्वागत करते हैं अर्जुनसिंह जी मलखानसिंह गले मिलते हैं। एक बीहड़ में था, एक महल में था, अब दोनों एक पार्टी में रहकर जनता की सेवा करेंगे.....।

डॉ. राजेन्द्र जैन : बीच में रमाशंकर सिंह का भी फोटो था।

श्री रमाशंकर सिंह : डॉ. जैन साहब, अगर आपने यह शुरूआत की तो आपके लिये भी बहुत घातक होगा।

अध्यक्ष : फोटो तो था आपका इसमें?

श्री रमाशंकर सिंह : फोटो मेरा था, मेरी जिम्मेदारी है, मैं स्वीकार करूँगा।

श्री तनवंतसिंह कीर : मलखानसिंह के छोटे भाई लग रहे थे।

श्री सुन्दरलाल पटवा : जो वीरेन्द्र सिंह भदौरिया एण्टी डकैती एक्ट में गिरफ्तार थे, उनको उनकी शर्त पर रिहा किया गया। मुख्यमंत्री जी, कहीं दूर से लिंक जुड़ती है उनकी आपसे। क्या ससुराल से? पत्रकार कल्याण मुखर्जी एडीशनल एस.पी. राजेन्द्र चतुर्वेदी के साले होते हैं। एक एडीशनल एस.पी. से आपका डायरेक्ट रिश्ता। उनके साले को बुलाया गया। उस समय एडीशनल एस.पी. थे, अब एस.पी. हो गये हैं। राजेन्द्र चतुर्वेदी, कल्याण मुखर्जी और वीरेन्द्र सिंह भदौरिया। अब मुझे मालूम नहीं, कहीं ससुराल पक्ष से, वीरेन्द्र सिंह भदौरिया उत्तर प्रदेश से आते हों और उसमें आपकी लिंक जुड़ती हो.....।

श्री अर्जुनसिंह : मैं पटवा जी, आपकी व्यक्तिगत सूचना के लिए बता दूँ मेरी सुसराल उत्तरप्रदेश में नहीं है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : उत्तरप्रदेश में नहीं यह मुझे मालूम है। उत्तरप्रदेश में आपके ससुराल पक्ष की रिश्तेदारी तो है (हंसी)।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय कृष्णपाल सिंह जी एक सुझाव दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जरा क्षमा करेंगे। वे कह रहे हैं कि आप यह भी कह दीजिए कि आपकी शादी एक ही हुई है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : शादी एक ही हुई है मुझे मालूम है, और इन्तजाम क्या-क्या कर रखे हैं।?

(हंसी)

श्री अर्जुनसिंह : वह तो हमको आपका मालूम है।

श्री कृष्णपाल सिंह : बाकी इन्तजाम में पटवा जी से आगे कोई नहीं जा सकता, यह मेरी जानकारी है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप तो बैठिए आप तो उनसे दस कदम आगे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने दो-चार न्यायालयीन निर्णयों के उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। न्यायालय की कार्यवाही को निष्प्रभावी करने के लिए, विरोधियों का दमन करने के लिए सरकार कहाँ तक जा सकती है। श्रीमान् वेदराम जी वन मंत्री हैं, उनके कारनामों को मैंने बताया। मिनिस्टर फार फोर्टीसिक्स का बताया। मुरैना के एक हरिजन शंकरलाल की हत्या हो गई। महावीर सिंह ने उसकी हत्या कर दी। वह मुकदमा किस तरह से चला और न्यायालय ने उस पर क्या टिप्पणी दी है, यह मैं बताना चाहता हूँ। न्यायालय ने अपने फैसले में लिखा है— "स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस प्रकरण में साक्ष्यहीनता की स्थिति है। कोई भी गवाह अभियोजन के पक्ष में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी गवाह अभियुक्त को पहचानने के लिए भी तैयार नहीं है और न कोई गवाह अभियुक्त के पिता तक को जानता है। पढ़े-लिखे और जिम्मेदार गवाह जानबूझकर झूठ बोलते प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए डा. चिकोटिया जिनका स्पष्ट कहना है कि उन्होंने शंकरलाल का परीक्षण नहीं किया जबकि जिन कागजात की नकलें फाइल में संलग्न हैं। उनके देखने से मालूम होता है कि दिनांक 23-1-81 को ही एक बजकर पन्द्रह मिनिट पर उन्होंने शंकर की जाँच की थी और उनकी रिपोर्ट की नकल संलग्न है। इस विषय में अभियोजन के द्वारा अस्पताल का रिकार्ड भी बुलाया जा सकता था जो नहीं बुलाया गया है और यह बात इस बात का संकेत है कि इस केस को कन्डक्ट किस प्रकार से किया गया है। पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद वह डाक्टर तक पेश नहीं किया जा सका जिसने कि मृतक का पोस्टमार्टम किया था।".....

साधारणतया कत्ल के एक ऐसे प्रकरण में जिसमें दिनदहाड़े कत्ल हुआ हो इतना अवसर कम नहीं होता। सभी गवाह उपस्थित रखे जा सकते थे परन्तु ऐसा नहीं है। 11-5-82 को पुनः अवसर दिया गया और उसके बाद 12-5-82 को एक बार फिर अवसर दिया गया परन्तु फिर भी गवाहान प्रस्तुत नहीं किये गये। इस प्रकार की अकल्पनीय स्थिति होने के कारण जो कि पर्याप्त अस्वाभाविक ही है जिज्ञासा एवं आश्चर्यजनक स्थिति किसी के लिए भी स्वाभाविक है और यह मुझे भी हुआ। इस सम्बन्ध में मेरे आश्चर्य एवं जिज्ञासा का उत्तर अभियुक्त के कथन में मिला है। अभियुक्त ने अपने बयान में अन्त में यह कहा है कि उसके पिता श्री हरीराम सिंह नेतागिरी करते हैं। वे सन् 1963 से लेकर 1967 तक चार साल तक एम.एल.ए. रहे और इन्दिरा कांग्रेस के जिला कांग्रेस कमेटी के आजकल अध्यक्ष हैं। इस विषय में कोई प्रमाण लेने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि म.प्र. में इंदिरा कांग्रेस पार्टी की ही सरकार है और शासक पार्टी की जिला कमेटी के अध्यक्ष मामूली आदमी नहीं होता। मैं नहीं कहता कि इस मामले में श्री हरिराम सिंह ने क्रियाशील रूप से कुछ किया क्योंकि इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है परंतु घटनाक्रम एवं परिस्थितियाँ इतनी व्यापक एवं विस्तृत हैं कि उन पर सहज ही विश्वास नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए डाक्टर जिसने मृतक की जाँच की, कहता है कि उसने जाँच नहीं की। कोई गवाह न तो अभियुक्त को पहचान सकता है और न उसके पिता के बारे में भी जानता है। और अन्त में केस डायरी भी खोती है तो इसी मामले में खोती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पुलिस विभाग की कार्यक्षमता इस मामले की विवेचना को लेकर घुटने टेक रही है। यदि जनता का विश्वास इस विभाग पर नहीं है तो क्या इस प्रकार के उदाहरणों से वह अर्जित किया जा सकेगा। इससे अधिक इस बारे में न लिखना ही उचित है।" अब तो अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को किन शब्दों में कहूँ। मैं इसे सदन के पटल पर रखता हूँ। अध्यक्ष महोदय,.....

डा. राजेन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, आपने आदेश दिया था जो समय विभाजन किया था पूरे प्रतिपक्ष का समय तो मैं समझता हूँ कि माननीय पटवा जी ने कहा मुझे एक घंटे का समय दिया जाये।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, इन्ट्रप्शन को छोड़ कर।

अध्यक्ष : आपके साथी बाकी रह गए हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, दूसरा फैसला ग्वालियर का है, उसे बिना पढ़े सदन के पटल पर रखता हूँ। मंदसौर के न्यायालय का निर्णय, उसको भी सदन के पटल पर रखता हूँ। एक थानेदार पत्र लिखता है 'राजेन्द्र, आपने जिसको बताया था उससे मैंने बदला ले लिया है।'' यह पत्र पटल पर रख रहा हूँ। राघवेन्द्र सिंह हजारी को एक हत्या के मामले में आजन्म कारावास की सजा पाई। अपील हाईकोर्ट में हुई। अपील रद्द करते हुए एक आदेश भेजा जाता है पत्र क्रमांक 10-8-80 क्र. 8951-0235-6-54 आरोपी राघवेन्द्र सिंह हजारी तथा अन्य अपीलांट विरुद्ध शासन आदेशानुसार निवेदन है कि हजारी की जमानत की दरख्वास्त का मानवीय आधार पर विरोध न करें। आपकी पार्टी के एक विधायिका के पति हैं और मुख्यमंत्री जी आपके तो सिपहसालार हैं ही। तीन वकील बदले गए हैं। पहले श्री सक्सेना द्वारा पैरवी की गई, फिर एम.पी. तामस्कर, उसके बाद फिर आर.के. वर्मा। इस प्रकार केस कंडक्ट कर छोड़ा गया। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ अब ऐसे मामले आपके समक्ष रखना चाहता हूँ जो प्रदेश के खजाने को करोड़ों रु. की हानि पहुँचा कर मुख्यमंत्री और उनके साथी मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया है। एक के.एन. आइल इण्डस्ट्रीज जिसे राईसकिंग के नाम से मुख्यमंत्री जे अच्छी तरह से पहचानते हैं, इनको पाँच-पाँच हजार टन साल-सीड देने का एक अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किया है, किन आधार पर, किस दर से सुप्रीम कोर्ट का, कहीं उल्लेख किया है। 630 रु. के कंसेशनल रेट पर देकर, दो हजार रु. प्रति टन का साल बीज इतनी सस्ती दर पर देकर, 630 रु. प्रति टन के हिसाब से पाँच-पाँच टन साल-सीड देकर इस प्रदेश के खजाने का दो करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। इस घाटे में वनमंत्री को मुख्यमंत्री जी द्वारा सीधे आदेश दिया गया है वह वनमंत्री ने अपने आदेश में लिखा है मुख्यमंत्री जी सहनशीलता, संवेदनशीलता और सदाशयता का पालन करते हूए डेढ़ करोड़ का लॉस किया। मेरा आरोप है आपकी पार्टी के एक सदस्य ने पाँच लाख प्राप्त करके डेढ़ करोड़ का घाटा पहुँचाया है। वेदराम जी बहुत ईमानदार हैं। काले साहब ने कहा ट्रान्स्फर कर दो, उनसे कहा 10 हजार रु. धर दो, धर दिया ट्रांसफर कर दिया। काले साहब ने वचन भंग किया, उनके क्षेत्र में जंगल की अवैध कटाई को पकड़ लिया। काले साहब का फिर सिफर कर दिया। काले साहब का लड़का प्रकाश काले पहुँच गया 10 हजार रु. दो। सी.एफ. को कह दिया, लौटा दिया। यह 10 हजार रु. का चेक है, उसकी फोटो कापी है श्रीमान। अध्यक्ष महोदय, अब यह लगता है एक डी.एफ.ओ. की इतनी हिमाकत हुई मिनिस्टर से बोले 10 हजार धरो। श्रीमान् मुख्यमंत्री जी उस भ्रष्टाचार पर हैं, डी.एफ.ओ. काले की लड़की और मुख्यमंत्री का भांजा, अब यह रिश्ता है शादी हुई है, हम क्या करें। अब मुख्यमंत्री जी के समधी से वनमंत्री 10 हजार रु. लें मुख्यमंत्री ने कहा 10 हजार रु. वापिस कर दो।.....

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े दुखी मन से इस बात को कहना चाहता हूँ कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं और कम से कम हम तो आपसे अपेक्षा करते हैं कि किसी ऐसी बात को यहाँ कहने के पूर्व उसका परीक्षण तो कर लें। कौन-सा मेरा भांजा है जिसकी शादी काले की लड़की के साथ हुई है। केवल आप इस तरह से मेरे ऊपर छींटा उछालना चाहते हैं और गलत और असत्य जानकारी सदन को दे रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अगर इस स्तर पर चर्चा होगी कि परिवारजनों को बिना मतलब के जिनका कहीं कोई लेना देना नहीं है, गलत बात कहने के लिये इस्तेमाल किया जायेगा उससे इस सदन की गरिमा बढ़ेगी, ऐसा मैं विश्वास नहीं करता।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी के कथन से सहमत हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बात की जाँच हो जाये कि क्या प्रमिला और अनिल की शादी हुई है और उनका आपके साथ क्या रिश्ता है और अगर मेरी बात गलत निकलेगी तो मुझे इस सदन के सामने क्षमा याचना करने में और आरोप वापस लेने में कोई संकोच नहीं होगा। लेकिन यहाँ जोर-जोर से कह के उससे बात नहीं बनेगी। वेदराम जी किरकिरे हैं आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं। बिजली बोर्ड द्वारा इन्सूलेटर्स की खरीदी की गयी जयश्री इन्सूलेटर्स बिरला की फर्म है इससे 30 रु. प्रति नग के हिसाब से खरीदी की, जबकि एच.ई.एल. 14 रुपये में दे रहा है। पर आंध्र को सप्लाई कर रहा है। इस प्रकार तीन करोड़ का घाटा म.प्र. विद्युत मंडल को इससे हो रहा है लकड़ी की कटाई में जिस तरह के प्रकरण हुए हैं उनके बारे में मेरे साथी सदस्य बताएँगे। मैं अन्त में यह कहना चाहता हूँ कि ढाई साल के सामंतवादी

मनोवृत्ति के शासन को सागर और जबलपुर की जनता ने पूरी तरह से ठुकरा दिया है, गले तक भ्रष्टाचार में लिप्त है डिवाइडेड हाउस है। निजी वफादारियों से सरकार चलाना चाहते हैं। उन्हें प्रदेश में सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिनका विवेक जागृत है मैं उन सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि ऐसी सरकार को अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके इस सदन से और प्रदेश शासन से निकाल देना चाहिये। (मेजों की थपथपाहट)

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/5 अक्टूबर 1982, पृष्ठ/ 113-123)

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने कल सदन में नये अविश्वास प्रस्ताव को रखा। बड़ी गम्भीरता से समूचे वातावरण को अपने प्रभाव में लाने के प्रयास के साथ कुछ ऐसा समां बाँधने की कोशिश की जैसे इनके ये 45 आरोप अकाट्य हों ध्रुव सत्य हों और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसके पूर्व मैं और कुछ कहूँ, मैं प्रतिपक्ष के नेता पद की गरिमा के अनुकूल एक आचरण करने का विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने उस आरोप-पत्र में यह लिखा था कि मेरे भान्जे की शादी काले डी.एफ.ओ. की पुत्री से हुई है और उस संबंध का उपयोग करके मैंने अपने मंत्रिमंडल के साथी श्री वेदराम के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का प्रयास किया है, उसमें उल्लिखित है। मैंने आपको सूचित किया है और मेरे भान्जे अनिलकुमार सिंह ने एक शपथ-पत्र दिया है, उसकी प्रतिलिपि भी आपको मैंने प्रेषित की है इसके पहले कि मैं आगे कुछ कहूँ, मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता से उनके स्वयं के द्वारा दिए गए अपने वचनों के अनुसार चाहूँगा कि वे खेद व्यक्त करने की कृपा करें।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा खड़े होकर "माफी माँगनी चाहिये" की आवाजें)

(व्यवधान)

श्री शिवभानु सोलंकी (उप मुख्यमंत्री) : माननीय श्री पटवा जी, यदि आपका बयान गलत है तो आपको माफी माँगने में क्या शर्म आ रही है। आप उसको सुधारिए, आप उसके लिए क्षमा-याचना कीजिए।

श्री विजय मोहन तिवारी : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता इस तरह की राजनीति कब तक चलाते रहेंगे। "बात बनाने का मजा है, कुछ हज्जाम लेते हैं, गुलों से खार अच्छे हैं, जो दामन थाम लेते हैं।"

कुमारी विमला वर्मा (लोक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता की गरिमा के अनुसार मैं उनसे अपेक्षा यह करती थी कि हम लोगों को कुछ कहनें की आवश्यकता ही नहीं होगी और वह स्वयं खड़े होकर खेद व्यक्त करेंगे, और जब कल उन्होंने हाउस में ही कहा, उसके बाद दूसरे दिन मुकर जाने की, पटवा जी जो विपक्ष का, प्रतिपक्ष का नेता, विरोधी दल का कहना पसंद नहीं करते, कहते हैं वे प्रतिपक्ष के नेता हैं उनके नाम की व्याख्या हमारे सोलंकी जी ने कर ही दी है, वह ऐसा ही सुन्दर आचरण हमारे इस सदन में रखेंगे; ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री उत्तमचन्द खटीक : अध्यक्ष महोदय, कथनी और करनी में अंतर न हो जाये।

श्री प्रेमनारायण मिश्र : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता पर कीचड़ उछालना.....

अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं कि कुछ कार्यवाही हो? मुझे मौका दीजिए ताकि मैं कार्यवाही ठीक ढंग से चला सकूँ।

श्री शीतला सहाय : मैं पाइन्ट आफ आर्डर के माध्यम से श्रीमान् यह निवेदन करना चाहता हूँ, व्यवस्था चाहता हूँ कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी एक फुलझड़ी छोड़कर बैठ जाएँगे और अपने दल को खड़ा करके हल्ला करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे?

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा आपत्ति)

श्री विजय मोहन तिवारी : "खुशी की बात है, मैदान में पट्ठा आ गया, सिर्फ पट्ठा ही नहीं, आर.एस.एस. का पट्ठा आ गया।"

अध्यक्ष : यह आपका प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है मैं इसको अमान्य करता हूँ।

श्री रमाशंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है।

अध्यक्ष : मैं पहले पटवा जी को सुन रहा हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे सम्बोधित करके कहा, वह शपथ-पत्र की जो प्रतिलिपि आपने प्रस्तुत की है, उसकी कापी मेरे पास भी पहुँची है, मैंने उसको देखा है। मैं अपनी कुछ बात कहने के लिए खड़ा हुआ, आपने देखा, खड़ा हुआ हूँ— दो सौ से ऊपर सदस्य हो-हो करने लगे और इस तरह सदन की व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करें तो मैं क्या अपनी बात कह सकता हूँ श्रीमान् माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने जो कहा था इस सदन के समक्ष जो कल कहा था, उस पर मैं सौ फीसदी आज भी कायम हूँ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्रीमान, अगर मैंने जो बात कही है वह गलत होगी तो मैं एक बार नहीं, पहले तो एक बार कह रहा हूँ, सौ-सौ बार अपनी बात वापस लूँगा और खेद प्रकट करूँगा तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से माफी माँगूगा पर यह जो चिल्लाहट हो रही है, उसके बजाय बात करने के जरा तरीके को तो सीखें। (हँसी) यह तरीका नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरी निश्चित सूचना है बात को कनफर्म करने के बाद ही बोला है। प्रमिला काले और श्री अनिलकुमार सिंह दोनों का कोरबा में लव मैरिज, प्रेम विवाह हुआ है। यह मेरी निश्चित सूचना है और मैंने उस सूचना पर विश्वास किया है उसके बाद ही मैंने इस सदन में बोला है। श्री अनिल कुमार सिंह ने एक शपथ-पत्र लिखकर मुख्यमंत्री जी को आपके सामने दिया है उस शपथ-पत्र के आधार पर लव मैरिज जो दो वर्ष पहले हुई है, उसे नकारना चाहते हैं तो एक पक्षीय नकारने से काम नहीं चलेगा। आप इसकी जाँच करवा लीजिये मुझे जाँच के कटघरे में खड़ा कीजिये और प्रमिला काले तथा संबंधित व्यक्ति की कोरबा में शादी हुई है या नहीं, इसके लिये जो जुडीशियल फाइडिंग लाकर आप कह दें कि पटवा जी आपने गलत कहा है तो मैं एक बार नहीं, सौ बार आपके चरणों में साक्षात् दण्डवत् करूँगा और माफी माँगूगा। लेकिन यह क्या? वन वे ट्रैफिक और इस तरह का शोर उचित है? आपने जो जवाब दिया है आरोप-पत्र पर तथा जो भाषण कहा है। उस पर आपने शुरूआत में इस तरह की स्थिति पैदा कर दी है कि आपके पास आरोपों का कोई जवाब ही नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : यह तो आने वाला समय ही बतायेगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : यह हो-हो किस बात के लिये हो रहा है। मैंने जब भाषण किया तो हमारे दल के किसी सदस्य ने आवाजें और नारेबाजी नहीं की। सदन के नेता अगर यही परम्परा कायम रखना चाहते हैं और यही जवाब तो हम भी देखेंगे और प्रदेश की जनता भी देखेगी।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही अनुगृहीत हूँ कि प्रतिपक्ष के नेता ने, जो यहाँ पर एफीडेविट दिया और जिस व्यक्ति ने दिया है उसके बारे में वे जाँच करवाना चाहते हैं, सही है, होना चाहिये और शायद शपथ-पत्र के आधार पर ही नहीं मान लेना चाहिये क्योंकि अपनी तरफ से ही कोई शपथ-पत्र पेश कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं क्या आपसे इस सदन के अध्यक्ष के नाते और हम सब लोगों के हित संरक्षक के नाते यह निवेदन करूँगा विनम्रता से कि जिस व्यक्ति ने यहाँ पर शपथ-पत्र दिया है कि किसी व्यक्ति से प्रमिला की शादी कभी भी हुई हो, इस बात की जाँच कोई करे या नहीं प्रतिपक्ष के नेता के सभापतित्व में इस सदन की एक समिति बना दें और वह अगले सत्र में अपना प्रतिवेदन दे दें और जैसा आपने कहा कि आपके चरणों पर दण्डवत् करूँगा तो मेरे चरण तो छोड़िए भगवान के चरण पड़िए आप अपने दिल पर हाथ रखकर कोई बात कहा करिए।

अध्यक्ष महोदय : चूँकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और सदन की समिति बनाने का प्रस्ताव आया है, इसलिए अध्यक्षता कौन करेगा, इसके बारे में निर्णय मैं करूँगा। लेकिन मैं सदन की समिति बनाने की घोषणा करता हूँ और आज दोपहर बाद सदन को सूचित करूँगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : यह मुझे स्वीकार है।

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल की जो यहाँ पर चर्चा हुई, उसकी शुरूआत हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने एक भाषण जो इस सदन में मैंने दिया था उससे की। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि

प्रतिपक्ष की ओर से सदैव रवैया रहा है कि अपने मतलब की बात सब जगह से निकालने की कोशिश जरूर करते हैं लेकिन कभी वे पूरी बात नहीं करते।

मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे जिस भाषण का उद्धरण उन्होंने कल यहाँ सदन में दिया उसका जो सबसे महत्वपूर्ण वाक्य था शायद उसको पढ़ने की हिम्मत प्रतिपक्ष के नेता में नहीं थी। इसलिये उसके दो वाक्य पूर्व ही उन्होंने अपना भाषण समाप्त कर दिया, जहाँ तक इस वाक्य का संबंध है मैंने यह भी कहा था आपकी जानकारी के लिये कांग्रेस दल की ऐतिहासिक भूमिका से है कि इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना हुई है और उसके प्रतिस्थापन के लिये हमें अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए काम करना है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आपके भाषण में पहले आ चुका है जो मैं पढ़ चुका हूँ पर यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस दल है ऐसा दल है जिसके प्रजातंत्र की नीव को मैं पढ़ चुका हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : आप इसके आगे की बात सुनिए यह मैंने क्यों कहा यह मैंने इसलिए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आजादी के लिये संघर्ष किया है और उस आजादी को प्राप्त करके इस देश में प्रजातंत्र की स्थापना की है और उस प्रजातंत्र को जारी रखने का संकल्प भी लिया है।

श्री शीतला सहाय : लेकिन जब कुंवर साहब कहाँ थे।

श्री अर्जुनसिंह : आपको बतलाना चाहता हूँ कि 14 अगस्त व 15 अगस्त की मध्यरात्रि को जब देश आजाद हुआ था एक नये इतिहास की संरचना हो रही थी मैं कांग्रेस असेम्बली की उस गैलरी में बैठकर उस ऐतिहासिक दृश्य को देखने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा थ।

श्री शीतला सहाय : आप दर्शक तो थे लेकिन पात्र नहीं थे।

श्री अर्जुनसिंह : शीतला सहाय जी ने कितना योगदान दिया है वह अपनी जीवनी प्रकाशित करके बता दें।

अध्यक्ष : आजादी में योगदान तो पुरानी पीढ़ी दे सकती थी नई पीढ़ी कहाँ से देगी।

श्री शीतला सहाय : गैलरी मैं बैठकर दर्शक बनकर योगदान दिया है।

श्री रमाशंकर सिंह : शीतला सहाय और अर्जुनसिंह दोनों संघ की शाखा लगाते थे।

श्री विमला वर्मा : आर.एस.एस. की संस्था उस समय थी, आर.एस.एस. का योगदान यहाँ बतायेंगे क्या?

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 1977 के चुनावों में जो परिणाम आये थे उन परिणामों के संदर्भ में किसी भी ऐसी पार्टी को और किसी भी ऐसे नेतृत्व को प्रजातंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए कार्य करना ही उचित था और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ सदन को स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि शायद आपकी पार्टी का आकार इस प्रकार हुआ था जैसे 54 टुकड़े बैठें। चारों तरफ वही हालत होती जैसा आज हुआ है। कांग्रेस पार्टी का दायित्व उस दायित्व के निर्वहन के लिये हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी को आपके द्वारा प्रताड़ित करने के बावजूद समस्त भारत में प्रजातंत्र के प्रति वचनबद्ध थी, प्रजातंत्र के प्रतिस्थापन के लिये प्रयास हर सम्भव तरीके से जनजागृति की, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है, उनको और उनके अनुयायियों को हर तरह से प्रताड़ित करने के लिये लेकिन जिन्होंने जगजागृति कर काम छेड़ रखा है , उनको और उनके अनुयायियों को हर तरह से प्रताड़ित करने के बिठाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमिका के बतौर बहुत-सी बातों का यहाँ पर उल्लेख किया है। एक बात का तो फैसला हो गया वह तो सदन की समिति ही फैसला करेगी। मैं तो कुछ कहना ही नहीं चाहता। भूमिका बांधी गई कि हम लोगों ने जनादेश प्राप्त करके कुछ नहीं किया। इन्होंने भी तो जनादेश प्राप्त किया था और वह जनादेश को प्राप्त करने के लिए लंबा-चौड़ा मैंनुफैस्टो जारी किया गया और उसको सदन के अंदर राज्यपाल के अभिभाषण में परिणित करने के लिए वायदे भी किए गए थे जिनका सदन में मैंने समय-समय पर उल्लेख भी किया, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन संक्षेप में स्थिति यह है कि 77 से 80 तक जिस जनादेश के आधार पर आप यहाँ विराजमान थे उसमें जो-जो आपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं वह उस तरफ की राजनीतिक इतिहास का अंश है और उसमें से कुछ चुनी हुई बातों का आगे चलकर बखान करूँगा जहाँ तक आपके इस आरोप-पत्र का सवाल है जिसको आपने संजीदगी से बनाया होगा ऐसा मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि प्रतिपक्ष यदि संजीदगी से व्यवहार न

करे तो वह प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहा है कि नहीं इसका निर्णय तो न केवल मैं कर सकता हूँ न आप कर सकते हैं। उसका निर्णय सदैव देश की जनता ही करती है। अब आपके उन विषयों के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। मैं इस सदन में कही हुई बातों को दोहराना नहीं चाहता। जिन आरोपों के बारे में यहाँ चर्चा हो चुकी है, जिन आरोपों का उत्तर इधर से दिया जा चुका है उनको फिर से उठाना नहीं चाहता लेकिन जिनका उल्लेख आपने किया है और जिस बारे में सदन में अभी कोई बात नहीं कही गई है मैं उन आरोपों के बारे में कहना चाहता हूँ। आपने हल्के किस्म से और मुझे दुख होता है जब मैं प्रतिपक्ष के नेता के बारे में हल्के किस्म की बात की संज्ञा देने की कोशिश करता हूँ। यह जो कानाफूसी की राजनीति है जिस दल को और जिसकी काली छाया है आपके ऊपर कि जो एक जगह कोई ह्यूमर शुरू करे और भारत के कोने-कोने में दूसरे दिन शाखाओं के माध्यम से वह ह्यूमर फैल जाये। इस कानाफूसी की राजनीति से पटवा जी कोई राज नहीं चलता, पार्टी नहीं चलती। आपने कह दिया कि कल्याण मुकर्जी जो पत्रकार हैं। आप उनका रिश्ता स्पष्ट नहीं कर सके भिंड के पुलिस अधीक्षक से। उन्हीं के बीच से मलखानसिंह की बात हुई। कृपा करके इस सदन में बहुत से लोग नहीं हैं जो आपकी उन बातों का न कहीं खंडन कर सकते न उल्लेख कर सकते हैं। इस सदन के अन्दर कही हुई हर बात हर प्रकार से एक स्वतंत्र भाषण की परिधि में आती है। जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। इस परिस्थिति में हम में से हर एक का यह दायित्व है कि जो कुछ सदन में कहें इस बात को मद्देनजर रख कर कहें। मैं जानकारी देना चाहता हूँ क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता ने उस बात को कहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि कल्याण मुकर्जी और भिंड के एस.पी. श्री राजेन्द्र चतुर्वेदी के बीच में कोई रिश्ता नहीं है और उसकी भी खोज आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप समय ले लीजिए। आप अपने आरोप क्रमांक-10 जिसमें यह कहा है कि मैंने मधु ब्रदर्स के कोई मधु गुप्ता हैं, उनके खिलाफ निषेधाज्ञा जारी न करने के लिए तत्कालीन गृह सचिव पर दबाव डाला। इतना ही नहीं कि दबाव डाला, गिरफ्तार होने के एक दिन में ही अनिश्चित काल के लिए उनको पैरोल पर छोड़ दिया। यह आपके आरोप-पत्र क्रमांक-10 में उल्लिखित है। वस्तुस्थिति क्या है? यह तो प्रश्न ही नहीं उठता कि किसी के ऊपर दबाव डालकर कोई काम करें चाहे वह मिस्टर खन्ना हों चाहे मिस्टर बीरबल हों या कोई शासकीय कर्मचारी हो। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है? निरोध का अनुरोध 26-3-82 को पारित हुआ। निरोध में लाने का दिनांक 10-9-82 है पैरोल का आवेदन पत्र पेश किया गया 10-9-82 को और 16-9-82 को इसकी जाँच करने के लिए गृह सचिव को दिया और गृह सचिव ने जिन केन्द्रीय आबकारी आयुक्त इन्दौर की राय पर निरोधात्मक आदेश जारी किया था उनके पास इस रिक्वेस्ट को भेजा उनकी राय ली उन्होंने उसमें अपनी असहमति व्यक्त नहीं की। इसके पश्चात् जो नियम प्रक्रिया है कि वह पैरोल के आदेश 18-9-82 और गये उनके आदेश दिनांक 21-9-82 और आपका आरोप-पत्र जिस दिन बताया उस दिन छूट गये थे। आपने कहा कि अनिश्चितकाल के लिए पैरोल पर निकाले हैं। परन्तु वह आदेश केवल 15 दिनके अनिश्चित काल के लिए नहीं थे। और अध्यक्ष महोदय पुनः 2-10-82 को निरोध में लिया जा चुका है। इसके बाद आपने कहा कि अनिश्चित काल के लिए किसी व्यक्ति को इस प्रदेश का भ्रमण करने के लिए छोड़ दिया इसकी सत्यता-असत्यता पर आप स्वयं विचार करें।

(शेम-शेम की आवाज)

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : मुख्यमंत्री जी पैरोल की जो कोई एप्लीकेशन प्रोसीक्यूशन के लिए एप्लाई करता है उसकी राय ली जाती है।

श्री अर्जुनसिंह : यह तो आपने ऐसी बात कही सखलेचा जी जो कि आपके नेता की भावना के प्रतिकूल है। आपकी तरफ से एक हजार मनगढ़न्त तरीके से आरोप लगाये गये।

श्री विक्रम वर्मा : इसका मतलब आपके मन में भी चोर था।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आरोप क्रमांक-13 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने वायरलेस के द्वारा एक संदेश भेजा। कहाँ से पढ़कर आपने यहाँ सुनाया मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे इस वायरलेस की कापी मिल जाये जिसके माध्यम से प्रतिपक्ष के इस आरोप के बारे में मैं कुछ राय जाहिर कर सकूँ। अभी भी मुझे

पी.एच.ई. के द्वारा जो संदेश भेजा था और आपको तो मालूम है कि जब वायरलेस भेजा जाता है, तो उसकी एक कापी रखी जाती है वह कापी नहीं मिली, मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। यदि आप उस वायरलेस के संबंध में कोई जानकारी दे सकें। उस गवाह ने क्या कहा था गवाह ने जो अदालत में कहा आपके माध्यम से मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। गवाह ने वायरलेस की बात कही थी जैसा कि आपने आरोप-पत्र में बताया है यदि इसमें कहीं कोई गलत है तो मैं इस सम्बन्ध में कार्यवाही करूँगा।

हरिजन आदिवासियों के ऊपर अत्याचार और न जाने क्या-क्या बातें गुजरीं। अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, प्रशासनिक स्तर के और सामान्य स्तर के जिनको केवल दलगत राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता और उनमें से एक यह घटना ऐसी है, मैं यह मानता हूँ कि यह जो घटनाएँ होती हैं यह घटनाएँ समाज के अन्दर पूर्ण रूप से उस मनोभावना को व्यापक स्तर पर प्रचार कर देती हैं या कि घटनाएँ होने की वजह से ये घटनाएँ घटती हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या हम इसे राजनीतिक पैंतरेबाजी के अन्दर डालें उससे हटकर जो कि हमारा सही लक्ष्य है। आपका भी है हमारा भी है। और इस प्रकार की घटनाएँ न घटें जिससे कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिले जो कि और इस प्रकार की घटनाएँ करते हैं इस प्रकार का वातावरण निर्मित करने के लिए मैं उसके लिए आपका सबका सहयोग चाहता हूँ। अभी तक यह भी प्रक्रिया थी कि ऐसी घटनाएँ यदि आयें भी सामने तो उनको दर्ज न किया जाये और इसलिए दर्ज न किया जाये ताकि बातें लोगों के सामने पहुँचेंगी कि इतनी घटनाएँ हो गईं। अध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व भी हमने 1980 में सदन में कहा था कि हम इनको हर प्रकार के अवसर, न्याय के अवसर और सुरक्षा के अवसर देंगे और उनका संरक्षण करेंगे। तो यह भी था कि जितनी घटनाएँ होवें, दर्ज हों और उन पर कार्यवाही हो। तो आप इस विषय को दलगत राजनीति का विषय न बनायें। इसमें पूरे सदन की जिम्मेदारी है कि उसमें क्या कार्यवाही हो उसे पूरे खुले मन से हमें सबको विचार करने की आवश्यकता है और जो भी विचारविमर्श के बाद एक निष्कर्ष सामने आयेगा उसे कार्यान्वित करने के लिए मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आरोप क्रमांक 17— प्रदेश के साहित्यकारों का दमन। अब अध्यक्ष महोदय, मुझे अगली पंक्ति में एक मिसिंग लिंक दिख रही है। इस मिसिंग लिंक के में भूतपूर्व भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के बीच में एक मिसिंग लिंक है। कैलाश जोशी जी के लिए कुछ नहीं कहना है वे तो एक मस्त जीव हैं हम आदर करते हैं उनका।

श्री सुन्दरलाल पटवा : हमने क्या गुनाह किया है साहब?

श्री अर्जुनसिंह : यह मैं आगे बतलाऊँगा।

श्री शिवभानु सोलंकी (उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री) : जोशी जी मस्त जीव हैं और आप मस्ताना हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं आपकी दरियादिली की दाद देता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री पटवा जी द्वारा जब साहित्यकारों के ऊपर बन्धन लगाने की बात या उनको प्रताड़ित करने की बात या स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर कोई बन्धन लगाने की बात कही जाती है तो अनायास मेरा ध्यान .....

श्री सुन्दरलाल पटवा : किसी के बेडरूम में चला जाता है।

श्री अर्जुनसिंह : हम तो अपने बेडरूम में ही सोते हैं आप कहीं बाहर जाकर सोते हैं तो अलग बात है। मैं अपने बेडरूम में जाऊँ तो आपको क्या आपत्ति है?

श्री कृष्णपाल सिंह (विधि एवं विधाई कार्य मंत्री) : पटवा जी के पास बेडरूम के अलावा एक बेडरूम भी है।

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, ये अपने बेडरूम की जगह किसी दूसरे के बेडरूम में जाकर सोते हैं।

श्री कृष्णपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं धोखे से एक बार विक्रम वर्मा के घर चला गया था।

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, वे मेरे पिता के तुल्य हैं अगर वे अपने दामाद के घर आये तो कोई आपत्ति की बात नहीं है।

श्री शीतला सहाय : अब जब कृष्णपाल सिंह जी को जबाव मिल गया तो भाग लिए।

श्री कृष्णपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, शीतला सहाय जी को तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने का गौरव प्राप्त हो गया है।

अध्यक्ष : अब मैं समझ गया हूँ कि आपको महिलाओं की समिति में क्यों भेज दिया गया है।

श्री कृष्णपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम तो उनको न पुरुषों में रखते हैं और न महिलाओं में रखते हैं हम तो उनको दोनों के बीच में रखते हैं।

श्री शीतला सहाय : उस सूची में उनका नाम पहला नहीं होगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री बालकवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पटवा जी अपने बेडरूम में सोते नहीं हैं। मैं उनके घर का मेम्बर हूँ मैं जानता हूँ ये तो बेडरूम में सोने की कोशिश करते हैं पर भाभी बाहर निकाल देती हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, घर की बात बाहर प्रकट करने के लिए मैं उन पर रोष प्रकट करता हूँ।

श्री चित्रकांत जायसवाल : इसका मतलब आप उनकी बात की तस्दीक कर रहे हैं।

श्री विट्ठलभाई पटेल : अध्यक्ष महोदय, पटवा जी अगर अपने बेडरूम में नहीं सोते तो प्रश्न उठता है कि किसके बेडरूम में सोते हैं?

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब बेडरूम की व्याख्या से बाहर, जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि साहित्यकारों पर दमन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके प्रति आलोचना पद्धति, अध्यक्ष महोदय, ये केवल मुहावरे नहीं हैं वे कोरे मुहावरे नहीं हैं और यह केवल भाषण देने के लहजे नहीं हैं इनसे तो आपके काम करने की मनोदशा व्यक्त होती है। क्या इस प्रदेश के एक ख्याति प्राप्त लेखक श्री शानी को इस प्रदेश से रिफ्यूजी की तरह एक्जाइल लेना पड़ा और उसके लिए कौन दोषी था? उसके लिए आपका शासन दोषी था आप तीन में से जो भी हों अपने में बंटवारा कर लीजिए कि किसने क्या इस मामले में किया था। आपने एक कविता का उल्लेख किया। मैंने इस कविता को पढ़ने का अपनी बुद्धि के अनुसार प्रयास किया है। यह कविता भूख पर है और इसको लिखने वाले नामदेव ब्साल हैं यह मराठी के कवि हैं। इन्होंने भूख पर इसको लिखा। कवि ने उन दलितों की ओर से जिनकी जनवृत्ति को, आक्रोश को अपनी समूची भावना को अपनी शैली में, अपनी वाणी में अपने तरीके से उसको अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है यह इस कविता की कला है। आज एक नई परम्परा देश में चली है जो स्टेब्लिशमेंट से खिलाफ है, कवि हैं, लेखक हैं विद्रोह की भावना रखकर कहना चाहते हैं जहाँ तक आक्रोश का स्वर है, विद्रोह का स्वर है उसको मुखरित करना चाहते हैं उन दलितों की ओर से जिनके बारे में स्वाभाविक रूप से इस सदन में प्रत्येक सदस्य को चिंता होनी चाहिए और है। आपने उस पूरी कविता को उद्धृत नहीं किया है, जो आपकी संकीर्ण मनोवृत्ति का द्योतक है। आउट आफ कंटेस्ट कुछ शब्दों के बारे में आपत्ति उठाकर मैं समझता हूँ विद्रोही कवियों के स्वर के साथ, जो समाज की सेवा करते हैं, हम उनसे सहमत हों या नहीं, इसका प्रश्न नहीं है, और ऐसे व्यक्ति की कविता छपी है और वह शासन की एक पुस्तिका में छपी है तो मैं समझता हूँ कि आप न्याय नहीं कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति आप उन हितों का संरक्षण नहीं कर रहे हैं जो अपनी वाणी में अपनी वेदना को प्रकट करना चाहते हैं इसलिए आपकी यह दलील हम दमन कर रहे हैं न केवल यथार्थ से परे है बल्कि पूर्णतः भेदभाव से यह आरोप हमारे ऊपर लगाया है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : क्या पूरी कविता को पढ़ देंगे? वह सदन के रिकार्ड की शोभा बढ़ायेगी।

श्री अर्जुनसिंह : क्या जरूरी है? मैं पूछता हूँ आप भारतीय परम्परा, भारत के पुराने इतिहास, गौरव सब के धरोहर की रक्षा करने वाले विराजे हैं.....।

श्री विक्रम वर्मा : प्वाइंट आफ आर्डर, किसी एक कविता के बारे में यह उद्धरण दिया आज भी आया कल भी आया। एक अश्लील कहता है, एक प्रशंसा करता है। हमको मालूम तो पड़े वह कविता क्या है? मुख्यमंत्री जी अपने मुखारविन्द से पढ़ दें।

अध्यक्ष : यह प्वाइंट आफ आर्डर, नहीं है।

श्री शीतला सहाय : क्या यह मानें कि मुख्यमंत्री जी उस कविता को सदन में नहीं पढ़ सकते?

डॉ. राजेन्द्र जैन (वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री) : प्वाइंट आफ आर्डर, कल पटवा जी 1 घंटा 10 मिनट बोले। हम लोगों ने शांति से सुना (नहीं-नहीं की आवाज) और आज हमारे नेता बोल रहे हैं तो व्यवधान पैदा कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : मेरे निवेदन का तात्पर्य केवल इतना है कि अश्लीलता को किसी संदर्भ में ही देखा जाता है। अगर संदर्भ के बाहर जाकर अश्लीलता की व्याख्या करना चाहेंगे तो शायद हमारे देश के गौरव कहे जाने वाले अनेकों महाकवियों की रचनाएँ— कालिदास, सूरदास, घनानन्द, इन्होंने जो कुछ लिखा है वह अश्लीलता की श्रेणी में आ जायेंगे और आप कहेंगे इनकी कविताओं को, ड्रामा को वैन कर देना चाहिए। तो मेरा यही कहना है समूचे प्रसंग को देखा जाये। समूचे प्रसंग में है तो कोई बात नहीं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप तो समूची कबिता को पढ़ दें।

श्री अर्जुनसिंह : आपने क्यों नहीं पढ़ा? यहाँ पर के.एन. आयल इंडस्ट्रीज, एम.पी. आयल मिल को दस हजार टन सालबीज देने का निर्णय लिया गया जिसमें 10 लाख रुपया हमने ले लिया। ऐसा कहा गया खैर, यह तो आपकी महिमा और कृपा है कि मुझ गरीब को आप अमीर बनाते जा रहे हैं। आपकी कृपा का मैं आभारी हूँ। सवाल यह है कि इस प्रकरण में आपने 630 रुपया रायल्टी की बात कह दी लेकिन सदन इस बात से अवगत रहे इसलिये सदन को जानकारी दे रहा हूँ। आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि 630 रुपये का आर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसके ऊपर एक रुपया क्विंटल की दर लगाकर 1600 रुपये पर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसको पूरा करने के उद्देश्य से दिया गया है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ सकते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मैं आपको पूरा भेज दूँगा आप पढ़ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, 21 नवम्बर के आरोप पर मुझे प्रतिपक्ष के नेता को सचेत करने की आवश्यकता है, पड़ेगी। आप आये दिन हमको संकेत करते रहते हैं। कभी इस्तीफे की बात कहते हैं। कभी सचेत करते हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता श्री सुन्दरलाल जी पटवा को यह थोड़ा-सा भ्रम है कि किस तरह से आपके इर्द-गिर्द रहने वाले लोग पहले अपने सिर के पाप को आपके सिर मढ़ना चाहते हैं और फिर हमारे सिर पर मड़ना चाहते हैं। जयश्री इंसूलेटर्स इण्डस्ट्रीज रिसरा पश्चिम बंगाल कलकत्ता से इंसूलेटर्स की खरीदी कब की गई। सन् 76-77 में इंसूलेटर्स की कोई अलग इकाई नहीं थी, इस कारण सन् 1978 में तीन कम्पनियों को इन्सूलेटर्स के लिए प्रदाय करने के आदेश दिये गये जिसमें जयश्री इंसूलेटर्स भी था। उस इकाई की कीमत सबसे ज्यादा थी। तीन कम्पनियों को आर्डर देने का कारण यह था कि एक इकाई द्वारा माल प्रदाय करना संभव नहीं था। बाद में अनुभव भी यही रहा। किसी ने पूरा माल नहीं दिया। दिसम्बर 81 में विश्व बैंक सहायता के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युत निगम दिल्ली द्वारा इंसूलेटर खरीदे गये। नवम्बर 1979 में विद्युत मण्डल द्वारा टेण्डर बुलाये जाकर निविदायें प्राप्त की गईं। 4 निविदायें विभिन्न दरों की स्वीकार की गईं, उसमें जयश्री इंसूलेटर्स की निविदा भी शामिल थी। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वर्तमान शासन के कार्यकाल के समय न तो कोई टेण्डर बुलाये गये और न कोई टेण्डर स्वीकार किये गये। आप आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, किसने खरीदा और किसने क्या किया, इसके परिणामस्वरूप स्थिति क्या निर्माण होगी, यह मैं आपको बताऊँगा। फिर आपने कह दिया कि सिंचाई विभाग के 30 वरिष्ठ अधिकारियों का हमने विभाग के मंत्री के परे रहकर स्वयं सीधी स्थानान्तर कर दिया। हमने सोलंकी जी से, उसके विभाग से इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी देने के लिए निवेदन किया। सब कुछ देखने के पश्चात् ऐसा कोई भी आदेश जिसमें कि सम्बन्धित विभाग के किसी स्तर पर परामर्श न हो, मेरे द्वारा प्रसारित नहीं किया गया है।

श्री शीतला सहाय : आप सोलंकी जी की मुद्रा देख लीजिए। वे कह रहे हैं कि हम मजबूरी में बैठे हैं, नहीं तो सब बता देते।

श्री अर्जुनसिंह : आप भी मजबूरी में बैठे हैं वैसे पटवा जी आपके बच्चा सक्का के 27 दिन के शासनकाल में बहुत-सी चीजें हुई हैं। पता नहीं उनकी जानकारी आपकी रही हो या न रही हो। मेघावाले जी ने चुपचाप सब

बातें करली हों और उसके अतिरिक्त कुछ चीजें आपके पास पहुँच पाई हों या नहीं पहुँच पाई हों मैं नहीं जानता। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि 27 दिन के लिए मैं सिंचाई मंत्री बना था मैंने मेघावाले जी से चार्ज लिया था मैं चुनौती देकर कहता हूँ कि आप एक भी केस मेरे विरुद्ध प्रमाणित कर दें तो मैं विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दूँगा।

श्री अर्जुनसिंह : मैं भाई लक्ष्मीनारायण जी ने जो जानकारी दी उसके लिए उसका अनुगृहीत हूँ। अब मैं मेघावाले जी का नाम हटाने की अनुमति चाहता हूँ और खेद प्रकट करता हूँ। मैं शर्मा जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि उस समय जनवरी और फरवरी माह में जिस समय कि, सिंचाई विभाग का काम अपनी चरम सीमा पर होता है, वर्किंग सीजन रहता है, 63 एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स, 13 सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर्स और नीचे के जिसकी गिनती और है उनका अचानक स्थानान्तर कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी कौन-सी आपात की स्थिति आ गई थी। इसकी व्यवस्था आप जैसे चाहें कर दें। मैं कोई आरोप नहीं लगाता। आप चुपचाप अपने स्थान पर बैठिए..... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी अगर उन स्थानान्तरों की लिस्ट पटल पर रख देंगे तो बात साफ हो जावेगी।

श्री अर्जुनसिंह : यह तो ऐसी बात हो गई, शर्मा जी यदि मुझे मजबूर कर देंगे तो मैं वह पटल पर भी रख दूँगा अध्यक्ष महोदय, अब मैं आरोप क्रमांक-25 पर आता हूँ। कहा गया है कि टोंस पनबिजली योजना का ठेका मैंने अपने एक चहेते व्यक्ति को देने का प्रयास किया आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह कि मैं श्री नागेन्द्र सिंह जी को जानता हूँ, वह मेरे परिचित हैं, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसी भी प्रकार से व्यापारिक विषय में मेरा उनसे कोई सम्बंध नहीं है। लेकिन आरोप जो यहाँ लगाया गया है कि उनको लाभ पहुँचाया। मुझे खेद है कि आपकी बात सही तथ्यों पर आधारित नहीं है। आप एक बात कहना चाहते थे, इसलिए उस नाम को जोड़कर वह बात कह दी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पनबिजली योजना टोंस की ही नहीं बोधघाट की पेंच की और टोंस की इनके बजाय सिंचाई विभाग के इन पनबिजली योजनाओं के क्रियान्वयन का काम विद्युत मंडल के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया। टोंस पनबिजली योजना के कार्य के लिये निविदाएँ आमंत्रित की गई थीं उसमें विश्वनाथ सिंह एण्ड कम्पनी के रेट्स सबसे कम्पटीटिव थे अन्य पार्टियों के रेट्स अधिक थे इनके रेट्स कम होते हुए भी क्योंकि यह एक नयी कम्पनी थी इनको पूरा काम नहीं दिया गया। यू.पी. ब्रिज कन्स्टरक्शन कम्पनी जो कि उत्तरप्रदेश शासन की है उनके रेट्स ज्यादा होने के बावजूद क्षमता के ओधार पर काम प्रभावित न हो इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्रिज़ कन्स्टरक्शन को काम का अधिकांश भाग दिया गया और निगोशियेशन्स करके जो क्षमता विश्वनाथ एण्ड कम्पनी रखती थी उस अनुपात से उन दोनों के बीच में समझौता कराने के बाद काम दिया गया। अब जो कुछ भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ (व्यवधान)

श्री शीतला सहाय : मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि श्री नागेन्द्र सिंह क्या विश्वनाथ एण्ड कम्पनी के पार्टनर हैं?

श्री अर्जुनसिंह : जी हाँ वह उस कम्पनी के पार्टनर हैं।

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, वही रीवा में एक सिनेमा बना रहे हैं। सारी सुविधाएँ उनको कायदे कानून को छोड़कर दी जा रही हैं।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर वह धार में सिनेमा बनाना चाहेंगे तो जहाँ आप कहेंगे वहाँ उनको जमीन दे देंगे..... (व्यवधान)

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, सोना खरीदी का भी एक मामला है।

श्री दिग्विजय सिंह (कृषिमंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह का इट्रप्शन कहाँ तक सहेंगे?

श्री विक्रम वर्मा : आपको सहना पड़ेगा।

श्री अर्जुनसिंह : मेरा दायित्व है, बहुत कुछ सहन करूँगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : समधी जी की आपत्ति है, सहन नहीं करना पड़ेगा।

श्री अर्जुनसिंह : सहन करने के बाद बात कहने का अवसर मुझे देंगे पूरा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : देंगे पूरा।

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी माननीय रघुवंशी जी को सहन कर सकते हैं तो हमको भी सहन कर लेंगे।

अध्यक्ष : एक बात, इंट्रप्शन यदि उन्हें मंजूर है तो ही कर सकते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : अब अध्यक्ष महोदय, आरोप क्रमांक-27 ट्रकों को राष्ट्रीय परमिट के ऊपर आरोप-पत्र में आपने लिख दिया कि सबके अधिकार छीन कर एक कनिष्ठ अधिकारी को अधिकार दे दिये गये मैंने उसको दबा कर अपने मन से परमिट दिला दिया यह संक्षेप में आपका आरोप है। वस्तुस्थिति क्या है। ट्रकों के राष्ट्रीय परमिट देने का अधिकार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी संभागायुक्तों के पास से यह कार्य एक कनिष्ठ अधिकारी को दिया गया है। यह आपका कहना है। राष्ट्रीय परमिट अन्य राज्यों में राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा जारी किए जा रहे हैं, शासन ने इसे दृष्टिगत रखते हुए एवं एक अधिकारी के पास अधिकार केन्द्रित न रखते हुए इस प्रक्रिया और प्रणाली में एकरूपता लाने की दृष्टि से राष्ट्रीय परमिट स्वीकृत करने का अधिकार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी से समाप्त कर राज्य परिवहन प्राधिकारी को विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक 1/14/32/8, दिनांक 16-4-82 द्वारा सौंपे हैं। राज्य परिवहन प्राधिकारी केवल एक अधिकारी नहीं है, अपितु सात सदस्यों की एक समिति है, जिसमें दो अशासकीय सदस्य भी हैं। इनका अध्यक्ष विशेष सचिव, गृह को घोषित किया गया है। समिति द्वारा इस कार्य के सम्पादन से कार्य में निष्पक्षता एवं एकरूपता आएगी। परमिट देने के कार्य को एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया मानी जाती है और मैं विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ मैंने किसी को परमिट देने के लिए न तो आग्रह किया, न तो दुराग्रह किया, न किसी प्रकार का दबाव डाला।

श्री सुन्दरलाल पटवा : दो अशासकीय सदस्यों के नाम.....

श्री अर्जुनसिंह : तो उनके माध्यम से किया।

श्री सुन्दरलाल पटवा : कौन हैं, जरा उनका नाम बता दीजिए।

श्री अर्जुनसिंह : जहाँ तक मुझे स्मरण है— जीवनलाल जी साहू, एडवोकेट, महासमुन्द— रायपुर और मलेश्वर सिंह, एडवोकेट रीवा। अब इस परमिट के मामले में माननीय गेंग आफ थ्री। भाई चौथे की नौबत नहीं आई है, नहीं तो वह भी हो जाता। जो गेंग आफ थ्री है, इसमें से कौन-सा व्यक्ति है, फिर आपस में तय कर लें, मैं उसमें पड़ना नहीं चाहता घटना है, 78 की और केपीटल मल्टीपरपज को-आपरेटिव सोसायटी के आवेदन पर उनके 32 परमिट केपीटल रोडवेज प्रायवेट फायनेंस लिमिटेड को ट्रांसफर करने का आदेश आयुक्त, भोपाल जो रीजनल अथारिटी भी है, के द्वारा 9-3-78 को दिये गये। अब इसके पीछे क्या-क्या था, मैं उसमें कुछ नहीं चाहता, लेकिन मैं सदन को स्मरण जरूर दिलाना चाहता हूँ, केवल हमारे दल के लोग नहीं उस समय जो शासकीय दल था, उसके माननीय सदस्यों ने लगातार सदन में अगस्त, 77 के सत्र से लेकर और 1980 तक लगातार सवाल पूछे, आधे घंटे की चर्चा की, हर प्रकार से सदन का ध्यान उधर आकर्षित करने का, तात्कालिक प्रशासन को आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ तो ध्यान केन्द्रित, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी दूसरी जगह पर था, जिसका मैं जिक्र बाद में करूँगा।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार फेक्ट्स को मिसरिप्रजेण्ट किया जा रहा है, अध्यक्ष महोदय, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, आप सुनने के लिये क्षमता रखिए। आप पूर्व शासन की बात करते हैं। हमारे समय में नागपुर का रूट नेशनलाइज हुआ और ये पुनः बस चलाने की अनुमति दे रहे हैं प्रश्न नेशनल परमिट का उठाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ये आपने कह दिया है। आपका जवाब आ गया है।

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, रूट का नेशनलाइजेशन अलग बात है और नेशनल परमिट ट्रक्स को दिये जाते।.....

(व्यवधान)

श्री परशुराम सिंह भदौरिया : अध्यक्ष महोदय, वर्मा साहब नेपाल की अफीम की बात कर रहे हैं।

कुमारी विमला वर्मा (परिवहन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, केपिटल मल्टीपरपज को-आपरेटिव सोसायटी है और उसको 1978 में प्रियारिटी पर परमिट दिये गये। यह घटना एक ही दिन की है। एक ही दिन में सारी कार्यवाही हो गयी। केपिटल रोडवेज एण्ड फाइनेंस प्राइवेट लि. को दी गयी। कहाँ ये को-आपरेटिव सोसायटी बनी है माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी।..... (व्यवधान)..... जिसमें इस बेसिस पर परमिट मिले हुए थे। 1,16,000 रुपया नहीं लिया गया और कम केपेसिटी बताकर उनको परमिट दे दिये गये। सहकारी समिति को प्रियारिटी होती है प्राइवेट कम्पनी को ट्रांसफर कर दिये गये।

श्री विक्रम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जिस को-आपरेटिव सोसायटी की बात बतायी है उसके सदस्यों के नाम बता दें। एक ही परिवार के 10 आदमी सोसायटी बना लेंगे।

कुमारी विमला वर्मा : प्राइवेट कम्पनी को नहीं दे सकते हैं।

श्री शीतला सहाय : अध्यक्ष महोदय, बहन जी इतना और बता दें कि नागपुर-भोपाल रूट जो नेशनलाइज था उसे आपने डि-नेशनलाइज करके परमिट दिये हैं।

कुमारी विमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई परमिट नहीं दिया गया है और न ही रूट को डि-नेशनालाइज किया गया है। इसके सम्बन्ध में विधानसभा में प्रश्न आ चुका है और उसका जवाब मैं विधानसभा में दे चुकी हूँ। कुछ तो सही बोला करिए।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय के विस्तार में नहीं जाना चाहता था क्योंकि माननीय सदस्य श्री शालिगराम श्रीवास्तव सदन में उपस्थित नहीं हैं जिनकी शिकायत पर यह उद्घाटित हुआ। उनकी अनुपस्थिति में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन रिकार्ड के आधार पर स्थिति यह है कि आयुक्त, आर.टी.ओ. ने परमिट ट्रांसफर करने के लिये निम्नलिखित आधार पर आदेश नहीं दिये थे? कौन से आधार थे। सम्बन्धित मार्गों पर राष्ट्रीयकरण की योजना विचाराधीन होने के कारण ट्रान्सफर उचित प्रतीत नहीं होता। दूसरा था सोसायटी को कम केपेसिटी बताकर राष्ट्रीयकरण बेचा, जिसका 1,16,000 शेष है। तीसरा यह था कि सोसायटी को परमिट सहकारी समिति होने के नाते प्राथमिकता के आधार पर दिये गये थे उनका ट्रान्सफर गैर-प्राथमिकता प्राप्त प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी को करना उचित नहीं था इस आधार पर नहीं दिया। आगे पता चलता है कि इसी आशय की विशेष सचिव गृह ने एक टीप 22-4-78 को राज्यमंत्री गृह को भेज दी। तब पता चलता है इसी बीच 9-5-78 को आयुक्त ने एक टीप अंकित की, उनकी चर्चा मुख्यमंत्री जी से राज्यमंत्री गृह की उपस्थिति में हुई अतः ट्रान्सफर में अब कोई आपत्ति नहीं है.....

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, सारे परमिट कॉंग्रेस शासन के इश्यू किये हुए हैं। हमने उनको नेशनलाइज किया था।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, परमिट को-आपरेटिव सोसायटी को मिले थे आपने उसका जो परमिट है उसको समाप्त करके प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी बनने के बाद ही उनको दिया, इतना ही मेरा कहना है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : आपने अभी भी एक परमिट रद्द किया है क्या?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्र. 28 में राज्य में गेहूँ को लेकर बहुत जोर-जोर से करोड़ों के भ्रष्टाचार के बारे में विक्रम वर्मा जी ने कहा, जी हाँ अध्यक्ष महोदय, इसका तो मैं कारण बताऊँगा कि लाखों की गिनती के बजाय करोड़ों पर विक्रम जी की आँखें क्यों टिकती हैं लेकिन.....

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान गेहूँ उत्पादक क्षेत्र नहीं है इसलिए पंजाब, हरियाणा को छोड़कर आपके अधिकारी राजस्थान क्यों गये?

अध्यक्ष : इस तरह से अगर व्यवधान होंगे तो दिक्कत होगी, आप बैठिए। आप प्वाइंट लिख लीजिए, अगर आक्षेप होंगे तो मौका दूँगा।

(व्यवधान)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इनके ऊपर कोई आक्षेप लगा ही नहीं रहा हूँ, जब आपने आरोप लगाये हैं तो क्या सही स्थिति की जानकारी सदन में नहीं दूँ? अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि एक हजार क्विंटल गेहूँ खरीदने के लिये गये उसको बेच दिया और लाखों का नुकसान हो गया। अध्यक्ष महोदय, कुल 1253 क्विंटल 83 किलो गेहूँ की खरीदी हुई जिसकी कुल कीमत दो लाख चौदह हजार छः सौ पिन्चानवे रुपये सत्तान्वे पैसे है, यह तो पूरी कीमत हुई, अब चूँकि राजस्थान शासन द्वारा इसकी निकासी पर प्रतिबन्ध लगाया गया इसलिए वह गेहूँ वहीं पर बेच दिया गया और उसको 2 लाख, 20 हजार 9 सौ 2 रु. 81 पैसे में बेचा गया अब अध्यक्ष महोदय, वह गेहूँ खरीदा गया 2 लाख 14 हजार के लगभग और बेचा गया 2 लाख 20 हजार में इसमें से ये कहते हैं कि करोड़ों का घोटाला भी हो गया और लोगों को हिस्सा भी मिल गया..... (मेजों की थपथपाहट) (शेम-शेम की आवाजें) फिर इन्होंने लोक निर्माण विभाण के बारे में एक आरोप लगाया कि कितने पद हैं भरे नहीं गए हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, अध्यक्ष महोदय, इसमें वस्तुस्थिति यह है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सितम्बर 1980 में 214 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया तथा 3 मार्च 82 को लोक सेवा आयोग द्वारा चयन करके सूची विभाग को प्रेषित कर दी गयी तथा प्रत्येक इन नियुक्तियों हेतु भारी रकम प्राप्त करके भ्रष्टाचार करने का प्रयास किया जा रहा है, यह आरोप है। अध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण विभाग ने 214 सहायक यन्त्रियों के पदों का मसला उठाकर विपक्ष ने जनहित का कार्य किया है क्योंकि इसका कारण भी उनके खुद के शासनकाल की अव्यवस्था है। इन्होंने सन् 1978 में यह निर्णय लिया कि 200 कनिष्ठ यंत्रियों के पदों को सहायक यंत्रियों के पदों में बदल दिया जावे। इन पदों पर कनिष्ठ यंत्रियों को ही पदस्थ कर दिया गया।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं सहायक यंत्रियों के 40 फीसदी पद अब पदोन्नति से और 60 फीसदी सीधी भरती से भरे जाते हैं। समस्या यह है कि इन 200 पदों के ऊपर जिन कनिष्ठ यंत्रियों को रखा गया है उन्हें सीधी भरती का माना जाये अथवा पदोन्नति का इस पर अन्य सम्बन्धित विभागों से विचारविमर्श किया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मितव्ययिता की है। आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष अनेक अपरिहार्य कारणों से खर्चे में किफायत बरती जा रही है। शासन ने इस संदर्भ में एक निर्णय यह भी लिया कि जो पद रिक्त हैं (7-12-81 को) उन्हें इस वर्ष न भरा जावे। इस दृष्टि से भी शासन यह विचार कर रहा है कि कितने न्यूनतम आवश्यक पदों को भरे जाने के शासन के मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों में भी शिथिलीकरण की कार्यवाही की जा रही है सदन को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इन पदों के न भरे जाने में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा दुर्भावना नहीं है बल्कि जैसा मैंने कहा जनता शासनकाल की ही छोड़ी हुई समस्या है जिसे हम सुलझाने में लगे हुए हैं। विदिशा जिले में राज्य वस्तु व्यापार निगम द्वारा गेहूँ की ढुलाई के मामले में ध्यान आकर्षित किया गया इस सम्बन्ध में.....

अध्यक्ष : अन्दाजन आपको कितना समय और लगेगा?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे समाप्त कर लेने दिया जाए, नहीं तो श्रृंखला टूट जायेगी।

अध्यक्ष : तो फिर डेढ़ बजे तक का समय बढ़ा देते हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, ढाई बजे के बाद जितना समय चाहें, बोल लें। ऐसी भी क्या श्रृंखला है, जो टूट जायेगी।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से सदन की अनुमति पर हूँ। आप ढाई बजे से कर दें।

अध्यक्ष महोदय : विधानसभा 2.30 बजे तक के लिए स्थगित।

(1.00 से 2.30 बजे तक अंतराल)

{उपाध्यक्ष महोदय (श्री रामकिशोर शुक्ल) पीठासीन हुए}

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन अवकाश के लिए उठ रहा था उस समय मैं विदिशा के आरोप क्र.-39 के सम्बन्ध में यहाँ पर सदन में जिक्र कर रहा था। उस सम्बन्ध में आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ यहाँ पर आरोप में कहा गया है मैं उसकी विवेचना में नहीं जाना चाहता हूँ और न उसके संबंध में अपनी

ओर से कुछ सदन में कहना चाहता हूँ। उसका कारण केवल यह है कि इस समूचे प्रकरण में खाद्य विभाग के मेरे सहयोगी मंत्री महोदय, ने दिनांक 17-9-82 को यह अनुशंसा की है कि समूचे प्रकरण की जाँच आर्थिक अपराध शाखा से कराई जावे। उनकी राय से मैंने सहमति व्यक्त की कि इस प्रकरण की जाँच आर्थिक अपराध शाखा से हो यह प्रकरण उनको सौंपा गया है इसलिए मैं इसके ऊपर सदन में कुछ कहना उचित नहीं समझता हूँ जिससे जाँच प्रभावित हो। जो निष्कर्ष जाँच में आवेंगे उसके अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत व्यापक रूप में प्रतिपक्ष के नेता महोदय, ने प्रशासन तंत्र की स्थिति के बारे में यहाँ पर अपना मत व्यक्त किया, हमारे आदरणीय सदस्य श्री रमाशंकर सिंह जी ने भी कहा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : विदिशा के मामले में क्या आपने जाँच करवाई है?

श्री अर्जुनसिंह : इस प्रकरण में खाद्यमंत्री महोदय ने 17-9-82 को यह अनुशंसा की है कि उसकी जाँच आर्थिक अपराध शाखा से कराना चाहते हैं जिससे मैं सहमत हूँ। इससे मैं इस सम्बन्ध में सदन में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जाँच में जो भी निष्कर्ष आयेंगे उस पर उस प्रकार से कार्यवाही की जावेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनेकों विभिन्न सन्दर्भ दिए गए और उन सन्दर्भों में कुछ नाम लिये गये, यह कहने की कोशिश की गई कि व्यक्तिगत राग-द्वेष पर आधारित प्रशासन तंत्र को हमने यहाँ पर बनाया है उस पर से काम कर रहे हैं, सामन्तवादी ढाँचा है, गनीमत है अब की दफा ठाकुरवाद का प्रश्न माननीय पटवा जी ने नहीं रखा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : पहले भी कभी नहीं कहा।

कुछ माननीय सदस्य : कहा है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : जाति विशेष के संबंध में कभी नहीं कहा, कहा हो तो ढूँढकर बता दीजिए मैं उसे वापस ले लूँगा।

श्री अर्जुनसिंह : आपने नहीं तो आपके यहाँ के यशस्वी लोगों ने कहा है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैंने कभी नहीं कहा जाति विशेष पर कोई आरोप या आक्षेप नहीं है। कृष्णपाल सिंह जी हमारे ओसवाल हैं। हमारे में से निकले हैं, हमारे क्षत्रिय हैं, जाति विशेष से हमारा झगड़ा नहीं है। (व्यवधान) हमारी जाति का उद्‌गम क्षत्रियों से है।

श्री रमाशंकर सिंह : प्रतिपक्ष के नेता और सदन के नेता सहयोग और सहमति के क्षेत्र ढूँढने लग गये।

श्री सुन्दरलाल पटवा : जो सहयोग के क्षेत्र हैं वही ढूँढते हैं, भिण्ड में एस.ए.एफ. के मैदान में मलखान सिंह को गले लगाने में सहयोग नहीं करते।

श्री रमाशंकर सिंह : उन तथ्यों को रोकने के लिये जिन तथ्यों को.....

(व्यवधान)

श्री कपूरचन्द धुवारा : आरोप और उत्तर भी मिलीजुली भगत से दिये जा रहे हैं।

श्री विनय दुबे : पहले भी कहा गया होगा।

श्री अर्जुनसिंह : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मनोवृत्ति पर ही बात कहना चाहता हूँ और मनोवृत्ति केवल दूसरे की देखी जाये इतने से ही मनोवृत्ति का पता नहीं चलता, देखने वाले किस नजर से देखते हैं इस मनोवृत्ति का भी असर उतना ही माना जाता है। आपने न भी कहा हो, लेकिन वह एक अभियान समाप्त हुआ इसलिये समाप्त हुआ कि खोजबीन के बाद भी आपको स्वतः आधार नहीं मिला जिससे आप प्रमाण दे सकते कि व्यक्तिगत आधार पर कोई भी कार्य प्रशासन तंत्र में किया। ऐसा नहीं कि आरोप न लगे हों, ठीक है आपने न लगाये हों।

(व्यवधान)

धुवारा जी अभी आपने माननीय भाई साहब के विचार सुने। आपके उद्‌गम के बारे में कुछ नहीं कहा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब दूसरे पहलू पर आता हूँ, सामन्तवाद, सामन्तवादी प्रवृत्ति। क्या होती है सामन्तवादी प्रवृत्ति? यदि आपने केवल व्यक्तिगत कहा किसी परिवार में होने की वजह से यह स्वतः बिना किसी प्रमाण के आप इस बात को मानकर चलते हैं कि मैं सामन्ती मनोवृत्ति का हूँ तो मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि असली सामन्तवाद को देखने का दृष्टिकोण यहाँ पर जो व्यक्ति के बारे में भी है परिवार की

परम्परा के अनुसार भी होगा ही यह मानकर आप अपनी बात कहते चले जा रहे हैं। मैं आपको, आपके सब साथियों को और जितने भी आपके विचार के रखने वाले व्यक्ति हैं सबको चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रशासनिक निर्णय पर, किसी भी ऐसे विषय में जहाँ मुख्यमंत्री की हैसियत से आप के सामने प्रश्न आता है, यदि आप एक भी ऐसा उदाहरण तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करें जिसमें मैंने किसी को बचाने के लिए सामन्तवादी दृष्टि से तथ्यों को दबाने के लिये कुछ भी कहा हो। मैं केवल आपका आरोप ही स्वीकार नहीं करूँगा मैं समझूँगा कि मैं इस पद पर बने रहने के लायक नहीं हूँ।

(मेजों की थपथपाहट)

लेकिन यहाँ पर आप केवल परम्परा और परिवार के आधार पर आरोप लगाना चाहते हैं तो मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रजातांत्रिक दृष्टि से बहुत औचित्यपूर्ण नहीं होगा और यह आधार राजनीतिक चर्चा का है उससे बढ़कर कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी बात प्रशासनतंत्र की कही, मैं इस सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि जहाँ तक प्रशासनतंत्र का सवाल है मध्यप्रदेश को इस बात का गौरव भी है, संतोष भी है कि हमारा जो प्रशासनिक ढाँचा है, अखिल भारतीय सेवाओं का, प्रशासनिक सेवाओं का वह पूरा ढाँचा, बहुत अच्छा ढाँचा है, उसमें ईमानदार कर्मचारी हैं, कर्त्तव्यनिष्ठ कर्मचारी हैं, और हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि हम अपनी कमियों को उन सीमाओं के अन्दर जो सीमाएँ हमने नहीं संविधान ने प्रजातांत्रिक परम्पराओं ने अभी-अभी तक के प्रशासनिक कार्यों में नियम-प्रक्रियाओं के माध्यम से परिभाषित की हैं उनके अन्तर्गत उनको काम करने की पूरी छूट है और पूरी स्वतंत्रता है वहीं दूसरी ओर मैं यह कहना अपना कर्त्तव्य समझता हूँ कि चाहे वह बड़े से बड़ा अधिकारी हो अथवा छोटे से छोटा अधिकारी हो उसके कार्य उसके प्रदत्त अधिकार उन अधिकारों के उसके द्वारा उपयोग उसकी मापदण्ड और सार्थकता केवल एक है कि लाखों करोड़ों की संख्या में जो प्रदेश की जनता है उनकी सुरक्षा करें उनको आगे बढ़ाएँ गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को सुरक्षा प्रदान करें और उस दिशा में वह जो काम करेगा उसमें हमने कभी किसी के साथ हस्तक्षेप किया और न कभी करेंगे। शायद कुछ लोगों के मन में यह भ्रम है और उसी को आप अपने इस वक्तव्य से यहाँ मुखरित कर रहे हैं। चाहे मुट्ठी भर 10 हों, 5 हों इसका कोई मतलब नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस सन्दर्भ में एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भले आज इसका सीधा सम्बन्ध न हो। आज की चर्चा से लेकिन हमारे देश के प्रशासन को एक प्रजातान्त्रिक प्रशासन के रूप में संचालित करने के लिए इसकी पृष्ठभूमि उसका सन्दर्भ है इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ और वह यह कि जिस समय भारतवर्ष से अंग्रेजी हुकूमत गई उस समय जो प्रशासनिक ढाँचा था वह प्रशासनिक ढाँचा स्वतंत्र राष्ट्र ने जनहित की सेवा के लिए अंगीकृत किया। इस भरोसे और विश्वास के साथ जिस निष्ठा और ईमानदारी से एक सेवक की हैसियत से उन्होंने एक विदेशी की आज्ञाओं का पालन किया शायद उससे कहीं ज्यादा बढ़कर निष्ठा और ईमानदारी से एक स्वतन्त्र राष्ट्र के प्रशासन के जनतन्त्र को संचालित करेंगे। और इन्हीं भावनाओं को साकार रूप देते हुए संविधान में प्रावधान किया गया और उनको सुरक्षा दी गई। उनके हर प्रकार के हितों को संरक्षण प्रदान किया और यह एक तन्त्र जिसे अंग्रेजी में सिस्टम कहते हैं पिछले 34 वर्षों से इस देश में चल रहा है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि यह जो सिस्टम, तंत्र है वह अचानक कहीं से उद्‌भूत नहीं हुआ है उसको भी जो कुछ संरक्षण या अधिकार मिले हैं जो उनके अधिकारों की सुरक्षा की गई उसका सन्दर्भ यही है कि यह एक स्वतंत्र भारत के नागरिकों के हितों को संरक्षण, संवर्धन और उसको आगे बढ़ाने के लिए सहयोग दें। इसके अतिरिक्त इस तंत्र को किसी प्रकार से विशेष तौर पर न कोई अधिकार प्राप्त है न कोई संरक्षण प्राप्त है और न यह स्वतंत्रता है कि चुने हुए प्रजातंत्र तरीके से जो शासन हो जो उसके प्रतिनिधि हों चाहे वह किसी भी दल के हों जनादेश पर आधारित शासन के हर आदेश को कार्यरूप में परिणित करने के लिये उनको ईमानदारी से काम करना होगा। किसी निर्णय के पूर्व वह स्वतन्त्र हैं अपनी राय देने के लिए और उस स्वतंत्रता को कभी सीमित करना ही नहीं चाहिये। हम शासन का हर काम इन सब बातों को सामने रखकर करना चाहते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ऐसा एक भी अवसर किसी भी स्तर पर आप यहाँ उपस्थित करें जब मैंने किसी शासकीय कर्मचारी से कहा हो कि प्रत्यक्ष में या परोक्ष

में वह अपनी राय मेरी मंशा के मुताबिक लेखी में या मौखिक रूप से प्रस्तुत करें कि जो हम करना चाहते हैं वही करने की वह राय दें। आप जितना चाहें नस्तियाँ उठाकर देख लें उन्होंने अपनी राय दी है हमारे मंत्रीमंडल के सदस्यों ने हमने उसके अनुकूल काम किया है। उनकी राय के प्रतिकूल भी इसकी जिम्मेदारी हम पर है हमारे मंत्री मंडल के साथियों पर है लेकिन अगर कोई यह कल्पना करे कि किसी अधिकारी की दी गई राय पर काम न करना उस अधिकारी के अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण करना है तो मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारी मान्यताएँ नहीं हैं और न प्रशासनिक शासन की मान्यताएँ किसी की व्यक्तिगत मान्यताएँ हो सकती हैं। ऐसी मान्यताओं को किसी प्रकार से मेरी ओर से संरक्षण नहीं मिल सकता इसमें किसी को भ्रम नहीं होना चाहिये। (मेजों की थपथपाहट) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ पर हमारे माननीय सदस्यों ने प्रतिपक्ष के इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर शायद यह समझा था कि इस प्रस्ताव में जो कुछ उन्होंने एक-एक अलौकिक आरोप लगाये हैं उनकी चमक-दमक से, उनकी भाषा से और उनमें दिये गये पूर्णतः आधारहीन तथ्यों से हम सब भ्रमित हो जायेंगे, किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो जायेंगे और श्री पटवा जी कहेंगे कि अब देखिए क्या होता है। माननीय पटवा जी अब देखिए क्या होता है यह बात हम सुनते हैं, लड़कपन में भी सुनते थे, उस समय वे छोटी-छोटी मशीन लेकर घूमा करते थे, कहते थे बाइस्कोप देखो यह आया, वह आया अब आएगा, अब दिखा, हालाँकि हम नहीं समझते कि इस सदन के प्रतिपक्ष के नेता उन बाजीगरों की कतार में जाकर खड़े हो जाएँगे कि अब क्या आया, कल क्या आया, परसों क्या आया इसी पर नैतिक आधार रखेंगे, मैं ऐसा नहीं समझता पर मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि 27-10-79 को जब हम इस सदन में प्रतिपक्ष में बैठते थे, एक अविश्वास प्रस्ताव हम लोगों ने प्रस्तुत किया था। मैं उस समय के किसी के भाषण का उद्धरण नहीं देना चाहता कि उस समय किसने क्या कहा उसका भी उल्लेख नहीं करना चाहता। वह तो इस विधानसभा की कार्यवाही का अंग है अगर किसी को रुचि होगी उस कार्यवाही को निकालकर पढ़कर जो निष्कर्ष निकालना चाहेगा, निकालेगा मैं इसका सन्दर्भ केवल इसलिए बता रहा हूँ, उस अविश्वास प्रस्ताव में जो प्रमुख मुद्दे हमारे दल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री और शासन के बारे में कहे थे वे बातें आज ऐसे सन्दर्भ में जाकर पहुँच गई हैं जहाँ विवश होकर हमें उस विषय पर आपराधिक शाखा से इन्वेस्टीगेशन कराकर मुकदमे दायर करने पड़े। हमने किसी के खिलाफ कोई कमीशन नहीं बैठाया क्योंकि 1980 में कांग्रेस पार्टी के सत्तारूढ़ होने के बाद ही प्रदेश शासन को यह स्पष्ट निर्देश थे कि कहीं भी किसी आयोग का गठन करके किसी के खिलाफ कार्यवाही होती है जिससे कि यह प्रतिध्वनित हो कि जैसा इन लोगों ने हमारे साथ 1977 से 1980 तक किया है अब सत्ता में आने के बाद हमने शुरूआत कर दी.....

(मध्यप्रदेश विधानसभा कारवाई/6 अक्टूबर 1982, पृष्ठ/ 134-146)

अध्यक्ष : कितना समय और लेंगे आप।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, 10 मिनिट और लगेंगे। मैंने इन लोगों के बारे में सूचना दी है वह तो मैंने लिखकर दी है उसके बारे में यहाँ कुछ कहना मैं आवश्यक नहीं समझता हूँ। इन्होंने अविश्वास का प्रस्ताव रखा है। अध्यक्ष महोदय, अविश्वास का प्रस्ताव ये नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा इसलिये नहीं कि आज विरोधी पक्ष में बैठे हैं। यह इसलिये रखेंगे कि जो निर्णय इस शासन ने लिये हैं वे निर्णय अनायास नहीं, संयोग से नहीं, एक सुविचारित पार्टी के निर्धारित कार्यक्रम और सिद्धांतों को कार्यरूप में परिणित करने के लिये वे निर्णय लिये गये हैं, जिन निर्णयों से इस प्रदेश के उस कमजोर वर्ग को संरक्षण दिया गया है, उसको फायदा पहुँचाया गया है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की गयी है, जिसको सबसे ज्यादा इस बात की आवश्यकता है और जिन वर्गों को इसकी वजह से नुकसान पहुँचा है, जिनके हितों पर कुठाराघात हुआ है, जिनके शोषण के द्वार बन्द हुए हैं उनकी तरफ से हमारे ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आयेगा तो क्या आयेगा। आपके अविश्वास के प्रस्ताव की मुझे चिन्ता नहीं है। मैं यहाँ पर उन कुछ कदमों को गिनाना चाहता हूँ सदन की जानकारी के लिये, वे इस प्रकार हैं—

म.प्र. वास स्थान दखलकार (भू-स्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना) अधिनियम, 1970, म.प्र. में की

दखलरहित भूमि (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1970, 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत भूमि बन्टन मध्यप्रदेश लोक अभिकरणों के माध्यम से 20 सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम 1980, म.प्र. ग्रामीण ऋण विमुक्ति तथा ऋण स्थगन अधिनियम 1975, मध्यप्रदेश राजस्व संहिता में संशोधन, म.प्र. समाज के कमजोर वर्गों के कृषि धारकों को उधार देने वालों के भूमि हड़पने संबंधी कुचक्रों से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम 1976, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और उसके सुझावों को कार्यान्वयन करने के कदम, मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट आचरण अधिनियम, मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिये विधिक सहायता तथा विधिक सलाहकार अधिनियम बनाना और सक्रिय रूप से पालन करना, मध्यप्रदेश डकैती अपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981, मध्यप्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक, इंदिरा कृषि श्रमिक दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना, किसान कल्याण कोष की स्थापना, मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन का पुनःनिर्धारण, हरिजन विशेषांश योजना, आदिवासी उप योजना, आदिवासी विकास अभिकरणों की स्थापना, लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम सीमेंट अपमिश्रण निवारण अधिनियम, म.प्र. अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनों का निदान) संशोधन अधिनियम, 1981, और फसल बीमा योजना, ये उन वर्गों के हितों के संरक्षण के लिये हैं, जिन वर्गों का कांग्रेस पार्टी ने, हमारी नेता ने हमारे कार्यक्रमों को निर्धारित किया है और उन कार्यक्रमों को मूर्तरूप देने के लिये इनको हमने यहाँ पर प्रदेश के अन्दर सक्रिय रूप से लागू करने का प्रयास किया है और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस धोखे में न रहें। (विपक्षी सदस्यों की ओर से हम धोखे में नहीं हैं) अभी तो हैं आगे नहीं रहेंगे ये वक्त बतायेगा। जबलपुर और सागर का डम-डम बज चुका है। अब तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन अधिनियमों को और इन कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से प्रदेश के अन्दर लागू करके हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के सम्मानित सदस्य, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, इस प्रदेश के करोड़ों लोगों की भलाई का जो दायित्व है उस दायित्व को पूरा करेंगे और अपने आप से उस वातावरण का निर्माण होगा और हो रहा है जिसमें ऐसी प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ जो केवल शोषण और भ्रष्टाचार पर आधारित होती हैं उनको इस प्रदेश में जब किसी की भुलावे में डालने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह सदन इस प्रस्ताव को अस्वीकार ही नहीं करे बल्कि आज इस अविश्वास के प्रस्ताव को अस्वीकार करके इस बात को प्रतिपादित कर दे कि यह जो प्रयास है, यह प्रयास भी प्रतिक्रियावादी शक्तियों की ओर से आखरी लड़ाई है और इसमें विजय आपकी नहीं इस पक्ष की होगी।

(मेजों की थपथपाहट)

(म.प्र. विधानसभा कारवाई/6 अक्टूबर 1982, पृष्ठ/ 156)

(सत्रावसान)

13 दिसंबर 1982 से विधानसभा का शीतकालीन सत्र प्रारंभ हुआ। सत्रारंभ के दिनों में कुछ राजनैतिक विभूतियों के देहावसान की सूचना सदन को दी गयी। मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित की—

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सत्र के प्रथम दिन हम एक शोक संतप्त वातावरण में मिल रहे हैं। कल देर रात्रि को इस सदन के माननीय सदस्य श्री फारूकी जी का आकस्मिक निधन हम सबके लिए गहरे शोक और एक अपूर्णीय क्षति के रूप में आया। फारूकी जी अभी तक बिल्कुल स्वस्थ थे, अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे और जैसा कि आपने कहा अपनी समाज सुधारक गतिविधियों और अपने क्षेत्र के प्रति जो उनका दायित्व था, उसके निर्वहन के रूप में एक सक्रिय सदस्य के रूप में उन्होंने सदैव अपनी भूमिका निभाई। उनका निधन इस विधानसभा के लिए और इस प्रदेश के लिए और उनके निर्वाचन क्षेत्र के लिए महान क्षति है हम सब उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं और उनके शोक संतप्त परिवार को सांत्वना आपके माध्यम से देना चाहते हैं।

भारत के ही नहीं, विश्व के एक महान आध्यात्मिक पुरुष के रूप में, जिन्होंने गांधीजी की उस लौ से ऊर्जा

प्राप्त की थी जिस लौ ने भारत और विश्व को अपने चमत्कारिक प्रभाव से आलोकित किया था, उन आदरणीय भावे जी का निधन इस राष्ट्र के लिए एक आघात है और जैसा कि स्वयं आदरणीया प्रधानमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा था कि व्यक्तिगत रूप से उन्होंने एक मार्गदर्शक और एक मित्र खोया है, मैं समझता हूँ कि यदि यह कहा जाए कि समूचे राष्ट्र ने एक मार्गदर्शक खोया है और राष्ट्र हितैषी खोया है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। भावे जी ने अपनी कार्यशैली से और अपने विभिन्न कार्यक्रमों से यह प्रमाणित किया है कि केवल विचार ही पर्याप्त नहीं है उन विचारों को कार्य की कसौटी पर कसना और उनके औचित्य को प्रतिपादित करना यह भी विचारक का कर्त्तव्य है। भू-दान आंदोलन विश्व के उन आंदोलनों में से एक है जो इतिहास में सदैव विचारधारा को मोड़ देने वाली नई क्रांति का सृजन करने वाले या सामूहिक रूप से लोगों का सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक परिवर्तन से मार्ग प्रशस्त करने वाले आन्दोलन हुए हैं, भावे जी हमको कुछ विरासत में दे गये हैं। विरासत में उन्होंने निष्ठा दी है, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना दी है, और सदैव दरिद्रनारायण की सेवा करने का संकल्प दिया है। हम सब इस विरासत के लायक बन सकें यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

इस प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल आदरणीय बांचू जी का निधन हम सबके लिए महान दुख का विषय है। अपने थोड़े से कार्यकाल में बांचू जी ने इस प्रदेश में चहुँमुखी विकास के लिए जो योगदान दिया है वह हम सब स्मरण करते हैं और उनके शोक संतप्त परिवार को आपके माध्यम से अपनी संवेदना भेजते हैं।

भूतपूर्व संसद सदस्य और इस देश के महान क्रांतिकारी नेता आदरणीय कामथ जी एक चलती-फिरती प्रजातांत्रिक संस्था थे। हममें से अनेकों को उनके व्यक्तिगत सम्पर्कों का अनुभव है और हम उस अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति में क्रांतिकारी विचारधारा और आत्मीयता का इतना सुन्दर समिश्रण कम देखा जाता है। कामथ जी की पैनी नजर प्रजातंत्र के संरक्षण के लिए, उसे सदैव एक जीवन्त स्वरूप प्रदान करने के लिए और देश के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए एक जलती हुई मशाल थी। आज कामथ जी हमारे बीच में नहीं रहे लेकिन उनका यह उदार सिद्धांत व उनकी जो त्याग व बलिदान देने की जिद् तथा आजादी व नवनिर्माण में जो योगदान दिया है वह हमारे लिए अनुकरणीय उदाहरण के रूप में है।

भूतपूर्व सदस्य श्री लालबिहारी सिंह जी, एक इसको कहते हैं, बिल्कुल ग्रास रूट के वर्कर थे, मैदानी कार्यकर्त्ता थे। आजादी के संघर्ष में उन्होंने योगदान दिया और उस अंचल में कांग्रेस पार्टी की स्थापना और उसे कार्यस्वरूप देने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। एक ऐसे व्यक्ति को जिसने सदैव एक नया रास्ता खोजने का प्रयास किया और अपने अंतिम क्षणों तक समाज के हर कार्य में अपने को संबद्ध रखा हम सब उनके निधन से दुखी हैं और आपके द्वारा व्यक्त शोक से हम सब अपने को जोड़ना चाहते हैं।

आदरणीय तिवारी जी जो इस विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य रहे हैं गुना के और मध्यभारत के एक बहुत जाने-माने कार्यकर्त्ता रहे उन्होंने सदैव एक सच्चे समाजसेवी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन किया और इस विधानसभा के सदस्य के रूप में हमें उनके वे बहुत से कार्य स्मरण हैं जहाँ उन्होंने सदन के अन्दर उन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हर अवसर पर अपनी भूमिका निभाई। हममें से बहुतों को व्यक्तिगत रूप से उनका सान्निध्य प्राप्त था, और हम सब उनके निधन से एक रिक्तता महसूस कर रहे हैं और उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी ओर से, हम अपने दल की ओर से और प्रदेश की जनता की ओर से संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/13 दिसम्बर 1982, पृष्ठ/ 2-3)

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह इस सत्र के दौरान यह दूसरा अवसर है जबकि हम एक अत्यन्त शोकमय वातावरण में इस सदन में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, इसी जीवन यात्रा में कब विराम लग जावे इसका तो कभी कोई भरोसा नहीं है लेकिन जब भी विराम लगे और उस वक्त जो व्यक्ति जाये वह ऐसा वातावरण छोड़कर जाये कि उस वक्त तक जो कुछ उसके द्वारा जो भी काम हुआ वह अच्छा हुआ। मैं समझता हूँ इससे बढ़कर और दूसरी श्रद्धांजलि सरदार सिंह के प्रति नहीं दी जा सकती। एक सामान्य परिवार में

जन्मे व्यक्ति ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान से लेकर आज तक जिस शालीनता से और जिस निडरता से अपने सार्वजनिक जीवन में काम किया है वह उनके क्षेत्र के लोगों को और जो लोग उनको निकट से जानते हैं उनको भी भलीभांति मालूम है। कल रात को पार्टी मीटिंग में वे उपस्थित थे, हम सब लोगों के बीच में थे और फिर कुछ ही घंटों बाद यह सब हो गया, और हम क्या कह सकते हैं, सिवाय इसके कि हम सबको दुख नहीं है बल्कि एक अजीब-सी रिक्तता का अनुभव कर रहे हैं अपने बीच में और अपने साथियों के बीच में, जो कि सरदार सिंह के अचानक उठ जाने से हुई है। उनके शोक सन्तप्त परिवार को मैं अपनी संवेदना तथा श्री सरदार सिंह जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि आपके माध्यम से पहुँचाता हूँ..... यही मेरा निवेदन है।.....

आदरणीय पाठक जी जो उसी टीकमगढ़ के रहने वाले थे जहाँ के श्री सरदार सिंह जी थे। उनकी मृत्यु एक आकस्मिक और कुछ परेशानियाँ उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों हुई है। पाठकजी एक सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकर्त्ता थे जिनके विरोधी ढूँढने पड़ेंगे। उन्होंने अपना कार्य ग्रामीण अंचल से शुरू किया और अपने साथियों का विश्वास अर्जित किया और यह गौरव के साथ कहा जा सकता है कि ऐसे साधारण कार्यकर्त्ता को भी अवसर मिला कि वह भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे। वहाँ पर देशी रियासतों के विलय से संबंधित जो प्रश्न थे उन पर विचार विमर्श में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनका निधन सर्वोदय क्षेत्र में, काम करने वाले साथियों और सभी साथियों के लिये जो कि उन्हें आत्मीय भावना से ओतप्रोत व्यक्तित्व मानते थे उनके लिये एक दुःख का विषय है और अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हम सब उनके शोक सन्तप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/17 दिसंबर 1982, पृष्ठ/ 2)

मध्यप्रदेश वेतन आयोग 1981 के प्रतिवेदन पर 15 दिसंबर 1982 से चर्चा प्रारंभ हुई। चर्चा की शुरूआत सदस्य श्री बाबूलाल गौर ने की। अन्य सदस्यों ने भी इस दिन चर्चा में हिस्सा लिया। 16 तारीख को इस विषय पर चर्चा नहीं हुई। 17 को विधानसभा श्रद्धांजलियों के पश्चात् स्थगित हो गयी। फिर 18 और 19 को अवकाश रहा। चर्चा का पुर्नग्रहण 20 दिसंबर को हुआ। यहाँ प्रतिपक्ष के नेता श्री सुन्दरलाल पटवा का विस्तृत भाषण, कुछ चर्चा और मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह का प्रतिउत्तर दिया जा रहा है—

{उपाध्यक्ष महोदय (श्री रामकिशोर शुक्ल) पीठासीन हुए}

श्री सुन्दरलाल पटवा (सीहोर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन और उस पर मध्यप्रदेश शासन के निर्णय पर यहाँ सदन में चर्चा जारी है। अपनी कुछ बात मैं प्रारंभ करूँ इसके पूर्व मैं अपनी ओर से इस वेतन आयोग के जो अध्यक्ष रहे हैं, मध्यप्रदेश के भूतपूर्व मुख्य सचिव श्री एम.एस. चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि इनने बड़े विशाल और जटिल काम को यह प्रतिवेदन देकर के, पूरा करने का उन्होंने प्रयास किया है। उपाध्यक्ष महोदय, लगभग साढ़े तीन हजार अध्यावेदन इस आयोग को प्राप्त हुए, 374 कर्मचारी संघों के द्वारा 175 प्रश्नावलियों के उत्तर, 318 चर्चा और सुनवाई की बैठकें, अन्य राज्यों से भी जानकारी प्राप्त करने और इन सारी जटिलताओं के बीच में उन्होंने जिस गति से इस काम को संपन्न किया है उसके लिए उनको धन्यवाद देते हुए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को आग्रह पूर्वक कहना चाहूँगा कि वेतन आयोग के प्रतिवेदन और उस पर शासन के निर्णय पर चर्चा करते हुए मैं जिन बातों को यहाँ रखना चाहता हूँ उन बातों में राजनैतिक दृष्टिकोण कम है, न आये, इसका मैं प्रयास करूँगा। मैं वस्तुस्थिति पर वस्तुपरक चर्चा करते हुए अपनी बात को रखने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सत्तापक्ष और विपक्ष, कभी किसी भी पार्टी की सरकार रहे, कोई आये जाये, आज

जो वहाँ है वह यहाँ आ सकता है और कल जो यहाँ है उसको वहाँ जाना ही है इसलिए मैं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अपनी बातें को यहाँ रखना चाहूँगा क्योंकि यदि प्रदेश की जनता ने मौका दिया वहाँ बैठने का, जहाँ सदन के नेता और मुख्यमंत्री बैठे है तो अपनी कही हुई बातों को पूरी जिम्मेदारी से पूरा कर सकूँ। यह अलग बात है कि आज "जो मुख्यमंत्री है जब वे यहाँ बैठकर बोलते थे और उन्होंने जो कहा था उसे वे पूरा करते है कि नहीं, परन्तु मैं प्रयास करूँगा कि जो कुछ कहूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूँ। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा तो आना जाना लगा ही रहता है लेकिन यह जो प्रशासन की मशीनरी है वह स्थाई रूप से रहने वाली है। नई-नई योजनाओं को कार्यान्वित करने वाली जो मशीनरी है, यह प्रदेश का महत्वपूर्ण भाग है। प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाने वाले इस प्रदेश के पाँच लाख कर्मचारी है। उपाध्यक्ष महोदय, आज जहाँ सरकार बैठी है, पिछले दिनों वहाँ कुछ समय हम बैठे थे। मैं बहुत संक्षेप में उन बातों को यहाँ सदन और मुख्यमंत्री को बताना चाहूँगा। उपाध्यक्ष महोदय, अपने ढाई वर्ष के कार्यकाल में हमने 8 महँगाई की किश्तों का भुगतान किया। आपकी पार्टी के तीस वर्ष की सरकार में अपने 9 किश्तों का भुगतान किया। यही नहीं जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान पहली बार महँगाई भत्ते की किश्तों का पूरा भुगतान नगद किया गया। फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री, और इस तरह से लगभग 62 करोड़ का भार उस समय सरकार ने उठाया था। विद्युत मंडल के कर्मचारियों को हमने 1-4-74 से पुनरीक्षण का लाभ प्रदान किया और औसतन हर कर्मचारी को 3 हजार रुपये का एरीयर्स प्रदान किया, पचास हजार कर्मचारियों को अस्सी रुपये प्रति माह प्राप्त हुए। पुलिस विभाग के छोटे कर्मचारी को 98 रुपये का लाभ हमने पहुँचाया। रोडवेज के कर्मचारियों को महँगाई के रूप में बीस से पच्चीस रुपये का लाभ दिया जिसके कारण 190 लाख का भार पड़ा। लोक कर्म विभाग के कर्मचारियों की मजदूरी तीन रुपये तीन पैसे से बढ़ाकर पाँच रुपये पाँच पैसे की। दुग्ध डेरी कर्मचारियों को 190 से बढ़ाकर 255-265 रुपये प्रदान किये। खादी ग्रामोद्योग परिषद् के कर्मचारियों को 9 किश्तें जिनमें 50 रुपये से 150 रुपयों का लाभ, 1-4-77 से वेतन वृद्धि का लाभ दिया। 3200 कर्मचारी जिन्हें आपातकाल में निकाला गया था उन कर्मचारियों के प्रकरणों पर विचार करके उन्हें बहाल किया और यह सब करने के साथ-साथ इस प्रदेश की जनता पर एक नए पैसे का करभार बढ़ाए बिना हम यह करने में सफल हुए। ये उन दिनों का कुछ इतिहास है जब आज के मुख्यमंत्री जब यहाँ मेरी जगह बैठकर उस समय की सरकार की तीखी आलोचना किया करते थे। वह उनका कर्त्तव्य था और उस समय की सरकार ने टेक्नीशियनों के बारे में जो निर्णय लिये थे, इंजीनियर्स के बारे में और न्यायिक सेवा के कर्मचारियों के बारे में मुझे दुख है कि वर्तमान सरकार ने उन निर्णयों पर अमल नहीं किया। इंजीनियर्स को हाईकोर्ट में जाना पड़ा। आज की सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट ने फैसला देकर उस समय के निर्णय को बहाल रखा। उसके बाद भी सरकार ने अमल नहीं किया और उसमें राजनीतिक अड़ंगेबाजी करने की कोशिश की। न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं, जिनके वेतनमानों के बारे में पांडे वेतन आयोग ने विचार नहीं किया था उसको करने की हमने कोशिश की थी। श्रीमान इस मध्यप्रदेश में 5 लाख से अधिक कर्मचारी हैं। तृतीय श्रेणी के कर्मचारी 4,16,000 से ऊपर हैं इन कर्मचारियों की संख्या 83 फीसदी है। चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की संख्या 62497 है जो कि 12.54 प्रतिशत है। प्रथम श्रेणी संख्या पौन प्रतिशत है। तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हो हमारे सुधार का लाभ का बेस होने चाहिये। शिक्षा विभाग में कुल कर्मचारियों का 35 फीसदी है जो एक तिहाई से अधिक है, 12.50 प्रतिशत पुलिस में हैं बाकी दूसरे विभागों में छोटी-छोटी संख्याओं में है। सबसे अधिक मुसीबत अगर कोई भुगतता है तो वह तृतीय और चतुर्थ वर्ग का कर्मचारी भुगतता है। मुझे सबसे पहले, श्रीमान् इस शासन के निर्णय पर सबसे अधिक दुख है और सख्त आपत्ति है और इस बात की, शासन ने एक ऐसे वर्ग के कर्मचारियों की पूरी तरह से उपेक्षा की है जो कि सबसे अधिक सहानुभूति का पात्र है। वह वर्ग है पेंशनर्स का। तीसरा वेतन आयोग मध्यप्रदेश में बना, यह पहला वेतन आयोग है जिसमें पेन्शनर्स को राहत दी जाती। इसे वेतन आयोग को रेफर किया गया था, पिछले दो आयोगों में यह मामला रेफर नहीं हुआ था। लगभग 60 हजार से अधिक हमारे प्रदेश में पेन्शनर्स हैं। इस वेतन आयोग ने पचासवें अध्याय में पेंशनर्स को क्या राहत दी जाना चाहिये, उसकी आर्थिक स्थिति, हमारा सामाजिक ढाँचा इन सब बातों पर विचार करके 60 हजार पेंशनर्स के बारे में

कुछ राहत देने की घोषणा की है। मैं नहीं जानता कौन से विशेषण से मैं विभूषित करूँ। संवेदनशील, परिवर्तनशील कहूँ और कोई शील कहूँ, बेशील कहूँ, परन्तु हमारी वर्तमान सरकार ने एक कलम के झटके से लिख दिया 'अस्वीकृत'। मैं आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि यह ज्वलंत प्रश्न है, उनके साथ आपने अन्याय किया है उसका परिमार्जन करें। वेतन आयोग ने उनकी सेवानिवृत्ति की तारीखों को ध्यान में रखते हुए 5 श्रेणियों की सिफारिश की है और कम से कम 40 रुपये माहवार तदर्थ विशेष राहत देने की सिफारिश की है जहाँ तक श्रेणियों का सवाल है अभी-अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मेरी निगाह में आया है। उसको पूरी तरह नहीं पढ़ पाया हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने यह कोट किया है, इस तरह रिटायरमेन्ट श्रेणियों में बाँटकर किसी को लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, उस प्रकाश में सरकार पुनर्विचार करे। पेंशनर्स के मामले में आप फैसले को बदलें, मैं आग्रहपूर्वक कहना चाहूँगा। श्रीमान वेतन आयोग ने और इसके पूर्व के वेतन आयोगों ने जिस आधार पर वेतनमानों के निर्धारण करने का विचार किया है, कई शब्द प्रयोग किए लिविंग वेज है, निर्वाह वेतन है, अनेक प्रकार के शब्द प्रयोग किए गए। अभी लिविंग वेज यह भी एक रिलेटिव टर्म है। जैसा मूल्य सूचकांक है, आर्थिक स्थिति है, क्रयशक्ति है, उपलब्धियाँ हैं, महँगाई है, इन सबको ध्यान में रखते हुए, यह लिविंग वेज का आधार ऊँचा-नीचा होता रहता है। अब श्रीमान मैं मध्यप्रदेश के इन पाँच लाख कर्मचारियों के सामने आज जो कठिनाइयाँ और मुसीबत खड़ी है, इसके अन्दर कारण क्या है, उस मूल में जाना चाहूँगा, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। यह मध्यप्रदेश का आर्थिक स्वरूप मेरे हाथ में है 81-82 का, इसके पृष्ठ 36 में आपकी निगाह ले जाना चाहूँगा। भोपाल का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कुछ चार छः आंकड़े है, उन पर नजर डालिए। 1960 को 100 आधार मानते हुए, उसमें भोपाल का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिया है वह 70 में 178 हुआ करता था, 75 में, पाँच वर्ष में, आपके उन प्रगतिशील पाँच वर्षों में जबकि जनता को आपने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, आपकी उस माँग पर दो-तिहाई बहुमत प्रदान किया गया, 70 का 178 बढ़कर 75 में 301 हो गया। 75 में 301 था, 78 में 318 पर पहुँचा बाद के 78, 79 के दो वर्षों में 75 के 301 से केवल 318 व 331 नाममात्र की वृद्धि है, मूल्य स्थिर रहे। वस्तुओं की सरल उपलब्धि रही, परन्तु उसके बाद 80 व 81 के आँकड़े और भी चौकाने वाले हैं, 80 में 381 से बढ़कर 376, 75 अंक की वृद्धि तथा 81 में 376 से बढ़कर 441 तथा 82 सितम्बर में 451 हो गया। 331 जिस समय जनता शासन था, आपकी सरकार में सितंबर में 451 तथा आज के वर्तमान और बढ़े होंगे। यह आपके दो वर्ष के कार्यकाल में 120 सूचकांक अंकों में वृद्धि हुई है। यह मूल्य वृद्धि का कारण है महँगाई भत्ता में ऊपर-नीचे वृद्धि कर देते हैं। उसे मूल्य सूचकांक से नहीं जोड़ा है जैसा केन्द्र ने जोड़ा है। परन्तु यह हालत, अब यह स्थिति किन कारणों से हुई है, आपकी आर्थिक नीतियाँ, आपकी मौद्रिक नीतियाँ आपके नियंत्रण की नीतियाँ और ऊपर से नीचे तक फैला हुआ जो बड़े पैमाने पर मल्टी नेशनल्स औद्योगिक घराने, थोक व्यापारी, उनके साथ आपके दल का रिश्ता व संबंध है। यह खुली बात है, यह सब कारण उसमें विद्यमान हैं। यह महँगाई के कदम के तेजी से छलांग लगाने के पीछे, उसका फल यह बेचारे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भोगने के लिये मजबूर हैं।

यह मुसीबत आसमान से उतरी हुई नहीं है, यह महँगाई की मुसीबत आपकी गलत नीतियों के कारण है। हमारे मूल्य सूचकांक घर-गृहस्थी चलाने वाली वस्तुओं के हैं उनमें यह वृद्धि और उतार-चढ़ाव है। मैं आपका ध्यान प्रशासन सुधार आयोग की रिपोर्ट के पेज 78 की तरफ ले जाना चाहता हूँ। श्रीमान् उसके लिए जब तक सतत जाँच करने वाली मशीनरी का गठन नहीं करते, तब तक समस्या बनी रहेगी। आज आपने वेतनमान निश्चित कर दिये, कल फिर असंतोष पैदा होगा और होना बाजिव है। मैं इस बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ—

एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमीशन की रिपोर्ट वाल्यूम 1 और 2, दिसम्बर 1967 पेज 63, 3, 6, 4

We therefore recommend

1. With suitable adjustments in the present salary structure reduction in the number of scales now in force, uniformity in the pay scales applicalbe to comparable post

should be brought about,

2. A pay Research Unit should be set up in the Central Personnel Agency. It should apply itself continuously to the task of streamlining the salary administration and of periodically reviewing pay scales for the Centre and the States.

क्या ऐसी कोई मशीनरी निर्माण करने की तरफ आपका ध्यान गया है, इस बारे में यद्यपि सन्दर्भ शर्तों में शामिल नहीं है इसलिये वेतन आयोग ने क्या टिप्पणी की है, मेरे ध्यान में नहीं आया परन्तु जब तक वेतनमानों की निरंतर जाँच करने वाली किसी मशीनरी का निर्माण कर्मचारियों के वेतनमानों के संबंध में नहीं किया जाता तब तक यही प्रक्रिया निरंतर चलने वाली है, इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। श्रीमान्, मध्यप्रदेश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमीशन की रिपोर्ट है, उसके पेज 223 और 224 की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ—

पेज 76, 78 और 79 चेप्टर 1.

76. This section sets a summary of the ideas concepts and considerations that have influenced and, continue to do so the approach and action in this vital area of personnel administration. It sums up the thinking on the subject right from the Islington Commission of 1912 to the National Commission on Labour, 1969— — virtually for the whole span of the current century.

78. The concepts of a living wage. minimum wage. fair wage and need based wage are based on ideas of social justice. The strength with which these could be supported determine the extent of their acceptability.

As far as Government is concerned, its policy options have become limited by articles 38, 42 and 43 of the Constitution and laterannouncementsand its determination to secure a fair deal for the employees in the private sector. It is as well that a serious effort should be made in that direction as otherwise the organised strength of the employees will compel it to do so as is clear from the success of the employees in beating the Government into submission successively during the last decade. It is better to accept the realities and do what has to be done without creating or leaving a trail of bitterness.

The principles underlying the wage structure in Government take into account not only the need to keep its employees reasonably fed, housed and clothed but also other requirements of economic and social character, which show that it has accepted a policy of gradual approximation of the lowest remuneration towards a living wage Therefore the question is not principles but of degree of approximation.

79. The first question is the disparity in the pay scales applicable to the All India Services and Central Government employees working in the State in the one hand, and the State Government employees on the other, Examination at all lvels are given.

Such differential rates of remuneration though not questionable on grounds of legality, violate, without doubt, the Principle of equal pay for equal work and responsibility. The Just action would be to reduce such disparities and anomalies by bringing about a party in remuneration on the basis of comparability of posts, duties and responsibilities.

स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जो चर्चा की गई है, उन तथ्यों की ओर राज्य शासन अपना ध्यान ले जाये। प्रतिवेदन में जो मुलभूत बातें कही गई हैं समस्या के सामयिक निराकरण करने के लिए, उसमें एक स्थायी मशीनरी का गठन करना जरूरी है, जो कर्मचारियों के बारे में निरन्तर जाँच करता रहे। पहले वेतन आयोग ने अपने पहले प्रतिवेदन में 5 वर्ष में वेतन आयोग गठित करने की सलाह दी थी परन्तु 30 वर्ष में दो वेतन आयोग बने। सौभाग्य से कहिए या कुछ भी कहिए यह जो वेतन आयोग बना उसके लिए जनता सरकार ने निर्णय लिया और कर्मचारियों

की समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया..... श्रेय आप लेना चाहें, लें। हमें और कुछ कहना चाहें, कहें लेकिन जो वस्तुस्थिति उससे नकार नहीं सकते। केन्द्र और राज्य के कर्मचारियों के वेतन के बीच जो अंतर है उसके बारे में क्या स्थिति बनी है और इसके बारे में वेतन आयोग ने क्या कहा है, उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वेतन आयोग की रिपोर्ट के खंड 1, पेज 21 पैरा 15 पढ़िये, "मौखिक साक्ष्य देते समय अनेक कर्मचारी, संघों ने बताया कि सातवें वित्त आयोग ने 1978-79 से 1983-84 की अवधि में राज्य शासन के कर्मचारियों की उपलब्धियों में सुधार लाने की दृष्टि से 245.59 करोड़ रुपया की व्यवस्था की है। यह भी बताया गया कि राज्य शासन द्वारा इन साधनों का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिये किया जा रहा है और इस रकम को उनके वेतनमानों के पुनरीक्षण या उनकी उपलब्धियों में सुधार के लिये खर्च नहीं किया गया।" स्थिति का जो मूल्यांकन किया गया उसका उल्लेख आगे किया गया है— "हमने स्थिति की सावधानी से जाँच की है, सातवें वित्त आयोग ने 1 जनवरी 1977 तथा 1 जनवरी 1972 की स्थिति के संदर्भ में राज्य तथा केन्द्रीय शासन के कतिपय श्रेणी के कर्मचारियों की उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन किया था।" यह वह पीरियड है जिसमें आपके दल की सरकार थी। इस अवधि का अध्ययन क्या कहता है? आयोग ने बताया— "आयोग ने यह पाया कि पदों के विभिन्न प्रवर्गों के लिये सभी राज्यों की औसत उपलब्धियों तथा केन्द्रीय शासन की उपलब्धियों के बीच अन्तर 1 जनवरी 1972 की तुलना में 1 जनवरी 1977 को कही अधिक था।" यही स्थिति कर्मचारियों में असंतोष जगाने वाली है। सन् 72 में केन्द्र और राज्य के कर्मचारियों के समान पदों और समान काम के लिए वेतन में जो अंतर था वह 77 में बढ़ गया। केन्द्र के कर्मचारियों का वेतन बढ़ा और मध्यप्रदेश के कर्मचारियों का वेतन कम हुआ है इन पाँच वर्षों के कार्यकाल में आयोग कहता है— "आयोग को यह स्थिति बहुत असंतोषप्रद लगी तथा उसने सभी राज्यों की औसत तथा केन्द्रीय शासन की उपलब्धियों के बीच के अन्तर का वही स्तर बहाल रखने का निर्णय लिया जो 1 जनवरी 1972 को था। आयोग के शब्दों में 1 जनवरी 1977 की उपलब्धियों का अखिल राज्यीय औसत स्तर का विभिन्न राज्यों में उपलब्धियों के स्तर की पर्याप्तता या अपर्याप्तता का अच्छा पैमाना है तथापि जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है। 1 जनवरी 1972 और 1 जनवरी, 1977 की अवधि में सभी राज्य सरकारों के कर्मचारियों को चुकाई गई उपलब्धियों की औसत स्थिति केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की तुलना में बिगड़ी है। हमारी समझ में यह चिन्ता का विषय है क्योंकि इससे स्पष्ट है कि अनेक राज्यों में उपलब्धियों का स्तर न केवल केन्द्र अपितु अन्य राज्यों की तुलना में भी अनुचित रूप से नीचा है। इस स्थिति में राज्य सरकारों तथा उनके कर्मचारियों के बीच सौहार्द्रपूर्ण संबंध नहीं बने रह सकते। अतः इसमें सुधार की आवश्यकता है। हमने उपलब्धियों के अखिल राज्यीय औसत स्तर को इस तरह समायोजित करने का निर्णय लिया है कि समायोजित स्तर तथा केन्द्रीय शासन के स्तर के बीच का अन्तर 1 जनवरी 1977 को उतना ही रहे जितना कि 1 जनवरी 1972 को था तथा इस समायोजित औसत का उपयोग उपलब्धियों के स्तर के मानक के रूप में किया जाये।"

एक आदर्श स्थिति यह होनी चाहिए थी कि केन्द्र और राज्य के कर्मचारियों के समान कार्य और समान पदों के वेतन में अन्तर धीरे-धीरे कम होना चाहिये लेकिन यह अन्तर बढ़ रहा है। राज्य के कर्मचारियों का वेतन उस अनुपात में नीचे जा रहा है जबकि आर्थिक स्थिति की विवेचना की गई है जिसमें बताया है कि राज्य के कुल राजस्व आय का 70-71 में जितना प्रतिशत खर्च होता था उससे कम प्रतिशत आज खर्च होता है। आप आँकड़ों में बता सकते हैं कर्मचारियों और प्रशासन पर इतना खर्च हो गया लेकिन जो रेवेन्यू की रेलेटिव आय है उससे पता चलता है कि जितना पहले खर्च करते थे, वह घटा है। इसलिये यह तर्क न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता। आखिर, कर्मचारियों के वेतन का निराकरण करते समय राज्य की आर्थिक स्थिति, आय के साधन, स्रोत, विकास की आवश्यकता और सामाजिक, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। मैंने अपनी बात को प्रारंभ करते समय कहा कि स्थिति का लाभ लेना, किसी को भड़काना या राजनैतिक लाभ लेना यह मेरे ध्यान में नहीं है। इस तुलना में कर्मचारियों का वेतन पीछे गया है।

श्रीमान जहाँ तक केन्द्र और राज्य के वेतनमान का सवाल है, स्थानीय वेतनमान का सवाल है, राज्य के दैनिक

मजदूरी पर लगे हुए उन सब लोगों के वेतनमानों पर विचार हमें साथ-साथ संदर्भ में करना पड़ेगा। यह विषय इतना लम्बा है कि मैं इस पर काफी समय सदन का लूँगा, तो भी विस्तार से इस पर अपने सब विचार रख पाऊँगा, यह संभव प्रतीत नहीं होता। मैं अपने को निरंतर संक्षेपित करने की कोशिश करूँगा। आपकी नजर मेरी तरफ और घड़ी की तरफ जो जा रही है, मैं इसको समझ रहा हूँ। मैं कुछ दो-तीन मूलभूत बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूँगा वैसे तो जो विसंगतियाँ हैं, जिन-जिन सेवाओं को इन सारे निर्णयों से असंतोष है, आपके पास उनके ज्ञापन आये। आपकी उपसमिति ने निर्णय लिया। हमारे दल के अनेक सदस्यों ने चर्चा करते हुए उन मामलों पर आपका ध्यान इंगित किया है। मैं घंटे भर और विचार व्यक्त करूँगा तो भी संभव नहीं होगा। इसलिए मैंने जिस मूल मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है इसके लिए कोई स्थाई मशीनरी खड़ी होनी चाहिए कि जो निरंतर जाँच करे और उस असंतोष का निवारण करे इसका प्रयास किया जाना चाहिए।

श्रीमान वैसे तो आप मुख्यमंत्री जी, घोषणाएँ करने में बड़े माहिर हैं..... आपकी सरकार घोषणाओं की सरकार है, परन्तु कर्मचारियों में जो असंतोष पैदा होता है उससे हमारे कामों को जो नुकसान पहुँचता है, जनता को जो परेशानियाँ होती हैं, वे केवल वेतनमानों के कारण नहीं होतीं..... उनके और भी अन्य कारण हैं। यद्यपि इस वेतन आयोग को और भी बातें रेफर की गई थीं। मैं संदर्भ शर्तों के अनुच्छेद 3 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। यह परीक्षण कार्य सिफारिश करने का अन्य भत्ते, सुख-सुविधाओं आदि में किस प्रकार की आवश्यकता है? भत्ते और सुख-सुविधाओं पर विचार करते समय आयोग ने अपने को सीमित रखा है, केवल जिन बातों को लेकर आर्थिक प्रभाव गिरता है, पैसे से जो संबंधित विषय है, केवल उन्हीं भत्तों और सुख-सुविधाओं के बारे में आयोग ने विचार किया परन्तु सुख सुविधाओं का मतलब बड़ा व्यापक होता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें काफी विस्तार से चर्चा की गई है, और भी अनेक बातें हैं उसमें। ट्रांसफर की नीतियाँ आती हैं, उसमें प्रमोशन की नीतियाँ आती हैं और भरती की नीतियाँ आती हैं। उसमें कुल मिलाकर जो राजनैतिक नेतृत्व है, जो शासन चला रहा है, उनका दृष्टिकोण आता है, उनका व्यवहार आता है। ये सारी बातें कर्मचारियों के परफार्मेन्स को प्रभावित करने वाली हैं। इन सारी बातों को देखा जाना चाहिए। श्रीमान् आपकी दो-तीन साल की परफार्मेन्स क्या है, आपके आचरण और व्यवहार क्या हैं? मैं एक छोटी-सी बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आपके ही श्रीमुख से, जब आप प्रतिपक्ष के नेता के रूप में विराजमान थे और हमारा पक्ष जनता पार्टी सम्मिलित शासन में बैठा था, तब हम एक विधेयक इसी विधानसभा में विचार के लिए लाये थे। अत्यावश्यक सेवाओं को अविच्छिन्न रूप से रखा जाये। उस विधेयक में सेवाओं को अनुसूची में डिफाइन किया गया था। लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पब्लिक हैल्थ, चिकित्सा, विद्युत प्रदाय और परीक्षाओं में लगे हुए अध्यापकों का संबंध था केवल उनकी सेवाओं को स्पेसिफिक सर्विसेज फार स्पेसिफिक टाइम अनिवार्य घोषित किया जाये, और इससे संबंधित विधेयक हम यहाँ पर लाये और कांग्रेस पक्ष के लोगों को तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, बुजुर्ग माननीय सदस्य श्री श्रीनिवास तिवारी जी यहाँ नहीं हैं यदि मैं उनका भाषण पढ़ूँगा तो उन्हे पता नहीं लगेगा।

एक माननीय सदस्य : बैठे हैं यहाँ पर।

श्री सुन्दरलाल पटवा : बैठे हैं तो मैं आज के मुख्यमंत्री और उस समय के प्रतिपक्ष के नेता का जो भाषण हुआ था उसको उद्धृत करना चाहूँगा। "मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह विधेयक आज जिन साधनों के प्रति आप अपनी प्रतिबद्धता प्रचारित करते हैं, उनका ढिंढोरा पीट रहे हैं, उसके बारे में एक माननीय वरिष्ठ मंत्री ने जिस प्रकार की भावना से उत्पीड़ित होकर वचन कहे, वे ढोंग भी रचते हैं। उन सबके विपरीत है (शेम-शेम की आवाज) मुख्यमंत्री जी महोदय यदि चाहते हैं कि आप इस प्रदेश के अंदर केवल भय से लोगों को डरा-धमकाकर चाहे वे शासकीय कर्मचारी हों या ठेके पर काम करने वाले लोग हों, सब पर एक डण्डा घूमता रहे और उसके सहारे आप सब पर राज करेंगे, उनसे काम लेंगे, उनको अपने दायित्वों के प्रति सजग करेंगे तो यह आपकी प्रतिगामी विचारधारा है, और यह उस ओर एक कदम है और इसलिए इस विधेयक का हमारे दल की ओर से पूरा विरोध किया जायेगा।" तो हमारा वह प्रतिगामी कदम था और जब आप आ गये तो आप प्रगतिशील हो गये। हमने फॉर

सम स्पेसिफिक सर्विस फॉर सम टाईम्स और आज आपने कौन से कानून पास किये हैं। अत्यावश्यक सेवा संधारण विधेयक के बारे में टोटल सर्विसेज फॉर दि आल टाईम्स नॉट ओनली गवर्नमेंट सर्विसेस बट एनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग पब्लिक और प्राईवेट। जितने वर्कर्स थे उन सबको आपने अत्यावश्यक सेवा संधारण अधिनियम के दायरे में लिया। अब आप प्रगतिशील हैं। कल हम प्रतिगामी थे। यह कौन-सा नियम है। जब आप यहाँ बैठते हैं श्रीमान अर्जुनसिंह जी, तो वे और होते हैं और जब वहाँ चले जाते हैं तब श्रीमान अर्जुनसिंह जी और हो जाते हैं। हम उसमें जरा सा यह लाये थे शुद्ध शाकाहारी तो हम प्रतिगामी हो गये और आपके सारे टोटल न्यास सूची जो हुए हैं उनको आप देख नहीं रहे हैं। यह जो सोचने का दृष्टिकोण है, इसीलिए मैंने कहा है कि यहाँ बैठकर के मैं पूरी जिम्मेदारी से उतनी ही बात कहूँगा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं पूरा कर सकूँ। तो जिन बातों को आपने यहाँ बैठकर के कहा था क्या आप आज उन बातों को पूरा करने की मनःस्थिति में हैं। इस तरह से हमें विचार करना पड़ेगा। अब वह भी वक्त आया है। आपने यहाँ दो, ढाई सालों में क्या किया। आपने वहाँ बैठकर के इस संबंध में घोषणा की थी कि हम जूनियर पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना करेंगे और वह सारी भर्ती करेगा। यह हार्ट वर्निंग, मैंने पिछला विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए आपको अनेक उदाहरण बतलाये। छोटे-मोटे आपके दल के विधायकों की सामान्य जो रोजमर्रा के हस्तक्षेप हैं उनके उदाहरण नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश के स्वायत्त शासन मंत्री की लिखी हुई चिट्ठी, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की लिखी हुई चिट्ठी। सतना के म्युनिसिपैल्टी के सेक्रेटरी को, कि इसको दरोगा बना दो, आप ही जूनियर पब्लिक कमीशन बन गये, आप ही स्थानीय संस्थाओं की भरती करने वाले अधिकारी बन गये और इतना ही नहीं मैं आपको नजीर देना चाहूँगा, आपने अभी बैंकों में अध्यक्ष बैठाये हैं। जरा, भोपाल को-आपरेटिव बैंक जिनका आपने नामांकन किया, कुर्सी पर बैठते ही 41 लोग 15 रुपये रोज पर डेली वेज पर आ जाओ भर्ती खुली है, भर्ती कर लिये। अब जब बाकी के लोग यह देखते हैं, यह कोई नीति नहीं है, कोई नियम नहीं है। कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई क्राईटेरिया नहीं है, सिवाय जब मैं सामन्तशाही कहता हूँ तब उन दोनों में यही फर्क है कि प्रजातंत्र किन्हीं नियमों के अंतर्गत बंधकर के चलता है, लोकतंत्र किन्हीं मर्यादाओं को अपने में लागू करता है सामन्तशाही कोई नियम, कानून, मर्यादा कोई प्रक्रिया स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और जब आप इस प्रणाली से काम कर रहे हैं तो मैं आपको कौन-सी संज्ञा दूँ। मैं आपके इसी काम को किन शब्दों में संबोधन करूँ, जूनियर पब्लिक सर्विस कमीशन कब आप बनायेंगे, कैसे भरती और ट्रांसफर की नीति तय करेंगे, प्रमोशन की नीति कैसे तय होगी इस बात को गम्भीरता से विचार करना चाहिए अन्यथा कर्मचारियों में जो असंतोष है वह समाप्त नहीं हो सकता। कुल मिलाकर आप रहें न रहें, हम रहें न रहें,पर इस प्रदेश के ऊपर विपरीत प्रभाव डालने वाला यह कदम है। पृष्ठ 183 पर जो लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन है। श्री हनुमन्तैयाजी इसके अध्यक्ष थे। राजनीतिज्ञों के प्रशासन में लगे हुए और कर्मचारियों के रिलेशन के बारे में काफी विस्तार से और काफी महत्वपूर्ण चर्चा की थी। आज आप शासन चलाने वाले नेता हैं आप उसको भूल न जायें इसलिए आपको बार-बार याद दिलाना पड़ेगा।

6.3.29 1. The morale of the service being conditioned by the nature of the relationship between the civil servant and the minister's no room should be given to an impression that only a particular civil servant can get on with a particular minister. While it is for the minister to choose a top civii servant as his adviser the choice should be guided only by the qualification's and the specialised experience and knowledge of such civil servant a certain amounts of anonymity amount the civil services must be preserved.

अनेक बातों में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है।

In Order to prevent under influance being brought to bear on civil servants directly by the elected member of the legislatures and why the office bearers of political parties. Government should issue instructions who sound and healthy relationship

between them and the civil servants should be maintained and how the official business the former may have with the letter should be conduced.

इसके बारे में अन्त में, आपने अभी एक भ्रष्टाचार निवारण का जो अध्यादेश बनाया, आपने बड़ी डिमंडिम मचाई। सारे प्रदेश में भ्रष्टाचार निवारण अध्यादेश से, ट्रांसफर प्रमोशन करने के लिये सिफारिश करवायेंगे तो वह छः महीने का सजा का उत्तरदायी हुआ और जो सिफारिश करे कोई राजनेता, एम.एल.ए. उसके लिए कुछ नहीं। उसको इन्क्लूड किया? हमारा पिछले दो-तीन साल का अनुभव है। क्या आप इस बात को अस्वीकार कर सकते हैं कि आपकी सरकार के आने के बाद प्रशासन में लगे हुए कर्मचारियों के मनोबल को आपने गिराया। मैं आपको दो-चार नजरिये देता हूँ। सीधे जिले के कलेक्टर की पत्नी के साथ अश्लीलता की। जो आनंदसिंह दोषी था उसके स्थान पर दूसरे आनन्दसिंह को सजा देने के लिए पकड़ लाये और जो वास्तव में गुनाहगार है वह कहा है? एक पार्टी के कार्यकर्त्ता ने थानेदार को मारा पीटा। वह इसलिए कि पार्टी के कार्यकर्त्ता ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ की और उसके खिलाफ कार्यवाही की। कामता प्रसाद हेड कांस्टेबिल की मृत्यु हुई है। उसकी हत्या हुई है। उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया? दूसरी बात मुलजिम जमानत पर छूट जाये। सीधी में जो कुछ हुआ है ठीक हुआ है। कलेक्टर की पत्नी के साथ बदतमीजी और अश्लीलता करेंगे और उसका अंजाम यह होगा कि कलेक्टर को बोरिया-बिस्तर बांधना पड़ा। हेड कांस्टेबिल की हत्या होती है। विधायक का एक लड़का जाता है और कहता है कि मेरे ठेके का बिल पास करो, वरना कल बोरिया-बिस्तर बांध लो। इस तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप से कोई बात हो पायेगी क्या? आप आज सत्ता में हैं, आपके पास बहुमत है, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। श्रीमान् इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि इन सारी बातों पर समग्र रूप से विचार करके, भगवान के लिये, हम इस प्रदेश को आगे बढ़ा सकें, यह जो कर्मचारी हैं, प्रशासनिक मशीनरी के अंग हैं हाथ-पाँव हैं, अगर यह संतुष्ट नहीं हैं उनके मन में काम करने का उत्साह नहीं है और सारा वातावरण कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है। केवल वेतनमान तक ही मामला सीमित नहीं है वेतन तो है, पेट में रोटी जाती है तभी काम होता है। "भूखे भजन नहीं होय" तुलसीदास कह गये हैं। वह तो मूल प्रश्न है। परन्तु इन सब बातों को मिलाकर के विचार करेंगे तो मैं यह कहने के लिये बाध्य हूँ कि कर्मचारियों के मनोबल में गिरावट आई है, आपकी सरकार की नीतियों के कारण। इस मामले में आपने मशीनरी को नकारा है टोटली। इस मामले पर पुनर्विचार करें। एक स्थायी मशीनरी निर्मित करें जो इन सारी बातों पर विचार करती रहे। मेरे पास भी दर्जनों प्रतिवेदन विसंगतियों के पड़े हैं चूँकि मुझे जितना समय लेना चाहिये था उससे ज्यादा समय ले चुका हूँ इसलिये मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के सम्मानित नेता महोदय, ने अपनी बात तो बड़े निष्पक्ष स्तर पर शुरू की और "दूध का दूध पानी का पानी" करने की क्षमता का इजहार करके एक सपना भी देखा कि वे यहाँ आकर बैठेंगे। यह तो आने वाला समय बतायेगा। एक बार बैठे तो 28 दिन रह पाये थे। आगे कब बैठेंगे, कितने दिन रह पायेंगे यह समय बतायेगा। बात तो इस स्तर से शुरू हुई और खत्म सिफारिश पर, मनोबल और आरोपों पर हुई। मुझे बेहद खुशी होती यदि सचमुच प्रतिपक्ष के नेता अपनी बात को उस स्तर पर कायम रखते जिस पर से उन्होंने शुरूआत की थी। क्योंकि मेरा यह विश्वास है कि प्रशासन तंत्र के बारे में चर्चा निश्चित रूप से किसी मान्य सिद्धान्त पर होनी चाहिये, व्यक्तिगत राग-द्वेष के आधार पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा करना न तो उनके लिए संभव था और न इसकी उनकी कोई पृष्ठभूमि है। यह मैं इसलिये कह रहा हूँ कि पटवा जी के लिये याद यह "दूध का दूध और पानी का पानी" की उनकी जो भावना है जिसको उन्होंने व्यक्त किया, यदि इसमें कोई सच्चाई होती, कोई यथार्थ होता, ईमानदारी होती और अवसर नहीं आया हो ऐसी बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि माननीय पटवा जी को तो मालूम नहीं होगा, यदि होगा भी तो उसे भुलाना चाहेंगे कि वेतन आयोग गठन करने का निर्णय अप्रैल 1977 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ले लिया था और रैना साहब को उसका अध्यक्ष बनाने का निर्णय भी ले लिया था। यदि आपकी यह भावना, आपकी यह उत्कृष्ट अभिलाषा जो आज फूट रही है चारों तरफ, यदि किंचित

सोचते तो 77 से लेकर 80 के बीच में रैना साहब के आयोग की सिफारिश आ गई होती और कर्मचारियों को उसका लाभ मिल गया होता लेकिन शायद आप इस सदन से और इस प्रदेश के कर्मचारियों से यह बात छिपाकर रखना चाहते हैं। न केवल उस आयोग को काम नहीं करने देना चाहते थे अपनी ओर से भी किसी आयोग का गठन नहीं किया। उस समय तक, जब तक इसका आभास नहीं हो गया कि अब 'चलाचली की देर है' उस समय आपको ज्ञान हुआ और आपने एक आयोग का गठन कर दिया। मैं उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी बात से सही माने में इन लोगों का दृष्टिकोण क्या है कर्मचारियों के प्रति, उसका स्पष्ट दिग्दर्शन होता है। अप्रैल, 1977 में नियुक्त वेतन आयोग इनके पूरे कार्यकाल तक कार्य नहीं कर सका। इनके द्वारा नियुक्त वेतन आयोग 79 में नियुक्त किया गया उसने अपना प्रतिवेदन अगस्त 81 में दिया। 8 महीने में अप्रैल 82 में शासन ने उन सिफारिशों पर अपना निर्णय घोषित कर दिया और आप कहते हैं कि आपको कर्मचारियों से क्या मतलब। आप कुछ समझते नहीं आपने सब विसंगतियाँ कर दीं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, विनम्रता से पूछना चाहता हूँ हमारे 8 महीने में आपके नियुक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्णय घोषित किया और कांग्रेस शासन ने 77 में जो आयोग नियुक्त किया था तब से दिसम्बर 79 के बीच में आपने क्या किया। अब यहाँ पर कर्मचारी बंधु आकर गवाही नहीं दे सकते, लेकिन कुछ घटनाएँ ऐसी हैं आपने स्वयं ही गवाही दी है। आप चाहें तो मैं वह भी बताऊँ। यह बातें अलग हैं कि उस वक्त आपको सखलेचा जी ने गलियारे में घुसने नहीं दिया, लेकिन आपकी जो स्वप्रेरणा है, जो भावना है, सदन में क्यों नहीं आयी। इस सदन में आपके विचार सुनने को हम लोगों को क्यों नहीं मिले। 4-9-78 को प्रदर्शन हुआ। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का और लघु वेतन कर्मचारियों का। फिर 7-9 से हड़ताल हुई उसके बाद 27-12-79 से फिर हड़ताल हुई और उन हड़तालों को समाप्त किया है। लाठियाँ चलीं, गिरफ्तारियाँ हुईं और एक ऐसा प्रदर्शन इस प्रदेश को देखने को मिला, जहाँ पुलिस कर्मियों ने अपने हाथ में जूते लेकर परेड की है इस प्रदेश के शहरों में, और आप कहते हैं कि कर्मचारियों के बड़े हिमायती हैं आप, उनके दुख-दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन पटवा जी उस समय शांत थे, उस समय आपको कुछ नजर नहीं आया चारों तरफ, क्योंकि संभावना दिख रही थी कि किसी तरह सखलेचा जी खिसक सकते हैं और हम वहाँ बैठ सकते हैं। इसलिये चुप रहें। वरना जो घटक है इस बात पर कहते हैं कि आपने भाषण क्यों दिया और आज बड़ी-बड़ी पुस्तकें लेकर यहाँ आए हैं और हमारे भाषण के उद्धरण दे रहे हैं। आप हमारा भाषण पढ़ते जाइए। शायद कुछ मनोभावना बदल जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने प्रशासनिक कर्मियों के मामले को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि इस प्रदेश के व्यापक संदर्भ में देखकर निर्णय लेने का प्रयास किया है उसके कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। हमने सबसे पहले इस प्रदेश के उन लोगों की हालत सुधारने की बात की है, जिन्हें या तो अभी तक उपेक्षित किया गया, जिन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया, लेकिन जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, जैसे गाँव के कोटवार को लीजिए, आपने क्यों नहीं ऐसे कर्मचारी को जो सबका वजन अपने कंधों पर सहता है 77 से लेकर 80 तक उसका उद्धार कर दिया होता, किसी ने रोका तो नहीं था आपको। लेकिन उधर आपकी निगाह गई नहीं क्योंकि आपके दल की ओर आपको मंत्रियों की ओर उस समय के मुख्यमंत्री की निगाह तो बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओं में लगी थी। उस समय आपकी नजर कोटवार के पास जो गाँव में बेचारा काम करता है, पुलिस का भी हुकुम बजाता है, तहसीलदार और कोई दौरे पर पहुँच जाए तो उसका भी हुकुम बजाता है, की ओर नहीं गई। अपने समय में पहली बार उस कोटवार की आर्थिक रीढ़ को मजबूत किया जाए। मैं मानता हूँ कि अभी भी कुछ करना बाकी है। दूसरे हमारे प्रदेश को शिक्षक जिन शिक्षकों को हम आए दिन देश के कर्णधार, भविष्य के निर्माता और अनेकों पदों से सुशोभित करते हैं— क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ कि जिस जनता पार्टी शासन की आप यहाँ पर दुहाई दे रहे हैं, उसने क्या कुछ भी शिक्षकों की भलाई के लिये किया? क्या कोई कदम उठाने की आपने कोशिश की? उनको क्यों हड़ताल करनी पड़ी आपके शासनकाल में। क्या उनको कोई पागल कुत्ते के ने काटा था? इसलिए करना पड़ा, क्योंकि आपने शिक्षकों के बीच में एक राजनैतिक हस्तक्षेप करके अपनी विचारधारा के संगठन को तैयार किया और आप यदि चाहें तो मैं सदन के सामने उसके कुछ प्रमाण भी रख सकता हूँ। आपके द्वारा एक-दो नहीं

सैकड़ों मास्टरों के स्थानान्तरण, आपके इन राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो संचालक थे उनकी सिफारिश से इस प्रदेश में किये गये थे क्योंकि वह आपका अपना संगठन था। (शेम-शेम की आवाजें) हमने प्रयास किये कि वह शिक्षक, जो गाँव में रहते हैं जो सचमुच में कर्णधार हैं भविष्य के और जो सचमुच में इस देश को बनाने वाले हैं उनके आर्थिक ढाँचे को मजबूत बनाने के लिए हमने प्रदेश में स्वीकृत किया। मैं बड़ी विनम्रता से कह सकता हूँ कि इसके पहले कभी इस प्रदेश में नहीं था। (मेजों की थपथपाहट) और यही नहीं पूरे भारतवर्ष में अन्य प्रदेशों में भी यह स्थिति नहीं है। केवल निम्न श्रेणी शिक्षक की ही बात नहीं है, निम्न श्रेणी शिक्षक से लेकर व्याख्याता तक को हमने देने का प्रयास किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, फिर दूसरी बात आती है शांति और व्यवस्था बनाये रखने वाला जो अंग है, वही पुलिस कर्मी जिसने जूता लेकर परेड किया था, आपने कभी उनसे यह पूछा कि उनके मन में क्या भावना थी? क्यों इस हद तक गये, इस स्तर तक वे क्यों गये? लेकिन आपकी उस समय यह मनोभावना ही नहीं थी कि उनसे पूछकर उनके दुख-दर्द को जाना जाये और शायद आप पूछना भी नहीं चाहते थे। शांति और व्यवस्था बनाये रखने वाले व्यक्तियों में जहाँ अनुशासन की बात है कड़े से कड़े अनुशासन को पालन करने के लिये उन्हें अनिवार्य रूप से बुलाना पड़ेगा। हमने तो यह भी किया और साथ ही साथ उनके हितों को, उनकी कठिनाइयों को, उनकी परिस्थितियों को अच्छी तरह से सोच-समझ कर उनके वेतनमान भी बढ़ाये हैं ताकि वे सच्चे मन से इस प्रदेश की रक्षा करने वालों की पंक्ति में खड़े होकर अपने दायित्व को निभा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, फिर आपने कहा कि आपने जूनियर पी.एस.सी. नहीं बनाया। पटवा जो, अब मैं आपसे निवेदन करूँ कि आप अभी तक ऐसा समझ रहे थे जैसे कि हम कोई आठवें दर्जे के बच्चे हों और आपने खड़े होकर अपनी मर्जी से एक भाषण दे दिया। यह बात अलग है कि प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से आप जो भी कहेंगे हम सुनेंगे, चुपचाप सुनेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप जो भी कह दें उसको ही हम मान लें। जूनियर पी.एस.सी. का वायदा पहले किसने किया था? क्या मैंने किया था? यह वायदा पहले चुनाव जीतने के बाद सन् 77 से लेकर 80 तक आप ही करते रहे। 28 दिन की बच्चा सरकार के आप मुख्यमंत्री थे। (हंसी) अगर उसी बीच में आपने यह फरमान निकाल दिये होते जैसे आप कुछ फरमान भी निकालते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने उन दिनों कोई फरमान नहीं निकाला हो। अगर उस समय आपने फरमान निकाल दिया होता तो आज आपको खड़े होकर यह सवाल पूछने की हिम्मत हो सकती थी और कम से कम उसका कोई औचित्य था। आपने कुछ किया नहीं और उस समय अलग-अलग निगमों में, शासन में कितने लोगों की भर्ती हुई है? अनायास ही बिना किसी स्थापना के, बिना किसी प्रकार के विचार किये भरतियाँ की गईं। हम उस स्तर तक व्यक्तिगत आलोचना करने के आदी नहीं हैं। इसका लाभ तो आप ही उठायें। यदि आप चाहें तो उस समय में जितनी नियुक्तियाँ हुई हैं, किन-किन पदों पर हुई हैं, किन-किन लोगों की हुई हैं, आप चाहें तो मैं व्हाईट पेपर तो नहीं ब्लैक पेपर पर जरूर प्रस्तुत कर सकता हूँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : यदि एक मिनट के लिये इजाजत हो तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहूँ। मैं इसलिये चुपचाप बैठा सुन रहा था कि मुख्यमंत्री जी कुछ कांक्रीट बात करेंगे लेकिन वे तो केवल ढाई वर्ष से गाना ही गा रहे हैं कि आर.एस. एस., जनसंघ सिपाही थाने में पुलिस, आर.एस.एस. और मास्टरों की भर्ती की और उनके ट्रांसफर किए। केवल आर.एस.एस. आपके दिमाग में छाया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि वह छाया हुआ रहे और अभी आर.एस.एस. में किसी-न-किसी दिन परेड करने आप भी आने वाले हैं क्योंकि आपकी मुक्ति उसके सिवाय है नहीं। आप में से कई लोगों ने की हुई है, परन्तु मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग से उस मरी हुई चुहिया की पूंछ को निकाल दीजिये। आप ढाई वर्ष से यही गाना गा रहे हैं। उसके लिए यह सदन का पटल तैयार है आप उस पर व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर रख दीजिए। हमारा आपका फैसला मध्यप्रदेश की पाँच करोड़ जनता करेगी। सागर और जबलपुर में किसको ब्लैक पेपर मिला। आपकी चुनौती मुझे स्वीकार है जितनी नियुक्तियाँ उस समय हुई हैं और जितनी नियुक्तियाँ इन तीन वर्षों में हुई हैं। वह पूरा एक पेपर आप विधानसभा के पटल पर रख दीजिये, मैं बहस के लिये तैयार हूँ। अगर हम गुनाहगार होंगे तो हम तैयार हैं। हमने तो गलती की, उसका वर्षों तक आप

बखान करना चाहते हैं। आपने अभी इन तीन वर्षों में क्या किया है?

श्री अर्जुनसिंह : मेरी आदत चुहिया की पूंछ पकड़ने की नहीं है, आप उसको पकड़ कर कहीं पहुँचना चाहें तो जरूर पहुँचिए। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि आप पूंछ की बात कर रहे हैं और वह भी मरी हुई चुहिया की, क्योंकि जिंदा को पकड़ने के लिए तो शायद 2-3 कदम दौड़ना पड़े।

श्री सुन्दरलाल पटवा : वह तो हम देख रहे हैं कि आपकी पार्टी में कौन किसकी पूंछ पकड़ रहा है, कौन किसको खींच रहा है। अभी-अभी 22 लोग शपथ लेकर आए हैं गांधी जी के सामने। (कुमारी विमला वर्मा, लोक निर्माण मंत्री के खड़े होने पर) यह भी दौड़ में हैं, यह भी दौड़ में आ गयी हैं।

कुमारी विमला वर्मा (लोक निर्माण मंत्री) : माननीय पटवा जी, शपथ तो आपकी पूंछ पकड़ने के लिए ली गयी है वहाँ।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मुझे मंजूर है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं समझता हूँ कि डार्विन ने जो कुछ आविष्कार किए हैं, हम सब तो उससे आगे निकल गए हैं, पर पटवा जी की पूँछ ही तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन अब पूँछों की बात तो छोड़िए। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि.....

श्री सुन्दरलाल पटवा : पूंछें सिंहों की होती हैं, लालों की नहीं।

श्री अर्जुनसिंह : न मेरे पूंछ है और न किसी साथी की होगी।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं तो सिंहों की पूंछ होती है, कह रहा हूँ। आप जबर्दस्ती अपने ऊपर ले जा रहे हैं।

श्री कपूरचंद धुवारा : उपाध्यक्ष महोदय, दोनों जनों की पूंछ और मूंछ दोनों गायब हैं।

श्री अर्जुनसिंह : आपकी आँख भी गायब है, यह मुझे मालूम नहीं था। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ जिक्र आया कि हमने दो-सवा दो साल में छैः या आठ डी.ए. इंस्टालमेंट दे दिए। अब डी.ए. इंस्टालमेंट की तुलना करने से कोई फायदा नहीं है। अगर हमने ढाई साल से चौदह दिए तो क्या फर्क पड़ता है। आपने आठ दिए, हमने 14 दिए, वह कोई महत्व नहीं रखता है। केवल इसी प्रकार के तर्कों से जिस बात को साबित करना चाहते थे, मैं उस पर आना चाहता हूँ कि आपके अनुसार यह शासन कर्मचारियों का हित-विरोधी है और आप उनके सच्चे हितैषी हैं। यहाँ जितने भाषण आपकी तरफ से हुए हैं, यह ध्वनि क्यों आई है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यह ध्वनि इस मसले को राजनीतिक दृष्टिकोण देने के लिए है, जिसको न देने की दुहाई हर तीसरे शब्द के बाद आप दे रहे हैं और वही कहते जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि चौधरी वेतन आयोग की जो सिफारिशें थीं, उनमें दो-तीन अहम मुद्दे थे। एक तो यह कि न्यूनतम वेतन क्या हो, एक अनुपातिक फर्क क्या हो, उनकी सेवा शर्तों की जो मुख्य माँगें थीं, उनके बारे में क्या निर्णय हो। अब मैं उस पूरे निर्णय को फिर से दोहराना नहीं चाहता। लेकिन शायद आपको स्मरण हो कि जहाँ 42 वेतनमान थे, पे स्केल्स थे, उन्हें घटाकर हमने 24 किया। जो एक और बारह का आनुपातिक फर्क था, उसे घटाकर हमने दो और सात किया। जो 370 मिनिमम वेज था उसे बढ़ाकर 380 किया और आप कहते हैं कि कर्मचारियों के हितों पर ध्यान नहीं दिया। दक्षतावरोध के प्रश्न को इस प्रदेश के लगभग 90 प्रतिशत कर्मचारियों के मामले में दक्षतावरोध का प्रश्न नहीं रहेगा। यह निर्णय हमने इसलिए लिया क्योंकि उनकी यह शिकायत थी कि दक्षतावरोध को पार करने के लिए उन्हें वर्षों लग जाते थे और कई और प्रकार की चीजें होती थीं। ऑटोमेटिक प्रमोशन के बारे में हमने निर्णय लिया। उनकी कुछ अन्य सुविधाओं के बारे में हमने निर्णय लिया। ये सब निर्णय उपाध्यक्ष महोदय कोई एहसान के बदौलत नहीं किये और न उनके ऊपर कोई कृपा की। मैं तो यह मानता हूँ कि इस प्रदेश का प्रशासनिक कर्मचारी उसकी अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयाँ और कार्य करने की क्षमता और इस प्रदेश के व्यापक आर्थिक, सामाजिक व आर्थिक दृष्टिकोण में हम सबका दायित्व है और हम यह भी परिमार्जित करते हैं कि किसी भी प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए हम इससे बाहर जाकर निर्णय लेंगे तो न तो वह व्यवहारिक होगा और न पूरी तरह से संतुष्ट कर सकेगा। कम से कम इस गरीब प्रदेश के उन करोड़ों लोगों के साथ तो न्याय हो सकेगा जिनकी सेवा करने के लिए हम और आप सब

कर्मचारी कृतसंकल्प हैं। जो आपने ही आंकड़े दिये यहाँ पर मैं उन आँकड़ों को दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता, लेकिन मोटे तौर पर हम इस बात को जानते हैं कि इस प्रदेश के सामान्य नागरिक की वार्षिक औसत आय 1100-1200 के आसपास है और जो न्यूनतम पाने वाला कर्मचारी है 380 रुपये पाएगा उसकी भी 4000/- रुपये वार्षिक आय होगी। उपाध्यक्ष महोदय, हम उसके ऊपर के कर्मचारियों की बात छोड़ दें तो भी क्या इस असमानता को देखकर दूर करना पड़ेगा कि नहीं। आखिर हमारी जो काम करने की क्षमता है, जो साधन पैदा करने की क्षमता है, उस साधन को उपयोग में लाने के लिए हमारा प्रयास है वह भी कभी हमारे दिलोदिमाग में आएगा कि नहीं। मुझे इस बात को कहते हुए गर्व है कि आप सब लोगों के लिए हजारों प्रयत्नों के बावजूद पिछले ढाई वर्षों में इस प्रदेश के कर्मचारी बंधुओं ने अपने सही दायित्व को समझने की चेष्टा की है और किसी प्रकार भी ऐसी परिस्थिति निर्मित नहीं होने दी जिससे जनता की सेवा करने में कभी व्यवधान पैदा हो, वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

हमारे गौर जी ने बहुत-सी बातें कहीं। गौर जी कहना तो सही-सही चाहते हैं पर जब उनकी निगाह बाईं और घूमती हैं तो बहक जाते हैं। गौर जी कर्मचारियों की भलाई के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए जो भी सुझाव होंगे, जहाँ जिस कोने से आयेंगे बिना किसी पूर्वाग्रह के उन पर विचार करेंगे और वास्तव में जहाँ तक हो सकेगा कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय करने में हम किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने देंगे लेकिन यदि केवल परिस्थितियों को उलझाने के लिए, केवल एक विवाद पैदा करने के लिए कोई बात कही जायेगी तो हमें फिर उसे जनहित के मानदण्ड से देखना पड़ेगा और सदैव हमने यह किया है। उपाध्यक्ष महोदय, सदन को स्मरण होगा 16 अप्रैल को शासन के निर्णय को घोषित करने के बाद एक महीने के अन्दर जैसे ही इस बात की जानकारी कर्मचारी बंधुओं की ओर से, सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकर्त्ताओं की ओर से शासन के सामने लाई गई कोई ऐसी विसंगति रह गई है जिनका तत्काल निर्णय होना चाहिए तो पुनः मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा पहले कभी नहीं किया गया हमने तुरन्त मंत्रिमंडल और अधिकारियों की समिति नियुक्त की और तीन महीने के अंदर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में उसकी भी घोषणा की। अगर हममें कर्मचारियों के हित साधन करने की भावना न होती तो हम कह सकते थे वेतन आयोग का निर्णय हो गया, अब विसंगतियों को धीरे-धीरे देखा जायेगा। विसंगतियाँ स्वाभाविक हैं, इतने बड़े निर्णय में विसंगतियाँ हो जाना बहुत ही स्वाभाविक है लेकिन उन विसंगतियों को दूर करने का दृष्टिकोण हमारा व्यावहारिक होना चाहिए। प्रदेश के साधनों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। और निश्चित रूप से कर्मचारियों के हितों में रखकर होना चाहिए। और इसलिए हमने निर्णय लिया कि एक स्थाई प्रकोष्ठ सामान्य प्रशासन विभाग में कायम किया जावे तो सतत विचार करता रहेगा और जैसी स्थिति आयेगी वह समय-समय पर मंत्रिमंडल के सामने उस स्थिति को रखता रहेगा।

श्री बाबूलाल गौर : माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे एक प्रश्न पूछने की अनुमति दें। आपने नगर क्षतिपूर्ति भत्ता 1-4-81 से देने का कहा था पर फिर आप यह 14-10-82 से लागू क्यों कर रहे हैं। क्यों आपने आदेश दिया कि इनका पालन 1-4-81 से न होकर यह भत्ता 14-10-82 से देय होगा। क्या आप अपने कहे अनुसार यह नगर क्षतिपूर्ति भत्ता कर्मचारियों को पूर्व निर्णय के अनुसार 1-4-81 से देंगे? इस पर आप ध्यान दीजिए।

श्री अर्जुनसिंह : जरूर ध्यान दूँगा। उपाध्यक्ष महोदय, पर यह उधर देखकर बोलते हैं। (हंसी)

श्री बाबूलाल गौर : ध्यान देने की बात कर रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप लागू करिए।

श्री अर्जुनसिंह : आपकी बात पर ध्यान दे सकता हूँ। पटवाजी की पर नहीं। (हंसी)

श्री विक्रम वर्मा : अब तो आपकी ओर देखकर बोल रहे हैं अब तो ध्यान दीजिये।

श्री अर्जुनसिंह : मैं ध्यान दे रहा हूँ। आप तो खाँमोखाँ की बात किये जाते हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : श्रीमान् आप मुझसे क्यों खाँमोखाँ नाराज रहते हैं। (हँसी)

श्री अर्जुनसिंह : बात यह है कि हमारे पटवा जी की बात का न तो सिर होता है न पैर। (हंसी)

श्री सुन्दरलाल पटवा : केवल पूंछ होती है। (हंसी)

श्री अर्जुनसिंह : वह डारविन की थ्यौरी लागू नहीं होगी।

उपाध्यक्ष जी, यहाँ पर पेन्शनर्स के बारे में कहा गया। यह बिल्कुल सही है कि शासन का ध्यान पेन्शनर्स की तरफ निश्चित रूप से रहना चाहिये, और ऐसा आप नहीं कह सकते कि हमने उनकी तरफ नहीं दिया हो या पिछले एक-दो वर्ष में पेन्शनर्स के बारे में कोई निर्णय न लिया हो। उनको भी 75 प्रतिशत पेन्शन में सहयोग देने की बात की गई है, उनको जो दिया गया है वह न्यूनतम 75 रु. है। और उससे लेकर अधिकतम 375 रुपये तक पेन्शनर्स को दिये गये हैं। इस प्रकार से जिसको 60 रु. पेन्शन मिलती थी उसको अब न्यूनतम 75 रुपये जोड़कर अब 135 रुपये पेन्शन मिलने लगेगी और जिस अधिकारी को 500 रुपये पेन्शन मिलती थी उसको 375 रुपये जोड़कर अब 875 रुपये मिलेंगे। इससे आपको स्पष्ट हो जायेगा और आप यह नहीं कह सकते कि हम उनकी कुछ मदद नहीं करना चाहते, श्रीमान् ऐसा कहना तो तथ्यों के विपरीत होगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा : पर आपने वेतन आयोग की जो सिफारिशें थीं उनको अस्वीकार किया।

श्री अर्जुनसिंह : इसी प्रकार यहाँ पर जुडीशियल सर्विसेज के वेतनमानों की बात कही गयी कि हमने सोचा था। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन किया तो उसके विपरीत। अब वही हमारे सिर आ पड़ी है लेकिन उसमें जो सही चीज थी वह की और उनको दिया हमने, सोचा भी और किया भी। जहाँ तक जुडीशियल सर्विसेज का सवाल है उन्हें ए.डी.जे. को सीनियर आय.ए.एस. की पे मिल रही है। सिविल जजेज को जिनका ग्रेड 425-1050 था उनको 1000 से 1920 दिया। जो सिविल जज प्रथम श्रेणी के थे, जिनका ग्रेड 425 से 1050 था उनका ग्रेड अब 1370 से 2100 किया गया, यह वेतन आयोग की सिफारिश नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे वह जुडीशियल सर्विसेज का सवाल हो चाहे कार्य भारित कर्मचारियों का प्रश्न हो, ऐसा कोई भी वर्ग प्रशासनिक सेवा का नहीं जिनके हितों और कठिनाइयों को ध्यान में रखकर जो कुछ इस समय संभव हो सकता था उसे करने का प्रयास नहीं किया गया है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : तदर्थ शिक्षक आपके घर बैठे हैं। आप रोज आते जाते देखते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : वे कार्यभारित कर्मचारी थे उनके लिये समिति बनाई गई और जब तक समिति अपनी सिफारिश न भेजे तब तक तदर्थ रूप से 150-00 रुपये से 270-00 रुपये तक मिलता है, इसके नीचे तक उन सभी को 40.00 रुपये प्रतिमाह तदर्थ अनुदान दिया जा रहा है। जिन्हें 170 से 300 तक मिलता है उन्हें 60 रुपये और 224 और 390 जिन्हें मिलता है उनको भी 60 रुपये इसी प्रकार से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रत्येक कर्मचारी वर्ग को उनको कठिनाइयों को देखते हुए केवल वेतन आयोग से संबंधित नहीं बल्कि इसके अतिरिक्त उनकी हर प्रकार की कठिनाइयों को देखते हुए शासन ने निर्णय लिया है और जैसा मैंने आपसे निवेदन किया यह निर्णय इस व्यापक सन्दर्भ में है कि शासकीय कर्मचारियों के लिये इन सबका इन्तजाम होना जरूरी है लेकिन वह सब इसी पृष्ठभूमि में होना चाहिये कि इस प्रदेश के जो करोड़ों और नागरिक हैं उनके हितों का संरक्षण उनके कामकाज को देखने का प्रयास ईमानदारी से किया जाये। जैसा मैंने आपसे कहा है मुझे इस बात का हर्ष है और गौरव दोनों है कि इस तथ्य को सामान्य रूप से इस प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों ने ईमानदारी से निभाने की कोशिश की है। इस प्रदेश का विकास, इस प्रदेश के प्रशासनिक स्तर को ऊँचा बनाये रखने की जिम्मेदारी हम सब पर है और उस जिम्मेदारी को निभाने का दायित्व हम में से प्रत्येक का चाहे वह किसी भी दल का हो, उसका है। आप अपनी बात को कहने के लिये भले ही आपत्तियाँ उठावें लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस सदन के सदस्य के रूप में और आप सब की कृपा से इस सदन के नेता के रूप में भी कि इस दायित्व का निर्वहन करने के लिये ईमानदारी से मैंने प्रयास किया है। मुझसे भूल हो सकती है, जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति से भूल होना स्वाभाविक है और ऐसी बात के लिए मैं कभी भी क्षमा माँगने या भूल को स्वीकार कर सुधारने में कभी हिचकिचाऊँगा नहीं। लेकिन यह बात भी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो नये तरीके का प्रयास हो रहा है, प्रशासनिक सेवा में गुटबन्दी पैदा करने का, प्रशासनिक सेवा में राजनीति घुसेड़ने का और राजनीतिकरण करने की दिशा में परदे के पीछे जो कोशिश हो रही है वह इस प्रदेश के भविष्य की सुधारक नहीं

है। इस प्रदेश के नागरिकों के जो उनके अधिकार हैं उस अधिकार को लायेगी नहीं और ऐसा सब प्रदेश में चाहे जिनके द्वारा किया जाये, जिस स्तर पर किया जाये जिस तरीके से किया जाये उसका डटकर मुकाबला करना भी हमारा दायित्व है जिससे मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। इस प्रदेश में जो भी हमारे पास साधन हैं, उनमें सब का अधिकार है, जनता का अधिकार है, व्यापारियों का अधिकार है, समाज के प्रत्येक वर्ग का अधिकार है, लेकिन उस अधिकार को एक सीमा के अंदर ही बदला जा सकता है, उन अधिकारों का परस्पर अतिक्रमण होना शुरू हो जायेगा तो समूचे प्रदेश की व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जायेगी और छिन्न-भिन्न व्यवस्था में प्रगति की बात हो सकती हो ऐसा संभव नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस वेतन आयोग को जिसने भी बनाया हो, मुझे शिकायत नहीं। हमने सुझाव माँगे उन सभी से इस प्रदेश के कर्मचारियों के हित के लिये हमने प्रमाणित किया और आगे भी मौका आया वही करेंगे और मैं कह सकता हूँ आपको यहाँ चर्चा जरूर करना चाहिये थी। वह अवसर भी आपको मिला, लेकिन में समझता हूँ कि आपने चर्चा में कर्मचारियों के हित में विचार किया। अगर असंतुष्ट .....

श्री सुन्दरलाल पटवा : सभी कर्मचारी संतुष्ट हैं कोई असंतुष्ट नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं दुख का शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूँगा लेकिन आपने कोई अवसर नहीं खोया जब कोई विवाद उठाने के लिये कोई नया शगूफा न छोड़ा हो, फिर चाहे वह कर्मचारियों के संबंध में हो या किसी अन्य वर्ग के लिये यह शगूफेबाजी आपके लिये आवश्यक इसलिये है कि उस पर आपने बहुत कुछ संभालकर रखा है लेकिन इससे प्रदेश की भलाई नहीं होगी, प्रदेश की भलाई तो उससे होगी कि ऐसे विषय जो सामान्य वर्ग और जनहित के हों, उन पर विवादों को परे रखकर विचारविमर्श कर निर्णय लिया जाये और कुछ विषय अगर ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में राजनैतिक मतभेद हों तो उस पर राजनीतिक रूप से हल निकालने का प्रयास किया जाये। इस वेतन आयोग की सिफारिशों को जो हमने माना है उसका एक ही उद्देश्य था और वह यह था कि कर्मचारियों की भलाई हो, उनके हितों की अधिक से अधिक रक्षा हो, यह उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास है, साथ ही साथ उन्हें प्रदेश के की प्रगति के प्रयास में संबल और शक्ति मिले और किसी प्रकार की रुकावट पैदा न हो। मेरा विश्वास है कि इस उद्देश्य और इस उद्देश्य की पूर्ति के सम्बन्ध में हमारे दल की भावनाओं को वे समझते हैं और वे प्रदेश के नागरिकों के प्रति अपने दायित्व को ईमानदारी से निभाते रहेंगे।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/20 दिसम्बर 1982, पृष्ठ/ 120-130)

21 दिसम्बर 1982 को मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह ने प्रदेश में सूखे की स्थिति पर विस्तृत वक्तव्य दिया—

श्री अर्जुनसिंह (मुख्यमंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष प्रदेश में समय से पूर्व ही माह जून में वर्षा प्रारम्भ हो गई थी जिसके फलस्वरूप कृषकों ने व्यापक रूप से खरीफ की बोनी की। माह जुलाई के प्रथम तीन सप्ताहों में वर्षा या तो हुई ही नहीं या अपर्याप्त रही जिसके फलस्वरूप पिछड़ी हुई बोनी हो ही नहीं पाई तथा बोई हुई फसल को क्षति हुई तथा अनेक स्थानों में पुनः बोनी की आवश्यकता पड़ी। 23 जुलाई, 1982 के पश्चात् या कुछ भागों में अगस्त के प्रथम सप्ताह से, अच्छी वर्षा प्रारम्भ हुई जिसके फलस्वरूप यह महसूस होने लगा कि खरीफ फसल को जो अनुमानित 20 प्रतिशत प्रारंभिक क्षति हुई है उसके अलावा और क्षति नहीं होगी। परन्तु पूरे प्रदेश में 13 सितम्बर 1982 के पश्चात् कुछ स्थानों को छोड़कर, वर्षा नहीं हुई, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के कुछ भागों में ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि वहाँ लोगों को मजदूरी उपलब्ध कराना तथा प्रदेश के कुछ भागों में पीने के पानी की भी व्यवस्था कराना आवश्यक हो गया है। जिन जिलों में मजदूरी उपलब्ध कराना आवश्यक है वे हैं बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगाँव, रीवा, शहडोल, सीधी, सतना, जबलपुर, मण्डला, सिवनी, बालाघाट, खरगौन, धार तथा झाबुआ। जिन जिलों में पीने के पानी की व्यवस्था की जाना है उन जिलों के नाम है, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़, रायपुर, दुर्ग, राजनाँदगाँव, इन्दौर, झाबुआ, धार, खरगौन, खंडवा, रीवा सतना, सीधी, शहडोल, उज्जैन, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, मण्डला, सिवनी, बालाघाट छिन्दवाड़ा तथा राजगढ़।

क्योंकि इस वर्ष शुरू से ही वर्षा अनिश्चित एवं आकस्मिक रही, इसलिये राज्य शासन समय-समय पर स्थिति

के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करता रहा है। जब जुलाई माह में अवर्षा के कारण फसल सूखने की स्थिति आ गई थी, तब राज्य शासन ने किसानों को बोनी करने के लिए बीज एवं तकाबी ऋण के ऊप में उपलब्ध कराया जिसके फलस्वरूप 4 लाख 70 हजार हेक्टर में पुनः बोनी संभव हुई। उसी समय ग्रामीण कार्यों में गति देकर रोजगार उपलब्ध कराने के भी आदेश प्रसारित किये गये थे लेकिन माह जुलाई के अन्त में वर्षा पुनः प्रारम्भ होने से स्थिति में सुधार हुआ। माह अगस्त में अधिक वर्षा के कारण राज्य के हिस्सों में बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हुई जिसका कि उचित प्रबन्ध राज्य शासन द्वारा किया गया और प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान की गई। माह सितम्बर के मध्य में वर्षा रुक जाने के पश्चात् माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक राज्य शासन को यह स्पष्ट हो गया कि खरीफ की फसलों को राज्य शासन के अनेक भागों में काफी क्षति हो गई है और इसलिए वर्ष 1982-83 में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी होगी।

राज्य के सभी जिलों में तत्काल बहते हुए नालों को बांधकर पानी रोकने की व्यवस्था करने के लिए 39 लाख रु. कलेक्टरों को आवंटित किये गये ताकि बहता हुआ पानी रोका जा सके। राज्य शासन ने तत्काल कलेक्टरों को नजरिया अंदाज से फसलों को आंकलन कर तत्काल प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया। आयुक्तों और कलेक्टरों की ओर से आवश्यक, प्रतिवेदन अक्टूबर माह के तीसरे सप्ताह में प्राप्त हुए और राज्य शासन ने तत्काल ही केन्द्र शासन को उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए आर्थिक सहायता देने का निवेदन किया और स्थिति के बारे में एक ज्ञापन दि. 24.10.82 को भेजा। केन्द्रीय दल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा दि. 22-11-82 से लेकर 24-11-82 तक किया तथा राज्य स्तर पर आवश्यक चर्चाएँ कर उन्हें अपना प्रतिवेदन भारत शासन को दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में दे दिया है। मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि केन्द्रीय दल के प्रतिवेदन के आधार पर भारत शासन ने स्थिति से निपटने के लिए राज्य शासन को तदर्थ रूप से 15 करोड़ रुपयों की अग्रिम योजना सहायता स्वीकृत कर दी है।

फसल कटाई प्रयोग का कार्य अब लगभग पूर्ण हो चुका है और जैसे ही कटाई के अंतिम परिणाम उपलब्ध हो जायेंगे, राज्य शासन यह पूर्ण रूप से निश्चित कर लेगा कि राज्य के किन-किन भागों में और अधिक सहायता करने की आवश्यकता है। यदि बतलाये गये क्षेत्रों के अलावा भी किन्हीं क्षेत्रों में अभाव की स्थिति पाई जाती है तो वहाँ भी आवश्यक सहायता प्रदान की जायेगी। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को आवश्यक मात्रा में मजदूरी उपलब्ध हो सके इसके लिए यह आदेश किए गये हैं कि वर्तमान में चल रहे कार्यों में गति लाई जाये और जहाँ आवश्यक हो वहाँ अधिक और आवश्यक मात्रा में अन्य कार्य खोले जाएँ जिससे जितने भी लोग मजदूरी चाहते हों उहें मजदूरी मिल सके। लोगों को मजदूरी दिलाने के लिये आवश्यक कार्य हाथ में लिये जाने में कोई कठिनाई न हो, इसलिए राज्य शासन ने राहत संहिता के प्रावधानों को शिथिल करते हुए कमिश्नरों को यह आदेश प्रदान किए हैं कि वे पूर्व वर्षों में जो राहत कार्य प्रारम्भ किए गए थे और जो अधूरे रह गये हैं और जिन्हें योजना या आयोजना में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है उन्हें भी आवश्यकतानुसार प्रारम्भ करें। किसी क्षेत्र में प्राथमिकता में दिए गए कार्य कोई भी खोल सकते हैं। नए कार्य खोलने में हम प्राथमिकता उन्हीं कार्यों को देंगे जो अधिकांशतः जून, 1983 तक पूर्ण किए जा सकते हैं।

राहत कार्यों के संचालन के लिए धनाभाव न हो इस दृष्टि से राज्य शासन ने लोक कर्म विभाग को 6 करोड़ 26 लाख रुपये तथा सिंचाई विभाग को 5 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं जिनका आवंटन जिलेवार किया जा चुका है। भारत शासन से भी अग्रिम सहायता प्राप्त हो गई है। अतः धनाभाव के कारण कार्यों के संचालन में कोई कठिनाई नहीं होगी।

राहत कार्यों के संचालन में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि लोगों को मजदूरी समय पर मिले। इस बारे में शासन की स्पष्ट हिदायतें हैं परन्तु शासन ने पुनः इन आदेशों को दोहराया है कि कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि मजदूरों को मजदूरी प्रति सप्ताह मिल जाए। इसी प्रकार ऐसे समय पर अनाज उपलब्ध हो सके ऐसी व्यवस्था करना भी आवश्यक है। इस दृष्टि से राज्य शासन ने कलेक्टरों को हिदायतें दी हैं कि जहाँ-जहाँ लोग मजदूरी कर रहे हैं वहाँ मजदूरी मिलते समय उचित मूल्य पर अनाज भी उपलब्ध हो ऐसी व्यवस्था की जाए। अपंग, निराश्रित, गर्भवती एवं छोटे बच्चे वाली माताओं को आवश्यक राहत मिल सके इसकी भी उचित व्यवस्था की जा रही है।

कलेक्टरों को हिदायतें निर्देश दिये जा रहे है कि वर्तमान में जो लोग निशुल्क सहायता प्राप्त कर रहे है उनकी सूचियों का पुनः निरीक्षण कर लिया जाए और वर्तमान स्थिति के अनुसार यदि मुफ्त लोगों को यह सहायता दी जाना है तो वह तत्काल उपलब्ध कराई जाए। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है वहाँ पर आवश्यकतानुसार पीने के पानी उपलब्ध कराने की भी उचित व्यवस्था की जा रही है। मवेशियों को पानी और चारा मिले उसकी भी व्यवस्था की जा रही है।

राज्य जब ऐसी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है तब यह स्वाभाविक ही है कि प्रदेश के हर वर्ग के लोग तथा प्रत्येक राजनैतिक पार्टियों के सदस्य प्रभावित लोगों की सहायता के कार्यों में सहयोग करना चाहेंगे। राज्य शासन को सभी वर्गों का सहयोग एवं सुझाव प्राप्त हो सके इस दृष्टि से राज्य स्तर पर मेरी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति में मेरे अलावा उपमुख्यमंत्री, कृषि मंत्री एवं राजस्व मंत्री तथा प्रदेश के प्रमुख विरोधी दलों द्वारा मनोनीत एक-एक सदस्य रहेंगे। यह समिति समय-समय पर बैठकें करेगी और राहत कार्यों की समीक्षा कर उन्हें सुचारु रूप से चलाने के लिए राज्य शासन को आवश्यक सुझाव देगी। इसी प्रकार जिला स्तर पर जिला सलाहकार समिति को राहत कार्यों की समीक्षा कर उनका सही प्रकार से संचालन करने के सुझाव देने के अधिकार दिए जा रहे है। जिन जिला सलाहकार समितियों में विरोधी दलों के सदस्य, वर्तमान गठन के अनुसार, सदस्य नहीं है वहाँ प्रत्येक मान्य विरोधी दलों के एक-एक सदस्य को जिन्हें कि दल द्वारा मनोनीत किया जाएगा विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। इस प्रकार राज्य शासन सभी दलों के सहयोग एवं सुझाव प्राप्त कर इन कार्यों के संचालन की कार्यवाही करना चाहता है।

मुझे पूर्ण आशा ही नहीं विश्वास है कि इस विषम परिस्थिति में प्रदेश के सभी दलों एवं सभी वर्गों के सहयोग के साथ हम प्रदेश में किसानों और मजदूरों के समक्ष उपस्थित कठिनाइयों का सामना कर सकेंगे।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/21 दिसम्बर 1982, पृष्ठ/ 119-120)

CAREER COLLEGE
ACC.No.....
Book No.....
Date.....
B.H.E.L., BHOPAL
26924

शिक्षा और विकास का
लक्ष्य संस्कारी व्यक्ति और
संस्कारी समाज बनाना है जिसमें
खुलापन और ग्रहणशीलता हो पर अपनी
विशिष्ट सांस्कृतिक छवि भी हो।
अगर शिक्षा और विकास की प्रक्रियाएँ
उस पक्ष को प्रबल नहीं करती
जिसे "सब कुछ की संस्कृति" कहा
गया है; तो वे ऐसे नागरिक बना
रही होंगी जिनके पास कौशल
होगा पर दृष्टि नहीं, क्षमता होगी पर
[illegible] कल्पना नहीं, साधन
[illegible] पर मूल्यबोध नहीं।

[illegible]